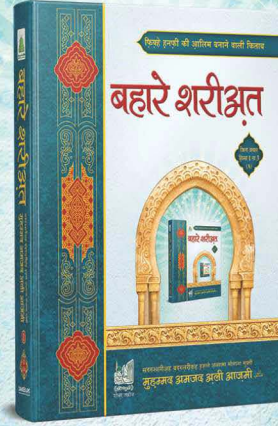


फ़िक़हे हनफ़ी की अ़लम बनाने वाली किताब

बहारे शरीअत

जिल्द अच्चल
हिस्सा 1 ता 3
(A)



सदरुशशरीअह बदरुत्तरीक़ह हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती

मुहम्मद अमजद अली आज़मी

www.dawateislami.net

बहारे शरीअत

जिल्द अव्वल (1-A)

(..... तस्हील व तख़ीज शुदा)

सदरुशरीअह बदरुत्तरीक़ह
हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती

علیه رحمۃ اللہ القوی
मुहम्मद अमजद अली आज़मी

- : पेशक़श :-

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (शोबए तख़ीज)

नाशिर

मक्तबतुल मदीना

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

- | | | |
|--------------|---|-------|
| (1) | इज्माली फ़ेहरिस्त | A-4 |
| (2) | बहारे शरीअत को पढ़ने की सतरह निय्यतें | A-5 |
| (3) | तअरुफ़े अल मदीनतुल इल्मिय्या | A-6 |
| (4) | पहले इसे पढ़ लीजिये (पेश लफ़्ज़) | A-7 |
| (5) | तज़िकरए सदरुशशरीअह عليه رحمة ربّ الوزای | A-19 |
| (6) | एक नज़र इधर भी | A-40 |
| (7) | इस्तिलाहात व आलाम | A-42 |
| (8) | हल्ले लुगात | A-72 |
| (9) | तफ़्सीली फ़ेहरिस्त | A-100 |
| (10) | मआख़िज़ो मराजेअ | 1236 |

इज्माली फ़ेहरिस्त

मज़ामीन	सफ़्हा	मज़ामीन	सफ़्हा
पहला हिस्सा (अक़ाइद का बयान)		इस्तिन्जे का बयान	405
अक़ाइद मुतअल्लिक़ ज़ातो सिफ़ते बारी तआला	2	तक़रीजे आला हज़रत	
अक़ाइद मुतअल्लिक़ नबुव्वत	28	इमाम अहमद रज़ा खां عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن	414
मलाएका का बयान	90	तीसरा हिस्सा (नमाज़ का बयान)	
जिन्न का बयान	96	नमाज़ का बयान	433
आलमे बरज़ख़ का बयान	98	अज़ान का बयान	457
मआद व हशर का बयान	116	नमाज़ की शर्तों का बयान	475
जन्नत का बयान	152	नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा	501
दोज़ख़ का बयान	163	दुरूद शरीफ़ पढ़ने के	
ईमान व कुफ़्र का बयान	172	फ़ज़ाइल व मसाइल	531
इमामत का बयान	237	नमाज़ के बाद के ज़िक़्रो दुआ	539
विलायत का बयान	264	कुरआने मजीद पढ़ने का बयान	542
दूसरा हिस्सा (तह़ारत का बयान)		किराअत में ग़लती होने का बयान	554
किताबुततह़ारत	282	इमामत का बयान	558
वुजू का बयान और उस के फ़ज़ाइल	284	जमाअत के फ़ज़ाइल	574
गुस्ल का बयान	311	नमाज़ में बे वुजू होने का बयान	595
पानी का बयान	328	मुफ़्सिदाते नमाज़ का बयान	603
तयम्मूम का बयान	344	मक्रूहात का बयान	618
मोज़ों पर मस्ह का बयान	362	अहक़ामे मस्जिद का बयान	638
हैज़ का बयान	369	तक़रीजे आला हज़रत,	
इस्तिहाज़ा का बयान	384	इमाम अहमद रज़ा खां عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن	651
नजासतों का बयान	388		

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

“अलिम बनाने वाली किताब” के 17 हुरूफ़ की निस्बत से “बहारे शरीअत” को पढ़ने की 17 नियतें

अज : शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि रजवी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

फ़रमाने मुस्तफ़ा ﷺ : “مُسْلِمَانِ كَيْفَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” : صَلَّيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم
नियत उस के अमल से बेहतर है।” (المعجم الكبير للطبراني، الحديث: ٥٩٤٢، ج ٦، ص ١٨٥)

दो मदनी फूल : (1) बिगैर अच्छी नियत के किसी भी अमले खैर का सवाब नहीं मिलता।

(2) जितनी अच्छी नियतें ज़ियादा, उतना सवाब भी ज़ियादा।

1. इख़्लास के साथ मसाइल सीख कर रिज़ाए इलाही का हक़दार बनूंगा।
2. हत्तल वस्अ इस का बा वुजू और
3. क़िब्ला रू मुतालअ करूंगा।
4. इस के मुतालए के ज़रीए फ़र्ज उलूम सीखूंगा।
5. अपना वुजू, गुस्ल, नमाज़ वगैरा दुरुस्त करूंगा।
6. जो मस्अला समझ में नहीं आएगा उस के लिये आयते करीमा (سَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٤٣، النحل: ٤٣))

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : “तो ऐ लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं” पर
अमल करते हुए उलमा से रुजूअ करूंगा।

7. (अपने ज़ाती नुस्खे पर) इन्दज़रूरत खास खास मक़ामात अन्डर लाइन करूंगा।
8. (ज़ाती नुस्खे के) याद दाश्त वाले सफ़हे पर ज़रूरी निकात लिखूंगा।
9. जिस मस्अले में दुश्वारी होगी उस को बार बार पढ़ूंगा।
10. ज़िन्दगी भर अमल करता रहूंगा।
11. जो नहीं जानते उन्हें सिखाऊंगा।
12. जो इल्म में बराबर होगा उस से मसाइल में तक्कार करूंगा।
13. यह पढ़ कर उलमाए हक्का से नहीं उलझूंगा।
14. दूसरों को यह किताब पढ़ने की तरगीब दिलाऊंगा।
15. (कम अज कम 12 अदद या हस्बे तौफ़ीक़) यह किताब ख़रीद कर दूसरों को तोहफ़तन दूंगा।
16. इस किताब के मुतालए का सवाब सारी उम्मत को ईसाल करूंगा।
17. किताबत वगैरा में शर्ई ग़लती मिली तो नाशिरीन को मुत्तलअ करूंगा।



तालिबे गुप्ते मदीना
व बकीअ व मरिफ़रत
व बे हिसाब जनतुल
फ़िरदौस में
आका का पड़ोस

6 रबीउल आख़िर सि. 1427 हि.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अल मदीनतुल इल्मिया

अज् : शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी हज़रते अल्लामा
मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि रज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ

तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की गैर सियासी तहरीक
“दावते इस्लामी” नेकी की दावत, एहयाए सुन्नत और इशाअते इल्मे शरीअत को आम करने का अज़मे
मुसम्मम रखती है, इन तमाम उमूर को ब हुस्नो खूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअहद मजालिस का क़ियाम
अमल में लाया गया है जिन में से एक मजालिस “अल मदीनतुल इल्मिया” भी है जो दावते इस्लामी
के उलमा व मुफ़्तियाने किराम كَرَّمَ اللَّهُ سَلَامُهُ पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी, तहकीकी और
इशाअती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए जैल छे शोबे हैं :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| ① शोबए कुतुबे आला हज़रत | ② शोबए दर्सी कुतुब |
| ③ शोबए इस्लाही कुतुब | ④ शोबए तराजिमे कुतुब |
| ⑤ शोबए तफ़्तीशे कुतुब | ⑥ शोबए तख़्ज़ीज |

“अल मदीनतुल इल्मिया” की अव्वलीन तरजीह सरकारे आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत,
अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्प् रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये
बिदअत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीकत, बाइसे खैरो बरकत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफ़िज़
अल कारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ की गिरां माया तसानीफ़ को अउरे हाज़िर के तकाज़ों
के मुताबिक़ हत्तल वस्अ सहल उस्तूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस
इल्मी, तहकीकी और इशाअती मदनी काम में हर मुम्किन तआवुन फ़रमाएं और मजालिस की तरफ़ से
शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी मुतालआ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ “दावते इस्लामी” की तमाम मजालिस ब शुमूल “अल मदीनतुल
इल्मिया” को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक्की अता फ़रमाए और हमारे हर अमले खैर को
जेवरे इख़लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें जेरे गुम्बदे ख़ज़रा
शहादत, जन्नतुल बकीअ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए।

آمِينَ بِحَادَةِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



रमज़ानुल मुबारक 1425 हि.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दावते इस्लामी)

पहले इसे पढ़ लीजिये

कुरआने मजीद में है : **وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** (प. 1, अ. 31) और **तर्जमए कन्ज़ुल ईमान** : और अल्लाह तआला ने आदम को तमाम अश्या के नाम सिखाए ।

हज़रते सय्यिदुना इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي** अपनी मायानाज़ तफ़्सीर “तफ़्सीरे कबीर” में इस आयत के तहत लिखते हैं : सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** एक सहाबी **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से मह्वे गुफ़्तगू थे कि आप पर वही आई कि इस सहाबी की ज़िन्दगी की एक साअत (यानी घन्टा भर ज़िन्दगी) बाकी रह गई है । येह वक़्त अस्स का था । रहमते आलम **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने जब येह बात उस सहाबी **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** को बताई तो उन्होंने ने मुज़़्तरिब हो कर इल्तिजा की : **“या रसूलल्लाह **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ! मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइये जो इस वक़्त मेरे लिये सब से बेहतर हो ।”** तो आप ने फ़रमाया : **“इल्मे दीन सीखने में मशगूल हो जाओ ।”** चुनान्चे वोह सहाबी **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** इल्म सीखने में मशगूल हो गए और मग़रिब से पहले ही उन का इन्तिकाल हो गया । रावी फ़रमाते हैं कि अगर इल्म से अफ़ज़ल कोई शै होती तो रसूले मक्बूल **نَفْسِير كَبِير** , ज. १, व. ६१०) उसी का हुक्म इरशाद फ़रमाते ।

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इल्म की रोशनी से जहालत और गुमराही के अंधेरों से नजात मिलती है । जो खुश नसीब मुसलमान इल्मे दीन सीखता है उस पर रहमते खुदावन्दी की छमाछम बरसात होती है । जो शख्स इल्मे दीन हासिल करने के लिये सफ़र करता है तो खुदा तआला उसे जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पर चलाता है और तालिबे इल्म की रिज़ा हासिल करने के लिये फ़रिश्ते अपने परो को बिछा देते हैं और हर वोह चीज़ जो आस्मानो ज़मीन में है यहां तक कि मछलियां पानी के अन्दर आलिम के लिये दुआए मग़िफ़रत करती हैं, और आलिम की फ़ज़ीलत आबिद पर ऐसी है जैसी चौदहवीं रात के चांद की फ़ज़ीलत सितारों पर, और इलमा अम्बियाए किराम **عَلَيْهِمُ السَّلَام** के वारिस व जा नशीन हैं ।

इल्म सीखना फ़र्ज है

हज़रते सय्यिदुना अनस **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से मरवी है कि हुज़ूरे पाक साहिबे लौलाक, सय्याहे अफ़्लाक **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** इरशाद फ़रमाते हैं : **“طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ** यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द (व औरत) पर **फ़र्ज है ।”** (شعب الإيمان، باب في طلب العلم، الحديث: १६६०, ج २, ص २०६)

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! हर मुसलमान मर्द व औरत पर इल्म सीखना फ़र्ज है, (यहां) इल्म से ब कदरे ज़रूरत शर्इ मसाइल मुराद हैं लिहाज़ा रोज़े नमाज़ के मसाइले ज़रूरिया सीखना **हर मुसलमान** पर फ़र्ज, हैज़ो निफ़ास के ज़रूरी मसाइल सीखना **हर औरत** पर, तिजारत के मसाइल सीखना **हर ताजिर** पर, हज़ के मसाइल सीखना **हज़** को जाने वाले पर ऐन **फ़र्ज** हैं, लेकिन दीन का पूरा आलिम बनना फ़र्जे किफ़ाया कि अगर शहर में एक ने अदा कर दिया तो सब बरी हो गए । (माखूज़ अज़ मिरआतुल मनाजीह, जि. 1, स. 202)

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का एक मक्तूब

शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه अपने एक मक्तूब में लिखते हैं : “**प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो !** अफ़सोस ! आज कल सिर्फ़ सिर्फ़ दुनियावी उलूम ही की तरफ़ हमारी अक्सरियत का रुझान है। इल्मे दीन की तरफ़ बहुत ही कम मैलान है। **हदीसे पाक** में है : **طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ** (सनन ابن ماجه ج ۱ ص ۱۴۶ حديث ۲۲۴) यानी इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द (व औरत) पर फ़र्ज़ है। इस हदीसे पाक के तहत मेरे आका आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना **शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान** عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ ने जो कुछ फ़रमाया, उस का आसान लफ़्ज़ों में मुख़्तसरन खुलासा अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। सब में अव्वलीन व अहम तरीन फ़र्ज़ येह है कि **बुन्यादी अक्काइद** का इल्म हासिल करे। जिस से आदमी सहीहुल अक्कीदा सुन्नी बनता है और जिन के इन्कार व मुख़ालफ़त से **काफ़िर** या **गुमराह** हो जाता है। इस के बाद मसाइले नमाज़ यानी इस के फ़राइज़ो शराइत व मुफ़्सिदात (यानी नमाज़ तोड़ने वाली चीज़ें) सीखे, ताकि नमाज़ सहीह तौर पर अदा कर सके। फिर जब **रमज़ानुल मुबारक** की तशरीफ़ आवरी हो तो रोज़ों के मसाइल, मालिके निसाबे नामी (यानी हकीक़तन या हुक्मन बढ़ने वाले माल के निसाब का मालिक) हो जाए तो **ज़कात** के मसाइल, साहिबे इस्तिअत हो तो मसाइले **हज़**, **निकाह** करना चाहे तो इस के ज़रूरी मसाइल, **ताजिर** हो तो ख़रीदो फ़रोख़्त के मसाइल, **मुज़ारेअ** यानी काशतकार (व ज़मीनदार) खेतीबाड़ी के मसाइल, मुलाज़िम बनने और मुलाज़िम रखने वाले पर इजारे के मसाइल। **وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ** (यानी और इसी पर क़ियास करते हुए) **हर मुसलमान अक़िलो बालिग़ मर्द व औरत पर उस की मौजूदा हालत के मुताबिक़ मस्अले सीखना फ़र्ज़ ऐन है।** इसी तरह हर एक के लिये मसाइले **हलालो हराम** भी सीखना **फ़र्ज़** है। नीज़ **मसाइले क़ल्ब** (बातिनी मसाइल) यानी फ़राइज़े क़ल्बिया (बातिनी फ़राइज़) मसलन **आजिज़ी** व **इख़्लास** और **तवक्कुल** वग़ैरहा और इन को हासिल करने का तरीक़ा और **बातिनी गुनाह** मसलन **तकब्बुर**, **रियाकारी**, **हसद** वग़ैरहा और **इन का इलाज** सीखना हर मुसलमान पर अहम फ़राइज़ से है। (माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विख्या, जि. 23, स. 623, 624)

हुसूले इल्म के ज़राएअ

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इल्मे दीन के हुसूल के लिये मुतअदद ज़राएअ हैं मसलन (1) किसी दारुल उलूम या जामिआ के शोबए दर्से निज़ामी में दाख़िला ले कर बा क़ाइदा तौर पर इल्मे दीन हासिल करना, (2) उलमाए किराम की सोहबत इख़्तियार करना, (3) दीनी कुतुब का मुतालआ करना, (4) उलमाए किराम मसलन अमीरे अहले सुन्नत مَدِظْلَةُ الْعَالِي के बयानात और मदनी मुज़ाकरों की केसिटें सुनना, (5) राहे खुदा में सफ़र करने वाले आशिक़ाने रसूल के हमराह दावते

इस्लामी के मदनी काफिलों का मुसाफिर बनना वगैरहा। हम इन में से जितने ज़ियादा ज़राएअ अपनाएंगे إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى उसी क़दर हमारे इल्म में इज़ाफ़ा होता चला जाएगा।

आलिम बनाने वाली किताब

इस वक़्त आलिम बनाने वाली किताब **बहारे शरीअत (जिल्द अक्वल)** आप के पेशे नज़र है जो सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ की तस्नीफ़ लतीफ़ है। येह ऐसी अज़ीम किताब है, जिसे फ़िक्हे हनफ़ी का इन्साइक्लोपीडिया कहा जाए तो बेजा न होगा। इस में कहीं तो **ईमानो एतिक़ाद** को मुस्तहक़म करने के उसूल बताए जा रहे हैं और कहीं बद मज़हबों के **मज़मूम असरात** से अ़वाम के शजरे ईमान को बचाने के लिये पेश बन्दियां की जा रही हैं, कभी **फ़राइज़ो वाजिबात** की अहमिय्यत दिलों में रासिख़ की जा रही है तो कभी **सुननो आदाब** और **मुस्तहब्बात** को अपनाने की शफ़क़त आमेज़ तल्कीन हो रही है, कहीं मुसलमानों की ज़बू हाली के अस्बाब का तज़्किरा है तो कहीं बिदाअत का **क़ल्अ क़म्अ** किया जा रहा है। यकीनन **सदरुशशरीअह** رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ने बहारे शरीअत तालीफ़ कर के फ़िक्हे हनफ़ी को आम फ़ेहम उर्दू ज़बान में मुन्तक़िल कर के उर्दू दान तबके पर **एहसाने अज़ीम** फ़रमाया (है)।

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की ताक्वीद

शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुहम्मद इल्यास अत्तार** क़ादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ इस किताब की अहम्मिय्यत के पेशे नज़र अपने तमाम मुतअल्लिक़ीन व मुरीदीन को तमाम बहारे शरीअत बिल उमूम और इस के मख़सूस हिस्से पढ़ने की तरगीब दिलाते रहते हैं। चुनान्वे आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ ने “नेक आमाल”¹ में 71वां नेक अमल येह भी अत्ता किया; (71) क्या आप ने ज़िन्दगी भर के निसाब का मुतालआ फ़रमा लिया? (मिन्हाजुल आबिदीन, जाअल हक़, **बहारे शरीअत** हिस्सा 9 से मुर्तद का बयान, हिस्सा 16 से ख़रीदो फ़रोख़्त का बयान और वालिदैन के हुक्क का बयान (अगर शादी शुदा हैं तो) हिस्सा 7 से महरमात का बयान और हुक्कूज़्ज़ौजैन, हिस्सा 8 से बच्चों की परवरिश का बयान, त़लाक़ का बयान, ज़िहार का बयान और त़लाके किनाया का बयान। आला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى की कुतुब “तम्हीदुल ईमान, हुस्सामुल हरमैन” नीज़ मक्तबतुल मदीना की मत्बूआ किताबें “कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, चन्दे के बारे में सुवाल जवाब, बुन्यादी अक़ाइद और मामूलाते अहले सुन्नत, अक़ीदए आख़िरत, दस अक़ीदे, इस्लाम के बुन्यादी अक़ीदे, अल हक्कुल मुबीन, इस्लाम की बुन्यादी बातें (तीनों हिस्से), किताबुल अक़ाइद, गुलदस्तए अक़ाइदो आमाल, गानों के 35 कुफ़्रिय्या अशआर, 28 कलिमाते कुफ़्र, आला हज़रते से सुवाल जवाब, इल्मुल कुरआन, नमाज़ के अहक़ाम और फैज़ाने

1....मुसलमानों की दुनिया व आख़िरत बेहतर बनाने के लिये सुवाल नामे की सूरत में अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की तरफ़ से इस्लामी भाइयों के लिये 72, इस्लामी बहनों के लिये 63, दीनी त़लबा के लिये 92 और दीनी त़ालिबात के लिये 83 जब कि मदनी मुन्नो और मुन्नियों के लिये 40 नेक आमाल पेश किये गए हैं। इन में दिये हुए सुवालात के जवाबात लिखने की आदत बनाना, इस्लाहे अक़ाइदो आमाल का बेहतरीन ज़रीआ है। नेक आमाल का रिसाला मक्तबतुल मदीना की किसी भी शाख़ से हदिय्यतन हासिल किया जा सकता है।

सुन्नत के तमाम अब्बाब पढ़ या सुन लिये ?) (काश ! हर साल माहे शाबानुल मुअज्जम में फैजाने सुन्नत का बाब “फैजाने रमजान” पढ़ या सुन लें।)

बहारे शरीअत और अल मदीनतुल इल्मिया (दावते इस्लामी)

सदरुशरीअह عليه رحمة رب الواری ने अपनी अजीमुशान तस्नीफ़ “बहारे शरीअत” 1362 हिजरी में मुकम्मल की और तादमे तहरीर (1429 हि.) 66 साल के अर्से में “बहारे शरीअत” बरें सगीर में ग़ालिबन दरजनों बार तब्अ हुई और लाखों की तादाद में लोगों तक पहुंची। फ़िल् वक्त भी मुतअद्द नाशिरीन इसे शाएअ कर रहे हैं, हर एक ने इस किताब को बेहतर से बेहतर अन्दाज़ में शाएअ करने की अपनी सी कोशिश की और उन्हें इस में काम्याबी भी हुई लेकिन बाज़ नाशिरीन की ना तजरिबा कारी और बे एहतियाती के बाइस येह किताब किताबत की ग़लतियों से महफूज़ न रह सकी और बाज़ मक़ामात पर तो जाइज़ को ना जाइज़ और ना जाइज़ को जाइज़ भी लिख दिया गया, नीज़ किसी एडीशन में दो चार मस्अले रह जाना गोया नाशिर के नज़्दीक कोई बात ही न थी, मसाइल तो एक तरफ़ रहे, आयाते कुरआनिया तक में अग़लाते किताबत नज़र आईं। मुफ़्ती जलालुद्दीन अमजदी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ “फ़तावा फैज़ुरसूल” जिल्द 1 सफ़्हा 476 (मत्बूआ देहली) में बहारे शरीअत की त्बाअत में पाई जाने वाली अग़लात के बारे में लिखते हैं : “मुझ को सिर्फ़ पहले तीन हिस्सों में छोटी बड़ी 626 ग़लतियां मिली हैं।” ऐसे हालात में “बहारे शरीअत” के ऐसे नुस्खे की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी जिस में किताबत की ग़लतियां न होने के बराबर हों, मुश्किल अल्फ़ाज़ के माना दर्ज हों, मुश्किल जुम्लों की तस्हील की गई हो, आयात व अहदादीस और फ़िक्ही मसाइल के मुकम्मल हवाला जात हों, पेचीदा मक़ामात पर हवाशी हों, अलामाते तरक्कीम का एहतिमाम हो, अल गरज़ हर वोह चीज़ हो जो किताब के हुस्न और इफ़ादे में इज़ाफ़ा करे। इसी ज़रूरत के तहत आशिकाने रसूल की दीनी तहरीक “दावते इस्लामी” की मजलिस “अल मदीनतुल इल्मिया” ने शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास कादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की ख़्वाहिश पर बहारे शरीअत को तख़ीज व तस्हील व हवाशी के साथ पूरी आन बान से शाएअ करने का बीड़ा उठाया और 2003 ई. मुताबिक़ 1424 हि. में इस काम का आगाज़ कर दिया गया। येह काम अज़ीम तरीन होने के साथ साथ मुश्किल तरीन भी था, इस की दुश्वारियों का अन्दाज़ा वोही कर सकता है जो इस राहे पुर पेच पर सफ़र कर चुका हो।

बहारे शरीअत की पहली जिल्द

अब तक (उर्दू में) “बहारे शरीअत” के 1 ता 6 और सोलहवां हिस्सा मअ तख़ीज व तस्हील “मक्तबतुल मदीना” से शाएअ हो कर मन्ज़रे आम पर आ चुके हैं। अब अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ, जिम्मेदाराने दावते इस्लामी और दीगर इस्लामी भाइयों के पुरजोर इसरार पर पहले 6 हिस्सों को यक़्जा “जिल्द अव्वल (A-B)” की सूरत में पेश किया जा रहा है। इस जिल्द में अक़ाइद, नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज़ वग़ैरा के अहक़ाम बयान किये गए हैं। त्बाअते अव्वल में मामूली ख़ामियां रह गई थीं بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى हत्तल इम्कान उन्हें दूर करने की कोशिश की गई है।

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की शफ़क़त

मजलसे अल मदीनतुल इल्मिया (दावते इस्लामी) की दरख्वास्त पर अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने गुनागूं मसरूफ़ियात के बा वुजूद मदनी मिठास से तर बतर अन्दाजे तहरीर में 21 सफ़हात पर मुश्तमिल “तज़िकरए सदरुशरीअह” लिख कर अता फ़रमाया जिसे बहारे शरीअत की पहली जिल्द में शामिल किया जा रहा है। अल्लाह तआला अमीरे अहले सुन्नत दَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه को जज़ाए खैर अता फ़रमाए।

इब्तिदाई 6 हिस्सों की अहमियत

बहारे शरीअत के इब्तिदाई छे हिस्सों के मुतअल्लिक सदरुशरीअह رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने फ़रमाया : “इस में रोज़ मर्रा के आम मसाइल हैं। इन छे हिस्सों का हर घर में होना ज़रूरी है ताकि अक़ाइद, तहारत, नमाज़, ज़कात और हज़ के फ़िक्ही मसाइल आम फ़हम सलीस उर्दू ज़बान में पढ़ कर जाइज़ व ना जाइज़ की तफ़सील मालूम की जाए।”

बहारे शरीअत पर काम का तरीक़ा वर

बहारे शरीअत पर दावते इस्लामी के इल्मी व तहकीकी इदारे अल मदीनतुल इल्मिया ने जिस अन्दाज़ से काम किया उस की तफ़सील मुलाहज़ा कीजिये :

काम करने वालों का इन्तिखाब : इस काम के लिये इब्तिदाई तौर पर जामिअतुल मदीना (दावते इस्लामी) के फ़ारिगुत्तहसील 3 ज़हीन मदनी उलमा دَامَتْ بَرَكَاتُهُم को मुन्तख़ब किया गया जिन की तादाद बाद में 12 तक भी पहुंची, इन में वोह उलमा भी शामिल हैं जिन्होंने ने आला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ के अरबी हाशिये ज़हुल मुन्तार अला रदिल मुह्तार पर भी काम किया है। इन सब का ज़िम्मेदार उन मदनी आलिमे दीन اِمَامُ الظَّاهِرِينَ को बनाया गया जो हवाला जात की तख़्बीज, मुक़ाबला, प्रूफ़ रीडिंग वगैरा में काबिले क़द्र महारत व तज़रिबा रखते हैं। इस के बाद मुशावरत का पूरा निज़ाम तरतीब दिया गया (येह भी दावते इस्लामी की बरकतों में से एक बरकत है) जिस में काम के उस्तूब, उस में पेश आने वाली रुकावटों के हल, कुतुब की दस्तयाबी और हवाशी वगैरा के हवाले से मश्वरे होते हैं। इस मुशावरत के निगरान (जो दावते इस्लामी की मर्कज़ी मजलसे शूरा के रुक्न भी हैं) की काविशें भी लाइके तहसीन हैं, जिन्होंने ने भरपूर दिलचस्पी ले कर बहारे शरीअत के इस काम को बेहतर से बेहतर अन्दाज़ में करने की कोशिश फ़रमाई। बहारे शरीअत पर इस तर्ज़ से काम करने में जहां मदनी उलमा دَامَتْ بَرَكَاتُهُम की तुवानाइयां खर्च हुईं वहीं कुतुब, कम्प्यूटर्ज़ और तनख़्वाहों की मद में दावते इस्लामी का ज़रे कसीर भी खर्च हुवा।

किताबत : सब से पहले बहारे शरीअत की मुकम्मल किताबत (कम्पोज़िंग) करवाई गई।

मुसन्निफ़ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَوِي के रस्मुल ख़त को हत्तल इम्कान बर क़रार रखने की कोशिश की गई है,

सफ़हा नम्बर 41, 42 पर बहारे शरीअत में आने वाले मुख़लिफ़ अल्फ़ाज़ के क़दीम व ज़दीद रस्मुल ख़त को आमने सामने लिख दिया गया है। जहां पर **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** के नाम के साथ “**عَزَّوَجَلَّ**” और नबिय्ये अकरम **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** के इस्मे गिरामी के साथ “**صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**” लिखा हुवा नहीं था वहां ब्रेकेट में इस अन्दाज़ में (**عَزَّوَجَلَّ**), (**صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**) लिखने का एहतिमाम किया गया है। हर ह़दीस व मस्अला नई सतर से शुरू करने का इल्तिज़ाम किया गया है, और अ़वामो ख़वास की सहूलत के लिये हर मस्अले पर नम्बर लगाने का भी एहतिमाम किया गया है। आयाते कुरआनिया को मुनक्क़श ब्रेकेट ﴿﴾, किताबों के नाम और दीगर अहम इबारात को Inverted Commas “ ” से वाज़ेह किया गया है।

मुक़ाबला : मुक़ाबले के लिये इन मकातिब के 9 नुस्खे हासिल किये गए मक्तबए रज़विय्या, ज़ियाउल कुरआन, शम्अ बुक एजन्सी, मक्तबए आला हज़रत, मक्तबए इस्लामिय्या, जहेज़ एडीशन मक्तबए रज़विय्या, गुलाम अली एन्ड सन्ज़, अल मज्मउल मिस्बाही मुबारकपुर हिन्दू जिन में से बाज़ के हुसूल के लिये हिन्दुस्तान के मुतअद्द उलमा और इदारों से ब ज़रीअए ईमेल व फ़ोन बार बार राबिता किया गया। फिर इन तमाम नुस्खों का बारीक बीनी से जाएज़ा लेने के बाद मक्तबए रज़विय्या के मत्बूआ नुस्खे को मेयार बना कर मदनी उलमा से **मुक़ाबला** करवाया गया, जो दर ह़कीक़त हिन्दुस्तान से तब्ब शूदा क़दीम नुस्खे का अक्स है, लेकिन सिर्फ़ इसी पर इन्हिसार नहीं किया गया बल्कि दीगर शाएअ कर्दा नुस्खों से भी मदद ली गई है।

तख़ीज : बहारे शरीअत के पहले हिस्से में हवाला जात दर्ज नहीं, जब कि दूसरे हिस्से में सिर्फ़ अह़ादीस और बक़िय्या हिस्सों में अह़ादीस व फ़िक्ही मसाइल के मसादिर दर्ज थे मगर वोह सिर्फ़ किताबों के नाम की हद तक थे, जिल्द व सफ़हा नम्बर वगैरा दर्ज न था। जिस की वजह से बहारे शरीअत में दर्ज अह़ादीस व फ़िक्ही मसाइल के अस्ल मआख़िज़ तक पहुंचने के लिये उलमाए किराम व मुफ़्तियाने इज़ाम **رَاسْتَوِيْهِمْ** का काफ़ी वक़्त सर्फ़ हो जाता था। चुनान्चे आयाते कुरआनी, अह़ादीसे मुबारका और फ़िक्ही मसाइल के मुकम्मल **हवाला जात**, किताब, जिल्द, बाब, फ़स्ल और सफ़हा नम्बर की कैद के साथ तलाश किये गए और उन्हें हाशिये में दर्ज किया गया है जिस की वजह से अब दर्से निज़ामी के इब्तिदाई दरजात का तालिबे इल्म भी इन मसाइल को अरबी कुतुब में ब आसानी तलाश कर सकता है। हवाला जात के लिये फ़र्दे वाहिद पर तक़्या नहीं किया गया, बल्कि उन की सिहहूत यकीनी बनाने के लिये येह तरीक़ए कार अपनाया गया कि एक मदनी इस्लामी भाई ने तख़ीज की तो दूसरे मदनी इस्लामी भाई से उस के लिखे हुए हवाला जात की तफ़्तीश करवाई गई, फिर कम्पोज़िंग के बाद इन हवाला जात को बहारे शरीअत के हाशिये में लिखने के बाद भी मुक़ाबला करवाया गया, अगर्चे इस तरीक़ए कार की वजह से काफ़ी वक़्त सर्फ़ हुवा लेकिन ग़लती का इम्कान कम से कम रह गया। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ! 2 साल के क़लील अर्से में बहारे शरीअत के 20 हिस्सों की तख़ीज मुकम्मल कर ली गई है। चूँकि किताबों के नाम बार

बार इस्तिमाल होते थे लिहाजा हर किताब का मत्वूआ हवाले में दर्ज करने के बजाए आखिर में **मआखिज़ो मराजेअ** की फ़ेहरिस्त मुसन्निफ़ीन व मुअल्लिफ़ीन के नामों, उन की सिने वफ़ात, मताबेअ और सिने तबाअत के साथ ज़िक्र कर दी गई है।

मुश्किल अल्फ़ाज़ के मआनी व एराब : पढ़ने वालों की आसानी के लिये किताब के शुरूअ में हुरूफ़े तहज्जी के एतिबार से हल्ले लुग़त की एक फ़ेहरिस्त का एहतिमाम किया गया है जिसे तय्यार करने के लिये लुग़त की मुख़्तलिफ़ कुतुब का सहारा लिया गया है और इस बात को पेशे नज़र रखा गया है कि अगर लफ़्ज का तअल्लुक़ बराहे रास्त कुरआने पाक से था तो उस को मुख़्तलिफ़ तफ़ासीर की रोशनी में हल करने की कोशिश की गई, बराहे रास्त हदीसे पाक के साथ तअल्लुक़ होने की सूरत में हत्तल इम्कान अहादीस की शुरूआत को मद्दे नज़र रखा गया और फ़िक्ह के साथ तअल्लुक़ की बिना पर हत्तल मक्दूर फ़िक्ह की कुतुब से इस्तिफ़ादा किया गया है। चन्द मक़ामात पर इबारत की तस्हील (यानी आसानी) के लिये मुश्किल अल्फ़ाज़ के मआनी हाशिये में लिख दिये गए हैं ताकि सहीह मस्अला ज़ेहन नशीन हो जाए और किसी क़िस्म की उल्लज़न बाकी न रहे। फिर भी अगर कोई बात समझ न आए तो उलमाए किराम **رامست** से **राबिता** कीजिये।

इस्तिलाहात की वज़ाहत : इस जिल्द में जहां जहां फ़िक्ही इस्तिलाहात इस्तिमाल हुई हैं, उन को एक जगह इकठ्ठा बयान कर दिया गया है। इस सिलसिले में हत्तल मक्दूर कोशिश की गई है कि अगर उस इस्तिलाह की वज़ाहत मुसन्निफ़ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने खुद उसी जगह या बहारे शरीअत में किसी दूसरे मक़ाम पर की हो तो उसी को हत्तल मक्दूर आसान अल्फ़ाज़ में ज़िक्र किया गया है और अगर किसी इस्तिलाह की तारीफ़ बहारे शरीअत में नहीं मिली तो दूसरी मोतबर किताबों से आम फ़हम और बा हवाला इस्तिलाहात ज़िक्र कर दी गई हैं। इलावा अर्जी बहारे शरीअत की पहली जिल्द में जो मुश्किल आलाम (मुख़्तलिफ़ चीज़ों के नाम) मज़कूर हैं लुग़त की मुख़्तलिफ़ कुतुब से तलाश कर के उन को भी आसान अन्दाज़ में हिस्सों के मुताबिक़ इस्तिलाहात के आखिर में ज़िक्र कर दिया गया है।

प्रूफ़ रीडिंग : इस जिल्द को आप तक पहुंचाने से पहले कम अज़ कम 4 मरतबा प्रूफ़ रीडिंग की गई है।

हवाशी : सदरुशशरीअह **عليه رحمه رب الواري** के हवाशी को किताब के आखिर में देने के बजाए मुतअल्लिफ़ा सफ़हा ही पर नक्ल कर दिया और हस्बे साबिक़ **۱۲** भी लिख दिया है। अकाबिर मुफ़्तयाने किराम और उलमाए किराम से मश्वरे के बाद इस जिल्द में सफ़हा नम्बर 351, 352, 379, 550, 553, 615, 626, 644, 657, 687, 728, 741, 833, 931, 934, 979, 1044, 1045, 1056, 1149, 1175 मसाइल की तस्हीह, तरजीह, तौज़ीह और तल्बीक़ की गरज़ से अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी) की तरफ़ से भी हाशिया दिया गया है। चन्द मिसालें मुलाहज़ा हों :

❶ बहारे शरीअत हिस्सा 3 सफ़हा 550 पर है : मुस्तहब येह है कि बा वुजू क़िल्ब्ला रू अच्छे कपड़े पहन कर तिलावत करे और शुरूए तिलावत में अरुज़ु पढ़ना मुस्तहब है।

अल मदीनतुल इल्मिया की तरफ़ से इस पर येह हाशिया दिया गया है : फ़कीहे मिल्लत हज़रते अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَوْنِ “फ़तावा फ़ैजुरसूल”, जिल्द 1, सफ़्हा 351 पर फ़रमाते हैं कि : “तिलावत के शुरूअ में أَعُوْذُ بِاللّٰهِ पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं । और बेशक बहारे शरीअत में वाजिब छपा है जिस पर **गुन्या** का हवाला है, हालां कि **गुन्या** मत्बूआ रहीमिया सफ़्हा 463 में है التعوذ يستحب مرة واحدة ما لم يفصل بعمل دنيوى (यानी एक मरतबा तअव्वुज पढ़ना मुस्तहब है जब तक उस तिलावत में कोई दुन्यावी काम हाइल न हो ।) तो मालूम हुवा कि बहारे शरीअत में बहुत से मसाइल जो नाशिरीन की ग़फ़लतों की वजह से ग़लत छप गए हैं, उन में से एक येह भी है ।” इसी वजह से हम ने “मुस्तहब” कर दिया है ।

﴿2﴾ बहारे शरीअत हिस्सा 4 सफ़्हा 728 पर है : सज्दा वाजिब होने के लिये पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी नहीं बल्कि वोह लफ़्ज़ जिस में सज्दे का माद्दा पाया जाता है और उस के साथ क़ब्ल या बाद का कोई लफ़्ज़ मिला कर पढ़ना काफी है । (رواى)

अल मदीनतुल इल्मिया की तरफ़ से इस पर येह हाशिया दिया गया है : आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْوَحْش फ़रमाते हैं : सज्दा वाजिब होने के लिये पूरी आयत पढ़ना ज़रूरी है लेकिन बाज़ उलमाए मुतअख़िख़रीन के नज़्दीक वोह लफ़्ज़ जिस में सज्दे का माद्दा पाया जाता है उस के साथ क़ब्ल या बाद का कोई लफ़्ज़ मिला कर पढ़ा तो सज्दए तिलावत वाजिब हो जाता है लिहाज़ा एह्तियात येही है कि दोनों सूरतों में सज्दए तिलावत किया जाए । (फ़तावा रज़विया, जि. 8, स. 223, 233 मुलख़सन)

﴿3﴾ बहारे शरीअत हिस्सा 6 सफ़्हा 1175 पर है : तवाफ़े फ़र्ज़ कुल या अक्सर यानी चार फेरे जनाबत या हैज़ो निफ़स में किया तो बदना है और बे वुजू किया तो दम और पहली सूरत में त़हारत के साथ इआदा वाजिब, अगर मक्का से चला गया हो तो वापस आ कर इआदा करे अगर्चे मीक़ात से भी आगे बढ़ गया हो, मगर बारहवीं तारीख़ तक अगर कामिल तौर पर इआदा कर लिया तो जुर्माना साक़ित और **बारहवीं के बाद किया तो दम लाज़िम, बदना साक़ित** । लिहाज़ा अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बारहवीं के बाद किया है तो दम साक़ित न होगा कि बारहवीं तो गुज़र गई और अगर तवाफ़े फ़र्ज़ बे वुजू किया था तो इआदा मुस्तहब फिर इआदा से दम साक़ित हो गया अगर्चे बारहवीं के बाद किया हो । (جوهره عالمی)

अल मदीनतुल इल्मिया की तरफ़ से इस पर येह हाशिया दिया गया है : बहारे शरीअत के नुस्खों में इस जगह “दम” के बजाए “बदना” लिखा है, जो किताबत की ग़लती है क्यूं कि “**तवाफ़े फ़र्ज़ बारहवीं के बाद किया तो बदना साक़ित हो जाएगा**”, ऐसा ही फ़तावा आलमगीरी में है, इसी वजह से हम ने लफ़्ज़े “दम” कर दिया है । लिहाज़ा जिन के पास बहारे शरीअत के दीगर नुस्खे हैं उन को चाहिये कि लफ़्ज़े “बदना” को क़लम ज़द कर के उस जगह पर लफ़्ज़े “दम” लिख लें ।

﴿4﴾ बहारे शरीअत हिस्सा 3 सफ़्हा 615 पर है : सुतरा ब क़दर एक हाथ के ऊंचा और उंगली बराबर मोटा हो और ज़ियादा से ज़ियादा तीन हाथ ऊंचा हो । (رواى)

अल मदीनतुल इल्मिया की तरफ़ से इस पर येह हाशिया दिया गया है : येह किताबत की ग़लती मालूम होती है । रहुल मुहत्तार में है : सुन्नत येह है कि नमाज़ी और सुतरा के दरमियान फ़ासिला ज़ियादा से ज़ियादा तीन हाथ हो ।

बहारे शरीअत हिस्सा अक्वल के हवाशी का अन्दाज

बहारे शरीअत का पहला हिस्सा जो कि अक्काइद के बयान पर मुश्तमिल है और اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ अहले सुन्नत के अक्काइद कुरआनो हदीस से साबित हैं इस लिये पहले हिस्से पर जो हवाशी दिये गए (हैं) उन का अन्दाज कुछ यूं है :

1.....किसी भी अक्कीदे या मस्अले पर दलाइल जिक्र करते हुए सब से पहले आयते कुरआनी को बतौर दलील पेश किया गया है ।

2.....इस के बाद हदीस की मुस्तनद कुतुब सिहाहे सित्ता में से किसी किताब से कोई हदीस जिक्र की गई है और इन में न मिलने की सूरत में और दूसरी कुतुबे हदीस की तरफ रुजू किया गया है ।

3.....फिर उस हदीसे पाक पर मुहद्दिसीने किराम की बयान कर्दा शुरूहात में से कोई शर्ह जो अक्कीदे के मुवाफिक हो बयान की जाती है ।

4.....इस के बाद अक्काइद की मुस्तनद कुतुब “फिक्हे अक्बर”, “शर्हे फिक्हे अक्बर”, “मवाकिफ”, “शर्हे मवाकिफ”, “शर्हे मकासिद”, “शर्हे अक्काइदे नस्फिया” और “अल मोतक़दुल मुन्तक़द” वगैरहा से मवाफिके अक्कीदा नस्स बयान की जाती है ।

5.....इसी तरह जहां कहीं जिम्नन सीरत व तारीख़ के हवाले से कोई बात जिक्र की गई हो तो वहां कुतुबे सीरत व तारीख़ से मस्अला बयान किया गया है ।

6.....इसी तरह फिक्ही मसाइल के बयान में कुतुबे फिक्हिय्या से मस्अले की तफ़्सील बयान कर दी गई है जिस में शुरूहात और फ़तावा भी शामिल हैं ।

7.....और फिर आख़िर में अक्काइदो मसाइल के बयान में मज़ीद वज़ाहत के लिये “फ़तावा रज़विय्या” शरीफ़ से तख़रीज और इक़्तिबासात का खुसूसी एहतिमाम किया गया है ।

किताबों के अस्ल सफ़हात के अक्स : “ईमान व कुफ़्र” की बहस के दौरान सदरुशशरीअह बदरुत्तरीक़ह मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَنِي ने बद मज़हबों के अक्काइदे मज़्मूमा उन्हीं की किताबों से बयान किये हैं ताकि सुन्नी मुसलमान भाई अपने अक्काइद का तहफ़फ़ुज़ कर सकें, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ साथ बद मज़हबों ने नई चाल चलना शुरू कर दी कि जो बुरे और बातिल अक्काइद उन के अकाबिरीन ने बयान किये थे क़त्ओ बुरीद के साथ बल्कि बाज़ तो होशियारी और चालाकी से उन बुरी और क़बीह बातों को महव व हज़फ़ कर के नए अन्दाज में छापने लगे जिस का मक्सद भी मुसलमानों को धोका देना था, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ मुख़्तलिफ़ उलमाए किराम وَأَسْتَغْفِرُهُمْ ने बयान व तक्रीर, कुतुबो रसाइल अल गरज़ जिस तरह मुम्किन हुवा बद मज़हबों की साज़िशों से सुन्नी मुसलमानों को ख़बरदार रखा । हम ने बद मज़हबों की अस्ल इबारतें कम्प्यूटर के ज़रीए स्केन (scan) कर के लगा दी हैं ताकि मुसलमान इन बद मज़हबों के दामे फ़रेब में न आ सकें ।

উলমাউ কিশম وامت فاضم کی ترڦ سے ھوئالا اڻڻاڻي

जब बहारे शरीअत के 7 हिस्से (पहले 6 और 16वां) अलग अलग शाएअ हो कर यके बाद दीगरे उलमाए किराम व मुफ़्तियाने इज़ाम استيفام तक पहुँचे तो उन्होंने ने हमारे काम को बहुत सराहा, अपने तअस्सुरात का ब जरीअए मक्तूब भी इज़हार किया और मुफ़ीद मश्वरों से भी नवाज़ा। उलमाए किराम व मुफ़्तियाने इज़ाम علم की जानिब से ज़िम्मेदाराने दावते इस्लामी को भेजे जाने वाले मक्तूबात से चन्द इक्तिबासात मुलाहजा हों :

शैख़ुल हदीस मूपती मूहम्मद इब्राहीम कादिरी مَدَّةُ الْعَالِي (जामिआ रज़विया)

फ़िक़हे इस्लामी का इन्साइक्लोपीडिया **बहारे शरीअत** जो हज़रते सदरुशशरीअह मौलाना अमजद अली आजमी عَلَيْهِ الرُّحْمَةُ का गिरां क़द्र इल्मी कारनामा और उन की ज़िन्दा करामत है مَا شَاءَ اللَّهُ “अल मदीनतुल इल्मिया” की जानिब से इस पर **तख़्तीजी व तहकीकी** काम बहुत जल्द मन्ज़रे आम पर आ रहा है। इस फ़कीर ने **बहारे शरीअत** जिल्द शांज़दहुम (16) पर **हाशिया निगारी** काम को ब नज़रे गा़इर देखा, بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى इसे इन्तिहाई **मुफ़ीद, जामेअ, नाफ़ेअ** पाया। **बहारे शरीअत** में अगर कहीं बाज़ मसाइल पर इज्मालन गुफ़्तगू हुई तो हाशिये में उसे मुफ़स्सलन बयान कर दिया गया है। यूँही हाशिये में किताब के बाज़ मुसामहात की निशानदेही की गई है फिर अस्ल मसाइल को वाजेह कर के फ़तावा रज़विय्या की ताईदी इबारात के ज़रीए हाशिये को मुज़य्यन किया गया है। मैं अल मदीनतुल इल्मिया के अस्हाबे इल्म व रुफ़काए कार को इस शानदार काम पर **हदिय्याए तबरीक** पेश करता हूं।

हजरते मौलाना मुफ्ती गुल अहमद अतीवी مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي

(शैखुल हदीस जामिआ रसूलिया शीराजिया रजविय्या अमीर रोड बिलाल गन्ज अक्ब दरबार हजरते दाता)

खैरो आफ़ियत मिज़ाजे अली ! आप ने बहारे शरीअत और जहुल मुम्तार पर
 जो तहकीकी कारनामा सर अन्जाम दिया है मैं सोचता हूँ कि यह ख़्वाब है या ख़्वाब की ताबीर
 है, खुशी और मसरत से बार बार आप के इरसाल कर्दा गिरामी नामे को पढ़ता हूँ और फिर गाहे
 बहारे शरीअत के किसी हिस्से को उठा कर पढ़ना शुरू कर देता हूँ और गाहे जहुल मुम्तार
 का किसी न किसी जगह से मुतालआ शुरू कर देता हूँ । दावते इस्लामी की फ़अाल
 कियादत और उन के रुफ़का ने दरपेश हालात के नब्ज़ पर हाथ रख कर हालात के मुताबिक़ जिन
 जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन पर मुनज़ज़म और ठोस तरीके से काम शुरू कर दिया है । मेरे
 पास ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं जिन से आप को आप के रुफ़का को और आप की कियादत और आप
 के मुहर्रिकीन को ख़िराजे तहसीन पेश कर सकूँ । हज़रते क़िब्ला मुफ़ितये आजम मुफ़्ती
 अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ के अजीम कारनामे तख़्तीजे फ़तावा रज़विय्या के बाद

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतल इल्मिया (दावते इस्लामी)

बहारे शरीअत की तख़ीज का काम अमीरे अहले सुन्नत मोहसिने अहले सुन्नत फ़ख़रे मिल्लत पीरे तरीक़त हज़रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास क़ादिरि रज़वी अमीर व बानिये दावते इस्लामी का अज़ीम और मुन्फ़रिद कारनामा है। अल्लाह तआला मौसूफ़ का साया अहले सुन्नत पर ता क़ियामत रखे ताकि आप की कोशिशों और इख़लास की बदौलत मस्लके अहले सुन्नत फलता फूलता रहे। अल्लाह तआला तमाम अहले सुन्नत को खुसूसन अमीरे अहले सुन्नत और उन के खुद्दाम को मस्लके अहले सुन्नत की मज़ीद ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

امين يا رب العالمين بوسيلة سيد المرسلين ﷺ

शैख़ुल हदीस हज़रते मौलाना मुहम्मद अब्दुल अलीम शियालवी (जामिआ नईमिया) مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي

बहारे शरीअत की तख़ीज एक बहुत बड़ी काविशे इल्मी है, जो मसाइल की पुख़्तगी की तरफ़ मुतवज्जेह करने के साथ साथ उलमा के लिये किसी भी कुतुबे मआख़िज़ से तलाश करने का बाइस बनेगी और इदारा “अल मदीनतुल इल्मिय्या” के लिये दुआओं का बाइस होगी।

मुनाज़िरे इस्लाम हज़रते मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा नूरी क़ादिरि مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي

(मोह्तमिम जामिआ शरक़िय्या रज़विय्या)

बहारे शरीअत तख़ीज शुदा की सूरते ज़ेबां में मौसूल हुवा जो मेरे वुस्अते क़ल्बी व इन्शिराहे सुदूर, आंखों की ठन्डक का वसीला बना। आप की तख़ीज ने बहारे शरीअत को चार चांद लगा दिये कि मेरे जैसे कम इल्म के लिये भी इस से फ़ाएदा उठाना बहुत आसान हो गया है। तख़ीज का काम कोई इतना आसान नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल और पेचीदा काम है मगर जब अल्लाह ﷻ और रसूलुल्लाह ﷺ की नज़रे इनायत हो जाए। आप ने और आप के रुफ़काए मुआविनीन हज़रते गिरामी क़द्र ने फ़िक्हे हनफ़ी की वोह बे मिसाल ख़िदमत की है जिस की जितनी भी तारीफ़ कर सकें कम है कि अहले नज़र की बसर व बसीरत दोनों ही इस से रोशन होंगी إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى। येह एक बेश बहा नेमत है, अज़ीम कारे ख़ैर है जिस का अज़्र आप को अल्लाह ﷻ अता फ़रमाएगा। खुदाए वहदहू ला शरीक इस क़ाफ़िलए पास्बाने मस्लके रज़ा को अमीरे अहले सुन्नत हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरि रज़वी آمين بجاه النبي الكريم الامين و آله العظيم واصحابه الكريم الجليل اجمعين की ज़ेरे क़ियादत जारी व सारी रखे। دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

पीरज़ादा इक्बाल अहमद फ़रख़वी مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي (मर्कज़ी मजलिसे रज़ा)

السلام عليكم ورحمة الله! आप ने बहारे शरीअत का सोलहवां हिस्सा मुरत्तबा मअहू तख़ीज की दो जिल्दे इनायत फ़रमाई हैं, शुक्रिय्या क़बूल फ़रमाइये। मदनी मर्कज़ फैज़ाने मदीना की तरफ़ से ऐसी किताबों की इशाअत निहायत ही अहम काम है। अगर्चे बहारे शरीअत की इशाअत मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ में बड़ी तेज़ी से हो रही है मगर आप ने हवाशी और तख़ीज के

साथ इस की कद्रो कीमत को बढ़ा दिया है, कारेईन को मसाइल के जानने में आसानी होगी और जो लोग हवाले की तलाश में रहते हैं उन्हें राहनुमाई मिलेगी। मजीद बरआं हज़रते अबू बिलाल अमीरे दावते इस्लामी अल्लामा मुहम्मद इल्यास कादिरि अत्तार क़िल्बा की ज़ेरे निगरानी जो इल्मी और तस्नीफी काम हो रहा है उस के दूर रस असरात मुस्तब होंगे, अल्लाह तआला से दुआ है कि वोह आप को हिम्मत दे और काम जारी रहे। वस्सलाम

शुमारयाती जाएज

बहारे शरीअत की इस जिल्द (A-B) में 221 आयाते कुरआनिया, 1062 अहदीसे मुबारका, 3431 फ़िक़ही मसाइल और 144 अक़ाइद शामिल हैं।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ इस किताब पर शोबए तख़्बीज (अल मदीनतुल इल्मिय्या) के 8 इस्लामी भाइयों ने काम करने की सआदत हासिल की बिल खुसूस मुहम्मद आसिफ़ ख़ान अत्तारी मदनी, अबू साइल नदीम अशरफ़ अत्तारी मदनी, अबू मुहम्मद मुहम्मद यूनुस अली अत्तारी मदनी, इब्ने हबीब मुहम्मद इनायतुल्लाह गोलड़वी अत्तारी ने ख़ूब कोशिश की।

मदनी गुजारिश

इन तमाम तर कोशिशों के बा वुजूद हमें दावए कमाल नहीं, लिहाज़ा हमारे काम में जो ख़ूबी नज़र आए वोह हमारे सदरुशरीअह عليه رحمة ربّ الواری के क़लम का कमाल है, और हमारे पीरो मुर्शिद अमीरे अहले सुन्नत हज़रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि دامت بركاتهم العالیّه का फ़ैज़ है और जहां ख़ामी हो वहां हमारी ग़ैर इरादी कोताही को दख़ल है। इस्लामी भाइयों बिल खुसूस उलमाए किराम دامت بركاتهم से मुअद्बाना दरख़्वास्त है कि जहां जहां ज़रूरत महसूस करें ब ज़रीअए मक्तूब या ईमेल हमारी रहनुमाई फ़रमाएं। अल्लाह तआला दावते इस्लामी के तहक़ीक़ी व इशाअती इदारे “अल मदीनतुल इल्मिय्या” की इस काविश को क़बूल फ़रमाए और हमें अपनी इस्लाह के लिये शैख़े तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत बानिये दावते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि مدّ ظله العالی के अता कर्दा मदनी इन्आमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये 3 दिन, 12 दिन, 30 दिन और 12 माह के लिये आशिक़ाने रसूल के सफ़र करने वाले मदनी क़ाफ़िलों का मुसाफ़िर बनते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दावते इस्लामी की तमाम मजालिस ब शुमूल मजलिस “अल मदीनतुल इल्मिय्या” को दिन पच्चीसवीं रात छब्बीसवीं तरक़ी अता फ़रमाए। آمین بِحَاجَةِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
 تज़िकरए सदरुशरीअह عليه رحمته رب الوری

अज : शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दावते इस्लामी हज़रते अल्लामा
 मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि रज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

शैतान लाख सुस्ती दिलाए चन्द अवराक़ पर मुश्तमिल “तज़िकरए सदरुशरीअह”
 मुकम्मल पढ़ लीजिये اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ आप का दिल सीने में झूम उठेगा ।

दुस्ख शरीफ़ की फज़ीलत

रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम, नबिय्ये मोहूतशम صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم का
 फ़रमाने मुअज़्ज़म है : जिस ने मुझ पर सो मरतबा दुस्खे पाक पढ़ा अल्लाह तआला उस की दोनों
 आंखों के दरमियान लिख देता है कि येह निफ़ाक़ और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे
 बरोज़े क़ियामत शुहदा के साथ रखेगा । (مَحْمُوعُ الزَّوَالِد ج ۱۰ ص ۲۵۳ حدیث ۱۷۲۹۸ دار الفکر بیروت)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

सगे मदीना के बचपन की एक धुंदली याद

आशिक़ाने रसूल की दीनी तहरीक “दावते इस्लामी” के क़ियाम से बहुत पहले मेरे अह्द
 तुफूलियत (यानी बचपन या लड़क पन) का वाक़िआ है । हमारे महल्ले में बादामी मस्जिद थी जो कि
 काफ़ी आबाद थी, पेश इमाम साहिब बहुत प्यारे अलिम थे, रोज़ाना नमाज़े इशा के बाद नमाज़ के दो
 एक मसाइल बयान फ़रमाया करते थे (काश ! हर इमामे मस्जिद रोज़ाना कम अज़ कम किसी एक
 नमाज़ के बाद इसी तरह किया करे) जिस से काफ़ी सीखने को मिलता था । एक दिन मैं अपने बड़े
 भाईजान (महूम) के साथ ग़ालिबन नमाज़े ज़ोहर उसी बादामी मस्जिद में अदा कर के बाहर निकला था,
 पेश इमाम साहिब फ़रिग़ हो कर मस्जिद के बाहर तशरीफ़ ला चुके थे । किसी ने कोई मस्अला पूछा होगा
 इस पर उन्होंने ने किसी को हुक्म फ़रमाया : “बहारे शरीअत” ले आओ । चुनान्चे, एक किताब उन के
 हाथों में दी गई उस पर जली हुरूफ़ से बहारे शरीअत लिखा था, सरे वरक़ पर सूरज की किरनों के
 मुशाबेह ख़ूब सूरत धारियां बनी हुई थीं, इमाम साहिब ने वरक़ गर्दानी शुरू की, मुझे उस वक़्त ख़ास
 पढ़ना तो आता नहीं था । जगह जगह जली जली हुरूफ़ में लफ़्ज़े मस्अला लिखा था, चूँकि मसाइल
 सुन कर बहुत सुकून मिलता था इस लिये मेरे मुंह में पानी आ रहा था कि काश ! येह किताब मुझे

हासिल हो जाती ! लेकिन न मैं ने मज़हबी किताबों की कोई दुकान देखी थी न ही येह शुऊर था कि येह किताब ख़रीदी भी जा सकती है, ख़ैर अगर मोल मिलती भी तो मैं कहां से ख़रीदता ! इतने पैसे किस के पास होते थे ! बहर हाल बहारे शरीअत मुझे याद रह गई और आख़िरे कार वोह दिन भी आ ही गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त عَزَّوَجَلَّ की रहमत से मैं बहारे शरीअत ख़रीदने के काबिल हो गया । उन दिनों मुकम्मल बहारे शरीअत (दो जिल्दों में) का हदिय्या हमारे यहां के 32 रुपिये था जब कि बिगैर जिल्द की 28 रुपिये । चुनान्चे, मैं ने मुकम्मल बहारे शरीअत (गैर मुजल्लद) 28 रुपिये में ख़रीदने की सआदत हासिल की । उस वक़्त बहारे शरीअत के 17 हिस्से थे अलबत्ता अब 20 हैं ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَیْهِ मुझे इस किताब की बरकात से मालूमात का वोह अनमोल ख़ज़ाना हाथ आया कि मैं आज तक इस के गुन गाता हूं । इस अज़ीमुशान तस्नीफ़ के मुसन्निफ़ ख़लीफ़े आला हज़रत, सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَنِيِّ हज़रते सय्यिदुना सुफ़यान बिन उयैना عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی के फ़रमान : “عَسَدٌ ذُكِرَ الصَّالِحِينَ تَنَزَّلُ الرُّحْمَةُ” (جلّة الأوتياء، ج ٧ ص ٣٣٥، ١٠٧٥٠ دار الکتاب العلمیة بیروت) ” ।“ यानी नेक लोगों के ज़िक्र के वक़्त रहमत नाज़िल होती है ।“ पर अमल करते हुए अपने मोहसिन हज़रते मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَنِيِّ का तज़िकरा पेश करता हूं . . .

दम से तेरे “बहारे शरीअत” है चार सू

बातिल तेरे फ़तावा से लर्ज़ा है आज भी

इब्तिदाई हालात

सद्रे शरीअत, बदे तरीक़त, मोहसिने अहले सुन्नत, ख़लीफ़े आला हज़रत, मुसन्निफ़े बहारे शरीअत हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी रज़वी सुन्नी हनफ़ी क़ादिरि बरकाती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِی 1300 हि. मुताबिक़ 1882 ई. में मशरिफ़ी यूपी (हिन्द) के क़स्बे मदीनतुल इलमा घोसी में पैदा हुए । आप के वालिदे माजिद हकीम जमालुद्दीन के क़स्बे मदीनतुल इलमा और दादा हुज़ूर ख़ुदा बख़्श عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی फ़न्ने तिब के माहिर थे । इब्तिदाई तालीम अपने दादा हज़रत मौलाना खुदा बख़्श عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی से घर पर हासिल की फिर अपने क़स्बे ही में मद्रसा नासिरुल इलूम में जा कर गोपाल गन्ज के मौलवी इलाही बख़्श साहिब عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللّٰهِ तَعَالٰय से कुछ तालीम हासिल की । फिर जौनपूर पहुंचे और अपने चचाज़ाद भाई और उस्ताज़ मौलाना मुहम्मद सिद्दीक़ عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللّٰهِ तَعَالٰय से कुछ अस्वाक़ पढ़े फिर जामेए माकूलातो मन्कूलात हज़रते अल्लामा हिदायतुल्लाह ख़ान عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللّٰهِ तَعَالٰय से इल्मे दीन के छलक्ते हुए जाम नोश किये और यहीं से दसैं

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दावते इस्लामी)

निजामी की तकमील की। फिर दौरए हदीस की तकमील पीलीभीत में उस्ताजुल मुहद्दीसीन हज़रत मौलाना वसी अहमद मुहद्दीसे सूरती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي से की। हज़रत मुहद्दीसे सूरती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي ने अपने होन्हार शागिर्द की अब्करी (यानी आला) सलाहिय्यतों का एतिराफ़ इन अल्फ़ाज़ में किया : “मुझ से अगर किसी ने पढ़ा तो अमजद अली ने।”

पैदल सफ़र

सदरुशरीअह बदरुत्तरीक़ह عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي ने तलबे इल्मे दीन के लिये जब मदीनतुल उलमा घोसी से जौनपुर का सफ़र इख़्तियार किया, उन दिनों सफ़र पैदल या बैल गाड़ियों पर होता था। चुनान्चे, राहे इल्म के अज़ीम मुसाफ़िर सदरुशरीअह عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي मदीनतुल उलमा घोसी से पैदल सफ़र कर के आजमगढ़ आए फिर यहां से ऊंटगाड़ी पर सुवार हो कर आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ जौनपुर पहुंचे।

हैरत अंगेज़ कुव्वते हाफ़िज़ा

सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي का हाफ़िज़ा बहुत मज़बूत था। हाफ़िज़े की कुव्वत, शौको मेहनत और जिहानत की वजह से तमाम तलबा से बेहतर समझे जाते थे। एक मरतबा किताब देखने या सुनने से बरसों तक ऐसी याद रहती जैसे अभी अभी देखी या सुनी है। तीन मरतबा किसी इबारत को पढ़ लेते तो याद हो जाती। एक मरतबा इरादा किया कि “काफ़िया” की इबारत ज़बानी याद की जाए तो फ़ाएदा होगा तो पूरी किताब एक ही दिन में याद कर ली !

तदरीस का आगाज़

सूबए बिहार (हिन्द पटना) में मद्रसए अहले सुन्नत एक मुमताज़ दर्सगाह थी जहां मुक्तादिर हस्तियां अपने इल्मो फ़ज़ल के जौहर दिखा चुकी थीं। खुद सदरुशरीअह عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى के उस्ताज़े मोहतरम हज़रत मुहद्दीस सूरती عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي बरसों वहां शैख़ुल हदीस के मन्सब पर फ़ाइज़ रह चुके थे। मुतवल्लिये मद्रसा काज़ी अब्दुल वहीद मर्हूम की दरख़्वास्त पर हज़रत मुहद्दीसे सूरती عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي ने मद्रसए अहले सुन्नत (पटना) के सद्र मुदरिस के लिये सदरुशरीअह عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى का इन्तिखाब फ़रमाया। आप عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللَّهِ तَعَالَى उस्ताज़े मोहतरम की दुआओं के साए में “पटना” पहुंचे और पहले ही सबक में उलूम के ऐसे दरिया बहाए कि उलमा व तलबा अश अश कर उठे। काज़ी अब्दुल वहीद عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللَّهِ الْمَجِيد (जो खुद भी मुतबद्दिर अलिम थे) ने सदरुशरीअह عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللَّهِ तَعَالَى की इल्मी वजाहत और इन्तिजामी सलाहिय्यत से मुतअस्सिर हो कर मद्रसे के तालीमी उमूर आप عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللَّهِ तَعَالَى के सिपुर्द कर दिये।

आला हज़रत की पहली ज़ियारत

कुछ अर्से बाद काज़ी अब्दुल वहीद عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْمَجِيد बानिये मद्रसए अहले सुन्नत (पटना) शदीद बीमार हो गए। काज़ी साहिब एक निहायत दीनदार व दीन परवर रईस थे, इल्मे दीन से आरास्ता होने के साथ साथ अंग्रेज़ी तालीम में B.A. थे। उन के वालिद उन्हें बेरिस्टरी के इम्तिहान के लिये लन्दन भेजना चाहते थे लेकिन काज़ी साहिब के मुक़द्दस मदनी जज़्बात ने यूरोप के मुल्हदाना गन्दे माहोल को सख़्त ना पसन्द किया। चुनान्वे, आप ने उस सफ़र से तेहरीज़ फ़रमाया और सारी जिन्दगी ख़िदमते दीन ही को अपना शिआर बनाया। उन की परहेज़गारी और मदनी सोच ही की कशिश थी कि मेरे आका आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, वलिये नेमत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्पू रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहि्ये बिद्अत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीक़त, बाइसे ख़ैरो बरकत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफ़िज़ अल क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن और हज़रते क़िब्ला मुहद्दिसे सूरती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي जैसे मसरूफ़ बुजुगाने दीन काज़ी साहिब की इयादत के लिये कशां कशां रोहेलखंड से पटना तशरीफ़ लाए। इसी मौक़अ पर हज़रते सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَنِي ने पहली बार मेरे आका आला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّت की ज़ियारत की। आला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى की शख़्सियत में ऐसी कशिश थी कि बे इख़्तियार सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْوَلِي का दिल आप عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى की तरफ़ माइल हो गया और अपने उस्ताजे मोहतरम हज़रते सय्यिदुना मुहद्दिसे सूरती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي के मश्वरे से सिल्सिलए आलिया क़ादिरिय्या में आला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّت से बैअत हो गए। मेरे आका आला हज़रत और सय्यिदी मुहद्दिसे सूरती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى की मौजूदगी में ही काज़ी साहिब ने वफ़ात पाई। आला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّت ने नमाजे जनाज़ा पढ़ाई और मुहद्दिसे सूरती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي ने क़ब्र में उतारा। अल्लाह रब्बुल इज़ज़त عَزَّوَجَلَّ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग़िफ़रत हो। أَمِينٌ بِحَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

इल्मे तिब की तहशील

काज़ी साहिब عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى की रिहलत के बाद मद्रसे का इन्तिज़ाम जिन लोगों के हाथ में आया, उन के ना मुनासिब इक्दामात की वजह से सदरुशरीअह عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْوَلِي सख़्त कबीदा ख़ातिर और दिल बरदाश्ता हो गए और सालाना तातीलात में अपने घर पहुंचने के बाद अपना इस्तिफ़ा

भिजवा दिया और **मुतालअए कुतुब** में मसरूफ़ हो गए। पटना में मगरिब ज़दा लोगों के बुरे बरताव से मुतअस्सिर हो कर मुलाज़मत की चप्कलिश से बेज़ार हो चुके थे। मआश के लिये किसी मुनासिब मशग़ले की जुस्तजू थी। वालिदे मोहतरम की नसीहत याद आई कि (यानी वालिद की मीरास हासिल करना चाहते हो तो वालिद का इल्म सीखो) ख़याल आया कि क्यूं न **इल्मे तिब** की तहसील कर के ख़ानदानी पेशा तबाबत ही को मशग़ला बनाएं। चुनान्चे, शव्वाल 1326 सि. हि. में लखनऊ जा कर दो साल में इल्मे तिब की तहसीलो तक्मील के बाद वतन वापस हुए और **मतब** शुरू कर दिया। ख़ानदानी पेशा और खुदादाद क़ाबिलियत की बिना पर मतब निहायत काम्याबी के साथ चल पड़ा।

सदरे शरीअत आला हज़रत की बारगाहे अज़मत में

ज़रीअए मआश से मुत्मइन हो कर जुमादल ऊला 1329 सि. हि. में आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** किसी काम से “लखनऊ” तशरीफ़ ले गए। वहां से अपने **उस्ताजे मोहतरम** **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** की ख़िदमत में “पीलीभीत” हज़िर हुए। हज़रत मुहद्दिसे सूरती **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** को जब मालूम हुवा कि उन का होन्हार शागिर्द **तदरीस** छोड़ कर **मतब** में मशगूल हो गया है तो उन्हें बेहद **अफ़सोस** हुवा। चूँकि सदरुशरीअह **عليه رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** का इरादा **बरेली** शरीफ़ हज़िर होने का भी था चुनान्चे, बरेली शरीफ़ जाते वक़्त मुहद्दिसे सूरती **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** ने एक **ख़त** इस मज़मून का **आला हज़रत** **عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّ وَتَعَالَى** की ख़िदमत में तहरीर फ़रमा दिया था कि “जिस तरह मुम्किन हो आप इन (यानी हज़रते सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आज़मी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى**) को ख़िदमते दीन व इल्मे दीन की तरफ़ **मुतवज्जेह** कीजिये। जब मेरे आका आला हज़रत **عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّ وَتَعَالَى** के दरे दौलत पर **हाज़िरी** हुई तो आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** निहायत **लुत्फ़ो करम** से पेश आए और इरशाद फ़रमाया : “आप यहीं **क़ियाम** कीजिये और जब तक मैं न कहूं **वापस** न जाइये।” और दिल बस्तगी के लिये कुछ **तहरीरी** काम वगैरा सिपुर्द फ़रमा दिये। तक्रीबन दो माह बरेली शरीफ़ में क़ियाम रहा और मेरे आका आला हज़रत **عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّ وَتَعَالَى** की सोहबत में **इल्मी इस्तिफ़ादा** और **दीनी मुज़ाकरे** का सिलसिला जारी रहा यहां तक कि **रमज़ानुल मुबारक क़रीब** आ गया। सदरुशरीअह **عليه رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** ने घर जाने की इजाज़त त़लब की तो मेरे आका आला हज़रत **عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّ وَتَعَالَى** ने इरशाद फ़रमाया : “जाइये ! लेकिन जब कभी मैं बुलाऊं तो फ़ौरन **चले** आइये।”

मुर्शिदे कामिल का मन्ज़ूरे नज़र अमजद अली

इस पे दाइम लुत्फ़ फ़रमा चश्मे हक़बीने रज़ा

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

तबाबत से दीनी खिदमत की तरफ मुराजअत

सदरुशरीअह عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ खुद फरमाते हैं : मैं जब आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ की बारगाह में हाज़िर हुवा तो दरयाफ़्त फ़रमाया : मौलाना क्या करते हैं ? मैं ने अर्ज़ की : **मतब** करता हूँ। आला हज़रत عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ ने फ़रमाया : “मतब भी अच्छा काम है, **اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْاَدْيَانِ وَعِلْمُ الْاَبْدَانِ** (यानी इल्म दो हैं, इल्मे दीन और इल्मे तिब)। मगर मतब करने में ये ख़राबी है कि सुब्ह सुब्ह का़रूरा (यानी पेशाब) देखना पड़ता है।” इस इरशाद के बाद मुझे का़रूरा (पेशाब) देखने से इन्तिहाई **नफ़रत** हो गई और ये **आला हज़रत** عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ का **कशफ़** था क्यूं कि मैं अमराज़ की तश्खीस में का़रूरा (यानी पेशाब) ही से मदद लेता था (और वाक़ेई सुब्ह सुब्ह मरीज़ों का का़रूरा (पेशाब) देखना पड़ जाता था) और ये **तसरूफ़** था कि का़रूरा बीनी यानी मरीज़ों का पेशाब देखने से **नफ़रत** हो गई।

बरेली शरीफ़ में दोबारा हाज़िरी

घर जाने के चन्द माह बाद बरेली शरीफ़ से **ख़त** पहुंचा कि आप फ़ौरन चले आइये। चुनान्वे, सदरुशरीअह عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ दोबारा **बरेली** शरीफ़ हाज़िर हो गए। इस मरतबा “अन्जुमने अहले सुन्नत” की निज़ामत और उस के **प्रेस** के एहतिमाम के इलावा **मद्रसे** का कुछ तालीमी काम भी सिपुर्द किया गया। गोया मेरे आका आला हज़रत عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ ने बरेली शरीफ़ में आप عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ के **मुस्तक़िल क़ियाम** का इन्तिज़ाम फ़रमा दिया। इस तरह **सदरुशरीअह** عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ ने 11 साल मेरे आकाए नेमत **आला हज़रत** عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ की **सोहबते बा बरकत** में गुज़ारे।

लिये बैठा था इश्क़े मुस्तफ़ा की आग सीने में

विलायत का जबीं पर नक्श, दिल में नूर वहुदत का

बरेली शरीफ़ में मशरूफ़िय्यात

बरेली शरीफ़ में दो मुस्तक़िल **काम** थे एक मद्रसे में **तदरीस**, दूसरे **प्रेस** का काम यानी कोपियों और प्रूफ़ों की **तस्हीह**, किताबों की **रवानगी**, खुतूत के **जवाब**, आमदो खर्च के हिसाब, ये सारे काम **तन्हा** अन्जाम दिया करते थे। इन कामों के इलावा आला हज़रत عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ के बाज़ मुसव्वदात का **मबीज़ा** करना (यानी नए सिरे से साफ़ लिखना), फ़तवों की **नक़ल** और उन की खिदमत में रह कर **फ़तावा लिखना** ये काम भी मुस्तक़िल तौर पर अन्जाम देते थे। फिर शहर व बैरूने शहर के अक्सर तब्लीगे दीन के जल्सों में भी **शिरकत** फ़रमाते थे।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

रोज़ाना का जद्वल

सदरुशरीअह, बदरुत्तरीकह عليه ربه الواري का रोज़ाना का जद्वल कुछ इस तरह था कि बाद नमाज़े फ़ज़्र ज़रूरी वज़ाइफ़ व तिलावते कुरआन के बाद घन्टा डेढ़ घन्टा प्रेस का काम अन्जाम देते। फिर फ़ौरन मद्रसे जा कर तदरीस फ़रमाते। दोपहर के खाने के बाद मुस्तक़िलन कुछ देर तक फिर प्रेस का काम अन्जाम देते। नमाज़े जोहर के बाद अ़स् तक फिर मद्रसे में तालीम देते। बाद नमाज़े अ़स् मग़रिब तक आला हज़रत عليه ربه العزّت की ख़िदमत में निशस्त फ़रमाते। बाद मग़रिब इशा तक और इशा के बाद से बारह बजे तक आला हज़रत عليه ربه العزّت की ख़िदमत में फ़तवा नवीसी का काम अन्जाम देते। इस के बाद घर वापसी होती और कुछ तहरीरी काम करने के बाद तक़ीबन दो बजे शब में आराम फ़रमाते। आला हज़रत عليه ربه العزّت के अख़ीर ज़मानए हयात तक यानी कमो बेश दस बरस तक रोज़मर्मा का येही मामूल रहा। हज़रते सदरुशरीअह, बदरुत्तरीकह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी عليه ربه العزّت की इस मेहनते शाक्का व अज़्मो इस्तिक़लाल से उस दौर के अकाबिर उलमा हैरान थे। आला हज़रत عليه ربه العزّت के भाई हज़रत नन्हे मियां मौलाना मुहम्मद रज़ा ख़ान عليه ربه العزّت फ़रमाते थे कि मौलाना अमजद अली काम की मशीन हैं और वोह भी ऐसी मशीन जो कभी फ़ेल न हो।

मुसनिफ़ भी, मुक़र्रिर भी, फ़कीहे अ़से हाज़िर भी
वोह अपने आप में था इक इदारा इल्मो हिक्मत का

तर्जमए कब्ज़ुल ईमान

सहीह और अग़लात से मुनज़्ज़ा अहादीसे नबविय्या व अक्वाले अइम्मा के मुताबिक़ एक तर्जमे की ज़रूरत महसूस करते हुए आप ने तर्जमए कुरआने पाक के लिये आला हज़रत عليه ربه العزّت की बारगाहे अज़मत में दरख़्वास्त पेश की तो इरशाद फ़रमाया : येह तो बहुत ज़रूरी है मगर छपने की क्या सूरत होगी ? इस की तबाअत का कौन एहतिमाम करेगा ? बा वुजू कोपियों को लिखना, बा वुजू कोपियों और हुरूफ़ों की तस्हीह करना और तस्हीह भी ऐसी हो कि एराब नुक्ते या अलामतों की भी ग़लती न रह जाए, फिर येह सब चीज़ें हो जाने के बाद सब से बड़ी मुश्किल तो येह है कि प्रेसमेन हमा वक़्त बा वुजू रहे, बिग़ैर वुजू न पथ्थर को छूए और न काटे, पथ्थर काटने में भी एहतियात की जाए और छपने में जो जोड़ियां निकली हैं उन को भी बहुत एहतियात से रखा जाए। आप ने अर्ज़ की : “اِنْ شَاءَ اللهُ” जो बातें ज़रूरी हैं उन को पूरी करने की कोशिश की जाएगी, बिलफ़र्ज मान लिया जाए कि हम से ऐसा न हो सका तो जब एक चीज़ मौजूद है तो हो सकता है आइन्दा कोई शख्स इस के तब्बअ करने का इन्तिज़ाम करे और मख़्लूके खुदा को फ़ाएदा पहुंचाने में कोशिश करे और इस वक़्त येह काम न हो सका तो आइन्दा इस के न होने का हम को बड़ा अप्सोस होगा।” आप के इस मारूज़ के बाद तर्जमे का काम शुरू कर दिया

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

गया بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه की मसाइये जमीला से खातिर ख्वाह काम्याबी हुई और आज मुसलमानों की कसीर तादाद मुजहिदे आजम, इमामे अहले सुन्नत सुन्नत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه के लिखे हुए कुरआने पाक के सहीह तर्जमे “तर्जमए कन्ज़ुल ईमान” से मुस्तफीद हो कर आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه (यानी सदरुशशरीअह) की मम्नूने एहसान है और إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ येह सिल्सिला कियामत तक जारी रहेगा ।

गर अहले चमन फ़ख़ करें उस पे बजा है

अमजद था गुलाबे चमने दानिशो हिक्मत

वकीले रज़ा

मेरे आका आला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه ने सिवाए सदरुशशरीअह علیہ رحمۃ رب الہی के किसी को भी हत्ता कि शहज़ादगान को भी अपनी बैअत लेने के लिये वकील नहीं बनाया था ।

सदरुशशरीअह का ख़िताब किस ने दिया ?

अल मल्फूज़ हिस्सए अक्वल सफ़हा 183 मत्बूआ मक्तबतुल मदीना में है कि मेरे आका आला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه ने फ़रमाया : आप मौजूदीन में तफ़व्वकोह जिस का नाम है वोह मौलवी अमजद अली साहिब में ज़ियादा पाइयेगा, इस की वजह येही है कि वोह इस्तिफ़ता सुनाया करते हैं और जो मैं जवाब देता हूँ लिखते हैं, तबीअत अख़्वाज़ है, तर्ज़ से वाकिफ़ियत हो चली है ।” मेरे आका आला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه ने ही हज़रते मौलाना अमजद अली आजमी رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه को सदरुशशरीअह के ख़िताब से नवाज़ा ।

उठा था ले के जो हाथों में परचम आला हज़रत का

वोह मीरे कारवां है कारवाने अहले सुन्नत का

काजिये शरअ

एक दिन सुबह तक़ीबन 9 बजे, मेरे आका आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه मकान से बाहर तशरीफ़ लाए, तख़्त पर क़ालीन बिछाने का हुक्म फ़रमाया । सब हाज़िरीन हैरत ज़दा थे कि हुज़ूर येह एहतिमाम किस लिये फ़रमा रहे हैं ! फिर मेरे आका आला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه एक कुर्सी पर तशरीफ़ फ़रमा हुए और फ़रमाया कि मैं आज बरेली में “दारुल क़ज़ा बरेली” के क़ियाम की बुन्याद रखता हूँ और सदरुशशरीअह को अपनी तरफ़ बुला कर उन का दाहना हाथ अपने दस्ते मुबारक में ले कर क़ाज़ी के मन्सब पर बिठा कर फ़रमाया : “मैं आप को हिन्दुस्तान के लिये क़ाजिये शरअ मुक़र्रर करता हूँ । मुसलमानों

के दरमियान अगर ऐसे कोई मसाइल पैदा हों जिन का शर्इ फैसला काजिये शर्अ ही कर सकता है वोह काजिये शर्इ का इख्तियार आप के जिम्मे है।” फिर ताजदारे अहले सुन्नत मुफ़्तये आजमे हिन्द हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْمَنَّان और बुरहाने मिल्लत हज़रते अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद बुरहानुल हक़ रज़वी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِي को दारुल क़ज़ा बरेली में मुफ़्तये शर्अ की हैसियत से मुक़र्रर फ़रमाया। फिर दुआ पढ़ कर कुछ कलिमात इरशाद फ़रमाए जिन का इक़्रार हज़रते सदरुशरीअह عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَزِي ने किया। सदरुशरीअह عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللّٰهِ الْوَزِي ने दूसरे ही दिन काजिये शर्अ की हैसियत से पहली निशस्त की और विरासत के एक मुआमले का फैसला फ़रमाया।

येह सारी बरकतें हैं ख़िदमते दीने पयम्बर की

जहां में हर तरफ़ है तज्किरा सद्दे शरीअत का

आला हज़रत के जनाजे के लिये वसियत

वसाया शरीफ़ सफ़हा 24 पर है कि मुजद्दिदे आजम, आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الرَّحْمَن ने अपनी नमाजे जनाज़ा के बारे में येह वसियत फ़रमाई थी : “अल मन्नतुल मुस्ताज़ा¹ में नमाजे जनाज़ा की जितनी दुआएं मन्कूल हैं अगर हामिद रज़ा को याद हों तो वोह मेरी नमाजे जनाज़ा पढ़ाएं वरना मौलवी अमजद अली साहिब पढ़ाएं।” हज़रते हुज्जतुल इस्लाम (हज़रत मौलाना हामिद रज़ा ख़ान) चूंकि आप के “वली” थे इस लिये उन को मुक़द्दम फ़रमाया, वोह भी मशरूत तौर पर और उन के बाद मेरे आका आला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزْم की निगाहे इन्तिखाब अपनी नमाजे जनाज़ा के लिये जिस पर पड़ी वोह भी बिना शर्त, वोह जात सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَنِي की थी। इसी से आला हज़रत عَلَيْهِ रَحْمَةُ رَبِّ الْعَزْم की सदरुशरीअह عَلَيْهِ रَحْمَةُ رَبِّ الْعَزْم से महब्बत का अन्दाज़ा किया जा सकता है।

आस्तानए मुशिद से वफ़ा

एक मरतबा किसी साहिब ने ताजदारे अहले सुन्नत मुफ़्तये आजमे हिन्द शहज़ादए आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللّٰهِ الرَّحْمَن के सामने सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَنِي का तज्किरा फ़रमाया तो मुफ़्तये आजम

1...येह मुबारक रिसाला फ़तावा रज़विय्या मुख़र्रजा जि. 9 स. 209 पर मौजूद है।

عليه رحمه الله الأكرم की चश्माने करम से आंसू बहने लगे और फरमाया कि सदरुशरीअह ने अपना कोई घर नहीं बनाया, बरेली ही को अपना घर समझा। वोह साहिबे असर भी थे और कसीरुत्तादाद तलबा के उस्ताज भी, वोह चाहते तो ब आसानी कोई ज़ाती दारुल उलूम ऐसा खोल लेते जिस पर वोह यक्का व तन्हा क़ाबिज़ रहते मगर उन के ख़ुलूस ने ऐसा नहीं करने दिया।

येह मेरे मुशिद का करम है

चुनान्चे दारुल उलूम मुईनिया उस्मानिया (अजमेर शरीफ़) में वहां के सदरुल मुदरिसीन हो कर जब आप عليه رحمه الله تعالى पहुंचे और वहां के लोग आप عليه رحمه الله تعالى के अन्दाजे तदरीस से बहुत मुतअस्सिर हुए तो आप عليه رحمه الله تعالى के रूबरू इस का ज़िक्र आया कि आप की तालीम बहुत काम्याब होती नज़र आ रही है येह मर्कज़ी दारुल उलूम सर बुलन्द होता जा रहा है। आप عليه رحمه الله تعالى ने फरमाया : “येह मुझ पर आला हज़रत عليه رحمه رب العزت का फज़लो करम है।”

बागे आलम का हो मन्ज़र क्यूं न रंगीनो हसीन

गोशे गोशे से हैं तीब अफ़शां रियाहीने रज़ा

सद्दे शरीअत की शोहबत की अज़मत

तिल्मीज़ व खलीफ़ए सदरुशरीअह हज़रते मौलाना सय्यिद ज़हीर अहमद जैदी عليه رحمه الله الهادي लिखते हैं : मुझे सात साल के अर्से में अन गिनत बार मौलाना की ख़िदमत में हाज़िरी का मौक़अ मिला लेकिन मैं ने आप عليه رحمه الله تعالى की मजलिसों को उन उयूब से पाक पाया जो आम तौर से बिला इम्तियाजे अ़वामो ख़वास हमारे मुआशरे का जुज़्ब बन गए हैं मसलन गीबत, चुगली, दूसरों की बद ख़्वाही, ऐब जूई वगैरा। आप عليه رحمه الله تعالى की ज़िन्दगी निहायत मुक़द्दस व पाकीज़ा थी, मुझे आप عليه رحمه الله تعالى की ज़िन्दगी में दरोग़ बयानी (यानी झूट बोलने) का कभी शाइबा भी नहीं गुज़रा। जहां तक मेरी मालूमात है आप عليه رحمه الله تعالى के मामूलात कुरआनो सुन्नत के मुताबिक़ थे। गुफ़्तगू भी निहायत मुहज़ज़ब होती, कोई ना शाइस्ता या ग़ैर मुहज़ज़ब लफ़ज़ इस्तिमाल न फ़रमाते, इसी तरह मुआमलात में भी आप عليه رحمه الله تعالى निहायत साफ़ थे। आप का हर मुआमला शरीअते मुतहहरा के अहक़ाम के मा तहत था। “दादू” (अलीगढ़) में क़ियाम के दौरान का मैं ऐनी शाहिद हूं कि आप ने कभी किसी के साथ बद मुआमलगी न की, न किसी का हक़ तलफ़ किया।

बुलन्दी पर सितारा क्यूं न हो फिर उस की क़िस्मत का

दिया अमजद ने जिस को दर्स क़ानूने शरीअत का

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

सबो तहम्मूल

बड़े साहिब जादे हज़रत मौलाना हकीम शम्सुल हुदा साहिब رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ का इन्तिकाल हो गया तो सदरुशरीअह عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْوَرَى उस वक़्त नमाज़े तरावीह अदा कर रहे थे। इत्तिलाअ दी गई तशरीफ़ लाए। “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ” पढ़ा और फ़रमाया : अभी आठ रकअत तरावीह बाकी हैं, फिर नमाज़ में मसरूफ़ हो गए।

सहक्कर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ख़्वाब में आ कर फ़रमाया

आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ की शहजादी “बन्नो” सख़्त बीमार थीं। इस दौरान एक दिन बाद नमाज़े फ़ज्र हज़रते सदरुशरीअह عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْوَرَى ने कुरआन ख़्वानी के लिये तलबा व हाज़िरीन को रोका। बादे ख़त्मे कुरआने मजीद आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने मजलिस को ख़िताब फ़रमाया कि मेरी बेटी “बन्नो” की अलालत (बीमारी) तवील हो गई, कोई इलाज कारगर नहीं हुवा और फ़ाएदे की कोई सूरत नहीं निकल रही है, आज शब मैं ने ख़्वाब देखा कि सरवरे कौनैन, रहमते आलम रूही फ़िदाह घर में तशरीफ़ लाए हैं और फ़रमा रहे हैं कि “बन्नो” को लेने आए हैं। सय्यिदुल अनाम हुजूरे अकरम عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام को ख़्वाब में देखना भी हकीकत में बिला शुबा आप صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ही को देखना है। बन्नो की दुन्यवी ज़िन्दगी अब पूरी हो चुकी है। मगर वोह बड़ी ही खुश नसीब है कि उसे आका व मौला, रहमते आलम, महबूबे रब्बुल आलमीन صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ लेने के लिये तशरीफ़ लाए और मैं ने खुशी से सिपुर्द किया। दुआए ख़ैर के बाद मजलिसे कुरआन ख़्वानी ख़त्म हो गई। ग़ालिबन उसी दिन या दूसरे दिन बन्नो का इन्तिकाल हो गया। अब्बाह रब्बुल इज़ज़त عَزَّ وَجَلَّ की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग़िफ़रत हो।

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

शहजादगान पर शफ़क़त

शहजादगान पर शफ़क़त का जो आलम था वोह शहजादए सदरुशरीअह, शैखुल हदीस वतफ़सीर हज़रते अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَوَى ने अपने मज़्मून में तफ़सील से बयान किया है। चुनान्वे आप फ़रमाते हैं : 1366-67 सि. हि. मैं ख़िदमते अक्दस में हाज़िर था। मौलाना सनाउल मुस्तफ़ा, मौलाना बहाउल मुस्तफ़ा, मौलाना फ़िदाउल मुस्तफ़ा उस वक़्त बहुत छोटे बच्चे थे, वोह गन्ना (गन्डरी) ले कर आते और कहते : “अना जी इसे गुल्ला बना दो।” यानी इसे छील कर काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिये। हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ बड़े प्यार महबूबत से मुस्कुरा कर गन्ना हाथ में ले कर चाकू से उसे छीलते फिर छोटे छोटे टुकड़े कर के उन लोगों के मुंह में डालते।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

घर के कामों में हाथ बटाते

बुख़ारी शरीफ़ में है : हज़रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا फ़रमाती हैं :
 نَبِيَّيْهِ اَكْرَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم अपने घर में कामकाज में मशगूल रहते यानी घर वालों का काम करते थे । (صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ج ١ ص ٢٤١، حديث ٦٧٦ دار الكتب العلمية بيروت) इसी सुन्नत पर अमल करते हुए सदरुशशरीअह عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْوَرَى घर के कामकाज से आर (शर्म) महसूस न फ़रमाते बल्कि सुन्नत पर अमल करने की नियत से इन को ब खुशी अन्जाम देते ।

सदरुशशरीअह का सुन्नत के मुताबिक चलने का अन्दाज़

तिल्मीज़ व ख़लीफ़ए सद्दे शरीअत, हाफ़िज़े मिल्लत हज़रते अल्लामा मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुबारक पुरी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَرَى बयान करते हैं : हुज़ूर सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم रास्ता चलते तो रफ़्तार से अज़मतो वकार का जुहूर होता, दाएं बाएं निगाह न फ़रमाते, हर क़दम कुव्वत के साथ उठाते, चलते वक़्त जिस्मे मुबारक आगे की तरफ़ क़दरे झुका होता, ऐसा लगता गोया ऊंचाई से नीचे की तरफ़ उतर रहे हों । हमारे उस्ताज़े मोहतरम सदरुशशरीअह عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْوَرَى सुन्नत के मुताबिक़ रास्ता चलते थे, उन से हम ने इल्म भी सीखा और अमल भी । येही हज़रते हाफ़िज़े मिल्लत फ़रमाते हैं : मैं दस साल हज़रते सदरुशशरीअह عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْوَرَى की कफ़श बरदारी (यानी ख़िदमत) में रहा, आप को हमेशा मुत्तबेए सुन्नत पाया ।

जिस की हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा

ऐसे सद्दे शरीअत पे लाखों सलाम

नमाज़ की पाबन्दी

सफ़र हो या हज़र सदरुशशरीअह عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْوَرَى कभी नमाज़ क़ज़ा न फ़रमाते । शदीद से शदीद बीमारी में भी नमाज़ अदा फ़रमाते । अजमेर शरीफ़ में एक बार शदीद बुख़ार में मुब्तला हो गए यहां तक कि ग़शी तारी हो गई । दोपहर से पहले ग़शी तारी हुई और अस् तक रही । हाफ़िज़े मिल्लत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ عليه رَحْمَةُ اللهِ الْوَرَى ख़िदमत के लिये हाज़िर थे । सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह عليه رَحْمَةُ رَبِّ الْوَرَى को जब होश आया तो सब से पहले येह दरयाफ़्त फ़रमाया : क्या वक़्त है ? जोहर का वक़्त है या नहीं ? हाफ़िज़े मिल्लत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْوَرَى ने अर्ज़ की, कि इतने बज गए हैं अब जोहर का वक़्त नहीं । येह सुन कर इतनी अज़ियत पहुंची कि आंख से आंसू जारी हो गए ।

हाफ़िज़े मिल्लत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْوَرَى ने दरयाफ़्त किया : क्या हुज़ूर को कहीं दर्द है, कहीं

तक्लीफ़ है ? फ़रमाया : “(बहुत बड़ी) तक्लीफ़ है कि ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हो गई ।” हाफ़िज़े मिल्लत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّت ने अर्ज़ की : हुज़ूर बेहोश थे । बेहोशी के आलम में नमाज़ क़ज़ा होने पर कोई मुआख़ज़ा (क़ियामत में पूछगछ) नहीं । फ़रमाया : आप मुआख़ज़े की बात कर रहे हैं ? वक्ते मुक़र्ररा पर दरबारे इलाही عَزَّوَجَلَّ की एक हाज़िरी से तो मेहरूम रहा !

नमाज़े बा जमाअत का जज़्बा

हज़रते सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَنِي इस पर बहुत सख़्ती से पाबन्द थे कि मस्जिद में हाज़िर हो कर बा जमाअत नमाज़ पढ़ें । बल्कि अगर किसी वजह से मुअज़्ज़िन साहिब वक्ते मुक़र्ररा पर न पहुंचते तो खुद अज़ान देते । क़दीम दौलत ख़ाने से मस्जिद बिल्कुल क़रीब थी वहां तो कोई दिक्क़त नहीं थी लेकिन जब नए दौलत ख़ाने कादिरी मन्ज़िल में रिहाइश पज़ीर हुए तो आसपास में दो मस्जिदें थीं । एक बाज़ार की मस्जिद दूसरी बड़े भाई के मकान के पास जो “नव्वा की मस्जिद” के नाम से मशहूर है । येह दोनों मस्जिदें फ़ासिले पर थीं । उस वक़्त बीनाई भी कमज़ोर हो चुकी थी, बाज़ार वाली मस्जिद निस्बतन क़रीब थी मगर रास्ते में बे तुकी नालियां थीं । इस लिये “नव्वा की मस्जिद” नमाज़ पढ़ने आते थे । एक दफ़आ ऐसा हुवा कि सुबह की नमाज़ के लिये जा रहे थे, रास्ते में एक कूंवां था, अभी कुछ अंधेरा था और रास्ता भी ना हमवार था, बे ख़याली में कूएं पर चढ़ गए क़रीब था कि कूएं के ग़ार में क़दम रख देते । इतने में एक औरत आ गई और ज़ोर से चिल्लाई ! “अरे मौलवी साहिब कूंवां है रुक जाओ ! वरना गिर पड़ियो !” येह सुन कर हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ने क़दम रोक लिया और फिर कूएं से उतर कर मस्जिद गए । इस के बा वुजूद मस्जिद की हाज़िरी नहीं छोड़ी ।

बीमारी में भी रोज़ा न छोड़ा

एक बार रमज़ानुल मुबारक में सख़्त सर्दी का बुख़ार चढ़ गया । इस में ख़ूब ठन्डी लगती और शदीद बुख़ार चढ़ता है नीज़ प्यास इतनी शिद्दत से लगती है कि ना क़ाबिले बरदाश्त हो जाती है । तक्रीबन एक हफ़्ते तक इस बुख़ार में गिरिफ़्तार रहे । ज़ोहर के बाद ख़ूब सर्दी चढ़ती फिर बुख़ार आ जाता मगर कुरबान जाइये ! इस हाल में भी कोई रोज़ा नहीं छोड़ा ।

ज़कात की अदाएगी

शारेहे बुख़ारी हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शरीफ़ुल हक़ अमजदी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَنِي फ़रमाते हैं : मेरे वालिदे माजिद मर्हूम इब्तिदाए नौ उम्री में बहुत बड़े ताजिर थे और हिसाब के माहिर, सदरुशरीअह उन को बुला कर (ज़कात का) पूरा हिसाब लगवाते । फिर उन्हीं से कपड़े का थान मंगा

कर औरतों के लाइक अलग, मर्दों बच्चों के लाइक अलग और सब के मुनासिब क़अ़ कर के तक्सीम फ़रमाते । कोई साइल कभी दरवाज़े से ख़ाली वापस न जाता । बहुत बड़े मेहमान नवाज़ और उम्मन मेहमान आते रहते, सब के शायाने शान खाने पीने, उठने बैठने और आराम का एहतिमाम फ़रमाते । मेहमानों के लिये खुसूसियत से उन की ज़रूरिय्यात की चीज़ें हर वक़्त घर में रखते ।

दुरुदे रज़विय्या पढ़ने का जज़्बा

कितनी ही मसरूफ़ियत हो नमाज़े फ़ज़्र के बाद एक पारह की तिलावत फ़रमाते और फिर एक हिज़्ब (बाब) दलाइलुल ख़ैरात शरीफ़ पढ़ते, इस में कभी नागा न होता, और बादे नमाज़े जुमुअ़ा बिना नागा 100 बार दुरुदे रज़विय्या पढ़ते । हत्ता कि सफ़र में भी जुमुअ़ा होता तो नमाज़े जोहर के बाद दुरुदे रज़विय्या न छोड़ते, चलती हुई ट्रेन में खड़े हो कर पढ़ते । ट्रेन के मुसाफ़िर इस दीवानगी पर हैरत ज़दा होते मगर उन्हें क्या मालूम :

दीवाने को तह़कीर से दीवाना न कहना

दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है

इस्लाह करने का अन्दाज़

औलाद और त़लबा की अमली तालीमो तरबियत का भी आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه खुसूसी ख़याल फ़रमाते थे । आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه का तक्वा व तदय्युन (यानी दीनदारी) इस अम्र का मुतहम्मिल ही न था कि कोई आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه के सामने ख़िलाफ़े शर्अ़ काम करे । अगर आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه के इल्म में त़लबा या औलाद के बारे में कोई ऐसी बात आती जो अहकामे शरीअ़त के ख़िलाफ़ होती तो चेहरा मुबारका का रंग बदल जाता था, कभी शदीद तरीन बर्हमी कभी ज़ज़्रो तौबीख़ (डांट डपट) और कभी तम्बीहो सज़ा और कभी मौइज़ए हसना ग़रज़ जिस मक़ाम पर जो तरीक़ा भी आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه मुनासिब ख़याल फ़रमाते इस्तिमाल में लाते थे ।

ख़्वाब में आ कर रहनुमाई

ख़लीले मिल्लत हज़रते मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ान बरकाती عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه फ़रमाते हैं : त़लबा की तरफ़ इल्तिफ़ाते ताम (यानी भरपूर तवज्जोह) का अन्दाज़ा इस वाक़िए से लगाइये कि फ़कीर को एक मरतबा एक मस्अला तह़रीर करने में उलज़न पेश आई, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ मेरे उस्ताज़े गिरामी, हज़रते सदरुशरीअ़ह عَلِيهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه ने ख़्वाब में तशरीफ़ ला कर इरशाद फ़रमाया : “बहारे शरीअ़त का फुलां हिस्सा देख लो ।” सुब्ह को उठ कर बहारे शरीअ़त उठाई और मस्अला हल कर लिया । विसाल

शरीफ़ के बाद फ़कीर ने ख़्वाब में देखा कि हज़रते सदरुशरीअह عليه رحمته رب الوالي दर्से हदीस दे रहे हैं, मुस्लिम शरीफ़ सामने है और शफ़फ़ाफ़ लिबास में मल्बूस तशरीफ़ फ़रमा हैं, मुझ से फ़रमाया : आओ तुम भी मुस्लिम शरीफ़ पढ़ लो ।

हर तरफ़ इल्मो हुनर का आप से दरिया बहा

आप का एहसान ऐ सदरुशरीअह कम नहीं

नात शरीफ़ सुनते हुए अशक़बारी

मन्कूल है कि जब नात शुरू होती तो सदरुशरीअह عليه رحمته رب الوالي मुअद्दब बैठ कर दोनों हाथ बांध लेते और आंखें बन्द कर लेते । इन्तिहाई वक़ार व तम्किनत के साथ पुर सुकून हो जाते और पूरे इन्हिमाक व तवज्जोह से सुनते । फिर कुछ ही देर बाद आंखों से सैले अशक़ इस तरह जारी हो जाते कि थमने का नाम न लेते । नात पढ़ने वाला नात पढ़ कर ख़ामोश हो जाता इस के बाद भी कुछ देर तक येही खुद फ़रामोशी तारी रहती ।

मताए इश्के सरकारे दो आलम हो जिसे हासिल

कशिश उस के लिये क्या होगी दुन्या के ख़ज़ीने में

हज़रते शाहे आलम का तख़्त

हज़रते सय्यिदुना शाहे आलम عليه رحمه الله الأكرم बहुत बड़े आलिमे दीन और पाए के वलियुल्लाह थे । मदीनतुल औलिया अहमदआबाद शरीफ़ (गुजरात अल हिन्द) में आप رحمة الله تعالى عليه निहायत ही लगन के साथ इल्मे दीन की तालीम देते थे । एक बार बीमार हो कर साहिबे फ़राश हो गए और पढ़ाने की छुट्टियां हो गई । जिस का आप رحمة الله تعالى عليه को बेहद अफ़सोस था । तक़रीबन चालीस दिन के बाद सिहहत याब हुए और मद्रसे में तशरीफ़ ला कर हस्बे मामूल अपने तख़्त पर तशरीफ़ फ़रमा हुए । चालीस दिन पहले जहां सबक़ छोड़ा था वहीं से पढ़ाना शुरू किया । तलबा ने मुतअज्जिब हो कर अर्ज की : हुज़ूर ! आप رحمة الله تعالى عليه ने येह मज़मून तो बहुत पहले पढ़ा दिया है, गुज़स्ता कल तो आप رحمة الله تعالى عليه ने फुलां सबक़ पढ़ाया था ! येह सुन कर आप رحمة الله تعالى عليه फ़ौरन मुराक़िब हुए । उसी वक़्त सरकारे मदीना, करारे क़ल्बो सीना, फ़ैज़ गन्जीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, बाइसे नुज़ूले सकीना صلى الله تعالى عليه وآله وسلم की ज़ियारत हुई । सरकार صلى الله تعالى عليه وآله وسلم के लबहाए मुबारका को जुम्बिश हुई, मुशकबार फूल झड़ने लगे और अल्फ़ाज़ कुछ यूं तरतीब पाए : “शाहे आलम ! तुम्हें अपने अस्बाक़ रह जाने का बहुत अफ़सोस था लिहाज़ा तुम्हारी जगह तुम्हारी सूरत में तख़्त पर बैठ कर मैं रोज़ाना सबक़ पढ़ा दिया करता था ।” जिस तख़्त पर सरकारे नामदार

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ तशरीफ़ फ़रमा हुवा करते थे उस पर अब हज़रते किब्ला सय्यिदुना शाहे आलम عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَم किस तरह बैठ सकते थे लिहाज़ा फ़ौरन तख़्त पर से उठ गए। तख़्त को यहां की मस्जिद में मुअल्लक़ कर दिया गया। इस के बाद हज़रते सय्यिदुना शाहे आलम عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَم के विसाल के बाद उस तख़्त को भी यहां मुअल्लक़ कर दिया गया। इस मक़ाम पर दुआ क़बूल होती है।

मदीने का मुसाफ़िर हिन्द से पहुंचा मदीने में

ख़लीफ़े सद्दे शरीअत, पीरे तरीक़त, हज़रते अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी मुहम्मद मुस्लेहुद्दीन सिद्दीक़ी अल क़ादिरि عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفُुर से मैं (غَفَى عَنْهُ) ने सुना है, वोह फ़रमाते थे : **मुसन्निफ़े बहारे शरीअत** हज़रते सदरुशरीअह मौलाना मुहम्मद अमजद अली आज़मी साहिब عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى के हमराह मुझे मदीनतुल औलिया अहमदआबाद शरीफ़ (हिन्द) में हज़रते सय्यिदुना शाहे आलम عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى के दरबार में हाज़िरी की सआदत हासिल हुई, इन दोनों तख़्तों के नीचे हाज़िर हुए और अपने अपने दिल की दुआएं कर के जब फ़ारिग़ हुए तो मैं ने अपने पीरो मुर्शिद हज़रते सदरुशरीअह عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَفُुर से अर्ज़ की : हुज़ूर ! आप ने क्या दुआ मांगी ? फ़रमाया : “हर साल हज़ नसीब होने की।” मैं समझा हज़रत की दुआ का मन्शा येही होगा कि जब तक ज़िन्दा रहूं हज़ की सआदत मिले। लेकिन येह दुआ भी ख़ूब क़बूल हुई कि उसी साल हज़ का क़स्द फ़रमाया। **सफ़ीनए मदीना** में सुवार होने के लिये अपने वतन मदीनतुल उलमा घोसी (ज़िलअ आज़म गढ़)¹ से बम्बई तशरीफ़ लाए। यहां आप को नुमोनिया हो गया और सफ़ीने में सुवार होने से क़बूल ही 1367 के ज़ी क़ादतुल हराम की दूसरी शब 12 बज कर 26 मिनट पर ब मुताबिक़ 6 सितम्बर 1948 को आप वफ़ात पा गए।

मदीने का मुसाफ़िर हिन्द से पहुंचा मदीने में

क़दम रखने की भी नौबत न आई थी सफ़ीने में

سُبْحَانَ اللهِ ! मुबारक तख़्त के तहूत मांगी हुई दुआ कुछ ऐसी क़बूल हुई कि अब आप عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى क़ियामत तक हज़ का सवाब हासिल करते रहेंगे। खुद हज़रते सदरुशरीअह عَلَيْهِ रَحْمَةُ اللهِ तَعَالَى ने अपनी मशहूरे ज़माना किताब बहारे शरीअत हिस्सा 6 सफ़्हा 5 पर येह हदीसे पाक नक़ल की है : जो हज़ के लिये निकला और फ़ौत हो गया तो क़ियामत तक उस के लिये हज़ करने वाले का सवाब लिखा जाएगा और जो उमरह के लिये निकला और फ़ौत हो गया उस के लिये क़ियामत तक उमरह करने वाले का सवाब लिखा जाएगा और जो जिहाद में गया और फ़ौत हो गया उस के लिये क़ियामत तक गाज़ी का सवाब लिखा जाएगा। (مسند أبي يعلى ج ٥، ص ٤٤١ - حديث ٦٣٢٧ دار الكتب العلمية بيروت)

1... साबिका ज़िलअ आज़म गढ़, मौजूदा मऊ

मादए तारीख

दर्जे जैल आयते मुबारका आप की वफ़ात का मादए तारीख है। (प १४, الحجر ६)

إِنَّ السَّائِقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ

1 3 6 7 हि.

आप का मजारे मुबारक

बादे वफ़ात हज़रते सदरुशरीअह عليه رضى رب العالی के वुजूदे मस्ऊद को ब ज़रीअए ट्रेन बम्बई से मदीनतुल इलमा घोसी ले जाया गया। वहीं आप का मजारे मुबारक मर्जए ख़्वासो अ़वाम है।

क़ब्र शरीफ़ की मिट्टी से शिफ़ा मिल गई

मदीनतुल इलमा घोसी के मौलाना फ़ख़्ख़दीन के वालिदे मोहतरम मौलाना निज़ामुद्दीन साहिब के गुर्दे में पथरी हो गई थी। उन्होंने ने हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फ़ाएदा हासिल न हुवा। बिल आख़िर सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَلِی की क़ब्रे अन्वर की मिट्टी इस्तिमाल की जिस से الْحَسَنُ لِلَّهِ عَلَيْهِ उन के गुर्दे की पथरी निकल गई और शिफ़ा हासिल हो गई।

दरे अमजद से मंगता को बराबर भीक मिलती है

गदा पहुंचे, तवंगर, या सुवाली इल्मो हिकमत का

मजारे से खुशबू

आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ के दफ़न होने के बाद कई रोज़ बारिश होती रही चुनान्चे, क़ब्रे अन्वर पर चटाइयां डाल दी गईं। जब 15 दिन के बाद मजारे तामीर करने के लिये वोह चटाइयां हटाई गईं तो खुशबू की ऐसी लपटें उठीं कि पूरी फ़ज़ा मुअत्तर हो गई। येह खुशबू मुसल्सल कई दिन तक उठती रही।

हकीकत में न क्यूं अल्लाह का महबूब हो जाए न खोया उग्र भर जिस ने कोई लम्हा इबादत का

वफ़ात के बाद सदरुशरीअह का बेदारी में दीदार हो गया !

शहज़ादए सदरुशरीअह, मुहद्दिसे कबीर हज़रते अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा मिस्बाही फ़रमाते हैं : ग़ालिबन 1391 हि. या 1392 हि. का वाकिअ है कि तवील ग़ैर हाज़िरी के बाद हज़रते मुजाहिदे मिल्लत मौलाना हबीबुर्रहमान इलाहाबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَالِی उर्स अमजदी में मदीनतुल इलमा घोसी तशरीफ़ लाए (हज़रते सदरुशरीअह के) उर्स शरीफ़ के इज्त्तास में दौराने तक्रीर अपनी मुसल्सल ग़ैर हाज़िरी का सबब बयान करते हुए आप (यानी हज़रते मुजाहिदे मिल्लत) ने

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दावते इस्लामी)

फरमाया कि उर्स शरीफ की आमद पर मुझे हर साल اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ طاب सदरुशरीअह عَلَيْهِ الرِّحْمَه की ज़ियारत **ख्वाब** में होती रहती है जिस का साफ़ मतलब येही था कि हज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ मुझे तलब फरमाना चाहते हैं। मगर चन्द ज़रूरी मसरूफ़ियात ऐन वक़्त पर हमेशा रुकावट बन जाया करती थीं। इम्साल भी हज़रते सदरुशरीअह عَلَيْهِ الرِّحْمَه की **ख्वाब** में जलाल भरे अन्दाज़ में ज़ियारत नसीब हुई। येही मालूम हो रहा था कि हज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ मेरा इन्तिज़ार फरमा रहे हैं। इसी दौरान **उर्स अमजदी** का दावत नामा भी मौसूल हुवा। अब बहर सूरत हाज़िर होना था और हो गया। अभी सिल्सिलए तक्रीर जारी था.... कि आप (यानी मुजाहिदे मिल्लत) अचानक मज़ारे अक्दस की तरफ़ मुतवज्जेह हो गए और अशकबार आंखों के साथ रिक्कत अंगेज़ लहजे में सदरुशरीअह عَلَيْهِ الرِّحْمَه से मुआफ़ी के ख्वास्तगार हुए। **मुजाहिदे मिल्लत** का बयान ख़त्म होने के बाद हज़रते हाफ़िज़े मिल्लत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ اَلْقَوٰی ने तक्रीर शुरू की। दौराने तक्रीर बे साख़्ता आप رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ की ज़बान से येह जुम्ला सादिर हुवा कि हज़रते सदरुशरीअह عَلَيْهِ الرِّحْمَه बिला शुबा वली थे, वोह अब भी इसी तरह ज़िन्दा हैं जैसे पहले थे, अभी अभी हज़रत मुजाहिदे मिल्लत ने उन का दीदार किया। इतना फरमाते ही हज़रते हाफ़िज़े मिल्लत رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ संभल गए और फ़ौरन अपनी तक्रीर का रुख़ मोड़ दिया। चुनान्चे जो हज़रात मुतवज्जेह थे और जिन्हें हज़रते हाफ़िज़े मिल्लत رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ के कश्फ़ो करामात नीज़ अन्दाज़े बयान का इल्म था वोह उक्दा हल कर (यानी गुथ्थी सुलझा) चुके थे और उन्हें यकीन हो गया कि हाफ़िज़े मिल्लत और मुजाहिदे मिल्लत (رَحْمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰی) जिन्हें हज़रते सदरुशरीअह عَلَيْهِ الرِّحْمَه से खुसूसी कुर्ब हासिल है इन दोनों हज़रात को इस वक़्त हज़रते सदरुशरीअह عَلَيْهِ الرِّحْمَه का सर की आंखों से दीदार नसीब हुवा।

कौन कहता है वली सब मर गए

क़ैद से छूटे वोह अपने घर गए

बहारे शरीअत

सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह **मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी** عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ اَلْعَزِی का पाको हिन्द के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने ने ज़ख़ीम अरबी कुतुब में फैले हुए फ़िक्ही मसाइल को सिल्के तहरीर में पिरो कर एक मक़ाम पर जम्अ कर दिया। इन्सान की पैदाइश से ले कर वफ़ात तक दरपेश होने वाले हज़ारहा मसाइल का बयान **बहारे शरीअत** में मौजूद है। उन में बे शुमार मसाइल ऐसे भी हैं जिन का सीखना हर इस्लामी भाई और इस्लामी बहन पर फ़र्जे ऐन है। इस की तस्नीफ़ के अस्बाब का ज़िक्र करते हुए **सदरुशरीअह** عليه رَحْمَةُ اللّٰهِ اَلْوَارِی लिखते

हैं : “उर्दू ज़बान में अब तक कोई ऐसी किताब तस्नीफ़ नहीं हुई जो सहीह मसाइल पर मुश्तमिल हो और ज़रूरिय्यात के लिये काफ़ी व वाफ़ी हो ।”

फ़िक्हे हनफ़ी की मशहूर किताब फ़तावा आलमगीरी सेंकड़ों उलमाए दीन عليهم رحمة الله المبين ने हज़रते सय्यिदुना शैख़ निज़ामुद्दीन मुल्ला जीवन رحمة الله تعالى عليه की निगरानी में अरबी ज़बान में मुरतब फ़रमाई मगर कुरबान जाइये कि सदरुशरीअह عليه رحمة رب الوزي ने वोही काम उर्दू ज़बान में तने तन्हा कर दिखाया और इल्मी ज़ख़ाइर से न सिर्फ़ मुफ़्ता बिही अक्वाल चुन चुन कर बहारे शरीअत में शामिल किये बल्कि सेंकड़ों आयात और हज़ारों अह्दादीस भी मौजूअ की मुनासबत से दर्ज कीं । आप رحمة الله تعالى عليه खुद तह्दीसे नेमत के तौर पर इरशाद फ़रमाते हैं : “अगर औरंगज़ेब आलमगीर इस किताब (यानी बहारे शरीअत) को देखते तो मुझे सोने से तोलते ।”

आप رحمة الله تعالى عليه का मक्सद येह था कि बर्रे सगीर के मुसलमान अपने दीन के मसाइल से ब आसानी आगाह हो जाएं चुनान्चे, एक और मक़ाम पर तहरीर फ़रमाते हैं : “इस किताब में हत्तल वस्अ येह कोशिश होगी कि इबारत बहुत आसान हो कि समझने में दिक्कत न हो और कम इल्म और औरतें और बच्चे भी इस से फ़ाएदा हासिल कर सकें । फिर भी इल्म बहुत मुश्किल चीज़ है, येह मुम्किन नहीं कि इल्मी दुश्वारियां बिल्कुल जाती रहें, ज़रूर बहुत मवाक़ेअ ऐसे भी रहेंगे कि अहले इल्म से समझने की हाज़त होगी, कम अज़ कम इतना नफ़अ ज़रूर होगा कि इस का बयान उन्हें मुतनब्बेह (यानी ख़बरदार) करेगा और न समझना समझ वालों की तरफ़ रुजूअ की तवज्जोह दिलाएगा ।”

इस किताब का अर्सए तस्नीफ़ तक्रीबन सत्ताईस²⁷ साल के अर्से पर मुहीत है । याद रहे कि 27 साल का येह मतलब नहीं कि आप رحمة الله تعالى عليه इन सालों में हमा वक़्त तस्नीफ़ में मशगूल रहे बल्कि तातीलात में दीगर उमूर से वक़्त बचा कर येह किताब लिखते जिस के सबब इस की तक्मील में ख़ासी ताख़ीर हो गई चुनान्चे, आप बहारे शरीअत हिस्सा 17 के इख़िताम पर ब उन्वान “अर्जे हाल” में लिखते हैं : “इस की तस्नीफ़ में उमूमन येही हुवा कि माहे रमज़ाने मुबारक की तातीलात में जो कुछ दूसरे कामों से वक़्त बचता उस में कुछ लिख लिया जाता ।”

बुजुर्गों के अल्फ़ाज़ बा बरक़्त होते हैं

सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आजमी عليه رحمة الله القوي ने बहारे शरीअत में मसाइल बयान कर के कई जगह फ़तावा रज़बिय्या शरीफ़ का हवाला दिया है, बल्कि बहारे शरीअत हिस्सा 6 में आला हज़रत عليه رحمة رب العزت का

लिखा हुआ हज के अहकाम पर मुश्तमिल रिसाला “अन्वारुल बिशारह” पूरा शामिल कर लिया है और अक़ीदत तो देखिये कि कहीं भी अल्फ़ाज़ में कोई तब्दीली नहीं की ताकि एक वलिये कामिल के क़लम से निकले हुए अल्फ़ाज़ की बरकतें भी हासिल हों, चुनान्चे लिखते हैं : आला हज़रत किब्ला قدس سره العزیز का रिसाला “अन्वारुल बिशारह” पूरा इस में शामिल कर दिया है यानी मुतफ़र्रिक़ तौर पर मज़ामीन बल्कि इबारतें दाख़िले रिसाला हैं कि अव्वलन : तबरूक मक्सूद है ।
दुवुम : उन अल्फ़ाज़ में जो ख़ूबियां हैं फ़कीर से ना मुम्किन थीं लिहाज़ा इबारत भी न बदली ।

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 6, स. 203, मक्तबतुल मदीना)

सदरुशरीअह علیہ رحمۃ رب الوری **मसाइले शरइय्या को बहारे शरीअत** के 20 हिस्सों में समेटना चाहते थे मगर मुकम्मल न कर सके और इस के मुतअल्लिक़ आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ने “अर्जे हाल” में तफ़सील बयान की है और येह वसियत फ़रमाई है कि : “अगर मेरी औलाद या तलामिज़ा या इलमाए अहले सुन्नत में से कोई साहिब इस का क़लील हिस्सा जो बाक़ी रह गया है उस की तक्मील फ़रमाएं तो मेरी ऐन खुशी है ।” चुनान्चे, सदरुशरीअह علیہ رحمۃ رب الوری का ख़्वाब शर्मिन्दए ताबीर हुआ और इस के बक़िय्या तीन हिस्से भी छप कर मन्ज़रे आम पर आ चुके ।

इस तस्नीफ़ की एक ख़ूबी येह भी है कि आला हज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی ने बहारे शरीअत के दूसरे, तीसरे और चौथे हिस्से का मुतालआ फ़रमा कर जो कुछ तहरीर फ़रमाया था वोह पढ़ने के काबिल है, चुनान्चे आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ लिखते हैं : “اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ **मसाइले सहीहा रजीहा मुहक्क़ा मुनक्क़ा** पर मुश्तमिल पाया, आज कल ऐसी किताब की ज़रूरत थी कि अ़वाम भाई सलीस उर्दू में सहीह मसअले पाएं और गुमराही व अग़लात के मसूअ व मुलम्मअ ज़ेवरों की तरफ़ आंख न उठाएं ।”

जिस के दम से बहारे शरीअत मिली

ऐसे सत्रे शरीअत पे लाखों सलाम

अ़लिम बनाने वाली किताब

बहारे शरीअत जहेज़ एडीशन जदीद मत्बूआ मक्तबए रज़विय्या सफ़हा 12 पर है : ज़िगर गोशए **सदरुशरीअह** علیہ رحمۃ رب الوری, हज़रते अल्लामा मौलाना क़ारी मुहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा आज़मी مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي फ़रमाते हैं : **सदरुशरीअह** علیہ رحمۃ رب الوری ने बहारे शरीअत के साथ इस किताब का नाम “अ़लिम बनाने वाली किताब” भी रखा । जब इस किताब के सत्तरह हिस्से तस्नीफ़ हो गए तो **सदरुशरीअह** علیہ رحمۃ رب الوری ने फ़रमाया कि : बहारे शरीअत के छे हिस्से जिन में रोज़मर्रा के आम मसाइल हैं, इन छे हिस्सों का हर घर में होना ज़रूरी है ताकि अ़काइद, त़हारत, नमाज़, ज़कात, रोज़ा

पेशकश : मज़लिले अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

और हज के फ़िक्ही मसाइल आम फ़हम सलीस (यानी आसान) उर्दू ज़बान में पढ़ कर जाइज़ व ना जाइज़ की तफ़सील मालूम की जाए। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने भी बहारे शरीअत को **“आलिम बनाने वाली किताब”** तस्लीम किया है। चुनान्चे, मुहबिक्के अस् हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती अलहाज मुहम्मद निज़ामुद्दीन रज़वी **اِطَالِ اللّٰهُ عَمْرَهُ** (सद्र शोबए इफ़ता, दारुल उलूम अशरफ़िया मिस्बाहुल उलूम, मुबारक पुर, ज़िलअ आजमगढ़, यूपी, अल हिन्द) 28 जुमादल ऊला 1429 हि. को जारी कर्दा अपने एक फ़तवे में इरक़ाम (तहरीर) फ़रमाते हैं : “आज हमारे उर्फ़ में जिन हज़रात पर आलिम, फ़कीह, मुफ़्ती का इत्लाक़ होता है येह वोही लोग हैं जो कसीर फ़ुरूई मसाइल के हाफ़िज़ हों और फ़िक्ह के बेशतर ज़रूरी अब्बाब पर उन की नज़र हो, ताकि जब भी कोई मस्अला दरपेश हो समझ जाएं कि इस का हुक्म फुलां बाब में मिलेगा, फिर उसे निकाल कर बिगैर दूसरे के समझाए बख़ूबी समझ सकें और सहीह हुक्मे शर्ई बता सकें। बहारे शरीअत को **“आलिम बनाने वाली किताब”** इसी लिहाज़ से कहा जाता है कि जो शख़्स इसे अच्छी तरह समझ कर पढ़ ले और इस के मसाइले कसीरा को ज़ेहन नशीन कर ले तो वोह आलिम हो जाएगा कि वोह हाफ़िज़े फ़ुरूए कसीरा है।”

बहारे शरीअत के इस अज़ीम इल्मी ज़ख़ीरे को मुफ़ीद से मुफ़ीद तर बनाने के लिये इस पर दावते इस्लामी की मजलिस, अल मदीनतुल इल्मिय्या के मदनी उलमा ने तख़ीज व तस्हील और कहीं कहीं हवाशी लिखने की सई की है और मक्तबतुल मदीना से तब्बअ हो कर, ता दमे तहरीर इस के 1 ता 6 और सोलहवां हिस्सा मन्ज़रे आम पर आ चुके हैं। अब इब्तिदाई 6 हिस्सों को एक जिल्द में पेश किया जा रहा है। अल्लाह तआला दावते इस्लामी की इस ख़िदमत को क़बूल फ़रमाए और इस का नफ़अ आम फ़रमाए। **أَمِينُ بَحَاةِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

आला हज़रत के कमाले इल्म का अक्से जमील मज़हरे यक्ताई व तहक्कीको तम्कीने रज़ा

अहले सुन्नत का वकारो इफ़ितख़ार इस का वुजूद

इस की शख़्मियत पे नाज़ां हैं मुहिब्बीने रज़ा

तालिबे ग़मे मदीना

व बकीअ

व मग़िफ़रत



17 जुमादल आख़िरह 1429 हि.

نَزِيلُ الْأَمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَحِدَةِ

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

एक नज़र इधर श्री

“बहारे शरीअत” को तस्नीफ़ हुए तक़रीबन 79 साल हो चुके हैं। बाज़ नाशिरीन ने बहारे शरीअत में लिखी हुई अस्ल इम्ला को तब्दील कर के जदीद उर्दू में तब्दील कर दिया है। मगर हम ने इस में लिखी हुई इम्ला को बर क़रार रखने की कोशिश की है। ताकि “नक्ल मुताबिके अस्ल” के उसूल के तहत हो जाए। लेकिन फ़ी ज़माना इन अल्फाज़ का आम इस्तिमाल न होने की वजह से पढ़ने वाले को दुश्वारी पेश आ सकती थी। इस बात के पेशे नज़र शोबए तख़्वीज मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी) ने हत्तल मक़दूर ऐसे अल्फाज़ को एक जगह जम्अ कर के उन के सामने फ़ी ज़माना इस्तिमाल होने वाले अल्फाज़ को तहरीर कर दिया है . . .

नम्बर शुमार	क़दीम अल्फाज़	मुस्तामला जदीद अल्फाज़	नम्बर शुमार	क़दीम अल्फाज़	मुस्तामला जदीद अल्फाज़
1	तागा	धागा	11	नाज	अनाज
2	तरबुज़	तरबूज़	12	दहनी	दाहनी
3	परिन्द	परिन्दा	13	दहना	दाहना
4	सपेद	सफ़ेद	14	ज़ाइद	ज़ियादा
5	समझवाल	समझदार	15	ज़रूर	ज़रूरी
6	सूअर	सुवर	16	शुबहा	शुबा
7	तय्यार	तय्यार	17	मूंह	मुंह
8	कूआरी	कुंवारी	18	इकान्वे	इक्यान्वे
9	इकासी	इक्यासी	19	परोस	पड़ोस
10	पान सो	पांच सो	20	फूपी	फूफी

21	परवा	परवाह	32	ऊतरा	उतरा
22	दुवानी	दूनी	33	ज़न व शौ	ज़न व शौहर
23	ढकेल	धकेल	34	खात	खाद
24	कम्मल	कम्बल	35	यूहीं	यूंही
25	कीवाड़	किवाड़	36	ऊखाड़ने	उखाड़ने
26	मेंहदी	मेहंदी	37	ऊड़	उड़
27	ऊजाला	उजाला	38	ऊन्तीस	उन्तीस
28	ऊड़ाना	उड़ाना	39	ऊस	उस
29	ऊलटा	उल्टा	40	ऊठाएं	उठाएं
30	ऊन	उन	41	दिरम	दिरहम
31	फेर	फ़ाइर	★	★	★



बहारे शरीअत के पहले छे हिस्सों की इस्तिलाहात

हिस्सा अब्बल (1) की इस्तिलाहात

1	इल्मे जाती	वोह इल्म कि अपनी जात से बिगैर किसी की अता के हो (उसे “इल्मे जाती” कहते हैं), और येह सिर्फ अल्लाह ﷻ ही के साथ खास है। (माखूज अज फतावा रजविय्या, जि. 29, स. 503)
2	इल्मे अताई	वोह इल्म जो अल्लाह ﷻ की अता से हासिल हो, उसे “इल्मे अताई” कहते हैं। (माखूज अज फतावा रजविय्या, जि. 29, स. 503)
3	मोजिजा	नबी से बादे दावए नबुव्वत ख़िलाफ़े आदत सादिर होने वाली चीज़ को जिस से सब मुन्किरीन आजिज हो जाते हैं उसे मोजिजा कहते हैं। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 56)
4	मोहक़म	जिस के माना बिल्कुल जाहिर हों और वोही कलाम से मक्सूद हों, उस में तावील या तख़सीस की गुन्जाइश न हो और नस्ख़ या तब्दील का एहतिमाल न हो। (तफ़्सीरे नईमी, जि. 3, स. 250)
5	मुतशाबह	जिस की मुराद अक्ल में न आ सके और येह भी उम्मीद न हो कि रब तआला बयान फ़रमाए। (तफ़्सीरे नईमी, जि. 3, स. 250)
6	इल्हाम	वली के दिल में बाज़ वक़्त सोते या जागते में कोई बात इल्का होती है (यानी दिल में डाली जाती है), इस को इल्हाम कहते हैं। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 35)
7	वहिये शैतानी	जो शैतान की जानिब से काहिन, साहिर, कुफ़्फ़ार व फुस्साक के दिलों में डाली जाती है। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 36)
8	इरहास	नबी से जो बात ख़िलाफ़े आदत एलाने नबुव्वत से पहले जाहिर हो, उस को इरहास कहते हैं। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 58)
9	करामत	वली से जो बात ख़िलाफ़े आदत सादिर हो उस को करामत कहते हैं। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 58)
10	मऊनत	आम मोमिनीन से जो बात ख़िलाफ़े आदत सादिर हो उस को मऊनत कहते हैं। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 58)
11	इस्तिद्राज	बेबाक फुज्जार या कुफ़्फ़ार से जो बात उन के मुवाफ़िक़ जाहिर हो उस को इस्तिद्राज कहते हैं। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 58)

12	इहानत	बेबाक फुज्जार या कुफ़ार से जो बात उन के खिलाफ़ ज़ाहिर हो उस को इहानत कहते हैं । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 58)
13	शफ़ाअत बिल वजाहत	मुस्तशफ़अ इलैह (जिस से सिफ़ारिश की गई) की बारगाह में शफ़ाअत करने वाले को जो वजाहत (इज़ज़त और मर्तबा) हासिल है उस के सबब शफ़ाअत का क़बूल होना शफ़ाअत बिल वजाहत है । (माखूज़ अज़ शफ़ाअत मुस्वफ़ी तर्जुमे त्थिक्क़ि अलफ़तुय़ी फ़ी अइताल الطغوى، ص ८५)
14	शफ़ाअत बिल महबबत	वोह शफ़ाअत जिस की क़बूलियत का सबब मुस्तशफ़अ इलैह (जिस से सिफ़ारिश की गई) की शफ़ाअत करने वाले से महबबत है । (माखूज़ अज़ शफ़ाअत मुस्वफ़ी तर्जुमे त्थिक्क़ि अलफ़तुय़ी फ़ी अइताल الطغوى، ص १३५)
15	शफ़ाअत बिल इज़्ज	इस का माना येह है कि जिस के लिये शफ़ाअत की गई है, शफ़ाअत करने वाले को मुस्तशफ़अ इलैह के सामने उस की शफ़ाअत पेश करने की इजाज़त हो । (शफ़ाअत मुस्वफ़ी तर्जुमे त्थिक्क़ि अलफ़तुय़ी फ़ी अइताल الطغوى، ص १३०)
16	बरज़ख़	दुन्या और आख़िरत के दरमियान एक और आलम है जिस को बरज़ख़ कहते हैं । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 98)
17	ईमान	सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक़ करना जो ज़रूरिय्याते दीन से हैं, ईमान कहलाता है । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 172)
18	ज़रूरिय्याते दीन	इस से मुराद वोह मसाइले दीन हैं जिन को हर खासो आम जानते हों, जैसे अल्लाह ﷻ की वहदानिय्यत, अम्बिया ﷺ की नबुव्वत, जन्नत व दोज़ख़ वगैरा । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 172)
19	मातुरीदिय्या	अहले सुन्नत का वोह गुरौह जो फुरूई अक़ाइद में इमाम इल्मुल हुदा हज़रते अबू मन्सूर मातुरीदी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى का पैरौकार है वोह मातुरीदिय्या कहलाता है । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 179)
20	अशाइरा	अहले सुन्नत का वोह गुरौह जो फुरूई अक़ाइद में इमाम शैख़ अबुल हसन अशअरी رحمه الله تعالى का पैरौकार है वोह अशाइरा कहलाता है । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1 हिस्सा : 1, स. 179)
21	शिरक़	अल्लाह तबारक व तआला की ज़ातो सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना शिरक़ कहलाता है । (वक़ारुल फ़तावा, जि. 1, स. 270)
22	जिज़्या	वोह शर्ई महसूल जो इस्लामी हुकूमत अहले किताब से उन की जानो माल के तहफ़फ़ुज के इवज़ में वसूल करे । (माखूज़ अज़ तफ़्सीरे नईमी, जि. 10, स. 254)

23	तक्लीद	किसी के कौलो फ़ेल को अपने ऊपर लाज़िमे शर्ई जानना येह समझ कर कि उस का कलाम और उस का काम हमारे लिये हुज्जत है क्यूं कि येह शर्ई मुहक्क़क़ है, जैसे कि हम मसाइले शर्इय्या में इमामे आजम अबू हनीफ़ा رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ का कौलो फ़ेल अपने लिये दलील समझते हैं और दलाइले शर्इय्या में नज़र नहीं करते। (माखूज अज़ जाअल हक़, स. 22)
★ शर्ई मसाइल तीन तरह के हैं (1) अक़ाइद, इन में किसी की तक्लीद जाइज़ नहीं (2) वोह अहक़ाम जो सराहतन कुरआने पाक या हदीस शरीफ़ से साबित हों इज्तिहाद को उन में दख़ल नहीं, उन में भी किसी की तक्लीद जाइज़ नहीं। जैसे पांच नमाज़ें, नमाज़ की रकअतें, तीस रोज़े वगैरा (3) वोह अहक़ाम जो कुरआने पाक या हदीस शरीफ़ से इस्तिम्बात व इज्तिहाद कर के निकाले जाएं, उन में ग़ैरे मुज्ताहिद पर तक्लीद करना वाजिब है। (माखूज अज़ जाअल हक़, स. 25, 26)		
24	क़ियास	क़ियास का लुग़वी माना है अन्दाज़ा लगाना, और शरीअत में किसी फ़ुरूई मस्अले को अस्ल मस्अले से इल्लत और हुक्म में मिला देने को क़ियास कहते हैं। (माखूज अज़ जाअल हक़, स. 43)
25	बिद्अत	वोह एतिकाद या वोह आमाल जो कि हुज़ूर عَلَيْهِ السَّلَام के ज़मानए हयाते ज़ाहिरी में न हों बाद में ईजाद हुए। (जाअल हक़, स. 221)
26	बिद्अते मज़्मूमा	जो बिद्अत इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या किसी सुन्नत को मिटाने वाली हो, वोह बिद्अते सय्यिया (मज़्मूमा) है। (जाअल हक़, स. 226)
27	बिद्अते मक्रूहा	वोह नया काम जिस से कोई सुन्नत छूट जावे, अगर सुन्नते ग़ैर मुअक्क़दा छूटी तो येह बिद्अत मक्रूहे तन्ज़िही है और अगर सुन्नते मुअक्क़दा छूटी तो येह बिद्अत मक्रूहे तहरीमी है। (जाअल हक़, स. 228)
28	बिद्अते हराम	वोह नया काम जिस से कोई वाजिब छूट जावे, यानी वाजिब को मिटाने वाली हो (जाअल हक़, स. 228)
29	बिद्अते मुस्तहब्बा	वोह नया काम जो शरीअत में मन्अ न हो और उस को आम मुसलमान करे सवाब जानते हों या कोई शख़्स उस को निय्यते ख़ैर से करे, जैसे महफ़िले मौलाद वगैरा। (जाअल हक़, स. 226)
30	बिद्अते जाइज़ (मुबाह)	हर वोह नया काम जो शरीअत में मन्अ न हो और बिग़ैर किसी निय्यते ख़ैर के किया जावे। जैसे मुख़लिफ़ किस्म के खाने खाना वगैरा। (जाअल हक़, स. 226)
31	बिद्अते वाजिब	वोह नया काम जो शर्अन मन्अ न हो और उस के छोड़ने से दीन में हरज वाक़ेअ हो, जैसे कि कुरआन के एराब और दीनी मदरिस और इल्मे नह्व वगैरा पढ़ना। (जाअल हक़, स. 228)

32	ख़िलाफ़ते राशिदा	नबिय्ये करीम ﷺ के बाद ख़लीफ़ए बरहक़ व इमामे मुत्तलक़ हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिदीक़, फिर हज़रत उमरे फ़ारूक़, फिर हज़रत उस्माने ग़नी, फिर हज़रते मौला अली, फिर छे महीने के लिये हज़रत इमामे हसन मुत्तबा (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ) हुए, इन हज़रात को खुलफ़ाए राशिदीन और इन की ख़िलाफ़त को ख़िलाफ़ते राशिदा कहते हैं। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 241)
33	अशरए मुबश्शरा	वोह दस सहाबा जिन को सरकारे दो आलम ﷺ ने उन की ज़िन्दगी ही में उन को जन्नत की बिशारत दी। हज़रते अबू बक्र सिदीक़, हज़रत उमरे फ़ारूक़, हज़रत उस्माने ग़नी, हज़रते अलिय्युल मुर्तज़ा, हज़रते तल्हा बिन उबैदुल्लाह, हज़रते जुबैर बिन अल अव्वाम, हज़रते अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रते सअद बिन अबी वक्कास, हज़रते सईद बिन जैद, हज़रते अबू उबैदा बिन अल जर्हाह (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ) (फ़तावा रज़विय्या, जि. 29, स. 363)
34	ख़ताए मुकर्रर	येह वोह ख़ताए इज्तिहादी है जिस से दीन में कोई फ़ितना पैदा न होता हो, जैसे हमारे नज़्दीक़ मुक्तादी का इमाम के पीछे सूराए फ़तिहा पढ़ना। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 256)
35	ख़ताए मुन्कर	येह वोह ख़ताए इज्तिहादी है जिस के साहिब पर इन्कार किया जाएगा कि उस की ख़ता बाइसे फ़ितना है। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 1, स. 256)
36	नज़्र शर्ई	नज़्र इस्तिलाहे शर्अ में वोह इबादते मक्सूदा है जो जिन्से वाजिब से हो और वोह खुद बन्दे पर वाजिब न हो, मगर बन्दे ने अपने कौल से उसे अपने ज़िम्मे वाजिब कर लिया, और येह अल्लाह ﷻ के लिये खास है, इस का पूरा करना वाजिब है। (माखूज़ अज़ फ़तावा अमजदिय्या, हिस्सा : 2, स. 309, 312)
37	नज़्र लुग़वी (उफ़ी)	औलियाउल्लाह के नाम की जो नज़्र मानी जाती है उसे नज़्र लुग़वी कहते हैं, इस का माना नज़राना है, जैसे कि कोई अपने उस्ताद से कहे कि येह आप की नज़्र है, येह बिल्कुल जाइज़ है, येह बन्दों की हो सकती है, मगर इस का पूरा करना शर्अन वाजिब नहीं, मसलन ग्यारहवीं शरीफ़ की नज़्र और फ़तिहए बुजुर्गाने दीन वगैरा। (माखूज़ अज़ जाअल हक़, स. 314)

आलाम

1	खुर्दबीन	एक आला जिस के ज़रीए छोटी से छोटी चीज़ अपनी जसामत से कई गुना बड़ी नज़र आती है।
2	गोफन	रस्सी का बना हुवा हथियार जिस में पथ्थर या मिट्टी के गोले रख कर और हाथ से गर्दिश दे कर उस पथ्थर को हरीफ़ (दुश्मन) पर मारते हैं, मिन्जनीक़।
3	सहबा	एक जगह का नाम है।
4	संखों	कई सो पदम, सो खरब का एक नील होता है और सो नील का एक पदम और सो पदम का एक संख होता है।

हिस्सा २ (2) की इस्तिलाहात

1	इबादते मक्सूदा	वोह इबादत जो खुद बिज्जात मक्सूद हो किसी दूसरी इबादत के लिये वसीला न हो, मसलन नमाज़ वगैरा । (माखूज अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 1015)
2	इबादते गैर मक्सूदा	वोह इबादत जो खुद बिज्जात मक्सूद न हो बल्कि किसी दूसरी इबादत के लिये वसीला हो । (माखूज अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 1015)
3	फ़र्ज़	जो दलीले क़र्इ से साबित हो, यानी ऐसी दलील जिस में कोई शुबा न हो । (फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 203)
4	दलीले क़र्इ	वोह है जिस का सुबूत कुरआने पाक या हदीसे मुतवातिरा से हो । (फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 204)
5	फ़र्ज़े किफ़ायी	वोह होता है जो कुछ लोगों के अदा करने से सब की जानिब से अदा हो जाता है और कोई भी अदा न करे तो सब गुनाहगार होते हैं । जैसे नमाज़े जनाज़ा वगैरा । (वकारुल फ़तावा, जि. 2, स. 57)
6	वाजिब	वोह जिस की ज़रूरत दलीले ज़न्नी से साबित हो । (फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 204)
7	दलीले ज़न्नी	वोह है जिस का सुबूत कुरआने पाक या हदीसे मुतवातिरा से न हो, बल्कि अहदीसे उहाद या महज़ अक्वाले अइम्मा से हो । (फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 204)
8	सुन्ते मुअक्कदा	वोह है जिस को हुज़ूर ﷺ ने हमेशा किया हो, अलबत्ता बयाने जवाज़ के लिये कभी तर्क भी किया हो । (फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 204)
9	सुन्ते गैर मुअक्कदा	वोह अमल जिस पर हुज़ूर अक्दस ﷺ ने मुदावमत (हमेशगी) नहीं फ़रमाई, और न उस के करने की ताकीद फ़रमाई लेकिन शरीअत ने उस के तर्क को ना पसन्द जाना हो और आप ﷺ ने वोह अमल कभी किया हो । (माखूज अज़ बहारे शरीअत, जि. 1 हिस्सा : 2, स. 283 व फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 204)
10	मुस्तहब	वोह कि नज़रे शर्अ में पसन्द हो मगर तर्क पर कुछ ना पसन्दी न हो, ख़्वाह खुद हुज़ूर अक्दस ﷺ ने उसे किया या उस की तरगीब दी या ज़लमाए किराम ने पसन्द फ़रमाया, अगर्चे अहदीसे में उस का ज़िक्र न आया । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 2, स. 283)
11	मुबाह	वोह जिस का करना और न करना यक्सां हो । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 2, स. 283)
12	हरामे क़र्इ	जिस की मुमानअत दलीले क़र्इ से लुज़ूमन साबित हो, येह फ़र्ज़ का मुक़ाबिल है । (रुक्ने दीन, स. 4, व बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 2, स. 283)

26	मुबाशरते फ़ाहिशा	मर्द अपने आले को तुन्दी की हालत में औरत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाए। या औरत, औरत बाहम मिलाएं बशर्ते कि कोई शै हाइल न हो। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 2, स. 309)
27	आबे जारी	वोह पानी जो तिन्के को बहा कर ले जाए। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 2, स. 330)
28	नजासते मरइय्या	वोह नजासत जो खुश्क होने के बाद भी दिखाई दे। जैसे पाख़ाना। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 2, स. 331, 332)
29	नजासते ग़ैर मरइय्या	वोह नजासत जो खुश्क होने के बाद दिखाई न दे। जैसे पेशाब। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 2, स. 331, 332)
30	माए मुस्तामल	वोह क़लील पानी जिस से हृदस दूर किया गया हो या दूर हुवा हो या ब निय्यते तक़्रूब इस्तिमाल किया गया हो, और बदन से जुदा हो गया हो अगर कहीं ठहरा नहीं रवानी ही में हो। (नुज़्हतुल क़ारी, जि. 2, स. 59)
31	इस्तिब्रा	पेशाब करने के बाद कोई ऐसा काम करना कि अगर कोई क़तरा रुक हो तो गिर जाए। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 2, स. 412)
32	हृदसे असग़र	जिन चीज़ों से सिर्फ़ वुजू लाज़िम होता है उन को हृदसे असग़र कहते हैं। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 2, स. 282)
33	हृदसे अक्बर	जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो उन को हृदसे अक्बर कहते हैं। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 2, स. 282)

आलाम

1	नासूर	वोह ज़ख़्म जो हमेशा रिस्ता रहता है। और अच्छा नहीं होता, जिस्म में गहरा सूरख़।
2	किल्ली	चिचड़ी (एक कीड़ा जो गाय, भैंस वगैरा का खून चूसता है)।
3	जोंक	पानी का सुर्ख़ और सियाह रंग का एक कीड़ा जो बदन से चिमट जाता है और खून चूसता है।
4	छचूंदर	एक किस्म का चूहा जो रात के वक़्त निकलता है।
5	ज़बरजद	एक सब्ज़ रंग का ज़र्दी माइल पथ्थर।
6	फ़ीरोज़ा	एक पथ्थर जो सब्ज़ नीला होता है।
7	अक्कीक	एक सुर्ख़, ज़र्द और सफ़ेद रंग का कीमती पथ्थर।
8	जुमुरूद	सब्ज़ रंग का कीमती पथ्थर
9	याकूत	एक कीमती पथ्थर जो सुर्ख़, सब्ज़, ज़र्द और नीले रंग का होता है।
10	अम्बर	एक ठोस माद्दा जो बारीक पीसने के बाद महक्ता है या आग पर डालने से खुश्बू निकलती है।
11	काफूर	सफ़ेद रंग का शफ़फ़ाफ़ माद्दा जो एक खुश्बूदार दरख़्त से निकाला जाता है।

12	लोबान	एक किस्म का गोंद जो आग पर रखने से खुशबू देता है ।
13	सीसा	एक धात का नाम जो रांग की किस्म से है ।
14	रांग	एक नर्म धात जिस से जुरूफ़ (बरतनों) पर क़लई की जाती है ।
15	पीलू	एक दरख़्त का नाम जिस की जड़ और शाखों से मिस्वाक बनाते हैं ।
16	बरस	एक बीमारी है जिस की वजह से जिस्म पर सफ़ेद धब्बे पैदा हो जाते हैं ।
17	किरमिच	एक किस्म का टाट ।
18	सूताली	मोची का एक औज़ार जिस से चमड़े में सूराख़ करते हैं और उस के कटाव में सूत या चमड़े की डोरी डाल कर सीते हैं ।
19	ताड़ी	एक सफ़ेदी माइल रस जो ताड़ के दरख़्त से टपकता है ।
20	ताड़	खजूर के दरख़्त की मानिन्द एक लम्बे दरख़्त का नाम जिस से ताड़ी निकलती है ।
21	जिरयान	एक बीमारी का नाम ।
22	बहरी	शाहीन की तरह एक शिकारी परिन्दा जो अक्सर कबूतरों का शिकार करता है और शाहीन के बर ख़िलाफ़ नीचे से बुलन्द हो कर शिकार को ऊपर से पकड़ता है ।
23	काज़	एक आबी परिन्दा जिस का रंग ख़ाकी और टांगें पिंडलियों समेत लम्बी होती हैं ।
24	शोरा	सफ़ेद रंग का एक मुक्कब जो पानी को ठन्डा करता है और बारूद में इस्तिमाल होता है । नमकीन होता है ।
25	गन्धक	जर्द रंग का एक माद्दा जो ज़मीन से निकलता है ।
26	घोंगे	एक किस्म के दरियाई कीड़े का ख़ौल जो हड्डी की मानिन्द सीपी या संख की किस्म से है ।
27	सीप	एक किस्म की दरियाई मख़्लूक जिस के अन्दर से मोती निकलते हैं ।
28	ज़ाफ़रान	एक खुशबूदार पौदा जिस के फूल परपल रंग के होते हैं ।
29	मुश्क	वोह खुशबूदार सियाह रंग का माद्दा जो हिरन की नाफ़ से निकलता है ।
30	खटाई	मैल काटने के लिये तेज़ाब मिला हुवा पानी ।
31	कली	मुसल्लसी तराश का कपड़ा जो पाजामों और अंगूरखों में डालते हैं ।
32	गिलट	एक सफ़ेद नीलगूँ मुक्कब धात जो क़लई और तांबे को मिला कर तय्यार की जाती है ।
33	सेंधा	पहाड़ी नमक ।

34

नारु

एक मरज का नाम जिस में आदमी के बदन पर दाने दाने हो कर उन में से धागा निकला करता है।

हिस्सए सिवुम (3) की इस्तिलाहात

1	मुरतद	वोह शख्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो जरूरिय्याते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमए कुफ़्र बके जिस में तावीले सहीह की गुन्जाइश न हो। यूँही बाज़ अफ़आल भी ऐसे हैं जिन से काफ़िर हो जाता है मसलन बुत को सज्दा करना, मुस्हफ़ शरीफ़ को नजासत की जगह फेंक देना। (बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 9, स. 455)
2	शफ़क़	शफ़क़ हमारे मज़हब में उस सपेदी का नाम है जो जानिबे मगरिब में सुर्खी डूबने के बाद जुनूबन शिमालन सुब्हे सादिक़ की तरह फैली हुई रहती है। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 451)
3	सुब्हे सादिक़	एक रोशनी है कि मशरिक़ की जानिब जहां से आज आफ़ताब तुलूअ होने वाला है उस के ऊपर आस्मान के कनारे में जुनूबन शिमालन दिखाई देती है और बढ़ती जाती है, यहां तक कि तमाम आस्मान पर फैल जाती है और ज़मीन पर उजाला हो जाता है। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 447)
4	सुब्हे काज़िब	सुब्हे सादिक़ से पहले आस्मान के दरमियान में एक दराज़ सफ़ेदी ज़ाहिर होती है जिस के नीचे सारा उफ़ुक़ सियाह होता है, फिर ये सफ़ेदी सुब्हे सादिक़ की वजह से गाइब हो जाती है, इसे सुब्हे काज़िब कहते हैं। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 448)
5	सायए अस्ली	वोह साया जो निस्फुन्नहार के वक़्त (हर चीज़ का) होता है। (फ़तावा अमजदिय्या, हिस्सा : 1, स. 47)
6	निस्फुन्नहारे शर्ई	तुलूए सुब्हे सादिक़ से गुरुबे आफ़ताब तक के निस्फ़ को निस्फुन्नहारे शर्ई कहते हैं। (फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 85)
7	निस्फुन्नहारे हकीकी (उफ़ी)	तुलूए आफ़ताब से गुरुबे आफ़ताब तक के निस्फ़ को निस्फुन्नहारे हकीकी कहते हैं। (फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 85)
8	ज़हूवए कुब्रा	निस्फुन्नहारे शर्ई को ही ज़हूवए कुब्रा कहते हैं। (फ़तावा फ़कीहे मिल्लत, जि. 1, स. 85)
9	वक़्ते इस्तवा	निस्फुन्नहार का वक़्त यानी इस से मुराद ज़हूवए कुब्रा से ले कर ज़वाल तक पूरा वक़्त मुराद है। (फ़तावा रजविय्या, जि. 5, स. 126, हाशिया फ़तावा अमजदिय्या, हिस्सा : 1, स. 49)
10	ख़त्ते इस्तवा	वोह फ़र्ज़ी दाएरा जो ज़मीन के बीचो बीच कुत्बों से बराबर फ़ासिले पर मशरिक़ से मगरिब की तरफ़ खींचा हुआ माना गया है, जब सूरज इस ख़त्त पर आता है तो दिन रात बराबर होते हैं। (माखूज़ उर्दू लुग़त, जि. 8, स. 597)
11	अर्जे बलद	ख़त्ते इस्तवा से किसी बलद (शहर) की करीब तरीन दूरी को अर्जे बलद कहते हैं।

12	मिस्ले अव्वल	किसी चीज़ का साया, सायए अस्ली के इलावा उस चीज़ के एक मिस्ल हो जाए।
13	मिस्ले सानी	किसी चीज़ का साया, सायए अस्ली के इलावा उस चीज़ के दो मिस्ल हो जाए।
14	अवकाते मक्रूहा	येह तीन हैं, तुलूए आफ़ताब से ले कर बीस मिनट बाद तक, गुरुबे आफ़ताब से बीस मिनट पहले और निस्फुन्नहार यानी ज़ह्वए कुब्रा से ले कर ज़वाल तक। (नमाज़ के अहकाम स. 197)
15	साहिबे तरतीब	वोह शख्स जिस की बुलूग़त के बाद से लगातार पांच फ़र्ज़ नमाज़ों से ज़ाइद कोई नमाज़ क़ज़ा न हुई हो। (माखूज़ अज़ लुगतुल फ़क़हा, स. 269)
16	तस्वीब	मुसलमानों को अज़ान के बाद नमाज़ के लिये दोबारा इत्तिलाअ देना तस्वीब है। (माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 5, स. 361)
17	शर्त	वोह शै जो हकीकते शै में दाख़िल न हो लेकिन उस के बिग़ैर शै मौजूद न हो, जैसे नमाज़ के लिये वुजू वग़ैरा। (माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 786)
18	खुन्सा मुश्किल	जिस में मर्द व औरत दोनों की अलामतें पाई जाएं और येह साबित न हो कि मर्द है या औरत। (बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 7, स. 4)
19	रुकन	वोह चीज़ है जिस पर किसी शै का वुजूद मौकूफ़ हो और वोह खुद उस शै का हिस्सा और जुज़ हो, जैसे नमाज़ में रुकूअ वग़ैरा। (माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 786)
20	खुरूजे बिसुन्दीही	कादए अख़ीरा के बाद सलाम व कलाम वग़ैरा कोई ऐसा फ़ैल जो मुनाफ़िये नमाज़ हो ब क़स्द करना। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 516)
21	तादीले अरकान	रुकूओ सुजूद व क़ौमा व जल्सा में कम अज़ कम एक बार الله سبحانه कहने की क़दर ठहरना। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 518)
22	क़ौमा	रुकूअ के बाद सीधा खड़ा होना। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 518)
23	जल्सा	दोनों सज्दों के दरमियान सीधा बैठना। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 518)
24	मुहाले आदी	वोह शै जिस का पाया जाना आदत के तौर पर ना मुम्किन हो उसे मुहाले आदी कहते हैं, मसलन किसी ऐसे शख्स का हवा में उड़ना जिस को आदतन उड़ते न देखा गया हो। (देखिये तफ़सील अल मोतक़दुल मुन्तक़द, स. 28 ता 32)
25	मुहाले शर्ई	वोह शै जिस का पाया जाना शर्ई तौर पर ना मुम्किन हो उसे मुहाले शर्ई कहते हैं, मसलन काफ़िर का जन्नत में दाख़िल होना वग़ैरा। (देखिये तफ़सील अल मोतक़दुल मुन्तक़द, स. 28 ता 32)

26	तिवाले मुफ़स्सल	सूरए हुजुरात से सूरए बुरुज तक तिवाले मुफ़स्सल कहलाता है। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 546)
27	अवसाते मुफ़स्सल	सूरए बुरुज से सूरए لَم یکن तक अवसाते मुफ़स्सल कहलाता है। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 546)
28	किसारे मुफ़स्सल	सूरए لَم یکن से आखिर तक किसारे मुफ़स्सल कहलाता है। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 546)
29	इदग़ाम	एक साकिन हर्फ़ को दूसरे मुतहर्रिक हर्फ़ में इस तरह मिलाना कि दोनों हुरूफ़ एक मुशदद हर्फ़ पढ़ा जाए। (इल्मुतज्जीद, स. 41)
30	तरख़ीम	मुनादा के आखिरी हर्फ़ को तख़्फ़ीफ़न गिरा देना तरख़ीम कहलाता है। (माखूज अज़ तस्हीलुल ख़ौस, स. 74)
31	गुन्ना	नाक में आवाज़ ले जा कर पढ़ना। (इल्मुतज्जीद, स. 38)
32	इज़हार	हर्फ़ को उस के मख़ज से बिगैर किसी तग़य्युर के और गुन्ना के अदा करने को कहते हैं। (इल्मुतज्जीद, स. 40)
33	इख़फ़ा	इज़हार और इदग़ाम की दरमियानी हालत। (इल्मुतज्जीद, स. 41)
34	मद व लीन	الف, واو, ی, ساकिन और क़ब्ल की हरकत मुवाफ़िक़ हो (यानी واو के पहले पेश, ی के पहले ज़ेर और الف के पहले ज़बर हो) तो उस को मद कहते हैं जब कि واو और ی साकिन के पहले ज़बर हो तो उस को लीन कहते हैं।
35	आरियत	दूसरे शख़्स को अपनी किसी चीज़ की मन्फ़अत का बिगैर इवज़ मालिक कर देना आरियत है। (माखूज अज़ बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 14, स. 54)
36	मुदरिक	जिस ने अव्वल रकअत से तशहहुद तक इमाम के साथ (नमाज़) पढ़ी अगर्चे पहली रकअत में इमाम के साथ रुकूअ ही में शरीक हुवा हो। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 588)
37	लाहिक़	वोह कि (जिस ने) इमाम के साथ पहली रकअत में इक्तिदा की मगर बादे इक्तिदा उस की कुल रकअतें या बाज़ फ़ौत हो गई। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 588)
38	मस्बूक़	वोह है कि इमाम की बाज़ रकअतें पढ़ने के बाद शामिल हुवा और आखिर तक शामिल रहा। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 588)
39	लाहिक़ मस्बूक़	वोह है जिस को कुछ रकअतें शुरूअ में न मिलीं, फिर शामिल होने के बाद लाहिक़ हो गया। (माखूज अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 3, स. 588)
40	तक्बीराते तशरीक़	अरफ़ा यानी नवीं जुल हिज्जतुल हराम की फ़ज्र से तेरहवीं की अस् तक हर फ़र्ज नमाज़ के बाद बुलन्द आवाज़ के साथ एक बार اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ पढ़ना। (माखूज अज़ नमाज़ के अहक़ाम, स. 447)

41	अमले कलील	जिस काम के करने वाले को दूर से देखने वाला इस शको शुबा में पड़ जाए कि येह नमाज़ में है या नहीं तो अमले कलील है । (२१२, २७, २८, २९)
42	अमले कसीर	जिस काम के करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगे कि येह नमाज़ में नहीं है बल्कि गुमान भी ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं है तब अमले कसीर है । (درمختار مع ردالمحتار, ج २, ص २१२, २१५)
43	तस्फ़ीक़	सीधे हाथ की उंगलियां उल्टे हाथ की पुश्त पर मारने को तस्फ़ीक़ कहते हैं । (ماغ़ो़ज़ा़در مختار مع ردالمحتار, ج २, ص २८१)
44	एतिजार	सर पर रूमाल या इमामा इस तरह से बांधना कि दरमियान का हिस्सा नंगा रहे तो येह एतिजार है । (نورالایضاح, ص ११)
45	इस्बाल	तहबन्द या पाइंचे का टख़्नों से नीचे खुसूसन ज़मीन तक पहुंचते रखना इस्बाल कहलाता है । (माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 21, स. 376)

आलाम

1	गुले खैरू	एक नीले रंग का फूल जो बतौरै दवा इस्तिमाल होता है ।
2	कुशतों	जवाहिरात या पारे की फुन्की हुई शकल जो राख हो जाती है और उसे बतौरै दवा इस्तिमाल किया जाता है ।
3	गोंद	एक किस्म का लेसदार माद्दा जो दरख़्तों से निकलता है ।
4	मिर्गी	एक आसाबी मरज़ जिस में आदमी अचानक ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और मुंह से झाग निकलता है ।
5	चांदनी	वोह सफ़ेद चादर जो दरी पर बिछाई जाती है ।
6	साएबान	मकान या ख़ैमे के आगे धूप और बारिश से बचने के लिये टीन की चादरें या फूस (खुश्क घास) का छप्पर ।
7	अंगूरखे	एक लम्बा मर्दाना लिबास जिस के दो हिस्से होते हैं, चोली और दामन ।
8	साड़ियां	साड़ी की जम्अ, एक किस्म की लम्बी धोती जिसे औरतें आधी बांधती और आधी ओढ़ती हैं ।
9	बानों	मूंज (एक किस्म की घास) वगैरा की रस्सी जिस से चारपाई बुनते हैं ।

10

बल्गार

एक मुल्क का नाम है, इस के बाज़ अलाकों में साल में कुछ रातें ऐसी होती हैं जिन में इशा का वक़्त आता ही नहीं और बाज़ दिनों में सेकन्डों और मिनटों के लिये होता है।

हिश्शउ चहारुम (4) की इस्तिलाहात

1	शुफ़्फ़ अक्वल शुफ़्फ़ सानी	चार रकअत वाली नमाज़ की पहली दो रकअतों को शुफ़्फ़ अक्वल और आखिरी दो को शुफ़्फ़ सानी कहते हैं। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 669)
2	अल मारूफ़ कल मशरूत	येह फ़िक्ह का एक काइदा है कि मारूफ़ मशरूत की तरह है यानी जो चीज़ मशहूर हो वोह तै शुदा मुआमले का हुक्म रखती है। (माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 19, स. 528)
3	अल माहदु कल मशरूत	येह फ़िक्ह का एक काइदा है कि माहदु मशरूत की तरह है यानी जो बात सब के ज़ेहन में हो वोह तै शुदा मुआमले का हुक्म रखती है। (माखूज़ अज़ वकारुल फ़तावा, जि. 1, स. 193)
4	वतने अस्ली	वतने अस्ली से मुराद किसी शख्स की वोह जगह है जहां उस की पैदाइश है या उस के घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत कर ली और येह इरादा है कि यहां से न जाएगा। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 750)
5	वतने इक़ामत	वोह जगह है कि मुसाफ़िर ने पन्दरह दिन या इस से ज़ियादा ठहरने का वहां इरादा किया हो। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 751)
6	शैखे फ़ानी	वोह बूढ़ा जिस की उम्र ऐसी हो गई कि अब रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होता जाएगा, जब वोह रोज़ा रखने से अज़िज़ हो यानी न अब रख सकता है न आइन्दा उस में इतनी ताक़त आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा (तो शैखे फ़ानी है)। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 1006)
7	मुकातब	आका अपने गुलाम से माल की एक मिक्दार मुक़रर कर के येह कह दे कि इतना अदा कर दे तो आज़ाद है और गुलाम उस को क़बूल भी कर ले तो ऐसे गुलाम को मुकातब कहते हैं। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 9, स. 292)
8	अय्यामे तशरीक़	यौमे नहर (कुरबानी) यानी दस जुल हिज्जा के बाद के तीन दिन (11,12,13) को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं। (روايت في ح. 3, ج. 1)
9	साहिबैन	फ़िक्हे हनफ़ी में इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद رحمۃ اللہ علیہ को साहिबैन कहते हैं। (कुतुबे फ़िक्ह)
10	अस्हाबे फ़राइज़	इस से मुराद वोह लोग हैं जिन का मुअय्यन हिस्सा कुरआनो हदीस में बयान कर दिया गया है। उन को अस्हाबे फ़राइज़ कहते हैं। (तफ़सील के लिये देखिये बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 20, स. 1114)

11	असबा	इस से मुराद वोह लोग हैं जिन का हिस्सा मुकरर नहीं, अलबत्ता अस्हाबे फ़राइज़ को देने के बाद बचा हुवा माल लेते हैं और अगर अस्हाबे फ़राइज़ न हों तो मय्यित का तमाम माल इन्ही का होता है। (तफ़्सील के लिये देखिये बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 20, स. 1130)
12	जविल अरहाम	क़रीबी रिश्तेदार, इस से मुराद वोह रिश्तेदार हैं जो न तो अस्हाबे फ़राइज़ में से हैं और न ही असबात में से हैं। (तफ़्सील के लिये देखिये बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 20, स. 1161)
13	लहद	क़ब्र खोद कर उस में क़िब्ले की तरफ़ मय्यित के रखने की जगह बनाने को लहद कहते हैं। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 843)
14	शुफ़आ	ग़ैर मन्कूल जाएदाद को किसी शख्स ने जितने में ख़रीदा उतने ही में उस जाएदाद के मालिक होने का हक़ जो दूसरे शख्स को हासिल हो जाता है उस को शुफ़आ कहते हैं। (बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 15, स. 233)
15	जमाअते नवाफ़िल बित्तदाई	तदाई का लुग़वी माना है एक दूसरे को बुलाना, जम्अ करना। और तदाई के साथ जमाअत का मतलब है कि कम अज़ कम चार आदमी एक इमाम की इक़्तिदा करें। (देखिये तफ़्सील फ़तावा रज़विय्या, जि. 7, स. 430, 437)
16	दारुल हर्ब	वोह दार जहां कभी सल्तनते इस्लामी न हुई या हुई और फिर ऐसी ग़ैर क़ौम का तसल्लुत हो गया जिस ने शआइरे इस्लाम मिस्ल जुमुआ व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअत यक लख़्त उठा दिये और शआइरे कुफ़्र जारी कर दिये, और कोई शख्स अमाने अव्वल पर बाक़ी न रहे और वोह जगह चारों तरफ़ से दारुल इस्लाम में घिरी हुई नहीं तो वोह दारुल हर्ब है। (माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 16, स. 316, जि. 17, स. 367)
★ दारुल इस्लाम के दारुल हर्ब होने की शराइत : दारुल इस्लाम के दारुल हर्ब होने की तीन शर्तें हैं (1) अहले शिर्क के अहक़ाम अलल एलान जारी हों और इस्लामी अहक़ाम बिल्कुल जारी न हों (2) दारुल हर्ब से उस का इत्तिसाल हो जाए (3) कोई मुस्लिम या जिम्मी अमाने अव्वल पर बाक़ी न हो। (फ़तावा अमजदिय्या, हिस्सा : 3, स. 232)		
17	दारुल इस्लाम	वोह मुल्क है कि फ़िल्हाल उस में इस्लामी सल्तनत हो या अब नहीं तो पहले थी और ग़ैर मुस्लिम बादशाह ने उस में शआइरे इस्लाम मिस्ल जुमुआ व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअत बाक़ी रखे हों तो वोह दारुल इस्लाम है। (फ़तावा रज़विय्या, जि. 17, स. 367)
18	सलातुल अव्वाबीन	नमाज़े मग़रिब के बाद छे रकअत नफ़ल पढ़ना। (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 666)

19	तहिय्यतुल मस्जिद	किसी शख्स का मस्जिद में दाखिल हो कर बैठने से पहले दो या चार रकअत नमाज़ पढ़ना । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 674)
20	तहिय्यतुल वुजू	वुजू के बाद आज्ञा खुशक होने से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़ना । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 675)
21	नमाज़े इश्राक़	फ़ज़्र की नमाज़ पढ़ कर सूरज तुलूअ होने के कम अज़ कम 20 मिनट बाद दो रकअत नफ़ल अदा करना ।
22	नमाज़े चाशत	आफ़ताब बुलन्द होने से ज़वाल यानी निस्फुन्नहारे शरई तक दो या चार या बारह रकअत नवाफ़िल पढ़ना । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 675,676)
23	नमाज़े वापसिये सफ़र	सफ़र से वापस आ कर मस्जिद में दो रकअतें अदा करना । (माखूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 677)
24	सलातुल्लैल	एक रात में बाद नमाज़े इशा जो नवाफ़िल पढ़े जाएं उन को सलातुल्लैल कहते हैं । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 677)
25	नमाज़े तहज्जुद	नमाज़े इशा पढ़ कर सोने के बाद सुब़्हे सादिक़ तुलूअ होने से पहले जिस वक़्त आंख खुले उठ कर नवाफ़िल पढ़ना नमाज़े तहज्जुद है । (माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 7, स. 446)
26	नमाज़े इस्तिख़ारा	जिस काम के करने न करने में शक हो उस को शुरूअ करने से पहले दो रकअत नफ़ल पढ़ना फिर दुआए इस्तिख़ारा करना । (देखिये तफ़सील बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 681,682)
27	सलातु तस्बीह	चार रकअत नफ़ल जिन में तीन सो मर्तबा سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ पढ़ा जाता है । (देखिये तफ़सील बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 683)
28	नमाज़े हाजत	कोई अहम मुआमला दरपेश हो तो उस की खातिर मख़सूस तरीक़े के मुताबिक़ दो या चार रकअत नमाज़ पढ़ना । (देखिये तफ़सील बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 685)
29	सलातुल असरार (नमाज़े ग़ौसिय्या)	ग़ौसे आज़म رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मन्कूल दो रकअत नमाज़ जो मग़रिब के बाद किसी हाजत के लिये पढ़ी जाए । (देखिये तफ़सील बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 686)
30	नमाज़े तौबा	तौबा व इस्तिग़्फ़ार की खातिर नवाफ़िल अदा करना । (देखिये तफ़सील बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 687)

31	मलातुगांड	रजब की पहली शबे जुमुआ बाद नमाजे मगरिब के बारह रकअत नफल मख्सूस तरीके से अदा करना । (देखिये तफ्सील रुक्ने दीन, स. 135)
32	सज्दए शुक्र	किसी नेमत के मिलने पर सज्दा करना । (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 4, स. 738)

आलाम

1	मेहरगान (मेहरजान)	माहे मेहर (सातवां शम्सी महीना) का सोलहवां दिन, बाज जगह इक्कीस्वां दर्ज है जिस में पारसी (ईरानी) जशन मनाते हैं जो छे दिन तक जारी रहता है ।
2	नैरोज (नौ रोज)	ईरानी शम्सी साल का पहला दिन, येह ईरानियों की ईद का दिन है ।
3	शोर	वोह जमीन जिस में नमक या शोरा हो, न क़ाबिले ज़िराअत ज़मीन
4	खुर्पी	छोटा खुर्पा (घास खोदने का आला) ।
5	गोखुरू	जंग का एक हथियार है जो लोहे वगैरा से बना कर मैदाने जंग में बिछा देते हैं, उस पर आदमी या घोड़ा चले तो उस के पाउं में घुस जाते हैं ।
6	सिल	एक बीमारी का नाम है ।
7	पोस्तीन	खाल का कोट, चमड़े का चुगा
8	ज़िरह	फ़ौलाद का जालीदार कुर्ता जो लड़ाई में पहनते हैं ।
9	ख़ौद	लोहे की टोपी जो लड़ाई में पहनते हैं ।
10	फवड़े (फावड़े)	कुदाल, बेलचा, मिट्टी खोदने का आहनी आला ।
11	कोलू (कोलुहू)	तेल या रस बेलने का आला ।
12	बेसन	चने का आटा, येह पहले बतौर साबुन इस्तिमाल होता था ।
13	कुसुम	एक फूल जिस से शहाब यानी गहरा सुर्ख रंग निकलता है और उस से कपड़े रंगे जाते हैं ।

हिस्सह पन्जुम (5) की इस्तिलाहात

1	हाजते अस्लिय्या	जिन्दगी बसर करने में आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वोह हाजते अस्लिय्या है, मसलन रहने का मकान, ख़ानादारी का सामान वगैरा । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 880)
2	साइमा	वोह जानवर है जो साल के अक्सर हिस्से में चर कर गुज़ारा करता हो और उस से मक्सूद सिर्फ़ दूध और बच्चे लेना या फ़रबा करना हो । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 892)
3	समन	बाएअ और मुश्तरी आपस में जो तै करें उसे समन कहते हैं । (रहुल मुह्तार जि. 7, स. 117, माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 184)
4	क़ीमत	किसी चीज़ की वोह हैसियत जो बाज़ार के निख़ के मुताबिक़ हो उसे क़ीमत कहते हैं । (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 184)
5	वक्फ़	किसी शै को अपनी मिल्क से ख़ारिज कर के ख़ालिस अल्लाह ﷻ की मिल्क कर देना इस तरह कि उस का नफ़अ बन्दगाने खुदा में से जिस को चाहे मिलता रहे । (बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 10, स. 523)
6	साअ	एक साअ तक्रीबन 4 किलो 100 ग्राम का होता है और निस्फ़ यानी आधा साअ 2 किलो 50 ग्राम का होता है ।
7	रित्ल	बीस इस्तार का होता है । (फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 296)
8	इस्तार	साढ़े चार मिस्क़ाल का होता है । (फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 296)
9	मिस्क़ाल	साढ़े चार माशा का वज़न । (फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 296)
10	माशा	आठ रत्ती का वज़न । (फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 298)
11	रत्ती	आठ चावल का वज़न । (फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 298)
12	तोला	बारह माशे का वज़न । (फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 296)
13	त़लाके बाइन	वोह त़लाक़ जिस की वजह से औरत मर्द के निकाह से फ़ौरन निकल जाती है । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 8, स. 111)
14	खुलअ	औरत से कुछ माल ले कर उस का निकाह ज़ाइल कर देना खुलअ कहलाता है । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 8, स. 194)

15	दैने कवी	वोह दैन जिसे उर्फ में दस्त गर्दा कहते हैं जैसे कर्ज, माले तिजारत का समन वगैरा । (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 905)
16	दैने मुतवस्सित	वोह दैन जो किसी माले गैरे तिजारती का बदल हो, मसलन घर का गल्ला या कोई और शै हाजते अस्लिया की बेच डाली और उस के दाम खरीदार पर बाकी हैं । (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 906)
17	दैने जईफ	वोह दैन जो गैरे माल का बदल हो, मसलन बदले खुलअ वगैरा । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 906)
18	आशिर	जिसे बादशाहे इस्लाम ने रास्ते पर मुकर्रर कर दिया हो कि तुज्जार जो अम्वाल ले कर गुज्रें, उन से सदकात वसूल करे । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 909)
19	इजारा	किसी शै के नफअ का इवज के मुकाबिल किसी शख्स को मालिक कर देना इजारा है । (बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 14, स. 107)
20	इजारए फ़ासिद	इस से मुराद वोह अक्दे फ़ासिद है जो अपनी अस्ल के लिहाज से मुवाफ़िके शर्अ हो मगर उस में कोई वस्फ़ ऐसा हो जिस की वजह से (अक्द) न मशरूअ हो, मसलन मकान किराए पर देना और मरम्मत की शर्त मुस्ताजिर (उजरत पर लेने वाले) के लिये लगाना, येह इजारए फ़ासिद है । (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 14, स. 140,142)
21	खियारे शर्त	बाएअ और मुशतरी का अक्द में येह शर्त करना कि अगर मन्जूर न हुवा तो बैअ बाकी न रहेगी, इसे खियारे शर्त कहते हैं । (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 11, स. 647)
22	दैने मीआदी	ऐसा कर्ज जिस के अदा करने का वक्त मुकर्रर हो । (माखूज अज फ़तावा रजविय्या, जि. 10, स. 247)
23	दैने मुअज्जल	वोह कर्ज जिस में कर्ज दहिन्दा (कर्ज देने वाले) को हर वक्त मुतालबे का इख़्तियार होता है । (माखूज अज फ़तावा रजविय्या, जि. 10, स. 247)
24	अय्यामे मन्हिय्या	यानी ईदुल फ़ित्र, ईदुल अज्हा और ग्यारह, बारह, तेरह जुल हिज्जा के दिन कि इन में रोज़ा रखना मन्अ है, इसी वजह से इन्हें अय्यामे मन्हिय्या कहते हैं । (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 1015)
25	अय्यामे बीज	चांद की 13,14,15 तारीख़ के दिन । (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 1012)
26	खियारे रूयत	मुशतरी का बाएअ से कोई चीज़ बिगैर देखे खरीदना और देखने के बाद उस चीज़ के पसन्द न आने पर बैअ के फ़स्ख़ (ख़त्म) करने के इख़्तियार को खियारे रूयत कहते हैं । (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 11, स. 661)

27	ख़ियारे ऐब	बाएअ का मबीअ को ऐब बयान किये बिगैर बेचना या मुश्तरी का समन में ऐब बयान किये बिगैर चीज़ ख़रीदना और ऐब पर मुत्तलअ होने के बाद उस चीज़ के वापस कर देने के इख़्तियार को ख़ियारे ऐब कहते हैं । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 11, स. 673)
28	ख़िराजे मुकासमा	इस से मुराद येह है कि पैदावार का कोई आधा हिस्सा या तिहाई या चौथाई वगैरहा मुकर्रर हो । (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 237)
29	ख़िराजे मुअज़्ज़फ़	इस से मुराद येह है कि एक मिक्दारे मुअय्यन लाज़िम कर दी जाए ख़्वाह रुपै या कुछ और, जैसे फ़ारूके आजम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने मुकर्रर फ़रमाया था । (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 237)
30	ज़िम्मी	उस काफ़िर को कहते हैं जिस के जानो माल की हिफ़ाज़त का बादशाहे इस्लाम ने जिज्ये के बदले ज़िम्मा लिया हो । (फ़तावा फैजुरसूल, जि. 1, स. 501)
31	मुस्तामन	उस काफ़िर को कहते हैं जिसे बादशाहे इस्लाम ने अमान दी हो । (फ़तावा फैजुरसूल, जि. 1, स. 501)
32	बीघा	ज़मीन का एक हिस्सा या टुकड़ा जिस की पैमाइश उमूमन तीन हजार पच्चीस (3025) गज़ मुरब्बअ होती है, (उर्दू लुग़त, जि. 2, स. 1560) चार कनाल, 80 मुरले । (फ़ीरोजुल्लुगात, स. 271)
33	जरीब	जरीब की मिक्दार अंग्रेज़ी गज़ से 35 गज़ तूल और 35 गज़ अर्ज़ है । (फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 239)
34	बैए वफ़ा	इस तौर पर बैअ करना कि जब बाएअ मुश्तरी को समन वापस करे तो मुश्तरी मबीअ को वापस कर दे । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 920)
35	फ़कीर	वोह शख्स है जिस के पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुंच जाए या निसाब की मिक्दार हो तो उस की हाजते अस्लिय्या में इस्तिमाल हो रहा हो । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 924)
36	मिस्कीन	वोह है जिस के पास कुछ न हो यहां तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये इस का मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 924)
37	आमिल	वोह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उ़शर वुसूल करने के लिये मुकर्रर किया हो । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 924)
38	ग़ारिम	इस से मुराद मदयून (मकरूज़) है यानी उस पर इतना दैन हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाकी न रहे । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 926)
39	इन्ने सबील	ऐसा मुसाफ़िर जिस के पास माल न रहा हो अगर्चे उस के घर में माल मौजूद हो । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 926)

40	महरे मुअज्जल	वोह महर जो खल्वत से पहले देना करार पाए। (बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 7, स. 75)
41	महरे मुअज्जल	वोह महर जिस के लिये कोई मीआद (मुद्दत) मुकर्रर हो। (बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 7, स. 75)
42	बनी हाशिम	इन से मुराद हजरते अली व जाफर व अकील और हजरते अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलादें हैं। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 931)
43	उम्मे वलद	वोह लौंडी जिस के हां बच्चा पैदा हुवा और मौला (आका) ने इक्कार किया कि येह मेरा बच्चा है। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 9, स. 294)
44	सौमे दावूद عليه السلام	इस से मुराद एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ़तार करना है। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 966)
45	सौमे सुकूत	ऐसा रोज़ा जिस में कुछ बात न करे। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 966)
46	सौमे विसाल	रोज़ा रख कर इफ़तार न करना और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखना (सौमे विसाल है)। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 966)
47	सौमे दहर	यानी हमेशा रोज़ा रखना। (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 966)
48	यौमुश्शक	वोह दिन जो उन्तीस्वीं शाबान से मुत्तसिल होता है और चांद के पोशीदा होने की वजह से उस तारीख़ के मालूम होने में शक होता है, यानी येह मालूम नहीं होता कि तीस शाबान है या यकुम रमज़ान। इसी वजह से इसे यौमुश्शक कहते हैं। (माखूज अज नूरुल ईज़ाह, किताबुस्सौम, स. 154)
49	मस्तूर	पोशीदा, मख़फ़ी। वोह शख्स जिस का ज़ाहिर हाल मुताबिके शरअ हो मगर बातिन का हाल मालूम न हो। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 5, स. 976)
50	शहादत अलशहादह	इस से मुराद येह है कि जिस चीज़ को गवाहों ने खुद न देखा बल्कि देखने वालों ने उन के सामने गवाही दी और अपनी गवाही पर उन्हें गवाह किया उन्होंने उस गवाही की गवाही दी। (माखूज अज फ़तावा रज़विह्या, जि. 10 स. 406)
51	इक्राहे शरई	इक्राहे शरई येह है कि कोई शख्स किसी को सहीह धम्की दे कि अगर तू फ़ुलां काम न करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा या हाथ पाउं तोड़ दूंगा या नाक, कान वगैरा कोई उज़्ज़ काट डालूंगा या सज़ा मार मारूंगा और वोह येह समझता हो कि येह कहने वाला जो कुछ कहता है कर गुज़रेगा तो येह इक्राहे शरई है। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 15, स. 188)
52	मस्जिदे बैत	घर में जो जगह नमाज़ के लिये मुकर्रर की जाए उसे मस्जिदे बैत कहते हैं। (माखूज अज फ़तावा रज़विह्या, जि. 22, स. 479)

53	ज़िहार	अपनी जौजा या उस के किसी जुच्चे शाएअ या ऐसे जुच्च को जो कुल से ताबीर किया जाता हो ऐसी औरत से तश्बीह देना जो उस पर हमेशा के लिये हराम हो या उस के किसी ऐसे उच्च से तश्बीह देना जिस की तरफ़ देखना हराम हो। मसलन कहा तू मुझ पर मेरी मां की मिस्ल है या तेरा सर या तेरी गरदन या तेरा निस्फ़ मेरी मां की पीठ की मिस्ल है। (बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 8, स. 205)
----	--------	--

आलाम

1	गन्जा सांप	सांप जब हजार बरस का होता है तो उस के सर पर बाल निकलते हैं और जब दो हजार बरस का होता है वोह बाल गिर जाते हैं। येह माना हैं गन्जे सांप के कि इतना पुराना होगा।
2	झाव	एक किस्म का पौदा जो दरियाओं के कनारे पर उगता है जिस से टोकरियां वगैरा बनाई जाती हैं।
3	ख़त्मी	एक पौदा जिस के पत्ते बड़े और खुरदरे और फूल सुर्ख, सफ़ेद और मुख़लिफ़ रंगों के होते हैं, गुले खैरू।
4	चुरट	तम्बाकू के खुश्क पत्तों को मुक़र्रा तरीके से तह ब तह लपेट कर बनाई हुई बत्ती जो सिगरेट की तरह पी जाती है।
5	अल्सी	एक पौदा और उस के बीज का नाम, इस का तेल जलाने वगैरा के काम आता है।
6	इल्मे हैअत	वोह इल्म जिस में चांद, सूरज, सितारों, सय्यारों के तुलूअ व गुरुब, कैफ़ियत व वज़अ, सप्त व मक़ाम के मुतअल्लिक बहूस की जाती है।
7	तौकीत	वोह इल्म है जिस की मदद से दुनिया के किसी भी मक़ाम के लिये तुलूअ, गुरुब, सुब्ह और इशा वगैरा के अवक़ात मालूम किये जाते हैं।
8	क़मरी साल	वोह साल जिस के महीने चांद के एतिबार से होते हैं। जैसे मुहर्रमुल हराम, रबीउल अव्वल।
9	टीरी (टीड़ी)	एक किस्म का परदार कीड़ा जो अक्सर ज़िराअत को नुक़सान पहुंचाता है, इस कीड़े की फ़ौज की फ़ौज फ़स्ल पर हम्ला करती है जिसे दल कहते हैं।
10	ओला	बुख़ारात के क़तरे जो बारिश के साथ बर्फ़ की शक़ल में आस्मान से गिरते हैं।
11	ककड़ी	एक किस्म की लम्बी और सब्ज़ तरकारी।
12	कुन्दर	एक किस्म की तरकारी।
13	मेथी	एक किस्म का खुशबूदार साग।
14	बिही	एक फल का नाम है जो नाशपाती के मुशाबेह होता है।
15	बैद	एक किस्म का दरख़्त जिस की शाखें निहायत लचकदार होती हैं।

16	ज़िफ़्त	एक किस्म का सियाह रोगन जिसे तारकोल कहते हैं।
17	निफ़्त	वोह तेल जो पानी के ऊपर आ जाता है।
18	जन्त्रियों	जन्नी की जम्अ, वोह किताबें जिन में नुजुमी सितारों की गर्दिश का सालाना हाल तारीख़ वार दर्ज करते हैं।
19	बिन्ते मखाज़	ऊंट का मादा बच्चा जो एक साल का हो चुका हो, दूसरे बरस में हो।
20	बिन्ते लबून	ऊंट का मादा बच्चा जो दो साल का हो चुका हो और तीसरे बरस में हो।
21	हिक्का	ऊंटनी जो तीन बरस की हो चुकी हो, चौथे साल में हो।
22	जिज़्आ	चार साल की ऊंटनी जो पांचवें साल में हो।
23	तबीअ	साल भर का बछड़ा।
24	तबीआ	साल भर की बछिया।
25	मुसिन	दो साल का बछड़ा।
26	मुसिन्ना	दो साल की बछिया।

हिस्सए शशुम (6) की इस्तिलाहात

1	अशहुरे हज़	हज़ के महीने यानी शव्वालुल मुकर्रम व जुल कादा दोनों मुकम्मल और जुल हिज्जा के इब्तिदाई दस दिन। (रफ़ीकुल हरमैन, स. 58)
2	एहराम	जब हज़ या उमरह या दोनों ² की नियत कर के तल्बिया पढ़ते हैं तो बाज़ हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं इस को “एहराम” कहते हैं। और मजाज़न उन बिगैर सिली चादरों को भी एहराम कहा जाता है जिन्हें मोहरिम इस्तिमाल करता है। (ऐज़न)
3	तल्बिया	यानी لاَ شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ تَبَّكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ تَبَّكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لاَ شَرِيكَ لَكَ पढ़ना। (ऐज़न)
4	इज़्तिबाअ	एहराम की ऊपर वाली चादर को सीधी बग़ल से निकाल कर इस तरह उल्टे कन्धे पर डालना कि सीधा कन्धा खुला रहे। (ऐज़न)
5	रमल	अकड़ कर शाने (कन्धे) हिलाते हुए छोटे छोटे क़दम उठाते हुए क़दरे (यानी थोड़ा) तेज़ी से चलना। (ऐज़न)
6	तवाफ़	ख़ानए काबा के गिर्द सात चक्कर लगाना, एक चक्कर को “शौत” कहते हैं जम्अ “अश्वात।” (ऐज़न)

7	मताफ़	जिस जगह में त्वाफ़ किया जाता है। (ऐज़न, स. 59)
8	त्वाफ़े कुदूम	मक्कए मुअज़्ज़मा رَاَدَهَا اللهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا में दाख़िल होने पर किया जाने वाला वोह पहला त्वाफ़ जो कि “इफ़ाद” या “क़िरान” की नियत से हज़ करने वालों के लिये सुन्नते मुअक्कदा है। (ऐज़न)
9	त्वाफ़े ज़ियारत	इसे त्वाफ़े इफ़ाज़ा भी कहते हैं, येह हज़ का रुक्न है, इस का वक़्त 10 जुल हिज्जतिल हराम की सुब्हे सादिक़ से 12 जुल हिज्जतिल हराम के गुरुबे आफ़ताब तक है, मगर 10 जुल हिज्जतिल हराम को करना अफ़ज़ल है। (ऐज़न)
10	त्वाफ़े वदाअ	इसे “त्वाफ़े रुख़्सत” और “त्वाफ़े सद्र” भी कहते हैं। येह हज़ के बाद मक्कए मुकर्रमा رَاَدَهَا اللهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا से रुख़्सत होते वक़्त हर “आफ़ाकी” (यानी मीक़ात से बाहर रहने वाले) हाज़ी पर वाजिब है। (ऐज़न)
11	त्वाफ़े उमरह	येह उमरह करने वालों पर फ़र्ज़ है। (ऐज़न)
12	इस्तिलाम	हज़रे अस्वद को बोसा देना या हाथ या लकड़ी से छू कर हाथ या लकड़ी को चूम लेना या हाथों से उस की तरफ़ इशारा कर के उन्हें चूम लेना। (ऐज़न)
13	सई	“सफ़ा” और “मर्वह” के माबैन (यानी दरमियान) सात फेरे लगाना (सफ़ा से मर्वह तक एक फेरा होता है, यूं मर्वह पर सात चक्कर पूरे होंगे)। (ऐज़न)
14	रमी	जमरात (यानी शैतानों) पर कंकरियां मारना। (ऐज़न स. 60)
15	हल्क़	एहराम से बाहर होने के लिये हुदूदे हरम ही में पूरा सर मुंडवाना। (ऐज़न)
16	क़स्र	चौथाई (1/4) सर का हर बाल कम अज़ कम उंगली के एक पोरे के बराबर कतरवाना। (ऐज़न)
17	मस्जिदुल हराम	मक्कए मुकर्रमा رَاَدَهَا اللهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا की वोह मस्जिद जिस में काबए मुशरफ़ा वाक़ेअ है। (ऐज़न)
18	बाबुस्सलाम	मस्जिदुल हराम का वोह दरवाज़ा मुबारका जिस से पहली बार दाख़िल होना अफ़ज़ल है और येह जानिबे मशरिक़ वाक़ेअ है। (अब येह उमूमन बन्द रहता है) (ऐज़न)
19	काबा	इसे “बैतुल्लाह” भी कहते हैं यानी अल्लाह عَزَّوَجَلَّ का घर। येह पूरी दुन्या के वस्त (यानी बीच) में वाक़ेअ है और सारी दुन्या के लोग इसी की तरफ़ रुख़ कर के नमाज़ अदा करते हैं और मुसलमान परवाना वार इस का त्वाफ़ करते हैं। (ऐज़न)
20	रुक्ने अस्वद	जुनूब व मशरिक़ (SOUTH EAST) के कोने में वाक़ेअ है, इसी में जन्नती पथ्थर “हज़रे अस्वद” नस्ब है। (ऐज़न)

21	रुक्ने इराकी	येह इराक़ की सम्त शिमाल मशरिफी (NORTH-EASTERN) कोना है। (ऐज़न)
22	रुक्ने शामी	येह मुल्के शाम की सम्त शिमाल मगरिबी (NORTH-WESTERN) कोना है। (ऐज़न)
23	रुक्ने यमानी	येह यमन की जानिब मगरिबी (WESTERN) कोना है। (ऐज़न स. 61)
24	बाबुल काबा	रुक्ने अस्वद और रुक्ने इराकी के बीच की मशरिफी दीवार में ज़मीन से काफ़ी बुलन्द सोने का दरवाज़ा है। (ऐज़न)
25	मुल्तज़म	रुक्ने अस्वद और बाबुल काबा की दरमियानी दीवार। (ऐज़न)
26	मुस्तज़ार	रुक्ने यमानी और शामी के बीच में मगरिबी दीवार का वोह हिस्सा जो “मुल्तज़म” के मुक़ाबिल यानी ऐन पीछे की सीध में वाक़ेअ है। (ऐज़न)
27	मुस्तज़ाब	रुक्ने यमानी और रुक्ने अस्वद के बीच की जुनूबी दीवार, यहां सत्तर हज़ार फ़रिश्ते दुआ पर आमीन कहने के लिये मुक़रर हैं। इसी लिये सय्यिदी आला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने इस मक़ाम का नाम “मुस्तज़ाब” (यानी दुआ की मक्बूलियत की जगह) रखा है। (ऐज़न)
28	हतीम	काबए मुअज़्ज़मा رَاٰهَا اللهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا की शिमाली दीवार के पास निस्फ़ (यानी आधे) दारे (HALF CIRCLE) की शक़ल में फ़सील (यानी बाउन्ड्री) के अन्दर का हिस्सा। “हतीम” काबा शरीफ़ ही का हिस्सा है और इस में दाख़िल होना ऐन काबतुल्लाह शरीफ़ में दाख़िल होना है। (ऐज़न)
29	मीज़ाबे रहमत	सोने का परनाला, येह रुक्ने इराकी व शामी की शिमाली दीवार की छत पर नस्ब है, इस से बारिश का पानी “हतीम” में निछावर होता है। (ऐज़न)
30	मक़ामे इब्राहीम	दरवाज़ए काबा के सामने एक कुब्बे (यानी गुम्बद) में वोह जन्नती पथ्थर जिस पर खड़े हो कर हज़रते सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام ने काबा शरीफ़ की इमारत तामीर की और येह हज़रते सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام का ज़िन्दा मोजिज़ा है कि आज भी इस मुबारक पथ्थर पर आप عَلَيْهِ السَّلَام के क़दमैन शरीफ़ैन के नक्श मौजूद हैं। (ऐज़न, स. 62)
31	बीरे ज़मज़म	मक्कए मुअज़्ज़मा رَاٰهَا اللهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا का वोह मुक़द्दस कूवां जो हज़रते सय्यिदुना इस्माईल عَلَيْهِ السَّلَام के आलमे तुफूलियत (यानी बचपन शरीफ़) में आप के नन्हे नन्हे मुबारक क़दमों की रगड़ से जारी हुवा था। (तफ़सीरे नईमी, जि. 1, स. 694) इस का पानी देखना, पीना और बदन पर डालना सवाब और बीमारियों के लिये शिफ़ा है। येह मुबारक कूवां मक़ामे इब्राहीम से जुनूब में वाक़ेअ है। (अब कूवें की ज़ियारत नहीं हो सकती) (रफ़ीकुल हरमैन, स. 61)
32	बाबुस्सफ़ा	मस्जिदुल हराम के जुनूबी दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। जिस के नज़दीक “कोहे सफ़ा” है। (ऐज़न)

33	कोहे सफ़ा	काबए मुअज़्ज़मा رَاَدَا اللّٰهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا के जुनूब में वाक़ेअ है। (ऐज़न)
34	कोहे मर्वह	कोहे सफ़ा के सामने वाक़ेअ है। (ऐज़न)
35	मीलैने अख़ज़रैन	यानी “दो सब्ज़ निशान” सफ़ा से जानिबे मर्वह कुछ दूर चलने के बाद थोड़े थोड़े फ़ासिले पर दोनों तरफ़ की दीवारों और छत में सब्ज़ लाइटें लगी हुई हैं। इन दोनों सब्ज़ निशानों के दरमियान दौराने सई मर्दों को दौड़ना होता है। (ऐज़न, स. 63)
36	मस्आ	मीलैने अख़ज़रैन का दरमियानी फ़ासिला जहां दौराने सई मर्द को दौड़ना सुन्नत है। (ऐज़न)
37	मीकात	उस जगह को कहते हैं कि मक्काए मुअज़्ज़मा رَاَدَا اللّٰهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا जाने वाले आफ़ाकी को बिग़ैर एहराम वहां से आगे जाना जाइज़ नहीं, चाहे तिजारत या किसी भी गरज़ से जाता हो। यहां तक कि मक्काए मुकर्रमा رَاَدَا اللّٰهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا के रहने वाले भी अगर मीकात की हुदूद से बाहर (मसलन त़ाइफ़ या मदीनए मुनव्वरह) जाएं तो उन्हें भी अब बिग़ैर एहराम मक्काए पाक رَاَدَا اللّٰهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا आना ना जाइज़ है। (ऐज़न)
38	जुल हुलैफ़ा	मदीना शरीफ़ से मक्काए पाक की तरफ़ तक्रीबन 10 किलो मीटर पर है जो मदीनए मुनव्वरह رَاَدَا اللّٰهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا की तरफ़ से आने वालों के लिये “मीकात” है। अब इस जगह का नाम “अब्यारे अली” كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيمُ है। (ऐज़न)
39	ज़ाते इर्क़	इराक़ की जानिब से आने वालों के लिये मीकात है। (ऐज़न, स. 64)
40	यलम्लम	येह अहले यमन की मीकात है और बरें सगीर वालों के लिये मीकात यलम्लम की महाज़ात है। (ऐज़न)
41	जुहफ़ा	मुल्के शाम की तरफ़ से आने वालों के लिये मीकात है। (ऐज़न)
42	क़र्नुल मनाज़िल	नज्द (मौजूदा रियाज़) की तरफ़ आने वालों के लिये मीकात है। येह जगह त़ाइफ़ के क़रीब है। (ऐज़न)
43	आफ़ाकी	वोह शख्स जो मीकात की हुदूद से बाहर रहता हो। (ऐज़न)
44	तर्न्म	हुदूदे हरम से ख़ारिज वोह जगह जहां से मक्काए मुकर्रमा رَاَدَا اللّٰهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا में क़ियाम के दौरान उमरे के लिये एहराम बांधते हैं और येह मक़ाम मस्जिदुल हुराम से तक्रीबन 7 किलो मीटर जानिबे मदीनए मुनव्वरह رَاَدَا اللّٰهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا है, अब यहां मस्जिदे आइशा बनी हुई है। इस जगह को अ़वाम “छोटा उमरह” कहते हैं। (ऐज़न)
45	जिर्इराना	हुदूदे हरम से ख़ारिज मक्काए मुकर्रमा रَاَدَا اللّٰهُ شَرْफًا وَتَعْظِيمًا से तक्रीबन 26 किलो मीटर दूर त़ाइफ़ के रास्ते पर वाक़ेअ है। यहां से भी दौराने क़ियाम मक्का शरीफ़ उमरे का एहराम बांधा जाता है। इस मक़ाम को अ़वाम “बड़ा उमरह” कहते हैं। (ऐज़न, स. 65)

46	हरम	मक्कए मुअज़्जमा رَاَدَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا के चारों तरफ़ मीलों तक इस की हुदूद हैं और येह ज़मीन हुर्मतो तक़हुस की वजह से “हरम” कहलाती है। हर जानिब इस की हुदूद पर निशान लगे हैं। हरम के जंगल का शिकार करना नीज़ खुदरौ दरख़्त और तर घास काटना, हाजी, ग़ैरे हाजी सब के लिये हराम है। जो शख़्स हुदूदे हरम में रहता हो उसे “हरमी” या “अहले हरम” कहते हैं। (ऐज़न, स. 64)
47	हिल	हुदूदे हरम के बाहर से मीकात तक की ज़मीन को “हिल” कहते हैं। इस जगह वोह चीज़ें हलाल हैं जो हरम की वजह से हुदूदे हरम में हराम हैं। ज़मीने हिल का रहने वाला “हिल्ली” कहलाता है। (ऐज़न)
48	मिना	मस्जिदुल हराम से पांच किलो मीटर पर वोह वादी जहां हाजी साहिबान अय्यामे हज में क़ियाम करते हैं। “मिना” हरम में शामिल है। (ऐज़न, 65)
49	जमरात	मिना में वाक़ेअ तीन मक़ामात जहां कंकरियां मारी जाती हैं। पहले का नाम जम्तुल उख़्रा या जम्तुल अक़बा है। इसे बड़ा शैतान भी बोलते हैं। दूसरे को जम्तुल वुस्ता (मंझला शैतान) और तीसरे को जम्तुल ऊला (छोटा शैतान) कहते हैं। (ऐज़न)
50	अरफ़ात	मिना से तक़रीबन ग्यारह किलो मीटर दूर मैदान जहां 9 जुल हिज्जा को तमाम हाजी साहिबान जम्अ होते हैं। अरफ़ात शरीफ़ हुदूदे हरम से ख़ारिज है। (ऐज़न)
51	जबले रहमत	अरफ़ात शरीफ़ का वोह मुक़द्दस पहाड़ जिस के क़रीब वुकूफ़ करना अफ़ज़ल है। (ऐज़न)
52	मुज्दलिफ़ा	“मिना” से अरफ़ात की तरफ़ तक़रीबन 5 किलो मीटर पर वाक़ेअ मैदान जहां अरफ़ात से वापसी पर रात बसर करना सुन्नते मुअक्कदा और सुब्हे सादिक़ और तुलूआ आफ़ताब के दरमियान कम अज़ कम एक लम्हा वुकूफ़ वाजिब है। (ऐज़न, स. 66)
53	मुहस्सिर	मुज्दलिफ़ा से मिला हुवा मैदान, यहीं अस्हाबे फ़ील पर अज़ाब नाज़िल हुवा था। लिहाज़ा यहां से गुज़रते वक़्त तेज़ी से गुज़रना और अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिये। (ऐज़न)
54	बतूने उना	अरफ़ात के क़रीब एक जंगल जहां हाजी का वुकूफ़ दुरुस्त नहीं। (ऐज़न)
55	मद्आ	मस्जिदे हराम और मक्कए मुकर्रमा رَاَدَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا के क़ब्रिस्तान “जन्नतुल मअूला” के माबैन (की दरमियानी) जगह जहां दुआ मांगना मुस्तहब है। (ऐज़न)
56	दम	यानी एक बकरा (इस में नर, मादा, दुम्बा, भेड़। नीज़ ऊंट का सातवां हिस्सा सब शामिल हैं)। (ऐज़न, स. 228)

57	बदना	यानी ऊंट । येह तमाम जानवर उन ही शराइत के हों जो कुरबानी में हैं । (रफीकुल हरमैन, स. 260)
58	सदका	यानी सदकए फ़ित्र की मिक्दार (आज कल के हिसाब से दो किलो तक़ीबन पचास ग्राम गेहूं या उस का आटा या उस की रक़म या उस के दुगने जव या खजूर या उस की रक़म ।) (ऐज़न)
59	मरजुल मौत	किसी मरज के मरजुल मौत होने के लिये दो बातें शर्त हैं । एक येह कि उस मरज में ख़ौफ़ हलाक व अन्देशए मौत कुव्वत व ग़लबे के साथ हो, दुवुम येह कि उस ग़लबए ख़ौफ़ की हालत में उस के साथ मौत मुत्तसिल हो अगर्चे उस मरज से न मरे, मौत का सबब कोई और हो जाए । (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 25, स. 457)
60	मुदब्बर	वोह गुलाम जिस की निस्वत मौला ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है । (बहारे शरीअत, जि. 2, हिस्सा : 9, स. 290)
61	हज्जे बदल	नियाबतन (नाइब बन कर) दूसरे की तरफ़ से हज्जे फ़र्ज अदा करना कि उस पर से फ़र्ज को साक़ित करे । (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 659)
62	नहर	ऊंट को खड़ा कर के सीने में गले की इन्तिहा पर तक़ीर कह कर नेज़ा मारना इस को नहर कहते हैं । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 6, स. 1141)
63	इल्मामे सहीह	मुतमत्तेअ का उमरह के बाद एहराम खोल कर अपने वतन को वापस जाना । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 6, स. 1158)
64	जुमें ग़ैर इख़्तियारी	अगर बीमारी, सख़्त सर्दी, सख़्त गर्मी, फोड़े और ज़ख़्म या जूवों की शदीद तक़ीफ़ की वजह से कोई जुर्म हुवा तो उसे जुमें ग़ैर इख़्तियारी कहते हैं । (माख़ूज़ अज़ बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 6, स. 1162)
65	चार पहर	इस से मुराद एक दिन या एक रात की मिक्दार है, मसलन तुलूए आफ़ताब से गुरुबे आफ़ताब और गुरुबे आफ़ताब से तुलूए आफ़ताब या दोपहर से आधी रात या आधी रात से दोपहर तक । (हाशिया फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 757)
66	मुहूसर	जिस ने हज या उमरह का एहराम बांधा मगर किसी वजह से पूरा न कर सका, उसे मुहूसर कहते हैं । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 6, स. 1195)
67	हदी	उस जानवर को कहते हैं जो कुरबानी के लिये हरम को ले जाया जाए । (बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 6, स. 1213)
68	मुद	एक पैमाना जो वज़न में दो रत्ल होता है । (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 296)
69	हज्जे क़िरान	हज व उमरह (दोनों) के एहराम की नियत करे इसे क़िरान कहते हैं और इस हज करने वाले को क़ारिन कहते हैं । (माख़ूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, जि. 10, स. 814)

70	हज्जे तमतोअ	मक्कए मुअज्जिमा में पहुंच कर अशहुरल हज (यकुम शव्वाल से दस जुल हिज्जा) में उमरह कर के वहीं से हज का एहराम बांधे, इसे तमतोअ कहते हैं और इस हज करने वाले को मुतमतोअ कहते हैं। (माखूज अज फतावा रजविय्या, जि. 10, स. 814)
71	हज्जे इफ़राद	जिस में सिर्फ हज किया जाता है, उसे हज्जे इफ़राद कहते हैं और इस हज करने वाले को मुफ़िरद कहते हैं। (माखूज अज फतावा रजविय्या, जि. 10, स. 813)
72	जादे राह	तोशा और सुवारी। इस के माना येह हैं कि येह चीजें उस की हाजत यानी मकान व लिबास और खानादारी के सामान वगैरा और कर्ज से इतनी जाइद हों कि सुवारी पर जाए और वहां से सुवारी पर वापस आए और जाने से वापसी तक अयाल का नफ़का और मकान की मरम्मत के लिये काफ़ी माल छोड़ जाए। (माखूज अज बहारे शरीअत, जि. 1, हिस्सा : 6, स. 1039,1040)
73	जिनायत	इस से मुराद वोह फ़ेल है जो हरम या एहराम की वजह से मन्अ हो। जैसे एहराम की हालत में शिकार करना, हरम में किसी जानवर को क़त्ल करना। (ماخوذ من در مختار, 3/150)
74	ज़िल हुलैफ़	मदीनए मुनव्वरह से तीन मील के फ़ासिले पर एक मक़ाम का नाम है, येही असहूह है। (मिरक़त)

आलाम

1	कुत्ब नुमा	वोह आला जिस से कुत्ब की सप्त मालूम की जाती है।
2	शबरी	हिजाज मुकद्दस का एक किस्म का महमल (कजावा)।
3	पारा	एक रक़ीक़ और हर वक़्त मुतहर्रिक रहने वाली धात जो सफ़ेद और भारी होती है।
4	मशअरे हराम	मुज्दलिफ़ा के क़रीब एक पहाड़ का नाम है जिसे जबले कुज़ह भी कहते हैं।
5	सन्दल	एक किस्म की खुशबूदार लकड़ी।
6	बेले	यास्मीन, चम्बेली की किस्म का एक फूल।
7	चमेली	(चम्बेली) एक सफ़ेद या ज़र्द रंग का खुशबूदार फूल।
8	जूही	चम्बेली जैसे खुशबूदार फूल जो इस से ज़रा छोटे होते हैं।
9	ख़मीरा तम्बाकू	एक किस्म का खुशबूदार पीने का तम्बाकू।
10	घूस	चूहे की तरह का एक जानवर जो चूहे से ज़रा बड़ा होता है।
11	बिज्जू	एक किस्म का गोश्त ख़ोर जानवर जो दिन भर बिलों में रहता है और रात को बाहर निकलता है, इस की आंखें छोटी होती हैं।

12	तेंदवा	भेड़िये और चीते के बाहम इख़िलात से पैदा होता है, इस का मिजाज चीते जैसा और आदात कुत्ते जैसी होती हैं।
13	गुले बनफ़शा	बनफ़शा का फूल जो हलका नीला या ओदे रंग का होता है और बतौर दवा इस्तिमाल किया जाता है।
14	गाउ ज़बान	एक बूटी जिस के पत्तों पर गाय की ज़बान की तरह के उभार होते हैं।
15	मुलैठी	एक दरख़्त की जड़ जो खांसी और गले की सोज़िश के लिये इस्तिमाल होती है।
16	हलीला सियाह	सियाह हड़, एक किस्म का कसीला (तुर्श) फल का नाम जिसे खुश्क कर के बतौर दवा इस्तिमाल करते हैं।
17	पीपर मिन्ट	सते पोदीना (पोदीना के अरक) की गोलियां
18	खुम्बी	एक किस्म की सफ़ेद नबातात जो अक्सर बरसात में अज़ खुद पैदा हो जाती है और उसे तल कर खाते हैं।
19	जन्जबील	सोंठ (सूखी अदरक)
20	सुतली	सन (एक पौदे का नाम जिस की छाल से रस्सियां बनती हैं) की बारीक डोरी, रस्सी।
21	चीड़	एक ऊंचा जंगली दरख़्त जिस की लकड़ी, इमारत, सामाने आराइश, और सन्दूक वगैरा बनाने में काम आती है।
22	इत्रदाना	वोह सन्दूकची या बरतन जिस में इत्र की शीशियां रखी जाती हैं।
23	हम्यानी	रुपिया पैसा रखने की पतली थैली, खुसूसन वोह थैली जो हालते सफ़र में कमर से बांधी जाती है।
24	सीनी	धात का बना हुआ ख़्वान (थाल)।
25	हरताल	नूरा (बाल सफ़ा पावडर)।
26	किन्दील	एक किस्म का फ़ानूस जिस में चराग़ जला कर लटकाते हैं।
27	शक्दफ़	यानी दो चारपाइयां जो ऊंट के दोनों तरफ़ लटकाते हैं, हर एक में एक शख्स बैठता है।
28	तिल्यें	तिल की जम्अ, एक किस्म का तुख़्म (बीज) जिस से तेल निकलता है।
29	सूंडियां	सूंडी की जम्अ, एक छोटा कीड़ा जो अनाज में लग जाता है। पत्तों का रस चूसने वाला कीड़ा।
30	बड़ियां	बड़ी की जम्अ, मूंग या उड़द (माश) की दाल की टिकियां जिन से सालन पकाते हैं।
31	मलागीरी	सन्दल के रंग से मुशाबेह एक रंग जो खुशबूदार होता है।
32	केसर	ज़र्द रंग का एक निहायत खुशबूदार फूल।
33	जावत्री	जाइफल (एक फल जो दवाओं और खानों में इस्तिमाल होता है) का पोस्त।

34	खली	तिल्हन (गुल्ला जिस से तेल निकाला जाए) या सरसों का फोक ।
35	नारंगी	एक खुशरंग फल जो उमूमन खटमिठा होता है (संगतरे से छोटा) ।
36	काहू	एक किस्म का साग और उस का बीज जो बहुत छोटा होता है और अक्सर उस का तेल दिमाग की खुशकी को दूर करने के लिये दवा के तौर पर इस्तिमाल करते हैं ।
37	कामरान	एक जगह का नाम है ।
38	जन्नतुल मअूला	जन्नतुल बक़ीअ के बाद मक्कए मुकर्रमा में जन्नतुल मअूला दुन्या का सब से अफ़ज़ल तरीन क़ब्रिस्तान है, यहां उम्मुल मुअमिनीन हज़रते ख़दीजतुल कुब्रा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا और कई सहाबा व ताबेईन رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ और औलिया व सालिहीन اللّٰهُ تَعَالَى رَحِمَهُمْ के मज़ारते मुक़द़सा हैं ।
39	वादिये मुह़स्सब	जन्नतुल मअूला कि मक्कए मुअज़्ज़मा का क़ब्रिस्तान है इस के पास एक पहाड़ है और दूसरा पहाड़ उस पहाड़ के सामने मक्का को जाते हुए दाहने हाथ पर नाले के पेट से जुदा है, इन दोनों पहाड़ों के बीच का नाला वादिये मुह़स्सब है ।
40	मस्जिदुल जिन्न	येह मस्जिद जन्नतुल मअूला के क़रीब वाक़ेअ है । सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم से नमाज़े फ़ज़्र में कुरआने पाक की तिलावत सुन कर यहां जिन्नात मुसलमान हुए थे ।
41	जबले सौर	येह वोह मुक़द़स पहाड़ है जिस के ग़ार में हुजूर अक़दस صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم अपने रफ़ीक़े ख़ास सय्यिदुना सिद्दीक़े अक्बर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के साथ हिजरत के वक़्त तीन रात क़ियाम पज़ीर रहे । येह ग़ारे मुबारक मक्कए मुकर्रमा की दाईं जानिब मस्फ़ला (एक महल्ला ख़ानए काबा के हिस्सए दीवारे मुस्तजार की जानिब वाक़ेअ है) की तरफ़ क़मो बेश चार किलो मीटर पर वाक़ेअ है ।
42	जबले अबी कुबैस	येह मुक़द़स पहाड़ बैतुल्लाह शरीफ़ के बिल्कुल सामने कोहे सफ़ा के क़रीब वाक़ेअ है ।
43	बाबुल हज़ूरा	मस्जिदुल हराम में एक दरवाज़े का नाम है ।
44	जम्रह	मिना और मक्का के बीच में तीन सुतून बने हुए हैं इन को जम्रह कहते हैं, पहला जो मिना से क़रीब है जमए ऊला कहलाता है और बीच का जमए वुस्ता और अख़ीर का मक्कए मुअज़्ज़मा से क़रीब है जमतुल अक़बा कहलाता है ।

हल्ले लुगात

(अ)

नम्बर शुमार	अल्फाज	मअानी	नम्बर शुमार	अल्फाज	मअानी
1	अबदी	जो हमेशा रहे	17	अहकामे	अहकामे
2	अजली	जो हमेशा से हो		तब्लीगिया	शरीअत
3	अम्द	वोह लड़का या मर्द	18	अज्कार	वजाइफ़
		जिस को देखने या छूने से	19	अज्कारे	बड़े बड़े वजाइफ़
		शहवत पैदा होती है		तवीला	
4	अन्जान	ना वाकिफ़	20	अश्गाल	काम, मशगूल होना
5	अन्देशा	फ़िक्क, ख़ौफ़, ख़याल	21	अपाहज	लूला, लंगड़ा,
6	अअजूबा	अनोखी चीज़, अजीब शै			चलने फिरने से माजूर
7	अवराद	वजाइफ़	22	अलम	दर्द
8	अइज़ा	अजीज की जम्अ, रिश्तेदार	23	अबुल बशर	सब इन्सानों के बाप, मुराद
9	अजीर	उजरत पर काम करने वाला			हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام
10	अज़ल	जो हमेशा से हो	24	अब्र	बादल
11	अहवाल	हौल की जम्अ, ख़ौफ़, घबराहट	25	अबदुल	हमेशा
				आबाद	
12	अव्वल	इब्तिदा, शुरूअ में	26	अद्इया	दुआएं
	अव्वल	(आगे आगे)	27	अदक्	निहायत मुश्किल
13	अज्जाए	अस्ली अज्जा	28	अदना	कम अज़ कम
	अस्लिय्या		29	अस्माए	पाकीज़ा नाम
14	अय्यामे नहर	कुरबानी के दिन		तय्यिबा	
15	अहकामे	शर्ई अहकाम	30	अस्तबल	घोड़े बांधने की जगह
	तशरीइय्या		31	अस्तर	नीचे की तह
16	अबरा	ऊपर की तह	32	अकारत	जाएअ, बरबाद

33	अस्नाए अज़ान	अज़ान के दौरान	45	अफ़्शां	सोने चांदी का बुरादा या मुक़य्यश की बारीक कतरन
34	अस्नाए खुत्बा	खुत्बे के दौरान	46	अ़ला हस्बे मरातिब	मर्तबे के मुताबिक़
35	अस्नाए नमाज़	नमाज़ के दौरान	47	अ़सा	डन्डा
36	अस्नाफ़	किस्में	48	अ़ताए इलाही	अल्लाह तअ़ला की अ़ता
37	अचकन	एक लम्बा लिबास जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है	49	अ़क़ल रसा	अ़क़ल की पहुँच
			50	अ़मदन	जानबूझ कर
38	अख़्लाके फ़ाज़िला	अच्छी आदतें	51	अ़क्स	उलट
			52	अ़म्म	चचा
39	अख़्लाके रज़ीला	बुरी आदतें	53	अ़लल इत्लाक़	मुत्लक़
40	अख़बसुन्नास	लोगों में ख़बीस तरीन	54	अ़ला हाज़ल क़ियास	इसी पर क़ियास, इसी तरह
41	अग़ल बग़ल	आसपास			
42	अगर	एक किस्म की लकड़ी जो जलाने से खुशबू देती है	55	अ़फ़व	मुआफ़, बख़्शिश, बख़्शना
			56	अ़बस	फुज़ूल, बे फ़ाएदा
43	अफ़वाह	बे अस्ल बात, उड़ती ख़बर	57	अ़लल इत्तिसाल	मुसल्लसल, बिला नागा
44	अफ़ज़लुल इबादात	तमाम इबादतों से अफ़ज़ल	58	अ़र्ज	चौड़ाई
			59	अ़क्सी	फ़ोटो

(आ)

60	आयाते दुआइय्या व सनाइय्या	वोह आयात जिन में दुआओं और अल्लाह ﷻ की हम्दो सना का ज़िक्र है	62	आसाइश	आराम, सुकून
			63	आबरू	इज़ज़त
61	आमेज़िश	मिलावट	64	आतिश ज़दगी	आग लगने

65	आलाते हर्ब	लड़ाई के हथियार, अस्लहए जंग	70	आड़ा	तिरछा, टेढ़ा
66	आलूदा	नापाक, नजिस, लिथड़ा हुवा	71	आरियतन	आरिजी तौर पर दी हुई चीज़
67	आफ़ताब ढलकना	ज्वाल पज़ीर होना	72	आलमे अस्बाब	दुन्या, जहां हर काम का कोई सबब होता हो
68	आफ़ताबा	दस्ता लगा हुवा लोटा	73	आरिज	पेश आने वाला, अर्ज करने वाला
69	आहट	पाउं की आवाज़, खटका	74	आलम	दुन्या

(इ)

75	इमामते ज़नां	औरतों की इमामत	90	इत्तिबाए हक़	हक़ की पैरवी
76	इन्स	इन्सान	91	इस्तिम्दाद	मदद चाहना
77	इआदा	दोबारा अदा करना	92	इस्तिहूबाब	मुस्तहब होना
78	इआनत	मदद	93	इस्तिहूकाक़	हक़ तलब करना, सज़ावार होना, हक़ दावा, काबिलियत
79	इज्मालन	मुख़्तसरन	94	इस्तिहज़ा	हंसी, मज़ाक़, ठठ्ठा करना
80	इज़्न	इजाज़त	95	इस्तिख़फ़ाफ़	हलका समझना, हकीर समझना
81	इम्तियाज़	फ़र्क़, तरजीह	96	इक्तिफ़ा	काफ़ी समझना, किफ़ायत करना
82	इन्तिशार	शहवत, तित्तर बित्तर होना, फ़िक़र	97	इक्तिसार	इक्तिफ़ा
83	इन्हिराफ़	फिर जाना	98	इक्तिदाए ज़न	औरतों का मुक्तादी होना
84	इज्तिमाअ व फ़िराक़	मज्मअ व तन्हाई	99	इख़ितलात	मेलजोल
85	इज़्दिहाम	भीड़	100	इफ़ाक़ा	मरज़ में कमी
86	इल्तिफ़ात	मुतवज्जेह होना	101	इबाहत	जाइज़ कर देना, मुबाह कर देना
87	इल्तिज़ाम	किसी बात को लाज़िम कर लेना, ज़रूरी क़रार देना	102	इदराक़	इहाता करना, पाना, दरयाफ़्त करना
88	इत्तिसाल	मिलाप, नज़्दीकी			
89	इत्तिबाअ	पैरवी करना			

103	इस्मे जलालत	अल्लाह तआला का नाम	108	इज्दिहाम	भीड़, मज्मअ
			109	इस्मत	पाक दामनी
104	इस्लाह पज़ीर	इस्लाह कबूल करने वाला	110	इत्रे तहकीक	तहकीक का निचोड़
			111	इत्र फ़रोश	इत्र बेचने वाला
105	इरतिदाद	मुरतद होना	112	इल्मे सुलूक	इल्मे तसव्वुफ़
106	इक़ामत	क़ियाम करना, ठहरना	113	इन्दल्लाह	अल्लाह ﷻ के नज़दीक
107	इत्माम	मुकम्मल करना	114	इताब	मलामत, गुस्सा, नाराज़गी

(ई)

115	ईमान बिलग़ैब	ग़ैब पर ईमान लाना	116	ईधन	जलाने की चीज़ें
-----	--------------	-------------------	-----	-----	-----------------

(उ)

117	उम्मी	अनपढ़	124	उच्छू	खांसी जो सांस की नाली में पानी वग़ैरा जाने से आने लगती है
118	उन्सयैन	खुस्ये (फ़ोते)			
119	उपले	ईधन के लिये गोबर की सुखाई हुई टिकियां, गोबर की थापियां	125	उकडूं बैठना	तल्वों के बल इस तरह बैठना कि घुटने खड़े रहें
120	उलझन	परेशानी, कश्मकश	126	उफ़तां व खेज़ां	गिरते पड़ते, बद हवासी की हालत में
121	उलूहिय्यत	इलाह होना, माबूद होना			
122	उलुल अज़्म	बुलन्दो बाला, इज़्ज़तो अज़मत और हौसले वाले	127	उशर	दस्वां हिस्सा
			128	उयूब	ऐब की जम्अ, नकाइस
123	उत्तर	शिमाल	129	उसात	आसी की जम्अ, गुनाहगार लोग

(ऊ)

130	ऊला	पहला	131	ऊगाल दान	पीकदान, थूकने का बरतन
-----	-----	------	-----	----------	-----------------------

(ए-ओ)

132	एतिकादे अज़मत	क़द्रो मन्ज़िलत का अकीदा	133	एड़ लगाना	पाउं की एड़ी से घोड़े को दौड़ने का इशारा करना
-----	------------------	--------------------------	-----	-----------	---

134	एराबी ग़लतियां	ज़बर, ज़ेर, पेश की ग़लतियां	136	ऐबदार	ऐबी, नाक़िस, जिस में ऐब हो
135	ओझल	पोशीदा, पर्दा, गाइब	★	★	★★★

(औ)

137	औंधा लेटना	पेट के बल लेटना	140	औद न करे	वापस न लौटे
138	औला	बेहतर	141	औद करना	लौटना
139	औलियाए मय्यित	मरने वाले के सरपरस्त	★	★	★★★

(अं)

142	अंखियारा	आंखों वाला	144	आंख के कोए	नाक की तरफ़, आंख का कोना
143	अंगुशतरी	अंगूठी	145	आंचल	दोपट्टे का पल्लू

(क)

146	कुल्फ़ा	उज़्जे तनासुल का सिरा बिगैर ख़तना किये हुए	159	क़त्ए रेहूम	रिश्ता नाता तोड़ना, तअल्लुक़ तोड़ना
147	क़दीम	जो हमेशा से हो	160	क़राबत	रिश्तेदारी
148	क़वी हैकल	मज़बूत जिस्म, मज़बूत बदन	161	क़सावते क़ल्बी	सख़्त दिली
149	क़लई	सैक़ल (पोलिश) किया हुआ	162	कुव्वतो ज़ोफ़	ताक़त और जिस्मानी कमज़ोरी
150	क़दर	मिक्दार, किसी चीज़ का अन्दाज़ा	163	क़ज़ा	तक्दीर
151	क़स्दन	जानबूझ कर	164	क़बीह	बुरा, मायूब
152	क़िताल	जंग	165	क़िल्लत	कमी, थोड़ा
153	क़ियामुल्लैल	रात की इबादत, रात को इबादत के लिये उठना	166	कुर्स	टिक्या, टिक्या की तरह गोल चीज़
154	क़र्ज ख़्वाह	उधार देने वाला	167	क़ातेए नमाज़	नमाज़ को तोड़ने वाला
155	क़रियां	गाउं, दीहात	168	क़हक़हा	इतनी आवाज़ से हंसना कि आस पास वाले सुनें
156	कुफ़ल	ताला			
157	कुर्से आफ़ताब	सूरज की टिक्या	169	कुब्बा	गुम्बद, बुर्ज, ख़ैमा, मज़ार
158	कुर्ब	नज़्दीकी	170	क़हते बारां	बारिश का न होना

171	कुरेद कर	खुरच कर	193	कस्म पुसीं (कसमपुसीं)	ऐसी हालत जिस में कोई पुरसाने हाल न हो ।
172	कंकाश	जुस्तजू, तलाश			
173	कबाइर	कबीरा की जम्अ, गुनाहे कबीरा	194	कट्खना कुत्ता	बहुत ज़ियादा काटने वाला कुत्ता, पागल कुत्ता
174	करख़्त	सख़्त	195	करीह (करीहा)	क़ाबिले नफ़रत, बद शक्ल
175	काहिन	जिन्नों से दरयाफ़्त कर के ग़ैब की ख़बरें या किस्मत का हाल बताने वाला ।	196	कौंदा	बिजली की चमक
			197	कुल्फ़त	रन्ज, तकलीफ़
			198	कजी	टेढ़ापन
176	कस्बी औरतें	बाज़ारी औरतें, बदकार औरतें	199	कच्चा बच्चा	ना तमाम बच्चा, वोह बच्चा जो हम्मल की मुदत से पहले पैदा हो जाए
177	कुशादगी	फ़राख़ी, वुस्अत			
178	कोढ़ी	बरस की बीमारी	200	कशाइश	कुशादगी, फ़राख़ी, वुस्अत
179	कन्दा	लिखा हुवा	201	कज़्ज़ाब	बड़े झूटे
180	किफ़ायत	काफ़ी होना, हस्बे ज़रूरत फ़ाएदा हासिल होना	202	कसीरुल वुकूअ	कसरत से वाक़ेअ होने वाला
181	कूचें	वोह मोटा पट्टा जो आदमी की एड़ी के ऊपर और चौपायों के टख़ने के नीचे होता है	203	कोख	पहलू, शिकम, पेट के नीचे की वोह जगह जहां हड्डी नहीं होती
182	कुसूफ़	सूरज ग्रहन	204	कोए	नाक की तरफ़ आंख का कोना
183	कुब	इन्सान की पीठ का झुकाव	205	कराहते तहरीम	मक्रूहे तहरीमी
184	कल अ़दम	न होने के बराबर			
185	कन्खियों	तिरछी निगाह, निगाह फेर कर देखना	206	कंगन	कलाई का एक ज़ेवर
			207	कराहिय्यत	नफ़रत
186	काठी	घोड़े की जीन, पालान, कजावा	208	कफ़ालत	ज़मानत, गारन्टी, ज़िम्मेदारी
			209	कनीज़	लौंडी
187	कमानीदार	सिंघ्रग वाले	210	कसल	सुस्ती, काहिली
188	कुफ़्रान	नाशुक्री	211	कुजा	कहां, किस जगह
189	कूज़ा पुशत	कुबड़ा, कुब्बा	212	कदूरत	नफ़रत, रन्जिश
190	कहग़िल	मिट्टी की लिपाई	213	कूच	रवानगी, रेहूलत, एक जगह से दूसरी जगह जाना ।
191	कुतुबे शरइय्या	तफ़सीर व हदीस वग़ैरा			
192	काहे	किस लिये ! क्यूं ?	214	कोरे घड़े	मिट्टी के नए मटके, लोटे

(ख)

215	खफीफ़	थोड़ा, हलका, कम	230	ख़तर	ख़ौफ़, ख़तरा
216	ख़सफ़	ज़मीन में धंसना	231	ख़फीफ़	कम, थोड़ा
217	ख़ुराफ़ात	बेहूदा बातें	232	ख़ुन्की	ठन्डक
218	ख़ासिर	नुक़सान उठाने वाला	233	ख़ातिरे	लिहाज़ करते हुए,
219	ख़ुसूफ़	चांद ग्रहन		मल्हूज़	आव भगत
220	ख़तरा	डर, ख़ौफ़, वस्वसा	234	ख़ुन्सा	हीजड़ा
221	ख़ुश ख़्वान	अच्छी आवाज़ से	235	ख़िल्क़त	पैदाइशी हैअत
		पढ़ने वाला	236	ख़ुसूमत	झगड़ा
222	ख़ाम	कच्ची	237	ख़ुद्दाम	ख़ादिम की जम्अ, ख़िदमत करने वाले
223	ख़ुरमा	ख़जूर, छूहरा			
224	ख़लाइक़	ख़लीफ़ा की जम्अ, मख़्लूक़	238	ख़ुश ख़ुल्क़	अच्छे अख़लाक़
			239	ख़ोट	मिलावट, नक्स, फ़रेब
225	ख़ुदरौ	अपने आप उगा हुआ, जंगली	240	ख़न्कार	खांसी की आवाज़, वोह आवाज़ जो बल्ग़म को हटाने या गला साफ़ करने के वासिते निकाली जाए
226	ख़ौफ़ और रवा रवी	ख़ौफ़ व घबराहट			
227	ख़ल्क़	मख़्लूक़	241	ख़ुर	जानवरों के पाउं
228	ख़ुल्लत	बे पनाह महब्बत, बेहद दोस्ती	242	ख़ुटक्ना	किसी चीज़ का अगले दांतों से काटना या तोड़ना
229	ख़ैरुन्नास	लोगों में से अच्छा			

(ग-घ)

243	ग़ैब व शहादत	पोशीदा और ज़ाहिर, गाइब व हाज़िर	247	ग़ैर जहरी	वोह नमाज़ें जिन में पस्त आवाज़ से क़िराअत की जाती है मसलन ज़ोहर व अ़सर
244	ग़िल्मान	जन्नत के कमसिन ख़ादिम			
245	ग़ैर महरम	जिस से निकाह जाइज़ हो	248	ग़रीबुल वतन	मुसाफ़िर
246	गुलू	हद से गुज़र जाना, बहुत ज़ियादा मुबालगा करना	249	ग़ैर मुतनाही	जिस की कोई हद न हो

250	गैर सबीलैन	आगे और पीछे के मक़ाम के इलावा	261	गट्टों	टख़्नों
251	गैबते हश्फ़ा	सरे ज़कर का छुप जाना	262	गूज़	कम
252	गैर मामून	जिस से अम्न न हो, गैर मेहफूज़, जो क़ाबिले इत्मीनान न हो।	263	गर्द	वोह गन्दी हवा जो मक्अद की राह से ब आवाज़े बुलन्द ख़ारिज हो
253	गिरां	तक्लीफ़ देह, दुश्वार, महंगा	264	गिरह	धूल, गुबार
254	गहनों	जेवर	265	गोदी	गांठ, गज़ का सोलहवां हिस्सा
255	गहन	सूरज पर चांद का या चांद पर ज़मीन का साया पड़ने से उन का सियाह नज़र आना	266	गन्दना	एक किस्म की मशहूर तरकारी जो लहसन से मुशाबेह होती है
256	गोदना	बदन में सूई से सुरमा या नील भरना	267	घुरस्ना	बन्दर गाह का एक हिस्सा किसी चीज़ में अटका देना, घुसेड़ना
257	गाभन	वोह जानवर जिस के पेट में बच्चा हो	268	घोड़े आ पड़े	घोड़े रौंद डालें
258	गुदाम गुदाम	आगे आगे	269	घाइयां	उंगलियों के दरमियान की जगह
259	गच	चूने का पथ्थर	270	घिन	नफ़रत
260	गोशों	गोशे की जम्अ, कोनों	271	घट	कम
			272	घाइल	ज़ख़्मी होना

(च-छ)

273	चोली	ग़िलाफ़	277	चरसे	चमड़े का बड़ा डोल
274	चाह	कूवां	278	चुगा	जुब्बा
275	चुपका	ख़ामोश	279	चित	पीठ के बल लेटना
276	चन्वल	शौख़ (शरीर) वोह घोड़ा जिस की दुम और पाउं न ठहरते हों	280	चाबुक	हन्टर, कोड़ा
			281	चौखूंटी	चार कोनों वाली
			282	चंदला	गन्जा

283	चुंगी	एक महसूल जो म्यूनिसिपल कमेटी की हुदूद में माल लाने पर लिया जाता है, टेक्स	284	चुन्नटें	सिल्वटें
			285	छुटाना	छुड़ाना (आजाद करना)
			286	छिदरे	फ़ासिले फ़ासिले से
			★	★	★★★

(ज-झ)

287	जमीअ	तमाम	302	जुगाली	हैवानात का अपने चारे को
288	जाए इमामत	इमामत की जगह			मेदे में से निकाल कर
289	जस्त	छलांग लगाना, उछलना			मुंह में चबाना
290	जुद्दान	ग़िलाफ़	303	जिर्मदार	जिस्म रखने वाला
291	जज़अ व फ़ज़अ	रोना पीटना	304	जांगुज़ा	जान घटाने वाला, जान को अजि़य्यत या तक्लीफ़ देने वाला
292	जोते हुए खेत	वोह खेत जिस में हल चलाया गया हो	305	जरार	कसीर लश्कर, बहादुर, दिलेर
293	जान कनी	नज़अ की हालत में, मौत के लम्हात में सांस उखड़ना	306	जाए नजासत	नजासत की जगह
294	जहल	जहालत, ना वाकिफ़ी, बे इल्मी	307	जुम्बिश	हरकत
295	जिहत	सम्त	308	जूक जूक	गुरौह के गुरौह
296	जलक	मुश्तज़नी	309	जाकिरीन	ज़िक्र करने वाले
297	जूआ	वोह लकड़ी जो गाड़ी या हल के लिये बैलों के कन्धे पर रखी जाती है	310	जवाहिर	क़ीमती पथ्थर
			311	जिदाल	झगड़ा
			312	जुमरुक	कस्टम हाउस, चुंगीख़ाना
298	जनाई	दाई, बच्चा जनाने वाली	313	जहर	ऊंची आवाज़
299	जमीअ मा सिवा अल्लाह	अल्लाह ﷻ के सिवा काएनात की हर चीज़	314	जम्में	जमे की जम्अ, मिना में तीन मक़ामात जहां कंकरियां मारी जाती हैं
300	जिला देना	ज़िन्दा करना			
301	जदी मुनासबत	आबाई मुनासबत	315	जवारेह	इन्सान के हाथ पाउं और दीगर आज़ा

316	जुनुब	वोह आदमी जिसे जिमाअ या एहतिलाम की वजह से गुस्ल की हाजत हो।	326	जियादते कलीला	थोड़ी जियादती
317	जब्बारीन	जब्बार की जम्अ जालिम तरीन	327	जेरे नाफ	नाफ के नीचे
318	जमादात	जमाद की जम्अ, बेजान चीजें जैसे धात, पथ्थर वगैरा	328	जमीने मगसूब	ऐसी जमीन जिस पर जबरदस्ती कब्जा किया गया हो
319	जुम्लतन	सब के सब, यक्बारगी	329	जुव्वार	जियारत करने वाले
320	जी अक्ल	अक्लमन्द	330	जियादत	इजाफा, जियादती
321	जुर्रियत	औलाद, नस्ल	331	जिदैन	दो मुखालिफ चीजें
322	जी वजाहत	मुअज्जज, मोहतरम	332	जईफ	कमजोर, लागर
323	जल्लत	लग्जिश	333	जाइर	जियारत करने वाला
324	जज़	डांट डपट, मलामत	334	जारी	गिर्या, रोना पीटना
325	जच्चा खाना	वोह मकाम जहां बच्चा पैदा होता है	335	झिरी	शिगाफ, सूराख
			336	झोल	घोड़े के ऊपर डालने का कपड़ा
			★	★	★★★

(ड-ढ)

337	डोरा	धागा	339	ढकेल	धक्का
338	ढेला	मिट्टी का बड़ा टुकड़ा, आंख के अन्दर का गोल हिस्सा, खुला	340	(धकेल) ढाल	पस्ती
			★	★	★★★

(त)

341	तक्फ़ीर	काफ़िर करार देना	345	तक्यादार	कब्रिस्तान की निगरानी करने वाला
342	तअम्मुल	गौरो फ़िक्क, तक्कुफ़, रुकावट			
343	तर्द्मे क़ब्र	क़ब्र की नेमतें	346	तक्दीमो	आगे पीछे
344	तज़्लील	गुमराह करार देना		ताख़ीर	

347	तह नशीन होना	नीचे बैठ जाना	367	तआरुज	दो चीजों का आपस में
348	तुख़्म	बीज			मुखालिफ़ होना
349	तन्कीस	घटाना, कम करना, नक्स निकालना	368	तवंगर	दौलत मन्द, अमीर, मालदार
350	तौकीत दान	इल्मे तौकीत का जानने वाला	369	तलफ़	जाएअ
			370	तकान	थकन
351	तअरुज	सामने आना, मुजाहमत, रोकना	371	तुन्दी	तेज़ी, सख़्ती, शह्वत
			372	तुन्द मिजाज	सख़्त मिजाज
352	तारिक	छोड़ने वाला	373	तर्क	छोड़ना
353	तुन्द खू	सख़्त मिजाज	374	तलफ़्फ़ुज	लफ़्ज का मुंह से अदा करना
354	तोशा	जादे राह	375	तहफ़्फ़ुज	हिफ़ाज़त
355	तफ़िरका	फ़र्क	376	तवस्सुत	दरमियाना
356	तक्लील	कमी करना	377	ताक अदद	वोह अदद जो दो पर पूरा तक्सीम न हो मसलन पांच, सात, नव वगैरा
357	तफ़ावुत	फ़र्क			
358	तज्हीजो तक्फीन	मुर्दे के कफ़न दफ़न का इन्तिज़ाम	378	ताहिर	पाक
359	तसल्लुत	ग़लबा	379	तबकात	तबके की जम्अ, दरजे, मन्ज़िलें
360	तख़्मीना	अन्दाज़ा			
361	तफ़्सीक	फ़ासिक़ करार देना	380	तशत	थाल, हाथ धोने का बरतन
362	तरतील	हुरूफ़ को ठहर ठहर कर अदा करना	381	ताक़	मेहराब नुमा जगह जो दीवार में बनाते हैं
363	तहलील	الْحَالَةَ पढ़ना	382	तमानिय्यत	इत्मीनान, तसल्ली, दिल जमी, सुकून
364	तजल्लुल	अज़िज़ी करना, अपने आप को हकीर समझना	383	तबक़	थाल, बड़ी रिकाबी
365	तूल	लम्बाई	384	तारी होना	किसी कैफ़िय्यत का ग़लबा पाना
366	तहते तसरुफ़	इख़्तियार में, ज़ेरे हुक्म			

(द)

385	दस्त बस्ता	हाथ बांधे	405	दुहाई	किसी को पुकार कर मदद के लिये बुलाना, इस्तिगासा
386	दुश्नाम	गाली			
387	दम्वी	जिस में बहता हुआ खून हो			
388	दल	जसामत, मोटाई	406	दगा	धोका, फरेब
389	दलदार	जिस का जिस्म हो	407	दूना	दुगना, दो चन्द, दोहरा
390	दबीज़	मोटा, मज़बूत	408	दहन	मुंह
391	दिल बटे	ध्यान दूसरी तरफ़ जाए	409	दरपेश	सामने, रूबरू
392	दाई	बुलाने वाला	410	दालान	बरआमदा
393	दहशत नाक	भयानक, डरावना	411	दानिस्ता	जानबूझ कर
394	दख़ख़न	जुनूब की सप्त (दक्षिण)	412	दाएं चलाना	अनाज गाहना, खल्यान पर बैलों को चलाना
395	दीवान	अशआर और इल्मे उरूज़ (अशआर के क़वाइद के इल्म) की किताबें	413	दल्लाल	सौदा करने वाला, आदती
			414	दर्द आगीन	दर्द से भरा हुआ
396	दस्तगाह	महारत	415	देहक़ानी	दीहाती, इस से मुराद दीहात का रहने वाला नहीं बल्कि जाहिल मुराद है चाहे वोह शहरी ही क्यों न हो।
397	दवाअन	दवा के तौर पर			
398	दम नहीं मार सकता	चूं व चरा (एतिराज़) नहीं कर सकता, कुछ बात नहीं कह सकता	416	दम्बल	फोड़ा
399	दिरम (दिरहम)	चांदी का एक सिक्का	417	दुन्या गुज़श्ती व गुज़ाश्ती	दुन्या ख़त्म होने वाली और छूटने वाली
400	दफ़ीना	दफ़न किया हुआ माल			
401	दुन्या व मा फ़ीहा	दुन्या और जो कुछ इस में है।	418	दस्ती	हाथ के ज़रीए
			419	धान	चावल
402	दैन	क़र्ज़	420	दर कनार	एक तरफ़
403	दफ़अ	दूर करना	421	दो चित्तियां	दो काले नुक्ते
404	दो चन्द	दुगना			

(ध)

422	धोंकना	तेज करना, जलाना	423	धूल	मिट्टी, गर्द
-----	--------	-----------------	-----	-----	--------------

(न)

424	नज़ाफ़त	सफ़ाई	440	नागा	ग़ैर हाज़िरी
425	नाका	ऊंटनी	441	निरी	ख़ालिस
426	नसीम	पिछली रात की नर्म व मुअत्तर हवा, सुब्ह की ठन्डी हवा	442	निछावर	निसार, बिखेरना
427	नेमते उज़्मा	बड़ी नेमत	443	नियाबतन	बतौरै नाइब, काइम मक़ाम
428	ना ख़तना शुदा	जिस का ख़तना न हुवा हो	444	नुमू	ज़ियादती
429	नरकल	सरकन्डा	445	नफ़का	रोटी कपड़े वगैरा का खर्च
430	नादिरन	कमयाब, उम्दा, अजीब	446	नौए इख़्तियार	एक तरह का इख़्तियार
431	निस्यान	भूलचूक, एक मरज़ जिस में इन्सान के ज़ेहन से गुज़श्ता वाकिआत मह्व हो जाते हैं।	447	नुसरत	मदद, हिमायत
432	ना गवार	ना पसन्द	448	नियाज़ मन्द	मोहताज, आज़िज़ी व इन्किसारी का इज़हार करने वाला
433	नुक्क	गुफ़्तगू, गोयाई	449	नाश	लाश, मथियत
434	ना आश्ना	ना वाकिफ़	450	नेक ज़न्नी	अच्छा गुमान
435	ना गहानी	इत्तिफ़ाक़िया, अचानक	451	नाजुकी	नरमी, कमज़ोर
436	ना गुफ़्ता बेह	जिस का न कहना बेहतर हो, ना काबिले बयान	452	निगहदाश्त	हिफ़ाज़त, निगरानी
437	निस्फ़ उश्श	बीसवां हिस्सा (5%)	453	निगाह ख़ीरा होना	बहुत रोशन और बहुत चमकती हुई चीज़ पर नज़र करने से आंख का पूरा न खुलना, झपकने लगना।
438	नंगो आर	शर्मो हया, ग़ैरतो हमिय्यत	454	नथना	नाक का सूराख़
439	नक्कारा	नौबत, बड़ा ढोल	455	नादिम	शरमिन्दा
			456	नादिर	कमयाब, क़लील

457	नस्ब	गाड़ना, खड़ा करना	463	निहाल	खुशहाल, खुशो खुरम
458	नादार	गरीब, मोहताज	464	नसानी	ईसाई
459	ना मस्मूअ	न सुना गया, ना मक्बूल	465	नाखुन गीर	नाखुन तराश
460	नानबाई	रोटी पकाने वाला	466	नवाकिजे	वुजू तोड़ने वाली
461	नायाब	कमयाब, नादिर		वुजू	चीजें
462	नशेबो	पस्ती व बुलन्दी	467	ना गवार	ना पसन्द
	फ़राज़	(उतार चढ़ाव)	★	★	★★★

(प)

468	पैहम	लगातार, पै दर पै	481	पल्ली	तेल या घी निकालने का
469	पचताना	अफ़सोस करना			आला, टेढ़ा चम्चा
	(पछताना)		482	पैरूए शैतान	शैतान के पैरौकार
470	पट लेटना	पेट के बल लेटना, औंधा लेटना	483	पाइताबा	जुराब
471	पुड़िया	कागज़ की एक थैली	484	पालती	चार ज़ानू बैठना
472	पै दर पै	लगातार, मुतवातिर		मारना	
473	पाएंती	क़दमों की जानिब	485	फोड़ा	बड़ी और मोटी फुन्सी,
474	पासदारी	लिहाज़, मुरव्वत,			ज़हरीले मादे की थैली
		जानिबदारी	486	पतझाड़	ख़ज़ां, वोह मौसम जिस में
475	परागन्दा	परेशान, मुन्तशिर			दरख़्तों के पत्ते झड़ जाते हैं
476	पूरब	मशरिक़	487	पियादा	पैदल चलने वाला
477	पसे पुश्त	पीछे	488	पेशतर	पहले
478	पर्गना	ज़िलअ का हिस्सा	489	पयाल	चावल का भुस
479	पालीज़	खेत	490	पपोटों	जिस्म का वोह हिस्सा जो
480	पोहंचियां	पोहंची की जम्अ, कलाई,			आंख से मिला होता है,
		एक ज़ेवर जो कलाई में			आंख का ग़िलाफ़
		पहना जाता है	491	पेड़ू	नाफ़ से नीचे का हिस्सा

492	पैर	अनाज साफ़ करने की जगह	495	पुश्ते दस्त	हाथ की पुश्त,
493	पुरसाने हाल	हाल पूछने वाला, मददगार			हाथ की उल्टी तरफ़
494	परा	सफ़	★	★	★★★

(फ)

496	फुज्जार	फ़ाजिर की जम्अ, बदकार	507	फ़र्दन फ़र्दन	जुदा जुदा, अलाहदा
497	फुस्साक़	फ़ासिक़ की जम्अ, गुनाहगार	508	फ़त्हे बाब	अलाहदा, एक एक कर के दरवाज़ा खोलना
498	फ़स्ले तवील	लम्बा फ़ासिला	509	फ़लाहे दुन्यवी	दुन्यवी काम्याबी
499	फ़हम	समझ	510	फ़िस्क़	ना फ़रमानी, जुर्म, बदकारी, गुनाह
500	फ़सादे बाज़	बाज़ का फ़ासिद होना	511	फ़स्द का खून लेना	रग खेल कर फ़ासिद खून निकलवाना
501	फ़रबा	मोटा, सिहूहत मन्द	512	फ़ाल	शुगून
502	फ़र्जे ख़ारिज	औरत की शर्मगाह का बैरूनी हिस्सा	513	फ़र्जे दाख़िल	शर्मगाह का अन्दरूनी हिस्सा
503	फ़राख़	कुशादा	514	फ़ासिल	जुदा करने वाला, जुदा
504	फ़ीशो फ़ीशो	पीछे पीछे	515	फ़ुरेरी	रूई का टुकड़ा
505	फ़ लिहाज़ा	इसी लिये, इसी वजह से			
506	फ़सादे कुल	कुल का फ़ासिद होना			

(ब-भ)

516	बालाई	ऊपरी, फ़ाज़िल, फ़ालतू	523	बच्ची	वोह बाल जो नीचे के होंट और ठोड़ी के बीच में होते हैं
517	बे हिंस	जिस को किसी का एहसास न हो, जो हरकत न कर सके।	524	बालाख़ाना	ऊपर वाला हिस्सा
518	ब दरजहा	बहुत ज़ियादा, कई दरजे	525	बे गुबारो बुख़ार	बुख़ारात और गर्द के बिगैर
519	ब तरीक़े मस्नून	सुन्नत के मुताबिक़	526	ब राहे जहल	ना वाकिफ़ी की बिना पर, जहालत की बिना पर
520	बाज़पुर्स	पूछगछ			
521	बे आमेज़िश	मिलावट के बिगैर	527	बन्दिश	गिरह
522	बेबाक	बे ख़ौफ़, बे हया			

528	बिल अक्स	जिद, बर ख़िलाफ़	549	बराहे	मुख़ासर करने के
529	ब गोशे दिल	जौको शौक से, तवज्जोह से		इख़ितसार	लिये
530	बिदका	डर कर चौंकना, डरना	550	बरियुज्जिम्मा	जिम्मेदारी से बरी
531	बाक़िला	लोबिया	551	बे रीश	दाढ़ी के बिगैर
532	ब उज़्र	उज़्र के साथ	552	बत	बतख़
533	बि ऐनिही	इसी तरह	553	ब मूजिब	मुताबिक्
534	बम	घोड़ागाड़ी का बांस जिस में घोड़ा जोता जाता है	554	बिला तअम्मुल	बे सोचे समझे
535	बिस्तुम	बीस	555	बराअत	नजात, छुटकारा
536	बे दस्तो पा	हाथ पाउं के बिगैर	556	बिला क़िराअत	क़िराअत के बिगैर
537	ब ख़ौफ़े तत्वील	तवालत के ख़ौफ़ से	557	बार	बोझ, दुश्वार
538	बुलाक़	एक ज़ेवर जो कि नाक में पहनते हैं	558	बस्ता	जमा हुवा
539	बदले खुलअ	वोह माल जिस के बदले में निकाह ज़ाइल किया जाए	559	बदले क़िताबत	वोह माल जिस के बदले मुकातब गुलाम को आज़ादी मिले।
540	बित्तख़सीस	खुसूसियत के साथ	560	भाल	बरछी का फल, तीर की नोक
541	बिला तकल्लुफ़	बे रोक टोक	561	बैरून	बाहर
542	बश्शाशत	मसररत, खुशी	562	बटा	बल दिया, लपेटा
543	बजरा	एक किस्म की गोल और ख़ूब सूरत कश्ती	563	बहू	अरब के ख़ाना बदोश लोग, दीहाती
544	बैओ शिरा	ख़रीदो फ़रोख़्त	564	बराहे	मुख़ासर करने के लिये
545	बुरहान	दलील		इख़ितसार	
546	ब नज़रे ह़कारत	तौहीन की नज़र से	565	बादियान	सोंफ़
547	बे आबरूई	बे इज़्ज़ती, बे ह़याई	566	ब दिक्क़त	मुश्किल से
548	तम्लीक	मालिक बना देना	567	बक्वी	कपड़ों की छोटी गठड़ी
			568	बिल्कुल समते रास	बिल्कुल सर के ऊपर
			569	बहली का खटोला	बैलों की छोटी गाड़ी

570	बौलो बराज	पेशाब और पाखाना	578	ब तकल्लुफ	तक्लीफ उठा कर
571	बहाइम	चौपाए	579		कोई काम करना
572	بِقُدْرَةِ تَعَالَى	अल्लाह तआला के फ़ज़ल से	580	बय्यन	वाजेह, साफ़
573	बुन्दकियां	छींटे	581	बेख़ कनी करना	यानी जड़ काटना
574	बुका	रोना	582	भड़का	मुश्तइल होना, तेज़ होना
575	बिला सौत	बिगैर आवाज़	583	भोंक देना	घोंपना
576	बेश कीमत	ज़ियादा कीमत	584	भौं	अबरू, आंख और माथे के
577	बय्यन	वाजेह, साफ़			दरमियानी बाल

(म)

585	मुहाल	ना मुम्किन	599	महकूम	इख़्तियार में, ज़ेरे हुक्म, ताबेअ
586	मुहालात	मुहाल की जम्अ, ना मुम्किनात	600	मसालेह	मस्लहतें
587	मुख्तार	बा इख़्तियार, आज़ाद, इख़्तियार दिया गया	601	मबगूज़	काबिले नफ़रत
			602	मरघट	हिन्दुओं के मुर्दे जलाने की जगह
588	मिन जानिबिल्लाह	अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की तरफ़ से	603	महसूर	घिरा हुआ, क़लआ बन्द, मुक़य्यद
589	मफ़ज़ूल	वोह शख्स जिस पर किसी को फ़ज़ीलत दी जाए	604	मअ़ासी	गुनाह
590	मिन जानिबे शैतान	शैतान की तरफ़ से	605	मुसख़्ख़र	ताबेअ किया गया, तस्ख़ीर किया गया
			606	मुत्तबेईन	पैरवी करने वाले
591	मुरसलीन	मुरसल की जम्अ, अल्लाह तआला की तरफ़ से भेजे गए रसूल	607	मसील	हम शक्ल, वैसा ही
			608	मन्क़सत	कमी, घटाना, नक़्स
592	मलक	फ़रिश्ता	609	मुक़्तदा	पेशवा, रहनुमा
593	मुनज़्ज़ा	पाक, ऐबों से बरी	610	मुफ़्सिद	झगड़ा करने वाला, बागी, फ़सादी
594	मुतनाही	जिस की कोई हद हो			
595	मुलूक	सलातीन, बहुत से बादशाह	611	मुअ़ानिद	दुश्मन
596	मफ़कूद	नापैद, गाइब	612	मद्दे नज़र	पेशे नज़र, सामने
597	मजाल	ताक़त, कुदरत	613	मौज़ए फ़र्ज़	जिस्म का वोह हिस्सा जिस का धोना फ़र्ज़ है।
598	मुतअल्लिकीन	तअल्लुक़ रखने वाले			

614	मुतवस्सित	दरमियाना	637	मुतजम्मिन	दाखिल, शामिल
615	मौजए नजासत	नजासत की जगह	638	मूजिब	वाजिब करने वाला, बाइस, सबब
616	मानेअ	रुकावट, रोकने वाला	639	मुदावमत	हमेशगी
617	मुतरत्तिब	तरतीब दिया हुवा	640	मुतमय्यिज	इम्तियाज, जुदा, अलग
618	मख्फ़ी अम्र	पोशीदा मुआमला	641	मुतजज़ी	तक्सीम होना, टुकड़े टुकड़े होना
619	मियानी	पाजामा का वोह हिस्सा जो पेशाबगाह के करीब होता है	642	मुसल्ला	जाए नमाज़
620	मांझ लेना	साफ़ कर लेना	643	मुश्तही	काबिले शहवत लड़का, ख्वाहिश पैदा करने वाला
621	मुतयक्कन	यक़ीनी	644	मअ क़िराअत	क़िराअत के साथ
622	मीच लीं	बन्द कर लीं	645	मुनादी	पुकारने वाला, एलान करने वाला
623	मुतनब्बेह	ख़बरदार, आगाह, होशियार	646	महसूब	शुमार किया गया, हिसाब में लगाया गया
624	मस्टूद	बन्द किया गया, रोका गया, बन्द, रुका हुवा	647	मुहतम बिश्शान	निहायत अहम, अज़ीम
625	महूव	मिटा हुवा, फ़ना, मादूम	648	मुराहिका	वोह लड़की जो बालिग़ होने के करीब हो
626	मिस्सी	एक किस्म का मन्जन	649	मुज़्तर	तक्लीफ़ में मुब्तला, मजबूर, परेशान
627	मरइय्या	जिस को देख सकें	650	माज़ून	वोह गुलाम जिसे तिजारत की इजाज़त दी गई हो
628	मसाहत	ज़मीन की पैमाइश	651	मत्बूअ	सरदार, जिस की पैरवी की जाए
629	मुतजाविज़	अपनी हृद से बढ़ने वाला	652	मयका	औरत के वालिदैन का घर
630	मुन्तबिक	मुवाफ़िक़, बराबर	653	मूरिस	वारिस करने वाला, वोह शख्स जिस से वरसा मिला हो
631	महाज़ी	सामने, बराबर	654	मजूसिया	आतिश परस्त (आग की इबादत करने वाली) औरत
632	मुवाजहा	आमने सामने, रूबरू	655	मन्फ़अत	नफ़अ, फ़ाएदा
633	मुर्तकिब	इर्तिकाब करने वाला, किसी फ़ैल का करने वाला	656	मुज़िर	नुक्सान देह
634	मुजर्ब	आज़माया हुवा			
635	मुअज़्ज़मे दीनी	दीनी पेशवा			
636	मज़िन्नए नजासत	नजासत का गुमान			

657	मुजरा	जारी किया गया, कटौती	677	मलाल	रन्ज, अप्सोस
658	मादिनी	वोह चीजें जो कान से निकलें	678	मुतमव्वल	मालदार
659	मीआद	मुद्दत	679	मरतूब हवा	वोह हवा जिस में नमी हो
660	मायए इज़्ज़त	बाइसे इज़्ज़त	680	मबादा	खुदा न ख़्वास्ता, कहीं ऐसा न हो
661	मुस्तइद	तय्यार	681	मजरा	आदाब बजा लाना, सलाम करना
662	मुजब्ज़ब	मुतरद्दिद, एक ख़याल पर क़ाइम न रहने वाला	682	महशूर	हशर किया गया, क्रियामत में उठाया गया
663	मोतद बिही	बहुत सा, तादाद या मिक्दार में ज़ियादा, क़ाबिले एतिमाद	683	मन्हर	नहर करने की जगह
664	मुतवल्ली	इन्तिज़ाम करने वाला, मुन्तज़िम	684	मोचना	बाल उखेड़ने का आला
665	मम्लूक	मक्बूज़ा, मिलिक्यत, गुलाम	685	मस्नूई मुर्दा संग	सफ़ेद रंग का पथ्थर जो दवाओं में काम आता है
666	मोतमद	क़ाबिले एतिमाद	686	मुतज़क्करए बाला	ऊपर ज़िक्र किये गए
667	मग्ज़	गिरी, किसी चीज़ का अन्दरूनी हिस्सा, दिमाग़	687	मुताबअत	पैरवी
668	मिल्क	मिलिक्यत, मालिक होना	688	मुन्हरिफ़	फिरा हुवा
669	मसास	जिस्म के किसी हिस्से को शहवत उभारने के लिये छूना या मलना	689	मुफ़्तरिज़	फ़र्ज़ पढ़ने वाले
670	मबीअ	बेची गई चीज़	690	मुतनफ़िफ़ल	नफ़ल पढ़ने वाले
671	मुतवस्सितुल हाल	दरमियानी हालत	691	मन्सूब	खड़ा
672	मेह्नताना	मेह्नत का सिला, वकील की फ़ीस	692	मौज़ए इहानत	ज़िल्लत की जगह
673	मूए बग़ल	बग़ल के बाल	693	मज्बह	जानवर ज़ब्द करने की जगह
674	मुअत्तर	खुशबू में बसा हुवा	694	मिन जिहतिल इबाद	बन्दों की तरफ़ से
675	मोल लेना	किसी चीज़ को ख़रीदना, अपने सर मुसीबत लेना	695	मुस्तहिन	जिस के पास चीज़ गिरवी रखी गई हो
676	मआ	साथ	696	मुस्तहिक़ नार है	जहन्नम का हक़दार है
			697	मरहून	जो चीज़ गिरवी रखी गई है
			698	मुस्तगरक़	घेरे हुए

699	मुआसात	ग़म ख़वारी और भलाई	720	मसाइब	मुसीबत की जम्अ
700	मक्तूब इलैह	जिसे ख़त पहुँचा			परेशानियां, तकलीफें
701	मुहीत	घेरे हुए, इहाता किये हुए	721	मकाबिर	मक़बरे की जम्अ, क़ब्रिस्तान
702	मारिफ़ते ज़ात	ज़ात की पहचान	722	मुद्इये नबुव्वत	नबुव्वत का दावा करने वाला
703	माओ शुमा	हम और आप	723	मुर्व्वत	अख़्लाक़, इन्सानिय्यत
704	मशिय्यते इलाही	अल्लाह ﷻ की मरज़ी, तक्दीरे इलाही	724	मदाएह	तारीफें
705	मन्सबे अज़ीम	बड़ा मर्तबा, बुलन्द मक़ाम	725	मामून	महफूज़, बेख़ौफ़
706	मुसावी	बराबर, हम पल्ला	726	मुल्क दारी	इन्तिज़ामे हुकूमत
707	मुल्क गीरी	मुल्क पर तसल्लुत काइम करना, सल्तनत की हुदूद को बढ़ाना	727	मुतसव्विफ़	बनावटी सूफी, सूफी बनने वाला
708	मदारिजे विलायत	विलायत के दरजे, विलायत के रुत्बे	728	मुन्हसिर	महदूद
709	मुजय्यन	आरास्ता, सजाया हुवा	729	मुहीत	घेरने वाला
710	मादर ज़ाद	पैदाइशी	730	मस	छूना
711	मफ़ज़ूल	वोह शख़्स जिस पर किसी को फ़ज़ीलत दी जाए	731	مَعَاذَ اللَّهِ	अल्लाह की पनाह
712	मअ	साथ	732	मख़ज	निकलने की जगह
713	मुश्ताक़े ज़ियारत	ज़ियारत का शौक़ रखने वाला	733	मौक़ए नजासत	नजासत के गिरने की जगह
714	मुतवस्सिलीन	नज़्दीकी चाहने वाले	734	मुक़त्तआत की अंगूठी	वोह अंगूठी जिस पर हुरूफ़े मुक़त्तआत लिखे हुए हों जैसे ۞ वगैरा
715	मन्सब	मर्तबा, ओहदा	735	मुजामअत	हम बिस्तरी करना
716	मन व तू	मैं और तू	736	मैल काटना	मैल साफ़ करना
717	मुशाहिद	हाज़िर, ज़ाहिर	737	मुर्दा पोस्त	मुर्दा खाल
718	मुतशक्किल	शक्ल इख़्तियार करना, सूरत इख़्तियार करना	738	मुतहय्यिर	हैरान, हक्का बक्का, मुतअज्जिब
719	मींह	बारिश	739	मुज़ायक़ा	हरज, क़बाहत
			740	मूल	पूंजी, सरमाया
			741	मुत्तसिल	पास, क़रीब, नज़्दीक लगा हुवा, लगातार

742	मतली	जी मतलाना, कै	765	मुस्तकर	ठहरने की जगह, जाए
743	मजरत	नुक्सान, जरर, जियां			करार, ठिकाना
744	मम्बअ	सरचश्मा, अस्ल, मख़ज	766	मर्जअ	जाए पनाह, रुजूअ करने
745	मग़मूम	ग़मगीन, बेहोश			की जगह, जिस की तरफ़
746	मुहाज़ात	आमने सामने, रूबरू, सीध			रुजूअ किया जाए
747	मख़फ़ी	पोशीदा	767	मुतवातिर	पै दर पै, मुसल्लसल, लगातार
748	मुशारकत	शरीक होना, हिस्सेदारी, बाहम शिर्कत करना,	768	मुसाफ़हा	हाथ मिलाना
749	मज्मूअतन	मज्मूई तौर पर, जम्अ किया हुवा	769	मरज़े मोहलिक	वोह बीमारी जिस में जान जाने का अन्देशा हो, ख़ौफ़नाक बीमारी
750	मुकरर	दोबारा, बार बार	770	मसारिफ़	मसरफ़ की जम्अ, खर्च करने की जगह, अख़राजात
751	मिम्बर	मिम्बर	771	मदयून	मक्खूज़
752	मबगूज़	ना पसन्दीदा, काबिले नफ़रत	772	मुआनका	गले मिलना
753	मुसरह	वाजेह	773	माल गुज़ारी	ज़मीन का लगान (टेक्स)
754	मादूम होना	ख़त्म होना, नापैद होना, कम होना	774	मुनक्का	एक किस्म की बड़ी किश्मिश
755	मख़रूती	गाजर नुमा, गाजर की शक़ल का	775	मुअय्यन	मुकरर
756	मुअक्कद	ताकीद किया हुवा	776	मुसल्लम	पूरा, सब, तस्लीम किया गया, दुरुस्त
757	मौज़ए इक्तिदा	इक्तिदा की जगह	777	मुफ़िलस	ग़रीब, दीवालिया, नादार, फ़राख़ी के बाद तंगी का आ जाना
758	महारिम	महरम की जम्अ, जिस से निकाह हमेशा हराम हो	778	मिमार	इमारत बनाने वाला, मिस्त्री
759	मुस्तब्अद	दूर अज़ कियास, बर्ईद	779	मादिन	कान
760	मशरूअ	शरीअत के मुवाफ़िक़, जाइज़	780	मुद्ई	दावा करने वाला
761	मा बक़िय्या	बक़िय्या, बाकी बचा हुवा	781	मसाना	जिस्म के अन्दर पेशाब की थैली
762	मरगूब	पसन्दीदा, महबूब	782	मुआख़ज़ा	जवाब तलबी, बाज़पुर्स
763	मुतमत्तेअ	फ़ाएदा उठाना, नफ़अ हासिल करना	783	मोहतात फ़िद्दीन	दीन के मुआमले में एहतिyयात करने वाला
764	मासियत	ना फ़रमानी, गुनाह	784	मुश्त	एक मुठ्ठी

785	मल्लअ	तुलूअ होने की जगह (चांद नज़र आने की जगह)	803	मिअज़नह	मीनारा
786	मौला	आका, मालिक, गुलाम	804	मौज़ए सुजूद	सज्दा और पाउं रखने की
787	मुक़दमाते हज़	हज़ के मसाइल, मुआमलात		व क़दम का	जगह का पाक होना
788	मूज़ियों	मूज़ी की जम्अ, तकलीफ़ देने वाले	805	मौज़ए सज्दा	सज्दे की जगह
789	मस्तूरात	मस्तूरा की जम्अ, पर्दा नशीन औरतें	806	मुतल्ला	सोने से आरास्ता
790	मुतव्विफ़	तवाफ़ करने वाला	807	मुक़द्दम	आगे
791	मुशव्वश	परेशान, मुज़्तरिब, हैरान	808	मुअल्लक़	आवेज़ां, लटका हुआ
792	मामूर	मुक़र्रर, मुतअय्यन, हुक्म किया गया, इजाज़त दिया गया	809	महल्ले सुजूद	सज्दे की जगह
793	मवानेअ	मानेअ की जम्अ, रुकावट	810	मवाजेअ	जगहों
794	मुजर्रद	तन्हा	811	मुअल्लिमे अजीर	उजरत पर पढ़ाने वाले
795	मुग़ल्लज़ात	फ़ोहूश ग़ालियां	812	मुअक्किल	वोह शख़्स जो वकील मुक़र्रर करे, वकील करने वाला
796	मीज़ान मीज़ान	बराबर करना			
798	मुबाहात	फ़ख़्र			
799	मन्क़बत	बुजुर्गाने दीन, औलियाउल्लाह की मदह के अश्आर	813	मदयून का कफ़ील	मक़्रूज़ का ज़ामिन
800	मुब्हम	पोशीदा	814	मुद्आ अलैह	वोह शख़्स जिस पर दावा किया जाए
801	मूँढे	कन्धे, शाने	815	मुन्क़तअ	जुदा
802	मुसल्ली	नमाज़ी	★	★	★

(य)

816	यौमुत्तरविया	आठवीं जुल हिज्जा का दिन	818	यक चश्म	एक आंख वाला, काना
817	यक्का	घोड़ागाड़ी	819	यमीन	क़सम

(२)

820	रफीअ	बुलन्द, बड़ी शान वाला	837	रुसुल	रसूल की जम्अ
821	राहिन	गिरवी रखने वाला	838	रास्तबाज	ईमानदार, दियानतदार
822	रतबुल्लिसान	बहुत तारीफ़ करने वाला, मद्दाह	839	रफ़ाज	राफ़िजी
			840	रतूबत	तरी, नमी
823	रींठ	नाक का सफ़ेद लेसदार माद्दा	841	रीह	गेस, मेदे की हवा
			842	राजेह	बेहतर, ग़ालिब
824	राल	लुआबे दहन, मुंह का चेप	843	रोंगटे	वोह छोटे नर्म बाल जो इन्सान के बदन पर होते हैं
825	रकीक	पतला			
826	रेखें	मन्जन या पानों के रंग के निशान जो दांतों में पड़ जाते हैं	844	रिकाबियां	रिकाबी की जम्अ थालियां, त़शतरियां
			845	रक्अत भर	रक्अत भरी, सूरते फ़ातिहा के साथ किसी सूरत का मिला कर रक्अत अदा करना
827	रफू	फटी हुई जगह को भरना, फटे हुए कपड़े की तागों से मरम्मत करना			
828	रवा रवी	भागदौड़, उज़्लत	846	रोजे अब्र	जिस दिन बादल छाए हों
829	रोश्नाई	लिखने की सियाही	847	रास्त गो	सच बोलने वाला, साफ़ गो
830	रौंदना	कुचलना	848	राहगीर	मुसाफ़िर
831	रियाह	रीह की जम्अ, मेदे की हवा	849	रक़बा	गर्दन, गुलाम, लौंडी
832	रिया	दिखलावा	850	राइज	जारी, आम, रस्मी
833	रफ़स	फ़ोहूश कलाम	851	रहज़न	चोर, डाकू
834	रियासत	सरदारी	852	रुफ़का	रफ़ीक़ की जम्अ, साथी, दोस्त
835	रू ब किब्ला	किब्ले की जानिब			
836	रौग़न	पौलिश, चमक, तेल	853	रेते	रेत

854	रोजे मीसाक	वोह वक्त जब अल्लाह तआला ने तमाम अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام से हुजूर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ पर ईमान लाने और हुजूर عَلَيْهِ السَّلَام की नुस्रत का पुख्ता अहद लिया।
-----	---------------	---

(ल)

855	लब कुशार्ई	बात करना	856	लंगोट	कम अर्ज कपड़ा जो फुकरा
856	ला जरम	लाजिमी, जरूर			या पहलवान बांधते हैं
857	लहून	तरन्नुम, क्वाइदे मूसीकी के मुताबिक गाना, गलती	867	लगिज़िश	ख़ता, सहव
			868	लबरेज़	भरा हुवा, पुर
858	लागर	कमज़ोर, दुबला पतला	869	लंग	पाउं का नक्स, लंगड़ा पन
859	लुन्झा	लंगड़ा लूला, हाथ पाउं से महरूम	870	लिथड़ जाना	लथपथ होना, आलूदा होना
860	लुआब	थूक, राल, लेस	871	लू	वोह हवा जो मौसिमे गर्मा में चलती है
861	लठ्ठे	शहतीर, लकड़ी			
862	लगन	टब, तश्त	872	लगिवय्यात	लगव की जम्अ बेहूदा बातें, बक्वास, फुज़ूल
863	लज़्ज़ात	मजे लेना			
864	लेसी गई	लीपी गई	873	ला मज़हब	जिस का कोई मज़हब न हो, ला दीन
865	लप	चुल्लू			

(व)

874	वस्ल	मिला हुवा होना, मिलाना	880	वहशत	घबराहट, खौफ़
875	वगैरहुम	और इन के इलावा	881	वलिय्ये अबअद	दूर का रिश्ते वाला
876	वह्दानिय्यत	अल्लाह عَزَّوَجَلَّ का एक होना, ला शरीक होना	882	वाफ़िर	ज़ियादा
877	वक्अत	क्द्रो मन्ज़िलत, इज़्ज़त	883	वुस्अत	कुशादगी
878	वसाइत	वासिता की जम्अ, वासिते, ज़रीए, अस्बाब	884	वगैरहा	और इस के इलावा
			885	वजाहत	इज़्ज़त, एहतिराम
879	वारिद	मज़कूर, पहुंचना	886	वुकूए किज़्ब	झूट का वाक़ेअ होना

887	वरअ	परहेजगारी	894	वाजिबुल अदा	जिस की अदाएगी जरूरी है
888	वासिल	पहुंचना			
889	वुस्अत	गुन्जाइश	895	वरा वरा	पीछे पीछे
891	वज़अ क़अ	शक्लो सूरत	896	वाजिबुल हिफ़ज़	जिस का याद करना जरूरी हो
892	वलिये अकरब	सब से ज़ियादा नज़्दीक का रिश्तेदार	897	वाजिबुल वुजूद	जिस का वुजूद जरूरी हो
893	वसीक़ा	दस्तावेज़, इक़ार नामा			

(श)

898	शर्की	मशरिकी	908	शोलाज़न	शोला मारने वाला, शोला निकालने वाला
899	शफ़ीअों	शफ़ाअत करने वाले			
900	शानों	शाने की जम्अ, कन्धे	909	शबे अस्रा	मेराज की रात
901	शनाख़्त	पहचान, वाकिफ़ियत	910	शरीर	बुरा, बद ज़ात
902	शीरख़वारगी	वोह उम्र जिस में बच्चा दूध पीता है	911	शरारे	चिंगारियां
903	शरून्नास	लोगों में से बुरा	912	शामते नफ़्स	नफ़्स की नुहूसत, नफ़्स की आफ़त
904	शफ़ीअ	शफ़ाअत करने वाला	913	शआइरे इस्लाम	इस्लाम की निशानियां, इस्लाम की अलामात
905	शयातीनुल इन्स	शरीर लोग, इन्सानी शैतान	914	शर्मगाहे ज़न	औरत की शर्मगाह
906	शाक़	भारी	915	शामत	परेशानी, वबाल, उलझन
907	शिकम	पेट			

(स)

916	सिक़ह	मोतबर	920	सितारे गुथ गए	ज़ाहिर हो गए, छोटे बड़े सितारों का ज़ाहिर हो जाना यहां तक कि कोई सितारा पोशीदा न रहे
917	सिक़ले समाअत	ऊंचा सुनने का मरज़			
918	सिज्जीन	जहन्नम में एक वादी का नाम			
919	सहव	भूलना			

921	सर बुरीदा	सर कटा हुवा	941	सराब	रेतिली ज़मीन की वोह चमक जिस पर चांद सूरज की चमक से पानी का धोका होता है
922	सुकूत	ख़ामोशी			
923	सक़त	ताक़त			
924	सील	तरी, नमी			
925	सक्ता	लम्हा भर के लिये ख़ामोश होना	942	संगदिली	सख़्त दिली
			943	सीवन	सिलाई
926	साक़ित	मुआफ़	944	सराए	मुसाफ़ि़रों के ठहरने का मकान
927	साई	कोशिश करने वाला			
928	सय्यिआत	सय्यिआ की जम्अ है बुराइयां	945	सेल	पानी की रौ, बहाव
			946	सिआयत	कोशिश, मेहनत, दौड़ धूप
929	सुन्नते	वोह सुन्नतें जो फ़र्ज़ के बाद पढ़ी जाती हैं	947	सपेद दाग़	बरस की बीमारी
930	बादिय्या		948	साहिर	जादूगर
931	सालिम	पूरा, तमाम	949	सुकूनत	रिहाइश
932	सुतरा	आड़	950	सिकाया	पानी की सबील
933	संगिस्तान	पथरीली ज़मीन	951	साइलीन	साइल की जम्अ, सुवाल करने वाले। पूछने वाले, मांगने वाले
934	साबिक़	पहला, सबक़त ले जाने वाला			
935	सब्बो शत्म	गालियां	952	सिन	उम्र
936	सैलान	किसी पतली चीज़ या पानी का जारी होना	953	सेंठा	सरकन्डा
			954	सेह बारा	तीसरी बार
937	सरोकार	वासिता, तअल्लुक़	955	समझवाल	समझदार
938	सुनने रवातिब	सुन्नते मुअक्कदा	956	सुवा	मोटी सुई, बड़ी सुई
939	सम्तुरास	सर से आस्मान तक का सीधा ख़त, बुलन्दी की इन्तिहा	957	सहल	आसान
			958	सिपर	ढाल, आड़, रोक
			959	सालहाए	गुज़रे हुए साल
940	सियर	सीरत की जम्अ, आदतें, ख़स्लतें		गुज़श्ता	
			960	सख़्त खू	सख़्त मिज़ाज

961	सफ़	खर्च	970	सफ़ में	सफ़ में अकेला नमाज़
962	सिफ़ाते	जाती सिफ़ात		मुन्फ़रिद	पढ़ने वाला मुक्तादी
	जातिया		971	सराहतन	वाज़ेह तौर पर, जाहिर
963	सदहा	सैंकड़ों, बहुत से	972	सुदूर	वाक़ेअ होना
964	सुहुफ़े	फ़रिशतों के सहीफ़े	973	सिफ़ाते	बुरी सिफ़तें
	मलाएका			जमीमा	
965	सवाब	दुरुस्त	974	सफ़ी	बरगुज़ीदा
966	सादिर होना	वाक़ेअ होना	975	सरीह	वाज़ेह
967	सलाते	नमाज़े अस्स	976	सफ़रा	पीले रंग का
	वुस्ता				कड़वा पानी
968	सगाइर	सगीरा की जम्अ, छोटे	977	सबी	बच्चा
		गुनाह	978	सन्अत	कारीगरी, दस्तकारी
969	सौत	आवाज़	★	★	★★★

(ह)

979	हादिस	अदम से वुजूद में आना, जो पहले न हो बाद में वुजूद में आए	988	हाइल	रोक, आड़, पर्दा
			989	हल्क़	सर मुंडाना
			990	हज्जे मबरूर	मक्बूल हज
980	हुदूस	वुजूद में आना	991	हामियान	हामी की जम्अ, हिमायती, मददगार
981	हसना	नेकी			
982	हरकातो	आदतो अत्वार	992	हक्कुल अब्द	बन्दे का हक़
	सकनात		993	हत्तल इम्कान	जहां तक मुम्किन हो
983	हिक्म	हिक्मतें	994	हाजते	जाहिरी हाजत
984	हस्वे मरातिब	मर्तबे के मुताबिक़		जाहिरा	(तोशा और सुवारी)
985	हिल्लत	हलाल होना	995	हश्फ़ा	आलए तनासुल की सुपारी
986	हत्तल वस्अ	जहां तक हो सके	996	हुर्मते नमाज़	कोई ऐसा काम न किया हो जो मुनाफ़िये नमाज़ है
987	हिजाब	पर्दा			

997	हर्बी	दारुल हर्ब में रहने वाला	1013	हाज़िक	अपने फ़न में माहिर, तजरिबेकार
998	हिफ़जे इलाही	अल्लाह ﷻ की हिफ़ाज़त, अल्लाह तआला की अमान	1014	हुक्ना	किसी दवा की बत्ती या पिचकारी पीछे के मक़ाम में चढ़ाना जिस से इजाबत (रफ़ू हाज़त) हो जाए
999	हय्य	ज़िन्दा			
1000	हिक्मते बालिगा	कामिल हिक्मत			
1001	हसनात	नेकियां	1015	हुर्मत	इज़्ज़त, अज़मत
1002	हक्कानिय्यत	सच्चाई, सदाक़त	1016	हुनूद	हिन्दू
1003	हक्कगोई	सच बोलना	1017	हादी	हिदायत देने वाला
1004	हरज	तंगी, सख़्ती, नुक्सान	1018	हनूज़	अभी तक, इस वक़्त तक
1005	हाइज़	हैज़ वाली औरत	1019	हैअते ऊला	पहली सूरत
1006	हज़र	हालते इक़ामत, एक जगह क़ियाम	1020	हिबा कर देना	तोहफ़े में देना
1007	हादिसए अज़ीमा	बड़ी आफ़त, बड़ा सानेहा	1021	हमा तन	बिल्कुल, तमाम
1008	हमाइल	गले में डालने की चीज़, छोटे साइज़ का कुरआन जिसे गले में लटकाते हैं।	1022	हिलाल	पहली रात का चांद
1009	हदसे अ़मद	जानबूझ कर बे वुज़ू होना	1023	हैबतनाक	ख़ौफ़नाक
1010	हत्तल मक्दूर	जहां तक हो सके	1024	हैअत	बनावट, सूरत, कैफ़िय्यत
1011	हज़ीं	ग़मगीन	1025	हमराही	साथी, रफ़ीक़
1012	हदस	बे वुज़ू होना	1026	हलकी क़िराअत	मुख़्तसर क़िराअत
			1027	हकल	हार, शानो शौकत
			★	★	★★★

तफ्सीली फ़ेहरिस्त

मजामीन	सफ़्हा	मजामीन	सफ़्हा
पहला हिस्सा (अक्काइद का बयान)		मरने के बाद रूह का बदन से तअल्लुक	100
अक्काइद मुतअल्लिकए जातो सिफ़ते बारी तआला	2	मुन्करो नकीर के सुवालात	106
अक्काइद मुतअल्लिकए नबुव्वत	28	अज़ाबे क़ब्र	111
नबी व रसूल की तारीफ़	28	अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام व औलियाए क़राम के बदन को मिट्टी नहीं खा सकती	114
क़िराअते मुतवातिरा का इन्कार कुफ़्र है	33	अ़लामाते क़ियामत	116
नस्ख़ की तहक्कीक़	34	क़ियामत का मुन्किर काफ़िर है	129
इस्मते अम्बिया	38	हश्र का बयान	130
अम्बियाए क़राम عَلَيْهِمُ السَّلَام से अहकामे तब्लीग़िया में सहव व निस्यान मुहाल है	41	हुजूर ﷺ का शफ़ाअत फ़रमाना	138
ज़मीन का हर ज़र्आ हर नबी के पेशे नज़र है	44	हि़साबो किताब	141
नबी को अल्लाह ﷻ के हुजूर चूड़े चमार की मिसल कहना कुफ़्र है	56	हौज़े कौसर	145
मोज़िज़ा, इरहास, क़रामत, मक़ूनत और इस्तिदराज की तारीफ़	58	मीज़ान व लिवाउल हम्द व सिरात	146
ख़साइसे हुजुरे अक़रम सरवरे आ़लम ﷺ	60	जन्नत का बयान	152
मर्तबए शफ़ाअते कुब्रा	70	दोज़ख़ का बयान	163
हुजूर ﷺ की ताज़ीम बादे ईमान हर फ़र्ज़ पर मुक़द्दम व अहम है	74	ईमान व कुफ़्र का बयान	172
हुजूर ﷺ की ताज़ीमो तौक़ीर बादे वफ़ात भी फ़र्ज़ है	75	उसूले अक्काइद में तक्लीद जाइज़ नहीं	177
हुजूर ﷺ के क़ौल या फ़ैल या अमल को		काफ़िर या मुरतद के वासिते उस के मरने के	
ब नज़रे हक़ारत देखना कुफ़्र है	79	बाद दुआए मग़िफ़रत कुफ़्र है	185
फ़रिशतों का बयान	90	मुसलमान को मुसलमान और काफ़िर को काफ़िर जानना ज़रूरियाते दीन से है	185
जिन्नात का बयान	96	हदीसे पाक के मुताबिक़ येह उम्मत तेहत्तर फ़िक़े हो	
आ़लमे बरज़ख़ का बयान	98	जाएगी, उन में एक फ़िक़ा ज़न्नती होगा	187

क़ादियानी के कुफ़्रियात	190	फ़र्जे अमली व वाजिबे एतिकादी व वाजिबे अमली व सुन्नते मुअक्कदा की तारीफें	282
राफ़िज़ियों के अक़ाइद	205	सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा व मुस्तहब व मुबाह व हारामे कर्ह व मकरूहे	283
वहाबिया के अक़ाइदो कुफ़्रियात	214	तहरीमी व इसाअत व मकरूहे तन्जीही व ख़िलाफ़े औला की तारीफें	
ग़ैर मुक़ल्लिदीन के अक़ाइदो कुफ़्रियात	235	वुजू का बयान और इश के फ़ज़ाइल	284
बिद्अत के माना	235	फ़राइजे वुजू का बयान	288
इमामत का बयान	237	वुजू की सुन्नतें	292
ख़िलाफ़ते राशिदा	241	वुजू के मुस्तहब्बात	296
सहाबए किराम رضي الله تعالى عنهم का ज़िक्र, खैर ही से होना फ़र्ज है	252	वुजू के मकरूहात	300
शैख़ैने करीमैन की ख़िलाफ़त का इन्कार फुकहाए किराम के नज़्दीक कुफ़्र है	253	वुजू के मुतफ़रिफ़ मसाइल	301
सहाबए किराम رضي الله تعالى عنهم सब ज़न्नती हैं	254	वुजू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान	303
ख़िलाफ़ते राशिदा कब तक रही ?	257	मुतफ़रिफ़ मसाइल	309
अहले बैत رضي الله تعالى عنهم से महब्बत न रखने वाला मलकुन व ख़ारिजी है	262	गुस्ल का बयान	311
विलायत का बयान	264	गुस्ल के फ़राइज	316
तरीक़त मुनाफ़िये शरीअत नहीं	265	गुस्ल की सुन्नतें	319
औलियाए किराम رحمته الله تعالى पर उमूरे ग़ैबिया मुन्कशिफ़ होते हैं	268	गुस्ल किन किन चीज़ों से फ़र्ज होता है	321
करामाते औलियाए किराम رحمته الله تعالى का मुन्किर गुमराह है	269	पानी का बयान	328
इस्तिम्दाद, इस्तिआनत व ईसाले सवाब व उर्स	271	किस पानी से वुजू जाइज है और किस से नहीं	329
शराइते बैअत	278	कूएं का बयान	335
दूश्श हिश्शा (तहाशत का बयान)		आदमी और जानवरों के झूटे का बयान	341
तम्हीद	279	तयम्मूम का बयान	344
किताबुत्तहाशत	282	तयम्मूम के मसाइल	346
फ़र्जे एतिकादी की तारीफ़	282	तयम्मूम की सुन्नतें	356

किस चीज़ से तयम्मूम जाइज़ है और किस से नहीं	357	वक्ते फ़ज़्र	447
तयम्मूम किन चीज़ों से टूटता है	360	वक्ते ज़ोहर व जुमुआ	449
मोज़ों पर मस्ह का बयान	362	वक्ते अ़स्र	450
मस्ह का तरीक़ा	366	वक्ते मग़रिब व इशा व वित्र	450
मस्ह किन चीज़ों से टूटता है	367	अवकाते मुस्तहब्बा	451
आज़ाए वुजू पर मस्ह करने का बयान	368	अवकाते मकरूहा	454
हैज़ का बयान	369	अवकाते मन्अए नफ़ल	455
हैज़ के मसाइल	371	अज़ान का बयान	457
निफ़ास का बयान	377	अज़ान के फ़ज़ाइल	458
हैज़ो निफ़ास के मुतअल्लिक अहक़ाम	379	जवाबे अज़ान के फ़ज़ाइल	462
इस्तिहाज़ा का बयान	384	अज़ान के मसाइल	463
माज़ूर के मसाइल	385	इक़ामत के मसाइल	470
नजाशतों का बयान	388	जवाबे अज़ान	472
नजिस चीज़ों के पाक करने का तरीक़ा	396	तस्वीब व मुतफ़रिक् मसाइले अज़ान	474
इस्तिन्जे का बयान	405	नमाज़ की शर्तों का बयान	475
इस्तिन्जे के मुतअल्लिक मसाइल	408	शर्तें अक्वल त़हारत	476
तक़रीजे आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खां عَلَيْهِمُ الرِّحْمَةُ	414	दुवूम सत्रे औरत	478
तीक्ष्ण हिस्सा (नमाज़ का बयान)		सिवुम इस्तिक्बाले किब्ला	486
नमाज़ के फ़ज़ाइल	434	तहरी के मसाइल	489
नमाज़ छोड़ने पर वर्दें	441	चहारुम वक्त, पन्जुम निय्यत	491
नमाज़ के मसाइल	443	शशुम तकबीरे तहरीमा	500
अवकाते नमाज़ का बयान	444	नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा	501

फ़राइजे नमाज़	507	जमाअत के मसाइल	582
अव्वल तक्बीरे तहरीमा	507	तर्कें जमाअत के आजार	583
दुवुम क़ियाम	509	मुक्तदी कहां खड़ा हो	584
सिवुम क़िराअत	511	औरत की मुहाज़ात से नमाज़े मर्द के फ़ासिद होने के शराइत	587
चहारुम रुकूअ	513	मुक्तदी के अक़साम व अहक़ाम	588
पन्जुम सुजूद	513	मुक्तदी कहां इमाम का साथ दे और कहां नहीं	593
शशुम कादए अख़ीरा	515	नमाज़ में बे तुजू होने का बयान	595
हफ़्तुम ख़ुरूजे बि सुन्द्ही	516	शराइते बिना	595
वाजिबाते नमाज़	517	ख़लीफ़ा करने का बयान	599
नमाज़ की सुन्नतें	520	मुप्सिदाते नमाज़ का बयान	603
दुस्ब शरीफ़ के फ़ज़ाइलो मसाइल	531	लुक्मा देने के मसाइल	607
नमाज़ के मुस्तहब्बात	538	नमाज़ी के आगे से गुज़रने की मुमानअत	614
नमाज़ के बाद के ज़िक्वे दुआ	539	मक्स्हात का बयान	618
कुश्डाने मजीद पढ़ने का बयान	542	नमाज़ के 43 मक्स्हाते तहरीमिया	624
मसाइले क़िराअत बैरूने नमाज़	550	तस्वीर के अहक़ाम	627
क़िराअत में ग़लती होने का बयान	554	मक्स्हाते तन्ज़ीहिया	630
इमामत का बयान	558	नमाज़ तोड़ने के आजार	637
शराइते इमामत	560	अहक़ामे मस्जिद का बयान	638
शराइते इक़िदा	562	तक्रीजे आला हज़रत, मौलाना शाह इमाम	
इमामत का ज़ियादा हक़दार कौन है	567	अहमद रज़ा ख़ां عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن	651
जमाअत के फ़ज़ाइल व तर्क के क़बाउह	574		
सफ़े अव्वल के फ़ज़ाइल और सफ़ को सीधा करना और मिल कर खड़ा होना	579		

इस्लामी अक्काइद का बयान

बहारे शरीअत

हिस्सा अव्वल (1)

(..... तस्हील व तख़ीज शुदा)

सदरुशरीअह बदरुत्तरीकह
हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ

मुहम्मद अमजद अली आजमी

- : पेशक्श :-

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (शोबए तख़ीज)

नाशिअ

मक्तबतुल मदीना

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل القرآن، وهدانا به إلى عقائد الإيمان، وأظهر هذا الدين القويم على سائر الأديان، والصلاة والسلام الأتمان في كل حين وأن على سيد ولد عدنان، سيد الإنس والجان، الذي جعله الله تعالى مطلعاً على الغيوب فعلم ما يكون وما كان، وعلى آله وصحبه وابنه وحزبه ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم يا رحمن! يا منان!

फकीरे बारगाहे कादिरी अबुल इला अमजद अली आजमी रज़वी अर्ज करता है कि ज़माने की हालत ने इस तरफ़ मुतवज्जेह किया कि अ़वाम भाइयों के लिये सहीह मसाइल का एक सिल्लिसला अ़ाम फ़हम ज़बान में लिखा जाए, जिस में ज़रूरी रोज़मर्रा के मसाइल हों। बा वुजूद बे फुरसती और बे मायगी के तवक्कुलन अलल्लाह इस काम को शुरू किया, एक हिस्सा लिखने पाया था कि येह ख़याल हुवा कि आमाल की दुरुस्ती अ़काइद की सिह्हत पर मुतफ़र्रै है, और बहुतेरे मुसलमान ऐसे हैं कि उसूले मज़हब से आगाह नहीं, ऐसों के लिये सच्चे अ़काइदे ज़रूरी के सरमाए की बहुत शदीद हाज़त है।

खुसूसन इस पुर आशोब ज़माने में कि गन्दुम नुमा जव फ़रोश ब कसरत हैं कि अपने आप को मुसलमान कहते, बल्कि अ़ालिम कहलाते हैं और हकीक़तन इस्लाम से उन को कुछ अ़लाका नहीं। अ़ाम ना वाकिफ़ मुसलमान उन के दामे तज़वीर में आ कर मज़हब और दीन से हाथ धो बैठते हैं, लिहाज़ा इस हिस्से यानी किताबुत़हारत को इस सिल्लिसले का हिस्सा दुवुम किया और उन भाइयों के लिये इस से पहले हिस्से में इस्लामी सच्चे अ़काइद बयान किये। उम्मीद कि बिरादराने इस्लाम इस किताब के मुतालए से ईमान ताज़ा करें और इस फ़कीर के लिये अ़फ़वो अ़ाफ़ियते दारैन और ईमान व मज़हबे अहले सुन्नत पर ख़ातिमे की दुआ फ़रमाएं।

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَتَوَقَّنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَارْزُقْنَا شَفَاعَةَ خَيْرِ الْأَنَامِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ،
وَأَدْخِلْنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ دَارَ السَّلَامِ آمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

جَلَّ جَلَالُهُ अक़ाइदे मुतअल्लिकए ज़ातो सिफ़ाते इलाही

अक़ाइदा 1 — अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) एक है⁽¹⁾, कोई उस का शरीक नहीं⁽²⁾, न ज़ात में न सिफ़ात में, न अफ़अल में⁽³⁾, न अहक़ाम में⁽⁴⁾, न अस्मा में⁽⁵⁾। वाजिबुल वुजूद है⁽⁶⁾। यानी उस का वुजूद ज़रूरी है और अदम मुहाल⁽⁷⁾। क़दीम है⁽⁸⁾ यानी हमेशा से है, अज़ली

1..... ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ प ३०, الإخلاص: १.

﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ प २, البقرة: १६३.

2..... ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ प ८, الأنعام: १६३.

3..... "في منح الروض الأزهر" في "شرح الفقه الأكبر" للقاري، ص १६: (والله تعالى واحد) أي: في ذاته (لا من طريق العدد) أي: حتى لا يتوهم أن يكون بعده أحد (ولكن من طريق أنه لا شريك له) أي: في نعته السرمدية لا في ذاته ولا في صفاته). وفي "حاشية الصاوي"، प ३०، الإخلاص، تحت الآية १: (والتنزه عن الشبيه والنظير والمثيل في الذات والصفات والأفعال)، ج ६، ص २६०. وانظر للتفصيل رسالة الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: "اعتقاد الأحاب في الجميل والمصطفى والآل والأصحاب" المعروف بـ "دس عقيدة"، ج २९، ص ३३९.

4..... ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ﴾ پ ۱۵، الكهف: ۲۶.

في "تفسير الطبري"، ج ۸، ص ۲۱۲، تحت الآية: (يقول: ولا يجعل الله في قضائه وحكمه في خلقه أحداً سواه شريكاً، بل هو المنفرد بالحكم والقضاء فيهم، وتديرهم وتصريفهم فيما شاء وأحب).

5..... ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ پ ۱۶، مريم: ۶۵، في "التفسير الكبير" تحت الآية: (المراد أنه سبحانه ليس له شريك في اسمه).

6..... "في منح الروض الأزهر" في "شرح الفقه الأكبر" للقاري، ص ۱۵: (لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه) أي: مخلوقاته، وهذا؛ لأنه تعالى واجب الوجود لذاته وماسواه ممكن الوجود في حد ذاته، فواجب الوجود هو الصمد الغني الذي لا يفتقر إلى شيء، ويحتاج كل ممكن إليه في إيجادهِ وإمداده، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾.

7..... يानी उस का मौजूद न होना, ना मुम्किन है।

8..... "في "المعتقد المنتقد"، ص १८: (ومنه أنه قديم، لا أول له - أي: لم يسبق وجوده عدم- وليس تحت لفظ القديم معنى في حق الله تعالى سوى إثبات وجود، ونفي عدم سابق، فلا تظن أن القدم معنى زائد على الذات القديمة، فيلزمك أن تقول: إن ذلك المعنى أيضاً قديم بقدّم زائد عليه ويتسلسل إلى غير نهاية، ومعنى القدم في حقه تعالى - أي: امتناع سبق العدم عليه- هو معنى كونه أزلياً، وليس بمعنى تطاول الزمان، فإن ذلك وصف للمحدثات كما في قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ جُذُنُ الْقَدِيمِ﴾.

के भी येही माना हैं, बाकी है⁽¹⁾ यानी हमेशा रहेगा और इसी को अबदी भी कहते हैं। वोही इस का मुस्तहक है कि उस की इबादत व परस्तिश की जाए।⁽²⁾

अक्वीदा 2 वोह बे परवाह है, किसी का मोहताज नहीं और तमाम जहान उस का मोहताज।⁽³⁾

अक्वीदा 3 उस की ज़ात का इदराक अक्लन मुहाल⁽⁴⁾ कि जो चीज़ समझ में आती है अक्ल उस को मुहीत होती है⁽⁵⁾ और उस को कोई इहाता नहीं कर सकता⁽⁶⁾, अलबत्ता उस के अफ़ाल के ज़रीए से इज्मालन उस की सिफ़ात, फिर उन सिफ़ात के ज़रीए से मारिफ़ते ज़ात हासिल होती है।

..... 1 ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ प २०, القصص: ८८.

وفي "المعتقد المنتقد"، ومنه أنه باق، ليس لوجوده آخر - أي: يستحيل أن يلحقه عدم - وهو معنى كونه أبدياً).
انظر للتفصيل: "المسامرة بشرح المسامرة"، الأصل الثاني والثالث، تحت قوله: (أنه تعالى قديم لا أول له، وأن الله تعالى أبدي ليس لوجوده آخر)، ص २२ - २४.

..... 2 ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ प १, البقرة: २१.

﴿ذِكْرُكُمْ أَنَّكُمْ لَكُمْ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ﴾ प ७, الأنعام: १०२.

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ प १०, بني إسرائيل: २३.

﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ प १२, يوسف: ४०.

..... 3 ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ प ३०, الإخلاص: २.

وفي "منح الروض الأزهر" في "شرح الفقه الأكبر"، ص १४: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ أي: المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل أحد.

4 यानी उस की ज़ात का अक्ल के ज़रीए इहाता नहीं किया जा सकता।

5 यानी उस का इहाता किये हुए होती है।

6 في "التفسير الكبير"، ج ५، ص १००، प ७، الأنعام، تحت الآية: १०३: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ المرئي إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده وجوانبه ونهاياته، صار كأن ذلك الأبصار أحاط به فتسمى هذه الرؤية إدراكاً، أما إذا لم يحط البصر بجوانب المرئي لم تسم تلك الرؤية إدراكاً. فالحاصل: أن الرؤية جنس تحتها نوعان: رؤية مع الإحاطة، ورؤية لا مع الإحاطة، والرؤية مع الإحاطة هي المسماة بالإدراك).

अक्वीदा 4 — उस की सिफ़तें न ऐन हैं न गैर⁽¹⁾, यानी सिफ़ात उसी जात ही का नाम हो ऐसा नहीं और न उस से किसी तरह किसी नह्वे वुजूद में जुदा हो सकें⁽²⁾ कि नफ़से जात की मुक्तजा हैं और ऐने जात को लाज़िम।⁽³⁾

अक्वीदा 5 — जिस तरह उस की जात क़दीम अज़ली अबदी है, सिफ़ात भी क़दीम अज़ली अबदी हैं।⁽⁴⁾

अक्वीदा 6 — उस की सिफ़ात न मख़्लूक हैं⁽⁵⁾ न ज़ेरे कुदरत दाख़िल।

अक्वीदा 7 — जातो सिफ़ात के सिवा सब चीज़ें हादिस हैं, यानी पहले न थीं फिर मौजूद हुईं।⁽⁶⁾

अक्वीदा 8 — सिफ़ाते इलाही को जो मख़्लूक कहे या हादिस बताए, गुमराह बद दीन है।⁽⁷⁾

① في "المسيرة"، ص ٣٩٢: (ليست صفاته من قبيل الأعراض ولا عينه ولا غيره) .

وفي "شرح العقائد النسفية"، ص ٤٧-٤٨: (وهي لا هو ولا غيره، يعني: أنّ صفات الله تعالى ليست عين الذات ولا غير الذات..... إلخ).

② यानी किसी भी तौर पर सिफ़ात, जात से जुदा हो कर नहीं पाई जा सकतीं।

③ बिना तशबीह इस को यूँ समझें कि फूल की खुशबू फूल की सिफ़त है जो फूल के साथ ही पाई जाती है, मगर उस खुशबू को हम फूल नहीं कहते, और न ही उसे फूल से जुदा कह सकते हैं।

④ في "منح الروض الأزهر" للقارئ، ص ٢٣: (لم يحدث له اسم ولا صفة) يعني: أنّ صفات الله وأسمائه كلّها أزلية لا بداية لها، وأبدية لا نهاية لها، لم يتجدد له تعالى صفة من صفاته ولا اسم من أسمائه، لأنّه سبحانه واجب الوجود لذاته الكامل في ذاته وصفاته، فلو حدث له صفة أو زال عنه نعت لكان قبل حدوث تلك الصفة وبعد زوال ذلك النعت ناقصاً عن مقام الكمال، وهو في حقه سبحانه من المحال، فصفاته تعالى كلّها أزلية أبدية).

وفي "المعتمد المستند"، ص ٤٦-٤٧: (وبالجملة: فالذي نعتقه في دين الله تعالى أنّ له عز وجل صفات أزلية قديمة قائمة بذاته عز وجل، لوازم لنفس ذاته تعالى، ومقتضيات لها بحيث لا تقدير للذات بدونها..... إلخ).

⑤ في "الفقه الأكبر"، ص ٢٥: (صفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة). وانظر: "المعتقد المنتقد"، ص ٤٩.

⑥ وفي "شرح العقائد النسفية"، ص ٢٤: (والعالم) أي: ما سوى الله تعالى من الموجودات ممّا يعلم به الصانع يقال عالم الأجسام وعالم الأعراض وعالم النباتات وعالم الحيوان إلى غير ذلك، فتخرج صفات الله تعالى؛ لأنّها ليست غير الذات كما أنّها ليست عينها (بجميع أجزائه) من السموات وما فيها والأرض وما عليها (محدث).

⑦ في "المعتقد المنتقد"، ص ٤٩: (صفات الله تعالى في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال: إنّها مخلوقة أو محدثة، أو وقف فيها بأن لا يحكم بأنها قديمة أو حادثة، أو شك فيها، أو تردد في هذه المسألة ونحوها فهو كافر بالله تعالى).

अक्वीदा 9

जो अलम में से किसी शै को कदीम माने या उस के हुदूस में शक करे, काफ़िर है।⁽¹⁾

अक्वीदा 10

न वोह किसी का बाप है, न बेटा, न उस के लिये बीबी, जो उसे बाप या बेटा बताए या उस के लिये बीबी साबित करे काफ़िर है⁽²⁾, बल्कि जो मुम्किन भी कहे गुमराह बद दीन है।

= قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في حاشيته، ص ٥٠: تحت قوله: "فهو كافر": (هذا نص سيدنا الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في "الفقه الأكبر" وقد تواتر عن الصحابة الكرام والتابعين والمجتهدين الأعلام عليهم الرضوان التام إكفار القائل بخلق الكلام كما نقلنا نصوص كثير منهم في "مبسن السبوح عن عيب كذب مقبوح" وهم القدوة للفقهاء الكرام في إكفار كل من أنكر قطعياً، والمتكلمون خصّوه بالضروري وهو الأحوط. ١٢

وفي "منح الروض الأزهر"، ص ٢٥، تحت قوله: (فهو كافر بالله) أي: ببعض صفاته، وهو مكلف بأن يكون عارفاً بذاته وجميع صفاته إلا أن الجهل والشك الموجهين للكفر مخصصان بصفات الله المذكورة من النعوت المسطورة المشهورة، أعني: الحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة والتخليق والترزيق.

① في "الشفاء"، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، ج ٢، ص ٢٨٣: (نقطع على كفر من قال بقدم العالم، أو بقائه، أو شك في ذلك). وانظر: "المعتقد المنتقد"، ص ١٩، و"إنباء الحى"، ص ٢٣١، و"الفتاوى الرضوية"، ج ٢٧، ص ١٣١.

② ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ٣٠، الإخلاص: ٣.

﴿مَا تَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ ٢٩، الجن: ٣.

﴿وَمَا يَتَّبِعُ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ١٦، مريم: ٩٢.

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ﴾ ٢٥، الزخرف: ٨١.

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ ١٥، بنى اسرائيل: ١١١.

في "الشفاء"، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، ج ٢، ص ٢٨٣: (من ادّعى له ولداً أو صاحبة أو والدًا أو متولداً من شيء..... فذلك كله كفر بإجماع المسلمين)، ملقطاً.

وفي "مجمع الأنهر"، كتاب السير والجهاد، ج ٢، ص ٥٠٤، و"البحر الرائق"، ج ٥، ص ٢٠٢: (إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به... أو جعل له شريكاً أو ولداً أو زوجة... يكفر).

وفي "التاتارخانية"، كتاب أحكام المرتدين، ج ٥، ص ٤٦٣: (وفي "خزانة الفقه": لو قال: لله تعالى شريك، أو ولد،

أو زوجة... كفر).

अक्वीदा 11 ✽ वोह हय्य है, यानी खुद जिन्दा है और सब की जिन्दगी उस के हाथ में है, जिसे जब चाहे जिन्दा करे और जब चाहे मौत दे।⁽¹⁾

अक्वीदा 12 ✽ वोह हर मुम्किन पर कादिर है, कोई मुम्किन उस की कुदरत से बाहर नहीं।⁽²⁾

अक्वीदा 13 ✽ जो चीज़ मुहाल है, **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** इस से पाक है कि उस की कुदरत उसे शामिल हो, कि मुहाल उसे कहते हैं जो मौजूद न हो सके और जब मक्दूर होगा तो मौजूद हो सकेगा, फिर मुहाल न रहा। इसे यूँ समझो कि दूसरा खुदा मुहाल है यानी नहीं हो सकता तो येह अगर ज़ेरे कुदरत हो तो मौजूद हो सकेगा तो मुहाल न रहा और इस को मुहाल न मानना वहदानिय्यत का इन्कार है। यूँही फनाए बारी मुहाल है, अगर तहते कुदरत हो तो मुम्किन होगी और जिस की फना मुम्किन हो वोह खुदा नहीं। तो साबित हुवा कि मुहाल पर कुदरत मानना **अल्लाह** **(عَزَّوَجَلَّ)** की उल्हिय्यत से ही इन्कार करना है।⁽³⁾

अक्वीदा 14 ✽ हर मक्दूर के लिये ज़रूर नहीं कि मौजूद हो जाए, अलबत्ता मुम्किन होना ज़रूरी है अगरचे कभी मौजूद न हो।

अक्वीदा 15 ✽ वोह हर कमाल व खूबी का जामेअ है और हर उस चीज़ से जिस में ऐब व नुक्सान है पाक है, यानी ऐब व नुक्सान का उस में होना मुहाल है, बल्कि जिस बात में न कमाल हो, न नुक्सान, वोह भी उस के लिये मुहाल। मसलन झूट, दगा, खियानत, जुल्म, जहल, बे हयाई वगैरहा उयूब उस पर क़अन मुहाल हैं और येह कहना कि झूट पर कुदरत है

1..... ﴿هُوَ الَّذِي الْقِيُومُ﴾ ३, البقرة: २००.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ १८, المؤمنون: ८०.

2..... ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ १, البقرة: २०.

في "حاشية الصاوي"، ج १، ص ३८، تحت هذه الآية: وقوله: ﴿قَدِيرٌ﴾ من القدرة وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالممكنات إيجاباً أو إعداماً على وفق الإرادة والعلم).

في "التفسير الكبير"، ج ७، ص ६०६، १०، الكهف: २०: (أنّه تعالى قادر على كلّ الممكنات).

في "المسائرة"، ص ३९१: (وقدرته على كلّ الممكنات).

3..... انظر للتفصيل: "الفتاوى الرضوية"، "سبحن السبوح عن عيب كذب مقبوح" ج १०، ص ३२२.

ब ई माना कि वोह खुद झूट बोल सकता है, मुहाल को मुम्किन ठहराना और खुदा को ऐबी बताना बल्कि खुदा से इन्कार करना है और येह समझना कि मुहालात पर कादिर न होगा तो कुदरत नाकिस हो जाएगी बातिल महज है कि इस में कुदरत का क्या नुक्सान ! नुक्सान तो उस मुहाल का है कि तअल्लुके कुदरत की उस में सलाहियत नहीं।⁽¹⁾

अक्वीदा 16

हयात¹, कुदरत², सुनना³, देखना⁴, कलाम⁵, इल्म⁶, इरादा⁷ उस के सिफाते जातिया हैं। मगर कान, आंख, ज़बान से उस का सुनना, देखना, कलाम करना नहीं, कि येह सब अजसाम हैं और अजसाम से वोह पाक। हर पस्त से पस्त आवाज़ को सुनता है, हर बारीक से बारीक को कि खुर्दबीन से महसूस न हो वोह देखता है, बल्कि उस का देखना और सुनना इन्हीं चीज़ों पर मुन्हसिर नहीं, हर मौजूद को देखता है और हर मौजूद को सुनता है।⁽²⁾

① في "المسامرة بشرح المسامرة"، ص ٣٩٣: (يستحيل عليه) سبحانه (سمات النقص كالجعل والكذب) بل يستحيل عليه كلّ صفة لا كمال فيها ولا نقص؛ لأنّ كلّاً من صفات الإله صفة كمال، انظر للتفصيل: "المسامرة بشرح المسامرة"، واتفقوا على أنّ ذلك غير واقع، ص ٢٠٤ - ٢١٠، و"الفتاوى الرضوية"، ج ١٥، ص ٣٢٠ - ٣٢٢.

② ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ پ ٣، آل عمران: ٢.

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ پ ٧، المائدة: ١٢٠.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ پ ٢٤، المؤمن: ٢٠.

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْوِينًا﴾ پ ٦، النساء: ١٦٤.

﴿أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ پ ٢٨، الطلاق: ١٢.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ پ ٦، المائدة: ١. ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَاعْلَمُ مَا تُرِيدُ﴾ پ ١٢، هود: ١٠٧.

في "الفقه الأكبر"، ص ١٥ - ١٩: (لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعالية، أمّا الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة).

في "المسامرة بشرح المسامرة"، ص ٣٩١ - ٣٩٢: (وصفات ذاته حياته بلا روح حالة، وعلمه وقدرته وإرادته وسمعه بلا صماخ لكل خفي كوقع أرجل النملة) على الأجسام اللينة (وكلام النفس) فإنّه تعالى يسمع كلّاً منهما (وبصره بلا حدقة يقلبها، تعالى رب العالمين عن ذلك) أي: عن الصماخ والحدقة ونحوهما من صفات المخلوقين (لكل موجود) متعلق بقوله: وبصره، فهو متعلّق بكلّ موجود، قديم أو حادث، جليل أو دقيق (كأرجل النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، ولخفايا السرائر، متكلم بكلام قائم بنفسه أزلاً وأبداً)، ملتقطاً.

وفي "الحديقة الندية"، ج ١، ص ٢٥٣ - ٢٥٦: (له) سبحانه وتعالى (صفات قديمة قائمة بذاته، لا هو ولا غيره، هي الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع) وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمسموعات أو الموجودات فتدرك إدراكاً تاماً لا على سبيل التخيل والتوهّم، ولا على طريق تأثر حاسة ووصول هواء، (و) الخامسة (البصر) وعرفه اللاقاني أيضاً بأنّه صفة أزلية

अक्वीदा 17 – मिसल दीगर सिफ़ात के कलाम भी क़दीम है⁽¹⁾, हादिस व मख़्लूक नहीं, जो कुरआने अज़ीम को मख़्लूक माने हमारे इमामे आज़म व दीगर अइम्मा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ने उसे काफ़िर कहा⁽²⁾, बल्कि सहाबा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ से उस की तक्फ़ीर साबित है।⁽³⁾

अक्वीदा 18 – उस का कलाम आवाज़ से पाक है⁽⁴⁾ और येह कुरआने अज़ीम जिस को हम अपनी ज़बान से तिलावत करते, मसाहिफ़ में लिखते हैं, उसी का कलामे क़दीम बिना सौत है और येह हमारा पढ़ना लिखना और येह आवाज़ हादिस, यानी हमारा पढ़ना हादिस है और जो हम ने पढ़ा क़दीम और हमारा लिखना हादिस और जो लिखा क़दीम, हमारा सुनना हादिस है और जो हम ने सुना क़दीम, हमारा हिफ़ज़ करना हादिस है

تتعلق بالمبصرات أو بالموجودات فتدرك إدراكاً تاماً لا على سبيل التخيل والتوهم ولا على طريق تأثير حاسة ووصول شعاع،
(و) السادسة (الإرادة، و) السابعة (التكوين، و) الثامنة (الكلام الذي ليس من جنس الحروف والأصوات)؛ لأنها أعراض حادثة
وكلامه تعالى قديم فهو منزّه عنها، ملقطاً.

① في "الفقه الأكبر"، ص ٢٨: (والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم).

② وفي "منح الروض الأزهر"، ص ٢٦: (قال الإمام الأعظم في كتابه "الوصية": من قال بأنّ كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم)، ملقطاً.

وفي "منح الروض الأزهر"، ص ٢٩: (واعلم أنّ ما جاء في كلام الإمام الأعظم وغيره من علماء الأنام من تكفير القائل بخلق القرآن فمحمول على كفران النعمة لا كفر الخروج من الملة).

وفي "الحديقة الندية"، ج ١، ص ٢٥٨: (ذكر ابن الكمال في بعض رسائله: أنّ أبا حنيفة وأبا يوسف رضي الله تعالى عنهما تناظرا ستة أشهر، ثم استقر رأيهما على أنّ من قال بخلق القرآن فهو كافر، وقد ذكر في الأصول أنّ قول أبي حنيفة إنّ القائل بخلق القرآن كافر محمول على الشتم لا على الحقيقة فهو دليل على أنّ القائل به مبتدع ضال لا كافر).

وفي "المعتقد المتقدم"، ص ٣٨: (ومنكر أصل الكلام كافر لثبوته بالكتاب والإجماع، وكذا منكر قدمه إن أراد المعنى القائم بذاته، واتفق السلف على منع أن يقال القرآن مخلوق وإن أريد به اللفظي، والاختلاف في التكفير كما قيل).

قال الإمام أحمد رضا في "حاشيته"، ص ٣٨: قوله: (وكذا منكر قدمه) أي: (فيه تكفير الكرامية وهو مسلك الفقهاء، أمّا جمهور المتكلمين فيأبون الإكفار إلّا بإنكار شيء من ضروريات الدين، وهو الأحوط المأخوذ المعتمد عندنا وعند المصنّف العلامة تبعاً للمحققين. ١٢ إمام أهل السنة رضي الله تعالى عنه.

③ انظر "الفتاوى الرضوية"، ج ١٥، ص ٣٧٩-٣٨٤.

④ في "منح الروض الأزهر"، للقارئ، ص ١٧: (إنّ كلامه ليس من جنس الحروف والأصوات).

और जो हम ने हिफज़ किया क़दीम⁽¹⁾,

① قال الإمام أحمد رضا في "المعتمد المستند"، ص ٣٥: (وإنما المذهب ما عليه أئمة السلف أنّ كلام الله تعالى واحد لا تعدّد فيه أصلاً، لم ينفصل ولن ينفصل عن الرحمن، ولم يحل في قلب ولا لسان، ولا أوراق ولا أذان، ومع ذلك ليس المحفوظ في صدورنا إلّا هو، ولا المتلو بأفواهنا إلّا هو، ولا المكتوب في مصاحفنا إلّا هو، ولا المسموع بأسماعنا إلّا هو، لا يحلّ لأحد أن يقول بحدوث المحفوظ المتلو المكتوب المسموع، إنّما الحادث نحن، وحفظنا، وألسنا، وتلاوتنا، وأيدينا، وكتابتنا، وآذاننا، وسماعتنا، والقرآن القديم القائم بذاته تعالى هو المتجلي على قلوبنا بكسوة المفهوم، وألستنا بصورة المنطوق، ومصاحفنا بلباس المنقوش، وآذاننا بزيّ المسموع فهو المفهوم المنطوق المنقوش المسموع لا شيء آخر غيره دالّاً عليه، وذلك من دون أن يكون له انفصال عن الله سبحانه وتعالى، أو اتصال بالحوادث أو حلول في شيء ممّا ذكر، وكيف يحلّ القديم في الحادث، ولا وجود للحادث مع القديم، إنّما الوجود للقديم وللحادث منه إضافة لتكريم، ومعلوم أنّ تعدّد التجلّي لا يقتضي تعدّد المتجلي).

مدمبرم گر لباس گشت بذل شخص صاحب لباس راجه خلل

عرف هذا من عرف، ومن لم يقدر على فهمه فعليه أن يؤمن به كما يؤمن بالله وسائر صفاته من دون إدراك الكنه). وقد فصل وحقّق الإمام أحمد رضا هذه المسألة في رسالته: "أنوار المنان في توحيد القرآن"، وقال في آخره، ص ٢٧٠-٢٧١: (وذلك قول أئمتنا السلف إنّ القرآن واحد حقيقي أزلي، وهو المتجلي في جميع المجالي، ليس على قدمه بحدوثها أثر، ولا على وحدته بكثرتها ضرر، ولا لغيره فيها عين ولا أثر، القراءة والكتابة والحفظ والسمع والألسن والبنان والقلوب والآذان كلّها حوادث عرضة للغيار، والمقروء المكتوب المحفوظ المسموع هو القرآن القديم حقيقةً وحقّاً ليس في الدار غيره ديار، والعجب أنّه لم يحل فيها ولم تخل عنه، ولم يتصل بها ولم تبين منه، وهذا هو السر الذي لا يفهمه إلّا العارفون، ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ إنّ من العلم كهياة المكنون لا يعلمه إلّا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا ينكره إلّا أهل الغرة بالله. رواه في "مسند الفردوس" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

والمسألة وإن كانت من أصعب ما يكون فلم أل بحمد الله تعالى جهداً في الإيضاح حتى آض بعونه تعالى ليلها كنهها، بل قد استغنيت عن المصباح بالإصباح. وبالجملة فاحفظ عني هذا الحرف المبين ينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم، أنّك إن قلت إنّ جبريل حدث الآن بحدوث الفحل أو لم يزل فحلاً مذ وجد فقد ضللت ضلالاً مهيناً، وإن قلت إنّ الفحل لم يكن جبريل بل شيء آخر عليه دليل فقد بهت بهتاً مبيناً، ولكن قل هو جبريل قطعاً تصوّر به، فكذا إن زعمت أنّ القرآن حدث بحدوث المكتوب أو المقروء أو لم يزل أصواتاً ونقوشاً من الأزل فقد أخطأت الحق بلامرية، وإن زعمت أنّ

यानी मुतजल्ला क़दीम है और तजल्ली हादिस।⁽¹⁾

अक्वीदा 19

उस का इल्म हर शै को मुहीत यानी जुझय्यात, कुल्लिय्यात, मौजूदात, मादूमात, मुम्किनात, मुहालात, सब को अज़ल में जानता था और अब जानता है और अबद तक जानेगा, अश्या बदलती हैं और उस का इल्म नहीं बदलता, दिलों के ख़तरों और वस्वसों पर उस को ख़बर है और उस के इल्म की कोई इन्तिहा नहीं।⁽²⁾

अक्वीदा 20

वोह ग़ैब व शहादत⁽³⁾ सब को जानता है⁽⁴⁾, इल्मे ज़ाती उस का खास्सा है, जो शख्स इल्मे ज़ाती, ग़ैब ख़्वाह शहादत का ग़ैरे ख़ुदा के लिये साबित करे

المكتوب المقروء ليس كلام الله الألي بل شيء غيره يؤدي مؤداه فقد أعظمت الفرية، ولكن قل هو القرآن حقاً تطوّر به، وهكذا كلما اعتراك شبهة في هذا المجال فاعرضها على حديث الفحل تنكشف لك حلية الحال، وما التوفيق إلا بالله المهيمن المتعال).
 ①..... ② ﴿يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝﴾ پ ۲۸، التغابن: ۴.
 ③..... ④ ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا أَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾ پ ۷، الأنعام: ۵۹.
 ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝﴾ ⑤ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝﴾ پ ۲۹، الملك: ۱۳- ۱۴، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝﴾ پ ۲۸، الطلاق: ۱۲.

فِي "التفسير الكبير"، تحت الآية: (يعني: بكل شيء من الكليات والجزئيات) ج ۱۰، ص ۵۶۷.
 فِي "منح الروض الأزهر" للقارئ، ص ۱۶، تحت قوله: (والعلم) أي: من الصفات الذاتية، وهي صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلّقها بها، فالله تعالى عالم بجميع الموجودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في العلويات والسفليات، وأنه تعالى يعلم الجهر والسرّ وما يكون أخفى منه من المغيبات، بل أحاط بكل شيء علماً من الجزئيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فهو بكل شيء عليم من الذوات والصفات بعلم قديم لم يزل موصوفاً به على وجه الكمال، لا بعلم حادث حاصل في ذاته بالقبول والانفعال والتغيّر والانتقال، تعالى الله عن ذلك شأنه وتعظم عما نهاك برهانه.
 فِي "الحديقة الندية"، ج ۱، ص ۲۵۴: (العلم) وهي صفة تنكشف بها المعلومات عند تعلّقها بها سواء كانت المعلومات موجودة أو معدومة، محالة كانت أو ممكنة، قديمة كانت أو حادثّة، متناهية كانت أو غير متناهية، جزئية كانت أو كلية، وبالجملة جميع ما يمكن أن يتعلق به العلم فهو معلوم لله تعالى.

..... ④ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۝﴾ پ ۲۸، الحشر: ۲۲.
 ③..... पोशीदा और ज़ाहिर

काफ़िर है।⁽¹⁾ इल्मे ज़ाती के येह माना कि बे खुदा के दिये खुद हासिल हो।

अक्वीदा 21 — वोही हर शै का ख़ालिक है⁽²⁾, ज़वात हों ख़्वाह अफ़आल, सब उसी के पैदा किये हुए हैं।⁽³⁾

अक्वीदा 22 — हकीकतन रोज़ी पहुंचाने वाला वोही है⁽⁴⁾, मलाएका वगैरहुम वसाइलो वसाइत हैं।⁽⁵⁾

अक्वीदा 23 — हर भलाई, बुराई उस ने अपने इल्मे अज़ली के मुवाफ़िक़ मुक़द्दर फ़रमा दी है, जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था, अपने इल्म से जाना और वोही लिख लिया तो येह नहीं कि जैसा उस ने लिख दिया वैसा हम को करना पड़ता है, बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उस ने लिख दिया। ज़ैद के ज़िम्मे बुराई लिखी इस लिये कि ज़ैद बुराई करने वाला था, अगर ज़ैद भलाई करने वाला होता वोह उस के लिये भलाई लिखता तो उस के इल्म या उस के

① في "الدولة المكية بالمادة الغيبية"، ص ٣٩: (العلم ذاتي مختص بالمولى سبحانه وتعالى لا يمكن لغيره، ومن أثبت شيئاً منه ولو أدنى من أدنى من أدنى من ذرة لأحد من العالمين فقد كفر وأشرك وبار وهلك)، ملقطاً.

انظر للتفصيل: "الفتاوى الرضوية"، ج ٢٩، ص ٤٣٦-٤٣٧.

② ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ١٣، الرعد: ١٦.

③ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ٢٣، الصافات: ٩٦.

في "شرح العقائد النسفية"، ص ٧٦: (والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان).

في "اليواقيت"، ص ١٨٩: (أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقٌ لِأَفْعَالِ الْعَبْدِ كَمَا هُوَ خَالِقٌ لِذَوَاتِهِمْ).

④ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ ٢٧، الذّٰريت: ٥٨.

⑤ ﴿فَالْقَسِبَ أُمْرًا﴾ ٢٦، الذّٰريت: ٤. ﴿فَالْمَدْيِتَ أُمْرًا﴾ ٣٠، النازعات: ٥.

في "تفسير البغوي"، ج ٤، ص ٤١١، پ ٣٠، تحت الآية: ٥ ﴿فَالْمَدْيِتَ أُمْرًا﴾ قال ابن عباس: هم الملائكة وكلوا بأمر عرفتهم الله عز وجل العمل بها. قال عبدالرحمن بن سابط: يدبر الأمر في الدنيا أربعة جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل عليهم السلام، أما جبريل فموكل بالوحي والبطش وهزم الجيوش، وأما ميكائيل فموكل بالمطر والنبات والأرزاق، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس، وأما إسرافيل فهو صاحب الصور، ولا ينزل إلا للأمر العظيم.

وفي "كنز العمال"، كتاب البيوع، قسم الأقوال، الجزء ٤، ص ١٣، الحديث: ٩٣١٧: ((إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً مُّوَكَّلِينَ بِأَرْزَاقِ بَنِي آدَمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّمَا عَبْدٍ وَجَدْتُمُوهُ جَعَلَ اللَّهُ هَمًّا وَاحِدًا، فَضَمْنُوا رِزْقَهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَنِي آدَمَ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ وَجَدْتُمُوهُ طَلَبَهُ فَإِنْ تَحَرَّى الْعَدْلَ فَطَيَّبُوا لَهُ وَيَسَّرُوا، وَإِنْ تَعَدَّى إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَخَلَّوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَرِيدُ، ثُمَّ لَا يَنْزِلُ فَوْقَ الدَّرَجَةِ الَّتِي كَتَبْتُهَا لَهُ)).

लिख देने ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया।⁽¹⁾ तक्दीर के इन्कार करने वालों को नबी

ﷺ ने इस उम्मत का मजूस बताया।⁽²⁾

अक्बिदा 24 कज़ा तीन³ किस्म है :

मुब्रमे¹ हकीकी, कि इल्मे इलाही में किसी शै पर मुअल्लक नहीं ।

और मुअल्लके² महज़, कि सुहुफ़े मलाएका में किसी शै पर उस का मुअल्लक होना जाहिर फ़रमा दिया गया है ।

और मुअल्लके³ शबीह ब मुबरम, कि सुहुफ़े मलाएका में उस की तालीक़ मज़कूर नहीं और इल्मे इलाही में तालीक़ है ।

वोह जो मुब्रमे हकीकी है उस की तब्दील ना मुम्किन है, अकाबिर महबूबाने खुदा अगर इत्तिफ़ाक़न उस बारे में कुछ अर्ज़ करते हैं तो उन्हें उस ख़याल से वापस फ़रमा दिया जाता है।⁽³⁾ मलाएका कौमे लूत पर अज़ाब ले कर आए, सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह علیہ السلام कि रहमते महज़ा थे, उन का नामे पाक ही इब्राहीम है, यानी अबे रहीम⁽⁴⁾, मेहरबान बाप । उन

1 في "الفقه الأكبر"، ص ٤٠: (وكان الله تعالى عالماً في الأزل بالأشياء قبل كونها، وهو الذي قدر الأشياء وقضاها).

في "شرح النووي"، كتاب الإيمان، ج ١، ص ٢٧: (واعلم: أنّ مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه: أنّ الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنّها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعاً لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إلى الله سبحانه وتعالى خلقاً وإيجاداً، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلاً واكتساباً والله أعلم. قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس: أنّ معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه العبد وقهره على ما قدره وقضاه وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنّما معناه الإخبار عن تقدّم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرّها، ملقطاً).

وانظر: "الفتاوى الرضوية"، ج ٢٩، ص ٢٨٥، و"شرح السنة" للبيهقي، باب الإيمان بالقدر، ج ١، ص ١٤٠-١٤١.

2 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((القدرية مجوس هذه الأمة)) وقال: ((لكلّ أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر)). "سنن أبي داود"، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، الحديث: ٤٦٩١، ٤٦٩٢، ص ١٥٦٧.

3 "مكتوبات إمام رباني"، فارسي، مكتوب نمبر ٢١٧، ج ١، ص ١٢٣-١٢٤.

4 في "تفسير القرطبي"، پ ١، البقرة: ١٢٤، ج ١، الجزء الثاني، ص ٧٤، تحت الآية: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ رُبُّهُ بِكَلِمَاتٍ

فَاتَّبَعْنَاهُ... إلخ﴾ وإبراهيم تفسيره بالسريانية فيما ذكر الماوردي، وبالغربية فيما ذكر ابن عطية: أب رحيم، قال السهيلي:

काफ़िरों के बारे में इतने साईं हुए कि अपने रब से झगड़ने लगे, उन का रब फ़रमाता है :

﴿يُجَادِلُنَا فِي تَوَلُّوهُمْ﴾⁽¹⁾

“हम से झगड़ने लगा कौमे लूत के बारे में।”

येह कुरआने अज़ीम ने उन बेदीनों का रद फ़रमाया जो महबूबाने खुदा की बारगाहे इज़्ज़त में कोई इज़्ज़तो वजाहत नहीं मानते और कहते हैं कि उस के हुज़ूर कोई दम नहीं मार सकता, हालां कि उन का रब عَزَّوَجَلَّ उन की वजाहत अपनी बारगाह में ज़ाहिर फ़रमाने को खुद इन लफ़्ज़ों से ज़िक्र फ़रमाता है कि : “हम से झगड़ने लगा कौमे लूत के बारे में”, हदीस में है : शबे मेराज हुज़ूरे अक़दस صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم ने एक आवाज़ सुनी कि कोई शख्स अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के साथ बहुत तेज़ी और बुलन्द आवाज़ से गुफ़्तगू कर रहा है, हुज़ूरे अक़दस صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم ने जिब्रीले अमीन عَلَيْهِ السَّلَام से दरयाफ़्त फ़रमाया कि : “येह कौन हैं ?” अर्ज़ की मूसा عَلَيْهِ السَّلَام । फ़रमाया : “क्या अपने रब पर तेज़ हो कर गुफ़्तगू करते हैं ?” अर्ज़ की : उन का रब जानता है कि उन के मिज़ाज में तेज़ी है ।⁽²⁾ जब आयए करीमा ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾⁽³⁾ नाज़िल हुई कि “बेशक अन्करीब तुम्हें तुम्हारा रब इतना अता फ़रमाएगा कि तुम राजी हो जाओगे ।”

हुज़ूर सय्यिदुल महबूबीन صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم ने फ़रमाया :

((إِذَا لَا أَرْضِيَّ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ))⁽⁴⁾

“ऐसा है तो मैं राजी न होऊंगा, अगर मेरा एक उम्मीती भी आग में हो ।”

येह तो शानें बहुत रफ़ीअ हैं, जिन पर रिफ़अत इज़्ज़त वजाहत ख़त्म है । صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰی وَسَلَامُهُ عَلَیْهِمْ । येह तो शानें बहुत रफ़ीअ हैं, जिन पर रिफ़अत इज़्ज़त वजाहत ख़त्म है । मुसलमान मां बाप का कच्चा बच्चा जो हम्ल से गिर जाता है उस के लिये हदीस में फ़रमाया कि :

و كثيراً ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ؛ ألا ترى أنّ إبراهيم تفسيره: أب راحم؛ لرحمته بالأطفال، ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة). و”تفسير روح البيان”، ج ١، ص ٢٢١.

① ١٢، هود: ٧٤.

② عن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سمعت كلاماً في السماء، فقلت: يا جبريل! من هذا؟)) قال: هذا موسى، قلت: ((ومن يناجي؟)) قال: ربه تعالى، قلت: ((ويرفع صوته على ربه؟)) قال: إنّ الله عز وجل قد عرف له حديثه. “حلية الأولياء”، ج ١٠، ص ٤١٧، الحديث: ١٥٧٠٨. “كنز العمال”، كتاب الفضائل، فضائل سائر الأنبياء، رقم: ٣٢٣٨٥، ج ٦، الجزء ١١، ص ٢٣٢. “فتح الباري”، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، ج ٧، ص ١٨٠، تحت الحديث: ٣٨٨٧.

③ ٣٠، الضحى: ٥.

④ “التفسير الكبير”، ٣٠، الضحى: تحت الآية: ٥، ج ١١، ص ١٩٤.

“रोजे कियामत अल्लाह عَزَّوَجَلَّ से अपने मां बाप की बख्शिश के लिये ऐसा झगड़ेगा जैसा कर्ज ख्वाह किसी कर्जदार से, यहां तक कि फरमाया जाएगा :

((أَيُّهَا السَّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبُّهُ))⁽¹⁾

“ऐ कच्चे बच्चे ! अपने रब से झगड़ने वाले !

अपने मां बाप का हाथ पकड़ ले और जन्नत में चला जा ।”

खैर येह तो जुम्लए मोतरिजा था, मगर ईमान वालों के लिये बहुत नाफेअ और शयातीनुल इन्स की ख़बासत का दाफेअ था, कहना येह है कि कौमे लूत पर अज़ाब क़ज़ाए मुबरमे हकीकी था, ख़लीलुल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام इस में झगड़े तो उन्हें इरशाद हुवा :

﴿يَا بُرْهَيْمُ عَرِّضْ عَنْ هَذَا... إِنَّهُمْ إِلَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾⁽²⁾

“ऐ इब्राहीम ! इस ख़याल में न पड़ो... बेशक उन पर वोह अज़ाब आने वाला है जो फिरने का नहीं ।”

और वोह जो ज़ाहिर क़ज़ाए मुअल्लक है, उस तक अक्सर औलिया की रसाई होती है, उन की दुआ से, उन की हिम्मत से टल जाती है और वोह जो मुतवस्सित हालत में है, जिसे सुहुफ़े मलाएका के एतिबार से मुबरम भी कह सकते हैं, उस तक ख़वास अकाबिर की रसाई होती है । हुज़ूर सय्यिदुना ग़ौसे आजम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ इसी को फरमाते हैं : “मैं क़ज़ाए मुबरम को रद कर देता हूं”⁽³⁾,

① عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ السَّقْطَ لِيرَاغِمُ رَبِهِ إِذَا أَدْخَلَ أَبُو يَهُ النَّارَ، فَيَقَالُ: أَيُّهَا السَّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبُّهُ أَدْخَلَ أَبُو يَكُ الْجَنَّةَ، فَيَجْرَهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يَدْخُلَهُمَا الْجَنَّةُ)). قال أبو علي: يراغمُ رَبَّهُ، يَغَاضِبُ.

”سنن ابن ماجه“، أبواب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء فيمن أصيب بسقط، الحديث: ١٦٠٨، ج ٢، ص ٢٧٣.

② ﴿يَا بُرْهَيْمُ عَرِّضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُكَ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ پ ١٢، هود: ٧٦.

③ हुज़ूर सय्यिदुना ग़ौसे आजम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के फ़रमान “मैं क़ज़ाए मुबरम को रद कर देता हूं” पर कलाम करते हुए इमामे रब्बानी हज़रत मुजहिदे अल्फे सानी अशशैख़ अहमद सरहिन्दी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه अपने एक मक्तूब में फरमाते हैं :

(بدان ارشادك اللّٰه تعالى سبحانه قضا بر دو قسم است

قضاء معلق وقضاء مبرم در قضاء معلق احتمال تغيير وتبدیل است ودر قضاء مبرم تغيير وتبدیل را مجال نیست. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿مَا يَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ [پ ٢٦، ق: ٢٩] این در قضاء مبرم است ودر قضاء معلق میفرماید: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُ الْكِتَابِ﴾ [پ ١٣، الرعد: ٣٩] حضرت قبله گاهی امر قدس سره میفرمودند که حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سره در بعضی از رسائل خود نوشته اند که در قضاء مبرم هیچکس را مجال نیست که تبدیل بدهد مگر مرا که اگر خواهم انجا هر

تصرف بکنم، وازین سخن تعجب بسیار میکردند و استبعاد میفرمودند، و این نقل مدت‌ها در خزینة ذمین این فقیر بود تا آنکه حضرت حق سبحانه و تعالی باین دولت عظمی مشرف ساخت، و ذری در صد و دفع بلیه بود که به بعضی از دوستان نامزد شده بود دوران وقت التجا و تضرع و نیاز و خشوع تمام داشت، ظاهر شد که در لوح محفوظ قضاء این امر معلق بامر نیست و مشروط بشرطی، نه يك گونه یاس و ناامیدی دست داد و سخن حضرت سید محی الدین قدس سره بیاد آمد، مرهٔ ثانیه باز ملتجی و متضرع گشت در راه عجز و نیاز پیش گرفته متوجه شد بمحض فضل و کرم ظاهر ساختند که قضاء معلق بر دو گونه است، قضائی است که تعلیق او را در لوح محفوظ ظاهر ساخته اند و ملائکه را بر آن اطلاع داده، و قضائیکه تعلیق او نزد خداست جلّ شأنه، و پس و در لوح محفوظ صورت قضاء مبرم دارد، که بظاهر در لوح محفوظ مشروط بامر ساخته اند بلکه مطلق گذاشته لیکن نفس الامر مقید بقید و مشروط بشرط است ۱۲ حاشیه) و این قسم اخیر از قضاء معلق نیز احتمال تبدیل دارد، در رنگ قسم اول از آنجا معلوم شد که سخن سید مصروف باین قسم اخیر است که صورت قضاء مبرم وارد نه بقضاء که بحقیقت مبرم است که تصرف و تبدیل در آن محالست عقلاً و شرعاً، کما لا یخفی، و الحق که کمر کسی را بر حقیقت آن قضاء اطلاع است فکیف که در آنجا تصرف نماید، و بلیه که متوجه آن دوست شده بود در آن قسم اخیر یافت و معلوم شد که حضرت حق سبحانه و تعالی دفع آن بلیه فرمود). ”مکتوبات امام ربانی“، فارسی، مکتوب نمبر ۲۱۷، ج ۱، ص ۱۲۳-۱۲۴.

यानी : जान ले अल्लाह तुझे हिदायत अता फ़रमाए। ऐ प्यारे भाई ! क़ज़ा की दो किस्में हैं : क़ज़ाए मुअल्लक़ और क़ज़ाए मुबरम। क़ज़ाए मुअल्लक़ येह है कि उस में तब्दीली का एहतिमाल होता है जब कि क़ज़ाए मुबरम वोह है जिस में तब्दीली की गुन्जाइश नहीं, जैसा कि इरशादे बारी तअ़ाला है : (तर्जमए कन्जुल ईमान :) “मेरे यहां बात बदलती नहीं।” येह क़ज़ाए मुबरम की मिसाल है जब कि क़ज़ाए मुअल्लक़ के बारे में इरशाद फ़रमाता है : (तर्जमए कन्जुल ईमान :) “अल्लाह जो चाहे मिटाता और साबित करता है और अस्ल लिखा हुवा उसी के पास है।” मेरे पीरे बुजुर्गवार ف़ुद्स सरहन्दी फ़रमाते थे कि हज़रते पीर सय्यिद मुहयुद्दीन जीलानी ف़ुद्स सरहन्दी ने अपने बाज़ रिसालों में तहरीर किया कि क़ज़ाए मुबरम में किसी को तब्दीली करने का इख़्तियार नहीं, मगर मुझे इख़्तियार दिया गया है कि अगर चाहूं तो उस में तसरूफ़ करूं। उन की इस बात से मेरे पीरे बुजुर्गवार बहुत तअज़्जुब करते थे और इस को बईद जानते थे और येह बात इस फ़कीर (शैख़ अहमद फ़ारूकी सरहिन्दी) के ज़ेहन में काफ़ी मुद्दत तक रही यहां तक कि हक़ तअ़ाला ने मुझे भी इस दौलते उज़्मा से मुशररफ़ फ़रमा दिया (यानी शैख़ अहमद फ़ारूकी सरहिन्दी عَلَيْهِ الرّحْمَةُ की दुआ से भी क़ज़ाए मुबरम में तब्दीली हो गई, मुतर्जिम) चुनान्चे, एक दिन मेरे किसी दोस्त के साथ हाकिमे वक़्त की तरफ़ से कोई मस्अला पेश आ गया तो मैं ने उस के दफ़अ के लिये गिर्या व ज़ारी की और ख़ूब ख़ुशूओ ख़ुजूअ किया तो जानिबे हक़ तअ़ाला की तरफ़ से बतौर कश्फ़ो इल्हाम मुझे मालूम हुवा कि येह मुआमला लौहे महफूज़ में मुअल्लक़ नहीं कि

..... और इसी की निस्बत हदीस में इरशाद हुवा :

(إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ)⁽¹⁾

“बेशक दुआ क़ज़ाए मुबरम को टाल देती है।”

किसी चीज़ से ब आसानी टल जाए, पस मुझे एक किस्म की मायूसी हुई तो पीर दस्तगीर सय्यिद मुह्युद्दीन का इरशाद दोबारा याद आ गया तो मैं ने दोबारा हक़ तअ़ाला की बारगाह में आहो ज़ारी और इज्जो इन्क़िसारी की तो मुझे महज़ फ़ज़लो करम से येह बात मालूम हो गई कि क़ज़ाए मुअल्लक़ की दो किस्में हैं : एक किस्म क़ज़ाए मुअल्लक़ की वोह है कि उस की तअ़लीक़ लौहे महफूज़ में ज़ाहिर की गई है और फ़रिश्तगाने इलाही को इस की इत्तिलाअ दी गई है और दूसरी किस्म क़ज़ाए मुअल्लक़ की वोह है कि उस की तअ़लीक़ खुदाए बुजुर्गो बरतर के नज़दीक है और लौहे महफूज़ में वोह क़ज़ाए मुबरम की सूरत रखती है, (दर हकीकत येह किस्म न तो मुल्लक़ मुअल्लक़ है और न मुल्लक़ मुबरम बल्कि मुशाबेह ब मुबरम है जो कि ब ज़ाहिर लौहे महफूज़ में मुल्लक़ नज़र आती है लेकिन हकीकत में मशरूत बशर्त होती है और बसा अवकात येह ख़ासाने खुदा की दुआओं से टल जाती है, हाशिया बर मक्तूब ब तसरूफ़े मा) और येह भी क़ज़ाए मुअल्लक़ की तरह तब्दीली का एहतिमाल रखती है। पस इस तक्रीर से मालूम हुवा कि हज़रते पीर दस्तगीर عَلَيْهِ الرّحمة का इरशाद (मैं क़ज़ाए मुबरम को रद कर देता हूँ, मुतज़िम) इस किस्मे अख़ीर (यानी मुशाबेह ब मुबरम) के बारे में है न कि मुबरमे हकीक़ी के बारे में, क्यूं कि इस (मुबरमे हकीक़ी) में तसरूफ़ व तब्दीली अक्ली व शर्ई लिहाज़ से मुहाल है, हक़ बात येह है कि बहुत कम लोग हैं कि जो इस क़ज़ा (मुशाबेह ब मुबरम) की ख़बर रखते हैं और क्यूंकर रख सकते हैं जब कि इस में तसरूफ़ नहीं हो पाता, और मेरे दोस्त को जो आज़्माइश पेश आई थी उसी के सबब से मैं ने इस किस्म को दरयाफ़्त किया और हज़रते हक़ سبحानه و تعالیٰ ने इस फ़कीर की दुआ से उस की आज़्माइश को दूर कर दिया।

① “کنز العمال”، کتاب الأذکار، ج ۱، الجزء الثاني، ص ۲۸، الحديث: ۳۱۱۷. بآلفاظ متقاربة.

قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في “المعتمد المستند” حاشیه نمبر ۷۷، ص ۵۴-۵۵: (أقول: أخرج أبو الشيخ في كتاب الثواب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((أكثر من الدعاء، فإن الدعاء يرد القضاء المبرم))، وأخرج الديلمي في “مسند الفردوس” عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وابن عساكر عن نمير بن أوس الأشعري مرسلاً كلاهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ((الدعاء جند من أجناد الله مجند يرد القضاء بعد أن يبرم)). وتحقیق المقام علی ما ألهمني الملك العلام أنّ الأحكام الإلهية التشريعية كما تأتي على وجهين: (۱) مطلق عن التقيد بوقت كعامتھا و (۲) مقيد به كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِئُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْبُتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، پ ۴، النساء: ۱۵، فلما نزل حد الزنا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً). الحديث.

رواه “مسلم” كتاب الحدود، باب حد الزنا، الحديث: ۱۶۹۰، ص ۹۲۸ وغيره عن عبادة رضي الله تعالى عنه.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

والمطلق يكون في علم الله مؤبّداً أو مقيّداً، وهذا الأخير هو الذي يأتيه النسخ فيظنّ أنّ الحكم تبدل؛ لأنّ المطلق يكون ظاهره التأييد حتى سبق إلى بعض الخواطر أنّ النسخ رفع الحكم، وإنّما هو بيان مدته عندنا وعند المحققين، كذلك الأحكام التكوينية سواء بسواء، فمقيّد صراحة كأن يقال لملك الموت عليه الصلاة والسلام: اقْبُض روح فلان في الوقت الفلاني إلّا أن يدعوا فلان، مطلق نافذ في علم الله تعالى وهو المبرم حقيقة، ومصرف بدعاء مثلاً وهو المعلق الشبيه بالمبرم، فيكون مبرماً في ظن الخلق لعدم الإشارة إلى التقييد معلقاً في الواقع، فالمراد في الحديث الشريف هو هذا، أمّا المبرم الحقيقي فلا رادّ لقضائه ولا معقب لحكمه وإلّا لزم الجهل، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فاحفظ هذا فلعلك لا تجده إلّا متّاً، وبالله التوفيق ١٢٠ / إمام أهل السنة رضى الله تعالى عنه.

यानी : (मैं कहता हूँ) : अबुशैख ने किताबुस्सवाब में अनस बिन मालिक رضي الله تعالى عنه से रिवायत की उन्होंने ने कहा कि **रसूलुल्लाह** صلّى الله عليه وسلّم ने फ़रमाया कि “दुआ की कसरत करो इस लिये कि दुआ क़ज़ाए मुबरम को टाल देती है।” और दैलमी ने “मुस्न्दुल फ़िरदौस” में अबू मूसा अशअरी رضي الله تعالى عنه से और इब्ने असाकिर ने नुमैर बिन औस अशअरी رضي الله تعالى عنه से मुर्सलन दोनों ने नबी عليه السلام से रिवायत किया फ़रमाया : “दुआ **अल्लाह** के लश्क़रों में से एक साज़ो सामान वाला लश्कर है जो क़ज़ा को मुबरम होने के बाद टाल देता है।” और इस मक़ाम की तहक़ीक़ इस तौर पर जो मुझे मलिके अल्लाम (अल्लाह तबारक व तअ़ाला) ने इल्हाम की वोह येह है कि अहक़ामे इलाहिय्यह तशरीइय्या जैसा कि आगे आएंगे दो वज्हों पर हैं (पहला) मुत्लक़ जिस में किसी वक़्त की क़ैद नहीं जैसे आम अहक़ाम (दूसरा) वक़्त के साथ मुक़य्यद जैसे **अल्लाह** तअ़ाला का फ़रमान : तर्जमए कन्जुल ईमान, सूरतुन्निसाअ आयत : 15 “फ़िर अगर वोह गवाही दे दें तो उन औरतों को घर में बन्द रखो यहां तक कि उन्हें मौत उठा ले या **अल्लाह** उन की कुछ राह निकाले।” तो जब कुरआन में जिना की हद नाज़िल हुई हुज़ूर صلّى الله تعالى عليه وسلّم ने फ़रमाया : मुझ से ले लो बेशक **अल्लाह** ने इन औरतों के लिये सबील मुक़रर फ़रमाई। अल हदीस। इस को रिवायत किया मुस्लिम वग़ैरा ने उबादा رضي الله عنه से, और मुत्लक़ इल्मे इलाही में या तो मुअब्बद होता है यानी हर ज़माने के लिये (या मुक़य्यद) यानी किसी खास ज़माने के लिये और येही अख़ीर हुक्म वोह है जिस में नस्ख़ आता है, गुमान येह होता है कि हुक्म बदल गया इस लिये कि मुत्लक़ (जिस में किसी वक़्त की क़ैद न हो) का ज़ाहिर मुअब्बद है यानी हमेशा के लिये होना है यहां तक कि कुछ अज़हान की तरफ़ इस ख़याल ने सबक़त की, कि नस्ख़ हुक्म को उठा देने का नाम है और हमारे नज़दीक और मुहक़िक़ीन के नज़दीक वोह हुक्म की मुद्दत बयान करना है, और अहक़ामे तक्वीनिया भी इसी तरह बराबर (यानी दो क़िस्मों पर) हैं तो एक वोह जो सराहतन मुक़य्यद हो जैसे मलकुल मौत عليه الفلوة والسلام से कहा जाए कि फुलां की रूह फुलां वक़्त में क़ब्ज़ कर मगर येह कि फुलां उस के हक़ में दुआ करे (तो उस वक़्त में क़ब्ज़ न कर), और दूसरा मुत्लक़ है जो इल्मे इलाही में नाफ़िज़ होने वाला है और येही हक़ीक़तन मुबरम है, और क़ज़ा की एक क़िस्म वोह है जो मसलन किसी की दुआ से टल जाए और वोह मुअल्लक़ मुशाबेह ब मुबरम है तो (येह क़िस्म) मख़लूक के गुमान में मुबरम होती है इस लिये कि इस में क़ैदे वक़्त का इशारा नहीं और वाक़ेअ में (किसी शर्त पर) मुअल्लक़ होती है और मुराद हदीस शरीफ़ में येही है, रहा मुब्रमे हक़ीकी तो (वोह मुराद नहीं) इस लिये कि **अल्लाह** तअ़ाला की क़ज़ाए (मुबरम) को कोई टालने वाला नहीं और कोई उस के हुक्म को बातिल करने वाला नहीं वरना जहले बारी लाज़िम आएगा **अल्लाह** तअ़ाला इस से बहुत बुलन्द है। इस को याद रखो इस लिये कि शायद येह तुम्हें हमारे सिवा किसी और से न मिले। **अल्लाह** ही तौफ़ीक़ देने वाला है। 12

وانظر لتفصيل هذه المسألة: “أحسن الوعاء لأداب الدعاء” و “ذيل المدعى لأحسن الوعاء”، ص ١٢٧-١٣١.

मस्अला 1

क़ज़ाओ क़दर के मसाइल आम अक्लों में नहीं आ सकते, इन में ज़ियादा ग़ौरो फ़िक्र करना सबबे हलाकत है, सिद्दीक़ व फ़ारूक़ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا इस मस्अले में बहस करने से मन्अ फ़रमाए गए।⁽¹⁾ माओ शुमा⁽²⁾ किस गिनती में...! इतना समझ लो कि अल्लाह तआला ने आदमी को मिस्ल पथर और दीगर जमादात के बे हिंसो हरकत नहीं पैदा किया, बल्कि इस को एक नौए इख़्तियार⁽³⁾ दिया है कि एक काम चाहे करे, चाहे न करे और इस के साथ ही अक्ल भी दी है कि भले, बुरे, नफ़अ, नुक़सान को पहचान सके और हर किस्म के सामान और अस्बाब मुहय्या कर दिये हैं कि जब कोई काम करना चाहता है उसी किस्म के सामान मुहय्या हो जाते हैं और इसी बिना पर उस पर मुआख़ज़ा है।⁽⁴⁾

①..... عن ثوبان قال: اجتمع أربعون رجلاً من الصحابة ينظرون في القدر والجبر، فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فنزل الروح الأمين جبريل فقال: يا محمد! اخرج على أمتك فقد أخذوا، فخرج عليهم في ساعة لم يكن يخرج عليهم فيها، فأذكروا ذلك منه وخرج عليهم ملتصعين لونه متوردة وجنتاه كأنهما تفقأ بحبّ الرمان الحامض، فنهضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسرين أذرعهم ترعد أكفهم وأذرعهم، فقالوا: تبنا إلى الله ورسوله فقال: ((أولى لكم إن كدتم لتوجيبن، أتاني الروح الأمين فقال: أخرج على أمتك يا محمد فقد أحدثت)). رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، الحديث: ١٤٢٣، ج ٢، ص ٩٥.

عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فُقيء في وجنتيه الرّمأ، فقال: ((أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه)). "سنن الترمذي"، كتاب القدر، باب ما جاء من التشديد... إلخ، الحديث: ٢١٤٠، ج ٤، ص ٥١.

②.....हम और आप ।

③.....एक तरह का इख़्तियार ।

④..... في "منح الروض الأزهر"، ص ٤٢-٤٣: (فللعباد أفعال اختيارية يثابون عليها إن كانت طاعة، ويعاقبون عليها إن كانت معصية، لا كما زعمت الجبرية أن لا فعل للعبد أصلاً كسباً ولا خلقاً، وأنّ حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة له عليها، لا مؤثرة، ولا كاسبة في مقام الاعتبار ولا قصد ولا إرادة ولا اختيار، وهذا باطل، لأنّا نفرق بين حركة البطش وحركة الرعش، ونعلم أنّ الأول باختياره دون الثاني لا اضطراره).

في "الحديقة الندية"، ج ١، ص ٢٦٢: (للعباد) المكلفين بالأمر والنهي (اختيارات لأفعالهم بها، يثابون) أي: يثيبهم الله تعالى يوم القيامة على ما صدر منهم من الخير ممّا خلقه الله تعالى منسوبة إليهم بسبب خلق الله تعالى إرادتهم له، (عليها)، أي: لأجل تلك الاختيارات، (يعاقبون) أي: يعاقبهم الله تعالى يوم القيامة حيث صدر منهم بها أفعالاً من الشر خلقها تعالى لهم منسوبة إليهم بسبب خلقه إرادتهم لها وحيث ثبت أنّ للإنسان اختياراً خلقه الله تعالى فيه، فقد انتفى مذهب الجبرية القائلين بأنّ الإنسان مجبور على فعل الخير والشر، ثم إنّ ذلك الاختيار الذي خلقه الله تعالى في الإنسان بخلق الله تعالى عنده لا به، ولا فيه، ولا منه أفعال الخير والشر، فينسبها للإنسان فيكون اختيار الإنسان المخلوق فيه بمنزلة يده المخلوقة له بحيث لا تأثير

अपने आप को बिल्कुल मजबूर या बिल्कुल मुख्तार समझना, दोनों गुमराही हैं।⁽¹⁾

मस्अला 2

बुरा काम कर के तक्दीर की तरफ़ निस्बत करना और मशिय्यते इलाही के हवाले करना बहुत बुरी बात है, बल्कि हुक्म यह है कि जो अच्छा काम करे उसे मिन जानिबिल्लाह कहे और जो बुराई सरज़द हो उस को शामते नफ़्स तसव्वुर करे।⁽²⁾

अक्वीदा 25

अल्लाह तआला जिहत व मकान व ज़मान व हरकत व सुकून व शक्तो सूरत व जमीअ हवादिस से पाक है।⁽³⁾

لذلك في شيء مطلقاً غير مجرد قبول صحة النسبة بخلق الله تعالى فيه صحة ذلك القبول، فانتفى مذهب القدرية القائلين بتأثير قدرة العبد في الخير والشر، ملقطاً.

1..... وفي "الحديقة الندية"، ج ١، ص ٥٠٩: (أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا يَفْعَلُهُ الْعَبْدُ وَإِرَادَتُهُ لَذَلِكَ، وَكُتِبَ لَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ لَيْسَ يَجْبِرُ لِلْعَبْدِ عَلَى فَعْلِهِ ذَلِكَ الَّذِي فَعَلَهُ الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِهِ وَإِرَادَتِهِ). وفيها: (وَذَلِكَ لِأَنَّ عِلْمَ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقْدِيرَهُ لَا يَخْرِجَانِ الْعَبْدَ إِلَى حِيزِ الْاضْطِرَارِ وَلَا يَسْلُبَانِ عَنْهُ الْإِخْتِيَارَ).

وانظر للتفصيل رسالة الإمام أهل السنة عليه الرحمة: "تلج الصدر لإيمان القدر"، ج ٢٩.

2..... ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ پ ٥، النساء: ٧٩.

﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ پ ٢٩، الجن: ١٠.

وفي "تفسير ابن كثير"، ج ٨، ص ٢٥٣، تحت الآية: (وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل، والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح: ((والشر ليس إليك)).

وفي "التفسير الكبير" پ ١٦، الكهف، ج ٧، ص ٤٩٢-٤٩٣، تحت الآية: ٧٩-٨٢: (بقي في الآية سؤال، وهو أنه قال: ﴿فَأَرَادْتُ أَنْ أُعِيبَهَا﴾ وقال: ﴿فَأَرَادْتُ أَنْ يُبَيِّدَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرٌ أَمِّنُهُ زَكَاةً﴾. وقال: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَنَا أَشَدُّهُمَا﴾. كيف اختلفت الإضافة في هذه الإرادات الثلاث وهي كلها في قصة واحدة وفعل واحد؟ والجواب: أنه لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال: أردت أن أعيبها، ولما ذكر القتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع تنبيهاً على أنه من العظماء في علوم الحكمة، فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية، ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله تعالى، لأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى).

3..... في "شعب الإيمان"، باب في الإيمان بالله عز وجل، فصل في معرفة أسماء الله وصفاته، ج ١، ص ١١٣: (وهو المتعالي عن الحدود والجهات، والأقطار، والغايات، المستغني عن الأماكن والأزمان، لا تناله الحاجات، ولا تمسه المنافع والمضرات، ولا تلحقه اللذات، ولا الدواعي، ولا الشهوات، ولا يجوز عليه شيء مما جاز على المحدثات فدل على حدوثها، ومعناه أنه لا يجوز عليه الحركة ولا السكون، والاجتماع، والافتراق، والمحاذاة، والمقابلة، والمماس، والمجاورة، ولا قيام شيء حادث به ولا بطلان صفة أزلية عنه، ولا يصح عليه العدم).

अक्वीदा 26

دُنْیَا کی جِندگی میں اَللّٰہ عَزَّوَجَلَّ کا दीدار نبی صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے لیے خِاس ہے⁽¹⁾ اور آخِرَت میں ہر سُنّی مُسَلِمَان کے لیے مُمکن بَلِک کے لیے

= وفي "شرح المواقف"، المقصد الأول، ج ۸، ص ۲۲: (أنّه تعالى ليس في جهة) من الجهات (ولا في مكان) من الأمكنة). وص ۳۱: (أنّه تعالى ليس في زمان) أي: ليس وجوده وجوداً زمانياً).

و"شرح المقاصد"، ج ۲، ص ۲۷۰: (طريقة أهل السنة أنّ العالم حادث والصانع قديم متصف بصفات قديمة ليست عينه ولا غيره، وواحد لا شبة له ولا ضد ولا ند ولا نهاية له ولا صورة ولا حد ولا يحل في شيء ولا يقوم به حادث ولا يصح عليه الحركة والانتقال ولا الجهل ولا الكذب ولا النقص وأنه يرى في الآخرة).

तर्जमा : अहले सुन्नत व जमाअत का रास्ता यह है कि बेशक आलम हादिस है और सानेए आलम कदीम ऐसी सिफ़ाते कदीमा से मुत्तसिफ़ है जो न उस का ऐन हैं न ग़ैर। वोह वाहिद है, न उस की कोई मिस्ल है न मुक़ाबिल न शरीक, न इन्तिहा, न सूरत, न हद, न वोह किसी में हुलूल करता है, न उस के साथ कोई हादिस काइम होता है, न उस पर हरकत सहीह, न इन्तिक़ाल, न जहालत, न झूट और न नक्स। और बेशक आख़िरत में उस को देखा जाएगा।

"شرح المقاصد"، المبحث الثامن من حكم المؤمن... إلخ، ج ۳، ص ۴६४-ॴ६ॵ. و"الفتاوى الرضوية"، ج ۱۵، ص ۵۱۷. وفي "المعتقد المنتقد"، ص ६ॴ: (ولما ثبت انتفاء الحسمية ثبت انتفاء لوازمها، فليس سبحانه بذي لون، ولا رائحة، ولا صورة، ولا شكل... إلخ)، ملتقطاً.

①..... في "الفتاوى الحديثية"، مطلب: في رؤية الله تعالى في الدنيا، ص ॲ॰: (الرؤية وإن كانت ممكنة عقلاً وشرعاً عند أهل السنة لكنّها لم تقع في هذه الدار لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا له على قول عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم لكنّ جمهور أهل السنة على وقوعها له صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بالعين).

وقال في مقام آخر، مطلب: على أنّه لا خلاف بين السلف والخلف في... إلخ، ص ॲॲ: (والإمام الرباني المترجم بشيخ الكل في الكل أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى يحزم بأنّه لا يجوز وقوعها في الدنيا لأحد غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ولا على وجه الكرامة، وأدعى أنّ الأمة اجتمعت على ذلك).

وقال في مقام آخر، ص ॲॸॸ: (وخصّ نبينا صلى الله عليه وسلم بالرؤية ليلة الإسراء بعين بصره على الأصحّ كرامة له). وفي "المعتقد المنتقد"، ص ॵॶ: (أنّ رؤيتنا له سبحانه جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة. واتفقوا أهل السنة على وقوعها في الآخرة، واختلفوا في وقوعها في الدنيا. قال صاحب الكنز: قد صحّ وقوعها له صلى الله تعالى عليه وسلم، وهذا قول جمهور أهل السنة وهو الصحيح، وهو مذهب ابن عباس، وأنس وأحد القولين لابن مسعود، وأبي هريرة وأبي ذر، وعكرمة والحسن وأحمد بن حنبل وأبي الحسن الأشعري وغيرهم)، ملتقطاً.

وقال الإمام النووي في "شرح مسلم"، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عزوجل ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْبُرْهَانَ... إلخ﴾: (الراجح عن أكثر العلماء أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء)، ج ۱، ص ۹۷.

انظر للتفصيل: "شرح الإمام النووي"، ص ۹۷، و"الشفاء" للقاظمي، ج ۱، ص ۱۹۵، و"الفتاوى الرضوية"، الرسالة: "منه المنية بوصول الحبيب إلى العرش والرؤية"، ج ۳، ص ۶۳۷.

वाकेअ।⁽¹⁾ रहा कल्बी दीदार या ख्वाब में, येह दीगर अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام बल्कि औलिया के लिये भी हासिल है।⁽²⁾ हमारे इमामे आजम⁽³⁾ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ को ख्वाब में सो¹⁰⁰ बार जियारत हुई।⁽⁴⁾

अक्वीदा 27

उस का दीदार बिला कैफ़ है, यानी देखेंगे और येह नहीं कह सकते कि कैसे देखेंगे, जिस चीज़ को देखते हैं उस से कुछ फ़ासिला मसाफ़त का होता है, नज़दीक या दूर, वोह देखने वाले से किसी जिहत में होती है, ऊपर या नीचे, दहने या बाएं, आगे या पीछे, उस का देखना इन सब बातों से पाक होगा।⁽⁵⁾ फिर रहा येह कि क्यूंकर होगा ? येही

1..... ﴿وَجُودُ يَوْمِيذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ प २९, القيامة: २२-२३. عن أبي هريرة، أنّ الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تضارّون في القمر ليلة البدر؟)) قالوا: لا يا رسول الله، قال: ((فهل تضارّون في الشمس ليس دونها سحاب؟)) قالوا: لا يا رسول الله، قال: ((فإنكم ترونه كذلك)).

”صحيح البخاري“، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿وَجُودُ يَوْمِيذٍ نَّاصِرَةٌ... إلخ﴾ الحديث: ७४३७، ج ४، ص ५०१.

في ”الفقه الأكبر“، ص ८३: (والله يرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم).

وفي ”شرح النووي“: (اعلم أنّ مذهب أهل السنة بأجمعهم أنّ رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلاً، وأجمعوا أيضاً على وقوعها في الآخرة، وأنّ المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين، وزعمت طوائف من أهل البدع: المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة، أنّ الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وأنّ رؤيته مستحيلة عقلاً، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجعل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين، ورواها نحو من عشرين صحابياً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآيات القرآن فيها مشهورة).

(”شرح النووي“، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى: ج १، ص ९९).

2..... وفي ”المعتقد المنتقد“، ص ५८: (وأما رؤياه سبحانه في المنام..... جائزة عند الجمهور، لأنها نوع مشاهدة بالقلب، ولا استحالة فيه، وواقعة كما حكيت عن كثير من السلف منهم أبو حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما، وذكر القاضي الإجماع على أنّ رؤيته تعالى مناماً جائزة وإن كان بوصف لا يليق به تعالى)، ملتقطاً.

3..... अबू हनीफ़ा नोमान बिन साबित ।

4..... في ”منح الروض الأزهر“، ص १२६: (رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، فالأكثر على جوازها من غير كيفية وجهة وهيئة أيضاً في هذا المرام، فقد نقل أنّ الإمام أبا حنيفة قال: رأيت رب العزة في المنام تسعاً وتسعين مرة، ثم رآه مرة أخرى تمام المائة و قصتها طويلة لا يسعها هذا المقام).

5..... في ”منح الروض الأزهر“، ص ८३: (والله يرى في الآخرة أي: يوم القيامة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه) أي: رؤية مقرونة بتنزيه لا مكنونة بتشبيه (ولا كيفية) أي: في الصورة (ولا كمية) أي: في الهيئة المنظورة

तो कहा जाता है कि क्यूंकर को यहां दख़ल नहीं, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى** जब देखेंगे उस वक़्त बता देंगे। उस की सब बातों का खुलासा येह है कि जहां तक अक्ल पहुंचती है वोह खुदा नहीं और जो खुदा है उस तक अक्ल रसा नहीं, और वक़्ते दीदार निगाह उस का इहाता करे, येह मुहाल है।⁽¹⁾

अक्वीदा 28

वोह जो चाहे और जैसा चाहे करे, किसी को उस पर काबू नहीं⁽²⁾ और न कोई उस के इरादे से उसे बाज़ रखने वाला।⁽³⁾ उस को न ऊंच आए न नींद⁽⁴⁾, तमाम जहान का निगाह रखने वाला⁽⁵⁾, न थके, न उक्ताए⁽⁶⁾, तमाम अलम का पालने वाला⁽⁷⁾,

(ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة) أي: لا في غاية من القرب ولا في نهاية من البعد، ولا يوصف بالاتصال ولا بنعت الانفصال ولا بالحلول والاتحاد كما يقوله الوجودية المائلون إلى الاتحاد، فذات رؤيته ثابت بالكتاب والسنة إلا أنها متشابهة من حيث الجهة والكمية والكيفية، فنثبت ما أثبتته النقل ونفي عنه ما نزهه العقل كما أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَافُ﴾ أي: لا تحيط به الأبصار في مقام الإبصار، فإن الإدراك أحص من الرؤية والتشابه فيما يرجع إلى الوصف الذي يمنعه العقل لا يقدح في العلم بالأصل المطابق للنقل. وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه "الوصية": "ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق، انتهى. والمعنى أنه يحصل النظر بأن ينكشف انكشافاً تاماً بالبصر منزهاً عن المقابلة والجهة والهيئة)، ملتقطاً.

انظر للتفصيل: "الحديقة الندية" شرح "الطريقة المحمدية"، ج ١، ص ٢٥٨-٢٦١.

و"شرح العقائد النسفية"، مبحث رؤية الله تعالى والدليل عليها، ص ٧٤-٧٥.

و"النبراس"، الكلام في رؤية الباري سبحانه، ص ١٦١، ١٦٧.

① ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَافُ وَفُوقَ دَرَجَاتٍ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ پ ٧، الأنعام: ١٠٣.

② ﴿فَعَالٌ لَّيَّالِيَرُيْدُ﴾ پ ٣٠، البروج: ١٦. في "حاشية الصاوي"، ج ٦، ص ٢٣٤٢: قوله: ﴿فَعَالٌ لَّيَّالِيَرُيْدُ﴾ أتى بصيغة ﴿فَعَالٌ﴾ إشارة للكثرة، والمعنى: يفعل ما يريد، ولا يعترض عليه ولا يغلبه غالب)، ملتقطاً.

③ ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لَّيَّالِيَرُيْدُ﴾ پ ١٢، هود: ١٠٧. في "تفسير الطبري"، ج ٧، ص ١١٧: وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لَّيَّالِيَرُيْدُ﴾، يقول تعالى ذكره: إِنْ رَبِّكَ، يا محمد، لا يمنعه مانع من فعل ما أراد فعله بمن عصاه وخالف أمره من الانتقام منه، ولكنه يفعل ما يشاء فعله، فيمضي فيهم وفيمن شاء من خلقه فعله وقضاؤه).

④ ﴿لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ پ ٣، البقرة: ٢٥٥.

⑤ ﴿وَلْيُوصَفِ فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ پ ٥، النساء: ١٢٦.

⑥ ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ يَخْلُقْهُمْ﴾ پ ٢٦، الأحقاف: ٣٣.

﴿وَمَا مَسَّامِنْ غُؤُوبٍ﴾ پ ٢٦، ق: ٣٨.

⑦ ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ پ ١، الفاتحة: ١.

मां बाप से ज़ियादा मेहरबान, हिल्म वाला ⁽¹⁾ उसी की रहमत टूटे हुए दिलों का सहारा ⁽²⁾, उसी के लिये बड़ाई और अज़मत है ⁽³⁾ माओं के पेट में जैसी चाहे सूरत बनाने वाला ⁽⁴⁾, गुनाहों को बख़्शाने वाला, तौबा क़बूल करने वाला, क़हरो ग़ज़ब फ़रमाने वाला ⁽⁵⁾, उस की पकड़ निहायत सख़्त है, जिस से बे उस के छुड़ाए कोई छूट नहीं सकता ⁽⁶⁾ वोह चाहे तो छोटी चीज़ को वसीअ कर दे और वसीअ को समेट दे, जिस को चाहे बुलन्द कर दे और जिस को चाहे पस्त, ज़लील को इज़ज़त दे दे और इज़ज़त वाले को ज़लील कर दे ⁽⁷⁾, जिस को चाहे राहे रास्त पर लाए और जिस को चाहे सीधी राह से अलग कर दे ⁽⁸⁾, जिसे चाहे अपना नज़्दीक बना ले और जिसे चाहे मरदूद कर दे, जिसे जो चाहे दे और जो चाहे छीन ले ⁽⁹⁾, वोह जो कुछ करता है या करेगा अदलो इन्साफ़ है, जुल्म से पाको साफ़ है ⁽¹⁰⁾,

1..... ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ प १, الفاتحة: २.

﴿إِنَّهُ كَانَ حَكِيمًا غَفُورًا﴾ प २२, ४१, فاطر:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته، فألصقته بطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ((أترون هذه طارحة ولدها في النار؟)) قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: ((لله أرحم بعباده من هذه بولدها)).

”صحيح البخاري“، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانفته، الحديث: ٥٩٩٩، ج ٤، ص ١٠٠.

2..... فقال عليه الصلوة والسلام حاكياً عنه سبحانه: ((أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي)). ”التفسير الكبير“، ج ١، ص ٤٣٠.

تحت الآية: ٣٤.

3..... ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ پ ٣، البقرة: ٢٥٥.

4..... ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ پ ٣، آل عمران: ٦.

5..... ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ پ ٢٤، المؤمن: ٣.

6..... ﴿إِنْ أَخَذَ الْيَمُّ شَدِيدًا﴾ پ ١٢، هود: ١٠٢.

﴿إِنْ يَشَأْ رَبُّكَ لَشَدِيدٌ﴾ پ ٣٠، البروج: ١٢.

7..... ﴿وَنُفِخُ نَسْفًا وَتَنْزِيلًا مِّنْ سَنَاءٍ﴾ پ ٣، آل عمران: ٢٦.

8..... ﴿قَدْ لَاقَىٰ اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ پ ٢٢، فاطر: ٨.

﴿وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍ﴾ پ ٢٤، الزمر: ٣٦-٣٧.

9..... ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مَن يَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مَن يَشَاءُ﴾ پ ٣، آل عمران: ٢٦.

10..... ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ پ ٥، النساء: ٤٠.

निहायत बुलन्दो बाला है⁽¹⁾, वोह सब को मुहीत है⁽²⁾ उस का कोई इहाता नहीं कर सकता⁽³⁾, नफ़अ व ज़रर उसी के हाथ में हैं⁽⁴⁾, मज़्लूम की फ़रियाद को पहुंचता⁽⁵⁾ और ज़ालिम से बदला लेता है⁽⁶⁾, उस की मशियत और इरादे के बिगैर कुछ नहीं हो सकता⁽⁷⁾, मगर अच्छे पर खुश

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ प ११, यونس: ४४.

﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ प २६, ق: २९.

في "تفسير الطبري"، ج ११، ص ४२५، تحت الآية: قوله: ﴿وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ يقول: ولا أنا بمعاقب أحدًا من خلقي بحرم غيره، ولا حامل على أحد منهم ذنب غيره فمعذبه به).

① ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ प २२, سبا: २३.

② ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ प २५, حم السجدة: ५४.

③ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ प ७, الانعام: १०३.

④ ﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصِيرَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْأَلْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ प ७, الأنعام: १७.

﴿وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصِيرَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ प ११, يونس: १०७.

⑤ وفي "سنن الترمذي"، أحاديث شتى، باب في العفو والعافية، ج ५، ص ३४३، الحديث: ३६०९: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا تردّ دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرتك ولو بعد حين)). و"سنن ابن ماجه"، كتاب الصيام، باب: في الصائم لا تردّ دعوته، ج २، ص ३४९-३५०، الحديث: १७५२.

⑥ ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ प ७, المائدة: ९५.

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قال ربكم: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل)). "المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: १०६५، ج १०، ص २७८.

⑦ وفي "شرح السنة" للبغوي، كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر ج १، ص १४०-१४१: (قال الشيخ رحمه الله: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد، خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ﴾ [الصافات: ९६] وقال الله عز وجل: ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: १६]، وقال عز وجل: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ४९] فالإيمان والكفر، والطاعة والمعصية، كلها بقضاء الله وقدره، وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة، ووعده عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية، وأوعده عليهما العقاب.

وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ

होता है और बुरे से नाराज़, उस की रहमत है कि ऐसे काम का हुक्म नहीं फ़रमाता जो ताक़त से बाहर है।⁽¹⁾ अल्लाह عَزَّوَجَلَّ पर सवाब या अज़ाब या बन्दे के साथ लुत्फ़ या उस के साथ वोह करना जो उस के हक़ में बेहतर हो उस पर कुछ वाजिब नहीं। मालिक अलल इत्लाक़ है, जो चाहे करे और जो चाहे हुक्म दे⁽²⁾, हां ! उस ने अपने करम से वादा फ़रमा लिया है कि मुसलमानों को जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा और ब मुक्ताज़ाए अदल कुफ़ार को जहन्नम में⁽³⁾, और उस के वादे व वईद बदलते नहीं⁽⁴⁾,.....

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ [الحج: ١٨]، وقال عزوجل: **﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُصِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَقَةً صَبِيحًا حَرَجًا﴾** [الأنعام: ١٢٥]، انظر للتفصيل: "التفسير الكبير"، ج ٢، ص ٥٢٩، تحت الآية: ٢٥٣: (احتج القائلون بأن كل الحوادث بقضاء الله وقدره... إلخ). وفي "المسامرة" بشرح "المسامرة"، ص ١٣٠: (أن فعل العبد وإن كان كسباً له فهو) واقع (بمشيئة الله) تعالى (وإرادته). وفي "منح الروض الأزهر"، ص ٤١: (ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته) أي: مقروناً بإرادته.

..... ① **﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا أَوْ سَعَهَا﴾** پ ٣، البقرة: ٢٨٦.

② في "الحديقة الندية" شرح "الطريقة المحمدية"، ج ١، ص ٢٤٩: (ولا يجب) أي: لا يلزم (عليه) تعالى (شيء) لغيره سبحانه من ثواب أو عقاب أو فعل صلاح أو أفسد أو فساد أو فساد بل هو الفاعل العدل المختار، ويخلق الله ما يشاء ويختار، وفي "شرح الطوالع" للإصفهاني: وأما أصحابنا فقالوا: الثواب على الطاعة فضل من الله تعالى والعقاب على المعصية عدل منه تعالى، وعمل الطاعة دليل على حصول الثواب وفعل المعصية علامة العقاب، ولا يكون الثواب على الطاعة واجباً على الله تعالى ولا العقاب على المعصية؛ لأنه لا يجب على الله شيء، وكلّ ميسر لما خلق له فالمطيع موفق ميسر لما خلق له وهو الطاعة، والعاصي ميسر لما خلق له وهو المعصية وليس للعبد في ذلك تأثير).

③ **﴿قَالَ لَا يُؤْمِنُ﴾** پ ٣٠، البروج: ١٦. في "حاشية الصاوي"، پ ٣٠، البروج: تحت الآية: ١٦ قوله: **﴿قَالَ لَا يُؤْمِنُ﴾** أتى بصيغة **﴿قَالَ﴾** إشارة للكثرة، والمعنى: يفعل ما يريد، ولا يعترض عليه ولا يغلبه غالب، فيدخل أوليائه الجنة لا يمنعه مانع، ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر، وفي هذه الآية دليل على أنّ جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، ولا يجب عليه شيء، لأنّ أفعاله بحسب إرادته. ج ٦، ص ٢٣٤٢.

..... ④ **﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾** پ ١١، يونس: ٦٤.

﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيْ﴾ پ ٢٦، ق: ٢٩.

في "تفسير روح البيان"، پ ٢٦، ق: ٢٩، ج ٩، ص ١٢٥، تحت الآية: **﴿مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيْ﴾** أي: لا يغير قولي في الوعد والوعد).

وفي "تفسير ابن كثير"، پ ١١، يونس، تحت الآية: ٦٤: قوله: **﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾** أي: هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة. ج ٤، ص ٢٤٥.

उस ने वादा फ़रमा लिया है कि कुफ़्र के सिवा हर छोटे बड़े गुनाह को जिसे चाहे मुआफ़ फ़रमा देगा।⁽¹⁾

अक्वीदा 29

उस के हर फ़ेल में कसीर हिक्मतें हैं, ख़्वाह हम को मालूम हों या न हों और उस के फ़ेल के लिये ग़रज़ नहीं, कि ग़रज़ उस फ़ाएदे को कहते हैं जो फ़ाइल की तरफ़ रुजूअ करे, न उस के फ़ेल के लिये ग़ायत, कि ग़ायत का हासिल भी वोही ग़रज़ है और न उस के अफ़आल इल्लतो सबब के मोहताज, उस ने अपनी हिक्मते बालिगा के मुताबिक़ आलमे अस्बाब में मुसब्बिबात को अस्बाब से रब्त् फ़रमा दिया है⁽²⁾। आंख देखती है, कान सुनता है, आग जलाती है, पानी प्यास बुझाता है, वोह चाहे तो आंख सुने, कान देखे, पानी जलाए, आग प्यास बुझाए, न चाहे तो लाख आंखें हों दिन को पहाड़ न सूझे, करोड़ आगें हों एक तिन्के पर दाग़ न आए।⁽³⁾ किस क़हर की आग थी जिस में इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام को काफ़िरों ने डाला...! कोई पास न जा सकता था, गोफ़न में रख कर फेंका, जब आग के मुक़ाबिल पहुंचे, जिब्रीले अमीन عَلَيْهِ السَّلَام हाज़िर हुए और अर्ज़ की : इब्राहीम कुछ हाज़त है ? फ़रमाया : है मगर न तुम से,.....

= وفي "تفسير الطبري"، تحت الآية: ٦٤: (وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُخْلِفُ لَوْعَدَهُ، وَلَا تَغْيِيرَ لِقَوْلِهِ عَمَّا قَالَ، وَلَكِنَّهُ يَمْضِي لَخَلْقِهِ مَوَاعِيدَهُ وَيَنْجِزُهَا لَهُمْ)، ج ٦، ص ٥٨٢.

① ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ٥٨، النساء: ٤٨.

② في "المسامرة"، لله تعالى في كل فعل حكمة، ص ٢١٥-٢١٦: (واعلم أنّ قولنا له) سبحانه وتعالى (في كل فعل حكمة ظهرت) تلك الحكمة (أو خفيت) فلم تظهر (ليس هو) أي: الحكمة (بمعنى الغرض)، وتذكير الضمير باعتبار أنّ الحكمة معنى، ويصحّ أن يكون الضمير لقولنا، أي: ليس قولنا إنّ له حكمة بمعنى أنّ له غرضاً، هذا (إن فسر) الغرض (بفائدة ترجع إلى الفاعل، فإنّ فعله تعالى وحلقه العالم لا يعلل بالأغراض) بهذا التفسير للغرض؛ (لأنّه) أي: الفعل لغرض بهذا التفسير يقتضي استكمال الفاعل بذلك الغرض؛ لأنّ حصوله للفاعل أولى من عدمه،... (وإن فسر) الغرض (بفائدة ترجع إلى غيره) تعالى، بأن يدرك رجوعها إلى ذلك الغير كما نقل عن الفقهاء من: أنّ أفعاله تعالى لمصالح ترجع إلى العباد تفضلاً منه (فقد تنفي أيضاً إرادته من الفعل) نظراً إلى تفسير الغرض بالعلة الغائية التي تحمل الفاعل على الفعل؛ لأنّه يقتضي أن يكون حصوله بالنسبة إليه تعالى أولى من لاهصوله، فيلزم الاستكمال المحذور (وقد تجوز) إرادته من الفعل نظراً إلى أنّه منفعة مترتبة على الفعل، لا علة غائية حاملة على الفعل حتى يلزم الاستكمال المحذور (والحكمة على هذا) التفسير (أعمّ منه) أي: من الغرض؛ لأنّها إذا نفيت إرادتها من الفعل سميت غرضاً، وإذا جوزت كانت حكمة لا غرضاً).

③ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٩٠. (رضا اكيّمي بمبئی).

अर्ज़ की : फिर उसी से कहिये जिस से हाज़त है, फ़रमाया :

(1) ”عِلْمُهُ بِحَالِي كَفَانِي عَنْ سُؤَالِي“

(2) اظہارِ احتیاجِ خود آنجا چہ حاجت ست

इरशाद हुवा :

﴿يُنَاكُوتِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ (3)

“ऐ आग ! ठन्डी और सलामती हो जा, इब्राहीम पर ।”

इस इरशाद को सुन कर रूए ज़मीन पर जितनी आगें थीं सब ठन्डी हो गई कि शायद मुझी से फ़रमाया जाता हो (4) और येह तो ऐसी ठन्डी हुई कि इलमा फ़रमाते हैं कि अगर इस के साथ ﴿وَسَلَامًا﴾ का लफ़्ज़ न फ़रमा दिया जाता कि इब्राहीम पर ठन्डी और सलामती हो जा तो इतनी ठन्डी हो जाती कि उस की ठन्डक ईज़ा देती । (5)

① “मल्फूज़ात”, हिस्सा 4 , स. 462 । यानी : उस का मेरे हाल को जानना येही मुझे किफ़ायत करता है मेरे सुवाल करने से ।

② अपनी हाज़त के इज़हार की वहां क्या हाज़त है !

③ प १७, الأنبياء : ७९ .

④ ”في التفسير الكبير“، प १७، الأنبياء، ج ८، ص १०८، تحت الآية: ७९: (أَمَّا كَيْفِيَّةُ الْقِصَّةِ فَقَالَ مُقَاتِلٌ: لَمَّا اجْتَمَعَ نَمْرُودُ وَقَوْمُهُ لِاحْرَاقِ إِبْرَاهِيمَ حَبْسُوهُ فِي بَيْتٍ وَبَنُوا بَنِيَانًا كَالْحَظِيرَةِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ﴾، ثُمَّ جَمَعُوا لَهُ الْحَطَبَ الْكَثِيرَ حَتَّىٰ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ مَرَضَتْ قَالَتْ: إِنْ عَافَانِي اللَّهُ لِأَجْعَلَ حَطْبًا لِّإِبْرَاهِيمَ، وَنَقَلُوا لَهُ الْحَطَبَ عَلَى الدُّوَابِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَلَمَّا اشْتَعَلَتِ النَّارُ اشْتَدَّتْ وَصَارَ الْهَوَاءُ بِحَيْثُ لَوْ مَرَّ الطَّيْرُ فِي أَقْصَى الْهَوَاءِ لَاحْتَرَقَ، ثُمَّ أَخَذُوا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَرَفَعُوهُ عَلَى رَأْسِ الْبَنِيَانِ وَقِيدُوهُ، ثُمَّ اتَّخَذُوا مَنجْنِيقًا وَوَضَعُوهُ فِيهِ مَقِيدًا مَغْلُورًا، فَصَاحَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ صَبِيحَةً وَاحِدَةً.....، فَلَمَّا أَرَادُوا الْإِقَاءَ فِي النَّارِ.....، وَضَعُوهُ فِي الْمَنجْنِيقِ وَرَمَوْا بِهِ النَّارَ، فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ، قَالَ: أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا؟ قَالَ: فَاسْأَلْ رَبِّكَ، قَالَ: حَسْبِيَ مِنْ سُؤَالِي، عِلْمُهُ بِحَالِي، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يُنَاكُوتِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ قَالَ: وَلَمْ يَبْقَ يَوْمٌ فِي الدُّنْيَا نَارٌ إِلَّا طَفَفَتْ)، مَلْتَقَطًا.

⑤ ”تفسير ابن كثير“، प १७، الأنبياء، ج ८، ص ३०९، تحت الآية: ७९، (قال ابن عباس، وأبو العالية: لولا أنّ الله عزوجل قال: ﴿وَسَلَامًا﴾ لأذى إبراهيم برّدها).

अकाइदे मुतअल्लिकए नबुवत

मुसलमान के लिये जिस तरह ज़ातो सिफ़ात का जानना ज़रूरी है कि किसी ज़रूरी का इन्कार या मुहाल का इस्बात उसे काफ़िर न कर दे, इसी तरह येह जानना भी ज़रूरी है कि नबी के लिये क्या जाइज़ है और क्या वाजिब और क्या मुहाल, कि वाजिब का इन्कार और मुहाल का इक़्ार मूजिबे कुफ़्र है और बहुत मुम्किन है कि आदमी नादानी से ख़िलाफ़ अक़ीदा रखे या ख़िलाफ़ बात ज़बान से निकाले और हलाक हो जाए।

अक़ीदा 1 नबी उस बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह तआला ने हिदायत के लिये वही भेजी हो⁽¹⁾ और रसूल बशर ही के साथ खास नहीं बल्कि मलाएका में भी रसूल हैं⁽²⁾

अक़ीदा 2 अम्बिया सब बशर थे और मर्द, न कोई जिन्न नबी हुवा न औरत।⁽³⁾

अक़ीदा 3 अल्लाह عزّوجلّ पर नबी का भेजना वाजिब नहीं, उस ने अपने फ़ज़्लो करम से लोगों की हिदायत के लिये अम्बिया भेजे।⁽⁴⁾

1..... في "شرح المقاصد"، المبحث الأول في تعريف النبي والرسول: (النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه) ج 3، ص 268. وفي "المعتقد المنتقد"، الباب الثاني في النبوات، ص 105: (المشهور: أنّ النبي من أوحى إليه بشرع، وإن أمر بالتبليغ أيضا فرسول).

2..... ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا اسْلِمُوا﴾ پ 12، هود: 69. في "تفسير الطبري"، پ 12، هود: تحت الآية 69: (قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا﴾، من الملائكة وهم فيما ذكر، كانوا جبريل وملكين آخرين، وقيل: إنّ الملكين الآخرين كانا ميكائيل وإسرافيل معه)، ج 7، ص 67. ﴿أَحْصَدَ لِلَّهِ قَاطِرَ السَّعُوتِ وَالْأَرْضَ جَاعِلٍ الْمَلَكُوتَ رُسُلًا﴾ پ 22، فاطر: 1.

في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، ج 7، الجزء الرابع عشر، ص 233، تحت الآية: ﴿جَاعِلٍ الْمَلَكُوتَ رُسُلًا﴾ الرسل منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، صلى الله عليهم أجمعين.

3..... ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ﴾ پ 13، يوسف: 109.

في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، پ 12، يوسف، تحت هذه الآية: (قال الحسن: لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط، ولا من النساء، ولا من الجن) ج 5، الجزء التاسع، ص 193.

4..... في "شرح المقاصد"، المقصد السادس، المبحث الأول في تعريف النبي والرسول، ج 3، ص 268: (النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه،..... والبعثة لتضمّنها مصالح لا تحصى لطف من الله تعالى ورحمة يختص بها من يشاء من عباده من غير وجوب عليه).

وفي "المعتمد المستند"، ص 98: قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: (لا يجب على الله سبحانه بعث الرسل).

अक्वीदा 4

नबी होने के लिये उस पर वही होना ज़रूरी है, ख़्वाह फ़रिश्ते की मारिफ़त हो या बिला वासिता।⁽¹⁾

अक्वीदा 5

बहुत से नबियों पर अल्लाह तआला ने सहीफ़े और आस्मानी किताबें उतारीं, उन में से चार किताबें बहुत मशहूर हैं: “तौरात” हज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام पर, “ज़बूर” हज़रते दावूद عَلَيْهِ السَّلَام पर, “इन्जील” हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام पर, “कुरआने अज़ीम” कि सब से अफ़ज़ल किताब है, सब से अफ़ज़ल रसूल हुज़ूरे पुरनूर अहमदे मुज्ताबा मुहम्मदे मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم पर।⁽²⁾ कलामे इलाही में बाज़ का बाज़ से अफ़ज़ल होना उस के येह माना हैं कि हमारे लिये उस में सवाब जाइद है, वरना अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) एक, उस का कलाम एक, उस में अफ़ज़लो मफ़ज़ूल की गुन्जाइश नहीं।⁽³⁾

① ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُبُ إِلَهُهُ الْأَوْحِيَ أَوْ مِنْ وَرَآئِهِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِأَذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾
پ ۲۵، الشوری: ۵۱.

في “المعتقد المتقدم”، ص ۱۰۶: (قال السنوسي في “شرح الجزائرية”: مرجع النبوة عند أهل الحق إلى اصطفاء الله تعالى عبداً من عباده بالوحي إليه، فالنبوة اختصاص بسماع وحي من الله بواسطة الملك أو دونه).
وفي “نسيم الرياض”، القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي ﷺ، ج ۳، ص ۳۴۴: (“والإعلام” من الله تعالى “بخواص النبوة” أي: ما يختص بالنبوة الشاملة للرسالة كالعصمة والوحي بواسطة الملك، أو بدونه).

② في “تكميل الإيمان”، ص ۶۳: (“وله كتب أنزلها على رسله”، حق سبحانه وتعالى را کتابها ست که بر بعضی پیغمبران فرستاده دیگر آن را بمتابعت واز میان کتابها نیز چهار کتاب اعظم و اشهر است “منها التوراة” یکی زان کتابهای آسمانی تودیت است که بر موسی علیه السلام منزل شده “والزبور” دیگر زیور است که بر داود علیه السلام نزول یافته “والانجيل” که بر عیسی علیه السلام فرود آمده “والقرآن العظيم” زیده و خلاصه جمیع کتب سماوی قرآن مجید و فرقان عظیم است که بر سید رسل و خاتم الانبیاء علیه من الصلاة افضلها والتحيات اكملها)، ملتقطاً.

यानी : हक् तबारक व तआला की किताबें हैं जिन को उस ने अपने बाज़ रसूलों पर नाज़िल फ़रमाया और दूसरों को उन की पैरवी का हुक्म दिया, उन में से चार किताबें बड़ी और बहुत मशहूर हैं, उन में से एक तौरात है जो हज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام पर नाज़िल हुई। दूसरी ज़बूर है जो हज़रते दावूद عَلَيْهِ السَّلَام पर नाज़िल हुई, तीसरी इन्जील है जो हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام पर नाज़िल हुई और चौथी कुरआने मजीद फुरकाने अज़ीम है जो तमाम आस्मानी किताबों का ख़ुलासा है और सब से अफ़ज़ल रसूल ख़ातमुल अम्बिया صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم पर नाज़िल हुई।

③ في “تفسير الخازن”، پ ۳، البقرة، تحت الآية: ۲۵۵: (من أجاز تفضيل بعض القرآن على بعض من العلماء والمتكلمين قالوا: هذا التفضيل راجع إلى عظم أجر القارئ أو جزيل ثوابه وقول: إن هذه الآية أو هذه السورة أعظم أو أفضل بمعنى أنّ الثواب المتعلق بها أكثر وهذا هو المختار)، ج ۱، ص ۱۹۵.

अक्वीदा 6

सब आस्मानी किताबें और सहीफे हक हैं और सब कलामुल्लाह हैं, उन में जो कुछ इरशाद हुवा सब पर ईमान जरूरी है⁽¹⁾, मगर येह बात अलबत्ता हुई कि अगली किताबों की हिफाज़त अल्लाह तआला ने उम्मत के सिपुर्द की थी, उन से उस का हिफ़ज़ न हो सका, कलामे इलाही जैसा उतरा था उन के हाथों में वैसा बाकी न रहा, बल्कि उन के शरीरों ने तो येह किया कि उन में तहरीफें कर दीं, यानी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक़ घटा बढ़ा दिया।⁽²⁾

लिहाज़ा जब कोई बात उन किताबों की हमारे सामने पेश हो तो अगर वोह हमारी किताब के मुताबिक़ है, हम उस की तस्दीक़ करेंगे और अगर मुख़ालिफ़ है तो यकीन जानेंगे कि येह उन की तहरीफ़ात से है और अगर मुवाफ़क़त, मुख़ालफ़त कुछ मालूम नहीं तो हुक्म है कि हम उस बात की न तस्दीक़ करें न तकज़ीब, बल्कि यूं कहें कि :

= وفي "النبراس"، بيان الكتب المنزلة، ص ٢٩١: (أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامَ وَاحِدٍ)، أي: في درجة واحدة من الفضيلة (لا يتصور فيه تفضيل)، من حيث إنه كلام الله سبحانه؛ لأنّ هذا الشرف يعمّ الآيات والصور كلّها (ثم باعتبار القراءة والكتابة يحوز أن يكون بعض الصور أفضل كما ورد في الحديث، وحقيقة التفضيل أنّ قراءته أفضل لما أنّه أنفع) من حيث كثرة الثواب والنجات من المكروهات)، ملتقطاً.

① في "تفسير الخازن"، ٣، البقرة: ٢٨٥، ج ١، ص ٢٢٥: (الإيمان بكتبه فهو أن يؤمن بأنّ الكتب المنزلة من عند الله هي وحي الله إلى رسله، وأنها حق وصدق من عند الله بغير شك ولا ارتياب).

في "تفسير الخازن"، ج ١، ص ٩٤: (﴿وَمَا أَوْتِي مُوسَى﴾ يعني التوراة ﴿وَعِيسَى﴾ يعني الإنجيل ﴿وَمَا أَوْتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ والمعنى آمناً أيضاً بالتوراة والإنجيل والكتب التي أوتي جميع النبيين وصدقنا أنّ ذلك كلّ حق وهدى ونور وأنّ الجميع من عند الله).

② ﴿إِنَّا كُنْزْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ١٤، الحجر: ٩.

في "تفسير الخازن"، تحت الآية: (﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الضمير في: ﴿لَهُ﴾ يرجع إلى الذكر يعني، وإنّا للذكر الذي أنزلناه على محمد لحافظون يعني من الزيادة فيه، والنقص منه والتغيير والتبديل والتحريف، فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلّها لا يقدر أحد من جميع الخلق من الجن والإنس أن يزيد فيه، أو ينقص منه حرفاً واحداً أو كلمة واحدة، وهذا مختصّ بالقرآن العظيم بخلاف سائر الكتب المنزلة فإنّه قد دخل على بعضها التحريف والتبديل والزيادة والنقصان ولما تولى الله عزوجل حفظ هذا الكتاب بقي مصوناً على الأبد محروساً من الزيادة والنقصان)، ج ٣، ص ٩٥.

”أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلِكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ“

”अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) और उस के फ़रिश्तों और उस की किताबों और उस के रसूलों पर हमारा ईमान है।“⁽¹⁾

अक्बिदा 7

चूँकि येह दीन हमेशा रहने वाला है, लिहाज़ा कुरआने अज़ीम की हिफ़ाज़त अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) ने अपने ज़िम्मे रखी, फ़रमाता है :

﴿إِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَفِظُونَ﴾⁽²⁾

”बेशक हम ने कुरआन उतारा और बेशक हम उस के ज़रूर निगहबान हैं।“

लिहाज़ा इस में किसी हर्फ़ या नुक्ते की कमी बेशी मुहाल है, अगर्चे तमाम दुन्या इस के बदलने पर जम्अ हो जाए तो जो येह कहे कि इस में के कुछ पारे या सूरतें या आयतें बल्कि एक हर्फ़ भी किसी ने कम कर दिया, या बढ़ा दिया, या बदल दिया, क़अन काफ़िर है।

1..... ﴿وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمَّا بِالَّذِي إِنَّا لَخَفِظُونَ﴾⁽²⁾ العنकीबत: ४६.

في ”تفسير ابن كثير“، ج ٦، ص ٢٥٦، تحت هذه الآية: (أن أبا نَمْلَةَ الأنصاري أخبره، أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الله أعلم))، قال اليهودي: أنا أشهد أنها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقاً لم تكذبوهم، وإن كان باطلاً لم تصدقوهم))).

في ”صحيح البخاري“، كتاب التفسير، باب ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾، الحديث: ٤٤٨٥، ج ٣، ص ١٦٩: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾)).

و”مشكاة المصابيح“، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول، الحديث: ١٥٥، ج ١، ص ٥١. في ”المرقاة“ للقرائ، ج ١، ص ٣٩١، تحت هذا الحديث: (قال رسول الله: ((لا تصدقوا)) أي: فيما لم يتبين لكم صدقه لاحتمال أن يكون كذباً وهو الظاهر من أحوالهم ((أهل الكتاب)) أي: اليهود والنصارى؛ لأنهم حرفوا كتابهم ((ولا تكذبوهم)) أي: فيما حدثوا من التوراة والإنجيل ولم يتبين لكم كذبه لاحتمال أن يكون صدقاً وإن كان نادراً؛ لأن الكذب قد يصدق وفيه إشارة إلى التوقف فيما أشكل من الأمور والعلوم.

2..... پ ١٤، المحجر: ٩.

कि इस ने उस आयत का इन्कार किया जो हम ने अभी लिखी।⁽¹⁾

अक्बीदा 8

कुरआने मजीद, किताबुल्लाह होने पर अपने आप दलील है कि खुद एलान के साथ कह रहा है :

﴿وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۝﴾⁽²⁾

“अगर तुम को उस किताब में जो हम ने अपने सब से खास बन्दे (मुहम्मद (ﷺ) पर उतारी कोई शक हो तो उस की मिस्ल कोई छोटी सी सूरत कह लाओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो तो अगर ऐसा न कर सको और हम कहे देते हैं हरगिज़ ऐसा न कर सकोगे तो उस आग से डरो जिस का ईंधन आदमी और पथ्थर हैं, जो काफ़िरों के लिये तय्यार की गई है।”

लिहाज़ा काफ़िरों ने इस के मुक़ाबले में जी तोड़ कोशिशें कीं, मगर इस की मिस्ल एक सतर न बना सके न बना सके।⁽³⁾

मसअला : अगली किताबें अम्बिया ही को ज़बानी याद होतीं⁽⁴⁾, कुरआने अज़ीम का मोजिज़ा है कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा याद कर लेता है।⁽⁵⁾

① في ”منح الروض الأزهر“، فصل في القراءة والصلاة، ص ١٦٧: (من جحد القرآن، أي: كلّهُ أو سورة منه أو آية، قلت: وكذا كلمة أو قراءة متواترة، أو زعم أنها ليست من كلام الله تعالى كفر، يعني: إذا كان كونه من القرآن مجمعاً عليه مثل البسملة في سورة النمل، بخلاف البسملة في أوائل السور، فإنّها ليست من القرآن عند المالكية على خلاف الشافعية، وعند المحققين من الحنفية أنّها آية مستقلة أنزلت للفصل). في ”الشفاء“، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، الجزء الثاني، ص ٢٨٩: (وكذلك كافر من أنكر القرآن أو حرفاً منه أو غير شيئاً منه أو زاد فيه)، ملخصاً.

”الفتاوى الرضوية“، كتاب السير، ج ١٤، ص ٢٥٩-٢٦٢.

② پ ١، البقرة: ٢٣-٢٤.

③ في ”النبراس“، الدلائل على نبوة خاتم الأنبياء عليه السلام، ص ٢٧٥: (فإنّ الله تعالى دعاهم أولاً لمعارضة جميعه حيث قال: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ﴾ ثم قال: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾، فعجزوا عن الكل (مع تهالكهم على ذلك) أي: حرصهم على المعارضة).

④ في ”تفسير روح البيان“، پ ٢١، العنكبوت، تحت الآية ٤٩: (قال الكاشفي: يعني: كونه محفوظاً في الصدور من خصائص القرآن؛ لأنّ من تقدم كانوا لا يقرؤون كتبهم إلّا نظراً، فإذا أطبقوها لم يعرفوا منها شيئاً سوى الأنبياء) ج ٦، ص ٤٨١.

⑤ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِي هُوَ مِنْ مِّمَّا كَرِهَ﴾ پ ٢٧، القمر: ١٧.

अक्वीदा 9

कुरआने अज़ीम की सात क़िराअतें सब से ज़ियादा मशहूर और मुतवातिर हैं⁽¹⁾, इन में **مَعَادُ اللَّهِ** कहीं इख़्तिलाफ़े माना नहीं⁽²⁾, वोह सब हक़ हैं, इस में उम्मत के लिये आसानी येह है कि जिस के लिये जो क़िराअत आसान हो वोह पढ़े⁽³⁾, और हुक्म येह है कि जिस मुल्क में जो क़िराअत राइज है अ़वाम के सामने वोही पढ़ी जाए, जैसे हमारे मुल्क में क़िराअते अ़सिम ब रिवायते हफ़्स, कि लोग ना वाकिफ़ी से इन्कार करेंगे और वोह **مَعَادُ اللَّهِ** कलिमए कुफ़्र होगा।⁽⁴⁾

= في "تفسير الخازن"، ج ٤، ص ٢٠٤، تحت الآية: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ﴾ أي: سهّلنا القرآن ﴿لِلذِّكْرِ﴾ أي: لينذكر ويعتبر به، قال سعيد بن جبیر: يسرناه للحفظ والقراءة وليس شيء من كتب الله تعالى يقرأ كلّ ظاهرًا إلا القرآن، ﴿فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ أي: متعظ بمواعظه، وفيه الحث على تعليم القرآن والاشتغال به؛ لأنّه قد يسره الله وسهله على من يشاء من عباده بحيث يسهل حفظه للصغير والكبير والعربي والعجمي وغيرهم).

आला हज़रत, अज़ीमुल मर्तबत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान **فَتَاوَا رَجُومُ** **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ** फ़तावा रज़विय्या में फ़रमाते हैं : कुछ अज़ब नहीं कि मौला **عَزَّوَجَلَّ** बाज़ नेमतें बाज़ अम्बिया **عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** को अ़ता फ़रमाए। अगली उम्मतों में नबी के सिवा किसी को न मिलती हों मगर इस उम्मते मर्हूमा के लिये उन्हें आम फ़रमा दे जैसे : किताबुल्लाह का हाफ़िज़ होना कि उममे साबिका में ख़ास्सए अम्बिया **عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** था इस उम्मत के लिये रब **عَزَّوَجَلَّ** ने कुरआने करीम हिफ़ज़ के लिये आसान फ़रमा दिया कि दस दस बरस के बच्चे हाफ़िज़ होते हैं और हमारे मौला **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** का फ़ज़ल ज़ाहिर कि इन की उम्मत को वोह मिला जो सिर्फ़ अम्बिया को मिला करता था।

عليه عليهم أفضل الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين - "الفتاوى الرضوية"، ج ٥، ص ٦٧

① عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع)). "مشكاة المصابيح"، كتاب العلم، الحديث: ٢٣٨، ج ١، ص ١١٣.

في "المراقبة"، ج ١، ص ٤٩٩، تحت هذا الحديث: (قال ابن حجر: الجملة الأولى جاءت من رواية أحد وعشرين صحابياً، ومن ثم نص أبو عبيد على أنها متواترة أي: معني).

② في "فيض القدير"، ج ٢، ص ٦٩٢، تحت الحديث: ٢٥١٢: ((إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)) أي: سبع لغات أو سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة أو غير ذلك).

③ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقروا ما تيسر منه)) ملتقطاً.

"صحيح مسلم"، باب بيان أنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف... إلخ، الحديث: ٨١٨، ص ٤٠٨.

④ في "الدر"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ٢، ص ٣٢٠ (ويجوز بالروايات السبع، لكن الأولى أن لا يقرأ بالغربية عند العوام صيانة لدينهم). وفي "رد المحتار" تحت قوله: (بالغربية) أي: بالروايات الغريبة والإمالات؛ لأنّ بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء، ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم، ولا يقرأ عندهم مثل قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة الكسائي صيانة لدينهم فلعلهم يستخفون أو يضحكون وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة، ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم). وانظر: "التتارخانية"، ج ١، ص ٤٥٥.

अक्वीदा 10 — कुरआने मजीद ने अगली किताबों के बहुत से अहकाम मन्सूख कर दिये।⁽¹⁾, यूँही कुरआने मजीद की बाज़ आयतों ने बाज़ आयत को मन्सूख कर दिया।⁽²⁾

अक्वीदा 11 — नसख का मतलब यह है कि बाज़ अहकाम किसी खास वक़्त तक के लिये होते हैं, मगर यह ज़ाहिर नहीं किया जाता कि यह हुक्म फुलां वक़्त तक के लिये है, जब मीआद पूरी हो जाती है तो दूसरा हुक्म नाज़िल होता है, जिस से ब ज़ाहिर यह मालूम होता है कि वोह पहला हुक्म उठा दिया गया और हकीक़तन देखा जाए तो उस के वक़्त का ख़त्म हो जाना बताया गया।⁽³⁾ मन्सूख के माना बाज़ लोग बातिल होना कहते हैं, यह बहुत सख़्त बात है, अहकामे इलाहियह सब हक़ हैं, वहां बातिल की रसाई कहां...!

..... ① ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [پ २، البقرة: १८७] .

في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، ج ١، ص ٢٤١، تحت الآية: (قوله تعالى: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ﴾ لفظ: ﴿أَجَلٌ﴾ يقتضي أنّه كان محرّماً قبل ذلك ثم نسخ، روى أبو داود عن ابن أبي ليلى قال: وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح، قال: فجاء عمر فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت، فظنّ أنّها تعتل فأتاها، فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاماً فقالوا: حتى نسحن لك شيئاً فنام، فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية، وفيها: ﴿أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ .

..... ② ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَعْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدْ مَوَّابِشَنَ يَدَيْكُمْ جُوبَكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ . [پ ۲۸، المجادلة: ۱۲] .

في "روح البيان"، المجادلة، تحت الآية، الجزء الثامن والعشرون، ج ٩، ص ٤٠٥: (والآية نزلت حين أكثر الناس عليه السؤال حتى أسأموه وأملوه فأمرهم الله بتقديم الصدقة عند المناجاة فكف كثير من الناس، أمّا الفقير فلعسرتة، وأمّا الغني فلشحه وفي هذا الأمر تعظيم الرسول ونفع الفقراء والزجر عن الإفراط في السؤال والتمييز بين المخلص والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا واختلف في أنّه للندب أو للوجوب لكنّه نسخ بقوله تعالى: ﴿ءَأَشَقَقْتُمْ﴾ الآية... إلخ).

وفي "روح المعاني"، الجزء الثامن والعشرين، ج ١٤، ص ٣١٤-٣١٥.

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنكُمْ وَيَدْعُونَ إِلَىٰ ذَوَائِكُمْ لَا تَرْكُضْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [پ ٢، البقرة: ٢٣٤] .

في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، ج ٢، ص ١٣٣، تحت الآية: (وأكثر العلماء على أنّ هذه الآية ناسخة لقوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنكُمْ وَيَدْعُونَ إِلَىٰ ذَوَائِكُمْ﴾ وَصِيَّةٌ لِّذَوَائِكُمْ مِّنَّا عَالِي السُّوْلِ غَيْرُ إِخْرَاجٍ) لأنّ الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل وخلف امرأته حاملاً أو صى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتزوج، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، وبالميراث).

..... ③ قال الإمام أحمد رضا في "المعتمد المستند"، ص ٥٥: (والمطلق يكون في علم الله مؤبداً أو مقيداً، وهذا الأخير هو الذي يأتيه النسخ فيظنّ أنّ الحكم تبدل؛ لأنّ المطلق يكون ظاهره التأيد حتى سبق إلى بعض الخواطر أنّ النسخ رفع الحكم

अक्वीदा 12

कुरआन की बाज़ बातें मोहकम हैं कि हमारी समझ में आती हैं और बाज़ मुतशाबह कि उन का पूरा मतलब अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) और अल्लाह के हबीब (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के सिवा कोई नहीं जानता, मुतशाबेह की तलाश और उस के माना की किंकाश वोही करता है जिस के दिल में कजी⁽¹⁾ हो।⁽²⁾

अक्वीदा 13

वहिये नबुवत, अम्बिया के लिये खास है⁽³⁾, जो इसे किसी ग़ैरे नबी के लिये माने काफ़िर है।⁽⁴⁾ नबी को ख़्वाब में जो चीज़ बताई जाए वोह भी वही है, उस के झूटे होने का एहतिमाल नहीं।⁽⁵⁾ वली के दिल में बाज़ वक़्त सोते या जागते में कोई बात

وإنما هو بيان مدته عندنا وعند المحققين. في "تفسير الصاوي"، البقرة، تحت الآية: ١٠٦، ج ١، ص ٩٨: النسخ: بيان انتهاء حكم التعبد. "انظر للتفصيل: "الإتقان في علوم القرآن" للسيوطي، النوع ٤٧ في ناسخه ومنسوخه، ج ٢، ص ٣٢٦.

1.....टेदापन

2..... ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ٣، ٧، ٧.

في "نور الأنوار"، ص ٩٧: (أُنْ المراد به (أَي: بالمتشابه) حق وإن لم نعلمه قبل يوم القيامة، وأما بعد القيامة فيصير مكشوفاً لكل أحد إن شاء الله تعالى، وهذا في حق الأمة، وأما في حق النبي عليه السلام فكان معلوماً وإلا تبطل فائدة التخاطب ويصير التخاطب بالمهمل كالتكلم بالزنجي مع العربي وهذا عندنا). وفي "شرح الحسامي"، ص ٢١: (فالمتشابه كرجل فقد عن الناس حتى انقطع أثره وانقضى جيرانه وأقرانه،) (وحكمه التوقف فيه أبداً) في حقنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المتشابهات كما صرح به فخر الإسلام في "أصوله". انظر للتفصيل والدلائل: "انباء الحي"، ص ٥٠.

3..... في "المعتقد المنتقد"، ص ١٠٥: (الوحي قسمان: وحي نبوة، ويختص به الأنبياء دون غيرهم).

4..... في "الشفاء"، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، الجزء ٢، ص ٢٨٥: (من ادعى النبوة لنفسه أو جوّز اكسابها والبلوغ بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة، وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده). ملقطاً.

5..... ﴿إِذْ قَالَ يُسُفُ لَا يَبِيْوِيَّا بَتِّ إِنْ رَأَيْتَ أَحَدَ عَشَرَ كُتُبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتَهُمْ فِي سُجُودٍ﴾ ١٢، ٤: يوسف: ٤.

في "تفسير الطبري"، تحت الآية، عن ابن عباس في قوله: ﴿إِنْ رَأَيْتَ أَحَدَ عَشَرَ كُتُبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتَهُمْ فِي سُجُودٍ﴾، قال: كانت رؤيا الأنبياء وحيًا). ج ٧، ص ١٤٨.

इल्का होती है, उस को इल्हाम कहते हैं⁽¹⁾ और वहिये शैतानी कि इल्का मिन जानिबे शैतान हो, येह काहिन, साहिर और दीगर कुफ़ार व फुस्साक के लिये होती है।⁽²⁾

अक्वीदा 14

नबुव्वत कस्बी नहीं कि आदमी इबादतो रियाज़त के ज़रीए से हासिल कर सके⁽³⁾, बल्कि महज़ अताए इलाही है कि जिसे चाहता है अपने फज़ल से देता है, हां ! देता उसी को है जिसे इस मन्सबे अज़ीम के काबिल बनाता है, जो कब्ले हुसूले नबुव्वत तमाम

= ﴿فَلَمَّا بَدَأْكُمْ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يُبَيِّنُ لِي أَلَمْ يَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكُ فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَىٰ ۖ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ . प २३, الصافات: १०२.

في "تفسير الطبري"، تحت الآية: عن قتادة، قوله: ﴿يُبَيِّنُ لِي أَلَمْ يَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكُ﴾ قال: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ إِذَا رَأَوْا فِي الْمَنَامِ شَيْئًا فَعَلُوهُ). وعن عبيد بن عمير، قال: (رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنِّي أَلَمْ يَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكُ﴾. ج १، ص ५०७.

① في "المراقبة"، كتاب العلم، ج १، ص ४५: (والإلهام لغة: الإبلّغ، وهو علم حق يقذفه الله من الغيب في قلوب عباده).
② ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ . پ ۸، الأنعام: ۱۱۲. في "تفسير الطبري"، ج ۵، ص ۳۱۴، تحت الآية: (أما قوله: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾، فإنه يعني أنه يلقي الملقى منهم القول، الذي زينّه وحسنه بالباطل إلى صاحبه، ليغترّ به من سمعه، فيضلّ عن سبيل الله). وعن السدي في قوله: ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾، قال: للإنسان شيطان، وللجنّي شيطان، فيلقى شيطان الإنسان شيطان الجن، فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا).

﴿هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۖ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ . پ ۱۹، الشعراء: ۲۲۲، ۲۲۱.

في "تفسير الطبري"، تحت الآية، عن قتادة، في قوله: ﴿كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ قال: هم الكهنة تسترق الجن السمع، ثم يأتون به إلى أوليائهم من الإنس). ج ۹، ص ۴۸۷.

في "تفسير ابن كثير"، تحت الآية: ﴿هَلْ أَتَيْتُكُمْ﴾ أي: أخبركم ﴿عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۖ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ أي: كذوب في قوله وهو الأفّاك (الأثيم) وهو الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى مجراه من الكذبة الفسقة، فإنّ الشياطين أيضاً كذبة فسقة). ج ۶، ص ۱۵۵.

③ في "المعتقد المنتقد"، ص ۱۰۷: (النبوة ليست كسبية).

وفي "اليواقيت والجواهر"، ص ۲۲۴: (ليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل إليها بالنسك والرياضات كما ظنّه جماعة من الحمقى، فإنّ الله تعالى حكى عن الرسل بقوله: ﴿قَالَتْ لَهُمْ مُرْسَلُهُمْ إِن تَحْنُوا إِلَّا يَسُرُّوْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾، پ ۱۳، ابراهيم: ۱، فالنبوة إذن محض فضل الله تعالى)، ملقطاً.

अख़लाके रज़ीला से पाक, और तमाम अख़लाके फ़ाज़िला से मुज़य्यन हो कर जुम्ला मदारिजे विलायत तै कर चुकता है और अपने नसब व जिस्म व कौलो फ़ेल व हरकातो सकनात में हर ऐसी बात से मुनज़्ज़ा होता है जो बाइसे नफ़रत हो, उसे अक्ले कामिल अता की जाती है, जो औरों की अक्ल से ब दरजहा जाइद है⁽¹⁾, किसी हकीम और किसी फ़ल्सफ़ी की अक्ल उस के लाखवें हिस्से तक नहीं पहुंच सकती।⁽²⁾

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾⁽³⁾

﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾⁽⁴⁾

और जो इसे कस्बी माने कि आदमी अपने कस्ब व रियाज़त से मन्सबे नबुवत तक पहुंच सकता है, काफ़िर है।⁽⁵⁾

अक्वीदा 15 जो शख्स नबी से नबुवत का ज़वाल जाइज़ जाने काफ़िर है।⁽⁶⁾

①..... في "المسيرة" و"المسامرة"، شروط النبوة، ص ٢٢٦: (شروط النبوة: الذكورة وكونه أكمل أهل زمانه عقلاً وخلقا و) أكملهم (فطنة وقوة رأي والسلامة من دناءة الآباء) ومن (غمز الأمهات و) السلامة من (القسوة والعيوب المنفرة) منهم (كالبرص والجذام و) من (قلة المروءة كالأكل على الطريق، و) من (دناءة الصناعة كالحجامة... إلخ) ملقطاً.

في "شرح المقاصد"، المبحث السادس، ج ٣، ص ٣١٧: (النبوة مشروطة بالذكورة، وكمال العقل، وقوة الرأي، والسلامة عن المنفريات كزنا الآباء، وعهر الأمهات والفظاظة، ومثل البرص، والجذام، والجرف الدنيئة، وكل ما يخل بالمروءة وحكمة البعثة ونحو ذلك). انظر للتفصيل: "المعتقد المنتقد"، باب: وما أنا أذكر ما يجب لهم عليهم السلام، ص ١١٠-١١٧.

②..... عن وهب بن منبه، قال: قرأت واحداً وسبعين كتاباً فوجدت في جميعها أنّ الله عز وجل لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال جميع الدنيا، وأنّ محمداً صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلاً وأفضلهم رأياً). رواه أبو نعيم في "الحلية"، ج ٤، ص ٢٩-٣٠، الحديث: ٤٦٥٢.

③.....तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह ख़ूब जानता है जहां अपनी रिसालत रखे । १२४ : الأنعام: ८

④.....तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : येह अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहे दे और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है । २१ : الحديد: २७

⑤..... في "المعتقد المنتقد"، مسئلة: النبوة ليست كسبية... إلخ، ص ١٠٧: (النبوة ليست كسبية، قال الثورفشتي في "المعتقد": اعتقاد حصول النبوة بالكسب كفر)، ملقطاً.

في "اليواقيت والحواهر"، ص ٢٢٤: (وقد أفتى المالكية وغيرهم بكفر من قال: إنّ النبوة مكتسبة، والله تعالى أعلم).

⑥..... في "المعتقد المنتقد"، مسئلة: من جَوَز زوال النبوة من نبي... إلخ، ص ١٠٩: (من جَوَز زوال النبوة من نبي فإنه يصير كافراً، كذا في "التمهيد").

अक्बीदा 16

नबी का मासूम होना ज़रूरी है⁽¹⁾ और यह इस्मत नबी और मलक का खास्सा है कि नबी और फ़रिश्ते के सिवा कोई मासूम नहीं।⁽²⁾ इमामों को अम्बिया की तरह मासूम समझना गुमराही व बद दीनी है। इस्मते अम्बिया के येह माना हैं कि उन के लिये हिफ़ज़े इलाही का वादा हो लिया, जिस के सबब उन से सुदूरे गुनाह शर्अन मुहाल है⁽³⁾.....

① وفي "منح الروض الأزهر"، ص ٥٦: (الأنبياء عليهم الصلوة والسلام كلّهم منزّهون) أي: معصومون، ملقّقطاً. وفي "شرح النووي"، ج ١، ص ١٠٨: (ذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من الفقهاء والمتكلمين من أئمتنا إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر)

② في "المعتقد المنتقد"، ص ١١٠: (فمنه العصمة: وهي من خصائص النبوة على مذهب أهل الحق). في "الحبائك في أخبار الملائكة"، ص ٨٢: (أجمع المسلمون على أنّ الملائكة مؤمنون فضلاء، واتفق أئمة المسلمين أنّ حكم المرسلين منهم حكم النبيين سواءً في العصمة ممّا ذكرنا عصمتهم منه، وأنّهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأئمّة واختلفوا في غير المرسلين منهم فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي واحتجوا بقوله تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، وبقوله: ﴿وَمَا مِمَّا آتَاكُم مَّقَامٌ مَّقَامُكُمْ﴾ ﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ الصّٰلِحُونَ﴾ ﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ السّٰبِقُونَ﴾، وبقوله: ﴿وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْكَرُ مِنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْزِنُ﴾ ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ ونحوه من السمعيّات، وذهبت طائفة إلى أنّ هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين والصواب عصمة جميعهم وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحطّ من رتبته ومنزلته عن جليل مقدارهم)، ملقّقطاً. و"الشفاء"، فصل في القول في عصمة الملائكة، ج ٢، ص ١٧٤-١٧٥. وفي "منح الروض الأزهر"، ص ١٢: (وملائكته) بأنّهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنّهم معصومون ولا يعصون الله).

وفي "النبراس"، ص ٢٨٧: (والملائكة عباد الله تعالى العاملون بأمره) يريد أنّهم معصومون وقد اختلف في عصمتهم فالمختار أنّهم معصومون عن كل معصية.

وفي "الحديقة الندية" شرح "الطريقة المحمدية"، ج ١، ص ٢٩٠: ("أَنَّ الملائكة" الذين هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) لا يعملون قط ما لم يأمرهم به قاله البيضاوي (لا يوصفون) أي: الملائكة عليهم السلام (بمعصية) صغيرة ولا كبيرة؛ لأنّهم كالأنبياء معصومون).

وفي "الفتاوى الرضوية"، ج ١٤، ص ١٨٧: (نहीं) (अम्बिया के सिवा कोई मासूम नहीं) (बशर में अम्बिया

③ انظر للتفصيل: "نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض"، الباب الأوّل فيما يجب للأنبياء عليهم الصلوة والسلام، ويمتنع أو يصح من الأحوال... إلخ، فصل في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل... إلخ، ج ٥، ص ١٤٤-١٩٣-٣٣٧.

ब ख़िलाफ़े अइम्मा⁽¹⁾ व अकाबिर औलिया, कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उन्हें महफूज़ रखता है, उन से गुनाह होता नहीं, मगर हो तो शर्अन मुहाल भी नहीं।⁽²⁾

अब्वीदा 17

अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام शिको कुफ़्र और हर ऐसे अम्र से जो खल्फ़ के लिये बाइसे नफ़रत हो, जैसे किज़्बो ख़ियानत व जहल वगैरहा सिफ़ाते ज़मीमा⁽³⁾ से, नीज़ ऐसे अफ़आल से जो वजाहत और मुरव्वत के ख़िलाफ़ हैं क़ब्ले नबुव्वत और बादे नबुव्वत बिल इज्माअ मासूम हैं और कबाइर से भी मुत्लकन मासूम हैं और हक़ येह है कि तअम्मुदे सगाइर से भी क़ब्ले नबुव्वत और बादे नबुव्वत मासूम हैं।⁽⁴⁾

①..... في "شرح المقاصد"، المقصد السادس، المبحث الثاني، الشروط التي تجب في الإمام، ج ٣، ص ٤٨٤: (واحتج أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالإجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم، وإن كانوا معصومين بمعنى أنهم منذ آمنوا كان لهم ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها، وحاصل هذا دعوى الإجماع على عدم اشتراط العصمة في الإمام).

②..... في "بريقة محمودية" شرح "طريقة محمدية" ج ٢، ص ١: (اعلم أنه لا تجب عصمة الولي كما تجب عصمة النبي لكن عصمته بمعنى أن يكون محفوظاً لا تصدر عنه زلة أصلاً، ولا امتناع من صدورها، وقيل للحنيد: هل يزني العارف؟ فأطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ [پ ٢٢، الأحزاب: ٣٨].

وفي "الرسالة القشيرية"، باب الولاية، ص ٢٩٢: (ومن شرط الولي أن يكون محفوظاً، كما أنّ من شرط النبي أن يكون معصوماً). وفيها، باب كرامات الأولياء، ص ٣٨١: (فإن قيل: هل يكون الولي معصوماً؟ قيل: أمّا وجوباً كما يقال في الأنبياء فلا، وأمّا أن يكون محفوظاً حتى لا يصير على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات فلا يتمتع ذلك في وصفهم، ولقد قيل للحنيد: العارف يزني يا أبا القاسم؟ فأطرق ملياً، ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً).

في "الفتاوى الحديثة"، مطلب: في أنّ الإلهام ليس بحجة... الخ، ص ٤٢٢: (والأولياء وإن لم يكن لهم العصمة لحواز وقوع الذنب منهم ولا ينافيه الولاية، ومن ثم قيل للحنيد: أيزني الولي؟ فقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً، لكن لهم الحفظ فلا تقع منهم كبيرة ولا صغيرة غالباً).

3.....बुरी सिफ़तों

④..... في "روح البيان"، प २३، ج ८، ص ४०، تحت الآية: ४४: (واعلم: أنّ العلماء قالوا: إنّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الأمراض المنفرة).

في "الحديقة الندية" على "الطريقة المحمدية"، ج ١، ص ٢٨٨: (وهم) أي: الأنبياء والرسل عليهم السلام كلهم (مبرؤون عن الكفر) بالله تعالى (و) عن (الكذب مطلقاً)، أي: قبل النبوة وبعدها العمد من ذلك والسهو والكذب على الله تعالى وعلى غيره في الأمور الشرعية والعادية، (و) مبرؤون (عن الكبائر) من الذنوب (و) عن (الصغائر) منها أيضاً (المنفرة) نعت للصغائر أي: التي تنفر غيرهم من أتباعهم (كسرقة لقمة) من المأكولات (وتطفيف) أي: تنقيص (حبة) من الحبوب التي

अक्बीदा 18

अल्लाह तअला ने अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام पर बन्दों के लिये जितने अहकाम नाजिल फरमाए उन्होंने ने वोह सब पहुंचा दिये, जो येह कहे कि किसी हुक्म को किसी नबी ने छुपा रखा, तकय्या यानी खौफ की वजह से या और किसी वजह से न पहुंचाया, काफिर है।⁽¹⁾

يبيعونها فإن ذلك مما يدل على الخسة والدناءة (و) مبرؤون أيضاً من (تعمد الصغائر غيرها) أي غير المنفرة (بعد البيعة) أي: إرسالهم إلى دعوة الخلق).

في "منح الروض الأزهر" للقارئ، الأنبياء منزّهون عن الصغائر والكبائر، ص ٥٦-٥٧: (والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم) أي: جميعهم الشامل لرسولهم ومشاهيرهم وغيرهم (منزّهون) أي: معصومون (عن الصغائر والكبائر) أي: من جميع المعاصي (والكفر) خص؛ لأنه أكبر الكبائر (والقبائح) وفي نسخة: والفواحش، وهي أخص من الكبائر في مقام التغاير كما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَلْثَمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾ والمراد بها نحو: القتل والزنا واللواط والسرقة وقذف المحصنة والسحر والفرار من الزحف والنميمة وأكل الربا ومال اليتيم وظلم العباد وقصد الفساد في البلاد... إلخ، ثم هذه العصمة ثابتة للأنبياء قبل النبوة وبعدها على الأصح، وهم مؤيدون بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات. ملقطاً.

وقال الإمام الأعظم في "الفقه الأكبر"، ص ٦١: (ولم يشرك بالله طرفة عين قط، ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط). قال الملا علي القارئ في شرحه: (ولم يشرك بالله طرفة عين قط) أي: لا قبل النبوة ولا بعدها، فإن الأنبياء عليهم الصلوة والسلام معصومون عن الكفر مطلقاً بالإجماع).

① ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَخُصُّكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ پ ٦، المائدة: ٦٧.

في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، ج ٣، الجزء الثاني، ص ١٤٥، تحت هذه الآية: (دلت الآية على رد قول من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً من أمر الدين تقيّة، وعلى بطلانه، وهم الرافضة، ودلت على أنه صلى الله عليه وسلم لم يسر إلى أحد شيئاً من أمر الدين؛ لأن المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهراً، قال ابن عباس: والمعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئاً منه فما بلغت رسالته، وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمتة ألا يكتنوا شيئاً من أمر شريعته، وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتن شيئاً من وحيه، وفي "صحيح مسلم" عن مسروق عن عائشة أنها قالت: ((من حدثك أنّ محمداً صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً من الوحي فقد كذب، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾)). وقبح الله الروافض حيث قالوا: إنه صلى الله عليه وسلم كتم شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه، ملقطاً.

وفي "المعتقد المنتقد"، ص ١١٣-١١٤: (ومنه التبليغ لجميع ما جاء به من عند الله، وأمروا بتبليغه للعباد، اعتقادياً كان أو عملياً، فيجب أن يعتقد أنهم صلوات الله تعالى عليهم بلغوا عن الله ما أمروا بتبليغه ولم يكتنوا منه شيئاً، ولو في قوة الخوف). =

अक्वीदा 19 — अहकामे तब्लीग़िया में अम्बिया से सहव व निस्यान मुहाल है।⁽¹⁾

अक्वीदा 20 — उन के जिस्म का बरस व जुज़ाम वगैरा ऐसे अमराज़ से जिन से तनफ़्फ़ुर होता है, पाक होना ज़रूरी है।⁽²⁾

अक्वीदा 21 — अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ने अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام को अपने गुयूब पर इत्तिलाअ दी⁽³⁾,

= وقال الإمام أحمد رضا خان في "المعتمد المستند" ص ١٤١، تحت اللفظ: ولو في قوة: (وتجوز التقية عليهم في التبليغ كما تزعمه الطائفة الشقية هدم لأساس الدين، وكفر و ضلال مبين).

في "اليواقيت والجواهر"، ص ٢٥٢: (أجمعت الأمة على أنه بلغ الرسالة بتمامها وكمالها وكذلك تشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا رسالات ربهم، وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فحذر وأنذر وأوعد وما خص بذلك أحدا دون أحد، ثم قال: ((ألا هل بلغت)) فقالوا: بلغت يا رسول الله، فقال: ((اللهم اشهد)).

① في "المسامرة بشرح المسامرة"، شروط النبوة، الكلام على العصمة، ص ٢٣٤-٢٣٥: (وأما فيما طريقه الإبلاغ أي: إيلاخ الشرع وتقريره من الأقوال وما يجري مجراها من الأفعال كتعليم الأمة بالفعل (فهم معصومون فيه من السهو والغلط). في "شرح النووي"، ج ١، ص ١٠٨: (اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول فهم معصومون فيه على كل حال، وأما ما كان طريقه الإبلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأساً وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه).

② في "المسامرة بشرح المسامرة"، ص ٢٢٦: (من شروط النبوة السلامة من (العيوب المنفرة) منهم (كالبرص والجذام)، ملتقطاً. وفي "المعتقد المنتقد"، ص ١١٥: (ومنه النزاهة في الذات أي: السلامة من البرص والجذام والعمى وغير ذلك من المنفترات).

③ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ب ١، البقرة: ٣١.

في "تفسير روح البيان"، ج ١، ص ١٠٠، تحت هذه الآية: (علمه أسماء الأشياء كلها أي: ألهمه فوق في قلبه فحجر على لسانه بما في قلبه بتسمية الأشياء من عنده فعلمه جميع أسماء المسميات بكل اللغات بأن أراه الأجناس التي خلقها وعلمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير وهذا اسمه كذا، وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية، وعلمه أسماء الملائكة وأسماء ذريته كلهم وأسماء الحيوانات والجمادات وصنعة كل شيء، وأسماء المدن والقرى وأسماء الطير والشجر وما يكون وكل نسمة يخلقها إلى يوم القيامة وأسماء المطعومات والمشروبات وكل نعيم في الجنة وأسماء كل شيء حتى القصعة والقصبة وحتى الحفنة والمحلب..... وفي الخبر: علمه سبعمائة ألف لغة).

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ ب ٣، البقرة: ٢٥٥.

في "تفسير الخازن"، ج ١، ص ١٩٦، تحت الآية: (﴿الْأَيْ شَاءَ﴾ يعني: أن يطلعهم عليه وهم الأنبياء والرسل ليكون ما يطلعهم عليه من علم غيبه دليلاً على نبوتهم كما قال تعالى: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ).

﴿وَأَنبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمِمَّا تَأْخُذُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُم أَنْ تَتَّقُوا مَوَازِينَ﴾ ب ٣، آل عمران: ٤٩.

= في "تفسير الطبري"، ج ٣، ص ٢٧٨، تحت الآية: قال عطاء بن أبي رباح: ﴿وَأَنْتُمْ بِمِائَاتِكُمْ مَّا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخَّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾، قال: الطعام والشيء يذخرونه في بيوتهم، غيباً علمه الله إياه).
﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ پ ٧، الأنعام: ٧٥.

في "تفسير الخازن"، ج ٢، ص ٢٨، تحت الآية: قال مجاهد وسعيد بن جبیر: (يعني: آيات السموات والأرض وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السموات حتى رأى العرش والكرسي وما في السموات من العجائب، وحتى رأى مكانه في الجنة فذلك قوله: (وَأَنبَأَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا)، يعني أريناه مكانه في الجنة وكشف له عن الأرض حتى نظر إلى أسفل الأرضين ورأى ما فيها من العجائب).

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَنَّكَ طَعَامُ تَرْزُقْنِي إِلَّا بِأَنْتَ تَأْتِيَنِي وَأَنْتَ تَأْتِيَنِي﴾ ذَلِكُمَا مَعًا عَلَّمَ رَبِّي﴾ پ ١٢، يوسف: ٣٧.
في "تفسير الكبير"، ج ٦، ص ٤٥٥، تحت الآية: ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ طَعَامُ تَرْزُقْنِي إِلَّا بِأَنْتَ تَأْتِيَنِي وَأَنْتَ تَأْتِيَنِي﴾ محمول على اليقظة، والمعنى: أنه لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا أخبرتكما أي طعام هو، وأي لون هو، وكم هو، وكيف يكون عاقبته؟ أي: إذا أكله الإنسان فهو يفيد الصحة أو السقم).

﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا﴾ پ ١٥، الكهف: ٦٥. وفي "تفسير القرطبي"، ج ٥، الجزء التاسع، ص ٣١٦، تحت الآية: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا﴾ أي: علم الغيب).

في "تفسير الطبري"، ج ٨، ص ٢٥٣: (قال له موسى: جئتكَ لتعلمني مما علمت رشداً، ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾، وكان رجلاً يعلم علم الغيب قد علّم ذلك).

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ پ ٤، آل عمران: ١٧٩.

في "تفسير الخازن"، ج ١، ص ٣٢٩، تحت الآية: (يعني: ولكن الله يصطفي ويختار من رسله من يشاء فيطلعهم على ما يشاء من غيبه).

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ پ ٥، النساء: ١١٣.

في "تفسير الخازن"، ج ١، ص ٤٢٩، تحت الآية: يعني: من أحكام الشرع وأمور الدين، وقيل: علّمك من علم الغيب ما لم تكن تعلم، وقيل: معناه وعلّمك من خفيات الأمور واطلعتك على ضمائر القلوب وعلّمك من أحوال المنافقين وكيدهم ما لم تكن تعلم).

= ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَنْ أَمَرَ تَقَى مِنْ رَسُولٍ﴾ پ ٢٩، الجن: ٢٦-٢٧.

= "في "تفسير الطبري"، ج ١٢، ص ٢٧٥، تحت هذه الآية: عن قتادة، قوله: ﴿عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا **مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاسُلَ** ﴿، فَإِنَّهُ يَصْطَفِيهِمْ، وَيُطْلِعُهُمْ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْغَيْبِ)). وعن قتادة قال: ﴿إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاسُلَ مِنْ رَسُولٍ﴾ فَإِنَّهُ يَظْهَرُهُ مِنَ الْغَيْبِ عَلَى مَا شَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاسُلَ)).

﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ پ ٣٠، التکویر: ٢٤.

في "تفسير البغوي"، ج ٤، ص ٤٢٢، تحت الآية: ﴿وَمَا هُوَ﴾ يعني: محمداً ﷺ ﴿عَلَى الْغَيْبِ﴾، أي: الوحي، وخبر السماء وما أطلع عليه مما كان غائباً عنه من الأنباء والقصص، ﴿بِضَنِينٍ﴾ أي: بيسخيل يقول: إنه يأتيه علم الغيب فلا يسخل به عليكم بل يعلمكم ويخبركم به، ولا يكتمه كما يكتم الكاهن) عن طارق بن شهاب قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ((قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه)).

"صحيح البخاري"، كتاب بدء الخلق، الحديث: ٣١٩٢، ج ٢، ص ٣٧٥.

في "عمدة القاري"، ج ١٠، ص ٥٤٤، تحت الحديث: (وفيه دلالة على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات من ابتدائها إلى انتهائها، وفي إيراد ذلك كله في مجلس واحد أمر عظيم من خوارق العادة، وكيف! وقد أعطي جوامع الكلم مع ذلك).

عن حذيفة قال: ((قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه)). "صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، الحديث: ٢٣- (٢٨٩١)، ص ١٥٤٥.

حدثني أبو زيد يعني: عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. "صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، الحديث: ٢٨٩٢، ص ١٥٤٦.

और कोई गैब क्या तुम से निहां हो भला

जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरुद (हदाइके बख्शिश, स. 191)

"الدولة المكية بالمادة الغيبية"، : مज़يد دلاइल के लिये आला हज़रतِ عَلَيْهِ الرَحْمَةُ की कुतुब मसलन : "مالي الجيب بعلوم الغيب" "خالص الاعتقاد"، "إنباء الحي"، "إزاحة العيب بسيف الغيب"، "إنباء المصطفى بحال سر وأخفى"، "مالي الجيب بعلوم الغيب" वगैरहा का मुतालआ करें।

जमीनो आस्मान का हर ज़रा हर नबी के पेशे नज़र है⁽¹⁾, मगर येह इल्मे ग़ैब कि उन को है अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) के दिये से है, लिहाज़ा उन का इल्म अताई हुवा और इल्मे अताई

1..... عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ جَلِيَانٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَنَبِيِّهِ كَمَا جَلَّاهُ لِلنَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِ)).

”حلية الأولياء“، ج ٦، ص ١٠٧، و”الخصائص الكبرى“، ج ٢، ص ١٨٥، و”الدولة المكيّة بالمادّة الغيبية“، ص ٥٦.

आला हज़रत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن “फ़तावा रज़विय्या” में इस हदीसे मुबारका को नक़ल करने के बाद इरशाद फ़रमाते हैं : इस हदीस से रोशन है कि जो कुछ समावात व अर्ज में है और जो क़ियामत तक होगा उस सब का इल्म अगले अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام को भी अता हुवा था और हज़रते इज़ज़त عَزَّوَجَلَّ ने इस तमाम मा कान व मा यकून को अपने उन महबूबों के पेशे नज़र फ़रमा दिया, मसलन : मशरिफ़ से मगरिब तक, सिमाक से समक तक, अर्ज से फ़लक तक इस वक़्त जो कुछ हो रहा है सय्यिदुना इब्राहीम ख़लील وَالتَّسْلِيم हज़ारहा बरस पहले इस सब को ऐसा देख रहे थे गोया इस वक़्त हर जगह मौजूद हैं, ईमानी निगाह में येह न कुदरते इलाही पर दुश्वार और न इज़ज़तो वजाहते अम्बिया के मुक़ाबिल बिस्यार । “फ़तावा रज़विय्या”, जि. 29, स. 495.

وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا)).

”صحیح مسلم“, کتاب الفتن، باب هلاک هذه الأمة بعضهم ببعض، الحديث: ٢٨٨٩، ص ١٥٤٤.

في ”المرقاة“، ج ١٠، ص ١٥، تحت الحديث: ((إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، أَيْ: جَمَعَهَا لِأَجْلِي، يَرِيدُ بِهِ تَقْرِيبَ الْبَعِيدِ مِنْهَا حَتَّى أَطَّلَعَ عَلَيْهِ أَطْلَاعَهُ عَلَى الْقَرِيبِ مِنْهَا، وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ طَوَى لَهُ الْأَرْضَ وَجَعَلَهَا مَجْمُوعَةً كَهَيْئَةِ كَفِّ فِي مِرَاةٍ نَظَرَهُ، وَلِذَا قَالَ: فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، أَيْ: جَمِيعَهَا) مُلْتَقَطًا.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ فَقُلْتُ:

أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ، قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)). “سنن الدارمي“، كتاب الرؤيا، باب في رؤية الرب تعالى في النوم، ج ٢، ص ١٧٠.

في ”المرقاة“، ج ٢، ص ٤٢٩، تحت الحديث: (فَعَلِمْتُ أَيْ: بِسَبَبِ وَصُولِ ذَلِكَ الْفَيْضِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَعْنِي: مَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا فِيهِمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَشْجَارِ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ سَعَةِ عِلْمِهِ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: أَيْ: جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ الَّتِي فِي السَّمَوَاتِ بَلْ وَمَا فَوْقَهَا، كَمَا يَسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ الْمِعْرَاجِ، وَالْأَرْضُ هِيَ بِمَعْنَى الْجَنَسِ، أَيْ:

=

وَجَمِيعَ مَا فِي الْأَرْضِ السَّبْعِ بَلْ وَمَا تَحْتَهَا).

अल्लाह ﷻ के लिये मुहाल है कि उस की कोई सिफ़त, कोई कमाल किसी का दिया हुआ नहीं हो सकता, बल्कि ज़ाती है।⁽¹⁾ जो लोग अम्बिया बल्कि सय्यिदुल अम्बिया ﷺ से मुत्लक इल्मे ग़ैब की नफ़ी करते हैं, वोह कुरआने अज़ीम की इस आयत के मिस्दाक हैं :

﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ ﴾⁽²⁾

यानी : “कुरआने अज़ीम की बाज़ बातें मानते हैं और बाज़ के साथ कुफ़र करते हैं।” कि आयते नफ़ी देखते हैं और उन आयतों से जिन में अम्बिया ﷺ को उलूमे ग़ैब अता किया जाना बयान किया गया है, इन्कार करते हैं, हालां कि नफ़ी व इस्बात दोनों हक़ हैं कि नफ़ी इल्मे ज़ाती की है कि येह ख़ास्सए उलूहिय्यत है, इस्बात अताई का है कि येह अम्बिया

= وفي “أشعة اللمعات”، ج ١، ص ٣٥٧، تحت قوله: ((فعلمت ما في السموات والأرض)) پس دانستم هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین بود عبارت است از حصول تمامه علوم جزوی و کلی واحاطه آن).

तर्जमा : पस जो कुछ आस्मानो ज़मीन में था सब कुछ मैं ने जान लिया येह बात तमाम उलूमे कुल्ली व जुर्ई को घेरे हुए है।

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान ﷺ हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान ﷺ “फ़तावा रज़विय्या” में फ़रमाते हैं : “अल्लाह ﷻ ने रोज़े अज़ल से रोज़े आख़िर तक जो कुछ हुआ और जो कुछ है और जो कुछ होने वाला है एक एक ज़र्रे का तफ़्सीली इल्म अपने हबीबे अकरम ﷺ को अता फ़रमाया, हज़ार तारीकियों में जो ज़र्रा या रेग का दाना पड़ा है हुज़ूर का इल्म उस को मुहीत है, और फ़क़्त इल्म ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया भर और जो कुछ इस में क़ियामत तक होने वाला है सब को ऐसा देख रहे हैं जैसा अपनी इस हथेली को। आस्मानों और ज़मीनों में कोई ज़र्रा उन की निगाह से मख़फ़ी नहीं बल्कि येह जो कुछ मज्कूर है उन के इल्म के समुन्दरों में से एक छोटी सी नहर है, अपनी तमाम उम्मत को इस से ज़ियादा पहचानते हैं जैसा आदमी अपने पास बैठने वालों को, और फ़क़्त पहचानते ही नहीं बल्कि उन के एक एक अमल एक एक हरकत को देख रहे हैं, दिलों में जो ख़तरा गुज़रता है उस से आगाह हैं, और फिर उन के इल्म के वोह तमाम समुन्दर और जमीअ उलूमे अक्वलीनो आख़िरीन मिल कर इल्मे इलाही से वोह निस्बत नहीं रखते जो एक ज़रा से क़तरे को करोड़ समुन्दरों से।” ज १०, व ७४.

1..... ﴿ وَعِنْدَهُ مَقَاتِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهَا شَيْءٌ ﴾ ٧ الأنعام: ॥

قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في “الدولة المكية بالمادة الغيبية”، ص ٣٩: (إن العلم إمّا ذاتي إن كان مصدره ذات العالم لا مدخل فيه لغيره عطاء ولا تسبيبا، وإمّا عطائي إذا كان بعطاء غيره، فالأول مختص بالمولى سبحانه وتعالى لا يمكن لغيره ومن أثبت شيئا منه ولو أدنى من أدنى من أدنى من ذرة لأحد من العالمين فقد كفر وأشرك، وبار وهلك. والثاني مختص بعباده عزّ جلاله لا إمكان له فيه، ومن أثبت شيئا منه لله تعالى فقد كفر، وأتى بما هو أضع وأشنع من الشرك الأكبر؛ لأنّ المشرك من يسوي بالله غيره، وهذا جعل غيره أعلى منه حيث أفاض عليه علمه وخيره.

2..... ١، البقرة: ٨٥.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

ही की शायाने शान है और मुनाफ़िये उलूहियत है और यह कहना कि हर ज़र्रे का इल्म नबी के लिये माना जाए तो ख़ालिक व मख़लूक की मुसावात लाज़िम आएगी, बातिल महज़ है कि मुसावात तो जब लाज़िम आए कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के लिये भी इतना ही इल्म साबित किया जाए और यह न कहेगा मगर काफ़िर, ज़रते आलम मुतनाही हैं और उस का इल्म ग़ैरे मुतनाही, वरना जहल लाज़िम आएगा और यह मुहाल, कि खुदा जहल से पाक, नीज़ ज़ाती व अताई का फ़र्क़ बयान करने पर भी मुसावात का इल्जाम देना सराहतन ईमान व इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि इस फ़र्क़ के होते हुए मुसावात हो जाया करे तो लाज़िम कि मुम्किन व वाजिबे वुजूद में مَعَادُ اللَّهِ मुसावी हो जाएं, कि मुम्किन भी मौजूद है और वाजिब भी मौजूद और वुजूद में मुसावी कहना सरीह कुफ़्र खुला शिर्क है।⁽¹⁾ अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام ग़ैब की ख़बर देने के लिये ही आते हैं कि जन्नतो नार व हशरो नशर व अज़ाबो सवाब ग़ैब नहीं तो और क्या हैं...? उन का मन्सब ही यह है कि वोह बातें इरशाद फ़रमाएं जिन तक अक्लो हवास की रसाई नहीं और इसी का नाम ग़ैब है।⁽²⁾

औलिया को भी इल्मे ग़ैब अताई होता है, मगर ब वासिता अम्बिया के।⁽³⁾

① "الفتاوى الرضوية"، ج ٢٩، ص ٤٠٨-٤٠٩، ٤٤٥، ٤٥٠.

② في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، ج ١، الجزء الأول، ص ٤٨: (الغيب كلّ ما أخبر به الرسول عليه السلام ممّا لا تهتدي إليه العقول من أشراف الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراف والميزان والجنة والنار).

③ ﴿عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴿﴾ پ ٢٩، الحن: ٢٦-٢٧.

في "تفسير روح البيان"، ج ١٠، ص ٢٠١-٢٠٢، تحت الآية: (قال ابن شيخ: إنّ تعالى لا يطلع على الغيب الذي يختص به علمه إلا المرتضى الذي يكون رسولاً، وما لا يختص به يطلع عليه غير الرسول، ممّا بتوسط الأنبياء، أو بنصب الدلائل وترتيب المقدمات أو بأن يلهم الله بعض الأولياء وقوع بعض المغيبات في المستقبل بواسطة الملك، فليس مراد الله بهذه الآية أن لا يطلع احداً على شيء من المغيبات إلا الرسل لظهور أنّه تعالى قد يطلع على شيء من الغيب غير الرسل).

وفي "إرشاد الساري"، كتاب التفسير، تحت الحديث: ٤٦٩٧: (ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله إلا من ارتضى

من رسول فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه، والولي التابع له يأخذ عنه) ج ١٠، ص ٣٦٩.

अक्वीदा 22

अम्बियाए किराम, तमाम मख्लूक यहां तक कि रुसुले मलाएका से अफ़ज़ल हैं।⁽¹⁾ वली कितना ही बड़े मर्तबे वाला हो, किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। जो किसी ग़ैरे नबी को किसी नबी से अफ़ज़ल या बराबर बताए, काफ़िर है।⁽²⁾

अक्वीदा 23

नबी की ताज़ीम फ़र्जे ऐन बल्कि अस्ले तमाम फ़राइज़ है।⁽³⁾ किसी नबी की अदना तौहीन या तकज़ीब, कुफ़्र है।⁽⁴⁾

1..... ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الْغُلَامَيْنِ﴾ प ७, الأنعام: ८६.

في "تفسير الخازن"، ج २، ص ३३، تحت الآية: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الْغُلَامَيْنِ﴾ يعني: على عالمي زمانهم ويستدل بهذه الآية من يقول: إنّ الأنبياء أفضل من الملائكة؛ لأنّ العالم اسم لكلّ موجود سوى الله تعالى فيدخل فيه الملك فيقتضي أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة.

وفي "التفسير الكبير"، پ १، البقرة، ج १، ص ४३، تحت الآية: ३٤: (اعلم أنّ جماعة من أصحابنا يحتجون بأمر الله تعالى للملائكة بسجود آدم عليه السلام على أنّ آدم أفضل من الملائكة فرأينا أنّ نذكر ههنا هذه المسألة فنقول: قال أكثر أهل السنّة: الأنبياء أفضل من الملائكة).

وفي "شرح المقاصد"، المبحث السابع، الملائكة، ج ३، ص ३२०-३२१: (فذهب جمهور أصحابنا والشيعة إلى أنّ الأنبياء أفضل من الملائكة).

2..... في "منح الروض الأزهر" ص १२१: (أنّ الولي لا يبلغ درجة النبي، فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلالة وإلحاد وجهالة)، ملتقطاً.

وفي "إرشاد الساري"، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم... إلخ، ج १، ص ३७८: (فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به، والقاتل بخلافه كافر، لأنّه معلوم من الشرع بالضرورة).

وفي "الشفاء"، ج २، ص २९०: (وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: إنّ الأئمة أفضل من الأنبياء). وفي "المعتقد المنتقد"، ص १२५: (إنّ نبياً واحداً أفضل عند الله من جميع الأولياء، ومن فضل ولياً على نبي يخشى الكفر بل هو كافر).

3..... ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً أَوْ مَبَشِيراً أَوْ نَذِيراً﴾ ﴿لِئَلَّامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَعَزَّزُوا وَتَوَقَّعُوا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾. پ २६، الفتح: ९، ۸.

وفي "جواهر البحار"، ج ३، ص २६०: (إنّ الله فرض علينا تعزيز رسوله، وتوقيره).

4..... في "تفسير روح البيان"، پ १०، التوبة، ج ३، ص ३۹۴، تحت الآية: ۱۲: (واعلم أنّه قد اجتمعت الأئمة على أنّ الاستخفاف بنبينا وبأي نبي كان من الأنبياء كفر سواء فعله فاعل ذلك استحلالاً أم فعله معتقداً بحرمة، ليس بين العلماء خلاف في ذلك... إلخ).

अक्बीदा 24

हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام से हमारे हुज़ूर सय्यिदे अलम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ तक अल्लाह तअला ने बहुत से नबी भेजे, बाज़ का सरीह ज़िक्र कुरआने मजीद में है और बाज़ का नहीं⁽¹⁾, जिन के अस्माए तय्यिबा बित्तसरीह कुरआने मजीद में हैं, वोह येह हैं :

हज़रते आदम⁽²⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते नूह⁽³⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते इब्राहीम⁽⁴⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते इस्माईल⁽⁵⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते इस्हाक⁽⁶⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते याकूब⁽⁷⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते यूसुफ़⁽⁸⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते मूसा⁽⁹⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते हारून⁽¹⁰⁾ عَلَيْهِ السَّلَام,.....

= وفي "الشفاء"، فصل في بيان ما هو حقه، ج ٢، ص ٢١٩: (قال ابن عتاب: الكتاب والسنة موجدان أنّ من قصد النبي صلى الله عليه وسلم بأذى أو نقص معرضاً أو مصرّحاً وإن قلّ فقتله واجب) وصفحة ٢١٧: (قال بعض علمائنا: أجمع العلماء على أنّ من دعا على نبي من الأنبياء بالويل أو بشيء من المكروه أنّه يقتل بلا استتابة).

وفي "فتاوى قاضي خان"، كتاب السير: (إذا عاب الرجل النبي عليه السلام في شيء كان كافراً. قال بعض العلماء: لو قال: شعر النبي صلى الله عليه وسلم شُعر فقد كفر. وعن أبي حفص الكبير رحمه الله: من عاب النبي عليه السلام بشعر من شعراته فقد كفر)، ج ٤، ص ٤٦٨.

وفي "التاريخانية"، كتاب أحكام المرتدين، ج ٥، ص ٤٧٧: (من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم السلام أو عاب نبياً بشيء أو لم يرض بسنة من سنن المرسلين عليهم السلام فقد كفر).

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَن "फ़तावा रज़विय्या" जि. 15, स. 587 में फ़रमाते हैं : हर नबी की तह्कीर मुल्लक़न कुफ़्रे कर्ई है ।

..... 1 ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ پ ٢٤، المؤمن: ٧٨.

..... 2 ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ پ ١، البقرة: ٣١.

..... 3 ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا﴾ پ ٣، آل عمران: ٣٣.

..... 4 ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ رَأْيَهُ بِكَلِمَاتٍ طَيَّبَاتٍ﴾ پ ١، البقرة: ١٢٤.

..... 5 ﴿وَعِصْرًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ پ ١، البقرة: ١٢٥.

..... 6 ﴿وَإِسْحَاقَ﴾ پ ١، البقرة: ١٣٣.

..... 7 ﴿وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ﴾ پ ١، البقرة: ١٣٢.

..... 8 ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ﴾ پ ١٢، يوسف: ٤.

..... 9 ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ پ ١، البقرة: ٥١.

..... 10 ﴿وَهَارُونَ﴾ پ ٦، النساء: ١٦٣.

हज़रते शुऐब⁽¹⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते लूत⁽²⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते हूद⁽³⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते दावूद⁽⁴⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते ज़क़रिया⁽⁷⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते अय्यूब⁽⁶⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते सुलैमान⁽⁵⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते अल हज़रते यहूया⁽⁸⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते ईसा⁽⁹⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते इलयास⁽¹⁰⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते जुल युसअ⁽¹¹⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते यूनस⁽¹²⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते इदरीस⁽¹³⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते ज़ुल किफ़ल⁽¹⁴⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते सालेह⁽¹⁵⁾ عَلَيْهِ السَّلَام, [हज़रते उज़ैर⁽¹⁶⁾ عَلَيْهِ السَّلَام],
 ۱. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁽¹⁷⁾ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह

1..... ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ ٨، الأعراف: ٨٥.

2..... ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا﴾ ١٢، هود: ٧٧.

3..... ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ ٨، الأعراف: ٦٥.

4..... ﴿وَقَتْلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ٢، البقرة: ٢٥١.

5..... ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا﴾ ١، البقرة: ١٠٢.

6..... ﴿وَأَيُّوبَ﴾ ٦، النساء: ١٦٣.

7..... ﴿وَكَقْلَهَا زَكْرِيَّا﴾ ٣، آل عمران: ٣٧.

8..... ﴿وَيَحْيَىٰ﴾ ٧، الأنعام: ٨٥.

9..... ﴿وَإِسْمَاعِيلَ ابْنَ إِسْحَاقَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ابْنَ إِسْحَاقَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ﴾ ١، البقرة: ٨٧.

10..... ﴿وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ ٧، الأنعام: ٨٥.

11..... ﴿وَالِيسَع﴾ ٧، الأنعام: ٨٦.

12..... ﴿وَيُؤُسَ﴾ ٦، النساء: ١٦٣.

13..... ﴿وَإِذْ يُرِيسَ﴾ ١٧، الأنبياء: ٨٥.

14..... ﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ ١٧، الأنبياء: ٨٥.

15..... ﴿وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ ضَلْحَمًا﴾ ٨، الأعراف: ٧٣.

16..... ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ ١٠، التوبة: ٣٠.

नोट : सराहत के साथ अम्बियाए किराम عَلَيْهِ السَّلَام के मिलने वाले नामों में एक नाम हज़रते उज़ैर का भी है इस लिये हम ने मत्न में कर्ली ब्रेकेट [] में इन का इज़ाफ़ा कर दिया, तफ़्सील के लिये फ़तावा रज़विय्या मुलाहज़ा फ़रमाएं १३६२, ज १६, व ३६२।
 انظر "الفتاوى الرضوية", ج ١٤, ص ٣٦٢.

17..... ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ ٤، آل عمران: १६६.

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ २२، الأحزاب: ६०.

﴿وَأَمَّا وَإِسْرَافُ عَلَىٰ مَعْصِي﴾ २६، محمد: २. ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ २६، الفتح: २९.

अक्वीदा 25

हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام को अल्लाह तअला ने बे मां बाप के मिट्टी से पैदा किया⁽¹⁾ और अपना खलीफ़ा किया⁽²⁾ और तमाम अस्मा व मुसम्मियात⁽³⁾ का इल्म दिया⁽⁴⁾, मलाएका को हुक्म दिया कि इन को सज्दा करें, सब ने सज्दा किया, शैतान (कि अज़ किस्मे जिन्न था⁽⁵⁾), मगर बहुत बड़ा अ़ाबिद ज़ाहिद था, यहां तक कि गुरौहे मलाएका में उस का शुमार था⁽⁶⁾) ब इन्कार पेश आया, हमेशा के लिये मरदूद हुवा।⁽⁷⁾

1..... ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ प ३, अल عمران: ५९.

في "تفسير ابن كثير"، تحت الآية: (يقول جل وعلا: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ﴾ في قدرة الله حيث خلقه من غير أب ﴿كَمَثَلِ آدَمَ﴾ حيث خلقه من غير أب ولا أم، بل ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ج २، ص ४١.

2..... ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ پ १، البقرة: ३۰.

3..... नामों और उन से पुकारी जाने वाली चीजों।

4..... ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ پ १، البقرة: ३۱.

في "تفسير روح البيان"، ج १، ص १००، تحت الآية: (علّمه أسماء الأشياء كلها أي: ألهمه فوق في قلبه فجرى على لسانه بما في قلبه بتسمية الأشياء من عنده فعلمه جميع أسماء المسميات بكلّ اللغات بأن أراه الأجناس التي خلقها وعلمه أنّ هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير وهذا اسمه كذا وعلمه أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية وعلمه أسماء الملائكة وأسماء ذريته كلهم وأسماء الحيوانات والجمادات وصنعة كل شيء، وأسماء المدن والقرى وأسماء الطير والشجر وما يكون وكل نسمة يخلقها إلى يوم القيامة وأسماء المطعومات والمشروبات وكل نعيم في الجنة وأسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة وحتى الحفنة والمحلب..... وفي الخبر: علّمه سبعمئة ألف لغة).

5..... ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ پ १५، الكهف: ५०.

6..... في "حاشية شيخ زاده على البيضاوي"، پ १५، الكهف: تحت هذه الآية: ٥٠: (فإنّه لما امتنع عن السجود لآدم استكباراً وافتخاراً بأنّ أصله نار وأصل آدم تراب، والنار علوي نوراني لطيف فيكون أشرف من التراب الذي هو سفلي ظلماني كثيف، وأداه ذلك الكبر إلى أنّ صار ملعوناً مخلّداً في النار بعد أن كان رئيس الملائكة ومقدمهم ومعلمهم وأشدّهم اجتهاداً في العبادة حتى لم يبق في سبع السموات ولا في سبع الأرضين موضع قدر شبر إلّا وقد سجد للعين لله تعالى عليه سجدة حتى امتلأت من العجب نفسه حيث لم ير أحداً مثله، فأبى أن يسجد لآدم استكباراً فقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ج ٥، ص ٤٨٦.

7..... ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۖ فَإِذْ سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۖ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ قَالَ يَا بَلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ ۖ اسْتَكْبَرْتَ أَتَكُنَّ مِنَ الْعَالِينَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۖ قَالَ فَاهْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ۖ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ﴾ پ २३، ص: ٧٨ تا ٧١.

अक्बिदा 26

हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام से पहले इन्सान का वुजूद न था, बल्कि सब

इन्सान उन ही की औलाद हैं, इसी वजह से इन्सान को आदमी कहते हैं, यानी औलादे आदम।

और हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام को अबुल बशर कहते हैं, यानी सब इन्सानों के बाप।⁽¹⁾

अक्बिदा 27

सब में पहले नबी हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام हुए⁽²⁾ और सब में पहले रसूल

जो कुफ़ार पर भेजे गए हज़रते नूह عَلَيْهِ السَّلَام हैं⁽³⁾,.....

1..... ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ प ६, النساء: १.

في "روح المعاني"، ج २، ص २८३، تحت الآية: (والمراد من النفس الواحدة آدم عليه السلام، والذي عليه الجماعة من الفقهاء والمحدثين ومن وافقهم أنه ليس سوى آدم واحد - وهو أبو البشر).

وفي "التفسير الكبير"، ج ३، ص ६७७، تحت الآية: (أجمع المسلمون على أنّ المراد بالنفس الواحدة هاهنا هو آدم عليه السلام).

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ پ ७، الأنعام: ९८.

في "تفسير الخازن"، ج २، ص ६०، تحت الآية: (يعني: واللّه الذي ابتداء خلقكم أيها الناس من آدم عليه السلام فهو أبو البشر، كلّهم وحواء مخلوقة منه عيسى أيضاً؛ لأنّ ابتداء خلقه من مريم وهي من بنات آدم فثبت أنّ جميع الخلق من آدم عليه السلام).

وفي "روح البيان"، ج ३، الجزء السابع، ص ७२، تحت الآية: (من نفس آدم وحدها فإنّه خلقنا جميعاً منه وخلق أمنا حواء من ضلع من أضلاع آدم فصار كل الناس محدثة مخلوقة من نفس واحدة حتى عيسى فإنّ ابتداء تكوينه من مريم التي هي مخلوقة من ماء أبيها وإنما علينا بهذا؛ لأنّ الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى أن يألف بعضهم بعضاً. قال أهل الإشارة: إنّ الله تعالى كما خلق آدم ابتداءً وجعل أولاده منه كذلك خلق روح محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأرواح كما قال: أول ما خلق الله روحي، ثم خلق الأرواح من روحه فكان آدم أباً للبشر وكان محمد صلى الله عليه وسلم أباً للأرواح).

﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ پ १०، الكهف: ५०.

في "روح المعاني"، ج ८، ص ६२२، تحت الآية: (ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين وإنّه لأصل الجن كما أنّ آدم عليه السلام أصل الإنس، وفيه دلالة على أنه لم يكن قبله جن كما لم يكن قبل آدم عليه السلام إنس... إلخ).

2..... عن أبي ذر قال قلت: يا رسول الله! أيّ الأنبياء كان أوّل؟ قال: ((آدم)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢١٦٠٢، ج ٨، ص ١٣٠.

وفي "العقائد النسفية"، ص ١٣٦: ((أول الأنبياء آدم عليه السلام)).

3..... في "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، الحديث: ١٩٣، ص ١٢٢: ((ولكن اتتوا نوحاً،

أول رسول بعثه الله)).

उन्होंने ने साढ़े नव सो बरस हिदायत फ़रमाई⁽¹⁾, उन के ज़माने के कुफ़ार बहुत सख़्त थे, हर किस्म की तकलीफ़ें पहुंचाते, इस्तिहज़ा करते, इतने असें में गिनती के लोग मुसलमान हुए, बाकियों को जब मुलाहज़ा फ़रमाया कि हरगिज़ इस्लाह पज़ीर नहीं, हटधर्मी और कुफ़र से बाज़ न आएं, मजबूर हो कर अपने रब के हुज़ूर उन के हलाक की दुआ की, तूफ़ान आया और सारी ज़मीन डूब गई, सिर्फ़ वोह गिनती के मुसलमान और हर जानवर का एक एक जोड़ा जो कश्ती में ले लिया गया था, बच गए।⁽²⁾

अक्वीदा 28 अम्बिया की कोई तादाद मुअय्यन करना जाइज़ नहीं, कि ख़बरे इस बाब में मुख़लिफ़ हैं और तादादे मुअय्यन पर ईमान रखने में नबी को नबुव्वत से ख़ारिज मानने, या ग़ैरे नबी को नबी जानने का एहतिमाल है⁽³⁾ और येह दोनों बातें कुफ़र हैं, लिहाज़ा येह एतिकाद चाहिये कि **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) के हर नबी पर हमारा ईमान है।

अक्वीदा 29 नबियों के मुख़लिफ़ दरजे हैं, बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत है और सब में अफ़ज़ल हमारे आकाओ मौला सय्यिदुल मुरसलीन صَلَّی اللّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّم हैं⁽⁴⁾, हुज़ूर

= وفي "النبراس"، ص ٢٧٥: (إن قلت: جاء في الحديث أنّ نوحاً عليه السلام أول رسول بعثه الله كما في "صحيح مسلم"، أحيب أي: بعثه الله إلى الكفار بخلاف آدم وشيث فإنهما أرسلا إلى المؤمنين لتعليم الشرائع).

1 ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ پ ٢٠، العنكبوت: ١٤.

2 انظر التفصيل في القرآن: ٨، الأعراف: ٥٩-٧٢. پ ١١، يونس: ٧١-٧٣.

پ ١٢، هود: ٢٥-٤٧. پ ١٨، المؤمنون: ٢٣-٣٠. پ ١٩، الشعراء: ١٠٥-١٢٢.

پ ٢٠، العنكبوت: ١٤-١٥. پ ٢٩، نوح: ١-٢٨.

3 في "المسامرة بشرح المسامرة"، ص ٢٢٥: (أما المبعوثون، فالإيمان بهم واجب، من ثبت شرعاً تعيينه منهم وجب الإيمان بعينه، ومن لم يثبت تعيينه كفى الإيمان به إجمالاً (ولا ينبغي في الإيمان بالأنبياء القطع بحصرهم في عدد) إذ لم يرد بحصرهم دليل قطعي (لأنّ) الحديث (الوارد في ذلك) أي في عددهم (خبر واحد) لم يقتزن بما يفيد القطع (فإن وجدت فيه الشروط) (المعتبرة للحكم بصحته) (وجب ظن مقتضاه، مع تجويز نقيضه) بذلك (والا) أي: وإن لم يصح (فلا) يجب ظن مقتضاه، وعلى كل من التقديرين (فيؤدي) أي: فقد يؤدي حصرهم في العدد الذي لا قطع به (إلى أن يعتبر فيهم من ليس منهم) بتقدير كون عددهم في نفس الأمر أقل من الوارد (أو يخرج) عنهم (من هو منهم) بتقدير أن يكون عددهم في نفس الأمر أزيد من الوارد).

وفي "منح الروض الأزهر"، ص ١٢. وفي "شرح المقاصد"، فصل في النبوة، ج ٣، ص ٣١٧.

و "شرح العقائد النسفية"، ص ١٣٩-١٤٠.

4 ﴿وَلَقَدْ فَصَّلْنَا لِبَعْضِ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ پ ١٥، بنی اسرائیل: ٥٥.

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ ॥ ३، البقرة: २५३.

في "التفسير الكبير"، ج २، ص ५२१-५२०، تحت الآية: (أجمعت الأمة على أنَّ بعض الأنبياء أفضل من بعض، وعلى أنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من الكل، ويدلّ عليه وجوه. ومنها: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ॥ १७، الأنبياء: १०७. فلما كان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين. ومنها: أنَّ معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من معجزات سائر الأنبياء فوجب أن يكون رسولنا أفضل من سائر الأنبياء. ومنها: أنَّ دين محمد عليه السلام أفضل الأديان فيلزم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، بيان الأول: أنَّه تعالى جعل الإسلام ناسخاً لسائر الأديان، والناسخ يجب أن يكون أفضل لقوله عليه السلام: ((من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)) فلما كان هذا الدين أفضل وأكثر ثواباً كان واضعه أكثر ثواباً من واضعي سائر الأديان، فيلزم أن يكون محمد عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء. ومنها: قوله عليه السلام: ((آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة)) وذلك يدلّ على أنَّه أفضل من آدم ومن كل أولاده، وقال عليه السلام: ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) وقال عليه السلام: ((لا يدخل الجنة أحد من النّبيين حتى أدخلها أنا، ولا يدخلها أحد من الأمم حتى تدخلها أمتي)) وروى أنس قال صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر)) وعن ابن عباس قال: جلس ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثهم فقال بعضهم: عجباً إنَّ الله اتخذ إبراهيم خليلاً، وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كَلَّمَهُ تَكْلِيماً، وقال آخر: فعيلى كلمة الله وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((قد سمعت كلامكم وحببتكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك، وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأنا أول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لي فأدخلها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر)). ومنها: أنَّ الله تعالى كَلَّمَ نَادَى نَبِيّاً في القرآن ناداه باسمه ﴿يَا دَاوُدَ اسْكُنْ﴾ ॥ ١، البقرة: ٣٥. ﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ ॥ ٢٣، الصافات: ١٠٤. ﴿يَا يُوسُفُ ٱلْإِنِّي﴾ ١٦، طه: ١٢، ١١. وأما النبي عليه السلام فإنه ناداه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ॥ ٢٢، الأحزاب: ٤٥. ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ﴾ ॥ ٦، المائدة: ٦٧. وذلك يفيد الفضل. ملخصاً.

في "المعتقد المنتقد"، ص ١٢٣: (أنَّه صلى الله عليه وسلم فاق على كل الأنبياء والملائكة والإنس على الإطلاق في الذات والصفات والأفعال والأقوال والأحوال بلا استغراب في ذلك لما حواه من الكمال، وانفرد به من الجلال والجمال (إلى أن قال) فالواجب على كل مؤمن أن يعتقد أنَّ نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم سيد العالمين، وأفضل الخلائق أجمعين، فمن اعتقد خلاف هذا فهو عاص، مبتدع، ضال).

عَلَيْهِ السَّلَام (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के बाद सब से बड़ा मर्तबा हज़रते इब्राहीम खलीलुल्लाह का है, फिर हज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام, फिर हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام और हज़रते नूह عَلَيْهِ السَّلَام का⁽¹⁾, इन हज़रात को मुरसलीने उलुल अज़्म⁽²⁾ कहते हैं⁽³⁾, और येह पांचों हज़रात बाकी तमाम अम्बियाओ मुरसलीन इन्सो मलक व जिन्न व जमीअ मख़्लूकाते इलाही से अफ़ज़ल हैं। जिस तरह हुज़ूर (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) तमाम रसूलों के सरदार और सब से अफ़ज़ल हैं, बिला तश्बीह हुज़ूर (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के सदके में हुज़ूर (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) की उम्मत तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल।⁽⁴⁾

= تنبيه: قال الإمام أحمد رضا في "المعتمد المستند"، ص ١٢٤: (والحق أنّ تفضيل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعاً مقطوع به مجمع عليه، بل كاد أن يكون من ضروريات الدين، فإنّي لا أعلم يحمله أحد من المسلمين فاعرف وثبت). وانظر للتفصيل: "تحليّ اليقين بأنّ نبينا سيد المرسلين" للإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن، في "الفتاوى الرضوية"، ج ٣٠.

① في "تكميل الإيمان"، ص ١٢٤-١٢٥: (أفضل الأنبياء محمد ﷺ، چنانچه فرموده ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر)) در عرف بمعنی نوع انسان ابد تا آدم، نیز در مفهوم آن داخل بود، وحديث ((آدم ومن دونه تحت لوائي)) در مقصود ظاهر تر و صريح تر است، فضيلت بعد ازاں حضرت ابراهيم خليل الله عليه السلام راست، وبعد ازوي موسی و عيسى ونوح عليهم السلام راست، و این پنجتن اولو العزم اند که بزرگترین و فاضلترین درسل اند، و صبر و مجاهدۀ ایشان در راه حق از همه بیشتر است) ملقطاً.

यानी : नबियों में सब से अफ़ज़ल सख्खिदे आलम (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) हैं चुनान्चे, आप (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने इरशाद फ़रमाया : "मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ और कोई फ़ख़्र नहीं।" औलादे आदम उर्फ़ में नौए इन्सानी के लिये जिस में सख्खिदुना आदम عَلَيْهِ السَّلَام भी दाख़िल हैं बोला जाता है, दूसरी हदीस में है कि : "आदम और उन के सिवा सब मेरे झन्डे के नीचे होंगे।" येह हदीस आप (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) की फ़ज़ीलते मुत्तलका के मक्सद में ज़ाहिर तर और बहुत सरीह है। आप (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के बाद साहिबे फ़ज़ीलत हज़रते इब्राहीम खलीलुल्लाह (عَلَيْهِ السَّلَام) हैं, फिर हज़रते मूसा फिर ईसा और नूह (عَلَيْهِمُ السَّلَام) हैं और येह पांचों हज़रात उलुल अज़्म हैं जो सब रसूलों और नबियों में अफ़ज़ल और बुजुर्ग तर हैं, राहे हक़ में इन का सब्र व मुजाहदा सब से ज़ियादा है।

② बुलन्दो बाला इज़्ज़तो अज़मत और हौसले वाले।

③ ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ २६, الأحقاف: ३०.

في "تفسير الطبري"، تحت هذه الآية: عن عطاء الخراساني، أنّه قال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، الحديث: ٣١٣٢٩، ج ١١، ص ٣٠٣. وفي "الدر المنثور"، تحت هذه الآية: عن ابن عباس قال: (أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى)، ج ٧، ص ٤٥٤.

④ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ४, آل عمران: ११०.

अक्बिदा 30

तमाम अम्बिया, अल्लाह عزوجل के हुजूर अजीम वजाहतो इज्जत

वाले हैं⁽¹⁾,.....

= في "التفسير الكبير"، البقرة: تحت الآية: ٢٥٣: (أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، فوجب أن يكون محمد أفضل الأنبياء، بيان الأول قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ پ ٤، ال عمران: ١١٠. بيان الثاني أن هذه الأمة إنما نالت هذه الفضيلة لم تابعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ پ ٣، ال عمران: ٣١. وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع، وأيضاً أن محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر ثواباً؛ لأنه مبعوث إلى الجن والإنس، فوجب أن يكون ثوابه أكثر، لأن لكثرة المستحيين أثراً في علو شأن المتبوع، ج ٢، ص ٥٢٣.

عن معمر بن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ قال: ((أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله)).

"سنن الترمذي"، كتاب التفسير، باب ومن سورة آل عمران، الحديث: ٣٠١٢، ج ٥، ص ٧. قال: ثم إن محمداً صلى الله عليه وسلم أثني على ربه، فقال: ((كلكم أثني على ربه، وأنا مثن على ربي، فقال: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين، وكافة للناس بشيراً ونذيراً، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتي وسطاً، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري، ووضع عني وزري ورفع لي ذكري، وجعلني فاتحاً خاتماً))، قال إبراهيم: بهذا فضلكم محمد. "الفتاوى الرضوية"، ج ١٤، ص ٦٦٥، وج ١٥، ص ٦٣٨. وانظر للتفصيل "الفتاوى الرضوية"، ج ٣٠، ص ١٥٣.

①..... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا الَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّ أَلَا اللَّهُ وَمَا قَالُوا﴾ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿﴾ پ ٢٢، الأحزاب: ٦٩. في "تفسير ابن كثير"، ج ٦، ص ٤٣٠، تحت هذه الآية: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ أي: له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل. قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله، وقال غيره من السلف: لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه، ولكن منع الرؤية لما يشاء الله، عز وجل. وقال بعضهم: من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه، فأجاب الله سؤاله، فقال: ﴿وَهَبْنَاهُ مِنْ صَبَتًا حَارَةً هَرُونَ نَبِيًّا﴾.

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لِيُزَيِّمَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمَقَرَّبِينَ﴾ پ ٣، آل عمران: ٤٥. في "تفسير الطبري"، ج ٣، ص ٢٧٠، تحت الآية: (قال أبو جعفر: يعني: بقوله "وَجِيهًا" ذا وجّه ومنزلة عالية عند الله، وشرف وكرامة).

في "الجامع الصغير"، ص ٢٨٩، الحديث: ٤٦٩٨: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سلم علي ملك ثم قال لي: لم أزل أستاذن ربي عز وجل في لقاءك حتى كان هذا أو أن أذن لي، وإني أبشرك أنه ليس أحد أكرم على الله منك)). =

जैसे हज़रते सालेह عليه السلام का नाका⁽¹⁾, हज़रते मूसा عليه السلام के असा का सांप हो जाना⁽²⁾ और यदे बैजा⁽³⁾ और हज़रते ईसा عليه السلام का मुर्दे को जिला देना और मादर जाद अन्धे और कोढ़ी को अच्छा कर देना⁽⁴⁾, और हमारे हुजूर (सल्लि अल्लै अलै वसल्लै) के मोजिजे तो बहुत हैं।⁽⁵⁾

अक्वीदा 32

जो शख्स नबी न हो और नबुवत का दावा करे, वोह दावा कर के कोई मुहाले अदी अपने दावे के मुताबिक ज़ाहिर नहीं कर सकता, वरना सच्चे झूटे में फर्क न रहेगा।⁽⁶⁾

1..... ﴿وَإِلَى شُؤْدَ آخَاهُمْ طُلِحًا قَالَ يُقَوْمُ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ الْوَعْيَةِ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ قَدْ رُوحَاتُ كُلِّ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا سَوَاءَ مَا يَحْكُمُ عَذَابَ الْإِيمِ﴾ प ८, الأعراف: ७३.

2..... ﴿قَالَ الْقَهْلِيُّ مُوسَى قَالَتْهَا قَادَاهِي حَبَّةٌ تَسْلَى﴾ प १६, طه: १९-२०.

3..... यानी रोशन और चमकदार हाथ।

﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيِّنَةً مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٌ أُخْرَى﴾ प १६, طه: २२.

4..... ﴿وَأُتِرَى الْأَكْمَةُ وَالْإِبْرَصُ وَأُحْيَى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ प ३, آل عمران: ४९.

5..... في "الشفاء"، ج १، ص २०२-२०३: (اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها وهي على ضربين ضرب: هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه فتعجزهم عنه فعل لله دل على صدق نبيه كصرفهم عن تمني الموت وتعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ونحوه، وضرب: هو خارج عن قدرتهم فلم يقدرُوا على الإتيان بمثله كإحياء الموتى وقلب العصا حية وإخراج ناقة من صخرة وكلام شجرة ونبع الماء من الأصابع وانشقاق القمر ممّا لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله، فيكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله تعجز له. واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته وبراهين صدقه من هذين النوعين معًا وهو أكثر الرسل معجزة وأبهرهم آية وأظهرهم برهانًا، وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط، فإنّ واحدا منها وهو القرآن لا يُحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدّى بسورة منه فعجز عنها).

وفي "التفسير الكبير"، ج १، ص ३१०، پ ३०، الكوثر، تحت الآية ١: (ومعجزاته أكثر من أن تحصى وتعد).

6..... في "النبراس"، أقسام الخوارق سبعة، ص २७२: (أجمع المحققون على أن ظهور الخارق عن المتنبّي وهو الكاذب في دعوى النبوة محال؛ لأنّ دلالة المعجزة على الصدق قطعية وقيل: لوجاز لزم عجز الله سبحانه عن تصديق أنبيائه، وقالوا: قد دل الاستقرار على عدم ظهوره). و"المعتقد المنتقد"، ص ११३.

फ़ाएदा : नबी से जो बात ख़िलाफ़े आदत क़ब्ले नबुवत ज़ाहिर हो, उस को इरहास

कहते हैं और वली से जो ऐसी बात सादिर हो, उस को करामत कहते हैं और आ़म मोमिनीन से जो सादिर हो, उसे मऊनत कहते हैं और बेबाक फुज्जार या कुप्फ़ार से जो उन के मुवाफ़िक़ ज़ाहिर हो, उस को इस्तिदराज कहते हैं और उन के ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो तो इहानत है।⁽¹⁾

अक्वीदा 33

अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام अपनी अपनी क़ब्रों में उसी तरह ब हयाते हकीकी ज़िन्दा हैं जैसे दुन्या में थे, खाते पीते हैं⁽²⁾, जहां चाहें आते जाते हैं, तस्दीके वादए इलाहियह के लिये एक आन को उन पर मौत त़ारी हुई, फिर ब दस्तूर ज़िन्दा हो गए, उन की हयात, हयाते शुहदा से बहुत अरफ़ओ आला है ⁽³⁾,.....

①..... في "النبراس"، أقسام الخوارق سبعة، ص ٢٧٢: (أقسام الخوارق سبعة: أحدها: المعجزة من الأنبياء. ثانيها: الكرامة للأولياء. ثالثها: المعونة لعوام المؤمنين ممن ليس فاسقاً ولا ولياً. رابعها: الإرهاص للنبي قبل أن يبعث كتسليم الأحجار على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأدرجه بعضهم في الكرامة وبعضهم في المعجزة مجازاً. خامسها: الاستدراج للكافر والفاسق المجاهر على وفق غرضه سمي به؛ لأنه يوصله بالتدريج إلى النار. سادسها: الإهانة للكافر والفاسق على خلاف غرضه كما ظهر عن مسيلمة الكذاب إذ تمضمض في ماء فصار ملحاً ومس عين الأعور فصار أعمى. سابعها: السحر لنفس شريفة تستعمل أعمالاً مخصوصة بإعانة الشياطين).

②..... عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَنَبِيَّ اللَّهِ حَيٍّ يَرْزُقُ)). "سنن ابن ماجه"، كتاب الجنائز، ذكر وفاته ودفنه، الحديث: ١٦٣٧، ج ٢، ص ٢٩١. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)). "مسند أبي يعلى"، الحديث: ٣٤١٢، ج ٣، ص ٢١٦. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمُوتُونَ وَإِنَّهُمْ يَصَلُّونَ وَيَحْيَوْنَ فِي قُبُورِهِمْ وَأَنْهُمْ أَحْيَاءُ)). "فيوض الحرمين" للشاه ولي الله المحدث الدهلوي، ص ٢٨.

③..... في "روح المعاني"، الأحزاب، ج ١١، الجزء الثاني، ص ٥٢-٥٣، تحت الآية: ٤٠: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ، وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَفِي الْمَلَكُوتِ). وذهب "أي: الإمام جلال الدين السيوطي" إلى نحو هذا في سائر الأنبياء عليهم السلام فقال: إِنَّهُمْ أَحْيَاءُ، ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضوا وأذن لهم في الخروج من قبورهم والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي) ملتقطاً.

في "تكميل الإيمان"، ص ١٢٢: (خود انبياء داموت نبود وایشان حی ویاقی اند وموت همان است که یکبار چشیده اند، بعد از آن ارواح بآیدان ایشان اعادت کنند وحقیت حیات بخشند چنانچه در دنیا بودند کامل تر از حیات شهدا که آن معنوی است).

फ़ लिहाज़ा शहीद का तर्का तक्सीम होगा, उस की बीबी बादे इद्दत निकाह कर सकती है⁽¹⁾,

यानी : और खुद अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام को भी (दाइमी) मौत नहीं वोह जिन्दा और बाकी हैं, उन को मौत सिर्फ़ इतनी है कि एक बार एक आन के लिये मौत का ज़ाएक़ा चखते हैं फिर उन की अरवाहे मुक़द्दसा को उन्हीं के जिस्मों में लौटा दिया जाता है, और वैसी ही हयाते हकीकी अता फ़रमा दी जाती है जैसे कि वोह दुनिया में थे, उन की हयात शुहदा की हयात से ज़ियादा कामिल है क्यूं कि शुहदा की हयात मानवी है।

قال الإمام الأجل جلال الدين السيوطي في "الحاوي للفتاوي": فهذه الأخبار دالة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، وقد قال تعالى في الشهداء: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ والأنبياء أولى بذلك فهم أجل وأعظم وما نبي إلا وقد جمع مع النبوة وصف الشهادة فيدخلون في عموم لفظ الآية. وأخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم في "المستدرک" والبيهقي في "دلائل النبوة" عن ابن مسعود قال: ((لأن أحلف تسعاً: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلاً أحب إلي من أن أحلف واحدة إنه لم يقتل، وذلك أن الله عز وجل اتخذه نبياً واتخذه شهيداً)). ("المستدرک" للحاكم، كتاب المغازي و السرايا، الحديث: ٤٤٥٠، ج ٣، ص ٦٠٦).

وأخرج البخاري والبيهقي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي توفي فيه: ((لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخير، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم)).

("دلائل النبوة"، ص ١٧٢، ج ٧، و "بخاري"، ج ٣، ص ١٥٢)،

فثبت كونه صلى الله عليه وسلم حياً في قبره بنص القرآن، إما من عموم اللفظ وإما من مفهوم الموافقة، قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: (الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء)، وقال القرطبي في التذكرة: (الموت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في الشهداء فالأنبياء أحق بذلك وأولى، وقد صح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء). "الحاوي للفتاوي"، كتاب البعث، أنباء الأذكىاء بحياة الأنبياء، ج ٢، ص ١٧٩-١٨٠.

وقد ثبت أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الشهداء، وانظر للتفصيل هذه المسألة "الفتاوى الرضوية"، ج ١٠، ص ٧٦٤، ج ١٥، ص ٦١٣، ٦٢٤، و ج ٢٩، ص ١١٠.

① في "البدائع والصنائع"، كتاب الصلاة، فصل في الشهيد، ج ٢، ص ٧٤: (فالعبد وإن جل قدره لا يستغني عن الدعاء ألا ترى أنهم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن درجته كانت فوق درجة الشهداء وإنما وصفهم بالحياة في حق أحكام الآخرة ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ فأمّا في حق أحكام الدنيا فالشهيد ميت يقسم ماله، وتنكح امرأته بعد انقضاء العدة، ووجوب الصلاة عليه من أحكام الدنيا فكان ميتاً فيه فيصلّى عليه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

ब ख़िलाफ़ अम्बिया के, कि वहां येह जाइज़ नहीं।⁽¹⁾ यहां तक जो अक़ाइद बयान हुए, उन में तमाम अम्बिया صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم शरीक हैं, अब बाज़ वोह उमूर जो नबी के ख़साइस में हैं, बयान किये जाते हैं।

①..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركت بعد مؤونة عاملي ونفقة نسائي صدقة)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٩٩٧٩، ج ٣، ص ٤٩٠. وعن أبي الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظّ وافٍ)). "سنن ابن ماجه"، كتاب السنة، باب فضل العلماء... إلخ، الحديث: ٢٢٣، ج ١، ص ١٤٦.

وفي "الخصائص الكبرى"، ج ٢، ص ٤٣٧: (قد ذكر في الحكمة في كون الأنبياء لا يورثون أوجه:

منها: أن لا يتمنى قريتهم موتهم فيهلك بذلك.

ومنها: أن لا يظن بهم الرغبة في الدنيا وجمعها لوراثتهم.

ومنها: أنهم أحياء والحي لا يورث، ولهذا ذهب إمام الحرمين إلى أن ماله باق على ملكه ينفق منه على أهله كما كان عليه السلام ينفقه في حياته لأنه حي. ولذلك كان الصديق ينفق منه على أهله وخدمه ويصرفه فيما كان يصرفه في حياته.

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا آيَاتِهِ وَلَا أَنْ تُدْرِكُوا الْوَيْلَ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ پ ٢٢،

الأحزاب: ٥٣.

وفي "تفسير الطبري"، الحديث: ٢٨٦٢٢، ج ١٠، ص ٣٢٦، تحت هذه الآية: (يقول: وما ينبغي لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً؛ لأنهن أمهاتكم، ولا يحل للرجل أن يتزوج أمه. وذكر أن ذلك نزل في رجل كان يدخل قبل الحجاب، قال: لئن مات محمد لأتزوجن امرأة من نسائه سمّاها، فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا آيَاتِهِ وَلَا أَنْ تُدْرِكُوا الْوَيْلَ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾).

وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: ((إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لا تخرج أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده؛ لأنهن أزواجه في الجنة)).

"السنن الكبرى" للبيهقي، كتاب النكاح، باب ماخص به من... إلخ، الحديث: ١٣٤٢١، ج ٧، ص ١١١.

في "الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٤٠٣-٤٠٧: (الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم طيبون طاهرون أحياء وأمواتاً بل لا موت لهم إلا أنياً تصديقاً للوعد ثم هم أحياء أبداً بحياة حقيقة دنيوية وروحانية جسمانية كما هو معتمد أهل السنة والجماعة ولذا لا يورثون ويمتنع تزوج نسايتهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم بخلاف الشهداء الذين نص الكتاب العزيز إنهم أحياء ونهى أن يقال لهم أموات... إلخ)، ملقطاً.

अक्वीदा 34

और अम्बिया की बिअसत खास किसी एक कौम की तरफ हुई⁽¹⁾, हुजुरे

अक्दस ﷺ तमाम मख्लूक इन्सानो जिन, बल्कि मलाएका, हैवानात, जमादात, सब की तरफ मब्रूस हुए⁽²⁾,.....

1..... ((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة)).

”صحيح البخاري“, كتاب التيمم, الحديث: ३३५, ج १, ص १३७.

2..... ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ پ २२, سب: २८.

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ پ ९, الأعراف: १०८.

((وأرسلت إلى الخلق كافة)). ”صحيح مسلم“, كتاب المساجد... إلخ, الحديث: ५३३, ص २६६.

في ”المراقبة“, كتاب الفضائل, باب فضائل سيد المرسلين, الفصل الأول, تحت الحديث: ५७४८, ج १०, ص १४:

((وأرسلت إلى الخلق كافة)) أي: إلى الموجودات بأسرها عامة من الجن والإنس والملك والحيوانات والجمادات.

و”الفتاوى الرضوية“ ج ३०, ص १४३-१४५.

في ”الفتاوى الحديثية“, مطلب في بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة, ص २८३: (أنه مبعوث إليهم ورجحه التقى السبكي وزاد: أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الأنبياء والأمم السابقة, وأن قوله: ((بعثت إلى الناس كافة)) شامل لهم من لدن آدم إلى قيام الساعة, ورجحه أيضاً البارزي وزاد أنه مرسل إلى جميع الحيوانات والجمادات), و ص २८५: (أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الحور العين وإلى الولدان), ملتقطاً.

في ”تكميل الإيمان“, ص १२७-१२८: (وهو مبعوث إلى كافة الخلق أجمعين) وى صلى الله عليه وسلم مبعوث است به كافة جن وانس ولهذا اودا رسول الثقلين خوانند وآمدن جن بحضرت وى وإيمان آوردن ايشان وقرآن شنیدن وپر قوم خود باز دفتن ودعوت كردن منصوص قرآن مجيد است ونزد اكثر علما عموم بعثت بجانب جن وانس مخصوص بآن حضرت است صلى الله عليه وسلم..... ويقول شاذ از بعض علما بعث ورسالت آنحضرت صلى الله عليه وسلم ملائكة را نیز شامل است ونزد اهل تحقيق وى مبعوث است بتمامه اجزای عالم وجميع اقسام موجودات از جمادات ونباتات وحيوانات ومربى ومكمل ذراير موجودات وسایر مكنونات است), ملتقطاً.

यानी : हुजुरे अकरम ﷺ तमाम जिनो और इन्सानो की तरफ मब्रूस हुए इस लिये आप को रसूलुस्सकलैन कहते हैं । जिनात का आप की बारगाहे अक्दस में हाजिर होना, उन का ईमान लाना, फिर अपनी कौम की तरफ लौट कर उन्हें दावते इस्लाम देना कुरआने करीम में मज्कूर व मन्सूस है । अक्सर उलमा के नज़्दीक हुजुरे अकरम ﷺ का जिनो इन्स की तरफ मब्रूस होना आप ही की खुसूसियत है..... और बाज़ उलमा के नादिर कौल के मुताबिक हुजुरे अकरम ﷺ की बिअसत व रिसालत फरिश्तो की भी शामिल है और मुहक्किनी के नज़्दीक आप अकरम ﷺ की बिअसत तमाम अज्जाए आलम और जमीअ अक्सामे मौजूदात के लिये है ख़ाह वोह जमादात व नबातात हों या हैवानात, आप मौजूदात के तमाम ज़रों और कुल काएनात की तक्मील व तरबियत फ़रमाने वाले हैं ।

जिस तरह इन्सान के ज़िम्मे हुज़ूर (ﷺ) की इताअत फ़र्ज है।⁽¹⁾ यूँही हर मख़्लूक पर हुज़ूर (ﷺ) की फ़रमां बरदारी ज़रूरी।⁽²⁾

अक्वीदा 35 हुज़ूरे अक्दस ﷺ मलाएका व इन्स व जिन्न व हूर व ग़िल्मान व हैवानात व जमादात, गरज़ तमाम अलम के लिये रहमत हैं⁽³⁾ और मुसलमानों पर तो निहायत ही मेहरबान।⁽⁴⁾

1..... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ ५, النساء: ५९.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ९, الأنفال: २०.

وفي "الخصائص الكبرى"، ج २، ص ३४२: (قال أبو نعيم: ومن خصائصه أنّ الله تعالى فرض طاعته على العالم فرضاً مطلقاً لا شرط فيه ولا استثناء فقال: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ الرَّسُولُ وَخُذُوا وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَاتَّقُوا﴾ २८، الحشر: ७، وقال: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ५، النساء: ८०، وأنّ الله تعالى أوجب على الناس التّأسي به قولاً وفعلاً مطلقاً بلا استثناء).

2..... في "مدارج النبوة"، ص १९३-१९४: (همچنانکه حیوانات همه مطیع و منقاد امر آنحضرت بودند نباتات نیز در حیطه فرمانبرداری و طاعت وی بودند) (همچنانکه نباتات را منقاد و مطیع امر وی صلی الله علیه وآله وسلم ساخته بودند جمادات نیز همیں حکم دارند)، ملقطاً.

यानी : जिस तरह हैवानात (जानवर) सब के सब हुज़ूर ﷺ के हुक्म के मुतीओ फ़रमां बरदार थे नबातात (उगने वाली चीज़ें) भी आप ﷺ की फ़रमां बरदारी और इताअत के दाएरे में थे, जिस तरह नबातात को हुज़ूर ﷺ के हुक्म का फ़रमां बरदार और मुतीअ बनाया हुआ था जमादात (बेजान चीज़ें) भी येही हुक्म रखते थे।

3..... ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ १७, الأنبياء: १०७.

في "روح المعاني"، ج ९، ص १०७، تحت هذه الآية: (أنّه صلی الله علیه وسلم أنما بعث رحمةً لكل فرد من العالمين ملائكتهم وإنسهم و جنهم ولا فرق بين المؤمن والكافر من الإنس والجن في ذلك).

في "روح البيان"، ج ५، ص ५२८، تحت هذه الآية: (قال بعض الكبار: وما أرسلناك إلا رحمة مطلقاً تامة كاملة عامة شاملة جامعة محيطه بجميع المقيّدات من الرحمة الغيبية والشهادة العلمية والعينية والوجودية والشهودية والسابقة واللاحقة وغير ذلك للعالمين جمع عوالم ذوي العقول وغيرهم من عالم الأرواح والأجسام ومن كان رحمة للعالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين).

4..... ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ११، التوبة: १२८.

अक्बीदा 36

हुज़ूर, ख़ातमुन्नबियीन हैं⁽¹⁾, यानी अल्लाह ﷻ ने सिलसिलए नबुवत हुज़ूर (ﷺ) पर ख़त्म कर दिया, कि हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में या बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता⁽²⁾, जो हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में या हुज़ूर (ﷺ) के बाद किसी को नबुवत मिलना माने या जाइज़ जाने, काफ़िर है।⁽³⁾

अक्बीदा 37

हुज़ूर (ﷺ) अफ़ज़ले जमीअ मख़्लूके इलाही हैं⁽⁴⁾, कि औरों को फ़र्दन फ़र्दन जो कमालात अता हुए हुज़ूर (ﷺ) में वोह सब जम्अ कर दिये गए⁽⁵⁾.....

1 ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ प २२, الأحزاب: ४०.

((وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ)) "صحيح البخاري", كتاب المناقب, باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم, الحديث: ३०३०, ج २, ص ४८०.

2 ((وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي)).

"سنن الترمذي", كتاب الفتن, باب ما جاء لا تقوم الساعة... إلخ, الحديث: २२२६, ج ४, ص ९३.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ)).

"سنن الترمذي", كتاب الرؤيا, باب ذهب النبوة وبقيت المبشرات, ج ४, ص १२१, الحديث: २२७९.

3 في "المعتقد المنتقد", تكميل الباب, ص ११९-१२०: (ومنها: أن يؤمن بأن الله ختم به النبيين وختم الله حكمه بما لا يخلف منه..... وهذه المسألة لا ينكرها إلّا من لا يعتقد نبوته؛ لأنّه إن كان مصدقاً بنبوته اعتقده صادقاً في كل ما أخبر به، إذ الحجج التي ثبت بها بطريق التواتر نبوته ثبت بها أيضاً أنّه آخر الأنبياء في زمانه وبعده إلى القيامة لا يكون نبي، فمن شك فيه يكون شاكاً فيها أيضاً، وأيضاً من يقول: إنّ كان نبي بعده، أو يكون، أو موجود وكذا من قال: يمكن أن يكون، فهو كافر).

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान को ख़ातमुन्नबियीन मानना, उन के ज़माने में ख़्वाह उन के बाद किसी नबिये जदीद की बिअसत को यकीनन क़तअन मुहाल व बातिल जानना फ़र्जे अजल व जुज़ ईक़ान है ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾, नस्से क़र्ई कुरआन है इस का मुन्किर, न मुन्किर बल्कि शक करने वाला, न शाक कि अदना ज़ईफ़ एहतिमाले ख़फ़ीफ़ से तवहहमे ख़िलाफ़ रखने वाला क़तअन इज्माअन काफ़िर मल्क़न मुख़ल्लद फ़िन्नीरान है, न ऐसा कि वोही काफ़िर हो बल्कि जो उस के इस अक़ीदए मल्क़ना पर मुत्तलअ हो कर उसे काफ़िर न जाने वोह भी, काफ़िर होने में शक व तरहुद को राह दे वोह भी काफ़िर हैं अल कुफ़्रो जलियुल कुफ़्रान है।

"الفتاوى الرضوية", ج १०, ص ५७८. وانظر رسالة إمام أهل

السنة عليه الرحمة: "المبين ختم النبيين", ج १४, ص ३३१, والرسالة: "جزاء الله عدوه بإبائه ختم النبوة", ج १०, ص ६२९.

4 انظر العقيدة (२९), ص ५२-५४.

5 ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَمِ اقْتَدَى﴾ پ ७, الأنعام: ९०.

في "تفسير الخازن", ج २, ص ३४, تحت الآية: (احتج العلماء بهذه الآية على أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل

من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, بيانه أنّ جميع خصال الكمال وصفات الشرف كانت متفرقة فيهم فكان نوح صاحب

और इन के इलावा हुज़ूर (ﷺ) को वोह कमालात मिले जिन में किसी का हिस्सा नहीं⁽¹⁾,.....

احتمال على أذى قومه، وكان إبراهيم صاحب كرم وبذل ومجاهدة في الله عز وجل، وكان إسحاق ويعقوب من أصحاب الصبر على البلاء والمحن، وكان داود عليه السلام وسليمان من أصحاب الشكر على النعمة، قال الله فيهم: ﴿إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [پ ۲۲، سب: ۱۳]، وكان أيوب صاحب صبر على البلاء، قال الله فيه: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [پ ۲۳، ص: ۴۴]، وكان يوسف قد جمع بين الحالتين، يعني: الصبر والشكر، وكان موسى صاحب الشريعة الظاهرة والمعجزة الباهرة، وكان زكريا ويحيى وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنيا، وكان إسماعيل صاحب صدق وكان يونس صاحب تضرع وإخبات، ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهم وجمع له جميع الخصال المحمودة المتفرقة فيهم فثبت بهذا البيان أنه صلى الله عليه وسلم كان أفضل الأنبياء لما اجتمع فيه من هذه الخصال التي كانت متفرقة في جميعهم والله أعلم.

وفي "تكميل الإيمان"، ص ۱۲۴: (جميع کمالات کہ در ذوات مقدسه انبیای سابق مودع بود، در ذات شریف او یا زیادتیها موجود بود)

(انچه خواباں همه دارند تو تنها داری).

यानी : जिस क़दर कमालात अम्बियाए साबिकीन की ज़वाते मुक़द्दसा में वदीअत फ़रमाए गए थे वोह सब बल्कि उन से ज़ियादा आप ﷺ की ज़ात शरीफ़ में मौजूद ।

यानी : जो कुछ तमाम हसीन ब एतिबार मज्मूआ के रखते हैं वोह आप तन्हा रखते हैं ।

①..... عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ((فضلت على الأنبياء بخصلتين)).

"المواهب اللدنية"، المقصد الرابع، الفصل الثاني، ج ۲، ص ۲۵۳.

عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثَ)).

"صحيح مسلم"، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الحديث: ۵۲۲، ص ۲۶۵.

عن أبي أمامة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فضلت بأربع)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ۲۲۲۷۲، ج ۸، ص ۲۸۴.

عن السائب بن يزيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فضلت على الأنبياء بخمس)).

"المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ۶۶۷۴، ج ۷، ص ۱۵۵.

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فضلت على الأنبياء بست)).

"صحيح مسلم"، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، الحديث: ۵۲۳، ص ۲۶۶.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت أربعة لم يعطهن أحد من أنبياء الله)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ۱۳۶۱، ج ۱، ص ۳۳۳ =

बल्कि औरों को जो कुछ मिला हुजूर (ﷺ) के तुफैल में, बल्कि हुजूर (ﷺ) के दस्ते अक्दस से मिला, बल्कि कमाल इस लिये कमाल हुवा कि हुजूर (ﷺ) की सिफ़त है और हुजूर (ﷺ) अपने रब के करम से अपने नफ़से ज़ात में कामिलो अक़मल हैं, हुजूर (ﷺ) का कमाल किसी वस्फ़ से नहीं, बल्कि उस वस्फ़ का कमाल है कि कामिल की सिफ़त बन कर खुद कमाल व कामिल व मुक़म्मल हो गया, कि जिस में पाया जाए उस को कामिल बना दे।⁽¹⁾

= أخبرنا جابر بن عبد الله أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي..... إلخ)).
 "صحيح البخاري"، كتاب التيمم، الحديث: ٣٣٥، ج ١، ص ١٣٤.
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي..... إلخ)).
 "صحيح البخاري"، كتاب الصلاة، الحديث: ٤٣٨، ج ١، ص ١٦٨.
 عن عبادة بن صامت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال: ((إنّ جبريل أتاني فقال: اخرج فحدث بنعمة الله التي أنعم بها عليك فبشرني بعشر لم يؤتها نبي قبلي)). "الخصائص الكبرى"، باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بعموم الدعوة... إلخ، ج ٢، ص ٣٢٠.
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء)).
 "المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله تعالى... إلخ، الحديث: ٩، ج ٧، ص ٤١١.

आला हज़रत रसूलुल्लाह عليه السلام येह अह्दादीस नक्ल करने के बाद इरश़ाद फ़रमाते हैं कि "इन रिवायात ही से येह बात साबित हो गई कि आदादे मज़क़ूर में हस्स मुराद नहीं, कहीं दो फ़रमाते हैं, कहीं तीन, कहीं चार, कहीं पांच, कहीं छे, कहीं दस। और हकीक़तन सो और दो सो पर भी इन्तिहा नहीं। इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहीं छे, कहीं दस। और हकीक़तन सो और दो सो पर भी इन्तिहा नहीं। इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती "ख़साइस कुब्रा" में अढ़ाई सो के करीब हुजूर (ﷺ) के ख़साइस जम्अ किये। और येह सिर्फ़ उन का इल्म था, उन से ज़ियादा इल्म वाले ज़ियादा जानते थे। और उलमाए ज़ाहिर से उलमाए बातिन को ज़ियादा मालूम है, फिर तमाम उलूम आलिमे आज़म हुजूर सय्यदे आलम रसूलुल्लाह عليه السلام से हज़ारों मन्ज़िल उधर मुक्ताअ हैं। जिस क़दर हुजूर अपने फ़ज़ाइलो ख़साइस जानते हैं दूसरा क्या जानेगा, और हुजूर (ﷺ) से ज़ियादा इल्म वाला उन का मालिको मौला ज़ल देला (नज्म: २७, ४२), (तर्जमा: बेशक तुम्हारे रब ही की तरफ़ मुन्तहा है।) जिस ने उन्हें हज़ारों फ़ज़ाइले आलिया व ज़लाइले ग़ालिया दिये और बेहद व बे शुमार अबदुल आबाद के लिये रखे (الضحى: ३०, ३१), (तर्जमा: और बेशक पिछली घड़ी आप के लिये पहली से बेहतर है।) (त) (الفتاوى الرضوية، ج ३، ص २०३) (त)।

ع (كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء): "हमज़िया शरीफ़" में इरश़ाद फ़रमाया: "فतावा رज़विय्या"....⁽¹⁾ (जहां वालों में जो ख़ूबी जिस किसी में है वोह उस ने नबी रसूलुल्लाह عليه السلام के फ़ज़ल से मांग कर ली है)।

इमाम इब्ने हज़र मक्की "अफ़ज़लुल कुरा" में फ़रमाते हैं:

(لأنه الممد لهم إذ هو الوارث للحضرة الإلهية والمستمد منها بلا واسطة دون غيره فإنه لا يستمد منها إلا بواسطة فلا يصل لكامل منها شيء إلا وهو من بعض مدده وعلى يديه)
 तमाम जहान की इमदाद करने वाले नबी रसूलुल्लाह عليه السلام हैं इस लिये कि हुजूर ही बारगाहे इलाही के वारिस हैं बिला वासिता खुदा से हुजूर ही मदद लेते हैं और तमाम आलम मददे इलाही हुजूर की वसातत से लेता है तो जिस कामिल को जो ख़ूबी मिली वोह हुजूर ही की मदद और हुजूर ही के हाथ से मिली।"

= ("الفتاوى الرضوية"، ج ३، ص १११).

अक्वीदा 38 मुहाल है कि कोई हुजूर (ﷺ) का मिस्ल हो⁽¹⁾, जो किसी सिफते खास्सा में किसी को हुजूर (ﷺ) का मिस्ल बताए, गुमराह है या काफिर ।

अक्वीदा 39 हुजूर (ﷺ) को अल्लाह عزوجل ने मर्तबए महबूबियते कुब्रा से सरफराज फरमाया, कि तमाम खल्क जूयाए रिजाए मौला है⁽²⁾ और अल्लाह عزوجل तालिबे रिजाए मुस्त्फा ﷺ⁽³⁾ ।

= "في حاشية الصاوي"، ج ١، ص ٢١٦: (فالأنبیاء وسائط لأممهم في كل شيء وواسطتهم رسول الله). وفيه ج ١، ص ٥٢: (فهو الواسطة لكل واسطة حتى آدم).

في "الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٢٤٧: (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يتشرف بغيره بل الكل إنما يتشرفون به). يानी : हुजूर ﷺ से शरफ़ हासिल नहीं हुवा बल्कि दूसरों ने हुजूर ﷺ से शरफ़ पाया है ।

①..... في "المعتقد المتقدم"، ص ١٢٦: (ومن المعلوم استحالة وجود مثله بعده). وانظر للتفصيل "الشفاء"، ج ٢، ص ٢٣٩، "شرح الشفاء" للملا علي القاري، ج ٢، ص ٢٤٠، و"نسيم الرياض"، ج ٦، ص ٢٣٢.

②.....तमाम मख्लूक अल्लाह तआला की रिजा चाहती है ।

③..... ﴿وَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ ﴿٥﴾. ب ٣٠، الضحى: ٥.

﴿قَدْ أَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَلِّينَا قَبْلَةَ تَرْضَاهَا﴾ ﴿٢﴾. البقرة: ١٤٤.

في "التفسير الكبير"، البقرة: تحت الآية: ١٤٢، ج ٢، ص ٨٢: (ولم يقل: قبله أرضاها، والإشارة فيه كأنه تعالى قال: يا محمد كل أحد يطلب رضائي وأنا أطلب رضاك في الدارين). وفي الحديث: ((كلهم يطلبون رضائي وأنا أطلب رضاك يا محمد)). وفي الحديث: ((يا محمد أنت نور نوري وسر سري وكنوز هدايتي وخزائن معرفتي، جعلت فداء لك ملكي من العرش إلى ما تحت الأرضين، كلهم يطلبون رضائي وأنا أطلب رضاك يا محمد)).

"الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٤٩١. و ص ١٩٧-١٩٨، ج ١، ص ٢٧٥-٢٧٦.

عن عائشة قالت:..... ((والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك)).

"صحيح مسلم"، كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، الحديث: ١٤٦٤، ص ٧٧١.

وفي رواية: "صحيح البخاري"، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((مَا أَرَىٰ رَبِّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ)). كتاب التفسير،

الحديث: ٤٧٨٨، ج ٣، ص ٣٠٣. وفي "فتح الباري"، ج ٨، ص ٤٥٣، تحت الحديث: (أي: ما أرى الله إلا موجدًا لما تريد

بلا تأخير، منزلاً لما تحب وتختار). **خुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम**

खुदा चाहता है रिजाए मुहम्मद ("हदाइके बख्शिश", स. 49)

अक़ीदा 40

हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के ख़साइस से मेराज है कि मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक़सा तक⁽¹⁾ और वहां से सातों आस्मान⁽²⁾ और कुर्सी व अर्श तक, बल्कि बालाए अर्श⁽³⁾ रात के एक ख़फ़ीफ़ हिस्से में मअज़िस्म तशरीफ़ ले गए⁽⁴⁾

1..... ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ प १०५, بنی اسرائیل: १.

2..... عن شريك ابن عبد الله أنه قال: سمعت ابن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، ثم عرج به إلى السماء الدنيا..... ثم عرج به إلى السماء الثانية..... ثم عرج به إلى السماء الثالثة..... ثم عرج به إلى الرابعة..... ثم عرج به إلى السماء الخامسة..... ثم عرج به إلى السماء السادسة..... ثم عرج به إلى السماء السابعة..... ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى، ملتقطاً. "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب ماجاء في قوله عز وجل: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾، الحديث: ٧٥١٧، ج ٤، ص ٥٨٠-٥٨٢.

وفي "الحديقة الندية"، ج ١، ص ٢٧٢: (والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة بشخصه (صلى الله عليه وسلم)، أي: بصورة الجسمانية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماء، أي: جنسها ليشمل السموات السبع، ثم إلى ما شاء الله من العلى).

3..... في "تكميل الإيمان"، ص ١٢٨: (ومعراجة في اليقظة بشخصه إلى السماء، ثم إلى ما شاء الله تعالى حق) امتحان إيمان در تصديق قضیه معراج است که در ساعت لطیف در بیداری بجسد شرف تا آسمان و عرش عظیم بلکه بالای عرش تا حد لامکان بآن حکایات و خصوصیات مذکور که در احادیث صحیحہ واقع شده).

यानी : बेदारी की हालत में जिस्मानी तौर पर आस्मान की तरफ़ मेराज फ़रमाना, फिर वहां से जहां तक खुदा की मशियत हो जाना हक़ है, मतलब यह कि वाक़िअए मेराज की तस्दीक़ में ईमान का इम्तिहान है कि मुख़्तसर सी घड़ी में बेदारी के आलम में जिस्म शरीफ़ के साथ आस्मान व अर्शे आज़म तक बल्कि अर्श से भी ऊपर हद्दे ला मकान तक तशरीफ़ ले जाना येह ह़िकायात व खुसूसिय्यात अह़ादीसे सहीह़ा में मज़कूर हैं।

4..... في "تفسير الخازن"، ج ٣، ص ١٥٨: (والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة الخلف من المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾، ولفظ العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد).

وفي "حاشية الصاوي"، ج ٤، ص ١١٠٦، پ ١٥٨، الإسرائ، تحت الآية ١: (قوله: ﴿بِعَبْدِهِ﴾ أي: بروحه وجسمه على الصحيح). وفي "تفسير الجلالين"، ص ٢٢٨: ﴿لَيْلًا﴾: نصب على الظرف والإسراء سير الليل وفائدة ذكره الإشارة بتكثيره إلى تقليل مدته).

और वोह कुर्बे खास हासिल हुवा कि किसी बशर व मलक को कभी न हासिल हुवा न हो⁽¹⁾, और जमाले इलाही ब चश्मे सर देखा⁽²⁾ और कलामे इलाही बिला वासिता सुना⁽³⁾ और तमाम मलकूतुस्समावाति वल अर्द को बित्तफसील ज़रा ज़रा मुलाहज़ा फ़रमाया।⁽⁴⁾

= في "حاشية الصاوي"، ج ٤، ص ١١٠٦: (قوله: إلى تقليل مدته: أي: فقليل: قدر أربع ساعات، وقيل: ثلاث، وقيل: قدر لحظة، قال السبكي: في تائيته: وعدت وكل الأمر في قدر لحظة).

وفي "الحمل"، الجزء الثاني، ج ٢، ص ٢٩٩، تحت الآية: (قوله: الإشارة إلخ أي: فالتنوين للتقليل أي: في جزء قليل من الليل، قيل: قدر أربع ساعات، وقيل: ثلاث، وقيل: أقل من ذلك).

① في "روح البيان"، پ ١٥، الأسراء، ج ٥، ص ١٠٦، تحت الآية: ١: قال عليه السلام: ((فقمّت إلى جبريل فقلت: أخي جبريل: ما لك؟))، فقال: يا محمد إنّ ربي تعالى بعثني إليك أمرني أن آتية بك في هذه الليلة بكرامة لم يكرم بها أحد قبلك ولا يكرم بها أحد بعدك.

وفي "روح البيان"، پ ٧، الأنعام، ج ٣، ص ٦٣، تحت الآية: ٩٠: (..... وتدنو إليه به إلى أن تصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى مقاما لم يصل إليه أحد قبلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل).

② ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ پ ٢٧، النجم: ١٧.

وفي "روح البيان"، ج ٩، ص ٢٢٨، تحت الآية: (إنّ رؤية الله كانت بعين بصره عليه السلام بقظة بقوله: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴾... إلخ، لأنّ وصف البصر بعدم الزيغ يقتضي أنّ ذلك يقظة ولو كانت الرؤية قلبية لقال: ما زاغ قلبه، وأمّا القول بأنّه يجوز أن يكون المراد بالبصر بصر قلبه فلا بد له من القرينة وهي هاهنا معدومة).

عن ابن عباس قال: ((إنّ محمداً رأى ربه مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤاده)). "الدر المنثور" ج ٧ ص ٦٤٧.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رأيت ربي تبارك وتعالى)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٥٨٠، ج ١، ص ٦١١.

③ في "فتح الباري"، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، تحت الحديث: ٣٨٨٨، ج ٧، ص ١٨٥: (إنّ الله سبحانه وتعالى كلّّم نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بغير واسطة).

وانظر رسالة إمام أهل السنة رحمه الله تعالى "منبه المنية بوصول الحبيب إلى العرش والرؤية"، ج ٣٠، ص ٦٧٣.

④ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رأيت ربي في أحسن صورة، قال: فيم يختصم الملائكة؟ فقلت: أنت أعلم يا رب، قال: فوضع كفه بين كتفيّ فوجدت بردها بين ثدييّ فعلمت ما في السموات والأرض)).

"سنن الدارمي"، كتاب الرؤيا، باب في رؤية الرب تعالى في النوم، الحديث: ٢١٤٩، ج ٢، ص ١٧٠.

अक्बिदा 41 — तमाम मख्लूक अक्वलीनो आखिरीन हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) की

नियाज़मन्द है⁽¹⁾, यहां तक कि हज़रते इब्राहीम खलीलुल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام⁽²⁾

अक्बिदा 42 — क़ियामत के दिन मर्तबए शफ़ाअते कुब्रा हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के ख़साइस से है कि जब तक हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़त्हे बाबे शफ़ाअत न फ़रमाएंगे किसी

= في "المرقاة"، ج ٢، ص ٤٢٩، تحت الحديث: (فعلمت أي: بسبب وصول ذلك الفيض ما في السموات والأرض، يعني: ما أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة والأشجار وغيرهما، وهو عبارة عن سعة علمه الذي فتح الله به عليه، وقال ابن حجر: أي: جميع الكائنات التي في السموات بل وما فوقها، كما يستفاد من قصة المعراج، والأرض هي بمعنى الجنس، أي: وجميع ما في الأرضين السبع بل وما تحتها.... إلخ).

وفي "أشعة اللمعات"، ج ١، ص ٣٥٧، تحت قوله: ((فعلمت ما في السموات والأرض)) پس دانستم هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین بود عبادت است از حصول تمامه علوم جزوی و کلی واحاطه آن).
यानी : "पस जो कुछ आस्मानो ज़मीन में था सब कुछ मैं ने जान लिया" यह बात तमाम इलूमे कुल्ली व जुर्इ को घेरे हुए है।

① عن أبي هريرة قال.....: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله تعالى يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد..... فيقول بعض الناس لبعض: اتقوا آدم، فيأتون آدم -عليه السلام-..... فيقول آدم:..... نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا -عليه السلام-..... فيقول لهم:..... نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم..... فيقول لهم إبراهيم:..... نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى..... فيقول لهم موسى:..... نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى..... فيقول لهم عيسى:..... نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فأنت طلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي، ثم يفتح الله عليّ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتح لأحد قبلي، ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب! أمتي أمتي فيقال: يا محمد! أدخل الجنة من أمتك، من لا حساب عليه، من باب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب))، ملتقطاً.

"صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، الحديث: ١٩٤، ص ١٢٥-١٢٦.

② قال رسول الله ﷺ: ((اللهم! اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام)). "صحيح مسلم"، كتاب فضائل القرآن، باب بيان أنّ القرآن على... إلخ، الحديث: ٨٢٠، ص ٤٠٩.

وفي "نوادير الأصول"، الأصل الثالث والسبعون، ص ١١٠، والأصل الثاني عشر والمائة، ص ١٤٨: ((وأنّ إبراهيم لي يرغب

في دعائي ذلك اليوم)). "الفتاوى الرضوية"، ج ٣٠، ص ٢١٧-٢١٨.

को मजाले शफ़ाअत न होगी⁽¹⁾, बल्कि हकीकतन जितने शफ़ाअत करने वाले हैं हुज़ूर (ﷺ) के दरबार में शफ़ाअत लाएंगे⁽²⁾ और अल्लाह عزّوجلّ के हुज़ूर मख़लूक़ात में सिर्फ़ हुज़ूर (ﷺ) शफ़ीअ हैं⁽³⁾ और येह शफ़ाअते कुब्रा मोमिन, काफ़िर, मुतीअ, आसी सब के लिये है कि वोह इन्तिज़ारे हिसाब जो सख़्त जांगुज़ा होगा, जिस के लिये लोग तमन्नाएं करेंगे कि काश जहन्नम में फेंक दिये जाते और इस इन्तिज़ार से नजात पाते, उस बला से छुटकारा कुफ़ार को भी हुज़ूर (ﷺ) की बदौलत मिलेगा, जिस पर अव्वलीनो आख़िरीन, मुवाफ़िकीनो मुख़ालिफ़ीन, मोमिनीनो काफ़िरीन सब हुज़ूर (ﷺ) की हम्द करेंगे, इसी का नाम मक़ामे महमूद है⁽⁴⁾ और शफ़ाअत के और अक्साम भी हैं, मसलन बहुतों को बिला हिसाब जन्नत में दाख़िल फ़रमाएंगे, जिन में चार अरब नव्वे

1..... ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ प १०, بنی اسرائیل: ७९.

في "تفسير الطبري"، ج ८، ص १३१، تحت الآية: عن ابن عباس، قوله: ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾، قال: المقام المحمود: مقام الشفاعة).

وفي "روح البيان"، ج ५، ص १९२، تحت الآية: ﴿مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ عندك وعند جميع الناس وهو مقام الشفاعة العامة لأهل المحشر يغطيه به الأولون والآخرون؛ لأن كل من قصد من الأنبياء للشفاعة يحيد عنها ويحيل على غيره حتى يأتوا محمداً للشفاعة فيقول: ((أنا لها))، ثم يشفع فيشفع فيمن كان من أهلها).

في "المعتقد المنتقد"، تكميل الباب، ص १२७: ((ومنها: أن يعتقد أن يوم القيمة لا يستغني أحد من أمته بل جميع الأنبياء عن جاهه ومنزلته، ومتى لم يفتح الشفاعة لا يستطيع أحد شفاعة)). و"الفتاوى الرضوية"، ج २، ص ५७.

2..... قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في "المعتمد المستند"، ص १२७: وهذا أحد معاني (قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((أنا صاحب شفاعتهم))) والمعنى الآخر الألفظ الأشرف أن لا شفاعة لأحد بلا واسطة عند ذي العرش جل جلاله إلا للقرآن العظيم ولهذا الحبيب المرتضى الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما سائر الشفعاء من الملائكة والأنبياء والأولياء والعلماء والحفاظ والشهداء والحجاج والصلحاء فعند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فينبهون إليه ويشفعون لديه وهو صلى الله تعالى عليه وسلم يشفع لمن ذكره ولمن لم يذكره عند ربه عز وجل، وقد تأكد عندنا هذا المعنى بأحاديث، ولله الحمد. (١٢).

3..... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر)).

"سنن الترمذي"، كتاب المناقب، باب سلوا الله لي الوسيلة، الحديث: ३६३३، ج ٥، ص ٣٥٣.

4..... عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فينما هم كذلك استغاثوا بآدم عليه السلام فيقول: كَسْتُ بصاحب ذلك، ثم موسى عليه السلام فيقول كذلك،

करोड़ की तादाद मालूम है, इस से बहुत ज़ाईद और हैं, जो अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) व रसूल (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم) के इल्म में हैं⁽¹⁾, बहुतेरे वोह होंगे जिन का हिसाब हो चुका है और मुस्तहिक्के जहन्म हो चुके, उन को जहन्म से बचाएंगे⁽²⁾ और बाजों की शफ़ाअत फ़रमा कर जहन्म से निकालेंगे⁽³⁾ और बाजों के दरजात बुलन्द फ़रमाएंगे⁽⁴⁾ और बाजों से तख़फ़ीफ़े अज़ाब फ़रमाएंगे।⁽⁵⁾

ثم محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع، فيقضي الله بين الخلائق فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمد أهل الجمع كلهم)). "الدر المنثور"، ج ٥، ص ٣٢٥.

وفي "المعتقد المنتقد"، تكميل الباب، ص ١٢٨: (الشفاعة لإراحة الخلائق من هول الموقف).

قال الإمام أحمد رضا في "المعتقد المستند"، تحت اللفظ: "لإراحة الخلائق": (وهي الشفاعة الكبرى لعمومها جميع أهل الموقف). و"روح البيان"، ج ٥، ص ١٩٢.

① قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي)).

"جامع الترمذي"، أبواب صفة القيامة، ١٢ - باب منه الحديث: ٢٤٤٥، ج ٤، ص ١٩٨.

وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن ربي أعطاني سبعين ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب))، فقال عمر: يا رسول الله، فهل استزدته؟ قال: ((قد استزدته، فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفاً)) قال عمر: فهل استزدته؟ قال: ((قد استزدته فأعطاني هكذا)) وقرج عبد الله بن بكر بين يديه وقال عبد الله: وبسط باعیه وحثا عبد الله وقال هشام: وهذا من الله لا يدري ما عدده. "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٧٠٦، ج ١، ص ٤١٩.

② ((فما أزال أشفع حتى أعطى صكاً كما برجال قد بعث بهم إلى النار وآتي مالكاً خازن النار فيقول: يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية)). "المستدرک" للحاكم، كتاب الإيمان، للأنبیاء منابر من ذهب، الحديث: ٢٢٨، ج ١، ص ٢٤٢.

③ ((يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنمين)).

"صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، الحديث: ٦٥٦٦، ج ٤، ص ٢٦٣.

④ في "المعتقد المنتقد"، أقسام شفاعته صلى الله عليه وسلم، ص ١٢٩: (ومنهما زيادة الدرجات) وفي "حجة الله على العالمين"، ص ٥٣: (والشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة).

⑤ عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: ((نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)).

"صحيح البخاري"، كتاب الأدب، باب كنية المشرك، الحديث: ٦٢٠٨، ج ٤، ص ١٥٧-١٥٨.

وانظر رسالة إمام أهل السنة عليه الرحمة: "إسماع الأربعة في شفاعته سيد المحبوبين"، ج ٢٩، ص ٥٧١.

अक्वीदा 43 — हर किस्म की शफ़ाअत हुज़ूर (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के लिये साबित है। शफ़ाअत बिल वजाहत, शफ़ाअत बिल महब्बत, शफ़ाअत बिल इज़्ज, इन में से किसी का इन्कार वोही करेगा जो गुमराह है।⁽¹⁾

अक्वीदा 44 — मन्सबे शफ़ाअत हुज़ूर को दिया जा चुका, हुज़ूर फ़रमाते हैं ((أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ))⁽²⁾ : صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

और इन का रब फ़रमाता है :

﴿وَأَسْتَغْفِرُ لَدُنْكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾⁽³⁾

“मग़िफ़रत चाहो अपने खासों के गुनाहों और आम मोमिनीन व मोमिनात के गुनाहों की।”

शफ़ाअत और किस का नाम है...? “اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ حَبِيبِكَ الْكَرِيمِ.”

﴿يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾⁽⁴⁾

शफ़ाअत के बाज़ अहवाल, नीज़ दीगर ख़साइस जो क़ियामत के दिन ज़ाहिर होंगे, अहवाले आख़िरत में إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی बयान होंगे।

अक्वीदा 45 — हुज़ूर (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) की महब्बत मदारे ईमान, बल्कि ईमान इसी महब्बत ही का नाम है, जब तक हुज़ूर (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) की महब्बत मां बाप, औलाद और तमाम ज़हान से ज़ियादा न हो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता।⁽⁵⁾

1..... “المعتقد المنتقد”، تكميل الباب، ص ۱۲۹ - ۱۳۱.

2..... यानी : “मुझे शफ़ाअत दे दी गई”, ۱۳۴, ج ۱, ص ۳۳۵, كتاب التيمم، الحديث: ۳۳۵, ج ۱, ص ۱۳۴.

3..... پ ۲۶، محمد: ۱۹.

4..... तर्जुमए कन्ज़ुल ईमान : जिस दिन न माल काम आएगा न बेटे मगर वोह जो अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हुवा सलामत दिल ले कर। ۸۸- ۸۹. الشعرأء: ۱۹.

5..... قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ پ ۱۰، التوبة: ۲۴.

عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)).

“صحيح البخاري”، كتاب الإيمان، باب حبّ الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، الحديث: ۱۵، ج ۱، ص ۱۷.

وانظر رسالة إمام أهل السنة عليه الرحمة: “تمهيد إيمان بآيات قرآن” في “الفتاوى الرضوية”، ج ۳۰، ص ۳۱۰.

अक्बिदा 46

हुजूर (ﷺ) की इताअत ऐन ताअते इलाही है, ताअते इलाही बे ताअते हुजूर (ﷺ) ना मुम्किन है⁽¹⁾, यहां तक कि आदमी अगर फर्ज नमाज में हो और हुजूर (ﷺ) उसे याद फरमाएं, फौरन जवाब दे और हाजिरे खिदमत हो⁽²⁾ और यह शख्स कितनी ही देर तक हुजूर (ﷺ) से कलाम करे, ब दस्तूर नमाज में है, इस से नमाज में कोई खलल नहीं।⁽³⁾

1..... ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ प ५, النساء: ८०.

وفي "المعتقد المنتقد"، الفصل الأول في وجوب... إلخ، ص १३३: (فجعل طاعة رسوله طاعته، وقرن طاعته بطاعته وأوعد عليه بجزيل الثواب ووعد على مخالفته بأليم العذاب ورغم أنف المشركين حين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من أحبني فقد أحب الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله)).

2..... عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته، فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ... إلخ﴾.

"صحيح البخاري"، كتاب التفسير، الحديث: ६६४७، ج ३، ص २२९.

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا - وهو يصلي - فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فحفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة، قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن ﴿اسْتَجِيبُوا لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [پ ९، الانفال: २४]، قال: بلى ولا أعود إن شاء الله)).

"سنن الترمذي"، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب، الحديث: २۸۸۴، ج ४، ص ४۰۰.

3..... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ پ ९، الأنفال: २۴.

وفي "روح المعاني"، ج ۵، ص ۲۷۶، تحت الآية: (واستدل بالآية على وجوب إجابته صلى الله عليه وسلم إذا نادى وهو في الصلوة، وعن الشافعي أن ذلك لا يطلها؛ لأنها أيضاً إجابة).

وفي تفسير القرطبي، ج ۴، ص ۲۷۹، تحت الآية: (وقال الشافعي رحمه الله: هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا أتى به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجابة وإن كان في الصلاة).

وفي "تفسير البيضاوي"، ج ۳، ص ۹۹، تحت الآية: (واختلف فيه، فقيل: هذا؛ لأن إجابته لا تقطع الصلاة، فإن الصلاة أيضاً إجابة، وقيل: لأن دعاءه كان لأمر لا يحتمل التأخير والمصلي أن يقطع الصلاة لمثله، وظاهر الحديث يناسب الأول). =

अक्वीदा 47

हुजूर अक्दस صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की ताज़ीम यानी एतिक़ादे अज़मत जुज़्वे ईमान व रुकने ईमान है⁽¹⁾ और फ़ेले ताज़ीम बादे ईमान हर फ़र्ज से मुक़द्दम है, इस की अहम्मियत का पता इस हदीस से चलता है कि ग़ज़्वए ख़ैबर से वापसी में मन्ज़िले सहबा पर नबी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने नमाज़े अस्स पढ़ कर मौला अली كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ के ज़ानू पर सरे मुबारक रख कर आराम फ़रमाया, मौला अली ने नमाज़े अस्स न पढ़ी थी, आंख से देख रहे थे कि वक़्त जा रहा है, मगर इस ख़याल से कि ज़ानू सरकाऊं तो शायद ख़्वाबे मुबारक में खलल आए, ज़ानू न हटाया, यहां तक कि आफ़ताब ग़ुरूब हो गया, जब चश्मे अक्दस खुली मौला अली ने अपनी नमाज़ का हाल अर्ज़ किया, हुज़ूर (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने हुक्म दिया, डूबा हुवा आफ़ताब पलट आया, मौला अली ने नमाज़ अदा की फिर डूब गया⁽²⁾, इस से साबित हुवा कि अफ़ज़लुल इबादात नमाज़ और वोह भी सलाते वुस्ता नमाज़े अस्स⁽³⁾, मौला अली ने हुज़ूर (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) की नींद पर कुरबान

= وفي "عمدة القاري"، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا ادعت الأم ولدها في الصلاة، تحت الحديث: ١٢٠٦، ج ٥، ص ٦٠٦: (من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو دعا إنسانا وهو في الصلاة وجب عليه الإجابة ولا تبطل صلاته). وفي "المرفقة"، كتاب فضائل القرآن، ج ٤، ص ٦٢٤، تحت الحديث: ٢١١٨: (قال الطيبي: دل الحديث على أنّ إجابة الرسول لا تبطل الصلاة، كما أنّ خطابه بقولك: السلام عليك أيها النبي لا يبطلها).

① وفي "الفتاوى الرضوية"، ج ١٥، ص ١٦٨: ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوْا عَنْهُ وَتُوقِرُوْهُ﴾ [الفتح: ٩]:

येह रसूल का भेजना किस लिये है खुद फ़रमाता है: "इस लिये कि तुम अल्लाह व रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीमो तौकीर करो।" मालूम हुवा कि दीनो ईमान मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की ताज़ीम का नाम। जो इन की ताज़ीम में कलाम करे अस्ल रिसालत को बातिल व बेकार किया चाहता है। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی ② عن أسماء بن عيسى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء، ثم أرسل عليّاً في حاجة فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر عليّ فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إنّ عبدك عليّاً احتبس بنفسه على نبيه فرّد عليه الشمس)) قالت: فطلعت عليه الشمس حتى رفعت على الجبال وعلى الأرض وقام علي فتوضأ وصلى العصر ثم غابت وذلك بالصهباء.

"المعجم الكبير"، الحديث: ٣٨٢، ج ٢، ص ١٤٤-١٤٥.

وفي "الشفاء"، فصل في انشقاق القمر، الجزء ١، ص ٢٨٤: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصل العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أصليت يا علي؟)) قال: لا، فقال: ((اللهم إنّه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس))، قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصهباء في خيبر.

③ ﴿حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى﴾ ٢، البقرة: ٢٣٨.

في "تفسير الطبري"، تحت الآية، ج ٢، ص ٥٦٩، الحديث: ٥٣٨٥: (حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مصعب بن سلام، عن أبي حيان، عن أبيه، عن علي قال: ((الصلاة الوسطى صلاة العصر)).

कर दी, कि इबादतें भी हमें हुजूर (ﷺ) ही के सदके में मिलीं। दूसरी हदीस इस की ताईद में यह है कि गारे सौर में पहले सिद्दीके अक्बर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ गए, अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर उस के सूराख बन्द कर दिये, एक सूराख बाकी रह गया, उस में पाउं का अंगूठा रख दिया, फिर हुजूर अक्दस ﷺ को बुलाया, तशरीफ ले गए और उन के जानू पर सरे अक्दस रख कर आराम फरमाया, उस गार में एक सांप मुश्ताके ज़ियारत रहता था, उस ने अपना सर सिद्दीके अक्बर के पाउं पर मला, उन्होंने ने इस खयाल से कि हुजूर (ﷺ) की नींद में फर्क न आए पाउं न हटाया, आखिर उस ने पाउं में काट लिया, जब सिद्दीके अक्बर के आंसू चेहरए अन्वर पर गिरे, चश्मे मुबारक खुली, अर्जे हाल किया, हुजूर (ﷺ) ने लुआबे दहन लगा दिया फौरन आराम हो गया, हर साल वोह ज़हर औद करता, बारह¹² बरस बाद उसी से शहादत पाई।⁽¹⁾

साबित हुवा कि जुम्ला फ़राइज़ फ़रूअ हैं

अस्लुल उमूल बन्दगी उस ताजवर की है⁽²⁾

अक्बिदा 48 हुजूर (ﷺ) की ताजीमो तौकीर जिस तरह उस वक्त थी कि हुजूर (ﷺ) इस आलम में ज़ाहिरी निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा थे, अब भी उसी तरह फर्जे आजम है⁽³⁾, जब हुजूर (ﷺ) का जिक्र आए तो ब कमाले

.....¹ ﴿ثَانِي الثَّانِيْنِ اِذَا مَا فِي النَّارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا﴾ [پ ۱۰، التوبة: ۴۰] في ”روح البيان“، تحت هذه الآية، ج ۳، ص ۴۳۲-۴۳۳: (فلما أراد رسول الله دخوله قال له أبو بكر: مكانك يا رسول الله! حتى أستبرئ الغار فدخل واستبرأه وجعل يسد الحجرة بثيابه خشية أن يخرج منها شيء يؤذيه أي: رسول الله فبقى جحر وكان فيه حية فوضع رضي الله عنه عقبه عليه ثم دخل رسول الله فجعلت تلك الحية تلسعه وصارت دموعه تنحدر فتفل رسول الله على محل اللدغة فذهب ما يجده). في ”تفسير الخازن“، پ ۱۰، التوبة: ۴۰، ج ۲، ص ۲۴۰: (قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام فلدغ أبو بكر في رجله من الحجر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما لك يا أبا بكر؟)) فقال: لدغت فداك أبي وأمي فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده ثم انتقض عليه وكان سبب موته).

.....² ”حداثي بخشش“، حصه أول، ص ۱۴۴، وانظر ”الفتاوى الرضوية“، ۳۰، ص ۱۳۸.

.....³ وفي ”الشفاء“، الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره، فصل، ج ۲، ص ۴۰: (أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته).

في ”روح البيان“، الأحزاب: تحت الآية: ۵۳، ج ۷، ص ۲۱۶: (يجب على الأمة أن يعظموه عليه السلام ويوقروه في جميع الأحوال في حال حياته وبعد وفاته فإنه بقدر ازدياد تعظيمه وتوقيره في القلوب يزداد نور الإيمان فيها).

پیشکش : مکتبۃ المدینہ دہلی (داوۃ اسلامیہ)

खुशूओ खुजूअ व इन्किसार बा अदब सुने⁽¹⁾, और नामे पाक सुनते ही दुरूद शरीफ पढ़ना

वाजिब है।⁽²⁾ ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُّعَدِّنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَاللَّهِ الْكَرَامِ وَصَحْبِهِ الْعِظَامِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ“

= وفي ”المعتقد المنتقد“، وكذا يجب توقيره... إلخ، ص ١٤٢: (أَنَّ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه بعد وفاته لازم على كل مسلم كما كان حال حياته؛ لأنه الآن حي يرزق في علو درجاته ورفعة حالاته وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته).

①..... في ”الشفاء“، ج ٢، ص ٢٥-٢٦: (ومن علاماته مع كثرة ذكره تعظيمه له وتوقيره عند ذكره، وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه).

②....आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान عليه رحمة الرحمن “फ़तावा रज़विय्या” में इस मसअले की तफ़्सील बयान करते हुए इरशाद फ़रमाते हैं : नामे पाक हुज़ूरे पुरनूर सय्यिदे आलम मुख़्तलिफ़ जल्सों में जितनी बार ले या सुने हर बार दुरूद शरीफ़ पढ़ना वाजिब है, अगर न पढ़ेगा गुनहगार होगा और सख़्त सख़्त वईदों में गिरिफ़्तार, हां इस में इख़्तिलाफ़ है कि अगर एक ही जल्से में चन्द बार नामे पाक लिया या सुना तो हर बार वाजिब है या एक बार काफ़ी और हर बार मुस्तहब है, बहुत इलमा कौले अव्वल की तरफ़ गए, उन के नज़्दीक एक जल्से में हज़ार बार कलिमा शरीफ़ पढ़े तो हर बार दुरूद शरीफ़ भी पढ़ता जाए अगर एक बार भी छोड़ा गुनहगार हुवा ।

“मुज्ताबा” व “दुर्रे मुख़्तार” वग़ैरहुमा में इसी कौल को मुख़्तार व असहूह कहा :

في ”الدر المختار“: اختلف في وجوبها على السامع والذاكر كلما ذكر صلى الله تعالى عليه وسلم، والمختار تكرار الوجوب كلما ذكر ولو اتحد المجلس في الأصح اه، بتلخيص
तर्जमा : दुर्रे मुख़्तार में है कि इस बारे में इख़्तिलाफ़ है कि जब भी हुज़ूर صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ का इस्मे गिरामी ज़िक्र किया जाए तो सामेअ और ज़ाकिर दोनों पर हर बार दुरूदो सलाम अर्ज करना वाजिब है या नहीं ? असहूह मज़हब पर मुख़्तार कौल येही है कि हर बार दुरूदो सलाम वाजिब है अगरचें मजलिस एक ही हो, खुलासतन (ت) ।

दीगर इलमा ने ब नज़रे आसानिये उम्मत कौले दुवुम इख़्तियार किया उन के नज़्दीक एक जल्से में एक बार दुरूद अदाए वाजिब के लिये किफ़ायत करेगा ज़ियादा के तर्क से गुनहगार न होगा मगर सवाबे अज़ीम व फ़ज़ले जसीम से बेशक महरूम रहा, “काफ़ी” व “कुन्या” वग़ैरहुमा में इसी कौल की तस्हीह की ।

في ”رد المختار“: صححه الزاهدي في ”المجتبى“ لكن صحّح في ”الكافي“ وجوب الصلاة مرة في كل مجلس كسجود التلاوة للحرّح إلا أنه يندب تكرار الصلاة في المجلس الواحد بخلاف السجود، وفي ”الغنية“: قيل: يكفي في المجلس مرة كسجدة التلاوة، وبه يفتي، وقد جزم بهذا القول المحقق ابن الهمام في ”زاد الفقير“، اه، ملتنقطا.

तर्जमा : “रहुल मुह़्तार” में है कि इसे ज़ाहिदी ने “अल मुज्ताबा” में सहीह क़रार दिया है लेकिन “काफ़ी” में हर मजलिस में एक ही दफ़आ दुरूद के वुजूब को सहीह कहा है जैसा कि सज्दए तिलावत का हुक्म है ताकि मुश्किल और तंगी लाज़िम न आए, अलबत्ता मजलिसे वाहिद में तकारे दुरूद मुस्तहब व मन्दूब है ब ख़िलाफ़ सज्दए तिलावत के, “कुन्या” में है : एक मजलिस में एक ही दफ़आ दुरूद पढ़ना काफ़ी है जैसा कि सज्दए तिलावत का हुक्म है और इसी पर फ़तवा है, इब्ने हुमाम ने “ज़ादुल फ़कीर” में इसी कौल पर ज़म् किया है, मुल्तक़तन (ت) ।

बहर हाल मुनासिब येही है कि हर बार صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ कहता जाए कि ऐसी चीज़ जिस के करने में बिल इत्तिफ़ाक़ बड़ी बड़ी रहमतें बरकतें हैं और न करने में बिला शुबा बड़े फ़ज़ल से महरूम और एक मज़हबे क़वी पर गुनाह व मासियत, अक़िल का काम नहीं कि उसे तर्क करे, وإبشاه التوفيق ।

”الفتاوى الرضوية“، ج ٦، ص ٢٢٢-٢٢٣.

और हुजूर (ﷺ) से महबबत की अलामत यह है कि ब कसरत जिक्र करे⁽¹⁾ और दुरुद शरीफ की कसरत करे और नामे पाक लिखे तो उस के बाद ﷺ लिखे, बाज लोग ब राहे इख़्तिसार صلعم या ص लिखते हैं, यह महज ना जाइजो हराम है⁽²⁾ और महबबत की यह भी अलामत है कि आलो अस्हाब, मुहाजिरीनो अन्सार व जमीअ मुतअल्लिकीनो मुतवस्सिलीन से महबबत रखे और हुजूर (ﷺ) के दुश्मनों से अदावत रखे⁽³⁾, अगर्चे वोह अपना बाप या बेटा या भाई या कुम्बे के क्यूं न हों⁽⁴⁾ और जो ऐसा न करे वोह इस दावा में झूठा है, क्या तुम को नहीं मालूम कि सहाबए किराम ने हुजूर (ﷺ) की महबबत में अपने सब अजीजों, करीबों, बाप, भाइयों और वतन को छोड़ा और यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) व रसूल (ﷺ) से भी महबबत हो और उन के दुश्मनों से भी उल्फत...! एक को इख़्तियार कर कि ज़िदैन⁽⁵⁾ जम्अ

① في "الشفاء"، ج ٢، ص ٢٥: (ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له، فمن أحب شيئاً أكثر ذكره).

② في "حاشية الطحطاوي" على "الدر المختار"، مقدمة الكتاب، ج ١، ص ٦: (ويكره الرمز بالصلوة والترضی بالكتابة، بل يكتب ذلك كله بكماله، وفي بعض المواضع عن "التتارخانية": من كتب عليه السلام بالهمزة والميم يكفر؛ لأنه تخفيف وتخفيف الأنبياء كفر بلا شك ولعله إن صحَّ النقل فهو مقيد بقصده وإلا فالظاهر أنه ليس بكفر وكون لازم الكفر كفرة بعد تسليم كونه مذهبا مختارا محله إذا كان اللزوم بيّناً، نعم الاحتياط في الاحتراز عن الإيهام).

"الفتاوى الرضوية"، ج ٦، ص ٢٢١ - ٢٢٢، ج ٢٣، ص ٣٨٧ - ٣٨٨.

③ وفي "الشفاء"، ج ٢، ص ٢٦: (ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم، وبغض من أبغضهم وسبهم، فمن أحب شيئاً أحب من يحب).

④ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ۚ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٣٣﴾ پ ١٠، التوبة: ٢٣-٢٤.

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحِهِ ۖ وَمَنْ يَدْخُلْهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٣٣﴾

پ ٢٨، المجادلة: ٢٢.

⑤ ... दो मुखलिफ चीजें ।

नहीं हो सकतीं, चाहे जन्नत की राह चल या जहन्नम को जा। नीज़ अलामाते महबूबत यह है कि शाने अक़दस में जो अल्फ़ाज़ इस्तिमाल किये जाएं अदब में डूबे हुए हों, कोई ऐसा लफ़ज़ जिस में कम ताज़ीमी की बू भी हो, कभी ज़बान पर न लाए, अगर हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) को पुकारे तो नामे पाक के साथ निदा न करे, कि यह जाइज़ नहीं, बल्कि यूं कहे :

”يَا نَبِيَّ اللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَا حَبِيبَ اللَّهِ!“⁽¹⁾

अगर मदीनए तय्यिबा की हाज़िरी नसीब हो तो रौज़ा शरीफ़ के सामने चार हाथ के फ़ासिले से दस्त बस्ता जैसे नमाज़ में खड़ा होता है, खड़ा हो कर सर झुकाए हुए सलातो सलाम अर्ज़ करे, बहुत करीब न जाए, न इधर उधर देखे⁽²⁾, और ख़बरदार...! ख़बरदार...!

1..... ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ دُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ ۱۸، النور: ۶۳.

وفي ”حاشية الصاوي“، ج ۴، ص ۱۴۲۱: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ﴾ أي: نداءه بمعنى لا تتادوه باسمه فتقولوا: يا محمد، ولا بكنيته فتقولوا: يا أبا القاسم، بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بأن تقولوا: يا رسول الله، يا نبي الله، يا إمام المرسلين، يا رسول رب العالمين، يا خاتم النبيين، وغير ذلك).

وفي ”المعتقد المنتقد“، وكذا يجب توقيره... إلخ، ص ۱۳۹- ۱۴۰: (وكذا يجب توقيره وتعظيمه في الظاهر والباطن وجميع الأحوال، قال الله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ دُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ أي: برفع الصوت فوق صوته أو ندائه بأسمائه فلا تقولوا: يا محمد يا أحمد بل قولوا: يا نبي الله ويا رسول الله كما خاطبه به سبحانه، ذكره مجاهد وقتادة، ولا منع من الجمع، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه فإنّ دعاءه موجب ليس كدعاء غيره). ”الفتاوى الرضوية“، ج ۳۰، ص ۱۵۶.

2..... ”في ”الهندية“، كتاب المناسك، الباب السابع عشر في النذر بالحج، مطلب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ج ۱، ص ۲۶۵: (فيتوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم.....، ثم يدنو منه ثلاثة أذرع أو أربعة..... ويقف كما يقف في الصلاة ويمثل صورته الكريمة البهية كأنه نائم في لحدّه عالم به يسمع كلامه كذا في ”الاختيار شرح المختار“، ثم يقول: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنّك رسول الله).

وفي ”المسلك المتقسط في المنسك المتوسط“ شرح ”لباب المناسك“ للملّا علي القاري، ص ۵۰۸: (ثم توجه) أي: بالقلب والقلب (مع رعاية غاية الأدب، فقام تجاه الوجه الشريف) أي: قبالة موجهة قبره المنيف (متواضعا خاشعا مع الذلة والانكسار والخشية والوقار) أي: السكينة، (والهيبه والافتقار غاض الطرف) أي: خافض العين إلى قدمه غير ملتفت إلى غير إمامه وأمامه، (مكفوف الجوارح) أي: مكفوف الأعضاء من الحركات التي هي غير مناسبة لمقامه، (فارغ القلب) أي: عمن سوى مقصوده ومرامه، (واضعا يمينه على شماله) أي: تأدبا في حال إحلاله، (مستقبلا للوجه الكريم مستديرا للقبلة)، لأنّ المقام يقتضي هذه الحالة (تجاه مسمار الفضة) أي: المركبة على جدران تلك البقعة، (على نحو أربعة أذرع) أي: يقف بعيدا على هذا المقدار (لا أقل) أي: لأنّه ليس من شعار آداب الأبرار، ملتقطاً. ”الفتاوى الرضوية“، ج ۱۰، ص ۷۶۵.

आवाज़ कभी बुलन्द न करना, कि उम्र भर का सारा किया धरा अकारत जाए⁽¹⁾ और महबूबत की येह निशानी भी है कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के अक्वालो अफ़अल व अहवाल लोगों से दरयाफ़्त करे और उन की पैरवी करे।⁽²⁾

अक्वीदा 49 हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के किसी कौलो फ़ेल व अमल व हालत को जो ब नज़रे हक़ारत देखे काफ़िर है।⁽³⁾

अक्वीदा 50 हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के नाइबे मुल्लक हैं⁽⁴⁾, तमाम जहान हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के

1 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ①﴾ प २६, الحجرات: २.

2 "في" الشفاء، فصل في علامة محبته صلى الله عليه وسلم، ج २، ص २४: (اعلم أنّ من أحب شيئا أثره وآثر موافقته وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدّعيّا فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه، وأولها: الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتنال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وشاهد هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾.

3 "في" الفتاوى قاضي خان، كتاب السير، ج ४، ص ६८: (إذا غاب الرجل النبي عليه السلام في شيء كان كافرا). وفي "حاشية الصاوي"، ج ४، ص १४२.

4 "في" أشعة اللمعات، ج ४، ص ३१०: (وَصلى الله عليه وآله وسلم خليفة مطلق ونائب كل جناب اقدس است می کند و می دهد هر چه خواهد باذن و ...)

यानी : हुज़ूर अल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام तअल्ला के खलीफ़ा मुल्लक और नाइबे कुल हैं जो चाहें करते हैं और जो चाहें अता फ़रमाते हैं।

فإن من جودك الدنيا وضررتها ومن علومك علم اللوح والقلم

यानी : या रसूलल्लाह ! दुन्या और आखिरत की हर नेमत आप के जूदे ला महदूद से कुछ हिस्सा है और आप के उलूमे कसीरा से लौहो क़लम का इल्म बाज़ हिस्सा है।

हुज़ूर तमाम मलको मलकूत पर अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के नाइबे मुल्लक हैं जिन को रब عَزَّوَجَلَّ ने अपने अस्मा व सिफ़ात के असरार का खिल्लत पहनाया और हर मुफ़द व मुक्कब में तसरूफ़ का इख़्तियार दिया है, दूल्हा बादशाह की शान दिखाता है, उस का हुक्म बरात में नाफ़िज़ होता है, सब उस की ख़िदमत करते हैं और अपने काम छोड़ कर उस के काम में लगे होते जिस बात को उस का जी चाहे मौजूद की जाती है, चैन में होता है, सब बराती उस की ख़िदमत में और उस के तुफ़ैल में खाना पाते हैं, यूँही मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ आलम में बादशाहे हकीक़ी की शान दिखाते हैं, तमाम जहां में उन का हुक्म नाफ़िज़ है, सब उन के ख़िदमत गार व ज़ेरे फ़रमान हैं, जो वोह चाहते हैं अल्लाह عَزَّوَجَلَّ मौजूद कर देता है हुज़ूरे رَبِّیُّ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا सिद्दीका उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका (ماأرى ربك إلا يسارع في هواك) "सहीह बुख़ारी" की हदीस है कि उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से अर्ज़ करती हैं : "मैं हुज़ूर के रब को देखती हूँ कि हुज़ूर की ख़्वाहिश में शिताबी फ़रमाता है।" तमाम जहां हुज़ूर के सदके में हुज़ूर का दिया खाता है

तहते तसरुफ़⁽¹⁾ कर दिया गया⁽²⁾, जो चाहें करें, जिसे जो चाहें दें, जिस से जो चाहें वापस लें⁽³⁾, तमाम जहान में उन के हुक्म का फेरने वाला कोई नहीं⁽⁴⁾, तमाम जहान उन का महकूम है और वोह अपने रब के सिवा किसी के महकूम नहीं⁽⁵⁾,.....

कि “हर नेमत का देने वाला अल्लाह है और बांटने वाला मैं हूँ।” यूं तशबीह कामिल हुई और हुजुरे अक़दस ”وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ सलत्नते इलाही के दूल्हा ठहरे, صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①.....इख़्तियार में, जेरे हुक्म।

②..... في ”أشعة اللمعات“، ج ١، ص ٤٣٢: تصرف وقدرت سلطنت و صلى الله عليه وسلم زيادة براہ بود و ملک و ملکوت جن و انس و تمامہ عوالم بتقدیر و تصرف الہی عز و علا در حیطة قدرت و تصرف و بود۔

यानी : हुजूर ﷺ का तसरुफ़ और आप की कुदरत और सलत्नत सुलैमान عَلَيْهِ السَّلَام की सलत्नत और कुदरत से ज़ियादा थी। मलको मलकूत जिन्न और इन्सान और सारे जहान अल्लाह तआला के ताबेअ कर देने से हुजूर ﷺ के तसरुफ़ और कुदरत के इहाते में थे (और हैं)।

في ”جواهر البحار“، ج ٣، ص ٦٠: (إن الله تعالى اتخذ خليفته في الأكوان منه (أي: من جنس الإنسان وهو الفرد الجامع المحيط بالعالم كله، والعالم كله في قبضته وتحت حكمه وتصرفه يفعل فيه كل ما يريد بلا منازع ولا مدافع وقصارى أمره أنه كان حيثما كان الرب إلهاً كان هو خليفته فلا خروج لشيء من الأكوان عن ألوهية الله تعالى كذلك لا خروج لشيء من الأكوان عن سلطنة هذا الفرد الجامع يتصرف في المملكة بإذن مستخلفه).

③..... في ”الجوهر المنظم“، ص ٤٢: (أنه صلى الله عليه وسلم خليفة الله الذي جعل خزائن كرمه وموائد نعمه طوع يديه وتحت إرادته يعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء)، ملخصاً.

④..... في ”المواهب“، ج ١، ص ٢٨-٢٩:

(ألا! بأبي من كان ملكاً وسيداً
و آدم بين الماء والطين واقف

إذا رام أمراً لا يكون خلافة
وليس لذلك الأمر في الكون صارف).

⑤..... في ”نسيم الرياض“، القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي، ج ٢، ص ٢٨١: (فمعنى نبينا الأمر إلى آخره: أنه لا حاكم سواه، فهو حاكم غير محكوم، فإذا قال في أمر: لا، أو نعم، وهو لا يقول إلا صواباً موافقاً لرضى الله، فحينئذ لا يخالفه إلا بقسر قاسر، وليس غيره حاكم يمنعه عما حكم به ويرد أحكامه، فهو أصدق القائلين فيما يقوله).

و ”الفتاوى الرضوية“، ج ٣٠، ص ٥٦٥.

तमाम आदमियों के मालिक हैं⁽¹⁾, जो उन्हें अपना मालिक न जाने हलावते सुन्नत⁽²⁾ से
महरूम रहे⁽³⁾, तमाम जमीन उन की मिल्क है⁽⁴⁾, तमाम जन्नत उन की.....

①..... حدثني الأعشى المازني قال: ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنشدته: يا مالك الناس وديان العرب... (الخ)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٦٩٠٢، ج٢، ص ٦٤٤).

तर्जमा : आशी माजिनी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं कि मैं नबिय्ये पाक ﷺ की बारगाह में हाज़िर हुवा और मैं ने शेर पढ़ा : ऐ तमाम आदमियों के मालिक और ऐ अरब के जजा व सजा देने वाले ।

आला हज़रत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ “फ़तावा रज़विय्या” शरीफ़ में इस हदीस के तहत फ़रमाते हैं कि : “येह हदीसे जलील इतने अइम्माए किबार ने ब असानीदे मुतअद्दा रिवायत की और तुरीके अख़ीर में येह लफ़ज़ हैं कि : आशी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की पनाह ली और अर्ज़ की, कि : ऐ मालिके आदमियां, वए जज़ा व सज़ा दिहे अरब “الفتاوى الرضوية”, ج ۳, ص ۴۴۷ । صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

②....सून्नत की लज्जतो मिठास ।

③ في "الشفاء"، الباب الثاني في لزوم محبته صلى الله تعالى عليه وسلم، ج ٢، ص ١٩: (قال سهل: من لم ير ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال وير نفسه في ملكه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يذوق حلالة سنته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه)) الحديث). "الفتاوى الرضوية"، ج ٣٠، ص ٤٢٥.

4..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((واعلموا أنَّ الأرض لله ورسوله)). "صحيح البخاري"، كتاب الجزية والموادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، الحديث: ٣١٦٧، ج ٢، ص ٢٥٦.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((موتان الأرض لله ولرسوله)). "السنن الكبرى"، للبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد، الحديث: ١١٧٨٦، ج ٦، ص ٢٣٧.

عن ابن عباس قال: ((إن عادي الأرض لله ولرسوله)). "السنن الكبرى"، للبيهقي، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد، الحديث: ١١٧٨٥، ج ٦، ص ٢٣٧.

आला हज़रत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ “फ़तावा रज़विय्या” शरीफ़ में इन अहदीस के तहत फ़रमाते हैं कि : “मैं कहता हूँ बन (जहां कसरत से दरख़्त हों) जंगल, पहाड़ों और शहरों की मिल्क उफ़तादा ज़मीनों की तख़सीस इस लिये फ़रमाई कि उन पर जाहिरी मिल्क भी किसी की नहीं ये हर तरह ख़ालिस मिल्के खुदा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ व रसूल صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ हैं, वरना महलों, इहातों, घरों, मकानों की ज़मीनें भी सब अल्लाह व रसूल की मिल्क हैं अगरचें जाहिरी नाम मन व तू का लगा हुवा है। “जबूर शरीफ़” से रब्बुल इज़ज़त का कलाम सुन ही चुके कि : “अहमद मालिक हुवा सारी ज़मीन और तमाम उम्मतों की गरदनो का”, صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ। तो ये तख़सीसे मकानी ऐसी है जैसे आयए करीमा **﴿وَالْأَمْوَالُ مَوْلَى رَبِّه﴾** में तख़सीसे ज़मानी कि हुकम उस दिन अल्लाह के लिये है, हालां कि हमेशा अल्लाह ही का है, मगर वोह दिन रोज़े जुहुरे हकीकत व इन्किताए इद्दा है ला जरम सहीह बुख़ारी शरीफ़ की हदीस ने सारी ज़मीन बिला तख़सीस अल्लाह व रसूल की मिल्क बताई वोह कहां ? वोह इस हदीसे आइन्दा में, फ़रमाते हैं صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اعلموا أنّ الأرض لله ورسوله)) यानी यकीन जान लो कि ज़मीन के मालिक अल्लाह व रसूल हैं।

”الفتاوى الرضوية“، ج ٣٠، ص ٤٤٥.

(2) के ज़ेरे फ़रमान (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) मलकूतुस्समावाति वल अर्द हुज़ूर (1) जागीर है,

① حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته بوضوئه وحاجته، فقال لي: ((سل)) فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: ((أو غير ذلك؟)) قلت: هو ذاك، قال: ((فأعني على نفسك بكثرة السجود)). "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، الحديث: ٤٨٩، ص ٢٥٣.

وفي "المراقبة"، كتاب الصلاة، الحديث: ٨٩٦، ج ٢، ص ٦١٥، تحت لفظ "سل": (أي: اطلب مني حاجة، وقال ابن حجر: أتحنك بها في مقابلة خدمتك لي، لأن هذا هو شأن الكرام، ولا أكرم منه ﷺ، ويؤخذ من إطلاقه عليه السلام الأمر بالسؤال أن الله تعالى مكنه من إعطاء كل ما أراد من خزان الحق، ومن ثم عدا أئمتنا من خصائصه عليه السلام أنه يخص من شاء بما شاء..... وذكر ابن سبع في خصائصه وغيره: أن الله تعالى أقطع أرض الجنة يعطي منها ما شاء لمن يشاء)، ملتقطاً. وانظر "الفتاوى الرضوية"، ج ٢١، ص ٣١٠.

وفي "أخبار الأخيار"، ص ٢١٦: ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ [پ ١٦، مريم: ٦٣] أي: نورث تلك الجنة محمداً صلى الله عليه وسلم فيعطي من يشاء ويمنع ممن يشاء، وهو السلطان في الدنيا والآخرة، فله الدنيا وله الجنة وله المشاهدات صلى الله عليه وسلم).

आला हज़रत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن "फ़तावा रज़विय्या" शरीफ़ में फ़रमाते हैं कि : "रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ अपने रब की अ़ता से मालिके जन्नत हैं, मोअ़तिये जन्नत हैं, जिसे चाहे अ़ता फ़रमाएं, इमाम हुज्जतुल इस्लाम ग़ज़ाली फिर इमाम अहमद क़स्तलानी "मवाहिबुल्लदुन्निय्या" फिर अल्लामा मुहम्मद ज़रक़ानी इस की शर्ह में फ़रमाते हैं :

(إن الله تعالى ملكه الأرض كلها وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقطع أرض الجنة ما شاء منها لمن شاء فأرض الدنيا أولى)

अल्लाह तआला ने दुन्या और आख़िरत की तमाम ज़मीनों का हुज़ूर को मालिक कर दिया है, हुज़ूर जन्नत की ज़मीन में से जितनी चाहें जिसे चाहें जागीर बख़्शें तो दुन्या की ज़मीन का क्या ज़िक्र ! "।
"الفتاوى الرضوية"، ج ١٤، ص ٦٦٧.

②....आला हज़रत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن "फ़तावा रज़विय्या" शरीफ़ में ब हवाला "मोअज़मे औसत" लिख़्तबरानी ब सनदे हसन सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا से रिवायत करते हुए फ़रमाते हैं कि : صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने आफ़ताब को हुक्म दिया कि कुछ देर चलने से बाज़ रह, वोह फ़ौरन ठहर गया ।

अकूल : इस हदीसे हसन का वाक़िअ उस हदीसे सहीह के वाक़िअ अज़ीमा से जुदा है जिस में डूबा हुवा सूरज हुज़ूर (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के लिये पलटा है यहां तक कि मौला अली كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيم ने नमाज़े अस्स कि ख़िदमत गुज़ारिये महबूबे बारी صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ में क़ज़ा हुई थी अदा फ़रमाई । इमामे अजल तहावी वग़ैरा अकाबिर ने इस हदीस की तस्हीह की । اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ । इसे ख़िलाफ़ते रब्बुल इज़ज़त कहते हैं कि मलकूतुस्समावाति वल अर्द में उन

जन्नत व नार की कुन्जियां दस्ते अक्दस में दे दी गई⁽¹⁾, रिज़्क व खैर और हर किस्म की

अताएं हुजूर (ﷺ) ही के दरबार से तक्सीम होती हैं⁽²⁾, दुनिया व आखिरत का हुक्म जारी है, तमाम मख़्लूके इलाही को उन के लिये हुक्मे इताअतो फ़रमां बरदारी है। वोह खुदा के हैं और जो कुछ खुदा का है सब उन का है, वोह महबूबे अजल्लो अकरम व ख़लीफ़तुल्लाहिल आज़म ﷺ जब दूध पीते थे गहवारे में चांद उन की गुलामी बजा लाता, जिधर इशारा फ़रमाते उसी तरफ़ झुक जाता। हदीस में है सय्यिदुना अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا अम्मे मुकर्रम सय्यिदे अकरम ﷺ ने हुजूर से अर्ज की : मुझे इस्लाम पर बाइस हुजूर के एक मोजिजे का देखना हुवा,

”رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه مال“

मैं ने हुजूर को देखा कि हुजूर गहवारे में चांद से बातें फ़रमाते, जिस तरफ़ अंगुशते मुबारक से इशारा करते चांद उसी तरफ़ झुक जाता। सय्यिदे आलम ﷺ ने फ़रमाया :

((إني كنت أحدثه، ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجهه حين يسجد تحت العرش)) हां! मैं उस से बातें करता था वोह मुझ से बातें करता और मुझे रोने से बहलाता, मैं उस के गिरने का धमाका सुनता था जब वोह ज़ेरे अर्श सज्दे में गिरता।

इमाम शैखुल इस्लाम साबूनी फ़रमाते हैं : ”في المعجزات حسن“ यह हदीस मोजिज़ात में हसन है।

जब दूध पीतों की येह हुक्मते काहिरा है तो अब कि ख़िलाफ़तुल कुब्रा का जुहूर ऐन शबाब पर है आप़ताब की क्या जान कि उन के हुक्म से सरताबी करे... (الخ... ४८०-४८८) .

① في ”الفتاوى الرضوية“، ج ३، ص ४३१-४३३: (ينصب إلى يوم القيامة منبر على الصراط وذكر الحديث (إلى أن قال:) ثم يأتي ملك فيقف على أول مرقاة من منبري فينادي معاشر المسلمين: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك خازن النار إن الله أمرني أن أدفع مفاتيح جهنم إلى محمد وإن محمداً أمرني أن أدفع إلى أبي بكر، هاه اشهدوا هاه اشهدوا، ثم يقف ملك آخر على ثاني مرقاة من منبري فينادي معاشر المسلمين: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا رضوان خازن الجنان إن الله أمرني أن أدفع مفاتيح الجنة إلى محمد وإن محمداً أمرني أن أدفعها إلى أبي بكر، هاه اشهدوا هاه اشهدوا، الحديث . أوردته العلامة إبراهيم بن عبد الله المدني الشافعي في الباب السابع من كتاب التحقيق في فضل الصديق من كتابه ”الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء“).

② في ”المواهب اللدنية“، الفصل الثاني، أعطي مفاتيح الخزائن، ج २، ص २७८: (أنه أعطي مفاتيح الخزائن، قال بعضهم: وهي خزائن أجناس العالم ليخرج لهم بقدر ما يطلبونه لذواتهم، فكل ما ظهر من رزق العالم فإن الاسم الإلهي لا يعطيه إلا عن محمد ﷺ الذي بيده المفاتيح، كما اختص تعالى بمفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا هو، وأعطى هذا السيد الكريم منزلة الاختصاص بإعطائه مفاتيح الخزائن).

وفي ”جواهر البحار“، ج ३، ص ३७: (فتح الله به على عباده أنواع الخيرات وأبواب السعادات الدنيوية والأخروية، فكل الأرزاق من كفه ﷺ).

हुज़ूर (ﷺ) की अता का एक हिस्सा है⁽¹⁾, अहकामे तशरीइया⁽²⁾ हुज़ूर (ﷺ) के कब्जे में कर दिये गए, कि जिस पर जो चाहें हुराम फ़रमा दें और जिस के लिये जो चाहें हलाल कर दें⁽³⁾.....

① (فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم).

”الكواكب الدرية في مدح خير البرية“ (قصيدة برده) الفصل العاشر، ص ॥१.

आला हज़रत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن “फ़तावा रज़विय्या” शरीफ़ में फ़रमाते हैं कि : येह शेर क़सीदए बुर्दा शरीफ़ का है जिस में सय्यिदी इमामे अजल मुहम्मद बूसैरी ۞ हुज़ूर सय्यिदे आलम ﷺ से अर्ज़ करते हैं : “या रसूलल्लाह! दुन्या व आख़िरत दोनों हुज़ूर के ख़्वाने जूदो करम से एक हिस्सा हैं और लौहो क़लम के तमाम उलूम जिन में मा कान व मा यकून जो कुछ हुवा और जो कुछ क़ियामे क़ियामत तक होने वाला है ज़र्रा ज़र्रा बित्तफ़सील मुन्दरिज है हुज़ूर के उलूम से एक पारा हैं ।” ॥१००. ॥३०. ॥”الفتاوى الرضوية“، ج ॥३०، ص ॥१००.

②अहकाम के हलालो हुराम करने के इख़्तियारात ।

③ ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الْكَبَائِثَ وَيَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ ॥ १०१. ॥ الأعراف: ॥१०१.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: ((لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلي خلاها))، قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وليبوتهم، قال: ((إلا الإذخر)).

”صحيح البخاري“، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، الحديث: ॥१८३॥، ج ॥१، ص ॥१०१.

في ”أشعة السمعات“، كتاب المناسك، باب حرم مكة، ج ॥२، ص ॥४०८، تحت لفظ: ((إلا الإذخر)): (مگر اذخر کہ کہ رواست لع کردن و در مذهب بعضی آنست کہ احکام مفوض بود بر صلی الله علیه وسلم ہر چہ خواہد و ہر چہ خواہد حلال و حرام گرداند و بعضی گویند باجتناد گفت و اول اصح و اظہر است والله اعلم).

यानी : आप ﷺ ने “إلا الإذخر” फ़रमाते हुए उस घास के काटने की इजाज़त दे दी । बाज़ उलमा का मज़हब येह है कि शरअ के अहकाम हुज़ूर ﷺ के हवाले कर दिये गए हैं आप ﷺ जो चाहते हैं जिस के लिये चाहते हैं कोई चीज़ हलाल फ़रमा देते हैं और हुराम कर देते हैं । बाज़ उलमा येह फ़रमाते हैं कि हुज़ूर ﷺ ने उस घास के काटने की इजाज़त अपने इज्तिहाद से दी मगर पहला मज़हब सहीह तर और ज़ाहिर तर है ।

और जो फ़र्ज चाहें मुआफ़ फ़रमा दें।⁽¹⁾

अक्वीदा 51 (2) सब से पहले मर्तबए नबुव्वत हुज़ूर (ﷺ) को मिला।

रोज़े मीसाक़ तमाम अम्बिया से हुज़ूर (ﷺ) पर ईमान लाने और हुज़ूर (ﷺ) की नुसरत करने का अहद लिया गया⁽³⁾ और इसी शर्त पर येह मन्सबे आज़म उन को दिया गया।⁽⁴⁾ हुज़ूर (ﷺ) नबिय्युल अम्बिया हैं

= وفي "مدارج النبوة"، ج ٢، ص ١٨٣: (ومذهب صحيح ومختار آنتست که احکام مفوض ست بحضرت رسالت صلی الله علیه وسلم بهر که و بهر چه خواهد حکم کند یک فعل بر یکی حرام کند و بر دیگری مباح گرداند و این را امثله بسیار ست کما لا یخفی علی المتبع حق جل و علی پیدا کرده و شرعی نهاده و همه بر رسول صلی الله علیه وسلم خود و حبیب خود سپرده است صلی الله علیه وسلم).

यानी : सहीह और मुख़्तार मज़हब येही है कि अहक़ाम हुज़ूर के सिपुर्द हैं जिस पर जो चाहें हुक्म करें। एक काम एक पे ह़राम करते हैं और दूसरे पर मुबाह। इस की बहुत मिसालें हैं जैसा कि मुत्तबेअ पर मख़्फ़ी नहीं। हक़ तअ़ाला ने शरीअत मुक़र्रर कर के सारी की सारी अपने रसूल और अपने महबूब के हवाले कर दी (कि इस में जिस तरह चाहें तरमीम व इज़ाफ़ा फ़रमाएं)।

1..... عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٠٣٠٩، ج ٧، ص ٢٨٣-٢٨٤.

وانظر رسالة إمام أهل السنة عليه الرحمة "منية اللبيب أن التشريع بيد الحبيب"، ج ٣٠، ص ٥٠٠.

والرسالة: "الأمن والعلي لنا عتي المصطفى بدافع البلاء"، ج ٣٠، ص ٣٥٩.

2..... عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال: ((وآدم بين الروح والجسد)).

"جامع الترمذي"، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٣٦٢٩، ج ٥، ص ٣٥١.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله: متى كنت نبياً؟ قال: ((وآدم بين الروح والجسد)). "الدر المنثور"، ج ٦، ص ٥٦٩.

3..... ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ عَلَىٰ ذُلِّكُمْ أَمْ رَأَيْتُمُ الْقَالُونَ أَأَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝٨١﴾

پ ٣، ال عمران: ٨١.

4..... في "تفسير الطبري"، الحديث: ٧٣٢٧، ج ٣، ص ٣٣٠، تحت الآية: عن علي بن أبي طالب قال: لم يبعث الله عز وجل نبياً - آدم فمن بعده - إلا أخذ عليه العهد في محمد: لئن بعث وهو حيّ ليومنن به ولينصرنّه، ويأمره فيأخذ العهد على

قومه، فقال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾، الآية.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

और तमाम अम्बिया हुज़ूर (ﷺ) के उम्मीती, सब ने अपने अपने अह्द करीम में हुज़ूर (ﷺ) की नियाबत में काम किया⁽¹⁾, अल्लाह ने हुज़ूर (ﷺ) को अपनी ज़ात का मज़हर बनाया और हुज़ूर (ﷺ) के नूर से तमाम आलम को मुनव्वर फ़रमाया⁽²⁾,.....

1..... في "الخصائص الكبرى"، فائدة في أنّ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الخلق والأنبياء وأمهم كلهم من أمته، ج ١، ص ٨ - ١٠: (قال الشيخ تقي الدين سبكي في كتابه "التعظيم والمنة" في ﴿لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾: في هذه الآية من التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره العلي ما لا يخفى، وفيه مع ذلك أنّه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون الأمر مرسلًا إليهم، فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة، وتكون الأنبياء وأمهم كلهم من أمته ويكون قوله: ((بعثت إلى الناس كافة)) لا يختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة، بل يتناول من قبلهم أيضاً، ويتبين بذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((كنت نبياً و آدم بين الروح والجسد))..... (والنبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، فلا كمال لمخلوق أعظم من كماله، ولا محل أشرف من محله، فعرفنا بالخبر الصحيح حصول ذلك الكمال من قبل خلق آدم لنبينا صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه، وأنّه أعطاه النبوة من ذلك الوقت، ثم أخذ له الموثيق على الأنبياء ليعلموا أنّه المقدم عليهم وأنّه نبيهم ورسولهم، وفي أخذ الموثيق وهي في معنى الاستخلاف)، ملقطاً.

وانظر للتفصيل "تجلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين"، ج ٣٠، ص ١٢٩.

2..... ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنْ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَبِرَّ أَجَامِيرًا﴾ ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾. ٢٢، الأحزاب: ٤٥-٤٦. في "تفسير روح البيان"، ج ٧، ص ١٩٧، تحت الآية: ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾: اعلم أنّ الله تعالى شبه نبينا عليه السلام بالسراج لوجوه: الأول: أنّه يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية ويهتدي بأنواره إلى مناهج الرشd والهداية كما يهتدي بالسراج المنير في الظلام إلى سمت المرام،..... والرابع: أنّ السراج الواحد يوقد منه ألف سراج ولا ينقص من نوره شيء، وقد اتفق أهل الظاهر والشهود على أنّ الله تعالى خلق جميع الأشياء من نور محمد ولم ينقص من نوره شيء، وهذا كما روي أنّ موسى عليه السلام قال: يا رب! أريد أن أعرف خزائنك، فقال له: اجعل على باب خيمتك ناراً يأخذ كل إنسان سراجاً من نارك ففعل فقال: هل نقص من نارك قال: لا يا رب، قال: فكذلك خزائني، وأيضاً علوم الشريعة وفوائد الطريقة وأنوار المعرفة وأسرار الحقيقة قد ظهرت في علماء أمته وهي بحالها في نفسه عليه السلام ألا ترى أنّ نور القمر مستفاد من الشمس ونور الشمس بحاله، وفي "القصيدة البردية":

فإنّ شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم

تو مهر منیری همه اخترند تو سلطان ملکی همه لشکرند =

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

ब ई माना हर जगह हुजूर (ﷺ) तशरीफ़ फ़रमा हैं ।

کالشمس فی وسط السماء ونورها
یغشی البلاد مشارقاً ومغرباً⁽¹⁾

= أي: اَنْ سيدنا محمداً عليه السلام شمس من فضل الله طلعت على العالمين، والأنبياء أقمارها يظهرن الأنوار المستفاعة منها، وهي العلوم والحكم في عالم الشهادة عند غيبتها ويختفين عند ظهور سلطان الشمس فينسخ دينه سائر الأديان. وفيه إشارة إلى اَنْ المقتبس من نور القمر كالمقتبس من نور الشمس،..... والخامس: اَنْه عليه السلام يضيء من جميع الجهات الكونية إلى جميع العوالم كما اَنْ السراج يضيء من كل جانب، وأيضاً يضيء لأمته كلهم كالسراج لجميع الجهات إلا من عمى مثل أبي جهل ومن تبعه على صفته، فإنه لا يستضيء بنوره ولا يراه حقيقة كما قال تعالى: ﴿وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾... إلخ، ملتقطاً.

وفي "المصنف" لعبد الرزاق بسنده، كتاب الإيمان، باب في تخليق نور محمد، الجزء المفقود من الجزء الأول، الحديث: ١٨، ص ٦٣، وفي "المواهب اللدنية"، ج ١، ص ٧١-٧٢، واللفظ لـ "المواهب": عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء، قال: ((يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم، ولاجنة ولا نار، ولا ملك ولا سماء، ولا أرض ولا شمس ولا قمر، ولا جنّ ولا إنسي، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول السموات، ومن الثاني الأرضين، ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم -وهي المعرفة بالله- ومن الثالث نور أنسهم، وهو التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله)).

❶...यानी: नबिय्ये करीम ﷺ उस सूरज की तरह हैं जो आस्मानों के वस्तु में हो और उस की रोशनी मशरिकों और मगरिबों के तमाम शहरों को ढांक ले ।

"تفسير روح المعاني"، ٢٢، الأحزاب، تحت الآية: ٤٠، الجزء الثاني والعشرون، ص ٢٩٤.
وانظر للتفصيل: "صلوات الصفاء في نور المصطفى"، ج ٣٠، ص ٦٥٧.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

मगर कूरे बातिन का क्या इलाज

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چه گناہ⁽¹⁾

मसअलए ज़रूरिय्या : अम्बियाए किराम عَلَيْهِ السَّلَام से जो लगिज़शें वाकेअ हुई,

उन का जि़क़ तिलावते कुरआन व रिवायते हदीस के सिवा ह़राम और सख़्त ह़राम है, औरों को उन सरकारों में लब कुशाई की क्या मजाल...! मौला عَزَّوَجَلَّ उन का मालिक है, जिस महल पर जिस तरह चाहे ताबीर फ़रमाए, वोह उस के प्यारे बन्दे हैं, अपने रब के लिये जिस क़दर चाहें तवाज़ोअ फ़रमाएं, दूसरा इन कलिमात को सनद नहीं बना सकता⁽²⁾ और खुद उन का इत्लाक़ करे तो मरदूदे बारगाह हो, फिर उन के येह अफ़अल जिन को ज़ल्लत व लगिज़श से

1....यानी : अगर चमगादड़ को दिन में रोशनी नज़र न आए तो इस में सूरज का क्या कुसूर ।

2..... في "أشعة اللمعات": (درقرآن مجید بآدم نسبت عصیان کرد و عتاب نمود و مبنی بر علوشان قرب اوست و مالک دامیرسد که بر ترک اولی و افضل اگر چه بحد معصیت نرسد به پندۀ خود هر چه خواهد بگوید و عتاب نماید دیگرى دامجال نہ کہ تواند گفت و اینجا ادبی ست کہ لازمست دعايت آن و آن انيست کہ اگر از جانب حضرت به بعض انبيا کہ مقربان درگاه اند عتابی و خطابی درودیا از جانب ایشان کہ بند گان خاص اویند تواضعی و ذلتی و انکسادی صادر گردد کہ موہم نقص بود مادرانبايد کہ دران دخل کنیم و پداں تکلم نمائیم). "أشعة اللمعات"، کتاب الإیمان، الفصل الأول، ج ۱، ص ۴۳.

तर्जमा : कुरआने मजीद में जो हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام की तरफ़ इस्त्यां व न फ़रमानी की निस्बत की और उन पर इताब फ़रमाया वोह हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام के खुदाए तअ़ाला के मुक़र्रब होने और उन की बुलन्दिये शान पर मन्नी है और मालिक को हक़ पहुंचता है कि औला व अफ़ज़ल चीज़ के तर्क करने पर अगर्चे वोह मासियत की हद तक न पहुंचे अपने बन्दे को जो कुछ चाहे कहे और इताब करे, दूसरे किसी को कुछ भी कहने की मजाल नहीं है, येह निहायत अदब का मक़ाम है जिस का लिहाज़ ज़रूरी है और वोह अदब येह है कि अगर खुदावन्दे तअ़ाला की जानिब से बाज़ अम्बिया عَلَيْهِ السَّلَام पर जो उस की दरगाह के मुक़र्रब हैं इताब नाज़िल हो या उन की तरफ़ ख़ता की निस्बत की गई हो या खुद अम्बिया (عليه السلام) की तरफ़ से जो कि उस के खास बन्दे हैं तवाज़ोअ, आजिजी व इन्क़िसारी की बात सादिर हो जिस से उन में नक़्स व ऐब का वहम पड़ता हो तो हम बन्दों को उस में दख़ल देने या उसे ज़बान पर लाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं ।

आला हज़रत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن "फ़तावा रज़विय्या" शरीफ़ में फ़रमाते हैं कि : "ग़ैरे तिलावत में अपनी तरफ़ से सय्यिदुना आदम عَلَيْهِ السَّلَام की तरफ़ न फ़रमानी व गुनाह की निस्बत ह़राम है । अइम्माए दीन ने इस की तस्रीह़ फ़रमाई बल्कि एक जमाअते उलमाए किराम ने इसे कुफ़्र बताया, मौला को शायान है कि अपने महबूब बन्दों को जिस इबारत से ताबीर फ़रमाए, फ़रमाए दूसरा कहे तो उस की ज़बान गुद्दी के पीछे से खींची जाए ﴿يُثْبِتُ الشَّلَّ الْأَعْمَلُ﴾

ताबीर किया जाए हज़ारहा हिकम व मसालेह पर मन्नी, हज़ारहा फ़वाइदो बरकात की मुस्मिर⁽¹⁾ होती हैं, एक लगिज़शे अम्बिया आदम عَلَيْهِ السَّلَام⁽²⁾ को देखिये, अगर वोह न होती, जन्नत से न उतरते, दुन्या आबाद न होती, न किताबें उतरतीं, न रसूल आते, न जिहाद होते, लाखों करोड़ों मसूबात⁽³⁾ के दरवाज़े बन्द रहते, उन सब का फ़त्हे बाब एक लगिज़शे आदम का नतीजए बारिका व समरए तय्यिबा है। बिल जुम्ला अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام की लगिज़श, मन व तू किस शुमार में हैं, सिद्दीकीन की हसनात से अफ़ज़लो आला है।

”حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْرِينَ“⁽⁴⁾

बिला तश्बीह यूं खयाल करो कि जैद ने अपने बेटे अम्र को उस की किसी लगिज़श या भूल पर मुतनब्बेह करने अदब देने हज़्मो अज़्म व एहतियाते अतम सिखाने के लिये मसलन बेहूदा ना लाइक अहमक वगैरहा अल्फ़ाज़ से ताबीर किया, बाप को इस का इख़्तियार था, अब क्या अम्र का बेटा बक्र या गुलाम ख़ालिद इन्हीं अल्फ़ाज़ को सनद बना कर अपने बाप और आका अम्र को येह अल्फ़ाज़ कह सकता है, हाशा ! अगर कहेगा सख़्त गुस्ताख़ व मरदूद व न सज़ा व मुस्तहिक्के अज़ाब व ताज़ीर व सज़ा होगा, जब यहां येह हालत है तो अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की रेस कर के अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام की शान में ऐसे लफ़्ज़ का बकने वाला क्यूंकर सख़्त शदीदो मदीद अज़ाबे जहन्नम व ग़ज़बे इलाही का मुस्तहिक् न होगा। والعياذ بالله تعالى

इमाम अबू अब्दुल्लाह कुरतुबी तफ़सीर में ज़ेरे कौलहू तअ़ाला : **﴿وَكَلَّمَائِيصْحٰنَ عَلَيْهِمَ مِنْ ذُرِّيَةِ الْجَنَّةِ﴾** की तफ़सीर में फ़रमाते हैं :

قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: (لا يجوز لأحد منّا اليوم أن يخبر بذلك عن آدم عليه الصّلاة والسّلام إلّا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنه أو قول نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، فأما أن نبتدئ ذلك من قبل أنفسنا فليس بجائز لنا في آباءنا الأذنين إلينا المماثلين لنا فكيف بأبينا الأقدم الأعظم الأكبر النبي المقدم صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين).

”الجامع لأحكام القرآن“ للقرطبي، پ ۱۶، الآية: ۱۲۱، ج ۶، ص ۱۳۷.

इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दरी इब्नुल हाज़ “मुदख़ल”, जि. 1, अल जुज़ुल अव्वल , स. 237, में फ़रमाते हैं :

(قد قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: أن من قال عن نبي من الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام في غير التلاوة والحديث: أنه عصي أو خالف فقد كفر، نعوذ بالله من ذلك).

ऐसे उमूर में सख़्त एहतियात फ़र्ज़ है, अल्लाह तअ़ाला अपने महबूबों का हुस्ने अदब अता फ़रमाए।
”الفتاوى الرضوية“ ج ۱، ص ۸۲۳-۸۲۴. ۱. आमोन

- ①हज़ारों हिकमतों और मस्लिहतों पर मुश्तमिल, हज़ारों फ़ाएदों और बरकतों को लाने वाली।
- ②हमारे बाप आदम عَلَيْهِ السَّلَام की एक लगिज़श।
- ③नेकियों के अज़्र

④ ”كشف الخفاء للعجلوني، ج ۱، ص ۳۱۸. و ”النبراس“، الملائكة عليهم السلام، ص ۲۸۶.

यानी : नेक लोगों की नेकियां मुक़रबीन के लिये ख़ताओं का दरजा रखती हैं।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

मलाएका का बयान

फरिश्ते अज्जामे नूरी हैं, अल्लाह तअला ने उन को येह ताक़त दी है कि जो शक़ल चाहें बन जाएं⁽¹⁾, कभी वोह इन्सान की शक़ल में ज़ाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक़ल में।⁽²⁾

अक्वीदा 1

वोह वोही करते हैं जो हुक्मे इलाही है⁽³⁾, खुदा के हुक्म के खिलाफ़ कुछ नहीं करते⁽⁴⁾। न क़स्दन, न सहवन, न ख़ताअन। वोह अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) के मासूम बन्दे हैं, हर किस्म के सगाइरो कबाइर⁽⁵⁾, से पाक हैं।⁽⁶⁾

① عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خلقت الملائكة من نور)). "صحيح المسلم"، كتاب الزهد، باب في أحاديث متفرقة، الحديث: ٢٩٩٦، ص ١٥٩٧.

في "شرح المقاصد"، المبحث الثالث، ج ٢، ص ٥٠٠: (ظاهر الكتاب والسنة، وهو قول أكثر الأمة: أنّ الملائكة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكلات بأشكال مختلفة).

و"شرح المقاصد"، المبحث السابع، الملائكة، ج ٣، ص ٣١٨ - ٣١٩. و"منح الروض الأزهر"، ص ١٢.

② عن أبي عثمان قال: أنبت أنّ جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: ((من هذا؟)) أو كما قال، قالت: هذا دحية... إلخ.

"صحيح البخاري"، كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، الحديث: ٤٩٨٠، ص ٤٣٢.

في "فتح الباري"، ج ٩، ص ٥، تحت الحديث: (وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم غالباً على صورته).

عن أنس رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((يأتيني جبريل عليه السلام على صورة دحية

الكلبي))، قال أنس: وكان دحية رجلاً جميلاً أبيض. "المعجم الكبير" للطبراني، ج ١، ص ٢٦١، الحديث: ٧٥٨.

وأخرج أبو الشيخ عن شريح بن عبيد الله: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماء، رأى جبريل في خلقته منظوم أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت، قال: ((فخيل لي أنّ ما بين عيني قد سد الأفق، وكنت أراه قبل ذلك على صور مختلفة، وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية الكلبي، وكنت أحياناً أراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغريال)).

"الحبائك في أعيان الملائك" للسيوطي، ص ٤.

③ ﴿وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾. ب. ١٤، النحل: ٥٠.

④ ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾. ب. ٢٨، التحريم: ٦.

⑤ छोटे बड़े गुनाहों।

⑥ في "تفسير الكبير"، ب. ١، البقرة، ج ١، ص ٣٨٩، تحت الآية: ٣٠: (الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة

كل الملائكة عن جميع الذنوب، ولنا وجوه، الأول: قوله تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾. ب. ٢٨،

التحريم: ٦، إلا أنّ هذه الآية مختصة بملائكة النار فإذا أردنا الدلالة العامة تمسكنا بقوله تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُرْبٍ﴾.

अक्वीद 2

उन को मुख्तलिफ़ ख़िदमतें सिपुर्द हैं, बाज़ के ज़िम्मे हज़रते अम्बियाए किराम की ख़िदमत में वही लाना, किसी के मुतअल्लिक़ पानी बरसाना, किसी के मुतअल्लिक़ हवा चलाना⁽¹⁾, किसी के मुतअल्लिक़ रोज़ी पहुंचाना⁽²⁾, किसी के ज़िम्मे मां के पेट में बच्चे की सूत बनाना⁽³⁾, किसी के मुतअल्लिक़ बदने इन्सान के

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٤﴾ النحل: ५०، فقولہ: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ يتناول جميع فعل المأمورات وترك المنهيات، لأنّ المنهي عن الشيء مأمور بتركه، فإن قيل: ما الدليل على أنّ قوله: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ يفيد العموم، قلنا: لأنّه لا شيء من المأمورات إلّا ويصح الاستثناء منه والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل على ما بيّناه في أصول الفقه، والثاني: قوله تعالى: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿١٧﴾ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ يَتَمَرَّضُونَ ﴿٢٦﴾﴾. ١٧، الأنبياء: ٢٦-٢٧. فهذا صريح في براءتهم عن المعاصي وكونهم متوقفين في كل الأمور إلّا بمقتضى الأمر والوحي). ملقطاً

وفي ”الحديقة الندية“، ج ١، ص ٢٩٠: (الملائكة (الذين هم عباد) لله تعالى من حيث أنّهم مخلوقون، (مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره) سبحانه (يعملون)، لا يعملون قط ما لم يأمرهم به، (لا يوصفون) أي: الملائكة عليهم السلام (بمعصية) صغيرة ولا كبيرة؛ لأنّهم كالأنبيا معصومون)، ملقطاً.

①..... ﴿قَالَتِ يٰرَبِّ اٰمُرْهُ﴾. پ ٣٠، التّزعت: ٥.

وفي ”تفسير البغوي“، ج ٤، ص ٤١١، تحت الآية ٥: ﴿قَالَتِ يٰرَبِّ اٰمُرْهُ﴾ قال ابن عباس: هم الملائكة وکلوا بأمر عرّفهم الله عزّوجلّ العمل بها. قال عبد الرحمن بن سابط: يدبر الأمر في الدنيا أربعة جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل عليهم السلام، أمّا جبريل فموكّل بالوحي والبطش وهزم الجيوش، وأمّا ميكائيل فموكّل بالمطر والنبات والأرزاق، وأمّا ملك الموت فموكّل بقبض الأنفس، وأمّا إسرافيل فهو صاحب الصور، ولا ينزل إلّا للأمر العظيم).

والبيهقي في ”شعب الإيمان“، الحديث: ١٥٨، ج ١، ص ١٧٧.

وفي ”التفسير الكبير“، ج ١١، ص ٢٩، تحت الآية ٥: ﴿فأجمعوا على أنّهم هم الملائكة: قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام يدبرون أمر الله تعالى في أهل الأرض، وهم المقسمات أمرا، أمّا جبريل فموكّل بالرياح والجنود، وأمّا ميكائيل فموكّل بالقطر والنبات، وأمّا ملك الموت فموكّل بقبض الأنفس، وأمّا إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم، وقوم منهم موكّلون بحفظ بني آدم، وقوم آخرون بكتابة أعمالهم، وقوم آخرون بالخسف والمسح والرياح والسحاب والأمطار).

②..... عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ لله تعالى ملائكة موكّلين بأرزاق بني آدم)). ”كنز العمال“، ج ٤، ص ١٣، الحديث: ٩٣١٧.

③..... عن حذيفة بن أسيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مرّ بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة، بعث الله إليها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها... إلخ)). ”صحيح مسلم“، كتاب القدر، باب كيفية

الخلق آدمي... إلخ، الحديث: ٢٦٤٥، ص ١٤٢٢.

अन्दर तसरुफ़ करना⁽¹⁾, किसी के मुतअल्लिक़ इन्सान की दुश्मनों से हिफ़ाज़त करना, किसी के मुतअल्लिक़ ज़ाकिरीन का मज्मअ तलाश कर के उस में हाज़िर होना⁽²⁾, किसी के मुतअल्लिक़ इन्सान के नामए आमाल लिखना⁽³⁾, बहुतों का दरबारे रिसालत में हाज़िर होना⁽⁴⁾, किसी के मुतअल्लिक़ सरकार में मुसलमानों की सलातो सलाम पहुँचाना⁽⁵⁾,.....

①..... انظر للتفصيل "الفتاوى الرضوية"، ج ٣٠، ص ٦٢٠-٦٢١.

②..... عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضِّلَا يَتَغَوْنَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ... إلخ)).

“صحيح مسلم”، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل مجالس الذكر، الحديث: ٢٦٨٩، ص ١٤٤٤.

③..... في “تفسير الطبري”، ج ٢٦، ق، ج ١١، ص ٤١٦، تحت الآية: ١٧: عن منصور، عن مجاهد ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَآمِنِينَ﴾
عن أبي بن كعب، قال: ملك عن يمينه، وآخر عن يساره، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير، وأما الذي عن شماله فيكتب الشر. عن منصور، عن مجاهد، قال: (مع كل إنسان ملكان: ملك عن يمينه، وملك عن يساره، قال: فأما الذي عن يمينه، فيكتب الخير، وأما الذي عن يساره فيكتب الشر).

④..... في “تفسير ابن كثير”، ج ٢٢، الأحزاب، ج ٦، ص ٤٢٣، تحت الآية: ٥٦: عن نُبَيْه بن وهب، أنَّ كعباً دخل على عائشة، رضي الله عنها، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب: (ما من فجر يطلع إلّا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفون بالقبر يضربون بأجنتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، سبعون ألفاً بالليل، وسبعون ألفاً بالنهار، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه).

⑤..... عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ بَقِيرٍ مَلَكَ أَعْطَاهُ أَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ، فَلَا يَصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، هَذَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ)). “مجمع الزوائد”، كتاب الأدعية، باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وغيره، الحديث: ١٧٢٩١، ج ١٠، ص ٢٥١.

وفي رواية: عن يزيد الرقاشي: (إِنَّ مَلَكَ مُوَكَّلَ بِنِ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْلُغَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَلَانًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْكَ).

وفي رواية: عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يَبْلُغُونِي عَنْ أُمَّتِي (السلام)). “المصنف” لابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب في ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٥-١١، ج ٢، ص ٣٩٩.

बाजों के मुतअल्लिक मुर्दों से सुवाल करना⁽¹⁾, किसी के ज़िम्मे कब्जे रूह करना⁽²⁾, बाजों के ज़िम्मे अज़ाब करना⁽³⁾, किसी के मुतअल्लिक सूर फूंकना⁽⁴⁾, और इन के इलावा और बहुत से काम हैं जो मलाएका अन्जाम देते हैं।

अक्बिदा 3 - फ़रिश्ते न मर्द हैं, न औरत।⁽⁵⁾

अक्बिदा 4 - उन को क़दीम मानना या ख़ालिक जानना कुफ़्र है।

①..... عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله... إلخ)). "صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، الحديث: ١٣٣٨، ج ١، ص ٤٥٠.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قبر الميت - أو قال: أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله... إلخ)).

"سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ١٠٧٣، ج ٢، ص ٣٣٧.

②..... ﴿قُلْ يَتُوبُ غُفْرَتُكَ الْمَوْتِ الَّذِي دُخِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝﴾ پ ٢١، السجدة: ١١.

في "تفسير الخازن"، تحت الآية: ﴿قُلْ يَتُوبُ غُفْرَتُكَ﴾ أي: يقبض أرواحكم حتى لا يبقى أحد ممن كتب عليه الموت ﴿مَلِكُ الْمَوْتِ﴾ وهو عزرائيل عليه السلام ﴿الَّذِي دُخِلَ بِكُمْ﴾ أي: أنه لا يغفل عنكم وإذا جاء أجل أحدكم لا يؤخر ساعة، ولا شغل له إلا ذلك). ج ٣، ص ٤٧٦.

③..... وأخرج أبو الشيخ عن ابن سابط قال: ... فوكل جبريل بالكتاب أن ينزل به إلى الرسل، ووكل جبريل أيضا بالهلكات إذا أراد الله أن يهلك قوماً). "الحبائك في أخبار الملائكة" للسيوطي، ص ٣.

④..... عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إسرافيل صاحب الصور)).

"الحبائك في أخبار الملائكة" للسيوطي، ص ٧.

⑤..... "منح الروض الأزهر"، ص ١٢: ("وملائكته" منزّهون عن صفة الذكورية ونعت الأنوثة).

و"شرح العقائد النسفية"، مبحث الملائكة عباد الله... إلخ، ص ١٤٢.

وفي "شرح المقاصد"، المبحث السابع الملائكة، ج ٣، ص ٣١٨.

अक्विदा 5

उन की तादाद वोही जाने जिस ने उन को पैदा किया⁽¹⁾ और उस के बताए से उस का रसूल । चार फ़रिश्ते बहुत मशहूर हैं : जिब्रील व मीकाईल व इसराफ़ील व इज़राईल عَلَيْهِمُ السَّلَام और येह सब मलाएका पर फ़ज़ीलत रखते हैं ।⁽²⁾

1..... ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ प २९, المدثر: ३१.

في "تفسير جلالين"، ص ४८१، تحت الآية: ३१: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ﴾ الملائكة في قوتهم وأعوانهم). وفي "تفسير البغوي"، المدثر، ج ४، ص ३८५، تحت الآية: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾، قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر؟ قال عطاء: وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار، لا يعلم عدتهم إلا الله، والمعنى أن تسعة عشر هم حزنة النار، ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم إلا الله عز وجل).

وفي "التفسير الكبير"، المدثر، تحت الآية: ३१، ج १०، ص ७१३: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ فهب أن هؤلاء تسعة عشر إلا أن لكل واحد منهم من الأعوان والجنود ما لا يعلم عددهم إلا الله، وثانيها: وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو فلا يعز عليه تميم الخزنة عشرين ولكن له في هذا العدد حكمة لا يعلمها الخلق وهو جل جلاله يعلمها).

2..... في "التفسير الكبير"، البقرة: تحت الآية: ३०، ج १، ص ३८६: (أكابر الملائكة فمنهم جبرئيل وميكائيل صلوات الله عليهما لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾)..... ومن جملة أكابر الملائكة إسرئيل وعزرائيل صلوات الله عليهما، وقد ثبت وجودهما بالأخبار وثبت بالخبر أن عزرائيل هو ملك الموت على ما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَكُمْ﴾..... وأما إسرئيل عليه السلام فقد دلت الأخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُوعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾.....، ملقطاً.

وفي "تكميل الإيمان"، ص ६२: (واذ جملة فرشتگان چهار فرشته مقرب تراند که عظامر امور عالم و دایم مهمام ملک ملکوت بایشان مفوض است يك جبرائيل..... وميكائيل..... واسرافيل..... وعزرائيل)، ملقطاً.

यानी : तमाम फ़रिश्तों में चार फ़रिश्ते मुक़र्रब तर हैं जिन को आलम के बड़े बड़े उमूर और मलको मलकूत के अज़ीम काम सिपुर्द हैं, उन में से एक जिब्रील हैं दूसरे मीकाईल, तीसरे इसराफ़ील और चौथे इज़राईल हैं ।

अक्बिदा 6

किसी फ़रिश्ते के साथ अदना गुस्ताखी कुफ़्र है⁽¹⁾, जाहिल लोग अपने किसी दुश्मन या मबगूज़⁽²⁾ को देख कर कहते हैं कि मलकुल मौत या इज़राईल आ गया, यह करीब ब कलिमए कुफ़्र है।⁽³⁾

अक्बिदा 7

फ़रिश्तों के वुजूद का इन्कार⁽⁴⁾, या येह कहना कि फ़रिश्ता नेकी की कुव्वत को कहते हैं और इस के सिवा कुछ नहीं, येह दोनों बातें कुफ़्र हैं।

① (من شتم ملكاً أو أبغضه فإنه يصير كافراً كما في الأنبياء، ومن ذكر الأنبياء أو ملكاً بالحقارة فإنه يصير كافراً).

”تمهيد“ لأبي شكور سالمی، ص ۱۲۲.

وفي ”الفتاوى الهندية“، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج ۲، ص ۲۶۶: (رجل عاب ملكاً من الملائكة كفر).

② काबिले नफ़रत।

③ (ويكفر بقوله لغيره: رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت عند البعض خلافاً للأكثر، وقيل به إن قاله لعداوته، لا لكرهه الموت).

”البحر الرائق“، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج ۵، ص ۲۰۵، ملقطاً.

وفي مجمع الأنهر“، كتاب السير والجهاد، ج ۲، ص ۵۰۷: (قال: لقاءك عليّ كلقاء ملك الموت إن قاله لكرهه الموت لا يكفر، وإن قاله إهانة لملك الموت يكفر، ويكفر بتعيينه ملكاً من الملائكة أو بالاستخفاف به).

وفي ”الفتاوى الهندية“، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج ۲، ص ۲۶۶: (إذا قال لغيره: رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت، فهذا خطأ عظيم، وهل يكفر هذا القائل؟ فيه اختلاف المشايخ، بعضهم قالوا: يكفر وأكثرهم على أنه لا يكفر، كذا في

”المحيط“، وفي ”الحانية“: وقال بعضهم: إن قال ذلك لعداوة ملك الموت يصير كافراً، وإن قال لكرهه الموت لا يصير كافراً، ولو قال: رؤي فلان دشمن ميدادمر چون رؤي ملك الموت، (أي: أكره رؤية فلان مثل رؤية ملك الموت) أكثر

المشايخ على أنه يكفر).

④ في ”شرح الشفاء“ للقارئ، في حكم من سب الله تعالى وملائكته إلى آخره، ج ۲، ص ۵۲۲: (”وكذلك من أنكر شيئاً مما نصّ فيه القرآن“ به كوجود الملائكة ومجيء القيامة).

जिन्न का बयान

अक्वीदा 1 — यह आग से पैदा किये गए हैं⁽¹⁾ इन में भी बाज़ को येह ताक़त दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं⁽²⁾, इन की उम्रें बहुत तवील होती हैं⁽³⁾, इन के शरीरों को शैतान कहते हैं⁽⁴⁾, येह सब इन्सान की तरह जी अक्ल और अरवाह व अज्जसाम वाले हैं⁽⁵⁾, इन में तवालुदो तनासुल होता है⁽⁶⁾। खाते, पीते, जीते, मरते हैं⁽⁷⁾।

1..... ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ﴾ प १६، الحجر: २७.

في "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" للنسفي، تحت هذه الآية، ص ५८०: ﴿وَالْجَانَّ﴾ أبا الجن كآدم للناس أو هو إبليس وهو منصوب بفعل مضمر يفسره ﴿خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل آدم ﴿مِنْ نَارِ السُّمُورِ﴾ من نار الحر الشديد النافذ في المسام قيل: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من سموم النار التي خلق الله منها الجن).

("مدارك التنزيل وحقائق التأويل" للنسفي، ص ५८०).

2..... "شرح المقاصد"، المبحث الثالث، ج २، ص ५००: (والجن أجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة).

3..... انظر "الحياة الحيوان الكبرى"، ج १، ص २९८.

و "صفة الصفوة" لابن الجوزي، ج २، الجزء الرابع، ص ३५७-३५८.

4..... في "التفسير الكبير"، ج १، ص ८५: (الجن منهم أخیار ومنهم أشرار والشیاطین اسم لأشرار الجن).

5..... في "التفسير الكبير"، ج १، ص ७९: (أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، ولها عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة).

6..... इन के यहां औलाद पैदा होती और नस्ल चलती है।

7..... في "الفتاوى الحديثية"، ص ९०: (اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينجسون، وأما الجن فإنهم يأكلون ويشربون وينجسون ويتوالدون).

في "التفسير الكبير": (الجن والشیاطین فیإنهم يأكلون ويشربون، قال عليه السلام في الروث والعظم: ((إنه زاد إخوانكم من الجن)) وأيضاً فإنهم يتوالدون قال تعالى: ﴿أَفَسَخِّنُوهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ ، الكهف: ५०.

("التفسير الكبير"، ج १، ص ८५).

अक्वीदा 2

इन में मुसलमान भी हैं और काफ़िर भी⁽¹⁾, मगर इन के कुफ़र इन्सान की ब निस्बत बहुत ज़ियादा हैं, और इन में के मुसलमान नेक भी हैं और फ़ासिक भी, सुन्नी भी हैं, बद मज़हब भी⁽²⁾, और इन में फ़ासिकों की तादाद ब निस्बत इन्सान के ज़ाद है।

अक्वीदा 3

इन के वुजूद का इन्कार या बदी की कुव्वत का नाम जिन्न या शैतान रखना कुफ़र है।⁽³⁾

①..... ﴿وَأَنَّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَمِنَٰدُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرِيقَ ٓ قَدَآٓءٍ﴾ ﴿١﴾ प २९, الجن: ११.

وفي "تفسير الجلالين"، ص ४७६، تحت الآية: ﴿كُنَّا طَرِيقَ ٓ قَدَآٓءٍ﴾ فرقا مختلفين مسلمين وكافرين).

②..... وفي "الجامع لأحكام القرآن"، تحت الآية: ﴿كُنَّا طَرِيقَ ٓ قَدَآٓءٍ﴾ والمعنى: أي: لم يكن كلّ الجن كفاراً بل كانوا مختلفين: منهم كفار، ومنهم مؤمنون صلحاء، ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال السدي في قوله تعالى: ﴿طَرِيقَ ٓ قَدَآٓءٍ﴾ قال: في الجن مثلكم قدرية ومرجئة وخوارج، وروافضة، وشيعية وسنية)، ملتقطاً.

("الجامع لأحكام القرآن"، ج १०، ص १२).

وفي "تفسير روح البيان": (قالوا في الجن قدرية ومرجئة وخوارج وروافض وشيعية وسنية).

("تفسير روح البيان"، ج १०، ص १९६).

③..... في "الفتاوى الحديثية"، ص १६७: (وأما الجان فأهل السنة يؤمنون بوجودهم، وإنكار المعتزلة لوجودهم، فيه مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، بل ألزموا به كفراً؛ لأنّ فيه تكذيب النصوص القطعية بوجودهم، ومن ثم قال بعض المالكية: الصواب كفر من أنكر وجودهم؛ لأنّه جحد نص القرآن والسنن المتواترة والإجماع الضروري وهم مكلفون قطعاً).

आलमे बरजख का बयान

दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिस को बरजख कहते हैं⁽¹⁾, मरने के बाद और कियामत से पहले तमाम इन्सो जिन को हस्बे मरातिब इस में रहना होता है⁽²⁾, और यह आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया के साथ बरजख को वोही निस्बत है जो मां के पेट के साथ दुनिया को⁽³⁾, बरजख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़।⁽⁴⁾

अक्बिदा 1

हर शख्स की जितनी ज़िन्दगी मुक़रर है उस में न ज़ियादती हो सकती है न कमी⁽⁵⁾, जब ज़िन्दगी का वक़्त पूरा हो जाता है, उस वक़्त हज़रते इज़राईल عَلَيْهِ السَّلَام कब्जे रूह के लिये आते हैं⁽⁶⁾ और उस शख्स के दहने बाएं जहां तक निगाह काम करती है फ़रिश्ते

1..... ﴿وَمِنْ ذَرَأِهِمْ بَدَرُ خَمٍ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ ॥ प १८, المؤمنون: १००.

في "تفسير الطبري"، ج ९، ص २६६، تحت الآية: (أخبرنا غبيد قال: سمعت الضحاك يقول: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة).
في "الحامع لأحكام القرآن" للقرطبي، ج ६، ص ११३، تحت الآية: (والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل في البرزخ).

2..... في "الفتوحات المكية"، الباب الثالث والستون في معرفة بقاء الناس... إلخ، ج १، ص ६८६: (وكلّ إنسان في البرزخ مرهون بكسبه محبوس في صور أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة من تلك الصور في النشأة الآخرة واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل). و "ملفوظات"، حصه ४، ص १००.

3..... आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرमाते हैं: "दुनिया को बरजख़ से वोही निस्बत है जो रेहमे मादर को दुनिया से, फिर बरजख़ को आखिरत से येही निस्बत है जो दुनिया को बरजख़ से।" ७०७. ج ९، ص ७०७. "الفتاوى الرضوية"، ج ९، ص ७०७.

4..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)).

"سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة، باب حديث: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الحديث: २६६८، ج ४، ص २०९.

5..... ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ॥ پ ۲۸، المنافقون: ۱۱.

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ॥ پ ۱۴، النحل: ۶۱.

في "تفسير الخازن"، ج ३، ص ۱۲۸، تحت هذه الآية: (يعني: لا يؤخرون ساعة عن الأجل الذي جعله الله لهم ولا

ينقصون عنه). وفي مقام آخر، پ ۱۳، الرعد، ج ۳، ص ۷۰: (قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ॥، فدلّ ذلك على أنّ الآجال لا تزيد ولا تنقص).

6..... ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَهُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُكَلِّمُكُمْ فِيكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ ॥ پ ۲۱، السجدة: ۱۱.

दिखाई देते हैं, मुसलमान के आस पास रहमत के फ़रिश्ते होते हैं और काफ़िर के दहने बाएं अज़ाब के।⁽¹⁾ उस वक़्त हर शख्स पर इस्लाम की हक्कानिय्यत आप़ताब से ज़ियादा रोशन हो जाती है, मगर उस वक़्त का ईमान मोतबर नहीं, इस लिये कि हुक्म

= في "تفسير البغوي"، ج ٣، ص ٤٣٠، تحت الآية: ﴿قُلْ يَبْتَغِيكُمْ﴾ يقبض أرواحكم ﴿مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُكَلِّمُكُمْ﴾، أي: وكل يقبض أرواحكم وهو عزرائيل).

①..... عن البراء بن عازب قال [وفيه] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ! أَخْرِجِي إِلَى مَغْفَرَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلٌ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السَّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذَهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرِجُ مِنْهَا كَأَطِيبٍ نَفْحَةً مَسْكٍ وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ: فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مِلٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يَسْمُونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهَوْا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيَفْتَحُ لَهُمْ فَيُشِيعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيْنِ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَلْيَنْتَهِ مِنْهَا خَلْقَتَهُمْ وَفِيهَا أُعِيدَهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، قَالَ: فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانُ فَيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ، فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَّقَ عَبْدِي فَاغْرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطِيْبُهَا وَيَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَ بَصَرِهِ قَالَ: وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبَشِّرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تَوَعَّدُ فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ فَوْجَهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ: رَبُّ أَقْمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي، قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سَوْدُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمَسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ! أَخْرِجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ، قَالَ فَتَفْرُقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يَنْتَزِعُ السَّفُودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمَسُوحِ وَيَخْرِجُ مِنْهَا كَأَنَّ رِيحَ جَيْفَةٍ وَجَدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مِلٍّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُ يَسْمَى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُ لَهُ فَلَا يَفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(1) ईमान बिलगैब का है और अब गैब न रहा, बल्कि येह चीजें मुशाहद हो गईं।

अक्वीदा 2

मरने के बाद भी रूह का तअल्लुक बदने इन्सान के साथ बाकी रहता है, अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई, मगर बदन पर जो गुज़रेगी रूह ज़रूर उस से आगाह व मुतअस्सिर होगी, जिस तरह हयाते दुन्या में होती है, बल्कि उस से जाइद। दुन्या में ठन्डा पानी, सर्द हवा, नर्म फ़र्श, लज़ीज़ खाना, सब बातें जिस्म पर वारिद होती हैं, मगर राहतो लज़ज़त रूह को पहुंचती है और इन के अक्स भी जिस्म ही पर वारिद होते हैं और कुल्फ़त व अज़िय्यत रूह पाती है, और रूह के लिये खास अपनी राहतो अलम के अलग अस्बाब हैं, जिन से सुख या ग़म पैदा होता है, बि ऐनिही (2) येही सब हालतें बरज़ख में हैं। (3)

﴿لَا تُقَاتِلُهُمْ أَبْوَابُ السَّاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِسَ الْجَبَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾, فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فطرح روحه طرحاً ثم قرأ: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّاءِ فَتَخَفَّطَهُ الظُّبُرُ وَتَهْوَى بِهِ الرِّيمُ فِي مَكَانٍ سَجِيئٍ﴾, فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاهاه لا أدري فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاهاه لا أدري فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاهاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلّاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي، يسوء لك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول: أنا عمك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة)). "المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٨٥٥٩، ج ٦، ص ٤١٣-٤١٤.

1..... ﴿فَلْيَسْأَرُوا إِذَا بَسَأْنَا بِاللّهِ وَحَدَّثْنَا كُنُيَاهُمْ مُسْرِكِينَ﴾ ٥٠ ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ رَبَّنَا أَن يَدْعُوا بِأَسْمَاءِ سُلَّتِ اللّٰهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِنَا﴾ ٥١ ﴿وَحَسْرَتُهُمْ لِكُفْرِهِمْ﴾ ٥٢. پ ٢٤، المؤمن: ٨٤-٨٥.

في "تفسير الطبري"، ج ١١، ص ٨٣، تحت الآية: (يقول تعالى ذكره: فلم يك ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند معاينة عقابه قد نزل، وعذابه قد حل؛ لأنهم صدقوا حين لا ينفع التصديق مصدقاً، إذ كان قد مضى حكم الله في السابق من علمه، أن من تاب بعد نزول العذاب من الله على تكذيبه لم تنفعه توبته).

2..... بिल्कुल।

3..... في "منح الروض الأزهر"، ص ١٠٠-١٠١: ("وإعادة الروح" أي: ردها أو تعلقها "إلى العبد" أي: جسده بجميع أجزائه أو بعضها مجمعة أو متفرقة "في قبره حق"، والواو لمجرد الجمعية فلا ينافي أن السؤال بعد إعادة الروح وكمال الحال)، واعلم: أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ، ملتقطاً.

है। जो कोई क़ब्र पर आए उसे देखते, पहचानते, उस की बात सुनते हैं⁽¹⁾, बल्कि रूह का देखना कुर्बे क़ब्र ही से मख़सूस नहीं, इस की मिसाल हदीस में येह फ़रमाई है कि “एक त़ाइर पहले क़फ़स⁽²⁾ में बन्द था और अब आज़ाद कर दिया गया।”⁽³⁾ अइम्माए किराम फ़रमाते हैं :

”إِنَّ النُّفُوسَ الْقُدْسِيَّةَ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ اتَّصَلَتْ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى وَتَرَى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ

كَالْمُشَاهِدِ.”⁽⁴⁾

“बेशक पाक जानें जब बदन के अ़लाकों से जुदा होती हैं, आलमे बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहां हाज़िर हैं।”

= وفي “شرح الصدور”، ص ٢٤٩: قال الحافظ ابن رجب في أحوال القبور في ذكر محل الموتى في البرزخ: أما الأنبياء عليهم السلام فلا شك أنّ أرواحهم عند الله في أعلى عليين، وقد ثبت في الصحيح أنّ آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته أنّه قال: ((اللهم الرفيق الأعلى)). “الفتاوى الرضوية”، ج ٩، ص ٦٥٨.

① في “الفتاوى الحديثية”، مطلب: أرواح الأنبياء في أعلى عليين وأرواح الشهداء إلخ، ص ١٤-١٥: (عن مجاهد أنّها تكون على القبور سبعة أيام من يوم دفن لاتفارقه أي: ثم تفارقه بعد ذلك، ولا ينافيه سنية السلام على القبور لأنّه لا يدل على استقرار الأرواح على أفنيئتها دائماً لأنّه يسلم على قبور الأنبياء والشهداء وأرواحهم في أعلى عليين ولكن لها مع ذلك اتصال سريع بالبدن لا يعلم كنهه إلاّ الله تعالى. وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك ((بلغني أنّ الأرواح مرسلّة تذهب حيث شاءت)) وحديث: ((ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلاّ عرفه وردّ عليه السلام)).

وفي “شرح الصدور”، ص ٢٤٤: (أرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الكفار في سجين، ولكل روح بحسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحياة الدنيا بل أشبه شيء به حال النائم، وإن كان هو أشد من حال النائم اتصالاً).

② यानी एक परिन्दा पहले पिंजरे ।

③ عن عبد الله بن عمرو قال: (إنّ الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، وإنّما مثل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في سجن، فأخرج منه فجعل يتقلب في الأرض، ويتفصح فيها).

”كتاب الزهد“، لابن المبارك، باب في طلب الحلال، الحديث: ٥٩٧، ص ٢١١،

و”شرح الصدور“، باب فضل الموت، ص ١٣.

④ ”فيض القدير“ شرح ”الجامع الصغير“، حرف الصاد، تحت الحديث: ٥٠١٦، ج ٤، ص ٢٦٣. بألفاظ متقاربة.

हदीस में फ़रमाया :

((إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ يُخْلَى سِرِّيهِ يَسْرُحُ حَيْثُ شَاءَ.)) (1)

“जब मुसलमान मरता है उस की राह खोल दी जाती है, जहां चाहे जाए।”

शाह अब्दुल अज़ीज़ साहिब लिखते हैं⁽²⁾ : (3) “روح را قرب و بعد مکانی یکساں است۔”

काफ़ि़रों की ख़बीस रूहें बाज़ की उन के मरघट⁽⁴⁾, या क़ब्र पर रहती हैं, बाज़ की चाहे बरहूत में कि यमन में एक नाला है⁽⁵⁾, बाज़ की पहली, दूसरी, सातवीं ज़मीन तक⁽⁶⁾, बाज़ की उस के भी नीचे सिज्जीन⁽⁷⁾ में⁽⁸⁾, और वोह कहीं भी हो, जो उस की क़ब्र या मरघट पर गुज़रे उसे देखते, पहचानते, बात सुनते हैं, मगर कहीं जाने आने का इख़्तियार नहीं, कि कैद हैं।

अव्वीदा 4 • येह ख़याल कि वोह रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख़्वाह वोह आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का जिस को तनासुख़ और आवा गवन कहते हैं, महज़ बातिल और इस का मानना कुफ़्र है।⁽⁹⁾

1..... “شرح الصدور”، باب فضل الموت، ص ۱۳.

و “المصنف” لابن أبي شيبة، كتاب الزهد، كلام عبد الله بن عمرو، الحديث : ۱۰، ج ۸، ص ۱۸۹.

2..... “فتاوا رज़विय्या”، जि. 29, स. 545, ब हवालए “فتावा अज़ीज़िया” ।

3..... यानी रूह के लिये कोई जगह दूर या नज़्दीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है ।

4..... हिन्दुओं के मुर्दे जलाने की जगह ।

5..... عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إن أرواح الكفار تجمع ببرهوت سبخة بحضرموت، وأرواح المؤمنين بالحابية، برهوت باليمن، والحابية بالشام)).

وفي رواية: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((خير وادي الناس وادي مكة وشر وادي الناس وادي الأحقاف واد بحضرموت يقال له: برهوت فيه أرواح الكفار)). “شرح الصدور”، ص ۲۳۶-۲۳۷.

6..... عن ابن عمرو قال: ((أرواح الكافرين في الأرض السابعة)). “شرح الصدور”، ص ۲۳۴.

7..... जहन्नम की एक वादी का नाम ।

8..... عن ضمرة بن حبيب مرسلًا قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح الكفار؟ قال: ((محبوسة في سجين)). “شرح الصدور”، ص ۲۳۲.

9..... وفي “النبراس”، باب البعث حق، ص ۲۱۳: (التناسخ هو انتقال الروح من جسم إلى جسم آخر وقد اتفق الفلاسفة وأهل السنة على بطلانه، وقال بحقيقته قوم من الضلال، فزعم بعضهم أن كل روح ينتقل في مائة ألف وأربعة وثمانين

अक्वीदा 5 मौत के माना रूह का जिस्म से जुदा हो जाना हैं, न येह कि रूह मर जाती हो, जो रूह को फना माने, बद मज़हब है।⁽¹⁾

अक्वीदा 6 मुर्दा कलाम भी करता है और उस के कलाम को अ़वाम, जिन्न और इन्सान के सिवा और तमाम हैवानात वगैरा सुनते भी हैं।⁽²⁾

من الأبدان، وجوّز بعضهم تعلقه بأبدان البهائم بل الأشجار والأحجار على حسب جزاء الأعمال السيئة، وقد حكم أهل الحق بكفر القائلين بالتناسخ، والمحققون على أنّ التكفير لإنكارهم البعث).

وفي "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، باب التاسع في أحكام المرتدين، ج ٢، ص ٢٦٤: (ويجب إكفار الروافض في قولهم برجة الأموات إلى الدنيا وتناسخ الأرواح وانتقال روح الإله إلى الأئمة).

وفي "الحديقة الندية" شرح "الطريقة المحمدية"، ج ١، ص ٣٠٤-٣٠٥: (ويجب إكفار الروافض في قولهم برجع الأموات) بعد موتهم (إلى الدنيا) أيضا (و) قولهم (تناسخ الأرواح) أي: انتقالها من جسد إلى جسد على الأبد).

①..... في "شرح الصدور"، باب فضل الموت، ص ١٢: (قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقة وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار، وأخرج الطبراني في "الكبير"، والحاكم في "المستدرک" عن عمر بن عبد العزيز أنّه قال: (إنّما خلقتكم للأبد والبقاء، ولكنكم تنقلون من دار إلى دار)، ملتقطاً. وفي مقام آخر: باب مقر الأرواح، ص ٣٢٤: (ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم إلى: أنّ الروح تبقى بعد موت البدن، وخالف فيه الفلاسفة، دليلنا قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، والذائق لا بد أن يبقى بعد المذوق، وما تقدم في هذا الكتاب من الآيات والآحادیث في بقائها وتصرفها وتنعيمها وتعذيبها إلى غير ذلك).

و"الفتاوى الرضوية"، ج ٩، ص ٦٥٧، ٧٤٣-٧٤٤، ٨٤٣، ج ٩، ص ٢٩، ١٠٣.

②..... عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق)).

"صحيح البخاري"، كتاب الجنائز، باب كلام الميت على الجنازة، الحديث: ١٣٨٠، ج ١، ص ٤٦٥.

وفي "شرح الصدور"، باب معرفة الميت من يغسله، ص ٩٦: (وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من ميت يوضع على سريره فيخطي به ثلاث خطوات إلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلا الثقلين الإنس والجن، يقول: يا أخوتاه، يا حملة نعشاه لا تغرنكم الدنيا كما غرتني، ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي، خلفت ما تركت لورثي، والديان يوم القيامة يخاصمني ويحاسبنني، وأنتم تشيعوني وتدعوني)).

अक्वीदा 7

जब मुर्दे को क़ब्र में दफ़न करते हैं, उस वक़्त उस को क़ब्र दबाती है।

अगर वोह मुसलमान है तो उस का दबाना ऐसा होता है कि जैसे मां प्यार में अपने बच्चे को जोर से चिपटा लेती है⁽¹⁾, और अगर काफ़िर है तो उस को इस जोर से दबाती है कि इधर की पस्तियां उधर और उधर की इधर हो जाती हैं।⁽²⁾

①..... "في شرح الصدور"، ذكر تخفيف ضمة القبر على المؤمن، ص ٣٤٥: عن سعيد بن المسيب، أنّ عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يارسول الله إنّك منذ حدثتني بصوت منكرو نكير، وضغطة القبر ليس ينفعني شيء، قال: ((يا عائشة! إنّ صوت منكرو نكير في أسماع المؤمنين كالإثمد في العين، وضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها ابنها الصداغ، فتغمز رأسه غمزاً رقيقاً، ولكن يا عائشة ويل للشاكين في الله كيف يضغطون في قبورهم كضغطة الصخرة على البيضة)).

وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد التيمي قال: كان يقال إنّ ضمة القبر إنّما أصلها أنّها أمهم ومنها خلّقوا، فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلمّا رد إليها أولادها ضمتهم ضمّ الوالدة الشفيقة الذي غاب عنها ولدها، ثم قدم عليها، فمن كان لله مطيعاً ضمته برفق ورأفة، ومن كان لله عاصياً ضمته بعنف سحقاً منها عليه).

وفي "منح الروض الأزهر" للقاري، "ضغطة القبر وعذاب القبر، ص ١٠١: (وضغطة القبر) أي: تضيقه (حق) حتى للمؤمن الكامل لحديث: ((لو كان أحد نجا منها لنجا سعد بن معاذ الذي اهتر عرش الرحمن لموته)) وهي أخذ أرض القبر وضيقه أولاً عليه، ثم الله سبحانه يفسح ويوسع المكان مدّ نظره إليه، قيل: وضغطته بالنسبة إلى المؤمن على هيئة معانقة الأم الشفيقة إذا قدم عليها ولدها من السفرة العميقة).

(فائده) في "فيض القدير"، ج ٥، ص ٤٢٤، تحت الحديث: ٧٤٩٣: (قد أفاد الخبر أنّ ضغطة القبر لا ينجو منها أحد صالح ولا غيره لكن حصّ منه الأنبياء كما ذكره المؤلف في "الخصائص" وفي "تذكرة القرطبي": يستثنى فاطمة بنت أسد بركة النبي صلى الله عليه وسلم). وفي "النبراس"، ص ٢٠٩.

②..... عن أنس بن مالك قال: ((وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين))، وقال بعضهم: ((يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٢٢٧٣، ج ٤، ص ٢٥٣.

وفي رواية: ((وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر، قال له القبر: لا مرحباً ولا أهلاً، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إليّ فإذا وليتُك اليوم وصرت إليّ فسترى صنيعي بك، قال: فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في خوف بعض)).

"سنن الترمذي"، كتاب صفة القيامة، الحديث: ٢٤٦٨، ج ٤، ص ٢٠٨.

अक्वीदा 8

जब दफ़न करने वाले दफ़न कर के वहां से चलते हैं वोह उन के जूतों की आवाज़ सुनता है⁽¹⁾, उस वक़्त उस के पास दो फ़रिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं⁽²⁾, उन की शक्तें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं⁽³⁾, उन के बदन का रंग सियाह⁽⁴⁾, और आंखें सियाह और नीली⁽⁵⁾, और देग के बराबर और शोलाज़न हैं⁽⁶⁾, और उन के मुहीब⁽⁷⁾ बाल सर से पाउं तक⁽⁸⁾, और उन के दांत कई हाथ के⁽⁹⁾, जिन से ज़मीन चीरते हुए आएंगे⁽¹⁰⁾, उन में एक को मुन्कर, दूसरे को नकीर कहते हैं⁽¹¹⁾, मुर्दे को झंझोड़ते और झिड़क कर उठाते और निहायत सख़्ती के साथ करख़्त आवाज़ में सुवाल करते हैं।⁽¹²⁾

= وفي رواية: ((وإن كان منافقاً.... فيقال للأرض: التثمي عليه فتلثم عليه، فتختلف أضلاعه)). ملقطاً.

”سنن الترمذي“، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ١٠٧٣، ج ٢، ص ٣٣٨.

1..... عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ العبد إذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه، وإنّه ليسمع قرع نعالهم)). ”صحيح البخاري“، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ١٣٧٤، ج ١، ص ٤٦٣.

2..... ((ثم أتاك منكر ونكير.... يحفران الأرض بأنيابهما... إلخ)). ”شرح الصدور“، ص ١٢٢.

و”إثبات عذاب القبر“ للبيهقي، الحديث: ٨٦، ج ١، ص ٩٩.

3..... في ”إحياء العلوم“، ج ١، ص ١٢٧: (سوال منكر ونكير وهما شخصان مهيبان هائلان... إلخ).

4..... ((ثم أتاك منكر ونكير أسودان... إلخ)). ”شرح الصدور“، ص ١٢٢، و”إثبات عذاب القبر“ للبيهقي، الحديث: ٨٦، ج ١، ص ٩٩.

5..... ((أتاه ملكان أسودان أزرقان... إلخ)).

”سنن الترمذي“، باب ما جاء في عذاب القبر، ج ٢، ص ٣٣٧، الحديث: ١٠٧٣.

6..... ((أعينهما مثل قدور النحاس... إلخ)). ”المعجم الأوسط“ للطبراني، الحديث: ٤٦٢٩، ج ٣، ص ٢٩٢.

7..... खौफनाक

8..... ((يجران أشعارهما)). ”شرح الصدور“، ص ١٢٢، و”إثبات عذاب القبر“ للبيهقي، الحديث: ٨٦، ج ١، ص ٩٩.

وفي رواية: الحديث: ٨٥، ص ٩٨: ((قد سدلا شعورهما)).

9..... ((وأنيابهما مثل صياصي البقر)). ”المعجم الأوسط“ للطبراني، الحديث: ٤٦٢٩، ج ٣، ص ٢٩٢.

10..... ((يحثان الأرض بأنيابهما... إلخ)). ”شرح الصدور“، ص ١٢٧.

11..... ((يقال لأحدهما: المنكر والآخر النكير)). ”سنن الترمذي“، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ١٠٧٣، ج ٢، ص ٣٣٧.

12..... ((فأجلساك فزعا فتلتلاك وتوهلاك)). ”شرح الصدور“، ص ١٢٢.

و”إثبات عذاب القبر“ للبيهقي، الحديث: ٨٦، ج ١، ص ٩٩.

पहला सुवाल : ((مَنْ رَبُّكَ؟))

“तेरा रब कौन है ?”

दूसरा सुवाल : ((مَا دِينُكَ؟))

“तेरा दीन क्या है ?”

तीसरा सुवाल : ((مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟))

“इन के बारे में तू क्या कहता था ?”

मुर्दा मुसलमान है तो पहले सुवाल का जवाब देगा :

((رَبِّيَ اللَّهُ.))

“मेरा रब अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) है ।”

और दूसरे का जवाब देगा :

((دِينِيَ الْإِسْلَامُ.))

“मेरा दीन इस्लाम है ।”

तीसरे सुवाल का जवाब देगा :

((هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.))

“वोह तो रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ हैं ।”

वोह कहेंगे, तुझे किस ने बताया ? कहेगा : मैं ने अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की ।⁽¹⁾ बाज़ रिवायतों में आया है कि सुवाल का

1..... ((ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت)). “سنن أبي داود”، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر... إلخ، الحديث: ٤٧٥٣، ج ٤، ص ٢٦٦. وفي رواية: ((أتاه ملكان فيقعدان فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله)). “صحيح البخاري”، كتاب الجنائز، باب ماجاء في عذاب القبر، الحديث: ١٣٧٤، ج ١، ص ٤٦٣.

जवाब पा कर कहेंगे कि हमें तो मालूम था कि तू येही कहेगा⁽¹⁾, उस वक्त आस्मान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बन्दे ने सच कहा, इस के लिये जन्नत का बिछोना बिछाओ, और जन्नत का लिबास पहनाओ और इस के लिये जन्नत की तरफ़ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उस के पास आती रहेगी और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक उस की क़ब्र कुशादा कर दी जाएगी⁽²⁾ और उस से कहा जाएगा कि तू सो जैसे दूल्हा सोता है।⁽³⁾ येह ख़वास के लिये उमूमन है और अ़वाम में उन के लिये जिन को वोह चाहे, वरना वुस्अते क़ब्र हस्बे मरातिब मुख़्तलिफ़ है⁽⁴⁾, बाज़ के लिये सत्तर सत्तर हाथ लम्बी चौड़ी⁽⁵⁾, बाज़ के लिये जितनी वोह चाहे ज़ियादा⁽⁶⁾, हत्ता कि जहां तक निगाह पहुंचे⁽⁷⁾,...

1 وفي رواية: ((فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنّك تقول هذا)).

2 ((فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مدّ بصره)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٨٥٥٩، ج ٦، ص ٤١٣-٤١٤.

3 ((فيقولان: نم كنومة العروس)).

"سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ١٠٧٣، ج ٢، ص ٣٣٧.

2 ((فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مدّ بصره)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٨٥٥٩، ج ٦، ص ٤١٣-٤١٤.

3 ((فيقولان: نم كنومة العروس)).

"سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ١٠٧٣، ج ٢، ص ٣٣٨.

وفي "النبراس"، ص ٢٠٨: ((فيقولان له: نم كنومة العروس" بفتح العين جديد العهد بالنكاح ويطلق على الزوج والزوجة).

4 ((فيوسع له في قبره، ويفرج له فيه)). "شرح الصدور"، ص ١٢٥.

و"المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٩١٤٥، ج ٩، ص ٢٣٣.

5 قال قتادة: ((وذكر لنا أنّه يفسح له في قبره سبعون ذراعاً)).

"صحيح مسلم"، كتاب الجنة... إلخ، باب عرض مقعد الميت... إلخ، الحديث: ٢٨٧٠، ص ١٥٣٥.

وفي رواية: ((ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين)).

"سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: ١٠٧٣، ج ٢، ص ٣٣٧-٣٣٨.

وفي "النبراس"، ص ٢٠٨: ((سبعون ذراعاً في سبعين" أي: طويلاً وعرضاً).

6 ((يفسح له في قبره ما شاء، فيرى مكانه من الجنة)).

"شرح الصدور"، ص ١٢٦، و"إثبات عذاب القبر" للبيهقي، الحديث: ١٩٨، ج ١، ص ٢٢٨.

7 ((فيوسع له في قبره مدّ بصره)). "شرح الصدور"، ص ١٢٦.

و"إثبات عذاب القبر" للبيهقي، الحديث: ٣٢، ج ١، ص ٣٩.

और उ़सात⁽¹⁾ में बाज़ पर अज़ाब भी होगा उन की मासियत के लाइक⁽²⁾, फिर उस के पीराने इज़ाम या मज़हब के इमाम या और औलियाए किराम की शफ़ाअत या महज़ रहमत से जब वोह चाहेगा, नजात पाएंगे⁽³⁾, और बाज़ ने कहा कि मोमिने आसी पर अज़ाबे क़ब्र शबे जुमुआ आने तक है, इस के आते ही उठा लिया जाएगा⁽⁴⁾, وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

हां ! येह हदीस से साबित है कि जो मुसलमान शबे जुमुआ या रोज़े जुमुआ या रमज़ाने मुबारक के किसी दिन रात में मरेगा, सुवाले नकीरैन व अज़ाबे क़ब्र से महफूज़ रहेगा।⁽⁵⁾ और येह जो इरशाद हुवा कि उस के लिये जन्नत की खिड़की खोल देंगे, येह यूं

1....आसी की जम्अ, यानी गुनहगारों, ना फ़रमानों ।

2..... في "شرح العقائد النسفية"، ص ९९: (عذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين ثابت)، ملخصاً وملقطاً.

3..... في "الميزان الكبرى"، ج १، ص ९ مقدمة الكتاب: (جميع الأئمة المجتهدين يشفعون في أتباعهم ويلاحظونهم في شدائدهم في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حتى يجاوز الصراط).

ومقام آخر، ج १، ص ५३: (قد ذكرنا في كتاب الأجوبة عن أئمة الفقهاء والصوفية كلّهم يشفعون في مقلديهم ويلاحظون أحدهم عند طلوع روحه وعند سؤال منكر ونكير له وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط، ولا يغفلون عنهم في موقف من المواقف). بحواله "الفتاوى الرضوية"، ج ९، ص ७६९.

4..... في "منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر"، ص १०२: (قال القنوي: إنّ المؤمن إن كان مطيعاً لا يكون له عذاب القبر ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه..... قال القنوي: وإن كان عاصياً يكون له عذاب القبر وضغطة القبر، لكن ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة...), ملخصاً وملقطاً. وانظر: "حاشية الطحطاوي على المراقي"، ص ५२४.

5..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وفي فتنة القبر)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ७०७०، ج २، ص ६८४.

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلّا وقاه الله فتنة القبر)). "سنن الترمذي"، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة، الحديث: १०७६، ج २، ص ३३९.

و"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ६०९३، ج २، ص ५७५.

وفي "حاشية الطحطاوي على المراقي"، ص ५२४: (وإن مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة ثم ينقطع عنه العذاب).

وفي "المعتقد المنتقد"، ص १८४: (والأصح أنّ الأنبياء لا يسألون، وقد ورد أنّ بعض صالحى الأمة كالشهيد والمرابط يومًا وليلة في سبيل الله يأمن فتنة القبر، فالأنبياء عليهم السلام أولى بذلك، وفي "المعتمد المستند": (والميت يوم الجمعة أو ليلتها أو في رمضان وغيرهم ممّن وردت لهم الأحاديث). "الفتاوى الرضوية"، ج ९، ص ६०९.

होगा कि पहले उस के बाएं हाथ की तरफ़ जहन्नम की खिड़की खोलेंगे, जिस की लपट और जलन और गर्म हवा और सख़्त बदबू आएगी और मअन⁽¹⁾ बन्द कर देंगे, इस के बाद दहनी तरफ़ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उस से कहा जाएगा कि अगर तू इन सुवालों के सही जवाब न देता तो तेरे वास्ते वोह थी और अब येह है, ताकि वोह अपने रब की नेमत की क़द्र जाने कि कैसी बलाए अज़ीम से बचा कर कैसी नेमते उज़्मा अता फ़रमाई। और मुनाफ़िक़ के लिये इस का अक्स होगा, पहले जन्नत की खिड़की खोलेंगे कि उस की खुशबू, ठण्डक, राहत, नेमत की झलक देखेगा और मअन बन्द कर देंगे और दोज़ख़ की खिड़की खोल देंगे, ताकि उस पर इस बलाए अज़ीम के साथ हस्रते अज़ीम भी हो⁽²⁾, कि हुज़ूरे अक्दस صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم को न मान कर, या उन की शाने रफ़ीअ में अदना गुस्ताख़ी कर के कैसी नेमत खोई और कैसी आफ़त पाई ! और अगर मुर्दा मुनाफ़िक़ है तो सब सुवालों के जवाब में येह कहेगा :

((هَاهُ هَاهُ لَا أُدْرِي..))

“अफ़सोस ! मुझे तो कुछ मालूम नहीं।”

((كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَأَقُولُ..))

“मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था।”

उस वक़्त एक पुकारने वाला आस्मान से पुकारेगा कि : येह झूटा है, इस के लिये आग का बिछोना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ़ एक दरवाज़ा खोल दो। उस की गर्मी और लपट उस को पहुंचेगी और उस पर अज़ाब देने के लिये दो

1....फ़ौरन।

2..... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... ((فيقال: افتحوا له بابا إلى النار، فيفتح له باب إلى النار، فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله عز وجل، فيزداد غبطة وسرورا، ويقال له: افتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له، فيقال: هذا منزلك وما أعد الله لك، فيزداد غبطة وسرورا... وأما الكافر... فيقال: افتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة، فيقال له: هذا كان منزلك وما أعد الله لك لو أنت أطعته، فيزداد حسرة وثبورا، ثم يقال له: افتحوا له بابا إلى النار، فيفتح له بابا إليها، فيقال له: هذا منزلك وما أعد الله لك، فيزداد حسرة وثبورا))، ملقطاً.

“المعجم الأوسط”، الحديث: ٢٦٣٠، ج ٢، ص ٩٢. و”شرح الصدور”، ص ١٣٣.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

फ़रिश्ते मुक़रर होंगे, जो अन्धे और बहरे होंगे, उन के साथ लोहे का गुर्ज़ होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए, उस हतोड़े से उस को मारते रहेंगे।⁽¹⁾ नीज़ सांप और बिच्छू उसे अज़ाब पहुंचाते रहेंगे⁽²⁾, नीज़ आमाल अपने मुनासिब शक़ल पर मुतशक्किल हो कर कुत्ता या भेड़िया या और शक़ल के बन कर उस को ईज़ा पहुंचाएं और नेकों के आमाले हसना मक्बूल व महबूब सूरत पर मुतशक्किल हो कर उन्स देंगे।

अक्वीदा 9

अज़ाबे क़ब्र हक़ है⁽³⁾,.....

1..... ((وإن كان منافقاً قال: لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئاً، فكنت أقوله... إلخ)).

”صحيح ابن حبان“، الحديث: ३१०७، ج ४، ص ४८.

وفي رواية: ((وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس يقولون قفلاً مثله، لا أدري... إلخ)).

”سنن الترمذي“، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: १०७३، ج २، ص ३३८.

وفي رواية: قال: ((وإن الكافر فذكر موته، قال: وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار قال: فيأتيه من حرها وسمومها... زاد في حديث جرير قال: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار تراباً قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير تراباً... إلخ))، ملقطاً.

”سنن أبي داود“، كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، الحديث: ४७०३، ج ४، ص ३१६.

2..... عن أبي هريرة: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((..... أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أتدرون ما المعيشة الضنكة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده أنه يسלט عليه تسعة وتسعون تيناً، أتدرون ما التين؟ سبعون حية لكل حية سبع رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة)).

”صحيح ابن حبان“، كتاب الجنائز... إلخ، فصل في أحوال الميت في قبره، الحديث: ३११२، ج ४، ص ५०.

3..... ﴿الْأَنْفَارُ يُحْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدَاً وَعَشِيًّا﴾ پ २४، المؤمن: ४६.

في ”التفسير الكبير“، ج ९، ص ५२१: (احتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبر قالوا: الآية تقتضي عرض النار عليهم غدواً وعشياً، وليس المراد منه يوم القيامة... إلخ).

((عذاب القبر حق)). ”صحيح البخاري“، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، الحديث: १३७२، ج १، ص ४६३.

وفي رواية: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيها الناس استعينوا بالله من عذاب القبر فإن

عذاب القبر حق)). ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: २४०७४، ج ९، ص ३६३.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار)).

”سنن الترمذي“، كتاب صفة القيامة، الحديث: २४६८، ج ४، ص २०۹.

और यूँही तर्ज़मे क़ब्र हक़ है⁽¹⁾, और दोनों जिस्म व रूह दोनों पर हैं⁽²⁾, जैसा कि ऊपर गुज़रा। जिस्म अगर्चे गल जाए, जल जाए, खाक हो जाए, मगर उस के अज्ज़ाए अस्लिह्या क़ियामत तक बाकी रहेंगे, वोह मूरिदे अज़ाब व सवाब होंगे⁽³⁾ और उन्हीं पर रोज़े क़ियामत दोबारा तरकीबे जिस्म फ़रमाई जाएगी, वोह कुछ ऐसे बारीक अज्ज़ा हैं रीढ़ की हड्डी में जिस को “अज़बुज़्ज़म्ब” कहते हैं कि न किसी ख़ुर्दबीन से नज़र आ सकते हैं, न आग उन्हें जला सकती है, न ज़मीन उन्हें गला सकती है, वोही तुख़्मे जिस्म हैं। व लिहाज़ा रोज़े क़ियामत रूहों का इआदा⁽⁴⁾ उसी जिस्म में होगा, न जिस्मे दीगर में। बालाई ज़ाइद अज्ज़ा का घटना, बढ़ना, जिस्म को नहीं बदलता, जैसा : बच्चा कितना छोटा पैदा होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है, क़वी हैकल जवान बीमारी में घुल कर कितना हक़ीर रह जाता है, फिर नया गोश्त पोस्त आ कर मिस्ले साबिक़ हो जाता है, इन तब्दीलियों से कोई नहीं कह सकता कि शख़्स बदल गया। यूँही रोज़े क़ियामत का औद है⁽⁵⁾, वोही गोश्त और हड्डियां कि खाक या राख हो गए हों,

① في “شرح العقائد النسفية”، مبحث عذاب القبر، ص ٩٩: (عذاب القبر للكافرين ولعصاة المؤمنين، خص البعض؛ لأنّ منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب، وتنعيم أهل الطاعة في القبر بما يعلمه الله تعالى ويريد ثابت)، ملقطاً.

وفي “الفقه الأكبر”، ص ١٠١: (ضغطة القبر حق، وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولعصاة المسلمين).

وفي “منح الروض الأزهر”، ص ١٠١، تحت العبارة: (وعذابه أي: إيلاّمه (حق كائن للكفار كلهم) أجمعين) (ولعصاة المسلمين) أي: عصاة المسلمين كما في نسخة، وكذا تنعيم بعض المؤمنين حق، فقد ورد: ((إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران)) رواه الترمذي والطبراني رحمهما الله.

② ﴿الْأَنْفَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا نَارٌ وَأَوْعِيَاءٌ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ پ ٢٤، المؤمن: ٤٦.

في “تفسير روح البيان”، ج ٨، ص ١٩١، تحت الآية: (محل العذاب والنعيم أي: في القبر هو الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة).

في “شرح الصدور”، ص ١٨١: (قال العلماء: عذاب القبر محله الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة وكذا القول في النعيم)، ملقطاً. وفي “المعتمد المستند”، ص ١٨٢: (أنّ التنعيم والعذاب كلاهما للروح والبدن جميعاً).

و “الفتاوى الرضوية”، ج ٩، ص ٦٥٨ و ٨٥١.

③यानी अज़ाब व सवाब उन्हीं पर वारिद होगा।

④यानी लौट कर आना।

⑤यानी लौट कर आना है।

उन के ज़र्रे कहीं भी मुन्तशिर हो गए हों, रब عَزَّوَجَلَّ उन्हें जम्अ फ़रमा कर उस पहली हैअत पर ला कर उन्हें पहले अज्जाए अस्लिय्या पर कि महफूज हैं, तरकीब देगा और हर रूह को उसी जिस्मे साबिक में भेजेगा, इस का नाम ह़शर है⁽¹⁾, अज़ाब व तन्ईमे क़ब्र का इन्कार वोही करेगा, जो गुमराह है।⁽²⁾

अक्वीदा 10

मुरदा अगर क़ब्र में दफ़न न किया जाए तो जहां पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गरज़ कहीं हो उस से वहीं सुवालात होंगे और वहीं सवाब या अज़ाब उसे पहुंचेगा, यहां तक कि जिसे शेर खा गया तो शेर के पेट में सुवाल व सवाब व अज़ाब जो कुछ हो, पहुंचेगा।⁽³⁾

1..... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ويلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق)).

”صحيح البخاري“، كتاب التفسير، باب ونفخ في الصور... إلخ، الحديث: ٤٨١٤، ج ٣، ص ٣١٦. وفي ”فتح الباري“، كتاب التفسير، ج ٨، ص ٤٧٥-٤٧٦، تحت الحديث: قوله: ”ويلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق“، في رواية مسلم: ((ليس من الإنسان شيء إلا يلى إلا عظماً واحداً))، وعن أبي هريرة بلفظ: ((كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب))، وعن أبي هريرة قال: ((إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً، فيه يركب يوم القيامة))، قالوا: أيّ عظم هو؟ قال: ((عجب الذنب))، وفي حديث أبي سعيد عند الحاكم وأبي يعلى: قيل: يا رسول الله ما عجب الذنب؟ قال: ((مثل حبة خردل))، والعجب بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له: ((عجم)) بالميم أيضاً عوض الباء، وهو عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العصص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند ابن أبي الدنيا وأبي داود والحاكم مرفوعاً: ((إنه مثل حبة الخردل)). وفي ”شرح العقائد النسفية“، مبحث عذاب القبر والبعث، ص ١٠٢-١٠٣: (والبعث وهو أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها حق لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْكُمْ إِلَهُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَبْعَثُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد).

2..... في ”الحديقة الندية“، ج ١، ص ٣٠٣: (من أنكر عذاب القبر فهو مبتدع). و”بريقة محمودية“، ج ٢، ص ٥٦.

3..... وفي ”الحديقة الندية“، ج ١، ص ٢٦٦-٢٦٧: (وعذاب القبر) قيد القبر جرى على الغالب أو قبر كل إنسان بحسبه، وقال العلماء: عذاب القبر هو عذاب البرزخ أضيف إلى القبر؛ لأنه الغالب وإلا فكل ميت أراد الله تعالى تعذيبه ناله ما أراد الله به قبر أو لم يقبر ولو صلب أو غرق في بحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رماداً، وذري في الريح..... (وتنعيم أهل الطاعة) من المؤمنين (فيه) أي: القبر يعني كائن ذلك فيه (بما) أي: بالوصف الذي (يعلمه الله تعالى ويريده) للبعد المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: ((القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران)) وكما تقدم في عذاب القبر يقال في نعيمه سواء قبر العبد أو لم يقبر حتى لو صلب أو غرق في بحر أو أكلته الدواب أو حرق... إلخ).

मसअला : अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام और औलियाए किराम व उलमाए दीन व शुहदा व

हाफ़िज़ाने कुरआन कि कुरआने मजीद पर अमल करते हों और वोह जो मन्सबे महबूबत पर फ़ाइज़ हैं और वोह जिस्म जिस ने कभी **اَللّٰهُ** की मासियत न की और वोह कि अपने अवकात दुरूद शरीफ़ में मुस्तगरक रखते हैं। उन के बदन को मिट्टी नहीं खा सकती।⁽¹⁾

= وفي "شرح العقائد النسفية"، مبحث عذاب القبر والبعث، ص ١٠١: (حتى أنّ الغريق في الماء والمأكول في بطون الحيوانات والمصلوب في الهواء يعذب وإن لم نطلع عليه).

وفي "النبراس"، مبحث عذاب القبر وثوابه، ص ٢١٠: (ولا يستلزم أن يتحرك ويضطرب) من الألم (أو يرى أثر العذاب عليه) من إحراق أو ضرب (حتى أنّ الغريق في الماء أو المأكول في بطون الحيوانات أو المصلوب في الهواء يعذب وإن لم نطلع عليه) جواب عن الإشكال للمعتزلة، وحاصله أنّنا لا نرى الميت معذبا فالحكم بعذابه سفسطة لا سيما في ثلاثة أشخاص أحدهم الغريق؛ لأنّ الإحراق في الماء البارد غير معقول، الثاني من أكله السباع إذ لو عذب بالاحتراق بطونها، الثالث المصلوب لا يزال في الهواء يراه ويشهده الناظرون بلا سؤال وضيق مكان وعذاب، وحاصل الجواب: إنّ الله تعالى على كل شيء قدير، وإنّا لا ندرّك إلا ما خلق الله سبحانه إدراكه فينا فيجوز أن يستر هذه الأحوال عن حواسنا كما كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه ولا يشعر الحاضرون بذلك وكما أنّ صاحب السكينة حيّ ولا يدرك حيوته).

..... ① ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ﴾ پ ٢، البقرة: ١٥٤.

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ پ ٤، آل عمران: ١٦٩.

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أكثرُوا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنّه مشهود تشهده الملائكة، فإنّ أحداً لن يصلي علي إلاّ عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها، قال قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام، فنبى الله حي يرزق)).

"سنن ابن ماجه"، أبواب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه، الحديث: ١٦٣٧، ج ٢، ص ٢٩١.

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ﴾ پ ٢٦، ق: ٤.

في "تفسير روح البيان"، ج ٩، ص ١٠٤، تحت الآية: (في الحديث: ((كل ابن آدم يلى إلاّ عجب الذنب، فمنه خلق وفيه يركب))، والعجب بفتح العين وسكون الجيم أصل الذنب ومؤخر كل شيء وهو ههنا عظم لا جوف له قدر ذرة أو خردلة يبقى من البدن ولا يلى، فإذا أراد الله إعادة ركب على ذلك العظم سائر البدن وأحياء، أي: غير أبدان الأنبياء والصديقين والشهداء فإنّها لا تبلى ولا تتفسخ إلى يوم القيامة على ما نص به الأخبار الصحيحة).

وأيضاً في "روح البيان"، ج ٣، ص ٤٣٩: قال الإمام الإسماعيل حقي رحمة الله تعالى عليه: (أجساد الأنبياء والأولياء

जो शख्स अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام की शान में येह खबीस कलिमा कहे कि मर के मिट्टी में मिल गए⁽¹⁾, गुमराह, बद दीन, खबीस, मुर्तकिबे तौहीन है।

والشهداء لا تبلى ولا تتغير لما أن الله تعالى قد نفى أبدانهم من العفونة الموجبة للتفسخ وبركة الروح المقدس إلى البدن كالأكسير).

عن أبي سعيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاً، فرأى الناس كأنهم يكتشرون، قال: ((أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلکم عما أرى الموت فأكثرُوا من ذكر هادم اللذات الموت فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه، فيقول: أنا بيت الغربية وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود... إلخ)).

”سنن الترمذي“، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع... إلخ، الحديث: ٢٤٦٨، ج ٤، ص ٢٠٨.

”والمشكاة“، كتاب الرقاق، الحديث: ٥٣٥٢، ج ٢، ص ٢٧٢-٢٧٣.

في ”المرقاة“، ج ٩، ص ٢١٣، تحت الحديث، وتحت اللفظ: (”وأنا بيت الدود“: قيل: يتولد الدود من العفونة وتأكل الأعضاء، ثم يأكل بعضها بعضاً إلى أن تبقى دودة واحدة فتموت جوعاً، واستثنى الأنبياء والشهداء والأولياء والعلماء من ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)). وقال تعالى في حق الشهداء: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾، والعلماء العاملون المعبر عنهم بالأولياء مدادهم أفضل من دماء الشهداء).

وفي ”شرح الصدور“، باب نتن الميت وبلاء جسده... إلخ، ص ٣١٧-٣١٨: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمة، فتقول الأرض: أي رب! كيف أكل لحمة وكلامك في جوفه؟)). وعن قتادة قال: (بلغني أن الأرض لا تسلط على جسد الذي لم يعمل خطيئة).

(محمد بن سليمان الجزولي) السملالي الشريف الحسن الشاذلي، صاحب ”دلائل الخيرات“ رضي الله عنه، دخل الخلوة للعبادة نحو أربعة عشر عاماً، ثم خرج للانتفاع به، فأخذ في تربية المريدين، وتاب على يده خلق كثير، وانتشر ذكره في الآفاق، وظهرت له الخوارق العظيمة والكرامات الجسمية والمناقب الفخيمة، واجتمع عنده من المريدين أكثر من اثني عشر ألفاً، ومن كراماته رضي الله عنه: أنه بعد وفاته بسبع وسبعين سنة نقلوه من قبره في بلاد ”السوس“ إلى ”مراكش“، فوجدوه كهيئته يوم دفن ولم تعد عليه الأرض ولم يغير طول الزمان من أحواله شيئاً، وأثر الحلق من شعر رأسه ولحيته ظاهر كحالته يوم موته، إذ كان قريب عهد بالحلق، ووضع بعض الحاضرين أصبعه على وجهه حاصراً بها فحصر الدم عما تحتها، فلما رفع أصبعه رجع الدم كما يقع ذلك في الحي. وقبره بمراكش عليه جلالة عظيمة، والناس يزدحمون عليه، ويكثر من قراءة دلائل الخيرات عنده. وثبت أن رائحة المسك توجد من قبره من كثرة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة ٨٧٠ رضي الله عنه. ”جامع كرامات الأولياء“، ج ١، ص ٢٧٦. انظر للتفصيل: ”الفتاوى الرضوية“، ج ٩، ص ١٢٨.

217 सफ़्हा नम्बर के लिये देखिये इसी किताब का तफ़्सील के किताब में कहा, तफ़्सील के लिये देखिये इसी किताब का सफ़्हा नम्बर 217... जैसा कि इस्माईल देहलवी ने अपनी किताब में कहा,

मआदो हशर का बयान

बेशक ज़मीनो आस्मान और जिनो इन्सो मलक सब एक दिन फ़ना होने वाले हैं, सिर्फ़ एक **अल्लाह** तआला के लिये हमेशगी व बका है।⁽¹⁾

दुन्या के फ़ना होने से पहले चन्द निशानियां ज़ाहिर होंगी :

(1) तीन ख़स्फ़ होंगे यानी आदमी ज़मीन में धंस जाएंगे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा जज़ीरए अरब में।⁽²⁾

(2) इल्म उठ जाएगा यानी इलमा उठा लिये जाएंगे, येह मतलब नहीं कि इलमा तो बाकी रहें और उन के दिलों से इल्म महूव कर दिया जाए।⁽³⁾

(3) जहल की कसरत होगी।⁽⁴⁾

1..... ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٌ ۖ وَيَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ . پ ۲۷، الرحمن: ۲۶، ۲۷.

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ . پ ۲۰، القصص: ۸۸.

في ”روح المعاني“، پ ۲۰، تحت الآية: ۸۸، الجزء العشرون، ص ۴۵۱: (أخرج عنه ابن مردويه أنه قال: لما نزلت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ قيل: يا رسول الله: فما بال الملائكة؟ فنزلت ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ فبين في هذه الآية فناء الملائكة والثقلين من الجن والإنس وسائر عالم الله تعالى وبريته من الطير والوحوش والسباع والأنعام وكل ذي روح أنه هالك ميت).

2..... عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ((ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب)).
”صحيح مسلم“، كتاب الفتن وأشرط الساعة، باب في الآيات التي... إلخ، الحديث: ۲۹۰۱، ص ۱۵۵۱).

3..... عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهلاً، فستلوا فتواً بغير علم فضلوا وأضلوا)). ”صحيح البخاري“، كتاب العلم، باب: كيف يقبض العلم، الحديث: ۱۰۰، ج ۱، ص ۵۴.

4..... عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن من أشرط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل)). ”صحيح البخاري“، كتاب النكاح، باب: يقل الرجال ويكثر النساء، الحديث: ۵۲۳۱، ج ۳، ص ۴۷۲، ملقطاً.

(4) जिना की जि़यादती होगी⁽¹⁾ और इस बे हयाई के साथ जिना होगा, जैसे गधे जुप्ती खाते हैं, बड़े छोटे किसी का लिहाज़ पास न होगा।⁽²⁾

(5) मर्द कम होंगे और औरतें जि़यादा, यहां तक कि एक मर्द की सर परस्ती में पचास⁵⁰ औरतें होंगी।⁽³⁾

(6) इलावा उस बड़े दज्जाल के और तीस दज्जाल होंगे, कि वोह सब दावए नबुव्वत करेंगे, हालां कि नबुव्वत ख़त्म हो चुकी।⁽⁴⁾ जिन में बाज़ गुज़र चुके, जैसे मुसैलमा कज़़ाब, तुलैहा बिन खुवैलिद, अस्वद अन्सी, सजाह औरत कि बाद को इस्लाम ले आई⁽⁵⁾,.....

1..... ((ويكثر الزنا)). "صحيح البخاري"، كتاب النكاح، باب: يقل الرجال ويكثر النساء، الحديث: ٥٢٣١، ج ٣، ص ٤٧٢.

2..... ((يتهاجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة)). "صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال... إلخ، الحديث: ٢٩٣٧، ص ١٥٧٠.

في "شرح النووي على المسلم"، ج ٢، ص ٤٠٢، قوله: صلى الله عليه وسلم: "يتهاجون فيها تهارج الحمر" (أي: يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكثرثون لذلك).

3..... ((وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأةً القيم الواحد)).

"صحيح البخاري"، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، الحديث: ٨١، ج ١، ص ٤٧.

4..... عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((... وإنه سيكون في أمي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)). "سنن أبي داود"، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، الحديث: ٤٢٥٢، ج ٤، ص ١٣٣. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي)).

"سنن الترمذي"، كتاب الرؤيا، باب ذهب النبوة وبقيت المبشرات، الحديث: ٢٢٧٩، ج ٤، ص ١٢١.

5..... عن عمار بن بلال الأسدي قال: (ارتد طليحة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة) "كنز العمال"، كتاب القيامة، الحديث: ٣٩٥٧٦، ج ١٤، ص ٢٣٤.

عن ابن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً، منهم العنسي مسيلمة والمختار)). "المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الأمراء، الحديث: ٥٧، ج ٧، ص ٢٥٧.

"مسند أبي يعلى"، الحديث: ٦٧٨٦، ج ٦، ص ٤٥.

في "فتح الباري"، كتاب المناقب، ج ٦، ص ٥١٥، تحت الحديث: ٣٦٠٩: (عن عبد الله بن الزبير تسمية بعض الكذابين المذكورين بلفظ: ((لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً منهم مسيلمة والعنسي والمختار)) قلت: وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة باليمامة، والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمه، وسجاح التميمية في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل

गुलाम अहमद कादियानी⁽¹⁾ वगैरहुम । और जो बाकी हैं, जरूर होंगे ।

(7) माल की कसरत होगी⁽²⁾, नहरे फुरात अपने खज़ाने खोल देगी कि वोह सोने के पहाड़ होंगे ।⁽³⁾

(8) मुल्के अरब में खेती और बाग़ और नहरें हो जाएंगी ।⁽⁴⁾

(9) दीन पर काइम रहना इतना दुश्वार होगा जैसे मुठ्ठी में अंगारा लेना⁽⁵⁾, यहां तक कि आदमी क़ब्रिस्तान में जा कर तमन्ना करेगा, कि काश ! मैं इस क़ब्र में होता ।⁽⁶⁾

(10) वक़्त में बरकत न होगी, यहां तक कि साल मिस्ल महीने के और महीना मिस्ल हफ़्ते के और हफ़्ता मिस्ल दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज़ को आग़ लगी और जल्द भड़क कर ख़त्म हो गई⁽⁷⁾, यानी बहुत जल्द जल्द वक़्त गुज़रेगा ।

مسيلمه في خلافة أبي بكر، وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر، ونقل أن سجاح أيضاً ثابت، وأخبار هؤلاء مشهورة عند الأخباريين، ملتبساً

1..... गुलाम अहमद कादियानी के बारे में इसी “बहारे शरीअत” के सफ़हा 190 से देखें ।

2..... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى يكثر المال... إلخ)).

“صحيح مسلم”، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة... إلخ، الحديث: ١٥٧، ص ٥٠٥.

3..... عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب)).

“صحيح مسلم”، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى... إلخ، الحديث: ٢٨٩٤، ص ١٥٤٧.

4..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً)).

“المستدرک”، كتاب الفتن، الحديث: ٨٥١٩، ج ٥، ص ٦٧٤.

5..... عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالفابض على الجمر)). “سنن الترمذي”، كتاب الفتن، الحديث: ٢٢٦٧، ج ٤، ص ١١٥.

6..... عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى يمرّ الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني

مكانه)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده! لا تذهب الدنيا حتى يمرّ الرجل على القبر، فيتمرغ عليه، ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر)).

“صحيح مسلم”، كتاب الفتن وأشراط الساعة، الحديث: ٥٤-٥٣ (١٥٧)، ص ١٥٥٥.

7..... عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة

كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كالיום ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضربة بالنار)).

“سنن الترمذي”، كتاب الفتن، باب ماجاء في قصر الأمل، الحديث: ٢٣٣٩، ج ٤، ص ١٤٩.

(11) ज़कात देना लोगों पर गिरा होगा कि इस को तावान समझेंगे ।⁽¹⁾

(12) इल्मे दीन पढ़ेंगे, मगर दीन के लिये नहीं ।⁽²⁾

(13) मर्द अपनी औरत का मुतीअ होगा ।⁽³⁾

(14) मां बाप की ना फ़रमानी करेगा ।⁽⁴⁾

(15) अपने अहबाब से मेलजोल रखेगा और बाप से जुदाई ।⁽⁵⁾

(16) मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे ।⁽⁶⁾

(17) गाने बाजे की कसरत होगी ।⁽⁷⁾

(18) अगलों पर लोग लानत करेंगे, उन को बुरा कहेंगे ।⁽⁸⁾

(19) दरिन्दे, जानवर, आदमी से कलाम करेंगे, कोड़े की फुन्ची⁽⁹⁾, जूते का तस्मा कलाम करेगा, उस के बाज़ार जाने के बाद जो कुछ घर में हुवा बताएगा, बल्कि खुद इन्सान की रान उसे ख़बर देगी ।⁽¹⁰⁾

1..... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنماً، والزكاة مغرماً)).

2..... ((وتعلم لغير الدين)). "سنن الترمذي"، كتاب الفتن، باب ما جاء في علامة... إلخ، الحديث: ٢٢١٨، ج ٤، ص ٩٠.

3....यानी फ़रमां बरदार होगा ।

((وأطاع الرجل امرأته)). "سنن الترمذي"، كتاب الفتن، باب ما جاء في علامة... إلخ، الحديث: ٢٢١٨، ج ٤، ص ٩٠.

4..... ((وعق أمه)). المرجع السابق.

5..... ((وأدنى صد يقه وأقصى أباه)). المرجع السابق.

6..... ((وظهرت الأصوات في المساجد)). المرجع السابق.

7..... ((وظهرت القينات والمعازف)). المرجع السابق.

8..... ((ولعن آخر هذه الأمة أولها)). المرجع السابق.

9....चाबुक का सिरा ।

10..... عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع

الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده)).

"سنن الترمذي"، كتاب الفتن، باب ما جاء في كلام السباع، الحديث: ٢١٨٨، ج ٤، ص ٧٦.

(20) ज़लील लोग जिन को तन का कपड़ा, पाउं की जूतियां नसीब न थीं, बड़े बड़े महलों में फ़ख्र करेंगे।⁽¹⁾

(21) दज्जाल का ज़ाहिर होना कि चालीस⁴⁰ दिन में हरमैने तय्यिबैन के सिवा तमाम रूए ज़मीन का गश्त करेगा।⁽²⁾ चालीस दिन में, पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीने भर के बराबर और तीसरा दिन हफ़्ते के बराबर और बाकी दिन चौबीस चौबीस घन्टे के होंगे और वोह बहुत तेज़ी के साथ सैर करेगा, जैसे बादल जिस को हवा उड़ाती हो।⁽³⁾ उस का फ़ितना बहुत शदीद होगा⁽⁴⁾, एक बाग़ और एक आग उस के हमराह होंगी, जिन का नाम जन्नत व दोज़ख़ रखेगा, जहां जाएगा येह भी जाएंगी, मगर वोह जो देखने में जन्नत मालूम होगी वोह हकीक़तन आग होगी और जो जहन्नम दिखाई देगा वोह आराम की जगह होगी⁽⁵⁾ और वोह खुदाई का दावा करेगा⁽⁶⁾, जो उस पर ईमान लाएगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इन्कार करेगा उसे जहन्नम में दाख़िल करेगा⁽⁷⁾, मुर्दे जिलाएगा⁽⁸⁾।

1..... ((وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ، الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبَنِيَانِ)). "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، الحديث: ८، ص २१.

2..... ((فَلَا أَدْعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهَمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا)).

"صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب قصة الجساسة، الحديث: २९६२، ص १०७६.

3..... قلنا: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: ((أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم)).

قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفيناه فيه صلاة يوم؟ قال: ((لا، اقدروا له قدره)). قلنا: يا رسول الله! وما إسرعه في

الأرض؟ قال: ((كالغيث استدبرته الريح)). "صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب في ذكر الدجال... إلخ، الحديث: २९३७، ص १०६९.

4..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال)).

"سنن ابن ماجه"، أبواب الفتن، باب فتنة الدجال... إلخ، الحديث: ६०७७، ج ६، ص ६०६.

5..... عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((معه جنة و نار، فناره جنة وجنته نار)).

"صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال... إلخ، الحديث: २९३६، ص १०६७.

وفي رواية "المسند": ((ومعه نهران أنا أعلم بهما منه نهر يقول: الجنة ونهر يقول: النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو

النار ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: १६९०९، ج ٥، ص १०६-१०७.

6..... ((فيقول للناس: أنا ربكم)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، ج ٥، ص १०६، الحديث: १६९०९.

7..... في "فيض القدير"، ج ٣، ص ٧١٩: ((معه جنة و نار فناره جنة وجنته نار) أي: من أدخله الدجال ناره بتكذيبه إياه تكون

تلك النار سبباً لدخوله الجنة في الآخرة ومن أدخله جنته بتصديقه إياه تكون تلك الجنة سبباً لدخوله النار في الآخرة).

8..... ज़िन्दा करे।

9..... عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((إن الدجال خارج وهو أعور عين الشمال عليها ظفرة

غلظية، وإنه يرى الأكمة والأبرص ويحيى الموتى... إلخ)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، ج ٧، ص २६०، الحديث: २०१७१.

जमीन को हुक्म देगा वोह सब्जे उगाएगी, आस्मान से पानी बरसाएगा और उन लोगों के जानवर लम्बे चौड़े खूब तय्यार और दूध वाले हो जाएंगे और वीराने में जाएगा तो वहां के दफ़ीने शहद की मखिखियों की तरह दल के दल⁽¹⁾ उस के हमराह हो जाएंगे।⁽²⁾ इसी किस्म के बहुत से शोबदे⁽³⁾ दिखाएगा और हकीकत में येह सब जादू के करिश्मे होंगे और शयातीन के तमाशे, जिन को वाकिइय्यत से कुछ तअल्लुक नहीं, इसी लिये उस के वहां से जाते ही लोगों के पास कुछ न रहेगा। हरमैन शरीफैन में जब जाना चाहेगा मलाएका उस का मुंह फेर देंगे। अलबत्ता मदीनए तय्यिबा में तीन जलजले आएंगे कि वहां जो लोग ब जाहिर मुसलमान बने होंगे और दिल में काफ़िर होंगे और वोह जो इल्मे इलाही में दज्जाल पर ईमान ला कर काफ़िर होने वाले हैं, उन जलजलों के खौफ से शहर से बाहर भागेंगे और उस के फितने में मुब्तला होंगे।⁽⁴⁾

दज्जाल के साथ यहूद की फ़ौजें होंगी⁽⁵⁾, उस की पेशानी पर लिखा होगा: “ك،ف،ز”، यानी काफ़िर, जिस को हर मुसलमान पढ़ेगा⁽⁶⁾ और काफ़िर को नज़र न आएगा।⁽⁷⁾

1....ढेर के ढेर, जथ्थे के जथ्थे।

2..... ((فيأمر السماء أن تمطر فتُمْطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت فتروح عليهم سارحتهم كأطول ما كانت دُرَى وأمدّه خواصر وأدرّه ضروعا، قال: ثم يأتي الخبرة فيقول لها: أخرجي كنوزك فينصرف منها فتنبعه كيعاسيب النحل)).

”سنن الترمذي“, كتاب الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال، الحديث: ٢٢٤٧، ج ٤، ص ١٠٤.

3.... नज़र बन्दी के खेल।

4..... ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس من بلد إلا سيطوه الدجال، إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلاّ عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسبخة، فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كلّ كافر و منافق)).

”صحيح مسلم“, باب قصة الجساسة، الحديث: ٢٩٤٣، ص ١٥٧٨-١٥٧٧.

5..... ((الدجال معه سبعون ألف يهودي)). ”سنن ابن ماجه“, أبواب الفتن، باب فتنة الدجال، الحديث: ٤٠٧٧، ج ٤، ص ٤٠٦.

6..... عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدجال ممسوح العين، مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجأها ك ف ر، يقرأه كل مسلم)). ”صحيح مسلم“, كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، الحديث: ٢٩٣٣، ص ١٥٦٧.

7..... في ”فتح الباري“, كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، تحت الحديث ٧١٣١، ج ١٣، ص ٨٦: قوله: ”مكتوب بين عينيه كافر“: (فهذا يراه المؤمن بغير بصره وإن كان لا يعرف الكتابة، ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة كما يرى المؤمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكافر فيخلق الله للمؤمن الإدراك دون تعلّم).

وفي ”شرح مسلم“ للنووي، كتاب الفتن وأشراط الساعة، ج ٢، ص ٤٠٠: (يظهر الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير

كاتب ويخفيها عن أراد شقاوته وفتنته).

(1) जब वोह सारी दुन्या में फिर फ़िरा कर मुल्के शाम को जाएगा, उस वक़्त हज़रते मसीह عَلَيْهِ السَّلَام आस्मान से जामेअ मस्जिद दिमश्क के शर्की मीनारे पर नुज़ूल फ़रमाएंगे (2)। सुब्ह का वक़्त होगा, नमाज़े फ़ज्र के लिये इक़ामत हो चुकी होगी, हज़रते इमाम महदी को कि उस जमाअत में मौजूद होंगे इमामत का हुक्म देंगे, हज़रते इमाम महदी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ नमाज़ पढ़ाएंगे, वोह लईन दज्जाल हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام की सांस की खुशबू से पिघलना शुरूअ होगा, जैसे पानी में नमक घुलता है और उन की सांस की खुशबू हदे बसर (3) तक पहुंचेगी। वोह भागेगा, येह तआकुब फ़रमाएंगे और उस की पीठ में नेज़ा मारेंगे, उस से वोह जहन्नम वासिल होगा। (4)

(22) हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام का आस्मान से नुज़ूल फ़रमाना :

इस की मुख़्तसर कैफ़ियत ऊपर मालूम हो चुकी, आप के ज़माने में माल की कसरत होगी, यहां तक कि अगर कोई शख्स दूसरे को माल देगा तो वोह क़बूल न करेगा (5), नीज़ उस ज़माने में अ़दावत व बुग़ज़ो ह़सद आपस में बिल्कुल न होगा। (6) ईसा عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام सलीब

1 हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام ।

2 ((إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق)). "صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، الحديث: 2937، ص 1069.

3 नज़र की इन्तिहा ।

4 قالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: ((هم يومئذ قليل، وجلهم بيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم عليه السلام، فرجع ذلك الإمام ينكص، يمشي القهقري ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل، فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق هارباً ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله)).

"سنن ابن ماجه"، أبواب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى... إلخ، الحديث: 4077، ج 4، ص 406. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ولا يجد ريح نفسه يعني أحداً إلا مات، وريح نفسه منتهى بصره، قال: فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله)). "سنن الترمذي"، كتاب الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال، الحديث: 2240، ج 4، ص 104. في "منح الروض الأزهر"، ص 112.

5 ((ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)). "صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام، الحديث: 3448، ج 2، ص 409.

6 ((ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد)).

"صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم... إلخ، الحديث: 243، ص 92.

तोड़ेंगे और खिन्जीर को क़त्ल करेंगे⁽²⁾, तमाम अहले किताब जो क़त्ल से बचेंगे सब उन पर ईमान लाएंगे। तमाम जहान में दीन एक दीने इस्लाम होगा और मज़हब एक मज़हबे अहले सुन्नत।⁽³⁾

बच्चे सांप से खेलेंगे और शेर और बकरी एक साथ चरेंगे⁽⁴⁾, चालीस बरस तक इक़ामत फ़रमाएंगे। निकाह करेंगे, औलाद भी होगी, बादे वफ़ात रौज़ए अन्वर में दफ़न होंगे।⁽⁵⁾

①ईसाइयों का मुक़द्दस निशान। ("फ़ीरोज़ुल्लुगात", स. 916)

② قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير)). "صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام، الحديث: ٣٤٤٨، ج ٢، ص ٤٥٩.

③ ((فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزيرة ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام)). "سنن أبي داود"، كتاب الملاحم، باب [ذكر] خروج الدجال، الحديث: ٤٣٢٤، ج ٤، ص ١٥٨.

في "تفسير الطبري"، ٦، النساء، ج ٤، ص ٣٥٦-٣٥٧، تحت الآية ١٥٩: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ يعني: يعيسى عليه السلام، يوجّه ذلك إلى أنّ جميعهم يصدّقون به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفيّة، دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم).
عن أبي مالك في قوله: ﴿إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم، لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب إلا ليؤمننّ به).

④ ((وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحيّة فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها)). "سنن ابن ماجه"، أبواب الفتن، باب فتنة الدجال... إلخ، الحديث: ٤٠٧٧، ج ٤، ص ٤٠٧.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... وتقع الآمنة على أهل الأرض حتى ترعى الأسود مع الإبل والتمور مع البقر والذئب مع الغنم ويلعب الصبيان مع الحيات لا تضهرهم، فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون)). "المستدرک" للحاكم، باب هبوط عيسى عليه السلام، الحديث: ٤٢١٩، ج ٣، ص ٤٩٠.

⑤ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض، فيتزوج، ويولد له، ويمكث خمساً وأربعين سنة، ثم يموت، فيدفن معي في قبري)). "مشكاة"، كتاب الفتن، باب نزول عيسى عليه السلام، الحديث: ٥٥٠٨، ج ٢، ص ٣٠٦.
وفي "مرقاة المفاتيح"، تحت الحديث: ٥٥٠٨، ج ٩، ص ٤٤٢: (وهذا بظاهره يخالف قول من قال: إنّ عيسى رفع به إلى السماء وعمره ثلاث وثلاثون، ويمكث في الأرض بعد نزوله سبع سنين، فيكون مجموع العدد أربعين لكن حديث مكثه سيعا رواه مسلم، فيتعين الجمع بما ذكر، أو ترجيح ما في الصحيح، ولعل عدد الخمس ساقط من الاعتبار لإلغاء الكسر).

(23) हज़रते इमाम महदी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का ज़ाहिर होना :

इस का इज्माली वाकिआ येह है कि दुन्या में जब सब जगह कुफ़ का तसल्लुत होगा उस वक़्त तमाम अब्दाल⁽¹⁾ बल्कि तमाम औलिया सब जगह से सिमट कर हरमैने शरीफ़ैन को हिजरत कर जाएंगे, सिर्फ़ वहीं इस्लाम होगा और सारी ज़मीन कुफ़िस्तान हो जाएगी। रमज़ान शरीफ़ का महीना होगा, अब्दाल तवाफ़े काबा में मसरूफ़ होंगे और हज़रते इमाम महदी भी वहां होंगे, औलिया उन्हें पहचानेंगे, उन से दरख्वास्ते बैअत करेंगे, वोह इन्कार करेंगे।

दफ़अतन ग़ैब से एक आवाज़ आएगी :

هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ.

“येह अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) का ख़लीफ़ा महदी है, इस की बात सुनो और इस का हुक्म मानो।”

तमाम लोग उन के दस्ते मुबारक पर बैअत करेंगे। वहां से सब को अपने हमराह ले कर मुल्के शाम को तशरीफ़ ले जाएंगे।⁽²⁾

बादे क़त्ले दज्जाल हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام को हुक्मे इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ, इस लिये कि कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर किये जाएंगे, जिन से लड़ने की किसी को ताक़त नहीं।

(24) याजूज व माजूज का ख़ुरूज⁽³⁾ :

मुसलमानों के कोहे तूर पर जाने के बाद याजूज व माजूज ज़ाहिर होंगे, येह इस क़दर कसीर होंगे कि इन की पहली जमाअत बुहैरए त़बरिय्या पर (जिस का तूल दस मील होगा⁽⁴⁾) जब गुज़रेगी, उस का पानी पी कर इस तरह सुखा देगी कि दूसरी जमाअत बाद वाली जब आएगी तो कहेगी कि : यहां कभी पानी न था !

①..... في ”مرقاة المفاتيح“: (قال الجوهرى: الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه بآخر... وفي ”القاموس“: الأبدال قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض وهم سبعون، أربعون بالشام وثلاثون في غيرها).
(”مرقاة المفاتيح“: ج ٩، ص ٣٥٣).

②..... لم نعر عليه.

③..... ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾ ١٧، الانبياء: ٩٦.

④..... يُحِيرُهُ طَبَرِيّه: في ”المرقاة“، ج ٩، ص ٣٨٨: (بحيرة تصغير بحرة، وهي ماء مجتمع بالشام طوله عشرة أميال، وطبرية بفتحتين اسم موضع، وقال شارح: هي قصبة الأردن بالشام).

फिर दुन्या में फ़साद व क़त्लो ग़ारत से जब फुरसत पाएंगे तो कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो क़त्ल कर लिया, आओ अब आस्मान वालों को क़त्ल करें, येह कह कर अपने तीर आस्मान की तरफ़ फेंकेंगे, खुदा की कुदरत कि उन के तीर ऊपर से खून आलूदा गिरेंगे।

येह अपनी इन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे और वहां पहाड़ पर हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام मअ अपने साथियों के महसूर होंगे, यहां तक कि उन के नज़्दीक गाय के सर की वोह वक़अत होगी जो आज तुम्हारे नज़्दीक सो¹⁰⁰ अशरफ़ियों की नहीं, उस वक़त हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام मअ अपने हमराहियों के दुआ फ़रमाएंगे, **अल्लाह** तआला उन की गरदनों में एक क़िस्म के कीड़े पैदा कर देगा कि एक दम में वोह सब के सब मर जाएंगे, उन के मरने के बाद हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام पहाड़ से उतरेंगे, देखेंगे कि तमाम ज़मीन उन की लाशों और बदबू से भरी पड़ी है, एक बालिशत भी ज़मीन खाली नहीं।

उस वक़त हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام मअ हमराहियों के फिर दुआ करेंगे, **अल्लाह** तआला एक क़िस्म के परिन्द भेजेगा कि वोह उन की लाशों को जहां **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) चाहेगा फेंक आएंगे और उन के तीर व कमान व तरकश⁽¹⁾ को मुसलमान सात⁷ बरस तक जलाएंगे, फिर इस के बाद बारिश होगी कि ज़मीन को हमवार कर छोड़ेगी और ज़मीन को हुक्म होगा कि अपने फलों को उगा और अपनी बरकतें उगल दे और आस्मान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उंडेल दे तो येह हालत होगी कि एक अनार को एक जमाअत खाएगी और उस के छिल्के के साए में दस¹⁰ आदमी बैठेंगे और दूध में येह बरकत होगी कि एक ऊंटनी का दूध जमाअत को काफ़ी होगा और एक गाय का दूध कबीले भर को और एक बकरी का ख़ानदान भर को क़िफ़ायत करेगा।⁽²⁾

①...तीरदान, तीर रखने का ख़ाना।

②..... قال: ((فيلبث كذلك ما شاء الله؟)) قال: ثم يوحى الله إليه أن حرّز عبادي إلى الطور فأني قد أنزلت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم، قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله: ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾، قال: ويمر أولهم ببخيرة الطبرية فيشرب ما فيها، ثم يمر بها آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ثم يسرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض فهلهم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشأبهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشأبهم حمراً دماً، ويحاصر عيسى ابن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خيراً لهم من مائة دينار لأحدكم اليوم، قال: فيرغب عيسى ابن مريم إلى الله وأصحابه، قال: فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصباحون فرسي موتى كموت نفس واحدة، قال: ويهبط عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم وتنهم ودمأؤهم، قال: فيرغب عيسى إلى الله وأصحابه قال: فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشأبهم وجعابهم سبع سنين، قال: ويرسل الله عليهم مطراً لا يكن منه بيت وبر ولا مدر، قال: فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة، قال: ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرتك وردّي بركتك، فيومئذ تأكل العصاة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أنّ الفئام من الناس

(25) धूआं ज़ाहिर होगा : जिस से ज़मीन से आस्मान तक अंधेरा हो जाएगा ।⁽¹⁾

(26) दाब्बतुल अर्द का निकलना⁽²⁾ : यह एक जानवर है, इस के हाथ में असाए मूसा और अंगुशतरिये सुलैमान عَلَيْهِمَا السَّلَام होगी, असा से हर मुसलमान की पेशानी पर एक निशान नूरानी बनाएगा और अंगुशतरी से हर काफ़िर की पेशानी पर एक सख़्त सियाह धब्बा, उस वक़्त तमाम मुस्लिम व काफ़िर अलानिया ज़ाहिर होंगे ।⁽³⁾ यह अलामत कभी न बदलेगी, जो काफ़िर है हरगिज़ ईमान न लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर क़ाइम रहेगा⁽⁴⁾ ।

(27) आप़ताब का मगरिब से तुलूअ होना : इस निशानी के ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जाएगा, उस वक़्त का इस्लाम मोतबर नहीं ।⁽⁵⁾

ليكتفون باللحقة من الإبل، وأنّ القبيلة ليكتفون باللحقة من البقر، وإنّ الفخذ ليكتفون باللحقة من الغنم)).

”سنن الترمذي“، كتاب الفتن، باب ما جاء في فتنة الدجال، الحديث: ٢٢٤٧، ج ٤، ص ١٠٤-١٠٥.

1..... ﴿فَأَمَّا تَقَبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّمَيَّنٍ ۖ يَخْشَى الْإِنْسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. ب. ٢٥، الدخان: ١٠-١١.

في ”تفسير الطبري“، ج ١١، ص ٢٢٧، تحت هذه الآية: عن ربعي بن حراش، قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أول الآيات الدجال، ونزل عيسى بن مريم، ونار تخرج من قعر عدن أبيض تسوق الناس إلى المحشر تُقِيلُ معهم إذا قالوا، والدخان، قال حذيفة: يا رسول الله! وما الدخان؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّمَيَّنٍ ۖ يَخْشَى الْإِنْسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة، أمّا المؤمن فيصيبه منه كهيفة الزكام، وأمّا الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره)). ج ١١، ص ٢٢٧، الحديث: ٣١٠٦١.

2..... ﴿وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَاذِبُونَ﴾. ب. ٢٠، النمل: ٨٢.

3..... عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود، وعصا موسى بن عمران عليهما السلام، فتحملوه وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم حتى أنّ أهل الجوّاء ليحتمعون، فيقول هذا: يا مؤمن، ويقول هذا: يا كافر)). ”سنن ابن ماجه“، أبواب الفتن، باب دابة الأرض، الحديث: ٤٠٦٦، ج ٤، ص ٣٩٣-٣٩٤.

4..... لم نثر عليه.

5..... عن صفوان بن عسال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ من قبل مغرب الشمس باباً مفتوحاً، عرضه سبعون سنة، فلا يزال ذلك الباب مفتوحاً للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً)).

(”سنن ابن ماجه“، أبواب الفتن، باب طلوع الشمس من مغربها، الحديث: ٤٠٧٠، ج ٤، ص ٣٩٦).

(28) वफ़ाते सय्यिदुना ईसा عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام के एक ज़माने के बाद जब क़ियामे क़ियामत⁽¹⁾ को सिर्फ़ चालीस बरस रह जाएंगे⁽²⁾, एक खुशबूदार ठन्डी हवा चलेगी, जो लोगों की बग़लों के नीचे से गुज़रेगी, जिस का असर येह होगा कि मुसलमान की रूह क़ब्ज़ हो जाएगी और काफ़िर ही काफ़िर रह जाएंगे और उन्हीं पर क़ियामत क़ाइम होगी।⁽³⁾

येह चन्द निशानियां बयान की गईं, इन में बाज़ वाक़ेअ हो चुकीं और कुछ बाक़ी हैं, जब निशानियां पूरी हो लेंगी और मुसलमानों की बग़लों के नीचे से वोह खुशबूदार हवा गुज़र लेगी जिस से तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी, इस के बाद फिर चालीस बरस का ज़माना ऐसा गुज़रेगा कि उस में किसी के औलाद न होगी, यानी चालीस बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफ़िर ही काफ़िर होंगे⁽⁴⁾, अल्लाह कहने वाला कोई न होगा⁽⁵⁾, कोई अपनी दीवार लेस्ता⁽⁶⁾ होगा, कोई खाना खाता होगा, ग़रज़ लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे⁽⁷⁾.....

1.....क़ियामत के क़ाइम होने ।

2..... لم نعثر عليه .

3..... ((فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة، فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس، يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة)). "صحيح مسلم"، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، الحديث: ٧٣٧٣، ص ١٥٧٠ .

4..... لم نعثر عليه .

5..... عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله)).

"صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، الحديث: ٢٣٤، ص ٨٨ .

في "المراقبة"، ج ٩، ص ٤٥٠، تحت الحديث: (معناه: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض مسلم يحذر الناس من الله، وقيل: أي: لا يذكر الله فلا يبقى حكمة في بقاء الناس).

6.....प्लास्टर करता ।

7..... عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرأها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْنَانَهَا﴾ الآية، ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقوم الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها)).

"صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، الحديث: ٦٥٠٦، ج ٤، ص ٢٤٩ .

कि दफअतन⁽¹⁾ हज़रते इस्राफ़ील عَلَيْهِ السَّلَام को सूर फूंकने का हुक्म होगा, शुरूअ शुरूअ इस की आवाज़ बहुत बारीक होगी और रफ़ता रफ़ता बहुत बुलन्द हो जाएगी, लोग कान लगा कर उस की आवाज़ सुनेंगे और बेहोश हो कर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। आस्मान, ज़मीन, पहाड़, यहां तक कि सूर और इस्राफ़ील और तमाम मलाएका फ़ना हो जाएंगे, उस वक़्त सिवा उस वाहिदे हकीकी के कोई न होगा, वोह फ़रमाएगा :

﴿لَسَنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ ۝﴾⁽²⁾

आज किस की बादशाहत है...? कहां हैं जब्बारीन...? कहां हैं मुतकब्बरीन...? मगर है कौन जो जवाब दे, फिर खुद ही फ़रमाएगा :

﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝﴾⁽³⁾

“सिर्फ़ अल्लाह वाहिदे क़ह्हार की सल्तनत है।”

फिर जब अल्लाह तअला चाहेगा, इस्राफ़ील को ज़िन्दा फ़रमाएगा और सूर को पैदा कर के दोबारा फूंकने का हुक्म देगा, सूर फूंकते ही तमाम अब्बलीनो आख़िरीन, मलाएका व इन्सो ज़िन्न व हैवानात मौजूद हो जाएंगे।⁽⁴⁾

①....अचानक।

②..... प २६, المؤمن: १६

③..... प २६, المؤمن: १६

④..... عن ابن عباس في صفة القيامة، فذكر فيه صفة الصور وعظمه وإسرافيل ثم قال: فإذا بلغ الوقت الذي يريد الله أمر إسرافيل، فينفخ في الصور النفخة الأولى، تهبط النفخة من الصور إلى السموات فيصعق سگان السموات بحذافيرها، وسگان البحر بحذافيرها، ثم تهبط النفخة إلى الأرض، فيصعق سگان الأرض بحذافيرها، وجميع عالم الله وبريته فيهن من الجن والإنس والهوام والأنعام، قال: وفي الصور من الكوى بعدد من يذوق الموت من جميع الخلائق، فإذا صعقوا جميعاً، يقول الله عز وجل: يا إسرافيل من بقي؟ فيقول: بقي إسرافيل عبدك الضعيف، فيقول: مت يا إسرافيل فيموت، ثم يقول الجبار تعالى: ﴿لَسَنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ ۝﴾، فلا هميس ولا حسيس ولا ناطق يتكلم، ولا محيب يفهم، وقد مات حملة العرش وإسرافيل وملك الموت وكل مخلوق، فيرد الجبار على نفسه: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝﴾ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۝ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝﴾ [المؤمن: १६-१७]، وذلك حين تمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، فيتم كلمته بإنفاذ قضائه على أهل أرضه وسمائه لقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۝ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝﴾

[القصص: ٨٨]، فأما إسرافيل، فيموت ثم يحيى في طرفه عين، وأما حملة العرش فيحيون في أسرع من طرفه عين، فيأمر الله

सब से पहले हुजुरे अन्वर صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم कब्रे मुबारक से यूं बरआमद होंगे कि ⁽¹⁾ , दहने हाथ में सिद्दीके अक्बर का हाथ, बाएं हाथ में फ़ारूके आजम का हाथ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا , फिर मक्कए मुअज़्ज़मा व मदीनए तय्यिबा के मक़ाबिर में जितने मुसलमान दफ़न हैं, सब को अपने हमराह ले कर मैदाने हशर में तशरीफ़ ले जाएंगे। ⁽²⁾

अक्वीदा 1 क़ियामत बेशक काइम होगी, इस का इन्कार करने वाला काफ़िर है। ⁽³⁾

تعالیٰ إسرائیل بعد النفخة الأولى بأربعين وكذلك هو في التوراة بين النفختين أربعون، لا يدري ما هو، فإذا انقضت الأربعون نظر الله إلى أهل السموات وإلى أهل الأرضين، فيقول: وعزتي لأعيدنكم كما بدأتكم ولأحييكنم كما أمتكنم، ثم يأمر إسرائیل فينفخ النفخة الثانية، وقد جمعت الأرواح كلها في الصور، فإذا نفخ خرج كل روح من كوة معلومة من كوى الصور، فإذا الأرواح تهوش بين السماء والأرض لها دوي كدوي النحل، فينادي إسرائیل: يا أيها الجلود المتمزقة! يا أيها الأعضاء المتهشمة! يا أيها العظام البالية! يا أيها الأجساد المتفرقة! يا أيها الأشعار المتمرطة! قوموا إلى موقف الحساب والعرض الأكبر فیدخل كل روح في جسده قال: ويمطر الله طيشا من تحت العرش على جميع الموتى، فيحيون كما تحيى الأرض الميتة بوابل السماء، فيبعث الله الأجساد التي كانت في الدنيا من حيث كانت بعضها في بطون السباع، وبعضها من حواصل الطير وبنیان البحور وبطون الأرض وظهورها، فیدخل كل روح في جسده، فإذا هم قيام ينظرون، فيبعث الله نارا من المشارق، فتحشر الناس إلى المغارب إلى أرض تسمى الساهرة من وراء بيت المقدس أرض طاهرة لم يعمل عليها سيئة ولا خطيئة فذلك قوله: ﴿فَأَنشَأْ فِي زَجْرَةٍ وَاحِدَةٍ ۖ فَادَّاهُمُ بِالسَّاهِرَةِ ۝﴾، وقوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾، ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَأَنشَأْ مِنْهُمْ أَجْدَادًا ۝﴾، ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمِيعًا ۝﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا ۝ الَّذِينَ كَانَتْ... الآية.

”شعب الإيمان“، باب في حشر الناس... إلخ، فصل في صفة يوم القيامة، الحديث: ٣٥٣، ج ١، ص ٣١٢-٣١٤.

①..... عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو أخذ بأيديهما وقال: ((هكذا نبعث يوم القيامة)). ”سنن الترمذي“، كتاب المناقب، باب قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثم عمر: ((هكذا نبعث يوم القيامة))، الحديث: ٣٦٨٩، ج ٤، ص ٣٧٨.

②..... عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم أتى أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين)). ”سنن الترمذي“، كتاب المناقب، باب أنا أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر وعمر، الحديث: ٣٧١٢، ج ٥، ص ٣٨٨.

③..... ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ۝﴾ پ ١٧، الحج: ٧.

في ”الشفاء“، فصل في بيان ما هو من المقالات، ج ٢، ص ٢٩٠: (من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراً).

وفي ”منح الروض الأزهر“ للقرائي، فصل في المرض والموت والقيامة، ص ١٩٥.

अक्वीदा 2 हशर सिर्फ रूह का नहीं, बल्कि रूह व जिस्म दोनों का है, जो कहे सिर्फ रूहें उठेंगी जिस्म जिन्दा न होंगे, वोह भी काफिर है।⁽¹⁾

अक्वीदा 3 दुनिया में जो रूह जिस जिस्म के साथ मुतअल्लिक थी उस रूह का हशर उसी जिस्म में होगा, येह नहीं कि कोई नया जिस्म पैदा कर के उस के साथ रूह मुतअल्लिक कर दी जाए।⁽²⁾

अक्वीदा 4 जिस्म के अज्जा अगर्चे मरने के बाद मुतफरिक् हो गए और मुख्तलिफ जानवरों की गिजा हो गए हों, मगर अल्लाह तआला उन सब अज्जा को जम्अ फरमा कर कियामत के दिन उठाएगा⁽³⁾।

①..... في "المعتقد المتقدم"، هل الروح أيضاً جسم فلا حشر إلا جسماني؟، ص ١٨١: (أكثر المتكلمين على أن الحشر جسماني فقط على أن الروح جسم لطيف. والغزالي والماتريدي والراغب والحلي على أنه جسماني وروحاني، بناء على أن الروح جوهر مجرد ليس بجسم ولا قوة حالة في جسم، بل يتعلق به تعلق التدبير والتصرف).

قال الإمام أحمد رضا في "المعتمد المستند"، تحت قوله: "جسماني فقط": (لا بمعنى إنكار حشر الروح، فإنه كفر قطعاً كإنكار حشر الأجساد؛ لأن الكل ثابت ضرورة من الدين، بل بناء على أن الروح أيضاً عندهم جسم لطيف فحشر الجسد والروح كل ذلك ليس عندهم إلا حشر جسم). ١٢.

②..... ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ پ ٢٦، ق: ٤.

في "تفسير روح البيان"، ج ٩، ص ١٠٤، تحت هذه الآية: (قال ابن عطية وحفظ ما تنقص الأرض إنما هو ليعود بعينه يوم القيامة وهذا هو الحق وذهب بعض الأصوليين إلى أن الأجساد المبعوثة يجوز أن تكون غير هذه، قال ابن عطية: وهذا عندي خلاف لظاهر كتاب الله، ولو كانت غيرها فكيف كانت تشهد الجلود والأيدي والأرجل على الكفرة إلى غير ذلك مما يقتضي أن أجساد الدنيا هي التي تعود، وسئل شيخ الإسلام ابن حجر: هل الأجساد إذا بليت وفنيت وأراد الله تعالى إعادتها كما كانت أولاً، هل تعود الأجسام الأولى أم يخلق الله للناس أجساداً غير الأجساد الأولى؟، فأجاب أن الأجساد التي يعيدها الله هي الأجساد الأولى لا غيرها، قال: وهذا هو الصحيح بل الصواب، ومن قال غيره عندي فقد أخطأ فيه لمخالفته ظاهر القرآن والحديث، قال أهل الكلام: إن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية التي صار الإنسان معها حال التولد، وهي العناصر الأربعة ويعيد روحه إليه سواء سمي ذلك الجمع إعادة المعلوم بعينه أو لم يسم).

③..... حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، حدثنا أبي، قال: كنت جالساً مع عكرمة عند منزل ابن داود - وكان عكرمة نازلاً مع ابن داود نحو الساحل - فذكروا الذين يغرقون في البحر، فقال عكرمة: الحمد لله! إن الذين يغرقون في البحر تنقسم لحومهم الحيتان فلا يبقى منهم شيء إلا العظام تلوح، فتقبلها الأمواج حتى تلقوها إلى البر، فتمكث العظام حيناً حتى تسير حائلاً نخرة، فتسمر بها الإبل فتأكلها ثم تسير الإبل فتبعر ثم يجيء بعدهم قوم ينزلون منزلاً فيأخذون ذلك البعر فيوقدون ثم تحمد تلك النار

क़ियामत के दिन लोग अपनी अपनी क़ब्रों से नंगे बदन, नंगे पाउं, ना ख़तना शुदा⁽¹⁾, उठेंगे⁽¹⁾, कोई पैदल, कोई सुवार⁽²⁾ और उन में बाज़ तन्हा सुवार होंगे और किसी सुवारी पर दो², किसी पर तीन³, किसी पर चार⁴, किसी पर दस¹⁰ होंगे।⁽³⁾ काफ़िर मुंह के बल चलता हुवा मैदाने हशर को जाएगा⁽⁴⁾, किसी को मलाएका घसीट कर ले जाएंगे, किसी को आग जम्अ करेगी।⁽⁵⁾

فتحجيء ریح فتلقى ذلك الرماد على الأرض، فإذا جاءت النفخة، قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] فيخرج أولئك وأهل القبور سواء. "حلية الأولياء"، عكرمة مولى ابن عباس، الحديث: ٤٣٧٤، ج ٣، ص ٣٨٩. وفي "البدور السافرة في أمور الآخرة"، للسيوطي، ص ٤١.

① عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا)). "صحيح مسلم"، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا... إلخ، الحديث: ٢٨٦٩، ص ١٥٢٩. وفي رواية: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم محشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعُدَّا عَيْنُنَا﴾ إِنَّا كُنَّا مُعِيدِينَ)).

"صحيح البخاري"، كتاب أحاديث الأنبياء، الحديث: ٣٣٤٩، ج ٢، ص ٤٢٠. ② عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفًا مشاةً وصنفًا ركبانا وصنفًا على وجوههم)). "سنن الترمذي"، كتاب التفسير، باب: ومن سورة النحل، الحديث: ٣١٥٣، ج ٥، ص ٩٦. ③ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير)). "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، الحديث: ٦٥٢٢، ج ٤، ص ٢٥٢. "صحيح مسلم"، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا... إلخ، الحديث: ٢٨٦١، ص ١٥٣٠. وفي "المراقبة"، كتاب الفتن، تحت الحديث: ٥٥٣٤، ج ٩، ص ٤٧٢: (فإن قيل: فلم يذكر من السابقين من يتفرد بفرد مركب لا يشاركه فيه أحد، قلنا: لأنه عرف أن ذلك معقول لمن فوقهم في المرتبة من أنبياء الله ليوقع الامتياز بين النبيين والصدّيقين في المراكب كما وقع في المراتب).

④ حدثنا أنس بن مالك، أن رجلاً قال: يا رسول الله! كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيمة؟ قال: ((أليس الذي أمشاه على رجله في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيمة؟)). "صحيح مسلم"، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، يحشر الكافر على وجهه، الحديث: ٢٨٠٦، ص ١٥٠٨، "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، الحديث: ٦٥٢٣، ج ٤، ص ٢٥٣.

⑤ عن أبي ذر قال: إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني: ((..... وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار... إلخ)). "سنن النسائي"، كتاب الجنائز، البعث، الحديث: ٢٠٨٣، ص ٣٥٠.

येह मैदाने हसर मुल्के शाम की ज़मीन पर काइम होगा।⁽¹⁾ ज़मीन ऐसी हम्वार होगी कि इस किनारे पर राई का दाना गिर जाए तो दूसरे किनारे से दिखाई दे⁽²⁾, उस दिन ज़मीन तांबे की होगी⁽³⁾ और आफ़ताब एक मील के फ़ासिले पर होगा। राविये हदीस ने फ़रमाया :

①..... قال: ((تحشرون هاهنا وأوماً بيده إلى نحو الشام مشاة وركبانا)). وحدثنا يزيد، أخبرنا بهز عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله، أين تأمرني، قال: ((هاهنا)) ونحا بيده نحو الشام، قال: ((إنكم محشورون رجالاً وركبانا وتجرون على وجوهكم)). "المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٠٠٤٢، ٢٠٠٥١ ج ٧، ص ٢٣٥-٢٣٧.

②.... "ملفूज़ाते आला हज़रत", हिस्सा चहारुम, स. 455

③..... ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ پ ١٣، إبراهيم: ٤٨.
في "تفسير الطبري"، تحت الآية: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾: واختلف في معنى قوله: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ فقال بعضهم: معنى ذلك يوم تبدّل الأرض التي عليها الناس اليوم في دار الدنيا غير هذه الأرض، فتصير أرضاً بيضاء كالفضة.
عن عبد الله أنه قال في هذه الآية ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ قال: أرض كالفضة نقية لم يسيل فيها دم، ولم يُعمل فيها خطيئة.

وقال آخرون: تبدّل نارا. ذكر من قال ذلك. عن قيس بن السّكن قال: قال عبد الله: الأرض كلها نار يوم القيامة.
وقال آخرون: بل تبدّل الأرض أرضاً من فضة. ذكر من قال ذلك. عن أبي موسى عمن سمع علياً يقول في هذه الآية: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ قال: الأرض من فضة، والحنة من ذهب.
وقال آخرون: يبدّلها خبزة. ذكر من قال ذلك. عن سعيد بن جبیر، في قوله: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾ قال: تبدّل خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه.

وقال آخرون: تبدّل الأرض غير الأرض ذكر من قال ذلك عن كعب في قوله: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ﴾
وَالسَّلَوَاتُ قال: تصير السماوات جنانا ويصير مكان البحر النار قال: وتبدل الأرض غيرها.

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بعد ذلك: (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: يوم تبدّل الأرض التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرها، وكذلك السماوات اليوم تبدّل غيرها، كما قال جلّ ثناؤه، وجائز أن تكون المبدلة أرضاً أخرى من فضة، وجائز أن تكون ناراً وجائز أن تكون خبزاً، وجائز أن تكون غير ذلك، ولا خبر في ذلك عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أي ذلك يكون، فلا قول في ذلك يصحّ إلا ما دلّ عليه ظاهر التنزيل، ملتقطاً.

(تفسير الطبري، ج ٧، ص ٤٧٩-٤٨٣).

“मालूम नहीं मील से मुराद सुरमे की सलाई है या मीले मसाफ़्त”(1), अगर मीले मसाफ़्त भी हो तो क्या बहुत फ़ासिला है...? कि अब चार हज़ार बरस की राह के फ़ासिले पर है और इस तरफ़ आप़ताब की पीठ है(2), फिर भी जब सर के मुक़ाबिल आ जाता है, घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है, उस वक़्त कि एक मील के फ़ासिले पर होगा और उस का मुंह इस तरफ़ को होगा, तपिश और गर्मी का क्या पूछना..?(3) और अब मिट्टी की ज़मीन है, मगर गर्मियों की धूप में ज़मीन पर पाउं नहीं रखा जाता, उस वक़्त जब तांबे की होगी और आप़ताब का इतना कुर्ब होगा, उस की तपिश कौन बयान कर सके... ? **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) पनाह में रखे । भेजे खौलते होंगे(4) और इस कसरत से पसीना निकलेगा कि सत्तर गज़ ज़मीन में ज़ब्ब हो जाएगा(5), फिर जो पसीना ज़मीन न पी सकेगी वोह ऊपर चढ़ेगा, किसी के टख्नों

तक होगा, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर कमर, किसी के सीने, किसी के गले तक, और काफ़िर के तो मुंह तक चढ़ कर मिस्ल लगाम के जकड़ जाएगा, जिस में वोह डुबकियां खाएगा।⁽¹⁾ इस गर्मी की हालत में प्यास की जो कैफ़ियत होगी मोहताजे बयान नहीं, ज़बानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, बाज़ों की ज़बानें मुंह से बाहर निकल आएंगी, दिल उबल कर गले को आ जाएंगे, हर मुब्तला ब क़दरे गुनाह तकलीफ़ में मुब्तला किया जाएगा, जिस ने चांदी सोने की ज़कात न दी होगी उस माल को ख़ूब गर्म कर के उस की करवट और पेशानी और पीठ पर दाग़ करेंगे⁽²⁾, जिस ने जानवरों की ज़कात न दी होगी उस के जानवर क़ियामत के दिन ख़ूब तय्यार हो कर आएंगे और उस शख्स को वहां लिटाएंगे और वोह जानवर अपने सींगों से मारते और पाउं से रौंदते उस पर गुज़रेंगे, जब सब इसी तरह गुज़र जाएंगे फिर उधर से वापस आ कर यूंही उस पर गुज़रेंगे, इसी तरह करते रहेंगे, यहां तक कि लोगों का हिसाब ख़त्म हो⁽³⁾ **وعلى هذا القياس**।

①..... عن عقبه بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((تُدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الحاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه)) وأشار بيده فألجمها فاه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ((ومنهم من يغطيه عرقه)). وضرب بيده إشارة.

”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٧٤٤٤، ج ٦، ص ١٤٦.

②..... ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٥﴾ **يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ تَتَكَلَّمُ بِهَا بَعْضُهُمْ جُؤُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۚ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ قَدْ وَفَّوْا مَا كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ ٣٥** ﴿٣٥﴾

③..... عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلعاء، كلما مضى عليه أخرها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)).

“صحيح مسلم”، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، الحديث: ٩٨٧، ص ٤٩٣.

फिर बा वुजूद इन मुसीबतों के कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, भाई से भाई भागेगा, मां बाप औलाद से पीछा छुड़ाएंगे, बीबी बच्चे अलग जान चुराएंगे⁽¹⁾, हर एक अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ़्तार, कौन किस का मददगार होगा...! हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام को हुक्म होगा, ऐ आदम ! दोज़खियों की जमाअत अलग कर, अर्ज़ करेंगे : कितने में से कितने ? इरशाद होगा : हर हज़ार से नव सो निनान्वे, येह वोह वक़्त होगा कि बच्चे मारे ग़म के बूढ़े हो जाएंगे, हम्ल वाली का हम्ल साक़ित हो जाएगा, लोग ऐसे दिखाई देंगे कि नशे में हैं, हालां कि नशे में न होंगे, व लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत सख़्त है⁽²⁾, गरज़ किस किस मुसीबत का बयान किया जाए, एक हो, दो² हों, सो¹⁰⁰ हों, हज़ार¹⁰⁰⁰ हों तो कोई बयान भी करे, हज़ारहा मसाइब और वोह भी ऐसे शदीद कि अल अमां अल अमां...! और येह सब तकलीफें दो चार घन्टे, दो चार दिन, दो चार माह की नहीं, बल्कि क़ियामत का दिन कि पचास हज़ार बरस का एक दिन होगा⁽³⁾, क़रीब आधे के गुज़र चुका है और अभी तक अहले महशर इसी हालत में हैं। अब आपस में मश्वरा करेंगे कि कोई अपना सिफ़ारिशी ढूंडना चाहिये कि हम को इन मुसीबतों से रिहाई दिलाए, अभी तक तो येही नहीं पता चलता है कि आख़िर किधर को जाना है, येह बात मश्वरे से क़रार पाएगी कि हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام हम सब के बाप हैं, अल्लाह तआला ने इन को अपने दस्ते कुदरत से बनाया और जन्नत में रहने को जगह दी और मर्तबए नबुव्वत से सरफ़राज़ फ़रमाया, उन की ख़िदमत में हाज़िर होना चाहिये, वोह हम को इस मुसीबत से नजात दिलाएंगे।

गरज़ उफ़तां व खेजां⁽⁴⁾ किस किस मुशिकल से उन के पास हाज़िर होंगे और अर्ज़ करेंगे : ऐ आदम ! आप अबुल बशर हैं, अल्लाह عَزَّوَجَلَّ ने आप को अपने दस्ते कुदरत से

①..... ﴿يَوْمَ يُفْرَأُ الزُّعْرَمُ مِنْ أَحِبِّهِ ۖ وَأُمَمٌ وَأَبْيَهُ ۖ وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ﴾ (پ ۳۰، عیس: ۳۴-۳۷)۔

②..... عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك، وسعديك، والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فعنده يشيب الصغير ﴿وَقَطَعْنَا كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ٢٢])۔

”صحیح البخاری“، کتاب أحادیث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، الحديث: ۳۳۴۸، ج ۲، ص ۴۱۹-۴۲۰۔

③..... ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، پ ۲۹، المعارج: ۴۔ في ”الدر المنثور“، ج ۸، ص ۲۷۹، تحت الآية:

أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ قال: لو قدرتموه لكان خمسين ألف سنة من أيامكم، قال: يعني يوم القيامة)۔

④..... गिरते पड़ते।

बनाया और अपनी चुनी हुई रूह आप में डाली और मलाएका से आप को सज्दा कराया और जन्नत में आप को रखा, तमाम चीजों के नाम आप को सिखाए, आप को सफ़ी किया, आप देखते नहीं कि हम किस हालत में हैं...? आप हमारी शफ़ाअत कीजिये कि अल्लाह तआला हमें इस से नजात दे।⁽¹⁾ फ़रमाएंगे : मेरा येह मर्तबा नहीं, मुझे आज अपनी जान की फ़िक्र है⁽²⁾, आज रब عَزَّوَجَلَّ ने ऐसा ग़ज़ब फ़रमाया है कि न पहले कभी ऐसा ग़ज़ब फ़रमाया, न आइन्दा फ़रमाए, तुम किसी और के पास जाओ!⁽³⁾ लोग अर्ज करेंगे : आख़िर किस के पास हम जाएं...? फ़रमाएंगे⁽⁴⁾ : नूह के पास जाओ, कि वोह पहले रसूल हैं कि ज़मीन पर हिदायत के लिये भेजे गए⁽⁵⁾, लोग उसी हालत में हज़रते नूह عَلَيْهِ السَّلَام की ख़िदमत में हाज़िर होंगे और उन के फ़ज़ाइल बयान कर के अर्ज करेंगे कि⁽⁶⁾ : आप अपने रब के हुज़ूर हमारी शफ़ाअत

①..... عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهملوا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقتك الله بيده، وأسكنك الجنة، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال: فيقول: لست هناك)).

”صحيح البخاري“، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَجُودَ يَوْمَئِذٍ ضَرَّةٌ...﴾ الخ، الحديث: ٧٤٤٠، ج ٤، ص ٥٥٤. وفي رواية ”صحيح البخاري“: قال: ((وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم، فيأتونه، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقتك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟)). كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾ الخ، الحديث: ٣٣٤٠، ج ٢، ص ٤١٥. وفي رواية ”المسند“، الحديث: ١٥، ج ١، ص ٢١: ((فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر، وأنت اصطفاك الله - عز وجل - اشفع لنا إلى ربك)).

②..... ((فيقول: إني لست هناكم...، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي))، ملتقطاً.

”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، ج ١، ص ٦٠٣، الحديث: ٢٥٤٦.

③..... ((فيقول: ربي غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري))، ”صحيح البخاري“، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾ الخ، الحديث: ٣٣٤٠، ج ٢، ص ٤١٥.

④..... ((فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول)). ”الخصائص الكبرى“، باب الشفاعة، ج ٢، ص ٣٨٣.

⑤..... ((اتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)).

”صحيح البخاري“، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿لَمَّا خَلَفْتُ بَيْدَىٰ﴾ الخ، الحديث: ٧٤١٠، ج ٤، ص ٥٤٢.

⑥..... ((فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبداً شكوراً)). ”صحيح البخاري“،

كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ...﴾ الخ، الحديث: ٣٣٤٠، ج ٢، ص ٤١٥.

कीजिये कि वोह हमारा फैसला कर दे, यहां से भी वोही जवाब मिलेगा कि मैं इस लाइक नहीं, मुझे अपनी पड़ी है⁽¹⁾, तुम किसी और के पास जाओ!⁽²⁾ अर्ज करेंगे कि, आप हमें किस के पास भेजते हैं...? फरमाएंगे⁽³⁾ : तुम इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास जाओ⁽⁴⁾, कि उन को अल्लाह तआला ने मर्तबए खुल्लत से मुस्ताज फरमाया है⁽⁵⁾, लोग यहां हाज़िर होंगे, वोह भी येही जवाब देंगे कि मैं इस के काबिल नहीं, मुझे अपना अन्देशा है।

मुख्तसर येह कि वोह हज़रते मूसा عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की खिदमत में भेजेंगे, वहां भी वोही जवाब मिलेगा, फिर मूसा عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام हज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام के पास भेजेंगे, वोह भी येही फरमाएंगे कि : मेरे करने का येह काम नहीं⁽⁶⁾, आज मेरे रब ने वोह ग़ज़ब फरमाया है कि ऐसा न कभी फरमाया, न फरमाए, मुझे अपनी जान का डर है, तुम किसी दूसरे के पास जाओ⁽⁷⁾, लोग अर्ज करेंगे : आप हमें किस के पास भेजते हैं? फरमाएंगे : तुम उन के हुज़ूर हाज़िर हो, जिन के हाथ पर फ़त्ह रखी गई, जो आज बेखौफ हैं⁽⁸⁾, और वोह तमाम औलादे आदम के सरदार हैं, तुम मुहम्मद صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की खिदमत में हाज़िर हो, वोह खातमुन्नबियीन हैं, वोह आज

① ((فيقولون: يا نوح، اشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا، فيقول: إني لست هناكم...، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي))،

ملتقطاً. "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٥٤٦، ج ١، ص ٦٠٣.

② ((اذهبوا إلى غيري)). "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، باب: ﴿ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلٍ مَّعْتُورٍ ۖ إِنَّهُ...﴾، الحديث:

٤٧١٢، ج ٣، ص ٢٦٠.

③ ((فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول)). "الخصائص الكبرى"، باب الشفاعة، ج ٢، ص ٣٨٣.

④ ((لكن اتوا إبراهيم خليل الله عليه السلام)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٥٤٦، ج ١، ص ٦٠٣.

⑤ ((فإن الله -عز وجل- اتخذهُ خليلًا)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٥، ج ١، ص ٢١.

⑥ ((فيأتون إبراهيم، فيقول: إني لست هناكم، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن اتوا موسى عليه السلام، فيقول: إني

لست هناكم، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن اتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى، فيقول: إني لست هناكم، وإنه

لا يهمني اليوم إلا نفسي))، ملتقطاً. "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٥٤٦، ج ١، ص ٦٠٣-٦٠٤.

⑦ ((فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا

إلى غيري))، ملتقطاً.

"صحيح البخاري"، كتاب التفسير، باب: ﴿ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلٍ مَّعْتُورٍ ۖ إِنَّهُ...﴾، الحديث: ٤٧١٢، ج ٣، ص ٢٦٠.

⑧ ((فيقولون: إلى من تأمرنا؟ فيقول: اتوا عبداً فتح الله على يديه، ويجيء في هذا اليوم آمنة محمداً)).

"الخصائص الكبرى"، باب الشفاعة، ج ٢، ص ٣٨٣، ملتقطاً.

(1) तुम्हारी शफ़ाअत फ़रमाएंगे, उन्हीं के हुज़ूर हाज़िर हो, वोह यहां तशरीफ़ फ़रमा हैं।

अब लोग फिरते फिरते, ठोकें खाते, रोते चिल्लाते, दुहाई देते हाज़िरे बारगाहे बेकस पनाह हो कर अर्ज करेंगे (2) : ऐ मुहम्मद ! (3) ऐ अल्लाह के नबी ! हुज़ूर के हाथ पर अल्लाह ने फ़तहे बाब रखा है, आज हुज़ूर मुत्मइन हैं (4), इन के इलावा और बहुत से फ़ज़ाइल बयान कर के अर्ज करेंगे : हुज़ूर मुलाहज़ा तो फ़रमाएं हम किस मुसीबत में हैं ! और किस हाल को पहुंचे ! हुज़ूर बारगाहे खुदावन्दी में हमारी शफ़ाअत फ़रमाएं और हम को इस आफ़त से नजात दिलवाएं। (5) जवाब में इरशाद फ़रमाएंगे : ((أَنَا لَهَا)) (6) मैं इस काम के लिये हूं, ((أَنَا صَاحِبُكُمْ)) (7) मैं ही वोह हूं जिसे तुम तमाम जगह ढूंढ आए, येह फ़रमा कर बारगाहे इज़ज़त में हाज़िर होंगे और सज्दा करेंगे, इरशाद होगा :

1..... ((لكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لكم إلى ربكم عز وجل))، ملتقطاً.
"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٥، ج ١، ص ٢١.
وفي رواية: ((إن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وقد حضر اليوم)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل: الحديث: ٢٥٤٦، ج ١، ص ٦٠٤.

2..... आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن अपने मख़सूस अन्दाज़ में इन अल्फ़ज़ के साथ उस महशर के दिन का नक्शा खींचते हुए फ़रमाते हैं : “अब वोह वक़्त आया कि लोग थके हारे, मुसीबत के मारे, हाथ पाउं छोड़े, चार तरफ़ से उम्मीदें तोड़े, बारगाहे अर्श जाह, बेकस पनाह, ख़ातिमे दौरए रिसालत, फ़तेहे बाबे शफ़ाअत, महबूबे बा वजाहत, मल्लूबे बुलन्द इज़ज़त, मल्जाए अज़िज़ां, मावाए बे कसां, मौलाए افضل صلوات الله وکّل تليمانت اللّٰه واکّل تحيات اللّٰه واکّل بركات اللّٰه عليه وکّل آل وحمه وکّل عیالہ یأومनुशूर यौमुनुशूर शफ़ीए यौमुनुशूर दो जहान, हुज़ूरे पुरनूर मुहम्मदुरसूलुल्लाह शफ़ीए यौमुनुशूर में हाज़िर आए, और ब हज़ारां हज़ार नालहाए ज़ार व दिले बे क़रार व चश्मे अश्कवार यू अर्ज करते हैं।
"الفتاوى الرضوية", ج ٣٠، ص ٢٢٣.

3..... ((يا محمد)). "صحيح البخاري", كتاب التفسير، باب: ﴿ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَسَنَاتٍ...﴾، الحديث: ٤٧١٢، ج ٣، ص ٢٦٠.

4..... ((يا نبي الله! أنت الذي فتح الله بك وجئت في هذا اليوم آمناً)).

"الخصائص الكبرى"، باب الشفاعة، ج ٢، ص ٣٨٣، ملتقطاً.

5..... ((اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا)).

"صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، الحديث: ٣٢٧، ص ١٢٥.

6..... ((فأقول: أنا لها)). "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب كلام عز وجل تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، الحديث: ٧٥١٠، ج ٤، ص ٥٧٧.

7..... ((أنا صاحبكم)). "المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٦١١٧، ج ٦، ص ٢٤٨.

((يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تَسْمَعُ وَسَلُّ تَعْطُهُ وَاشْفَعُ تُشْفَعُ))⁽¹⁾

“ऐ मुहम्मद ! अपना सर उठाओ और कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी और मांगो जो कुछ मांगोगे मिलेगा और शफ़ाअत करो, तुम्हारी शफ़ाअत मक्बूल है।”
दूसरी रिवायत में है :

((وَقُلْ تُطْعُ))⁽²⁾

“फ़रमाओ ! तुम्हारी इताअत की जाए।”

फिर तो शफ़ाअत का सिल्लिसला शुरूअ हो जाएगा, यहां तक कि जिस के दिल में राई के दाने से कम से कम भी ईमान होगा, उस के लिये भी शफ़ाअत फ़रमा कर उसे जहन्नम से निकालेंगे, यहां तक कि जो सच्चे दिल से मुसलमान हुवा अगर्चे उस के पास कोई नेक अमल नहीं है, उसे भी दोज़ख़ से निकालेंगे।⁽³⁾ अब तमाम अम्बिया अपनी उम्मत की शफ़ाअत फ़रमाएंगे⁽⁴⁾, औलियाए किराम⁽⁵⁾,.....

1..... ((فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَّبِّي فَيُؤْذِنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مُحَمَّدٌ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمُحَمَّدِ وَأُخْرِجُهُ سَاجِدًا، فَيَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يَسْمَعُ لَكَ، وَسَلُّ تَعْطُهُ، وَاشْفَعُ تُشْفَعُ)). “صحيح البخاري”، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، الحديث: ٧٥١٠، ج ٤، ص ٥٧٧.
وفي رواية: ((فيقال: يا محمد! ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطه، اشفع تشفع)).

“صحيح مسلم”، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، الحديث: ٣٢٢ (١٩٣)، ص ١٢٢.

2..... وفي رواية “المسند” للشاشي: ((فيقال: ارفع رأسك، قل تطع، واشفع تشفع)). الحديث: ١١١٥، ج ٣، ص ٣٥٣.

3..... ((يا رب أمتي أمتي، فيقول: أنطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنتطلق فأفعل فأقول: يارب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله)). ملتقطاً. “صحيح البخاري”، كتاب التوحيد، باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، الحديث: ٧٥١٠، ج ٤، ص ٥٧٧-٥٧٨.

4..... عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يفتقد أهل الجنة ناساً كانوا يعرفونهم في الدنيا، فيأتون الأنبياء، فيذكرونهم، فيشفعون فيهم، فيشفعون، فيقال لهم: الطلقاء، وكلّهم طلقاء، يصب عليهم ماء الحياة)). “المعجم الأوسط” للطبراني، الحديث: ٣٠٤٤، ج ٢، ص ٢٠٩، و”مجمع الزوائد”، الحديث: ١٨٥٢٩، ج ١٠، ص ٦٨٩.
عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء)). “سنن ابن ماجه”، أبواب الزهد، باب ذكر الشفاعة، الحديث: ٤٣١٣، ج ٤، ص ٥٢٦.

5..... في “فتح الباري”، كتاب الرقاق، باب الصراط حسر جهنم، ج ١١، ص ٣٩٠ (ثم يقال: ادعوا الأنبياء فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون).

शुहदा⁽¹⁾, उलमा⁽²⁾, हुप्फाज⁽³⁾, हुज्जाज⁽⁴⁾, बल्कि हर वोह शख्स जिस को कोई मन्सबे दीनी इनायत हुवा, अपने अपने मुतअल्लिकीन की शफाअत करेगा।⁽⁵⁾ ना बालिग बच्चे जो मर गए हैं, अपने मां बाप की शफाअत करेंगे⁽⁶⁾, यहां तक कि उलमा के पास कुछ लोग आ कर अर्ज

1..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته)).

”سنن أبي داود“، كتاب الجهاد، باب في الشهيد يشفع، الحديث: ٢٥٢٢، ج ٣، ص ٢٣.

2..... عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يبعث العالم والعابد، فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للعالم: اثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم)).

”شعب الإيمان“، باب في طلب العلم، الحديث: ١٧١٧، ج ٢، ص ٢٦٨.

وفي رواية: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ((ويقال للعالم: اشفع في تلاميذك ولو بلغ عددهم نجوم السماء)).

”مسند الفردوس“ للدليمي، الحديث: ٨٥١٧، ج ٢، ص ٥٠٣.

3..... عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته، كلهم قد استوجب النار)).

”سنن ابن ماجه“، أبواب السنة، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، الحديث: ٢١٦، ج ١، ص ١٤١.

4..... عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الحاج يشفع في أربع مئة أهل بيت))، أو قال: ((من أهل بيته)).

”البحر الزخار بمسند الزار“، مسند أبي موسى الأشعري، الحديث: ٣١٩٦، ج ٨، ص ١٦٩.

وفي رواية: عن أبي موسى الأشعري أن رجلاً سأله عن الحاج؟ فقال: ((إن الحاج يشفع في أربع مئة بيت من قومه، ويبارك له في أربعين من أمهات البعير الذي حملة، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).

”المصنف“ لعبد الرزاق، باب فضل الحج، الحديث: ٨٨٣٨، ج ٥، ص ٥.

5..... عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من أمتي من يشفع للفقام من الناس، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة)).

”سنن الترمذي“، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في الشفاعة... إلخ، الحديث: ٢٤٤٨، ج ٤، ص ١٩٩.

وفي رواية: عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من عدد

مضر، ويشفع الرجل في أهل بيته، ويشفع على قدر عمله)).

”المعجم الكبير“، للطبراني، الحديث: ٨٠٥٩، ج ٨، ص ٢٧٥.

6..... أخرج إسحق بن راهوية في ”مسنده“ عن جيبية وأم جيبية، قال: كنا في بيت عائشة رضي الله عنها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ما من المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، أطفال لم يبلغوا الحنث إلا جيء بهم حتى يوقفوا

على باب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: أندخل ولم ندخل أبوانا؟ فيقال لهم في الثانية أو الثالثة: ادخلوا الجنة وآباء

كم، فذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا تَتْلُوهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ﴾، قال: نفعت الآباء شفاعة أبنائهم)).

करेंगे : हम ने आप के वुजू के लिये फुलां वक्त में पानी भर दिया था⁽¹⁾, कोई कहेगा कि : मैं ने आप को इस्तिन्जे के लिये ढेला दिया था⁽²⁾, उलमा उन तक की शफ़ाअत करेंगे ।

अक्वीदा 5 — हिसाब हक़ है, आमाल का हिसाब होने वाला है ।⁽³⁾

अक्वीदा 6 — हिसाब का मुन्किर काफ़िर है⁽⁴⁾, किसी से तो इस तरह हिसाब लिया जाएगा कि खुप़यतन⁽⁵⁾ उस से पूछा जाएगा : तू ने येह किया और येह किया ? अर्ज़ करेगा : हां ऐ रब ! यहां तक कि तमाम गुनाहों का इक़्ार ले लेगा, अब येह अपने दिल में समझेगा

= وأخرج أبو نعيم عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافعين ومشفعين)). "البدور السافرة في الأمور الآخرة"، الحديث: ١١٥٥-١١٥٦، ص ٣٦٢.

وفي رواية: ((ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفع من لم يبلغ ثنتي عشر سنة، ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله)). "كنز العمال"، كتاب القيامة، الحديث: ٣٩٣٠١، ج ٤، ص ٢٠٠.

①..... عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يصف الناس يوم القيامة صفوفا، وقال ابن نمير: أهل الجنة، فيمر الرجل من أهل النار على الرجل، فيقول: يا فلان! أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ قال: فيشفع له، ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهورا، فيشفع له)).

"سنن ابن ماجه"، كتاب الأدب، باب فضل صدقة الماء، الحديث: ٣٦٨٥، ج ٤، ص ١٩٦.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يصف أهل النار، فيمر بهم الرجل من أهل الجنة، فيقول الرجل منهم: يا فلان! أما تعرفني؟ أنا الذي سقيتك شربة، وقال بعضهم: أنا الذي وهبت لك وضوءاً، فيشفع له فيدخله الجنة)).

"مشكاة المصابيح"، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، ج ٢، ص ٣٢٧، الحديث: ٥٦٠٤.

②..... في "المراقبة"، ج ٩، ص ٥٦٩، تحت هذه الحديث: (قال بعضهم: أنا الذي وهبت لك وضوءاً أفتح الواو، أي: ماء وضوء، وعلى هذا القياس من لقمة وخرقة أو نوع إعانة... إلخ).

③..... في "شرح العقائد النسفية"، ص ١٠٤: ("والكتاب" المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بأيامهم والكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم "حق"، لقوله تعالى: ﴿وَنُخْرِجُهُمْ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَائِبًا قَسُومًا﴾ وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَدْبَرَ كَتِبَةً يُبَيِّنُهَا قَسُوفٍ يُحَاسِبُ حَسَابًا لَّيْسَ رَايًا﴾.

④..... في "منح الروض الأزهر" للقاري، فصل في المرض والموت والقيامة، ص ١٩٥: (واعلم أنّ من أنكر القيامة أو الجنة أو النار أو الميزان أو الصراط أو الحساب أو الصحائف المكتوبة فيها أعمال العباد يكفر، أي: لثبوتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة). وفي "الشفاء"، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، ج ٢، ص ٢٩٠: (وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراً).

⑤.... पोशीदा ।

(1) कि अब गए, फ़रमाएगा कि : हम ने दुनिया में तेरे ऐब छुपाए और अब बख़्शते हैं ।
और किसी से सख़्ती के साथ एक एक बात की बाज़पुर्स होगी, जिस से यूं सुवाल हुवा, वोह हलाक हुवा । (2) किसी से फ़रमाएगा : ऐ फुलां ! क्या मैं ने तुझे इज़्ज़त न दी..? तुझे सरदार न बनाया..? और तेरे लिये घोड़े और ऊंट वगैरा को मुसख़्ख़र न किया ..? इन के इलावा और नेमतें याद दिलाएगा, अर्ज़ करेगा : हां ! तू ने सब कुछ दिया था, फिर फ़रमाएगा : तो क्या तेरा खयाल था कि मुझ से मिलना है ? अर्ज़ करेगा कि नहीं, फ़रमाएगा : तो जैसे तू ने हमें याद न किया, हम भी तुझे अज़ाब में छोड़ते हैं ।

बाज़ काफ़िर ऐसे भी होंगे कि जब नेमतें याद दिला कर फ़रमाएगा कि तू ने क्या किया ? अर्ज़ करेगा : तुझ पर और तेरी किताब पर और तेरे रसूलों पर ईमान लाया, नमाज़ पढ़ी, रोज़े रखे, सदाक़ा दिया । और इन के इलावा जहां तक हो सकेगा, नेक कामों का ज़िक्र कर जाएगा । इरशाद होगा : तो अच्छा तू ठहर जा ! तुझ पर गवाह पेश किये जाएंगे, येह अपने जी में सोचेगा : मुझ पर कौन गवाही देगा...? उस वक़्त उस के मुंह पर मोहर कर दी जाएगी और आज़ा को हुक्म होगा : बोल चलो, उस वक़्त उस की रान और हाथ पाउं, गोशत पोस्त, हड्डियां सब गवाही देंगे कि येह तो ऐसा था ऐसा था, वोह जहन्नम में डाल दिया जाएगा । (3)

①..... عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ اللَّهَ يَدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيُضِغُ عَلَيْهِ كَفَّهُ وَيَسْتَرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ)).

”صحيح البخاري“، كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿الْأَلْعَنَةُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، الحديث: ٢٤٤١، ج ٢، ص ١٢٦.
②..... عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس أحد يحاسب إلا هلك))، قالت: قلت: يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾، [٧-٨] قال: ((ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك)).

”صحيح البخاري“، كتاب التفسير، باب: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾، الحديث: ٤٩٣٩، ج ٣، ص ٣٧٥.
في ”فتح الباري“، كتاب الرقاق، تحت الحديث: ٦٥٣٦، تحت قول: من نوقش الحساب عذب: (والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة، يقال انتقشت منه حقي أي: استقصيته). ج ١، ص ٣٤٢.

③..... عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: ((هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة، ليست في سحابة؟)) قالوا: لا، قال: ((فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟)) قالوا: لا، قال: ((فوالذي نفسي

नबी ﷺ ने फरमाया : मेरी उम्मत से सत्तर हज़ार बे हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और उन के तुफैल में हर एक के साथ सत्तर हज़ार और रब عزّوجلّ उन के साथ तीन जमाअतें और देगा, मालूम नहीं हर जमाअत में कितने होंगे, इस का शुमार वोही जाने।⁽¹⁾
तहज्जुद पढ़ने वाले बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे।⁽²⁾

بيده! لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل! ألم أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر لك الخيل والإبل، وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى، قال: فيقول: أفظنت أنك ملاقي؟ فيقول: لا، فيقول: فيأتي أنساك كما نسيته، ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل! ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل، وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يارب! فيقول: أفظنت أنك ملاقي؟ فيقول: لا، فيقول: إني أنساك كما نسيته، ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يارب! أمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، وبثني بخير ما استطاع، فيقول: ههنا إذا، قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدا عليك، ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيحتم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي، فتتطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق، وذلك الذي يستخط الله عليه)).

”صحيح مسلم“، كتاب الزهد والرفائق، الحديث: ٢٩٦٨، ص ١٥٨٧.

① عن عبد الرحمن بن أبي بكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إني ربي أعطاني سبعين ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب))، فقال عمر: يا رسول الله، فهل استزدته؟ قال: ((قد استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفاً))، قال عمر: فهل استزدته؟ قال: ((قد استزدته فأعطاني هكذا))، وفرّج عبد الله بن بكر بين يديه، وقال عبد الله: وبسط باغيه، وحثا عبد الله، وقال هشام: وهذا من الله لا يدري ما عده. ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٧٠٦، ج ١، ص ٤١٩.
عن أبي أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي)).

”سنن الترمذي“، كتاب صفة القيامة، الحديث: ٢٤٤٥، ج ٤، ص ١٩٨.

② ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ پ ٢١، السجدة: ١٦.

في ”تفسير الطبري“، ج ١٠، ص ٢٣٩، تحت الآية: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ قال: هؤلاء المتعبدون لصلاة الليل).

عن أسماء بنت يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة، فينادي مناد فيقول: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس ”بالحساب“)). ”شعب الإيمان“، باب في الصلاة، تحسين الصلاة والإكثار منها، الحديث: ٣٢٤٤، ج ٣، ص ١٦٩.

في ”المرقاة“ ج ١، ص ١٩٤، تحت اللفظ: ﴿عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ أي: المفارش والمراقد، والجمهور على أن المراد صلاة التهجد).

इस उम्मत में वोह शख्स भी होगा जिस के निनान्वे दफ़तर गुनाहों के होंगे और हर दफ़तर इतना होगा जहां तक निगाह पहुंचे, वोह सब खोले जाएंगे, रब عَزَّوَجَلَّ फ़रमाएगा : इन में से किसी अम्र का तुझे इन्कार तो नहीं है ? मेरे फ़रिश्तों किरामन कातिबीन ने तुझ पर जुल्म तो नहीं किया ? अर्ज करेगा : नहीं ऐ रब ! फिर फ़रमाएगा : तेरे पास कोई उज़्र है ? अर्ज करेगा : नहीं ऐ रब ! फ़रमाएगा : हां तेरी एक नेकी हमारे हुज़ूर में है और तुझ पर आज जुल्म न होगा, उस वक़्त एक परचा जिस में “أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ” होगा निकाला जाएगा और हुक्म होगा, जा तुलवा, अर्ज करेगा : ऐ रब ! येह परचा इन दफ़तरों के सामने क्या है ? फ़रमाएगा : तुझ पर जुल्म न होगा, फिर एक पल्ले पर येह सब दफ़तर रखे जाएंगे और एक में वोह, वोह परचा उन दफ़तरों से भारी हो जाएगा ⁽¹⁾। बिल जुम्ला उस की रहमत की कोई इन्तिहा नहीं, जिस पर रहम फ़रमाए, थोड़ी चीज़ भी बहुत कसीर है।

अक्बीदा 7 क़ियामत के दिन हर शख्स को उस का नामए आमाल दिया जाएगा ⁽²⁾, नेकों के दहने हाथ में और बदों के बाएं हाथ में ⁽³⁾, काफ़िर का सीना तोड़ कर उस का बायां हाथ उस से पसे पुश्त निकाल कर पीठ के पीछे दिया जाएगा ⁽⁴⁾।

① عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ اللَّهَ سَيَخْلُصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ سَجَلًا، كُلُّ سَجَلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَنْكَرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟ أَظْلَمْتُكَ كِتَابِي الْحَافِظُونَ؟ يَقُولُ: لَا يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: أَفَلَمْ تُعْذِرْ؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: بَلَى! إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَيُخْرِجُ بَطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزَنْكُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ الْبَطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَلَاتِ؟ فَقَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السَّجَلَاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبَطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السَّجَلَاتُ وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ، وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ)).

”سنن الترمذي“، كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن يموت... إلخ، الحديث: ٢٦٤٨، ج ٤، ص ٢٩٠-٢٩١.

② ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِرَبِّهِ زَمَنٌ مَلُومٌ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۖ اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِتَفْسِكِ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝﴾ پ ١٥، بني إسرائيل: ١٣-١٤.

③ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِرَيْبٍ ۖ فَيَقُولُ مَا أُوْتِيَ أَقْرَأُ ۖ ذَا كِتَابَةٍ ۖ إِنَِّّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حَسَابَةٍ ۖ﴾ پ ٢٩، الحاقة: ١٩-٢٠. ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ لَا يَحِيطُنِي ۖ لَمْ أُوْتِ كِتَابَةٍ ۖ﴾ پ ٢٩، الحاقة: ٢٥.

عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجداً ومعاذير، وأما الثالثة: فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فأخذ بيمينه وأخذ بشماله)).

”سنن ابن ماجه“، كتاب الزهد، باب ذكر البعث، الحديث: ٤٢٧٧، ج ٤، ص ٥٠٦.

④ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَاهُ ظَهْرًا ۖ لَسَوْفَ يَدْعُو أَبْوَابًا ۖ وَيَصِلُ سَعِيرًا ۖ﴾ پ ٣٠، انشقاق: ١٠-١٢.

في ”الجامع لأحكام القرآن“ للقرطبي، ج ١٠، ص ١٩٢، تحت الآية: (قال ابن عباس: يمد يده اليمنى ليأخذ كتابه فيجذبه

अक्वीदा 8

हौजे कौसर कि नबी ﷺ को मर्हमत हुवा, हक है।⁽¹⁾ इस हौजे की मसाफत एक महीने की राह है⁽²⁾, इस के किनारों पर मोती के कुब्बे हैं⁽³⁾, चारों गोशे बराबर यानी ज़ाविये काइमा हैं⁽⁴⁾, इस की मिट्टी निहायत खुशबूदार मुश्क की है⁽⁵⁾, इस का पानी दूध से ज़ियादा सफ़ेद, शहद से ज़ियादा मीठा⁽⁶⁾ और मुश्क से ज़ियादा पाकीज़ा⁽⁷⁾ और इस पर बरतन सितारों से भी गिनती में ज़ियादा⁽⁸⁾ जो इस का पानी पियेगा कभी प्यासा न होगा⁽⁹⁾, इस में जन्नत से दो परनाले हर वक़्त गिरते हैं, एक सोने का, दूसरा चांदी का।⁽¹⁰⁾

ملك، فيخلع يمينه، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وقال قتادة ومقاتل: يفك ألواح صدره وعظامه ثم تدخل يده وتخرج من ظهره، فيأخذ كتابه كذلك).

1..... عن أنس بن مالك أنه قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ﴾ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت الكوثر)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٣٥٧٩، ج ٤، ص ٤٩١.
وفي رواية: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري كذا على وجه الأرض)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٢٥٤٤، ج ٤، ص ٣٠٥.

في "شرح العقائد النسفية"، والحوض حق، ص ١٠٥: ((والحوض حق لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ﴾)).
2..... قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حوضي مسيرة شهر)). "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب الحوض، الحديث: ٦٥٧٩، ج ٤، ص ٢٦٧. و"صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا... إلخ، الحديث: ٢٢٩٢، ص ١٢٥٦.
3..... ((حافته قباب الدر المحجوف)). "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب الحوض، الحديث: ٦٥٨١، ج ٤، ص ٢٦٨. وفي رواية: ((حافته قباب اللؤلؤ)) "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٣٥٧٩، ج ٤، ص ٤٩١.
4..... ((وزواياه سواء)). "صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا... إلخ، الحديث: ٢٢٩٢، ص ١٢٥٦.
5..... ((فضربت بيدي إلى تربته، فإذا هو مسكة ذفرة)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٣٥٧٩، ج ٤، ص ٤٩١.
6..... ((ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل)).

"صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، الحديث: ٢٣٠٠، ص ١٢٦٠.
7..... ((وأطيب من المسك)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٣٣٧٧، ج ٩، ص ٨٩.
8..... عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ما آتية الحوض، قال: ((والذي نفس محمد بيده لآتيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها)). "صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته، الحديث: ٢٣٠٠، ص ١٢٦٠.
9..... ((من شرب منه لم يظمأ بعده)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٣٣٧٧، ج ٩، ص ٨٩.
10..... ((يغت فيه ميزابان يمدّانه من الجنة، أحدهما من ذهب، والآخر من ورق)).

"صحيح مسلم"، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وصفاته، الحديث: ٢٣٠١، ص ١٢٦٠.

www.dawateislami.net

अक्वीदा 11 हुजूरे अक्दस صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को एक झन्डा मर्हमत होगा जिस को लिवाउल हम्द कहते हैं, तमाम मोमिनीन हज़रते आदम عَلَیْہِ السَّلَام से आखिर तक सब उसी के नीचे होंगे ⁽¹⁾

अक्वीदा 12 सिरात हक़ है : येह एक पुल है कि पुश्ते जहन्नम पर नस्ब किया जाएगा, बाल से ज़ियादा बारीक और तल्वार से ज़ियादा तेज़ होगा ⁽²⁾, जन्नत में जाने का येही रास्ता है, सब से पहले नबी صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰलِہٖ وَسَلَّم गुज़र फ़रमाएंगे, फिर और अम्बियाओ मुरसलीन, फिर येह उम्मत फिर और उम्मतें गुज़रेंगी ⁽³⁾ और हस्बे इख़िलाफ़े आमाल पुल सिरात पर लोग मुख़लिफ़ तरह से गुज़रेंगे, बाज़ तो ऐसे तेज़ी के साथ गुज़रेंगे जैसे बिजली का कौदा कि अभी

① عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ويدي لواء الحمد ولا فخر، ومامن نبي يومئذ - آدم فمن سواه - إلا تحت لوائي)).

”سنن الترمذي“، كتاب المناقب، باب سلوا الله لي الوسيلة، الحديث: ٣٦٢٥، ج ٥، ص ٣٥٤.

② عن عائشة قالت: قال رسول الله: ((ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف)).

”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٤٨٤٧، ج ٩، ص ٤١٥.

وفي رواية: قال أبو سعيد الخدري: ((بلغني أنّ الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف)).

”صحيح مسلم“، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، الحديث: ٣٠٢، ص ١١٥.

وفي ”شرح العقائد النسفية“، والصراط حق، ص ١٠٥: (والصراط حق وهو جسر، ممدود على متن جهنم أدق من الشعر، وأحد من السيف يعبره أهل الجنة وتزل به أقدام أهل النار).

وفي ”الحديقة الندية“، ج ١، ص ٢٦٨: (الصراط جسر ممدود على متن جهنم يردّه الأولون والآخرون لا طريق الجنة إلاّ عليه، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف).

③ ((فيضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلاّ الرسل وكلام

الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم)). ”صحيح البخاري“، كتاب الأذان، فضل السجود، الحديث: ٨٠٦، ج ١، ص ٢٨٢.

وفي رواية: ((ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلاّ الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم)). ”صحيح البخاري“، كتاب التوحيد، الحديث: ٧٤٣٧، ج ٤، ص ٥٥١.

في ”فتح الباري“، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، ج ١٢، ص ٣٨٤، تحت الحديث: ٦٥٧٣، تحت قول:

(”فأكون أول من يجيز“ فإنّ فيه إشارة إلى أنّ الأنبياء بعده يُجيزون أممهم). وفيه أيضاً، ص ٣٨٧: (قال القرطبي: لما كان هو وأمته أول من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم حتى يجوز، فإذا جاز هو وأمته فكأنّه أجاز بقية الناس)، ملتقطاً.

चमका और अभी गाइब हो गया और बाज़ तेज़ हवा की तरह, कोई ऐसे जैसे परिन्द उड़ता है और बाज़ जैसे घोड़ा दौड़ता है और बाज़ जैसे आदमी दौड़ता है, यहां तक कि बाज़ शख्स सुरीन पर घिसटते हुए और कोई च्यूटी की चाल जाएगा⁽¹⁾ और पुल सिरात के दोनों जानिब बड़े बड़े आंकड़े (अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) ही जाने कि वोह कितने बड़े होंगे) लटकते होंगे, जिस शख्स के बारे में हुक्म होगा उसे पकड़ लेंगे, मगर बाज़ तो ज़ख्मी हो कर नजात पा जाएंगे और बाज़ को जहन्नम में गिरा देंगे⁽²⁾ और यह हलाक हुवा ।

येह तमाम अहले महशर तो पुल पर से गुज़रने में मशगूल, मगर वोह बे गुनाह, गुनाहगारों का शफ़ीअ पुल के किनारे खड़ा हुवा ब कमाले गिर्या व ज़ारी अपनी उम्मते आसी की नजात की फ़िक्र में अपने रब से दुआ कर रहा है : ((رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ))⁽³⁾ : इलाही ! इन गुनाहगारों को बचा ले बचा ले । और एक इसी जगह क्या ! हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) उस दिन तमाम मवातिन में दौरा फ़रमाते रहेंगे, कभी मीज़ान पर तशरीफ़ ले जाएंगे, वहां जिस के हसनात में कमी देखेंगे, उस की शफ़ाअत फ़रमा कर नजात दिलवाएंगे और फ़ौरन ही देखो तो हौज़े कौसर पर जल्वा फ़रमा हैं, प्यासों को सेराब फ़रमा रहे हैं और वहां से पुल पर रौनक अफ़रोज़ हुए और गिरतों को बचाया ।⁽⁴⁾

① قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! وما الجسر؟ قال: ((دحش مزلّة، فيها خطاطيف و كلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين و كالبرق، و كالريح و كالطير و كأجاويد الخيل و الركاب)).
”صحيح مسلم“، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، الحديث: ٣٠٢، ص ١١٤.

وفي رواية: عن أبي سعيد الخدري، قال: ((يعرض الناس على جسر جهنم، عليه حسك و كلاليب و خطاطيف تخطف الناس، قال: فيمر الناس مثل البرق، و آخرون مثل الريح، و آخرون مثل الفرس المجد، و آخرون يسعون سعيًا، و آخرون يمشون مشيًا و آخرون يحبون حبواً و آخرون يزحفون زحفاً)). ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١١٢٠٠، ج ٤، ص ٥١.
② ((وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج و مكدوس في النار)).

”صحيح مسلم“، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، الحديث: ٣٢٩، ص ١٢٧.

③ ((و نبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم)).

”صحيح مسلم“، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، الحديث: ٣٢٩، ص ١٢٧.

④ حدثنا النضر ابن أنس بن مالك عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: ((أنا فاعل)). قلت: يا رسول الله! فأين أطلبك؟ قال: ((اطلبي أول ما تطلبيني على الصراط))، قلت: فإن لم ألقك على الصراط، قال: ((فاطلبيني عند الميزان))، قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: ((فاطلبيني عند الحوض، فأني لا أعطى هذه الثلاث المواطن)).

”سنن الترمذي“، أبواب صفة القيامة والرقائق... إلخ، باب ما جاء في شأن الصراط، الحديث: ٢٤٤٨، ج ٤، ص ١٩٥.

و ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٢٨٢٥، ج ٤، ص ٣٥٦.

गरज हर जगह उन्हीं की दुहाई, हर शख्स उन्हीं को पुकारता, उन्हीं से फरियाद करता है और उन के सिवा किस को पुकारे...? कि हर एक तो अपनी फ़िक्र में है, दूसरों को क्या पूछे, सिर्फ़ एक येही हैं, जिन्हें अपनी कुछ फ़िक्र नहीं और तमाम आलम का बार इन के ज़िम्मे।

”صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ نَجِّنَا مِنْ أَهْوَالِ الْمَحْشَرِ بِجَاهِ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ، آمِينَ! (1)

येह क़ियामत का दिन कि हकीकतन क़ियामत का दिन है, जो पचास हजार बरस का दिन होगा⁽²⁾, जिस के मसाइब बे शुमार होंगे, मौला عَزَّوَجَلَّ के जो खास बन्दे हैं उन के लिये इतना हलका कर दिया जाएगा, कि मालूम होगा इस में इतना वक़्त सर्फ़ हुवा जितना एक वक़्त की नमाज़े फ़र्ज में सर्फ़ होता है⁽³⁾, बल्कि इस से भी कम⁽⁴⁾, यहां तक कि बाज़ों के लिये तो पलक झपकने में सारा दिन तै हो जाएगा।

﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾⁽⁵⁾

“क़ियामत का मुआमला नहीं मगर जैसे पलक झपकना, बल्कि इस से भी कम।”

सब से आजमो आला जो मुसलमानों को उस रोज़ नेमत मिलेगी वोह अल्लाह عَزَّوَجَلَّ

①...तर्जमा : अल्लाह तआला का दुरूदो सलाम हो उन पर और उन की आलो अस्हाब पर और बरकतें हों, ऐ अल्लाह ! हमें उस नबिय्ये करीम के सदके कि उन पर और उन की आलो अस्हाब पर अफ़ज़ल दुरूदो सलाम हो महशर की होलनाकियों से नजात अता फ़रमा, आमीन।

②..... ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (प २९, المعارج : ४) انظر ص ४९, تخريج نمبر ४.

③..... عن أبي هريرة أظنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللَّهَ يَخْفِفُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ طَوْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَوَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ)). ”شعب الإيمان“، باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم، الحديث: ३٦٢، ج ١، ص ٣٢٥.

عن أبي سعيد الخدري، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني من يقوى على القيام يوم القيامة الذي قال الله عز وجل: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فقال: ((يخفف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلاة المكتوبة)).

”مشكاة المصابيح“، كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، ج ٢، الحديث: ٥٥٦٣، ص ٣١٧.

④..... عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده أنه ليخفف على المؤمن، حتى يكون أخفّ عليه من صلاة مكتوبة، يصليها في الدنيا)). ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١١٧١٧، ج ٤، ص ١٥١. ”شعب الإيمان“، باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم، الحديث: ٣٦١، ج ١، ص ٣٢٤.

⑤..... پ ١٤، النحل: ٧٧.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दावते इस्लामी)

का दीदार है कि इस नेमत के बराबर कोई नेमत नहीं, ⁽¹⁾ जिसे एक बार दीदार मुयस्सर होगा हमेशा हमेशा उस के जौक में मुस्तरक ⁽²⁾ रहेगा कभी न भूलेगा, और सब से पहले दीदारे इलाही हुजूरे अक्दस صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم को होगा। ⁽³⁾

यहां तक तो हशर के अहवाल व अहवाल मुख़तसरन बयान किये गए, इन तमाम मर्हलों के बाद अब उसे हमेशगी के घर में जाना है, किसी को आराम का घर मिलेगा, जिस की आसाइश की कोई इन्तिहा नहीं, उस को जन्नत कहते हैं। या तकलीफ़ के घर में जाना पड़े जिस की तकलीफ़ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम कहते हैं।

अक्बिदा 13 जन्नत व दोज़ख़ हक़ हैं ⁽⁴⁾, इन का इन्कार करने वाला काफ़िर है। ⁽⁵⁾

..... ¹ ﴿وَجُودَةُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاطِقَةٌ ﴿﴾ ۲۹، القيامة: ۲۲-۲۳. عن أبي هريرة، أنّ الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تضارون في القمر ليلة البدر؟)) قالوا: لا يا رسول الله، قال: ((فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟)) قالوا: لا يا رسول الله، قال: ((فإنكم ترونه كذلك)).
”صحيح البخاري“، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿وَجُودَةُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ...﴾ إلخ الحديث: ۷۴۳۷، ج ۴، ص ۵۰۱.

2.... मशगूल।

..... ³ (من خصائصه صلى الله عليه وسلم..... أنه أول شافع وأول مشفع وأول من ينظر إلى الله).
”حجة الله على العالمين“، ذكر الخصائص الذي فضل بها على جميع الأنبياء، ص ۵۳.
في رواية ”سبل الهدى والرشاد“، ج ۱، ص ۳۸۴: (الباب الثالث فيما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء في ذاته في الآخرة صلى الله عليه وسلم، وفيه مسائل: الأولى: اختص صلى الله عليه وسلم بأنه أول من تنشق عنه الأرض، الثانية: وبأنه أول من يفيق من الصعقة..... الرابعة عشرة: وبأنه أول من يؤذن له في السجود، الخامسة عشرة: وبأنه أول من يرفع رأسه، السادسة عشرة: وأول من ينظر إلى الله تبارك وتعالى... إلخ).

..... ⁴ ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ۴، آل عمران: ۱۳۳.
في تفسير الخازن“، ج ۱، ص ۳۰۱، تحت الآية: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: هيئت للمتقين، وفيه دليل على أنّ الجنة والنار مخلوقتان الآن).

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ۱، البقرة: ۲۴. في ”تفسير ابن كثير“، ج ۱، ص ۱۱۱، تحت الآية: (قد استدلل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أنّ النار موجودة الآن لقوله: ﴿أُعِدَّتْ﴾ أي: أرصدت وهيئت).
وفي ”شرح العقائد النسفية“، ص ۱۰۵: (والجنة حق والناحق).

..... ⁵ في ”الحديقة الندية“، ج ۱، ص ۳۰۳: (من أنكر القيامة أو الجنة أو النار..... فإنه يكفر لأنكاره ما هو الثابت بالنصوص

अक्बिदा 14 — जन्नत व दोज़ख़ को बने हुए हज़ारहा साल हुए और वोह अब मौजूद हैं, येह नहीं कि इस वक़्त तक मख़्लूक न हुई, क़ियामत के दिन बनाई जाएंगी।⁽¹⁾

अक्बिदा 15 — क़ियामत व बअूस व हशर व हि़साब व सवाब व अज़ाब व जन्नत व दोज़ख़ सब के वोही माना हैं जो मुसलमानों में मशहूर हैं, जो शख़्स इन चीज़ों को तो हक़ कहे मगर इन के नए माना घड़े (मसलन सवाब के माना अपने हसनात को देख कर खुश होना और अज़ाब अपने बुरे आमाल को देख कर ग़मगीन होना, या हशर फ़क़त रूहों का होना), वोह हकीक़तन इन चीज़ों का मुन्किर है और ऐसा शख़्स काफ़िर है।⁽²⁾

अब जन्नत व दोज़ख़ की मुख़्तसर कैफ़ियत बयान की जाती है :

القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وأجمعت عليه الأمة المرضية).

وفي "الشفاء" ج ٢، ص ٢٩٠: (وكذلك من أنكر الجنة أو النار..... فهو كافر بإجماع للنص عليه، وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراً).

①..... في "شرح العقائد النسفية"، ص ١٠٥-١٠٦: (والجنة حق والنارحق، وهما أي الجنة والنار مخلوقتان لأن موجودتان، تكرير وتأكيّد وزعم أكثر المعتزلة أنّهما أنّما تخلقان يوم الجزاء، ولنا قصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة والآيات الظاهرة في إعدادهما مثل ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ و ﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾).

وفي "منح الروض الأزهر"، ص ٩٨: ("والجنة والنار مخلوقتان اليوم" أي: موجودتان الآن قبل يوم القيامة لقوله تعالى في نعت الجنة: ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ وفي وصف النار: ﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ وللحديث القدسي: ((أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر))، وللحديث الإسراء: ((أدخلت الجنة وأريت النار))، وهذه الصيغة موضوعة للمضي حقيقة، فلا وجه للعدول عنها إلى المجاز إلّا بصريح آية أو صحيح دلالة، وفي المسألة خلاف للمعتزلة).

②..... وفي "الشفاء" ج ٢، ص ٢٩٠: (وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه، وإجماع الأمة على صحة نقله متواتراً، وكذلك من اعترف بذلك، ولكنه قال: إنّ المراد بالجنة والنار والحشر والنشر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره، وأنّها لذات روحانية ومعان باطنة كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة، وزعم أنّ معنى القيامة الموت أو فناء محض، وانتقاض هيئة الأفلاك وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة).

"الفتاوى الرضوية"، ج ٢٩، ص ٣٨٣-٣٨٤.

जन्नत का बयान

जन्नत एक मकान है कि अल्लाह तआला ने ईमान वालों के लिये बनाया है, उस में वोह नेमतेँ मुहय्या की हैं जिन को न आंखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर इन का खतरा गुज़रा।⁽¹⁾ जो कोई मिसाल उस की तारीफ़ में दी जाए समझाने के लिये है, वरना दुन्या की आला² से आला शै को जन्नत की किसी चीज़ के साथ कुछ मुनासबत नहीं। वहां की कोई औरत अगर ज़मीन की तरफ़ झांके तो ज़मीन से आस्मान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे और उस का दोपट्टा दुन्या व मा फ़ीहा से बेहतर।⁽²⁾ और एक रिवायत में यूँ है कि अगर हूर अपनी हथेली ज़मीनो आस्मान के दरमियान निकाले तो उस के हुस्न की वजह से ख़लाइक़ फ़ितने में पड़ जाएं और अगर अपना दोपट्टा ज़ाहिर करे तो उस की ख़ूब सूरती के आगे आप़ताब ऐसा हो जाए जैसे आप़ताब के सामने चराग़⁽³⁾ और अगर जन्नत

1.....यानी बे देखे वरना देख कर तो आप ही जानेंगे तो जिन्हों ने हालते ह्याते दुन्यवी ही में मुशाहदा फ़रमाया वोह इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं यानी सिरे से येह हुक्म उन्हें शामिल ही नहीं, अलल खुसूस साहिबे मेराज 12 मिन्ह

1..... عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله [عز وجل]: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا

أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر)). "صحيح مسلم"، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، الحديث: 2824، ص 1016.

2.....काबए मुअज़्ज़मा, जन्नत से आला है और तुरबते अहरे हुज़ूरे अन्वर صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ तो काबा बल्कि अश्र से भी अफ़ज़ल है, मगर येह दुन्या की चीज़ें नहीं। 12 मिन्ह

(البقعة التي ضمت أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أفضل حتى من الكعبة). "فيض القدير"، ج 6، ص 343.

(البقعة التي ضمت أعضاء ه عليه الصلاة والسلام فإنها أفضل من مكة بل من الكعبة بل من العرش إجماعاً).

"مرقاة"، ج 5، ص 602.

(البقعة التي ضمت أعضاء المصطفى فهي أفضل من جميع بقاع الأرض والسماء حتى الكعبة والعرش والكرسي واللوح والقلم والبيت المعمور). "حاشية الصاوي على الشرح الصغير"، ج 4، ص 294. (المكتبة الشاملة)

2..... ((ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولمأت ما بينهما ريحاً، ولنصفها

-يعني: الخمار- خير من الدنيا وما فيها)). "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، الحديث: 6068، ج 4، ص 264.

وفي رواية "المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: 5512، ج 6، ص 59: ((لو أن امرأة من أهل الجنة أشرفت إلى أهل الأرض لمأت الأرض ريح مسك، ولأذهبت ضوء الشمس والقمر)).

3..... ((لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنها، ولو أخرجت نصفها لكانت الشمس

عند حسنه مثل الفتيلة في الشمس، لا ضوء لها)).

"الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في وصف نساء أهل الجنة، الحديث: 97، ج 4، ص 298.

की कोई नाखुन भर चीज़ दुनिया में ज़ाहिर हो तो तमाम आस्मानो ज़मीन उस से आरास्ता हो जाएं और अगर जन्नती का कंगन ज़ाहिर हो तो आफ़ताब की रोशनी मिटा दे, जैसे आफ़ताब सितारों की रोशनी मिटा देता है।⁽¹⁾ जन्नत की इतनी जगह जिस में कोड़ा⁽²⁾ रख सकें दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है।⁽³⁾ जन्नत कितनी वसीअ है, इस को अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) व रसूल (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ही जानें, इज्माली बयान येह है कि उस में सो¹⁰⁰ दरजे हैं। हर दो दरजों में वोह मसाफ़त है, जो आस्मानो ज़मीन के दरमियान है।⁽⁴⁾ रहा येह कि खुद उस दरजे की क्या मसाफ़त है, इस के मुतअल्लिक कोई रिवायत ख़याल में नहीं, अलबत्ता एक हदीस “तिरमिज़ी” की येह है कि : “अगर तमाम आलम एक दरजे में जम्अ हो तो सब के लिये वसीअ है।”⁽⁵⁾

① ((لو أن ما يُقَلُّ ظفر مما في الجنة بدا لتخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض، ولو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم)).

“سنن الترمذی”، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أهل الجنة، الحديث: ٢٥٤٧، ج ٤، ص ٢٤١.

②चाबुक, दुर्।

③ ((موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها)).

“जन्नत में एक कोड़े (यानी एक चाबुक) जितनी जगह दुनिया और जो कुछ इस में है उन से बेहतर है।”

“صحيح البخاري”، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، الحديث: ٣٢٥٠، ج ٢، ص ٣٩٢.

शैख़ मुहक्क़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْقَوِيّ इरशाद फ़रमाते हैं : “यानी जन्नत की थोड़ी सी और मामूली जगह दुनिया और उस की हर चीज़ से बेहतर है। चाबुक का ज़िक्र इस आदत के मुताबिक है कि सुवार जब किसी जगह उतरना चाहता है तो अपना चाबुक फेंक देता है ताकि उस की निशानी रहे और दूसरा कोई शख्स वहां न उतरे। (أشعة اللمعات، ج ٧، ص ٥٠).”

मुफ़स्सिर शहीर, हकीमुल उम्मत, हज़रते मुफ़ती अहमद यार खान عَلِي رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : “कोड़े से मुराद है वहां की थोड़ी सी जगह। वाकई जन्नत की नेमतें दाइमी हैं, दुनिया की फ़ानी। फिर दुनिया की नेमतें तकालीफ़ से मख़्लूत वहां की नेमतें ख़ालिस, फिर दुनिया की नेमतें अदना वोह आला इस लिये दुनिया को वहां की अदना जगह से कोई निस्वत ही नहीं।” (“मिरआतुल मनाजीह”, जि. 7, स. 447)

وانظر “المرقاة”، کتاب الفتن، باب صفة الجنة وأهلها، الحديث: ٥٦١٣، ج ٩، ص ٥٧٨.

④ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض)).

“سنن الترمذی”، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة، الحديث: ٢٥٣٩، ج ٤، ص ٢٣٨.

⑤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم)).

“سنن الترمذی”، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة، الحديث: ٢٥٤٠، ج ٤، ص ٢٣٩.

जन्नत में एक दरख्त है जिस के साए में सो¹⁰⁰ बरस तक तेज़ घोड़े पर सुवार चलता रहे और ख़त्म न हो।⁽¹⁾ जन्नत के दरवाज़े इतने वसीअ होंगे कि एक बाज़ू से दूसरे तक तेज़ घोड़े की सत्तर बरस की राह होगी⁽²⁾ फिर भी जाने वालों की वोह कसरत होगी कि मूँढे से मूँढा छिलता होगा⁽³⁾, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाज़ा चरचराने लगेगा।⁽⁴⁾ इस में किस्म किस्म के जवाहिर के महल हैं, ऐसे साफ़ो शफ़फ़ाफ़ कि अन्दर का हिस्सा बाहर से और बाहर का अन्दर से दिखाई दे।⁽⁵⁾ जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं⁽⁶⁾, एक ईंट सोने की, एक चांदी की, ज़मीन ज़ाफ़रान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत।⁽⁷⁾ और एक रिवायत में है कि जन्नते अदन की एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक याकूते सुर्ख की, एक ज़बरजद सब्ज़ की, और मुश्क का गारा है और घास की जगह ज़ाफ़रान है,

① قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام، لا يقطعها)).

وفي رواية: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام، ما يقطعها)). "صحيح مسلم"، كتاب الجنة، باب إن في الجنة شجرة... إلخ، الحديث: ٢٨٢٧-٢٨٢٨، ص ١٥١٧.

② قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي رزين العقيلي، الحديث: ١٦٢٠٦، ج ٥، ص ٤٧٥.

وفي رواية: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبعين عاماً)).

"حلية الأولياء"، الحديث: ٨٣٧١، ج ٦، ص ٢٢١.

③ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الراكب المجود ثلاثاً، ثم إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد مناكيهم تزول)).

"سنن الترمذي"، أبواب صفة الجنة... إلخ، باب ما جاء في صفة أبواب الجنة، الحديث: ٢٥٥٧، ج ٤، ص ٢٤٦.

④ ((وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام)). "صحيح مسلم"، كتاب الزهد، الحديث: ٢٩٦٧، ص ١٥٨٦.

⑤ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن في الجنة غرفاً من أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنهما من ظاهرها)). "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في درجات الجنة وغرفها، الحديث: ٢٧، ج ٤، ص ٢٨١.

⑥ ((حائط الجنة لبنه من ذهب ولبنه من فضة وملاطها المسك)).

"مجمع الزوائد"، كتاب أهل الجنة، باب في بناء الجنة وصفتها، الحديث: ١٨٦٤٢، ج ١٠، ص ٧٣٢.

⑦ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لبنه من ذهب، ولبنه من فضة، ملاطها المسك الأذفر، وحسبائها الباقوت واللؤلؤ، وترباها الزعفران)). "سنن الدارمي"، كتاب الرقائق، باب في بناء الجنة، الحديث: ٢٨٢١، ج ٢، ص ٤٢٩.

"سنن الترمذي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، الحديث: ٢٥٣٤، ج ٤، ص ٢٣٦.

मोती की कंकरियां, अम्बर की मिट्टी⁽¹⁾, जन्नत में एक एक मोती का खैमा होगा जिस की बुलन्दी साठ मील।⁽²⁾ जन्नत में चार दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का, फिर उन से नहरें निकल कर हर एक के मकान में जारी हैं।⁽³⁾ वहां की नहरें ज़मीन खोद कर नहीं बहतीं, बल्कि ज़मीन के ऊपर ऊपर रवां हैं, नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का और नहरों की ज़मीन ख़ालिस मुश्क की⁽⁴⁾, वहां की शराब दुनिया की सी नहीं जिस में बदबू और कड़वाहट और नशा होता है और पीने वाले बे अक्ल हो जाते हैं, आपे से बाहर हो कर बेहूदा बकते हैं, वोह पाक शराब इन सब बातों से पाक व मुनज़्ज़ा है।⁽⁵⁾ जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लज़ीज़ से लज़ीज़ खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फ़ौरन उन के

1..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خلق الله جنة عدن بيده، لبنة من درّة بيضاء، ولبنة من ياقوتة حمراء، ولبنة من زبرجدة خضراء، وملاطها مسك، حشيشها الزعفران، حبهاؤها اللؤلؤ، ترابها العنبر)). "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، الترغيب في الجنة ونعيمها، فصل في بناء الجنة وحبائها وغير ذلك، الحديث: ٣٣، ج ٤، ص ٢٨٣.

2..... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ للمؤمن في الجنة لحيمة من لؤلؤة واحدة محوفة، طولها ستون ميلاً)).

"صحيح مسلم"، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة خيام الجنة... إلخ، الحديث: ٢٨٣٨، ص ١٥٢٢.

3..... ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ پ ٢٦، محمد: ١٥.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها بعده)) "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٠٠٧٢، ج ٧، ص ٢٤٢.

وفي رواية "الترمذي": قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد)). كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أنهار الجنة، الحديث: ٢٥٨٠، ج ٤، ص ٢٥٧.

في "المرواة"، ج ٩، ص ٦١٦، تحت الحديث: (وقوله: ثم تشقق أي: تفترق الأنهار إلى الجداول بعد تحقق الأنهار إلى بساتين الأبرار، وتحت قصور الأخيار).

4..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم تظنون أنّ أنهار الجنة أخصود في الأرض، لا، والله إنّها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ، والأخرى الياقوت، وطينه المسك الأذفر، قال: قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له)).

"الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في أنهار الجنة، الحديث: ٤٨، ج ٤، ص ٢٨٦.

و"حلية الأولياء"، الحديث: ٨٣٧٢، ج ٦، ص ٢٢٢، بألفاظ متقاربة.

5..... ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ پ ٢٦، محمد: ١٥. في "تفسير ابن كثير" ج ٧، ص ٢٨٩، تحت هذه الآية:

(أي: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل).

सामने मौजूद होगा⁽¹⁾, अगर किसी परिन्द को देख कर उस के गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त भुना हुवा उन के पास आ जाएगा⁽²⁾। अगर पानी वगैरा की ख्वाहिश हो तो कूजे खुद हाथ में आ जाएंगे। उन में ठीक अन्दाजे के मुवाफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा कि उन की ख्वाहिश से एक कतरा कम न ज़ियादा, बाद पीने के खुद बखुद जहां से आए थे चले जाएंगे।⁽³⁾ वहां नजासत, गन्दगी, पाखाना, पेशाब, थूक, रीठ, कान का मैल, बदन का मैल अस्लन न होंगे, एक खुशबूदार फ़रहत बख़्श डकार आएगी, खुशबूदार फ़रहत बख़्श पसीना निकलेगा, सब खाना हज़म हो जाएगा और डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी।⁽⁴⁾

= ﴿وَسَقْمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَّابًا طَهُورًا﴾ प २९, الدهر: २१.

﴿يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا نَعْو فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ﴾ प २७, الطور: २३.

﴿يَا كُؤُوبُ وَأَبَا رَيْثُ ذُكَايَسٍ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ لَا يَصْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْزِفُونَ ﴿﴾ प २७, الواقعة: १८-१९.

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ﴾ بَيْضَاءَ لَدَّةٍ لِّلشَّرِبِينَ ﴿﴾ لَا فِيهَا عَاوِلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ ﴿﴾ प २३, الصفت: ४५-४६.

1..... ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَائَتَا نَسْتَهَيَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [प २४, خم السجدة: ३१], وفي "تفسير ابن كثير", ج ७, ص १६२, تحت هذه الآية: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَائَتَا نَسْتَهَيَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

فِيهَا مَائَتَا نَسْتَهَيَّ أَنْفُسَكُمْ ﴿﴾ أي: في الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهي النفوس، وتقرّ به العيون، ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾ أي: مهما طلبتم وجدتم، وحضر بين أيديكم كما اخترتم.

2..... ﴿وَلَكُمْ طَيْرٌ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾ प २७, الواقعة: २१. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ((إِنَّ الرَّجُلَ لِيَشْتَهِيَ الطَّيْرَ فِي

الجنة من طيور الجنة، فيقع في يده مقلبا نضيجا)). "الدر المنثور", ج ८, ص ११.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرِ فِي الْجَنَّةِ فَتَشْتَهِيهِ فَيَجِيءُ مَشْوِيًا بَيْنَ يَدَيْكَ)).

"الترغيب والترهيب", كتاب صفة الجنة والنار، فصل في أكل أهل الجنة وشربهم وغير ذلك، الحديث: ७३، ج ४، ص २९२.

3..... عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ((إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لِيَشْتَهِيَ الشَّرَابَ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ، فَيَجِيءُ الْإِبْرِيْقُ، فَيَقَعُ فِي

يده فيشرب، ثم يعود إلى مكانه)).

"الترغيب والترهيب", كتاب صفة الجنة والنار، فصل في أكل أهل الجنة وشربهم وغير ذلك، الحديث: ७६، ج ४، ص २९०.

4..... عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَفَلَوْنَ وَلَا يَبُولُونَ،

وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ، قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: حِشَاءٌ وَرَشَحٌ كَرَشَحِ الْمَسْكِ)).

"صحيح مسلم", كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة الجنة... إلخ، الحديث: २८३०، ص १०२०.

وفي رواية "المسند": الحديث: १९२८९، ج ७، ص ७६: فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عِرْقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلَ رِيحِ الْمَسْكِ إِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ)).

हर शख्स को सो¹⁰⁰ आदमियों के खाने, पीने, जिमाअ की ताकत दी जाएगी।⁽¹⁾ हर वक्त ज़बान से तस्बीहो तकबीर ब क़स्द और बिला क़स्द मिस्ल सांस के जारी होगी।⁽²⁾ कम से कम हर शख्स के सिरहाने दस¹⁰ हज़ार ख़ादिम खड़े होंगे, ख़ादिमों में हर एक के एक हाथ में चांदी का पियाला होगा और दूसरे हाथ में सोने का और हर पियाले में नए नए रंग की नेमत होगी⁽³⁾, जितना खाता जाएगा लज़ज़त में कमी न होगी बल्कि ज़ियादती होगी, हर निवाले में सत्तर⁷⁰ मजे होंगे, हर मज़ा दूसरे से मुमताज़, वोह मअन महसूस होंगे, एक का एहसास दूसरे से मानेअ⁽⁴⁾ न होगा, जन्नतियों के न लिबास पुराने पड़ेंगे, न उन की जवानी फ़ना होगी।⁽⁵⁾

पहला गरौह जो जन्नत में जाएगा, उन के चेहरे ऐसे रोशन होंगे जैसे चौदहवीं रात का चांद और दूसरा गरौह जैसे कोई निहायत रोशन सितारा, जन्नती सब एक दिल होंगे, उन के आपस में कोई इख़िलाफ़ व बुज़ न होगा, उन में हर एक को हूरे ईन में कम से कम दो बीबियां ऐसी मिलेंगी कि सत्तर सत्तर जोड़े पहने होंगी, फिर भी उन लिबासों और गोश्त के

① فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده! إنّ أحدهم يُعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٩٢٨٩-١٩٣٣٣، ج ٧، ص ٧٦ و ٨٤.

② ((يلهمون التسبيح والتكبير، كما يلهمون النفس)).
"صحيح مسلم"، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفات الجنة... إلخ، الحديث: ٢٨٣٥، ص ١٥٢١.
وفي "فتح الباري"، ج ٧، ص ٢٦٧، تحت قول: يسبحون الله بكرة وعشيا: (عند مسلم بقوله: "يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس" ووجه التشبيه أنّ نفس الإنسان لا كلفة عليه فيه ولا بد له منه، فجعل تنفسهم تسبيحا، وسببه أنّ قلوبهم تنوّرت بمعرفة الرب سبحانه وامتأّلت بحبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره).

③ عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه قال: ((إنّ أسفل أهل الجنة أجمعين من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من فضة وواحدة من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثله، يأكل من آخره كما يأكل من أوّله، يجد لآخره من اللذة والطعم ما لا يجد لأوّله)).

"الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في أكل أهل الجنة وشربهم وغير ذلك، الحديث: ٧٠، ج ٤، ص ٢٩١.
و"حلية الأولياء"، الحديث: ٨٢٤٦، ج ٦، ص ١٨٨.

④ रोकने वाला ।

⑤ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)).
"صحيح مسلم"، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في دوام نعيم أهل... إلخ، الحديث: ٢٨٣٦، ص ١٥٢١.

बाहर से उन की पिंडलियों का मज़ दिखाई देगा, जैसे सफ़ेद शीशे में शराबे सुर्ख दिखाई देती है⁽¹⁾ और येह इस वजह से कि **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** ने इन्हें याकूत से तश्बीह दी और याकूत में सूरख़ कर के अगर डोरा डाला जाए तो ज़रूर बाहर से दिखाई देगा।⁽²⁾ आदमी अपने चेहरे को उस के रुख़सार में आईने से भी ज़ियादा साफ़ देखेगा और उस पर अदना दरजे का जो मोती होगा वोह ऐसा होगा कि मशरिक़ से मग़रिब तक रोशन कर दे।⁽³⁾ और एक रिवायत में है कि मर्द अपना हाथ उस के शानों के दरमियान रखेगा तो सीने की तरफ़ से कपड़े और जिल्द और गोश्त के बाहर से दिखाई देगा।⁽⁴⁾ अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे बेहोश हो जाए, और लोगों की निगाहें उस का तहम्मूल न कर सकें⁽⁵⁾, मर्द जब उस के पास

① عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَوَّلُ زَمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنِ كَوْكَبٍ دَرِي فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، لَا تَبَاغُضُ بَيْنَهُمْ وَلَا تَحَاسَدُ، لِكُلِّ امْرَأَةٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يَرَى مَخِ سَوْقَهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعِظْمِ وَاللَّحْمِ)).

”صحيح البخاري“، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، الحديث: ٣٢٥٤، ج ٢، ص ٣٩٣. وفي رواية ”المعجم الكبير“ للطبراني: عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاج البضاء))، الحديث: ١٠٣٢١، ج ١٠، ص ١٦٠-١٦١.

② عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَرَى بَيَاضَ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حَلَةً حَتَّى يَرَى مَخَهَا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالزُّجَّاجُ﴾)) [الرحمن: ٥٨] فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سَلَكًا، ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ لَأَرَيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ)).

”سنن الترمذي“، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة نساء أهل الجنة، الحديث: ٢٥٤١، ج ٤، ص ٢٣٩. ③ عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَبَّرُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ، ثُمَّ تَأْتِيهِ امْرَأَتُهُ فَتَضْرِبُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَيَنْظُرُ وَجْهَهُ فِي حَدِّهَا أَصْفَى مِنَ الْمَرْأَةِ، وَإِنْ أَدْنَى لَوْلُؤَةٍ عَلَيْهَا تَضِيءُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ)). ”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١١٧١٥، ج ٤، ص ١٥٠.

④ ((ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى يَدِهِ مِنْ صَدْرِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَجِلْدِهَا وَلَحْمِهَا)).

”الترغيب والترهيب“، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في وصف نساء أهل الجنة، الحديث: ٩٦، ج ٤، ص ٢٩٨. ⑤ عن شريح بن عبيد رضي الله عنه قال: قال كعب: ((لَوْ أَنَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَبَسَ الْيَوْمَ فِي الدُّنْيَا لَصَقَّ مِنْ يَنْظَرٍ إِلَيْهِ وَمَا حَمَلَتْهُ أَبْصَارُهُمْ)). ”الترغيب والترهيب“، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في ثيابهم وحللهم، الحديث: ٨٤، ج ٤، ص ٢٩٤.

जाएगा उसे हर बार कुआरी⁽¹⁾ पाएगा, मगर इस की वजह से मर्द व औरत किसी को कोई तकलीफ न होगी⁽²⁾, अगर कोई हूर समुन्दर में थूक दे तो उस के थूक की शीरीनी की वजह से समुन्दर शीरीं हो जाए⁽³⁾ और एक रिवायत है कि अगर जन्नत की औरत सात समुन्दरों में थूके तो वोह शहद से ज़ियादा शीरीं हो जाएं⁽⁴⁾।

जब कोई बन्दा जन्नत में जाएगा तो उस के सिरहाने और पाइंती⁽⁵⁾ दो हूरें निहायत अच्छी आवाज़ से गाएंगी, मगर उन का गाना येह शैतानी मज़ामीर नहीं बल्कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की हम्द व पाकी होगा⁽⁶⁾, वोह ऐसी खुशगुलू होंगी कि मख़लूक ने वैसी आवाज़ कभी न सुनी होगी और येह भी गाएंगी कि : हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी न मरेंगे, हम चैन वालियां हैं, कभी तकलीफ़ में न पड़ेंगे, हम राज़ी हैं नाराज़ न होंगे, मुबारक बाद उस के लिये जो हमारा और हम उस के हों⁽⁷⁾। सर के बाल और पलकों और भवों के सिवा जन्नती के बदन पर कहीं बाल न होंगे, सब बेरीश होंगे, सुर्मगीं आंखें, तीस बरस की उम्र के मालूम होंगे⁽⁸⁾ कभी इस

1यानी : कुंवारी ।

2 ((ولا يأتيها مرة إلا وجدها عذراء ما يفتّر ذكره ولا يشتكي قبلها)). "الترغيب والترهيب"، الحديث: ٩٦، ج ٤، ص ٢٩٨.

3 عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أنّ حوراء بزت في بحر لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها)). "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في وصف نساء أهل الجنة، الحديث: ٩٨، ج ٤، ص ٢٩٩.

4 عن ابن عباس موقوفاً قال: ((لو أنّ امرأة من نساء أهل الجنة بصقت في سبعة أبحر لكانت تلك الأبحر أحلى من العسل)).

"الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في وصف نساء أهل الجنة، الحديث: ٩٩، ج ٤، ص ٢٩٩.

5यानी पैरों की तरफ़ ।

6 عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من عبد يدخل الجنة إلا [ويجلس] وعند رأسه وعند رجله ثنتان من الحور العين يغنيان بأحسن صوت سمعه الإنس والجن، وليس بمزامير الشيطان، ولكن بتحميد الله وتقديسه)).

"مجمع الزوائد"، الحديث: ١٨٧٥٩، ج ١٠، ص ٧٧٤. و"المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٧٤٧٨، ج ٨، ص ٩٥.

7 عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ في الجنة لمجتمعاً للهور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها، قال: يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنّا له)). "سنن الترمذي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في كلام حور العين، الحديث: ٢٥٧٣، ج ٤، ص ٢٥٥.

8 عن معاذ بن جبل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة)). "سنن الترمذي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في سن أهل الجنة، الحديث: ٢٥٥٤، ج ٤، ص ٢٤٤.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يدخل أهل الجنة مرداً بيضاً جعداً مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين... إلخ)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٩٣٨٦، ج ٣، ص ٣٩٣.

وفي رواية: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((يبعث المؤمنون يوم القيامة جرداً مرداً مكحلين بني ثلاثين سنة)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٢٢٠٨٥، ج ٨، ص ٢٣٧.

से ज़ियादा मालूम न होंगे।⁽¹⁾ अदना जन्नती के लिये अस्सी⁸⁰ हजार खादिम और बहत्तर⁷² बीबियां होंगी और उन को ऐसे ताज मिलेंगे कि उस में का अदना मोती मशरिको मगरिब के दरमियान रोशन कर दे⁽²⁾ और अगर मुसलमान औलाद की ख्वाहिश करे तो उस का हम्ल और वज़अ⁽³⁾ और पूरी उम्र (यानी तीस साल की), ख्वाहिश करते ही एक साअत में हो जाएगी।⁽⁴⁾ जन्नत में नींद नहीं, कि नींद एक किस्म की मौत है और जन्नत में मौत नहीं।⁽⁵⁾

जन्नती जब जन्नत में जाएंगे हर एक अपने आमाल की मिक्दार से मर्तबा पाएगा और उस के फ़ज़ल की हद नहीं। फिर उन्हें दुन्या की एक हफ़्ते की मिक्दार के बाद इजाज़त दी जाएगी कि अपने परवर दगार عَزَّوَجَلَّ की ज़ियारत करें और अर्शे इलाही ज़ाहिर होगा और रब عَزَّوَجَلَّ जन्नत के बागों में से एक बाग़ में तजल्ली फ़रमाएगा और उन जन्नतियों के लिये मिम्बर बिछाए जाएंगे। नूर के मिम्बर, मोती के मिम्बर, याकूत के मिम्बर, ज़बरजद के मिम्बर, सोने के मिम्बर, चांदी के मिम्बर और उन में का अदना मुश्क व काफूर के टीले पर बैठेगा और उन में अदना कोई नहीं, अपने गुमान में कुर्सी वालों को कुछ अपने से बढ़ कर न समझेंगे और खुदा का दीदार ऐसा साफ़ होगा जैसे आफ़ताब और चौदहवीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है कि एक का देखना दूसरे के लिये मानेअ नहीं और अल्लाह عَزَّوَجَلَّ

1..... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها أبدا)). "سنن الترمذي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء ما لأدنى... الخ، الحديث: ٢٥٧١، ج ٤، ص ٢٥٤.

2..... عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنان وسبعون زوجة))... وقال: ((إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب)). "سنن الترمذي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة، الحديث: ٢٥٧١، ج ٤، ص ٢٥٤.

3..... बच्चे का मां के पेट में ठहरना और उस की पैदाइश।

4..... عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي)). وقال إسحاق بن إبراهيم في هذا الحديث: إذا اشتهى المؤمن في الجنة الولد كان في ساعة ولكن لا يشتهي. "سنن الترمذي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة، الحديث: ٢٥٧٢، ج ٤، ص ٢٥٤، و"مشكاة"، ج ٢، ص ٣٣٥.

وفي "المرقاة"، ج ٩، ص ٦١٤، تحت الحديث: ((المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة)) أي: فرضاً وتقديراً، ((كان حمله)) أي: حمل الولد ((ووضعه وسنه)) أي: كمال سنه وهو الثلاثون سنة ((في ساعة))؛ لأن الانتظار أشد من الموت ولا موت في الجنة ولا حزن ((كما يشتهي)) من أن يكون ذكراً أو أنثى ونحو ذلك. وقال إسحاق بن إبراهيم: في هذا الحديث دلالة على أنه إذا اشتهى المؤمن في الجنة الولد كان في ساعة، أي: حصل الولد في ساعة، ولكن لا يشتهي، فقلوه: "ولكن" هو المقول حقيقة.

5..... ((النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون)). "المعجم الأوسط" للطبراني، الحديث: ٩١٩، ج ١، ص ٢٦٦.

हर एक पर तजल्ली फ़रमाएगा, उन में से किसी को फ़रमाएगा : ऐ फुलां बिन फुलां ! तुझे याद है, जिस दिन तू ने ऐसा ऐसा किया था...? दुन्या के बाज़ मअ़ासी याद दिलाएगा, बन्दा अर्ज़ करेगा : तो ऐ रब ! क्या तू ने मुझे बख़्श न दिया ? फ़रमाएगा : हां ! मेरी मग़िफ़रत की वुस्अत ही की वजह से तू इस मर्तबे को पहुंचा, वोह सब इसी हालत में होंगे कि अब्र छाएगा और उन पर खुशबू बरसाएगा, कि उस की सी खुशबू उन लोगों ने कभी न पाई थी और अल्लाह ﷻ फ़रमाएगा कि : जाओ उस की तरफ़ जो मैं ने तुम्हारे लिये इज्जत तय्यार कर रखी है, जो चाहो लो । फिर लोग एक बाज़ार में जाएंगे जिसे मलाएका घेरे हुए हैं, उस में वोह चीज़ें होंगी कि उन की मिस्ल न आंखों ने देखी, न कानों ने सुनी, न कुलूब पर उन का ख़तरा गुज़रा, उस में से जो चाहेंगे, उन के साथ कर दी जाएगी और ख़रीदो फ़रोख़्त न होगी और जन्नती उस बाज़ार में बाहम मिलेंगे, छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उस का लिबास पसन्द करेगा, हुनूज़ गुफ़्तगू ख़त्म भी न होगी कि ख़याल करेगा, मेरा लिबास उस से अच्छा है और येह इस वजह से कि जन्नत में किसी के लिये ग़म नहीं, फिर वहां से अपने अपने मकानों को वापस आएंगे । उन की बीबियां इस्तिक्बाल करेंगी और मुबारक बाद दे कर कहेंगी कि आप वापस हुए और आप का जमाल इस से बहुत ज़ाइद है कि हमारे पास से आप गए थे, जवाब देंगे कि परवर दगार जब्बार के हुज़ूर बैठना हमें नसीब हुवा तो हमें ऐसा ही हो जाना सज़ावार था ।⁽¹⁾

① أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ، ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي مَقْدَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا، فَيُزَوَّرُونَ رِبْعَهُمْ وَيُبْرَزُ لَهُمْ عَرْشُهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لَوْلُؤٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ مِنْ ذَنبٍ عَلَى كَتَبَانِ الْمَسْكِ وَالْكَافُورِ، وَمَا يَرُونَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلِ مِنْهُمْ مَجْلَسًا)). قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله! وهل نرى ربنا؟ قال: ((نعم، هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟)) قلنا: لا، قال: ((كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم، ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاضرة الله محاضرة حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان! أتذكر يوم قلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا رب! أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط، ويقول ربنا: قوموا إلى ما أعددنا لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم، فنأتي سوقاً قد حفت به الملائكة ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشتري، وفي ذلك السوق يلقي أهل الجنة بعضهم بعضاً. قال: فيقبل الرجل ذو المنزل المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم ذنبٌ فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها، ثم تنصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقبلن مرحباً وأهلاً لقد جئت وإن لك من الجمال أفضل مما فارقتنا عليه، فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، وبحق لنا أن نقلب بمثل ما انقلبنا)).

”سنن الترمذی“، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة، الحديث: ٢٥٥٨، ج ٤، ص ٢٤٦.

(1) जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे तो एक का तख़्त दूसरे के पास चला जाएगा।

और एक रिवायत में है कि उन के पास निहायत आला दरजे की सुवारियां और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सुवार हो कर जहां चाहेंगे जाएंगे। (2) सब से कम दरजे का जो जन्नती है उस के बागात और बीबियां और नईम व खुद्दाम और तख़्त हजार बरस की मसाफ़त तक होंगे और उन में **اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ بِجَاهِ حَبِيبِكَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ**، अमिन! करीम के दीदार से हर सुब्हो शाम मुशरफ़ होगा। (3) जब जन्नती जन्नत में जा लेंगे **اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ بِجَاهِ حَبِيبِكَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ** उन से फ़रमाएगा : कुछ और चाहते हो जो तुम को दूं? अर्ज़ करेंगे : तू ने हमारे मुंह रोशन किये, जन्नत में दाख़िल किया, जहन्नम से नजात दी, उस वक़्त पर्दा कि मख़्लूक पर था उठ जाएगा तो दीदारे इलाही से बढ़ कर उन्हें कोई चीज़ न मिली होगी। (4)

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ بِجَاهِ حَبِيبِكَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ، अमिन!

1..... عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعوا جميعاً... إلخ)).

2..... عن أبي أيوب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله إني أحب الخيل أفي الجنة خيل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه، ثم طار بك حيث شئت)).

3..... عن الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة خيل الجنة، الحديث: ٢٥٥٣، ج ٤، ص ٢٤٤.

4..... وفي رواية: عن شفي بن مانع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب وإنهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة ملحمة لا تروث ولا تبول فيركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل)).

5..... عن الترمذي، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في تزاورهم ومراكبهم، الحديث: ١١٤، ج ٤، ص ٣٠٣.

3..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وزوجاته ونعيمه وخدمه وسريره مسيرة ألف سنة، وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية)).

6..... عن الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب منه، الحديث: ٢٥٦٢، ج ٤، ص ٢٤٩.

7..... عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل)).

8..... "صحيح المسلم"، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة... إلخ، ص ١١٠، الحديث: ١٨١.

9..... "سنن الترمذي"، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى، الحديث: ٢٥٦١، ج ٤، ص ٢٤٨.

दोज़ख़ का बयान

येह एक मकान है कि उस क़हहारो जब्बार के जलालो क़हर का मज़हर है। जिस तरह उस की रहमतो नेमत की इन्तिहा नहीं कि इन्सानी ख़यालातो तसव्वुरात जहां तक पहुंचें वोह एक शम्मा⁽¹⁾ है उस की बे शुमार नेमतों से, इसी तरह उस के ग़ज़ब व क़हर की कोई हद नहीं कि हर वोह तक्लीफ़ व अज़ियत कि इदराक की⁽²⁾ जाए, एक अदना हिस्सा है उस के बे इन्तिहा अज़ाब का। कुरआने मजीद व अहादीस में जो उस की सख़्तियां मज़कूर हैं, उन में से कुछ इज्मालन बयान करता हूं, कि मुसलमान देखें और उस से पनाह मांगें और उन आमाल से बचें जिन की जज़ा जहन्नम है। हदीस में है कि जो बन्दा जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम कहता है: ऐ रब! येह मुझ से पनाह मांगता है, तू इस को पनाह दे।⁽³⁾ कुरआने मजीद में ब कसरत इरशाद हुवा कि जहन्नम से बचो! दोज़ख़ से डरो!⁽⁴⁾ हमारे आकाओ मौला صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ हम को सिखाने के लिये कसरत के साथ उस से पनाह मांगते।⁽⁵⁾

जहन्नम के शरारे (फूल)⁽⁶⁾ ऊंचे ऊंचे महलों के बराबर उड़ेंगे, गोया ज़र्द ऊंटों की क़ितार कि पैहम आते रहेंगे।⁽⁷⁾

1.....क़लील मिक्दार।

2.....सोची या समझी।

3.....عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يارب إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره... إلخ)). "مسند أبي يعلى"، الحديث: ٦١٦٤، ج ٥، ص ٣٧٩.

4..... ﴿قَاتِلُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾، پ ١، البقرة: ٢٤.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾، پ ٢٨، التحريم: ٦.

5.....عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه كان يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم... إلخ)). وفي رواية: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: ((قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)).

"صحيح مسلم"، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، الحديث: ١٣٣ (٥٨٨-٥٩٠)، ص ٢٩٨.

6.....चिगारियां।

7..... ﴿إِنهَاتَرْنِي شَرًّا كَالْقَصْرِ﴾ كَأَنَّهُ جُمِلَتْ صُفْرَةٌ ﴿﴾، پ ٢٩، المرسلت: ٣٢-٣٣.
عن ابن مسعود رضي الله عنه: ﴿إِنهَاتَرْنِي شَرًّا كَالْقَصْرِ﴾، قال: أما إني لست أقول كالشجرة ولكن كالحصون والمدائن). "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في ظلمتها وسوادها وشررها، الحديث: ٣١، ص ٢٥٢.

आदमी और पथ्थर उस का ईंधन है⁽¹⁾, येह जो दुन्या की आग है उस आग के सत्तर जुजों में से एक जुज है।⁽²⁾ जिस को सब से कम दरजे का अज़ाब होगा उसे आग की जूतियां पहना दी जाएंगी, जिस से उस का दिमाग़ ऐसा खौलेगा जैसे तांबे की पतीली खौलती है, वोह समझेगा कि सब से ज़ियादा अज़ाब उस पर हो रहा है, हालां कि उस पर सब से हलका है⁽³⁾, सब से हलके दरजे का जिस पर अज़ाब होगा, उस से **اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** पूछेगा कि : अगर सारी ज़मीन तेरी हो जाए तो क्या इस अज़ाब से बचने के लिये तू सब फ़िदये⁽⁴⁾ में दे देगा ? अर्ज़ करेगा : हां ! फ़रमाएगा कि : जब तू पुश्ते आदम में था तो हम ने इस से बहुत आसान चीज़ का हुक्म दिया था कि कुफ़्र न करना मगर तू ने न माना।⁽⁵⁾ जहन्नम की आग हज़ार बरस तक धोंकाई गई, यहां तक कि सुख़ हो गई, फिर हज़ार बरस और, यहां तक कि सफ़ेद हो गई, फिर हज़ार बरस और, यहां तक कि सियाह हो गई तो अब वोह निरी सियाह है⁽⁶⁾.....

① ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ ، پ ۱، البقرة: ۲۴.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ ، پ ۲۸، التحريم: ۶.

② عن أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ناركم هذه - التي يوقد ابن آدم - جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم)).

”صحيح مسلم“، كتاب صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم... إلخ، الحديث: ۲۸۴۳، ص ۱۵۲۳.

③ عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من

نار، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أنّ أحداً أشدّ منه عذاباً، وإنّه لأهونهم عذاباً)).

”صحيح مسلم“، كتاب الإيمان، باب أهون أهل النار عذاباً، الحديث: ۳۶۴ (۲۱۲)، ص ۱۳۴.

④ वोह माल या रुपिया, जिसे दे कर कैदी रिहा हो। “फ़ीरोजुल्लुगात”, स. 982

⑤ عن أنس يرفعه: ((أنّ الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أنّ لك ما في الأرض من شيء كنت تفتردي به؟ قال:

نعم، قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي فأبيت إلاّ الشرك)).

”صحيح البخاري“، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، الحديث: ۳۳۳۴، ج ۲، ص ۴۱۳.

⑥ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى

ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة)). ”سنن الترمذي“، كتاب صفة جهنم، باب منه، الحديث:

۲۶۰۰، ج ۴، ص ۲۶۶.

وفي رواية: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت،

ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم)).

”الترغيب والترهيب“، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في ظلمتها وسوداها وشرها، الحديث: ۲۸، ص ۲۵۱.

जिस में रोशनी का नाम नहीं।⁽¹⁾ जिब्रईल عَلَيْهِ السَّلَام ने नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से क़सम खा कर अर्ज़ की, कि : अगर जहन्नम को सूई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम ज़मीन वाले सब के सब उस की गर्मी से मर जाएं और क़सम खा कर कहा कि : अगर जहन्नम का कोई दारोगा⁽²⁾ अहले दुनिया पर ज़ाहिर हो तो ज़मीन के रहने वाले कुल के कुल उस की हैबत से मर जाएं और ब क़सम बयान किया कि : अगर जहन्नमियों की ज़न्जीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ों पर रख दी जाए तो कांपने लगें और उन्हें क़रार न हो, यहां तक कि नीचे की ज़मीन तक धंस जाएं।⁽³⁾ येह दुनिया की आग (जिस की गर्मी और तेज़ी से कौन वाकिफ़ नहीं कि बाज़ मौसिम में तो इस के क़रीब जाना शाक़ होता है, फिर भी येह आग) खुदा से दुआ करती है कि इसे जहन्नम में फिर न ले जाए⁽⁴⁾, मगर तअज्जुब है इन्सान से कि जहन्नम में जाने का काम करता है और उस आग से नहीं डरता जिस से आग भी डरती और पनाह मांगती है।

1..... عن أنس رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ﴾، فقال: ((أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء لها)). وفي رواية: ((لا يطفأ لها)). "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في ظلمتها وسوادها وشررها، الحديث: ٣٠، ص ٢٥١-٢٥٢.

2.....यानी मुहाफ़िज़ व निगरान।

3..... عن عمر بن الخطاب قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حين غير حينه الذي كان يأتيه فيه، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا جبريل ما لي أراك متغير اللون؟ فقال:..... والذي بعثك بالحق لو أنّ قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلّهم جميعاً من حرّه..... والذي بعثك بالحق لو أنّ خازناً من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لمات من في الأرض كلّهم من قبح وجهه ومن تنن ريعه، والذي بعثك بالحق لو أنّ حلقة من حلقة سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لارفضت وما تقارّت حتى تنتهي إلى الأرض السفلى))، ملقطاً. "مجمع الزوائد"، كتاب صفة النار، الحديث: ١٨٥٧٣، ج ١٠، ص ٧٠٦-٧٠٧. "المعجم الأوسط" للطبراني، ج ٢، ص ٧٨، الحديث: ٢٥٨٣.

4..... عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم، ولولا أنّها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعت بها، وإنّها لتدعو الله عز وجل أن لا يعيدها فيها)).

"سنن ابن ماجه"، أبواب الزهد، باب صفة النار، الحديث: ٤٣١٨، ج ٤، ص ٥٢٨.

दोज़ख़ की गहराई को खुदा ही जाने कि कितनी गहरी है, हदीस में है कि अगर पथर की चटान जहन्नम के किनारे से उस में फेंकी जाए तो सत्तर बरस में भी तह तक न पहुंचेगी⁽¹⁾ और अगर इन्सान के सर बराबर सीसे का गोला आस्मान से ज़मीन को फेंका जाए तो रात आने से पहले ज़मीन तक पहुंच जाएगा, हालां कि येह पानसो⁽²⁾ बरस की राह है।⁽³⁾ फिर उस में मुख़लिफ़ तबक़ात व वादी और कुएं हैं⁽⁴⁾, बाज़ वादी ऐसी हैं कि जहन्नम भी हर रोज़ सत्तर मरतबा या ज़ियादा उन से पनाह मांगता है⁽⁵⁾, येह खुद उस मकान की हालत है, अगर उस में और कुछ अज़ाब न होता तो येही क्या कम था ! मगर कुफ़्फ़ार की सर्ज़निश के लिये और तरह तरह के अज़ाब मुहय्या किये, लोहे के ऐसे भारी गुर्जों से फ़रिश्ते मारेंगे कि अगर कोई गुर्ज ज़मीन पर रख दिया जाए तो तमाम जिनो इन्स जम्अ हो कर उस को उठा नहीं सकते।⁽⁶⁾ बुख़्री ऊंट¹ की गरदन बराबर बिच्छू और अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) जाने किस क़दर बड़े सांप कि

1..... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاما وما تفضي إلى قرارها)). "سنن الترمذي"، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة قعر جهنم، الحديث: ٢٥٨٤، ج ٤، ص ٢٦٠.

2.....यानी पांच सो ।

3..... عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لَوْ أَنَّ رِصَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الْجُمُحَةِ - أُرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَّغَتْ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ... إلخ)).

"سنن الترمذي"، كتاب صفة جهنم، باب منه، الحديث: ٢٥٩٧، ج ٤، ص ٢٦٥.

4..... كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قدمائهم قال: ((إِنَّ فِي جَهَنَّمَ سَبْعِينَ أَلْفَ وَادٍ، فِي كُلِّ وَادٍ سَبْعُونَ أَلْفَ شَعْبٍ، فِي كُلِّ شَعْبٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتٍ، فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَشَرٍ... إلخ)).

"الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في أوديتها وجبالها، الحديث: ٤٠، ج ٤، ص ٢٥٤.

5..... عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((... وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً... إلخ)).

"البعث والنشور" للبيهقي، الحديث: ٤٦٤، ج ١، ص ٣٩٨. "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، الترهب

من النار... إلخ، الحديث: ٣٧، ج ٤، ص ٢٥٣.

وفي رواية: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((... وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعِمِائَةِ

مرة... إلخ)). "سنن ابن ماجه"، كتاب السنة، باب الانتفاع بالعلم والعمل، الحديث: ٢٥٦، ج ١، ص ١٦٧.

وفي رواية: "المعجم الكبير" للطبراني، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًا يَسْتَعِذُّ

جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أَرْبَعِمِائَةِ مَرَّةً)). الحديث: ١٢٨٠٣، ج ١٢، ص ١٣٦.

6..... عن أبي سعيد خدری رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لَوْ أَنَّ مَقْمَعًا مِنْ حَدِيدٍ وَضِعَ

فِي الْأَرْضِ، فَاجْتَمَعَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا أَقْلَوْهُ مِنَ الْأَرْضِ)). "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١١٢٣٣، ج ٤، ص ٥٨.

1.....एक किस्म के ऊंट हैं, जो सब ऊंटों से बड़े होते हैं ।

अगर एक मरतबा काट लें तो उस की सोज़िश, दर्द, बेचैनी हज़ार बरस तक रहे⁽¹⁾, तेल की जली हुई तलछट⁽²⁾ की मिस्ल सख़्त खौलता पानी पीने को दिया जाएगा, कि मुंह के क़रीब होते ही उस की तेज़ी से चेहरे की खाल गिर जाएगी।⁽³⁾ सर पर गर्म पानी बहाया जाएगा।⁽⁴⁾

जहन्नमियों के बदन से जो पीप बहेगी वोह पिलाई जाएगी⁽⁵⁾, ख़ारदार थूहड़⁽⁶⁾ खाने को दिया जाएगा⁽⁷⁾, वोह ऐसा होगा कि अगर उस का एक क़तरा दुनिया में आए तो उस की

①..... لم نُفَرِّ بِتَخْرِيجِ عِبَارَةِ الْمَتْنِ وَلَكِنْ وَجَدْنَا الْحَدِيثَ فِي "الْمُسْنَدِ" لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْثَالِ أَعْنَاقِ الْبَخْتِ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ خَرِيفًا، وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ كَأَمْثَالِ الْبَغَالِ الْمَوْكُفَةِ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَمُوتَهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً)).

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١٧٧٢٩، ج ٦، ص ٢١٧.

②.....जली हुई तह ।

③..... ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾، پ ١٥، الکھف: ٢٩.

في رواية "سنن الترمذي" عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿كَالْمُهْلِ﴾، قال: ((كعكر الزيت، فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه)).

"سنن الترمذي"، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، الحديث: ٢٥٩٠، ج ٤، ص ٢٦١.

"المسند" للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ١١٦٧٢، ج ٤، ص ١٤١.

④..... ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾، پ ١٧، الحج: ١٩.

في "تفسير الطبري"، ج ٩، ص ١٢٥: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إِنَّ الْحَمِيمَ لِيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ)). و"سنن الترمذي"، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب، الحديث: ٢٥٩١، ج ٤، ص ٢٦٢.

⑤..... ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ﴾، پ ١٣، ابراهيم: ١٦.

في "الدر المنثور"، ج ٥، ص ١٥، تحت الآية، عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ﴾، قال: (ماء يسيل من بين لحمه وجلده).

⑥..... एक किस्म का ख़ारदार ज़हरीला दरख़्त जिस में से दूध निकलता है । "फ़रहंगे आसिफ़िया"، जि. 1, स. 648

⑦..... ﴿إِنْ شَجَرَتِ الزُّقُومُ ۖ طَعَامًا لِّالنَّاصِيَةِ﴾، پ ٢٥، الدخان: ٤٣ - ٤٤.

﴿طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾، پ ٢٩، المزمل: ١٣. في "تفسير الطبري"، تحت هذه الآية، عن مجاهد قوله: ﴿طَعَامًا

ذَا غُصَّةٍ﴾، قال: (شجرة الزقوم). ج ١٢، ص ٢٨٩.

सोज़िश व बदबू तमाम अहले दुन्या की मईशत बरबाद कर दे⁽¹⁾ और वोह गले में जा कर फन्दा डालेगा⁽²⁾, उस के उतारने के लिये पानी मांगेंगे, उन को वोह खौलता पानी दिया जाएगा कि मुंह के करीब आते ही मुंह की सारी खाल गल कर उस में गिर पड़ेगी, और पेट में जाते ही आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा⁽³⁾ और वोह शोरबे की तरह बह कर क़दमों की तरफ़ निकलेंगी⁽⁴⁾, प्यास इस बला की होगी कि उस पानी पर ऐसे गिरेंगे जैसे तौस⁽⁵⁾ के मारे हुए ऊंट⁽⁶⁾, फिर कुफ़ार जान से अजिज़ आ कर बाहम मश्वरा कर के मालिक (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) को पुकारेंगे कि : ऐ मालिक (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) ! तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे, मालिक (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) हज़ार बरस तक जवाब न देंगे, हज़ार बरस के बाद फ़रमाएंगे : मुझ से क्या कहते हो, उस से कहो जिस की ना फ़रमानी की है ! हज़ार बरस तक

①..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أنّ قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معاشهم، فكيف بمن يكون طعامه)). "سنن الترمذي"، كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في صفة شراب أهل النار، الحديث: ٢٥٩٤، ج ٤، ص ٢٦٣.

②..... في "تفسير الطبري"، ج ١٢، ص ٢٨٩: عن ابن عباس، في قوله: ﴿وَلَطَمَامًا غُصَّةً﴾ قال: (شوك يأخذ بالخلق، فلا يدخل ولا يخرج).

③..... ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يَغَاثُوا بِآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ﴾. ب ١٥، الكهف: ٢٩.

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يلقى على أهل النار الجوع، فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنّهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب، فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم... إلخ)).

"سنن الترمذي"، كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في صفة طعام أهل النار، الحديث: ٢٥٩٥، ج ٤، ص ٢٦٤.

④..... في "تفسير الطبري" ب ١٣، ابراهيم: ١٦-١٧، ج ٧، ص ٤٣٠، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ﴾ يَجْرَعُهُ، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دُبُرِهِ، يقول الله عز وجل: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾، ويقول: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يَغَاثُوا بِآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ﴾.

⑤..... यानी इन्तिहाई शदीद प्यास ।

⑥..... عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿شَرِبَ الْهَيْمُ﴾ قال: كشرب الإبل العطاش).

وفي رواية: عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿شَرِبَ الْهَيْمُ﴾ قال: شرب الهيم هو داء يكون في الإبل تشرب ولا تروى).

"البدورالسافرة" للسيوطي، باب طعام أهل النار وشرابهم، الحديث: ١٤٤٦، ص ٤٢٨.

⑦..... जहन्नम के मुहाफ़िज़ ।

रब्बुल इज़्ज़त को उस की रहमत के नामों से पुकारेंगे, वोह हज़ार बरस तक जवाब न देगा, इस के बाद फ़रमाएगा तो येह फ़रमाएगा : “दूर हो जाओ ! जहन्नम में पड़े रहो ! मुझ से बात न करो !” उस वक़्त कुफ़ार हर किस्म की ख़ैर से ना उम्मीद हो जाएंगे⁽¹⁾ और गधे की आवाज़ की तरह चिल्ला कर रोएंगे⁽²⁾, इब्तिदाअन आंसू निकलेगा, जब आंसू ख़त्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे, रोते रोते गालों में ख़न्दकों की मिस्ल गढ़े पड़ जाएंगे, रोने का खून और पीप इस क़दर होगा कि अगर उस में कश्तियां डाली जाएं तो चलने लगे।⁽³⁾

जहन्नमियों की शकलें ऐसी करीह होंगी कि अगर दुनिया में कोई जहन्नमी उसी सूरत पर लाया जाए तो तमाम लोग उस की बद सूरती और बदबू की वजह से मर जाएं।⁽⁴⁾ और जिस्म उन का ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा कि एक शाने से दूसरे तक तेज़ सुवार के लिये तीन³ दिन की राह है।⁽⁵⁾ एक एक दाढ़ उहुद के पहाड़.....

① فيقولون: ادعوا مالكا، فيقولون: ﴿يَلَيْكَ يَبْقُضُ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾، قال: فيحييهم ﴿إِنَّكُمْ مُكْتَبُونَ﴾ [الرّحرف: ٧٧] قال الأعْمَش: بُعِثْتُ أَن بَيْنَ دَعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكٍ إِيَاهُمْ أَلْفَ عَامٍ، قال: فيقولون: ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم، فيقولون: ﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ قال: فيحييهم ﴿إِخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون﴾ [المؤمنون: ١٠٦-١٠٨] قال: فعند ذلك يمضوا من كل خير).

”سنن الترمذي“، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة طعام أهل النار، الحديث: ٢٥٩٥، ج ٤، ص ٢٦٤.

② قال: (فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة وما هو إلاّ الزفير والشهيق في نار جهنم، فشبّه أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق). ”شرح السنة“، كتاب الفتن، باب صفة النار وأهلها، الحديث: ٤٣١٦، ج ٧، ص ٥٦٥-٥٦٦.

③ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يرسل البكاء على أهل النار، فيكون حتى ينقطع الدموع ثم يكون الدم حتى يصير في وجوههم كهية الأخدود لو أرسلت فيه السفن لحرّت)).

”سنن ابن ماجه“، كتاب الزهد، باب صفة النار، الحديث: ٤٣٢٤، ج ٤، ص ٥٣١.

④ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((لو أنّ رجلاً من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره، ونتين ريحه)). ”الترغيب والترهيب“، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في عظم أهل النار... إلخ، الحديث: ٦٨، ج ٤، ص ٢٦٣.

⑤ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرّع)).

”صحيح البخاري“، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، الحديث: ٦٥٥١، ج ٤، ص ٢٦٠.

बराबर होगी⁽¹⁾, खाल की मोटाई बयालीस ज़िराअ⁽²⁾ की होगी⁽³⁾, ज़बान एक कोस⁽⁴⁾ दो कोस तक मुंह से बाहर घिसटती होगी कि लोग उस को रौंदेंगे⁽⁵⁾, बैठने की जगह इतनी होगी जैसे मक्का से मदीना तक⁽⁶⁾ और वोह जहन्नम में मुंह सिकोड़े होंगे कि ऊपर का होंट सिमट कर बीच सर को पहुंच जाएगा और नीचे का लटक कर नाफ़ को आ लगेगा।⁽⁷⁾

इन मज़ामीन से येह मालूम होता है कि कुफ़ार की शक़ल जहन्नम में इन्सानी शक़ल न होगी कि येह शक़ल अहूसने तक्वीम⁽⁸⁾ है⁽⁹⁾ और येह अल्लाह عَزَّوَجَلَّ को महबूब है कि उस के महबूब की शक़ल से मुशाबेह है, बल्कि जहन्नमियों का वोह हुल्ल्या है जो ऊपर मज़कूर हुवा, फिर आख़िर में कुफ़ार के लिये येह होगा कि उस के क़द बराबर आग के सन्दूक में उसे बन्द करेंगे, फिर उस में आग भड़काएंगे और आग का कुफ़ल⁽¹⁰⁾ लगाया जाएगा, फिर येह सन्दूक आग के दूसरे सन्दूक में रखा जाएगा और उन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और उस में भी आग का कुफ़ल लगाया जाएगा, फिर इसी तरह उस को एक और सन्दूक में रख कर और आग का कुफ़ल लगा कर आग में डाल दिया जाएगा तो अब हर काफ़िर येह समझेगा कि उस

1 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ضرس الكافر مثل أحد)).

”المسند“ للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ٨٤١٨، ج ٣، ص ٢٣١.

2यानी बयालीस हाथ ।

3 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن غلظ جلد الكافر اثنا وأربعين ذراعاً)).

”سنن الترمذي“، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في عظم أهل النار، الحديث: ٢٥٨٦، ج ٤، ص ٢٦٠.

4यानी रास्ते की हद्दे मुअय्यन का नाम जिस की मिक्दार बाज़ के नज़्दीक चार हज़ार गज़ और बाज़ के नज़्दीक तीन हज़ार गज़ है । ”फ़रहंगे आसिफ़िया“، जि. 3, स. 590.

5 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطأه الناس)).

”سنن الترمذي“، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في عظم أهل النار، الحديث: ٢٥٨٩، ج ٤، ص ٢٦١.

6 ((وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة)).

”سنن الترمذي“، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في عظم أهل النار، الحديث: ٢٥٨٦، ج ٤، ص ٢٦٠.

7 عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وَهُمْ فِيهَا كَالْحُجُونَ)) [المؤمنون: ١٠٤] قال: تشويه

النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرتة)).

”سنن الترمذي“، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة الطعام أهل النار، الحديث: ٢٥٩٦، ج ٤، ص ٢٦٤.

8अच्छी सूरत ।

9 ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (پ ٣٠، التین: ٤)۔ (”کنز الایمان“ ”تربّیہ“) ”بیشک ہم نے آدمی کو اچھی سورت پر بنایا“

10ताला ।

के सिवा अब कोई आग में न रहा⁽¹⁾, और येह अज़ाब बालाए अज़ाब है और अब हमेशा उस के लिये अज़ाब है।

जब सब जन्नती जन्नत में दाख़िल हो लेंगे और जहन्नम में सिर्फ़ वोही रह जाएंगे जिन को हमेशा के लिये उस में रहना है, उस वक़्त जन्नत व दोज़ख़ के दरमियान मौत को मेंढे की तरह ला कर खड़ा करेंगे, फिर मुनादी⁽²⁾ जन्नत वालों को पुकारेगा, वोह डरते हुए झांकेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि यहां से निकलने का हुक्म हो, फिर जहन्नमियों को पुकारेगा, वोह खुश होते हुए झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए, फिर उन सब से पूछेगा कि इसे पहचानते हो ? सब कहेंगे : हां ! येह मौत है, वोह ज़ब्द कर दी जाएगी और कहेगा : ऐ अहले जन्नत ! हमेशगी है, अब मरना नहीं और ऐ अहले नार ! हमेशगी है, अब मौत नहीं, उस वक़्त उन के लिये खुशी पर खुशी है और इन के लिये ग़म बालाए ग़म।⁽³⁾

نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ.

①..... عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: ((إذا أراد الله أن يُنسى أهل النار جعل للرجل منهم صندوقاً على قدره من نار لا ينبض منه عرق إلا فيه مسمار من نار، ثم تضرم فيه النار، ثم يقل بقل من نار، ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار، ثم يضرم بينهما نار ثم يقل، ثم يلقى أو يطرح في النار فذلك قوله: ﴿مَنْ قَوَّيْتُمْ طَلَّ مِنَ النَّارِ وَمَنْ تَحْتَهُمْ ظُلُمٌ﴾ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِعِبَادَةٍ يُبَادِلُ الْقَوْنِ [الزمر: ١٦] وذلك قوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا فِئْرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٠] قال: فما يرى أن في النار أحداً غيره)). "البعث والنشور" للبيهقي، ج ٢، ص ٦١، الحديث: ٥٢٤. "الترغيب والترهيب"، كتاب صفة الجنة والنار، الترهيب من النار أعادنا الله... إلخ، الحديث: ٩٢، ج ٤، ص ٢٦٨.

②.....पुकारने वाला

③..... في رواية "البخاري": كتاب الرقاق: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار.....، وفي رواية "البخاري": كتاب التفسير:..... يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة،..... وفي رواية "سنن ابن ماجه"، أبواب الزهد،..... يا أهل الجنة فيطّلون حائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار فيطّلون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت..... وفي رواية "صحيح البخاري"، كتاب التفسير،..... فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت..... وفي رواية "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق:..... فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزناً إلى حزهم)). "صحيح البخاري"، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ج ٤، ص ٢٦٠، الحديث: ٦٥٤٨. "صحيح البخاري"، كتاب التفسير، ج ٣، ص ٢٧١، الحديث: ٤٧٣٠. و"سنن ابن ماجه"، كتاب الزهد، باب صفة النار، الحديث: ٤٣٢٧، ج ٤، ص ٥٣٢.

ईमान व कुफ़ का बयान

ईमान इसे कहते हैं कि सच्चे दिल से उन बातों की तस्दीक़ करे जो ज़रूरियाते दीन हैं और किसी एक ज़रूरते दीनी के इन्कार को कुफ़ कहते हैं, अगरचें बाकी तमाम ज़रूरियात की तस्दीक़ करता हो। ज़रूरियाते दीन वोह मसाइले दीन हैं जिन को हर खासो आम जानते हों, जैसे **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** की वहदानियत, अम्बिया की नबुव्वत, जन्नतो नार, हशरो नश्र वगैरहा⁽¹⁾, मसलन येह एतिकाद कि हुज़ुरे अक्दस **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم** खातमुन्नबिय्यीन हैं, हुज़ूर **(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم)** के बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता।⁽²⁾ अ़वाम से मुराद वोह मुसलमान हैं जो तब्क़ए उलमा में न शुमार किये जाते हों, मगर उलमा की सोहबत से शरफ़ याब हों और मसाइले इल्मिया से जौक़ रखते हों⁽³⁾, न वोह कि कूरदेह⁽⁴⁾ और जंगल और पहाड़ों के रहने वाले हों जो कलिमा भी सहीह नहीं पढ़ सकते, कि ऐसे लोगों का

①..... "في شرح العقائد النسفية": (إن الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى، أي: تصديق النبي بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى). "شرح العقائد النسفية"، مبحث الإيمان، ص ١٢٠.
في "المسامرة" و"المسائرة"، الكلام في متعلق الإيمان، ص ٣٣٠: (الإيمان (هو التصديق بالقلب فقط)، أي: قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر ولا استدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها، ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالاً كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلاً كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنجيل، حتى إن من لم يصدق بواحد معين منها كافر (و) القول بأن مسمى الإيمان هذا التصديق فقط (هو المختار عند جمهور الأشاعرة) وبه قال الماتريدي).

"الأشباه والنظائر"، الفن الثاني، كتاب السير، ص ١٥٩.

"البحر الرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج ٥، ص ٢٠٢.

"الدر المختار" كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٦، ص ٣٤٢.

②..... "في الهندية"، كتاب السير، الباب في أحكام المرتدين، ج ٢، ص ٢٦٣: (إذا لم يعرف الرجل أنّ محمداً صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام فليس بمسلم؛ لأنه من الضروريات).
"الأشباه والنظائر"، الفن الثاني، كتاب السير، ص ١٦١.

③..... وفسرت الضروريات بما يشترك في علمه الخواص والعوام، أقول: المراد العوام الذين لهم شغل بالدين واختلاط بعلمائه... إلخ. "الفتاوى الرضوية"، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ج ١، ص ١٨١.

④..... यानी कम आबाद और छोटा गाउँ, जिसे कोई न जानता हो और न ही वहां तालीम का कोई सिलसिला हो।

ज़रूरियाते दीन से ना वाकिफ़ होना उस ज़रूरी को ग़ैर ज़रूरी न कर देगा, अलबत्ता उन के मुसलमान होने के लिये यह बात ज़रूरी है कि ज़रूरियाते दीन के मुन्किर न हों और यह एतिकाद रखते हों कि इस्लाम में जो कुछ है हक़ है, उन सब पर इज्मालन ईमान लाए हों।

अक्वीदा 1

अस्ले ईमान सिर्फ़ तस्दीक़ का नाम है⁽¹⁾, आमाले बदन तो अस्लन जुज़्चे ईमान नहीं⁽²⁾। रहा इक़्ार, इस में यह तफ़्सील है कि अगर तस्दीक़ के बाद उस को इज़्हार का मौक़अ न मिला तो इन्दल्लाह⁽³⁾ मोमिन है और अगर मौक़अ मिला और उस से मुतालबा किया गया और इक़्ार न किया तो काफ़िर है और अगर मुतालबा न किया गया तो अहक़ामे दुन्या में काफ़िर समझा जाएगा, न उस के जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे, न मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न करेंगे, मगर इन्दल्लाह मोमिन है अगर कोई अम्र ख़िलाफ़े इस्लाम ज़ाहिर न किया हो।⁽⁴⁾

अक्वीदा 2

मुसलमान होने के लिये यह भी शर्त है कि ज़बान से किसी ऐसी चीज़ का इन्कार न करे जो ज़रूरियाते दीन से है, अगर्चे बाकी बातों का इक़्ार करता हो, अगर्चे वोह यह कहे कि सिर्फ़ ज़बान से इन्कार है दिल में इन्कार नहीं⁽⁵⁾,.....

1..... في "المساييرة": (هو التصديق بالقلب فقط).

"फ़तावा रज़विय्या", जि. 14, स. 124 पर है : (ईमान तस्दीके क़ल्बी का नाम है)।

2..... في "شرح العقائد النسفية"، مبحث الإيمان: ص ١٢٠-١٢٤: (أَنَّ الأَعْمَالِ غير داخلَة في الإيمان لما مرّ من أَنَّ حقيقة الإيمان هو التصديق).

في "الحديقة الندية"، ج ١، ص ٢٨٢: (والأعمال بالجوارح خارجة عن حقيقته أي: حقيقة الإيمان).

3..... अल्लाह तआला के नज़्दीक।

4..... في "شرح العقائد النسفية"، وشرحه "النبراس"، ص ٢٥٠: ((وإنّما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا) من حرمة الدم والمال وصلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وههنا مذّهب ثالث وهو أنّ الإقرار ليس بركن إلّا عند الطلب فمن طلب منه الإقرار فسكت من غير عذر فهو كافر عند الله سبحانه (لما أنّ التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله سبحانه وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا) وهذا إذا لم يكن مباشراً لعلامات التكذيب وإلّا فهو كافر عند الله أيضاً خلافاً لبعضهم).

وفي "الدر المختار": والإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية بعد الاتفاق على أنّه يعتقد متى طوّل به أتى به، فإن طوّل به فلم يقر فهو كافر عناد). "الدر المختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٦، ص ٣٤٢.

=

5..... وفي "الدر المختار": (من هزل بلفظ كفر ارتد، وإن لم يعتقد للاستخفاف فهو ككفر العناد).

कि बिला इकराहे शर्ई⁽¹⁾ मुसलमान कलिमए कुफ़र सादिर नहीं कर सकता, वोही शख्स ऐसी बात मुंह पर लाएगा जिस के दिल में इतनी ही वुक्अत है कि जब चाहा इन्कार कर दिया और ईमान तो ऐसी तस्दीक है जिस के ख़िलाफ़ की अस्लन गुन्जाइश नहीं।⁽²⁾

मसअला 1

अगर **مَعَاذَ اللَّهِ** कलिमए कुफ़र जारी करने पर कोई शख्स मजबूर किया गया, यानी उसे मार डालने या उस का उज़्ब काट डालने की सहीह धम्की दी गई कि ये धम्काने वाले को इस बात के करने पर क़ादिर समझे तो ऐसी हालत में इस को रुख़सत दी गई है, मगर शर्त येह है कि दिल में वोही इत्मीनाने ईमानी हो जो पेशतर था, मगर अफ़ज़ल जब भी येही है कि क़त्ल हो जाए और कलिमए कुफ़र न कहे।⁽³⁾

= وفي شرحه "رد المحتار": قوله: (من هزل بلفظ كفر) أي تكلم به باختياره غير قاصد معناه، وهذا لا ينافي ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط أو مع الإقرار؛ لأن التصديق وإن كان موجوداً حقيقة لكنه زائل حكماً؛ لأن الشارع جعل بعض المعاصي أمانة على عدم وجوده كالهزل المذكور، وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفاً في قاذورة فإنه يكفر وإن كان مصدقاً؛ لأن ذلك في حكم التكذيب كما أفاده في "شرح العقائد"، وأشار إلى ذلك بقوله: (للاستخفاف) فإن فعل ذلك استخفافاً واستهانة بالدين فهو أمانة عدم التصديق، ولذا قال في "المسيرة": وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب، أو باللسان في تحقيق الإيمان أمور، الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقاً كترك السجود لصنم وقتل نبي والاستخفاف به، وبالمصحف والكعبة، وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به؛ لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود، ثم حقق أن عدم الإخلال بهذه الأمور أحد أجزاء مفهوم الإيمان، فهو حينئذ التصديق والإقرار وعدم الإخلال بما ذكر، بدليل أن بعض هذه الأمور تكون مع تحقق التصديق والإقرار. "رد المحتار"، ج ٦، ص ٣٤٣.

في "الخاتية": (رجل كفر بلسانه طائعاً، وقلبه على الإيمان يكون كافراً ولا يكون عند الله تعالى مؤمناً).

"فتاوى قاضى خان"، كتاب السير، ج ٢، ص ٤٦٧. انظر للتفصيل "المسيرة"، ص ٣٣٧-٣٥٧.

1..... बिगैर शर्ई मजबूरी के।

2..... في "شرح العقائد النسفية"، ص ١٢١: (إن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلاً).

انظر "النبراس"، أن الإيمان في الشرع هو التصديق، ص ٢٤٩-٢٥٠.

"फ़तावा रज़विyyə" में है : (बिला इकराह कलिमए कुफ़र बोलना खुद कुफ़र, अगरचें दिल में उस पर एतिकाद न रखता हो, और आम्माए उलमा फ़रमाते हैं कि : इस से न सिर्फ़ मख़्लूक के आगे बल्कि इन्दल्लाह भी काफ़िर हो जाएगा कि उस ने दीन को **مَعَاذَ اللَّهِ** खेल बनाया और उस की अज़मत खयाल में न लाया)।

"फ़तावा रज़विyyə", जि. 14, स. 393, व जि. 27, स. 125

इसी में है : (जो बिला इकराह कलिमए कुफ़र बके बिला फ़र्के निय्यत मुत्लक़न क़त्अन यकीनन इज्माअन काफ़िर है)। "फ़तावा रज़विyyə", जि. 14, स. 600।

3..... في "رد المحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٦، ص ٣٤٦: ((ومكره عليها) أي: على الردة، والمراد الإكراه بملحىء

=

من قتل أو قطع عضو أو ضرب مبرح فإنه يرحص له أن يظهر ما أمر به على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان).

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

मस्अला 2

अमले जवारेह⁽¹⁾ दाखिले ईमान नहीं⁽²⁾, अलबत्ता बाज़ आमाल जो क़तअन मुनाफ़िये ईमान हों उन के मुत्तकिब को काफ़िर कहा जाएगा, जैसे बुत या चांद सूरज को सज्दा करना और क़त्ले नबी या नबी की तौहीन या मुस्हफ़ शरीफ़ या काबए मुअज़्ज़मा की तौहीन और किसी सुन्नत को हलका बताना, येह बातें यकीनन कुफ़र हैं।⁽³⁾.....

= وفي "التنوير" و"الدر المختار": (و) إن أكره (على الكفر) بالله تعالى أو سبّ النبي صلى الله عليه وسلم "مجمع" و"قدروي". (بقطع أو قتل رخص له أن يظهر ما أمر به) على لسانه ويوري (وقلبه مطمئن بالإيمان) ثم إن وري لا يكفر وبانت امرأته قضاء لا ديانة، وإن خطر بباله التورية ولم يور كفر وبانت ديانة وقضاء "نوازل" و"جلالية" (ويؤجر لو صبر).

وفي شرحه "رد المحتار": قوله: (ويؤجر لو صبر) أي: يؤجر أحر الشهداء لما روي أنّ خبيباً وعماراً ابتليا بذلك فصبر خبيب حتى قتل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء وأظهر عمار وكان قلبه مطمئناً بالإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإن عادوا فعد))، أي: إن عاد الكفار إلى الإكراه فعد أنت إلى مثل ما أتيت به أولاً من إجراء كلمة الكفر على اللسان وقبلك مطمئن بالإيمان، ابن كمال وقصتهما شهيرة). "رد المحتار"، كتاب الإكراه، ج ٩، ص ٢٢٦-٢٢٨.

وفي "الفتاوى الهندية"، كتاب الإكراه، الباب الثاني... إلخ، ج ٥، ص ٣٨: (وإن أكره على الكفر بالله تعالى أو سبّ النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أو قطع، رخص له إظهار كلمة الكفر والسبّ فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يأثم وإن صبر حتى قتل كان مثاباً).

1. आज्ञा के अमल ।

2. قد سبق تخريج هذه المسألة في العقيدة الأولى، ص ١٧٣.

3. في "شرح العقائد النسفية": ص ١٠٩ - ١١٠: (إن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافية، ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل خصوصاً إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافية نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفراً لكونه علامة للتكذيب ولا نزاع في أنّ من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود الصنم وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما تثبت بالأدلة أنه كفر).

وفي "المسامرة" و"المسايرة"، ص ٣٥٤: (يكفر من استخفّ بنبي أو بالمصحف أو بالكعبة، وهو مقتضى لاعتبار تعظيم كلّ منها؛ لأنّ الله جعله في رتبة عليا من التعظيم غير أنّ الحنفية اعتبروا من التعظيم المنافي للاستخفاف بما عظمه الله تعالى ما لم يعتبره غيرهم، (ولا اعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف) المذكور (كفر الحنفية) أي: حكموا بالكفر (بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين) الذين يجترئون بهتك حرّات دينية (لدلالاتها) أي: لدلالة تلك الألفاظ والأفعال (على

यूँही बाज़ आमाल कुफ़ की अलामत हैं, जैसे जुन्नार⁽¹⁾ बांधना, सर पर चुटिया⁽²⁾ रखना, क़श्का⁽³⁾ लगाना, ऐसे अफ़ाल के मुर्तकिब को फुक़हाए किराम काफ़िर कहते हैं।⁽⁴⁾

तो जब इन आमाल से कुफ़ लाज़िम आता है तो इन के मुर्तकिब को अज़ सरे नौ इस्लाम लाने और इस के बाद अपनी औरत से तज्दीदे निकाह का हुक्म दिया जाएगा।⁽⁵⁾

अक्वीदा 3

जिस चीज़ की हिल्लत नस्से क़ढ़ी से साबित हो⁽⁶⁾ उस को हुराम कहना और जिस की हुर्मत यकीनी हो उसे हलाल बताना कुफ़्र है, जब कि येह हुक्म ज़रूरिय्याते दीन الاستخفاف بالدين، كالصلاة بلا وضوء عمدًا، بل قد حكموا بالكفر (بالمواظبة على ترك سنة استخفافاً بها بسبب أنّها إنّما فعلها النبي زيادة، أو استقباحها) بالجر عطفًا على المواظبة: أي: بل قد كفر الحنفية من استقبح سنة (كمن استقبح من) إنسان (آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو) استقبح منه (إخفاء شاربته).

وانظر "منح الروض الأزهر"، ص ١٥٢، و"رد المحتار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٦، ص ٣٤٣.

①.....वोह धागा या डोरी जो हिन्दू गले से बग़ल के नीचे तक डालते हैं। और ईसाई, मजूसी और यहूदी कमर में बांधते हैं। "उर्दू लुग़त तारीख़ी उसूल पर", जि. 11, स. 162

②.....वोह चन्द बाल जो बच्चे के सर पर मन्त मान कर हिन्दू रखते हैं। "फ़रहंगे आसिफ़िय्या", जि. 1, स. 104

③.....पेशानी पर सन्दल या ज़ाफ़रान के दो निशानात। टीका, तिलक जो हिन्दू माथे पर लगाते हैं।

"उर्दू लुग़त तारीख़ी उसूल पर", जि. 14, स. 254

④.....في "منح الروض الأزهر" للقرائى، فصل في الكفر صريحاً وكناية، ص ١٨٥: (ولو شد الزنار على وسطه أو وضع الغل على كتفه فقد كفر، أي: إذا لم يكن مكرهاً في فعله، وفي "الخلاصة": ولو شد الزنار قال أبو جعفر الأستروشنى: إن فعل تخليص الأسارى لا يكفر، ولا كفر).

"फ़तावा रज़विय्या" में है: "अगर वोह वज़ उन कुफ़र का मज़हबी दीनी शिआर है जैसे जुन्नार, क़श्का, चुटिया, चलीपा तो इलमा ने इस सूत में भी हुक्मे कुफ़्र दिया

"कमा سمعت أنّاً"

"फ़तावा रज़विय्या" में है: "माथे पर क़श्का तिलक लगाना या कन्धे पर सलीब रखना कुफ़्र है।"

"फ़तावा रज़विय्या", जि. 24, स. 532)

"फ़तावा रज़विय्या" में है: "क़श्का ज़रूर शिआरे कुफ़्र व मुनाफ़िये इस्लाम है जैसे जुन्नार। बल्कि इस से ज़ाईद कि वोह जिस्म से जुदा एक डोरा है जो अक्सर कपड़ों के नीचे छुपा रहता है और येह खास बदन पर और बदन में भी कहां चेहरे पर, और चेहरे में किस जगह माथे पर जो हर वक़्त चमके और दूर से खुले हफ़ों में मुंह पर लिखा दिखाए कि "هذه من الكافرين" ("फ़तावा रज़विय्या", जि. 14, स. 393)।

⑤.....في "العقود الدرية"، باب الردّة والتعزير، ج ١، ص ١٠١: (وقال في "البزاية": ولو ارتد -والعياذ بالله تعالى- تحرم امرأته ويحدّ النكاح بعد إسلامه ويعيد المحج... إلخ).

⑥.....जिस चीज़ का हलाल होना ऐसी सरीह वाज़ेह और यकीनी दलील से हो जिस में तावील व तौजीह की कोई गुन्जाइश ही न हो।

से हो, या मुन्किर उस हुक्मे क़र्ई से आगाह हो।⁽¹⁾

मसअला 1

उसूले अक़ाइद में तक्लीद जाइज़ नहीं बल्कि जो बात हो यकीने क़र्ई के साथ हो, ख़्वाह वोह यकीन किसी तरह भी हासिल हो, उस के हुसूल में बिल खुसूस इल्मे इस्तिदलाली⁽²⁾ की हाजत नहीं, हां ! बाज़ फुरूए अक़ाइद में तक्लीद हो सकती है⁽³⁾,

①..... في "منح الروض الأزهر"، استحلال المعصية، ص ١٥٢: (إذا اعتقد الحرام حلالاً، فإن كان حرمة لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر وإلا فلا بأن تكون حرمة لغيره أو ثبت بدليل ظني، وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره، فقال: من استحلّ حراماً وقد علم في دين النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير من غير ضرورة فكافر).

فيه في فصل في الكفر صريحاً وكتاية، ص ١٨٨: (ومن استحلّ حراماً وقد علم تحريمه في الدين: أي: ضرورة كنكاح المحارم أو شرب الخمر أو أكل الميتة والدم ولحم الخنزير أي: في غير حال الاضطراب ومن غير إكراه بقتل أو ضرب فظيع لا يحتمله، وعن محمد رحمه الله بنون الاستحلال ممن ارتكب كفر، أي: في رواية شاذة عنه ولعلها محمولة على مرتكب نكاح المحارم فإن سياق الحال يدل على الاستحلال لبقية المحرمات، والله أعلم بالأحوال، قال: وانفتوى على التردد إن استعمل مستحلاً كفر وإلا، لا).

في "تفسير الحازن"، ج ١، ص ٤٦٨: (وقيل: إن من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو جحد بشيء مما أنزل الله فقد كفر بالله وحيط عمله المتقدم).

"फ़तावा रज़विया" में है : "कुतुबे अक़ाइद में तस्हीह है कि तहलीले ह़राम व तहरीमे ह़लाल दोनों कुफ़्र हैं यानी जो शै मुबाह हो जिसे अल्लाह व रसूल ने मन्अ न फ़रमाया उसे मन्मूअ जानने वाला काफ़िर है जब कि उस की इबाहत व ह़िल्लत ज़रूरियाते दीन से हो या कम अज़ कम हन्फिया के तौर पर क़र्ई हो वरना इस में शक नहीं कि बे मन्ए खुदा व रसूल मन्अ करने वाला शरीअते मुतहहरा पर इफ़ितरा करता है और अल्लाह عزّوجل पर बोहतान उठाता है और इस का अदना दरजा फ़िस्के शदीद व खबीसा है।"

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا كُفِرَ بِهِ هَذَا حِرَامٌ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ تَقْفَتُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ और जो कुछ तुम्हारी ज़बानें झूट बयान करती हैं (इस के मुतअल्लिक येह न कहा करो कि) येह ह़लाल और येह ह़राम है ताकि तुम अल्लाह तआला पर झूट बांधो (याद रखो) जो लोग अल्लाह तआला पर झूट बांधते हैं वोह काम्याब नहीं होते। (न)

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (न) وقال الله تعالى
(न) अल्लाह तआला के ज़िम्मे वोही लोग झूटा इल्ज़ाम लगाते हैं (जो दर हकीकत) ईमान नहीं रखते
("الفناوى الرضوية"، ج ٢١، ص ١٧٥).

②..... वोह इल्म जो दलील का मोहताज हो।

③..... في "تفسير روح البيان"، ب ١٧، الأنبياء، تحت الآية: ٥٣-٥٤، ص ٤٩١: ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا مَلَكُوتًا مُّشْرِكِينَ﴾ قَالَ

لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ واعلم أن التقليد قبول قول الغير بلا دليل وهو جائز في الفروع والعمليات ولا يجوز

इसी बिना पर खुद अहले सुन्नत में दो गुरौह हैं : “मातुरीदिया” कि इमाम अलमुल हुदा

في أصول الدين والاعتقادات بل لا بد من النظر والاستدلال لكن إيمان المقلد صحيح عند الحنفية والظاهرية وهو الذي اعتقد جميع ما وجب عليه من حدوث العالم ووجود الصانع وصفاته وإرسال الرسل وما جاؤوا به حقاً من غير دليل؛ لأن النبي عليه السلام قبل إيمان الأعراب والصبيان والنسوان والعبيد والإماء من غير تعليم الدليل ولكنه يأثم بترك النظر والاستدلال لوجوبه عليه).

وفي “تفسير روح البيان”، پ ۲۵، الزخرف، تحت الآية: ۲۲: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ

مُهْتَدُونَ﴾ ج ۸، ص ۳۶۱: وفيه ذم للتقليد وهو قبول قول الغير بلا دليل وهو جائز في الفروع والعمليات ولا يجوز في أصول الدين والاعتقادات بل لا بد من النظر والاستدلال لكن إيمان المقلد صحيح عند الحنفية والظاهرية وهو الذي اعتقد جميع ما وجب عليه من حدوث العالم ووجود الصانع وصفاته وإرسال الرسل وما جاؤوا به حقاً من غير دليل؛ لأن النبي عليه السلام قبل إيمان الأعراب والصبيان والنسوان والعبيد والإماء من غير تعليم الدليل ولكن المقلد يأثم بترك النظر والاستدلال لوجوبه عليه، والمقصود من الاستدلال هو الانتقال من الأثر إلى المؤثر ومن المصنوع إلى الصانع تعالى بأي وجه كان، لا ملاحظة الصغرى والكبرى وترتيب المقدمات للإنتاج على قاعدة المعقول فمن نشأ في بلاد المسلمين وسبح الله عند رؤية صنائعه فهو خارج عن حد التقليد كما في فصل الخطاب والعلم الضروري أعلى من النظري؛ إذ لا يزول بحال وهو مقدمة الكشف والعيان وعند الوصول إلى الشهود لا يبقى الاحتياج إلى الوسطة.

“फ़तावा रज़विय्या”, जि. 29, स. 215 में है : “जिस तरह फ़िक्ह में चार उसूल हैं किताब, सुन्नत, इज्माअ, कियास । अकाइद में चार उसूल हैं किताब, सुन्नत, सवादे आजम, अक्ले सहीह । तो जो इन में एक के ज़रीए से किसी मस्अलए अकाइद को जानता है दलील से जानता है न कि बे दलील महज़ तक्लीदन, अहले सुन्नत ही सवादे आजमे इस्लाम हैं तो इन पर हवाला दलील पर हवाला है न कि तक्लीद । यूँ ही अक्वाले अइम्मा से इस्तिनाद इसी माना पर है कि येह अहले सुन्नत का मज़हब है व लिहाज़ा एक दो दस बीस उलमाए किबार ही सही अगर जम्हूर व सवादे आजम के ख़िलाफ़ लिखेंगे उस वक़्त उन के अक्वाल पर न एतिमाद जाइज़ न इस्तिनाद कि अब येह तक्लीद होगी और वोह अकाइद में जाइज़ नहीं, इस दलील आनी सवादे आजम की तरफ़ हिदायत **اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ رَسُوْلِكَ** की कमाले रहमत है, हर शख़्स कहां कादिर था कि अक्लीदा किताबो सुन्नत से साबित करे अक्ल तो खुद ही समझ्यात में काफ़ी नहीं नाचार अवाम को अकाइद में तक्लीद करनी होती, लिहाज़ा येह वाजेह रोशन दलील अता फ़रमाई कि सवादे आजमे मुस्लिमीन जिस अक्लीदे पर हो वोह हक़ है इस की पहचान कुछ दुश्वार नहीं, सहाबए किराम **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ** के वक़्त में तो कोई बद मज़हब था ही नहीं और बाद को अगर्चे पैदा हुए मगर दुन्या भर के सब बद मज़हब मिला कर कभी अहले सुन्नत की गिनती को नहीं पहुंच सके **لِلّٰهِ الْحَمْدُ**

फ़िक्ह में जिस तरह इज्माअ अक्वियुल अदिल्ला है कि इज्माअ के ख़िलाफ़ का मुज्ताहिद को भी इख़्तियार नहीं अगर्चे वोह अपनी राय में किताबो सुन्नत से उस का ख़िलाफ़ पाता हो यकीनन समझा जाएगा कि या फ़हम की ख़ता है या येह हुक्म मन्सूख़ हो चुका है अगर्चे मुज्ताहिद को इस का नासिख़ न मालूम हो यूँही इज्माए उम्मत तो शैए अज़ीम है सवादे आजम यानी अहले सुन्नत का किसी मस्अलए अकाइद पर इत्तिफ़ाक़ यहां अक्वियुल अदिल्ला है किताबो सुन्नत से इस का ख़िलाफ़ समझ में आए तो फ़हम की ग़लती है हक़ सवादे आजम के साथ है और एक माना पर यहां अक्वियुल अदिल्ला अक्ल है कि और दलाइल की हुजियत भी इसी से ज़ाहिर हुई है मगर मुहाल.....

हज़रते अबू मन्सूर मातुरीदी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (1) के मुत्तबेअ हुए और “अशाइरा” कि हज़रते इमाम शैख़ अबुल हसन अशअरी رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (2) के ताबेअ हैं, येह दोनों जमाअतें अहले सुन्नत ही की हैं और दोनों हक़ पर हैं, आपस में सिर्फ़ बाज़ फुरूअ का इख़िलाफ़ है। (3).....

है कि सवादे आज़म का इत्तिफ़ाक़ किसी बुरहाने सहीह अक्ली के ख़िलाफ़ हो येह गिनती के जुम्ले हैं मगर بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى
وَاللهُ تَعَالَى اعْلَم (त। पस इन को मज़बूती से दाढ़ों के साथ पकड़ लो।)

1....आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه का नाम अबू मन्सूर मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन महमूद मातुरीदी समर कन्दी हनफी है आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه “इमामुल मुतकल्लिमीन” और “इमामुल हुदा” के लक़ब से मशहूर हैं, आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने अक़ाइदे मुस्लिमीन की वज़ाहत और बातिल अक़ीदे वालों की तरदीद में कई कुतुब तस्नीफ़ फ़रमाई जिन में से बाज़ किताबों के नाम येह हैं : “किताबुतौहीद”, “किताबुल मक़ालात”, “किताब रदे दलाइलुल कअबी” और “किताब तावीलातिल कुरआन”। आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه और आप के साथियों को “समर कन्द” के एक महल्ले “मातुरीद” की तरफ़ निस्बत की वजह से “मातुरीदी” कहा जाता है, आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه का विसाल 333 हिजरी में हुवा, आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه का मज़ार समर कन्द में है। (३, ज ३, १९२)।

2....आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه का नाम अबुल हसन अली बिन इस्माईल बिन इस्हाक़ बिन इस्माईल बिन अब्दुल्लाह बिन बिलाल है। आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه का सिल्लिलए नसब सहाबिये रसूल हज़रते अबू मूसा अशअरी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से जा मिलता है, आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه अक्सर मुतकल्लिमीने अहले सुन्नत के रईस हैं, आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه के अस्हाब को “अशाइरा” कहा जाता है, आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने भी कई कुतुब तस्नीफ़ फ़रमाई जिन में से चन्द के नाम येह हैं : “الفصول في الرد على الملحدين والجارحين عن الملة”, “الرد على الجهمية”, “كتاب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين”, आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه का विसाल 324 हिजरी में बग़दाद में हुवा।

(“النبراس”, २०, “سير أعلام النبلاء”, ११, ५४१ “معجم المؤلفين”, २, ४०५, “الأعلام”, للزركلي, ४, २६३)।

3..... في “البريقة المحمودية”, الباب الأول, النوع الثاني, ج १, २००: (عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة)) قالوا: ومن هي يا رسول الله قال: ((ما أنا عليه وأصحابي)) وهي أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشاعرة, فإن قيل: كل فرقة تدعي أنها أهل السنة والجماعة, قلنا: ذلك لا يكون بالدعوى بل بتطبيق القول والفعل وذلك بالنسبة إلى زماننا إنما يمكن بمطابقة صحاح الأحاديث ككتب الشيخين وغيرهما من الكتب التي أجمع على وثاقها كما في “المناوي”, فإن قيل: فما حال الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية؟ قلنا: لاتحاد أصولهما لم يعد مخالفة معتدة؛ إذ خلاف كل فرقة لا يوجب تضليل الأخرى ولا تفسيقها فعدتا ملة واحدة, وأما الخلاف في الفرعيات وإن كان كثرة اختلاف صورة لكن مجتمعة في عدم مخالفة الكل كتاباً نصاً ولا سنة قائمة ولا إجماعاً ولا قياساً صحيحاً عنده وأن الكل صارف غاية جهده وكمال وسعه في إصابة السنة وإن أخطأ بعض لقوة خفاء الدليل, ولهذا يعذر ويُعفى بل يؤجر, قال المناوي في “شرح الجامع”: عدّ هذا الحديث المؤلف من المتواتر).

इन का इख़िलाफ़ हनफी, शाफ़ेई का सा है कि दोनों अहले हक़ हैं। कोई किसी की तज़लील व तफ़्सीक नहीं कर सकता।⁽¹⁾

मरआला 2

ईमान काबिले ज़ियादती व नुक़सान नहीं, इस लिये कि कमी बेशी उस में होती है जो मिक्दार यानी लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई या गिनती रखता हो और ईमान तस्दीक़ है और तस्दीक़, कैफ़ यानी एक हालते इज़्आनिया।⁽²⁾ बाज़ आयात में ईमान का ज़ियादा होना जो फ़रमाया है उस से मुराद به مؤمن به و مُصدق به है, यानी जिस पर ईमान लाया गया और जिस की तस्दीक़ की गई कि ज़माने नुज़ूले कुरआन में इस की कोई हद मुअय्यन न थी, बल्कि अहक़ाम नाज़िल होते रहते और जो हुक्म नाज़िल होता उस पर ईमान लाज़िम होता, न कि खुद नफ़से ईमान बढ़ घट जाता हो, अलबत्ता ईमान काबिले शिद्दत व ज़ोफ़ है कि येह कैफ़ के अवारिज़ से हैं।⁽³⁾ हज़रते सिद्दीके अक़बर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का तन्हा ईमान

= في "شرح المقاصد"، الفصل الثالث: في الأسماء والأحكام، المبحث الثامن حكم المؤمن والكافر والفاسق، ج ٣، ص ٤٦٤-٤٦٥: (والمشهور من أهل السنة في ديار "خراسان" و"العراق" و"الشام" وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خالف أبا علي الجبائي، ورجع عن مذهبه إلى السنة، أي: طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة أي: طريقة الصحابة. وفي ديار "ما وراء النهر" الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي تلميذ أبي نصر العياض، تلميذ أبي بكر الحوزجاني صاحب أبي سليمان الحوزجاني، تلميذ محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله و"ماتريد" من قرى "سمرقند"، وقد دخل الآن فيها بين الطائفتين اختلاف في بعض الأصول، كمسألة التكوين، ومسألة الاستثناء في الإيمان، ومسألة إيمان المقلد وغير ذلك. والمحققون من الفريقين لا ينسبون أحدهما إلى البدعة والضلالة خلافاً للمبطلين المتعصبين)، انظر "مجموعة حواشي البهية"، حاشية المحقق مولانا عصام الدين على شرح العقائد النسفية، ج ٢، ص ٣١.

وانظر "حاشية العلامة مولانا ولي الدين على حاشية المحقق مولانا عصام الدين، ج ٢، ص ٣١، و"النبراس"، بيان اختلاف الأشعرية والماتريدية، ص ٢٢، و"رد المحتار"، المقدمة، مطلب: يجوز تقليد المفضل مع وجود الأفضل، ج ١، ص ١١٩.

①यानी गुमराह और फ़ासिक नहीं कह सकता।

②तस्दीक़, एतिमाद व यकीन की एक कैफ़ियत का नाम है।

③ في "شرح العقائد النسفية"، ص ١٢٥-١٢٧: (إن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص لما مر من أنها التصديق القلبي الذي بلغ حد الحزم والإذعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حتى إنّ من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أصلاً والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة على ما ذكره أبو حنيفة أنهم كانوا آمنوا في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص وحاصله أنه كان يزيد بزيادة ما يجب به

(1) इस उम्मत के तमाम अफ़राद के मज्मूअ ईमानों पर ग़ालिब है।

अक्वीदा 4 - ईमान व कुफ़ में वासिता नहीं⁽²⁾, यानी आदमी या मुसलमान होगा या काफ़िर, तीसरी सूरत कोई नहीं कि न मुसलमान¹ हो न काफ़िर।

الإيمان وقال بعض المحققين: لا نسلم أنّ حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان بل تفاوت قوة وضعفًا.

وانظر للتفصيل "النبراس"، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، ص ٢٥٧.

وانظر رسالة إمام أهل السنة رحمه الله تعالى "الزلال الأنقى من بحر سبقة الأنقى"، ج ٢٨، ص ٥٩٨-٥٩٩.

① ((عن هزيل بن شرحبيل، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم)). ("شعب الإيمان"، باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه... إلخ، الحديث: ٣٦، ج ١، ص ٦٩).

② قال الإمام الرازي تحت هذه الآية: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾... إلخ في "التفسير الكبير"، ج ٦، ص ٢٠٦: (احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف مؤمناً وبين أن يكون كافراً، لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين).

في "تفسير البضاوي"، پ ٦، النساء: ١٥٠، ج ٢، ص ٢٧٣-٢٧٤: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ﴾ بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم، ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ وَابِعَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ طريقاً وسطاً بين الإيمان والكفر، لا واسطة، إذ الحق لا يختلف فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلاً أو إجمالاً، فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال كما قال الله تعالى: ﴿فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾.

وفي "تفسير النسفي"، ص ٢٦٢، تحت الآية: ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ وَابِعَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (أي: ديناً وسطاً بين الإيمان والكفر ولا واسطة بينهما).

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن "फ़तावा रज़विय्या" शरीफ़ में फ़रमाते हैं :

(अकूल व बिल्लाहितौफ़ीक़ : तौज़ीह इस दलील की अ़ला हस्बे मरामिहिम (उन के मक़ासिद के मुताबिक़। ن) येह है कि काफ़िर नहीं मगर वोह जिस का दीन कुफ़र है और कोई आदमी दीन से ख़ाली नहीं, न एक शख़्स के एक वक़्त में दो दीन हो सकें,

فإن الكفر والإسلام على طرفي النقيض بالنسبة إلى الإنسان لا يجتمعان أبداً ولا يرتفعان، قال تعالى:

﴿إِنَّمَا سَكِرَاتُ الْإِيمَانِ قُلُوبُهُ﴾ [پ ٢٩، الدرر: ٣]، وقال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ﴾

[پ ٢١، الأحزاب: ٤]. "الفتاوى الرضوية"، ج ٦، ص ٧١٢.

... 1. हां येह मुम्किन है कि हम ब वजह शुबा के किसी को न मुसलमान कहें न काफ़िर जैसे यज़ीदे पलीद व

इस्माईल देहलवी । 12 मिन्ह

मसअला : निफ़ाक़ कि ज़बान से दावए इस्लाम करना और दिल में इस्लाम से इन्कार,

येह भी ख़ालिस कुफ़ है⁽¹⁾, बल्कि ऐसे लोगों के लिये जहन्नम का सब से नीचे का तबक़ा है।⁽²⁾ हुज़ूरे अक़दस صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم के ज़मानए अक़दस में कुछ लोग इस सिफ़त के इस नाम के साथ मशहूर हुए कि उन के कुफ़्रे बातिनी पर कुरआन नातिक् हुवा⁽³⁾। नीज़ नबी صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم ने अपने वसीअ इल्म से एक एक को पहचाना और फ़रमा दिया कि येह मुनाफ़िक् है।⁽⁴⁾ अब इस ज़माने में किसी ख़ास शख़्स की निस्बत क़तअ⁽⁵⁾ के साथ मुनाफ़िक् नहीं कहा जा सकता, कि हमारे सामने जो दावए इस्लाम करे हम उस को मुसलमान ही समझेंगे, जब तक उस से वोह कौल या फ़ैल जो मुनाफ़िये ईमान है न सादिर हो, अलबत्ता निफ़ाक़ की एक शाख़ इस ज़माने में पाई जाती है कि बहुत से बद मज़हब अपने आप को मुसलमान कहते हैं और देखा जाता है तो दावए इस्लाम के साथ ज़रूरिय्याते दीन का इन्कार भी है।

① في "تفسير الخازن"، ج ١، ص ٢٦: (وكفر نفاق، وهو أن يقرّ بلسانه ولا يعتقد صحة ذلك بقلبه).

وفي "تفسير النسفي"، البقرة، تحت الآية: ٨، ص ٢٤: (ثم ثلث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم أحبث الكفرة؛ لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وخداعا).

② ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ صٰٓئِرًا ۖ﴾ (پ ٥، النساء: ١٤٥).

③ ﴿وَمِنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوٓا۟ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سُعَدَ لَهُمۡ مَّرَتَبَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۖ﴾ (پ ١١، التوبة: ١٠١).

④ عن ابن عباس، في قوله: ﴿وَمِنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوٓا۟ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سُعَدَ لَهُمۡ مَّرَتَبَتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۖ﴾ [التوبة: ١٠١]، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيباً، فقال: ((قم يا فلان فإنا منافق، اخرج يا فلان فإنا منافق))، فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم، ولم يكن عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة كانت له، فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختاباً منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن أن الناس قد انصرفوا، واختبئوا هم من عمر، وظنوا أنه قد علم بأمرهم، فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم ينصرفوا. فقال له رجل: أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم، فهذا العذاب الأول، والعذاب الثاني عذاب القبر).

(”المعجم الأوسط“، من اسمه أحمد، الحديث: ٧٩٢، ج ١، ص ٢٣١).

⑤ यानी यकीन।

अक्वीदा 5

शिरक के माना गैरे खुदा को वाजिबुल वुजूद या मुस्तहिक्के इबादत जानना, यानी उलूहियत में दूसरे को शरीक करना⁽¹⁾ और येह कुफ़ की सब से बदतर किस्म है, इस के सिवा कोई बात अगर्चे कैसी ही शदीद कुफ़ हो हकीकतन शिरक नहीं, व लिहाजा शरए मुतहहर ने अहले किताब कुफ़ार के अहकाम मुशिरकीन के अहकाम से जुदा फ़रमाए : किताबी का ज़बीहा हलाल, मुशिरक का मुर्दार, किताबिया से निकाह हो सकता है, मुशिरका से नहीं हो सकता।⁽²⁾ इमाम शाफ़ेई के नज़दीक किताबी से जिज़्या⁽³⁾

①..... في "شرح العقائد النسفية"، مبحث الأفعال كلها بخلق الله تعالى، ص ٧٨: (الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام).

وانظر "الفتاوى الرضوية"، ج ٢١، ص ١٣١.

②..... ﴿أَيُّوْمًا حَلَّ لَكُمْ الظِّيْتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (پ ٦، المائدة: ٥).

وفي "تفسير الخازن"، المائدة: ٥، ج ١، ص ٤٦٧-٤٦٨: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ﴾ يعني: وذباح أهل الكتاب حلّ لكم وهم اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من دخل في دينهم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو متنصر والعرب من بني تغلب فلا تحل ذبيحته روي عن علي بن أبي طالب قال: لا تأكل من ذبائح نصارى العرب بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر، وبه قال ابن مسعود..... وأجمعوا على تحريم ذبائح المجوس وسائر أهل الشرك من مشركي العرب وعبدة الأصنام ومن لا كتاب له. وقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ يعني: وأحلّ لكم المحصنات من أهل الكتاب اليهود والنصارى قال ابن عباس: يعني: الحرائر من أهل الكتاب.

انظر التفصيل لهذه المسألة في رسالة الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن المسماة بـ "إعلام الأعلام بأنّ هندوستان دار السلام"، الفتاوى الرضوية، ج ١٤، من ص ١١٦ إلى ١٢٢.

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا الشُّرُكَاءَ حَتَّى يَبْذُوكَ﴾ (پ ٢، البقرة: ٢٢١).

وفي "تفسير الخازن"، البقرة: ٢٢١، ج ١، ص ١٦٠: (ومعنى الآية ولا تتكحوا أيها المؤمنون المشركات حتى يؤمن أي: يصدقن بالله ورسوله وهو الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام المسلمين).

انظر "الدر المختار" و"رد المحتار"، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مطلب: مهم في وطء السراري اللاتي... إلخ،

ج ٤، ص ١٣٢ تا ١٣٤. وانظر "الفتاوى الرضوية"، ج ١٥، ص ٦٢١، ٦٢٢.

③.....इस्लामी हुकूमत में अहले किताब यानी ईसाइयों और यहूदियों से सालाना टेक्स ।

लिया जाएगा, मुशिरक से न लिया जाएगा⁽¹⁾

और कभी शिर्क बोल कर मुल्लक कुफ़ मुराद लिया जाता है। यह जो कुरआने अज़ीम में फ़रमाया कि : “शिर्क न बख़्शा जाएगा।”⁽²⁾ वोह इसी माना पर है, यानी अस्लन किसी कुफ़ की मग़ि़रत न होगी, बाक़ी सब गुनाह अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की मशि़यत पर हैं, जिसे चाहे बख़्शा दे।⁽³⁾

1..... في “تفسير الخازن”، تحت الآية: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾
التوبة: ٢٩، ج ٢، ص ٢٣٠: (فذهب الشافعي إلى أنّ الجزية على الأديان لا على الأنساب فتؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماء ولا تؤخذ من عبدة الأوثان). و “الهداية”، كتاب السير، باب الجزية، الجزء الثاني، ج ١، ص ٤٠١.
و “فتح القدير”، كتاب السير، باب الجزية، ج ٥، ص ٢٩١-٢٩٢.

و “البنية في شرح الهداية”، كتاب السير، باب الجزية، ج ٩، ص ٣٤٦-٣٤٧.

2..... ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (پ ٥، النساء: ٤٨).

3..... ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (پ ٥، النساء: ٤٨).

في “تفسير روح البيان”، ج ٢، ص ٢١٨: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ أي: لا يغفر الكفر ممن اتصف به بلا توبة وإيمان؛ لأنّ الحكمة التشريعية مقتضية لسدّ باب الكفر وجواز مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحه ولأنّ ظلمات الكفر والمعاصي إنّما يسترها نور الإيمان فمن لم يكن له إيمان لم يغفر له شيء من الكفر والمعاصي ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: ويغفر ما دون الشرك في القبح من المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة تفضلاً من لدنه وإحساناً من غير توبة عنها لكن لا لكل أحد بل ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يغفر له ممن اتصف به فقط أي: لا بما فوقه).

وفي “روح المعاني”، الجزء الخامس، ص ٦٨: (والشرك يكون بمعنى اعتقاد أنّ لله تعالى شريكاً إمّا في الألوهية أو في الربوبية، وبمعنى الكفر -مطلقاً وهو المراد هنا-).

في “شرح العقائد النسفية”، ص ١٠٧-١٠٨: (الكبيرة وقد اختلف الروايات فيها فروى ابن عمر أنّها تسعة: الشرك بالله... إلخ).

وفي “مجموعة الحواشي البهية”، “حاشية عصام الدين” تحت هذه العبارة، ج ٢، ص ٢١٨: (المراد مطلق الكفر وإلاّ لورد أنواع الكفر غيره).

في “عمدة القاري شرح صحيح البخاري”، ج ١، ص ٣٠٥: (المراد بالشرك في هذه الآية الكفر؛ لأنّ من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلاً كان كافراً ولو لم يجعل مع الله إلهاً آخر والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر كما في قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾).

وانظر “الحديقة الندية”، ج ١، ص ٢٧٦-٢٧٧.

अव्वीदा 6 — मुर्तकिबे कबीरा मुसलमान है⁽¹⁾ और जन्नत में जाएगा, ख़्वाह अल्लाह

ﷺ अपने महज़ फ़ज़ल से उस की मग़ि़रत फ़रमा दे, या हुज़ूरे अक्दस ﷺ की शफ़ाअत के बाद, या अपने किये की कुछ सज़ा पा कर, इस के बाद कभी जन्नत से न निकलेगा।⁽²⁾

मसअला 4 — जो किसी काफ़िर के लिये उस के मरने के बाद मग़ि़रत की दुआ करे, या किसी मुर्दा मुर्तद को मर्हूम या मग़फ़ूर, या किसी मुर्दा हिन्दू को बैकुंठ बाशी⁽³⁾ कहे, वोह खुद काफ़िर है।⁽⁴⁾

अव्वीदा 7 — मुसलमान को मुसलमान, काफ़िर को काफ़िर जानना ज़रूरियाते दीन से है, अगर्चे किसी ख़ास शख़्स की निस्बत येह यकीन नहीं किया जा सकता कि उस का ख़ातिमा ईमान या **مَعَادُ اللَّهِ** कुफ़्र पर हुवा, ता वक्ते कि उस के ख़ातिमे का हाल दलीले शर्ई से साबित न हो, मगर इस से येह न होगा कि जिस शख़्स ने क़अन कुफ़्र किया हो उस के कुफ़्र में शक किया जाए, कि क़ई काफ़िर के कुफ़्र में शक भी आदमी को काफ़िर बना देता है।⁽⁵⁾

1 في "العقائد" لعمر النسفي، ص ٢٢١: (والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر).

في "شرح العقائد النسفية"، ص ١١٢: (إنّ مرتكب الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد على ذلك على ما مر).

"फ़तावा रज़विय्या", जि. 21, स. 131 पर है: "अहले सुन्नत का इज्माअ है कि मोमिन किसी कबीरा के सबब इस्लाम से ख़ारिज नहीं होता।" (الفताوى الرضوية، ج ٥، ص ١٠١).

2 في "العقائد" لعمر النسفي، ص ٢٢١: (وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار).
في "شرح العقائد النسفية"، ص ١١٧: (وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾... إلخ. وفي "عمدة القاري"، ج ١، ص ٣٠٥: (مذهب أهل الحق على أنّ من مات موحدًا لا يخلد في النار وإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه السلام: ((وإن زنى وإن سرق)). وانظر "الحديقة الندية"، ج ١، ص ٢٧٦).

3 जन्नती ।

4 في "البحر الرائق"، ج ١، ص ٥٧٦: (لا يجوز الدعاء بالمغفرة للمشرك، ولقد بالغ القرافي المالكي كما نقله في شرح "منية المصلي" بأن قال: إنّ الدعاء بالمغفرة للكافر كفر لطلبه تكذيب الله تعالى فيما أخبر به).

"फ़तावा रज़विय्या" में है: (काफ़िर के लिये दुआए मग़ि़रत व फ़ातिहा ख़्वानी कुफ़्र ख़ालिस व तक़ज़िबे कुरआने अज़ीम है **كُفْرًا** वगैरहा) 1. (الفताوى الرضوية، ج ٢١، ص ٢٢٨).

انظر "فضائل دعا"، ص ٢٠٣، والتفصيل في "جد الممتار"، كتاب الصلاة، فصل إذا أراد الشروع، ص ٢٢٤ تا ٢٣١.

5 जो किसी मुन्किरे ज़रूरियाते दीन को काफ़िर न कहे आप काफ़िर है, इमाम अल्लामा काज़ी इयाज़ **قُدس سره** "शिफा शरीफ" में फ़रमाते हैं:

الإجماع على كفر من لم يكفر أحدًا من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك، قال القاضي أبو بكر: لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه، والتكذيب والشك فيه لا يقع إلا من كافر.

खातिमे पर बिना रोज़े क़ियामत और ज़ाहिर पर मदारे हुक्मे शर्अ है, इस को यूँ समझो कि कोई काफ़िर मसलन यहूदी या नसरानी या बुत परस्त मर गया तो यकीन के साथ येह नहीं कहा जा सकता कि कुफ़्र पर मरा, मगर हम को **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) व रसूल (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) का हुक्म येही है कि उसे काफ़िर ही जानें, उस की ज़िन्दगी में और मौत के बाद तमाम वोही मुआमलात उस के साथ करें जो काफ़िरों के लिये हैं, मसलन मेल जोल, शादी बियाह, नमाज़े जनाज़ा, कफ़न दफ़न, जब उस ने कुफ़्र किया तो फ़र्ज़ है कि हम उसे काफ़िर ही जानें और खातिमे का हाल इल्मे इलाही पर छोड़ें, जिस तरह जो ज़ाहिरन मुसलमान हो और उस से कोई कौलो फ़ेल ख़िलाफ़े ईमान न हो, फ़र्ज़ है कि हम उसे मुसलमान ही मानें, अगर्चे हमें उस के खातिमे का भी हाल मालूम नहीं।

इस ज़माने में बाज़ लोग येह कहते हैं कि “मियां...! जितनी देर उसे काफ़िर कहोगे, उतनी देर **अल्लाह अल्लाह** करो कि येह सवाब की बात है।” इस का जवाब येह है कि हम कब कहते हैं कि काफ़िर काफ़िर का वज़ीफ़ा कर लो...? मक्सूद येह है कि उसे काफ़िर जानो और पूछा जाए तो क़तअन काफ़िर कहो,.....

यानी इज्माअ है उस के कुफ़्र पर जो यहूदो नसारा या मुसलमानों के दीन से जुदा होने वाले को काफ़िर न कहे या उस के काफ़िर कहने में तवक्कुफ़ करे या शक लाए, इमाम काज़ी अबू बक्र बाक़िल्लानी ने इस की वजह येह फ़रमाई कि नुसूसे शर्इय्या व इज्माअ उम्मत इन लोगों के कुफ़्र पर मुत्तफ़िक हैं तो जो इन के कुफ़्र में तवक्कुफ़ करता है वोह नस्स व शरीअत की तक्ज़ीब करता है या उस में शक रखता है और येह अम्र काफ़िर ही से सादिर होता है।

كفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر الإسلام واعتقد
إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ذلك، اه ملخصاً.

यानी काफ़िर है जो काफ़िर न कहे उन लोगों को कि ग़ैर मिल्लते इस्लाम का एतिकाद रखते हैं या उन के कुफ़्र में शक लाए या उन के मज़हब को ठीक बताए अगर्चे अपने आप को मुसलमान कहता और मज़हबे इस्लाम की हक्कानिय्यत और इस के सिवा सब मज़हबों के बुतलान का एतिकाद ज़ाहिर करता हो कि उस ने बाज़ मुन्किरे ज़रूरियाते दीन को जब कि काफ़िर न जाना तो अपने इस इज़हार के ख़िलाफ़ इज़हार कर चुका, मुलख़बसन।

”الفتاوى الرضوية“، ج ١٥، ص ٤٤٣-٤٤٤. وانظر ”الفتاوى الرضوية“، ج ١١، ص ٣٧٨.

“फ़तावा रज़विय्या” में है : **عَزَّوَجَلَّ** ने काफ़िर को काफ़िर कहने का हुक्म दिया :

[پ ٣٠، الکافرون: ١] **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** (ऐ नबी फ़रमा दीजिये ऐ काफ़िरो!) हां काफ़िरे ज़िम्मी कि सलत्तनते इस्लाम में मुत्तीउल इस्लाम हो कर रहता है उसे काफ़िर कह कर पुकारना मन्अ है अगर उसे न गवार हो।

”دुर्रे मुख़ार“ में है : (شتم مسلم ذمياً عزراً، وفي ”القنية“: قال ليهودي أو مجوسي: يا كافر يأتني إن شق عليه)

किसी मुसलमान ने किसी ज़िम्मी काफ़िर को गाली दी तो उस पर ताज़ीर जारी की जाएगी।

“कुन्या” में है किसी यहूदी या आतश परस्त को “ऐ काफ़िर” कहा तो कहने वाला गुनहगार होगा अगर उसे ना गवार गुज़रा। (ت) (الدر المختار، كتاب الحدود، باب التعزير، ج ٦، ص ١٢٣، ملقطاً)।

यूँ ही ग़ैरे सलत्तनते इस्लाम में जब कि काफ़िर को “ओ काफ़िर” कह कर पुकारने में मुक़द्दमा चलता हो।

فإنه لا يحل لمسلم أن يذلل نفسه إلا بضرورة شرعية.

तो किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं कि वोह अपने आप को ज़लील करे मगर जब कि कोई शर्ई मजबूरी हो। (ت)।

मगर इस के येह माना नहीं कि काफ़िर को काफ़िर न जाने येह खुद कुफ़्र है।

न येह कि अपनी सुल्हे कुल से⁽¹⁾ उस के कुफ़ पर पर्दा डालो ।

तम्बीहे ज़रूरी : हदीस में है :

((سَتَفْتَرُقُ أُمَّتِي ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً))

“येह उम्मत तिहत्तर फ़िर्के हो जाएगी, एक फ़िर्का जन्नती होगा बाकी सब जहन्नमी ।”

सहाबा ने अर्ज़ की :

“مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟”

जिस ने उन के अज़ाब और कुफ़ में शक किया तो वोह बिला शुबा काफ़िर हो गया । (الدر المختار، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٦، ص ٣٥٦-٣٥٧) (ت)

इसी तरह जब किसी काफ़िर की निस्बत पूछा जाए कि वोह कैसा है उस वक़्त उस का हुक्म वाक़ेई बताना वाजिब है, हदीस में है : ((أَتَرَعُونَ مَنْ ذَكَرَ الْفَاجِرَ مَتَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ إِذْ كَرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ يَحْذَرُهُ النَّاسُ))

क्या तुम बदकार का ज़िक्र करने से घबराते और खौफ़ रखते हो तो फिर लोग उसे कब पहचानेंगे ? लिहाज़ा बदकार का उन बुराइयों से ज़िक्र करो जो उस में मौजूद हैं ताकि लोग उस से बचें और होशियार रहें । (त) “نَوَادِرُ الْأُصُولُ” للترمذی، الأصل السادس والستون والمائة، ص ٢١٣ येह काफ़िर कहना बतौर दुश्नाम नहीं होता बल्कि हुक्मे शर्ई का बयान (है), शर्ए मुतह्हर में काफ़िर हर ग़ैर मुस्लिम का नाम है ।

قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرًا وَمِنْكُمْ مُؤْمِنًا﴾ . [پ ٢٨، التغابن: ٢] .

अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया : अल्लाह वोही है जिस ने तुम्हें पैदा फ़रमाया फिर कुछ तुम्हारे अन्दर काफ़िर हैं और कुछ तुम्हारे अन्दर मोमिन हैं । (त) ।

सुवाले हुक्म के वक़्त हुक्म को छुपाना अगर यूँ है कि उसे यकीनन काफ़िर जानता है और उसे काफ़िर कहना मायूब नहीं जानता मगर अपनी मस्लहत के सबब बचता है तो सिर्फ़ गुनहगार है जब कि वोह मस्लहत सहीहा ता हद्दे ज़रूरते शर्इय्या न हो, और अगर वाक़ेई काफ़िर को काफ़िर कहना मायूब व ख़िलाफ़े तहज़ीब जानता है तो कुरआने अज़ीम को ऐब लगाता है और कुरआने अज़ीम को ऐब लगाना कुफ़्र है और उसे काफ़िर जानता ही नहीं तो खुद उस के काफ़िर होने में क्या कलाम है कि उस ने कुफ़्र को कुफ़्र न जाना तो ज़रूर कुफ़्र को इस्लाम जाना लि अदमिल वासिता (क्यूं कि कुफ़्र और इस्लाम के दरमियान कोई वासिता नहीं) तो इस्लाम को कुफ़्र जाना ।

لأن ما كان كفراً فإذا جعله إسلاماً فقد جعل ضده كفراً؛ لأنّ الإسلام لا يضاده إلّا الكفر والعباد بالله تعالى

इस लिये कि जो कुछ कुफ़्र हो तो उस की ज़िद इस्लाम है । फिर जब कुफ़्र को इस्लाम ठहराया तो फिर उस की ज़िद कुफ़्र होगी (यानी इस्लाम कुफ़्र और कुफ़्र इस्लाम हो जाएगा) क्यूं कि इस्लाम के मुख़ालिफ़ सिर्फ़ कुफ़्र है और अल्लाह तआला की पनाह (त) । (الفتاوى الرضوية، ج ٢١، ص ٢٨٥-٢٨٦) . (त)

①....कुल मज़ाहिब का एक मआल समझ कर मुख़लिफ़ मज़ाहिब के लोगों से खुसूमत न करना और दोस्त व दुश्मन से यक्सां बरताव रखना । (“फ़रहंगे आसिफ़िय्या”, जि. 2, स. 224) ।

“वोह नाजी⁽¹⁾ फ़िर्का कौन है या रसूलल्लाह ?”

फ़रमाया :

((مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي))⁽²⁾

“वोह जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं”, यानी सुन्नत के पैरव ।

दूसरी रिवायत में है, फ़रमाया :

((هُمُ الْجَمَاعَةُ))⁽³⁾

“वोह जमाअत है ।”

यानी मुसलमानों का बड़ा गुरौह है जिसे सवादे आजम फ़रमाया । और फ़रमाया : जो इस से अलग हुवा, जहन्म में अलग हुवा ।⁽⁴⁾ इसी वजह से इस “नाजी फ़िर्के” का नाम “अहले सुन्नत व जमाअत” हुवा ।⁽⁵⁾ उन गुमराह फ़िर्कों में बहुत से पैदा हो कर ख़त्म हो गए,

1.....जहन्म से नजात पाने वाला ।

2.....”سنن الترمذي“، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، الحديث: ٢٦٥٠، ج ٤، ص ٢٩٢.

و”سنن ابن ماجه“، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، الحديث: ٣٩٩٣، ج ٤، ص ٣٥٣.

3.....”السنة“ لابن أبي عاصم، باب فيما أخبر به النبي عليه السلام أنّ أمته ستفترق على... إلخ، الحديث: ٦٣، ص ٢٢.

4.....عن ابن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي)) أو قال: ((أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار)).

”سنن الترمذي“، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، الحديث: ٢١٧٣، ج ٤، ص ٦٨.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار)).

”مشكاة المصابيح“، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، الحديث: ١٧٤، ج ١، ص ٥٥.

وفي ”المرفقة“، ج ١، ص ٤٢١، تحت الحديث: ١٧٣: ((ومن شذ: أي: انفرد عن الجماعة باعتقاد أو قول أو فعل لم

يكونوا عليه شذ في النار، أي: انفرد فيها، ومعناه انفرد عن أصحابه الذين هم أهل الجنة وألقي في النار).

5..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلّهم في النار إلا ملة واحدة))

قالوا: من هي؟ يا رسول الله، قال: ((ما أنا عليه وأصحابي)).

”المشكاة“، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، الحديث: ١٧١، ج ١، ص ٥٤.

बाज़ हिन्दुस्तान में नहीं, उन फ़िर्की के ज़िक्र की हमें क्या हाज़त ? कि न वोह हैं, न उन का फ़ितना, फिर उन के तज़िकरे से क्या मतलब ?

जो इस हिन्दुस्तान में हैं मुख़्तसरन उन के अक़ाइद का ज़िक्र किया जाता है, कि हमारे अ़वाम भाई उन के फ़रेब में न आएँ, कि हदीस में इरशाद फ़रमाया :

((إِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُصَلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ))⁽¹⁾

“अपने को उन से दूर रखो और उन्हें अपने से दूर करो, कहीं वोह तुम्हें गुमराह न कर दें, कहीं वोह तुम्हें फ़ितने में न डाल दें।”

= وفي “المرفأة” ج ١، ص ٤١٩، تحت هذا الحديث: (هنا المراد هم المهتدون المتمسكون بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فلا شك ولا ريب أنهم هم أهل السنة والجماعة)، ملتقطاً.
“التوضيح”، ج ٢، ص ٥٢٨: (والمراد بالأئمة المطلقة أهل السنة والجماعة وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول والصحابة دون أهل البدع... إلخ).

في “حاشية الطحطاوي”، ج ٤، ص ١٥٢-١٥٣: (وقال تعالى: ﴿وَأَعِصُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ قال بعض المفسرين المراد من ﴿بِحَبْلِ اللَّهِ﴾: الجماعة؛ لأنه عقبه بقوله: ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، والمراد من الجماعة عند أهل العلم أهل الفقه والعلم ومن فارقتهم قدر شبر وقع في الضلالة وخرج عن نصرة الله تعالى ودخل في النار؛ لأن أهل الفقه والعلم هم المهتدون المتمسكون بسنة محمد عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين بعده، ومن شذّ عن جمهور أهل الفقه والعلم والسواد الأعظم فقد شذّ فيما يدخله في النار، فعليكم معشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة بـ “أهل السنة والجماعة”؛ فإن نصرة الله وحفظه وتوقيفه في موافقتهم، وخذلانه وسخطه ومقتته في مخالفتهم، وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب أربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنابلة رحمهم الله، ومن كان خارجاً عن هذه الأربعة في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار). (“حاشية الطحطاوي على الدر”، كتاب الذبائح، ج ٤، ص ١٥٢-١٥٣).

① “صحيح مسلم”، مقدمة الكتاب للإمام مسلم، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء... إلخ، الحديث: ٧، ص ٩.

(1) कादियानी : कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरव हैं, इस शख्स ने अपनी नबुव्वत का दावा किया और अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام की शान में निहायत बेबाकी के साथ गुस्ताखियां कीं, खुसूसन हज़रते ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام और उन की वालिदए माजिदा तय्यिबा ताहिरा सिद्दीका मरयम की शाने जलील में तो वोह बेहूदा कलिमात इस्तिमाल किये जिन के ज़िक्र से मुसलमानों के दिल हिल जाते हैं, मगर ज़रूरते ज़माना मजबूर कर रही है कि लोगों के सामने उन में के चन्द बतौर नमूना ज़िक्र किये जाएं, खुद मुद्इये नबुव्वत बनना काफ़िर होने और अबदुल आबाद जहन्नम में रहने के लिये काफ़ी था, कि कुरआने मजीद का इन्कार और हुज़ूर ख़ातमुन्नबिय्यीन صَلَّی اللّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّم को ख़ातमुन्नबिय्यीन न मानना है, मगर उस ने इतनी ही बात पर इक्तिफ़ा न किया बल्कि अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की तकज़ीबो तौहीन का वबाल भी अपने सर लिया और येह सदहा कुफ़्र का मज्मूआ है कि हर नबी की तकज़ीब मुस्तक़िलन कुफ़्र है, अगर्चे बाकी अम्बिया व दीगर ज़रूरिय्यात का काइल बनता हो, बल्कि किसी एक नबी की तकज़ीब सब की तकज़ीब है⁽¹⁾, चुनान्चे, आयए :

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾⁽²⁾

वग़ैरा इस की शाहिद हैं और उस ने तो सदहा की तकज़ीब की और अपने को नबी से बेहतर बताया। ऐसे शख्स और उस के मुत्तबेईन के काफ़िर होने में मुसलमानों को हरगिज़ शक नहीं हो सकता, बल्कि ऐसे की तक्फ़ीर में उस के अक्वाल पर मुत्तलअ हो कर जो शक करे खुद काफ़िर।⁽³⁾

① في "تفسير النسفي"، پ ۱۹، الشعراء، ص ۸۲۵، تحت الآية: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ كانوا ينكرون بعث

الرسول أصلاً، فلذا جمع، أو لأن من كذب واحداً منهم فقد كذب الكل؛ لأن كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل).

وفي "تفسير البيضاوي"، ج ۲، ص ۲۷۳-۲۷۴، تحت الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا

بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ﴾ بأن يؤمنوا باللّٰه ويكفروا برسله ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمُنْ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم

﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَسَيُلَا﴾ طريقاً وسطاً بين الإيمان والكفر ولا واسطة، إذ الحق لا يختلف فإن الإيمان باللّٰه

سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلاً أو إجمالاً، فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في

الضلال كما قال الله تعالى: ﴿فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾. و"الفتاوى الرضوية"، ج ۱۵، ص ۶۲۶.

② پ ۱۹، الشعراء: ۱۰۵.

③ في "الدر المختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ۶، ص ۳۵۶-۳۵۷: (ومن شك في عذابه وكفره كفر).

وانظر للتفصيل رسائل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى: "السوء والعقاب على المسيح الكذاب"، ج ۱۵، ص ۵۷۱.

و"قهر الديان على مرتد بقاديان"، ج ۱۵، ص ۵۹۵، و"الجزاير الدياني على المرتد القادياني"، ج ۱۵، ص ۶۱۱.

نیج یہ آایہ کریما ⁽¹⁾ ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ سے اپنی جات مراد لیتا ہے ⁽²⁾۔

“دافہزل بلا” سفاہا : 6 مے ہئ : مؤج کو اڈللاہ تآالا فرماتا ہئ :

(أَنْتَ مِنْنِي بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِي أَنْتَ مِنْنِي وَأَنَا مِنْكَ)

(یانی ے گولام اہمد ! تے مےری اولاڈ کی جگاہ ہئ تے مؤج سے اور مےں تے سے ہوں) ⁽³⁾۔

“ہجال ے اڈہام” سفاہا : 688 مےں ہئ :

(ہجرتے رسولے آا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اڈلام و وھی گالت نکلی थीں) ⁽⁴⁾۔

سفاہا 8 مےں ہئ :

(ہجرتے موسا کی ےشگوہیاں بھی اڈ سورت ےر جہر ےجیر نہیں ہؤی، جس سورت ےر ہجرتے موسا نے اپنے ایل مےں اڈمیڈ باڈھی थी،.....

1..... پ ۲۸، الصف : ۶۔

2..... ”روحانی خزائن“، ج ۱۱، ص ۷۸۔ و ”توضیح المرام“، ص ۱۶۳، مطبوعہ ریاض الہند امرتسر۔

3..... “دافہزل بلا” سفاہا 6، ب ہوالا “رہانی آجڑاہن”، جی. 18، س. 227

۔ انت مننی بمنزلۃ اولادہی - انت مننی وانا منک۔
۔ تے جے سے ایسا ہی جیسا کہ اولاد۔ تے جے میں سے ہی اور میں تے میں سے ہوں۔

4..... “ہجال ے اڈہام” سفاہا : 688، ب ہوالا “رہانی آجڑاہن”، جی. 3، س. 471 :

جو علی طور سکھائے نیلے جاتے اور نہ ان کی عزت یا تحفہ سمجھائی جاتی ہیں۔ انہی سے بھی اہتمام کے وقت امکان سہو و خطا ہے۔ مثلاً اس خواب کی بناء پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے جو بعض مومنین کے لئے موجب ابتلاء کا ہوتی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا قصد کیا اور کئی دن تک منزلہ بدر میں طے کر کے اس بلد مبارکہ تک پہنچے مگر گھرانے طواف خانہ کعبہ سے روک دیا اور اس وقت اس روایا کی تعبیر ظہور میں نہ آئی۔ لیکن کچھ ترک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امید پر یہ سفر کیا تھا کہ اے سفر میں ہی طواف میسر آجائے گا اور بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب وحی میں داخل ہے لیکن اس وحی کے اصل معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی اس پر متنبہ نہیں کیا گیا تھا بھی تو خدا جانے کئی روز تک مسائب سفر طحا کر کے مکہ معظمہ میں پہنچے۔

گایاتے ما فیل باب⁽¹⁾ یہ ہے کہ ہجرتے مسیہ کی پشگوڈیاں جیادا گلات نکلیں⁽²⁾۔

“ہجالاے اواہام” سفاہا 750 میں ہے :

(سورے بکر میں جو اک کتل کا جکر ہے کہ گای کی بوتیاں نآش پر مارنے سے وہ مکتول جندا ہو گیا تھا اور اپنے کاتیل کا پتا دے دیا تھا، یہ مہجڑ ماسا عکبہ السلام کی دھمکی تھی اور ہلمے میسمیریجم⁽³⁾ تھا) ⁽⁴⁾۔

اسی کے سفاہا 753 میں لیختا ہے :

(ہجرتے ہبراہیم عکبہ السلام کا چار پرندے کے مویجے کا جکر جو کورآن شریف میں ہے، وہ بھی ان کا میسمیریجم کا امل تھا) ⁽⁵⁾۔

1....اس بارے میں نتیجا اور ہنتیا۔

2....“ہجالاے اواہام” سفاہا 8، ب ہوالا “رہانی خجائین”، جی. 3، س. 106 :

مشفہ میں ہبتادی غلطی اقیاء سے بھی ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ کی بعض پیشگوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں اُمید باندھ لی تھی۔ غایت مافی الہاب یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیشگوئیاں اوروں سے زیادہ غلط نکلیں گزری غلطی اعلیٰ عالم

3....میسمیریجم : ڈاکٹر میسمیر ہاشندا آوسٹریا کا ہجاد کیا ہوا اک ہلم جس میں تسمور یا خیال کا اسر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدا اور آہندا کے ہالاکت پوئے جاتے ہیں۔ “فیرولللوگات”، س. 1247

4....“ہجالاے اواہام” سفاہا 750، ب ہوالا “رہانی خجائین”، جی. 3، س. 504 :

اب اس قصہ سے واقعی طور پر ہلاش کا زندہ ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا بعض کا خیال ہے کہ یہ صرف ایک دھمکی تھی کہ اگر جو یہیدل ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے۔ لیکن ایسی باتوں سے عالم الغیب کا مجرظا ہر ہوتا ہے اور ایسی تاویلیں دی ہلگ کرتے ہیں کہ ہم کو عالم ملکوت کے اسرار سے متفقہ نہیں۔ اصل حقیقت یہ کہ یہ طریق علم عمل الترب یعنی میسمیریجم کا ایک شعبہ تھا جس کے بعض خواص میں سے یہ بھی ہے کہ جمادات یا مردہ حیوانات

5....“ہجالاے اواہام” سفاہا 753، ب ہوالا “رہانی خجائین”، جی. 3، س. 506 :

کہ جو قرآن کریم میں چار پرندوں کا ذکر لکھا ہے کہ ان کو اصراف مقربین یعنی مقربوں کے چار پرندوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھر وہ ہلانے سے آگئے تھے یہ بھی عمل الترب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عمل الترب کے تجارب ہلا رہے ہیں کہ انسان میں بھی کائنات الارض کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے ایک قوت مقناطیسی ہے اور ممکن ہے کہ انسان کی قوت مقناطیسی اس حد تک ترقی کرے کہ کسی پرند یا چند کو صرف توجہ سے اپنی طرف کھینچ لے۔ فترہ لافضل۔

سفہا 629 میں ہے :

(اے باءشاہ کے وکٲ میں اار سو نبی نے اس کی فٲھ کے بارے میں ٲشاگوئی کی اور وہ بڑے نیکلے، اور باءشاہ کو شیکست ہئی، بالیک وہ اسی مئدان میں مر گیا) ⁽¹⁾

اسی کے سفہا 26، 28 میں لیکتا ہے :

(کوران شریف میں گندی گالیاں ہری ہیں اور کورانے اُجیام سڑا جٲانی کے ترقی کو اسیمال کر رہا ہے) ⁽²⁾

اور اٲنی “براہینے اہمادییا” کی نیسبت “اُجالا” سفہا 533 میں لیکتا ہے :
(براہینے اہمادییا خٲا کا کلام ہے) ⁽³⁾

① “اُجالا اواہام”، 629، ب ہالا “رہانی خٲااِن”، جی. 3، س. 439 :

خطوم قرآنیات باب آیت ۱۲۔ اور جموعہ توریت میں سے سلاطین اول باب بائیس
آیت ائیس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقٲ میں چار سو نبی نے اس کی قٲ کے
بارے میں ٲیشگوئی کی اور وہ جھوٹے ٹکے اور بادشاہ کو شکست آئی، مگر وہ اسی میدان
میں مر گیا، اس کا سبب یہ تھا کہ دراصل وہ اہام ایک ناپاک ریح کی طرف سے تھا توری

② “اُجالا اواہام”، 26، 28 ب ہالا “رہانی خٲااِن”، جی. 3، س. 115، 116 :

تمذیب کے رخلات ہے لیکن خدا کے تعالے نے قرآن شریف میں بعض کا نام اولیٰ اور بعض کا
نام کلب اور خنزیر کا اور اولیٰ تو خود مشہور ہے ایسا ہی ولید بن مغیرہ کی نسبت نہایت بے کسفت
الفاظ بولسورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعمال کے ہیں جیسا کہ فرماتا ہے فلا
کلب تطع المکذبین وذوالنورین فی ذہنون ولا تطع کل حلاف مہین
ہذا کذا مشاء منعم مناع للخر معصدا اثم عتل بعد ذالک زعیم
قرآن شریف جس آواز بلند سے سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے ایک غایت درجہ کا
لب نبی اور سخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے نیس نہیں رہ سکتا۔ مثلاً زماذ مال کے مذہب کے نزدیک
کسی ٲرہنت بھیجتا ایک سخت گالی ہے لیکن قرآن شریف کفار کو سنا سنا کر ان ٲرہنت بھیجتا
ہے جیسا کہ فرماتا ہے اولئک علیہم لعنة الله واللعنة والناس اجمعین
خالدین فیہا۔ الحجۃ سورۃ بقرہ۔ اولئک یلعنہم الله ویلعنہم اللعنون۔

③ “اُجالا اواہام” سفہا : 533، ب ہالا “رہانی خٲااِن”، جی. 3، س. 386

ایک شان نبوت ہی رکھتا ہے۔ غرض محدثیت دونوں رنگوں سے رنگیں ہوتی ہے اسی
لئے خدا تعالے نے براہین احمدیہ میں بھی اس عاجز کا نام اسی ہی رکھا اور نبی بھی مکرر بھیجی

“ارْبَیْن” نمبر 2 سَفْہا 13 پر لکھا :

(کامل مہدی ن مَوسا تھ ن اِیسا) ⁽¹⁾ اِن اُلُل اُجُم مرسلین کا ہادی ہونا در کنار، پورے راہ یافتا بھی ن مانا ۔

اَب اِسا ہجرتے اِسا عَلَیہِ السَّلَام کی شان مَیں جو گُستاخیاں کیں، اُن مَیں سے چن د یہ ہ ے ۔

“مَیّار” سَفْہا 13 :

(اے اِسا اِمشناریو ! اَب رَہبُنل مَسیہ مت کہو اور دیکھو کہ اِجائز مَیں اِک ہے، جو اُس مَسیہ سے بڑ کر ہے) ⁽²⁾

سَفْہا 13 و 14 مَیں ہے :

(خدا نے اِس اُمت مَیں سے مَسیہ مَیّار بھا، جو اُس پہلے مَسیہ سے اپنی تمام شان مَیں بڑ کر ہے اور اُس نے اِس دُسرے مَسیہ کا نام گُلام اہم د رکھا، تا یہ اِشارا ہو کہ اِسا اِیوں کا مَسیہ کَسا خدا ہے جو اہم د کے اَدنا گُلام سے بھی مَکابلا نہیں کر سکتا یا نی وہ کَسا مَسیہ ہے، جو اپنے کُرب اور شفا اُت کے مَرتبے مَیں اہم د کے گُلام سے بھی کَمتر ہے) ⁽³⁾

1 “ارْبَیْن” نمبر 2 س. 13، ب ہوالا “رُہانی اِجائز”، اِج. 17، س. 360 :

ہے۔ مہدی کے لئے فردی ہے کہ ہر ایک پہلو سے اوم دقت پر حقیقی اور کامل مہدی
نہ ہوئی تھا کیونکہ اس نے صحت ابراہیم وغیرہ پڑھے تھے۔ اور نہ عیسیٰ تھا کیونکہ اُس
نے توریت اور صحت انبیاء پڑھے تھے حقیقی اور کامل مہدی دنیا میں صرف ایک ہی

2 “مَیّار” س. 13، ب ہوالا “رُہانی اِجائز”، اِج. 18، س. 233 :

اشفایہ۔ اے عیسائی مشنریو! اب رہنا مسیح مت کہو۔ اور دیکھو کہ آج تم میں ایک مسیح
ہو اُس مسیح سے بڑھ کر ہے۔ اور اے قوم شیعہ! سیر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے

3 “مَیّار” س. 13، ب ہوالا “رُہانی اِجائز”، اِج. 18، س. 233، 234 :

اُس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا۔ خدا نے اِس اُمت میں سے مسیح موعود بھیجا۔
جو اُس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اُس نے اِس دُسرے
مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔ تا یہ اِشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہو جو احمد کے
ادنیٰ غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قُرب اور شفاعت
مَرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کَمتر ہے۔ اے عو یو! یہ بات غصہ کرنے کی نہیں۔ اگر

“کشتی” سقہا 13 مں ہئ :

(مسیلے مٹا، مٹا سہ بڈ کر اور مسیلے ابنہ مریم، ابنہ مریم سہ بڈ کر) ⁽¹⁾

نیج سقہا 16 مں ہئ :

(خدا نہ مڈھ خبر دی ہئ کئ مسیہہ مہمڈی، مسیہہ مٹاوی سہ اذول ہئ) ⁽²⁾

“دافول بلا” سقہا 20 :

(اب خدا بتلاتا ہئ کئ دھو ! مں اس کا سانی پئدا کرؤگا جو اس سہ بہتر ہئ، جو گلامہ اہمڈ ہئ یانی اہمڈ کا گلام

ابنہ مریم کئ جیکر کو ڈو

اس سہ بہتر گلامہ اہمڈ ہئ

یہ باتں شاڈرانا نہئ بولک واکہڈ ہئ اور اگر تجریبہ کئ رٹ سہ خدا کئ تاد مٹاہ ابنہ مریم سہ بڈ کر مہر ساٹ ن ہو تو مں ڈٹا ہں) ⁽³⁾

① “کشتی نھ” س. 13, ب ہوالا “رہانی خڈاڈن”, ج. 19, س. 14 :

اڈہ مٹا پائے مٹا مٹا کا سلسلہ کھچا کھچا اب مٹا مٹا مٹا مٹا کا قائم مقام ہئ مٹا مٹا مٹا مٹا
ہزار ہا مٹا

② “کشتی نھ” س. 16, ب ہوالا “رہانی خڈاڈن”, ج. 19, س. 17 :

جبتک مٹا مٹا کئ مٹا کئ مٹا نہ ہو۔ اور مٹا
مٹا مٹا

③ “دافول بلا” سقہا 20, ب ہوالا “رہانی خڈاڈن”, ج. 18, س. 240, 241 :

کئ مٹا
سہ مٹا
زندگی بخش جام اہمڈ ہئ کئی پیارا یہ نام اہمڈ ہئ
لاکھ ہوں انبیا و مٹا مٹا سب بڑھک مقام اہمڈ ہئ
باغ اہمڈ سہ مٹا
ابنہ مریم کئ ذکر کو چھوڑو اُس سہ بہتر غلام اہمڈ ہئ
یہ باتں شاعرانہ نہئ بلکہ واقعی ہئ اڈا مٹا
بڑھک مٹا

“دافیل بلاء” س. 15 :

(خودا تو، ب پابندی اپنے وادوں کے ہر چیز پر کادیر ہے، لکین ایسے شخص کو دوبارا کسی تڑھ دُنیا میں نہیں لا سکتا، جس کے پہلے فیتنے نے ہی دُنیا کو تباہ کر دیا ہے) ⁽¹⁾

“انجامہ آتام” س. 41 میں لکھتا ہے :

(مریم کا بٹا کولیا کے بٹے سے کول جیادت نہیں رکھتا) ⁽²⁾

“کشتی” س. 56 میں ہے :

(مؤلے کسم ہے اس جات کی جس کے ہاتھ میں مری جان ہے کی اگر مسیہ اذنے مریم مری جمانے میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں، وہ ہرگیز کر سکتا اور وہ نشان جو مؤل سے جاحیر ہو رہے ہیں، وہ ہرگیز دیکھلا کر سکتا) ⁽³⁾

“عاجہ اہمدی” س. 13 :

(یہود تو ہجرتے اسی کے مؤاملے میں اور ان کی پشگوئیوں کے بارے میں ایسے کوی اترار رکھتے ہیں کی ہم بھی جوا ب میں ہران ہیں، بیگے اس کے کی یہ کھ دے کی “جسے اسی نکی ہے، کوں کی کوران نے اس کو نکی کرار دیا ہے اور کوی دلیل ان کی نبولت پر

① “دافیل بلاء” س. 15، ب ہوالا “رہانی خجائن”، ج. 18، س. 235 :

کیا کس قدر ظلم ہے۔ خدا تو بہا بندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادیر ہے لیکن ایسے شخص کو کسی طرح دوبارہ دُنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فتنے نے ہی دُنیا کو تباہ کر دیا ہے۔

② “انجامہ آتام”، س. 15، ب ہوالا “رہانی خجائن”، ج. 11، س. 41 :

ہم نے بار بار بھایا کہ عیسیٰ پرستی بت پرستی اور رام پرستی سے کم نہیں۔ اور مریم کا بیٹا کشتیا کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔ مگر کیا کبھی آپ لوگوں نے تو جہ کی۔ یوں

③ “کشتی نوح” س. 56، ب ہوالا “رہانی خجائن”، ج. 19، س. 60 :

ایلیانی۔ اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا۔ اور وہ نشان جو مجھ کو ظاہر ہو رہا ہے میں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ اور خدا کا فضل اپنے سے زیادہ مجھ پر پانا جسکے میں ایسا ہوں تو اب

काइम नहीं हो सकती, बल्कि इब्नाले नबुव्वत पर कई दलाइल काइम हैं)।⁽¹⁾

इस कलाम में यहूदियों के एतिराज़, सहीह होना बताया और कुरआने अज़ीम पर भी साथ लगे येह एतिराज़ जमा दिया कि कुरआन ऐसी बात की तालीम दे रहा है जिस के बुतलान पर दलीलें काइम हैं।

स. 14 में है :

(ईसाई तो उन की खुदाई को रोते हैं, मगर यहां नबुव्वत भी उन की साबित नहीं)।⁽²⁾

उसी किताब के स. 24 पर लिखा :

(कभी आप को शैतानी इल्हाम भी होते थे) ।⁽³⁾

मुसलमानो ! तुम्हें मालूम है कि शैतानी इल्हाम किस को होता है ?

कुरआन फरमाता है :

﴿تَنْزِيلٌ عَلَى كُلِّ آفَاقٍ أَثِيمٍ﴾ (4)

“बड़े बोहतान वाले सख्त गुनहगार पर शैतान उतरते हैं।”

❶....“एजाजे अहमदी” स. 13, ब हवाला “रूहानी खजाइन”, जि. 19, स. 120 :

مگر یہ لوگ صرف من گھڑت باتیں پیش کرتے ہیں۔ اور یہود و مسیحیت عیسائی کے معاملہ میں اور انکی پیشگوئیں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی انکا جواب دینے میں سہلان ہیں بغیر اس کے کہ یہ کہیں کہ مسعود عیسائی نبی ہے کیونکہ قرآن نے اسکو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل انکی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔ یہ

②....“एजाजे अहमदी” स. 13, ब हवाला “रूहानी खजाइन”, जि. 19, स. 121 :

انہی نبوت پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں۔ عیسائی تو اپنی خدائی کو دوتے ہیں مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کس کے آگے یہ باتمیں آئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

③....“एजाजे अहमदी” स. 24, ब हवाला “रूहानी खजाइन”, जि. 19, स. 133 :

آپ نے رہن کر لیا کیونکہ امتداد غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے۔ اور میں نے شیطان کو دوسرا مضامین کی تحریر سے کہا چونکہ انجیل سے ثابت ہے کہ کسی بھی ایک شیطان الہام میں ہوتے ہے

(ہم مسیح کو بے شک ایک راست باج آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے افسر لوگوں سے اہل بختا اچھا تھا وَاللّٰہُ تَعَالٰی اَعْلَمُ، مگر وہ ہک کی ہک مونی نہ تھا، ہک کی ہک مونی وہ ہے جو ہجاء میں پدا ہوا تھا اور اب بھی آہا، مگر بروج کے تیر پر۔ خا کسار غلام اہماد کا دیان) ⁽¹⁾

آگے چل کر راست باجی کا بھی فاسلا کر دیا، کھتا ہے :

(یہ ہمارا بیان، نیک جانی کے تیر پر ہے، ورنہ ممکن ہے کہ اسی کے وکت میں باج راست باج اپنی راست باجی میں اسی سے بھی آلا ہوں) ⁽²⁾

اسی کے سفا 4 میں لکھا :

(مسیح کی راست باجی اپنے زمانے میں دوسرے راست باجوں سے بڑ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہا کو اس پر ایک فجلت ہے، کیونکہ وہ (یہا) شراب نہ پیتا تھا اور کبھی نہ سنا کہ کسی فہشا اورت نے اپنی کما کے مال سے اس کے سر پر اڑ ملا تھا، یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو اڑا تھا، یا کوئی بے تاللک جوان اورت اس کی خد مت کرتی تھی، اسی وھ سے اڑا نے کوران میں یہا کا نام ”ہوسور“

① ”دافزل بلاء“، اڈاٹل س. 3، ب ہوا ”رہانی خجائن“، جی. 18، س. 219، 220 :

آگے ہیں کہ ثابت ہو کہ سچا مبی کون ہے۔ ہم مسیح ابن مریم کو بیشک ایک راست باج آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے اکثر لوگوں سے اہل بختا تھا۔ واللہ اعلم۔ مگر وہ حقیقی مبی نہیں تھا۔ یہ اسی بخت ہے کہ وہ حقیقی مبی تھا۔ حقیقی مبی ہمیشہ اور قیامت تک نجات کا پھل کھانے والا وہ ہے جو زمین حجاز میں پیدا ہوا تھا اور تمام دنیا اور تمام زمانوں کی نجات کے لئے آیا تھا اور اب بھی آگے بروز کے طور پر۔ خدا اس کی برکتوں سے تمام زمین کو متمتع کرے۔ آمین

خا کسار مرزا غلام احمد قادیان

② ”دافزل بلاء“، اڈاٹل س. 3 ب ہوا ”رہانی خجائن“، جی. 18، س. 219 :

یاد رہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے۔ یہ ہمارا بیان محض نیک فقی کے طور پر ہے۔ ورنہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راست باج اپنی راست باجی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

رکھا، مگر مسیح کا ن رکھا، کھوں کی اےسے کھسے اس نام کے رکھنے سے مانے اُ تھے) ⁽¹⁾

“جَمِیْمَہ اَنْجَامِہ اِثْمَہ” س. 7 مَں لکھا :

(آپ کا کَنْجَریوں سے مَیلان اور سوہبَت بھی شایِد اِسی وُجھ سے ہو کی جَدی مُناسبت دَرمیان ہِے، ورنہ کوئی پَرہِجگار اِنسان اِک جَوان کَنْجری کو یہ مَوکُف نہیں دے سکتا کی وہ اُس کے سر پَر اِپنے نا پاک ہاتھ لگا دے اور جِناکاری کی کماڑ کا پَلید اِتر اُس کے سر پَر مَلے اور اِپنے بالوں کو اُس کے پَیروں پَر مَلے، سَمجھنے والے سَمجھ لَیں کی اِسا اِنسان کس چَلن کا اِادَمی ہو سکتا ہِے) ⁽²⁾

نِیج اِس رِسالے مَں اُس مُکَدِّس و بَرگُجیِدا رِسُول پَر اور نِہایت سَخْت سَخْت ہُمْلے کِیے۔ مَسَلن شَرِیر، مَککار، بَد اَکَل، فوہش گو، بَد جَبان، اِڑٹا، چور، خَلالے دِماغِ والا، بَد کِسمت، نِرا فَرِبی، پَیرِوے شَیتان ⁽³⁾۔ ہُذ یہہ کی سَفہا 7 پَر لکھا : (آپ کا خِانِدان بھی نِہایت پاک و مُتَہَرّ ہِے، تین دا دیّاں اور نا نیّاں آپ کی جِناکار اور کِسبی اُور تَیں تھیں، جِن کے خُون سے آپ کا وُجود ہُوا) ⁽⁴⁾

①.....“دا فِزَل بَلّا”، اِڈٹل س. 4، ب ہُوالا “رُہانی خُجّا اِن”، جِ. 18، س. 220 :

مَسِیح کی رِاستِ بازِی اِپنے زمانہ مِں دُوسرے رِاستِ بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔
بلکہ عِجْبی نَبی کو اِسیر اِک فضیلت ہِے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کِسی نہیں سنا گیا
کہ کِسی فاحِشہ عورت نے اُکرا پنی کماڑی کے مال سے اُسکے سر پَر حَطّ لاکھا۔ یا ہاتھوں اور
اِپنے سر کے بالوں سے اُسکے بِلن کو چُھوا تھا۔ یا کوئی بے تَعلُق جَوان عورت اُسکی خدمت کرتی
تھی۔ اِسی وجہ سے خُدا نے قرآن مِں عِجْبی کا نام حُصُور رکھا مَسِیح کا یہ نام نہ رکھا کیونکہ اِیسے قُتے
اِس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ اور یہی کہ حضرت عِیسیٰ علیہ السلام نے عِجْبی کے ہاتھ پَر جس کو

②.....“جَمِیْمَہ اَنْجَامِہ اِثْمَہ” س. 27، ب ہُوالا “رُہانی خُجّا اِن”، جِ. 11، س. 291 :

ہوگی۔ اُپ کا کَنْجریوں سے رِیلان اور مَحَبّت بھی شاید اِسی وجہ سے ہو کہ جَدی مُناسبت دَرِیان ہِے
ورنہ کوئی پَرِیزگار اِنسان اِک جَوان کَنْجری کو یہ موقِعتہ نہیں دے سکتا۔ کہ وہ اُس کے سر پَر پَٹھ لاکھا
لگا دے اور زنا کاری کی کماڑی کا پَلید اِتر اُس کے سر پَر لے اور اِپنے بالوں کو اُس کے پَیروں پَر لے
بُکھنے والے سَمجھ لَیں کہ اِسا اِنسان کس چَلن کا اِادَمی ہو سکتا ہِے۔

③.....“جَمِیْمَہ اَنْجَامِہ اِثْمَہ” س. 6-7، ب ہُوالا “رُہانی خُجّا اِن”، جِ. 11، س. 291، 292 :

④.....“جَمِیْمَہ اَنْجَامِہ اِثْمَہ” س. 7، ب ہُوالا “رُہانی خُجّا اِن”، جِ. 11، س. 291 :

اُپ کا خِانِدان بھی نہایت پاک اور مَہر ہِے۔ تین دا دیّاں اور نا نیّاں اُپ کی زنا کار اور کِسی
عورت مِں تھیں جِن کے تَوان سے اُپ کا وُجود ظہور پزیر ہُوا۔ مگر شاید یہ بھی خُدا کی لے اِک شَرط

ہر شخس جاننا ہے کہ دا دی باپ کی ماں کو کہتے ہیں تو اس نے ہجرتے ایسا ﷺ کے لیے باپ کا ہونا بیان کیا، جو کوران کے خلیا ہے، اور دوسری جگہ یانی “کشتیے نہ” سفا 16 میں تاسریہ کر دی :

(یسو ا مسیہ کے چار ہائی اور دو بہنیں تھیں، یہ سب یسو ا کے ہکیکی ہائی اور ہکیکی بہنیں تھیں، یانی یسو ا اور مریم کی اولاد تھیں) (1)

ہجرتے مسیہ ﷺ کے موزیجا سے اک دم ساا انکار کر ہا۔

“انجامے ااام” سفا 6 میں لیخا ہے : (ہک بات یہ ہے کہ اا سے کوئی موزیجا نہ ہوا) (2)

سفا 7 پر لیخا : (اس زمانے میں اک تالاب سے بڑے بڑے نشان ااھر ہوتے تھے، اا سے کوئی موزیجا ہوا بھی تو وہ اا کا نہیں، اس تالاب کا ہے، اا کے ہا میں سیا مکرے فرےب کے کھ نہ اا) (3)

1..... “کشتیے نہ” س. 16، ب ہالا “رہانی خااا”، جی. 19، س. 18 :

شہدہ - یسو ا مسیح کے چار ہائی اور دو بہنیں تھیں۔ یہ سب یسو ا کے حقیقی ہائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔
سب یسو ا اور مریم کی اولاد تھیں۔ چار ہائی کے نام یہ ہیں۔ یہووا۔ یعقوب۔ شمعون۔ یوحنا۔ اور دو بہنوں کے نام
یہ تھے آسیا۔ لیدیا۔ دیکھو کتاب ایساوکل یکارڈس مصنفہ ہادی جان ایلیار مطبعہ لندن ۱۸۸۱ء ص ۱۵۹ و ۱۶۰

2..... “انجامے ااام”، س. 6، ب ہالا “رہانی خااا”، جی. 11، س. 290 :

عیسائیوں نے بہت سے اا کے معجزات لکھے ہیں مگر حقی بات یہ ہے کہ اا سے کوئی معجزہ
نہیں ہوا۔ اور اس دن سے کہ اا نے معجزہ مانگے والوں کو گندی کالیاں دیں اور اُن کو حرام کار اور حرام

3..... “انجامے ااام”، س. 6، ب ہالا “رہانی خااا”، جی. 11، س. 291 :

ہماری کا علاج کیا۔ مگر اا کی ہستی سے اسی زمانے میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے بڑے
بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے خیال ہو سکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی اا بھی استعمال کرتے ہوئے
اسی تالاب سے اا کے معجزات کی پوری پوری حقیقت کھلتی ہے اور اسی تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ
اا کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہو تو وہ معجزہ اا نہیں بلکہ اس تالاب کا معجزہ ہے۔ اا کے ہاتھ میں
سواکر اور فرےب کے اور کچھ نہیں تھا یہ فسوس کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں۔

“इजाला” के सफहा 4 में है :

(मा सिवाए इस के अगर मसीह के अस्ली कामों को उन हवाशी से अलग कर के देखा जाए जो महज़ इफ़्तिरा या ग़लत फ़हमी से गढ़े हैं तो कोई आजूबा नज़र नहीं आता, बल्कि मसीह के मोजिज़ात पर जिस क़दर एतिराज़ हैं मैं नहीं समझ सकता कि किसी और नबी के ख़वारिक्(1) पर ऐसे शुबुहात हों, क्या तालाब का क़िस्सा मसीही मोजिज़ात की रौनक नहीं दूर करता)।(2)

कहीं इन के मोजिज़ा को कल⁽³⁾ का खिलौना बताता है⁽⁴⁾, कहीं मिस्मेरीज़म बता कर कहता है :

(अगर येह अज़िज़ इस अमल को मक्रूह और क़ाबिले नफ़रत न समझता तो इन आजबा नुमाइयों में इब्ने मरयम से कम न रहता)।⁽⁵⁾

और मिस्मेरीजम का खास्सा येह बताया :

- ❶.....नबी के मोजिज़ात ।
❷.....“इजालए अवहाम”, स. 4, ब हवाला “रूहानी खजाइन”, जि. 3, स. 105,106 :

خلود ہوگا ماسوا اس کے اگر مسیح کے اصلی کاموں کو ان حواشی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افتراء کے طور پر یا غلط فہمی کی وجہ سے گھڑے گئے ہیں تو کوئی اعوجہ نظر نہیں آتا بلکہ مسیح کے معجزات اور پیش گوئیوں پر جس قدر اعتراضات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی درجن کے خوارق یا چیلنجس میں کبھی ایسے شبہات پیدا ہوسکتے ہوں کیا تالاب کا قلعہ سبھی معجزات کی روتی دُور نہیں کرتا؟ اور پیش گوئیوں کا حال

- ④.....“इजालए अवहाम”, स. 303, ब हवाला “रूहानी खजाइन”, जि. 3, स. 254 :

حضرت مسیح کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا کھلونا کسی کُلی کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پرواز کرتا ہو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے یا اگر پرواز نہیں تو

- 5.....“इजालए अवहाम”, स. 310, ब हवाला “रूहानी खजाइन”, जि. 3, स. 258 :

حوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان عجمیوں میں حضرت مسیح ابن مریم سے کم نہ رہتا لیکن مجھے وہ روحانی طریق

(کی جو اپنے تہے اس مشگولی میں ڈالے، وہہ رھانی تاسیروں میں جو رھانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں، بہت جڑی اور نیکمما ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کی گو مسیہ جیسمانی بیماریوں کو اس امل کے جریے سے अच्छا کرتے رھے، مگر ہدایت و تہید اور دینی استقامتوں کے دلوں میں کاہم کرنے میں ان کا نمبر ایسا کم رھا کی کریب کریب ناکام رھے) ⁽¹⁾

گرچہ اس دجال کا دیانی کے मुखفات ⁽²⁾ کھاں تک گیناے جائے، اس کے لیے دفتر چاہیے، مسلمان ان چند خرافات سے اس کے ہالہات بخوبی سمجھ سکتے ہیں کی اس نبیہی اول اجم کے فجاہل جو کوران میں مچھور ہیں، ان پر یہہ کیسے گندے ہملے کر رھا ہے.... ! تاججب ہے ان سادا لوہوں پر کی ایسے دجال کے متبےا ہو رھے ہیں، یا کم اچہ کم مسلمان جانے ہیں... ! اور سب سے جیادا تاججب ان پدے لیکھ کٹ بیگڈوں سے کی جانبھ کر اس کے ساتھ جہنم کے گڈوں میں گیر رھے ہیں... ! کیا ایسے شمس کے کافر، مرتد، بیدین ہونے میں کسی مسلمان کو شک ہو سکتا ہے ! حاشا !

”مَنْ شَكَّ فِي عَذَابِهِ وَكُفَّرَ فَقَدْ كَفَرَ“ ⁽³⁾

”جو ان خبائستوں پر متبلا ہو کر اس کے اجاب و کفر میں شک کرے، خود کافر ہے !“

①..... ”ہجالے اباہام“، س. 310, 311, ب ہوالا ”رھانی خجائین“، جی. 3, س. 258 :

مسیح کو بھی یہ عمل پسند نہ تھا۔ واضح ہو کہ اس عمل جسمانی کا ایک نہایت برا خاصہ یہ ہے کہ شخص اپنے تئیں اس مشغولی میں ڈالے اور جسمانی مرضوں کے دفع دفع کرنے کے لئے اپنی ذہنی و دماغی طاقتوں کو تخریب کرتا رہے وہ اپنی ان روحانی تاثیرات میں جو روح پر اثر ڈال کر روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہیں بہت ضعیف اور کمزور جاتا ہے اور امتویر باطن اور تزکیہ نفس کا جو اصل مقصد ہے اس کے ہاتھ بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے کی وجہ سے کہ وہ حضرت مسیح جسمانی بیماروں کو اس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے مگر ہماہیت اور توحید اور دینی استقامتوں کے کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارے میں، کی کاروائیوں کا نمبر ایسا کم درجہ کا رھا کہ قریب قریب ناکام کے رہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان جسمانی امور کی طرف توجہ نہیں

②..... بڑی اور بھڈا باتیں ।

③..... ”الدر المختار“، کتاب الجہاد، باب المرتد، ج 6، ص 306-307 و ”الفتاویٰ الرضویہ“، ج 21، ص 279۔

(2) **राफिजी** : इन के मज़हब की कुछ तफ़्सील अगर कोई देखना चाहे तो “तोहफ़ए इस्ना अशरिय्या”⁽¹⁾ देखे, चन्द मुख़्तसर बातें यहां गुज़रिश करता हूं।

सहाबए किराम رضي الله تعالى عنهم की शान में येह फ़िर्का निहायत गुस्ताख़ है, यहां तक कि उन पर सब्बो शत्म⁽²⁾ इन का आम शेवा है⁽³⁾,.....

①.....इस किताब के मुसन्फि हज़रते शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ हैं, और येह किताब अपने मौजूअ में ला जवाब व बे नज़ीर है।

②.....लान तान।

③.....शीओं का आलिम मुल्ला बाकिर मजलिसी अपनी किताब “हक्कुल यकीन” में लिखता है :

(واضح حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است که چہرہ را ہفت دراست از یک دوزخ و ہمان و قادون کہ گناہ از ابوبکر و عمر و عثمان است داخل می شوند، و از یک دوزخ دیگر بنو امیہ داخل شوند کہ مخصوص ایشانست).

यानी : हज़रते इमाम जाफ़रे सादिक عليه السلام से मन्कूल है कि जहन्नम के सात दरवाज़े हैं एक दरवाज़े से दाख़िल होने वाले फ़िरऔन हामान और कारून हैं येह अबू बक्र उमर और उस्मान से किनाया है, और दूसरे दरवाज़े से बनू उमय्या दाख़िल होंगे जो उन के साथ मख़सूस है।

एक जगह लिखा : (واعتماد مادر بر انت آنست که بیزاری جو بند از بت های چهار گانه یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویہ و زنان چهار گانه یعنی عائشہ و حفصہ و ہند و امر الحکم و از جمیع اشباع و اتباع ایشان و آنکہ ایشان..... بدترین خلق خدا بند و آنکہ تمام نمیشود اقرار بخدا و رسول و آئمہ مگر بہ بیزاری از دشمنان ایشان).

यानी : बराअत में हमारा एतिकाद येह है कि इन चार बुतों से बेज़ारी त़लब करते हैं यानी अबू बक्र, उमर, उस्मान और मुआविया से। और चार औरतों से यानी आइशा, हफ़्सा, हिन्द और उम्मुल हक़म से। और इन के मोतकिदों और पैरौकारों से। और येह लोग अल्लाह की मख़लूक में सब से बदतर हैं और अल्लाह, रसूल और अइम्मा से किया हुवा अहद उस वक़्त तक पूरा नहीं होगा जब तक कि इन के दुश्मनों से बेज़ारी का इज़हार न किया जाए।

एक जगह लिखा : (در تقریب المعارف روایت کرده کہ آزاد کردہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام از آنحضرت پرسید کہ مرا بر تو حق خدمتی هست، مرا خبر دہ از حال ابوبکر و عمر، حضرت فرمود ہر دو کافر بودند و ہر کہ ایشان را دوست دارد کافر است).

यानी : तक्रीबुल मअरिफ़ में रिवायत है कि हज़रते अली बिन अल हुसैन عليه السلام के आज़ाद कर्दा शख़्स ने हज़रत से पूछा : आप की ख़िदमत करने की वजह से मेरा आप पर हक़ है, मुझे अबू बक्र और उमर के हाल के मुतअल्लिक़ बताइये, आप ने फ़रमाया : वोह दोनों काफ़िर हैं और जो उन को दोस्त रखता है वोह भी काफ़िर है।

एक जगह लिखा : (در علل الشرائع روایت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ

= چون قائم ما ظاهر شود عائشہ را زندہ کند تا بر او حد بزند و انتقام فاطمہ را از او بکشد).

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

बल्कि ब इस्तिस्नाए चन्द सब को **مَعَاذَ اللَّهِ** काफ़िर व मुनाफ़िक़ क़रार देता है⁽¹⁾ हज़रते खुलफ़ाए सलासा **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ** की “ख़िलाफ़ते राशिदा” को ख़िलाफ़ते ग़ासिबा कहता है और

यानी : इललुशशराएअ में हज़रते इमाम मुहम्मद बाक़िर **عَلَيْهِ السَّلَام** से रिवायत है कि जब इमाम महदी का जुहूर होगा तो वोह हज़रते आइशा को ज़िन्दा कर के उन पर हद जारी करेंगे और उन से फ़ातिमा का इन्तिक़ाम लेंगे ।

“حقّ اليقين” لملاً باقر مجلسی، ص ۵۰۰-۵۱۹-۵۲۲-۳۴۷، مطبوعه كتاب فروشه اسلاميه تهران ايران، ۱۳۵۷ هـ.

“حيات القلوب”، لملاً باقر مجلسی، ج ۲، ص ۶۱۰-۶۱۱، مطبوعه كتاب فروشه اسلاميه تهران.

एक जगह लिखा : (इमाम महदी हर दो (अबू बक्र व उमर) को क़ब्र से बाहर निकालेंगे वोह अपनी इसी सूरत पर तरो ताज़ा बदन के साथ बाहर निकाले जाएंगे फिर फ़रमाएंगे कि इन का कफ़न उतारो, उन का कफ़न हल्क़ से उतारा जाएगा, उन को **अल्लाह** की कुदरत से ज़िन्दा करेंगे और तमाम मख़लूक को ज़म्अ होने का हुक्म देंगे फिर इब्तिदाए अलम से ले कर अख़ीर अलम तक जितने जुल्म और कुफ़्र हुए हैं उन सब का गुनाह अबू बक्र व उमर पर लाज़िम कर देंगे, और वोह इस का एतिराफ़ करेंगे कि अगर वोह पहले दिन ख़लीफ़ाए बरहक़ का हक़ गुस्ब न करते तो येह गुनाह न होते, फिर उन को दरख़्त पर चढ़ाने का हुक्म देंगे और आग को हुक्म देंगे कि ज़मीन से बाहर आए और उन को दरख़्त के साथ जला दे, और हवा को हुक्म देंगे कि उन की राख को उड़ा कर दरियाओं में गिरा दे ।

“حقّ اليقين” لملاً باقر مجلسی، ص ۳۶۱-۳۶۲، مطبوعه كتاب فروشه اسلاميه تهران ايران، ۱۳۵۷ هـ.

① (عن أبي جعفر قال: كان الناس أهل الردة بعد النبي إلا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، أبو ذر

الغفاري، سلمان الفارسي).

यानी : अबू जाफ़र **عَلَيْهِ السَّلَام** बयान करते हैं कि : **रसूलुल्लाह** **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** के विसाल के बाद तीन शख्सों के सिवा सब मुरतद हो गए थे, मैं ने पूछा : वोह तीन कौन हैं ? उन्होंने ने कहा : मिक्दाद बिन अस्वद, अबू ज़र ग़िफ़ारी और सलमान फ़ारसी ।

“رجال الكشي”، ص ۱۲، مطبوعه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات كربلا ایران، (۲) “تهذيب المتين في تاريخ أمير

المؤمنين”، ذكر مصيبت عظمى والكبرى (۳) “احتجاج طبرسي”، جلد أول، ص ۱۱۳، مطبوعه نجف أشرف طبع جديد.

وفي “الروضة من الكافي” (“فروع كافي”) عن عبد الرحيم القصير قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن الناس يفزعون

إذا قلنا: إن الناس ارتدوا، فقال: يا عبد الرحيم إن الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية).

यानी : अब्दुरहीम कुसैर बयान करते हैं कि : मैं ने अबू जाफ़र **عَلَيْهِ السَّلَام** से कहा : जब हम लोगों से येह कहते हैं कि सब लोग मुरतद हो गए थे तो लोग घबरा जाते हैं, उन्होंने ने कहा : ऐ अब्दुरहीम ! **रसूलुल्लाह** **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** की वफ़ात के बाद सब लोग दोबारा जाहिलिय्यत की तरफ़ पलट गए थे ।

“الروضة من الكافي” (“فروع كافي”), لشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب كليني متوفى ۳۲۸ هـ، ج ۸، ص ۲۹۶،

مطبوعه دار الكتب الإسلامية تهران، طبع رابع.

وفي “حياة القلوب”: (عياشي بسند معتبر از حضرت امام محمد باقر در ايت كردن است كه چون

حضرت رسول الله عليه وسلم از دنيا رحلت نمود مردم همه مرتد شوند بخير چهار نفر علي ابن

=

ابي طالب، ومقداد، وسلمان وابوذر).

मौला अली رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने जो उन हज़रात की ख़िलाफ़तें तस्लीम कीं और उन के मदाएह व फ़ज़ाइल बयान किये, उस को तक़्य्या व बुज़दिली पर महमूल करता है।⁽¹⁾

क्या مَعَاذَ اللَّهِ ! मुनाफ़िक्कीन व काफ़िरीन के हाथ पर बैअत करना और उम्र भर उन की मदहो सिताइश से रत्बुल्लिसान रहना शेर ख़ुदा की शान हो सकती है...? सब से बढ़ कर येह कि कुरआने मजीद उन को ऐसे जलील व मुक़द्दस ख़िताबात से याद फ़रमाता है। वोह तो वोह, उन के इत्तिबाअ करने वालों की निस्बत फ़रमाता है कि : **अल्लाह** उन से राज़ी, वोह **अल्लाह** से राज़ी।⁽²⁾ क्या काफ़िरो, मुनाफ़िकों के लिये **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के ऐसे इरशादात हो सकते हैं...? फिर निहायत शर्म की बात है कि मौला अली كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم तो अपनी

यानी : अयाशी ने सनदे मोतबर के साथ हज़रते इमाम मुहम्मद बाकिर से रिवायत किया है कि : जब हज़रते रसूल صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ दुन्या से तशरीफ़ ले गए तो चार के सिवा तमाम लोग मुरतद हो गए, अली बिन अबी तालिब, मिक्दाद, सलमान और अबू ज़र।

”حياة القلوب“، باب پنجاه و هشتم در فضائل بعض از اکابر صحابه، ج ۲، ص ۸۳، ۱، مطبوعه نامی نولکشور، و ج ۲،

ص ۶۲۷، مطبوعه کتاب فروشی اسلامیة تهران.

① انظر التفصيل: ”نفس الرحمان في فضائل سلمان“، باب ۱۱.

”أنوار نعمانية“، طبع قدیم، ص ۳۴، طبع جدید جلد اول، ص ۱۰۴.

”احتجاج طبرسی“، طبع قدیم، ص ۵۳-۵۶، طبع جدید ص ۱۰۷-۱۱۵.

”جلاء العیون“، طبع جدید، ج ۱، ص ۲۱۶، مطبوعه تهران.

”حق القین“، باب پنجم، ص ۱۱۵، مطبوعه تهران.

”تهذیب المتین فی تاریخ امیر المؤمنین“، ج ۱، ص ۲۷۶، مطبوعه یوسفی.

”حملة حیدری“، ص ۲۸۲، مطبوعه تهران، ”محالس المؤمنین“، ج ۱، ص ۲۲۴، مطبوعه تهران.

② ﴿وَالسَّيْقُونِ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

ب ۱۱، التوبة: ۱۰۰.

في ”تفسير البيضاوي“، ج ۳، ص ۱۶۸، تحت الآية: ﴿وَالسَّيْقُونِ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ﴾ هم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا بدرًا أو الذين أسلموا قبل الهجرة ﴿وَالْأَنْصَارِ﴾ أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة صعب بن عمير ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ اللاحقون بالسابقين من القبيلتين، أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ بما نالوا من نعمه الدينية والدنيوية ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ملقطاً.

साहिब जादी फ़ारूके आजम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के निकाह में दें⁽¹⁾ और येह फ़िर्का कहे : तकय्यतन ऐसा किया । क्या जानबूझ कर कोई मुसलमान अपनी बेटी काफ़िर को दे सकता है...? न कि वोह मुक़द्दस हज़रात जिन्हों ने इस्लाम के लिये अपनी जानें वक्फ़ कर दीं और हक़गोई और इत्तिबाए हक़ में⁽²⁾ ﴿لَا يَخَافُونَ زُومَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ के सच्चे मिस्दाक़ थे ।⁽³⁾ फिर खुद हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ की दो शाहजादियां यके बाद दीगरे हज़रते उस्मान जुन्नूरैन

..... ① (أم كلثوم من فاطمة واسمها رقية خرجت إلى عمر بن الخطاب فأولدها زيداً).

”عمدة المطالب“، عقد أمير المؤمنين، ص ६३، مطبوعه نجف اشرف.

وفي رواية: (أم كلثوم كبرى تزوجها عمرو وأم كلثوم صغرى من كثير بن عباس بن عبد المطلب).

”مناقب آل أبي طالب“، ج ३، ص ३०४.

وفي رواية: عن سليمان بن خالد قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتدي في بيت زوجها أو حيث شاءت، ثم قال: إن علياً صلوة الله عليه لما مات عمر أتى إلى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته).

”فروع كافي“، ج ६، ص ११०، مطبوعه تهران طبع جديد.

وفي رواية: (فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين في الروضة وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون، فقال: رفؤني رفؤني، قالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوجت أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يقول: كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي وصهري).

: ناسخ التواريخ تاريخ الخلفاء“، ج २، ص १२९. ”شرح نهج البلاغة“، ابن أبي حديد، ج ३، ص १२४، مطبوعه بيروت.

”شرح نهج البلاغة“ لابن أبي حديد، ج ४، ص ०७०-०७६، مطبوعه بيروت ١٣٧٥ هـ.

”ناسخ التواريخ تاريخ الخلفاء“، ج २، ص १२९. ”مجالس المؤمنين“، ج १، ص २०४ و ४०१، مطبوعه تهران.

”فروع كافي“، طبع قديم، ج २، ص ३११-३१२، مطبوعه نولكشور.

”فروع كافي“، كتاب الطلاق، طبع جديد، ج ६، ص ११०، مطبوعه تهران.

”طراز المذهب مظفري“، مصنفه مرزا عباسی، ص ३३.

”منتهى الآمال“، (شيخ عباس قمي)، ج १، ص २१७.

..... ② پ ٦، المائدة: ٥٤.

..... ③ ﴿لَا يَخَافُونَ زُومَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ پ ٦، المائدة: ٥٤.

في ”تفسير الطبري“، ج ٤، ص ٦٢٣، تحت هذه الآية: عن الضحاك في قوله: ﴿قَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾

أَدْلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْدَاءُ عَلَى الْكُفْرَيْنِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ زُومَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ قال: هو أبو بكر وأصحابه لما

ارتد من ارتد من العرب عن الإسلام، جاهدتهم أبو بكر وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام).

के निकाह में आई⁽¹⁾ और सिद्दीक व फारूक رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا की साहिब जादियां शरफे जौजियत से मुशरफ हुई⁽²⁾ क्या हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के ऐसे तअल्लुकात जिन से हों, उन की निस्बत वोह मल्लउन अल्फाज कोई अदना अक्ल वाला एक लम्हे के लिये जाइज रख सकता है...! हरगिज नहीं ! हरगिज नहीं !

① قال شيخنا أبو عثمان: (ولمّا ماتت الابطتان تحت عثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تنتظرون لعثمان، ألا أبو أيم ألا أخو أيم، زوجته ابنتين ولو أنّ عندي ثالثة لفعلتُ، قال: ولذلك سمّي ذا النورين).

”شرح نهج البلاغة“ ابن أبي حديد، ج ३، ص ६६०، مطبوعه بيروت (بوا سائر).

وفي رواية: (بس خويشاوندی عثمان از ابوبکر و عمر به پیغمبر نزدیک تراست و به امادی پیغمبر مرتبه ای یافتند ای که ابوبکر و عمر نیافتند عثمان رفقه و امر کلثوم را بنا بر مشهور دختران پیغمبر بودند بهمسری خود در آورد در اول رفقه را و بعد از چند گاه که آن مظلومه وفات نمود امر کلثوم را بجائے خواهر باو دادند). ”شرح نهج البلاغة“ فارسی، فیض الاسلام، ص ۵۱۹، خطبه نمبر ۱۴۳، مطبوعه ایران.

यानी : हज़रते उस्मान رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ब एतिबारे कराबत पैगम्बरे खुदा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के इतने करीब हैं कि इतनी कराबत अबू बक्र और उमर बिन खत्ताब को भी हासिल नहीं । फिर पैगम्बरे खुदा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ का दामाद बन कर वोह मर्तबा पाया जो अबू बक्र व उमर को न मिला, हज़रते उस्मान ने सय्यिदा रुक़य्या और उम्मे कुल्सूम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا से निकाह किया जो मशहूर रिवायात के मुताबिक पैगम्बरे खुदा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की साहिब जादियां थीं, पहले हज़रते रुक़य्या से शादी हुई और उन के इन्तिकाल के बाद उन की हमशीरा उम्मे कुल्सूम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا हज़रते उस्माने ग़नी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ के निकाह में आई ।

दीगर शीआ कुतुब भी मुलाहज़ा फ़रमाएं :

”تفسير مجمع البيان“، ج २، جزء سوم، ص ३३३، مطبوعه تهران. ”شرح نهج البلاغة“، فارسی، فیض الإسلام خطبه ۱۴۳، ص ۵۲۸، مطبوعه تهران.

② (عائشة دختر ابا بکر بود و مادر عائشة و عبد الرحمن بن ابی بکر امر دو مان بنت عامر بن عمیر بود پیغمبر در مکه معظمه بعد از رحلت خدیجه کبری و قبل از تزویج سوده در ماه شوال او را تزویج فرمود و زفافش بعد از شوال سال اول هجرت در مدینه طیبه واقع شد در حالیکه عائشة ده ساله بود پیغمبر پنجاه و سه ساله بودند حفصه دختر عمر بن الخطاب بود مادر حفصه و عبد الله بن عمر و عبد الرحمن بن عمر زینب بنت مظعون خواهر جناب عثمان بن مظعون بود پیغمبر (ص) او را در سال سوم از هجرت در مدینه تزویج فرمود و قبل از حضرت رسول (ص) حفصه زوجة حمیس بن عبد الله بن السهمی بود و حفصه در سنه چهل و پنج هجری در مدینه طیبه از دنیا رفت).

”منتخب التواریخ“ فارسی، ص ۲۴-۲۵، مطبوعه تهران.

इस फिर्के का एक अक्कीदा येह है कि “अल्लाह َعَزَّوَجَلَّ पर अस्लह वाजिब है⁽¹⁾ यानी जो काम बन्दे के हक में नाफेअ हो, अल्लाह َعَزَّوَجَلَّ पर वाजिब है कि वोही करे, उसे करना पड़ेगा।”

एक अक्कीदा येह है कि “अइम्मए अत्हार َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ, अम्बिया َعَلَيْهِمُ السَّلَام से अफ़ज़ल हैं।”⁽²⁾ और येह बिल इज्माअ कुफ़्र है कि ग़ैरे नबी को नबी से अफ़ज़ल कहना है।⁽³⁾

यानी : आइशा (सिद्दीका َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) अबू बक्र सिद्दीक (َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) की बेटी थीं, आइशा और अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र (َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) की वालिदा उम्मे रूमान बन्ते अमिर बिन उमैर थीं। पैग़म्बर (ﷺ) ने हज़रते ख़दीजतुल कुब्रा (َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) की रिह्लत के बाद मक्कए मुकर्रमा में हज़रते सौदह (َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) के निकाह से पहले माहे शव्वाल में इन से निकाह फ़रमाया और ज़िफ़ाफ़ सौदह (َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) के निकाह के बाद माहे शव्वाल में हिजरात के पहले साल मदीनए मुनव्वरह में फ़रमाया उस वक़्त आइशा (َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) की उम्र दस साल थी और पैग़म्बर (ﷺ) की उम्र 53 साल थी... हज़रते हफ़सा (َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) हज़रते उमर बिन ख़त्ताब (َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) की बेटी थीं। हज़रते हफ़सा, हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन उमर َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ की वालिदा ज़ैनब बन्ते मज़ज़न थीं जो कि हज़रते उस्मान बिन मज़ज़न َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ की हमशीरा थीं पैग़म्बर (ﷺ) ने हिजरात के तीसरे साल मदीनए तय्यिबा में इन से निकाह फ़रमाया, रसूले पाक (ﷺ) से क़बल हज़रते हफ़सा َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا हुनैस बिन अब्दुल्लाह बिन सहमी की बीवी थीं, हज़रते हफ़सा َرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ने मदीनए तय्यिबा में सि. 45 हि. में इन्तिक्काल फ़रमाया।

① “تحفة اثنا عشرية” (مترجم)، باب ٥: مسائل إلهيات، عقيدة نمبر ١٩، ص ٢٩٣-٢٩٧.

② “تحفة اثنا عشرية” (مترجم)، باب ٦: عقيدة نمبر ٢، ص ٣١٢-٣١٣.

③ “في الشفاء” فصل في بيان ماهو من المقالات كفر، الجزء الثاني، ص ٢٩٠: (و كذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: إنّ الأئمة أفضل من الأنبياء).

وفي “منح الروض الأزهر”، الولي لا يبلغ درجة النبي، ص ١٢١: (فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلالة وإلحاد وجهالة).

وفي “ارشاد الساري”، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم... إلخ، ج ١، ص ٣٧٨: (فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به، والقاتل بخلافه كافر؛ لأنه معلوم من الشرع بالضرورة).

في “المعتقد المنتقد”، ص ١٢٥: (إنّ نبيا واحداً أفضل عند الله من جميع الأولياء، ومن فضل ولياً على نبي يخشى عليه الكفر بل هو كافر).

एक अक़ीदा येह है कि “कुरआने मजीद महफूज़ नहीं, बल्कि इस में से कुछ पारे या सूरतें या आयतें या अल्फ़ाज़ अमीरुल मुअमिनीन इस्माने ग़नी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ या दीगर सहाबा क़रम الله تعالی وجم ने भी उसे निकाल दिये।”⁽¹⁾ मगर तअज़्जुब है कि मौला अली ने भी उसे

① في “أصول کافی”: (عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية).

यानी : हिशाम बिन सालिम बयान करते हैं कि अबू अब्दुल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام ने फ़रमाया : बेशक जिस कुरआन को जिब्राईल عَلَيْهِ السَّلَام मुहम्मद صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की तरफ़ ले कर आए वोह सतरह हज़ार आयतों पर (मुश्तमिल) है.

“أصول کافی”, للشيخ ابو جعفر محمد بن يعقوب كليني, ج ٢, ص ٦٣٤, مطبوعه دار الكتب الإسلامية تهران إيران.

शैख अबू जाफ़र कलीनी की रिवायत से पता चलता है कि अस्ल कुरआन की सतरह हज़ार आयतें थीं हालां कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है कि कुरआने मजीद में छे हज़ार छे सो सोलह आयात हैं जैसा कि आप “अल इत्क़ान” में फ़रमाते हैं :

أخرج ابن الضريس من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: (جميع أي القرآن ستة آلاف آية وستمائة آية وست عشرة آية). “الإتقان”, فصل في عدد الآي... إلخ, ج ١, ص ٩٥.

وفي “الاحتجاج”: (قال علي عليه السلام: وأما ظهورك على تناكر قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء، ولا كلّ النساء أيتام، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن، وهذا ما أشبه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل، ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساعا إلى القدح في القرآن، ولو شرحت لك كلما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال، وظهر ما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء).

“الاحتجاج”, للشيخ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب طبرسي من علماء القرن السادس, ج ١, ص ٢٥٤, مطبوعه مؤسسة الأعلمي بيروت.

وفي “مقدمة التفسير الصافي”, ص ١٣: (المستفاد من مجموع هذه الروايات والأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أنّ القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنّه قد حذف عنه أشياء كثيرة، منها: اسم علي في كثير من المواضع، ومنها: لفظة آل محمد غير مرة، ومنها: أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك، وأنّه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله وبه قال علي بن إبراهيم).

नाकिस ही छोड़ा...? और येह अक़ीदा भी बिल इज्माअ कुफ़्र है कि कुरआने मजीद का इन्कार है।⁽¹⁾

= وفي "ناسخ التواريخ"، ج ٢، كتاب دوم، ص ٤٩٣-٤٩٤: (مردم شیعی چنان دانند که در قرآن بعضی آیات را که دلالت بر نص خلافت علی می داشته، و از فضائل اهل بیت می بوده ابو بکر و عمر ساقط ساختند و از پس درویشی آن قرآن که علی فراهم آورده بود نپذیرفتند و آن قرآن حزب در نزد قائم آل محمد دیده نشود و همچنان عثمان نیز از آنچه ابو بکر و عمر داشت نیز لختی بکاست).

यानी : शीआ लोग इस तरह जानते हैं और यकीन रखते हैं कि कुरआने मजीद की बाज़ ऐसी आयात जो ख़िलाफ़ते अली رضي الله عنه पर नस्से सरीह थीं और फ़ज़ाइले अहले बैत के क़बील से थीं अबू बक्र और उमर ने उन को साक़ित कर दिया और हज़फ़ कर दिया और येही वजह है कि उन्होंने ने हज़रते अली رضي الله عنه का लाया हुवा कुरआन क़बूल न किया और वोह कुरआन सिवाए काइम आले मुहम्मद के किसी के पास नहीं देखा जा सकता और इसी तरह उस्मान ने भी उस कुरआन से जो अबू बक्र व उमर रखते थे मजीद कमी कर दी।

1..... ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنُحِطُّونَ﴾ ﴿١﴾ ب ١٤، الحجر: ٩.

في "تفسير البيضاوي"، ج ٣، ص ٣٦٢، تحت الآية: بقوله: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَنُحِطُّونَ﴾ أي: من التحريف والزيادة والنقص). وفي "فوائح الرحمت" شرح "مسلم الثبوت"، مسألة كل مجتهد في المسألة الاجتهادية... إلخ، ج ٢، ص ٤٢٢: (اعلم أنني رأيت في "مجمع البيان" تفسير بعض الشيعة أنه ذهب بعض أصحابهم إلى أن القرآن العياذ بالله كان زائداً على هذا المكتوب المقروء، قد ذهب بتقصير من الصحابة الجامعين العياذ بالله، ولم يختر صاحب ذلك التفسير هذا القول، فمن قال بهذا القول فهو كافر لا نكاره الضروري، فافهم).

في "منح الروض الأزهر"، فصل من ذلك فيما يتعلق بالقرآن والصلاة، ص ١٦٧: (من جحد القرآن، أي: كله أو سورة منه أو آية، قلت: وكذا كلمة أو قراءة متواترة، أو زعم أنها ليست من كلام الله تعالى كفر).

وفي "الشفاء" بتعريف حقوق المصطفى، فصل في بيان ماهو من المقالات كفر، الجزء الثاني، ص ٢٨٩: (ومن قال هذا كافر وكذلك من أنكر القرآن أو حرفاً منه أو غير شيئاً منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية).

وفي "المعتمد المستند"، الثالثة: الرافضة، ص ٢٢٤ - ٢٢٥: (الرافضة الموجودون الآن في بلادنا، وصرحت مجتهدوهم وجهالهم ونسائهم ورجالهم بنقص القرآن، وأن الصحابة أسقطوا منه سورا وآيات، وصرحوا بتفضيل أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه الكريم وسائر الأئمة الأطهار رضي الله تعالى عنهم على الأنبياء السابقين جميعاً، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، وهذان كفران لا تجدن أحداً منهم خالياً عنهما في هذا الزمان، والله المستعان).

"الفتاوى الرضوية"، ج ١٤، ص ٢٥٩-٢٦٢.

एक अकीदा यह है कि “अल्लाह عَزَّوَجَلَّ कोई हुक्म देता है फिर यह मालूम कर के कि मस्लहत उस के गैर में है, पचताता है।”⁽¹⁾ और यह भी यकीनी कुफ़ है कि खुदा को जाहिल बताना है।⁽²⁾

एक अकीदा यह है कि “नेकियों का ख़ालिक अल्लाह है और बुराइयों के ख़ालिक यह खुद हैं।”⁽³⁾

मजूस⁽⁴⁾ ने दो ही ख़ालिक माने थे : यज़्दान ख़ालिके ख़ैर, अहरमन ख़ालिके शर।⁽⁵⁾ इन के ख़ालिकों की गिनती ही न रही, अरबों, संखों ख़ालिक हैं।

- 1 وفي “المعتمد المستند”، ذكر سبع طوائف في الهند... إلخ، الثالثة: الرافضة... إلخ، ص ٢٢٥: (وقد صرح مجتهدهم بالبدء على الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأخذ ينزله عن الكفر فوقع فيه، ولات حين مناص حيث أوله بأن الله تعالى يحكم بشيء ثم يعلم أنّ المصلحة في خلافه فيبدله، فقد اعترف بحصول الجهل لربه).
- 2 “تحفة اثنا عشرية” (مترجم)، باب ٥: مسائل إلهيات، عقيدة نمبر ١٧، ص ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٩٢.
- 3 لم نعر عليه.

4 मजूसी की जम्अ, आग की पूजा करने वाले।

- 5 في “النبراس”، الكلام في خلق الأفعال، ص ١٧٢: (الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس فإنهم يعتقدون إلهين يزدان خالق الخير واهرم من خالق الشر). “الفتاوى الرضوية”، ج ١٥، ص ٥٣٧. وانظر للتفصيل: “تحفة جعفرية”، و“عقائد جعفرية”، و“فقه جعفرية” للمحقق شيخ الحديث العلامة محمد علي نقشبندی عليه رحمة الله القوي، و“تحفة حسينية” للعلامة محمد أشرف سيالوی دامت بركاتهم العالیة.

(3) **वहाबी** : यह एक नया फिर्का है जो 1209 सि. हि. में पैदा हुवा, इस मजहब का

बानी मुहम्मद बिन अब्दुल वहहाब नज्दी⁽¹⁾ था, जिस ने तमाम अरब, खुसूसन हरमैन शरीफैन में बहुत शदीद फितने फैलाए, उलमा को क़त्ल किया⁽²⁾, सहाबए किराम व अइम्मा व उलमा व शुहदा की क़ब्रें खोद डालीं, रौज़ए अन्वर का नाम **مَعَادِ اللَّهِ** “सनमे अक्बर” रखा था⁽³⁾ यानी बड़ा बुत, और तरह तरह के जुल्म किये जैसा कि सहीह हदीस में हुजुरे अक्दस **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने ख़बर दी थी कि नज्द से फितने उठेंगे और शैतान का गुरौह निकलेगा।⁽⁴⁾ वोह गुरौह बारह सो बरस बाद येह ज़ाहिर हुवा। अबल्लामा शामी **رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى** ने इसे खारिजी बताया।⁽⁵⁾ इस अब्दुल वहहाब के बेटे ने एक किताब लिखी जिस का नाम

- ① محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدى الوهابي الذي تنسب إليه الطائفة الوهابية، ولد (١١١٥) وتوفي (١٢٠٦). "هدية العارفين"، ج ٢، ص ٣٥٠، و"الأعلام" للزركلي، ج ٦، ص ٢٥٧، و"معجم المؤلفين"، ج ٣، ص ٤٧٢.
- ② في "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب في أتباع [محمد بن] عبد الوهاب الخوارج في زماننا، ج ٦، ص ٤٠٠: (وقع في زماننا في أتباع [محمد بن] عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا يتحلون مذهب الحنابلة، لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم).
- ③ قال محمد بن عبد الوهاب نجدى: (فالقبر المعظم المقدس وثن وصنم بكل معاني الوثنية لو كان الناس يعقلون). حاشيه "شرح الصدور بتحرير رفع القبور" لمحمد بن عبد الوهاب، ص ٢٥، مطبوعه سعوديه.
- ④ عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم بارك لنا في شأمننا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شأمننا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان)). "صحيح البخاري"، كتاب الفتن، الحديث: ٧٠٩٤، ج ٤، ص ٤٤٠-٤٤١.
- ⑤ في "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، ج ٦، ص ٤٠٠: (ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم) علمت أن هذا غير شرط في مسمى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، وإلا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه كما وقع في زماننا في أتباع [محمد بن] عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا يتحلون مذهب الحنابلة.
- ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [ب ٢٢، فاطر: ٦] في "تفسير الصاوي"، ج ٥، ص ١٦٨٨: وقيل: هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم لما هو مشاهد الآن في نظائره يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان هم الخاسرون، نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم.

في "شرح النسائي" للسيوطي، ج ١، ص ٣٦٠: ((كما يمرق السهم... إلخ)): يريد أن دخولهم أي: الخوارج في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء كالسهم دخل في الرمية ثم نفذ وخرج منها ولم يعلق به منها شيء كذا في "المجمع"، ثم ليعلم أن الذين يدينون دين ابن عبد الوهاب النجدي يسلكون مسالكه في الأصول والفروع ويدعون في بلادنا باسم الوهابيين وغير المقلدين ويزعمون أن تقليد أحد الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين شرك وأن من خالفهم هم المشركون

“کیتا بوتاؤہیہ”⁽¹⁾ رخوا، اس کا ترمما ہندوستان میں اسمائیل دہلوی⁽²⁾ نے کیا، جس کا نام “تکویاتول ایمان” رخوا اور ہندوستان میں اسی نے وہابیہت فہلای۔

ان وہابیہ کا اک بہت بڈا اڈیہا یہہ ہے کہ جو ان کے مڑہب پر نہہ، وہہ کافیر مشرک ہے۔⁽³⁾ یہی وڑہ ہے کہ بات بات پر مڑہ بیلہ وڑہ مسلمانوں پر ہکمه شیکو کفر لگاہا کرتے اور تمام دنیہ کو مشرک باتے ہیں۔ چنانچہ، “تکویاتول ایمان” سفاہ 45 میں وہہ ہدیہ لیکر کہ “آخیر زمانہ میں اللہ تالہ اک ہوا بھجگا جو ساری دنیہ سے مسلمانوں کو اٹا لگی۔”⁽⁴⁾ اس کے باڈ ساا لیکر دیا : “سو پئمبہرہ خڈا کے فرمانہ کے موافق ہوا”⁽⁵⁾، یانی وہہ ہوا چل گی اور کوئی مسلمان روء زمین پر نہ رہا، مگر یہہ نہ سمجھا کہ اس سورت میں خڈ بھی تو کافیر ہوا۔

اس مڑہب کا رکنہ آام، اللہ (عزوجل) کی تہین اور مڑہبانہ خڈا کی تلیل ہے، ہر ام میں وہی پھلہ اڑیہار کریں گے جس سے منکسنت نیکلتی ہ۔⁽⁶⁾ اس مڑہب کے سر گروہوں کے باڑ اڈوال نکل کرنا مونسب مالوم ہوتا ہے، کہ ہمارے اام ویتیبون قتلہ اہل السنہ و سب نسانہ و غیر ذلک من العقائد الشنیعة التي وصلت إلینا منهم بواسطة الثقات و سمعنا بعضاً منهم أيضاً هم فرقة من الخوارج وقد صرح به العلامة الشامي في كتابه “رد المحتار”.

1 “کتاب التوحید”، لمحمد بن عبد الوهاب بن سلیمان النجدي المتوفى ١٢٠٦.

(“الأعلام” للزركلي، ج ٦، ص ٢٥٧، و “معجم المؤلفين”، ج ٣، ص ٤٧٢-٤٧٣).

2 اسماعيل بن عبد الغني ابن ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي، ولد لاثنتي عشرة من ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين ومائة وألف، وقتل في بالاكوٹ باكستان سنة ست وأربعين ومائتين وألف. من مصنفاته: “تقوية الايمان”، وغيرها. انظر: “نزهة الخواطر”، ج ٧، ص ٦٦.

3 في “الدرر السننية في الأجوبة النجدية”، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى ١٣٩٢ هـ، ج ١، ص ٦٧: (واعلم أن المشركين في زماننا: قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدعون الملائكة، والأولياء، والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب إليهم... إلخ). وفي ص ٦٩: (وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله تعالى بهم هو الذي أحل دماهم وأموالهم... إلخ).

وفي “رد المحتار”، كتاب الجهاد، ج ٦، ص ٤٠٠: (لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون). 4 ((ثم يبعث الله ريحا طيبة، فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم)). “صحيح مسلم”، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخليفة، الحديث: ٧٢٩٩، ص ١١٨٢. 5 “تکویاتول ایمان”، باب اڈوال، فسل : 4 : شیک فیل اڈادات کی بڑای کا بیان، س. 45 :

6 ان کی شان میں نکس و اےب اڑاہر ہوتا ہ۔

भाई उन की क़ल्बी ख़बासतों पर मुत्तलअ हों और उन के दामे तज़वीर⁽¹⁾ से बचें और उन के जुब्बा व दस्तार पर न जाएं। बिरादराने इस्लाम बग़ौर सुनें और मीज़ाने ईमान में तोलें कि ईमान से ज़ियादा अज़ीज मुसलमान के नज़्दीक कोई चीज़ नहीं और ईमान, **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) व रसूल (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) की महबूबतो ताज़ीम ही का नाम है। ईमान के साथ जिस में जितने फ़ज़ाइल पाए जाएं वोह उसी क़दर ज़ियादा फ़ज़ीलत रखता है, और ईमान नहीं तो मुसलमानों के नज़्दीक वोह कुछ वक़अत नहीं रखता अगर्चे कितना ही बड़ा अल्लिमो ज़ाहिद व तारिकुहुन्या वग़ैरा बनता हो, मक्सूद येह है कि उन के मौलवी और अल्लिम फ़ाज़िल होने की वजह से उन्हें तुम अपना पेशवा न समझो, जब कि वोह **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) व रसूल (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के दुश्मन हैं, क्या यहूदो नसारा बल्कि हुनूद में भी उन के मज़ाहिब के अल्लिम या तारिकुहुन्या नहीं होते...? क्या तुम उन को अपना पेशवा तस्लीम कर सकते हो...? हरगिज़ नहीं ! इसी तरह येह ला मज़हब व बद मज़हब तुम्हारे किसी तरह मुक्तादा नहीं हो सकते।

“ईज़ाहुल हक़” सफ़हा 35 व सफ़हा 36 मत्बअ फ़ारूकी में है⁽²⁾ :

”تنزيه أو تعالى از زمان و مکان و جهت و اثبات ذویت بلا جهت و محاذات همه از قبیل

بدعات حقیقه است اگر صاحب آن اعتقادات مذکور را از جنس عقائد دینیّه می شمارد“⁽³⁾.

इस में साफ़ तसरीह है कि **अल्लाह** तअ़ाला को ज़मान व मकान व ज़िहत से पाक जानना और उस का दीदार बिला कैफ़ मानना, बिद्अत व गुमराही है, हालां कि येह तमाम अहले सुन्नत का अक़ीदा है।⁽⁴⁾ तो इस काइल ने तमाम पेशवायाने अहले सुन्नत को गुमराह

①.....मक्रो फ़रेब।

②.....”إيضاح الحق“، (مترجم اردو) فائده اول، پہلا مسئلہ، ص ۷۷-۷۸، قدیمی کتب خانہ.

③.....यानी : **अल्लाह** तअ़ाला को ज़मान व मकान और ज़िहत से पाक करार देना और उस का दीदार बिला ज़िहत व कैफ़ साबित करना येह तमाम उमूर अज़ क़बीले बिद्अते हक़ीक़िय्या हैं अगर कोई शख्स इन मज़क़ूरा एतिकादात को दीनी एतिकाद शुमार करे।

④.....”तोहफ़ए इस्ना अशरिय्या” में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ फ़रमाते हैं :

(عقیدہ سیزدهم آنکہ حق تعالی رامکان نیست واورا جهت از فوق و تحت متصور نیست و ہمینست مذهب اہل سنت و جماعت)

यानी : तेरहवां अक़ीदा येह है कि **अल्लाह** तअ़ाला के लिये मकान और फ़ौक व तहत की ज़िहत मुतसव्वर नहीं है और येही अहले सुन्नत व जमाअत का मज़हब है।

”تحفه اثنا عشریہ“، (مترجم) پانچواں باب، مسائل الہیات، ص ۲۷۹، دار الاشاعت).

وفي ”الحديقة الندية“، ج ۱، ص ۲۴۸-۲۴۹: (ولا يتمکن بمکان) أي: واللّٰه تعالیٰ يستحيل علیہ أن یكون فی مکان،

(ولا یجری علیہ) سبحانہ وتعالیٰ (زمان، و لیس له) تعالیٰ (جهة من الجهات الست) التي هي فوق وتحت ویمین و یسار وقدام وخلف، لأنّہ تعالیٰ لیس بجسم حتی تكون له جهة کما للأجسام، ملقطاً.

وفي ”الفقه الأكبر“، ص ۸۳: (واللّٰه تعالیٰ یرى فی الآخرة، و یراه المؤمنون وهم فی الجنة بأعین رؤوسهم بلا تشبیہ ولا

کیفیة، ولا کمية، ولا یكون بینہ و بین خلقه مسافة). انظر ”الفتاوی الرضویة“، کتاب السیر، ج ۱، ص ۲۸۳.

पेशकश : मज़लिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

و بید اُتی بتایا، “بھڑر اڈک” و “دُرے مُخّار” و “اُلام گیری” مے ہے کي : **اَللّٰہ** تالّا کے لیے جو مکان سابت کرے، کافر ہے ⁽¹⁾۔

“تکویٰ تُل ایمان” سَفْہا 60 مے یہ ہدیس :

((أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِ يَ أُكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ.)) ⁽²⁾

نقل کر کے تَرْجَمَا کیا کي “بھلا خِیال تو کر جو تُو گُجرے مَری کُبر پر، کیا سجدہ کرے تُو اُس کو”، اُس کے باء (ف) لیکھ کر فَاہدا یہ ہڈ دیا : (یانی مے ہي اُک دین مر کر مِٹھی مے ملنے والا ہُوں) ⁽³⁾۔ ہالاں کي نبی ﷺ فرماتے ہي :

((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.)) ⁽⁴⁾

“اَللّٰہ تالّا نے اپنے اَمبیا ﷺ کے اَجْسَام خانا، جَمین پر ہرام کر دیا ہے ⁽⁵⁾۔

((فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ.)) ⁽⁵⁾

“تو اَللّٰہ (عَزَّوَجَلَّ) کے نبی جِندا ہي، رोजی دیے جاتے ہي ⁽⁶⁾۔

اِسی “تکویٰ تُل ایمان” سَفْہا 19 مے ہے : “ہمارا جب خالیک اَللّٰہ ہے اور اُس نے ہم کو پَہدا کیا تو ہم کو ہي چاہیے کي اپنے ہر کاموں پر اُسی کو پُکارے اور

1 في “البحر الرائق”، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج ٥، ص ٢٠٢: (يكفر بقوله يجوز أن يفعل الله فعلاً لاحكمة فيه، وبإثبات المكان لله تعالى فإن قال: الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر وإن أراد المكان كفر، وإن لم يكن له نية كفر عند الأكثر وهو الأصح وعليه الفتوى).

في “الفتاوى الهندية”، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج ٢، ص ٢٥٩: (يكفر بإثبات المكان لله تعالى).
”الفتاوى الرضوية“، كتاب السير، ج ١٤، ص ٢٨٢ - ٢٨٣.

2 “سنن أبي داود”، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، الحديث: ٢١٤٠، ج ٢، ص ٣٥٥.

3 “تقوية الإيمان”، باب أول، فصل ٥، “شرك في العبادات كبرائى كايان، ص ٥٧:

ف بينی میں ہي اُیک دن مرکز مِٹھی میں مے والاہوں

4 “سنن ابن ماجه”، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله تعالى عليه وسلم، الحديث: ١٦٣٧، ج ٢، ص ٢٩١.

“سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، الحديث: ١٠٤٦، ج ١، ص ٣٩١.

“سنن النسائي”، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الحديث: ١٣٧١، ص ٢٣٧.

“المسند”، للإمام أحمد بن حنبل، ج ٥، ص ٤٦٣، الحديث: ١٦١٦٢.

“المستدرک” للحاکم، كتاب الجمعة، الحديث: ١٠٦٨، ص ٥٦٩.

5 “سنن ابن ماجه”، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله تعالى عليه وسلم، الحديث: ١٦٣٧، ج ٢، ص ٢٩١.

www.dawateislami.net

“تکویٰ تال ایمان” سقہا 10 :

“رہجی کی کشاڈش اور تانگی کرنی اور تندرست و بیمار کر دنا، اڈبال و اڈبار⁽¹⁾ دنا، اڈاتنن بر لانی، بلاانن ڈالانی، مشکال منن دست گیری کرنی، یہ سب **الله** ہی کی شان ہے اور کسی اڈبیا، اڈلیا، بھوت، پری کی یہ شان نہیں، جو کسی کو اڈسا تسررف ساابت کرے اور اس سے مرادنن ماننے اور مشیبت کے وکات اس کو پکارے، سو وہ مشرک ہو اڈاتا ہے، فیر اڈواہ یوں سمنڈے کی ان کاموں کی تاکت ان کو اڈد بآود ہے، اڈواہ یوں سمنڈے کی **الله** نے ان کو اڈد بآوی ہے، هر تره شيرک ہے۔”⁽²⁾

= یانی : علمات بعضہ فوق بعض کی بنا پر اڈنا کے وکسے سے اپنی بوی سے مشامات کا آڈال بهتر ہے اور اپنی هممت کو شوق اور ان جیسے مشامات لوگوں اڈواہ اڈا به ريسالان مآاب ہی ہوں، کی تراف مشامات کرنا اپنے گای اور گدھ کی سورت منن مشامات ہونے سے کڈ گنا بدتر ہے، وکے کی ان کا آڈال اڈامو اڈلال کے ساآ انسان کے دل کی گہراڈ منن آپک اڈاتا ہے، ب اڈلافا گدھ اور گای کے آڈال منن تو اس کڈر آسپیادگی ہوتی ہے اور نہ ہی اڈام بآک ان کا آڈال به اڈام اور اڈک ہوتا ہے، اور یہ گای کی اڈامو اڈلال نماآ منن مشامات و مشامات ہو تو شيرک کی تراف آک لاتی ہے۔

①اڈراج و اڈال۔

②“تکویٰ تال ایمان”، باب اڈوال، تہیڈ اور شيرک کا بیان، س. 22 :

سے ہے خواہ اس کے دینے سے غرض اس عقیدے ہر طرح
شرک ثابت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم میں ارادہ
سے تصرف کرنا اور اپنا ملک جاری کرنا اور اپنی خواہش سے
ماننا اور اڈا رور کی کشائش اور اڈک کرنا اور مشامات
بہار کرنا اور مشامات دینی اقبال واد بار ومانا اور پری
کرنا اڈک بر لانی بلا میں مشامات مشامات مشامات
بر سے وقت میں اپنا یہ سب الله کی شان ہے اور کسی
اڈا واد لانی بہر و مشامات مشامات مشامات کی یہ شان نہیں
جو کو کسی کو اڈا تصرف ثابت کرے اور اس سے مراد ہیں
ماننے اور اس توقع پر اندر و نیا کرے اور اس کی مشامات
اور مشامات کے وقت اس کو بکارے سو وہ مشرک ہو
اڈاتا ہے اور اس کو مشامات بالمشامات مشامات مشامات
تصرف ثابت کرنا مشامات مشامات ہے ہر خواہ یوں مجھے کہ ان
کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں مجھے کہ الله
نے ان کو اپنی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے

“कुरआने मजीद में है :

﴿أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾⁽¹⁾

“उन को अल्लाह व रसूलुल्लाह ने ग़नी कर दिया अपने फ़ज़ल से ।”

कुरआन तो कहता है कि नबी ﷺ ने दौलत मन्द कर दिया और यह कहता है : “जो किसी को ऐसा तसरूफ़ साबित करे मुशिरक है ।” तो इस के तौर पर कुरआने मजीद शिर्क की तालीम देता है...! कुरआने अज़ीम में इरशाद है :

﴿وَتَنْبِئُكَ الْإِكْمَةَ وَالْإِبْرَصَ بِأَذْنِي﴾⁽²⁾

“ऐ ईसा ! तू मेरे हुक्म से मादर ज़ाद अन्धे और सफ़ेद दाग़ वाले को अच्छा कर देता है ।”
और दूसरी जगह है :

﴿أُبْرِئُ الْإِكْمَةَ وَالْإِبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾⁽³⁾

“ईसा ﷺ फ़रमाते हैं : मैं अच्छा करता हूं, मादर ज़ाद अन्धे और सफ़ेद दाग़ वाले को और मुर्दों को जिला देता हूं अल्लाह के हुक्म से ।”

अब कुरआन का तो यह हुक्म है और वहाबिया येह कहते हैं कि तन्दुरुस्त करना अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) ही की शान है, जो किसी को ऐसा तसरूफ़ साबित करे मुशिरक है । अब वहाबी बताएं कि अल्लाह तआला ने ऐसा तसरूफ़ हज़रते ईसा ﷺ के लिये साबित किया तो उस पर क्या हुक्म लगाते हैं...? और लुत्फ़ येह है कि अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) ने अगर उन को कुदरत बख़्शी है, जब भी शिर्क है तो मालूम नहीं कि इन के यहां इस्लाम किस चीज़ का नाम है ?

“तक्वियतुल ईमान” सफ़हा 11 :

“गिर्दों पेश के जंगल का अदब करना, यानी वहां शिकार न करना, दरख़्त न काटना, येह काम अल्लाह ने अपनी इबादत के लिये बताए हैं, फिर जो कोई किसी पैग़म्बर या भूत के मकानों के गिर्दों पेश के जंगल का अदब करे, उस पर शिर्क साबित है, ख़्वाह यूं समझे कि

① प १०, التوبة : ७६.

② प ७, المائدة : ११०.

③ प ३, آل عمران : ६९.

یہ آپ ہی اس تاجیہ کے لایک ہے، یا یوں کی اس تاجیہ سے اللہاا خوش ہوتا ہے، ہر ترہ شریک ہے (1)

موت اڈد سہیہ ہدیوں میں یرشاد فرمایا کی : “ابراہیم نے ماکے کو ہرم بناوا اور میں نے مآدینے کو ہرم کیا، اس کے ببول کے درخت ن کاٹے آاے اور اس کا شکار ن کیا آاے۔” (2)

1 “تکویاتول ایمان”، باب اڈول، تہیہ اور شریک کا بیان، س. 23 :

ترجما: جس نے اپنے پاؤں چلانا اور اس کے گرد و پیش کے جنگل کا احباب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا اور شریک نہ کرنا گھاس نہ کھانا، نامواشی نہ کرنا یہ سب کام ابراہیم نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی پر و پیر کو یا مصوت و پیری کو یا کسی کی بی بی کو یا بھوئی کو یا کسی کے آسمان کو یا کسی کے چلنے کو یا کسی کے آسمان کو یا کسی کے ترک کے یا نشان کو یا تابوت کو یا بوسہ کو یا کورے یا کورے یا اس کے نام کا روزہ رکھے یا ہتھ باندھ کر کھڑا ہووے یا مانو پڑھاوے یا ایسے مکان میں دور دور سے قصد کر کے جاوے یا وہاں روشنی کرے غلاف ڈالے یا درخت چاؤے ان کے نام کی بھڑائی کھڑی کرے نصبت ہووے وقت آئے یا ڈول چلے ان کی فکر کو بوسہ دووے موچیل بھٹے اس پر شیانہ کھڑا کرے جو کھٹ کو بوسہ دووے ہاتھ باندھ کر اچھا کرے مرادوئے بجاوین کے بیٹھ رہے وہاں کے گرد و پیش کے جنگل ادب کرے اور اسی قسم کی باتیں کرے سو اس پر شریک ثابت ہووے اس کو اگر اک فی العبادت کہتے ہیں یعنی ابراہیم کی تعظیم کی کرنی۔ پھر خواہوں مجھے کہ یہ آپ کی اس تعظیم کے لائق ہیں یا یوں مجھے کہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے انوش ہوتا ہے اور اس تعظیم کی برکت سے اس شریکوں کو دل سے ہر طرح شریک ثابت ہوتا ہے چوتھی بات یہ کہ

2 عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن إبراهيم حرم مكة، وإنني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها)).

”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة... إلخ، الحديث: ١٣٦٢، ص ٧٠٩. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنني أحرم ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم حرمه لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها)). “المسند“، للإمام أحمد بن حنبل، ج ١، ص ٣٨٤، الحديث: ١٥٧٣.

وفي رواية ”صحیح مسلم“، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((..... اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً، وإنني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تحبط فيها شجرة إلا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مآدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مآدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده! ما من المدينة شعب ولا نعب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها... إلخ)).

”صحیح مسلم“، کتاب الحج، باب الرغبة في سكنى المدينة... إلخ، الحديث: ٤٧٥، ص ٧١٣-٧١٤.

پیشکش : مآجل سے اڈل مآدیناتول اڈلیا (داوے اسلامی)

مسلمانانو ! ایمان سے دیکھنا کی اس شریک فروش کا شریک کہاں تک پہنچتا ہے ! تو میں نے دیکھا اس گستاخ نے نبی ﷺ پر کیا حکم جڈا...؟

“تکویاتول ایمان” سڈھا 8 :

“پہلے بڑے بڑا کے وکٹ میں کافر بھی اپنے بڑوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکے اسی کا مڈلک اور اس کا بندا سمڈتے تھے اور ان کو اس کے مڈابیل کی طاقت ساڈت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور مانتے ماننی اور نڈو نیاڈ کرنی اور ان کو اپنا وکیل و سفاشیی سمڈنا، یہی ان کا کڈو شریک تھا، سو جو کوڈ کسی سے یہ مڈاملا کرے، گو کی اس کو اللہ کا بندا و مڈلک ہی سمڈے، سو اب بڑ جھل اور وہ شریک میں برابر ہے۔”⁽¹⁾

یانی جو نبی ﷺ کی شفاڈت مانه، کی بڑور (ﷺ) اللہ کے دربار میں ہماری سفاشیی فرمادے تو معاذ اللہ اس کے نڈدیک وہ اب بڑ جھل کے برابر مشریک ہے، مسالے شفاڈت کا سڈف انکار ہی نہیں بلکے اس کو شریک ساڈت کیا اور تمام مسلمانوں سڈا با و تابعدار و اڈممے دین و اولیا و سالہین سب کو مشریک و اب بڑ جھل بنا دیا۔

“تکویاتول ایمان” سڈھا 58 :

“کوڈ شریک کہے : فیلانے درڈت میں کیتنے پتے ہیں ؟ یا آسمان میں کیتنے تارے ہیں ؟ تو اس کے جواب میں یہ ن کہے، کی.....

①.....“تکویاتول ایمان”، باب اڈا، تہدید اور شریک کا بیان، س. 21 :

کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور یہ بھی معلوم ہو کہ غیر خدا کے وقت میں کافر بھی اپنے بڑوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مڈلک اور اسی کا بندا سمڈتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور مانتے ماننی اور نڈو نیاڈ کرنی اور ان کو اپنا وکیل اور سفاشیی سمڈنا یہی ان کا کفر و شریک تھا سو جو کوڈ کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندا و مڈلک ہی سمڈے سو اب بڑ اور وہ شریک میں برابر ہے۔ سو سمڈنا چاہیے کہ شریک

اﷲ و رسول ہی جانے، کھوں کی گہب کی بات اﷲ ہی جاننا ہاے، رسول کو کھا
خبر !” (1)

.....! سُبْحَانَ اللَّهِ! خدائے اسی کا نام رہ گیا کی کسی پوڈ کے پتے کی تاذا
جان لی جائے۔

“تکویاتول ایمان” سفاہ 7 :

“اﷲ ساہب نے کسی کو اﷲ میں تسرررر کرنے کی کوررر نہی دی۔” (2)
اس میں امبیااے کرام کے مویجیات اور اولیااے اجم کی کرامت کا ساا ائکار
ہے۔

اﷲ تاﷲ فرماتا ہے :

﴿قَالَمَدَّبَرَاتِ اَمْرًا﴾ (3)

“کسم فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔”

تو یہ کورآنہ کریم کو ساا رر کر رہا ہے۔

①.....“تکویاتول ایمان”، فسل 5 : شیک فیل ااااا کی برائے کا بیان، س. 55 :

ف یعنی جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس میں کسی مخلوق
کو دخل نہیں سواس میں اللہ کے سااااا مخلوق کو نہ لائے گو
کنا ہی بڑا ہوا رکھا ہی مقرب سااااا نہ ہوئے کہ اللہ و
رسول چاہے گا تو فلا نا کام ہو جائے گا کہ سااااا بارہماں
کا اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے رسول کے چاہنے سے
کچھ نہیں ہوتا۔ یا کوئی شخص کسی سے کہے کہ فلا نے دل
میں کیا ہے یا فلا نے کی شادی کب ہوگی یا فلا نے درخت
میں کتے پتے ہیں یا آسمان میں کتے مارے ہیں تو اس کے
جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول ہی جانے کیونکہ عیب کی
بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر اور اس بات کا کچھ

②.....“تکویاتول ایمان”، باب اڈول، تہید اور شیک کا بیان، س. 20 :

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ صاحب نے
کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی

③..... پ ۳۰، النزعت: ۵۰.

پشاکش : مائللے اﷲ مہینااا اﷲااا (ااااے اﷲااا)

= यानी : मैं (इस्माईल देहलवी) कहता हूँ : अगर मुहाल से मुराद मुत्तनअ लिजातिही है कि (झूट) अल्लाह की कुदरत के तहत दाखिल नहीं, पस हम (अल्लाह के लिये) मज्कूरा किज़्ब को मुहाल नहीं मानते क्यूँ कि वाक़ेअ के ख़िलाफ़ कोई क़ज़िया व ख़बर बनाना और उस को फ़रिश्तों और अम्बिया पर इल्का करना अल्लाह तआला की कुदरत से ख़ारिज नहीं वरना लाज़िम आएगा कि इन्सान की कुदरत अल्लाह तआला की कुदरत से जाइद हो जाए। (रिसाला “यकरोज़ा”, स. 17)

अल्लाह ﷻ मुसलमानों को इन के शर से महफूज़ रखे आमीन।

हम अहले सुन्नत व जमाअत के नज़दीक अल्लाह ﷻ की तुरफ़ किज़्ब की निस्बत करना मन्अ है कि अल्लाह ﷻ के लिये झूट बोलना मुहाल है वोह झूट नहीं बोल सकता।

अल्लाह तआला कुरआने मजीद फुरक़ाने हमीद में इरशाद फ़रमाता है :

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह से ज़ियादा किस की बात सच्ची।
 ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह से ज़ियादा किस की बात सच्ची।
 فِي “تفسير روح البيان”، ج ٢، ص ٢٥٥، و “تفسير البيضاوي”، ج ٢، ص ٢٢٩، تحت هذه الآية: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾، إنكار أن يكون أحد أكثر صدقاً منه، فإنه لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه؛ لأنه نقص وهو على الله محال).

यानी : अल्लाह तआला इस आयत में इन्कार फ़रमाता है कि कोई शख्स अल्लाह से ज़ियादा सच्चा हो, उस की ख़बर में तो झूट का कोई शाइबा तक नहीं इस लिये कि झूट ऐब है और ऐब अल्लाह तआला के लिये मुहाल है।

وفي “تفسير الخازن”، ج ١، ص ٤١٠، تحت هذه الآية: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾، يعني: لا أحد أصدق من الله فإنه لا يخلف الميعاد ولا يجوز عليه الكذب).

यानी : मुराद येह है कि अल्लाह तआला से ज़ियादा कोई सच्चा नहीं, बेशक वोह वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता और न उस का झूट बोलना मुम्किन है।

وفي “تفسير أبي السعود”، ج ١، ص ٥٦١، تحت هذه الآية: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾، إنكار لأن يكون أحد

أصدق منه تعالى في وعده وسائر أخباره وبيانه لاستحالة، كيف لا! والكذب مُحالٌ عليه سبحانه دون غيره)

यानी : इस आयत से साबित हुवा कि वादा, और किसी तरह की ख़बर देने में, अल्लाह तआला से ज़ियादा सच्चा कोई नहीं और इस के मुहाल होने की वज़ाहत भी है और कैसे न हो कि झूट बोलना अल्लाह तआला के लिये मुहाल है ब ख़िलाफ़ दूसरों के।

﴿لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : जब तो अल्लाह हरगिज़ अपना अहद ख़िलाफ़ न करेगा।
 فِي “تفسير الكبير”، ج ١، ص ٥٦٧، تحت هذه الآية: ﴿لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ يدل على أنه سبحانه وتعالى منزّه عن الكذب وعده ووعيده، قال أصحابنا: لأن الكذب صفة نقص، والنقص على الله محال).

यानी : अल्लाह तआला का येह फ़रमाना कि अल्लाह हरगिज़ अपना अहद ख़िलाफ़ न करेगा इस मुद्दा पर वाज़ेह दलील है कि अल्लाह तआला अपने हर वादे और वईद में झूट से पाक है, हमारे अस्ह़ाब कहते हैं कि झूट सिफ़ते नक्स है और नक्स अल्लाह तआला के लिये मुहाल है। =

बल्कि उन के एक सर्गना ने तो अपने एक फ़तवे में लिख दिया कि : “वुकूए किज़ब के माना दुरुस्त हो गए, जो येह कहे कि **अल्लाह** तआला झूट बोल चुका, ऐसे को तज़्लील व तफ़्सीक से मामून करना चाहिये ।”⁽¹⁾

.....! سُبْحَانَ اللَّهِ खुदा को झूटा माना, फिर भी इस्लाम व सुन्नियत व सलाह किसी बात में फर्क न आया, मालूम नहीं इन लोगों ने किस चीज को खुदा ठहरा लिया है !

एक अक्कीदा इन का यह है कि नबी ﷺ को खातमुन्नबियीन बमाना आखिरुल अम्बिया नहीं मानते।⁽²⁾ और यह सरीह कफ़्र है।⁽³⁾

= في "تفسير الكبير"، ج ٦، ص ٥٢١: المؤمن لا يجوز أن يظن بالله الكذب، بل يخرج بذلك عن الإيمان).
في "شرح المقاصد"، المبحث السادس في أنه تعالى متكلم: (الكذب محال بإجماع العلماء؛ لأن الكذب نقص باتفاق العقلاء وهو على الله تعالى محال ه)، ملخصاً.

यानी : झूट व इज्माए उलमा मुहाल है कि वोह ब इत्तिफ़ाके उक़ला ऐब है और ऐब अल्लाह तआला पर मुहाल, मुलख़ब़सन (ذلك في مقام آخر: محال هو جهله أو كذبه تعالى عن ذلك) यानी : अल्लाह तबारक व तआला का जहल या किज़्ब दोनों मुहाल हैं बरतरी है उसे इन से। (كذب كلام الله تعالى محال له) (مخصصاً) यानी : कलामे इलाही का किज़्ब मुहाल है, मुलख़ब़सन (الكذب نقص والنقص على الله تعالى محال له) यानी : झूट ऐब है और ऐब अल्लाह तआला पर मुहाल। (وفي "المسامرة" بشرح "المسامرة"، ص ٢٠٥: وهو) أي: الكذب (مستحيل عليه) تعالى (لأنه نقص). यानी : और झूट अल्लाह तआला पर मुहाल है इस लिये कि येह ऐब है। (في مقام آخر، ٣٩٣: يستحيل عليه سبحانه سمات النفس كالجهل والكذب). यानी : जितनी निशानियां ऐब की हैं जैसे जहल व किज़्ब सब अल्लाह तआला पर मुहाल हैं।

मजीद तफ़सील के लिये शैख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ का “फ़तावा रज़विय्या” में दिया गया रिसाला :

“سبحن السبوح عن كذب عيب مقبوح”, जि. 15 का मुतालफ़ा करें।

①.....येह अल्फ़ाज़ उस ने अपने एक फ़तवे में कहे थे, अगर किसी को येह अस्त इबारात देखनी हो तो पीली भीत और दारुल उलुम हिज्बुल अहनाफ़ में तशरीफ़ ले जा कर इत्मीनान कर सकते हैं।

② “तहजीरुन्नास”, खातमुन्नबिय्यीन का माना, स. 4, 5

③..... في "الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج ٢، ص ٢٦٣: (سمعت بعضهم يقول: إذا لم يعرف الرجل أنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام فليس بمسلم كذا في "البيتمة"). =

چنانچہ ”تہجیرنااس“ س. 2 میں ہے :

”اِوام کے خِیال میں تو رسولُ اللہ ﷺ (1) کا خِاتِم ہونا بے مانا ہے کہ آپ کا جِمانا اِمبیاِے ساہبِ کے باءِ اور آپ سب میں آخِر نبی ہیں، مگر اہلے فہم پر روشن ہوا کہ تہجیر یا تہجیر میں بجزِ کُتھ کُتھ لیت نہیں، فیر مِکامے مِکامے میں (2) ﴿وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ﴾ فرمانا اس سورت میں کُتھ کر سہیہ ہو سکتا ہے ؟ ہاں ! اگر اس وِسف کو اُساہفے مِکامے میں سے نہ کہیے اور اس مِکامے کو مِکامے مِکامے نہ کرار دیجیے تو اَلبِتا خِاتِمِیّت بے اِتبارے تہجیرے جِمانی سہیہ ہو سکتی ہے (3)۔

= وفي ”الشفاء“، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، الجزء الثاني، ص ٢٨٥: (كذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده (إلى قوله) فهو لاء كلهم كفار مكذوبون للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين).

وفي ”المعتقد المنتقد“، ص ١٢٠: (الحجج التي ثبت بها بطريق التواتر نبوته ثبت بها أيضاً أنه آخر الأنبياء في زمانه وبعده إلى يوم القيامة لا يكون نبي، فمن شك فيه يكون شاكاً فيها أيضاً، وأيضاً من يقول إنه كان نبي بعده أو يكون، أو موجود، وكذا من قال يمكن أن يكون فهو كافر، هذا شرط صحة الإيمان بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم).

12 صَلَّيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہم کہتے ہیں

1.....کُتھ کی رسولُ اللہ ﷺ کے نامے پاک کے ساہب لیخنا یا سِف لیخنا نا جائز ہاں جِسا کہ ”ہاشیہ تہجیرنااس“ میں ہے :

(ویکرہ الرمز بالصلاة والترضي بالكتابة، بل يكتب ذلك كله بكماله، وفي بعض المواضع عن ”التاريخانية“ من كتب عليه السلام بالهمزة والميم يكفر؛ لأنه تخفيف وتخفيف الأنبياء كفر بلا شك ولعله إن صحَّ النقل فهو مقيد بقصده وإلا فالظاهر أنه ليس بكفر وكون لازم الكفر كراً بعد تسليم كونه مذهباً مختاراً محله إذا كان اللزوم بيناً نعم الاحتياط في الاحتراز عن الإيهام والشبهة). ”حاشية الطحطاوي“ على ”الدر المختار“، مقدمة الكتاب، ج ١، ص ٦.

و”الفتاوى الرضوية“، ج ٦، ص ٢٢١ - ٢٢٢، ج ٢٣، ص ٣٨٧ - ٣٨٨.

2..... پ ٢٢، الأحزاب: ٤٠.

3..... ”تہجیرنااس“، خِاتِمِیّت کا مانا، س. 4, 5

سورام کے خیال میں تو رسول اللہ ﷺ کا خاتم ہونا بے مانا ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پر روشن ہو کر تقدیم یا آخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں بھر مقامِ مدح میں وکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا۔ ہاں اگر اس وصف کو اوصافِ مدح میں سے نہ کیے اور اس مقام کو مقامِ مدح نہ قرار دیکے تو البتہ خاتمیت یا تقدیم یا آخر زمانہ صحیح ہو سکتی ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے

پہلے تو اس کاڈل نے آواتمؤننبنییین کے مانا تمام امبیا سے جمانن موتاڈیڈر ہونے کو آڈالے اڈام کہا اور یہہ کہا کی اہلے فہم پر رشن ہے کی اس میں بیڈآت کؤڈ فڈیلت نہیں ۔ ہالاں کی ہڈرے اڈدس ﷺ نے آواتمؤننبنییین کے یہہ مانا ب کسرت اہادیس میں یرشاڈ فرماے⁽¹⁾ تو معاذاللہ اس کاڈل نے ہڈرے (ﷺ) کو اڈام میں داڈیل کیا اور اہلے فہم سے آاریج کیا، فیر اس نے آتمے جمانی کو مؤللکن¹ فڈیلت سے آاریج کیا، ہالاں کی اسی تآڈیڈرے جمانی کو ہڈرے (ﷺ) نے مکامے مڈھ میں جیکر فرمایا ۔

فیر سڈھا 4 پر لآآا : “آاپ مؤسؤف ب ورسفے نبوؤوت بیڈآت ہیں اور سیا آاپ کے اور نبی مؤسؤف ب ورسفے نبوؤوت بیل اڈرآ۔”⁽²⁾

1..... عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلاً وضعت هذه اللبنة قال فأننا اللبنة وأنا خاتم النبيين)).

”صحيح البخاري“، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، ج 2، ص 484، الحديث: 3030. وفي رواية: عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنه سيكون في امتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)).

”سنن الترمذي“، كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، الحديث: 2226، ج 4، ص 93. وفي رواية: عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)).

”المعجم الكبير“ للطبراني، الحديث: 3026، ج 3، ص 170. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعط أحد قبلنا، ولا يعطى أحد بعدنا، أنا خاتم النبيين... إلخ)).

”المعجم الكبير“ للطبراني، الحديث: 2607، ج 3، ص 57. وفي رواية: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر)).

”المعجم الأوسط“، للطبراني، ج 1، ص 63، الحديث: 170.

1..... پہلے تو بیڈآت کا پردا رآا آا فیر آیل آیلآ کی اسے مکامے مڈھ میں جیکر کرنا کسی ڈرہ سہیہ نہیں تو ساآبٹ ہوا کی وہہ اسلن کوڈ فڈیلت نہیں ۔ 12 مینہ

2..... “تہڈیرونااس”، آواتمؤننبنییین کا مانا، س. 6 :

رسول اللہ ﷺ کی خاتمت کو تصور فرمائیے۔ یعنی آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں، اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالمعنی ادروں کی

سفہا 16 : “بلیک بلیفہر آف کے جمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتمہ ہونا ب دسٹور باقی رہتا ہے ۔”(1)

سفہا 33 : “بلیک افر بلیفہر باڈے جمانے نوبی بھی کوئی نبی پید ا ہو تو بھی خاتمہ میڈتے مہممدی میں کوء فہر ن آےآا، آے آاے کی آپ کے مآاسیر(2) کسی اور جمانے میں، یا فہر کیجیے اسی جمانے میں کوئی اور نبی آچیجی کیا آاے ۔”(3)

لوءف یہہ کی اسی کایل نے ان تمام خوراآات کا اےآاڈے بندا ہونا خود تاسلیم کر لیا ۔

سفہا 34 پر ہے : “اگر ب وچھے کم ایلٹفاآی بڈوں کا فہم کسی مآمून تک ن پھنچا تو ان کی شان میں کیا نؤسان آا آا اور کسی آفله ناڈان(4) نے کوئی آکانے کی باآ کہ ڈی تو کیا اآنی باآ سے وہ اآجی موشان ہو آا...!

بغلط برہف زءآیرے(5)

گاؤ باشد کہ کوڈ ناداں

ہاں ! باڈے وؤجھے ہک(6) اگر فہر اسی وچھ سے کی یہہ باآ میں نے کہی اور وہ اگلے کہ آے، مری ن مانے اور وہ پراآی باآ آاے آاے تو کآے نآر اسی

1 “تہجی رننااس”، آاآ مونا بویآی ہونے کا ہکی کی مہم... الخ، س. 18 :

عن کیا تو آپ کا آام ہونا انبیاؑ کے شتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا۔ بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نجا ہو جب بھی آپ کا آام ہونا بدسٹور باقی رہتا ہے۔ مگر بھیہ اطلاق آام انبیاؑ اس باآ کو مقتضی ہے کہ اس لفظ

2 ہم جمانا ۔

3 “تہجی رننااس”، ریاآتے ہڑرتے اڈوللاہ ابنے اڈباس کی تہکیک، س. 34 :

میں آپ کی افضلیت ثابت ہو جائیگی بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلعم بھی کوئی نبی پید ا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیے اسی زمین میں کوئی اور نبی پید ا کیا جائے بالجہ نبوت اثر مذکور ونا مشیت خاتمیت ہے معاصرین و مخالف

4 نا سمآ بآا ۔

5 مومکن ہے کی ناڈان بآا آلتی سے آیر کو نشانے پر مارے ۔

6 ہک آاھر ہونے کے باڈ ۔

के कि कानूने महबूबते नबवी ﷺ से येह बात बहुत बईद है, वैसे भी अपनी अक्लो फहम की खूबी पर गवाही देती है।”⁽¹⁾

यहीं से जाहिर हो गया जो माना इस ने तराशे सलफ़ में कहीं इस का पता नहीं, और नबी ﷺ के ज़माने से आज तक जो सब समझे हुए थे उस को खयाले अ़वाम बता कर रद कर दिया कि इस में कुछ फ़ज़ीलत नहीं, उस काइल पर उलमाए हरमैने तय्यिबैन ने जो फ़तवा दिया वोह “हुसामुल हरमैन”⁽²⁾ के मुतालए से जाहिर।

और उस ने खुद भी इसी किताब के सफ़हा 46 में अपना इस्लाम बराए नाम तस्लीम किया।⁽³⁾

मुहई लाख पे भारी है गवाही तेरी

इन नाम के मुसलमानों से अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) बचाए।

①.....“तहज़ीरुन्नास”, रिवायते हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की तहकीक, स. 35 :

فنه انما يدعیه نہیں نقصان شان اور چیز ہے اور خطا و نسیان اور چیز اگر پرچم اتقاق
بڑوں کا ہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان آگیا اور کسی طفل
نادران نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا ہے
گاد یا شد کہ کو دک نادان بخلط بر بعد و زندقہ تیرے
ہاں بعد وضوح حق اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ لگے
کہہ گئے تھے میری زبانیں اور وہ پرانی بات گائے جائیں تو قطع نظر اس کے کہ قانون
محبت نبوی ﷺ علیہ وسلم سے یہ بات بہت بعید ہے ویسے بھی انہی عقل و فہم
کی خوبی پر گواہی دیتی ہے۔ پھر بایں ہمہ یہ اثر اگر حیرت انگیز موقوف سے مگر اسے

②.....اس किताब का पूरा नाम “حسام الحرمین علی منکر الکفر والکفر” है जिस में बद मज़हबों की कुफ़्रिया इबारात के रद में आला हज़रत के लिखे गए एक फ़तवे पर उलमाए हरमैने शरीफ़ैन की तकारीज़ व तस्दीकात हैं, इस किताब का मुतालआ हर मुसलमान के लिये मुफ़ीद है।

③.....“तहज़ीरुन्नास”, तफ़्सीर बिराय का मफ़हूम, स. 45.

इसी किताब के सफ़हा 5 पर है कि : “अम्बिया अपनी उम्मत से मुमताज़ होते हैं तो उलूम ही में मुमताज़ होते हैं, बाकी रहा अमल, इस में बसा अवकात ब जाहिर उम्मती मुसावी हो जाते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं।”⁽¹⁾

और सुनिये ! इन काइल साहिब ने हुज़ूर (ﷺ) की नबुव्वत को क़दीम और दीगर अम्बिया की नबुव्वत को हादिस बताया ।

सफ़हा 7 में है : “क्यूं कि फ़र्क़ किदमे नबुव्वत और हुदूसे नबुव्वत बा वुजूदे इत्तिहादे नौई ख़ूब जब ही चस्पां हो सकता है।”⁽²⁾

क्या ज़ातो सिफ़ात के सिवा मुसलमानों के नज़्दीक कोई और चीज़ भी क़दीम है...? नबुव्वत सिफ़त है और सिफ़त का वुजूद बे मौसूफ़ मुहाल, जब हुज़ूरे अक्दस ﷺ की नबुव्वत क़दीम ग़ैर हादिस हुई तो ज़रूर नबी ﷺ भी हादिस न हुए बल्कि अज़ली ठहरे और जो अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) व सिफ़ाते इलाहिय्यह के सिवा किसी को क़दीम माने ब इज्माए मुस्लिमीन काफ़िर है।⁽³⁾

1 “तहज़ीरुन्नास”, नबुव्वत कमालाते इल्मी में से है, स. 7 :

فرمائیے۔ دلیل اس دعویٰ کی یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو عام ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی سادھی ہو جاتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر قوت عملی اور بہت میں انبیاء امتیوں سے زیادہ بھی

2 “تहज़یرुन्ناس”, آں ہجرت ﷺ کے साथ نबुव्वत वस्फ़े जाती है, स. 9 :

كنت نبيا و آدم بين الماء والطين بھی اسی جانب متشیر ہے کیونکہ فرق قدم نبوت اور حدوث نبوت باوجود اتحاد نوعی ثوب جب ہی چسپاں ہو سکتا ہے کہ ایک جا رہے

3 आला हज़रत, अजीमुल मर्तबत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَزَّوَجَلَّ इरशाद फ़रमाते हैं : “ब इज्माए मुस्लिमीन किसी ग़ैरे खुदा को क़दीम मानने वाला क़त्अन काफ़िर है।” ज १४, स २६६ :

इसी तरह एक और मक़ाम पर नक्ल फ़रमाते हैं कि : “आइम्माए दीन फ़रमाते हैं : “जो किसी ग़ैरे खुदा को अज़ली कहे ब इज्माए मुस्लिमीन काफ़िर है।” “शिफ़ा” व “नसीम” में फ़रमाया :

(من اعترف بِلِلّٰهِ تَعَالٰى ووحْدانيته لَكُنْهٖ اَعْتَقَد قَدِيْمًا غَيْرَهٗ (أَي: غَيْر ذَاتِهٖ وَصِفَاتِهٖ، اِشَارَةً اِلَى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الْفَلَسَفَةُ مِنْ قَدِيْمِ الْعَالَمِ وَالْعُقُولِ) اَوْ صَانِعًا لِلْعَالَمِ سِوَاهٖ) كَالْفَلَسَفَةِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ: اِنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْدُر عَنْهٗ اِلَّا وَاحِدٌ) فَذٰلِكَ كُلُّهُ كُفْرٌ (وَمَعْتَقَدُهٗ كَافِرٌ بِاِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ، كَالْاِلَهِيْنَ مِنَ الْفَلَسَفَةِ وَالطَّبَاعِيْنَ) اِهٖ مَلْخَصًا. يٰنِي : जिस ने अल्लाह तआला की उलूहिय्यतो वहदानिय्यत का इक्कार किया लेकिन अल्लाह तआला के ग़ैर के क़दीम होने का एतिकाद रखा (यानी अल्लाह तआला की ज़ातो सिफ़ात के इलावा, येह फ़लासिफ़ा के मज़हब यानी आलम व उकूल के क़दीम होने की तरफ़ इशारा है) या अल्लाह तआला के सिवा किसी को सानेए आलम माना (जैसे फ़लासिफ़ा जो कि कहते हैं वाहिद से नहीं सादिर होता है मगर वाहिद) तो येह सब कुफ़्र है, (और इस के मोतकिद के काफ़िर होने पर मुसलमानों का इज्माअ है जैसे फ़लासिफ़ा का फ़िर्कए इलाहिय्यह और फ़िर्कए तबाएइय्या), तल्ख़ीस (त) १. १३१, स २७, ज २७, “الفتاوى الرضوية”, स १०, “مسئله السيف” ج १, स २३९, “الفتاوى الرضوية”.

اس گروہ کا یہہ اُمامِ شہادہ ہے کہ جس ائمہ میں مہربوبانہِ خدا کی فِجالیاتِ جَاحِر ہو، تَرہ تَرہ کی جُڑتی تابیلاات سے اسے بائیل کرنا چاہَے اور وہہ ائمہ سابع کرے جس میں تَنکیس⁽¹⁾ ہو، ماسلن “بَراہینِ کاتِا” سَفہا 51 میں لیل دیا کی :

“نَبی ﷺ کو دیوار کے پیچھے کا بھی اِلم نہیں”⁽²⁾

اور اس کو شَیخِ مہدیس دہلوی رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہ کی تَرَفِ غَلاتِ مَنسُوب کر دیا، بَلکِ اسی سَفہے پر وُسْطے اِلمے نَبی ﷺ کی بابت یہاں تک لیل دیا کی :

“اَلِ ہاسیلِ گور کرنا چاہیے کہ شَیطان و مَلکُ مائت کا ہال دیکھ کر اِلمے مہیتے جَمین کا فِخے اِلم کو خِلافاہِ نوسے کُڑیّا کے بیل دلیل مہج کِیا سے فاسیدا سے سابع کرنا شِک نہیں تو کون سا اِمان کا ہِسا ہے کہ شَیطان و مَلکُ مائت کو یہہ وُسْطے نَسس سے سابع ہُی، فِخے اِلم کی وُسْطے اِلم کی کون سی نَسس کُڑی ہے کہ جس سے تمام نوس کو رد کر کے اک شِک سابع کرتا ہے”⁽³⁾

جس وُسْطے اِلم کو شَیطان کے لیے سابع کرتا اور اس پر نَسس ہونا بیان کرتا ہے، اسی کو نَبی ﷺ کے لیے شِک بتاتا ہے تو شَیطان کو خدا کا شِریک مانا اور اسے آیت و ہدیس سے سابع جانا۔ بَشک شَیطان کے بندے شَیطان کو مُستَکِلِ خدا نہیں تو خدا کا شِریک کہنے سے بھی گے جُڑے، ہر مُسلمان اپنے اِمان کی آخوں سے دیکھ کہ اس کال نے اِلی سے لَیْن کے اِلم کو نَبی ﷺ کے اِلم سے جاید بتایا یا نہیں؟ جُڑ جاید بتایا! اور شَیطان کو خدا کا شِریک مانا یا نہیں؟

①.....اُجمتو شان دانا۔

②.....“بَراہینِ کاتِا” ب جواب “اَنوارے ساتِا”، مَسْالہ اِلمے گِی، س. 55 :

عَلَمِ اِسلام دے ہیں دِلہزہ اوری ہایفعل بی ولہ صغیر الحدیث اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ اُس کے سچے کامی علم نہیں اور مجلسِ شراح کا مسئلہ بھی جبرائیل وغیرہ کتب سے لکھا گیا نہیں ہے اگر افضلیت ہی موجب اس کی ہے تو تمام مسلمان اگر عیاق

③.....“بَراہینِ کاتِا” ب جواب “اَنوارے ساتِا”، مَسْالہ اِلمے گِی، س. 55 :

دور از علم و عقل ہے، اہلِ مصلِ حور کرنا چاہیے کہ شَیطان و مَلکُ الموت کا حال دیکھ کر اِلم عیظ زین کا فخر عالم کو خلافِ مَصروفِ قطب کے اِلی مصلِ قیاس کا سہ سے ثابت کرنا شِک نہیں تو کون سا اِمان کا حصہ شَیطان و مَلکُ الموت کو یہ وسعتِ نفس و ثباتِ ہوی، فخرِ عالم و وسعتِ علم کی کوئی نفس قطبی ہو کہ اس سے تمام مَصروف کو رد کر کے ایک شِک ثابت کرتا ہے اور خاصہ کی اُلویتِ تہذیب

جڑر مانا ! اور فیر اس شیک کو نسس سے سابیت کیا، یہہ تینوں اڈر ساریہ کوفر اور کاڈل یقینی کافر ہے، کون مسلمان اس کے کافر ہونے میں شک کرےگا..؟

“ہیفڑل ایمان” سفہا 7 میں ہڑر (ﷺ) کے ڈلم کی نیسبت یہہ تکریر کی :

“آپ کی جاتے مكدھسا پر ڈلمے گب کا ڈم کیا جانا اگر بکولے جڈ سہیہ ہو تو دریاقت تلرب یہہ اڈر ہے کی اس گب سے مراد باج گب ہے یا کول گب ؟ اگر باج ڈلمے گبیا مراد ہیں تو اس میں ہڑر کی کیا تڈسیس ہے ؟ عسا ڈلمے گب تو جڈ و اڈر، بلك هر سبى و مآن، بلك جمی اڈ ہوانا تو ہاڈم کے لیے ہی ہاسیل ہے ۔”(1)

مسلمانو ! گور کرو کی اس شڈس نے نبی ﷺ کی شان میں کسے ساریہ گستاخی کی، کی ہڑر (ﷺ) جسا ڈلم جڈ و اڈر تو جڈ و اڈر، هر بآه اور پاگل، بلك تمام جانوروں اور آوپاؤں کے لیے ہاسیل ہونا کہا، کیا ایمانی کلب عسے شڈس کے کافر ہونے میں شک کر سکتے ہیں...؟ هرگیڈ نہیں !

اس کوم کا یہہ آام تریکا ہے کی جس آج کو اللہ (ﷻ) و رسول (ﷺ) نے مآ نہیں کیا، بلك كورانو ہڈس سے اس کا جواج سابیت، اس کو مآ اڈر کہنا تو در کنار، اس پر شیکو بیدآت کا ڈم لگا دتے ہیں، مسلان مآل سے مالا شریف اور قیام و عسالے سواب و جیارے کور و ہاجرے باراھے بکس پناہ سرکارے مڈن ع تریبا، و ڈسے بوجرانے دین و فاتیہ سیم و آهللم، و استمداد ب ارواھے امبیا و اولیا(2) اور موسیبت کے وکت امبیا و اولیا کو پکارنا وگیرہا، بلك مالا شریف کی نیسبت تو “براہینے کاتے اڈا” سفہا 148 میں یہہ نا پاک لفظ لیخے :

①.....“ہیفڑل ایمان”، جواب سبالے سیم، س. 13 :

ساو یا پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر قبول نہ ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں ضروری کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب تو نزدیک و دور بلکہ ہر صبی دیکھ، و مآن دیکھ، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے

②.....یانی : امبیا و اولیا کی روء سے مدد تلرب کرنا ।

“پس یہ ہر روج اڈا ولاءت کا تو ملسل ہنود کے، کس ساڭ کئہیا⁽¹⁾ کی ولاءت کا ہر سال کرتے ہئں، یا ملسل روافیج کے، کس نکلے شہادتے اہلے بئت ہر سال بناتے ہئں، معاڈ اللہ⁽²⁾ ساڭ⁽³⁾ آپ کی ولاءت کا اٹہرا اور خؤد ہرکاتے کبہا⁽⁴⁾ کاہلے لؤم⁽⁵⁾ و ہرام و فیسک ہئ، بلسک یہ لؤگ اس کؤم سے بڈ کر ہؤ، وؤہ تو تارے موءنن پر کرتے ہئں، ان کے یہاں کؤی کؤد ہی نہئں، جب چاہئں یہ خؤرافاۓ فؤرئ بتاتے ہئں۔”⁽⁵⁾

①.....کئہیا ہنؤؤں کے اک اوتار کؤن کا لکب ہئ۔ (“فؤرؤجؤلؤگات” س. 1095) ہنؤ لؤگ ہر سال وکۓ موءنن پر اس کی پؤاؤش کا ڈراما کرتے ہئں۔

②.....یانی تماشا۔

③.....بؤری ہرکت۔

④.....ملامت کے لاءک۔

⑤.....“براہنہ کاتؤا”، نکل فتوا رشؤد اہمؤ گؤگؤہئ... إلخ، س. 152

ہوتا چاہئے اب ہر روز کؤسی ولاءت مکرہوتی سے ہئں یہ ہر روز اءادہ ولاءت کاؤش ہنؤ کے کہ ساڭ گئہیا کی ولاءت کا ہر سال کئے ہئں
بلسل روافیج کے کہ نقل شہادت اہل بیت ہر سال بناتے ہئں معاڈ اللہ ساڭ آپ کی ولاءت کا ہئٹ اور خؤد یہ حرکت ہئٹ قابل اؤم و حرام
مؤنن سے بلکہ یہ لؤگ اس قوم سے بڑھ کر ہؤئے وہ تواتر معین پر کرتے ہئں ان کے یہاں کؤی قئدہ نہئں جب چاہے یہ خرافات فؤرئ بتائؤ
ہئں اور اس پر کہ شرع میں کہئں فؤلہی نہئں کہ کؤی امر فؤرئ ہئٹ اگر حقیقت کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے بلکہ یہ شرع میں حرام سے لہذا

(4) **गैर मुकल्लिदीन** : येह भी वहाबियत ही की एक शाख है, वोह चन्द बातें जो हाल में वहाबिया ने अल्लाह عَزَّوَجَلَّ और नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की शान में बकी हैं, गैर मुकल्लिदीन से साबित नहीं, बाकी तमाम अकाइद में दोनों शरीक हैं और इन हाल के अशद देवबन्दी कुफ़्रों में भी वोह यूँ शरीक हैं कि इन पर उन काइलों को काफ़िर नहीं जानते और उन की निस्बत हुक्म है कि जो उन के कुफ़्र में शक करे, वोह भी काफ़िर है। एक नम्बर इन का जाइद येह है कि चारों मज़हबों से जुदा, तमाम मुसलमानों से अलग इन्हों ने एक राह निकाली, कि तक्लीद को हराम व बिद्अत कहते और अइम्माए दीन को सब्बो शत्म से याद करते हैं, मगर हकीकतन तक्लीद से खाली नहीं, अइम्माए दीन की तक्लीद तो नहीं करते, मगर शैताने लईन के ज़रूर मुकल्लिद हैं। येह लोग क़ियास के मुन्किर हैं और क़ियास का मुत्लक़न इन्कार कुफ़्र, (1) तक्लीद के मुन्किर हैं और तक्लीद का मुत्लक़न इन्कार कुफ़्र। (2)

मस़ाला 1

मुत्लक़ तक्लीद फ़र्ज़ है (3) और तक्लीदे शख़्सी वाजिब। (4)

ज़रूरी तम्बीह : वहाबियों के यहां बिद्अत का बहुत खर्च है, जिस चीज़ को देखिये बिद्अत है, लिहाज़ा बिद्अत किसे कहते हैं इसे बयान कर देना मुनासिब मालूम होता है। बिद्अते मज़्मूमा व क़बीहा वोह है जो किसी सुन्नत के मुख़ालिफ़ व मुज़ाहिम हो, (5) और येह मक्रूह या हराम है। और मुत्लक़ बिद्अत तो मुस्तहब, बल्कि सुन्नत, बल्कि वाजिब तक होती है। (6).....

1 في "الفتاوى الهندية"، الباب التاسع، أحكام المرتدين، ج ٢، ص ٢٧١: (رجل قال: قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى

حق نیست يكفر كذا في "التتارخانية"). "الفتاوى الرضوية"، كتاب السير، ج ١٤، ص ٢٩٢.

2 "الفتاوى الرضوية"، كتاب السير، ج ١٤، ص ٢٩٠.

3 "الفتاوى الرضوية"، ج ١١، ص ٤٠٤، ج ٢٩، ص ٣٩٢.

4 "الفتاوى الرضوية"، ج ٦، ص ٧٠٣ - ٧٠٤.

5 في "المراقبة"، كتاب الإيمان، ج ١، ص ٣٦٨: (قال الشافعي رحمه الله: (ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو

الأثر أو الإجماع فهو ضلالة، وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئاً من ذلك فليس بمذموم).

6 في "المراقبة"، كتاب الإيمان، ج ١، ص ٣٦٨: (قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد: البدعة إما

واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله ورسوله، وكتدوين أصول الفقه والكلام في الجرح والتعديل، وإما محرمة كمذهب

الجبرية والقدرية والمرجئة والمجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة؛ لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية،

وإما مندوبة كإحداث الربط والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في الصدر الأوّل وكالتراويح أي: بالجماعة العامة والكلام في دقائق

हज़रत अमीरुल मुअमिनीन उमर फ़ारूके आज़म رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ तरावीह की निस्बत फ़रमाते हैं :

((نُعَمَّتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ..))⁽¹⁾

“येह अच्छी बिद्अत है।”

हालां कि तरावीह सुन्नते मुअक्कदा है⁽²⁾, जिस अम्र की अस्ल शरअ शरीफ़ से साबित हो वोह हरगिज़ बिद्अते क़बीहा नहीं हो सकता, वरना खुद वहाबिया के मदारिस और उन के वाज़ के जल्से, इस हैअते ख़ास्सा के साथ ज़रूर बिद्अत होंगे। फिर उन्हें क्यूं नहीं मौकूफ़ करते...? मगर उन के यहां तो येह ठहरी है कि महबूबाने खुदा की अज़मत के जितने उमूर हैं, सब बिद्अत और जिस में इन का मतलब हो, वोह हलाल व सुन्नत।

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

الصوفية، وإمّا مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف يعني عند الشافعية، وأمّا عند الحنفية فمباح، والتوسع في لذائذ المآكل والمشارب والمساكن وتوسيع الأكمّام، وقد اختلف في كراهة بعض ذلك أي: كما قدمنا..... وقال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمت البدعة. وروي عن ابن مسعود: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن))، وفي حديث مرفوع: ((لا يجتمع أمتي على الضلالة)) رواه مسلم، ملخصاً.

① عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنّه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: (والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب، قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني: آخر الليل وكان الناس يقومون أوله).

”الموطأ“ للإمام مالك، كتاب الصلاة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، الحديث: ٢٥٥، ج ١، ص ١٢٠.

و”صحيح البخاري“، كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، الحديث: ٢٠١٠، ج ٢، ص ١٥٧.

② في ”الدر المختار“، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح، (التراويح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين للرجال

والنساء إجماعاً). ج ٢، ص ٥٩٦-٥٩٧.

इमामत का बयान

इमामत दो² किस्म है :

(1) सुग़रा । (2) कुब्रा ।⁽¹⁾

इमामते सुग़रा, इमामते नमाज़ है⁽²⁾, इस का बयान **كِتَابُ سَلَاتِ** में आया ।

इमामते कुब्रा नबी **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** की नियाबते मुतलका, कि हुज़ूर (**صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**) की नियाबत से मुसलमानों के तमाम उमूरे दीनी व दुन्यवी में हस्बे शरअ तसरुफ़े आ़म का इख़्तियार रखे और ग़ैरे मासियत में उस की इत्ताअत, तमाम जहान के मुसलमानों पर फ़र्ज़ हो ।⁽³⁾ इस इमाम के लिये मुसलमान, आज़ाद, अक़िल, बालिग़, कादिर, क़रशी होना शर्त है । हाशिमि, अलवी, मासूम होना इस की शर्त नहीं ।⁽⁴⁾ इन का शर्त करना रवाफ़िज़ का मज़हब है, जिस से उन का येह मक्सद है कि बरहक़ उमराए मोमिनीन खुलफ़ाए

① (هي صغرى وكبرى). "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٣١.

② (والصغرى ربط صلاة المؤتم بالإمام) "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٣٧.

③ في "المقاصد"، الفصل الرابع في الإمامة، ج ٣، ص ٤٩٦: (الإمامة: وهي رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وفي "المسامرة"، الأصل السابع في الإمامة، ص ٢٩٥: (الإمامة بأنها خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة).

و"رد المختار"، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٣٢.

وفي "شرح المقاصد"، الفصل الرابع في الإمامة، ج ٣، ص ٤٧٠: (يجب طاعة الإمام ما لم يخالف حكم الشرع).

④ في "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٣٣: (ويشترط كونه مسلماً حراً ذكراً عاقلاً بالغاً قادراً قرشياً، لا هاشمياً علوياً معصوماً).

وفي "شرح العقائد النسفية"، مبحث الإمامة، ص ١٥٦: (ولا يشترط أن يكون هاشمياً أو علوياً، ولا يشترط في الإمام أن يكون معصوماً). ملتقطاً.

وفي "المعتقد المنتقد"، الباب الرابع في الإمامة، ص ١٩٠-١٩١: (ولا يشترط كونه هاشمياً، ولا معصوماً؛ لأن العصمة من خصائص الأنبياء). ملتقطاً.

सलासा अबू बक्र सिदीक़ व उमरे फ़ारूक़ व उस्माने ग़नी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ को ख़िलाफ़त से जुदा करें⁽¹⁾, हालां कि इन की ख़िलाफ़तों पर तमाम सहाबए किराम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ का इजमाअ है।⁽²⁾ मौला अली कَرِमُ اللهِ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ व हज़राते हसनैन رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ने इन की ख़िलाफ़तें तस्लीम कीं⁽³⁾.....

① في "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكبرى، ج ٢، ص ٣٣٣ - ٣٣٤: قوله: لا هاشمياً... (الخ) أي: لا يشترط كونه هاشمياً: أي: من أولاد هاشم بن عبد مناف كما قالت الشيعة نفياً لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، ولا علويّاً: أي: من أولاد عليّ بن أبي طالب كما قال به بعض الشيعة نفياً لخلافة بني العباس، ولا معصوماً كما قالت الإسماعيلية والاثنا عشرية: أي: الإمامية).

② في "شرح المقاصد"، المبحث الثاني، الشروط التي تحب في الإمام، ج ٣، ص ٤٨٢: (وكفى بإجماع المسلمين على إمامة الأئمة الثلاثة حجة عليهم).

③ आला हज़रत, अजीमुल बरकत, अजीमुल मर्तबत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلِيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن "फ़तावा रज़विय्या" शरीफ़ जि. 28, स. 472-473 में फ़रमाते हैं : इमाम इस्हाक़ बिन राहवैह व दार कुतनी व इब्ने असाकिर वग़ैरहुम ब तुरुक़े अदीदा व असानीदे कसीरा रावी, दो शख़्सों ने अमीरुल मुअमिनीन मौला अली कَرِमُ اللهِ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ से उन के ज़मानए ख़िलाफ़त में दरबारे ख़िलाफ़त इस्तिफ़सार किया : क्या येह कोई अहद व क़रार दाद हुज़ूरे अक़दस صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّم की तरफ़ से है या आप की राय है। फ़रमाया : بل رأي رائیة بلكي हमاری رای है येह रहा : أما أن يكون عندي عهد من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عهدہ الیّ في ذلك فلا والله لئن كنت أول من صدّق به فلا أكون أول من كذب عليه. कि अस्बाब में मेरे लिये हुज़ूरे पुरनूर صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّم ने कोई ओहदा क़रार दाद फ़रमा दिया हो सो खुदा की क़सम ऐसा नहीं, अगर सब से पहले मैं ने हुज़ूर की तस्दीक़ की तो मैं सब से पहले हुज़ूर पर इफ़तिरा करने वाला न होऊंगा, ولو كان عندي منه عهد في ذلك ما تركت أنا بني تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يثوبان على منبره ولقاتلتهم بيدي ولولم أجد إلا بردتي هذه और अगर अस्बाब में हुज़ूरे वाला صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّم की तरफ़ से मेरे पास कोई अहद होता तो मैं अबू बक्र व उमर को मिम्बरे अत्हर हुज़ूरे अक़दस صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّم पर जस्त न करने देता और बेशक अपने हाथ से उन से क़िताल करता अगरचें अपनी इस चादर के सिवा कोई साथी न पाता

ولكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقتل قتلاً ولم يمت فجأة مكث في مرضه أياماً وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة

فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني

बात येह हुई कि रसूलुल्लाह (مَعَادُ اللهِ) صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّم कुछ क़त्ल न हुए न यकायक इन्तिक़ाल फ़रमाया बल्कि कई दिन रात हुज़ूर को मरज़ में गुज़रे, मुअज़्ज़िन आता नमाज़ की इत्तिलाअ देता, हुज़ूर अबू बक्र को इमामत का हुक्म फ़रमाते हालां कि मैं हुज़ूर के पेशे नज़र मौजूद था, फिर मुअज़्ज़िन आता इत्तिलाअ देता हुज़ूर अबू बक्र ही को इमामत देते हालां कि मैं कहीं गाइब न था,

और खुदा की क़सम وَلَقَدْ أَرَادَتْ إمرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال: أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّم अज़्वाजे मुतहहरात में से एक बीबी ने इस मुअमले को अबू बक्र से फेरना चाहा था, हुज़ूरे अक़दस صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّم ने न माना और ग़ज़ब किया और फ़रमाया तुम वोही यूसुफ़ (عَلَيْهِ السَّلَام) वालियां हो, अबू बक्र को हुक्म दो कि فَلَمَّا قَبِضَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضي رسول الله

और अलविज्यत की शर्त ने तो मौला अली को भी खलीफा होने से खारिज कर दिया, मौला अली, अलवी कैसे हो सकते हैं ! रही इस्मत, यह अम्बिया व मलाएका का खास्सा है, जिस को हम पहले बयान कर आए⁽¹⁾, इमाम का मासूम होना रवाफिज़ का मज़हब है।⁽²⁾

मसूला 1

महज़ मुस्तहिक्के इमामत होना इमाम होने के लिये काफ़ी नहीं, बल्कि ज़रूरी है कि अहले हल्लो अक्द⁽³⁾ ने उसे इमाम मुकरर किया हो, या इमामे साबिक ने।⁽⁴⁾

صلى الله تعالى عليه وسلم لدينا فكانت الصلوة عظيم الإسلام وقوام الدين، فبايعنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه فكان لذلك أهلاً لم يختلف عليه منا اثنان پس जब कि हुज़रे पुरनूर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने इन्तिकाल फ़रमाया हम ने अपने कामों में नज़र की तो अपनी दुनिया यानी ख़िलाफ़त के लिये उसे पसन्द कर लिया जिसे रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने हमारे दीन यानी नमाज़ के लिये पसन्द फ़रमाया था कि नमाज़ तो इस्लाम की बुजुर्गी और दीन की दुरुस्ती थी लिहाज़ा हम ने अबू बक्र رضي الله تعالى عنه से बैअत की और वोह इस के लाइक् थे हम में किसी ने इस बारे में ख़िलाफ़ न किया। येह सब कुछ इरशाद कर के हज़रते मौला अली كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْأَعْلَى ने फ़रमाया :

فاذيت إلى أبي بكر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده وكنت اخذاً إذا أعطاني وأغزو إذا غزاني وأضرب بين يديه الحدود بسوطي. پس मैं ने अबू बक्र को उन का हक़ दिया और उन की इताअत लाज़िम जानी और उन के साथ हो कर उन के लश्करो में जिहाद किया जब वोह मुझे बैतुल माल से कुछ देते मैं ले लेता और जब मुझे लड़ाई पर भेजते मैं जाता और उन के सामने अपने ताजियाने से हद लगाता..... फिर बि ऐनिही येही मज़मून अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके आजम व अमीरुल मुअमिनीन उस्माने ग़नी की निस्बत इरशाद फ़रमाया, رضى الله تعالى عنهم اجمعين. "ابن عساکر"، ج ۲، ص ۴۴۲.

①देखें इसी किताब का सफ़हा नम्बर 38।

② "في شرح المقاصد"، المبحث الثاني، الشروط التي تجب في الإمام، ج ۳، ص ۴۸۴: (من معظم الخلافات مع الشيعة اشتراطهم أن يكون الإمام معصوماً).

③दीनी और दुनियावी इन्तिज़ामी मुआमलात को जानने वाले।

④ "في الفقه الأكبر"، نصب الإمام واجب، ص ۱۴۶: (الإمامة تثبت عند أهل السنة والجماعة إما باختيار أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب العدل والرأي كما تثبت إمامة أبي بكر رضي الله عنه، وإما بتنصيب الإمام وتعيينه كما تثبت إمامة عمر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه).

وفي "المسامرة"، ما يثبت عقد الإمامة، ص ۳۲۶: (ويثبت عقد الإمامة) بأحد أمرين: (إما باستخلاف الخليفة إياه كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه) حيث استخلف عمر رضي الله عنه، وإجماع الصحابة على خلافته بذلك إجماع على صحة الاستخلاف، (وإما ببيعة) من تعتبر ببيعة من أهل الحل والعقد، ولا يشترط ببيعة جميعهم، ولا عدد محدود، بل يكفي بيعة (جماعة من العلماء أو جماعة (من أهل الرأي والتدين).

मस्अला 2

इमाम की इताअत मुत्लकन हर मुसलमान पर फर्ज है, जब कि उस का हुक्म शरीअत के खिलाफ न हो, खिलाफे शरीअत में किसी की इताअत नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 3

इमाम ऐसा शख्स मुकर्रर किया जाए, जो शुजाअ और अलिम हो, या उलमा की मदद से काम करे।

मस्अला 4

औरत और ना बालिग की इमामत जाइज नहीं⁽²⁾, अगर ना बालिग को इमामे साबिक ने इमाम मुकर्रर कर दिया हो तो उस के बुलूग तक के लिये लोग एक वाली मुकर्रर करें कि वोह अहकाम जारी करे और येह ना बालिग सिर्फ रस्मी इमाम होगा और हकीकतन उस वक्त तक वोह वाली इमाम है।⁽³⁾

1..... ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ پ ۵، النساء: ۵۹.

في "تفسير المدارك"، ص ۲۳۴، تحت الآية: (دلت الآية على أن طاعة الأمراء واجبة إذا وافقوا الحق، فإذا خالفوه فلا طاعة لهم لقوله عليه السلام: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق))).

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)). "صحيح البخاري"، كتاب الجهاد، باب السمع والطاعة للإمام، الحديث: ۲۹۵۵، ج ۲، ص ۲۹۷.
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)).

"صحيح البخاري"، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، الحديث: ۷۱۴۴، ج ۴، ص ۴۵۵.

"صحيح مسلم"، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء..... إلخ، الحديث: ۱۸۳۹، ص ۱۰۰۸.

في "الدر المختار": (طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض).

وفي "رد المحتار": (والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم: ((اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع)))، وروي: ((مجدع)). وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بمنكر))، ففي المنكر لا سمع ولا طاعة).

"الدر المختار" مع "رد المحتار"، كتاب الجهاد، باب البغاة، ج ۶، ص ۴۰۳-۴۰۴.

2..... في "المسامرة" بشرح "المسائرة"، الأصل التاسع: شروط الإمام، ص ۳۱۸: (لا تصح إمامة الصبي والمعتوه؛ لقصور كل منهما عن تدبير نفسه، فكيف تدبير الأمور العامة؟..... وأن إمامة المرأة لا تصح؛ إذ النساء ناقصات عقل ودين كما ثبت به الحديث الصحيح)، ملتقطاً.

3..... في "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۲، ص ۳۳۵-۳۳۶: وتصح سلطنة متغلب للضرورة، وكذا صبي. وينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال تابع له، والسلطان في الرسم هو الولد، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة إذنه بقضاء

अक्बिदा 1

नबी ﷺ के बाद खलीफ़ाए बरहक़ व इमामे मुल्लक़ हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़, फिर हज़रत उमरे फ़ारूक़, फिर हज़रत उस्माने ग़नी, फिर हज़रते मौला अली फिर छे महीने के लिये हज़रत इमामे हसन मुज्ताबा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ हुए⁽¹⁾, इन हज़रात को खुलफ़ाए राशिदीन और इन की ख़िलाफ़त को ख़िलाफ़ते राशिदा कहते हैं⁽²⁾, कि इन्होंने ने हज़ूर (ﷺ) की सच्ची नियाबत का पूरा हक़ अदा फ़रमाया ।

अक्बिदा 2

बादे अम्बियाओ मुरसलीन, तमाम मख़्लूक़ाते इलाही इन्सो जिनो मलक से अफ़ज़ल सिद्दीके अक्बर हैं । फिर उमर फ़ारूके आज़म, फिर उस्माने ग़नी, फिर मौला अली رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ⁽³⁾.....

و جمعة كما في "الأشباه" عن "البرازية"، وفيها: لو بلغ السلطان أو الوالي يحتاج إلى تقليد جديد).

وفي "رد المحتار"، تحت قوله: (وكذا صبي) أي: تصحّ سلطنته للضرورة، لكن في الظاهر لا حقيقة. قال في "الأشباه": وتصحّ سلطنته ظاهراً، قال في "البرازية": مات السلطان وافقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن تفوّض أمور التقليد على وال، ويعتد هذا الوالي نفسه تبعاً لابن السلطان لشرفه والسلطان في الرسم هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له أ. أي: لأنّ الوالي لو لم يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصحّ إذنه بالقضاء والجمعة، لكن ينبغي أن يقال: إنّه سلطان إلى غاية وهي بلوغ الابن، لئلا يحتاج إلى عزله عند تولية ابن السلطان إذا بلغ. تأمل).

① في "منح الروض الأزهر"، ص ٦٨: (خلافة النبوة ثلاثون، منها خلافة الصديق رضي الله عنه سنتان وثلاثة أشهر، وخلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين ونصف، وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتا عشرة سنة، وخلافة علي رضي الله عنه أربع سنين وتسعة أشهر، وخلافة الحسن ابنه ستة أشهر).

في "شرح العقائد النسفية"، مبحث أفضل البشر بعد نبينا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلخ، ص ١٥٠: (وخلافتهم أي: نيابتهم عن الرسول في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع على هذا الترتيب أيضاً يعني: أنّ الخلافة بعد رسول الله عليه السلام لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله تعالى عنهم).

وفي "النبراس"، وخلافة الخلفاء الراشدين، ص ٣٠٨: (في رواية: الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً عضواً، وقد استشهد علي رضي الله عنه على رأس ثلاثين سنة أي: نهايتها من وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تقريب، والتحقيق أنّه كان بعد علي نحو ستة أشهر باقية من ثلاثين سنة وهي مدة خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما). و"المسامرة"، ص ٣١٦.

② في "فيض القدير"، ج ٤، ص ٦٦٤، تحت الحديث: ٦٠٩٦: ((وسنة)) أي: طريقة ((الخلفاء الراشدين المهديين)) والمراد بالخلفاء الأربعة والحسن رضي الله عنهم).

③ في "شرح العقائد النسفية"، مبحث أفضل البشر بعد نبينا... إلخ، ص ١٤٩ - ١٥٠: (وأفضل البشر بعد نبينا (أي: بعد الأنبياء) أبو بكر الصديق، ثم الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى)، ملخصاً.

= وفي "منح الروض الأزهر"، للقارئ، باب أفضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة على إلخ، ص ٦١ - ٦٣: (وأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين).

आला हज़रत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عليه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن "फ़तावा रज़विय्या" शरीफ़ में फ़रमाते हैं : "अहले सुन्नत व जमाअत رضي الله تعالى وتعالى के बाद हज़रते खुलफ़ाए अरबआ رضي الله تعالى عنهم तमाम मख़्लूक़े इलाही से अफ़ज़ल हैं, तमाम उममे अव्वलीनो आख़िरीन में कोई शख़्स इन की बुजुर्गी व अज़मत व इज़ज़तो वजाहत व क़बूलो करामत व कुर्बो विलायत को नहीं पहुंचता ।"

﴿وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ फ़ज़ल अल्लाह तआला के हाथ में है जिसे चाहे अता फ़रमाए, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है (त) ।

फिर इन में बाहम तरतीब यूँ है कि सब से अफ़ज़ल सिद्दीके अक्बर, फिर फ़ारूके आज़म फिर उस्माने ग़नी, फिर मौला अज़ली صلى الله تعالى على سيدهم، ومولاهم وآله عليهم وبارك وسلم । इस मज़हबे मुहज़ज़ब पर आयाते कुरआने अज़ीम व अह़ादीसे कसीरए हुज़ुरे पुरनूर नबिय्ये करीम عليه وعلى آله وصحبه الصلوة والتسليم व इरशादाते जलीलए वाज़िहए अमीरुल मुअमिनीन मौला अलिय्युल मुर्तज़ा व दीगर अइम्माए अहले बैत त़हारत व ईर्तिज़ा व इम्माए सहाबए किराम व ताबेईने इज़ाम व तसरीहाते औलियाए उम्मत व उलमाए उम्मत رضي الله تعالى عنهم से वोह दलाइले बाहिरा व हुजजे क़ाहिरा हैं जिन का इस्तीआब नहीं हो सकता । . ४७८, ज २८, "الفنّاوى الرضوية", ص ४७८.

इसी तरह आला हज़रत عليه الرّحمة एक और मक़ाम पर इरशाद फ़रमाते हैं :

अब इन सब में अफ़ज़लो आला व अक़मल हज़रते अशरए मुबशशरा हैं वोह दस सहाबी जिन के क़त्ई जन्मती होने की बिशारत व खुश ख़बरी **रसूलुल्लाह** صلى الله تعالى عليه وسلم ने उन की ज़िन्दगी ही में सुना दी थी वोह अशरए मुबशशरा कहलाते हैं । यानी हज़रते खुलफ़ाए अरबआ राशिदीन, हज़रते तल्हा बिन उबैदुल्लाह, हज़रते जुबैर बिन अव्वाम, हज़रते अब्दुरहमान बिन औफ़, हज़रते सअद बिन अबी वक्कास, हज़रते सईद बिन जैद, हज़रते अबू उबैदा बिन ज़र्राह ।

ده يار شش اند
بو بكر وعمر عثمان وعلي
سعدت سعيد ووعبيده
طلحت وزبير وعبد الرحمن

और इन में खुलफ़ाए अरबआ رضي الله تعالى عنهم और इन चार अरकाने क़से मिल्लत (मिल्लते इस्लामिय्या के आलीशान महल के चार सुतूनों) व चार अन्हारे बागे शरीअत (और गुलिस्ताने शरीअत की इन चार नहरों) के ख़साइसो फ़ज़ाइल, कुछ ऐसे रंग पर वाक़ेअ हैं कि इन में से जिस किसी की फ़ज़ीलत पर तन्हा नज़र कीजिये येही मालूम (व मुतबादिर व मफ़हूम) होता है कि जो कुछ हैं येही हैं इन से बढ़ कर कौन होगा !

بهر گله که ازین چار باغ می گزم

بهار دامن دلی کشد که جانی ناست

(इन चार बाग़ों में से जिस फूल को मैं देखता हूँ तो बहार मेरे दिल के दामन को खींचती है कि अस्ल

जगह तो येही है) ।

अलल खुसूस शम्पु शबिस्ताने विलायत, बहारे चमनिस्ताने मारिफत, इमामुल वासिलीन, सय्यिदुल आरिफीन, (वासिलाने हक के इमाम अहले मारिफत के पेश्वे) खातिमे खिलाफते नबुव्वत, फतेहे सलासिले तरीकत, मौलल मुस्लिमीन, अमीरुल मुअमिनीन अबुल अइम्मतुताहिरीन (पाक तीनत, पाकीजा ख़स्लत, इमामों के जदे अमजद ताहिरे मुतहहर, कासिमे कौसर, असदुल्लाहिल ग़ालिब, मज़हरुल अजाइब वल ग़राइब, मतलूबे कुल्ले तालिब, सय्यिदुना व मौलाना अली बिन अबी तालिब كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ وَحُشِرْنَا فِي زَمَرَتِهِ فِي يَوْمٍ عَقِيمٍ कि इस जनाबे गर्दू कुबाब (जिन के कुब्बे की कलस आस्मान बराबर है उन) के मनाकिबे जलीला (औसाफ़े हमीदा) व महामिदे जमीला (ख़साइले हसना) जिस कस्सतो शोहरत के साथ (कसीर व मशहूर ज़बान ज़दे आमो ख़वास) हैं दूसरे के नहीं।

(फिर) हज़राते शैख़ैन, साहिबैन सहरेन (कि इन की साहिब जादियां हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के शरफ़े जौजियत से मुशरफ़ हुई और उम्माहातुल मुअमिनीन मुसलमानों ईमान वालों की माएं कहलाई) वज़ीरैन (जैसा कि हदीस शरीफ़ में वारिद कि मेरे दो वज़ीर आस्मान पर हैं जिब्राईल व मीकाईल और दो वज़ीर ज़मीन पर हैं अबू बक्र व उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا अमीरैन (कि हर दो अमीरुल मुअमिनीन हैं) मुशीरैन (दोनों हुज़ुरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की मजलिसे शूरा के रुकने आज़म) ज़जीऐन (हम ख़्वाजा और दोनों अपने आकाओ मौला के पहलू ब पहलू आज भी मसरूफ़े इस्तिराहत) रफ़ीक़ैन (एक दूसरे के यारो ग़म गुसार) सय्यिदुना व मौलाना अब्दुल्लाह अल अतीक अबू बक्र सिदीक व जनाबे हक़ मआब अबू हफ़्स उमरे फ़ारूक़ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا की शाने वाला सब की शानों से जुदा है और उन पर सब से ज़ियादा इनायते खुदा جَلَّ جَلَالُهُ और रसूले खुदा صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ है बाद अम्बियाओ मुरसलीन व मलाएकए मुकर्रबीन के जो मर्तबा उन का खुदा के नज़्दीक है दूसरे का नहीं और रब तबारक व तआला से जो कुर्बो नज़्दीकी और बारगाहे अर्श इश्तिबाहे रिसालत में जो इज़्ज़तो सर बुलन्दी उन का हिस्सा है औरों का नसीबा नहीं और मनाज़िले जन्नत व मवाहिबे बे मन्नत में उन्हीं के दरजात सब पर आली फ़ज़ाइल व फ़वाज़िल (फ़ज़ीलतों और खुसूसी बख़्शिशों) व हसनाते तय्यिबात (नेकियों और पाकीजगियों) में उन्हीं को तक्दुम व पेशी (येही सब पर मुक़द्दम, येही पेश पेश) हमारे उलमा व अइम्मा ने इस (बाब) में मुस्तक़िल तस्नीफ़ें फ़रमा कर सआदते कौनैन व शराफ़ते दारैन हासिल की (इन के ख़साइल तहरीर में लाए, इन के महासिन का ज़िक्र फ़रमाया इन के अव्वलिय्यात व खुसूसिय्यात गिनाए) वरना ग़ैर मुतनाही (जो हमारे फ़हमो फ़िरासत की रसाई से मा वरा हो उस) का शुमार किस के इख़्तियार, वल्लाहुल अज़ीम अगर हज़ारों दफ़तर इन के शर्हे फ़ज़ाइल (और बस्ते फ़वाज़िल) में लिखे जाएं यके अज़ हज़ार तहरीर में न आए।

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يعني الزمان وفيه مالم يوصف

(और उस के हुस्न की तारीफ़ करने वालों की उम्दा बयानी की बुन्याद पर ज़माना ग़नी हो गया और उस में ऐसी खूबियां हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता)

मगर कस्सते फ़ज़ाइल व शोहरते फ़वाज़िल (कसीर दर कसीर फ़ज़ीलतों का मौजूद और पाकीजा व बरतर इज़्ज़तों मर्हमतों का मशहूर होना) चीज़े दीगर (और बात है) और फ़ज़ीलतो करामत (सब से अफ़ज़ल और बारगाहे इज़्ज़त में सब से ज़ियादा करीब होना) अग्रे आख़िर (एक और बात है इस से जुदा व मुमताज़) फ़ज़ल अल्लाह तआला के हाथ है जिसे चाहे अता फ़रमाए। **﴿قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾**

उस की किताबे करीम और उस का रसूले अज़ीम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ अलल एलान गवाही दे रहे हैं। हज़रत इमामे हसन رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ अपने वालिदे माजिद मौला अली كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ से रिवायत करते हैं :

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

कि फरमाते हैं :

((كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر، فقال: يا علي: هذان سيّدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين)). "المسند" للإمام أحمد، الحديث: ٦٠٢، ج ١، ص ١٧٤.

"سنن الترمذي"، كتاب المناقب، الحديث: ٣٦٨٥، ج ٥، ص ٣٧٦.

و"سنن ابن ماجه"، كتاب السنة، فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الحديث: ١٠٠، ج ١، ص ٧٥.

"मैं खिदमते अक़दस हुज़ूर अफ़ज़लुल अम्बिया صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم में हाज़िर था कि अबू बक्र व उमर सामने आए हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم ने इरशाद फ़रमाया कि : अली ! येह दोनों सरदार हैं अहले जन्नत के सब बूढ़ों और जवानों के, बाद अम्बियाओ मुरसलीन के।"

हज़रते अबू हुरैरा رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ सय्यिदुल मुरसलीन صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم से रावी, हुज़ूर का इरशाद है :

((أبو بكر وعمر خير الأولين والآخرين وخير أهل السموات وخير أهل الأرضين إلا النبيين والمرسلين)). رواه الحاكم في "المكنى" وابن عدى وخطيب.

अबू बक्र व उमर बेहतर हैं सब अगलों पिछलों के, और बेहतर हैं सब आस्मान वालों से और बेहतर हैं सब ज़मीन वालों से, सिवा अम्बियाओ मुरसलीन عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام के।

"كنز العمال"، كتاب الفضائل، فضائل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، ج ١١، ص ٢٥٦، الحديث: ٣٢٦٤٢.

खुद हज़रते मौला अली كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ ने बार बार अपनी कुर्सिये मम्लुकत व सत्वत (व दबदबा) ख़िलाफ़त में अफ़ज़लिय्यते मुत्लका शैख़ैन की तसरीह फ़रमाई (और साफ़ साफ़ वाशिगाफ़ अल्फ़ाज़ में बयान फ़रमाया कि येह दोनों हज़रात अलल इत्लाक़ बिला कैदे जिहतो हैसिय्यत तमाम सहाबए किराम से अफ़ज़ल हैं) और येह इरशाद उन से ब तवातुर साबित हुवा कि अस्सी से ज़ियादा सहाबा व ताबेईन ने इसे रिवायत किया। और फ़िल वाकेअ इस मसअले (अफ़ज़लिय्यते शैख़े करीमैन) को जैसा हक़ मआब मुर्तज़वी ने साफ़ साफ़ वाशिगाफ़ ब करारतो मर्रात (बार बार मौक़अ ब मौक़अ अपनी) जल्वात व ख़ल्वात (उमूमी महफ़िलों, खुसूसी निशस्तों) व मशाहदे आम्मा व मसाजिदे जामिआ (आम्मतुन्नास की मजलिसों और जामेअ मस्जिदों) में इरशाद फ़रमाया दूसरों से वाकेअ नहीं हुवा।

(अज़ां जुम्ला वोह इरशादे गिरामी कि) इमाम बुख़ारी رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْه हज़रते मुहम्मद बिन हनफ़िया साहिब जादए जनाब अमीरुल मुअमिनीन अली رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रावी :

قال: قلت لأبي: أيّ الناس خير بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: ((أبو بكر، قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر)).

यानी मैं ने अपने वालिदे माजिद अमीरुल मुअमिनीन मौला अली كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ से अर्ज़ किया कि : रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم के बाद सब आदमियों से बेहतर कौन हैं ? इरशाद फ़रमाया : "अबू बक्र, मैं ने अर्ज़ किया फिर कौन ? फ़रमाया : उमर।"

"صحيح البخاري"، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٣٦٧١، ج ٢، ص ٥٢٢.

अबू उमर बिन अब्दुल्लाह हक़म बिन हज़ल से और दार कुतनी अपनी "सुनन" में रावी जनाब अमीरुल मुअमिनीन अली كَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ फ़रमाते हैं :

((لا أجد أحداً فضلي على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترى)) "الصواعق المحرقة"، ص ٦٠.

जिसे मैं पाऊंगा कि शैख़ैन (हज़रते अबू बक्र व उमर رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मुझे अफ़ज़ल बताता (और मुझे उन में से किसी पर फ़ज़ीलत देता) है उसे मुफ़्तरी (इफ़्तारा व बोहतान लगाने वाले) की हद मारूंगा कि अस्सी कोड़े हैं।

अबुल कासिम तुलहदी “किताबुस्सुनह” में जनाबे अल्कमा से रावी :

بلغ علياً أن أقوماً يفضلونه على أبي بكر وعمر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس! ((أنه بلغني أن أقوماً يفضلوني على أبي بكر وعمر ولو كنت تقدمت فيه لعاقبت فيه فمن سمعته بعد هذا اليوم يقول هذا فهو مفتر، عليه حد المفتر، ثم قال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم بالخير بعده، قال: وفي المجلس الحسن بن علي فقال: والله لو سمي الثالث لسمي عثمان)).

यानी जनाबे मौला अली को ख़बर पहुंची कि लोग उन्हें हज़रते शैख़ैन पर तफ़ज़ील देते (और हज़रत मौला को उन से अफ़ज़ल बताते) हैं। पस मिम्बर पर तशरीफ़ ले गए और अल्लाह तआला की हम्दो सना की फिर फ़रमाया : ऐ लोगो ! मुझे ख़बर पहुंची कि कुछ लोग मुझे अबू बक्र व उमर से अफ़ज़ल बताते हैं और अगर मैं ने पहले से सुना होता तो इस में सज़ा देता यानी पहली बार तफ़हीम (व तम्बीह) पर क़नाअत फ़रमाता हूं पस इस दिन के बाद जिसे ऐसा कहते सुनूंगा तो वोह मुफ़्तरी (बोहतान बांधने वाला) है उस पर मुफ़्तरी की हद लाज़िम है, फिर फ़रमाया : बेशक बेहतर इस उम्मत के बाद इन नबी صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के अबू बक्र हैं, फिर उमर, फिर खुदा ख़ूब जानता है बेहतर को इन के बाद, और मजलिस में इमामे हसन (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) भी जल्वा फ़रमा थे उन्होंने ने इरशाद किया : खुदा की क़सम ! अगर तीसरे का नाम लेते तो उस्मान का नाम लेते ।

”إزالة الحفاء عن خلافة الخلفاء“ بحواله أبي القاسم مسند علي بن أبي طالب، ج ١، ص ٦٨.

बिल जुम्ला अहादीसे मरफूआ व अक्वाले हज़रत मुर्तज़वी व अहले बैते नबुव्वत इस बारे में ला तादाद व ला तहस्सी (बे शुमार व ला इन्तिहा) हैं कि बाज़ की तफ़सीर फ़कीर ने अपने रिसालए तफ़ज़ील में की। अब अहले सुन्नत (के उलमाए ज़विल एहतिराम) ने इन अहादीसो आसार में जो निगाहे ग़ौर को काम फ़रमाया तो तफ़ज़ीले शैख़ैन की सदहा तसरीहें (सेकड़ों सराहते) अलल इत्लाफ़ पाई कहीं जिहत व हैसियत की कैद न देखी कि येह सिर्फ़ फुलां हैसियत से अफ़ज़ल हैं और दूसरी हैसियत से दूसरों को अफ़ज़लियत (हासिल है) लिहाज़ा उन्होंने ने अक्कीदा कर लिया कि गो फ़ज़ाइले ख़ास्सा व ख़साइसे फ़ाज़िला (मख़सूस फ़ज़ीलतें और फ़ज़ीलत में ख़ुसूसियतें) हज़रते मौला (अली मुशिकल कुशा كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ) और उन के ग़ैर को भी ऐसे हासिल (और ब अताए इलाही वोह इन ख़ुसूसियत के तन्हा हामिल) जो हज़रते शैख़ैन (करीमैने जलीलैन) ने न पाए जैसे कि इस का अक्स भी सादिक् है (कि अमीरैने वज़ीरैन को वोह ख़साइसे ग़ालिया और फ़ज़ाइले आलिया बारगाहे इलाही से मर्हमत हुए कि उन के ग़ैर ने इस से कोई हिस्सा न पाया) मगर फ़ज़ले मुल्लके कुल्ल (किसी जिहत व हैसियत का लिहाज़ किये बिग़ैर फ़ज़ीलते मुल्लका कुल्लिय्या) जो कस्ते सवाब व ज़ियादते कुर्बे रब्बुल अरबाब से इबारत है वोह उन्हीं को अता हुवा (औरों के नसीब में न आया) ।

और (येह अहले सुन्नत व जमाअत का वोह अक्कीदए साबिता मोहकमा है कि) इस अक्कीदे का खिलाफ़ अव्वल तो किसी हदीसे सहीह में है ही नहीं और अगर बिलफ़र्ज कहीं बूए ख़िलाफ़ पाए भी तो समझ ले कि येह हमारी फ़हम का कुसूर है (और हमारी कोताह फ़हमी) वरना रसूलुल्लाह صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ और खुद हज़रते मौला (अली) व अहले बैते किराम (साहिबुल बैत अदरा बिमा फ़ीही के मिस्दाक़ असरार ख़ाना से मुकाबलतन वाकिफ़ तर) क्यूं बिला तक्यीद (किसी जिहतो हैसियत की कैद के बिग़ैर) उन्हें अफ़ज़ल व ख़ैरे उम्मत व सरदारे अव्वलीनो आख़िरीन बताते, क्या आयए करीमा...

﴿ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَنَفْسَكُمْ وَنَفْسَكُمْ ثُمَّ تَبْتَهِلْ فَنَجْعَلُ لَكَ الْكُذِبَ بَيِّنًا ﴾

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

जो शख्स मौला अली كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم को सिद्दीक़ या फ़ारूक़ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से अफ़ज़ल

बताए, गुमराह बद मज़हब है।⁽¹⁾

(तो उन से फ़रमा दो कि आओ हम बुलाएं अपने बेटे और तुम्हारे बेटे और अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें और अपनी जानें और तुम्हारी जानें फिर मुबाहला करें तो झूठों पर अल्लाह की लानत डालें)

व हदीसे सहीह : ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) (जिस का मैं मौला हूं तो अली भी उस का मौला है) ।

”سنن الترمذي“، كتاب المناقب، الحديث: ३७३३، ج ५، ص ३९८.

”سنن ابن ماجه“، كتاب السنة، الحديث: १२१، ج १، ص ८६.

और ख़बर शदीदुल ज़ोफ़ व क़वियुल जर्ह (निहायत दरजा ज़ईफ़ व क़ाबिले शदीद जर्ह व तादील) (लحمك لحمي ودمك دمي) (तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त और तुम्हारा खून मेरा खून है) ।

”کنز العمال“، كتاب الفضائل، فضائل علي رضي الله تعالى عنه، ج ११، ص २७९، الحديث: ३२९३३.

बर तक्दीरे सुबूत (बशर्ते कि साबित व सहीह मान ली जाए) व ग़ैर ज़ालिक (अहादीसो अख़बार) से उन्हें आगाही न थी (होशो हवास इल्मो शुऊर और फ़हमो फ़िरासत में यगानए रोज़गार होते हुए इन असरारे दरून ख़ाना से बेगाना रहे और इसी बेगानगी में उम्रें गुज़ार दीं) या (उन्हें आगाही और इन असरार पर इत्तिलाअ) थी तो वोह (इन वाज़ेहुदलालह अल्फ़ाज़ का) मतलब न समझे (और ग़ैरतो शर्म के बाइस और किसी से पूछ न सके) या समझे (हकीकते हाल से आगाह हुए) और इस में तफ़ज़ीले शैख़ैन का ख़िलाफ़ पाया (मगर ख़ामोश रहे और जुम्हूर सद्दाबए किराम के बर ख़िलाफ़ अक़ीदा रखा ज़बान पर उस का ख़िलाफ़ न आने दिया और हालां कि येह उन की पाक जनाबों में गुस्ताखी और उन पर तक्वियए मल्ज़ुना की तोहमत तराशी है) तो (अब हम) क्यूंकर ख़िलाफ़ समझ लें (कैसे कह दें कि उन के दिल में ख़िलाफ़ था ज़बान से इक़्रार) और तसरीहाते बय्यिना व कातेउदलालह (रोशन सराहतों क़र्ई दलालतों) व ग़ैर मोहूतमिलतुल ख़िलाफ़ को (जिन में किसी ख़िलाफ़ का एहतिमाल नहीं कोई हेरफेर नहीं) कैसे पसे पुश्त डाल दें कि हक़ तबारक व तआला ने फ़कीरे हकीर को येह ऐसा जवाबे शाफ़ी तालीम फ़रमाया कि मुन्सिफ़ (इन्साफ़ पसन्द जी होश) के लिये इस में किफ़ायत (और येह जवाब इस की सहीह रहनुमाई वोह हिदायत के लिये काफ़ी) और मुतअस्सिब को (कि आतशे गुलू में सुलगता और ज़िद व नफ़सानियत की राह चलता है) इस में ग़ैजे बे निहायत ﴿قُلْ مُؤْتُوا عَيْظَكُمْ﴾ (उन्हें आतशे ग़ज़ब में जलना मुबारक) (हम मुसलमानाने अहले सुन्नत के नज़दीक़ हज़रते मौला की मानना) येही महब्बते अली मुर्तज़ा है और इस का भी (येही तकाज़ा) येही मुक्तज़ा है कि महबूब की इताअत कीजिये और उस के ग़ज़ब और अस्सी कोड़ों के इस्तिह्काक़ से बचिये ”(وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی)“ । ३७० تا ३६३، ج २९، ص ३६३.

★ नोट : “फ़तावा रज़विय्या” शरीफ़ के मुन्दरिजए बाला कलाम में कौसैन (यानी ब्रेकेट) की इबारत, हज़रते ख़लीले मिल्लत अल्लामा मौलाना ख़लील ख़ान क़ादिरि बरकाती رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ की है ।

① في ”الفتاوى البزازية“، كتاب السير، نوع فيما يتصل به ... إلخ، ج ६، ص ३१९: (الرافضي إن كان يفضل علياً عليهما فهو مبتدع)، هامش ”الهندية“.

وفي ”فتح القدير“، باب الإمامة، ج १، ص ३०४: (وفي الروافض أن من فضل علياً رضي الله عنه على الثلاثة فمبتدع).

وفي ”البحر الرائق“، كتاب الصلاة، باب الإمامة، إمامة العبد والأعرابي والفاسق... إلخ، ج १، ص ६११: (والرافضي

إن فضل علياً على غيره فهو مبتدع).

अक्वीदा 3

अफ़ज़ल के येह माना हैं कि अल्लाह ﷻ के यहां ज़ियादा इज़ज़त व मन्ज़िलत वाला हो, इसी को कस्रते सवाब से भी ताबीर करते हैं, ⁽¹⁾ न कस्रते अज़्र, कि बारहा मफ़ज़ूल के लिये होती है ⁽²⁾। ⁽³⁾ हदीस में हमराहियाने सय्यिदुना इमाम महदी की निस्बत आया कि : “उन में एक के लिये पचास का अज़्र है, सहाबा ने अर्ज़ की : उन में के पचास का या हम में के ? फ़रमाया : बल्कि तुम में के।” ⁽⁴⁾

तो अज़्र उन का ज़ाइद हुवा, मगर अफ़ज़लियत में वोह सहाबा के हम सर भी नहीं हो सकते, ज़ियादत दर कनार, कहां इमाम महदी की रफ़ाक़त और कहां हुज़ूर सय्यिदे आलम ﷺ की सहबियत ! इस की नज़ीर बिला तश्बीह यूं समझिये कि सुल्तान ने किसी मुहिम पर वज़ीर और बाज़ दीगर अफ़सरों को भेजा, उस की फ़तह पर हर अफ़सर को लाख लाख रुपये इन्आम दिये और वज़ीर को ख़ाली परवानए खुशनुदिये मिज़ाज दिया तो इन्आम उन्हीं को ज़ाइद मिला, मगर कहां वोह और कहां वज़ीरे आज़म का एज़ाज़ ?

अक्वीदा 4

उन की ख़िलाफ़त बर तरतीबे फ़ज़ीलत है, यानी जो इन्दल्लाह अफ़ज़लो

① في “مطلع القمرين”، ص ١١٠ عن “شرح المقاصد”: (الكلام في الأفضلية بمعنى الكرامة عند الله تعالى وكثرة الثواب). و “شرح المواقف”: (ومرجعها أي: مرجع الأفضلية التي نحن بصدددها إلى كثرة الثواب والكرامة عند الله تعالى).

② यानी अक्सरो बेशतर अज़्र की ज़ियादती ऐसे शख़्स के लिये होती है जो अफ़ज़ल न हो।

③ في “الصواعق المحرقة”، ص ٢١٣: (إنّ المفضل قد يكون فيه مزية لا يوجد في الفاضل، وأيضاً مجرد زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة).

④ عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: آية آية؟ قلت: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَبِخُوا مِنْهَا شَيْئاً إِذَا فَتِنْتُمْ﴾ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً، ودنياً مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم))، قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة قيل: يا رسول الله! أجر خمسين منّا أو منهم، قال: ((لا، بل أجر خمسين رجلاً منكم)).

“سنن الترمذي”، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة، الحديث: ٣٠٧٩، ج ٥، ص ٤٢.

و “ابن ماجه”، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ...﴾ الحديث: ٤٠١٤، ج ٤، ص ٣٦٥.

في “فتح الباري”، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ج ٧، ص ٦، تحت الحديث: ٣٦٥١: (أنّ حديث:

((للعامل منهم أجر خمسين منكم)) لا يدلّ على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ لأنّ مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة، وأيضاً فالأجر إنّما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل، فأما ما فاز به من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد).

आला व अकरम था वोही पहले ख़िलाफ़त पाता गया, न कि अफ़ज़लियत बर तरतीबे ख़िलाफ़त, यानी अफ़ज़ल येह कि मुल्क दारी व मुल्क गीरी में ज़ियादा सलीका, जैसा आज कल सुन्नी बनने वाले तफ़ज़ीलिये कहते हैं⁽¹⁾, यूं होता तो.....

① في "مجموعة الحواشي البهية"، "حاشية عصام" على "شرح العقائد"، ج ٢، ص ٢٣٦: قوله: "على هذا الترتيب أيضاً": يشعر أنّ مبني ترتيب الخلافة على ترتيب الأفضلية التي حكم بها السلف).

وفي "الطريقة المحمدية" مع شرح "الحديقة الندية"، ج ١، ص ٢٩٣: (وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، وخلافتهم) أي: هؤلاء الأربعة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت (على هذا الترتيب أيضاً) أي: كما هي فضيلتهم كذلك، (ثم بعدهم في الفضيلة (سائر) أي: بقية (الصحابه رضي الله عنهم أجمعين). وفي "المعتقد المتقدم"، الباب الرابع في الإمامة، ص ١٩١: (والإمام الحق بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والفضيلة على ترتيب الخلافة).

यानी : और इमामे बरहक़ रसूलुल्लाह ﷺ के बाद अबू बक्र, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली यानी (इन चारों की) फ़ज़ीलत तरतीबे ख़िलाफ़त के मुवाफ़िक़ है ।

قال الإمام أحمد رضا في حاشيته "المعتمد المستند"، نمبر ٣١٦، ص ١٩١، تحت اللفظ: "والفضيلة" (تبع في هذه العبارة الحسنة الأئمة السابقين، وفيها ردّ على مفضلة الزمان المدعين السنية بالزور والبهتان حيث أوّلوا مسألة ترتيب الفضيلة بأنّ المعنى الأولوية للخلافة الدنيوية، وهي لمن كان أعرف بسياسة المدن وتجهيز العساكر وغير ذلك من الأمور المحتاج إليها في السلطنة، وهذا قول باطل خبيث مخالف لإجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، بل الأفضلية في كثرة الثواب وقرب ربّ الأرباب والكرامة عند الله تعالى، ولذا عبر عن المسألة في "الطريقة المحمدية" وغيرها في بيان عقائد السنة بأنّ أفضل الأولياء المحمديين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم، وللعبد الضعيف في الردّ على هؤلاء الضالين كتاب حافل كافل بسيط محيط سمّيته "مطلع القمرين بإبانة سبقة العمرين" (١٢).

आला हज़रत रसूलुल्लाह ﷺ के हशिये में "वल फ़ज़ीलत" के तहूत कलाम करते हुए फ़रमाते हैं : इस हसीन इबारत में मुसन्नफ़ रसूलुल्लाह ﷺ ने अइम्मे साबिकीन की पैरवी की और इस में इस ज़माने में तफ़ज़ीलियों का रद है जो झूट और बोहतान के बल पर सुन्नी होने के मुद्दे हैं इस लिये कि उन्होंने ने फ़ज़ीलत में तरतीब के मसअले को (ज़ाहिर से) इस तरफ़ फेरा कि ख़िलाफ़त में औलवियत (ख़िलाफ़त में ज़ियादा हक़दार होने) का माना दुन्यवी ख़िलाफ़त का ज़ियादा हक़दार होना, और येह उस के लिये है कि जो शहरों के इन्तिज़ाम और लश्कर साज़ी, और इस के इलावा दूसरे उमूर जिन के इन्तिज़ामो इन्सिराम की सलत्नत में हाज़त होती है उन का ज़ियादा जानने वाला हो । और येह बातिल ख़बीस कौल है, सहाबा और ताबेईन के इज्माअ के ख़िलाफ़ है । बल्कि अफ़ज़लियत सवाब की कसरत में और रब्बुल अरबाब (अल्लाह तआला) की नज़्दीकी में और अल्लाह तबारक व तआला के नज़्दीक बुजुर्गी में है, इसी लिये "तरीक़े मुहम्मदियह" वगैरहा किताबों में अहले सुन्नत व जमाअत के अक्कीदों के बयान में इस मसअले की ताबीर यूं फ़रमाई कि औलियाए मुहम्मदियीन (मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह ﷺ की उम्मत के औलिया) में सब से अफ़ज़ल अबू बक्र हैं फिर उमर हैं फिर उस्मान हैं फिर अली हैं और इस नातुवां बन्दे की इन गुमराहों के रद में एक जामेअ किताब है जो काफ़ी और मुफ़स्सल और तमाम गोशों का इहाता किये हुए है जिस का नाम मैं ने "مطلع القمرين في إبانة سبقة العمرين" रख़ा

انظر: "مطلع القمرين في إبانة سبقة العمرين"، ص ١٠٨ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ 12 इमामे अहले सुन्नत

फारूके आजम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ सब से अफ़ज़ल होते कि इन की ख़िलाफ़त को फ़रमाया :

((لَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بَعْطَنَ))⁽¹⁾

और सिद्दीके अक्बर की ख़िलाफ़त को फ़रमाया :

((فِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ))⁽²⁾

अक्बिदा 5

खुलफ़ाए अरबआ राशिदीन के बाद बक़िय्या अशरए मुबशशरा व हज़राते हसनैन व अस्हाबे बद्र व अस्हाबे बैअतुरिज्वान के लिये अफ़ज़लियत है⁽³⁾ और येह सब क़र्ई जन्तती हैं।⁽⁴⁾

①.....मैं ने किसी को ऐसा जवां मर्द नहीं देखा जो इतना काम कर सके, हत्ता कि लोग (उन के निकाले हुए पानी से) सेराब हो गए।

”سنن الترمذي“، كتاب الرؤيا، باب ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والذلو، الحديث: ٢٢٩٦، ج ٤، ص ١٢٧.

②.....उन के (दौराने ख़्वाब, कूएं से पानी) निकालने में कमजोरी थी, अल्लाह उन्हें मुआफ़ फ़रमाए।

”صحيح البخاري“ كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الحديث: ٣٦٧٦، ج ٢، ص ٥٢٤.

③.....”في شرح المسلم“ للنووي، كتاب فضائل الصحابة، ص ٢٧٢: (واتفق أهل السنة على أنّ أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، قال جمهورهم: ثم عثمان، ثم علي، قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا مجمعون على أنّ أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم بيعة الرضوان)، ملقطاً.

وفي ”منح الروض الأزهر“ للقارئ، أفضلية الصحابة بعد الخلفاء، ص ١١٩: (أجمع أهل السنة والجماعة على أنّ أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، فبقية العشرة المبشرة بالجنة، فأهل بدر، فباقي أهل أحد، فباقي أهل بيعة الرضوان بالحدودية).

④..... ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَبِيسَةً ﴿٢﴾ وَهُمْ فِي مَا شَاءَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِيدُونَ ﴿٣﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ إِلَّا كَبُرُوا وَلَفَّيْهُمْ إِلَٰكُهُ ﴿٤﴾ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٥﴾﴾ پ ١٧، الأنبياء، ١٠١-١٠٣.

﴿وَالسَّيْفُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهِجَرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴿١﴾ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣﴾﴾ پ ١١، التوبة: ١٠٠.

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ آمَنَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَقْتِهَا وَلَا وَعَدَ

اللَّهُ الْخُسْفَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢﴾﴾ پ ٢٧، الحديد: ١٠.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)).

”سنن الترمذي“، كتاب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن... إلخ، الحديث: ٣٧٩٣، ج ٥، ص ٤٢٦. و”سنن ابن

ماجه“، كتاب السنة، الحديث: ١١٨، ج ١، ص ٨٤.

= عن جابر عن أم مبشر عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرًا والحديبية))، قالت: فقلت: أليس الله عز وجل يقول: ﴿وَأَنْ مِّنكُمْ أَلِفًا رَّكُوعًا﴾، قال: فسمعتنه يقول: ﴿ثُمَّ نَسِيتُ﴾
الَّذِينَ اتَّقَوْا ذُنُوبَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتْ ۖ ﴿

“المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله، الحديث: ٢٦٥٠٢، ج ١٠، ص ١٦٣.

﴿لَقَدْ رَفَى اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ پ ٢٦، الفتح: ١٨.

عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ((لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة)).

“سنن أبي داود”، كتاب السنة، باب في الخلفاء، الحديث: ٤٦٥٣، ج ٤، ص ٢٨١. و “سنن الترمذي”، كتاب المناقب، باب في فضل من بايع تحت الشجرة، الحديث: ٣٨٨٦، ج ٥، ص ٤٦٢.

शैखुल मुहक्किनीन खातमुल मुहद्दीसीन शैख अब्दुल हक मुहद्दीस देहलवी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ अपनी मायानाज़ किताब “तक्मीलुल ईमान” में फ़रमाते हैं :

ज़िक्रे अशरए मुबश्शरा :

बाक़ियुल अशरतिल मुबश्शरा : यानी बाद अज़ खुलफ़ाए अरबआ फज़ीलत बक़िय्या अशरए मुबश्शरा के लिये है, और अशरए मुबश्शरा जिन की उर्फ़ियत है, वोह दस सहाबए किराम हैं जिन को नबिय्ये करीम ﷺ ने दुन्या में जन्नत की बिशारत दे कर फ़रमाया :

((أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة)).
“سنن الترمذي”، كتاب المناقب، الحديث: ३७६८، ج ५، ص ४१६، و “المسند”، ج १، ص ४१०، الحديث: १६७५.

यानी : अबू बक्र जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, अली जन्नती हैं, तल्हा जन्नती हैं, जुबैर जन्नती हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जन्नती हैं, सअद बिन अबी वक्कास जन्नती हैं, सईद बिन जैद जन्नती हैं, अबू उबैदा बिन जराह जन्नती हैं, (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ)

येह दस सहाबए किराम ख़यारे उम्मत, अफ़ाज़िले सहाबा, अकाबिरे कुरैश, पेशवाए मुहाजिरीन और अकारिबे मुस्तफ़ा ﷺ, इन के लिये सब्कते ईमान और ख़िदमते इस्लाम साबित है, जो कि औरों के लिये नहीं है, इन का जन्नती होना क़र्इ है लेकिन येह क़द्इय्यते बिशारत इन्ही के साथ मख़सूस नहीं है, बल्कि इन के सिवा भी और अस्हाब बिशारत याफ़ता हैं मसलन : सय्यिदतुना फ़ातिमा, इमामे हसन, इमामे हुसैन, हज़रते ख़दीजा, हज़रते आइशा, हज़रते हम्ज़ा, हज़रते अब्बास, हज़रते सल्मान, हज़रते सुहैब, हज़रते अम्मार बिन यासिर (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ) वगैरहा ।

इन दस अस्हाबे मुबश्शरा की शोहरत व लक़ब, वुकूए बिशारत एक हदीस और एक वक़्त में होने की वजह से है और इन का ज़िक़्र अक्काइद के ज़िम्न में ब सबब एहतियामे बिशारत, और अहले जैग़ के मज़हब के रद्दो इब्नाल की वजह से है क्यूं कि वोह उन की शान में गुस्ताख़ी करते और बे अदबी की राह चलते हैं, और आ़ाम मख़लूक जान ले कि दुख़ूले जन्नत की बिशारत इन ही दसों के साथ क़र्इ और मख़सूस है येह गुमान महज़ ग़लत और सरीह जहालत है ।

www.dawateislami.net

अक्कीदा 6 - तमाम सहाबए किराम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ अहले खैरो सलाह हैं और आदिल, उन का जब जिक्र किया जाए तो खैर ही के साथ होना फर्ज है।⁽¹⁾

अक्कीदा 7 - किसी सहाबी के साथ सूए अक्कीदत बद मजहबी व गुमराही व इस्तिह्काके जहन्नम है कि वोह हुजुरे अक्दस صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के साथ बुग़ है⁽²⁾, ऐसा शख्स राफ़ी है, अगर्चे चारों खुलफ़ा को माने और अपने आप को सुन्नी कहे, मसलन हज़रते अमीरे मुआविया और उन के वालिदे माजिद अबू सुफ़यान और वालिदे माजिदा हज़रते हिन्द, इसी तरह हज़रते सय्यिदुना अम्र बिन आस, व हज़रते मुगीरा बिन शेअबा, व हज़रते अबू मूसा अशअरी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ, हत्ता कि हज़रते वहशी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ जिन्हों ने कबले इस्लाम हज़रते सय्यिदुना

① في "المسامرة"، ص ۳۱۳: (واعتقاد أهل السنة) والجماعة (تزكية جميع الصحابة) رضي الله عنهم وجوباً بإثبات العدالة لكل منهم والكف عن الطعن فيهم، (والثناء عليهم كما أنى الله سبحانه وتعالى عليهم إذ قال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾) وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ وسطاً، أي: عدولاً خیاراً.

وفي "منح الروض الأزهر" للقاري، أفضلية الصحابة بعد الخلفاء، ص ۷۱: (ولا نذكر الصحابة) أي: مجتمعين ومنفردين، وفي نسخة: ولا نذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا بخير، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا ذكر أصحابي فأمسكوا))، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول قبل فتنه عثمان وعلي وكذا بعدها، ملتقطاً.

وفي "شرح العقائد النسفية"، ص ۱۶۲: (ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير).

② عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه)). "سنن الترمذي"، كتاب المناقب، باب من سب أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الحديث: ۳۸۸۸، ج ۵، ص ۴۶۳.

في "فيض القدير"، ج ۲، ص ۱۲۴، تحت الحديث: ((الله الله في)) حق (أصحابي) أي: اتقوا الله فيهم ولا تلمزوهم بسوء، أو اذكروا الله فيهم وفي تعظيمهم وتوقيرهم، وكرره إيداناً بمزيد الحث على الكف عن التعرض لهم بمنقص ((لا تتخذوهم غرضاً)) هدفاً ترموهم بقيح الكلام كما يرمى الهدف بالسهم، هو تشبيه بليغ ((بعدي)) أي: بعد وفاتي ((ومن آذاهم)) بما يسوءهم ((فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه)) أي: يسرع انتزاع روحه أخذة غضبان متقم عزيز مقتدر جبار قهار ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي بَصَارٍ﴾، ملتقطاً.

सय्यिदुशुहदा हम्ज़ा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ को शहीद किया और बादे इस्लाम अख़बसुन्नास ख़बीस मुसैलिमा कज़्ज़ाब मल्लुन⁽¹⁾ को वासिले जहन्नम किया। वोह खुद फ़रमाया करते थे कि: मैं ने ख़ैरुन्नास व शरुन्नास को क़त्ल किया⁽²⁾, इन में से किसी की शान में गुस्ताखी, तबर्रा⁽³⁾ है और इस का काइल राफ़िज़ी, अगर्चे हज़रते शैख़ैन رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا की तौहीन के मिस्ल नहीं हो सकती, कि उन की तौहीन, बल्कि उन की ख़िलाफ़त से इन्कार ही फुक़हाए किराम के नज़्दीक कुफ़्र है।⁽⁴⁾

अक्वीदा 8

कोई वली कितने ही बड़े मर्तबे का हो, किसी सहाबी के रुत्बे को नहीं पहुंचता।⁽⁵⁾

1.....नबुव्वत का झूटा दावेदार मुसैलिमा लानती।

2..... (وحشي بن حرب الحبشي قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يوم أحد، وشريك في قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة، وكان يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام).
”أسد الغابة في معرفة الصحابة“، الجزء الخامس، رقم الترجمة: ٥٤٤٢، ص ٤٥٤.

3.....नफ़रत का इज़हार करना।

4..... في ”الدر المختار“، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج ٦، ص ٣٦٢: (من سب الشيخين أو طعن فيهما كفر ولا تقبل توبته). وفي ”البزاية“، ج ٦، ص ٣١٩: (الرافضي إن كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر)، (هامش ”الهندية“). وفيها ج ٦، ص ٣١٨: (من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر في الصحيح، ومنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصح)، (هامش ”الهندية“).
وفي ”فتح القدير“، باب الإمامة، ج ١، ص ٣٠٤: (وفي الروافض أن من فضل علياً رضي الله عنه على الثلاثة فمبتدع وإن أنكر خلافة الصديق أو عمر رضي الله عنهما فهو كافر).
وفي ”البحر الرائق“، كتاب الصلاة، إمامة العبد والأعرابي والفاسق... إلخ، ج ١، ص ٦١١: (والرافضي إن فضل علياً على غيره فهو مبتدع، وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر).

في ”رد المحتار“، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٥٨: (وإن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر).
وفي ”تبيين الحقائق“، كتاب الصلاة، الأحق بالإمامة، ج ١، ص ٣٤٧: (وفي الروافض إن فضل علياً رضي الله عنه على الثلاثة فمبتدع وإن أنكر خلافة الصديق أو عمر فهو كافر). انظر للتفصيل ”الفتاوى الرضوية“، كتاب السير، ج ١٤، ص ٢٥١.
5..... في ”المرقاة“، كتاب الفتن، تحت الحديث: ٥٤٠١، ج ٩، ص ٢٨٢: (من القواعد المقررة أنّ العلماء والأولياء من الأمة لم يبلغ أحد منهم مبلغ الصحابة الكبراء).

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इरशाद फ़रमाते हैं: “ताबेईन से ले कर ता ब क़ियामत उम्मत का कोई वली कैसे ही पायए अज़ीम को पहुंचे साहिबे सिल्सिला हो ख़्वाह ग़ैर उन का, हरगिज़ हरगिज़ इन (यानी सहाबा) में से अदना से अदना के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता, और इन में अदना कोई नहीं। ३०७, ज २९, व ३०७।

मसअला 5 सहाबए किराम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ के बाहम जो वाकिआत हुए, उन में पड़ना हराम, हराम, सख्त हराम है, मुसलमानों को तो येह देखना चाहिये कि वोह सब हज़रात आकाए दो आलम صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के जां निसार और सच्चे गुलाम हैं।

अक्वीदा 9 तमाम सहाबए किराम आला व अदना (और इन में अदना कोई नहीं) सब जन्नती हैं, वोह जहन्नम की भिनक⁽¹⁾ न सुनेंगे और हमेशा अपनी मन मानती मुरादों में रहेंगे, महशर की वोह बड़ी घबराहट उन्हें ग़मगीन न करेगी, फ़रिश्ते उन का इस्तिक्बाल करेंगे कि येह है वोह दिन जिस का तुम से वादा था⁽²⁾, येह सब मज़्मून कुरआने अज़ीम का इरशाद है।

अक्वीदा 10 सहाबए किराम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ, अम्बिया न थे, फ़रिश्ते न थे कि मासूम हों, उन में बाज़ के लिये लग़ज़शें हुई, मगर उन की किसी बात पर गिरिफ़्त अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) व रसूल (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के ख़िलाफ़ है।⁽³⁾ अल्लाह ने “सूरए हदीद” में जहां सहाबा की दो क़िस्में फ़रमाई, मोमिनीन क़ब्ले फ़तहे मक्का और बादे फ़तहे मक्का और उन को इन पर तफ़ज़ील दी और फ़रमा दिया :

﴿كَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ﴾

“सब से अल्लाह ने भलाई का वादा फ़रमा लिया।”

①.....हलकी सी आवाज़ भी।

②..... ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴿٢﴾ وَهُمْ فِي مَا شَأْنَتْ أَنفُسُهُمْ خُلْدُونَ ﴿٣﴾ لَا يُخْرَجُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٤﴾﴾ प १७, الأنبياء: १०१-१०३.

③..... ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ﴿١﴾﴾ प ८, الأعراف: ४३.

في “التفسير الكبير”, ج ٥, ص ٢٤٢-٢٤٣: تحت الآية: (ومعنى نزع الغل: تصفية الطباع وإسقاط الوسوس ومنعها من أن ترد على القلوب..... وإلى هذا المعنى أشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ﴾).

وفي “روح البيان”, تحت الآية: ج ٣, ص ١٦٢: (قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن مسعود وعمار بن ياسر وسلمان وأبي ذر ينزع الله في الآخرة ما كان في قلوبهم من غش بعضهم لبعض في الدنيا من العداوة والقتل الذي كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الذي اختلفوا فيه فيدخلون إخواناً على سرر متقابلين).

साथ ही इरशाद फ़रमा दिया :

﴿وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾⁽¹⁾

“अल्लाह खूब जानता है, जो कुछ तुम करोगे।”

तो जब उस ने उन के तमाम आमाल जान कर हुक्म फ़रमा दिया कि इन सब से हम जन्मते बे अज़ाब व करामतो सवाब का वादा फ़रमा चुके तो दूसरे को क्या हक़ रहा कि उन की किसी बात पर तान करे...? क्या तान करने वाला अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) से जुदा अपनी मुस्तक़िल हुक्मत काइम करना चाहता है।⁽²⁾

अक्बरीदा 11 अमीरे मुअविआ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ मुज्ताहिद थे, उन का मुज्ताहिद होना हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ने हदीसे “सहीह बुख़ारी” में बयान फ़रमाया है⁽³⁾, मुज्ताहिद से सवाब व ख़ता⁽⁴⁾ दोनों सादिर होते हैं।⁽⁵⁾

1..... ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلِهِمْ وَلَا وَعَدَ اللّٰهُ الْخُسْفٰى وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ प २७, الحديد : १०.

2..... “الفتاوى الرضوية”, ج २९, ص १०० - १०१, २६४, ३३६, ३६१-३६३.

3..... حدثنا ابن أبي مریم: حدثنا نافع بن عمر: حدثني ابن أبي مليكة: (فيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال: أصاب إنه فقيه).

“صحيح البخاري”, كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم, باب ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه, الحديث: ३७६, ج २, ص ५०५. و “المشكاة”, كتاب الصلاة, باب الوتر, الحديث: १२७७, ج १, ص २५०.

في “المرفأة”, ج ३, ص ३४९-३५०, تحت الحديث: (قال: أي: ابن عباس أصاب, أي: أدرك الثواب في اجتهاده إنه فقيه, أي: مجتهد وهو مثاب وإن أخطأ).

4..... सहीह और ग़लत।

5..... “في شرح العقائد النسفية”, مبحث المجتهد قد يخطئ ويصيب, ص १७५: (والمجتهد في العقلیات والشرعیات الأصلية والفرعية قد يخطئ وقد يصيب).

وفي “منح الروض الأزهر” للقارئ, المجتهد في العقلیات يخطئ ويصيب, ص १३३: (أن المجتهد في العقلیات والشرعیات الأصلية والفرعية قد يخطئ وقد يصيب).

ख़ता दो किस्म है : ख़ताए इनादी, यह मुज्ताहिद की शान नहीं और ख़ताए इज्तिहादी, यह मुज्ताहिद से होती है और इस में उस पर इन्दल्लाह अस्लन मुआख़ज़ा नहीं । मगर अहकामे दुन्या में वोह दो किस्म है : ख़ताए मुकर्रर कि इस के साहिब पर इन्कार न होगा, यह वोह ख़ताए इज्तिहादी है जिस से दीन में कोई फ़ितना न पैदा होता हो, जैसे हमारे नज़्दीक मुक़्तदी का इमाम के पीछे सूरए फ़ातिहा पढ़ना ।

दूसरी ख़ताए मुन्कर, यह वोह ख़ताए इज्तिहादी है जिस के साहिब पर इन्कार किया जाएगा, कि उस की ख़ता बाइसे फ़ितना है । हज़रते अमीरे मुआविया رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का हज़रते सय्यिदुना अमीरुल मुअमिनीन अली मुर्तज़ा كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم से ख़िलाफ़ इसी किस्म की ख़ता का था⁽¹⁾ और फैसला वोह जो खुद रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया कि ⁽³⁾ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ और अमीरे मुआविया की मग़िफ़रत, ⁽²⁾ और मौला अली की डिग्री⁽²⁾ और अमीरे मुआविया की मग़िफ़रत, ⁽³⁾ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

① "الفتاوى الرضوية"، ج ٢٩، ص ٣٣٥ - ٣٣٦.

② यानी तार्ईद व सनदे हक़ ।

③ عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينما أنا جالس إذ أتني بعلي ومعاوية، فأدخلا بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضى لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة).

"البداية والنهاية"، ج ٥، ص ٦٣٣.

وفي "تأريخ مدينة دمشق"، عن يزيد بن الأصم قال: لما وقع الصلح بين علي ومعاوية خرج علي فمشى في قتلاه فقال: هؤلاء في الجنة، ثم مشى في قتلى معاوية فقال: هؤلاء في الجنة، وليصير الأمر لي وإلى معاوية، فيحكم لي ويغفر لمعاوية؛ هكذا أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أول من يختصم في هذه الأمة بين يدي الرب علي ومعاوية، وأول من يدخل الجنة أبو بكر وعمر))، قال ابن عباس: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية إذ أقبل علي بن أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية: ((أتحب علياً يا معاوية؟)) فقال معاوية: إي والله! الذي لا إله إلا هو إني لأحبه في الله حباً شديداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها ستكون بينكم هنية))، قال معاوية: ما يكون بعد ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله ورضوانه، والدخول إلى الجنة))، قال معاوية: رضينا بقضاء الله فعند ذلك نزلت هذه الآية: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾.

"تأريخ مدينة دمشق"، ج ٥٩، ص ١٣٩ - ١٤٠.

मसअला 6

येह जो बाज जाहिल कहा करते हैं कि जब हज़रते मौला [अली] रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के साथ अमीरे मुअविआ रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का नाम लिया जाए तो रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ न कहा जाए, महज़ बातिल व बे अस्ल है। उलमाए किराम ने सहाबा के अस्माए तय्यिबा के साथ मुत्लकन “رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ” कहने का हुक्म दिया है⁽¹⁾, येह इस्तिस्ना नई शरीअत गढ़ना है।

अक्वीदा 12

मिन्हाजे नबुव्वत पर ख़िलाफ़ते हक्का राशिदा तीस साल रही, कि सय्यिदुना इमाम हसने मुज्ताबा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के छे महीने पर ख़त्म हो गई, फिर अमीरुल मुअमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ की ख़िलाफ़ते राशिदा हुई⁽²⁾ और आख़िर ज़माने में हज़रते सय्यिदुना इमाम महदी रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ होंगे।⁽³⁾

1 في “نسيم الرياض”، القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم، ج ٥، ص ٩٣: ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّأَىٰ اللَّهُ عَنَّهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٠] فيدعى بذلك المذكور من المغفرة والرحمة والترضي لسائر المؤمنين والصحابه..... وأما ما قيل: من أنه لا يدعى للصحابه إلا برضي الله تعالى عنهم، فهو أمر حسن للأدب).

2 في “النبراس”، ص ٣٠٨: ((والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الخلافة ثلاثون سنة.....)) وقد استشهد علي رضي الله عنه على رأس ثلاثين سنة أي: نهايتها من وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تقريب، والتحقيق أنه كان بعد علي رضي الله عنه نحو ستة أشهر باقية من ثلاثين سنة وهي مدة خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكان كمال ثلاثين عند تسليم الحسن الخلافة إلى معاوية، وعمر بن عبد العزيز وهو خامس الخلفاء الراشدين صاحب الحديث والاجتهاد والتقوى والعدل والكرامات والمناقب الرفيعة)، ملقطاً.

3 عن محمد بن الحنفية، قال: كنا عند علي رضي الله عنه، فسأله رجل عن المهدي، فقال علي رضي الله عنه: ((هيهات، ثم عقد بيده سبعا، فقال: ذاك يخرج في آخر الزمان... إلخ)).

”المستدرک“ للحاکم، کتاب الفتن والملاحم، الحديث: ٨٧٠٢، ج ٥، ص ٧٦٦-٧٦٧.

في “منح الروض الأزهر”، ص ٦٥: ((الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً)) ولا يشكل بأن أهل الحل والعقد من الأمة قد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية وبعض المروانية كعمر بن عبد العزيز، فإن المراد بالخلافة المذكورة في الحديث الخلافة الكاملة التي لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة يكون ثلاثون سنة، وبعدها قد تكون وقد لا تكون، إذ قد ورد في حق المهدي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأظهر أن إطلاق الخليفة على الخلفاء العباسية كان على المعاني اللغوية المجازية العرفية دون الحقيقة الشرعية)، ملقطاً.

अमीरे मुआविया رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ अव्वल मुलूके इस्लाम हैं⁽¹⁾, इसी की तरफ़ तौराते मुक़दस में इशारा है कि :

“مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَمُهَاجَرُهُ بِطَيْبَةَ وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ.”⁽²⁾

“वोह नबिय्ये आखिरुज्जमां (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) मक्का में पैदा होगा और मदीने को हजरत फ़रमाएगा और उस की सल्तनत शाम में होगी।”

तो अमीरे मुआविया की बादशाही अगर्चे सल्तनत है, मगर किस की ! मुहम्मदुरसूलुल्लाह رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ की सल्तनत है। सय्यिदुना इमाम हसन मुज्ताबा ने एक फ़ौजे ज़रार जां निसार के साथ ऐन मैदान में बिल क़स्द व बिल इख़्तियार हथियार रख दिये और ख़िलाफ़त अमीरे मुआविया को सिपुर्द कर दी और उन के हाथ पर बैअत फ़रमा ली⁽³⁾ और इस सुल्ह को हुजुरे अक़दस رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने पसन्द फ़रमाया और इस की बिशारत दी कि इमामे हसन की निस्बत फ़रमाया :

((إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.))⁽⁴⁾

“मेरा येह बेटा सय्यिद है, मैं उम्मीद फ़रमाता हूँ कि अल्लाह इस के बाइस दो बड़े गुरौहे इस्लाम में सुल्ह करा दे।”

1..... في “منح الروض الأزهر” للقارئ، ص ٦٨-٦٩: (وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه).

2..... “المستدرک”، کتاب تواریخ المتقدمین من الأنبياء والمرسلین، الحديث: ٤٣٠٠، ج ٣، ص ٥٢٦.

و “دلائل النبوة” للبيهقي، ج ٦، ص ٢٨١، و “مشكاة المصابيح”، کتاب الفضائل، الحديث: ٥٧٧١، ج ٣، ص ٣٥٨.

3..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)).

“صحيح البخاري”، کتاب الصلح، قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، الحديث: ٢٧٠٤، ج ٢، ص ٢١٤.

و “الجامع الصغير”، الحديث: ٢١٦٧، ج ١، ص ١٣٢.

في “فيض القدير”، ج ٢، ص ٥١٩، تحت الحديث: ((أَنْ يُصْلِحَ بِهِ)) يعني: بسبب تكرمه وعزله نفسه عن الخلافة، وتركها كذلك لمعاوية (بين فئتين عظيمتين من المسلمين) وكان ذلك، فلما بويع له بعد أبيه وصار هو الإمام الحق مدة ستة أشهر تكملة للثلاثين سنة التي أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها مدة الخلافة وبعدها يكون ملكاً عضواً ثم سار إلى معاوية بكتائب كأمثال الجبال وبايعه منهم أربعون ألفاً على الموت، فلما تراءى الجمعان علم أنه لا يغلب أحدهما حتى يقتل الفريق الآخر فنزل له عن الخلافة لا لقلة ولا لذنبة بل رحمة للأمة... إلخ).

وفي “منح الروض الأزهر” للقارئ، ص ٦٨-٦٩: (أول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه وهو أفضلهم لكنه إنما صار إماماً حقاً لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، فإن الحسن بايعه أهل العراق بعد موت أبيه ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية رضي الله عنه).

4..... “صحيح البخاري”، کتاب الصلح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: إِنَّ ابْنِي

هذا... إلخ، الحديث: ٢٧٠٤، ج ٢، ص ٢١٤.

तो अमीरे मुआविया पर फ़िस्क वगैरा का तान करने वाला हकीकतन हज़रते इमाम हसने मुज्ताबा, बल्कि हुज़ूर सय्यिदे आलम صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم, बल्कि हज़रते इज़्ज़त (1) पर तान करता है।

अक्बिदा 13

उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका रَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا क़ई जन्नती और यकीनन आख़िरत में भी मुहम्मदुरसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم की महबूबए उरूस हैं (2), जो उन्हें ईजा देता है रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم को ईजा देता है (3) और हज़रते तल्हा व हज़रते जुबैर रَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا तो अशरए मुबशशरा (4) से हैं (5), इन साहिबों से भी ब मुकाबला अमीरुल मुअमिनीन मौला

1..... وفي "المعتمد المستند"، حاشية نمبر 319، ص 192: (في "الجامع الصحيح": إن ابني هذا سيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وبه ظهر أن الطعن على الأمير معاوية رضي الله تعالى عنه طعن على الإمام المجتبي بل على جده الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم، بل على ربه عز وجل).

2..... عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه ليهون علي الموت، إني أريتك زوجتي في الجنة)). "المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: 98، ج 23، ص 39.

وحد ثنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضي الله عنها، قالت: فتكلمت أنا، فقال: ((أما تريين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟)) قالت: بلى والله، قال: ((فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة)).

"المستدرک" للحاکم، فضائل عائشة عن لسان ابن عباس، الحديث: 6789، ج 5، ص 12. عن عمار قال: ((إن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة)). "المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الفضائل، باب ما ذكر عائشة رضي الله عنها، الحديث: 10، ج 7، ص 529. "الفتاوى الرضوية"، ج 29، ص 376.

3..... ((يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي... إلخ)) "صحيح البخاري"، كتاب المغازي، باب حديث الإفك، الحديث: 4141، ج 3، ص 64. وفي رواية: حدثنا هشام عن أبيه قال:..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أم سلمة لا تؤذي في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكفئ غيرها)).

"صحيح البخاري"، كتاب فضائل أصحاب النبي، باب فضل عائشة رضي الله عنها، الحديث: 3775، ج 2، ص 552. وفي "المرواة"، تحت الحديث: 6189: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ((لا تؤذي في عائشة)) أي: في حقها، وهو أبلغ من لا تؤذي عائشة لما يفيد من أن ما آذاها فهو يؤذيها. ج 10، ص 561.

4..... वोह दस सहाबा जिन्हें उन की ज़िन्दगी ही में जन्नत की बिशारत दे दी गई थी जिन के नाम सफ़हा नम्बर 250 पर गुज़रे।

5..... عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((..... وطلحة في الجنة والزبير في الجنة.....)). "سنن الترمذي"، أبواب المناقب، الحديث: 3768، ج 5، ص 416.

अली क़र्रमल्लहू तैआल व ज़हेहू करीम अज़िहादी वाक़ेअ हुई, मगर इन सब ने बिल आख़िर रुजूअ फ़रमाई⁽¹⁾, उर्फ़े शरअ में बगावत मुत्लकन मुकाबलए इमामे बरहक़ को कहते हैं, इनादन⁽²⁾ हो, ख़्वाह इज्तिहादन⁽³⁾, इन हज़रात पर ब वज्हे रुजूअ इस का इत्लाक़ नहीं हो सकता, गुरौहे अमीरे मुआविया रज़िअल्लहू तैआल عنه पर हस्बे इस्तिलाहे शरअ इत्लाक़ फ़ए बाग़िया⁽⁴⁾ आया है⁽⁵⁾, मगर अब कि बागी ब माना मुफ़िसद व मुआनिद व सरकश हो गया और दुश्नाम⁽⁶⁾ समझा जाता है, अब किसी सहाबी पर इस का इत्लाक़ जाइज़ नहीं ।

①..... (شهد الزبير الجمل مقاتلاً علي، فناداه علي ودعاه، فانفرد به وقال له: أتذكر إذ كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليّ وضحك وضحكت فقلت: أنت لا يدع ابن أبي طالب زهوه فقال: ليس بمزه، ولتقاتلته وأنت له ظالم، فذكر الزبير ذلك، فانصرف عن القتال، فنزل بوادي السباع، وقام يصلي فأناه ابن جرموز فقتله، وجاء بسيفه إلى علي فقال: إنّ هذا سيف طالما فرّج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بشّر قاتل ابن صفية بالنار).
”أسد الغابة في معرفة الصحابة“، ج ٢، ص ٢٩٧.

وفيه: (قتل طلحة يوم الجمل، وكان شهد ذلك اليوم محارباً لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فرغم بعض أهل العلم أنّ علياً دعاه، فذكره أشياء من سوابقه على ما قال للزبير، فرجع عن قتاله، واعتزل في بعض الصفوف، فرمي بسهم في رجله، وقيل: إنّ السهم أصاب ثغرة نحره فمات، رماه مروان بن الحكم). ”أسد الغابة في معرفة الصحابة“، ج ٣، ص ٨٥.

इन रिवायतों से पता चला कि हज़रते जुबैर और हज़रते तल्हा रज़िअल्लहू तैआल عنहमा दोनों से ख़ताए इज्तिहादी वाक़ेअ हुई और येह हज़रते अली रज़िअल्लहू तैआल عنه के मद्दे मुकाबिल हुए लेकिन याद दिलाने पर अलग हो गए और जंग नहीं लड़ी ।

②.....दुश्मनी के तौर पर ।

③.....”في الدر المختار“، كتاب الجهاد، باب البيعة، ج ٦، ص ٣٩٨-٣٩٩: (البيعة شرعاً: هم الخارجون عن الإمام الحقّ بغير حقّ فلو بحقّ فليسوا ببيعة).

④.....शरीअत की इस्तिलाह में इसे बागी गुरौह कहा गया है ।

⑤.....”في صحيح البخاري“: عن عكرمة: قال لي ابن عباس ولائنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد، فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فلما هو في حائط يصلح، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فينفذ التراب عنه ويقول: ((ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)) قال: يقول عمار: أعود بالله من الفتن.

”صحيح البخاري“، كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد، الحديث: ٤٤٧، ج ١، ص ١٧١.

⑥.....गाली

अक्बीदा 14

उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सिद्दीका बन्ते सिद्दीक, महबूबए महबूबे रब्बिल अलमीन جل وعلا و صلى الله تعالى عليه و عليهما وسلم पर مَعَاذَ اللَّهِ तोहमते मलज़नए इफ़क⁽¹⁾ से अपनी नापाक ज़बान आलूदा करने वाला, क़अन यकीनन काफ़िर मुरतद है⁽²⁾ और इस के सिवा और तान करने वाला राफ़िज़ी, तबर्आई, बद दीन, जहन्नमी ।

अक्बीदा 15

हज़रते हसनैन رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا यकीनन आला दरजा शुहदाए किराम से हैं, इन में किसी की शहादत का मुन्किर गुमराह, बद दीन, ख़ासिर है ।

अक्बीदा 16

यज़ीदे पलीद फ़ासिक़ फ़ाजिर मुर्तकिबे कबाइर था, مَعَاذَ اللَّهِ इस से और रैहानए رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ सय्यिदुना इमामे हुसैन رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से क्या निस्बत...? आज कल जो बाज़ गुमराह कहते हैं कि : “हमें इन के मुआमले में क्या दख़ल ? हमारे वोह भी शहज़ादे, वोह भी शहज़ादे ।” ऐसा बकने वाला मरदूद, ख़ारिजी, नासिबी⁽³⁾ मुस्तहिक्के जहन्नम है । हां ! यज़ीद को काफ़िर कहने और उस पर लानत करने में उलमाए अहले सुन्नत के तीन कौल हैं और हमारे इमामे आजम رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ का मस्लक सुकूत, यानी हम इसे फ़ासिक़ फ़ाजिर कहने के सिवा, न काफ़िर कहें, न मुसलमान ।⁽⁴⁾

1आप رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا की पाक दामनी पर बोहतान ।

2في ”الفتاوى الهندية“، الباب التاسع في أحكام المرتدين: (ولو قذف عائشة رضي الله عنها بالزنى كفر بالله ولو قذف سائر نسوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر ويستحق اللعنة).

”الفتاوى الهندية“، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج ٢، ص ٢٦٤

و”البحر الرائق“، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج ٥، ص ٢٠٤.

وفي ”منح الروض الأزهر“ للقارئ، ص ٧٢: (سب الصحابة والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر كقذف

عائشة رضي الله عنها وإلا فبدعة وفسق). ”الفتاوى الرضوية“، ج ١، ص ٢٤٦.

3वोह फ़िर्का जो अपने सीनों में हज़रते अली और हसन व हुसैन رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ से बुग्ज़ो कीना रखते हैं ।

4आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ क़अन यकीनन ब इज्माए अहले सुन्नत फ़ासिको फ़ाजिर इरशाद फ़रमाते हैं : “यज़ीदे पलीद عليه السلام क़अन यकीनन ब इज्माए अहले सुन्नत फ़ासिको फ़ाजिर व जरी अलल कबाइर था इस क़दर पर अइम्मए अहले सुन्नत का इत्बाक़ व इत्तिफ़ाक़ है, सिर्फ़ इस की तक्फ़ीर व लान में इख़िलाफ़ फ़रमाया । इमाम अहमद बिन हम्बल رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ और उन के इत्तिबाअ व मुवाफ़िकीन इसे काफ़िर कहते और ब तख़्सीसे नाम उस पर लान करते हैं और इस आयए करीमा से इस पर सनद लाते हैं :

અવકીર્ણ 17

अहले बैते किराम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ मुक्तदायाने अहले सुन्नत हैं, जो इन से

महब्बत न रखे, मरदूदो मलऊन खारिजी है ।

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ٣٧ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾ ﴿٣٨﴾

क्या करीब है कि अगर वालिये मुल्क हो तो ज़मीन में फ़साद करो और अपने नसबी रिश्ते काट दो, येह हैं वोह लोग जिन पर **अल्लाह** ने लानत फरमाई तो इन्हें बहरा कर दिया और इन की आंखें फोड़ दीं।

शक नहीं कि यज़ीद ने वालिये मुल्क हो कर ज़मीन में फ़साद फैलाया, हरमैन तय्यिबैन व खुद काबए मुअज़्ज़मा व रौज़ए तय्यिबा की सख़्त बे हुर्मतियां कीं, मस्जिदे करीम में घोड़े बांधे, इन की लीद और पेशाब मिम्बरे अत्हर पर पड़े, तीन दिन मस्जिदे नबी ﷺ बे अज़ानो नमाज़ रही, मक्का व मदीना व हिजाज़ में हज़ारों सद्दाबा व ताबेईन बे गुनाह शहीद किये, काबए मुअज़्ज़मा पर पथ्थर फेंके, ग़िलाफ़ शरीफ़ फाड़ा और जला दिया, मदीनए तय्यिबा की पाक दामन पारसाएं तीन शबाना रोज़ अपने ख़बीस लश्कर पर हलाल कर दीं, रसूलुल्लाह ﷺ के ज़िगर पारे को तीन दिन बे आबो दाना रख कर मअ़ हमराहियों के तेगे जुल्म से प्यासा ज़ब्द किया, मुस्तफ़ा ﷺ के गोद के पाले हुए तने नाज़्ज़ीन पर बादे शहादत घोड़े दौड़ाए गए कि तमाम उस्तुख़्वाने मुबारक चूर हो गए, सरे अन्वर कि मुहम्मद ﷺ का बोसा गाह था काट कर नेजे पर चढ़ाया और मन्ज़िलों फ़िराया, हरमे मोहतरम मुखद् मुश्कूए रिसालत कैद किये गए और बे हुर्मती के साथ इस ख़बीस के दरबार में लाए गए, इस से बढ़ कर क़त्ल रेहूम और ज़मीन में फ़साद क्या होगा, मल्ज़न है वोह जो इन मल्ज़न हरकात को फ़िस्को फुजूर न जाने, कुरआने अज़ीम में सराहतन इस पर ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ (उन पर अल्लाह की लानत है। त) फ़रमाया, लिहाज़ा इमाम अहमद और इन के मुवाफ़िकीन उन पर लानत फ़रमाते हैं और हमारे इमामे आज़म رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने लान व तक्फ़ीर से एहतियातन सुकूत फ़रमाया कि इस से फ़िस्को फुजूर मुतवातिर हैं कुफ़्र मुतवातिर नहीं और ब ह़ाले एहतिमाल निस्वते कबीरा भी जाइज़ नहीं न कि तक्फ़ीर, और अम्साले वईदात मशरूत ब अदमे तौबा हैं ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿مَسْكُونٌ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (तो अन्क़रीब दोज़ख़ में गय्य का जंगल पाएंगे मगर जो ताइब हुए। त) और तौबा ता दमे गरग़रा मक्बूल है और इस के अदम पर जज़्म नहीं और येही अहवतौ अस्लम है, मगर इस के फ़िस्को फुजूर से इन्कार करना और इमामे मज़्लूम पर इल्ज़ाम रखना ज़रूरिय्याते मज़हबे अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ है और ज़लालत व बद मज़हबी साफ़ है, बल्कि इन्साफ़न येह उस कल्ब से मुतसव्वर नहीं जिस में महब्वते सय्यिदे आलम ﷺ का शम्मा हो, ﴿وَيَعْلَمُ الْإِنسَانُ أَنَّهُ مُقْلِبٌ إِلَىٰ مَقْلَبٍ مِّنْهُن﴾ अब जाना चाहते हैं ज़ालिम कि किस करवट पर पलटा खाएंगे। त) शक नहीं कि इस का काइल नासिबी मरदूद और अहले सुन्नत का अदुव्वो उनूद है।” ५९३-५९१, ص १, كتاب السير, ج ४

अहकामे शरीअत में फरमाते हैं : “यज़ीदे पलीद के बारे में अइम्माए अहले सुन्नत के तीन क़ौल हैं इमाम अहमद वग़ैरा अकाबिर इसे काफ़िर जानते हैं तो हरगिज़ बख़्शिश न होगी और इमाम ग़ज़ाली वग़ैरा मुसलमान कहते हैं तो इस पर कितना ही अज़ाब हो बिल आख़िर बख़्शिश ज़रूर है और हमारे इमाम सुकूत फरमाते हैं कि हम न मुसलमान कहें न काफ़िर लिहाज़ा यहां भी सुकूत करेंगे। وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

“अहकामे शरीअत”, स. 165

انظر للتفصيل: "المسامرة"، ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ص ٣١٧-٣١٨، و"النبراس"، ص ٣٣٠-٣٣٢، و"منح الروض الأزهر" للقارئ، ص ٧١-٧٣، "شرح العقائد النسفية"، ص ١٦٣-١٦٤، و"فضائل دعا"، ص ١٩٤-١٩٦.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दावते इस्लामी)

अक्बिदा 18

उम्मुल मुअमिनीन खदीजतुल कुब्रा, व उम्मुल मुअमिनीन अइशा सिद्दीका, व हज़रते सय्यिदह رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ कर्ई जन्नती हैं⁽¹⁾ और इन्हें और बक़िय्या बनाते मुकर्रमात व अज्वाजे मुतहहरात رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ को तमाम सहाबिय्यात पर फ़ज़ीलत है।⁽²⁾

अक्बिदा 19

इन की तह़ारत की गवाही कुरआने अज़ीम ने दी।⁽³⁾

①..... عن هند بن أبي هالة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ اللَّهَ أَيْبَى لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ أَوْ أَزُوجَ إِلَّا أَهْلَ الْجَنَّةِ)). "الجامع الصغير"، ص ١٠٤، الحديث: ١٦٦٠.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سألت ربي أن لا أزواج إلا من أهل الجنة ولا أتزوج إلا من أهل الجنة)). "الجامع الصغير"، ص ٢٨٣، الحديث: ٤٦٠٧.

عن عائشة قالت: ((بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة)).

"صحيح مسلم"، كتاب فضائل الصحابة، فضائل خديجة أم المؤمنين، الحديث: ٢٤٣٤، ص ١٣٢٣.

عن أبي زرعة قال: سمعت أبا هريرة قال: ((أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومنّي وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب)). "صحيح مسلم"، كتاب فضائل الصحابة، فضائل خديجة أم المؤمنين، الحديث: ٢٤٣٢، ص ١٣٢٢.

عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ ليهون علي الموت، إنني أريتك زوجتي في الجنة)). "المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٩٨، ج ٢٣، ص ٣٩.

عن عمار قال: ((إنّ عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة)). "المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الفضائل، باب ما ذكر عائشة رضي الله عنها، الحديث: ١٠، ج ٧، ص ٥٢٩.

وحدثنا عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضي الله عنها، قالت: فتكلمت أنا، فقال: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى والله، قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة).

"المستدرک" للحاكم، فضائل عائشة عن لسان ابن عباس، الحديث: ٦٧٨٩، ج ٥، ص ١٢.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)). "صحيح البخاري"، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب فاطمة رضي الله عنها، ج ٢، ص ٥٥٠. انظر للتفصيل: عقيدة نمبر (٥).

②..... في "كشف الغمّة"، ج ٢، ص ٥٥: (وزوجاته وبناته أفضل نساء العالمين).

③..... ﴿اٰمَنَآ بِرَبِّنَا وَلِلّٰهِ رُجُوۡنَا﴾ تحت هذه الآية: (٣، ص ٤٩٩، ج ٣، ص ٣٣).

في "تفسير الخازن"، ج ٣، ص ٤٩٩، تحت هذه الآية: (٣، ص ٤٩٩، ج ٣، ص ٣٣). "أي: الإثم الذي نهى الله النساء عنه، وقال ابن عباس: يعني عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا، وقيل: الرجس الشك وقيل: السوء).

في "التفسير الكبير"، ج ٩، ص ١٦٨، تحت هذه الآية: (واختلفت الأقوال في أهل البيت، والأولى أن يقال: هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلي منهم؛ لأنّه كان من أهل بيته بسبب معاشرته بنت النبي عليه السلام وملازمته للنبي).

विलायत का बयान

विलायत एक कुर्बे खास है कि मौला عز وجل अपने बर गुज़ीदा बन्दों को महज़ अपने फज़लो करम से अता फ़रमाता है।

मस्अला 1 — विलायत वहबी शै है⁽¹⁾, न येह कि आमाले शाक्का⁽²⁾ से आदमी खुद हासिल कर ले, अलबत्ता ग़ालिबन आमाले हसना इस अतिय्यए इलाही के लिये ज़रीअ़ा होते हैं,⁽³⁾ और बाज़ों को इब्तिदाअन मिल जाती है।

मस्अला 2 — विलायत बे इल्म को नहीं मिलती,⁽⁴⁾ ख़्वाह इल्म बतौर ज़ाहिर हासिल किया हो, या इस मर्तबे पर पहुंचने से पेशतर अल्लाह عز وجل ने उस पर उलूम मुन्कशिफ़ कर दिये हों।

अक्वीदा 1 — तमाम औलियाए अक्वलीनो आख़िरीन से औलियाए मुहम्मदिय्यीन यानी इस उम्मत के औलिया अफ़ज़ल हैं,⁽⁵⁾ और तमाम औलियाए मुहम्मदिय्यीन में सब से ज़ियादा

①.....विलायत, अल्लाह عز وجل की तरफ़ से अता कर्दा इन्आम है।

②.....सख़्त मुश्किल आमाल।

③.....फ़तावा रज़विय्या, जि. 21, स. 606 : “विलायत कस्बी नहीं महज़ अताई है हां कोशिश और मुजाहदा करने वालों को अपनी राह दिखाते हैं।”

“अल मल्फूज़, मारूफ़ बह “मल्फूज़ाते आला हज़रत” رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, हिस्सा अक्वल, स. 23, 24

④..... (فإن الله ما اتخذ ولياً جاهلاً). “الفتوحات المكية”, ج 3, ص 92.

आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिद्दीनीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान इरशाद फ़रमाते हैं : “हाशा ! न शरीअत व तरीक़त दो राहें हैं न औलिया कभी ग़ैर उलमा हो सकते हैं, अल्लामा मुनावी “शर्ह जामेए सगीर” फिर अरिफ़ बिल्लाह सय्यिदी अब्दुल ग़नी नाबुलुसी “हदीकए नदिय्या” में फ़रमाते हैं : इमाम मालिक رضي الله تعالى عنه फ़रमाते हैं : [160] : “النوع الثاني، ج 1, ص 160 : “وما اتخذ الله ولياً جاهلاً”, رضي الله تعالى عنه फ़रमाते हैं : इमाम शाफ़ेई رضي الله تعالى عنه फ़रमाते हैं : “अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को अपना वली न बनाया, यानी बनाना चाहा तो पहले उसे इल्म दे दिया उस के बाद वली किया।” “फ़तावा रज़विय्या”, जि. 21, स. 530।

⑤..... في “اليواقيت والجواهر”: (اعلم أنّ عدد منازل الأولياء في المعارف والأحوال التي ورثوها من الرسل عليهم الصلاة والسلام، مائتا ألف منزل وثمانية وأربعون ألف منزل وتسعمائة وتسعة وتسعون منزلاً لا بد لكل من حق له قدم الولاية أن ينزلها جميعها ويخلع عليه في كل منزل من العلوم ما لا يحصى، قال الشيخ محيي الدين: وهذه المنازل خاصة بهذه الأمة المحمدية لم ينلها أحد من الأمم قبلهم ولكل منزل ذوق خاص لا يكون لغيره).

“اليواقيت والجواهر”, المبحث السابع والأربعون، الجزء الثاني، ص 348.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

मारिफत व कुर्बे इलाही में खुलफ़ाए अरबआ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ हैं और इन में तरतीब वोही तरतीबे अफ़ज़लियत है, सब से ज़ियादा मारिफत व कुर्ब सिद्दीके अक्बर को है, फिर फ़ारूके आजम, फिर जुन्नूरैन, फिर मौला मुर्तज़ा को رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ⁽¹⁾ हां मर्तबए तक्मील पर हुज़ूरे अक्दस صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने जानिबे कमालाते नबुव्वत हज़राते शैख़ैन को काइम फ़रमाया और जानिबे कमालाते विलायत हज़राते मौला मुश्किल कुशा को ⁽²⁾ तो जुम्ला औलियाए मा बाद ने मौला अली ही के घर से नेमत पाई और इन्हीं के दस्त निगर ⁽³⁾ थे, और हैं और रहेंगे।

अक्बीदा 2

तरीक़त मुनाफ़िये शरीअत नहीं ⁽⁴⁾। वोह शरीअत ही का बातिनी हिस्सा है, बाज़ जाहिल मुतसव्विफ़ जो येह कह दिया करते हैं कि : तरीक़त और है शरीअत और, महज़ गुमराही है और इस ज़ोमे बातिल के बाइस अपने आप को शरीअत से आज़ाद समझना सरीह कुफ़्र व इल्हाद ⁽⁵⁾।

① في "المعتمد المستند"، حاشية نمبر: ٣١٦، ص ١٩١: (أفضل الأولياء المحمديين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم).

وفي "الحديقة الندية"، ج ١، ص ٢٩٣: (وأفضلهم) أي: الأولياء (أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر) بن الخطاب (الفاروق، ثم عثمان بن عفان (ذو النورين، ثم علي المرتضى) ملتقطاً.
② "الفتاوى الرضوية"، ج ٢٩، ص ٢٣٤.

③ मोहताज, हाजत मन्द।

④ यानी : तरीक़त, शरीअत के ख़िलाफ़ नहीं है।

⑤ في "إحياء العلوم"، كتاب قواعد العقائد، الفصل الثاني: في وجه التدرّج إلى الإرشاد... إلخ، ج ١، ص ١٣٨-١٣٩: (إنّ الباطن إن كان مناقضاً للظاهر ففيه إبطال الشرع، وهو قول من قال: إنّ الحقيقة خلاف الشريعة وهو كفر لأنّ الشريعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن)..... (فمن قال: إنّ الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان)، ملتقطاً. وفي "عوارف المعارف"، ص ٥٢، ١٢٨.
وفي "كشف المحجوب"، ومن ذلك الشريعة والحقيقة والفرق بينهما، ص ٤٢٣-٤٣٣.

आला हज़रत, अज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيهِ سَلَامُ "फ़तावा रज़विय्या" में फ़रमाते हैं : शरीअत, तरीक़त, हकीक़त, मारिफत में बाहम अस्लन कोई इख़िलाफ़ नहीं इस का मुद्दई अगर बे समझे कहे तो निरा जाहिल है और समझ कर कहे तो गुमराह, बद दीन। शरीअत हुज़ूरे अक्दस, सय्यिदे आलम صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के अक्वाल हैं, और तरीक़त : हुज़ूर के अफ़ाल, और हकीक़त हुज़ूर के अहवाल, और मारिफत हुज़ूर के उलूमे बे मिसाल, और आलाह तआला रहमत बरसाए जब तक मौला तआला फ़रमाए। त)।

وانظر "الفتاوى الرضوية"، الرسالة: "مقال عرفاً يعزّز شرع وعلماء"، ج ٢١، ص ٥٢١ إلى ٥٦٨. 21، ج 21، ص 460. "فताوا رज़विय्या"،

मसअला 3

अहकामे शरइय्या की पाबन्दी से कोई वली कैसा ही अज़ीम हो, सबुक दोश नहीं हो सकता।⁽¹⁾ बाज़ जुहहाल जो येह बक देते हैं कि शरीअत रास्ता है, रास्ते की हाजत उन को है जो मक्सूद तक न पहुंचे हों, हम तो पहुंच गए।

सय्यिदुत्ताइफ़ा हज़रते जुनैद बग़दादी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने उन्हें फ़रमाया :

“صَدَقُوا لَقَدْ وَصَلُوا وَلَكِنْ إِلَى أَيْنَ؟ إِلَى النَّارِ.”⁽²⁾

“वोह सच कहते हैं, बेशक पहुंचे, मगर कहां ? जहन्नम को।”

अलबत्ता ! अगर मज्ज़ूबियत⁽³⁾ से अक्ले तक्लीफ़ी ज़ाइल हो गई हो, जैसे ग़शी वाला तो उस से क़लमे शरीअत उठ जाएगा⁽⁴⁾, मगर येह भी समझ लो ! जो इस किस्म का होगा, उस की ऐसी बातें कभी न होंगी, शरीअत का मुक़ाबला कभी न करेगा।⁽⁵⁾

① وفي “شرح العقائد النسفية”، مبحث لا يبلغ ولي درجة الأنبياء، ص ١٦٦: (ولا يصل العبد ما دام عاقلاً بالغاً إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي لعموم الخطابات الواردة في التكليف، وإجماع المجتهدين على ذلك، وذهب بعض الإباحيين إلى أنّ العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأمر والنهي، ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر، وبعضهم إلى أنّه تسقط عنه العبادات الظاهرة، وتكون عباداته التّفكّر، وهذا كفر وضلال، فإنّ أكمل الناس في المحبة والإيمان هم الأنبياء خصوصاً حبيب الله تعالى صلى الله عليه وسلم مع أنّ التكليف في حقهم أتمّ وأكمل).

في “منح الروض الأزهر” للقارئ، ص ١٢٢: (أنّ العبد ما دام عاقلاً بالغاً لا يصل إلى مقام يسقط عنه الأمر والنهي لقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ بَكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ فقد أجمع المفسرون على أنّ المراد به الموت، وذهب بعض أهل الإباحة إلى أنّ العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه من الغفلة واختار الإيمان على الكفر والكفران سقط عنه الأمر والنهي، ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر، وذهب بعضهم إلى أنّه تسقط عنه العبادات الظاهرة، وتكون عباداته التّفكّر وتحسين الأخلاق الباطنة، وهذا كفر وزندقة وضلالة وجهالة، فقد قال حجة الإسلام: إنّ قتل هذا أولى من مائة كافر).

② في “اليواقيت والجواهر”، المبحث السادس والعشرون، ص ٢٠٦: (قد سئل القاسم الحنيد رضي الله عنه عن قوم يقولون: بإسقاط التكليف، ويزعمون أنّ التكليف إنّما كانت وسيلة إلى الوصول وقد وصلنا، فقال رضي الله تعالى عنه: صدقوا في الوصول ولكن إلى سقر). وانظر “الفتاوى الرضوية”، ج ٢١، ص ٥١٢، ٥٣٨.

③ अल्लाह तआला की महबूबत में गर्क होने।

④ في “اليواقيت والجواهر”، ص ٢٠٧: (إنّ كل من سلب عقله كالبهاليل والمجانين والمجاذيب لا يطالب بأدب من الآداب بخلاف ثابت العقل فإنّه يجب عليه معانقة الأدب، والفرق أنّ من سلب عقله من هؤلاء حكمه عند الله حكم من مات في حالة شهود).

⑤ “मल्फूज़ाते आला हज़रत رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ” में है : “सच्चे मज्ज़ूब की येह पहचान है कि शरीअते मुतहहरा का कभी मुक़ाबला न करेगा।” “मल्फूज़ाते आला हज़रत बरेल्वी”, हिस्सा दुवुम, स. 240

मञ्जला 4

औलियाए किराम को अल्लाह ﷻ ने बहुत बड़ी ताकत दी है, इन में जो अस्हाबे ख़िदमत हैं उन को तसरूफ़ का इख़्तियार दिया जाता है, सियाह, सफ़ेद के मुख्तार बना दिये जाते हैं⁽¹⁾, येह हज़रात नबी ﷺ के सच्चे नाइब हैं, इन को इख़्तियारातो तसरूफ़ात हुज़ूर (ﷺ) की नियाबत में मिलते हैं⁽²⁾, उलूमे ग़ैबिया इन पर मुन्कशिफ़ होते हैं⁽³⁾,

①.....मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहिब मुहद्दिस देहलवी “तफ़्सीरे अज़ीज़ी” में ज़ेरे आयए करीमा लिखते हैं:

بعض از خواص اولیاء اللہ را کہ آله جادحہ تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت مرتصرف در دنیا دادہ و استغراق آنها بجهت کمال وسعت مدارک آنها مانع توجہ بایں سمت نمی گردد و اوپسایں تحصیل کمالات باطنی از آنها می نمایند ادیاب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انہامی طلبند و می یابند۔

यानी : अल्लाह तआला के बाज़ खास औलिया हैं जिन को बन्दों की तरबियते कामिला और राहनुमाई के लिये ज़रीआ बनाया गया है, उन्हें इस हालत में भी दुनिया के अन्दर तसरूफ़ की ताकत व इख़्तियार दिया गया है और कामिल वुस्अते मदारिक की वजह से उन का इस्तिराक़ इस तरफ़ मुतवज्जेह होने से मानेअ नहीं होता, सूफ़ियाए उवैसिया बातिनी कमालात इन औलियाउल्लाह से हासिल करते हैं और गरज़ मन्द व मोहताज लोग अपनी मुशकलात का हल इन से तलब करते और पाते हैं।

“فتح العزيز” (تفسير عزيزی)، تحت الآية: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾، ص ۲۰۶، بحواله “فتاوی رضویہ” ج ۲۹، ص ۱۰۳-۱۰۴.

②..... في “اليواقيت والجواهر”: (من الأدب أن يقال: فلان يطلع على قدم الأنبياء، ولا يقال: إنه على قلبهم؛ لأن الأولياء على آثار الأنبياء مقتدون ولو أنهم كانوا على قلوب الأنبياء لئلا ما نالته الأنبياء أصحاب الشرائع فلما أطلعني الله على مقامات الأنبياء علمت أن للأولياء معراجين أحدهما يكونون فيه على قلوب الأنبياء ما عدا محمداً صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لكن من حيث هم أولياء أو ملهون فيما لا تشريع والمعراج التالي يكونون فيه على أقدام الأنبياء أصحاب التشريع فيأخذون معاني شرعهم بالتعريف من الله ولكن من مشكاة نور الأنبياء فلا يخلص لهم الأخذ عن الله ولا عن الروح القدس وما عدا ذلك فإنه يخالص لهم من الله تعالى ومن الروح القدس من طريق الإلهام).

(“اليواقيت والجواهر”، المبحث السابع والأربعون، الجزء الثاني، ص ۳۴۸-۳۴۹).

انظر “بهجة الاسرار”، ذكر كلمات أخبر بها عن نفسه... إلخ، ص ۵۰، وفي “الفتاوى الرضوية”، ج ۳۰، ص ۴۹۲-۴۹۳.

③..... في “تفسيرات أحمدية”، ب ۲۱، لقمان: تحت الآية: ۳۴، ص ۶۰۸-۶۰۹: (ولك أن تقول إن علم هذه الخمسة وإن كان لا يعلمه إلا الله لكن يجوز أن يعلمها من يشاء من محبه وأولياءه بقرينة قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ على أن يكون الخبير بمعنى المخبر).

وفي “تفسير الصاوي”، ب ۲۱، لقمان: تحت الآية: ۳۴، ج ۵، ص ۱۶۰۷: ﴿وَمَا تَذَرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَاً﴾ أي: من حيث ذاتها، وأما بإعلام الله للعبد فلا مانع منه كالأنبیاء وبعض الأولیاء، قال تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾. وقال تعالى: ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾. ﴿إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ قال العلماء: وكذا ولي، فلا مانع من كون الله يطلع بعض عباده الصالحين على بعض هذه المغيبات، فتكون معجزة للنبي وكرامة للولي).

इन में बहुत को मा कान व मा यकून⁽¹⁾ और तमाम लौहे महफूज पर इत्तिलाअ देते हैं⁽²⁾, मगर ये सब हुजुरे अक्दस صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم के वासिते व अता से⁽³⁾, बे वसातते रसूल कोई गैरे नबी किसी गैब पर मुत्तलअ नहीं हो सकता।⁽⁴⁾

अक्वीदा 3 करामते औलिया हक है, इस का मुन्किर गुमराह है।⁽⁵⁾

मस्अला 5 मुर्दा ज़िन्दा करना, मादर ज़ाद अन्धे और कोढ़ी को शिफा देना⁽⁶⁾, मशरिक से मगरिब तक सारी ज़मीन एक क़दम में तै कर जाना, गरज़.....

①.....आला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن "मा कान व मा यकून" के माना बयान करते हुए इरशाद फ़रमाते हैं: "इस के माना: "ما كان من أول يوم ويكون إلى آخر الأيام": यानी: रोज़े अव्वल आफ़रीनिश से रोज़े क़ियामत तक जो कुछ हुवा और होने वाला है एक एक ज़र्रे का इल्मे तफ़सीली।" "फ़तावा रज़विया", जि. 15, स. 275

②..... "الطبقات الكبرى" المسماة بـ"لوائح الأنوار في طبقات الأخيار" للشعراني، الجزء الأول، ص ٢٠٨ و ٢٣٦ و ٢٥٧.

③..... "إرشاد الساري"، كتاب تفسير القرآن، تحت الحديث: ٤٦٩٧، ج ١٠، ص ٣٦٩: ("مفاتيح الغيب" أي: خزائن الغيب "خمس لا يعلمها إلا الله" ذكر خمساً وإن كان الغيب لا يتناهى؛ لأنّ العدد لا ينفي الزائد، أو لأنهم كانوا يعتقدون معرفتها "لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تفيض الأرحام" أي: ما تنقصه، "إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله" أي: إلا عند أمر الله به فيعلم حينئذ كالسابق إذا أمر تعالى به، "ولا تدري نفس بأي أرض تموت" أي: في بلدها أم في غيرها كما لا تدري في أي وقت تموت، "ولا يعلم متى تقوم الساعة" أحد، "إلا الله" إلا من ارتضى من رسول فإنه يطلع على ما يشاء من غيبه والولي التابع له يأخذ عنه). انظر التفصيل في "الفتاوى الرضوية"، ج ٢٩، ص ٤٠٨، ٤١٥، ٤٤٨، ٤٧٥، ٤٧٦.

④..... في "إرشاد الساري"، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم... إلخ، تحت الحديث: ٥٠، ج ١، ص ٢٤٣: (فمن ادّعى علم شيء منها غير مستند إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم كان كاذباً في دعواه).

وفي "فتح الباري"، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم... إلخ، ج ١، ص ١١٤.

وفي "عمدة القاري"، ج ١، ص ٤٢٥. "الفتاوى الرضوية"، ج ٢٩، ص ٤٧٢.

⑤..... في "منح الروض الأزهر" للقارئ، ص ٧٩: (والكرامات للأولياء حق أي: ثابت بالكتاب والسنة، ولا عبرة بمخالفة المعتزلة وأهل البدعة في إنكار الكرامة).

وفي "الحديقة الندية"، ج ١، ص ٢٩٠: (كرامات الأولياء باقية بعد موتهم أيضاً كما أنّها باقية في حال نومهم، ومن زعم خلاف ذلك في الكرامات فهو جاهل متعصّب). "الفتاوى الرضوية"، ج ٨، ص ٧٥، ج ٩، ص ٧٦٦، ج ١٤، ص ٣٢٤.

⑥..... أخبرنا الشيخ القدوة أبو الحسن علي القرشي رضي الله عنه بجبل قاسيون، سنة ثمان عشرة وستمئة، قال: كنت أنا والشيخ أبو الحسن علي بن الهيثمي عند الشيخ محيي الدين عبد القادر رضي الله عنه بمدرسته بباب الأزج سنة تسع وأربعين

तमाम ख़वारिके आदात⁽¹⁾, औलिया से मुम्किन हैं⁽²⁾, सिवा उस मोजिजे के जिस की बाबत दूसरों के लिये मुमानअत साबित.....

وخمسمائة، فجاءه أبو غالب فضل الله بن إسماعيل البغدادي الأزجي الناجر، فقال له: يا سيدي قال جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، وها أنا ذا قد دعوتك إلى منزلي، فقال: إن أذن لي أجبت، ثم أطرق ملياً ثم قال: نعم، فركب بغلته وأخذ الشيخ علي بركابه الأيمن وأخذت أنا بالأيسر فأتيننا داره، وإذا فيها مشايخ بغداد وعلمائوها وأعيانها، فمد سماًطاً فيه من كل حلو وحامض، وأتى بسلة كبيرة مختومة يحملها اثنان وضعت آخر السماًط، فقال أبو غالب: الصلاة والشيخ مطرق فلم يأكل ولا أذن في الأكل ولا أكل أحد وأهل المجلس كأن رؤوسهم الطير من هيبته، فأشار إلي وإلى الشيخ علي بن الهيثمي أن قدما إلي تلك السلة، فقمنا نحملها وهي ثقيلة حتى وضعناها بين يديه، فأمرنا بفتحها ففتحناها فإذا فيها ولد لأبي غالب أكمه مقعد مجذوم مفلوج، فقال له الشيخ: قم ياذن الله معافى، فإذا الصبي يعدو وهو يبصر ولا به عاهة، فضج الحاضرون وخرج الشيخ في غفلات الناس، ولم يأكل شيئاً، فحُثَّتْ إلى سيدي الشيخ أبي سعد القيروي وأخبرته بذلك، فقال: الشيخ عبد القادر يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ياذن الله. قال: ولقد شهدت مجلسه مرة في سنة تسع وخمسين وخمسمائة، فأتاه جمع من الرافضة بقتيتين مخيطتين مختومتين، وقالوا له: قل لنا ما في هاتين القفتين، فنزل من على الكرسي ووضع يده على إحداهما وقال: في هذه صبي مقعد، وأمر ابنه عبد الرزاق بفتحها فإذا فيها صبي مقعد، فأمسك بيده وقال له: قم فقام يعدو، ثم وضع يده على الأخرى وقال: وفي هذه صبي لا عاهة به وأمر ابنه بفتحها ففتحها، وإذا فيها صبي يمشي فأمسك بناصيته وقال له: اقعد فأقعد، فتأبوا عن الرفض على يده، ومات في المجلس يومئذ ثلاثة، ولقد أدركت المشايخ من صدر القرن الماضي يقولون أربعة هم الذين يبرئون الأكمه والأبرص الشيخ عبد القادر، والشيخ بقا بن بطو، والشيخ أبو سعد القيروي، والشيخ علي ابن الهيثمي رضي الله عنهم، ولقد رأيت أربعة من المشايخ يتصرفون في قبورهم كصرف الإحياء، الشيخ عبد القادر، والشيخ معروف الكرخي، والشيخ عقيل المنجي، والشيخ حيا بن قيس الحرائي رضي الله عنهم، ولقد حضرت عنده يوماً فاستقضاني حاجة، فأسرعت في قضائها، فقال لي: تمن ما تريد، قلت: أريد كذا وذكرت أمراً من أمور الباطن، فقال: خذ إليك فوجدته في ساعتني رضي الله عنه. "بهجة الأسرار"، ذكر فصول من كلامه مرصعاً بشيء... إلخ، ص ١٢٣-١٢٤.

①.....तमाम ख़िलाफ़े आदात बातें यानी करामात ।

②.....وفي "شرح العقائد النسفية"، مبحث كرامات الأولياء حق، ص ١٤٦ تا ١٤٩: (تظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة كإتيان صاحب سليمان عليه السلام وهو آصف بن برخيا على الأشهر بعرض بلقيس قبل ارتداد الطرف مع بُعد المسافة، وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة كما في حق مريم فإنه ﴿كَمَّا دَخَلَ

عَلَيْهَا ذَكَرَ يَا مَعْجَرَابٌ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِيَرِيْمَ أَنْ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﷻ﴾، والمشي على الماء كما نقل

हो चुकी है। जैसे कुरआने मजीद के मिसल कोई सूत्र ले आना⁽¹⁾, या दुनिया में बेदारी में अल्लाह عزَّوجلَّ के दीदार या कलामे हकीकी से मुशरफ़ होना, इस का जो अपने या किसी वली के लिये दावा करे, काफ़िर है।⁽²⁾

عن كثير من الأولياء والطيران في الهواء كما نقل عن جعفر بن أبي طالب ولقمان السرخسي وغيرهما وكلام الجماد والعجماء، أما كلام الجماد فكما روي أنه كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعة فسبحت وسمعا تسييحاً، وأما كلام العجماء فكتكلم الكلب لأصحاب الكهف وكما روي النبي عليه السلام قال بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذا التفتت البقرة إليه وقالت إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان الله تتكلم البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم عن الأعداء وغير ذلك من الأشياء مثل رؤية عمر وهو على المنبر في "المدينة" جيشه بـ"نهاوند" حتى قال لأمرير جيشه: يا سارية الجبل الجبل تحذيراً له من وراء الجبل لمكر العدو هناك وسماع سارية كلامه مع بُعد المسافة وكشرب خالد السَّم من غير تضرر به وكجريان النيل بكتاب عمر، وأمثال هذا أكثر من أن يحصى ولما استدلت المعتزلة المنكرة لكرامة الأولياء بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة فلم يتميز النبي من غير النبي أشار إلى الجواب بقوله: ويكون ذلك أي: ظهور خوارق العادات من الولي الذي هو من آحاد الأمة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته؛ لأنه يظهر بها أي: بتلك الكرامة أنه ولي ولن يكون ولياً إلا وأن يكون محققاً في ديانتهم وديانته الإقرار بالقلب واللسان برسالة رسوله مع الطاعة له في أوامره ونواهيه حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن ولياً ولم يظهر ذلك على يده، والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي عليه السلام معجزة سواء ظهر من قبله أو من قبل آحاد أمته وبالنسبة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله فالنبي لا بد من علمه بكونه نبياً ومن قصده إظهار خوارق العادات ومن حكمه قطعاً بموجب المعجزات بخلاف الولي).

① في "روح المعاني"، پ ۲۲، يس: ۳۸، الجزء الثالث والعشرون، ص ۲۰: (وأنت تعلم أن المعتمد عندنا جواز ثبوت الكرامة للولي مطلقاً إلا فيما يثبت بالدليل عدم إمكانه كالإتيان بسورة مثل إحدى سور القرآن).

في "رد المحتار"، كتاب النكاح، باب العدة، ج ۵، ص ۲۵۳: (والحاصل أنه لا خلاف عندنا في ثبوت الكرامة، وإنما الخلاف فيما كان من جنس المعجزات الكبار، والمعتمد الجواز مطلقاً إلا فيما ثبت بالدليل عدم إمكانه كالإتيان بسورة).

② وفي "منح الروض الأزهر" للقارئ، ومنها: هل يجوز رؤية الله تعالى في الدنيا، ص ۱۲۴: (وقال الأردبيلي في كتابه "الأنوار": ولو قال: إني أرى الله تعالى عياناً في الدنيا أو يكلمني شفهاً كفر).

في "الفتاوى الحديثة"، مطلب: في رؤية الله تعالى في الدنيا، ص ۲۰۰: (لا يجوز لأحد أن يدعي أنه رأى الله بعين رأسه، ومن زعم ذلك فهو كافر مراق الدم، كما صرح به من أئمتنا صاحب "الأنوار" ونقله عنه جماعة وأقروه. وحاصل عبارته: أن من قال: إنه يرى الله عياناً في الدنيا ويكلمه شفهاً فهو كافر).

मसअला 6

इन से इस्तिम्दादो इस्तिआनत महबूब है, येह मदद मांगने वाले की मदद

फरमाते हैं⁽¹⁾.....

= في "المعتقد المنتقد"، منه أنه تعالى مرئي بالأبصار في دار القرار، ص ٥٨: (و كفروا مدعي الرؤية كما أنَّ القارئ في ذيل قول القاضي، وكذلك من ادعى مجالسة الله تعالى والعروج إليه ومكالمته قال: وكذا من ادعى رؤيته سبحانه في الدنيا بعينه).

①..... في "المدخل"، فصل في زيارة القبور، الجزء الأول، ج ١، ص ١٨٤: (فإن كان الميت المزار ممن ترجى بركته فيتوسل إلى الله تعالى به، وكذلك يتوسل الزائر بمن يراه الميت ممن ترجى بركته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يبدأ بالتوسل إلى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو العمدة في التوسل، والأصل في هذا كله، والمشرع له فيتوسل به صلى الله عليه وسلم وبمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه ((أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا فيسقون)) [صحیح البخاری، کتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس... إلخ، ج ١، ص ٣٤٦، الحديث: ١٠١٠] انتهى، ثم يتوسل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم في قضاء حوائجهم ومغفرة ذنوبهم، ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه ولأقاربه ولأهل تلك المقابر ولأموات المسلمين ولأحيائهم وذريتهم إلى يوم الدين ولمن غاب عنه من إخوانه ويحار إلى الله تعالى بالدعاء عندهم ويكثر التوسل بهم إلى الله تعالى؛ لأنه سبحانه وتعالى اجتباهم وشرّفهم وكرمهم فكما نفع بهم في الدنيا ففي الآخرة أكثر، فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم، فإنهم الواسطة بين الله تعالى وخلقه، وقد تقرر في الشرع وعلم ما لله تعالى بهم من الاعتناء، وذلك كثير مشهور، وما زال الناس من العلماء والأكابر كابراً عن كابر مشرقاً ومغرباً يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون بركة ذلك حساً ومعنى، وقد ذكر الشيخ الإمام أبو عبد الله بن النعمان رحمه الله في كتابه المسمى بـ "سفينة النجاة لأهل الالتجاء" في كرامات الشيخ أبي النجاة في أثناء كلامه على ذلك ما هذا لفظه: تحقق لذوي البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين محبوبه لأجل التبرك مع الاعتبار؛ فإن بركة الصالحين جارية بعد مماتهم كما كانت في حياتهم والدعاء عند قبور الصالحين، والتشفع بهم معمول به عند علمائنا المحققين من أئمة الدين انتهى.

في "أشعة اللامعات"، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، ج ١، ص ٧٦٢: (واثبت كرده اند آن را مشايخ صوفيه قدس الله اسرارهم وبعض فقهاء رحمة الله عليهم واین امری محقق ومقدراتست نزد اهل كشف وكمال از ایشان تا آنکه بسیاری رافوض وفتح از ادواح رسیده واین طائفه را در اصطلاح ایشان اویسی خوانند امام شافعی گفته است قبر موسی کاظم تریاق مجرب ست مراجبت وعاد او حجة الاسلام محمد

غزالی گفته هر که استمداد کرده شود بوی در حیات استمداد کرده میشود بوی بعد از وفات و یکی از مشایخ عظام گفته است دیدم چهار کس را از مشایخ که تصرف میکنند در قبور خود مانند تصرفهای ایشان در حیات خود یا بیشتر و شیخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر جیلانی و دو کس دیگر را از اولیا شمرده و مقصود حصر نیست آنچه خود دیده یافته است گفته و سیدی احمد بن مرزوقی که از اعظم فقها و علما و مشایخ دیار مغرب است گفت که دوزخ شیخ ابوالعباس حضرمی از من پرسید که امداد حی اقوی است یا امداد میت من بگفتم قوی میگویند که امداد حی قوی تر است و من میگویم که امداد میت قوی تر است پس شیخ گفت نعم زیرا که وی در ساطع حق است و در حضرت اوست نقل درین معنی ازین طائفه بیشتر از آن است که حصر و احصاء کرده شود و یافته نمیشود در کتاب و سنت و اقوال سلف صالح که منافی و مخالف این باشد و رد کنند این را و بتحقیق ثابت شده است بآیات و احادیث که روح باقی است و او را علم و شعور بزران و احوال ایشان ثابت است و ارواح کاملان را قریب و مکاتبت در جناب حق ثابت است چنانکه در حیات بود یا بیشتر از آن و اولیا را کرامات و تصرف در اکوان حاصل است و آن نیست مگر ارواح ایشان را و ارواح باقی است و تصرف حقیقی نیست مگر خدا عز شانه و همه بقدرت اوست و ایشان فانی اند در جلال حق در حیات و بعد از ممات پس اگر داده شود مراد حدی را چیزی بوساطت یکی از دوستان حق و مکاتبتی که نزد خدا دارد و در دنیا شد چنانکه در حالت حیات بود و نیست فعل و تصرف در هر دو حالت مگر حق را جل جلاله و عمر نواله و نیست چیزی که فرق کند میان هر دو حالت و یافته نشده است دلیلی بر آن در شرح شیخ ابن حجر هیتمی مکی در شرح حدیث: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) [صحیح البخاری، کتاب الصلاة، الحديث: ۴۲۷، ج ۱، ص ۱۶۴] گفته است که این بر تقدیر است که نماز گزار در بجانب قبر از جهت تعظیم و آن حرام است باتفاق و اما اتخاذ مسجد در جوار پیغمبر یا صالحی و نماز گزاردن نزد قبر و نه بقصد تعظیم قبر و توجه بجانب قبر بلکه به نیت حصول مدد از وی تا کامل شود ثواب عبادت ببرکت قبر و مجاورت مر آن روح پاک را حرجی نیست).

"أشعة اللمعات"، کتاب الجنائز، باب زیارة القبور، ص ۷۶۲-۷۶۳.

= यानी : “मशाइखे सूफिया और बाज़ फुकहाए किराम رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِم ने औलियाए किराम से मदद हासिल करने को साबित और जाइज़ करार दिया है और येह अक़ीदा अहले कश्फ़ और उन के कामिलीन के हां मुहक्क़ और तै शुदा अक़ीदा है यहां तक कि बहुत से हज़रात को उन अरवाह से फुयूज़ और फुतूह हासिल हुए हैं और इस गुरौहे सूफिया की इस्तिलाह में उन्हें उवैसी कहते हैं। इमाम शाफ़ेई رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى फ़रमाते हैं : हज़रते मूसा काज़िम की क़ब्रे अन्वर क़बूलिय्यते दुआ के लिये तिरयाके मुजर्रब है, हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली ने फ़रमाया : जिस से उस की ज़िन्दगी में मदद लेना जाइज़ है, उस से बादे वफ़ात भी मदद त़लब करना जाइज़ है। मशाइखे इज़ाम में से एक ने फ़रमाया : मैं ने चार मशाइख को देखा है कि वोह अपनी कुबूर में इस तरह तसररफ़ करते हैं जिस तरह अपनी ज़िन्दगी में तसररफ़ करते थे या इस से बढ़ कर हज़रते शैख़ मारूफ़ कख़ी, हज़रते शैख़ अब्दुल कादिर ज़ीलानी और दो और बुजुर्ग़ शुमार किये और इन चार में हसर मक्सूद नहीं जो कुछ उस बुजुर्ग़ ने खुद देखा और पाया उस का बयान कर दिया।

सय्यिदी अहमद बिन मरजूक رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ कि अअज़िम फुकहा व उलमा और मशाइखे दियारे मगरिब में से हैं, फ़रमाते हैं कि : एक दिन शैख़ अबुल अब्बास हज़मी ने मुझ से दरयाफ़्त किया कि : ज़िन्दा की इमदाद ज़ियादा क़वी है या मय्यित की ? मैं ने कहा : एक क़ौम कहती है कि ज़िन्दा की इमदाद क़वी तर है और मैं कहता हूँ कि मय्यित की इमदाद क़वी तर है। शैख़ ने फ़रमाया : हां, क्यूं कि वफ़ात याफ़ता बुजुर्ग़ हक़ तअ़ाला की दरगाह में उस के सामने है। इस बारे में उस गुरौहे सूफिया से इस क़दर रूयात मन्कूल हैं कि हदे शुमार से बाहर हैं।

फिर किताबो सुन्नत व अक्वाले सलफ़ो सालिहीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो इस अक़ीदे के मुनाफ़ी और मुख़ालिफ़ हो और इस की तरदीद करती हो बल्कि आयात व अहादीस से तहक़ीकी तौर पर येह बात पायए सुबूत को पहुंच चुकी है कि रूह बाक़ी है और उसे जाइरीन और उन के हालात का इल्मो शुऊर होता है और येह कि अरवाहे कामिलीन को जनाबे हक़ तअ़ाला में कुर्बो मर्तबा हासिल है जिस तरह ज़िन्दगी में उन्हें हासिल था बल्कि इस से बढ़ कर, और औलियाए किराम की करामात बरहक़ हैं और उन्हें काएनात में तसररफ़ की कुव्वतो ताक़त हासिल है येह सब कुछ उन की अरवाह करती हैं, और वोह बाक़ी हैं और मुतसररिफ़े हक़ीकी तो अल्लाह عَزَّ وَ شَهِ है, येह सब कुछ हक़ीक़तन उसी की कुदरत का करिश्मा है येह हज़रात अपनी ज़िन्दगी में और बाद अज़ विसाल जलाले हक़ में फ़ानी और मुस्तगरक़ हैं, लिहाज़ा अगर किसी को दोस्ताने हक़ की वसातत से कोई चीज़ और मर्तबा हासिल हो जाए तो कोई बर्द नहीं (और इस का इन्कार दुरुस्त नहीं) जैसा कि उन की ज़ाहिरी ज़िन्दगी में था और हक़ीक़तन तो फ़ेलो तसररफ़ हक़ عَلَّامٌ غُيُوبٍ का होता है और ऐसी कोई दलील और वजह मौजूद नहीं जो ज़िन्दगी और मौत में फ़र्क़ करे।

हज़रते शैख़ इब्ने हज़र हैतमी मक्की رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى ने हदीसे पाक :

((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) [صحیح البخاری، کتاب الصلاة، الحديث: ६२७، ج १، ص १६६]

(अल्लाह तअ़ाला ने यहूदो नसारा पर लानत की है क्यूं कि उन्होंने ने अपने अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام की कुबूर को सज्दा गाह बना लिया) की शर्ह में फ़रमाया कि येह इस सूत में है कि उन की ताज़ीम की ख़ातिर उन की कुबूर की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़े कि ऐसा करना बिल इत्तिफ़ाक़ ह़राम है लेकिन किसी पैग़म्बर या वली के पड़ोस में मस्जिद बनाना और उस की ताज़ीम के इरादे और क़ब्र की तरफ़ तवज्जोह किये बिग़ैर नमाज़ अदा करना जाइज़ है बल्कि हुसूले मदद की निय्यत से ताकि उस की क़ब्र की बरक़त से इबादत का सवाब कामिल मिले और उस की रूहे पाक का कुर्ब व पड़ोस नसीब हो तो इस में कोई ह़रज व मुमानअत नहीं।”

”अब्दुल म्मैत“ (मज़मू), کتاب الجائز، زیارت قبور کاتبیان، ج ۲، ص ۹۲۳-۹۲۴ - انظر ”الفتاوى الرضویة“، ج ۹، ص ۷۹۱ إلى ۷۹۸.

चाहे वोह किसी जाइज लफ्ज के साथ हो। रहा उन को फ़ाइले मुस्तक़िल जानना, येह वहाबिया का फ़रेब है, मुसलमान कभी ऐसा ख़याल नहीं करता, मुसलमान के फ़ेल को ख़्वाह म ख़्वाह क़बीह सूत पर ढालना वहाबियत का ख़ास्सा है।⁽¹⁾

①.....“फ़तावा रज़विय्या”, जि. 21, स. 331, 332 में है : “अहले इस्तिअनत से पूछो तो कि तुम अम्बियाओ औलिया عليهم افضل الصلوٰة والسلام والثناء को عياداً بالله खुदा या खुदा का हमसर या कादिर बिज़्ज़ात या मुईने मुस्तक़िल जानते हो या अल्लाह عزّوجلّ के मक्बूल बन्दे उस की सरकार में इज़्ज़तो वजाहत वाले उस के हुक्म से उस की नेमतें बांटने वाले मानते हो, देखो तो तुम्हें क्या जवाब मिलता है।

इमाम अल्लामा ख़ातिमतुल मुज्ताहिदीन तकिय्युल मिल्लते वदीन फ़कीह मुहद्दिस नासिरुस्सुन्नह अबुल हसन अली बिन अब्दुल काफ़ी सुबकी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ किताबे मुस्तताब “शिफ़ाउस्सिक़ाम” में इस्तिम्दादो इस्तिअनत को बहुत अहादीसे सरीहा से साबित कर के इरशाद फ़रमाते हैं :

ليس المراد نسبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الخلق والاستقلال بالأفعال هذا لا يقصده مسلم فصرف الكلام إليه ومنعه من باب التلبيس في الدين والتشويش على عوام الموحدين.

[”شفاء السقام في زيارة خير الأنام“، الباب الثامن في التوسل... إلخ، ص ١٧٥.]

यानी : नबी सल्लि अल्लै अलै व अलै से मदद मांगने का येह मतलब नहीं कि हुज़ूरे अन्वर को ख़ालिक और फ़ाइले मुस्तक़िल ठहराते हों येह तो इस माना पर कलाम को ढाल कर इस्तिअनत से मन्अ करना दीन में मुग़ालता देना और अ़वाम मुसलमानों को परेशानी में डालना है। । صدقت يا سيدى جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيراً، أمين!

ऐ मेरे आका ! आप ने सच फ़रमाया अल्लाह तआला आप को इस्लाम और मुसलमानों की तरफ़ से जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाए। आमीन (ت)

फ़कीह मुहद्दिस अल्लामा मुहक्किक् आरिफ़ बिल्लाह इमाम इब्ने हज़र मक्की दस रसूल किताब इफ़ादते निसाब “जौहे मुनज़्ज़म” में हदीसों से इस्तिअनत का सुबूत दे कर फ़रमाते हैं :

فالتوجه والاستغاثة به صلى الله تعالى عليه وسلم بغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بهما أحد منهم سواء فمن لم يشرح صدره لذلك فليكن على نفسه نسأل الله العافية والمستغاث به في الحقيقة هو الله، والنبي صلى الله تعالى عليه واسطة بينه وبين المستغيث فهو سبحانه مستغاث به والغوث منه خلقاً وإيجاداً والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مستغاث والغوث منه سبباً وكسباً.

[”الجوهر المنظم“، الفصل السابع، فيما ينبغي للزائر... إلخ، ص ٦٢.]

यानी : “रसूलुल्लाह صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ या हुज़ूरे अक्दस के सिवा और अम्बियाओ औलिया عليهم افضل الصلوٰة والسلام की तरफ़ तवज्जोह और उन से फ़रियाद के येही माना मुसलमानों के दिल में हैं इस के सिवा कोई मुसलमान और माना नहीं समझता है न क़स्द करता है तो जिस का दिल इसे क़बूल न करे वोह आप अपने हाल पर रोए, हम अल्लाह तबारक व तआला से आफ़ियत मांगते हैं हक्कीक़तन फ़रियाद अल्लाह عزّوجلّ के हुज़ूर है और नबी صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ उस के और उस फ़रियादी के बीच में वसीला व वासिता हैं तो अल्लाह عزّوجلّ के हुज़ूर फ़रियाद है और उस की फ़रियाद रसी यूँ है कि मुराद को ख़ल्क व ईजाद करे, और नबी صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के हुज़ूर फ़रियाद है और हुज़ूर की फ़रियाद रसी यूँ है कि हाज़त रवाई के सबब हों और अपनी रहमत से वोह काम करें जिस के बाइस उस की हाज़त रवा हो।”

मस्अला 7

इन के मज़ारात पर हाज़िरी मुसलमान के लिये सआदत व बाइसे बरकत है।⁽¹⁾

मस्अला 8

इन को दूरो नज़्दीक से पुकारना सलफ़े सालेह का तरीका है।

मस्अला 9

औलियाए किराम अपनी क़ब्रों में हयाते अबदी के साथ ज़िन्दा हैं⁽²⁾, इन के इल्मो इदराक व सम्ओ बसर पहले की ब निस्बत बहुत ज़ियादा क़वी हैं।⁽³⁾

①.....“फ़तावा रज़विय्या” में है : “ज़ियारते कुबूर सुन्नत है। रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं : ((ألا فزوروها فإنها تزهدكم في الدنيا وتذكركم الآخرة))، [سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٢٥٢، الحديث: ١٥٧١، المستدرک، ج ١، ص ٧٠٨-٧٠٩، الحديث: ١٤٢٥-١٤٢٨]

सुन लो ! कुबूर की ज़ियारत करो कि वोह तुम्हें दुन्या में बे रग़बत करेगी और आख़िरत याद दिलाएगी। खुसूसन ज़ियारते मज़ाराते औलियाए किराम कि मूजिबे हज़ारां हज़ार बरकतो सआदत है, इसे बिद्अत न कहेगा मगर वहाबी नाबकार, इन्ने तैमिया का फुज़्ला ख़्बार। वहां जाहिलों ने जो बिद्अत मसल रक़स व मज़ामीर ईजाद कर लिये हैं वोह ज़रूर ना जाइज़ हैं, मगर इन से ज़ियारत कि सुन्नत है बिद्अत न हो जाएगी। जैसे नमाज़ में कुरआन शरीफ़ ग़लत पढ़ना, रकूअ व सुजूद सहीह न करना, तहारत ठीक न होना आम अवाम में जारी व सारी है इस से नमाज़ बुरी न हो जाएगी।” “फ़तावा रज़विय्या”, जि. 29, स. 282

②.....“في تفسير روح البيان”، ج ٣، ص ٤٣٩: قال الإمام الإسماعيل حقي رحمة الله تعالى عليه: (أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء لا تبلى ولا تتغير لما أُنزل الله تعالى قد نفى أبدانهم من العفونة الموجبة للتفسخ وبركة الروح المقدس إلى البدن كالأكسين).

आला हज़रत, अज़ीमुल मर्तबत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن “फ़तावा रज़विय्या”, में इरशाद फ़रमाते हैं : “अहले सुन्नत के नज़्दीक अम्बिया व शुहदा عَلَيْهِمُ السَّلَام अपने अब्दाने शरीफ़ा से ज़िन्दा हैं बल्कि अम्बिया के अब्दाने लतीफ़ा ज़मीन पर हराम किये गए हैं कि वोह उन को खाए इसी तरह शुहदा व औलिया عَلَيْهِمُ الرَحْمَةُ وَالسَّلَام के अब्दान व कफ़न भी कुबूर में सहीहो सलामत रहते हैं वोह हज़रात रोज़ी व रिज़क़ दिये जाते हैं।

और शैखुल हिन्द मुहद्दिस देहलवी عَلَيْهِ الرَحْمَةُ शर्हे “मिशकात” में फ़रमाते हैं :

اوليائى خدائى تعالى نقل كرده شده اند اذين دار

فانى بدارىقا وزنده اند نزد پروردگار خود، و مرزوق اند و خوشحال اند، و مردم را ازاں شعور نیست).

यानी : अल्लाह तआला के औलिया इस दारे फ़ानी से दारे बक़ा की तरफ़ कूच कर गए हैं और अपने परवर दगार के पास ज़िन्दा हैं उन्हें रिज़क़ दिया जाता है वोह खुशहाल हैं और लोगों को इस का शुक़र नहीं।

और अल्लामा अली क़ारी शर्हे “मिशकात” में लिखते हैं :

(لا فرق لهم في الحالين ولذا قيل: أولياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار... إلخ)، ملقطاً. “الفتاوى الرضوية”، ج ٩، ص ٤٣١-٤٣٣.

③.....आला हज़रत, अज़ीमुल मर्तबत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰन “फ़तावा रज़विय्या” में इरशाद फ़रमाते हैं : नौए अक्वल : बादे मौत बक़ाए रूह व सिफ़ात व अफ़आले रूह में। यहां वोह हदीसें मज़कूर हों जिन से साबित कि रूह फ़ना नहीं होती और उस के अफ़आल व इदराकात जैसे देखना.....

मस्अला 10

इन्हें ईसाले सवाब, निहायत मूजिबे बरकात व अम्रे मुस्तहब है, इसे उर्फ़न बराहे अदब नज़्रो नियाज़ कहते हैं, येह नज़्रे शर्ई नहीं जैसे बादशाह को नज़्र देना⁽¹⁾, इन में खुसूसन ग्यारहवीं शरीफ़ की फ़ातिहा निहायत अज़ीम बरकत की चीज़ है।

बोलना सुनना समझना आना जाना चलना फिरना सब ब दस्तूर रहते हैं बल्कि उस की कुव्वतें बादे मर्ग और साफ़ व तेज़ हो जाती हैं हालते ह्यात में जो काम इन आलाते खाकी यानी आंख कान हाथ पाउं ज़बान से लेते थे अब बिगैर इन के करती है अगर्चे जिस्मे मिसाली की याद आवरी सही, हर चन्द इस मतलबे नफ़ीस के सुबूत में वोह बे शुमार अहादीस व आसार सब हुज्जते काफ़िया दलाइले शाफ़िया जिन में...الخ)।

”الفتاوى الرضوية“، ج ٩، ص ٧٠٣.

انظر للتفصيل: الرسالة ”حيات الموت في بيان سماع الأموات“، ”الفتاوى الرضوية“، ج ٩.

① في ”جد الممتار“، (حاشية الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن على ”رد المحتار“ ج ٣، ص ٢٨٥: (إنّ النذور لهم بعد تحافهم عن الدنيا كالنذور لهم وهم فيها، وهي شائعة بين المسلمين، والعلماء، والصلحاء، والأولياء منذ قديم، وليس نذراً مصطلح الفقه، وقد بيناه في ”فتاوى أفریقه“.

في هامش ”جد الممتار“، ج ٣، ص ٢٨٥-٢٨٧: قوله: (وقد بيناه في ”فتاوى أفریقه“)، وإليكم تلخيص كلامه في الفتاوى المذكورة:

(لا يجوز النذر الفقهي لغير الله تعالى وما يقدم إلى الأولياء الكرام ويسمى بالنذر ليس بنذر فقهي بل العرف جارٍ بأنّ ما يقدم إلى حضرات الأكابر من الهدايا يسمونه بالنذر يقولون: أقام الملك مجلسه وقدم الناس إليه النذور.

كتب الشاه رفيع الدين أخو الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي في ”رسالة النذور“ بالفارسية ما معناه: النذر الذي يطلق هنا ليس على المعنى الشرعي؛ لأنّ العرف جارٍ بأنّ ما يقدم إلى الأولياء يسمّى بالنذر.

قال الإمام الأجلّ سيدي عبد الغنيّ النابلسيّ قدس سرّه في ”الحديقة الندية“: (ومن هذا القبيل زيارة القبور، والتبرّك بضرائح الأولياء والصلّاحين، والنذر لهم بتعليق ذلك على حصول شفاء، أو قدوم غائب، فإنّه مجاز عن الصدقة على الخادمين لقبورهم، كما قال الفقهاء في من دفع الزكاة لفقيرٍ وسماها قرصاً صحّ؛ لأنّ العبرة بالمعنى لا باللفظ.

”الحديقة الندية“، الخلق الثامن والأربعون، ج ٢، ص ١٥١.

ومن البين: أنّه لو كان نذراً فقهيّاً لم يجز للأحياء أيضاً، مع أنّ العرف والعمل يجري من قديم في الصّالحين وأكابر الدّين في الحالتين أي: حالة الحياة وبعد الموت.

بعد هذا التمهيد عرض الإمام أحمد رضا شواهد كثيرة على أنّ الأولياء والعلماء يستعملون لفظ النذر لما يقدم إلى الأكابر من الهدايا. فأورد عشر عبارات وحكايات من ”بهجة الأسرار“ ونصّاً من ”طبقات الشافعية الكبرى“ للإمام العارف بالله سيدي عبد الوهاب الشعراني وعبارتين للشاه وليّ الله الدهلوي من كتابه ”أنفاس العارفين“ وعبارة للشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي من كتابه ”تحفة الاثنا عشرية“، و”بهجة الأسرار“ في مناقب سيّدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني للإمام الأجلّ سيدي

मञ्जला 11

उससे औलियाए किराम यानी कुरआन ख़्वानी, व फ़ातिहा ख़्वानी, व नात ख़्वानी, व वाज़, व ईसाले सवाब अच्छी चीज़ है। रहे मन्हिय्याते शर्इय्या⁽¹⁾ वोह तो हर हालत में मज़मूम हैं और मज़ाराते तय्यिबा के पास और ज़ियादा मज़मूम।

तम्बीह : चूँकि उमूमन मुसलमानों को بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى औलियाए किराम से नियाज़ मन्दी और मशाइख़ के साथ इन्हें एक ख़ास अक़ीदत होती है, इन के सिल्लिसले में मुन्सलिक होने को अपने लिये फ़लाहे दारैन तसव्वुर करते हैं, इस वजह से ज़मानए हाल के वहाबिय्या ने लोगों को गुमराह करने के लिये येह जाल फैला रखा है कि पीरी मुरीदी भी शुरूअ कर दी, हालां कि औलिया के येह मुन्किर हैं, लिहाज़ा जब मुरीद होना हो तो अच्छी तरह तफ़्तीश कर लें, वरना अगर बद मज़हब हुवा तो ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे।

اے بسا ابلیس آدم روئے هست
(2) پس بہر دستے نباید داد دست

أبي الحسن نور الملة والدين علي بن يوسف بن جرير اللخمي الشطنوفي الذي لقبه إمام فن الرجال شمس الدين الذهبي في كتابه "طبقات القراء" والإمام الحليل جلال الدين السيوطي في كتابه "حسن المحاضرة" بـ "الإمام الأوحد". و كتابه "بهجة الأسرار" يتناول الوقائع والحكايات وكل ما ينتمي إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني بالأسانيد الصحيحة المعتمدة على منهج المحدثين وجميل طريقهم في تنقيح الأخبار والآثار.

وفي هذه العبارات والنصوص ما يدل على أنّ الأولياء كان طريقهم إطلاق النذر لِمَا يقدّم إليهم، كما يدلّ أنّ قبوله كان من دأبهم، وفيها ما يشهد أنّ تقديم النذور إلى أرواحهم وضرائحهم وطلب الحوائج من قوّاتهم الروحانيّة كان من أعمالهم، والشاه ولي الله الدهلوي والشاه عبد العزيز الدهلوي الذين تعدّهما الفرقة المنكرة لنذر الأولياء وطلب الحاجات منهم إمامين، وتمثّلهما كقدوة لها، في عبارتهما أيضاً صراحة جليّة بطلب الحاجات من الأولياء بعد وفاتهم وتقديم النذور إليهم بعد مماتهم أفهولاء الأجلّة من العصور القديمة كلّهم يرتكبون المحظور ويقعون في الإشراك بالله ويجمعون على الآثام والقبايح؟ كلا! لن يكون ذلك أبداً، بل هذا يحلّي الفرق بين النذر الفقهيّ ونذر الأولياء العرفيّ، فالنذر الفقهي لا يجوز إلّا لله تعالى، والنذر العرفيّ الذي أصله تقديم الهدية إلى الأكابر يجوز للصالحين والأولياء بعد وفاتهم أيضاً كما يجوز في حياتهم. (١٢).

(محمّد أحمد الأعظمي المصباحي).

① यानी वोह अफ़अल जो शर्अन मन्अ हैं।

② कभी इब्लीस आदमी की शक़ल में आता है, लिहाज़ा हर हाथ में हाथ नहीं देना चाहिये (यानी हर किसी से बैअत नहीं करनी चाहिये)।

पीरी के लिये चार शर्ते हैं, क़ब्ल अज़ बैअत इन का लिहाज़ फ़र्ज़ है :

अक्वल¹ : सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो ।

दुवुम² : इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरिय्यात के मसाइल किताबों से निकाल सके ।

सिवुम³ : फ़ासिके मोलिन न हो ।

चहारुम⁴ : उस का सिल्सिला नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ तक मुत्तसिल हो ।⁽¹⁾

نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْإِسْتِقَامَةَ عَلَى الشَّرِيعَةِ الطَّاهِرَةِ وَمَا تَوْفِيقِي
إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَبْنِهِ وَحَزْبِهِ أَبَدَ الْأَبَدِينَ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

عفی عنہ ف़कीर अमजद अली आजमी

1..... "الفتاوى الرضوية"، ج ۲۱، ص ۴۹۲، ۵۰۵، ۶۰۳.

وانظر "سبع سنابل"، سنبله دوم در بیان پیروی و حقیقت و ماهیت آن، ص ۳۹-۴۰.

तहारत के मसाइल का बयान

बहारे शरीअत

हिस्सा दुवुम (2)

(..... तस्हील व तख़ीज शुदा)

सदरुशशरीअह बदरुत्तरीकह
हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ

मुहम्मद अमजद अली आजमी

- : पेशकश :-

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (शोबए तख़ीज)

नाशिर

मक्तबतुल मदीना

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الواحد الاحد الصمد. المتفرد في ذاته و صفاته فلا مثل له ولا ضد له ولم يكن له كفوا احد. والصلوة والسلام الايمان الاكملان على رسوله و حبيبه سيد الانس و الجن. الذى انزل عليه القرآن. هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان وعلى اله و صحبه ما تعاقب الملوان. وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. لاسيما الائمة المجتهدين خصوصا على افضلهم و اعلمهم الامام الاعظم. والهمام الافخم. الذى سبق فى مضمار الاجتهاد كل فارس. وصدق عليه لو كان العلم عند الثريا لنالته رجل من ابناء فارس. سيدنا ابي حنيفة النعمان بن ثابت. ثبتنا الله به بالقول الثابت. فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. واعطانا الحسنى و زيادة فاخرة. وعلينا لهم و بهم يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العلمين.

तम्हीद

एक वोह ज़माना था कि हर मुसलमान इतना इल्म रखता जो उस की ज़रूरियात को काफ़ी हो **إِلْمًا بِكَسْرَتِ مَوْجُودِ** थे जो न मालूम होता उन से ब आसानी दरयाफ़्त कर लेते हत्ता कि हज़रते फ़ारुके आज़म **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** ने हुक्म फ़रमा दिया था कि हमारे बाज़ार में वोही ख़रीदो फ़रोख़्त करें जो दीन में फ़कीह हों⁽¹⁾ फिर जिस क़दर अह्दे नबुव्वत से बोअूद होता गया उसी क़दर इल्म की कमी होती रही अब वोह ज़माना आ गया कि अ़वाम तो अ़वाम बहुत वोह जो उ़लमा कहलाते हैं रोज़मर्रा के ज़रूरी जुज़्इय्यात हत्ता कि फ़राइज़ो वाजिबात से ना वाक़िफ़ और जितना जानते हैं उस पर भी अ़मल से मुन्हरिफ़ कि उन को देख कर अ़वाम को सीखने और अ़मल करने का मौक़अ मिलता इसी क़िल्लते इल्म व बे परवाई का नतीजा है कि बहुत ऐसे मसाइल का जिन से वाक़िफ़ नहीं इन्कार कर बैठते हैं हालां कि न खुद इल्म रखते हैं कि जान सकें न सीखने का शौक़ कि जानने वालों से दरयाफ़्त करें न उ़लमा की ख़िदमत में हाज़िर रहते कि उन की सोहबत बाइसे बरक़त भी है और मसाइल जानने का ज़रीआ भी और उर्दू में कोई ऐसी किताब कि सलीस, आ़म फ़हम, काबिले एतिमाद हो अब तक शाएअ़ न हुई बाज़ में बहुत थोड़े मसाइल कि रोज़मर्रा की ज़रूरी बातें भी उन में काफ़ी तौर पर नहीं और बाज़ में अग़लात की कसरत। ला जरम एक ऐसी किताब की बेहद ज़रूरत है कि कम पढ़े इस से फ़ाएदा उठाएं। लिहाज़ा फ़कीर ब नज़रे ख़ैर ख़्वाहिये मुसलमानान ब मुक्तजाए **الدّين النّصح لكلّ مسلم** मौला तआला पर भरोसा कर के इस अग्रे अहम्मो आज़म की तरफ़ मुतवज्जेह हुवा हालां कि मैं ख़ूब जानता हूं कि न मेरा येह मन्सब न मैं इस काम के लाइक़ न इतनी फुरसत कि पूरा वक़्त सर्फ़ कर के इस काम को अन्जाम दूं।

1..... "جامع الترمذي"، أبواب التور، باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٤٨٧، ج ٢، ص ٢٩.

وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

(1) इस किताब में हत्तल वस्अ येह कोशिश होगी कि इबारत बहुत आसान हो कि समझने में दिक्कत न हो और कम इल्म और औरतें और बच्चे भी इस से फ़ाएदा हासिल कर सकें। फिर भी इल्म बहुत मुश्किल चीज़ है येह मुम्किन नहीं कि इल्मी दुश्वारियां बिल्कुल जाती रहें ज़रूर बहुत मवाकेअ ऐसे भी रहेंगे कि अहले इल्म से समझने की हाजत होगी कम अज़ कम इतना नफ़अ ज़रूर होगा कि इस का बयान उन्हें मुतनब्बेह करेगा और न समझना समझ वालों की तरफ़ रुजूअ की तवज्जोह दिलाएगा।

(2) इस किताब में मसाइल की दलीलें न लिखी जाएंगी कि अब्बल तो दलीलों का समझना हर शख्स का काम नहीं, दूसरे दलीलों की वजह से अक्सर ऐसी उलझन पड़ जाती है कि नफ़से मस्अला समझना दुश्वार हो जाता है लिहाज़ा हर मस्अले में ख़ालिस मुनक्कह हुक्म बयान कर दिया जाएगा और अगर किसी साहिब को दलाइल का शौक हो तो फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ का मुतालआ करें कि उस में हर मस्अले की ऐसी तहकीक की गई है जिस की नज़ीर आज दुन्या में मौजूद नहीं और उस में हज़ारहा ऐसे मसाइल मिलेंगे जिन से उलमा के कान भी आश्ना नहीं।

(3) इस किताब में हत्तल वस्अ इख़िलाफ़ात का बयान न होगा कि अ़वाम के सामने जब दो मुख़लिफ़ बातें पेश हों तो ज़ेहन मुतहय्यिर होगा कि अ़मल किस पर करें और बहुत से ख़्वाहिश के बन्दे ऐसे भी होते हैं कि जिस में अपना फ़ाएदा देखते हैं उसे इख़्तियार कर लेते हैं, येह समझ कर नहीं कि येही हक़ है बल्कि येह ख़याल कर के कि इस में अपना मतलब हासिल होता है फिर जब कभी दूसरे में अपना फ़ाएदा देखा तो उसे इख़्तियार कर लिया और येह ना जाइज़ है कि इत्तिबाए शरीअत नहीं बल्कि इत्तिबाए नफ़स है लिहाज़ा हर मस्अले में मुफ़ता बिही सहीह असहह राजेह कौल बयान किया जाएगा कि बिना दिक्कत हर शख्स अ़मल कर सके। अल्लाह तआला तौफ़ीक़ दे और मुसलमानों को इस से फ़ाएदा पहुंचाए और इस बे बिज़ाअत की कोशिश क़बूल फ़रमाए।

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب و صلى الله تعالى على حبيبه المختار. والله الاطهار.

وصحبه المهاجرين والانصار. وخلفائه الاختان منهم والاصهار. والحمد لله العزيز الغفار. وما انا اشرع

في المقصود بتوفيق الملك المعبود.

अल्लाह एरशाद फ़रमाता है :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (1)

जिन्न और आदमी मैं ने इसी लिये पैदा किये कि वोह मेरी इबादत करें।

1 प २७, الذّरیت: ०६.

पेशकश : मज़लिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

हर थोड़ी सी अक्ल वाला भी जानता है कि जो चीज़ जिस काम के लिये बनाई जाए अगर उस काम में न आए तो बेकार है तो जो इन्सान अपने ख़ालिको मालिक को न पहचाने, उस की बन्दगी व इबादत न करे वोह नाम का आदमी है हकीकतन आदमी नहीं बल्कि एक बेकार चीज़ है तो मालूम हुवा कि इबादत ही से आदमी, आदमी है और इसी से फ़लाहे दुन्यवी व नजाते उख़वी है लिहाज़ा हर इन्सान के लिये इबादत के अक्सामो अरकान व शराइतो अहकाम का जानना ज़रूरी है कि बे इल्म अमल ना मुम्किन, इसी वजह से इल्म सीखना फ़र्ज़ है। इबादत की अस्ल ईमान है बिगैर ईमान इबादत बेकार, कि जड़ ही न रही तो नताइज कहां से मुतरत्तिब हों। दरख़्त उसी वक़्त फूल फल लाता है कि उस की जड़ काइम हो जड़ जुदा होने के बाद आग की ख़ूराक हो जाता है। इसी तरह काफ़िर लाख इबादत करे उस का सारा किया धरा बरबाद और वोह जहन्नम का ईधन।

قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّآ اِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَعَلْنَاهُ هَبْءً مَّثْوَرًا﴾⁽¹⁾

काफ़िरो ने जो कुछ किया हम उस के साथ यूँ पेश आए कि उसे बिखरे हुए ज़र्रे की तरह कर दिया।

जब आदमी मुसलमान हो लिया तो उस के ज़िम्मे दो किस्म की इबादतें फ़र्ज़ हुई एक वोह कि जवारेह से मुतअल्लिक है दूसरी जिस का तअल्लुक क़ल्ब से है। किस्मे दुवुम के अहकाम व अस्नाफ़ इल्मे सुलूक में बयान होते हैं और किस्मे अव्वल से फ़िक्ह बहस करता है और मैं इस किताब में बिलफ़ेल किस्मे अव्वल ही को बयान करना चाहता हूँ फिर जिस इबादत को जवारेह यानी ज़ाहिरे बदन से तअल्लुक है, दो किस्म है या वोह मुआमला कि बन्दे और ख़ास उस के रब के दरमियान है। बन्दों के बाहमी किसी काम का बनाव बिगाड़ नहीं आम अर्जी कि हर शख्स उस की अदा में मुस्तक़िल हो जैसे नमाज़े पन्जगाना व रोज़ा कि हर एक बिला शिकते ग़ैर इन्हें अदा कर सकता है ख़्वाह दूसरों की शिकत की ज़रूरत हो, जैसे नमाज़े जमाअत व जुमुआ व ईदैन में कि बे जमाअत ना मुम्किन हैं मगर इस से सब का मक्सूद महज़ इबादते माबूद है न कि आपस के किसी काम का बनाना।

दूसरी किस्म वोह कि बन्दों के बाहमी तअल्लुकात ही की इस्लाह इस में मद्दे नज़र है जैसे निकाह या ख़रीदो फ़रोख़्त वग़ैरहा। पहली किस्म को इबादात, दूसरी को मुआमलात कहते हैं। पहली किस्म में अगरचें कोई दुन्यवी नफ़अ ब ज़ाहिर मुतरत्तब न हो और मुआमलात में ज़रूर दुन्यवी फ़ाएदे ज़ाहिर मौजूद हैं बल्कि येही पहलू ग़ालिब है मगर इबादत दोनों हैं कि मुआमलात भी अगर खुदा व रसूल के हुक्म के मुवाफ़िक़ किये जाएं तो इस्तिहकाके सवाब है वरना गुनाह और सबबे अज़ाब।

किस्मे अव्वल यानी इबादात चार हैं। नमाज़, रोज़ा, हज़, ज़कात, इन सब में अहम्मो आजम नमाज़ है और येह इबादत अल्लाह ﷻ को बहुत महबूब है लिहाज़ा हम को चाहिये कि सब से पहले इसी को बयान करें मगर नमाज़ पढ़ने से पहले नमाज़ी का त़ाहिर और पाक हो लेना ज़रूर है कि त़हारत नमाज़ की कुन्जी है लिहाज़ा पहले त़हारत के मसाइल बयान किये जाएं इस के बाद नमाज़ के मसाइल बयान होंगे।

किताबुत्तहारह

नमाज़ के लिये तहारत ऐसी ज़रूरी चीज़ है कि बे इस के नमाज़ होती ही नहीं बल्कि जानबूझ कर बे तहारत नमाज़ अदा करने को उलमा कुफ़्र लिखते हैं और क्यूं न हो कि इस बे वुजू या बे गुस्ल नमाज़ पढ़ने वाले ने इबादत की बे अदबी और तौहीन की।

नबी ﷺ फ़रमाते हैं कि जन्नत की कुन्जी नमाज़ है और नमाज़ की कुन्जी तहारत⁽¹⁾। इस हदीस को इमाम अहमद ने जाबिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत किया : “एक रोज़ नबी ﷺ सुबह की नमाज़ में सूरए रूम पढ़ते थे और मुतशाबह लगा। बाद नमाज़ इरशाद फ़रमाया : क्या हाल है उन लोगों का जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं और अच्छी तरह तहारत नहीं करते उन्हीं की वजह से इमाम को क़िराअत में शुब्हा पड़ता है।”⁽²⁾ इस हदीस को नसाई ने शबीब बिन अबी रूह से, उन्हीं ने एक सहाबी से रिवायत किया। जब बिगैर कामिल तहारत नमाज़ पढ़ने का येह वबाल है तो बे तहारत नमाज़ पढ़ने की नुहूसत का क्या पूछना ! एक हदीस में फ़रमाया : “तहारत निस्फ़ ईमान है।”⁽³⁾ इस हदीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया और कहा कि येह हदीस हसन है। तहारत की दो किस्में हैं :

(1) सुगरा

(2) कुब्रा

तहारते सुगरा वुजू है और कुब्रा गुस्ल। जिन चीज़ों से सिर्फ़ वुजू लाज़िम होता है उन को हदसे असगर कहते हैं और जिन से गुस्ल फ़र्ज़ हो उन को हदसे अक्बर। इन सब का और इन के मुतअल्लिकात का तफ़सीलन ज़िक्र किया जाएगा।

तम्बीह : चन्द ज़रूरी इस्तिलाहात काबिले ज़िक्र हैं कि इन से हर जगह काम पड़ता है।

फ़र्जे एतिक़ादी : जो दलीले क़र्ई से साबित हो (यानी ऐसी दलील से जिस में कोई शुब्हा न हो) उस का इन्कार करने वाला आइम्माए हनफ़िय्या के नज़्दीक मुत्लक़न काफ़िर है और अगर उस की फ़र्जियत दीने इस्लाम का आम ख़ास पर रोशन वाजेह मस्अला हो जब तो उस के मुन्किर के कुफ़्र पर इज्माए क़र्ई है ऐसा कि जो उस मुन्किर के कुफ़्र में शक करे खुद काफ़िर है और बहर हाल जो किसी फ़र्जे एतिक़ादी को बिला उज़्रे सहीह शर्ई क़स्दन एक बार भी छोड़े फ़ासिक़ व मुर्तकिबे कबीरा व मुस्तहिक्के अज़ाबे नार है जैसे नमाज़, रुकूअ, सुजूद।

फ़र्जे अमली : वोह जिस का सुबूत तो ऐसा क़र्ई न हो मगर नज़रे मुत्तहिद में ब हुक्मे दलाइले शर्इय्या ज़म्म है कि बे इस के किये आदमी बरिय्युज़्ज़िम्मा न होगा यहां तक कि अगर वोह किसी इबादत के अन्दर फ़र्ज़ है तो वोह इबादत बे इस के बातिल व कल्अदम

..... ① “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله، الحديث: ١٤٦٦٨، ج ٥، ص ١٠٣.

..... ② “سنن النسائي”، كتاب الافتتاح، باب القراءة في الصبح بالروم، الحديث: ٩٤٤، ص ١٦٥.

..... ③ “جامع الترمذي”، كتاب الدعوات، ٨٥- باب، الحديث: ٣٥٢٨، ج ٥، ص ٣٠٧.

होगी। इस का बे वजह इन्कार फ़िस्क़ व गुमराही है, हां अगर कोई शख्स कि दलाइले शर्इय्या में नज़र का अहल है दलीले शर्इ से इस का इन्कार करे तो कर सकता है। जैसे आइम्मा मुज्ताहिदीन के इख़िलाफ़ात कि एक इमाम किसी चीज़ को फ़र्ज कहते हैं और दूसरे नहीं मसलन हनफ़िय्या के नज़दीक चौथाई सर का मस्ह वुजू में फ़र्ज है और शाफ़ेइय्या के नज़दीक एक बाल का और मालिकिय्या के नज़दीक पूरे सर का, हनफ़िय्या के नज़दीक वुजू में बिस्मिल्लाह कहना और निय्यत सुन्नत है और हम्बलिय्या व शाफ़ेइय्या के नज़दीक फ़र्ज और इन के सिवा और बहुत सी मिसालें हैं। इस फ़र्जे अमली में हर शख्स उसी की पैरवी करे जिस का मुक़ल्लिद है अपने इमाम के ख़िलाफ़ बिला ज़रूरते शर्इ दूसरे की पैरवी जाइज़ नहीं।

वाजिबे एतिकादी : वोह कि दलीले ज़न्नी से उस की ज़रूरत साबित हो। फ़र्जे अमली व वाजिबे अमली इसी की दो किस्में हैं और वोह इन्हीं दो में मुन्हसिर।

वाजिबे अमली : वोह वाजिबे एतिकादी कि बे उस के किये भी बरिय्युज़्ज़िम्मा होने का एहतिमाल हो मगर ग़ालिब ज़न उस की ज़रूरत पर है और अगर किसी इबादत में उस का बजा लाना दरकार हो तो इबादत बे उस के नाक़िस रहे मगर अदा हो जाए। मुज्ताहिद दलीले शर्इ से वाजिब का इन्कार कर सकता है और किसी वाजिब का एक बार भी क़स्दन छोड़ना गुनाहे सगीरा है और चन्द बार तर्क करना कबीरा।

सुन्ते मुअक्कदा : वोह जिस को हुज़ुरे अक्दस ﷺ ने हमेशा किया हो, अलबत्ता बयाने जवाज़ के वासिते कभी तर्क भी फ़रमाया हो या वोह कि उस के करने की ताकीद फ़रमाई हो मगर जानिबे तर्क बिल्कुल मसदूद न फ़रमा दी हो, इस का तर्क इसाअत और करना सवाब और नादिरन तर्क पर इताब और इस की आदत पर इस्तिह्काके अज़ाब।

सुन्ते ग़ैर मुअक्कदा : वोह कि नज़रे शर्अ में ऐसी मतलूब हो कि उस के तर्क को ना पसन्द रखे मगर न इस हद तक कि इस पर वईदे अज़ाब फ़रमाए आम अर्जी कि हुज़ूर सय्यिदे आलम ﷺ ने इस पर मुदावमत फ़रमाई या नहीं, इस का करना सवाब और न करना अगर्चे आदतन हो मूजिबे इताब नहीं।

मुस्तहब : वोह कि नज़रे शर्अ में पसन्द हो मगर तर्क पर कुछ ना पसन्दी न हो, ख़्वाह खुद हुज़ुरे अक्दस ﷺ ने उसे किया या उस की तरगीब दी या उलमाए किराम ने पसन्द फ़रमाया अगर्चे अह्दादीस में उस का ज़िक्र न आया। उस का करना सवाब और न करने पर मुल्लक़न कुछ नहीं।

मुबाह : वोह जिस का करना और न करना यक्सां हो।

हरामे क़र्इ : येह फ़र्ज का मुक़ाबिल है, इस का एक बार भी क़स्दन करना गुनाहे कबीरा व फ़िस्क़ है और बचना फ़र्ज व सवाब।

मस्रूहे तहरीमी : येह वाजिब का मुक़ाबिल है इस के करने से इबादत नाक़िस हो जाती है और करने वाला गुनहगार होता है अगर्चे इस का गुनाह ह़राम से कम है और चन्द बार इस का इरतिकाब कबीरा है ।

इसाअत : जिस का करना बुरा हो और नादिरन करने वाला मुस्तह़िक्के इताब और इल्लिज़ामे फ़ेल पर इस्तिह़ाक़े अज़ाब । येह सुन्नते मुअक्कदा के मुक़ाबिल है ।

मस्रूहे तन्ज़ीही : जिस का करना शर्अ को पसन्द नहीं मगर न इस ह़द तक कि उस पर वर्दे अज़ाब फ़रमाए । येह सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा के मुक़ाबिल है ।

ख़िलाफ़े औला : वोह कि न करना बेहतर था, किया तो कुछ मुज़ायका व इताब नहीं, येह मुस्तह़ब का मुक़ाबिल है । इन के बयान में इबारतें मुख़्तलिफ़ मिलेंगी मगर येही इत्रे तहकीक़ है । ولله الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.

वुजू का बयान

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾^(१)

यानी : ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो (और वुजू न हो) तो अपने मुंह और कोहनियों तक हाथों को धोओ और सरों का मस्ह करो और टख्नों तक पाउं धोओ ।

मुनासिब मालूम होता है कि फ़ज़ाइले वुजू में चन्द अहादीस ज़िक्र की जाएं फिर इस के मुतअल्लिक़ अहकामे फ़िक्ही का बयान हो ।

हदीस १ — इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, हुज़ूरे अक्दस صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ इरशाद फ़रमाते हैं : “क़ियामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह और हाथ पाउं आसारे वुजू से चमक्ते होंगे तो जिस से हो सके चमक ज़ियादा करे ।”^(२)

हदीस २ — सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि हुज़ूर सय्यिदे अलम صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने सहाबए किराम से इरशाद फ़रमाया : “क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बता दूं जिस के सबब अल्लाह तआला ख़ताएं महव फ़रमा दे और दरजात बुलन्द करे । अर्ज़ की : हां **या रसूलल्लाह !** फ़रमाया : जिस वक़्त वुजू ना गवार होता है उस वक़्त वुजूए कामिल करना और मस्जिदों की तरफ़ क़दमों की कसरत और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तिज़ार इस का सवाब ऐसा है जैसा कुफ़ार की सरहद

.....^(१) “صحیح البخاری”، کتاب الوضوء، باب فضل الوضوء... الخ، الحدیث: ۱۳۶، ج ۱، ص ۷۱.

.....^(२) ۶، المائدة: ۶.

पर हिमायते बिलादे इस्लाम के लिये घोड़ा बांधने का।”(1)

हदीस 3 — इमाम मालिक व नसाई अब्दुल्लाह सुनाबिही رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं कि : “मुसलमान बन्दा जब वुजू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं और जब नाक में पानी डाल कर साफ़ किया तो नाक के गुनाह निकल गए और जब मुंह धोया तो उस के चेहरे के गुनाह निकले यहां तक कि पलकों के निकले और जब हाथ धोए तो हाथों के गुनाह निकले यहां तक कि हाथों के नाखुनों से निकले और जब सर का मस्ह किया तो सर के गुनाह निकले यहां तक कि कानों से निकले और जब पाउं धोए तो पाउं की ख़ताएं निकलीं यहां तक कि नाखुनों से फिर उस का मस्जिद को जाना और नमाज़ मज़ीद बरआं।”(2)

हदीस 4 — बज़्ज़ार ने ब अस्नादे हसन रिवायत की, कि “हज़रते उस्माने ग़नी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अपने गुलाम हुमरान से वुजू के लिये पानी मांगा और सर्दी की रात में बाहर जाना चाहते थे। हुमरान कहते हैं : मैं पानी लाया, उन्होंने ने मुंह हाथ धोए तो मैं ने कहा **अल्लाह** आप को किफ़ायत करे रात तो बहुत ठन्डी है इस पर फ़रमाया कि : मैं ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से सुना है कि जो बन्दा वुजूए कामिल करता है **अल्लाह** तआला उस के अगले पिछले गुनाह बख़्श देता है।”(3)

हदीस 5 — तबरानी ने औसत में हज़रते अमीरुल मुअमिनीन मौला अली كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ से रिवायत की **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जो सख़्त सर्दी में कामिल वुजू करे उस के लिये दूना सवाब है।”(4)

हदीस 6 — इमाम अहमद बिन हम्बल ने अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की हुज़ूर सय्यिदे आलम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जो एक एक बार वुजू करे तो येह ज़रूरी बात है और जो दो दो बार करे उस को दूना सवाब और जो तीन तीन बार धोए तो येह मेरा और अगले नबियों का वुजू है।”(5)

हदीस 7 — सहीह मुस्लिम में उक्बा बिन आमिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “जो मुसलमान वुजू करे और अच्छा वुजू करे फिर खड़ा हो और बातिनो ज़ाहिर से मुतवज्जेह हो कर दो रकअत नमाज़ पढ़े उस के लिये जन्नत वाजिब होती है।”(6)

①..... “صحيح مسلم”، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، الحديث: ٢٥١، ص ١٥١.

②..... “سنن النسائي”، كتاب الطهارة، باب مسح الاذنين مع الرأس... إلخ، الحديث: ١٠٣، ص ٢٥.

③..... “البحر الزخار المعروف بمسند الزيار”، مسند عثمان بن عفان، الحديث: ٤٢٢، ج ٢، ص ٧٥.

④..... “المعجم الأوسط للطبراني، باب الميم، الحديث: ٥٣٦٦، ج ٤، ص ١٠٦.

⑤..... “المسند للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب، الحديث: ٥٧٣٩، ج ٢، ص ٤١٧.

⑥..... “صحيح مسلم”، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، الحديث: ٢٣٤، ص ١٤٤.

हदीस 8 — मुस्लिम में हज़रते अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके आजम उमर बिन ख़त्ताब رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “तुम में से जो कोई वुजू करे और कामिल वुजू करे फिर पढ़े **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ**। उस के लिये जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाते हैं जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो।”⁽¹⁾

हदीस 9 — तिरमिज़ी ने हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत की **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जो शख्स वुजू पर वुजू करे उस के लिये दस नेकियां लिखी जाएंगी।”⁽²⁾

हदीस 10 — इब्ने खुज़ैमा अपनी सहीह में रावी कि अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं : “एक दिन सुबह को हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते बिलाल को बुलाया और फ़रमाया : “ऐ बिलाल किस अमल के सबब जन्नत में तू मुझ से आगे आगे जा रहा था मैं रात जन्नत में गया तो तेरे पाउं की आहट अपने आगे पाई।” बिलाल رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अर्ज की : “या **रसूलुल्लाह** ! मैं जब अज़ान कहता उस के बाद दो रकअत नमाज़ पढ़ लेता और मेरा जब कभी वुजू टूटता वुजू कर लिया करता। हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया इसी सबब से।”⁽³⁾

हदीस 11 — तिरमिज़ी व इब्ने माजह सईद बिन जैद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जिस ने बिस्मिल्लाह न पढ़ी उस का वुजू नहीं यानी वुजूए कामिल नहीं।” इस के माने वोह हैं जो दूसरी हदीस में इरशाद फ़रमाया।⁽⁴⁾

हदीस 12 — दारे कुतनी और बैहकी अपनी सुनन में अब्दुल्लाह बिन मस्क़द رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया कि : “जिस ने बिस्मिल्लाह कह कर वुजू किया सर से पाउं तक उस का सारा बदन पाक हो गया और जिस ने बिगैर बिस्मिल्लाह वुजू किया उस का उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुज़रा।”⁽⁵⁾

हदीस 13 — इमाम बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “जब कोई ख़्वाब से बेदार हो तो वुजू करे और तीन बार नाक साफ़ करे कि शैतान उस के नथने पर रात गुज़ारता है।”⁽⁶⁾

① “صحيح مسلم”، كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء، الحديث: ٢٣٤، ص ١٤٤.

② “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب ماجاء أنه يصلي الصلوات بو ضوء واحد، الحديث: ٦١، ج ١، ص ١٢٤.

③ صحيح ابن خزيمة، باب استحباب الصلاة عند الذنب... إلخ، الحديث: ١٢٠٩، ج ٢، ص ٢١٣.

④ “سنن ابن ماجه”، أبواب الطهارة، باب ماجاء في التسمية في الوضوء، الحديث: ٣٩٨، ج ١، ص ٢٤٢.

⑤ “سنن الدارقطني”، كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، الحديث: ٢٢٨، ج ١، ص ١٠٨.

⑥ “صحيح البخاري”، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده، الحديث: ٣٢٩٥، ج ٢، ص ٤٠٣.

हदीस 14 — तबरानी ब अस्नादे हसन हज़रते अली رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, हुज़ूरे अक़दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “अगर येह बात न होती कि मेरी उम्मत पर शाक़ होगा तो मैं उन को हर वुजू के साथ मिस्वाक करने का अम्र फ़रमा देता ।”⁽¹⁾ (यानी फ़र्ज कर देता और बाज़ रिवायतों में लफ़्ज़ फ़र्ज भी आया है)⁽²⁾

हदीस 15 — इसी तबरानी की एक रिवायत में है कि “सय्यिदे आलाम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ किसी नमाज़ के लिये तशरीफ़ न ले जाते ता वक़्ते कि मिस्वाक न फ़रमा लेते ।”⁽³⁾

हदीस 16 — सहीह मुस्लिम में आइशा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से मरवी कि “हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ बाहर से जब घर में तशरीफ़ लाते तो सब से पहला काम मिस्वाक करना होता ।”⁽⁴⁾

हदीस 17 — इमाम अहमद इब्ने उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया कि : “मिस्वाक का इल्तिज़ाम रखो कि वोह सबब है मुंह की सफ़ाई और रब तबारक व तआला की रिज़ा का ।”⁽⁵⁾

हदीस 18 — अबू नुऐम जाबिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “दो रकअतें जो मिस्वाक कर के पढ़ी जाएं अफ़ज़ल हैं बे मिस्वाक की सत्तर रकअतों से ।”⁽⁶⁾

हदीस 19 — और एक रिवायत में है कि : “जो नमाज़ मिस्वाक कर के पढ़ी जाए वोह उस नमाज़ से कि बे मिस्वाक किये पढ़ी गई सत्तर हिस्से अफ़ज़ल है ।”⁽⁷⁾

हदीस 20 — मिश्कात में आइशा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से मरवी कि : “दस चीज़ें फ़ितरत से हैं (यानी इन का हुक्म हर शरीअत में था) मूँछें कतरना, दाढ़ी बढ़ाना, मिस्वाक करना, नाक में पानी डालना, नाखुन तराशना, उंगलियों की चिन्टें धोना, बग़ल के बाल दूर करना, मूए ज़ेरे नाफ़ मूँडना, इस्तिन्जा करना, कुल्ली करना ।”⁽⁸⁾

1..... “المعجم الأوسط” للطبراني، الحديث: ١٢٣٨، ج ١، ص ٣٤١.

2..... “المستدرک” للحاکم، کتاب الطهارة، باب لو لا ان أشق... إلخ، الحديث: ٥٣١، ج ١، ص ٣٦٤.

3..... “المعجم الكبير” للطبراني، الحديث: ٤٤- (٢٥٣)، ج ٥، ص ١٥٢.

4..... “صحيح مسلم”، کتاب الطهارة، باب السواک، الحديث: ٤٤- (٢٥٣)، ص ١٥٢.

5..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر رضی الله عنهما، الحديث: ٥٨٦٩، ج ٢، ص ٤٣٨.

6..... “الترغيب والترهيب” للمنزري، کتاب الطهارة، الترغيب في السواک، الحديث: ١٨، ج ١، ص ١٠٢.

7..... “شعب الإيمان”، باب في الطهارة، الحديث: ٢٧٧٤، ج ٣، ص ٢٦.

8..... “صحيح مسلم”، کتاب الطهارة، باب حصال الفطرة، الحديث: ٢٦١، ص ١٥٤.

हदीस 21

हज़रते अली رضي الله تعالى عنه से मरवी है, **रसूलुल्लाह** صلى الله تعالى عليه وسلم ने फ़रमाया कि : “बन्दा जब मिस्वाक कर लेता है फिर नमाज़ को खड़ा होता है तो फ़रिश्ता उस के पीछे खड़ा हो कर क़िराअत सुनता है फिर उस से क़रीब होता है यहां तक कि अपना मुंह उस के मुंह पर रख देता है।”⁽¹⁾

मशाइख़े किराम फ़रमाते हैं कि : “जो शख्स मिस्वाक का आदी हो मरते वक़्त उसे कलिमा पढ़ना नसीब होगा। और जो अफ़यून खाता हो मरते वक़्त उसे कलिमा नसीब न होगा।”

अहकामे फ़िक्ही : वोह आयए करीमा जो ऊपर लिखी गई इस से येह साबित कि वुजू में चार फ़र्ज हैं :

- (1) मुंह धोना
- (2) कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना
- (3) सर का मस्ह करना
- (4) टख़्नों समेत दोनों पाउं का धोना

फ़ाएदा : किसी उज़्व के धोने के येह माना हैं कि उस उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम दो बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह पानी चुपड़ लेने या एकआध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे न इस से वुजू या गुस्ल अदा हो।⁽²⁾ इस अम्र का लिहाज़ बहुत ज़रूरी है लोग इस की तरफ़ तवज्जोह नहीं करते और नमाज़ें अकारत जाती हैं। बदन में बाज़ जगहें ऐसी हैं कि जब तक उन का ख़ास ख़याल न किया जाए उन पर पानी न बहेगा जिस की तशरीह हर उज़्व में बयान की जाएगी। किसी जगह मौज़ए हृदस पर तरी पहुंचने को मस्ह कहते हैं।

1. मुंह धोना : शुरूए पेशानी से (यानी जहां से बाल जमने की इन्तिहा हो) ठोड़ी⁽³⁾ तक तूल में और अर्ज में एक कान से दूसरे कान तक मुंह है इस हृद के अन्दर जिल्द के हर हिस्से पर एक मरतबा पानी बहाना फ़र्ज है।⁽⁴⁾

मस्अला 1 जिस के सर के अगले हिस्से के बाल गिर गए या जमे नहीं उस पर वहीं तक मुंह धोना फ़र्ज है जहां तक आदतन बाल होते हैं और अगर आदतन जहां तक बाल होते हैं उस से नीचे तक किसी के बाल जमे तो उन ज़ाइद बालों का जड़ तक धोना फ़र्ज है।⁽⁵⁾

①.....”البحر الزخار المعروف بمسند الزّار”، مسند علي بن أبي طالب، الحديث: ٦٠٣، ج ٢، ص ٢١٤.

②.....”الدرا المختار” و”ردالمحتار”، كتاب الطهارة، مطلب في الفرض القطعي والظني، ج ١، ص ٢١٧.

و”الفتاوى الرضوية”، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ج ١، ص ٢١٨.

③.....यानी नीचे के दांत जमने की जगह।

④.....”الدرا المختار” مع”ردالمحتار”، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٢١٦ - ٢١٩.

⑤.....”الفتاوى الهندية”، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الأول، ج ١، ص ٤.

मस्अला 2 मूँछों या भवों या बच्ची⁽¹⁾ के बाल घने हों कि खाल बिल्कुल न दिखाई दे तो जिल्द का धोना फर्ज नहीं बालों का धोना फर्ज है और अगर इन जगहों के बाल घने न हों तो जिल्द का धोना भी फर्ज है।⁽²⁾

मस्अला 3 अगर मूँछें बढ़ कर लबों को छुपा लें तो अगर्चे घनी हों, मूँछें हटा कर लब का धोना फर्ज है।⁽³⁾

मस्अला 4 दाढ़ी के बाल अगर घने न हों तो जिल्द का धोना फर्ज है और अगर घने हों तो गले की तरफ़ दबाने से जिस क़दर चेहरे के गिर्दे में आएँ उन का धोना फर्ज है और जड़ों का धोना फर्ज नहीं और जो हल्के से नीचे हों उन का धोना ज़रूर नहीं और अगर कुछ हिस्से में घने हों और कुछ छदरे तो जहां घने हों वहां बाल और जहां छदरे हैं उस जगह जिल्द का धोना फर्ज है।⁽⁴⁾

मस्अला 5 लबों का वोह हिस्सा जो अ़दतन लब बन्द करने के बाद ज़ाहिर रहता है, उस का धोना फर्ज है तो अगर कोई ख़ूब ज़ोर से लब बन्द कर ले कि उस में का कुछ हिस्सा छुप गया कि उस पर पानी न पहुंचा, न कुल्ली की, कि धुल जाता तो वुजू न हुवा, हां वोह हिस्सा जो अ़दतन मुंह बन्द करने में ज़ाहिर नहीं होता उस का धोना फर्ज नहीं।⁽⁵⁾

मस्अला 6 रुख़सार और कान के बीच में जो जगह है जिसे कनपटी कहते हैं उस का धोना फर्ज है हां इस हिस्से में जितनी जगह दाढ़ी के घने बाल हों वहां बालों का और जहां बाल न हों या घने न हों तो जिल्द का धोना फर्ज है।⁽⁶⁾

मस्अला 7 नथ का सूराख़ अगर बन्द न हो तो उस में पानी बहाना फर्ज है अगर तंग हो तो पानी डालने में नथ को हरकत दे वरना ज़रूरी नहीं।⁽⁷⁾

①.....यानी वोह चन्द बाल जो नीचे के होंट और ठोड़ी के बीच में होते हैं।

②....."الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢١٤.

و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في معنى الاشتقاق... إلخ، ج ١، ص ٢٢٠.

③....."الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٤٦.

④....."الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٤٦، ٢١٤.

⑤....."الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في معنى الاشتقاق... إلخ، ج ١، ص ٢١٩.

و "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢١٤.

⑥....."الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢١٦.

و "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في معنى الاشتقاق... إلخ، ج ١، ص ٢٢٠.

⑦....."الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٤٥.

मस्अला 8 आंखों के ढेले और पपोटों की अन्दरूनी सतह का धोना कुछ दरकार नहीं बल्कि न चाहिये कि मुजिर है।⁽¹⁾

मस्अला 9 मुंह धोते वक्त आंखें जोर से मींच लीं कि पलक के मुत्तसिल एक खफ़ीफ़ सी तहरीर बन्द हो गई और उस पर पानी न बहा और वोह आदतन बन्द करने से जाहिर रहती हो तो वुजू हो जाएगा मगर ऐसा करना नहीं चाहिये और अगर कुछ ज़ियादा धुलने से रह गया तो वुजू न होगा।⁽²⁾

मस्अला 10 आंख के कोए⁽³⁾ पर पानी बहाना फ़र्ज है मगर सुरमे का जिर्म कोए या पलक में रह गया और वुजू कर लिया और इत्तिलाअ न हुई और नमाज़ पढ़ ली तो हरज नहीं नमाज़ हो गई, वुजू भी हो गया और अगर मालूम है तो उसे छुड़ा कर पानी बहाना ज़रूर है।

मस्अला 11 पलक का हर बाल पूरा धोना फ़र्ज है अगर इस में कीचड़ वगैरा कोई सख़्त चीज़ जम गई हो तो छुड़ाना फ़र्ज है।⁽⁴⁾

2. हाथ धोना : इस हुक्म में कोहनियां भी दाख़िल हैं।⁽⁵⁾

मस्अला 12 अगर कोहनियों से नाखुन तक कोई जगह ज़रा भर भी धुलने से रह जाएगी वुजू न होगा।⁽⁶⁾

मस्अला 13 हर किस्म के जाइज़, ना जाइज़ गहने, छल्ले, अंगूठियां, पोहंचियां⁽⁷⁾, कंगन, कांच, लाख वगैरा की चूड़ियां, रेशम के लच्छे वगैरा अगर इतने तंग हों कि नीचे पानी न बहे तो उतार कर धोना फ़र्ज है और अगर सिर्फ़ हिला कर धोने से पानी बह जाता हो तो हरकत देना ज़रूरी है और अगर ढीले हों कि बे हिलाए भी नीचे पानी बह जाएगा तो कुछ ज़रूरी नहीं।⁽⁸⁾

मस्अला 14 हाथों की आठों घाइयां⁽⁹⁾, उंग्लियों की करवटें, नाखुनों के अन्दर जो जगह ख़ाली है, कलाई का हर बाल जड़ से नोक तक इन सब पर पानी बह जाना ज़रूरी है अगर कुछ भी रह गया या बालों की जड़ों पर पानी बह गया किसी एक बाल की नोक पर न बहा वुजू न हुवा मगर नाखुनों के अन्दर का मैल मुआफ़ है।⁽¹⁰⁾

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في معنى الاشتقاق... إلخ، ج ١، ص ٢٢٠. ②..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢٠٠.

③..... यानी नाक की तरफ़ आंख का कोना।

④..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٤٤.

⑤..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الأول، ج ١، ص ٤. ⑥..... المرجع السابق.

⑦..... पोहंची की जम्अ, एक ज़ेवर जो कलाई में पहना जाता है।

⑧..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢١٦. و "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٣١٧.

⑨..... यानी उंग्लियों के दरमियान की जगह।

⑩..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٤٥.

मस्अला 15 बजाए पांच के छे उंगलियां हैं तो सब का धोना फर्ज है और अगर एक मूँढे पर दो हाथ निकले तो जो पूरा है उस का धोना फर्ज है और उस दूसरे का धोना फर्ज नहीं मुस्तहब है मगर उस का वोह हिस्सा कि उस हाथ के मौजूए फर्ज से मुत्तसिल है उतने का धोना फर्ज है।⁽¹⁾

3. सर का मस्ह करना :

चौथाई सर का मस्ह फर्ज है।⁽²⁾

मस्अला 16 मस्ह करने के लिये हाथ तर होना चाहिये, ख़्वाह हाथ में तरी आज़ा के धोने के बाद रह गई हो या नए पानी से हाथ तर कर लिया हो।⁽³⁾

मस्अला 17 किसी उज़्च के मस्ह के बाद जो हाथ में तरी बाकी रह जाएगी वोह दूसरे उज़्च के मस्ह के लिये काफ़ी न होगी।⁽⁴⁾

मस्अला 18 सर पर बाल न हों तो जिल्द की चौथाई और जो बाल हों तो ख़ास सर के बालों की चौथाई का मस्ह फर्ज है और सर का मस्ह इसी को कहते हैं।⁽⁵⁾

मस्अला 19 इमामे, टोपी, दोपट्टे पर मस्ह काफ़ी नहीं। हां अगर टोपी, दोपट्टा इतना बारीक हो कि तरी फूट कर चौथाई सर को तर कर दे तो मस्ह हो जाएगा।⁽⁶⁾

मस्अला 20 सर से जो बाल लटक रहे हों उन पर मस्ह करने से मस्ह न होगा।⁽⁷⁾

4. पाउं को गिड़ों⁽⁸⁾ समेत एक दफ़आ धोना :⁽⁹⁾

मस्अला 21 छल्ले और पाउं के गहनों का वोही हुक्म है जो ऊपर बयान किया गया।⁽¹⁰⁾

मस्अला 22 बाज़ लोग किसी बीमारी की वजह से पाउं के अंगूठों में इस क़दर खींच कर तागा बांध देते हैं कि पानी का बहना दर कनार तागे के नीचे तर भी नहीं होता उन को इस से बचना लाज़िम है कि इस सूरत में वुजू नहीं होता।

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الأول، ج ١، ص ٤.

② المرجع السابق، ص ٥. ③ المرجع السابق، ص ٦.

④ المرجع السابق. ⑤ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢١٦.

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الأول، ج ١، ص ٦.

⑦ المرجع السابق، ص ٥.

⑧ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الأول، ج ١، ص ٥.

⑩ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢١٨.

⑧ यानी टख़्ख़ों।

मस्अला 23 घाइयां और उंगलियों की करवटें, तल्वे, एड़ियां, कूंचें⁽¹⁾, सब का धोना फ़र्ज है।⁽²⁾

मस्अला 24 जिन आज़ा का धोना फ़र्ज है उन पर पानी बह जाना शर्त है येह ज़रूर नहीं कि क़स्दन पानी बहाए अगर बिला क़स्दो इख़्तियार भी इन पर पानी बह जाए (मसलन मींह बरसा और आज़ाए वुजू के हर हिस्से से दो दो क़तरे मींह के बह गए वोह आज़ा धुल गए और सर का चौथाई हिस्सा नम हो गया या किसी तालाब में गिर पड़ा और आज़ाए वुजू पर पानी गुज़र गया वुजू हो गया)।

मस्अला 25 जिस चीज़ की आदमी को उमूमन या खुसूसन ज़रूरत पड़ती रहती है और उस की निगहदाशत व एहतियात में हरज हो, नाखुनों के अन्दर या ऊपर या और किसी धोने की जगह पर उस के लगे रह जाने से अगर्चे जिर्मदार हो, अगर्चे उस के नीचे पानी न पहुंचे, अगर्चे सख़्त चीज़ हो वुजू हो जाएगा, जैसे पकाने, गूंधने वालों के लिये आटा, रंगरेज़ के लिये रंग का जिर्म, औरतों के लिये मेहंदी का जिर्म, लिखने वालों के लिये रोशनाई का जिर्म, मज़दूर के लिये गारा मिट्टी, आम लोगों के लिये कोए या पलक में सुरमे का जिर्म, इसी तरह बदन का मैल, मिट्टी, गुबार, मख़ख़ी, मच्छर की बीट वगैरहा।⁽³⁾

मस्अला 26 किसी जगह छाला था और वोह सूख गया मगर उस की खाल जुदा न हुई तो खाल जुदा कर के पानी बहाना ज़रूरी नहीं बल्कि उसी छाले की खाल पर पानी बहा लेना काफ़ी है। फिर उस को जुदा कर दिया तो अब भी उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं।⁽⁴⁾

मस्अला 27 मछली का सिन्ना आज़ाए वुजू पर चिपका रह गया वुजू न होगा कि पानी उस के नीचे न बहेगा।⁽⁵⁾

वुजू की सुन्नतें

मस्अला 28 वुजू पर सवाब पाने के लिये हुक्मे इलाही बजा लाने की निय्यत से वुजू करना ज़रूर है वरना वुजू हो जाएगा सवाब न पाएगा।⁽⁶⁾

①यानी एड़ियों के ऊपर मोटे पट्टे।

② "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٤٥. ③ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢٠٣.

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الأول، ج ١، ص ٥.

⑤ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢٢٠.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: الفرق بين النية والقصد والعزم، ج ١، ص ٢٣٥-٢٣٨.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

मस्अला 29 बिस्मिल्लाह से शुरूअ करे और अगर वुजू से पहले इस्तिन्जा करे तो क़ब्ल इस्तिन्जे के भी बिस्मिल्लाह कहे मगर पाख़ाना में जाने या बदन खोलने से पहले कहे कि नजासत की जगह और बाद सत्र खोलने के ज़बान से ज़िक्रे इलाही मन्अ है।⁽¹⁾

मस्अला 30 और शुरूअ यूं करे कि पहले हाथों को गिट्टों तक तीन तीन बार धोए।⁽²⁾

मस्अला 31 अगर पानी बड़े बरतन में हो और कोई छोटा बरतन भी नहीं कि उस में पानी उंडेल कर हाथ धोए तो उसे चाहिये कि बाएं हाथ की उंगलियां मिला कर सिर्फ़ वोह उंगलियां पानी में डाले, हथेली का कोई हिस्सा पानी में न पड़े और पानी निकाल कर दहना हाथ गिट्टे तक तीन बार धोए फिर दहने हाथ को जहां तक धोया है बिना तकल्लुफ़ पानी में डाल सकता है और उस से पानी निकाल कर बायां हाथ धोए।⁽³⁾

मस्अला 32 येह उस सूरत में है कि हाथ में कोई नजासत न लगी हो वरना किसी तरह हाथ डालना जाइज़ नहीं, हाथ डालेगा तो पानी नापाक हो जाएगा।⁽⁴⁾

मस्अला 33 अगर छोटे बरतन में पानी है या पानी तो बड़े बरतन में है मगर वहां कोई छोटा बरतन भी मौजूद है और उस ने बे धोया हाथ पानी में डाल दिया बल्कि उंगली का पोरा या नाखुन डाला तो वोह सारा पानी वुजू के काबिल न रहा माए मुस्तामल हो गया।⁽⁵⁾

मस्अला 34 येह उस वक़्त है कि जितना हाथ पानी में पहुंचा उस का कोई हिस्सा बे धुला हो वरना अगर पहले हाथ धो चुका और इस के बाद ह़दस न हुवा तो जिस क़दर हिस्सा धुला हुवा हो, उतना पानी में डालने से मुस्तामल न होगा अगर्चे कोहनी तक हो बल्कि ग़ैर जुनुब ने अगर कोहनी तक हाथ धो लिया तो उस के बाद बग़ल तक डाल सकता है कि अब उस के हाथ पर कोई ह़दस बाकी नहीं, हां जुनुब कोहनी से ऊपर उतना ही हिस्सा डाल सकता है जितना धो चुका है कि उस के सारे बदन पर ह़दस है।

1..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: سائر بمعنى باقي... إلخ، ج 1، ص 241.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثاني، ج 1، ص 6.

3..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ج 1، ص 246.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثاني، ج 1، ص 6.

و "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ج 1، ص 247.

5..... "الفتاوى الرضوية"، ج 2، ص 113.

येह मस्अला मारिकतुल आरा है और सहीह येही है जो यहां मज़कूर हुवा जैसा कि हिदाया व फ़तहल क़दीर व तब्यीन व फ़तावा काज़ी खां व काफ़ी व खुलासा व गुन्निय्या व हिल्या व किताबुल हसन अन अबी हनीफ़ा व कुतुबे इमाम मुहम्मद रज़िअल्लैहू व दीगर कुतुबे फ़िक्ह में मुसर्रह है और इस की कामिल तहकीक़ मन्ज़ूर हो तो रिसालए मुबारका "النميقة الانقى في الفرق بين الملافي والملقى" का मुतालआ किया जाए। 12 मिन्ह

मस्अला 35 जब सो कर उठे तो पहले हाथ धोए, इस्तिन्जे के क़ब्ल भी और बाद भी।⁽¹⁾

मस्अला 36 कम से कम तीन तीन मरतबा दाहने बाएं, ऊपर नीचे के दांतों में मिस्वाक करे और हर मरतबा मिस्वाक को धो ले और मिस्वाक न बहुत नर्म हो न सख़्त और पीलू या जैतून या नीम वगैरा कड़वी लकड़ी की हो। मेवे या खुशबूदार फूल के दरख़्त की न हो छुंगल्या के बराबर मोटी और ज़ियादा से ज़ियादा एक बालिशत लम्बी हो और इतनी छोटी भी न हो कि मिस्वाक करना दुश्वार हो। जो मिस्वाक एक बालिशत से ज़ियादा हो उस पर शैतान बैठता है।⁽²⁾ मिस्वाक जब क़ाबिले इस्तिमाल न रहे तो उसे दफ़्न कर दें या किसी जगह एहतियात से रख दें कि किसी नापाक जगह न गिरे कि एक तो वोह आलए अदाए सुन्नत है इस की ताज़ीम चाहिये, दूसरे आबे दाहने मुस्लिम नापाक जगह डालने से खुद महफूज़ रखना चाहिये, इसी लिये पाख़ाने में थूकने को इलमा ने ना मुनासिब लिखा है।

मस्अला 37 मिस्वाक दाहने हाथ से करे और इस तरह हाथ में ले कि छुंगल्या मिस्वाक के नीचे और बीच की तीन उंगलियां ऊपर और अंगूठा सिरे पर नीचे हो और मुठ्ठी न बांधे।⁽³⁾

मस्अला 38 दांतों की चौड़ाई में मिस्वाक करे लम्बाई में नहीं, चित लैट कर मिस्वाक न करे।⁽⁴⁾

मस्अला 39 पहले दाहनी जानिब के ऊपर के दांत मांझे, फिर बाई जानिब के ऊपर के दांत, फिर दाहनी जानिब के नीचे के, फिर बाई जानिब के नीचे के।⁽⁵⁾

मस्अला 40 जब मिस्वाक करना हो तो उसे धो ले। यूंही फ़ारिग़ होने के बाद धो डाले और ज़मीन पर पड़ी न छोड़ दे बल्कि खड़ी रखे⁽⁶⁾ और रेशे की जानिब ऊपर हो।⁽⁷⁾

मस्अला 41 अगर मिस्वाक न हो तो उंगली या संगीन कपड़े से दांत मांझ ले। यूंही अगर दांत न हों तो उंगली या कपड़ा मसूड़ों पर फेर ले।⁽⁸⁾

①..... "الدرا المختار"، كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة، ج ١، ص ٢٤٣.

②..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ج ١، ص ٢٥٠.

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثاني، ج ١، ص ٧. و "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ج ١، ص ٢٥٠.

④..... "الدرا المختار" كتاب الطهارة، ج ١، ص ٢٥١. ⑤..... المرجع السابق، ص ٢٥٠.

⑥..... लेकिन बुलन्द जगह पर लिटा कर रखने में हरज नहीं जैसा कि इमामे अहले सुन्नत, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَزَّوَجَلَّاهُ عَلَيهِ السَّلَام फ़रमाते हैं। यानी ज़मीन पर लिटा कर न रखे कि गन्दगी से आलूदा होगी हां अगर किसी बुलन्द जगह पर रखे तो लिटा कर रखने में हरज नहीं। (ماخوذ از "جد المختار"، كتاب الطهارة، مطلب من النصوص... الخ، ج ١، ص ١٥٢)..... علمیه

⑦..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ج ١، ص ٢٥١.

⑧..... "الجوهرة النيرة"، كتاب الطهارة، ص ٦، و "الدرا المختار"، كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة، ج ١، ص ٢٥٣.

मस्अला 42 ✨ मिस्वाक नमाज़ के लिये सुन्नत नहीं बल्कि वुजू के लिये तो जो एक वुजू से चन्द नमाज़ें पढ़े, उस से हर नमाज़ के लिये मिस्वाक का मुतालबा नहीं, जब तक तगय्युरे राएहा⁽¹⁾ न हो गया हो, वरना उस के दफ़अ के लिये मुस्तक़िल सुन्नत है अलबत्ता अगर वुजू में मिस्वाक न की थी तो अब नमाज़ के वक़्त कर ले⁽²⁾।

मस्अला 43 ✨ फिर तीन चुल्लू पानी से तीन कुल्लियां करे कि हर बार मुंह के हर पुर्जे पर पानी बह जाए और रोज़ेदार न हो तो ग़रग़रा करे।⁽³⁾

मस्अला 44 ✨ फिर तीन चुल्लू से तीन बार नाक में पानी चढ़ाए कि जहां तक नर्म गोश्त होता है हर बार उस पर पानी बह जाए और रोज़ेदार न हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाए और ये दोनों काम दाहने हाथ से करे, फिर बाएं हाथ से नाक साफ़ करे।⁽⁴⁾

मस्अला 45 ✨ मुंह धोते वक़्त दाढ़ी का ख़िलाल करे बशर्ते कि एहराम न बांधे हो, यूं कि उंगलियों को गरदन की तरफ़ से दाख़िल करे और सामने निकाले।⁽⁵⁾

मस्अला 46 ✨ हाथ पाउं की उंगलियों का ख़िलाल करे, पाउं की उंगलियों का ख़िलाल बाएं हाथ की छुंगल्या से करे इस तरह कि दाहने पाउं में छुंगल्या से शुरूअ करे और अंगूठे पर ख़त्म करे और बाएं पाउं में अंगूठे से शुरूअ कर के छुंगल्या पर ख़त्म करे और अगर बे ख़िलाल किये पानी उंगलियों के अन्दर से न बहता हो तो ख़िलाल फ़र्ज़ है यानी पानी पहुंचाना अगर बे ख़िलाल हो मसलन घाइयां खोल कर ऊपर से पानी डाल दिया या पाउं हौज़ में डाल दिया।⁽⁶⁾

मस्अला 47 ✨ जो आज़ा धोने के हैं उन को तीन तीन बार धोए हर मरतबा इस तरह धोए कि कोई हिस्सा रह न जाए वरना सुन्नत अदा न होगी।⁽⁷⁾

1यानी सांस बदबूदार।

2 "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في دلالة المفهوم، ج 1، ص 248.

मिस्वाक वुजू की सुन्नते क़ब्लिया है अलबत्ता सुन्नते मुअक्कदा उस वक़्त है जब कि मुंह में बदबू हो।
(“फ़तावा रज़विय्या”, जि. 1, स. 623)

3 "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، ج 1، ص 203.

4 المرجع السابق. 5 المرجع السابق، ص 200.

6 "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، ج 1، ص 206.

7 "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، ج 1، ص 207.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثاني، ج 1، ص 7.

पेशकश : मज़लिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

मस्अला 48

अगर यूं किया कि पहली मरतबा कुछ धुल गया और दूसरी बार कुछ और तीसरी दफ़आ कुछ कि तीनों बार में पूरा उज़्च धुल गया तो येह एक ही बार धोना होगा और वुजू हो जाएगा मगर खिलाफ़े सुन्नत, इस में चुल्लूओं की गिनती नहीं बल्कि पूरा उज़्च धोने की गिनती है कि वोह तीन मरतबा हो अगर्चे कितने ही चुल्लूओं से।⁽¹⁾

मस्अला 49

पूरे सर का एक बार मस्ह करना और कानों का मस्ह करना और तरतीब कि पहले मुंह, फिर हाथ धोएं, फिर सर का मस्ह करें, फिर पाउं धोएं अगर खिलाफ़े तरतीब वुजू किया या कोई और सुन्नत छोड़ गया तो वुजू हो जाएगा मगर एकआध दफ़आ ऐसा करना बुरा है और तर्के सुन्नते मुअक्कदा की आदत डाली तो गुनहगार है और दाढ़ी के जो बाल मुंह के दाएरे से नीचे हैं उन का मस्ह सुन्नत है और धोना मुस्तहब है और आज़ा को इस तरह धोना कि पहले वाला उज़्च सूखने न पाए।⁽²⁾

वुजू के मुस्तहब्बात

बहुत से मुस्तहब्बात जिम्न ऊपर ज़िक्र हो चुके, बाज़ बाकी रह गए वोह लिखे जाते हैं।

मस्अला 50

- (1) दाहनी जानिब से इब्तिदा करें मगर
- (2) दोनों रुख़सारे कि इन दोनों को साथ ही साथ धोएंगे ऐसे ही
- (3) दोनों कानों का मस्ह साथ ही साथ होगा।
- (4) हां अगर किसी के एक ही हाथ हो तो मुंह धोने और
- (5) मस्ह करने में भी दहने को मुक़द्दम करे
- (6) उंगलियों की पुशत से
- (7) गरदन का मस्ह करना
- (8) वुजू करते वक़्त काबा रू
- (9) ऊंची जगह
- (10) बैठना।
- (11) वुजू का पानी पाक जगह गिराना और

1..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في منافع السواك، ج 1، ص 207.

2..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج 1، ص 262-264. و "الفتاوى الرضوية"، ج 1، ص 214.

- (12) पानी बहाते वक्त आज़ा पर हाथ फेरना खास कर जाड़े में ।
- (13) पहले तेल की तरह पानी चुपड़ लेना खुसूसन जाड़े में ।
- (14) अपने हाथ से पानी भरना ।
- (15) दूसरे वक्त के लिये पानी भर कर रख छोड़ना ।
- (16) वुजू करने में बिगैर ज़रूरत दूसरे से मदद न लेना ।
- (17) अंगूठी को हरकत देना जब कि ढीली हो कि उस के नीचे पानी बह जाना मालूम हो वरना फ़र्ज़ होगा ।
- (18) साहिबे उज़्र न हो तो वक्त से पहले वुजू कर लेना ।
- (19) इत्मीनान से वुजू करना । अ़वाम में जो मशहूर है कि वुजू जवान का सा, नमाज़ बूढ़ों की सी यानी वुजू जल्द करें ऐसी जल्दी न चाहिये जिस से कोई सुन्नत या मुस्तहब तर्क हो ।
- (20) कपड़ों को टपक्ते क़तरों से महफूज़ रखना ।
- (21) कानों का मसह करते वक्त भीगी छुंगल्या कानों के सूराख में दाख़िल करना
- (22) जो वुजू कामिल तौर पर करता हो कि कोई जगह बाकी न रह जाती हो, उसे कोओं, टख़्नों, एड़ियों, तल्वों, कूंचों, घाइयों, कोहनियों का बित्तख़्सीस ख़याल रखना मुस्तहब है और बे ख़याली करने वालों को तो फ़र्ज़ है कि अक्सर देखा गया है कि येह मवाज़ेअ़ खुश्क रह जाते हैं येह नतीजा उन की बे ख़याली का है । ऐसी बे ख़याली हराम है और ख़याल रखना फ़र्ज़ ।
- (23) वुजू का बरतन मिट्टी का हो, तांबे वगैरा का हो तो भी हरज नहीं मगर
- (24) क़लई किया हुआ ।
- (25) अगर वुजू का बरतन लोटे की किस्म से हो तो बाई जानिब रखे और
- (26) त़श्त की किस्म से हो तो दहनी तरफ़
- (27) आफ़ताबे में दस्ता लगा हो तो दस्ते को तीन बार धो लें
- (28) और हाथ उस के दस्ते पर रखें उस के मुंह पर न रखें
- (29) दहने हाथ से कुल्ली करना, नाक में पानी डालना
- (30) बाएं हाथ से नाक साफ़ करना
- (31) बाएं हाथ की छुंगल्या नाक में डालना

(32) पाउं को बाएं हाथ से धोना

(33) मुंह धोने में माथे के सिरे पर ऐसा फैला कर पानी डालना कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाए।

तम्बीह : बहुत से लोग यूं किया करते हैं कि नाक या आंख या भवों पर चुल्लू डाल कर सारे मुंह पर हाथ फेर लेते हैं और येह समझते हैं कि मुंह धुल गया हालां कि पानी का ऊपर चढ़ना कोई माना नहीं रखता इस तरह धोने में मुंह नहीं धुलता और वुजू नहीं होता।

(34) दोनों हाथ से मुंह धोना

(35) हाथ पाउं धोने में उंगलियों से शुरू करना

(36) चेहरे और

(37) हाथ पाउं की रोशनी वसीअ करना यानी जितनी जगह पर पानी बहाना फर्ज है उस के अतराफ में कुछ बढ़ाना मसलन निस्फ बाजू व निस्फ पिंडली तक धोना

(38) मस्हे सर में मुस्तहब तरीका येह है कि अंगूठे और कलिमे की उंगली के सिवा एक हाथ की बाकी तीन उंगलियों का सिरा, दूसरे हाथ की तीनों उंगलियों के सिरे से मिलाए और पेशानी के बाल या खाल पर रख कर गुद्दी तक इस तरह ले जाए कि हथेलियां सर से जुदा रहें वहां से हथेलियों से मस्ह करता वापस लाए और

(39) कलिमे की उंगली के पेट से कान के अन्दरूनी हिस्से का मस्ह करे और

(40) अंगूठे के पेट से कान की बैरूनी सतह का और उंगलियों की पुशत से गरदन का मस्ह।

(41) हर उज्ज्व धो कर उस पर हाथ फेर देना चाहिये कि बूंदें बदन या कपड़े पर न टपकें, खुसूसन जब मस्जिद में जाना हो कि कतरों का मस्जिद में टपकना मक्रूहे तहरीमी है।

(42) बहुत भारी बरतन से वुजू न करे खुसूसन कमजोर कि पानी बे एहतियाती से गिरेगा

(43) ज़बान से कह लेना कि वुजू करता हूं

(44) हर उज्ज्व के धोते या मस्ह करते वक्त निय्यते वुजू हाज़िर रहना और

(45) बिस्मिल्लाह कहना और

(46) दुरूद और

(47) ⁽¹⁾ **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)** और

①.....मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) के सिवा कोई माबूद नहीं वोह अकेला है उस का कोई शरीक नहीं और गवाही देता हूं कि हमारे सरदार मुहम्मद (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) उस के बन्दे और रसूल हैं। 12

(48) कल्ली के वक्त ⁽¹⁾ اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ और

(49) नाक में पानी डालते वक्त ⁽²⁾ اللَّهُمَّ ارْحِنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرْحِنِي رَائِحَةَ النَّارِ और

(50) मुंह धोते वक्त ⁽³⁾ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ और

(51) दाहना हाथ धोते वक्त ⁽⁴⁾ اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبِي حِسَابًا يَسِيرًا और

(52) बायां हाथ धोते वक्त ⁽⁵⁾ اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي और

(53) सर का मस्ह करते वक्त ⁽⁶⁾ اللَّهُمَّ أَظْلِنِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ और

(54) कानों का मस्ह करते वक्त ⁽⁷⁾ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ और

(55) गरदन का मस्ह करते वक्त ⁽⁸⁾ اللَّهُمَّ اغْنِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ और

(56) दाहना पाउं धोते वक्त ⁽⁹⁾ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُلُّ الْأَقْدَامُ और

(57) बायां पाउं धोते वक्त ⁽¹⁰⁾ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَسَعْيِي مَشْكُورًا وَتِجَارَتِي لَنْ تَبُورَ पढ़े

या सब जगह दुरूद शरीफ ही पढ़े और येही अफ़ज़ल है। और

(58) वुजू से फ़ारिग़ होते ही येह पढ़े ⁽¹¹⁾ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ और

(59) बचा हुआ पानी खड़े हो कर थोड़ा पी ले कि शिफ़ाए अमराज़ है और

①.....ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) तू मेरी मदद कर कि कुरआन की तिलावत और तेरा ज़िक्र व शुक्र करूं और तेरी अच्छी इबादत करूं। 12

②.....ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) तू मुझे को जन्नत की खुशबू सुंघा और जहन्नम की बू से बचा। 12

③.....ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) तू मेरे चेहरे को उजाला कर जिस दिन कि कुछ मुंह सफ़ेद होंगे और कुछ सियाह। 12

④.....ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) मेरा नामए आमाल दाहने हाथ में दे और मुझे से आसान हिसाब करना। 12

⑤.....ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) मेरा नामए आमाल न बाएं हाथ में दे और न पीठ के पीछे से। 12

⑥.....ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) तू मुझे अपने अर्श के साए में रख जिस दिन तेरे अर्श के साए के सिवा कहीं साया न होगा। 12

⑦.....ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) मुझे उन में कर दे जो बात सुनते हैं और अच्छी बात पर अमल करते हैं। 12

⑧.....ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) मेरी गरदन आग से आज़ाद कर दे। 12

⑨.....ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) मेरा क़दम पुल सिरात पर साबित क़दम रख जिस दिन कि उस पर क़दम लग़िज़श करेंगे। 12

⑩.....ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) मेरे गुनाह बख़्श दे और मेरी कोशिश बारआवर कर दे और मेरी तिजारात हलाक न हो। 12

⑪.....इलाही तू मुझे तौबा करने वालों और पाक लोगों में कर दे। 12

(60) आस्मान की तरफ मुंह कर के ⁽¹⁾ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

और कलिमए शहादत और सूराए **الْاٰزِزَات** पढ़े ।

(61) आजाए वुजू बिगैर ज़रूरत न पोंछे और पोंछे तो बे ज़रूरत खुशक न कर ले ।

(62) कदरे नम बाकी रहने दे कि रोज़े कियामत पल्लए हसनात में रखी जाएगी ।

और

(63) हाथ न झटके कि शैतान का पंखा है ।

(64) बादे वुजू मियानी⁽²⁾ पर पानी छिड़क ले ।⁽³⁾ और

(65) मक्रूह वक्त न हो तो दो रक्अत नमाज़े नफ़ल पढ़े इस को तहिय्यतुल वुजू कहते हैं ।⁽⁴⁾

वुजू में मक्रूहात

(1) औरत के गुस्ल या वुजू के बचे हुए पानी से वुजू करना ।

(2) वुजू के लिये नजिस जगह बैठना ।

(3) नजिस जगह वुजू का पानी गिराना ।

(4) मस्जिद के अन्दर वुजू करना ।

(5) आजाए वुजू से लोटे वगैरा में क़तरा टपकाना ।

(6) पानी में रीठ या खन्कार डालना ।

(7) क़िब्ले की तरफ़ थूक या खन्कार डालना या कुल्ली करना ।

①.....तू पाक है ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) और मैं तेरी हम्द करता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तुझ से मुआफ़ी चाहता हूँ और तेरी तरफ़ तौबा करता हूँ । 12

②.....पाजामा का वोह हिस्सा जो पेशाब गाह के करीब होता है ।

③.....शैख़े तरीक़त, अशिके आला हज़रत, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दावते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अतार कादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ “नमाज़ के अहक़ाम” सफ़हा 19 पर फ़रमाते हैं कि : “पानी छिड़कते वक्त मियानी को कुरते के दामन में छुपाए रखना मुनासिब है, नीज़ वुजू करते वक्त भी बल्कि हर वक्त मियानी को कुरते के दामन या चादर वगैरा के ज़रीए छुपाए रखना हया के करीब है ।

④..... “غنية المتعملي شرح منية المصلي”، آداب الوضوء، ص 28 - 37.

و “الدر المختار” و “ردالمحتار”، كتاب الطهارة، ج 1، ص 266 - 280.

و “الفتاوى الهندية”، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثالث، ج 1، ص 8.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दावते इस्लामी)

- (8) बे ज़रूरत दुन्या की बात करना ।
- (9) ज़ियादा पानी खर्च करना ।
- (10) इतना कम खर्च करना कि सुन्नत अदा न हो ।
- (11) मुंह पर पानी मारना । या
- (12) मुंह पर पानी डालते वक़्त फूंकना ।
- (13) एक हाथ से मुंह धोना कि रिफ़ाज़ व हुनूद का शिअर है ।
- (14) गले का मस्ह करना ।
- (15) बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना ।
- (16) दाहने हाथ से नाक साफ़ करना ।
- (17) अपने लिये कोई लोटा वगैरा खास कर लेना ।
- (18) तीन जदीद पानियों से तीन बार सर का मस्ह करना ।
- (19) जिस कपड़े से इस्तिन्जे का पानी खुश्क किया हो उस से आज़ाए वुजू पोंछना ।
- (20) धूप के गर्म पानी से वुजू करना ।⁽¹⁾
- (21) होंट या आंखें जोर से बन्द करना और अगर कुछ सूखा रह जाए तो वुजू ही न होगा ।

हर सुन्नत का तर्क मक्रूह है । यूंही हर मक्रूह का तर्क सुन्नत ।⁽²⁾

वुजू के मुतफ़रिक् मशाइल

मश्अला 51

अगर वुजू न हो तो नमाज़ और सज्दए तिलावत और नमाज़े जनाज़ा और कुरआने अज़ीम छूने के लिये वुजू करना फ़र्ज़ है ।⁽³⁾

①.....जो पानी धूप से गर्म हो गया उस से वुजू करना मुत्लक़न मक्रूह नहीं बल्कि इस में चन्द कुयूद हैं, जिन का ज़िक्र पानी के बाब में आएगा और इस से वुजू की कराहत तन्ज़ीही है तहरीमी नहीं । 12 मिन्ह حفظه

②....."الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في تعريف المكروه... إلخ، ج ١، ص ٢٦٩، ٢٨٠ - ٢٨٣.

و"الفتاوى الهندية"، الباب الأول في الوضوء، الفصل الرابع، ج ١، ص ٤، ٩، وغيرهما.

③....."نور الإيضاح"، كتاب الطهارة، فصل: الوضوء على ثلاثة أقسام، ص ١٨.

पेशकश : मज़लिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

मस्अला 52 तवाफ़ के लिये वुजू वाजिब है।⁽¹⁾

मस्अला 53 गुस्ले जनाबत से पहले और जुनुब को खाने, पीने, सोने और अज़ानो इक़ामत और खुत्बए जुमुआ व ईदैन और रौज़ए मुबारकए **रसूलुल्लाह** ﷺ की ज़ियारत और वुकूफ़े अरफ़ा और सफ़ा व मर्वह के दरमियान सई के लिये वुजू कर लेना सुन्नत है।

मस्अला 54 सोने के लिये और सोने के बाद और मय्यित के नहलाने या उठाने के बाद और जिमाअ से पहले और जब गुस्सा आ जाए उस वक़्त और ज़बानी कुरआने अज़ीम पढ़ने के लिये और हदीस और इल्मे दीन पढ़ने पढ़ाने और इलावा जुमुआ व ईदैन बाकी खुत्बों के लिये और कुतुबे दीनिया छूने के लिये और बाद सत्रे ग़लीज़ छूने और झूट बोलने, गाली देने, फ़ोहूश लफ़ज़ निकालने, काफ़िर से बदन छू जाने, सलीब या बुत छूने, कोढ़ी या सपेद दाग़ वाले से मस करने, बग़ल खुजाने से जब कि उस में बदबू हो, गीबत करने, क़हक़हा लगाने, लगव अशआर पढ़ने और ऊंट का गोश्त खाने, किसी औरत के बदन से अपना बदन बे हाइल मस हो जाने से और बा वुजू शख़्स के नमाज़ पढ़ने के लिये इन सब सूरतों में वुजू मुस्तहब है।⁽²⁾

मस्अला 55 जब वुजू जाता रहे वुजू कर लेना मुस्तहब है।⁽³⁾

मस्अला 56 ना बालिग़ पर वुजू फ़र्ज़ नहीं⁽⁴⁾ मगर उन से वुजू कराना चाहिये ताकि आदत हो और वुजू करना आ जाए और मसाइले वुजू से आगाह हो जाएं।

मस्अला 57 लोटे की टूटी न ऐसी तंग हो कि पानी ब दिक्क़त गिरे, न इतनी फ़राख़ कि हाज़त से ज़ियादा गिरे बल्कि मुतवस्सित हो।⁽⁵⁾

मस्अला 58 चुल्लू में पानी लेते वक़्त ख़याल रखें कि पानी न गिरे कि इसराफ़ होगा। ऐसा ही जिस काम के लिये चुल्लू में पानी लें उस का अन्दाज़ा रखें ज़रूरत से ज़ियादा न लें मसलन नाक में पानी डालने के लिये आधा चुल्लू काफ़ी है तो पूरा चुल्लू न ले

①..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٢٠٥.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثالث، ج ١، ص ٩.

②..... "نور الإيضاح"، كتاب الطهارة، فصل: الوضوء على ثلاثة أقسام، ص ١٩. و "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٧١٥-٧٢٤.

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الثالث، ج ١، ص ٩.

④..... "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في اعتبارات المركب التام، ج ١، ص ٢٠٢.

⑤..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٧٦٥.

कि इसराफ़ होगा।⁽¹⁾

मस्अला 59 हाथ, पाउं, सीना, पुश्त पर बाल हों तो हरताल वगैरा से साफ़ कर डाले या तरश्वा ले, नहीं तो पानी ज़ियादा खर्च होगा।⁽²⁾

फ़ाएद : वल्हान एक शैतान का नाम है जो वुजू में वस्वसा डालता है उस के वस्वसे से बचने की बेहतरीन तदाबीर येह हैं :

- (1) रुजूअ़ इलल्लाह व
- (2) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
- (3) وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
- (4) सूरए नास, और

(5) اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

और هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظّٰهَرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

पढ़ना कि سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْخَلَقِ اِنْ يَّشَآءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَآتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ^ط

वस्वसा जड़ से कट जाएगा और

(8) वस्वसे का बिल्कुल खयाल न करना बल्कि इस के खिलाफ़ करना भी दाफ़ेए वस्वसा है।⁽³⁾

वुजू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

मस्अला 1 पाख़ाना¹, पेशाब², वदी³, मज़ी⁴, मनी⁵, कीड़ा⁶, पथरी⁷ मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकलें वुजू जाता रहेगा।⁽⁴⁾

मस्अला 2 अगर मर्द का ख़तना नहीं हुवा है और सूराख़ से इन चीज़ों में से कोई चीज़ निकली मगर अभी ख़तना की खाल के अन्दर ही है जब भी वुजू टूट गया।⁽⁵⁾

मस्अला 3 यूंही औरत के सूराख़ से निकली मगर हुनूज़⁽⁶⁾ ऊपर वाली खाल के अन्दर ही है जब भी वुजू जाता रहा।⁽⁷⁾

①..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٧٦٥.

②..... المرجع السابق، ص ٧٦٩.

③..... المرجع السابق، ص ٧٧٠.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج ١، ص ٩.

⑤..... المرجع السابق، ص ٩-١٠.

⑥..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج ١، ص ١٠.

⑥..... यानी अभी तक ।

मस्अला 4 औरत के आगे से जो ख़ालिस रतूबत बे आमेज़िशे ख़ून निकलती है नाकिज़े वुजू नहीं⁽¹⁾, अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है।⁽²⁾

मस्अला 5 मर्द या औरत के पीछे से हवा⁸ ख़ारिज हुई वुजू जाता रहा।⁽³⁾

मस्अला 6 मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा ज़ख़्म हो गया कि झिल्ली तक पहुँचा, इस से हवा निकली तो वुजू नहीं जाएगा।⁽⁴⁾

मस्अला 7 औरत के दोनों मक़ामे पर्दा फट कर एक हो गए उसे जब रीह आए एहतियात येह है कि वुजू करे अगर येह एहतिमाल हो कि आगे से निकली होगी।⁽⁵⁾

मस्अला 8 अगर मर्द ने पेशाब के सूराख़ में कोई चीज़ डाली फिर वोह उस में से लौट आई तो वुजू नहीं जाएगा।⁽⁶⁾

मस्अला 9 हुक़्ना लिया और दवा बाहर आ गई या कोई चीज़ पाख़ाना के मक़ाम में डाली और बाहर निकल आई वुजू टूट गया।⁽⁷⁾

मस्अला 10 मर्द ने सूराख़े ज़कर में रूई रखी और वोह ऊपर से खुशक है मगर जब निकाली तो तर निकली तो निकालते ही वुजू टूट गया।⁽⁸⁾ यूँही औरत ने कपड़ा रखा और फ़र्जे ख़ारिज में उस कपड़े पर कोई असर नहीं मगर जब निकाला तो ख़ून या किसी और नजासत से तर निकला अब वुजू जाता रहा।

मस्अला 11 ख़ून⁹ या पीप¹⁰ या ज़र्द¹¹ पानी कहीं से निकल कर बहा और इस बहने में ऐसी जगह पहुँचने की सलाहियत थी जिस का वुजू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है तो वुजू जाता रहा अगर सिर्फ़ चमका या उभरा और बहा नहीं जैसे सूई की नोक या चाकू का कनारा लग जाता है और ख़ून उभर या चमक जाता है या ख़िलाल किया या मिस्वाक की या उंगली से दांत मांझे या दांत से कोई चीज़ काटी उस पर ख़ून का असर पाया या नाक में उंगली डाली उस पर ख़ून की सुर्खी आ गई मगर वोह ख़ून बहने के क़ाबिल न था तो वुजू नहीं टूटा।⁽⁹⁾

1..... "جد الممتار" على "رد المحتار"، كتاب الطهارة، فصل الوضوء، ج 1، ص 188.

2..... "رد المحتار"، كتاب الطهارة، فصل الإستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء والاستقاء... إلخ، ج 1، ص 221.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج 1، ص 9.

4..... المرجع السابق، و "الدر المختار" و "رد المحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: نواقض الوضوء، ج 1، ص 287.

5..... "الدر المختار" و "رد المحتار"، المرجع السابق.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج 1، ص 10.

7..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج 1، ص 10.

8..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج 1، ص 10.

9..... المرجع السابق، و "الفتاوى الرضوية"، ج 1، ص 280.

मस्अला 12 और अगर बहा मगर ऐसी जगह बह कर नहीं आया जिस का धोना फर्ज हो तो वुजू नहीं टूटा। मसलन आंख में दाना था और टूट कर आंख के अन्दर ही फैल गया बाहर नहीं निकला या कान के अन्दर दाना टूटा और उस का पानी सूराख से बाहर न निकला तो इन सूरतों में वुजू बाकी है।⁽¹⁾

मस्अला 13 जख्म में गढ़ा पड़ गया और उस में से कोई रतूबत चमकी मगर बही नहीं तो वुजू नहीं टूटा।⁽²⁾

मस्अला 14 जख्म से खून वगैरा निकलता रहा और येह बार बार पोंछता रहा कि बहने की नौबत न आई तो गौर करे कि अगर न पोंछता तो, बह जाता या नहीं अगर बह जाता तो वुजू टूट गया वरना नहीं। यूंही अगर मिट्टी या राख डाल डाल कर सुखाता रहा इस का भी वोही हुक्म है।⁽³⁾

मस्अला 15 फोड़ा या फुन्सी निचोड़ने से खून बहा, अगर्चे ऐसा हो कि न निचोड़ता तो न बहता जब भी वुजू जाता रहा।⁽⁴⁾

मस्अला 16 आंख, कान, नाफ, पिस्तान वगैरहा में दाना या नासूर या कोई बीमारी हो, इन वुजूह से जो आंसू या पानी बहे वुजू तोड़ देगा।⁽⁵⁾

मस्अला 17 जख्म या नाक या कान या मुंह से कीड़ा या जख्म से कोई गोश्त का टुकड़ा (जिस पर खून या पीप कोई नजिस रतूबत क़बिले सैलान न थी) कट कर गिरा वुजू नहीं टूटेगा।⁽⁶⁾

मस्अला 18 कान में तेल डाला था और एक दिन बाद कान या नाक से निकला वुजू न जाएगा यूंही अगर मुंह से निकला जब भी नाकिज़ नहीं हां अगर येह मालूम हो कि दिमाग से उतर कर मेदे में गया और मेदे से आया है तो वुजू टूट गया।⁽⁷⁾

मस्अला 19 छाला नोच डाला अगर इस में का पानी बह गया वुजू जाता रहा वरना नहीं।⁽⁸⁾

मस्अला 20 मुंह से खून निकला अगर थूक पर ग़ालिब है वुजू तोड़ देगा वरना नहीं।

फ़ाएदा : ग़लबे की शनाख़्त यूं है कि थूक का रंग अगर सुख़ हो जाए तो खून ग़ालिब समझा जाए और अगर ज़र्द हो तो मग़लूब।⁽⁹⁾

मस्अला 21 जोंक या बड़ी किल्ली ने खून चूसा और इतना पी लिया कि अगर खुद निकलता तो बह जाता वुजू टूट गया वरना नहीं।⁽¹⁰⁾

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: نواقض الوضوء، ج ١، ص ٢٨٦. ② "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢٨٠.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج ١، ص ١١.

و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ج ١، ص ٢٨٦، و "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢٨١.

④ "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق. ⑤ المرجع السابق، ص ١٠. ⑥ "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٢٨٨.

⑦ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج ١، ص ١٠.

⑧ المرجع السابق، ص ١١. ⑨ المرجع السابق.

⑩ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج ١، ص ١١. و "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٢٩٢.

मस्अला 22 अगर छोटी किल्ली या जूं या खटमल, मच्छर, मखड़ी, पिस्सू ने खून चूसा तो वुजू नहीं जाएगा।⁽¹⁾

मस्अला 23 नाक साफ़ की उस में से जमा हुवा खून निकला वुजू नहीं टूटा।⁽²⁾

मस्अला 24 नारू⁽³⁾ से रतूबत बहे वुजू जाता रहेगा और डोरा निकला तो वुजू बाकी है।⁽⁴⁾

मस्अला 25 अन्धे की आंख से जो रतूबत ब वज्हे मरज़ निकलती है नाकिज़े वुजू है।⁽⁵⁾

मस्अला 26 मुंह¹² भर कै खाने या पानी या सफ़रा⁽⁶⁾ की वुजू तोड़ देती है।⁽⁷⁾

फ़ाएदा : मुंह भर के येह माने हैं कि उसे बे तकल्लुफ़ न रोक सकता हो।⁽⁸⁾

मस्अला 27 बलग़म की कै वुजू नहीं तोड़ती जितनी भी हो।⁽⁹⁾

मस्अला 28 बहते खून की कै वुजू तोड़ देती है जब थूक से मग़लूब न हो और जमा हुवा खून है तो वुजू नहीं जाएगा जब तक मुंह भर न हो।⁽¹⁰⁾

मस्अला 29 पानी पिया और मेदे में उतर गया, अब वोही पानी साफ़ शफ़फ़ाफ़ कै में आया अगर मुंह भर है वुजू टूट गया और वोह पानी नजिस है और अगर सीने तक पहुंचा था कि उच्छू⁽¹¹⁾ लगा और निकल आया तो न वोह नापाक है न उस से वुजू जाए।⁽¹²⁾

मस्अला 30 अगर थोड़ी थोड़ी चन्द बार कै आई कि इस का मज्मूअ़ा मुंह भर है तो अगर एक ही मतली से है तो वुजू तोड़ देगी और अगर मतली जाती रही और उस का कोई असर न रहा फिर नए सिरे से मतली शुरूअ़ हुई और कै आई और दोनों मरतबा की अ़लाहदा अ़लाहदा मुंह भर नहीं मगर दोनों जम्अ़ की जाएं तो मुंह भर हो जाए तो येह नाकिज़े वुजू नहीं,

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج 1، ص 11.

و "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج 1، ص 292.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج 1، ص 11.

3..... एक मरज़ का नाम जिस में आदमी के बदन पर दाने दाने हो कर उन में से धागा सा निकला करता है।

4..... "الفتاوى الرضوية"، ج 1، ص 275-276. 5..... المرجع السابق، ص 271. 6..... पीले रंग का कड़वा पानी।

7..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج 1، ص 11.

8..... المرجع السابق. 9..... المرجع السابق.

10..... المرجع السابق و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: نواقض الوضوء، ج 1، ص 291.

11..... खांसी जो सांस की नाली में पानी वगैरा जाने से आने लगती है।

12..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج 1، ص 11.

و البحر الرائق، كتاب الطهارة، ج 1، ص 67.

फिर अगर एक ही मजलिस में है तो वुजू कर लेना बेहतर है।⁽¹⁾

मस्अला 31 — कै में सिर्फ कीड़े या सांप निकले वुजू न जाएगा और अगर इस के साथ कुछ रतूबत भी है तो देखेंगे मुंह भर है या नहीं। मुंह भर है तो नाकिज़ है वरना नहीं।⁽²⁾

मस्अला 32 — सो¹³ जाने से वुजू जाता रहता है बशर्ते कि दोनों सुरीन खूब न जमे हों और न ऐसी हैअत पर सोया हो जो गाफ़िल हो कर नींद आने को मानेअ हो मसलन उकड़ूं बैठ कर सोया या चित या पट या करवट पर लैट कर या एक कोहनी पर तक्या लगा कर या बैठ कर सोया मगर एक करवट को झुका हुवा कि एक या दोनों सुरीन उठे हुए हैं या नंगी पीठ पर सुवार है और जानवर ढाल⁽³⁾ में उतर रहा है या दो ज़ानू बैठा और पेट रानों पर रखा कि दोनों सुरीन जमे न रहे या चार ज़ानू है और सर रानों पर या पिंडलियों पर है या जिस तरह औरतें सज्दा करती हैं उसी हैअत पर सो गया इन सब सूरतों में वुजू जाता रहा और अगर नमाज़ में इन सूरतों में से किसी सूरत पर क़स्दन सोया तो वुजू भी गया, नमाज़ भी गई वुजू कर के सिरे से निय्यत बांधे और बिला क़स्द सोया तो वुजू जाता रहा नमाज़ नहीं गई। वुजू कर के जिस रुकन में सोया था वहां से अदा करे और अज़ सरे नौ पढ़ना बेहतर है।⁽⁴⁾

मस्अला 33 — दोनों सुरीन ज़मीन या कुर्सी या बेन्च पर हैं और दोनों पाउं एक तरफ़ फैले हुए या दोनों सुरीन पर बैठा है और घुटने खड़े हैं और हाथ पिंडलियों पर मुहीत हों ख़्वाह ज़मीन पर हों, दो ज़ानू सीधा बैठा हो या चार ज़ानू पालती मारे या ज़ीन पर सुवार हो या नंगी पीठ पर सुवार है मगर जानवर चढ़ाई पर चढ़ रहा है या रास्ता हमवार है या खड़े खड़े सो गया या रुकूअ की सूरत पर या मर्दों के सज्दे मस्नूना की शक़ल पर तो इन सब सूरतों में वुजू नहीं जाएगा और नमाज़ में अगर येह सूरतें पेश आईं तो न वुजू जाए न नमाज़, हां अगर पूरा रुकन सोते ही में अदा किया तो इस का इज़ादा ज़रूरी है और अगर जागते में शुरूअ किया फिर सो गया तो अगर जागते में ब क़दरे किफ़ायत अदा कर चुका है तो वोही काफ़ी है वरना पूरा कर ले।⁽⁵⁾

मस्अला 34 — अगर इस शक़ल पर सोया जिस में वुजू नहीं जाता और नींद के अन्दर वोह हैअत पैदा हो गई जिस से वुजू जाता रहता है तो अगर फ़ौरन बिला वक्फ़ा जाग उठा वुजू न गया वरना जाता रहा।⁽⁶⁾

मस्अला 35 — गर्म तन्नूर के کنارे पाउं लटकाए बैठ कर सो गया तो वुजू कर लेना मुनासिब है।⁽⁷⁾

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في حكم كي الحمصة، ج ١، ص ٢٩٣.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: نواقض الوضوء، ج ١، ص ٢٩٠.

③..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٣٦٥-٣٦٧، وغيره. ⑤..... المرجع السابق.

④..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٣٦٧. ⑥..... المرجع السابق، ص ٤٢٥.

मस्अला 36 बीमार लैट कर नमाज़ पढ़ता था नींद आ गई वुजू जाता रहा।⁽¹⁾

मस्अला 37 ऊंघने या बैठे बैठे झोंके लेने से वुजू नहीं जाता।⁽²⁾

मस्अला 38 झूम कर गिर पड़ा और फौरन आंख खुल गई वुजू न गया।⁽³⁾

मस्अला 39 नमाज़ वगैरा के इन्तिज़ार में बाज़ मरतबा नींद का ग़लबा होता है और यह दफ़अ करना चाहता है तो बाज़ वक़्त ऐसा गाफ़िल हो जाता है कि उस वक़्त जो बातें हुईं उन की उसे बिल्कुल ख़बर नहीं बल्कि दो तीन आवाज़ में आंख खुली और अपने ख़याल में येह समझता है कि सोया न था उस के इस ख़याल का एतिबार नहीं अगर मोतबर शख़्स कहे कि तू गाफ़िल था, पुकारा जवाब न दिया या बातें पूछी जाएं और वोह न बता सके तो उस पर वुजू लाज़िम है।⁽⁴⁾

फ़ाएदा : अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام का सोना नाकिज़े वुजू नहीं उन की आंखें सोती हैं दिल जागते हैं। इलावा नींद के और नवाकिज़ से अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام का वुजू जाता है या नहीं इस में इख़िलाफ़ है, सहीह येह है कि जाता रहता है ब वज्हे उन की अज़मते शान के, न ब सबबे नजासत के, कि उन के फुज़लाते शरीफ़ा तय्यिबो त़ाहिर हैं जिन का खाना पीना हमें हलाल और बाइसे बरकत।⁽⁵⁾

मस्अला 40 बेहोशी¹⁴ और जुनून¹⁵ और ग़शी¹⁶ और इतना नशा¹⁷ कि चलने में पाउं लड़खड़ाएं नाकिज़े वुजू हैं।⁽⁶⁾

मस्अला 41 बालिग़¹⁸ का क़हक़हा यानी इतनी आवाज़ से हंसी कि आस पास वाले सुनें अगर जागते में रुकूअ सज्दे वाली नमाज़ में हो वुजू टूट जाएगा और नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।⁽⁷⁾

मस्अला 42 अगर नमाज़ के अन्दर सोते में या नमाज़े जनाज़ा या सज्दे तिलावत में क़हक़हा लगाया तो वुजू नहीं जाएगा वोह नमाज़ या सज्दा फ़ासिद है।⁽⁸⁾

मस्अला 43 और अगर इतनी आवाज़ से हंसा कि खुद उस ने सुना, पास वालों ने न सुना तो वुजू नहीं जाएगा नमाज़ जाती रहेगी।⁽⁹⁾

.....¹ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج ١، ص ١٢.

.....² "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٣٦٧.³ المرجع السابق.⁴ المرجع السابق.

.....⁵ "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الطهارة، مطلب: نوم الأنبياء غير ناقض، ج ١، ص ٥٧٤، ٢٩٨.

.....⁶ "الدرا المختار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٢٩٩.

.....⁷ "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الطهارة، مطلب: نوم الأنبياء غير ناقض، ج ١، ص ٣٠٠.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج ١، ص ١٢.

.....⁸ "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق.⁹ المرجع السابق.

मसअला 44 अगर मुस्कुराया कि दांत निकले आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली तो उस से न नमाज़ जाए न वुजू।⁽¹⁾

मसअला 45 मुबाशरते¹⁹ फ़ाहिशा यानी मर्द अपने आले को तुन्दी की हालत में औरत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाए या औरत औरत बाहम मिलाएं बशर्ते कि कोई शै हाइल न हो नाकिजे वुजू है।⁽²⁾

मसअला 46 अगर मर्द ने अपने आले से औरत की शर्मगाह को मस किया और इन्तिशारे आला न था औरत का वुजू इस वक़्त में भी जाता रहेगा अगर मर्द का वुजू न जाएगा।⁽³⁾

मसअला 47 बड़ा²⁰ इस्तिन्जा ढेले से कर के वुजू किया अब याद आया कि पानी से न किया था अगर पानी से इस्तिन्जा मस्नून तरीक़ पर यानी पाउं फैला कर सांस का जोर नीचे को दे कर करेगा वुजू जाता रहेगा और वैसे करेगा तो न जाएगा मगर वुजू कर लेना मुनासिब है।⁽⁴⁾

मसअला 48 फुड़िया बिल्कुल अच्छी हो गई उस का मुर्दा पोस्त बाकी है जिस में ऊपर मुंह और अन्दर ख़ला है अगर उस में पानी भर गया फिर दबा कर निकाला तो न वुजू जाए न वोह पानी नापाक हां अगर उस के अन्दर कुछ तरी खून वगैरा की बाकी है तो वुजू भी जाता रहेगा और वोह पानी भी नजिस है।⁽⁵⁾

मसअला 49 अ़वाम में जो मशहूर है कि घुटना या और सत्र खुलने या अपना या पराया सत्र देखने से वुजू जाता रहता है महज़ बे अस्ल बात है। हां वुजू के आदाब से है कि नाफ़ से ज़ानू के नीचे तक सब सत्र छुपा हो बल्कि इस्तिन्जे के बाद फ़ौरन ही छुपा लेना चाहिये कि बिगैर ज़रूरत सत्र खुला रहना मन्अ है और दूसरों के सामने सत्र खोलना हराम है।⁽⁶⁾

मुतफ़रिक् मसअल

जो रतूबत बदन इन्सान से निकले और वुजू न तोड़े वोह नजिस नहीं मसलन खून कि बह कर न निकले या थोड़ी कै कि मुंह भर न हो पाक है।⁽⁷⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج 1، ص 12.

2..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج 1، ص 303.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج 1، ص 13.

4..... "الفتاوى الرضوية"، ج 1، ص 319، وغيره. 5..... المرجع السابق، ص 355-356.

6..... المرجع السابق، ص 352. 7..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج 1، ص 294.

मस्अला 1 खारिश या फुड़ियों में जब कि बहने वाली रतूबत न हो बल्कि सिर्फ चिपक हो, कपड़ा उस से बार बार छू कर अगर्चे कितना ही सन जाए, पाक है।⁽¹⁾

मस्अला 2 सोते में राल जो मुंह से गिरे, अगर्चे पेट से आए, अगर्चे बदबूदार हो, पाक है।⁽²⁾

मस्अला 3 मुर्दे के मुंह से जो पानी बहे नजिस है।⁽³⁾

मस्अला 4 आंख दुखते में जो आंसू बहता है नजिस व नाकिजे वुजू है, उस से एहतियात जरूरी है।⁽⁴⁾

मस्अला 5 शीर ख़ार बच्चे ने दूध डाल दिया अगर वोह मुंह भर है नजिस है, दिरहम से ज़ियादा जगह में जिस चीज़ को लग जाए नापाक कर देगा लेकिन अगर येह दूध मेदे से नहीं आया बल्कि सीने तक पहुंच कर पलट आया तो पाक है।⁽⁵⁾

मस्अला 6 दरमियाने वुजू में अगर रीह ख़ारिज हो या कोई ऐसी बात हो जिस से वुजू जाता है तो नए सिरे से फिर वुजू करे वोह पहले धुले हुए बे धुले हो गए।⁽⁶⁾

मस्अला 7 चुल्लू में पानी लेने के बाद हृदस हुवा वोह पानी बेकार हो गया किसी उज़्ब के धोने में नहीं काम आ सकता।⁽⁷⁾

मस्अला 8 मुंह से इतना खून निकला कि थूक सुर्ख हो गया अगर लोटे या कटोरे को मुंह से लगा कर कुल्ली को पानी लिया तो लोटा, कटोरा और कुल पानी नजिस हो जाएगा। चुल्लू से पानी ले कर कुल्ली करे और फिर हाथ धो कर कुल्ली के लिये पानी ले।⁽⁸⁾

मस्अला 9 अगर दरमियाने वुजू में किसी उज़्ब के धोने में शक वाक़ेअ हुवा और येह जिन्दगी का पहला वाक़िअ है तो उस को धो ले और अगर अक्सर शक पड़ा करता है तो इस की तरफ़ इल्तिफ़ात न करे। यूंही अगर बाद वुजू के शक हो तो इस का कुछ खयाल न करे।⁽⁹⁾

1..... "الفتاوى الرضوية"، ج 1، ص 280. 2..... "الدرا المختار"، كتاب الطهارة، ج 1، ص 290.

3..... المرجع السابق. 4..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج 1، ص 305.

इस से बहुत लोग गाफ़िल हैं अक्सर देखा गया कि कुरते वगैरा में ऐसी हालत में आंख पोंछ लिया करते हैं और अपने खयाल में उसे और आंसू के मिस्ल समझते हैं येह उन की ग़लती है और ऐसा किया तो कपड़ा नापाक हो गया। 12 मिन्ह

5..... "الفتاوى الرضوية"، ج 1، ص 306. 6..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج 1، ص 290.

7..... "الفتاوى الرضوية"، ج 1، ص 255. 8..... المرجع السابق، ص 256. 9..... المرجع السابق، ص 260-257.

9..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في نذب مراعاة الخلاف... إلخ، ج 1، ص 309.

मस्अला 10 जो बा वुजू था अब उसे शक है कि वुजू है या टूट गया तो वुजू करने की उसे ज़रूरत नहीं।⁽¹⁾ हां कर लेना बेहतर है जब कि येह शुब्हा बतौर वस्वसा न हुवा करता हो और अगर वस्वसा है तो उसे हरगिज़ न माने, इस सूरत में एहतियात समझ कर वुजू करना एहतियात नहीं बल्कि शैताने लईन की इताअत है।

मस्अला 11 और अगर बे वुजू था अब उसे शक है कि मैं ने वुजू किया या नहीं तो वोह बिना वुजू है उस को वुजू करना ज़रूरी है।⁽²⁾

मस्अला 12 येह मालूम है कि वुजू के लिये बैठा था और येह याद नहीं कि वुजू किया या नहीं तो उसे वुजू करना ज़रूर नहीं।⁽³⁾

मस्अला 13 येह याद है कि पाख़ाना या पेशाब के लिये बैठा था मगर येह याद नहीं कि फिरा⁽⁴⁾ भी या नहीं तो उस पर वुजू फ़र्ज है।⁽⁵⁾

मस्अला 14 येह याद है कि कोई उज़्ब धोने से रह गया मगर मालूम नहीं कि कौन उज़्ब था तो बायां पाउं धो ले।⁽⁶⁾

मस्अला 15 मियानी में तरी देखी मगर येह नहीं मालूम कि पानी है या पेशाब तो अगर उम्र का येह पहला वाकिआ है तो वुजू कर ले और उस जगह को धो ले और अगर बारहा ऐसे शुब्हे पड़ते हैं तो इस की तरफ़ तवज्जोह न करे शैतानी वस्वसा है।⁽⁷⁾

गुस्ल का बयान

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾⁽⁸⁾

अगर तुम जुनुब हो तो ख़ूब पाक हो जाओ यानी गुस्ल करो।

और फ़रमाता है :

﴿حَتَّى يَظْهَرَ﴾⁽⁹⁾

यहां तक कि वोह हैज़ वाली औरतें अच्छी तरह पाक हो जाएं।

1..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٧٧٥.

2..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٣١٠.

3..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٥٦٠، و "الأشباه والنظائر"، القاعدة الثالثة، اليقين لا يزول بالشك، ص ٤٩.

5..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٥٦٠، و "الأشباه والنظائر"، ص ٤٩.

6..... "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٣١٠. 7..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٧٧٨.

8..... ٦، المائدة: ٦. 9..... ٢، البقرة: ٢٢٢.

4..... यानी किया।

और फ़रमाता है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ سَبِيلًا حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (1)

ऐ ईमान वालो ! नशे की हालत में नमाज़ के करीब न जाओ यहां तक कि समझने लगे जो कहते हो और न हालते जनाबत में जब तक गुस्ल न कर लो मगर सफ़र की हालत में कि वहां पानी न मिले तो बजाए गुस्ल तयम्मूम है ।

हदीस 1

सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में हज़रते आइशा सिदीका रज़ील्लेऒहैऒा से मरवी, “रसूलुल्लाह ﷺ जब जनाबत का गुस्ल फ़रमाते तो इब्तिदा यूं करते कि पहले हाथ धोते, फिर नमाज़ का सा वुजू करते, फिर उंगलियां पानी में डाल कर उन से बालों की जड़ें तर फ़रमाते, फिर सर पर तीन लप पानी डालते फिर तमाम जिल्द पर पानी बहाते ।” (2)

हदीस 2

इन्हीं किताबों में इब्ने अब्बास रज़ील्लेऒहैऒा से है, उम्मुल मुअमिनीन हज़रते मैमूना रज़ील्लेऒहैऒा ने फ़रमाया कि : “नबी ﷺ के नहाने के लिये मैं ने पानी रखा और कपड़े से पर्दा किया, हुज़ूर ने हाथों पर पानी डाला और उन को धोया, फिर पानी डाल कर हाथों को धोया, फिर दाहने हाथ से बाएं पर पानी डाला, फिर इस्तिन्जा फ़रमाया, फिर हाथ ज़मीन पर मार कर मला और धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला और मुंह और हाथ धोए, फिर सर पर पानी डाला और तमाम बदन पर बहाया, फिर उस जगह से अलग हो कर पाए मुबारक धोए इस के बाद मैं ने (बदन पोंछने के लिये) एक कपड़ा दिया तो हुज़ूर ने न लिया और हाथों को झाड़ते हुए तशरीफ़ ले गए ।” (3)

हदीस 3

बुख़ारी व मुस्लिम में ब रिवायते उम्मुल मुअमिनीन सिदीका रज़ील्लेऒहैऒा मरवी कि “अन्सार की एक औरत ने रसूलुल्लाह ﷺ से हैज़ के बाद नहाने का सुवाल किया उस को कैफ़ियते गुस्ल की तालीम फ़रमाई, फिर फ़रमाया कि मुश्क आलूदा एक टुकड़ा ले कर उस से त़हारत कर, अर्ज़ की कैसे उस से त़हारत करूं ? फ़रमाया : उस से त़हारत कर, अर्ज़ की : कैसे त़हारत करूं ? फ़रमाया : سُبْحَانَ اللَّهِ उस से त़हारत कर, उम्मुल मुअमिनीन फ़रमाती हैं, मैं ने उसे अपनी तरफ़ खींच कर कहा : उस से खून के असर को साफ़ कर ।” (4)

हदीस 4

इमाम मुस्लिम ने उम्मुल मुअमिनीन उम्मे सलमा रज़ील्लेऒहैऒा से रिवायत की, फ़रमाती हैं : “मैं ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह ! मैं अपने सर की चोटी मज़बूत गूंधती हूं

① ५, ५, النساء: ४३. ② “صحيح البخاري”, كتاب الغسل, باب الوضوء قبل الغسل, الحديث: २४८, ج १, ص १००.

③ “صحيح البخاري”, كتاب الغسل, باب نفث اليدين من الغسل عن الجنابة, الحديث: २७६, ج १, ص ११३.

④ “صحيح البخاري”, كتاب الحيض, باب ذلك المرأة نفسها إذا... إلخ, الحديث: ३१४, ३१०, ج १, ص १२६, १२७.

तो क्या गुस्ले जनाबत के लिये उसे खोल डालूं ? फ़रमाया : “नहीं तुझ को सिर्फ़ येही किफ़ायत करता है कि सर पर तीन लप पानी डाले, फिर अपने ऊपर पानी बहा ले पाक हो जाएगी।” यानी जब कि बालों की जड़ें तर हो जाएं और अगर इतनी सख़्त गुंधी हो कि जड़ों तक पानी न पहुंचे तो खोलना फ़र्ज है।⁽¹⁾

हदीस 5 — अबू दावूद व तिरमिज़ी व इब्ने माजह अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “हर बाल के नीचे जनाबत है तो बाल धोओ और जिल्द को साफ़ करो।”⁽²⁾

हदीस 6 — नीज़ अबू दावूद ने हज़रते अली رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “जो शख्स गुस्ले जनाबत में एक बाल की जगह बे धोए छोड़ देगा उस के साथ आग से ऐसा ऐसा किया जाएगा।” (यानी अज़ाब दिया जाएगा) हज़रते अली रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं : “इसी वजह से मैं ने अपने सर के साथ दुश्मनी कर ली।” तीन बार येही फ़रमाया (यानी सर के बाल मुंडा डाले कि बालों की वजह से कोई जगह सूखी न रह जाए)।⁽³⁾

हदीस 7 — अस्हाबे सुनने अरबआ ने उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रिवायत की, फ़रमाती हैं कि : “नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ गुस्ल के बाद वुजू नहीं फ़रमाते।”⁽⁴⁾

हदीस 8 — अबू दावूद ने हज़रते याला رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि : “रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने एक शख्स को मैदान में नहाते मुलाहज़ा फ़रमाया, फिर मिम्बर पर तशरीफ़ ले जा कर हम्दे इलाही व सना के बाद फ़रमाया : “अल्लाह तअ़ाला हया फ़रमाने वाला और पर्दापोश है, हया और पर्दा करने को दोस्त रखता है, जब तुम में कोई नहाए तो उसे पर्दा करना लाज़िम है।”⁽⁵⁾

हदीस 9 — मुतअह्द किताबों में ब कसरत सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ से मरवी, हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “जो अल्लाह और पिछले दिन (क़ियामत) पर ईमान लाया हम्माम में बिगैर तहबन्द के न जाए और जो अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाया अपनी बीबी को हम्माम में न भेजे।”⁽⁶⁾

① “صحیح مسلم”، کتاب الحيض، باب حکم صفائر المغتسلۃ، الحديث: ٢٣٠، ص ١٨١.

② “سنن أبي داود”، کتاب الطهارة، باب فی الغسل من الجنابة، الحديث: ٢٤٨، ج ١، ص ١١٧.

③ “سنن أبي داود”، کتاب الطهارة، باب فی الغسل من الجنابة، الحديث: ٢٤٩، ج ١، ص ١١٧.

④ “جامع الترمذی”، أبواب الطهارة، باب ما جاء فی الوضوء بعد الغسل، الحديث: ١٠٧، ج ١، ص ١٦١.

⑤ “سنن أبي داود”، کتاب الحَمَام، باب النهی عن التعري، الحديث: ٤٠١٢، ج ٤، ص ٥٦.

⑥ “جامع الترمذی”، أبواب الأدب، باب ما جاء فی دخول الحمام، الحديث: ٢٨١٠، ج ٤، ص ٣٦٦.

हदीस 10 — उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ने हम्माम में जाने का सुवाल किया, फ़रमाया : “औरतों के लिये हम्माम में खैर नहीं” अर्ज़ की “तहबन्द बांध कर जाती हैं” फ़रमाया : “अगर्चे तहबन्द और कुरते और ओढ़नी के साथ जाएं।”⁽¹⁾

हदीस 11 — सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में रिवायत है कि उम्मुल मुअमिनीन उम्मे सलमा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا फ़रमाती हैं कि : “उम्मे सुलैम رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ने अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** अल्लाह तअ़ाला हक़ बयान करने से हया नहीं फ़रमाता तो क्या जब औरत को एहतिलाम हो तो उस पर नहाना है ? फ़रमाया : हां ! जब कि पानी (मनी) देखे।” उम्मे सलमा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ने मुंह ढांक लिया और अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** क्या औरत को एहतिलाम होता है ? फ़रमाया : “हां ! ऐसा न हो तो किस वजह से बच्चा मां के मुशाबेह होता है।”⁽²⁾

फ़ाएद : उम्माहातुल मुअमिनीन को **अल्लाह** عَزَّ وَجَلَّ ने हाज़िरिये ख़िदमत से पेशतर भी एहतिलाम से महफूज़ रखा था। इस लिये कि एहतिलाम में शैतान की मुदाख़लत है और शैतानी मुदाख़लतों से अज़्वाजे मुतहहरात पाक हैं इसी लिये उन को हज़रते उम्मे सुलैम के इस सुवाल का तअज़्जुब हुवा।

हदीस 12 — अबू दावूद व तिरमिज़ी, आइशा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से सुवाल हुवा कि मर्द तरी पाए और एहतिलाम याद न हो। फ़रमाया : “गुस्ल करे” और उस शख्स के बारे में सुवाल हुवा कि ख़्वाब का यकीन है और तरी (असर) नहीं पाता। फ़रमाया : “उस पर गुस्ल नहीं।” उम्मे सुलैम ने अर्ज़ की। औरत उस को देखे तो उस पर गुस्ल है ? फ़रमाया : “हां ! औरतें मर्दों की मिस्ल हैं।”⁽³⁾

हदीस 13 — तिरमिज़ी में इन्हीं से मरवी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “जब मर्द के ख़तना की जगह (हशफ़ा) औरत के मक़ाम में गाइब हो जाए गुस्ल वाजिब हो जाएगा।”⁽⁴⁾

हदीस 14 — सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी कि हज़रते उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से अर्ज़ की, कि उन को रात में नहाने की ज़रूरत हो जाती है। फ़रमाया : “बुजू कर लो और उज़्चे तनासुल को धो लो फिर सो रहो।”⁽⁵⁾

① “المعجم الأوسط” للطبراني، باب الباء، الحديث: ٣٢٨٦، ج ٢، ص ٢٧٩.

② “صحيح البخاري”، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، الحديث: ١٣٠، ج ١، ص ٦٨.

③ “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب في الرجل يحد البلة في منامه، الحديث: ٢٣٦، ج ١، ص ١١٢.

④ “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، الحديث: ١٠٩، ج ١، ص ١٦٢.

⑤ “صحيح البخاري”، كتاب الغسل، باب الحنب يتوضأ ثم ينام، الحديث: ٢٩٠، ج ١، ص ١١٨.

हदीस 15 — सहीहैन में आइशा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से मरवी, फ़रमाती हैं : “नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ जब जुनुब होते और खाने या सोने का इरादा फ़रमाते तो नमाज़ का सा वुजू फ़रमाते ।”⁽¹⁾

हदीस 16 — मुस्लिम में अबू सईद ख़ुदरी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “जब तुम में कोई अपनी बीबी के पास जा कर दोबारा जाना चाहे तो वुजू कर ले ।”⁽²⁾

हदीस 17 — तिरमिज़ी इब्ने उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया कि : “हैज़ वाली और जुनुब कुरआन में से कुछ न पढ़ें ।”⁽³⁾

हदीस 18 — अबू दावूद ने उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रिवायत की, कि हुज़ुरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “इन घरों का रुख़ मस्जिद से फेर दो कि मैं मस्जिद को हाइज़ और जुनुब के लिये हलाल नहीं करता ।”⁽⁴⁾

हदीस 19 — अबू दावूद ने हज़रते अली رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं कि : “मलाएका उस घर में नहीं जाते जिस घर में तस्वीर और कुत्ता और जुनुब हो ।”⁽⁵⁾

हदीस 20 — अबू दावूद अम्मार बिन यासिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “फ़रिश्ते तीन शख्सों से क़रीब नहीं होते : (1) काफ़िर का मुर्दा, और (2) ख़लूक⁽⁶⁾ में लिथड़ा हुवा, और (3) जुनुब मगर येह कि वुजू कर ले ।”⁽⁷⁾

हदीस 21 — इमाम मालिक ने रिवायत की, कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने जो ख़त अम्र बिन हज़म को लिखा था उस में येह था कि कुरआन न छूए मगर पाक शख्स ।⁽⁸⁾

हदीस 22 — इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम ने इब्ने उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत की, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जो जुमुआ को आए उसे चाहिये कि नहा ले ।”⁽⁹⁾

①..... “صحيح مسلم”، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب... إلخ، الحديث: ٣٠٥، ص ١٧٢.

②..... “صحيح مسلم”، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب... إلخ، الحديث: ٣٠٨، ص ١٧٤.

③..... “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب ماجاء في الجنب والحائض... إلخ، الحديث: ١٣١، ج ١، ص ١٨٢.

④..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، الحديث: ٢٣٢، ج ١، ص ١١١.

⑤..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب الجنب يؤخر الغسل، الحديث: ٢٢٧، ج ١، ص ١٠٩.

⑥..... एक किस्म की खुशबू जाफ़रान से बनाई जाती है जो मर्दों पर हराम है । 12

⑦..... “سنن أبي داود”، كتاب الترجل، باب في الخلق للرجال، الحديث: ٤١٨٠، ج ٤، ص ١٠٩.

⑧..... “الموطأ” لإمام مالك، كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، الحديث: ٤٧٨، ج ١، ص ١٩١.

⑨..... “صحيح البخاري”، كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، الحديث: ٨٩٤، ج ١، ص ٣٠٩.

गुस्ल के मसाइल

गुस्ल के फ़र्ज होने के अस्बाब बाद में लिखे जाएंगे, पहले गुस्ल की हकीकत बयान की जाती है। गुस्ल के तीन जुज़ हैं अगर इन में एक में भी कमी हुई गुस्ल न होगा, चाहे यूं कहो कि गुस्ल में तीन फ़र्ज हैं :

(1) कुल्ली : कि मुंह के हर पुर्जे गोशे होंट से हल्क की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। अक्सर लोग येह जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में ले कर उगल देने को कुल्ली कहते हैं अगरचे ज़बान की जड़ और हल्क के कनारे तक न पहुंचे यूं गुस्ल न होगा, न इस तरह नहाने के बाद नमाज़ जाइज़। बल्कि फ़र्ज है कि दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की जड़ और खिड़कियों में, ज़बान की हर करवट में, हल्क के कनारे तक पानी बहे।⁽¹⁾

मसअला 1 दांतों की जड़ों या खिड़कियों में कोई ऐसी चीज़ जो पानी बहने से रोके, जमी हो तो उस का छुड़ाना ज़रूरी है अगर छुड़ाने में ज़रर और हरज न हो जैसे छालिया के दाने, गोश्त के रेशे और अगर छुड़ाने में ज़रर और हरज हो जैसे बहुत पान खाने से दांतों की जड़ों में चूना जम जाता है या औरतों के दांतों में मिस्सी की रखें कि उन के छीलने में दांतों या मसूड़ों की मज़रत का अन्देशा है तो मुआफ़ है।⁽²⁾

मसअला 2 यूं ही हिलता हुवा दांत तार से या उखड़ा हुवा दांत किसी मसाले वगैरा से जमाया गया और पानी तार या मसाले के नीचे न पहुंचे तो मुआफ़ है या खाने या पान के रेजे दांत में रह गए कि इस की निगहदाश्त में हरज है। हां बाद मालूम होने के उस को जुदा करना और धोना ज़रूरी है जब कि पानी पहुंचने से मानेअ हों।⁽³⁾

(2) नाक में पानी डालना : यानी दोनों नथनों का जहां तक नर्म जगह है धुलना कि पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाए, बाल बराबर जगह भी धुलने से रह न जाए वरना गुस्ल न होगा। नाक के अन्दर रींठ सूख गई है तो इस का छुड़ाना फ़र्ज है। नीज़ नाक के बालों का धोना भी फ़र्ज है।⁽⁴⁾

① "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٣٩، ٤٤٠، ② "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٤١، ٤٤٠.

③ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٥٢، ٤٥٣. وغيره

④ "الدر المختار" و "رد المختار"، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الغسل، ج ١، ص ٣١٢. و "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٤٢، ٤٤٣.

मसअला 3

बुलाक़ का सूराख़ अगर बन्द न हो तो उस में पानी पहुंचाना ज़रूरी है, फिर अगर तंग है तो हरकत देना ज़रूरी है वरना नहीं।⁽¹⁾

(3) तमाम ज़ाहिर बदन : यानी सर के बालों से पाउं के तल्वों तक जिस्म के हर पुर्जे हर रोंगटे पर पानी बह जाना, अक्सर अ़वाम बल्कि बाज़ पढ़े लिखे येह करते हैं कि सर पर पानी डाल कर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और समझे कि गुस्ल हो गया हालां कि बाज़ आज़ा ऐसे हैं कि जब तक उन की खास तौर पर एहतियात न की जाए नहीं धुलेंगे और गुस्ल न होगा⁽²⁾, लिहाज़ा बित्तफ़सील बयान किया जाता है। आज़ाए वुजू में जो मवाज़ेए एहतियात हैं हर उज़्व के बयान में उन का ज़िक्र कर दिया गया उन का यहां भी लिहाज़ ज़रूरी है और उन के इलावा खास गुस्ल के ज़रूरिय्यात येह हैं :

(1) सर के बाल गुंधे न हों तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहना और गुंधे हों तो मर्द पर फ़र्ज़ है कि उन को खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहाए और औरत पर सिर्फ़ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है खोलना ज़रूरी नहीं, हां अगर चोटी इतनी सख़्त गुंधी हो कि बे खोले जड़ें तर न होंगी तो खोलना ज़रूरी है।

(2) कानों में बाली वगैरा ज़ेवरों के सूराख़ का वोही हुक्म है जो नाक में नथ के सूराख़ का हुक्म वुजू में बयान हुवा।

(3) भंवों और मूँछों और दाढ़ी के बाल का जड़ से नोक तक और उन के नीचे की खाल का धुलना

(4) कान का हर पुर्जा और उस के सूराख़ का मुंह।

(5) कानों के पीछे के बाल हटा कर पानी बहाए।

(6) ठोड़ी और गले का जोड़ कि बे मुंह उठाए न धुलेगा।

(7) बग़लें बे हाथ उठाए न धुलेंगी।

(8) बाज़ू का हर पहलू।

(9) पीठ का हर ज़र्ग।

(10) पेट की बलटें उठा कर धोएं।

(11) नाफ़ को उंगली डाल कर धोएं जब कि पानी बहने में शक हो।

(12) जिस्म का हर रोंगटा जड़ से नोक तक।

.....¹ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٤٥.² المرجع السابق ص ٤٤٣.

(13) रान और पेड़⁽¹⁾ का जोड़ ।

(14) रान और पिंडली का जोड़ जब बैठ कर नहाएं ।

(15) दोनों सुरीन के मिलने की जगह खुसूसन जब खड़े हो कर नहाएं ।

(16) रानों की गोलाई (17) पिंडलियों की करवटें (18) ज़कर व उन्सयैन⁽²⁾ के मिलने की सत्हें बे जुदा किये न धुलेंगी । (19) उन्सयैन की सत्हे ज़ेरें जोड़ तक (20) उन्सयैन के नीचे की जगह जड़ तक (21) जिस का खतना न हुवा हो तो अगर खाल चढ़ सकती हो तो चढ़ा कर धोए और खाल के अन्दर पानी चढ़ाए । औरतों पर खास येह एहतियातें ज़रूरी हैं : (22) ढलकी हुई पिस्तान को उठा कर धोना (23) पिस्तान व शिकम के जोड़ की तहरीर (24) फ़र्जे ख़ारिज⁽³⁾ का हर गोशा हर टुकड़ा नीचे ऊपर ख़याल से धोया जाए, हां फ़र्जे दाख़िल⁽⁴⁾ में उंगली डाल कर धोना वाजिब नहीं, मुस्तहब है ।⁽⁵⁾ यूंही अगर हैज़ो निफ़ास से फ़ारिग़ हो कर गुस्ल करती है तो एक पुराने कपड़े से फ़र्जे दाख़िल के अन्दर से खून का असर साफ़ कर लेना मुस्तहब है । (25) माथे पर अफ़शां चुनी हो तो छुड़ाना ज़रूरी है ।

मस्अला 4 बाल में गिरह पड़ जाए तो गिरह खेल कर उस पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं ।⁽⁶⁾

मस्अला 5 किसी ज़ख़म पर पट्टी वगैरा बंधी हो कि उस के खोलने में ज़रर या हरज हो, या किसी जगह मरज़ या दर्द के सबब पानी बहना ज़रर करेगा तो उस पूरे उज़्ज को मस्ह करें और न हो सके तो पट्टी पर मस्ह काफ़ी है और पट्टी मौज़ए हाजत से ज़ियादा न रखी जाए वरना मस्ह काफ़ी न होगा और अगर पट्टी मौज़ए हाजत ही पर बंधी है मसलन बाजू पर एक तरफ़ ज़ख़म है और पट्टी बांधने के लिये बाजू की इतनी सारी गोलाई पर होना उस का ज़रूर है तो उस के नीचे बदन का वोह हिस्सा भी आएगा जिसे पानी ज़रर नहीं करता तो अगर खोलना मुम्किन हो खोल कर उस हिस्से का धोना फ़र्ज है और अगर ना मुम्किन हो अगरचें यूंही कि खोल कर फिर वैसी न बांध सकेगा और इस में ज़रर का अन्देशा है तो सारी पट्टी पर मस्ह कर ले काफ़ी है, बदन का वोह अच्छा हिस्सा भी धोने से मुआफ़ हो जाएगा ।

मस्अला 6 जुकाम या आशोबे चश्म वगैरा हो और येह गुमाने सहीह हो कि सर से नहाने में मरज़ में ज़ियादती या और अमराज़ पैदा हो जाएंगे तो कुल्ली करे, नाक में पानी डाले

①पेड़ यानी नाफ़ से नीचे का हिस्सा ।

②उन्सयैन यानी खुस्ये । फ़ोते ।

③औरत की शर्मगाह का बैरूनी हिस्सा ।

④शर्मगाह का अन्दरूनी हिस्सा ।

⑤ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٤٨، ٤٥٠ ⑥ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٥٢ .

और गरदन से नहा ले और सर के हर ज़र्रे पर भीगा हाथ फेर ले गुस्ल हो जाएगा, बादे सिहूहत सर धो डाले बाकी गुस्ल के इआदे की हाजत नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 7 पकाने वाले के नाखुन में आटा, लिखने वाले के नाखुन वगैरा पर सियाही का जर्म, आम लोगों के लिये मख्खी मच्छर की बीट अगर लगी हो तो गुस्ल हो जाएगा। हां! बाद मालूम होने के जुदा करना और उस जगह को धोना ज़रूरी है पहले जो नमाज़ पढ़ी हो गई।⁽²⁾

गुस्ल की सुन्नतें⁽³⁾

- (1) गुस्ल की निय्यत कर के पहले
- (2) दोनों हाथ गिट्टों तक तीन मरतबा धोए फिर
- (3) इस्तिन्जे की जगह धोए ख़्वाह नजासत हो या न हो फिर
- (4) बदन पर जहां कहीं नजासत हो उस को दूर करे फिर
- (5) नमाज़ का सा वुजू करे मगर पाउं न धोए, हां अगर चौकी या तख़्ते या पथ्थर पर नहाए तो पाउं भी धो ले फिर
- (6) बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ ले खुसूसन जाड़े में फिर
- (7) तीन मरतबा दहने मूँढे पर पानी बहाए फिर
- (8) बाएं मूँढे पर तीन बार फिर
- (9) सर पर और तमाम बदन पर तीन बार फिर
- (10) जाए गुस्ल से अलग हो जाए, अगर वुजू करने में पाउं नहीं धोए थे तो अब धो ले और
- (11) नहाने में क़िल्ला रुख़ न हो और
- (12) तमाम बदन पर हाथ फेरे और
- (13) मले और
- (14) ऐसी जगह नहाए कि कोई न देखे और अगर येह न हो सके तो नाफ़ से घुटने तक के आज़ा का सत्र तो ज़रूरी है, अगर इतना भी मुम्किन न हो तो तयम्मूम करे मगर येह एहतिमाल बहुत बर्ईद है और

①....."الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٥٦، ٤٦١.....②....."الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٤٥٥.

③.....लफ़्जे "फिर" के साथ जिस सुन्नत का बयान हुवा उस में वोह शै फ़ी नफ़्सही भी सुन्नत है और उस का तरतीब के साथ होना भी तो अगर किसी ने ख़िलाफ़े तरतीब किया मसलन पहले बाएं मूँढे पर पानी बहाया फिर दाहने पर तो सुन्नते तरतीब अदा न हुई। 12 मिन्ह

(15) किसी किस्म का कलाम न करे ।

(16) न कोई दुआ पढ़े । बाद नहाने के रूमाल से बदन पोंछ डाले तो हरज नहीं ।⁽¹⁾

मस्अला 1 अगर गुस्लखाने की छत न हो या नंगे बदन नहाए बशर्ते कि मौजूए एहतियात हो तो कोई हरज नहीं । हां औरतों को बहुत ज़ियादा एहतियात की ज़रूरत है और औरतों को बैठ कर नहाना बेहतर है । बाद नहाने के फ़ौरन कपड़े पहन ले और वुजू के सुन्नो मुस्तहब्बात, गुस्ल के लिये सुन्नो मुस्तहब्बात हैं मगर सत्र खुला हो तो क़िब्ले को मुंह करना न चाहिये और तहबन्द बांधे हो तो हरज नहीं ।

मस्अला 2 अगर बहते पानी मसलन दरिया या नहर में नहाया तो थोड़ी देर उस में रुकने से तीन बार धोने और तरतीब और वुजू ये सब सुन्नतें अदा हो गई, इस की भी ज़रूरत नहीं कि आज़ा को तीन बार हरकत दे और तालाब वगैरा ठहरे पानी में नहाया तो आज़ा को तीन बार हरकत देने या जगह बदलने से तस्लीस (यानी तीन बार धोने) की सुन्नत अदा हो जाएगी । मींह में खड़ा हो गया तो येह बहते पानी में खड़े होने के हुक्म में है । बहते पानी में वुजू किया तो वोही थोड़ी देर उस में उज़्व को रहने देना और ठहरे पानी में हरकत देना तीन बार धोने के काइम मक़ाम है ।⁽²⁾

मस्अला 3 सब के लिये गुस्ल या वुजू में पानी की एक मिक्दार मुअय्यन नहीं⁽³⁾, जिस तरह अ़वाम में मशहूर है महज़ बातिल है एक लम्बा चौड़ा, दूसरा दुबला पतला, एक के तमाम आज़ा पर बाल, दूसरे का बदन साफ़, एक घनी दाढ़ी वाला, दूसरा बे रीश, एक के सर पर बड़े बड़े बाल, दूसरे का सर मुंडा, **وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ** सब के लिये एक मिक्दार कैसे मुम्किन है ?

मस्अला 4 औरत को हम्माम में जाना मक्रूह है और मर्द जा सकता है मगर सत्र का लिहाज़ ज़रूरी है । लोगों के सामने सत्र खोल कर नहाना हराम है ।

मस्अला 5 बिगैर ज़रूरत सुब्ह तड़के हम्माम को न जाए कि एक मख़फ़ी अ़म्र लोगों पर ज़ाहिर करना है ।⁽⁴⁾

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٤.

و "تنوير الأبصار" و "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٣١٩، ٣٢٥.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: سنن الغسل، ج ١، ص ٣٢٠.

③..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٦٢٦، ٦٢٧.

④..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء... إلخ، ج ١، ص ٦٢٢.

गुस्ल किज चीजों से फर्ज होता है

(1) मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हो कर उज्ज से निकलना सबबे फर्जियते गुस्ल है।⁽¹⁾

मस्अला 1 अगर शहवत के साथ अपनी जगह से जुदा ना हुई बल्कि बोझ उठाने या बुलन्दी से गिरने के सबब निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं हां वुजू जाता रहेगा।⁽²⁾

मस्अला 2 अगर अपने जर्फ से शहवत के साथ जुदा हुई मगर उस शख्स ने अपने आले को जोर से पकड़ लिया कि बाहर न हो सकी, फिर जब शहवत जाती रही छोड़ दिया अब मनी बाहर हुई तो अगर बाहर निकलना शहवत से न हुवा मगर चूँकि अपनी जगह से शहवत से जुदा हुई लिहाजा गुस्ल वाजिब हुवा इसी पर अमल है।⁽³⁾

मस्अला 3 अगर मनी कुछ निकली और कब्ल पेशाब करने या सोने या चालीस कदम चलने के नहा लिया और नमाज़ पढ़ ली अब बकिय्या मनी खारिज हुई तो गुस्ल करे कि येह उसी मनी का हिस्सा है जो अपने महल से शहवत के साथ जुदा हुई थी और पहले जो नमाज़ पढ़ी थी हो गई उस के इअदे की हाजत नहीं और अगर चालीस कदम चलने या पेशाब करने या सोने के बाद गुस्ल किया फिर मनी बिला शहवत निकली तो गुस्ल जरूरी नहीं और येह पहली का बकिय्या नहीं कही जाएगी।⁽⁴⁾

मस्अला 4 अगर मनी पतली पड़ गई कि पेशाब के वक्त या वैसे ही कुछ कतरे बिला शहवत निकल आए तो गुस्ल वाजिब नहीं अलबत्ता वुजू टूट जाएगा।

(2) एहतिलाम यानी सोते से उठा और बदन या कपड़े पर तरी पाई और उस तरी के मनी या मजी होने का यकीन या एहतिलाम हो तो गुस्ल वाजिब है अगर ख़्वाब याद न हो और अगर यकीन है कि येह न मनी है न मजी बल्कि पसीना या पेशाब या वदी या कुछ और है तो अगर एहतिलाम याद हो और लज्जते इन्जाल खयाल में हो गुस्ल वाजिब नहीं और अगर मनी न होने पर यकीन करता है और मजी का शक है तो अगर ख़्वाब में एहतिलाम होना याद नहीं तो गुस्ल नहीं वरना है।⁽⁵⁾

मस्अला 5 अगर एहतिलाम याद है मगर इस का कोई असर कपड़े वगैरा पर नहीं गुस्ल वाजिब नहीं।⁽⁶⁾

①..... "الدر المختار"، كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة، ج ١، ص ٣٢٥.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج ١، ص ١٠.

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، ج ١، ص ١٤، وغيره. ④..... المرجع السابق.

⑤..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، ج ١، ص ١٤-١٥. ⑥..... المرجع السابق، ص ١٥.

मस्अला 6 अगर सोने से पहले शहवत थी आला काइम था अब जागा और उस का असर पाया और मजी होना ग़ालिब गुमान है और एहतिलाम याद नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं, जब तक उस के मनी होने का ज़न्ने ग़ालिब न हो और अगर सोने से पहले शहवत ही न थी या थी मगर सोने से क़ब्ल दब चुकी थी और जो ख़ारिज हुवा था साफ़ कर चुका था तो मनी के ज़न्ने ग़ालिब की ज़रूरत नहीं बल्कि महज़ एहतिमाले मनी से गुस्ल वाजिब हो जाएगा। येह मस्अला कसीरुल वुकूअ है और लोग इस से ग़ाफ़िल हैं। इस का ख़याल ज़रूर चाहिये।⁽¹⁾

मस्अला 7 बीमारी वगैरा से ग़श आया या नशे में बेहोश हुवा, होश आने के बाद कपड़े या बदन पर मजी मिली तो वुजू वाजिब होगा, गुस्ल नहीं और सोने के बाद ऐसा देखे तो गुस्ल वाजिब मगर इसी शर्त पर कि सोने से पहले शहवत न थी।⁽²⁾

मस्अला 8 किसी को ख़ाब हुवा और मनी बाहर न निकली थी कि आंख खुल गई और आले को पकड़ लिया कि मनी बाहर न हो, फिर जब तुन्दी जाती रही छोड़ दिया अब निकली तो गुस्ल वाजिब हो गया।⁽³⁾

मस्अला 9 नमाज़ में शहवत थी और मनी उतरती हुई मालूम हुई मगर अभी बाहर न निकली थी कि नमाज़ पूरी कर ली, अब ख़ारिज हुई तो गुस्ल वाजिब होगा मगर नमाज़ हो गई।⁽⁴⁾

मस्अला 10 खड़े या बैठे या चलते हुए सो गया, आंख खुली तो मजी पाई गुस्ल वाजिब है।⁽⁵⁾

मस्अला 11 रात को एहतिलाम हुवा जागा तो कोई असर न पाया, वुजू कर के नमाज़ पढ़ ली अब इस के बाद मनी निकली, गुस्ल अब वाजिब हुवा और वोह नमाज़ हो गई।⁽⁶⁾

मस्अला 12 औरत को ख़ाब हुवा तो जब तक मनी फ़र्जे दाख़िल से न निकले गुस्ल वाजिब नहीं।⁽⁷⁾

मस्अला 13 मर्द व औरत एक चारपाई पर सोए, बाद बेदारी बिस्तर पर मनी पाई गई और उन में हर एक एहतिलाम का मुन्किर है, एहतियात येह है कि बहर हाल दोनों गुस्ल करें और येही सहीह है।⁽⁸⁾

मस्अला 14 लड़के का बुलूग़ एहतिलाम के साथ हुवा उस पर गुस्ल वाजिब है।⁽⁹⁾

①..... المرجع السابق، و"الدرا المختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في تحرير الصاع... إلخ، ج ١، ص ٣٣٣، ٣٣١.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، ج ١، ص ١٥٠..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٥١٧.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، ج ١، ص ١٥.

⑤..... المرجع السابق. ⑥..... المرجع السابق. ⑦..... المرجع السابق.

⑧..... "الدرا المختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في تحرير الصاع... إلخ، ج ١، ص ٣٣٣.

⑨..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، ج ١، ص ١٦.

(3) हश्फा यानी सरे ज़कर का औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाखिल होना दोनों पर गुस्ल वाजिब करता है, शहवत के साथ हो या बिगैर शहवत, इन्ज़ाल हो या न हो बशर्ते कि दोनों मुकल्लफ़ हों और अगर एक बालिग़ है तो उस बालिग़ पर फ़र्ज़ है और ना बालिग़ पर अगरचे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं मगर गुस्ल का हुक्म दिया जाएगा, मसलन मर्द बालिग़ है और लड़की ना बालिग़ तो मर्द पर फ़र्ज़ है और लड़की ना बालिग़ा को भी नहाने का हुक्म है और लड़का ना बालिग़ है और औरत बालिग़ा है तो औरत पर फ़र्ज़ है और लड़के को भी हुक्म दिया जाएगा।⁽¹⁾

मस्अला 15 अगर हश्फा काट डाला हो तो बाकी उज़्वे तनासुल में का अगर हश्फा की क़दर दाखिल हो गया जब भी वोही हुक्म है जो हश्फा दाखिल होने का है।⁽²⁾

मस्अला 16 अगर चौपाया या मुर्दा या ऐसी छोटी लड़की से जिस की मिस्ल से सोहबत न की जा सकती हो, वती की तो जब तक इन्ज़ाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं।⁽³⁾

मस्अला 17 औरत की रान में जिमाअ किया और इन्ज़ाल के बाद मनी फ़र्ज़ में गई या कुआरी से जिमाअ किया और इन्ज़ाल भी हो गया मगर बकारत ज़ाइल न हुई तो औरत पर गुस्ल वाजिब नहीं। हां अगर औरत के हम्ल रह जाए तो अब गुस्ल वाजिब होने का हुक्म दिया जाएगा और वक्ते मुजामअत से जब तक गुस्ल नहीं किया है तमाम नमाज़ों का इअ़ादा करे।⁽⁴⁾

मस्अला 18 औरत ने अपनी फ़र्ज़ में उंगली या जानवर या मुर्दे का ज़कर या कोई चीज़ रबड़ या मिट्टी वगैरा की मिस्ल ज़कर के बना कर दाखिल की तो जब तक इन्ज़ाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं। अगर जिन्न आदमी की शक़ल बन कर आया और औरत से जिमाअ किया तो हश्फा के गाइब होने ही से गुस्ल वाजिब हो गया। आदमी की शक़ल पर न हो तो जब तक औरत को इन्ज़ाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं। यूंही अगर मर्द ने परी से जिमाअ किया और वोह उस वक्ते इन्सान की शक़ल में नहीं, बिगैर इन्ज़ाल वुजूबे गुस्ल न होगा और शक़ले इन्सान में है तो सिर्फ़ ग़ैबते हश्फा⁽⁵⁾ से वाजिब हो जाएगा।⁽⁶⁾

मस्अला 19 गुस्ले जिमाअ के बाद औरत के बदन से मर्द की बक़िय्या मनी निकली तो उस से गुस्ल वाजिब न होगा अलबत्ता वुजू जाता रहेगा।⁽⁷⁾

.....¹ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، ج ١، ص ١٥.

و "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ومطلب في تحرير الصاع... إلخ، ج ١، ص ٣٢٨.

.....² "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، ج ١، ص ١٥.

.....³ المرجع السابق،⁴ المرجع السابق.

.....⁵ "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، ومطلب في تحرير الصاع... إلخ، ج ١، ص ٣٣٥، ٣٢٨.

.....⁶ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، ج ١، ص ١٤.

5 यानी सरे ज़कर छुप जाने।

फ़ाएदा : इन तीनों वुजूह से जिस पर नहाना फ़र्ज हो उस को जुनुब और इन अस्बाब को जनाबत कहते हैं ।

(4) हैज़ से फ़ारिग़ होना ।⁽¹⁾

(5) निफ़ास का ख़त्म होना ।⁽²⁾

मस्अला 20 बच्चा पैदा हुवा और खून बिल्कुल न आया तो सहीह येह है कि गुस्ल वाजिब है ।⁽³⁾ हैज़ो निफ़ास की काफ़ी तफ़सील ان شاء الله الجليل हैज़ के बयान में आएगी ।

मस्अला 21 काफ़िर मर्द या औरत जुनुब है या हैज़ो निफ़ास वाली काफ़िरा औरत अब मुसलमान हुई अगर्चे इस्लाम से पहले हैज़ो निफ़ास से फ़राग़त हो चुकी, सहीह येह है कि उन पर गुस्ल वाजिब है । हां अगर इस्लाम लाने से पहले गुस्ल कर चुके हों या किसी तरह तमाम बदन पर पानी बह गया हो तो सिर्फ़ नाक में नर्म बांसे तक पानी चढ़ाना काफ़ी होगा कि येही वोह चीज़ है जो कुफ़र से अदा नहीं होती । पानी के बड़े बड़े घूंट पीने से कुल्ली का फ़र्ज अदा हो जाता है और अगर येह भी बाक़ी रह गया हो तो इसे भी बजा लाएं ग़रज़ जितने आज़ा का धुलना गुस्ल में फ़र्ज है जिमाअ वग़ैरा अस्बाब के बाद अगर वोह सब ब हालते कुफ़र ही धुल चुके थे तो बादे इस्लाम इआदए गुस्ल ज़रूर नहीं, वरना जितना हिस्सा बाक़ी हो उतने का धो लेना फ़र्ज है और मुस्तहब तो येह है कि बादे इस्लाम पूरा गुस्ल करे ।

मस्अला 22 मुसलमान मय्यित को नहलाना मुसलमानों पर फ़र्जे किफ़ाया है, अगर एक ने नहला दिया सब के सर से उतर गया और अगर किसी ने नहीं नहलाया सब गुनहगार होंगे ।⁽⁴⁾

मस्अला 23 पानी में मुसलमान का मुर्दा मिला उस का भी नहलाना फ़र्ज है, फिर अगर निकालने वाले ने गुस्ल के इरादे से निकालते वक़्त उस को गो़ता दे दिया गुस्ल हो गया वरना अब नहलाएं ।⁽⁵⁾

मस्अला 24 जुमुआ, ईद, बक़र ईद, अरफ़े के दिन और एहराम बांधते वक़्त नहाना सुन्नत है और वुकूफ़े अरफ़ात व वुकूफ़े मुज्दलिफ़ा व हाज़िरिये हरम व हाज़िरिये सरकारे आज़म व तवाफ़ व दुखूले मिना और जम्रों पर कंकरियां मारने के लिये तीनों दिन और शबे बराअत और शबे क़द्र और अरफ़े की रात और मजलिसे मीलाद शरीफ़ और दीगर मजालिसे ख़ैर की हाज़िरी के लिये और मुर्दा नहलाने के बाद और मजनून को जुनून जाने के बाद और

① "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٣٣٤. ② المرجع السابق.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الثالث، ج ١، ص ١٦.

④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في رطوبة الفرج، ج ١، ص ٣٣٧.

⑤ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٥٨.

ग़शी से इफ़ाके के बाद और नशा जाते रहने के बाद और गुनाह से तौबा करने और नया कपड़ा पहनने के लिये और सफ़र से आने वाले के लिये, इस्तिहाज़ा का खून बन्द होने के बाद, नमाज़े कुसूफ़ व खुसूफ़ व इस्तिस्का और खौफ़ व तारीकी और सख़्त आंधी के लिये और बदन पर नजासत लगी और येह मालूम न हुवा कि किस जगह है इन सब के लिये गुस्ल मुस्तहब है।⁽¹⁾

मस्अला 25 हज़ करने वाले पर दसवीं जुल हिज्जा को पांच गुस्ल हैं :

- (1) वुकूफ़े मुज्दलिफ़ा ।
- (2) दुखूले मिना ।
- (3) जम्ह पर कंकरियां मारना ।
- (4) दुखूले मक्का ।

(5) तवाफ़, जब कि येह तीन पिछली बातें भी दसवीं ही को करे और जुमुआ का दिन है तो गुस्ले जुमुआ भी । यूंही अगर अरफ़ा या ईद जुमुआ के दिन पड़े तो यहां वालों पर दो गुस्ल होंगे।⁽²⁾

मस्अला 26 जिस पर चन्द गुस्ल हों सब की निय्यत से एक गुस्ल कर लिया सब अदा हो गए सब का सवाब मिलेगा ।

मस्अला 27 औरत जुनुब हुई और अभी गुस्ल नहीं किया था कि हैज़ शुरू हो गया तो चाहे अब नहा ले या बाद हैज़ ख़त्म होने के ।

मस्अला 28 जुनुब ने जुमुआ या ईद के दिन गुस्ले जनाबत किया और जुमुआ और ईद वगैरा की निय्यत भी कर ली सब अदा हो गए, अगर उसी गुस्ल से जुमुआ और ईद की नमाज़ अदा कर ले ।

मस्अला 29 औरत को नहाने या वुजू के लिये पानी मोल लेना पड़े तो उस की कीमत शौहर के ज़िम्मे है बशर्ते कि गुस्ल व वुजू वाजिब हों या बदन से मैल दूर करने के लिये नहाए।⁽³⁾

मस्अला 30 जिस पर गुस्ल वाजिब है उसे चाहिये कि नहाने में ताख़ीर न करे । हदीस में है जिस घर में जुनुब हो उस में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते⁽⁴⁾ और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज़ का आख़िर वक़्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फ़र्ज़ है, अब ताख़ीर करेगा गुनहगार होगा और खाना खाना या औरत से जिमाअ करना चाहता है तो वुजू कर ले या हाथ

① "تنوير الأبصار" و "الدر المختار"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٣٣٩ - ٣٤٢.

② "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة، ج ١، ص ٣٤٢.

③ "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: يوم عرفة... إلخ، ج ١، ص ٣٤٣.

④ "سنن أبي داود"، كتاب الطهارة، باب الحنب يؤخر الغسل، الحديث: ٢٢٧، ج ١، ص ١٠٩.

मुंह धो ले, कुल्ली कर ले और अगर वैसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मक्रूह है और मोहताजी लाता है और बे नहाए या बे वुजू किये जिमाअ कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं मगर जिस को एहतिलाम हुवा बे नहाए उस को औरत के पास जाना न चाहिये ।

मस्अला 31

रमज़ान में अगर रात को जुनुब हुवा तो बेहतर येही है कि कब्ले तुलूए फ़ज़्र नहा ले कि रोज़े का हर हिस्सा जनाबत से ख़ाली हो और अगर नहीं नहाया तो भी रोज़े में कुछ नुक्सान नहीं मगर मुनासिब येह है कि गरगरा और नाक में जड़ तक पानी चढ़ाना, येह दो काम तुलूए फ़ज़्र से पहले कर ले कि फिर रोज़े में न हो सकेंगे और अगर नहाने में इतनी ताखीर की, कि दिन निकल आया और नमाज़ क़ज़ा कर दी तो येह और दिनों में भी गुनाह है और रमज़ान में और ज़ियादा ।

मस्अला 32

जिस को नहाने की ज़रूरत हो उस को मस्जिद में जाना, त्वाफ़ करना, कुरआने मजीद छूना अगरचें उस का सादा हाशिया या जिल्द या चोली छूए या बे छूए देख कर या ज़बानी पढ़ना या किसी आयत का लिखना या आयत का तावीज़ लिखना या ऐसा तावीज़ छूना या ऐसी अंगूठी छूना या पहनना जैसे मुक़त्तआत की अंगूठी हराम है ।⁽¹⁾

मस्अला 33

अगर कुरआने अज़ीम जुज़्दान में हो तो जुज़्दान पर हाथ लगाने में हरज नहीं, यूंही रूमाल वगैरा किसी ऐसे कपड़े से पकड़ना जो न अपना ताबेअ हो न कुरआने मजीद का तो जाइज़ है, कुरते की आस्तीन, दोपट्टे की आंचल से यहां तक कि चादर का एक कोना इस के मूँढे पर है दूसरे कोने से छूना हराम है कि येह सब इस के ताबेअ हैं जैसे चोली कुरआने मजीद के ताबेअ थी ।⁽²⁾

मस्अला 34

अगर कुरआन की आयत दुआ की निय्यत से या तबरस्क के लिये जैसे بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ या अदाए शुक्र को या छींक के बाद اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ या ख़बरे परेशान पर اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ कहना या ब निय्यते सना पूरी सूरए फ़ातिहा या आयतुल कुर्सी या सूरए हश्र की पिछली तीन आयतें هُوَ اللَّهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ से आखिर सूरत तक पढ़ीं और इन सब सूरतों में कुरआन की निय्यत न हो तो कुछ हरज नहीं । यूंही तीनों कुल बिना लफ़्ज़े कुल ब निय्यते सना पढ़ सकता है और लफ़्ज़े कुल के साथ नहीं पढ़ सकता अगरचें ब निय्यते सना ही हो कि इस सूरत में इन का कुरआन होना मुतअय्यन है निय्यत को कुछ दख़ल नहीं ।⁽³⁾

मस्अला 35

बे वुजू को कुरआने मजीद या इस की किसी आयत का छूना हराम है । बे छूए ज़बानी या देख कर पढ़े तो कोई हरज नहीं ।⁽⁴⁾

1..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، کتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء... إلخ، ج ١، ص ٣٤٣، ٣٤٨.

2..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، کتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء... إلخ، ج ١، ص ٣٤٨.

3..... "الفتاوی الرضویة"، ج ١، ص ٧٩٥، ٨٢٠.

4..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، کتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء... إلخ، ج ١، ص ٣٤٨.

मस्अला 36 — रुपिये पर आयत लिखी हो तो इन सब को (यानी बे वुजू और जुनुब और हैजो निफास वाली को) उस का छूना हराम है हां अगर थैली में हो तो थैली उठाना जाइज है। यूंही जिस बरतन या गिलास पर सूरह या आयत लिखी हो उस का छूना भी इन को हराम है और उस का इस्तिमाल सब को मक्रूह मगर जब कि खास ब निय्यते शिफा हो।

मस्अला 37 — कुरआन का तर्जमा फ़ारसी या उर्दू या किसी और ज़बान में हो उस के भी छूने और पढ़ने में कुरआने मजीद ही का सा हुक्म है।

मस्अला 38 — कुरआने मजीद देखने में इन सब पर कुछ हरज नहीं अगर्चे हुरूफ़ पर नज़र पड़े और अल्फ़ाज़ समझ में आएँ और ख़याल में पढ़ते जाएँ।

मस्अला 39 — इन सब को फ़िक्ह व तफ़्सीर व हदीस की किताबों का छूना मक्रूह है और अगर इन को किसी कपड़े से छुवा अगर्चे उस को पहने या ओढ़े हुए हो तो हरज नहीं मगर मौज़ए आयत पर इन किताबों में भी हाथ रखना हराम है।

मस्अला 40 — इन सब को तौरात, ज़बूर, इन्जील को पढ़ना छूना मक्रूह है ⁽¹⁾।

मस्अला 41 — दुरूद शरीफ़ और दुआओं के पढ़ने में इन्हें हरज नहीं मगर बेहतर येह है कि वुजू या कुल्ली कर के पढ़ें ⁽²⁾।

मस्अला 42 — इन सब को अज़ान का जवाब देना जाइज है ⁽³⁾।

मस्अला 43 — मुस्हफ़ शरीफ़ अगर ऐसा हो जाए कि पढ़ने के काम में न आए तो उसे कफ़ना कर लहद खोद कर ऐसी जगह दफ़न कर दें जहां पाउं पड़ने का एहतिमाल न हो ⁽⁴⁾।

मस्अला 44 — काफ़िर को मुस्हफ़ छूने न दिया जाए बल्कि मुत्लक़न हुरूफ़ उस से बचाएं ⁽⁵⁾।

मस्अला 45 — कुरआन सब किताबों के ऊपर रखें। फिर तफ़्सीर, फिर हदीस, फिर बाकी दीनियात, अला हस्बे मरातिब ⁽⁶⁾।

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج 1، ص 38، وغيره.

2..... المرجع السابق. 3..... المرجع السابق.

4..... "الدرا المختار" و"رد المختار"، كتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء... إلخ، ج 1، ص 354.

5..... المرجع السابق. 6..... المرجع السابق.

मसअला 46 — किताब पर कोई दूसरी चीज़ न रखी जाए हत्ता कि कलम दवात हत्ता कि वोह सन्दूक जिस में किताब हो उस पर कोई चीज़ न रखी जाए।⁽¹⁾

मसअला 47 — मसाइल या दीनियात के अवराक में पुड़िया बांधना, जिस दस्तर ख़वान पर अशआर वगैरा कुछ तहरीर हो उस को काम में लाना, या बिछोने पर कुछ लिखा हो उस का इस्तिमाल मन्अ है।⁽²⁾

पानी का बयान

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾⁽³⁾

यानी : आस्मान से हम ने पाक करने वाला पानी उतारा ।

और फ़रमाता है :

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ الشَّيْطَانِ﴾⁽⁴⁾

यानी : आस्मान से तुम पर पानी उतारता है कि तुम्हें उस से पाक करे और शैतान की पलीदी तुम से दूर करे ।

हदीस 1 — इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “तुम में कोई शख्स हालते जनाबत में रुके हुए पानी में न नहाए ।” (यानी थोड़े पानी में जो दह दर दह न हो कि दह दर दह बहते पानी के हुक्म में है) लोगों ने कहा तो ऐ अबू हुरैरा ! कैसे करे ? कहा : “उस में से ले ले ।”⁽⁵⁾

हदीस 2 — सुनने अबू दावूद व तिरमिज़ी व इब्ने माजह में हक़म बिन अम्र रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने मन्अ फ़रमाया इस से कि औरत की तहारत से बचे हुए पानी से मर्द वुजू करे।⁽⁶⁾

हदीस 3 — इमाम मालिक व अबू दावूद व तिरमिज़ी अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से पूछा : हम दरिया का सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा सा पानी ले जाते हैं तो अगर उस से वुजू करें प्यासे रह जाएं तो क्या समुन्दर के

① “الدرالمختار”، المرجع السابق، و“الفتاوى الهندية”، كتاب الكراهية، الباب الخامس، ج ٥، ص ٣٢٤.

② “الدرالمختار” و“ردالمحتار”، كتاب الطهارة، مطلب: يطلق الدعاء... إلخ، ج ١، ص ٣٥٦، ٣٥٥.

③ प: ١٩، الفرقان: ٤٨. ④ प: ٩، الانفال: ١١.

⑤ “صحيح مسلم”، كتاب الطهارة، باب النهي عن الإغتسال في الماء الراكد، الحديث: ٢٨٣، ص ١٦٤.

⑥ “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك، الحديث: ٨٢، ج ١، ص ٦٣.

पानी से हम वुजू करें। फ़रमाया : “उस का पानी पाक है और उस का जानवर मरा हुवा हलाल”⁽¹⁾ यानी मछली।

हदीस 4 अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके आजम رضي الله تعالى عنه ने फ़रमाया कि : “धूप के गर्म पानी से गुस्ल न करो कि वोह बरस पैदा करता है।⁽²⁾

किस पानी से वुजू जाइज है और किस से नहीं

तम्बीह : जिस पानी से वुजू जाइज है उस से गुस्ल भी जाइज और जिस से वुजू ना जाइज गुस्ल भी ना जाइज।

मस्अला 1 मींह, नदी, नाले, चश्मे, समुन्दर, दरिया, कुएं और बर्फ़, ओले के पानी से वुजू जाइज है।⁽³⁾

मस्अला 2 जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई कि बोलचाल में उसे पानी न कहें बल्कि उस का कोई और नाम हो गया जैसे शरबत, या पानी में कोई ऐसी चीज़ डाल कर पकाएं जिस से मक्सूद मैल काटना न हो जैसे शोरबा, चाए, गुलाब या और अरक़, इस से वुजू व गुस्ल जाइज नहीं।⁽⁴⁾

मस्अला 3 अगर ऐसी चीज़ मिलाएं या मिला कर पकाएं जिस से मक्सूद मैल काटना हो जैसे साबून या बेरी के पत्ते तो वुजू जाइज है जब तक उस की रिक़त जाइल न कर दे और अगर सत्तू की मिस्ल गाढ़ा हो गया तो वुजू जाइज नहीं।⁽⁵⁾

मस्अला 4 और अगर कोई पाक चीज़ मिली जिस से रंग या बू या मजे में फ़र्क़ आ गया मगर उस का पतला पन न गया जैसे रेता, चूना या थोड़ी जाफ़रान तो वुजू जाइज है और जो जाफ़रान का रंग इतना आ जाए कि कपड़ा रंगने के क़ाबिल हो जाए तो वुजू जाइज नहीं। यूंही पुड़िया का रंग और अगर इतना दूध मिल गया कि दूध का रंग ग़ालिब न हुवा तो वुजू जाइज है वरना नहीं। ग़ालिब मग़लूब की पहचान येह है कि जब तक येह कहें कि पानी है जिस में कुछ दूध मिल गया तो वुजू जाइज है और जब उसे लस्सी कहें तो वुजू जाइज नहीं और अगर पत्ते गिरने या पुराने होने के सबब बदले तो कुछ हरज नहीं मगर जब कि पत्ते उसे गाढ़ा कर दें।⁽⁶⁾

① “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب ماجاء في ماء البحر أنه طهور، الحديث: ٦٩، ج ١، ص ١٣٠.

② “سنن الدار قطني”، كتاب الطهارة، باب الماء السخن، الحديث: ٨٥، ج ١، ص ٥٤.

③ “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١، ص ٣٥٧.

④ “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في حديث ((لا تسوما العنب الكرم))، ج ١، ص ٣٦٠.

⑤ “الدرالمختار”، المرجع السابق، ص ٣٨٥.

⑥ “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في أن التوضي من العوض ... إلخ، ج ١، ص ٣٦٩.

मस्अला 5 बहता पानी कि उस में तिन्का डाल दें तो बहा ले जाए पाक और पाक करने वाला है, नजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक वोह नजिस उस के रंग या बू या मजे को न बदल दे, अगर नजिस चीज़ से रंग या बू या मज़ा बदल गया तो नापाक हो गया, अब येह उस वक्त पाक होगा कि नजासत तह नशीन हो कर उस के औसाफ़ ठीक हो जाएं या पाक पानी इतना मिले कि नजासत को बहा ले जाए या पानी के रंग, मज़ा, बू ठीक हो जाएं और अगर पाक चीज़ ने रंग, मज़ा, बू को बदल दिया तो वुजू गुस्ल उस से जाइज़ है जब तक चीज़ दीगर न हो जाए।⁽¹⁾

मस्अला 6 मुर्दा जानवर नहर की चौड़ाई में पड़ा है और उस के ऊपर से पानी बहता है तो आम अर्जी कि जितना पानी उस से मिल कर बहता है उस से कम है जो उस के ऊपर से बहता है या जाइद है या बराबर मुत्लकन हर जगह से वुजू जाइज़ है यहां तक कि मौकए नजासत से भी जब तक नजासत के सबब किसी वस्फ़ में तगय्युर न आए येही सहीह है⁽²⁾ और इसी पर एतिमाद है।⁽³⁾

मस्अला 7 छत के परनाले से मींह का पानी गिरे वोह पाक है अगर छत पर जा बजा नजासत पड़ी हो अगर छत नजासत परनाले के मुंह पर हो अगर छत नजासत से मिल कर जो पानी गिरता हो वोह निस्फ़ से कम या बराबर या ज़ियादा हो जब तक नजासत से पानी के किसी वस्फ़ में तगय्युर न आए येही सहीह है⁽⁴⁾ और इसी पर एतिमाद है और अगर मींह रुक गया और पानी का बहना मौकूफ़ हो गया तो अब वोह ठहरा हुवा पानी और जो छत से टपके नजिस है।⁽⁵⁾

मस्अला 8 यूंही नालियों से बरसात का बहता पानी पाक है जब तक नजासत का रंग या बू या मज़ा उस में ज़ाहिर न हो, रहा उस से वुजू करना अगर उस पानी में नजासते मरइय्या के अज्जा ऐसे बहते जा रहे हों कि जो चुल्लू लिया जाएगा उस में एकआध ज़रा उस का भी ज़रूर होगा जब तो हाथ में लेते ही नापाक हो गया वुजू उस से हराम वरना जाइज़ है और बचना बेहतर है।⁽⁶⁾

मस्अला 9 नाली का पानी कि बाद बारिश के ठहर गया अगर उस में नजासत के अज्जा महसूस हों या उस का रंग व बू महसूस हो तो नापाक है वरना पाक।⁽⁷⁾

①..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في أن التوضي من العوض... إلخ، ج ١، ص ٣٧٠.

②..... दुर्गे मुख़्तार में है कि अल्लामा क़ासिम ने फ़रमाया येही मुख़्तार है और नहरल फ़ाइक़ में इसी को क़बी बताया और निसाब फिर मुज़मरात फिर क़हस्तानी में फ़रमाया इसी पर फ़तवा है। 12 मिन्ह

③..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: الأصح أنه لا يشترط في الحريان المدد، ج ١، ص ٣٧٢.

④..... هكذا في ردالمحتار عن الحلية وفي الهنديّة عن المحيط والعناية والتاتارخانيّه ١٢ منه حفظه ربه

⑤..... "الفتاوى الهنديّة"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٧.

⑥..... "الفتاوى الرضويّة"، ج ٢، ص ٣٨. ⑦..... المرجع السابق.

मस्अला 10

दस हाथ लम्बा, दस हाथ चौड़ा जो हौज़ हो उसे दह दर दह और बड़ा हौज़ कहते हैं। यूंही बीस²⁰ हाथ लम्बा, पांच हाथ चौड़ा या पच्चीस हाथ लम्बा, चार हाथ चौड़ा। गरज़ कुल लम्बाई चौड़ाई सो हाथ हो⁽¹⁾ और अगर गोल हो तो उस की गोलाई तक़रीबन साढ़े पैंतीस हाथ हो और सो हाथ लम्बाई न हो तो छोटा हौज़ है और उस के पानी को थोड़ा कहेंगे अगर्चे कितना ही गहरा हो।

तम्बीह: हौज़ के बड़े छोटे होने में खुद उस हौज़ की पैमाइश का एतिबार नहीं, बल्कि उस में जो पानी है उस की बालाई सत्ह देखी जाएगी तो अगर हौज़ बड़ा है मगर अब पानी कम हो कर दह दर दह न रहा तो वोह इस हालत में बड़ा हौज़ नहीं कहा जाएगा, नीज़ हौज़ उसी को नहीं कहेंगे जो मस्जिदों, ईदगाहों में बना लिये जाते हैं बल्कि हर वोह गढ़ा जिस की पैमाइश सो¹⁰⁰ हाथ है बड़ा हौज़ है और उस से कम है तो छोटा।⁽²⁾

मस्अला 11

दह दर दह⁽³⁾ हौज़ में सिर्फ़ इतना दल दरकार है कि इतनी मसाहत में ज़मीन कहीं से खुली न हो और येह जो बहुत किताबों में फ़रमाया है कि लप या चुल्लू में पानी लेने से ज़मीन न खुले इस की हाज़त उस के कसीर रहने के लिये है कि वक्ते इस्तिमाल अगर पानी उठाने से ज़मीन खुल गई तो उस वक्ते पानी सो¹⁰⁰ हाथ की मसाहत में न रहा ऐसे हौज़ का पानी बहते पानी के हुक्म में है, नजासत पड़ने से नापाक न होगा जब तक नजासत से रंग या बू या मज़ा न बदले और ऐसा हौज़ अगर्चे नजासत पड़ने से नजिस न होगा मगर क़स्दन उस में नजासत डालना मन्अ है।⁽⁴⁾

मस्अला 12

बड़े हौज़ के नजिस न होने की येह शर्त है कि उस का पानी मुत्तसिल हो तो ऐसे हौज़ में अगर लठ्ठे या कड़ियां गाड़ी गई हों तो उन लठ्ठों कड़ियों के इलावा बाकी जगह अगर सो¹⁰⁰ हाथ है तो बड़ा है वरना नहीं, अलबत्ता पतली पतली चीज़ें जैसे घास, नरकल, खेती, इस के इत्तिसाल को मानेअ नहीं।⁽⁵⁾

मस्अला 13

बड़े हौज़ में ऐसी नजासत पड़ी कि दिखाई न दे जैसे शराब, पेशाब तो उस की हर जानिब से वुजू जाइज़ है और अगर देखने में आती हो जैसे पाख़ाना, या कोई मरा हुवा जानवर तो जिस तरफ़ वोह नजासत हो उस तरफ़ वुजू न करना बेहतर है

①..... "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ٢٧٤، ٢٨٧. ②..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب:

لو دخل الماء من اعلى... إلخ، ج ١، ص ٣٧٨. و "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ٢٧٤.

③..... والمسئلة مصرحة في هبة الجبر بما لا يزيد عليه من شاء الاطلاع فليراجع اليها. ١٢ منه حفظه ربه

④..... "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ٢٧٤. ⑤..... "خلاصة الفتاوى"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٤. و "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ١٨٩.

दूसरी तरफ वुजू करे।⁽¹⁾

तम्बीह : जो नजासत दिखाई देती है उस को मरइय्या और जो नहीं दिखाई देती उसे गैर मरइय्या कहते हैं।

मस्अला 14 ऐसे हौज पर अगर बहुत से लोग जम्अ हो कर वुजू करें तो भी कुछ हरज नहीं अगरचे वुजू का पानी उस में गिरता हो, हां उस में कुल्ली करना या नाक सिनक्ना न चाहिये कि नजाफत के खिलाफ है।⁽²⁾

मस्अला 15 तालाब या बड़ा हौज ऊपर से जम गया मगर बर्फ के नीचे पानी की लम्बाई चौड़ाई मुत्तसिल ब कदरे दह दर दह है और सूराख कर के उस से वुजू किया जाइज है अगरचे उस में नजासत पड़ जाए और अगर मुत्तसिल दह दर दह नहीं और उस में नजासत पड़ी तो नापाक है, फिर अगर नजासत पड़ने से पहले उस में सूराख कर दिया और उस से पानी उबल पड़ा तो अगर ब कदरे दह दर दह फैल गया तो अब नजासत पड़ने से भी पाक रहेगा और उस में दल का वोही हुक्म है जो ऊपर गुजरा।⁽³⁾

मस्अला 16 अगर तालाबे खुशक में नजासत पड़ी हो और मींह बरसा और उस में बहता हुवा पाक पानी इस कदर आया कि बहाव रुकने से पहले दह दर दह हो गया तो वोह पानी पाक है और अगर उस मींह से दह दर दह से कम रहा दोबारा बारिश से दह दर दह हुवा तो सब नजिस है। हां अगर वोह भर कर बह जाए तो पाक हो गया अगरचे हाथ दो हाथ बहा हो।⁽⁴⁾

मस्अला 17 दह दर दह पानी में नजासत पड़ी फिर उस का पानी दह दर दह से कम हो गया तो वोह अब भी पाक है।⁽⁵⁾ हां अगर वोह नजासत अब भी उस में बाकी हो और दिखाई देती हो तो अब नापाक हो गया अब जब तक भर कर बह न जाए पाक न होगा।

मस्अला 18 छोटा हौज नापाक हो गया फिर उस का पानी फैल कर दह दर दह हो गया तो अब भी नापाक है मगर पाक पानी अगर उसे बहा दे तो पाक हो जाएगा।⁽⁶⁾

मस्अला 19 कोई हौज ऐसा है कि ऊपर से तंग और नीचे कुशादा है यानी ऊपर दह दर दह नहीं और नीचे दह दर दह या ज़ियादा है अगर ऐसा हौज लबरेज हो और नजासत पड़े तो

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: لو دخل الماء من اعلى... إلخ، ج ١، ص ٣٧٥.

②..... "منية المصلي"، فصل في الحيض، الحوض إذا كان عشرين في عشر، ص ٦٧. و "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ٢٧٢.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب: لو دخل الماء من اعلى... إلخ، ج ٢، ص ٣٨٠.

④..... "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ٣٧٠.

⑤..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩.

⑥..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٧٠.

नापाक है फिर उस का पानी घट गया और वोह दह दर दह हो गया तो पाक हो गया।^(१)

मस्अला २० हुक्के का पानी पाक है^(२) अगर उस के रंग, व बू, व मजे में तगय्युर आ जाए उस से वुजू जाइज है। ब कदरे^(३) किफायत उस के होते हुए तयम्मूम जाइज नहीं।^(४)

मस्अला २१ जो पानी वुजू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वोह पाक है मगर उस से वुजू और गुस्ल जाइज नहीं। यूंही अगर बे वुजू शख्स का हाथ या उंगली या पोरा या नाखुन या बदन का कोई टुकड़ा जो वुजू में धोया जाता हो ब कस्द या बिला कस्द दह दर दह से कम पानी में बे धोए हुए पड़ जाए तो वोह पानी वुजू और गुस्ल के लाइक न रहा। इसी तरह जिस शख्स पर नहाना फर्ज है उस के जिस्म का कोई बे धुला हुवा हिस्सा पानी से छू जाए तो वोह पानी वुजू और गुस्ल के काम का न रहा। अगर धुला हुवा हाथ या बदन का कोई हिस्सा पड़ जाए तो हरज नहीं।^(५)

मस्अला २२ अगर हाथ धुला हुवा है मगर फिर धोने की निय्यत से डाला और येह धोना सवाब का काम हो जैसे खाने के लिये या वुजू के लिये तो येह पानी मुस्तामल हो गया यानी वुजू के काम का न रहा और इस को पीना भी मकरूह है।

मस्अला २३ अगर ब जरूरत हाथ पानी में डाला जैसे पानी बड़े बरतन में है कि उसे झुका नहीं सकता, न कोई छोटा बरतन है कि उस से निकाले तो ऐसी सूरत में ब कदरे जरूरत हाथ पानी में डाल कर उस से पानी निकाले या कूएं में रस्सी डोल गिर गया और बे घुसे नहीं निकल सकता और पानी भी नहीं कि हाथ पाउं धो कर घुसे तो इस सूरत में अगर पाउं डाल कर डोल रस्सी निकालेगा मुस्तामल न होगा इन मस्अलों से बहुत कम लोग वाकिफ हैं खयाल रखना चाहिये।^(६)

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩.

② कि पानी पाक है जब तक उस को नजासत से मुलाकात न हो नजिस नहीं हो सकता और यहां कौन सी नजिस शै है जिस की मुलाकात से येह पानी नजिस होगा। 12 मिन्ह

③ मसलन सारा वुजू कर लिया एक पाउं का धोना बाकी है कि पानी खत्म हो गया और हुक्के में पानी इतना मौजूद है कि उस पाउं को धो सकता है तो उसे तयम्मूम जाइज नहीं मगर वुजू करने के बाद अगर आज्ञा में बू आ गई तो जब तक बू जाती न रहे मस्जिद में जाना मन्अ है और वक्त में गुन्जाइश हो तो इतना वक्फा कर के नमाज पढ़े कि बू उड़ जाए और इस से वुजू करने का हुक्म उस वक्त दिया गया कि दूसरा पानी न हो बिला जरूरत इस से वुजू न चाहिये। 12 मिन्ह

④ "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ٣٢٠. ⑤ "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ٤٣.

मुस्तामल पानी के बारे में तफसीली मालूमात के लिये फतावा रजविय्या जिल्द : 2, सफ़्हा 43 ता 248 मुलाहज़ा फ़रमाइये।

⑥ "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ١١٧.

मस्अला 24 मुस्तामल पानी अगर अच्छे पानी में मिल जाए मसलन वुजू या गुस्ल करते वक़्त क़तर लोटे या घड़े में टपके तो अगर अच्छा पानी ज़ियादा है तो येह वुजू और गुस्ल के काम का है वरना सब बेकार हो गया।⁽¹⁾

मस्अला 25 पानी में हाथ पड़ गया या और किसी तरह मुस्तामल हो गया और येह चाहें कि येह काम का हो जाए तो अच्छा पानी उस से ज़ियादा उस में मिला दें, नीज़ उस का येह तरीका भी है कि उस में एक तरफ़ से पानी डालें कि दूसरी तरफ़ से बह जाए सब काम का हो जाएगा। यूंही नापाक पानी को भी पाक कर सकते हैं।⁽²⁾ यूंही हर बहती हुई चीज़ अपनी जिन्स या पानी से उबाल देने से पाक हो जाएगी।

मस्अला 26 किसी दरख़ या फल के निचोड़े हुए पानी से वुजू जाइज़ नहीं जैसे केले का पानी या अंगूर और अनार और तरबूज़ का पानी और गन्ने का रस।⁽³⁾

मस्अला 27 जो पानी गर्म मुल्क में गर्म मौसिम में सोने चांदी के सिवा किसी और धातु के बरतन में धूप में गर्म हो गया तो जब तक गर्म है उस से वुजू और गुस्ल न चाहिये, न उस को पीना चाहिये बल्कि बदन को किसी तरह पहुंचना न चाहिये, यहां तक कि अगर उस से कपड़ा भीग जाए तो जब तक ठन्डा न हो ले उस के पहनने से बचें कि उस पानी के इस्तिमाल में अन्देशए बरस है फिर भी अगर वुजू या गुस्ल कर लिया तो हो जाएगा।⁽⁴⁾

मस्अला 28 छोटे छोटे गढ़ों में पानी है और उस में नजासत पड़ना मालूम नहीं तो उस से वुजू जाइज़ है।⁽⁵⁾

मस्अला 29 काफ़िर की ख़बर कि येह पानी पाक है या नापाक मानी न जाएगी, दोनों सूरतों में पाक रहेगा कि येह इस की अस्ली हालत है।⁽⁶⁾

मस्अला 30 ना बालिग़ का भरा हुवा पानी कि शर्अन उस की मिल्क हो जाए, उसे पीना या वुजू या गुस्ल या किसी काम में लाना उस के मां बाप या जिस का वोह नोकर है उस के सिवा किसी को जाइज़ नहीं अगर्चे वोह इजाज़त भी दे दे, अगर वुजू कर लिया तो वुजू हो जाएगा और गुनहगार होगा, यहां से मुअल्लिमीन को सबक़ लेना चाहिये कि अक्सर वोह ना बालिग़ बच्चों से पानी भरवा कर अपने काम में लाया करते हैं। इसी तरह बालिग़ का भरा

1..... "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ٢٢٠. 2..... المرجع السابق، ص ١٢٠.

3..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١، ص ٣٥٩.

4..... "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ٤٦٤.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٥.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الكراهية، الباب الأول، ج ٥، ص ٣٠٨.

हुवा बिगैर इजाजत सर्फ करना भी हराम है।⁽¹⁾

मस्अला 31 नजासत ने पानी का मज़ा, बू, रंग बदल दिया तो उस को अपने इस्तिमाल में भी लाना ना जाइज और जानवरों को पिलाना भी, गारे वगैरा के काम में ला सकते हैं मगर उस गारे मिट्टी को मस्जिद की दीवार वगैरा में सर्फ करना जाइज नहीं।⁽²⁾

कूएं का बयान

मस्अला 1 कूएं में आदमी या किसी जानवर का पेशाब या बहता हुवा खून या ताड़ी या सेंधी या किसी किस्म की शराब का क़तरा या नापाक लकड़ी या नजिस कपड़ा या और कोई नापाक चीज़ गिरी उस का कुल पानी निकाला जाए।⁽³⁾

मस्अला 2 जिन चौपायों का गोश्त नहीं खाया जाता उन के पाख़ाने, पेशाब से नापाक हो जाएगा, यूंही मुर्गी और बत्⁽⁴⁾ की बीट से नापाक हो जाएगा इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा।⁽⁵⁾

मस्अला 3 मेंगिनयां और गोबर और लीद अगर्चे नापाक हैं मगर कूएं में गिर जाएं तो ब वज्हे ज़रूरत इन का क़लील मुआफ़ रखा गया है, पानी की नापाकी का हुक्म न दिया जाएगा और उड़ने वाले हलाल जानवर कबूतर, चिड़िया की बीट या शिकारी परिन्द चील, शिक्रा, बाज़ की बीट गिर जाए तो नापाक न होगा। यूंही चूहे और चमगादड़ के पेशाब से भी नापाक न होगा।⁽⁶⁾

मस्अला 4 पेशाब की बहुत बारीक बुंदकियां मिस्ल सूई की नोक के और नजिस गुबार पड़ने से नापाक न होगा।⁽⁷⁾

मस्अला 5 जिस कूएं का पानी नापाक हो गया, उस का एक क़तरा भी पाक कूएं में पड़ जाए तो येह भी नापाक हो गया, जो हुक्म उस का था वोही इस का हो गया। यूंही डोल, रस्सी, घड़ा जिन में नापाक कूएं का पानी लगा था, पाक कूएं में पड़े वोह पाक भी नापाक हो जाएगा।⁽⁸⁾

मस्अला 6 कूएं में आदमी, बकरी या कुत्ता या कोई और दम्वी जानवर उन के बराबर या उन से बड़ा गिर कर मर जाए तो कुल पानी निकाला जाए।⁽⁹⁾

1..... "الفتاوى الرضوية"، ج ٢، ص ٥٢٧. 2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٥.

3..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤٠٧، ٤٠٩.

4..... बत्ख ।

5..... "غنية المتعملي"، فصل في البئر، ص ١٦٢.

6..... المرجع السابق، و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩.

7..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١، ص ٤٢٢.

8..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٠. 9..... المرجع السابق، ص ١٩.

मस्अला 7 — मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या और कोई दम्वी जानवर (जिस में बहता हुआ खून हो) उस में मर कर फूल जाए या फट जाए कुल पानी निकाला जाए।⁽¹⁾

मस्अला 8 — अगर येह सब बाहर मरे फिर कूएं में गिर गए जब भी येही हुक्म है।⁽²⁾

मस्अला 9 — छिपकली या चूहे की दुम कट कर कूएं में गिरी, अगर चूहे फूली फटी न हो कुल पानी निकाला जाएगा, मगर उस की जड़ में अगर मोम लगा हो तो बीस डोल निकाला जाए।⁽³⁾

मस्अला 10 — बिल्ली ने चूहे को दबोचा और ज़ख्मी हो गया फिर उस से छूट कर कूएं में गिरा कुल पानी निकाला जाए।⁽⁴⁾

मस्अला 11 — चूहा, छछूंदर, चिड़िया, या छिपकली, गिरगिट या उन के बराबर या उन से छोटा कोई जानवर दम्वी कूएं में गिर कर मर गया तो बीस²⁰ डोल से तीस³⁰ तक निकाला जाए।⁽⁵⁾

मस्अला 12 — कबूतर, मुर्गी, बिल्ली गिर कर मरे तो चालीस⁴⁰ से साठ⁶⁰ तक।⁽⁶⁾

मस्अला 13 — आदमी का बच्चा, जो ज़िन्दा पैदा हो, हुक्म में आदमी के है, बकरी का छोटा बच्चा हुक्म में बकरी के है।⁽⁷⁾

मस्अला 14 — जो जानवर कबूतर से छोटा हो हुक्म में चूहे के है, और जो बकरी से छोटा हो मुर्गी के हुक्म में है।⁽⁸⁾

मस्अला 15 — दो चूहे गिर कर मर जाएं तो वोही बीस²⁰ से तीस³⁰ डोल तक निकाला जाए और तीन या चार या पांच हों तो चालीस⁴⁰ से साठ⁶⁰ तक और छे हों तो कुल।⁽⁹⁾

मस्अला 16 — दो² बिल्लियां मर जाएं तो सब निकाला जाए।⁽¹⁰⁾

मस्अला 17 — मुसलमान मुर्दा बादे गुस्ल के कूएं में गिर जाए तो अस्लन पानी निकालने की ज़रूरत नहीं और शहीद गिर जाए और बदन पर खून न लगा हो तो भी कुछ हाजत नहीं

①..... "الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٢٧٥، و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩.

②..... "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، ص ١٩ - ٢٠. ③..... المرجع السابق، ص ٢٠.

④..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤١٧.

⑤..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩.

⑥..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤١٤.

⑦..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩.

⑧..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٠.

⑨..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤١٧. ⑩..... المرجع السابق.

और अगर खून लगा है और काबिल बहने के न था तो भी कुछ हाजत नहीं, अगरचें वोह खून उस के बदन पर से धुल कर पानी में मिल जाए और अगर बहने के काबिल खून उस के बदन पर लगा हुवा है और खुश्क हो गया और शहीद के गिरने से उस के बदन से जुदा हो कर पानी में न मिला जब भी पानी पाक रहेगा कि शहीद का खून जब तक उस के बदन पर है कितना ही हो पाक है हां येह खून उस के बदन से जुदा हो कर पानी में मिल गया तो अब नापाक हो गया।⁽¹⁾

मस्अला 18 काफिर मुर्दा अगरचें सो¹⁰⁰ बार धोया गया हो, कूएं में गिर जाए या उस की उंगली या नाखुन पानी से लग जाए पानी नजिस हो जाएगा, कुल पानी निकाला जाए।⁽²⁾

मस्अला 19 कच्चा बच्चा या जो बच्चा मुर्दा पैदा हुवा, कूएं में गिर जाए तो सब पानी निकाला जाए अगरचें गिरने से पहले नहला दिया गया हो।⁽³⁾

मस्अला 20 बे वुजू और जिस शख्स पर गुस्ल फर्ज हो अगर बिना ज़रूरत कूएं में उतरें और उन के बदन पर नजासत न लगी हो तो बीस डोल निकाला जाए और अगर डोल निकालने के लिये उतरा तो कुछ नहीं।⁽⁴⁾

मस्अला 21 सुवर कूएं में गिरा, अगरचें न मरे, पानी नजिस हो गया, कुल निकाला जाए।⁽⁵⁾

मस्अला 22 सुवर के सिवा अगर और कोई जानवर कूएं में गिरा और ज़िन्दा निकल आया और उस के जिस्म में नजासत लगी होना यकीनी मालूम न हो, और पानी में उस का मुंह न पड़ा तो पानी पाक है, उस का इस्तिमाल जाइज, मगर एहतियातन बीस²⁰ डोल निकालना बेहतर है और अगर उस के बदन पर नजासत लगी होना यकीनी मालूम हो तो कुल पानी निकाला जाए और अगर उस का मुंह पानी में पड़ा तो उस के लुआब और झूटे का जो हुक्म है वोही हुक्म उस पानी का है, अगर झूटा नापाक है या मश्कूक तो कुल पानी निकाला जाए और अगर मक्रूह है तो चूहे वगैरा में बीस²⁰ डोल, मुर्गी छूटी हुई में चालीस⁴⁰ और जिस का झूटा पाक है उस में भी बीस²⁰ डोल निकालना बेहतर है, मसलन बकरी गिरी और ज़िन्दा निकल आई, बीस²⁰ डोल निकाल डालें।⁽⁶⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩.

"الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤٠٨.

2..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤٠٨.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩.

4..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١، ص ٤١١.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩.

و "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤١٠.

6..... المرجع السابق.

मस्अला 23 कूएं में वोह जानवर गिरा जिस का झूटा पाक है या मक्रूह और पानी कुछ न निकाला और वुजू कर लिया तो वुजू हो जाएगा।⁽¹⁾

मस्अला 24 जूता या गेंद कूएं में गिर गई और नजिस होना यकीनी है कुल पानी निकाला जाए वरना बीस²⁰ डोल, महज़ नजिस होने का खयाल मोतबर नहीं।⁽²⁾

मस्अला 25 पानी का जानवर यानी वोह जो पानी में पैदा होता है अगर कूएं में मर जाए या मरा हुवा गिर जाए तो नापाक न होगा। अगर फूला फटा हो मगर फट कर उस के अज्ज़ा पानी में मिल गए तो उस का पीना हराम है।⁽³⁾

मस्अला 26 खुश्की और पानी के मेंडक का एक हुक्म है यानी उस के मरने बल्कि सड़ने से भी पानी नजिस न होगा⁽⁴⁾, मगर जंगल का बड़ा मेंडक जिस में बहने के काबिल खून होता है उस का हुक्म चूहे की मिसल है। पानी के मेंडक की उंग्लियों के दरमियान झिल्ली होती है और खुश्की के नहीं।

मस्अला 27 जिस की पैदाइश पानी की न हो मगर पानी में रहता हो जैसे बत्, उस के मर जाने से पानी नजिस हो जाएगा।⁽⁵⁾

मस्अला 28 बच्चे या काफ़िर ने पानी में हाथ डाल दिया तो अगर उन के हाथ का नजिस होना मालूम है जब तो ज़ाहिर है कि पानी नजिस हो गया वरना नजिस तो न हुवा मगर दूसरे पानी से वुजू करना बेहतर है।⁽⁶⁾

मस्अला 29 जिन जानवरों में बहता हुवा खून नहीं होता जैसे मच्छर, मखखी वगैरा, उन के मरने से पानी नजिस न होगा।⁽⁷⁾

फ़ाएदा : मखखी सालन वगैरा में गिर जाए तो उसे गोता दे कर फेंक दें और सालन को काम में लाएं।

मस्अला 30 मुर्दार की हड्डी जिस में गोश्त या चिकनाई लगी हो पानी में गिर जाए तो वोह पानी नापाक हो गया कुल निकाला जाए और अगर गोश्त या चिकनाई न लगी हो तो पाक है मगर सुवर की हड्डी से मुत्लकन नापाक हो जाएगा।⁽⁸⁾

1..... "غنية المتملي"، فصل في البئر، ص ١٥٩.

2..... "الحديقة الندية" و "الطريقة المحمدية"، الصنف الثاني من الصنفين، ج ٢، ص ١٧٤. و "الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٢٨٢ - ٢٨٣.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضؤ، ج ١، ص ٢٤. 4..... المرجع السابق.

5..... "الهداية" و "العناية"، كتاب الطهارات، الباب الثالث، ج ١، ص ٧٤. 6..... "غنية المتملي"، فصل في أحكام الحيض، ص ١٠٣.

7..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٤.

8..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٤.

मस्अला 31 — जिस कूएं का पानी नापाक हो गया उस में से जितना पानी निकालने का हुक्म है निकाल लिया गया तो अब वोह रस्सी डोल जिस से पानी निकाला है पाक हो गया, धोने की ज़रूरत नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 32 — कुल पानी निकालने के येह माना हैं कि इतना पानी निकाल लिया जाए कि अब डोल डालें तो आधा भी न भरे, उस की मिट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं न दीवार धोने की हाजत, कि वोह पाक हो गई।⁽²⁾

मस्अला 33 — येह जो हुक्म दिया गया है कि इतना इतना पानी निकाला जाए उस का येह मतलब है कि वोह चीज़ जो उस में गिरी है उस को उस में से निकाल लें फिर इतना पानी निकालें, अगर वोह उसी में पड़ी रही तो कितना ही पानी निकालें, बेकार है।⁽³⁾

मस्अला 34 — और अगर वोह सड़ गल कर मिट्टी हो गई या वोह चीज़ खुद नजिस न थी बल्कि किसी नजिस चीज़ के लगने से नजिस हो गई हो, जैसे नजिस कपड़ा, और उस का निकालना मुश्किल हो तो अब फ़क़त पानी निकालने से पाक हो जाएगा।⁽⁴⁾

मस्अला 35 — जिस कूएं का डोल मुअय्यन हो तो उसी का एतिबार है उस के छोटे बड़े होने का कुछ लिहाज़ नहीं और अगर उस का कोई ख़ास डोल न हो तो ऐसा हो कि एक साअ पानी उस में आ जाए।⁽⁵⁾

मस्अला 36 — डोल भरा हुवा निकलना ज़रूर नहीं, अगर कुछ पानी छलक कर गिर गया या टपक गया मगर जितना बचा वोह आधे से ज़ियादा है तो वोह पूरा ही डोल शुमार किया जाएगा।⁽⁶⁾

मस्अला 37 — डोल मुअय्यन है मगर जिस डोल से पानी निकाला वोह उस से छोटा या बड़ा है या डोल मुअय्यन नहीं और जिस से निकाला वोह एक साअ से कमो बेश है तो इन सूरतों में हिसाब कर के उस मुअय्यन या एक साअ के बराबर कर लें।⁽⁷⁾

मस्अला 38 — कूएं से मरा हुवा जानवर निकला तो अगर उस के गिरने मरने का वक़्त मालूम है तो उसी वक़्त से पानी नजिस है इस के बाद अगर किसी ने उस से वुजू या गुस्ल किया तो न वुजू हुवा न गुस्ल, उस वुजू और गुस्ल से जितनी नमाज़ें पढ़ीं सब को फेरे कि वोह नमाज़ें नहीं हुई, यूंही उस पानी से कपड़े धोए या किसी और तरीक़ से उस के बदन या कपड़े

.....¹ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ج ١، ص ٤٠٩.

.....² "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ج ١، ص ٤٠٩.

.....³ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٩.

.....⁴ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ج ١، ص ٤٠٩.⁵ "الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٢٦١.

.....⁶ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤١٧.

.....⁷ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤١٦.

में लगा तो कपड़े और बदन का पाक करना ज़रूरी है और उन से जो नमाजें पढ़ीं उन का फेरना फ़र्ज है और अगर वक़्त मालूम नहीं तो जिस वक़्त देखा गया उस वक़्त से नजिस करार पाएगा। अगर्चे फूला फटा हो इस से क़ब्ल पानी नजिस नहीं और पहले जो वुजू या गुस्ल किया या कपड़े धोए कुछ हरज नहीं तैसीरन इसी पर अमल है।⁽¹⁾

मस्अला 39

जो कूंवां ऐसा हो कि उस का पानी टूटता ही नहीं चाहे कितना ही निकालें और उस में नजासत पड़ गई या उस में कोई ऐसा जानवर मर गया जिस में कुल पानी निकालने का हुक्म है तो ऐसी हालत में हुक्म येह है कि मालूम कर लें कि उस में कितना पानी है वोह सब निकाल लिया जाए। निकालते वक़्त जितना ज़ियादा होता गया उस का कुछ लिहाज़ नहीं और येह मालूम कर लेना कि इस वक़्त कितना पानी है इस का तरीका येह है कि दो मुसलमान परहेज़ गार जिन को येह महारत हो कि पानी की चौड़ाई गहराई देख कर बता सकें कि इस कूंएं में इतना पानी है वोह जितने डोल बताएं उतने निकाले जाएं और दूसरा तरीका येह है कि उस पानी की गहराई किसी लकड़ी या रस्सी से सहीह तौर पर नाप लें और चन्द शख्स बहुत फुरती से सो¹⁰⁰ डोल मसलन निकालें फिर पानी नापें जितना कम हो उसी हिसाब से पानी निकाल लें कूंवां पाक हो जाएगा। इस की मिसाल येह है कि पहली मरतबा नापने से मालूम हुवा की पानी मसलन दस हाथ है फिर सो¹⁰⁰ डोल निकालने के बाद नापा तो नव⁹ हाथ रहा तो मालूम हुवा कि सो¹⁰⁰ डोल में एक हाथ कम हुवा तो दस¹⁰ हाथ में दस सौ¹⁰⁰⁰ यानी एक हजार डोल हुए।⁽²⁾

मस्अला 40

जो कूंवां ऐसा है कि उस का पानी टूट जाएगा मगर इस में उस के फट जाने वगैरा नुक्सानात का गुमान है तो भी इतना ही पानी निकाला जाए जितना उस वक़्त उस में मौजूद है। पानी तोड़ने की हाजत नहीं।

मस्अला 41

कूंएं से जितना पानी निकालना है इस में इख़्तियार है कि एक दम से इतना निकालें या थोड़ा थोड़ा कर के दोनों सूरत में पाक हो जाएगा।⁽³⁾

मस्अला 42

मुर्गी का ताज़ा अन्डा जिस पर हुनूज़ रतूबत लगी हो पानी में पड़ जाए तो नजिस न होगा। यूंही बकरी का बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा और मरा नहीं जब भी नापाक न होगा।⁽⁴⁾

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٠.

و "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤١٧، ٤٢٠.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٠، ١٩.

و "الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٢٩٣، ٢٩٤. ③..... "الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٢٨٩.

④..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤٠٨.

आदमी और जानवरों के झूटे का बयान

मस्अला 1 — आदमी चाहे जुनुब हो या हैजो निफ़स वाली औरत उस का झूटा पाक है। काफ़िर का झूटा भी पाक है,⁽¹⁾ मगर उस से बचना चाहिये। जैसे थूक, रीठ, खन्कार कि पाक हैं मगर इन से आदमी घिन करता है इस से बहुत बदतर काफ़िर के झूटे को समझना चाहिये।

मस्अला 2 — किसी के मुंह से इतना खून निकला कि थूक में सुर्खी आ गई और उस ने फ़ौरन पानी पिया तो ये झूटा नापाक है और सुर्खी जाती रहने के बाद उस पर लाज़िम है कि कुल्ली कर के मुंह पाक करे और अगर कुल्ली न की और चन्द बार थूक का गुज़र मौज़ए नजासत पर हुवा ख़्वाह निगलने में या थूकने में यहां तक कि नजासत का असर न रहा तो त़हारत हो गई इस के बाद अगर पानी पियेगा तो पाक रहेगा अगर्चे ऐसी सूरत में थूक निगलना सख़्त नापाक बात और गुनाह है।⁽²⁾

मस्अला 3 — शराब पी कर फ़ौरन पानी पिया तो नजिस हो गया और अगर इतनी देर ठहरा कि शराब के अज्ज़ा थूक में मिल कर हल्क़ से उतर गए तो नापाक नहीं मगर शराबी और उस के झूटे से बचना ही चाहिये।⁽³⁾

मस्अला 4 — शराब ख़्वार की मूँछें बड़ी हों कि शराब मूँछों में लगी तो जब तक उन को पाक न करे जो पानी पियेगा वोह पानी और बरतन दोनों नापाक हो जाएंगे।⁽⁴⁾

मस्अला 5 — मर्द को ग़ैर औरत का और औरत को ग़ैर मर्द का झूटा अगर मालूम हो कि फुलानी या फुलां का झूटा है बतौर लज़्ज़त खाना पीना मक्रूह है मगर उस खाने, पानी में कोई कराहत नहीं आई⁽⁵⁾ और अगर मालूम न हो कि किस का है या लज़्ज़त के तौर पर खाया पिया न गया तो कोई हरज नहीं बल्कि बाज़ सूरतों में बेहतर है जैसे बा शर्अ अ़ालिम या दीनदार पीर का झूटा कि इसे तबरूक जान कर लोग खाते पीते हैं।

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج 1، ص 23.

و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج 1، ص 24، وغيرهما.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج 1، ص 23.

و"الفتاوى الرضوية"، ج 1، ص 257، 259. و"مراقي الفلاح"، كتاب الطهارة، فصل في بيان احكام السور، ص 5.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني ج 1، ص 23.

و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، مطلب في السور، ج 1، ص 25، وغيرهما.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني ج 1، ص 23.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني ج 1، ص 23.

و"الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، مطلب في السور، ج 1، ص 24.

मस्अला 6 — जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है चौपाए हों या परिन्द उन का झूटा पाक है अगर्चे नर हों जैसे गाय, बैल, भेंस, बकरी, कबूतर, तीतर वगैरा।⁽¹⁾

मस्अला 7 — जो मुर्गी छूटी फिरती और गलीज पर मुंह डालती हो उस का झूटा मक्रूह है और बन्द रहती हो तो पाक है।⁽²⁾

मस्अला 8 — यूंही बाज गाएं जिन की आदत गलीज खाने की होती है उन का झूटा मक्रूह है और अगर अभी नजासत खाई और उस के बाद कोई ऐसी बात न पाई गई जिस से उस के मुंह की तहारत हो जाए (मसलन आबे जारी में पानी पीना या गैर जारी में तीन जगह से पीना) और इस हालत में पानी में मुंह डाल दिया तो नापाक हो गया। इसी तरह अगर बैल, भेंसे, बकरे नरों ने हस्बे आदत मादा का पेशाब सूंघा और इस से उन का मुंह नापाक हुवा और निगाह से गाइब न हुए न इतनी देर गुजरी जिस में तहारत हो जाती तो उन का झूटा नापाक है और अगर चार पानियों में मुंह डालें तो पहले तीन नापाक चौथा पाक।⁽³⁾

मस्अला 9 — घोड़े का झूटा पाक है।⁽⁴⁾

मस्अला 10 — सुवर, कुत्ता, शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और दूसरे दरिन्दों का झूटा नापाक है।⁽⁵⁾

मस्अला 11 — कुत्ते ने बरतन में मुंह डाला तो अगर वोह चीनी या धात का है या मिट्टी का रोगनी या इस्तिमाली चिकना तो तीन बार धोने से पाक हो जाएगा वरना हर बार सुखा कर। हां चीनी में बाल हो या और बरतन में दरार हो तो तीन बार सुखा कर पाक होगा फ़क़त धोने से पाक न होगा।⁽⁶⁾

मस्अला 12 — मटके को कुत्ते ने ऊपर से चाटा उस में का पानी नापाक न होगा।⁽⁷⁾

मस्अला 13 — उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज, बहरी, चील वगैरा का झूटा मक्रूह है और येही हुक्म कव्वे का है और अगर इन को पाल कर शिकार के लिये सिखा लिया हो और चोंच में नजासत न लगी हो तो उस का झूटा पाक है।⁽⁸⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج 1، ص 23.

2..... المرجع السابق، و "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، مطلب في السور،

3..... المرجع السابق.

ج 1، ص 425.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج 1، ص 23.

5..... المرجع السابق، ص 24. 6..... "الفتاوى الرضوية"، كتاب الطهارة، باب الانحسار، ج 4، ص 559.

7..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج 1، ص 24. 8..... المرجع السابق.

मस्अला 14 ✽ घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का झूटा मकरूह है।⁽¹⁾

मस्अला 15 ✽ अगर किसी का हाथ बिल्ली ने चाटना शुरू किया तो चाहिये कि फौरन खींच ले यूँही छोड़ देना कि चाटती रहे मकरूह है और चाहिये कि हाथ धो डाले बे धोए अगर नमाज़ पढ़ ली तो हो गई मगर ख़िलाफ़े औला हुई।⁽²⁾

मस्अला 16 ✽ बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन बरतन में मुंह डाल दिया तो नापाक हो गया और अगर ज़बान से मुंह चाट लिया कि खून का असर जाता रहा तो नापाक नहीं।⁽³⁾

मस्अला 17 ✽ पानी के रहने वाले जानवर का झूटा पाक है ख़्वाह उन की पैदाइश पानी में हो या नहीं।⁽⁴⁾

मस्अला 18 ✽ गधे, ख़च्चर का झूटा मश्कूक है यानी उस के क़बिले वुजू होने में शक है, व लिहाज़ा उस से वुजू नहीं हो सकता कि हृदसे मुतयक्कन त़हारते मश्कूक से ज़ाइल न होगा।⁽⁵⁾

मस्अला 19 ✽ जो झूटा पानी पाक है उस से वुजू और गुस्ल जाइज़ हैं मगर जुनुब ने बिगैर कुल्ली किये पानी पिया तो उस झूटे पानी से वुजू ना जाइज़ है कि वोह मुस्तामल हो गया।

मस्अला 20 ✽ अच्छा पानी होते हुए मकरूह पानी से वुजू व गुस्ल मकरूह और अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं तो कोई हरज नहीं इसी तरह मकरूह झूटे का खाना पीना भी मालदार को मकरूह है। ग़रीब मोहताज को बिला कराहत जाइज़।⁽⁶⁾

मस्अला 21 ✽ अच्छा पानी होते हुए मश्कूक से वुजू व गुस्ल जाइज़ नहीं और अगर अच्छा पानी न हो तो उसी से वुजू व गुस्ल कर ले और तयम्मूम भी और बेहतर येह है कि वुजू पहले कर ले और अगर अक्स किया यानी पहले तयम्मूम किया फिर वुजू जब भी हरज नहीं और इस सूरत में वुजू और गुस्ल में निय्यत करनी ज़रूर और अगर वुजू किया और तयम्मूम न किया या तयम्मूम किया और वुजू न किया तो नमाज़ न होगी।⁽⁷⁾

मस्अला 22 ✽ मश्कूक झूटे का खाना पीना नहीं चाहिये।⁽⁸⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٤.

و "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، مطلب في السور، ج ١، ص ٤٢٦.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٤.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٤.

4..... المرجع السابق، ص ٢٣، و "التبيين الحقائق"، ج ١، ص ١٠٥.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٤.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٤.

7..... المرجع السابق. 8..... "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٢٣٥.

मस्अला 23 — मश्कूक पानी अच्छे पानी में मिल गया तो अगर अच्छा ज़ियादा है तो उस से वुजू हो सकता है वरना नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 24 — जिस का झूटा नापाक है उस का पसीना और लुआब भी नापाक है और जिस का झूटा पाक उस का पसीना और लुआब भी पाक और जिस का झूटा मकरूह उस का लुआब और पसीना भी मकरूह।⁽²⁾

मस्अला 25 — गधे, खच्चर का पसीना अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है चाहे कितना ही ज़ियादा लगा हो।⁽³⁾

तयम्मूम का बयान

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ इरशाद फ़रमाता है :

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْمَاءِ أَوْ لَسْتُمْ عَلَىٰ الْمَاءِ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ﴾⁽⁴⁾

यानी अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में का कोई पाख़ाना से आया या औरतों से मुबाशरत की (जिमाअ किया) और पानी न पाओ तो पाक मिट्टी का क़स्द करो तो अपने मुंह और हाथों का उस से मस्ह करो।

हदीस 1 — सहीह बुख़ारी में ब रिवायते उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीक़ा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا मरवी, फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के साथ एक सफ़र में गए यहां तक कि जब बैदा या ज़ातुल जैश⁽⁵⁾ में हुए। मेरी हैकल टूट गई।⁽⁶⁾ रसूलुल्लाह صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने उस की तलाश के लिये इक़ामत फ़रमाई और लोगों ने भी हुज़ूर के साथ इक़ामत की और न वहां पानी था न लोगों के साथ पानी था। लोगों ने हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के पास आ कर अर्ज़ की क्या आप नहीं देखते कि सिद्दीक़ा ने क्या किया ! हुज़ूर को और सब को ठहरा लिया और न यहां पानी है न लोगों के हमराह है। फ़रमाती हैं कि अबू बक्र रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ आए और हुज़ूर अपना सरे मुबारक मेरे ज़ानू पर रख कर आराम फ़रमा रहे थे और फ़रमाया : तू ने रसूलुल्लाह صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ और लोगों को रोक लिया। हालां कि न यहां पानी है न लोगों के हमराह है। उम्मुल मुअमिनीन फ़रमाती हैं कि मुझे पर इताब किया और जो चाहा अल्लाह ने उन्होंने ने कहा और अपने हाथ से मेरी कोख में कोंचना शुरू किया और मुझे हरकत करने से कोई चीज़ मानेअ न थी मगर हुज़ूर का मेरे ज़ानू पर आराम फ़रमाना तो जब सुब्ह हुई ऐसी

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٤.

②..... المرجع السابق، ص ٢٣. ③..... المرجع السابق. ④..... ٦: پ، المائدة: ٦.

⑤..... बैदा और ज़ातुल जैश येह दोनों दो जगह के नाम हैं। 12 ⑥..... यानी मेरा हार टूट कर गिर पड़ा।

जगह जहां पानी न था हुजूर उठे। अल्लाह तआला ने तयम्मुम की आयत नाज़िल फ़रमाई और लोगों ने तयम्मुम किया इस पर उसैद बिन हुज़ैर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने कहा कि ऐ आले अबू बक्र ! येह तुम्हारी पहली बरकत नहीं (यानी ऐसी बरकतें तुम से होती ही रहती हैं) फ़रमाती हैं जब मेरी सुवारी का ऊंट उठाया गया वोह हैकल उस के नीचे मिली।⁽¹⁾

हदीस 2— सहीह मुस्लिम शरीफ़ में ब रिवायते हुज़ैफ़ा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ मरवी, हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ इरशाद फ़रमाते हैं : मिन जुम्ला उन बातों के जिन से हम को लोगों पर फ़ज़ीलत दी गई येह तीन बातें हैं।

(1) हमारी सफ़ें मलाएका की सफ़ों के मिस्ल की गई और

(2) हमारे लिये तमाम ज़मीन मस्जिद कर दी गई और

(3) जब हम पानी न पाएं ज़मीन की खाक हमारे लिये पाक करने वाली बनाई गई।⁽²⁾

हदीस 3— इमाम अहमद व अबू दावूद व तिरमिज़ी अबू ज़र رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, हुज़ूर सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया कि पाक मिट्टी मुसलमान का वुजू है अगर्चे दस बरस पानी न पाए और जब पानी पाए तो अपने बदन को पहुंचाए (गुस्ल व वुजू करे) कि येह उस के लिये बेहतर है।⁽³⁾

हदीस 4— अबू दावूद व दारिमी ने अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की फ़रमाते हैं : दो शख्स सफ़र में गए और नमाज़ का वक़्त आया उन के साथ पानी न था। पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली फिर वक़्त के अन्दर पानी मिल गया उन में एक साहिब ने वुजू कर के नमाज़ का इआदा किया और दूसरे ने इआदा न किया फिर जब ख़िदमते अक्दस में हाज़िर हुए इस का ज़िक्र किया तो जिस ने इआदा न किया था उस से फ़रमाया कि तू सुन्नत को पहुंचा और तेरी नमाज़ हो गई और जिस ने वुजू कर के इआदा किया था उस से फ़रमाया तुझे दूना सवाब है।⁽⁴⁾

हदीस 5— सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में इमरान رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी, फ़रमाते हैं : हम एक सफ़र में नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के हमराह थे हुज़ूर ने नमाज़ पढ़ाई जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए मुलाहज़ा फ़रमाया कि एक शख्स लोगों से अलग बैठा हुवा है जिस ने क़ौम के साथ नमाज़ न पढ़ी। फ़रमाया : ऐ शख्स तुझे क़ौम के साथ नमाज़ पढ़ने से क्या शै मानेअ आई। अर्ज़ की मुझे नहाने की हाज़त है और पानी नहीं है। इरशाद फ़रमाया : मिट्टी को ले कि वोह तुझे काफ़ी है।⁽⁵⁾

..... ① "صحیح البخاری"، کتاب التیمم، باب التیمم، الحدیث: ۳۳۴، ج ۱، ص ۱۳۳.

..... ② "صحیح مسلم"، کتاب المساجد... إلخ، باب المساجد ومواضع الصلاة، الحدیث: ۵۲۲، ص ۲۶۵.

..... ③ "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حدیث أبي ذر الغفاري، الحدیث: ۲۱۴۲۹، ج ۸، ص ۸۶.

..... ④ "سنن أبي داود"، کتاب الطهارة، باب التیمم بعد الماء بعد ما یصلی فی الوقت، الحدیث: ۳۳۸، ج ۱، ص ۱۵۵.

..... ⑤ "صحیح البخاری"، کتاب التیمم، باب الصعیذ الطوب... إلخ، الحدیث: ۳۴۴، ج ۱، ص ۱۳۶.

हदीस 6 — सहीहैन में अबू जुहैम बिन हारिस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी, नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ बीरे जमल⁽¹⁾ की जानिब से तशरीफ ला रहे थे। एक शख्स ने हुजूर को सलाम किया, उस का जवाब न दिया यहां तक कि एक दीवार की जानिब मुतवज्जेह हुए और मुंह और हाथों का मस्ह फ़रमाया फिर उस के सलाम का जवाब दिया।⁽²⁾

तयम्मुम के मशाइल

मश्वला 1 — जिस का वुजू न हो या नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत न हो तो वुजू व गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। पानी पर कुदरत न होने की चन्द सूरतें हैं : (1) ऐसी बीमारी हो कि वुजू या गुस्ल से उस के ज़ियादा होने या देर में अच्छा होने का सहीह अन्देशा हो ख़्वाह यूं कि उस ने खुद आजमाया हो कि जब वुजू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है या यूं कि किसी मुसलमान अच्छे लाइक हकीम ने जो ज़ाहिरन फ़ासिक न हो कह दिया हो कि पानी नुक़सान करेगा।⁽³⁾

मश्वला 2 — महज़ ख़याल ही ख़याल बीमारी बढ़ने का हो तो तयम्मुम जाइज़ नहीं। यूं ही काफ़िर या फ़ासिक या मामूली तबीब के कहने का एतिबार नहीं।

मश्वला 3 — और अगर पानी बीमारी को नुक़सान नहीं करता मगर वुजू या गुस्ल के लिये हरकत ज़रूर करती हो या खुद वुजू नहीं कर सकता और कोई ऐसा भी नहीं जो वुजू करा दे तो तयम्मुम करे। यूंही किसी के हाथ फट गए कि खुद वुजू नहीं कर सकता और कोई ऐसा भी नहीं जो वुजू करा दे तो तयम्मुम करे।⁽⁴⁾

मश्वला 4 — बे वुजू के अक्सर आज़ाए वुजू में या जुनुब के अक्सर बदन में ज़ख़्म हो या चेचक निकली हो तो तयम्मुम करे, वरना जो हिस्सा उज़्व या बदन का अच्छा हो उस को धोए और ज़ख़्म की जगह और ब वक़्ते ज़रूर उस के आस पास भी मस्ह करे और मस्ह भी ज़रूर करे तो उस उज़्व पर कपड़ा डाल कर उस पर मस्ह करे।⁽⁵⁾

मश्वला 5 — बीमारी में अगर ठन्डा पानी नुक़सान करता है और गर्म पानी नुक़सान न करे तो गर्म पानी से वुजू और गुस्ल ज़रूरी है तयम्मुम जाइज़ नहीं। हां अगर ऐसी जगह हो

①.....मदीनए मुनव्वरह में एक मक़ाम का नाम है। 12

②.....”صحيح البخاري“، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر... إلخ، الحديث: ٣٣٧، ج ١، ص ١٣٤.

③.....”الفتاوى الهندية“، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٨. ④..... المرجع السابق.

⑤.....”الفتاوى الهندية“، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٨.

و”الدرا المختار“ و”ردالمحتار“، كتاب الطهارة، باب التيمم، مطلب في فاقد الطهورين، ج ١، ص ٤٨١.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दावते इस्लामी)

कि गर्म पानी न मिल सके तो तयम्मुम करे। यूँही अगर ठण्डे वक़्त में वुजू या गुस्ल नुक्सान करता है और गर्म वक़्त में नहीं तो ठण्डे वक़्त तयम्मुम करे फिर जब गर्म वक़्त आए तो आइन्दा नमाज़ के लिये वुजू कर लेना चाहिये जो नमाज़ उस तयम्मुम से पढ़ ली उस के इआदे की हाज़त नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 6 — अगर सर पर पानी डालना नुक्सान करता है तो गले से नहाए और पूरे सर का मसह करे।

(2) वहां चारों तरफ़ एक एक मील तक पानी का पता नहीं।

मस्अला 7 — अगर येह गुमान हो कि एक मील के अन्दर पानी होगा तो तलाश कर लेना ज़रूरी है। बिना तलाश किये तयम्मुम जाइज़ नहीं फिर बिगैर तलाश किये तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली और तलाश करने पर पानी मिल गया तो वुजू कर के नमाज़ का इआदा लाज़िम है और अगर न मिला तो हो गई।⁽²⁾

मस्अला 8 — अगर ग़ालिब गुमान येह है कि मील के अन्दर पानी नहीं है तो तलाश करना ज़रूरी नहीं फिर अगर तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली और न तलाश किया न कोई ऐसा है जिस से पूछे और बाद को मालूम हुवा कि पानी यहां से करीब है तो नमाज़ का इआदा नहीं मगर येह तयम्मुम अब जाता रहा और अगर कोई वहां था मगर इस ने पूछा नहीं और बाद को मालूम हुवा कि पानी करीब है तो इआदा चाहिये।⁽³⁾

मस्अला 9 — और अगर करीब में पानी होने और न होने किसी का गुमान नहीं तो तलाश कर लेना मुस्तहब है और बिगैर तलाश किये तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली हो गई।⁽⁴⁾

मस्अला 10 — साथ में ज़मज़म शरीफ़ है जो लोगों के लिये तबरूकन लिये जा रहा है या बीमार को पिलाने के लिये और इतना है कि वुजू हो जाएगा तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।⁽⁵⁾

मस्अला 11 — अगर चाहे कि ज़मज़म शरीफ़ से वुजू न करे और तयम्मुम जाइज़ हो जाए तो इस का तरीका येह है कि किसी ऐसे शख्स को जिस पर भरोसा हो कि फिर दे देगा वोह पानी हिबा कर दे और उस का कुछ बदला ठहराए तो अब तयम्मुम जाइज़ हो जाएगा।⁽⁶⁾

मस्अला 12 — जो न आबादी में हो न आबादी के करीब और उस के हमराह पानी मौजूद है और याद न रहा और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली हो गई और अगर आबादी या आबादी

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 28.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 29.

3..... المرجع السابق. 4..... المرجع السابق.

5..... "الفتاوى التاتارية"، كتاب الطهارة، الفصل الخامس في التيمم، نوع آخر في بيان شرائطهم، ج 1، ص 234.

6..... "الدرا المختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، مطلب في فاقد الطهورين، ج 1، ص 470.

के करीब में हो तो इआदा करे।⁽¹⁾

मस्अला 13

अगर अपने साथी के पास पानी है और येह गुमान है कि मांगने से दे देगा तो मांगने से पहले तयम्मुम जाइज़ नहीं फिर अगर नहीं मांगा और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली और बादे नमाज़ मांगा और उस ने दे दिया या बे मांगे उस ने खुद दे दिया तो वुजू कर के नमाज़ का इआदा लाज़िम है और अगर मांगा और न दिया तो नमाज़ हो गई और अगर बाद को भी न मांगा जिस से देने न देने का हाल खुलता और न उस ने खुद दिया तो नमाज़ हो गई और अगर देने का ग़ालिब गुमान नहीं और तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली जब भी येही सूरतें हैं कि बाद को पानी दे दिया तो वुजू कर के नमाज़ का इआदा करे वरना हो गई।⁽²⁾

मस्अला 14

नमाज़ पढ़ते में किसी के पास पानी देखा और गुमान ग़ालिब है कि दे देगा तो चाहिये कि नमाज़ तोड़ दे और उस से पानी मांगे और अगर नहीं मांगा और पूरी कर ली अब उस ने खुद या इस के मांगने पर दे दिया तो इआदा लाज़िम है और न दे तो हो गई और अगर देने का गुमान न था और नमाज़ के बाद उस ने खुद दे दिया या मांगने से दिया जब भी इआदा करे और अगर उस ने न खुद दिया न इस ने मांगा कि हाल मालूम होता तो नमाज़ हो गई और अगर नमाज़ पढ़ते में उस ने खुद कहा कि पानी लो वुजू कर लो और वोह कहने वाला मुसलमान है तो नमाज़ जाती रही तोड़ देना फ़र्ज़ है और कहने वाला काफ़िर है तो न तोड़े फिर नमाज़ के बाद अगर उस ने पानी दे दिया तो वुजू कर के इआदा कर ले।⁽³⁾

मस्अला 15

और अगर येह गुमान है कि मील के अन्दर तो पानी नहीं मगर एक मील से कुछ ज़ियादा फ़ासिले पर मिल जाएगा तो मुस्तहब है कि नमाज़ के आख़िर वक्ते मुस्तहब तक ताख़ीर करे यानी अस् व मग़रिब व इशा में इतनी देर न करे कि वक्ते कराहत आ जाए। अगर ताख़ीर न की और तयम्मुम कर के पढ़ ली तो हो गई।

(3) इतनी सदी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का क़वी अन्देशा हो और लिहाफ़ वग़ैरा कोई ऐसी चीज़ इस के पास नहीं जिसे नहाने के बाद ओढ़े और सदी के ज़रूर से बचे न आग है जिसे ताप सके तो तयम्मुम जाइज़ है।

(4) दुश्मन का ख़ौफ़ कि अगर उस ने देख लिया तो मार डालेगा या माल छीन लेगा या इस ग़रीब नादार का क़र्ज़ ख़्वाह है कि इसे कैद करा देगा या उस तरफ़ सांप है वोह काट

① "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، مطلب في الفرق بين الظن وغلبة الظن، ج ١، ص ٤٦٧.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٩.

و "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، مطلب في الفرق... إلخ، ج ١، ص ٤٦٨، ٤٧٢.

③ "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، و "خلاصة الفتاوى"، كتاب الطهارات، ج ١، ص ٣٣.

खाएगा या शेर है कि फाड़ खाएगा या कोई बदकार शख्स है और येह औरत या अम्द है जिस को अपनी बे आबरूई का गुमाने सहीह है तो तयम्मुम जाइज है।⁽¹⁾

मस्अला 16 अगर ऐसा दुश्मन है कि वैसे उस से कुछ न बोलेगा मगर कहता है कि वुजू के लिये पानी लोगे तो मार डालूंगा या कैद करा दूंगा तो इस सूरत में हुक्म येह है कि तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले फिर जब मौक़अ मिले तो वुजू कर के इआदा कर ले।⁽²⁾

मस्अला 17 कैदी को कैदख़ाने वाले वुजू न करने दें तो तयम्मुम कर के पढ़ ले और इआदा करे और अगर वोह दुश्मन या कैदख़ाने वाले नमाज़ भी न पढ़ने दें तो इशारे से पढ़े फिर इआदा करे।⁽³⁾

(5) जंगल में डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे तो तयम्मुम जाइज है।⁽⁴⁾

मस्अला 18 अगर हमराही के पास डोल रस्सी है वोह कहता है कि ठहर जा मैं पानी भर कर फ़ारिग़ हो कर तुझे दूंगा तो मुस्तहब है कि इन्तिज़ार करे और अगर इन्तिज़ार न किया और तयम्मुम कर के पढ़ ली हो गई।⁽⁵⁾

मस्अला 19 रस्सी छोटी है कि पानी तक नहीं पहुंचती मगर उस के पास कोई कपड़ा (रूमाल, इमामा, दोपट्टा वगैरा) ऐसा है कि उस के जोड़ने से पानी मिल जाएगा तो तयम्मुम जाइज नहीं।⁽⁶⁾

(6) प्यास का खौफ़ यानी इस के पास पानी है मगर वुजू या गुस्ल के सर्फ़ में लाए तो खुद या दूसरा मुसलमान या अपना या उस का जानवर अगर्चे वोह कुत्ता जिस का पालना जाइज है प्यासा रह जाएगा और अपनी या उन में किसी की प्यास ख़्वाह फ़िल हाल मौजूद हो या आइन्दा इस का सहीह अन्देशा हो कि वोह राह ऐसी है कि दूर तक पानी का पता नहीं तो तयम्मुम जाइज है।⁽⁷⁾

मस्अला 20 पानी मौजूद है मगर आटा गूंधने की ज़रूरत है जब भी तयम्मुम जाइज है शोरबे की ज़रूरत के लिये जाइज नहीं।⁽⁸⁾

मस्अला 21 बदन या कपड़ा इस क़दर नजिस है जो मानेए जवाजे नमाज़ है और पानी सिर्फ़ इतना है कि चाहे वुजू करे या उस को पाक कर ले दोनों काम नहीं हो सकते तो पानी से

1..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج 1، ص 444.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 28.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 28.

4..... المرجع السابق. 5..... المرجع السابق. 6..... المرجع السابق.

7..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 28.

و "الدرا المختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج 1، ص 445.

8..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 28.

उस को पाक कर ले फिर तयम्मुम करे और अगर पहले तयम्मुम कर लिया इस के बाद पाक किया तो अब फिर तयम्मुम करे कि पहला तयम्मुम न हुवा।⁽¹⁾

मस्अला 22 मुसाफिर को राह में कहीं रखा हुवा पानी मिला तो अगर कोई वहां है तो उस से दरयाफ्त कर ले अगर वोह कहे कि सिर्फ पीने के लिये है तो तयम्मुम करे वुजू जाइज नहीं चाहे कितना ही हो और अगर उस ने कहा कि पीने के लिये भी है और वुजू के लिये भी तो तयम्मुम जाइज नहीं और अगर कोई ऐसा नहीं जो बता सके और पानी थोड़ा हो तो तयम्मुम करे और ज़ियादा हो तो वुजू करे।⁽²⁾

(7) पानी गिरा होना यानी वहां के हिसाब से जो कीमत होनी चाहिये उस से दो चन्द मांगता है तो तयम्मुम जाइज है और अगर कीमत में इतना फर्क नहीं तो तयम्मुम जाइज नहीं।⁽³⁾

मस्अला 23 पानी मोल मिलता है और इस के पास हाजते जरूरिय्या से ज़ियादा दाम नहीं तो तयम्मुम जाइज है।⁽⁴⁾

(8) येह गुमान कि पानी तलाश करने में काफ़िला नज़रों से ग़ाइब हो जाएगा या रेल छूट जाएगी।⁽⁵⁾

(9) येह गुमान कि वुजू या गुस्ल करने में ईदैन की नमाज़ जाती रहेगी ख़्वाह यूं कि इमाम पढ़ कर फ़ारिग हो जाएगा या ज़वाल का वक़्त आ जाएगा दोनों सूरतों में तयम्मुम जाइज है।⁽⁶⁾

मस्अला 24 वुजू कर के ईदैन की नमाज़ पढ़ रहा था अस्नाए नमाज़ में बे वुजू हो गया और वुजू करेगा तो वक़्त जाता रहेगा या जमाअत हो चुकेगी तो तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले।⁽⁷⁾

मस्अला 25 गहन की नमाज़ के लिये भी तयम्मुम जाइज है जब कि वुजू करने में गहन खुल जाने या जमाअत हो जाने का अन्देशा हो।⁽⁸⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ج 1، ص 29.

2..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج 1، ص 29.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 29.

و "الفتاوى الرضوية"، ج 3، ص 414.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 29.

5..... "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج 1، ص 243، و "الفتاوى الرضوية"، ج 3، ص 417.

6..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج 1، ص 406.

7..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ج 1، ص 31.

8..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج 1، ص 407.

मस्अला 26 — वुजू में मशगूल होगा तो जोहर या मगरिब या इशा या जुमुआ की पिछली सुन्नतों का या नमाजे चाश्त⁽¹⁾ का वक़्त जाता रहेगा तो तयम्मुम कर के पढ़ ले।⁽²⁾

(10) ग़ैरे वली को नमाजे जनाज़ा फ़ौत हो जाने का ख़ौफ़ हो तो तयम्मुम जाइज़ है वली को नहीं कि इस का लोग इन्तिज़ार करेंगे और लोग बे इस की इजाज़त के पढ़ भी लें तो येह दोबारा पढ़ सकता है।⁽³⁾

मस्अला 27 — वली ने जिस को नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त दी हो उसे तयम्मुम जाइज़ नहीं और वली को इस सूरत में अगर नमाज़ फ़ौत होने का ख़ौफ़ हो तो तयम्मुम जाइज़ है। यूंही अगर दूसरा वली इस से बढ़ कर मौजूद है तो इस के लिये तयम्मुम जाइज़ है। ख़ौफ़े फ़ौत के येह माना हैं कि चारों तक्बीरें जाती रहने का अन्देशा हो और अगर येह मालूम हो कि एक तक्बीर भी मिल जाएगी तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।⁽⁴⁾

मस्अला 28 — एक जनाजे के लिये तयम्मुम किया और नमाज़ पढ़ी फिर दूसरा जनाज़ा आया अगर दरमियान में इतना वक़्त मिला कि वुजू करता तो कर लेता मगर न किया और अब वुजू करे तो नमाज़ हो चुकेगी तो इस के लिये अब दोबारा तयम्मुम करे और अगर इतना वक़फ़ा न हो कि वुजू कर सके तो वोही पहला तयम्मुम काफ़ी है।⁽⁵⁾

मस्अला 29 — सलाम का जवाब देने या दुरूद शरीफ़ वग़ैरा वज़ाइफ़ पढ़ने या सोने या बे वुजू को मस्जिद में जाने या ज़बानी कुरआन पढ़ने के लिये तयम्मुम जाइज़ है अगरचे पानी पर कुदरत हो।

मस्अला 30 — जिस पर नहाना फ़र्ज़ है उसे बिग़ैर ज़रूरत मस्जिद में जाने के लिये तयम्मुम जाइज़ नहीं हां अगर मजबूरी हो जैसे डोल रस्सी मस्जिद में हो और कोई ऐसा नहीं जो ला दे तो तयम्मुम कर के जाए और जल्द से जल्द ले कर निकल आए।⁽⁶⁾

①.....मुजहिदे आजम, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : “पानी न होने की हालत में बे वुजू ने मस्जिद में ज़िक्र के लिये बैठने बल्कि मस्जिद में सोने के लिये (कि सिरे से इबादत ही नहीं) या पानी होते हुए सज्दए तिलावत या सज्दए शुक्र या मसे मुस्हफ़ या बा वुजूदे वुस्अते वक़्त नमाजे पंजगाना या जुमुआ या जुनुब ने तिलावते कुरआन के लिये तयम्मुम किया, लगव व बातिल व ना जाइज़ होगा कि इन में से कोई बे बदल फ़ौत न होता था, यूंही हमारी तहक़ीक़ पर तहज्जुद या चाश्त या चांद गहन की नमाज़ के लिये, अगरचे इन का वक़्त जाता हो कि येह नफ़ल हैं सुन्ते मुअक्कदा नहीं तो बा वुजूदे आब (यानी पानी की मौजूदगी में) ज़ियारते कुबूर या इयादते मरीज़ या सोने के लिये तयम्मुम ब दरजए औला लगव है।” (५०७, ३, ज, ५०७).

②.....”الدرا المختار” و ”ردالمحتار”، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ١، ص ٤٥٧.

③.....”الفتاوى الهندية”، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ج ١، ص ٣١.

④..... المرجع السابق، وغيره. ⑤..... المرجع السابق. ⑥.....”الفتاوى الرضوية”، ج ١، ص ٧٩١.

मस्अला 31 ✽ मस्जिद में सोया था और नहाने की ज़रूरत हो गई तो आंख खुलते ही जहां सोया था वहीं फौरन तयम्मूम कर के निकल आए⁽¹⁾ ताख़ीर हाराम है।⁽²⁾

मस्अला 32 ✽ कुरआने मजीद छूने के लिये या सज्दए तिलावत या सज्दए शुक्र के लिये तयम्मूम जाइज़ नहीं जब कि पानी पर कुदरत हो।⁽³⁾

मस्अला 33 ✽ वक़्त इतना तंग हो गया कि वुजू या गुस्ल करेगा तो नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी तो चाहिये कि तयम्मूम कर के नमाज़ पढ़ ले फिर वुजू या गुस्ल कर के इअ़दा करना लाज़िम है।⁽⁴⁾

मस्अला 34 ✽ औरत हैज़ो निफ़ास से पाक हुई और पानी पर क़ादिर नहीं तो तयम्मूम करे।⁽⁵⁾

मस्अला 35 ✽ मुर्दे को अगर गुस्ल न दे सकें ख़्वाह इस वजह से कि पानी नहीं या इस वजह से कि उस के बदन को हाथ लगाना जाइज़ नहीं जैसे अजनबी औरत या अपनी औरत कि मरने के बाद उसे छू नहीं सकता तो उसे तयम्मूम कराया जाए, ग़ैर महरम को अगर्चे शौहर हो औरत को तयम्मूम कराने में कपड़ा हाइल होना चाहिये।⁽⁶⁾

मस्अला 36 ✽ जुनुब और हाइज़ और मय्यित और बे वुजू ये सब एक जगह हैं और किसी ने इतना पानी जो गुस्ल के लिये काफ़ी है ला कर कहा जो चाहे खर्च करे तो बेहतर यह है कि जुनुब उस से नहाए और मुर्दे को तयम्मूम कराया जाए और दूसरे भी तयम्मूम करें और अगर कहा कि इस में तुम सब का हिस्सा है और हर एक को उस में इतना हिस्सा मिला जो उस के काम के लिये पूरा नहीं तो चाहिये कि मुर्दे के गुस्ल के लिये अपना अपना हिस्सा दे दें और सब तयम्मूम करें।⁽⁷⁾

मस्अला 37 ✽ दो शख्स बाप बेटे हैं और किसी ने इतना पानी दिया कि उस से एक का

①.....हां जो शख्स ऐन कनारए मस्जिद में हो कि पहले ही क़दम में ख़ारिज हो जाए जैसे दरवाज़े या हुज़रे या ज़मीन पेशे हुज़रा (यानी हुज़रे के सामने वाली ज़मीन) के मुत्तसिल सोता था और एहतिलांम हुवा या जनाबत याद न रही और मस्जिद में एक ही क़दम रखा था, इन सूरीतों में फ़ौरन एक क़दम रख कर बाहर हो जाए कि इस ख़ुरूज (यानी निकलने में) में मुरूर फ़िल मस्जिद (यानी मस्जिद में चलना) ना होगा और जब तक तयम्मूम पूरा न हो ब ह़ाले जनाबत (यानी जनाबत की हालत में) मस्जिद में ठहरना रहेगा। (६८०, ३, ४) ("الفتاوى الرضوية", ج ३, ص ४८०)

②..... "الفتاوى الرضوية", ج ३, ص ४७९. ③..... "الفتاوى الرضوية", ج ३, ص ३०५. ④..... المرجع السابق, ص ३१०.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار", كتاب الطهارة, باب التيمم, ج १, ص ४६९.

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار", كتاب الصلاة, باب صلاة الجنابة, مطلب في قراءة عند الميت, ج ३, ص १०५, ११०.

⑦..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار", كتاب الطهارة, باب التيمم, ج १, ص ४७६.

वुजू हो सकता है तो वोह पानी बाप के सर्फ में आना चाहिये ।⁽¹⁾

मस्अला 38 अगर कोई ऐसी जगह है कि न पानी मिलता है न पाक मिट्टी कि तयम्मूम करे तो उसे चाहिये कि वक्ते नमाज़ में नमाज़ की सी सूरत बनाए यानी तमाम हरकाते नमाज़ बिना निय्यते नमाज़ बजा लाए ।

मस्अला 39 कोई ऐसा है कि वुजू करता तो पेशाब के क़तरे टपकते हैं और तयम्मूम करे तो नहीं तो उसे लाज़िम है कि तयम्मूम करे ।⁽²⁾

मस्अला 40 इतना पानी मिला जिस से वुजू हो सकता है और उसे नहाने की ज़रूरत है तो उस पानी से वुजू कर लेना चाहिये और गुस्ल के लिये तयम्मूम करे ।⁽³⁾

मस्अला 41 तयम्मूम का तरीका येह है कि दोनों हाथ की उंगलियां कुशादा कर के किसी ऐसी चीज़ पर जो ज़मीन की किस्म से हो मार कर लौट लें और ज़ियादा गर्द लग जाए तो झाड़ लें और उस से सारे मुंह का मस्ह करें फिर दूसरी मरतबा यूंही करें और दोनों हाथों का नाखुन से कोहनियों समेत मस्ह करें ।⁽⁴⁾

मस्अला 42 वुजू और गुस्ल दोनों का तयम्मूम एक ही तरह है ।⁽⁵⁾

मस्अला 43 तयम्मूम में तीन फ़र्ज हैं :

(1) **निय्यत** : अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मार कर मुंह और हाथों पर फेर लिया और निय्यत न की तयम्मूम न होगा ।⁽⁶⁾

मस्अला 44 काफ़िर ने इस्लाम लाने के लिये तयम्मूम किया उस से नमाज़ जाइज़ नहीं कि वोह उस वक्त निय्यत का अहल न था बल्कि अगर कुदरत पानी पर न हो तो सिर से तयम्मूम करे ।⁽⁷⁾

मस्अला 45 नमाज़ उस तयम्मूम से जाइज़ होगी जो पाक होने की निय्यत या किसी ऐसी इबादते मक्सूदा के लिये किया गया हो जो बिना त़हारत जाइज़ न हो तो अगर मस्जिद में जाने या निकलने या कुरआने मजीद छूने या अज़ानो इक़ामत (येह सब इबादते मक्सूदा नहीं) या सलाम करने या सलाम का जवाब देने या ज़ियारते कुबूर या दफ़ने मय्यित या बे वुजू ने कुरआने मजीद पढ़ने (इन सब के लिये त़हारत शर्त नहीं) के लिये तयम्मूम किया हो तो इस से नमाज़ जाइज़ नहीं

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ج 1، ص 30.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ج 1، ص 31.

3..... "الفتاوى التاتارخانية"، كتاب الطهارة، الفصل الخامس في التيمم، ج 1، ص 255.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ج 1، ص 30.

5..... "الجوهرة النيرة"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ص 28. 6..... "الفتاوى الرضوية"، ج 3، ص 373.

7..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 26.

बल्कि जिस के लिये किया गया उस के सिवा कोई इबादत भी जाइज नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 46 जुनुब ने कुरआने मजीद पढ़ने के लिये तयम्मुम किया हो तो उस से नमाज पढ़ सकता है सज्दए शुक्र की निय्यत से जो तयम्मुम किया हो उस से नमाज न होगी।

मस्अला 47 दूसरे को तयम्मुम का तरीका बताने के लिये जो तयम्मुम किया उस से भी नमाज जाइज नहीं।⁽²⁾

मस्अला 48 नमाजे जनाजा या ईदैन या सुन्नतों के लिये इस गरज से तयम्मुम किया हो कि वुजू में मशगूल होगा तो येह नमाजे फ़ौत हो जाएंगी तो इस तयम्मुम से उस खास नमाज के सिवा कोई दूसरी नमाज जाइज नहीं।⁽³⁾

मस्अला 49 नमाजे जनाजा या ईदैन के लिये तयम्मुम इस वजह से किया कि बीमार था या पानी मौजूद न था तो इस से फ़र्ज नमाज और दीगर इबादतें सब जाइज हैं।

मस्अला 50 सज्दए तिलावत के तयम्मुम से भी नमाजे जाइज हैं।⁽⁴⁾

मस्अला 51 जिस पर नहाना फ़र्ज है उसे येह जरूर नहीं कि गुस्ल और वुजू दोनों के लिये दो तयम्मुम करे बल्कि एक ही में दोनों की निय्यत कर ले दोनों हो जाएंगे और अगर सिर्फ गुस्ल या वुजू की निय्यत की जब भी काफी है।

मस्अला 52 बीमार या बे दस्तो पा अपने आप तयम्मुम नहीं कर सकता तो उसे कोई दूसरा शख्स तयम्मुम करा दे और उस वक्त तयम्मुम कराने वाले की निय्यत का एतिबार नहीं बल्कि उस की निय्यत चाहिये जिसे कराया जा रहा है।⁽⁵⁾

(2) सारे मुंह पर हाथ फेरना : इस तरह कि कोई हिस्सा बाकी रह न जाए अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तयम्मुम न हुवा।⁽⁶⁾

मस्अला 53 दाढ़ी और मूंछों और भवों के बालों पर हाथ फिर जाना जरूरी है। मुंह कहां से कहां तक है इस को हम ने वुजू में बयान कर दिया भवों के नीचे और आंखों के ऊपर जो जगह है और नाक के हिस्से जेरीं का खयाल रखें कि अगर खयाल न रखेंगे तो इन पर हाथ न फिरेगा और तयम्मुम न होगा।⁽⁷⁾

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٦.

②..... المرجع السابق. ③..... "الدرا المختار" و"رد المختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ١، ص ٤٥٥، ٤٥٨.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٦.

⑤..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٦.

⑥..... "الدرا المختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ١، ص ٤٤٨.

⑦..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٦.

मस्अला 54 औरत नाक में फूल पहने हो तो निकाल ले वरना फूल की जगह बाकी रह जाएगी और नथ पहने हो जब भी खयाल रखे कि नथ की वजह से कोई जगह बाकी तो नहीं रही।

मस्अला 55 नथनों के अन्दर मस्ह करना कुछ दरकार नहीं।

मस्अला 56 होंट का वोह हिस्सा जो अ़दतन मुंह बन्द होने की हालत में दिखाई देता है उस पर भी मस्ह हो जाना ज़रूरी है तो अगर किसी ने हाथ फेरते वक़्त होंटों को जोर से दबा लिया कि कुछ हिस्सा बाकी रह गया तयम्मुम न हुवा। यूँही अगर जोर से आंखें बन्द कर लीं जब भी तयम्मुम न होगा।

मस्अला 57 मूँछ के बाल इतने बढ़ गए कि होंट छुप गया तो उन बालों को उठा कर होंट पर हाथ फेरे, बालों पर हाथ फेरना काफ़ी नहीं।

(3) दोनों हाथ का कोहनियों समेत मस्ह करना : इस में भी ये खयाल रहे कि ज़रा बराबर बाकी न रहे वरना तयम्मुम न होगा।

मस्अला 58 अंगूठी छल्ले पहने हो तो उन्हें उतार कर उन के नीचे हाथ फेरना फ़र्ज है।⁽¹⁾ औरतों को इस में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कंगन चूड़ियां जितने ज़ेवर हाथ में पहने हो सब को हटा कर या उतार कर जिल्द के हर हिस्से पर हाथ पहुंचाए इस की एहतियातें वुज़ू से बढ़ कर हैं।

मस्अला 59 तयम्मुम में सर और पाउं का मस्ह नहीं।

मस्अला 60 एक ही मरतबा हाथ मार कर मुंह और हाथों पर मस्ह कर लिया तयम्मुम न हुवा हां अगर एक हाथ से सारे मुंह का मस्ह किया और दूसरे से एक हाथ का और एक हाथ जो बच रहा उस के लिये फिर हाथ मारा और उस पर मस्ह कर लिया तो हो गया मगर ख़िलाफ़े सुन्नत है।⁽²⁾

मस्अला 61 जिस के दोनों हाथ या एक पोहंचे से कटा हो तो कोहनियों तक जितना बाकी रह गया उस पर मस्ह करे और अगर कोहनियों से ऊपर तक कट गया तो उसे बक़िय्या हाथ पर मस्ह करने की ज़रूरत नहीं फिर भी अगर उस जगह पर जहां से कट गया है मस्ह कर ले तो बेहतर है।⁽³⁾

मस्अला 62 कोई लुन्झा है या उस के दोनों हाथ कटे हैं और कोई ऐसा नहीं जो उसे तयम्मुम करा दे तो वोह अपने हाथ और रुख़सार जहां तक मुम्किन हो ज़मीन या दीवार से मस

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٦.

②..... المرجع السابق. ③..... المرجع السابق.

करे और नमाज़ पढ़े मगर वोह ऐसी हालत में इमामत नहीं कर सकता। हां उस जैसा कोई और भी है तो उस की इमामत कर सकता है।⁽¹⁾

मस्अला 63

तयम्मुम के इरादे से ज़मीन पर लौटा और मुंह और हाथों पर जहां तक ज़रूर है हर ज़र्रे पर गर्द लग गई तो हो गया, वरना नहीं और इस सूरत में मुंह और हाथों पर हाथ फेर लेना चाहिये।⁽²⁾

तयम्मुम की शुन्नतें

- (1) बिस्मिल्लाह कहना।
- (2) हाथों को ज़मीन पर मारना।
- (3) उंगलियां खुली हुई रखना।
- (4) हाथों को झाड़ लेना यानी एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारना न इस तरह कि ताली की सी आवाज़ निकले।
- (5) ज़मीन पर हाथ मार कर लौट देना।
- (6) पहले मुंह फिर हाथ का मस्ह करना।
- (7) दोनों का मस्ह पै दर पै होना।
- (8) पहले दाहने हाथ फिर बाएं का मस्ह करना।
- (9) दाढ़ी का खिलाल करना और
- (10) उंगलियों का खिलाल जब कि गुबार पहुंच गया हो और अगर गुबार न पहुंचा मसलन पथ्थर वगैरा किसी ऐसी चीज़ पर हाथ मारा जिस पर गुबार न हो तो खिलाल फ़र्ज है।

हाथों के मस्ह में बेहतर तरीका येह है कि बाएं हाथ के अंगूठे के इलावा चार उंगलियों का पेट दाहने हाथ की पुशत पर रखे और उंगलियों के सिरो से कोहनी तक ले जाए और फिर वहां से बाएं हाथ की हथेली से दाहने के पेट को मस करता हुवा गिट्टे तक लाए और बाएं अंगूठे के पेट से दाहने अंगूठे की पुशत का मस्ह करे यूंही दाहने हाथ से बाएं का मस्ह करे और एक दम से पूरी हथेली और उंगलियों से मस्ह कर लिया तयम्मुम हो गया ख़्वाह कोहनी से उंगलियों की तरफ़ लाया या उंगलियों से कोहनी की तरफ़ ले गया मगर

.....¹ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٦، وغيره.² المرجع السابق.

पहली सूत में ख़िलाफ़े सुन्नत हुवा।⁽¹⁾

मस्अला 1 अगर मस्ह करने में सिर्फ़ तीन उंगलियां काम में लाया जब भी हो गया और अगर एक या दो से मस्ह किया तयम्मूम न हुवा अगरचे तमाम उज़्ब पर उन को फेर लिया हो।

मस्अला 2 तयम्मूम होते हुए दोबारा तयम्मूम न करे।⁽²⁾

मस्अला 3 ख़िलाल के लिये हाथ मारना ज़रूरी नहीं।⁽³⁾

किस चीज़ से तयम्मूम जाइज़ है और किस से नहीं

मस्अला 1 तयम्मूम उसी चीज़ से हो सकता है जो जिन्से ज़मीन से हो और जो चीज़ ज़मीन की जिन्स से नहीं उस से तयम्मूम जाइज़ नहीं।⁽⁴⁾

मस्अला 2 जिस मिट्टी से तयम्मूम किया जाए उस का पाक होना ज़रूरी है यानी न उस पर किसी नजासत का असर हो न येह हो कि महज़ खुश्क होने से असरे नजासत जाता रहा हो।⁽⁵⁾

मस्अला 3 जिस चीज़ पर नजासत गिरी और सूख गई उस से तयम्मूम नहीं कर सकते अगरचे नजासत का असर बाक़ी न हो अलबत्ता नमाज़ उस पर पढ़ सकते हैं।⁽⁶⁾

मस्अला 4 येह वहम कि कभी नजिस हुई होगी फुज़ूल है इस का एतिबार नहीं।

मस्अला 5 जो चीज़ आग से जल कर न राख होती है न पिघलती है न नर्म होती है वोह ज़मीन की जिन्स से है उस से तयम्मूम जाइज़ है। रेत, चूना, सुर्मा, हरताल, गन्धक, मुर्दासंग, गेरू, पथ्थर, ज़बरजद, फ़ीरोज़ा, अक्कीक, जुमुरद वग़ैरा जवाहिर से तयम्मूम जाइज़ है अगरचे उन पर गुबार न हो।⁽⁷⁾

1..... "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج 1، ص 437-439.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثالث، ج 1، ص 30، وغيره.

2..... "الفتاوى الرضوية"، ج 3، ص 376.

3..... "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج 1، ص 253.

4..... "خلاصة الفتاوى"، كتاب الطهارات، الفصل الخامس في التيمم، ج 1، ص 35.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 26.

6..... المرجع السابق، ص 27، وغيره.

7..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 26-27.

मस्अला 6 पक्की ईंट, चीनी या मिट्टी के बरतन से जिस पर किसी ऐसी चीज़ की रंगत हो जो जिन्से ज़मीन से है। जैसे गेरू⁽¹⁾ खरया⁽²⁾ मिट्टी या वोह चीज़ जिस की रंगत जिन्से ज़मीन से तो नहीं मगर बरतन पर उस का ज़िर्म न हो तो इन दोनों सूरतों में उस से तयम्मुम जाइज़ है और अगर जिन्से ज़मीन से न हो और उस का ज़िर्म बरतन पर हो तो जाइज़ नहीं।

मस्अला 7 शोरह जो हुनूज़ पानी में डाल कर साफ़ न किया गया हो उस से तयम्मुम जाइज़ है, वरना नहीं।⁽³⁾

मस्अला 8 जो नमक पानी से बनता है उस से तयम्मुम जाइज़ नहीं और जो कान से निकलता है जैसे सेंधा नमक उस से जाइज़ है।⁽⁴⁾

मस्अला 9 जो चीज़ आग से जल कर राख हो जाती हो जैसे लकड़ी, घास वगैरा या पिघल जाती या नर्म हो जाती हो जैसे चांदी, सोना, तांबा, पीतल, लोहा वगैरा धातें वोह ज़मीन की जिन्स से नहीं उस से तयम्मुम जाइज़ नहीं। हां येह धातें अगर कान से निकाल कर पिघलाई न गईं कि इन पर मिट्टी के अज्ज़ा हुनूज़ बाकी हैं तो इन से तयम्मुम जाइज़ है और अगर पिघला कर साफ़ कर ली गईं और इन पर इतना गुबार है कि हाथ मारने से उस का असर हाथ में ज़ाहिर होता है तो उस गुबार से तयम्मुम जाइज़ है, वरना नहीं।⁽⁵⁾

मस्अला 10 ग़ल्ला, गेहूं, जव वगैरा और लकड़ी या घास और शीशे पर गुबार हो तो उस गुबार से तयम्मुम जाइज़ है जब कि इतना हो कि हाथ में लग जाता हो, वरना नहीं।⁽⁶⁾

मस्अला 11 मुश्को अम्बर, काफूर, लोबान से तयम्मुम जाइज़ नहीं।⁽⁷⁾

मस्अला 12 मोती और सीप और घोंगे से तयम्मुम जाइज़ नहीं अगर चें पिसे हों और इन चीज़ों के चूने से भी ना जाइज़।⁽⁸⁾

मस्अला 13 राख और सोने चांदी फ़ौलाद वगैरा के कुशतों से भी जाइज़ नहीं।⁽⁹⁾

मस्अला 14 ज़मीन या पथ्थर जल कर सियाह हो जाए उस से तयम्मुम जाइज़ है यूंही अगर पथ्थर जल कर राख हो जाए उस से भी जाइज़ है।⁽¹⁰⁾

1.....एक किस्म की लाल मिट्टी।

2.....एक किस्म की सफ़ेद मिट्टी।

3....."الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 26.

4..... المرجع السابق، ص 27. 5..... المرجع السابق. 6..... المرجع السابق.

7..... المرجع السابق. 8..... "الفتاوى الرضوية"، ج 3، ص 607. 9..... المرجع السابق، ص 606.

10..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج 1، ص 27، وغيره.

मस्अला 15 अगर खाक में राख मिल जाए और खाक ज़ियादा हो तो तयम्मूम जाइज़ है, वरना नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 16 ज़र्द, सुर्ख, सब्ज़, सियाह रंग की मिट्टी से तयम्मूम जाइज़ है⁽²⁾ मगर जब रंग छूट कर हाथ मुंह को रंगीन कर दे तो बिगैर ज़रूरते शदीदा उस से तयम्मूम करना जाइज़ नहीं और कर लिया तो हो गया।

मस्अला 17 भीगी मिट्टी से तयम्मूम जाइज़ है जब कि मिट्टी ग़ालिब हो।⁽³⁾

मस्अला 18 मुसाफ़िर का ऐसी जगह गुज़र हुवा कि सब तरफ़ कीचड़ ही कीचड़ है और पानी नहीं पाता कि वुजू या गुस्ल करे और कपड़े में भी गुबार नहीं तो उसे चाहिये कि कपड़ा कीचड़ में सान कर सुखा ले और उस से तयम्मूम करे और अगर वक्त जाता हो तो मजबूरी को कीचड़ ही से तयम्मूम कर ले जब कि मिट्टी ग़ालिब हो।⁽⁴⁾

मस्अला 19 गद्दे और दरी वगैरा में गुबार है तो उस से तयम्मूम कर सकता है अगरचें वहां मिट्टी मौजूद हो जब कि गुबार इतना हो कि हाथ फेरने से उंगलियों का निशान बन जाए।⁽⁵⁾

मस्अला 20 नजिस कपड़े में गुबार हो उस से तयम्मूम जाइज़ नहीं हां अगर उस के सूखने के बाद गुबार पड़ा तो जाइज़ है।⁽⁶⁾

मस्अला 21 मकान बनाने या गिराने में या किसी और सूरत से मुंह और हाथों पर गर्द पड़ी और तयम्मूम की निय्यत से मुंह और हाथों पर मस्ह कर लिया तयम्मूम हो गया।⁽⁷⁾

मस्अला 22 गच की दीवार पर तयम्मूम जाइज़ है।⁽⁸⁾

मस्अला 23 मस्नूई मुर्दासंग से तयम्मूम जाइज़ नहीं।⁽⁹⁾

मस्अला 24 मूंगे या उस की राख से तयम्मूम जाइज़ नहीं।⁽¹⁰⁾

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٧.

② المرجع السابق. ③ المرجع السابق. ④ المرجع السابق. ⑤ "الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٣٠٢.

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٧. ⑦ المرجع السابق.

⑧ "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ١، ص ٤٥٣. ⑨ "الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٦٥٤.

⑩ "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ١، ص ٤٥٢.

✽ मरजान (यानी मूंगे) से तयम्मूम करने के बारे में तफ़सीली मालूमात के लिये फ़तावा रज़विय्या, जि. 3, सफ़्हा : 684 ता 688 मुलाहज़ा फ़रमाइए।

मस्अला 25 जिस जगह से एक ने तयम्मूम किया दूसरा भी कर सकता है यह जो मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या ज़मीन से तयम्मूम ना जाइज़ या मकरूह है ग़लत है।⁽¹⁾

मस्अला 26 तयम्मूम के लिये हाथ ज़मीन पर मारा और मस्ह से पहले ही तयम्मूम टूटने का कोई सबब पाया गया तो उस से तयम्मूम नहीं कर सकता।⁽²⁾

तयम्मूम किन चीज़ों से टूटता है

मस्अला 1 जिन चीज़ों से वुजू टूटता है या गुस्ल वाजिब होता है उन से तयम्मूम भी जाता रहेगा और इलावा इन के पानी पर क़ादिर होने से भी तयम्मूम टूट जाएगा।⁽³⁾

मस्अला 2 मरीज़ ने गुस्ल का तयम्मूम किया था और अब इतना तन्दुरुस्त हो गया कि गुस्ल से ज़रूर न पहुंचेगा तयम्मूम जाता रहा।⁽⁴⁾

मस्अला 3 किसी ने गुस्ल और वुजू दोनों के लिये एक ही तयम्मूम किया था फिर वुजू तोड़ने वाली कोई चीज़ पाई गई या इतना पानी पाया कि जिस से सिर्फ़ वुजू कर सकता है या बीमार था और अब इतना तन्दुरुस्त हो गया कि वुजू नुक़सान न करेगा और गुस्ल से ज़रूर होगा तो सिर्फ़ वुजू के हक़ में तयम्मूम जाता रहा गुस्ल के हक़ में बाक़ी है।⁽⁵⁾

मस्अला 4 जिस हालत में तयम्मूम ना जाइज़ था अगर वोह बादे तयम्मूम पाई गई तयम्मूम टूट गया जैसे तयम्मूम वाले का ऐसी जगह गुज़र हुवा कि वहां से एक मील के अन्दर पानी है तो तयम्मूम जाता रहा। यह ज़रूर नहीं कि पानी के पास ही पहुंच जाए।

मस्अला 5 इतना पानी मिला कि वुजू के लिये काफ़ी नहीं है यानी एक मरतबा मुंह और एक एक मरतबा दोनों हाथ पाउं नहीं धो सकता तो वुजू का तयम्मूम नहीं टूटा और अगर एक एक मरतबा धो सकता है तो जाता रहा। यूंही गुस्ल के तयम्मूम करने वाले को इतना पानी मिला जिस से गुस्ल नहीं हो सकता तो तयम्मूम नहीं गया।⁽⁶⁾

① "منية المصلي"، بيان التيمم وطهارة الأرض، ص ٥٨. و "الفتاوى الرضوية"، ج ٣، ص ٧٣٨.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الأول، ج ١، ص ٢٦.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٩.

④ المرجع السابق. ⑤ المرجع السابق.

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٠.

و "الدر المختار" و "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب التيمم، ج ١، ص ٤٧٨.

मस्अला 6 — ऐसी जगह गुज़रा कि वहां से पानी क़रीब है मगर पानी के पास शेर या सांप या दुश्मन है जिस से जान या माल या आबरू का सहीह अन्देशा है या काफ़िला इन्तिज़ार न करेगा और नज़रों से गाइब हो जाएगा या सुवारी से उतर नहीं सकता जैसे रेल या घोड़ा कि इस के रोके नहीं रुकता या घोड़ा ऐसा है कि उतरने तो देगा मगर फिर चढ़ने न देगा या यह इतना कमज़ोर है कि फिर चढ़ न सकेगा या कूएं में पानी है और उस के पास डोल रस्सी नहीं तो इन सब सूरतों में तयम्मुम नहीं टूटा।⁽¹⁾

मस्अला 7 — पानी के पास से सोता हुवा गुज़रा तयम्मुम नहीं टूटा।⁽²⁾ हां अगर तयम्मुम वुजू का था और नींद इस हद की है जिस से वुजू जाता रहे तो बेशक तयम्मुम जाता रहा मगर न इस वजह से कि पानी पर गुज़रा बल्कि सो जाने से और अगर ऊंघता हुवा पानी पर गुज़रा और पानी की इत्तिलाअ हो गई तो टूट गया, वरना नहीं।

मस्अला 8 — पानी पर गुज़रा और अपना तयम्मुम याद नहीं जब भी तयम्मुम जाता रहा।⁽³⁾

मस्अला 9 — नमाज़ पढ़ते में गधे या ख़च्चर का झूटा पानी देखा तो नमाज़ पूरी करे फिर उस से वुजू करे फिर तयम्मुम करे और नमाज़ लौटाए।

मस्अला 10 — नमाज़ पढ़ता था और दूर से रेत चमक्ता हुवा दिखाई दिया और उसे पानी समझ कर एक क़दम भी चला फिर मालूम हुवा रेत है नमाज़ फ़ासिद हो गई मगर तयम्मुम न गया।

मस्अला 11 — चन्द शख्स तयम्मुम किये हुए थे किसी ने उन के पास एक वुजू के लाइक़ पानी ला कर कहा जिस का जी चाहे इस से वुजू कर ले सब का तयम्मुम जाता रहेगा और अगर वोह सब नमाज़ में थे तो नमाज़ भी सब की गई और अगर येह कहा कि तुम सब इस से वुजू कर लो तो किसी का भी तयम्मुम न टूटेगा।⁽⁴⁾ यूंही अगर येह कहा कि मैं ने तुम सब को इस पानी का मालिक किया जब भी तयम्मुम न गया।

मस्अला 12 — पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था अब पानी मिला तो ऐसा बीमार हो गया कि पानी नुक्सान करेगा तो पहला तयम्मुम जाता रहा अब बीमारी की वजह से फिर तयम्मुम करे यूंही बीमारी की वजह से तयम्मुम किया अब अच्छा हुवा तो पानी नहीं मिलता जब भी नया तयम्मुम करे।⁽⁵⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ج 1، ص 30، وغيره.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ج 1، ص 30. 3..... المرجع السابق.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ج 1، ص 30. 5..... المرجع السابق، ص 29-30.

मस्जाला 13

किसी ने गुस्ल किया मगर थोड़ा सा बदन सूखा रह गया यानी उस पर पानी न बहा और पानी भी नहीं कि उसे धो ले अब गुस्ल का तयम्मूम किया फिर बे वुजू हुवा और वुजू का भी तयम्मूम किया फिर उसे इतना पानी मिला कि वुजू भी कर ले और वोह सूखी जगह भी धो ले तो दोनों तयम्मूम वुजू और गुस्ल के जाते रहे और अगर इतना पानी मिला कि न उस से वुजू हो सकता है न वोह जगह धुल सकती है तो दोनों तयम्मूम बाकी हैं और इस पानी को उस खुश्क हिस्से के धोने में सर्फ करे जितना धुल सके और अगर इतना मिला कि वुजू हो सकता है और खुश्की के लिये काफी नहीं तो वुजू का तयम्मूम जाता रहा इस से वुजू करे और अगर सिर्फ खुश्क हिस्से को धो सकता है और वुजू नहीं कर सकता तो गुस्ल का तयम्मूम जाता रहा, वुजू का बाकी है इस पानी को उस के धोने में सर्फ करे और अगर एक कर सकता है चाहे वुजू करे चाहे उसे धो ले तो गुस्ल का तयम्मूम जाता रहा इस से उस जगह को धो ले और वुजू का तयम्मूम बाकी है।⁽¹⁾

मोजों पर मस्ह का बयान**हदीस 1**

इमाम अहमद व अबू दावूद ने मुगीरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, फ़रमाते हैं कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने मोजों पर मस्ह किया, मैं ने अर्ज की या **रसूलुल्लाह** ! हुज़ूर भूल गए। फ़रमाया : “बल्कि तू भूला मेरे रब عَزَّوَجَلَّ ने इसी का हुक्म दिया।”⁽²⁾

हदीस 2

दारे कुतनी ने अबू बकरह رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने मुसाफ़िर को तीन दिन, तीन रातें और मुकीम को एक दिन रात मोजों पर मस्ह करने की इजाज़त दी, जब कि तहारत के साथ पहने हों।⁽³⁾

हदीस 3

तिरमिज़ी व नसाई सफ़वान बिन अस्साल رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, जब हम मुसाफ़िर होते **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ हुक्म फ़रमाते कि तीन दिन रातें हम मोजे न उतारें मगर ब वजह जनाबत के, व लेकिन पाख़ाना और पेशाब और सोने के बाद नहीं।⁽⁴⁾

हदीस 4

अबू दावूद ने रिवायत की, कि हज़रते अली رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं अगर दीन अपनी राय से होता तो मोजे का तला, ब निस्बत ऊपर के मस्ह में बेहतर होता।⁽⁵⁾

①..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٩.

②..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين الحديث: ١٥٦، ج ١، ص ٨٦.

③..... “سنن الدار قطني”، كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين... إلخ، الحديث: ٧٣٧، ج ١، ص ٢٧٠.

④..... “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر... إلخ، الحديث: ٩٦، ج ١، ص ١٥٣.

⑤..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب كيف المسح، الحديث: ١٦٢، ج ١، ص ٨٨.

हदीस 5

अबू दावूद व तिरमिज़ी रावी कि मुगीरा बिन शअबा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं कि मैं ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ को देखा कि मोजों की पुश्त पर मस्ह फ़रमाते ।⁽¹⁾

मोजों पर मस्ह करने के मसाइल

जो शख्स मोजे पहने हुए हो वोह अगर वुजू में बजाए पाउं धोने के मस्ह करे जाइज़ है और बेहतर पाउं धोना है बशर्ते कि मस्ह जाइज़ समझे । और इस के जवाज़ में ब कसरत हदीसों आई हैं जो करीब करीब तवातुर के हैं, इसी लिये इमाम कर्खी رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى फ़रमाते हैं जो इस को जाइज़ न जाने उस के काफ़िर हो जाने का अन्देशा है । इमाम शैखुल इस्लाम फ़रमाते हैं जो इसे जाइज़ न माने गुमराह है । हमारे इमामे आजम رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से अहले सुन्नत व जमाअत की अ़लामत दरयाफ़्त की गई फ़रमाया :

تَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَحُبُّ الْخَتَيْنِ وَمَسْحُ الْخُفَيْنِ

यानी हज़रते अमीरुल मुअमिनीन अबू बक्र सिद्दीक़ व अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके आजम رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا को तमाम सहाबा से बुजुर्ग जानना और अमीरुल मुअमिनीन उस्माने ग़नी व अमीरुल मुअमिनीन अली मुर्तज़ा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से महब्वत रखना और मोजों पर मस्ह करना ।⁽²⁾ और इन तीनों बातों की तख़सीस इस लिये फ़रमाई कि हज़रत कूफ़ा में तशरीफ़ फ़रमा थे और वहां राफ़िज़िय्यों ही की कसरत थी तो वोही अ़लामात इरशाद फ़रमाई जो उन का रद हैं । इस रिवायत के येह माना नहीं कि सिर्फ़ इन तीन बातों का पाया जाना सुन्नी होने के लिये काफ़ी है । अ़लामत शै में पाई जाती है, शै लाज़िमे अ़लामत नहीं होती जैसे हदीसे सहीह बुख़ारी शरीफ़ में वहाबिया की अ़लामत फ़रमाई : ((سَيَمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ)) उन की अ़लामत सर मुंडाना है ।⁽³⁾ इस के येह माना नहीं कि सर मुंडाना ही वहाबी होने के लिये काफ़ी है और इमाम अहमद बिन हम्बल رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى फ़रमाते हैं कि मेरे दिल में इस के जवाज़ पर कुछ ख़दशा नहीं कि इस में चालीस सहाबा से मुझ को हदीसों पहुंचीं ।⁽⁴⁾

मस्अला 1

जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है वोह मोजों पर मस्ह नहीं कर सकता ।⁽⁵⁾

मस्अला 2

औरतें भी मस्ह कर सकती हैं⁽⁶⁾ मस्ह करने के लिये चन्द शर्तें हैं :

1..... "جامع الترمذي"، أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الخفين ظاهرهما، الحديث: ٩٨، ج ١، ص ١٥٥.

2..... "غنية المتعلمي"، فصل في المسح على الخفين، ص ١٠٤.

3..... "صحيح البخاري"، كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر... إلخ، الحديث: ٧٥٦٢، ج ٤، ص ٥٩٩.

4..... "غنية المتعلمي"، فصل في المسح على الخفين، ص ١٠٤.

5..... "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ج ١، ص ٤٩٥.

6..... "الفتاوى الهندية"، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٦.

(1) मोजे ऐसे हों कि टखने छुप जाएं इस से ज़ियादा होने की ज़रूरत नहीं और अगर दो एक उंगल कम हो जब भी मस्ह दुरुस्त है, एड़ी न खुली हो।

(2) पाउं से चिपटा हो, कि उस को पहन कर आसानी के साथ खूब चल फिर सकें।

(3) चमड़े का हो या सिर्फ तला चमड़े का और बाकी किसी और दबीज़ चीज़ का जैसे किरमिच वगैरा।

मस्अला 3 हिन्दुस्तान में जो उमूमन सूती या ऊनी मोजे पहने जाते हैं उन पर मस्ह जाइज़ नहीं उन को उतार कर पाउं धोना फ़र्ज़ है।⁽¹⁾

(4) वुजू कर के पहना हो यानी पहनने के बाद और हृदस से पहले एक ऐसा वक़्त हो कि उस वक़्त में वोह शख्स बा वुजू हो ख़्वाह पूरा वुजू कर के पहने या सिर्फ पाउं धो कर पहने बाद में वुजू पूरा कर लिया।

मस्अला 4 अगर पाउं धो कर मोजे पहन लिये और हृदस से पहले मुंह हाथ धो लिये और सर का मस्ह कर लिया तो भी मस्ह जाइज़ है और अगर सिर्फ पाउं धो कर पहने और बाद पहनने के वुजू पूरा न किया और हृदस हो गया तो अब वुजू करते वक़्त मस्ह जाइज़ नहीं।

मस्अला 5 बे वुजू मोज़ा पहन कर पानी में चला कि पाउं धुल गए अब अगर हृदस से पेशतर बाकी आज़ाए वुजू धो लिये और सर का मस्ह कर लिया तो मस्ह जाइज़ है वरना नहीं।⁽²⁾

मस्अला 6 वुजू कर के एक ही पाउं में मोज़ा पहना और दूसरा न पहना, यहां तक कि हृदस हुवा तो इस एक पर भी मस्ह जाइज़ नहीं दोनों पाउं का धोना फ़र्ज़ है।

मस्अला 7 तयम्मूम कर के मोजे पहने गए तो मस्ह जाइज़ नहीं।⁽³⁾

मस्अला 8 माज़ूर को सिर्फ उस एक वक़्त के अन्दर मस्ह जाइज़ है जिस वक़्त में पहना हो। हां अगर पहनने के बाद और हृदस से पहले उज़्र जाता रहा तो उस के लिये वोह मुद्त है जो तन्दुरुस्त के लिये है।

(5) न हालते जनाबत में पहना, न बाद पहनने के जुनुब हुवा हो।

1..... "الفتاوى الرضوية"، ج 4، ص 345.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأول، ج 1، ص 33.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأول، ج 1، ص 33.

मस्अला 9 - जुनुब ने जनाबत का तयम्मूम किया और वुजू कर के मोज़ा पहना तो मस्ह कर सकता है मगर जब जनाबत का तयम्मूम जाता रहा तो अब मस्ह जाइज़ नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 10 - जुनुब ने गुस्ल किया मगर थोड़ा सा बदन खुश्क रह गया और मोज़े पहन लिये और क़ब्ल हृदस के उस जगह को धो डाला तो मस्ह जाइज़ है और अगर वोह जगह आज़ाए वुजू में धोने से रह गई थी और क़ब्ल धोने के हृदस हुवा तो मस्ह जाइज़ नहीं।⁽²⁾

(6) मुद्त के अन्दर हो और इस की मुद्त मुक़ीम के लिये एक दिन रात है और मुसाफ़िर के वासिते तीन दिन और तीन रातें।⁽³⁾

मस्अला 11 - मोज़ा पहनने के बाद पहली मरतबा जो हृदस हुवा उस वक़्त से उस का शुमार है मसलन सुब्ह के वक़्त मोज़ा पहना और ज़ोहर के वक़्त पहली बार हृदस हुवा तो मुक़ीम दूसरे दिन की ज़ोहर तक मस्ह करे और मुसाफ़िर चौथे दिन की ज़ोहर तक।⁽⁴⁾

मस्अला 12 - मुक़ीम को एक दिन रात पूरा न हुवा था कि सफ़र किया तो अब इब्तिदाए हृदस से तीन दिन, तीन रातों तक मस्ह कर सकता है और मुसाफ़िर ने इक़ामत की निय्यत कर ली तो अगर एक दिन रात पूरा कर चुका है मस्ह जाता रहा और पाउं धोना फ़र्ज़ हो गया। और नमाज़ में था तो नमाज़ जाती रही और अगर चौबीस घन्टे पूरे न हुए तो जितना बाक़ी है पूरा कर ले।

(7) कोई मोज़ा पाउं की छोटी तीन उंगलियों के बराबर फटा न हो यानी चलने में तीन उंगल बदन ज़ाहिर न होता हो और अगर तीन उंगल फटा हो और बदन तीन उंगल से कम दिखाई देता है तो मस्ह जाइज़ है और अगर दोनों तीन तीन उंगल से कम फटे हों और मज्मूआ तीन उंगल या ज़ियादा है तो भी मस्ह हो सकता है। सिलाई खुल जाए जब भी येही हुक्म है कि हर एक में तीन उंगल से कम है तो जाइज़ वरना नहीं।⁽⁵⁾

मस्अला 13 - मोज़ा फट गया या सीवन खुल गई और वैसे पहने रहने की हालत में तीन उंगल पाउं ज़ाहिर नहीं होता मगर चलने में तीन उंगल दिखाई दे तो उस पर मस्ह जाइज़ नहीं।⁽⁶⁾

मस्अला 14 - ऐसी जगह फटा या सीवन खुली कि उंगलियां खुद दिखाई दें तो छोटी बड़ी का एतिबार नहीं बल्कि तीन उंगलियां ज़ाहिर हों।⁽⁷⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأول، ج 1، ص 33.

2..... المرجع السابق. 3..... المرجع السابق. 4..... المرجع السابق.

5..... المرجع السابق. 6..... المرجع السابق. 7..... المرجع السابق.

मस्अला 15 - एक मोज़ा चन्द जगह कम से कम इतना फट गया हो कि उस में सुताली जा सके और इन सब का मज्मूआ तीन उंगल से कम है तो मस्ह जाइज़ है, वरना नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 16 - टख़्ने से ऊपर कितना ही फटा हो इस का एतिबार नहीं।⁽²⁾

मस्ह का तरीक़ा : येह है कि दहने हाथ की तीन उंगलियां, दहने पाउं की पुशत के सिरे पर और बाएं हाथ की उंगलियां बाएं पाउं की पुशत के सिरे पर रख कर पिंडली की तरफ़ कम से कम ब क़दर तीन उंगल के खींच ली जाए और सुन्नत येह है कि पिंडली तक पहुंचाए।⁽³⁾

मस्अला 17 - उंगलियों का तर होना ज़रूरी है, हाथ धोने के बाद जो तरी बाकी रह गई उस से मस्ह जाइज़ है और सर का मस्ह किया और हुनूज़ हाथ में तरी मौजूद है तो येह काफ़ी नहीं बल्कि फिर नए पानी से हाथ तर कर ले कुछ हिस्सा हथेली का भी शामिल हो तो हरज नहीं।⁽⁴⁾

मस्अला 18 - मस्ह में फ़र्ज़ दो हैं :

(1) हर मोज़े का मस्ह हाथ की छोटी तीन उंगलियों के बराबर होना ।

(2) मोज़े की पीठ पर होना⁽⁵⁾ ।

मस्अला 19 - एक पाउं का मस्ह ब क़दर दो उंगल के किया और दूसरे का चार उंगल तो मस्ह न हुवा ।

मस्अला 20 - मोज़े के तले या करवटों या टख़्ने या पिंडली या एड़ी पर मस्ह किया तो मस्ह न हुवा ।

मस्अला 21 - पूरी तीन उंगलियों के पेट से मस्ह करना और पिंडली तक खींचना और मस्ह करते वक़्त उंगलियां खुली रखना सुन्नत है।⁽⁶⁾

मस्अला 22 - उंगलियों की पुशत से मस्ह किया या पिंडली की तरफ़ से उंगलियों की तरफ़ खींचा, या मोज़े की चौड़ाई का मस्ह किया या उंगलियां मिली हुई रखीं या हथेली से मस्ह किया तो इन सब सूरतों में मस्ह हो गया मगर सुन्नत के खिलाफ़ हुवा।⁽⁷⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأول، ج 1، ص 34.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأول، ج 1، ص 34.

3..... المرجع السابق، ص 33. 4..... "غنية المتملي"، فصل في مسح على الخفين، ص 110.

5..... "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ص 31.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، ج 1، ص 32.

7..... "غنية المتملي"، فصل في مسح على الخفين، ص 109.

मस्अला 23 अगर एक ही उंगली से तीन बार नए पानी से हर मरतबा तर कर के तीन जगह मस्ह किया जब भी हो गया मगर सुन्नत अदा न हुई और अगर एक ही जगह मस्ह हर बार किया या हर बार तर न किया तो मस्ह न हुवा।⁽¹⁾

मस्अला 24 उंगलियों की नोक से मस्ह किया तो अगर उन में इतना पानी था कि तीन उंगल तक बराबर टपक्ता रहा तो मस्ह हुवा, वरना नहीं।⁽²⁾

मस्अला 25 मोज़े की नोक के पास कुछ जगह खाली है कि वहां पाउं का कोई हिस्सा नहीं, उस खाली जगह का मस्ह किया तो मस्ह न हुवा और अगर ब तकल्लुफ़ वहां तक उंगलियां पहुंचा दीं और अब मस्ह किया तो हो गया मगर जब वहां से पाउं हटेगा फ़ौरन मस्ह जाता रहेगा।⁽³⁾

मस्अला 26 मस्ह में न निय्यत ज़रूरी है न तीन बार करना सुन्नत एक बार कर लेना काफी है।⁽⁴⁾

मस्अला 27 मोज़े पर पाइताबा पहना और उस पाइताबे पर मस्ह किया तो अगर मोज़े तक तरी पहुंच गई मस्ह हो गया वरना नहीं।⁽⁵⁾

मस्अला 28 मोज़े पहन कर शबनम में चला, या उस पर पानी गिर गया या मींह की बूंदें पड़ीं और जिस जगह मस्ह किया जाता है ब क़दर तीन उंगल के तर हो गया तो मस्ह हो गया हाथ फेरने की भी हाजत नहीं।⁽⁶⁾

मस्अला 29 अंग्रेज़ी बूट जूते पर मस्ह जाइज़ है अगर टख़ने उस से छुपे हों, इमामा और बुर्क़अ और नकाब और दस्तानों पर मस्ह जाइज़ नहीं।⁽⁷⁾

मस्ह किज़ चीज़ों से टूटता है

मस्अला 1 जिन चीज़ों से वुजू टूटता है उन से मस्ह भी जाता रहता है।⁽⁸⁾

मस्अला 2 मुद्त पूरी हो जाने से मस्ह जाता रहता है और इस सूरत में सिर्फ़ पाउं धो लेना काफी है फिर से पूरा वुजू करने की हाजत नहीं और बेहतर येह है कि पूरा वुजू कर ले।

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأول، ج 1، ص 32.

2..... المرجع السابق، ص 33. 3..... "غنية المتملي"، فصل في مسح على الخفين، ص 118.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الثاني، ج 1، ص 36، وبغيره.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأول، ج 1، ص 32.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الأول، ج 1، ص 33.

7..... "الفتاوى الرضوية"، ج 4، ص 347 - 348.

8..... "الهداية"، كتاب الطهارات، باب المسح على الخفين، ج 1، ص 31.

मस्अला 3 — मस्ह की मुदत पूरी हो गई और क़वी अन्देशा है कि मोज़े उतारने में सर्दी के सबब पाउं जाते रहेंगे तो न उतारे और टख़्नों तक पूरे मोज़े का (नीचे ऊपर अग़ल बग़ल और एड़ियों पर) मस्ह करे कि कुछ रह न जाए।⁽¹⁾

मस्अला 4 — मोज़े उतार देने से मस्ह टूट जाता है अगरचें एक ही उतारा हो। यूँही अगर एक पाउं आधे से ज़ियादा मोज़े से बाहर हो जाए तो जाता रहा, मोज़ा उतारने या पाउं का अक्सर हिस्सा बाहर होने में पाउं का वोह हिस्सा मोतबर है जो गिट्टों से पन्जों तक है पिंडली का एतिबार नहीं इन दोनों सूरतों में पाउं का धोना फ़र्ज़ है।⁽²⁾

मस्अला 5 — मोज़ा ढीला है कि चलने में मोज़े से एड़ी निकल जाती है तो मस्ह न गया।⁽³⁾ हां अगर उतारने की निय्यत से बाहर की तो टूट जाएगा।

मस्अला 6 — मोज़े पहन कर पानी में चला कि एक पाउं का आधे से ज़ियादा हिस्सा धुल गया या और किसी तरह से मोज़े में पानी चला गया और आधे से ज़ियादा पाउं धुल गया तो मस्ह जाता रहा।⁽⁴⁾

मस्अला 7 — पाइताबों पर इस तरह मस्ह किया कि मस्ह की तरी मोज़ों तक पहुंची तो पाइताबों के उतारने से मस्ह न जाएगा।

मस्अला 8 — आज़ाए वुजू अगर फट गए हों या उन में फोड़ा, या और कोई बीमारी हो और उन पर पानी बहाना ज़रूर करता हो, या तक्लीफ़ शदीद होती हो तो भीगा हाथ फेर लेना काफ़ी है और अगर येह भी नुक्सान करता हो तो उस पर कपड़ा डाल कर कपड़े पर मस्ह करे और जो येह भी मुज़िर हो तो मुआफ़ है और अगर उस में कोई दवा भर ली हो तो उस का निकालना ज़रूर नहीं उस पर से पानी बहा देना काफ़ी है।⁽⁵⁾

मस्अला 9 — किसी फोड़े, या ज़ख़्म, या फ़स्द की जगह पर पट्टी बांधी हो कि उस को खोल कर पानी बहाने से, या उस जगह मस्ह करने से, या खोलने से ज़रूर हो, या खोलने वाला बांधने वाला न हो तो उस पट्टी पर मस्ह कर ले और अगर पट्टी खोल कर पानी बहाने में ज़रूर न हो तो धोना ज़रूरी है, या खुद उज़्च पर मस्ह कर सकते हों तो पट्टी पर मस्ह करना जाइज़ नहीं और ज़ख़्म के गिर्दा गिर्द, अगर पानी बहाना ज़रूर न करता हो तो धोना ज़रूरी है वरना उस पर मस्ह कर लें और अगर उस पर भी मस्ह न कर सकते हों तो पट्टी पर मस्ह कर लें और पूरी पट्टी पर मस्ह कर लें तो बेहतर है और अक्सर हिस्से पर ज़रूरी है और एक बार मस्ह

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٤.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٤، وغيره.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب مسح على الخفين، مطلب نواقض المسح، ج ١، ص ٥١٠٠٥٨.

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٤.

④..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، مطلب: نواقض المسح، ج ١، ص ٥١٢.

⑤..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٥.

و "شرح الوفاة"، كتاب الطهارة، بيان جواز المسح على الحبيزة، ج ١، ص ١١٧.

काफी है तक्रार की हाजत नहीं और अगर पट्टी पर भी मस्ह न कर सकते हों तो खाली छोड़ दें, जब इतना आराम हो जाए कि पट्टी पर मस्ह करना जरूर न करे तो फौरन मस्ह कर लें, फिर जब इतना आराम हो जाए कि पट्टी पर से पानी बहाने में नुकसान न हो तो पानी बहाएं, फिर जब इतना आराम हो जाए कि खास उज्ज्व पर मस्ह कर सकता हो तो फौरन मस्ह कर ले, फिर जब इतनी सिहूहत हो जाए कि उज्ज्व पर पानी बहा सकता हो तो बहाए गरज आला पर जब कुदरत हासिल हो और जितनी हासिल होती जाए अदना पर इक्तिफा जाइज नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 10 - हड्डी के टूट जाने से तख्ती बांधी गई हो उस का भी येही हुक्म है।⁽²⁾

मस्अला 11 - तख्ती या पट्टी खुल जाए और हुनूज बांधने की हाजत हो तो फिर दोबारा मस्ह नहीं किया जाएगा वोही पहला मस्ह काफी है और जो फिर बांधने की जरूरत न हो तो मस्ह टूट गया अब उस जगह को धो सकें तो धो लें वरना मस्ह कर लें।⁽³⁾

हैज का बयान

अल्लाह عزوجل इरशाद फरमाता है :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعِزُّوا نِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ

فَإِذَا ظَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُسْتَطَهِّرِينَ﴾⁽⁴⁾

ऐ महबूब ! तुम से हैज के बारे में लोग सुवाल करते हैं तुम फरमा दो वोह गन्दी चीज है तो हैज में औरतों से बचो और उन से कुर्बत न करो जब तक पाक न हो लें तो जब पाक हो जाएं उन के पास उस जगह से आओ जिस का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक होने वालों को ।

हदीस 1 - सहीह मुस्लिम में अनस बिन मालिक رضي الله تعالى عنه से मरवी फरमाते हैं कि यहूदियों में जब किसी औरत को हैज आता तो उसे न अपने साथ खिलाते न अपने साथ घरों में रखते । सहाबए किराम ने नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से सुवाल किया । इस पर अल्लाह तआला ने आयए ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ नाज़िल फरमाई तो रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फरमाया : “जिमाअ के सिवा हर शै करो ।” इस की खबर यहूद को पहुंची तो कहने लगे कि येह (नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) हमारी हर बात का खिलाफ करना चाहते हैं, इस पर उसैद बिन हुजैर और उब्बाद बिन बिशर رضي الله تعالى عنهما ने आ कर अर्ज की, कि यहूद ऐसा ऐसा कहते हैं तो क्या हम उन से जिमाअ न करें (कि पूरी मुखालफत हो जाए) रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ का रूए

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الخامس في المسح على الخفين، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٥.

② "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"، باب المسح على الخفين، فصل في الحبيرة ونحوها، ص ٣٢.

③ "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في لفظ كل إذا دخلت... إلخ، ج ١، ص ٥١٩، وغيرهما.

④ ٢، البقرة: ٢٢٢.

मुबारक मुतगय्यर हो गया यहां तक कि हम को गुमान हुवा कि उन दोनों पर ग़ज़ब फ़रमाया वोह दोनों चले गए और उन के आगे दूध का हदिय्या नबी ﷺ के पास आया हुज़ूर ने आदमी भेज कर उन को बुलवाया और पिलाया तो वोह समझे कि हुज़ूर ने उन पर ग़ज़ब नहीं फ़रमाया था ।⁽¹⁾

हदीस 2 सहीह बुख़ारी में है, उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका रज़ील्लैतुल्लाह عنها फ़रमाती हैं हम हज़ के लिये निकले जब सरफ़⁽²⁾ में पहुंचे मुझे हैज़ आया तो मैं रो रही थी कि **रसूलुल्लाह** ﷺ मेरे पास तशरीफ़ लाए, फ़रमाया : “तुझे क्या हुवा ? क्या तू हाइज़ हुई ?” अर्ज़ की : हां । फ़रमाया : “येह एक ऐसी चीज़ है जिस को **अल्लाह** तआला ने बनाते आदम पर लिख दिया है तू सिवा ख़ानए काबा के तवाफ़ के सब कुछ अदा कर जिसे हज़ करने वाला अदा करता है ।” और फ़रमाती हैं : हुज़ूर ने अपनी अज़्वाजे मुतहहरात की तरफ़ से एक गाय कुरबानी की ।⁽³⁾

हदीस 3 सहीह बुख़ारी में है, उर्वह से सुवाल किया गया : हैज़ वाली औरत मेरी ख़िदमत कर सकती है ? और जुनुब औरत मुझ से करीब हो सकती है ? उर्वह ने जवाब दिया : येह सब मुझ पर आसान हैं और येह सब मेरी ख़िदमत कर सकती हैं और किसी पर इस में कोई हरज नहीं, मुझे उम्मुल मुअमिनीन अइशा रज़ील्लैतुल्लाह عنها ने ख़बर दी कि वोह हैज़ की हालत में **रसूलुल्लाह** ﷺ के कंधा करतीं और हुज़ूर मोतकिफ़ थे अपने सर मुबारक को इन से करीब कर देते और येह अपने हुजरे ही में होतीं ।⁽⁴⁾

हदीस 4 सहीह मुस्लिम में उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका रज़ील्लैतुल्लाह عنها से है, फ़रमाती हैं कि ज़मानए हैज़ में, मैं पानी पीती फिर हुज़ूर को दे देती तो जिस जगह मेरा मुंह लगा था हुज़ूर वहीं दहन मुबारक रख कर पीते और हालते हैज़ में, मैं हड्डी से गोश्त नोच कर खाती फिर हुज़ूर को दे देती तो हुज़ूर अपना दहन शरीफ़ उस जगह रखते जहां मेरा मुंह लगा था ।⁽⁵⁾

हदीस 5 सहीहैन में इन्हीं से है कि मैं हाइज़ होती और हुज़ूर मेरी गोद में तक्या लगा कर कुरआन पढ़ते ।⁽⁶⁾

हदीस 6 सहीह मुस्लिम में इन्हीं से मरवी, फ़रमाती हैं : हुज़ूर ने मुझ से फ़रमाया कि : “हाथ बढ़ा कर मस्जिद से मुसल्ला उठा देना ।” अर्ज़ की : मैं हाइज़ हूं । फ़रमाया कि : “तेरा हैज़ तेरे हाथ में नहीं ।”⁽⁷⁾

①..... صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب حوازل غسل الحائض رأس زوجها... إلخ، الحديث: ٣٠٢، ص ١٧١.

②.....मक्का के करीब एक मक़ाम है । 12 मिन्ह

③..... "صحيح البخاري"، كتاب الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، الحديث: ٢٩٤، ج ١، ص ١٢٠.

④..... "صحيح البخاري"، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجله، الحديث: ٢٩٦، ج ١، ص ١٢١.

⑤..... "صحيح مسلم"، كتاب الحيض، باب حوازل غسل الحائض رأس زوجها... إلخ، الحديث: ٣٠٠، ص ١٧١.

⑥..... "صحيح البخاري"، كتاب الحيض، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، الحديث: ٢٩٧، ج ١، ص ١٢١.

⑦..... "صحيح مسلم"، كتاب الحيض، باب حوازل غسل الحائض رأس زوجها... إلخ، الحديث: ٢٩٨، ص ١٧٠.

हदीस ७ सहीहैन में उम्मुल मुअमिनीन मैमूना रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से मरवी फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ एक चादर में नमाज़ पढ़ते थे जिस का कुछ हिस्सा मुझ पर था और कुछ हुजूर पर और मैं हाइज़ थी।^(१)

हदीस ८ तिरमिज़ी व इब्ने माजह अबू हुरैरा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया : “जो शख्स हैज वाली से या औरत के पीछे के मक़ाम में जिमाअ करे, या काहिन के पास जाए, उस ने कुफ़्रान किया उस चीज़ का जो मुहम्मद ﷺ पर उतारी गई।”^(२)

हदीस ९ रज़ीन की रिवायत है कि मुआज़ बिन जबल रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अर्ज़ की : या रसूलुल्लाह ! मेरी औरत जब हैज में हो तो मेरे लिये क्या चीज़ उस से हलाल है ? फरमाया : “तहबन्द (नाफ़) से ऊपर और इस से भी बचना बेहतर है।”^(३)

हदीस १० अस्हाबे सुनने अरबआ ने इब्ने अब्बास रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया : “जब कोई शख्स अपनी बीबी से हैज में जिमाअ करे तो निस्फ़ दीनार सदका करे।”^(४) तिरमिज़ी की दूसरी रिवायत इन्हीं से यूँ है कि फरमाया : “जब सुर्ख़ खून हो तो एक दीनार और जब ज़र्द हो तो निस्फ़ दीनार।”^(५)

हैज की हिक्मत :

औरत बालिगा के बदन में फ़ितूरतन ज़रूरत से कुछ ज़ियादा खून पैदा होता है कि हम्ल की हालत में वोह खून बच्चे की ग़िज़ा में काम आए और बच्चे के दूध पीने के ज़माने में वोही खून दूध हो जाए और ऐसा न हो तो हम्ल और दूध पिलाने के ज़माने में उस की जान पर बन जाए, येही वजह है कि हम्ल और इब्तिदाए शीर ख़्वारगी में खून नहीं आता और जिस ज़माने में न हम्ल हो न दूध पिलाना वोह खून अगर बदन से न निकले तो किस्म किस्म की बीमारियां हो जाएं।

हैज के मशाइल

मसआला १ बालिगा औरत के आगे के मक़ाम से जो खून आदी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो, उसे हैज कहते हैं और बीमारी से हो तो इस्तिहाज़ा और बच्चा होने के बाद हो तो निफ़ास कहते हैं।^(६)

①..... “السنن الكبرى” للبيهقي، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في الثوب الواحد... إلخ، الحديث: ३२९०، ج २، ص ३३८.

②..... “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب ماجاء في كراهية إتيان الحائض، الحديث: १३०، ج १، ص १८०.

③..... “مشكاة المصابيح”، كتاب الطهارة، باب الحيض، الفصل الثاني، الحديث: ५०२، ج १، ص १८०.

④..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، الحديث: २६६، ج १، ص १२४.

⑤..... “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب ماجاء في الكفارة في ذلك، الحديث: १३७، ج १، ص १८७.

⑥..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الطهارة، الفصل الأول في الحيض، ج १، ص ३७، ३८، وغيره.

मस्अला 2 - हैज की मुद्दत कम से कम तीन दिन तीन रातें यानी पूरे 72 घन्टे, एक मिनट भी अगर कम है तो हैज नहीं और ज़ियादा से ज़ियादा दस दिन दस रातें हैं।⁽¹⁾

मस्अला 3 - 72 घन्टे से ज़रा भी पहले ख़त्म हो जाए तो हैज नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है हां ! अगर किरन चमकी थी कि शुरूअ हुवा और तीन दिन तीन रातें पूरी हो कर किरन चमकने ही के वक़्त ख़त्म हुवा तो हैज है अगर चर्चे दिन बढ़ने के ज़माने में तुलूअ रोज़ ब रोज़ पहले और गुरुब बाद को होता रहेगा और दिन छोटे होने के ज़माने में आफ़ताब का निकलना बाद को और डूबना पहले होता रहेगा जिस की वजह से इन तीन दिन रात की मिक्दार 72 घन्टे होना ज़रूर नहीं मगर ऐन तुलूअ से तुलूअ और गुरुब से गुरुब तक ज़रूर एक दिन रात है इन के मा सिवा अगर और किसी वक़्त शुरूअ हुवा तो वोही 24 घन्टे पूरे का एक दिन रात लिया जाएगा, मसलन आज सुबह को ठीक नव बजे शुरूअ हुवा और उस वक़्त पूरा पहर दिन चढ़ा था तो कल ठीक नव बजे एक दिन रात होगा अगर चर्चे अभी पूरा पहर भर दिन न आया, जब कि आज का तुलूअ कल के तुलूअ से बाद हो, या पहर भर से ज़ियादा दिन आ गया हो जब कि आज का तुलूअ कल के तुलूअ से पहले हो।

मस्अला 4 - दस रात दिन से कुछ भी ज़ियादा खून आया तो अगर येह हैज पहली मरतबा उसे आया है तो दस दिन तक हैज है बाद का इस्तिहाज़ा और अगर पहले उसे हैज आ चुके हैं और आदत दस दिन से कम की थी तो आदत से जितना ज़ियादा हो इस्तिहाज़ा है। इसे यूं समझो कि इस को पांच दिन की आदत थी अब आया दस दिन तो कुल हैज है और बारह दिन आया तो पांच दिन हैज के बाकी सात दिन इस्तिहाज़ा के और एक हालत मुकर्रर न थी बल्कि कभी चार दिन कभी पांच दिन तो पिछली बार जितने दिन थे वोही अब भी हैज के हैं बाकी इस्तिहाज़ा।⁽²⁾

मस्अला 5 - येह ज़रूरी नहीं कि मुद्दत में हर वक़्त खून जारी रहे जब ही हैज हो बल्कि अगर बाज़ बाज़ वक़्त भी आए जब भी हैज है।⁽³⁾

मस्अला 6 - कम से कम नव बरस की उम्र से हैज शुरूअ होगा और इन्तिहाई उम्र हैज आने की पचपन साल है। इस उम्र वाली औरत को आइसा और इस उम्र को सिने अयास कहते हैं।⁽⁴⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الأول، ج 1، ص 36.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج 1، ص 523.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الفصل الأول في الحيض، ج 1، ص 37.

3..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج 1، ص 523.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الأول، ج 1، ص 36.

मस्अला 7 नव बरस की उम्र से पेशतर जो खून आए इस्तिहाजा है। यूंही पचपन साल की उम्र के बाद जो खून आए।⁽¹⁾ हां पिछली सूरत में अगर खालिस खून आए या जैसा पहले आता था उसी रंग का आया तो हैज है।

मस्अला 8 हम्ल वाली को जो खून आया इस्तिहाजा है। यूंही बच्चा होते वक्त जो खून आया और अभी आधे से ज़ियादा बच्चा बाहर नहीं निकला वोह इस्तिहाजा है।⁽²⁾

मस्अला 9 दो हैजों के दरमियान कम से कम पूरे पन्दरह दिन का फ़ासिला ज़रूर है। यूंही निफ़ास व हैज के दरमियान भी पन्दरह दिन का फ़ासिला ज़रूरी है तो अगर निफ़ास ख़त्म होने के बाद पन्दरह दिन पूरे न हुए थे कि खून आया तो येह इस्तिहाजा है।⁽³⁾

मस्अला 10 हैज उस वक्त से शुमार किया जाएगा कि खून फ़र्जे ख़ारिज में आ गया तो अगर कोई कपड़ा रख लिया है जिस की वजह से फ़र्जे ख़ारिज में नहीं आया दाख़िल ही में रुका हुवा है तो जब तक कपड़ा न निकालेगी हैज वाली न होगी। नमाज़ें पढ़ेगी, रोज़ा रखेगी।⁽⁴⁾

मस्अला 11 हैज के छे रंग हैं। (1) सियाह (2) सुर्ख (3) सब्ज़ (4) ज़र्द (5) गदला (6) मटीला।⁽⁵⁾ सफ़ेद रंग की रतूबत हैज नहीं।

मस्अला 12 दस दिन के अन्दर रतूबत में ज़रा भी मैलापन है तो वोह हैज है और दस दिन रात के बाद भी मैलापन बाकी है तो आदत वाली के लिये जो दिन आदत के हैं हैज है और आदत से बाद वाले इस्तिहाजा और अगर कुछ आदत नहीं तो दस दिन रात तक हैज बाकी इस्तिहाजा।⁽⁶⁾

मस्अला 13 गद्दी जब तर थी तो उस में ज़र्दी या मैलापन था बाद सूख जाने के सफ़ेद हो गई तो मुद्दते हैज में हैज ही है और अगर जब देखा था सफ़ेद थी सूख कर ज़र्द हो गई तो येह हैज नहीं।⁽⁷⁾

मस्अला 14 जिस औरत को पहली मरतबा खून आया और उस का सिल्लिसला महीनों या बरसों बराबर जारी रहा कि बीच में पन्दरह दिन के लिये भी न रुका तो जिस दिन से खून

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الأول، ج ١، ص ٣٦.

②..... "الدر المختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج ١، ص ٥٢٤. ③..... المرجع السابق.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الأول، ج ١، ص ٣٦. ⑤..... المرجع السابق.

⑥..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الأول، ج ١، ص ٣٧، وغيره. ⑦..... المرجع السابق، ص ٣٦.

आना शुरूअ हुवा उस रोज़ से दस दिन तक हैज और बीस दिन इस्तिहाज़ा के समझे और जब तक खून जारी रहे येही काइदा बरते।⁽¹⁾

मस्अला 15 और अगर इस से पेशतर हैज आ चुका है तो इस से पहले जितने दिन हैज के थे हर तीस दिन में इतने दिन हैज के समझे बाकी जो दिन बचें इस्तिहाज़ा।

मस्अला 16 जिस औरत को उम्र भर खून आया ही नहीं या आया मगर तीन दिन से कम आया तो उम्र भर वोह पाक ही रही और अगर एक बार तीन दिन रात खून आया, फिर कभी न आया तो वोह फ़क़त तीन दिन रात हैज के हैं बाकी हमेशा के लिये पाक।⁽²⁾

मस्अला 17 जिस औरत को दस दिन खून आया इस के बाद साल भर तक पाक रही फिर बराबर खून जारी रहा तो वोह उस ज़माने में नमाज़, रोज़े के लिये हर महीने में दस दिन हैज के समझे बीस दिन इस्तिहाज़ा।⁽³⁾

मस्अला 18 किसी औरत को एक बार हैज आया, इस के बाद कम से कम पन्दरह दिन तक पाक रही, फिर खून बराबर जारी रहा और येह याद नहीं कि पहले कितने दिन हैज के थे और कितने तुहर के मगर येह याद है कि महीने में एक ही मरतबा हैज आया था तो इस मरतबा जब से खून शुरूअ हुवा तीन दिन तक नमाज़ छोड़ दे, फिर सात दिन तक हर नमाज़ के वक़्त में गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े और इन दसों दिन में शौहर के पास न जाए, फिर बीस दिन तक हर नमाज़ के वक़्त ताज़ा वुजू कर के नमाज़ पढ़े और दूसरे महीने में उन्नीस दिन वुजू कर के नमाज़ पढ़े और उन बीस या उन उन्नीस दिन में शौहर इस के पास जा सकता है और जो येह भी याद न हो कि महीने में एक बार आया था या दो बार तो शुरूअ के तीन दिन में नमाज़ न पढ़े, फिर सात दिन तक हर वक़्त में गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े, फिर आठ दिन तक हर वक़्त में वुजू कर के नमाज़ पढ़े और सिर्फ़ इन आठ दिनों में शौहर उस के पास जा सकता है और इन आठ दिन के बाद भी तीन दिन तक हर वक़्त में वुजू कर के नमाज़ पढ़े, फिर सात दिन तक गुस्ल कर के और इस के बाद आठ दिन तक वुजू कर के नमाज़ पढ़े और येही सिल्सिला हमेशा जारी रखे।

और अगर त़हारत के दिन याद हैं, मसलन पन्दरह दिन थे और बाकी कोई बात याद नहीं तो शुरूअ के तीन दिन तक नमाज़ न पढ़े, फिर सात दिन तक हर वक़्त गुस्ल कर के

1..... "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الطهارة، مبحث في مسائل المتحيرة، ج 1، ص 520.

2..... "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج 1، ص 524.

3..... "رد المختار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج 1، ص 520.

नमाज़ पढ़े, फिर आठ दिन वुजू कर के नमाज़ पढ़े, इस के बाद फिर तीन दिन और वुजू कर के नमाज़ पढ़े, फिर चौदह दिन तक हर वक़्त गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े, फिर एक दिन वुजू हर वक़्त में करे और नमाज़ पढ़े, फिर हमेशा के लिये जब तक खून आता रहे हर वक़्त गुस्ल करे।

और अगर हैज के दिन याद हैं मसलन तीन दिन थे और त़हारत के दिन याद न हों तो शुरू से तीन दिनों में नमाज़ छोड़ दे, फिर अठारह दिन तक हर वक़्त वुजू कर के नमाज़ पढ़े जिन में पन्द्रह पहले तो यकीनी त़हर हैं और तीन दिन पिछले मश्कूक, फिर हमेशा हर वक़्त गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और अगर येह याद है कि महीने में एक ही बार हैज आया था और येह कि वोह तीन दिन था मगर येह याद नहीं कि वोह क्या तारीखें थीं तो हर माह के इब्तिदाई तीन दिनों में वुजू कर के नमाज़ पढ़े और सत्ताईस दिन तक हर वक़्त गुस्ल करे। यूंही चार दिन या पांच दिन हैज के होना याद हों तो इन चार पांच दिनों में वुजू करे बाकी दिनों में गुस्ल।

और अगर येह मालूम है कि आख़िर महीने में हैज आता था और तारीखें भूल गई तो सत्ताईस दिन वुजू कर के नमाज़ पढ़े और तीन दिन न पढ़े, फिर महीना ख़त्म होने पर एक बार गुस्ल कर ले।

और अगर येह मालूम है कि इक्कीस से शुरू होता था और येह याद नहीं कि कितने दिन तक आता था तो बीस के बाद तीन दिन तक नमाज़ छोड़ दे, इस के बाद सात दिन जो रह गए उन में हर वक़्त गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े।

और अगर येह याद है कि फुलां पांच तारीखों में तीन³ दिन आया था मगर येह याद नहीं कि उन पांच⁵ में वोह कौन कौन दिन हैं तो दो पहले दिनों में वुजू कर के नमाज़ पढ़े और एक दिन बीच का छोड़ दे और इस के बाद के दो² दिनों में हर वक़्त गुस्ल कर के पढ़े और चार⁴ दिन में तीन³ दिन हैं तो पहले दिन वुजू कर के पढ़े और चौथे⁴ दिन हर वक़्त में गुस्ल करे और बीच के दो दिनों में न पढ़े और अगर छे⁶ दिनों में तीन³ दिन हों तो पहले तीन³ दिनों में वुजू कर के पढ़े, पिछले तीन³ दिनों में हर वक़्त में गुस्ल कर के और अगर सात⁷ या आठ⁸ या नव⁹ या दस¹⁰ दिन में तीन दिन हों तो पहले तीन दिनों में वुजू और बाकी दिनों में हर वक़्त गुस्ल करे।

खुलासा येह कि जिन दिनों में हैज का यकीन हो और ठीक त़रह से येह याद न हो कि इन में वोह कौन से दिन हैं तो येह देखना चाहिये कि येह दिन हैज के दिनों से दूने हैं या दूने से कम या दूने से ज़ियादा, अगर दूने से कम हैं तो उन में जो दिन यकीनी हैज होने के हों उन में नमाज़ न पढ़े और जिन के हैज होने न होने दोनों का एहतिमाल हो वोह अगर अव्वल के हों तो उन में वुजू कर के नमाज़ पढ़े और आख़िर के हों तो हर वक़्त में गुस्ल कर के नमाज़ पढ़े और अगर दूने या दूने से ज़ियादा हों तो हैज के दिनों के बराबर शुरू के दिनों में वुजू कर के नमाज़ पढ़े, फिर हर वक़्त में गुस्ल कर के और अगर याद न हो कि कितने दिन हैज के थे और कितने त़हारत के, न येह कि महीने के शुरू के दस दिनों में था या बीच के दस या आख़िर के दस दिनों में तो जी में सोचे जो पहलू जमे उस पर पाबन्दी करे और अगर किसी बात पर त़बीअत नहीं जमती तो

हर नमाज़ के लिये गुस्ल करे और फ़र्जों वाजिब व सुन्नते मुअक्कदा पढ़े, मुस्तहब और नफ़ल न पढ़े और फ़र्ज रोज़े रखे, नफ़ल रोज़े न रखे और इन के इलावा और जितनी बातें हैज वाली को जाइज नहीं इस को भी ना जाइज हैं : जैसे कुरआन पढ़ना या छूना, मस्जिद में जाना, सज्दए तिलावत वगैरहा ।

मस्अला 19 - जिस औरत को न पहले हैज के दिन याद, न येह याद कि किन तारीखों में आया था, अब तीन दिन या ज़ियादा खून आ कर बन्द हो गया, फिर त़हारत के पन्दरह दिन पूरे न हुए थे कि फिर खून जारी हुवा और हमेशा को जारी हो गया तो इस का वोही हुक्म है जैसे किसी को पहली पहल खून आया और हमेशा को जारी हो गया कि दस दिन हैज के शुमार करे फिर बीस दिन त़हारत के ।

मस्अला 20 - जिस की एक आदत मुकर्रर न हो बल्कि कभी मसलन छे दिन हैज के हों और कभी सात, अब जो खून आया तो बन्द होता ही नहीं तो उस के लिये नमाज़, रोज़े के हक़ में कम मुद्दत यानी छे दिन हैज के क़रार दिये जाएंगे और सातवें रोज़ नहा कर नमाज़ पढ़े और रोज़ा रखे मगर सात दिन पूरे होने के बाद फिर नहाने का हुक्म है और सातवें दिन जो फ़र्ज रोज़ा रखा है उस की क़ज़ा करे और इद्दत गुज़रने या शौहर के पास रहने के बारे में ज़ियादा मुद्दत यानी सात दिन हैज के माने जाएंगे यानी सातवें दिन उस से कुर्बत जाइज नहीं ।

मस्अला 21 - किसी को एक दो दिन खून आ कर बन्द हो गया और दस दिन पूरे न हुए कि फिर खून आया दसवें दिन बन्द हो गया तो येह दसों दिन हैज के हैं और अगर दस दिन के बाद भी जारी रहा तो अगर आदत पहले की मालूम है तो आदत के दिनों में हैज है बाकी इस्तिहाज़ा वरना दस दिन हैज के बाकी इस्तिहाज़ा ।⁽¹⁾

मस्अला 22 - किसी की आदत थी कि फुलां तारीख़ में हैज हो, अब उस से एक दिन पेश्तर खून आ कर बन्द हो गया, फिर दस¹⁰ दिन तक नहीं आया और ग्यारहवें¹¹ दिन फिर आ गया तो खून न आने के जो येह दस¹⁰ दिन हैं, इन में से अपनी आदत के दिनों के बराबर हैज क़रार दे और अगर तारीख़ तो मुकर्रर थी मगर हैज के दिन मुअय्यन न थे तो येह दसों¹⁰ दिन खून न आने के हैज हैं ।

मस्अला 23 - जिस औरत को तीन³ दिन से कम खून आ कर बन्द हो गया और पन्दरह¹⁵ दिन पूरे न हुए कि फिर आ गया तो पहली मरतबा जब से खून आना शुरू हुवा है हैज है, अब अगर इस की कोई आदत है तो आदत के बराबर हैज के दिन शुमार कर ले । वरना शुरू से दस¹⁰ दिन तक हैज और पिछली मरतबा का खून इस्तिहाज़ा ।

मस्अला 24 - किसी को पूरे तीन दिन रात खून आ कर बन्द हो गया और उस की आदत

.....¹ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الأول، ج ١، ص ٣٧.

इस से ज़ियादा की थी फिर तीन दिन रात के बाद सफ़ेद रतूबत आदत के दिनों तक आती रही तो इस के लिये सिर्फ़ वोही तीन दिन रात हैज़ के हैं और आदत बदल गई।

मस्अला 25 - तीन³ दिन रात से कम खून आया, फिर पन्दरह दिन तक पाक रही, फिर तीन दिन रात से कम आया तो न पहली मरतबा का हैज़ है न येह बल्कि दोनों इस्तिहाज़ा हैं।

निफ़ास का बयान

निफ़ास किस को कहते हैं येह हम पहले बयान कर आए, अब इस के मुतअल्लिक मसाइल बयान करते हैं :

मस्अला 1 - निफ़ास में कमी की जानिब कोई मुद्त मुकर्रर नहीं, निस्फ़ से ज़ियादा बच्चा निकलने के बाद एक आन भी खून आया तो वोह निफ़ास है और ज़ियादा से ज़ियादा इस का ज़माना चालीस⁴⁰ दिन रात है और निफ़ास की मुद्त का शुमार उस वक़्त से होगा कि आधे से ज़ियादा बच्चा निकल आया और इस बयान में जहां बच्चा होने का लफ़ज़ आएगा इस का मतलब आधे से ज़ियादा बाहर आ जाना है।⁽¹⁾

मस्अला 2 - किसी को चालीस⁴⁰ दिन से ज़ियादा खून आया तो अगर इस के पहली बार बच्चा पैदा हुवा है या येह याद नहीं कि इस से पहले बच्चा पैदा होने में कितने दिन खून आया था तो चालीस⁴⁰ दिन रात निफ़ास है बाकी इस्तिहाज़ा और जो पहली आदत मालूम हो तो आदत के दिनों तक निफ़ास है और जितना ज़ियादा है वोह इस्तिहाज़ा, जैसे आदत तीस³⁰ दिन की थी इस बार पैतालीस⁴⁵ दिन आया तो तीस³⁰ दिन निफ़ास के हैं और पन्दरह¹⁵ इस्तिहाज़ा के।⁽²⁾

मस्अला 3 - बच्चा पैदा होने से पेशतर जो खून आया निफ़ास नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है अगरचे आधा बाहर आ गया हो।⁽³⁾

मस्अला 4 - हम्ल साक़ित हो गया और उस का कोई उज़्व बन चुका है जैसे हाथ, पाउं या उंग्लियां तो येह खून निफ़ास है।⁽⁴⁾ वरना अगर तीन दिन रात तक रहा और इस से पहले पन्दरह दिन पाक रहने का ज़माना गुज़र चुका है तो हैज़ है और जो तीन दिन से पहले ही बन्द हो गया या अभी पूरे पन्दरह दिन तहारत के नहीं गुज़रे हैं तो इस्तिहाज़ा है।

मस्अला 5 - पेट से बच्चा काट कर निकाला गया तो उस के आधे से ज़ियादा निकालने के बाद निफ़ास है।⁽⁵⁾

मस्अला 6 - हम्ल साक़ित होने से पहले कुछ खून आया, कुछ बाद को तो पहले वाला

.....¹ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٧.

.....² المرجع السابق.³ "الفتاوى التاتارخانية"، كتاب الطهارة، نوع آخر في النفاس، ج ١، ص ٣٩٣.

.....⁴ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٧.⁵ المرجع السابق.

इस्तिहाज़ा है बाद वाला निफ़ास, येह उस सूरत में है जब कोई उज़्ज बन चुका हो, वरना पहले वाला अगर हैज़ हो सकता है तो हैज़ है नहीं तो इस्तिहाज़ा।⁽¹⁾

मस्अला 7 — हम्ल साकित हुवा और येह मालूम नहीं कि कोई उज़्ज बना था या नहीं, न येह याद कि हम्ल कितने दिन का था (कि इसी से उज़्ज का बनना न बनना मालूम हो जाता यानी एक सो बीस¹²⁰ दिन हो गए हैं तो उज़्ज बन जाना क़रार दिया जाएगा) और बाद इस्कात के खून हमेशा को जारी हो गया तो उसे हैज़ के हुक्म में समझे, कि हैज़ की जो अ़दत थी उस के गुज़रने के बाद नहा कर नमाज़ शुरूअ कर दे और अ़दत न थी तो दस दिन के बाद और बाकी वोही अहक़ाम हैं जो हैज़ के बयान में मज़कूर हुए।⁽²⁾

मस्अला 8 — जिस औरत के दो² बच्चे जुड़वां पैदा हुए यानी दोनों के दरमियान छे⁶ महीने से कम ज़माना है तो पहला ही बच्चा पैदा होने के बाद से निफ़ास समझा जाएगा, फिर अगर दूसरा चालीस⁴⁰ दिन के अन्दर पैदा हुवा और खून आया तो पहले से चालीस⁴⁰ दिन तक निफ़ास है, फिर इस्तिहाज़ा और अगर चालीस दिन के बाद पैदा हुवा तो उस पिछले के बाद जो खून आया इस्तिहाज़ा है निफ़ास नहीं मगर दूसरे के पैदा होने के बाद भी नहाने का हुक्म दिया जाएगा।⁽³⁾

मस्अला 9 — जिस औरत के तीन बच्चे पैदा हुए कि पहले और दूसरे में छे महीने से कम फ़ासिला है। यूंही दूसरे और तीसरे में अगर्चे पहले और तीसरे³ में छे महीने का फ़ासिला हो जब भी निफ़ास पहले ही से है⁽⁴⁾, फिर अगर चालीस⁴⁰ दिन के अन्दर येह दोनों भी पैदा हो गए तो पहले के बाद से बढ़ से बढ़ चालीस⁴⁰ दिन तक निफ़ास है और अगर चालीस⁴⁰ दिन के बाद हैं तो उन के बाद जो खून आया इस्तिहाज़ा है मगर उन के बाद भी गुस्ल का हुक्म है।

मस्अला 10 — अगर दोनों में छे महीने या ज़ियादा का फ़ासिला है तो दूसरे के बाद भी निफ़ास है।⁽⁵⁾

मस्अला 11 — चालीस दिन के अन्दर कभी खून आया कभी नहीं तो सब निफ़ास ही है अगर्चे पन्दरह¹⁵ दिन का फ़ासिला हो जाए।⁽⁶⁾

मस्अला 12 — इस के रंग के मुतअल्लिक वोही अहक़ाम हैं जो हैज़ में बयान हुए।

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٧.

②..... "الفتاوى التاتارخانية"، كتاب الطهارة، نوع آخر في النفاس، ج ١، ص ٣٩٤.

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٧.

④..... المرجع السابق.

⑤..... المرجع السابق.

⑥..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الثاني، ج ١، ص ٣٧.

हैज़ो निफ़ास के मुतअल्लिक अहक़ाम

मस्अला 1 हैज़ो निफ़ास वाली औरत को कुरआने मजीद पढ़ना देख कर या ज़बानी और उस का छूना अगर उस की जिल्द या चोली या हाशिये को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा लगे येह सब हराम हैं।⁽¹⁾

मस्अला 2 काग़ज़ के परचे पर कोई सूरह या आयत लिखी हो उस का भी छूना हराम है।⁽²⁾

मस्अला 3 जुज़्दान में कुरआने मजीद हो तो उस जुज़्दान के छूने में हरज नहीं।⁽³⁾

मस्अला 4 इस हालत में कुरते के दामन या दोपट्टे के आंचल से या किसी ऐसे कपड़े से जिस को पहने, ओढ़े हुए है कुरआने मजीद छूना हराम है। गरज़ इस हालत में कुरआने मजीद व कुतुबे दीनिया पढ़ने और छूने के मुतअल्लिक वोही सब अहक़ाम हैं जो उस शख्स के बारे में हैं जिस पर नहाना फ़र्ज़ है जिन का बयान गुस्ल के बाब में गुज़रा।

मस्अला 5 मुअल्लिमा को हैज़ या निफ़ास हुवा तो एक एक कलिमा सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ाए और हिज्जे कराने में कोई हरज नहीं।⁽⁴⁾

मस्अला 6 दुआए कुनूत पढ़ना इस हालत में मक्रूह है।⁽⁵⁾ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ سَعَى اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ तक दुआए कुनूत है।

मस्अला 7 कुरआने मजीद के इलावा और तमाम अज़्कार कलिमा शरीफ़, दुरूद शरीफ़ वगैरा पढ़ना बिना कराहत जाइज़ बल्कि मुस्तहब है और इन चीज़ों को वुजू या कुल्ली कर के पढ़ना बेहतर और वैसे ही पढ़ लिया जब भी हरज नहीं और इन के छूने में भी हरज नहीं।

मस्अला 8 ऐसी औरत को अज़ान का जवाब देना जाइज़ है।⁽⁶⁾

मस्अला 9 ऐसी औरत को मस्जिद में जाना हराम है।⁽⁷⁾

मस्अला 10 अगर चोर या दरिन्दे से डर कर मस्जिद में चली गई तो जाइज़ है मगर उसे चाहिये कि तयम्मूम कर ले। यूंही मस्जिद में पानी रखा है या कूवां है और कहीं और पानी नहीं

①..... "الجمهورية النيرة"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ص 39. ②..... المرجع السابق. ③..... المرجع السابق.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج 1، ص 38.

⑤..... येह इमाम मुहम्मद رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى का मज़हब है मगर जाहिररुवायह में है कि इस हालत में दुआए कुनूत पढ़ना मक्रूह नहीं है। "अतत्तजीस" लि साहिबिल हिदाया, जिल्द 1 सफ़हा 186 पर है कि इसी पर फतवा है।

(انظر: "الفتاوى الهندية" ج 1، ص 38. "ردالمحتار" ج 1، ص 301).

⑥..... "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق. ⑦..... المرجع السابق.

⑧..... येह भी मुम्किन है कि कातिब से मक्रूह के बाद "नहीं" लिखना रह गया हो और सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आज़मी رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى की अस्ल इबारत यूं हो :

⑨..... "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق. ⑩..... المرجع السابق.

मिलता तो तयम्मूम कर के जाना, जाइज़ है।⁽¹⁾

मस्अला 11 ईदगाह के अन्दर जाने में हरज नहीं।⁽²⁾

मस्अला 12 हाथ बढ़ा कर कोई चीज़ मस्जिद से लेना जाइज़ है।

मस्अला 13 ख़ानए काबा के अन्दर जाना और उस का तवाफ़ करना अगरचें मस्जिदे हराम के बाहर से हो उन के लिये हराम है।⁽³⁾

मस्अला 14 इस हालत में रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ना हराम है।⁽⁴⁾

मस्अला 15 इन दिनों में नमाज़ें मुआफ़ हैं उन की क़ज़ा भी नहीं और रोज़ों की क़ज़ा और दिनों में रखना फ़र्ज़ है।⁽⁵⁾

मस्अला 16 नमाज़ का आख़िर वक़्त हो गया और अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी कि हैज़ आया, या बच्चा पैदा हुवा तो उस वक़्त की नमाज़ मुआफ़ हो गई अगरचें इतना तंग वक़्त हो गया हो कि उस नमाज़ की गुन्जाइश न हो।⁽⁶⁾

मस्अला 17 नमाज़ पढ़ते में हैज़ आ गया, या बच्चा पैदा हुवा तो वोह नमाज़ मुआफ़ है, अलबत्ता अगर नफ़ल नमाज़ थी तो उस की क़ज़ा वाजिब है।⁽⁷⁾

मस्अला 18 नमाज़ के वक़्त में वुजू कर के इतनी देर तक ज़िक़्रे इलाही, दुरूद शरीफ़ और दीगर वज़ाइफ़ पढ़ लिया करे जितनी देर तक नमाज़ पढ़ा करती थी कि आदत रहे।⁽⁸⁾

मस्अला 19 हैज़ वाली को तीन³ दिन से कम ख़ून आ कर बन्द हो गया तो रोज़े रखे और वुजू कर के नमाज़ पढ़े, नहाने की ज़रूरत नहीं। फिर इस के बाद अगर पन्दरह¹⁵ दिन के अन्दर ख़ून आया तो अब नहाए और आदत के दिन निकाल कर बाकी दिनों की क़ज़ा पढ़े और जिस की कोई आदत नहीं वोह दस¹⁰ दिन के बाद की नमाज़ें क़ज़ा करे, हां अगर आदत के दिनों के बाद या बे आदत वाली ने दस¹⁰ दिन के बाद गुस्ल कर लिया था तो उन दिनों की

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج 1، ص 38. 2..... المرجع السابق.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج 1، ص 38.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج 1، ص 38.

5..... "الدر المختار" و"رد المختار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب: لو أفتي مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة... إلخ، ج 1، ص 532.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج 1، ص 38.

7..... المرجع السابق، و"الفتاوى الرضوية"، ج 4، ص 349.

8..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج 1، ص 38.

नमाज़ें हो गई क़ज़ा की हाज़त नहीं और आदत के दिनों से पहले के रोज़ों की क़ज़ा करे और बाद के रोज़े हर हाल में हो गए।

मस़ाला 20 जिस औरत को तीन³ दिन रात के बाद हैज़ बन्द हो गया और आदत के दिन अभी पूरे न हुए या निफ़ास का ख़ून आदत पूरी होने से पहले बन्द हो गया तो बन्द होने के बाद ही गुस्ल कर के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। आदत के दिनों का इन्तिज़ार न करे।⁽¹⁾

मस़ाला 21 आदत के दिनों से ख़ून मुतजाविज़ हो गया तो हैज़ में दस दिन और निफ़ास में चालीस दिन तक इन्तिज़ार करे अगर इस मुद्दत के अन्दर बन्द हो गया तो अब से नहा धो कर नमाज़ पढ़े और जो इस मुद्दत के बाद भी जारी रहा तो नहाए और आदत के बाद बाक़ी दिनों की क़ज़ा करे।⁽²⁾

मस़ाला 22 हैज़ या निफ़ास आदत के दिन पूरे होने से पहले बन्द हो गया तो आख़िरे वक़्ते मुस्तहब तक इन्तिज़ार कर के नहा कर नमाज़ पढ़े और जो आदत के दिन पूरे हो चुके तो इन्तिज़ार की कुछ हाज़त नहीं।⁽³⁾

मस़ाला 23 हैज़ पूरे दस दिन पर और निफ़ास पूरे चालीस दिन पर ख़त्म हुवा और नमाज़ के वक़्त में अगर इतना भी बाक़ी हो कि अल्लाहु अक्बर का लफ़्ज़ कहे तो उस वक़्त की नमाज़ उस पर फ़र्ज़ हो गई, नहा कर उस की क़ज़ा पढ़े और अगर इस से कम में बन्द हुवा और इतना वक़्त है कि जल्दी से नहा कर और कपड़े पहन कर एक बार अल्लाहु अक्बर कह सकती है तो फ़र्ज़ हो गई क़ज़ा करे वरना नहीं।⁽⁴⁾

मस़ाला 24 अगर पूरे दस दिन पर पाक हुई और इतना वक़्त रात का बाक़ी नहीं कि एक बार अल्लाहु अक्बर कह ले तो उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब है और जो कम में पाक हुई और इतना वक़्त है कि सुब्हे सादिक़ होने से पहले नहा कर कपड़े पहन कर अल्लाहु अक्बर कह सकती है तो रोज़ा फ़र्ज़ है, अगर नहा ले तो बेहतर है वरना बे नहाए निय्यत कर ले और सुब्ह को नहा ले और जो इतना वक़्त भी नहीं तो उस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ न हुवा,

①..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج ١، ص ٥٣٧.

و "الفتاوى الرضوية"، ج ٤، ص ٣٦٤، ٣٦٥.

②..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج ١، ص ٥٢٤، وغيرهما.

③..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ومطلب: لو أفتي مفت بشى... إلخ، ج ١، ص ٥٣٨.

④..... المرجع السابق، ص ٥٤٢، وغيره.

अलबत्ता रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब है, कोई बात ऐसी जो रोज़े के खिलाफ़ हो मसलन खाना, पीना हाराम है।

मस्अला 25 - रोज़े की हालत में हैज़ या निफ़ास शुरू हो गया तो वोह रोज़ा जाता रहा उस की क़ज़ा रखे, फ़र्ज़ था तो क़ज़ा फ़र्ज़ है और नफ़ल था तो क़ज़ा वाजिब।⁽¹⁾

मस्अला 26 - हैज़ो निफ़ास की हालत में सज्दए शुक्र व सज्दए तिलावत हाराम है और आयते सज्दा सुनने से उस पर सज्दा वाजिब नहीं।⁽²⁾

मस्अला 27 - सोते वक़्त पाक थी और सुब्ह सो कर उठी तो असर हैज़ का देखा तो उसी वक़्त से हैज़ का हुक्म दिया जाएगा, इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो पाक होने पर उस की क़ज़ा फ़र्ज़ है।⁽³⁾

मस्अला 28 - हैज़ वाली सो कर उठी और गद्दी पर कोई निशान हैज़ का नहीं तो रात ही से पाक है नहा कर इशा की क़ज़ा पढ़े।

मस्अला 29 - हम बिस्तरी यानी जिमाअ इस हालत में हाराम है।⁽⁴⁾

मस्अला 30 - ऐसी हालत में जिमाअ जाइज़ जानना कुफ़्र है और हाराम समझ कर, कर लिया तो सख़्त गुनहगार हुवा, उस पर तौबा फ़र्ज़ है और आमद के ज़माने में किया तो एक दीनार और क़रीब ख़त्म के किया तो निस्फ़ दीनार ख़ैरात करना मुस्तहब।

मस्अला 31 - इस हालत में नाफ़ से घुटने तक औरत के बदन से मर्द का अपने किसी उज़्व से छूना जाइज़ नहीं जब कि कपड़ा वगैरा हाइल न हो शहवत से हो या बे शहवत और अगर ऐसा हाइल हो कि बदन की गर्मी महसूस न होगी तो हरज नहीं।⁽⁵⁾

मस्अला 32 - नाफ़ से ऊपर और घुटने से नीचे छूने या किसी तरह का नफ़अ लेने में कोई हरज नहीं। यूंही बोसो किनार भी जाइज़ है।⁽⁶⁾

1..... "الدرا المختار" و "ردالمختار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال... إلخ، ج 1، ص 533، وغيره.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج 1، ص 38.

و "ردالمختار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب: لو أفتى مفت بشيء... إلخ، ج 1، ص 532.

3..... "الدرا المختار" و "ردالمختار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب: لو أفتى مفت بشيء... إلخ، ج 1، ص 533.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج 1، ص 39.

5..... "الدرا المختار" و "ردالمختار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة... إلخ، ج 1، ص 534.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج 1، ص 39.

मस्अला 33 अपने साथ खिलाना या एक जगह सोना जाइज़ है बल्कि इस वजह से साथ न सोना मकरूह है।⁽¹⁾

मस्अला 34 इस हालत में औरत मर्द के हर हिस्सए बदन को हाथ लगा सकती है।⁽²⁾

मस्अला 35 अगर हमराह सोने में ग़लबए शहवत और अपने को काबू में न रखने का एहतिमाल हो तो साथ न सोए और अगर गुमान ग़ालिब हो तो साथ सोना गुनाह।

मस्अला 36 पूरे दस¹⁰ दिन पर ख़त्म हुवा तो पाक होते ही उस से जिमाअ जाइज़ है, अगरचे अब तक गुस्ल न किया हो मगर मुस्तहब येह है कि नहाने के बाद जिमाअ करे।⁽³⁾

मस्अला 37 दस दिन से कम में पाक हुई तो ता वक्ते कि गुस्ल न कर ले या वोह वक्ते नमाज़ जिस में पाक हुई गुज़र न जाए जिमाअ जाइज़ नहीं और अगर वक्त इतना नहीं था कि उस में नहा कर कपड़े पहन कर अल्लाहु अक्बर कह सके तो उस के बाद का वक्त गुज़र जाए या गुस्ल कर ले तो जाइज़ है वरना नहीं।⁽⁴⁾

मस्अला 38 आदत के दिन पूरे होने से पहले ही ख़त्म हो गया तो अगरचे गुस्ल कर ले जिमाअ ना जाइज़ है ता वक्ते कि आदत के दिन पूरे न हो लें, जैसे किसी की आदत छे⁶ दिन की थी और इस मरतबा पांच ही रोज़ आया तो उसे हुक्म है कि नहा कर नमाज़ शुरूअ कर दे मगर जिमाअ के लिये एक दिन और इन्तिज़ार करना वाजिब है।⁽⁵⁾

मस्अला 39 हैज़ से पाक हुई और पानी पर कुदरत नहीं कि गुस्ल करे और गुस्ल का तयम्मूम किया तो उस से सोहबत जाइज़ नहीं जब तक इस तयम्मूम से नमाज़ न पढ़ ले, नमाज़ पढ़ने के बाद अगरचे पानी पर कादिर हो कर गुस्ल न किया सोहबत जाइज़ है।⁽⁶⁾

फ़ाएदा : इन बातों में निफ़ास के वोही अहक़ाम हैं जो हैज़ के हैं।

मस्अला 40 निफ़ास में औरत को ज़च्चा खाने से निकलना जाइज़ है, इस को साथ खिलाने या इस का झूटा खाने में हरज नहीं। हिन्दूस्तान में जो बाज़ जगह इन के बरतन तक अलग कर देती हैं बल्कि उन बरतनों को मिस्ल नजिस के जानती हैं येह हिन्दूओं की रस्में हैं,

①..... "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب: لوأفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة... إلخ،

ج ١، ص ٥٣٤، و "الفتاوى الرضوية"، ج ٤، ص ٣٥٥.

②..... "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج ١، ص ٣٤٤.

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج ١، ص ٣٩.

④..... المرجع السابق. ⑤..... المرجع السابق، وغيره. ⑥..... المرجع السابق.

ऐसी बेहूदा रस्मों से एहतिyयात लाजिम । अक्सर औरतों में येह रवाज है कि जब तक चिल्ला पूरा न हो ले अगर्चे निफ़ास ख़त्म हो लिया हो, न नमाज़ पढ़ें न अपने को क़ाबिल नमाज़ के जानें येह महज़ ज़हालत है जिस वक़्त निफ़ास ख़त्म हुवा उसी वक़्त से नहा कर नमाज़ शुरू कर दें अगर नहाने से बीमारी का पूरा अन्देशा हो तो तयम्मुम कर लें ।⁽¹⁾

मस्अला 41

बच्चा अभी आधे से ज़ियादा पैदा नहीं हुवा और नमाज़ का वक़्त जा रहा है और येह गुमान है कि आधे से ज़ियादा बाहर होने से पेश्तर वक़्त ख़त्म हो जाएगा तो उस वक़्त की नमाज़ जिस तरह मुम्किन हो पढ़े । अगर क़ियाम, रुकूअ, सुजूद न हो सके, इशारे से पढ़े । वुजू न कर सके, तयम्मुम से पढ़े और अगर न पढ़ी तो गुनाहगार हुई तौबा करे और बादे तहारत क़ज़ा पढ़े ।⁽²⁾

इस्तिहाजा का बयान**हदीस 1**

सहीहैन में उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीक़ा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से मरवी कि फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ने अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** मुझे इस्तिहाजा आता है और पाक नहीं रहती तो क्या नमाज़ छोड़ दूँ ? फ़रमाया : “न, येह तो रग का ख़ून है, हैज़ नहीं है तो जब हैज़ के दिन आएँ नमाज़ छोड़ दे और जब जाते रहें ख़ून धो और नमाज़ पढ़ ।”⁽³⁾

हदीस 2

अबू दावूद व नसाई की रिवायत में फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से यूँ है कि इन से रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया कि : “जब हैज़ का ख़ून हो तो सियाह होगा, शनाख़्त में आएगा, जब येह हो नमाज़ से बाज़ रह और जब दूसरी किस्म का हो तो वुजू कर और नमाज़ पढ़, कि वोह रग का ख़ून है ।”⁽⁴⁾

हदीस 3

इमाम मालिक व अबू दावूद व दारिमी की रिवायत में है कि एक औरत के ख़ून बहता रहता, उस के लिये उम्मुल मुअमिनीन उम्मे सलमा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ने हुज़ूर से फ़तवा पूछा, इरशाद फ़रमाया कि : “इस बीमारी से पेश्तर महीने में जितने दिन रातें हैज़ आता था उन की गिनती शुमार करे, महीने में उन्हीं की मिक्दार नमाज़ छोड़ दे और जब वोह दिन जाते रहें तो नहाए और लंगोट बांध कर नमाज़ पढ़े ।”⁽⁵⁾

हदीस 4

अबू दावूद व तिरमिज़ी की रिवायत है, इरशाद फ़रमाया : “जिन दिनों में

1..... “الفتاوى الرضوية”، ج 4، ص 355-356، وغيره.

2..... “الدر المختار” و “ردالمحتار”، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب في حكم وطء المستحاضة... إلخ، ج 1، ص 545.

3..... “صحیح مسلم”، كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، الحديث: 333، ص 183.

4..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، الحديث: 286، ج 1، ص 131.

5..... “الموطأ” لإمام مالك، كتاب الطهارة، باب المستحاضة، الحديث: 140، ج 1، ص 77.

हैज आता था, उन में नमाज़ें छोड़ दे, फिर नहाए और हर नमाज़ के वक़्त वुजू करे और रोज़ा रखे और नमाज़ पढ़े।”⁽¹⁾

इस्तिहाजा के अहक़ाम

मस्अला 1 - इस्तिहाजा में न नमाज़ मुआफ़ है न रोज़ा, न ऐसी औरत से सोहबत हराम।⁽²⁾

मस्अला 2 - इस्तिहाजा अगर इस हद तक पहुंच गया कि उस को इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वुजू कर के फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर सके तो नमाज़ का पूरा एक वक़्त शुरूअ से आख़िर तक इसी हालत में गुज़र जाने पर उस को माज़ूर कहा जाएगा, एक वुजू से उस वक़्त में जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े, खून आने से उस का वुजू न जाएगा।⁽³⁾

मस्अला 3 - अगर कपड़ा वगैरा रख कर इतनी देर तक खून रोक सकती है कि वुजू कर के फ़र्ज़ पढ़ ले तो उज़्र साबित न होगा।⁽⁴⁾

मस्अला 4 - हर वोह शख्स जिस को कोई ऐसी बीमारी है कि एक वक़्त पूरा ऐसा गुज़र गया कि वुजू के साथ नमाज़े फ़र्ज़ अदा न कर सका वोह माज़ूर है, उस का भी येही हुक्म है कि वक़्त में वुजू कर ले और आख़िर वक़्त तक जितनी नमाज़ें चाहे इस वुजू से पढ़े, इस बीमारी से उस का वुजू नहीं जाता, जैसे क़तरे का मरज़, या दस्त आना, या हवा ख़ारिज होना, या दुखती आंख से पानी गिरना, या फोड़े, या नासूर से हर वक़्त रतूबत बहना, या कान, नाफ़, पिस्तान से पानी निकलना कि येह सब बीमारियां वुजू तोड़ने वाली हैं। इन में जब पूरा एक वक़्त ऐसा गुज़र गया कि हर चन्द कोशिश की मगर त़हारत के साथ नमाज़ न पढ़ सका तो उज़्र साबित हो गया।⁽⁵⁾

मस्अला 5 - जब उज़्र साबित हो गया तो जब तक हर वक़्त में एक एक बार भी वोह चीज़ पाई जाए माज़ूर ही रहेगा, मसलन औरत को एक वक़्त तो इस्तिहाजा ने त़हारत की मोहलत नहीं दी अब इतना मौक़अ मिलता है कि वुजू कर के नमाज़ पढ़ ले मगर अब भी एकआध दफ़आ हर वक़्त में खून आ जाता है तो अब भी माज़ूर है। यूंही तमाम बीमारियों में और जब पूरा वक़्त गुज़र गया और खून नहीं आया तो अब माज़ूर न रही जब फिर कभी पहली हालत पैदा हो जाए तो फिर माज़ूर है इस के बाद फिर अगर पूरा वक़्त ख़ाली गया तो उज़्र जाता रहा।⁽⁶⁾

मस्अला 6 - नमाज़ का कुछ वक़्त ऐसी हालत में गुज़रा कि उज़्र न था और नमाज़ न

.....¹ "جامع الترمذي"، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، الحديث: ١٢٦، ج ١، ص ١٧٤.

.....² "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج ١، ص ٣٩.

.....³ المرجع السابق، ص ٤١.

.....⁴ "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب في أحكام المعفوء، ج ١، ص ٥٥٤.

.....⁵ "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج ١، ص ٣٧٦.

पढ़ी और अब पढ़ने का इरादा किया तो इस्तिहाज़ा या बीमारी से वुजू जाता रहता है गरज़ यह बाकी वक़्त यूँही गुज़र गया और इसी हालत में नमाज़ पढ़ ली तो अब इस के बाद का वक़्त भी पूरा अगर इसी इस्तिहाज़ा या बीमारी में गुज़र गया तो वोह पहली भी हो गई और अगर उस वक़्त इतना मौक़अ मिला कि वुजू कर के फ़र्ज़ पढ़ ले तो पहली नमाज़ का इआदा करे।⁽¹⁾

मस्अला 7 - खून बहते में वुजू किया और वुजू के बाद खून बन्द हो गया और उसी वुजू से नमाज़ पढ़ी और उस के बाद जो दूसरा वक़्त आया वोह भी पूरा गुज़र गया कि खून न आया तो पहली नमाज़ का इआदा करे। यूँही अगर नमाज़ में बन्द हुवा और इस के बाद दूसरे में बिल्कुल न आया जब भी इआदा करे।⁽²⁾

मस्अला 8 - फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त जाने से माज़ूर का वुजू टूट जाता है जैसे किसी ने अ़सर के वक़्त वुजू किया था तो आफ़ताब के डूबते ही वुजू जाता रहा और अगर किसी ने आफ़ताब निकलने के बाद वुजू किया तो जब तक ज़ोहर का वक़्त ख़त्म न हो वुजू न जाएगा कि अभी तक किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त नहीं गया।⁽³⁾

मस्अला 9 - वुजू करते वक़्त वोह चीज़ नहीं पाई गई जिस के सबब माज़ूर है और वुजू के बाद भी न पाई गई यहां तक कि बाकी पूरा वक़्त नमाज़ का ख़ाली गया तो वक़्त के जाने से वुजू नहीं टूटा। यूँही अगर वुजू से पेशतर पाई गई मगर न वुजू के बाद बाकी वक़्त में पाई गई न उस के बाद दूसरे वक़्त में तो वक़्त⁽⁴⁾ जाने से वुजू न टूटेगा।

मस्अला 10 - और अगर उस वक़्त में वुजू से पेशतर वोह चीज़ पाई गई और वुजू के बाद भी वक़्त में पाई गई या वुजू के अन्दर पाई गई और वुजू के बाद उस वक़्त में न पाई गई मगर बाद वाले में पाई गई तो वक़्त ख़त्म होने पर वुजू जाता रहेगा अगरचें वोह ह़दस न पाया जाए।

मस्अला 11 - माज़ूर का वुजू उस चीज़ से नहीं जाता जिस के सबब माज़ूर है, हां अगर

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج ١، ص ٤٠.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج ١، ص ٤١.

③..... "الدر المختار"، و"رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب في أحكام المعذور، ج ١، ص ٥٥٥.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج ١، ص ٤١.

④..... इस सूत में दो एहतिमाल हैं एक यह कि वुजू के अन्दर भी पाई गई बाद को ख़त्मे वक़्ते सानी तक नहीं दूसरा यह कि वुजू के अन्दर भी न पाई गई सिर्फ़ पहले पाई गई पहली सूत में वोह वुजू वुजूए माज़ूर था लेकिन जब कि उस के बाद इन्किताए ताम हो गया माज़ूर न रहा तो वुजूए माज़ूर ख़त्मे वक़्त से पहले ब वण्हे ज़वाले उज़्र बातिल हो गया वक़्त जाने से क्या टूटे और सूते सानिया में ज़ाहिर है कि यह वुजू इन्किताअ पर है और ख़त्मे वक़्त तक इन्किताअ मुस्तमिर रहा तो ख़ुरूजे वक़्त से न टूटेगा अगरचें वक़्ते दुवुम में मुन्क़तअ न भी होता वक़्ते दुवुम में इन्किताअ का ज़िक्र इस लिये है कि हुक्म दोनों सूतों को शामिल हो। 12 मिन्ह

कोई दूसरी चीज़ वुजू तोड़ने वाली पाई गई तो वुजू जाता रहा। मसलन जिस को क़तरे का मरज़ है, हवा निकलने से उस का वुजू जाता रहेगा और जिस को हवा निकलने का मरज़ है, क़तरे से वुजू जाता रहेगा।⁽¹⁾

मस्अला 12 - माज़ूर ने किसी हृदस के बाद वुजू किया और वुजू करते वक़्त वोह चीज़ नहीं है जिस के सबब माज़ूर है, फिर वुजू के बाद वोह उज़्र वाली चीज़ पाई गई तो वुजू जाता रहा, जैसे इस्तिहाजा वाली ने पाख़ाना पेशाब के बाद वुजू किया और वुजू करते वक़्त खून बन्द था बाद वुजू के आया तो वुजू टूट गया⁽²⁾ और अगर वुजू करते वक़्त वोह उज़्र वाली चीज़ भी पाई जाती थी तो अब वुजू की ज़रूरत नहीं।

मस्अला 13 - माज़ूर के एक नथने से खून आ रहा था वुजू के बाद दूसरे नथने से आया वुजू जाता रहा, या एक ज़ख़्म बह रहा था अब दूसरा बहा, यहां तक कि चेचक के एक दाने से पानी आ रहा था अब दूसरे दाने से आया वुजू टूट गया।⁽³⁾

मस्अला 14 - अगर किसी तरकीब से उज़्र जाता रहे या उस में कमी हो जाए तो इस तरकीब का करना फ़र्ज़ है, मसलन खड़े हो कर पढ़ने से खून बहता है और बैठ कर पढ़े तो न बहेगा तो बैठ कर पढ़ना फ़र्ज़ है।⁽⁴⁾

मस्अला 15 - माज़ूर को ऐसा उज़्र है जिस के सबब कपड़े नजिस हो जाते हैं तो अगर एक दिरम से ज़ियादा नजिस हो गया और जानता है कि इतना मौक़अ है कि इसे धो कर पाक कपड़ों से नमाज़ पढ़ लूंगा तो धो कर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है और अगर जानता है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर इतना ही नजिस हो जाएगा तो धोना ज़रूरी नहीं उसी से पढ़े अगर्चे मुसल्ला भी आलूदा हो जाए कुछ हरज नहीं और अगर दिरहम के बराबर है तो पहली सूरत में धोना वाजिब और दिरहम से कम है तो सुन्नत और दूसरी सूरत में मुल्लक़न न धोने में कोई हरज नहीं।⁽⁵⁾

मस्अला 16 - इस्तिहाजा वाली अगर गुस्ल कर के ज़ोहर की नमाज़ आख़िर वक़्त में और अ़स् की वुजू कर के अव्वल वक़्त में और मग़रिब की गुस्ल कर के आख़िर वक़्त में और इशा की वुजू कर के अव्वल वक़्त में पढ़े और फ़ज़्र की भी गुस्ल कर के पढ़े तो बेहतर है और अज़ब नहीं कि येह अदब जो हदीस में इरशाद हुवा है इस की रिआयत की बरकत से उस के मरज़ को भी फ़ाएदा पहुंचे।

मस्अला 17 - किसी ज़ख़्म से ऐसी रतूबत निकले कि बहे नहीं तो न उस की वज्ह से वुजू टूटे, न माज़ूर हो, न वोह रतूबत नापाक।⁽⁶⁾

①..... "الدرا المختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الحيض، مطلب في أحكام المعذور، ج ١، ص ٥٥٧.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع، ج ١، ص ٤١.

③..... المرجع السابق.

④..... المرجع السابق.

⑤..... المرجع السابق، وغيره.

⑥..... "الفتاوى الرضوية"، ج ٤، ص ٣٧١.

नजासतों का बयान

हदीस 1 — सहीह बुखारी व मुस्लिम में अस्मा बन्ते अबू बक्र رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी कि एक औरत ने अर्ज की : **या रसूलल्लाह !** हम में जब किसी के कपड़े को हैज का खून लग जाए तो क्या करे ? फ़रमाया : “जब तुम में किसी का कपड़ा हैज के खून से आलूदा हो जाए तो उसे खुरचे, फिर पानी से धोए तब उस में नमाज़ पढ़े ।”⁽¹⁾

हदीस 2 — सहीहैन में है उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا फ़रमाती हैं कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के कपड़े से मनी को मैं धोती, फिर हुजूर नमाज़ को तशरीफ़ ले जाते और धोने का निशान उस में होता ।⁽²⁾

हदीस 3 — सहीह मुस्लिम में है, फ़रमाती हैं कि मैं **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के कपड़े से मनी को मल डालती, फिर हुजूर उस में नमाज़ पढ़ते ।⁽³⁾

हदीस 4 — सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “चमड़ा जब पका लिया जाए, पाक हो जाएगा ।”⁽⁴⁾

हदीस 5 — इमाम मालिक उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने हुक्म फ़रमाया कि : “मुर्दार की खालें जब पका ली जाएं तो उन्हें काम में लाया जाए ।”⁽⁵⁾

हदीस 6 — इमाम अहमद व अबू दावूद व नसाई ने रिवायत की, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने दरिन्दों की खाल से मन्अ़ फ़रमाया ।⁽⁶⁾

हदीस 7 — दूसरी रिवायत में है इन के पहनने और इन पर बैठने से मन्अ़ फ़रमाया ।⁽⁷⁾

① “صحيح البخاري”، كتاب الحيض، باب غسل دم المحيض، الحديث: ٣٠٧، ج ١، ص ١٢٥.

② “صحيح البخاري”، كتاب الوضوء، باب غسل المني... إلخ، الحديث: ٢٣٠، ج ١، ص ٩٩.

③ “صحيح مسلم”، كتاب الطهارة، باب حكم المني، الحديث: ٢٨٨، ص ١٦٦.

④ “صحيح مسلم”، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، الحديث: ٣٦٦، ج ٤، ص ١٩٤.

⑤ “الموطأ” لإمام مالك، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، الحديث: ١١٠٧، ج ٢، ص ٥٤.

⑥ “سنن أبي داود”، كتاب اللباس، باب في جلود النمرور والسباع، الحديث: ٤١٣٢، ج ٤، ص ٩٣.

⑦ “سنن أبي داود”، كتاب اللباس، باب في جلود النمرور والسباع، الحديث: ٤١٣١، ج ٤، ص ٩٣.

नजासतों के मुतअल्लिक अहकाम

नजासत दो किस्म है, एक वोह जिस का हुक्म सख्त है उस को गलीज़ा कहते हैं, दूसरी वोह जिस का हुक्म हलका है उस को ख़फ़ीफ़ा कहते हैं।

मस्अला 1 - नजासते गलीज़ा का हुक्म येह है कि अगर कपड़े या बदन में एक दिरहम से ज़ियादा लग जाए तो उस का पाक करना फ़र्ज़ है। बे पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं और क़स्दन पढ़ी तो गुनाह भी हुवा और अगर ब निय्यते इस्तिख़्फ़ाफ़ है तो कुफ़्र हुवा और अगर दिरहम के बराबर है तो पाक करना वाजिब है कि बे पाक किये नमाज़ पढ़ी तो मक्रूहे तहरीमी हुई यानी ऐसी नमाज़ का इअ़ादा वाजिब है और क़स्दन पढ़ी तो गुनहगार भी हुवा और अगर दिरहम से कम है तो पाक करना सुन्नत है कि बे पाक किये नमाज़ हो गई मगर ख़िलाफ़े सुन्नत हुई और उस का इअ़ादा बेहतर है।

मस्अला 2 - अगर नजासत गाढ़ी है जैसे पाख़ाना, लीद, गोबर तो दिरहम के बराबर, या कम, या ज़ियादा के माना येह हैं कि वज़्न में इस के बराबर या कम या ज़ियादा हो और दिरहम का वज़्न शरीअत में इस जगह साढ़े चार माशे और ज़कात में तीन माशा रती $1\frac{1}{5}$ है और अगर पतली हो, जैसे आदमी का पेशाब और शराब तो दिरहम से मुराद उस की लम्बाई चौड़ाई है और शरीअत ने इस की मिक्दार हथेली की गहराई के बराबर बताई यानी हथेली ख़ूब फैला कर हम्वार रखें और उस पर आहिस्ता से इतना पानी डालें कि उस से ज़ियादा पानी न रुक सके, अब पानी का जितना फैलाव है उतना बड़ा दिरहम समझा जाए और इस की मिक्दार तक़रीबन यहां के रूपै के बराबर है।

मस्अला 3 - नजिस तेल कपड़े पर गिरा और उस वक़्त दिरहम के बराबर न था, फिर फैल कर दिरहम के बराबर हो गया तो इस में इलमा को बहुत इख़्तिलाफ़ है और राजेह येह है कि अब पाक करना वाजिब हो गया।⁽¹⁾

मस्अला 4 - नजासते ख़फ़ीफ़ा का येह हुक्म है कि कपड़े के हिस्से या बदन के जिस उज़्व में लगी है, अगर उस की चौथाई से कम है (मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम, आस्तीन में उस की चौथाई से कम। यूंही हाथ में हाथ की चौथाई से कम है) तो मुआफ़ है कि उस से नमाज़ हो जाएगी और अगर पूरी चौथाई में हो तो बे धोए नमाज़ न होगी।⁽²⁾

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٧، وغيره.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٦.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، بحث في بول الفأرة... إلخ، ج ١، ص ٥٧٨.

मस्अला 5 नजासते ख़फीफ़ा और ग़लीज़ा के जो अलग अलग हुक्म बताए गए, यह उसी वक़्त हैं कि बदन या कपड़े में लगे और अगर किसी पतली चीज़ जैसे पानी या सिरका में गिरे तो चाहे ग़लीज़ा हो या ख़फीफ़ा, कुल नापाक हो जाएगी अगर एक क़तरा गिरे जब तक वोह पतली चीज़ हृद्दे कसरत पर यानी दह दर दह न हो।⁽¹⁾

मस्अला 6 इन्सान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उस से गुस्ल या वुजू वाजिब हो नजासते ग़लीज़ा है : जैसे पाख़ाना, पेशाब, बहता ख़ून, पीप, भर मुंह कै, हैज़ो निफ़ास व इस्तिहाज़ा का ख़ून, मनी, मज़ी, वदी।⁽²⁾

मस्अला 7 शहीदे फ़िक्ही⁽³⁾ का ख़ून जब तक उस के बदन से जुदा न हो पाक है।⁽⁴⁾

मस्अला 8 दुखती आंख से जो पानी निकले नजासते ग़लीज़ा है। यूंही नाफ़ या पिस्तान से दर्द के साथ पानी निकले नजासते ग़लीज़ा है।⁽⁵⁾

मस्अला 9 बलग़मी रतूबत नाक या मुंह से निकले नजिस नहीं अगर पेट से चढ़े अगर बीमारी के सबब हो।⁽⁶⁾

मस्अला 10 दूध पीते लड़के और लड़की का पेशाब नजासते ग़लीज़ा है।⁽⁷⁾ यह जो अक्सर अ़वाम में मशहूर है कि दूध पीते बच्चों का पेशाब पाक है महज़ ग़लत है।

मस्अला 11 शीर ख़्वार बच्चे ने दूध डाल दिया अगर भर मुंह है नजासते ग़लीज़ा है।⁽⁸⁾

मस्अला 12 खुश्की के हर जानवर का बहता ख़ून, मुर्दार का गोश्त और चरबी (यानी वोह जानवर जिस में बहता हुवा ख़ून होता है अगर बिगैर ज़ब्दे शर्ई के मर जाए मुर्दार है अगर ज़ब्द किया गया हो जैसे मजूसी या बुत परस्त या मुरतद का ज़बीहा अगर उस ने हलाल जानवर मसलन बकरी वगैरा को ज़ब्द किया हो, उस का गोश्त पोस्त सब नापाक हो गया और अगर ह़राम जानवर ज़ब्दे शर्ई से ज़ब्द कर लिया गया तो उस का गोश्त पाक हो

① "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مبحث في بول الفأرة... إلخ، ج ١، ص ٥٧٩، وغيره.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٦.

③ यानी वोह जिसे गुस्ल नहीं दिया जाता उस का बयान किताबुल जनाइज़ बाबुशहीद में आएगा। 12 मिन्ह

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٦.

⑤ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢٦٩، ٢٧٠. ⑥ "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢٦٣.

⑦ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٦.

⑧ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج ١، ص ٥٦١.

गया अगर्चे खाना हराम है सिवा खिन्जीर के कि वोह नजिसुल ऐन है किसी तरह पाक नहीं हो सकता) हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी, सुवर का पाखाना, पेशाब और घोड़े की लीद और हर हलाल चौपाए का पाखाना जैसे गाय भेंस का गोबर, बकरी ऊंट की मेंगनी और जो परिन्द कि ऊंचा न उड़े उस की बीट, जैसे मुर्गी और बत छोटी हो ख्वाह बड़ी और हर किस्म की शराब और नशा लाने वाली ताड़ी और सेंधी और सांप का पाखाना पेशाब और उस जंगली सांप और मेंडक का गोश्त जिन में बहता खून होता है अगर्चे ज़ब्ह किये गए हों। यूंही उन की खाल अगर्चे पका ली गई हो और सुवर का गोश्त और हड्डी और बाल अगर्चे ज़ब्ह किया गया हो येह सब नजासते ग़लीज़ा हैं।

मस्अला 13 छिपकली या गिरगिट का खून नजासते ग़लीज़ा है।

मस्अला 14 अंगूर का शीरा कपड़े पर पड़ा तो अगर्चे कई दिन गुज़र जाएं कपड़ा पाक है।

मस्अला 15 हाथी के सूंड की रतूबत और शेर, कुत्ते, चीते और दूसरे दरिन्दे चौपायों का लुआब नजासते ग़लीज़ा है।⁽¹⁾

मस्अला 16 जिन जानवरों का गोश्त हलाल है (जैसे गाय, बैल, भेंस, बकरी, ऊंट वगैरहा) उन का पेशाब नीज़ घोड़े का पेशाब और जिस परिन्द का गोश्त हराम है, ख्वाह शिकारी हो या नहीं, (जैसे कव्वा, चील, शिकरा, बाज़, बहरी) उस की बीट नजासते ख़फ़ीफ़ा है।⁽²⁾

मस्अला 17 चमगादड़ की बीट और पेशाब दोनों पाक हैं।⁽³⁾

मस्अला 18 जो परिन्द हलाल ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, मेना, मुर्गाबी, काज़, उन की बीट पाक है।⁽⁴⁾

मस्अला 19 हर चौपाए की जुगाली का वोही हुक्म है जो उस के पाखाने का।⁽⁵⁾

1..... "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج 1، ص 398.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الثاني، ج 1، ص 48.

و "نور الإيضاح" و "مراقي الفلاح"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ص 37.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الثاني، ج 1، ص 46.

4..... "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج 1، ص 574.

5..... "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج 1، ص 400، وغيره.

मस्अला 20 — हर जानवर के पित्ते का वोही हुक्म है जो उस के पेशाब का, हराम जानवरों का पित्ता नजासते ग़लीज़ा और हलाल का नजासते ख़फ़ीफ़ा है।⁽¹⁾

मस्अला 21 — नजासते ग़लीज़ा ख़फ़ीफ़ा में मिल जाए तो कुल ग़लीज़ा है।⁽²⁾

मस्अला 22 — मछली और पानी के दीगर जानवरों और खटमल और मच्छर का खून और ख़च्चर और गधे का लुआ़ब और पसीना पाक है।⁽³⁾

मस्अला 23 — पेशाब की निहायत बारीक छींटें सूई की नोक बराबर की बदन या कपड़े पर पड़ जाएं तो कपड़ा और बदन पाक रहेगा।⁽⁴⁾

मस्अला 24 — जिस कपड़े पर पेशाब की ऐसी ही बारीक छींटें पड़ गईं, अगर वोह कपड़ा पानी में पड़ गया तो पानी भी नापाक न होगा।

मस्अला 25 — जो खून ज़ख़्म से बहा न हो पाक है।⁽⁵⁾

मस्अला 26 — गोश्त, तिल्ली, कलेजी में जो खून बाकी रह गया पाक है और अगर येह चीज़ें बहते खून में सन जाएं तो नापाक हैं बिगैर धोए पाक न होंगी।⁽⁶⁾

मस्अला 27 — जो बच्चा मुर्दा पैदा हुवा उस को गोद में ले कर नमाज़ पढ़ी, अगरचे उस को गुस्ल दे लिया हो नमाज़ न होगी और अगर ज़िन्दा पैदा हो कर मर गया और बे नहलाए गोद में ले कर नमाज़ पढ़ी जब भी न होगी, हां अगर उस को गुस्ल दे कर गोद में लिया था तो हो जाएगी मगर ख़िलाफ़े मुस्तहब है। येह अहक़ाम उस वक़्त हैं कि मुसलमान का बच्चा हो और काफ़िर का मुर्दा बच्चा है तो किसी हाल में नमाज़ न होगी गुस्ल दिया हो या नहीं।⁽⁷⁾

मस्अला 28 — अगर नमाज़ पढ़ी और जेब वगैरा में शीशी है और उस में पेशाब या खून या शराब है तो नमाज़ न होगी और जेब में अन्डा है और उस की ज़र्दी खून हो चुकी है तो नमाज़ हो जाएगी।⁽⁸⁾

①..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستنجاء، ج ١، ص ٦٢٠.

②..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مبحث في بول الفأرة... إلخ، ج ١، ص ٥٧٧.

③..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مبحث في بول الفأرة... إلخ، ج ١، ص ٥٧٩، وغيره.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٦.

⑤..... "الفتاوى الرضوية"، ج ١، ص ٢٨٠.

⑥..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٦.

⑦..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ج ١، ص ٤٠٨.

⑧..... "غنية المتعملي"، فصل في الآسار، ص ١٩٧.

मस्अला 29 - रूई का कपड़ा उधेड़ा गया और उस के अन्दर चूहा सूखा हुवा मिला तो अगर उस में सूराख है तो तीन दिन तीन रातों की नमाज़ों का इआदा कर ले और सूराख न हो तो जितनी नमाज़ें उस से पढ़ी हैं सब का इआदा करे।⁽¹⁾

मस्अला 30 - किसी कपड़े या बदन पर चन्द जगह नजासते गलीज़ा लगी और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं मगर मज्मूआ दिरहम के बराबर है तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी और जाइद है तो जाइद, नजासते ख़फीफ़ा में भी मज्मूए ही पर हुक्म दिया जाएगा।⁽²⁾

मस्अला 31 - हराम जानवरों का दूध नजिस है, अलबत्ता घोड़ी का दूध पाक है मगर खाना जाइज़ नहीं।

मस्अला 32 - चूहे की मेंगनी गेहूं में मिल कर पिस गई या तेल में पड़ गई तो आटा और तेल पाक है, हां अगर मजे में फ़र्क आ जाए तो नजिस है और अगर रोटी के अन्दर मिली तो उस के आस पास से थोड़ी सी अलग कर दें बाकी में कुछ हरज नहीं।⁽³⁾

मस्अला 33 - रेशम के कीड़े की बीट और उस का पानी पाक है।⁽⁴⁾

मस्अला 34 - नापाक कपड़े में पाक कपड़ा या पाक में नापाक कपड़ा लपेटा और उस नापाक कपड़े से येह पाक कपड़ा नम हो गया तो नापाक न होगा बशर्ते कि नजासत का रंग या बू उस पाक कपड़े में ज़ाहिर न हो, वरना नम हो जाने से भी नापाक हो जाएगा, हां अगर भीग जाए तो नापाक हो जाएगा और येह उसी सूरत में है कि वोह नापाक कपड़ा पानी से तर हुवा हो और अगर पेशाब या शराब की तरी उस में है तो वोह पाक कपड़ा नम हो जाने से भी नजिस हो जाएगा और अगर नापाक कपड़ा सूखा था और पाक तर था और इस पाक की तरी से वोह नापाक तर हो गया और इस नापाक को इतनी तरी पहुंची कि उस से छूट कर इस पाक को लगी तो येह नापाक हो गया वरना नहीं।⁽⁵⁾

मस्अला 35 - भीगे हुए पाउं नजिस ज़मीन या बिछोने पर रखे तो नापाक न होंगे, अगर चें पाउं की तरी का उस पर धब्बा महसूस हो, हां अगर उस ज़मीन या बिछोने को इतनी तरी पहुंची कि उस की तरी पाउं को लगी तो पाउं नजिस हो जाएंगे।⁽⁶⁾

मस्अला 36 - भीगी हुई नापाक ज़मीन या नजिस बिछोने पर सूखे हुए पाउं रखे और पाउं में तरी आ गई तो नजिस हो गए और सील है तो नहीं।⁽⁷⁾

①..... "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ج ١، ص ٤٢١.

②..... "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الطهارة، مطلب: إذا صرح... إلخ، ج ١، ص ٥٨٢.

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٨٠، ٤٨٦.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٦.

⑤..... "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء... إلخ، ج ١، ص ٦١٧.

⑥..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٧، ⑦..... المرجع السابق.

मस्अला 37 जिस जगह को गोबर से लेसा और वोह सूख गई भीगा कपड़ा उस पर रखने से नजिस न होगा, जब तक कपड़े की तरी उसे इतनी न पहुंचे कि उस से छूट कर कपड़े को लगे।⁽¹⁾

मस्अला 38 नजिस कपड़ा पहन कर या नजिस बिछोने पर सोया और पसीना आया, अगर पसीने से वोह नापाक जगह भीग गई फिर उस से बदन तर हो गया तो नापाक हो गया वरना नहीं।⁽²⁾

मस्अला 39 नापाक चीज़ पर हवा हो कर गुज़री और बदन या कपड़े को लगी तो नापाक न होगा।⁽³⁾

मस्अला 40 मियानी तर थी और हवा निकली तो कपड़ा नजिस न होगा।⁽⁴⁾

मस्अला 41 नापाक चीज़ का धूआं कपड़े या बदन को लगे तो नापाक नहीं। यूंही नापाक चीज़ के जलाने से जो बुखारात उठें उन से भी नजिस न होगा अगरचे उन से पूरा कपड़ा भीग जाए, हां अगर नजासत का असर उस में ज़ाहिर हो तो नजिस हो जाएगा।⁽⁵⁾

मस्अला 42 उपले का धूआं रोटी में लगा तो रोटी नापाक न हुई।

मस्अला 43 कोई नजिस चीज़ दह दर दह पानी में फेंकी और उस फेंकने की वजह से पानी की छींटें कपड़े पर पड़ीं कपड़ा नजिस न होगा, हां अगर मालूम हो कि येह छींटें उस नजिस शै की हैं तो इस सूरत में नजिस हो जाएगा।⁽⁶⁾

मस्अला 44 पाख़ाने पर से मख़िख़यां उड़ कर कपड़े पर बैठीं कपड़ा नजिस न होगा।⁽⁷⁾

मस्अला 45 रास्ते की कीचड़ पाक है जब तक उस का नजिस होना मालूम न हो तो अगर पाउं या कपड़े में लगी और बे धोए नमाज़ पढ़ ली हो गई मगर धो लेना बेहतर है।⁽⁸⁾

मस्अला 46 सड़क पर पानी छिड़का जा रहा था, ज़मीन से छींटें उड़ कर कपड़े पर पड़ीं, कपड़ा नजिस न हुवा मगर धो लेना बेहतर है।

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٧.

2..... المرجع السابق.

3..... المرجع السابق.

4..... المرجع السابق.

5..... المرجع السابق.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٧.

7..... "المحيط البرهاني"، كتاب الطهارات، الفصل السابع في النجاسات وأحكامها، ج ١، ص ٢١٦.

8..... "الدرالمختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب في العفو عن طين الشارع، ج ١، ص ٥٨٣.

मस्अला 47 — आदमी की खाल अगर्चे नाखुन बराबर थोड़े पानी (यानी दह दर दह से कम) में पड़ जाए, वोह पानी नापाक हो गया और खुद नाखुन गिर जाए तो नापाक नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 48 — बाद पाखाना पेशाब के ढेलों से इस्तिन्जा कर लिया, फिर उस जगह से पसीना निकल कर कपड़े या बदन में लगा तो बदन और कपड़े नापाक न होंगे।⁽²⁾

मस्अला 49 — पाक मिट्टी में नापाक पानी मिलाया तो नजिस हो गई।⁽³⁾

मस्अला 50 — मिट्टी में नापाक भुस मिलाया, अगर थोड़ा हो तो मुत्लकन पाक है और जो ज़ियादा हो तो जब तक खुश्क न हो, नापाक है।⁽⁴⁾

मस्अला 51 — कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए तो अगर्चे उस का जिस्म तर हो बदन और कपड़ा पाक है, हां अगर उस के बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है या उस का लुआब लगे तो नापाक कर देगा।⁽⁵⁾

मस्अला 52 — कुत्ते वगैरा किसी ऐसे जानवर ने जिस का लुआब नापाक है आटे में मुंह डाला तो अगर गुंधा हुवा था तो जहां उस का मुंह पड़ा, उस को अलाहदा कर दे बाकी पाक है और सूखा था तो जितना तर हो गया वोह फेंक दे।

मस्अला 53 — आबे मुस्तामल पाक है नोशादर पाक है।⁽⁶⁾

मस्अला 54 — सिवा सुवर के तमाम जानवरों की वोह हड्डी जिस पर मुर्दार की चिकनाई न लगी हो और बाल और दांत पाक हैं।⁽⁷⁾

मस्अला 55 — औरत के पेशाब के मक़ाम से जो रतूबत निकले पाक है।⁽⁸⁾ कपड़े या बदन में लगे तो धोना कुछ ज़रूर नहीं हां बेहतर है।

मस्अला 56 — जो गोश्त सड़ गया, बदबू ले आया उस का खाना ह़राम है अगर्चे नजिस नहीं।⁽⁹⁾

① "منية المصلي"، بيان النجاسة، ص ١٠٨.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٤٨.

③ المرجع السابق، الفصل الثاني، ص ٤٧. ④ المرجع السابق. ⑤ "الفتاوى الرضوية"، ج ٤، ص ٤٠١.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، ج ١، ص ٤٨.

⑥ "نور الإيضاح"، كتاب الطهارة، ص ٣، و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب في العرقى الذى

يستقطر من دردى الخمر نجس حرام بخلاف النواذر، ج ١، ص ٥٨٤.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١، ص ٣٩٩. و "الفتاوى الرضوية"، ج ٤، ص ٤٧١.

⑧ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج ١، ص ٥٦٦.

⑨ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب في الفرق بين الاستبراء... إلخ، ج ١، ص ٦٢٠.

नजिस चीजों के पाक करने का तरीका

जो चीजें ऐसी हैं कि वोह खुद नजिस हैं (जिन को नापाकी और नजासत कहते हैं) जैसे शराब या ग़लीज़, ऐसी चीजें जब तक अपनी अस्ल को छोड़ कर कुछ और न हो जाएं पाक नहीं हो सकतीं, शराब जब तक शराब है नजिस ही रहेगी और सिरका हो जाए तो अब पाक है।

मस्अला 1 - जिस बरतन में शराब थी और सिरका हो गई वोह बरतन भी अन्दर से इतना पाक हो गया जहां तक उस वक़्त सिरका है, अगर ऊपर शराब की छींटें पड़ी थीं तो वोह शराब के सिरका होने से पाक न होगी। यूंही अगर शराब मसलन मुंह तक भरी थी, फिर कुछ गिर गई कि बरतन थोड़ा ख़ाली हो गया उस के बाद सिरका हुई तो येह ऊपर का हिस्सा जो पहले नापाक हो चुका था पाक न होगा। अगर सिरका उस से उंडेला जाएगा तो वोह सिरका भी नापाक हो जाएगा, हां अगर पल्ली⁽¹⁾ वगैरा से निकाल लिया जाए तो पाक है और पियाज़, लहसन शराब में पड़ गए थे सिरका होने के बाद पाक हो गए।

मस्अला 2 - शराब में चूहा गिर कर फूल फट गया तो सिरका होने के बाद भी पाक न होगा और अगर फूला फटा नहीं था तो अगर सिरका होने से पहले निकाल कर फेंक दिया इस के बाद सिरका हुई तो पाक है और अगर सिरका होने के बाद निकाल कर फेंका तो सिरका भी नापाक है।⁽²⁾

मस्अला 3 - शराब में पेशाब का क़तरा गिर गया या कुत्ते ने मुंह डाल दिया या नापाक सिरका मिला दिया तो सिरका होने के बाद भी ह़राम व नजिस है।⁽³⁾

मस्अला 4 - शराब को ख़रीदना या मंगाना या उठाना या रखना ह़राम है अगर सिरका करने की निय्यत से हो।

मस्अला 5 - नजिस जानवर नमक की कान में गिर कर नमक हो गया तो वोह नमक पाक व हलाल है।⁽⁴⁾

मस्अला 6 - उपले की राख पाक है⁽⁵⁾ और अगर राख होने से क़ब्ल बुझ गया तो नापाक।

①यानी टेढ़ा चम्चा। तेल या घी निकालने का आला।

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٥.

③ المرجع السابق.

④ المرجع السابق.

⑤ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٤.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

मस्अला 7 — जो चीज़ें बि ज़ातिही नजिस नहीं बल्कि किसी नजासत के लगने से नापाक हुई, उन के पाक करने के मुख़्तलिफ़ तरीक़े हैं पानी और हर रक़ीक़ बहने वाली चीज़ से (जिस से नजासत दूर हो जाए) धो कर नजिस चीज़ को पाक कर सकते हैं, मसलन सिरका और गुलाब कि इन से नजासत को दूर कर सकते हैं तो बदन या कपड़ा इन से धो कर पाक कर सकते हैं ।

फ़ाएदा : बिग़ैर ज़रूरत गुलाब और सिरका वग़ैरा से पाक करना ना जाइज़ है कि फ़ुज़ूल ख़र्ची है ।

मस्अला 8 — मुस्तामल पानी और चाय से धोएं पाक हो जाएगा ।

मस्अला 9 — थूक से अगर नजासत दूर हो जाए पाक हो जाएगा, जैसे बच्चे ने दूध पी कर पिस्तान पर कै की, फिर कई बार दूध पिया यहां तक कि उस का असर जाता रहा पाक हो गई⁽¹⁾ और शराबी के मुंह का मस्अला ऊपर गुज़रा ।

मस्अला 10 — दूध और शोरबा और तेल से धोने से पाक न होगा कि इन से नजासत दूर न होगी ।⁽²⁾

मस्अला 11 — नजासत अगर दलदार हो (जैसे पाख़ाना, गोबर, खून वग़ैरा) तो धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं बल्कि उस को दूर करना ज़रूरी है, अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मरतबा धोने से पाक हो जाएगा और अगर चार पांच मरतबा धोने से दूर हो तो चार पांच मरतबा धोना पड़ेगा⁽³⁾ हां अगर तीन मरतबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो तीन बार पूरा कर लेना मुस्तहब है ।

मस्अला 12 — अगर नजासत दूर हो गई मगर उस का कुछ असर रंग या बू बाक़ी है तो उसे भी ज़ाइल करना लाज़िम है, हां अगर उस का असर ब दिक्क़त जाए तो असर दूर करने की ज़रूरत नहीं तीन मरतबा धो लिया पाक हो गया, साबून या खटाई या गर्म पानी से धोने की हाज़त नहीं ।⁽⁴⁾

मस्अला 13 — कपड़े या हाथ में नजिस रंग लगा, या नापाक मेहंदी लगाई तो इतनी मरतबा धोएं कि साफ़ पानी गिरने लगे, पाक हो जाएगा अगरचें कपड़े या हाथ पर रंग बाक़ी हो ।⁽⁵⁾

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٥.

②..... "تبیین الحقائق"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج ١، ص ١٩٤.

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤١.

④..... "الفتاوى الهندية"، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٢.

⑤..... "فتح القدير"، كتاب الطهارات، باب الأنجاس وتطهيرها، ج ١، ص ١٨٤.

मस्अला 14

जाफ़रान या रंग, कपड़ा रंगने के लिये घोला था उस में किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया या और कोई नजासत पड़ गई उस से अगर कपड़ा रंग लिया तो तीन बार धो डालें पाक हो जाएगा।

मस्अला 15

गोदना कि सूई चुभो कर उस जगह सुरमा भर देते हैं तो अगर खून इतना निकला कि बहने के काबिल हो तो ज़ाहिर है कि वोह खून नापाक है और सुरमा कि उस पर डाला गया वोह भी नापाक हो गया, फिर उस जगह को धो डालें पाक हो जाएगी अगर्चे नापाक सुरमे का रंग भी बाकी रहे। यूंही ज़ख़्म में राख भर दी, फिर धो लिया पाक हो गया अगर्चे रंग बाकी हो।

मस्अला 16

कपड़े या बदन में नापाक तेल लगा था, तीन मरतबा धो लेने से पाक हो जाएगा⁽¹⁾ अगर्चे तेल की चिकनाई मौजूद हो, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं कि साबून या गर्म पानी से धोए लेकिन अगर मुर्दार की चरबी लगी थी तो जब तक उस की चिकनाई न जाए पाक न होगा।

मस्अला 17

अगर नजासत रक्कीक हो तो तीन मरतबा धोने और तीनों मरतबा ब कुव्वत निचोड़ने से पाक होगा और कुव्वत के साथ निचोड़ने के येह माना हैं कि वोह शख्स अपनी ताक़त भर इस तरह निचोड़े कि अगर फिर निचोड़े तो उस से कोई क़तरा न टपके, अगर कपड़े का ख़याल कर के अच्छी तरह नहीं निचोड़ा तो पाक न होगा।⁽²⁾

मस्अला 18

अगर धोने वाले ने अच्छी तरह निचोड़ लिया मगर अभी ऐसा है कि अगर कोई दूसरा शख्स जो ताक़त में इस से ज़ियादा है निचोड़े तो दो एक बूंद टपक सकती है तो इस के हक़ में पाक और दूसरे के हक़ में नापाक है। उस दूसरे की ताक़त का एतिबार नहीं, हां अगर येह धोता और इसी क़दर निचोड़ता तो पाक न होता।⁽³⁾

मस्अला 19

पहली और दूसरी मरतबा निचोड़ने के बाद हाथ पाक कर लेना बेहतर है और तीसरी बार निचोड़ने से कपड़ा भी पाक हो गया और हाथ भी और जो कपड़े में इतनी तरी रह गई हो कि निचोड़ने से एकआध बूंद टपकेगी तो कपड़ा और हाथ दोनों नापाक हैं।⁽⁴⁾

.....¹ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب في حكم الصبغ... إلخ، ج ١، ص ٥٩١.

.....² "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٢.

و "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب في حكم الوشم، ج ١، ص ٥٩٤، وغيرهما.

.....³ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج ١، ص ٥٩٤.

.....⁴ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٢.

मस्अला 20

पहली या दूसरी बार हाथ पाक नहीं किया और उस की तरी से कपड़े का पाक हिस्सा भीग गया तो येह भी नापाक हो गया, फिर अगर पहली बार के निचोड़ने के बाद भीगा है तो उसे दो मरतबा धोना चाहिये और दूसरी मरतबा निचोड़ने के बाद हाथ की तरी से भीगा है तो एक मरतबा धोया जाए। यूंही अगर उस कपड़े से जो एक मरतबा धो कर निचोड़ लिया गया है, कोई पाक कपड़ा भीग जाए तो येह दो बार धोया जाए और अगर दूसरी मरतबा निचोड़ने के बाद उस से वोह कपड़ा भीगा तो एक बार धोने से पाक हो जाएगा।

मस्अला 21

कपड़े को तीन मरतबा धो कर हर मरतबा खूब निचोड़ लिया है कि अब निचोड़ने से न टपकेगा, फिर उस को लटका दिया और उस से पानी टपका तो येह पानी पाक है और अगर खूब नहीं निचोड़ा था तो येह पानी नापाक है।

मस्अला 22

दूध पीते लड़के और लड़की का एक ही हुक्म है कि उन का पेशाब कपड़े या बदन में लगा है तो तीन बार धोना और निचोड़ना पड़ेगा।

मस्अला 23

जो चीज़ निचोड़ने के काबिल नहीं है (जैसे चटाई, बरतन, जूता वगैरा) उस को धो कर छोड़ दें कि पानी टपकना मौकूफ हो जाए, यूंही दो मरतबा और धोएं तीसरी मरतबा जब पानी टपकना बन्द हो गया वोह चीज़ पाक हो गई उसे हर मरतबा के बाद सुखाना ज़रूरी नहीं। यूंही जो कपड़ा अपनी नाजुकी के सबब निचोड़ने के काबिल नहीं उसे भी यूंही पाक किया जाए।⁽¹⁾

मस्अला 24

अगर ऐसी चीज़ हो कि उस में नजासत ज़ब्त न हुई, जैसे चीनी के बरतन, या मिट्टी का पुराना इस्तिमाली चिकना बरतन या लोहे, तांबे, पीतल वगैरा धातों की चीज़ें तो उसे फ़क़त तीन बार धो लेना काफ़ी है, इस की भी ज़रूरत नहीं कि उसे उतनी देर तक छोड़ दें कि पानी टपकना मौकूफ हो जाए।⁽²⁾

मस्अला 25

नापाक बरतन को मिट्टी से मांझ लेना बेहतर है।

मस्अला 26

पकाया हुवा चमड़ा नापाक हो गया तो अगर उसे निचोड़ सकते हैं तो निचोड़ें वरना तीन मरतबा धोएं और हर मरतबा इतनी देर तक छोड़ दें कि पानी टपकना मौकूफ हो जाए।⁽³⁾

मस्अला 27

दरी या टाट या कोई नापाक कपड़ा बहते पानी में रात भर पड़ा रहने दें पाक हो जाएगा और अस्ल येह है कि जितनी देर में येह ज़न्ने ग़ालिब हो जाए कि पानी नजासत को बहा ले गया पाक हो गया, कि बहते पानी से पाक करने में निचोड़ना शर्त नहीं।

①..... "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج ١، ص ٤١٣. ②..... المرجع السابق، ص ٤١٤.

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٣.

मस्अला 28

कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया और येह याद नहीं कि वोह कौन सी जगह है तो बेहतर येही है कि पूरा ही धो डालें (यानी जब बिल्कुल न मालूम हो कि किस हिस्से में नापाकी लगी है और अगर मालूम है कि मसलन आस्तीन या कली नजिस हो गई मगर येह नहीं मालूम कि आस्तीन या कली का कौन सा हिस्सा है तो आस्तीन या कली का धोना ही पूरे कपड़े का धोना है) और अगर अन्दाज़ से सोच कर उस का कोई हिस्सा धो ले जब भी पाक हो जाएगा और जो बिला सोचे हुए कोई टुकड़ा धो लिया जब भी पाक है मगर इस सूरत में अगर चन्द नमाज़ें पढ़ने के बाद मालूम हो कि नजिस हिस्सा नहीं धोया गया तो फिर धोए और नमाज़ों का इआदा करे और जो सोच कर धो लिया था और बाद को ग़लती मालूम हुई तो अब धो ले और नमाज़ों के इआदे की हाजत नहीं।⁽¹⁾

मस्अला 29

येह ज़रूरी नहीं कि एक दम तीनों बार धोएं, बल्कि अगर मुख़लिफ़ वक्तों बल्कि मुख़लिफ़ दिनों में येह तादाद पूरी की जब भी पाक हो जाएगा।⁽²⁾

मस्अला 30

लोहे की चीज़ जैसे छुरी, चाकू, तल्वार वगैरा जिस में न जंग हो न नक्शो निगार नजिस हो जाए तो अच्छी तरह पोंछ डालने से पाक हो जाएगी और इस सूरत में नजासत के दलदार या पतली होने में कुछ फ़र्क़ नहीं। यूंही चांदी, सोने, पीतल, गिलट और हर किस्म की धात की चीज़ें पोंछने से पाक हो जाती हैं बशर्ते कि नक्शी न हों और अगर नक्शी हों या लोहे में जंग हो तो धोना ज़रूरी है पोंछने से पाक न होंगी।⁽³⁾

मस्अला 31

आईना और शीशे की तमाम चीज़ें और चीनी के बरतन या मिट्टी के रोगनी बरतन या पोलिश की हुई लकड़ी गरज़ वोह तमाम चीज़ें जिन में मसाम न हों कपड़े या पत्ते से इस क़दर पोंछ ली जाएं कि असर बिल्कुल जाता रहे पाक हो जाती हैं।⁽⁴⁾

मस्अला 32

मनी कपड़े में लग कर खुशक हो गई तो फ़क़त मल कर झाड़ने और साफ़ करने से कपड़ा पाक हो जाएगा अगर बाद मलने के कुछ उस का असर कपड़े में बाकी रह जाए।⁽⁵⁾

मस्अला 33

इस मस्अले में औरत व मर्द और इन्सान व हैवान व तन्दुरुस्त व मरीज़े जिरयान सब की मनी का एक हुक्म है।⁽⁶⁾

मस्अला 34

बदन में अगर मनी लग जाए तो भी इसी तरह पाक हो जाएगा।⁽⁷⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول، ج 1، ص 43، وغيره.

2..... المرجع السابق. 3..... المرجع السابق. 4..... المرجع السابق.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول، ج 1، ص 44.

6..... "الدرا المختار" و"رد المختار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج 1، ص 67.

7..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول، ج 1، ص 44.

मस्अला 35 — पेशाब कर के तहारात न की पानी से न ढेले से और मनी उस जगह पर गुजरी जहां पेशाब लगा हुवा है तो येह मलने से पाक न होगी बल्कि धोना जरूरी है और अगर तहारात कर चुका था या मनी जस्त कर के निकली कि उस मौजूए नजासत पर न गुजरी तो मलने से पाक हो जाएगी।⁽¹⁾

मस्अला 36 — जिस कपड़े को मल कर पाक कर लिया, अगर वोह पानी से भीग जाए तो नापाक न होगा।⁽²⁾

मस्अला 37 — अगर मनी कपड़े में लगी है और अब तक तर है तो धोने से पाक होगा मलना काफी नहीं।⁽³⁾

मस्अला 38 — मोजे या जूते में दलदार नजासत लगी, जैसे पाखाना, गोबर, मनी तो अगरचे वोह नजासत तर हो खुरचने और रगड़ने से पाक हो जाएंगे।⁽⁴⁾

मस्अला 39 — और अगर मिस्ल पेशाब के कोई पतली नजासत लगी हो और उस पर मिट्टी या राख या रेत वागैरा डाल कर रगड़ डालें जब भी पाक हो जाएंगे और अगर ऐसा न किया यहां तक कि वोह नजासत सूख गई तो अब बे धोए पाक न होंगे।⁽⁵⁾

मस्अला 40 — नापाक ज़मीन अगर खुश्क हो जाए और नजासत का असर यानी रंग व बू जाता रहे पाक हो गई, ख़्वाह वोह हवा से सूखी हो या धूप या आग से मगर उस से तयम्मुम करना जाइज़ नहीं, नमाज़ उस पर पढ़ सकते हैं।⁽⁶⁾

मस्अला 41 — जिस कूँए में नापाक पानी हो फिर वोह कूँवां सूख जाए तो पाक हो गया।

मस्अला 42 — दरख़्त और घास और दीवार और ऐसी ईंट जो ज़मीन में जड़ी हो, येह सब खुश्क हो जाने से पाक हो गए और अगर ईंट जड़ी हुई न हो तो खुश्क होने से पाक न होगी बल्कि धोना जरूरी है। यूंही दरख़्त या घास सूखने के पेशतर काट लें तो तहारात के लिये धोना जरूरी है।⁽⁷⁾

मस्अला 43 — अगर पथ्थर ऐसा हो जो ज़मीन से जुदा न हो सके तो खुश्क होने से पाक है वरना धोने की जरूरत है।⁽⁸⁾

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج ١، ص ٥٦٥، وغيرهما.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٤.

③..... المرجع السابق.

④..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج ١، ص ٥٦٢.

⑤..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٤.

⑥..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٤.

⑦..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب... إلخ، ج ١، ص ١٢.

⑧..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٤.

मस्अला 44 - चक्की का पथ्थर खुश्क होने से पाक हो जाएगा।⁽¹⁾

मस्अला 45 - कंकरी जो ज़मीन के ऊपर है खुश्क होने से पाक न होगी और जो ज़मीन में वस्ल है ज़मीन के हुक्म में है।⁽²⁾

मस्अला 46 - जो चीज़ ज़मीन से मुत्तसिल थी और नजिस हो गई, फिर खुश्क होने के बाद अलग की गई तो अब भी पाक ही है।⁽³⁾

मस्अला 47 - नापाक मिट्टी से बरतन बनाए तो जब तक कच्चे हैं नापाक हैं, बाद पुख़्ता करने के पाक हो गए।⁽⁴⁾

मस्अला 48 - तनूर या तवे पर नापाक पानी का छींटा डाला और आंच से उस की तरी जाती रही अब जो रोटी लगाई गई पाक है।⁽⁵⁾

मस्अला 49 - उपले जला कर खाना पकाना जाइज़ है।⁽⁶⁾

मस्अला 50 - जो चीज़ सूखने या रगड़ने वगैरा से पाक हो गई, उस के बाद भीग गई तो नापाक न होगी।⁽⁷⁾

मस्अला 51 - सुवर के सिवा हर जानवर हलाल हो या हराम जब कि ज़ब्ह के काबिल हो और बिस्मिल्लाह कह कर ज़ब्ह किया गया तो उस का गोश्त और खाल पाक है कि नमाज़ी के पास अगर वोह गोश्त है या उस की खाल पर नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ हो जाएगी मगर हराम जानवर ज़ब्ह से हलाल न होगा हराम ही रहेगा।⁽⁸⁾

मस्अला 52 - सुवर के सिवा हर मुर्दार जानवर की खाल सुखाने से पाक हो जाती है, ख़्वाह उस को खारी नमक वगैरा किसी दवा से पकाया हो या फ़क़त धूप या हवा में सुखा लिया हो और उस की तमाम रतूबत फ़ना हो कर बदबू जाती रही हो कि दोनों सूरतों में पाक हो जाएगी उस पर नमाज़ दुरुस्त है।⁽⁹⁾

मस्अला 53 - दरिन्दे की खाल अगर्चे पका ली गई हो न उस पर बैठना चाहिये, न नमाज़ पढ़नी चाहिये कि मिज़ाज में सख़्ती और तकब्बुर पैदा होता है, बकरी और मेंढे की खाल पर

1..... "النهر الفائق"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج 1، ص 144.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول، ج 1، ص 44.

3..... "الفتاوى الحانية"، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب... إلخ، ج 1، ص 12.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الأول، ج 1، ص 44.

5..... المرجع السابق. 6..... المرجع السابق. 7..... المرجع السابق.

8..... "الفتاوى الحانية"، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب... إلخ، ج 1، ص 11.

9..... "الدر المختار" و"ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في أحكام الدباغة، ج 1، ص 393-395، وغيره.

बैठने और पहनने से मिज़ाज में नरमी और इन्किसार पैदा होता है, कुत्ते की खाल अगर्चे पका ली गई हो या वोह ज़ब्द कर लिया गया हो इस्तिमाल में न लाना चाहिये कि आइम्मा के इख़िलाफ़ और अ़वाम की नफ़रत से बचना मुनासिब है।

मस्अला 54 — रूई का अगर इतना हिस्सा नजिस है जिस क़दर धुने से उड़ जाने का गुमाने सहीह हो तो धुने से पाक हो जाएगी वरना बिगैर धोए पाक न होगी, हां अगर मालूम न हो कि कितनी नजिस है तो भी धुने से पाक हो जाएगी।

मस्अला 55 — ग़ल्ला जब पैर⁽¹⁾ में हो और उस की मालिश के वक़्त बैलों ने उस पर पेशाब किया तो अगर चन्द शरीकों में तक़सीम हुवा या उस में से मज़दूरी दी गई या ख़ैरात की गई तो सब पाक हो गया और अगर कुल बि जिन्सिही मौजूद है तो नापाक है, अगर उस में से इस क़दर जिस में एहतिमाल हो सके कि इस से ज़ियादा नजिस न होगा धो कर पाक कर लें तो सब पाक हो जाएगा।

मस्अला 56 — रांग, सीसा पिघलाने से पाक हो जाता है।

मस्अला 57 — जमे हुए घी में चूहा गिर कर मर गया तो चूहे के आस पास से निकाल डालें, बाकी पाक है खा सकते हैं और अगर पतला है तो सब नापाक हो गया उस का खाना जाइज़ नहीं, अलबत्ता उस काम में ला सकते हैं जिस में इस्तिमाले नजासत मन्सूअ न हो, तेल का भी येही हुक्म है।⁽²⁾

मस्अला 58 — शहद नापाक हो जाए तो उस के पाक करने का तरीका येह है कि उस से ज़ियादा उस में पानी डाल कर इतना जोश दें कि जितना था उतना ही हो जाए, तीन मरतबा यूंही करें पाक हो जाएगा।⁽³⁾

मस्अला 59 — नापाक तेल के पाक करने का तरीका येह है कि इतना ही पानी उस में डाल कर ख़ूब हिलाएं, फिर ऊपर से तेल निकाल लें और पानी फेंक दें, यूंही तीन बार करें या उस बरतन में नीचे सूराख़ कर दें कि पानी बह जाए और तेल रह जाए, यूं भी तीन मरतबा में पाक हो जाएगा या यूं करें कि इतना ही पानी डाल कर उस तेल को पकाएं यहां तक कि पानी जल जाए और तेल रह जाए ऐसा ही तीन दफ़आ में पाक हो जाएगा और यूं भी कि पाक तेल या पानी दूसरे बरतन में रख कर उस नापाक और उस पाक दोनों की धार मिला कर ऊपर से गिराएं मगर इस में येह ज़रूर ख़याल रखें कि नापाक की धार उस की

①यानी अनाज साफ़ करने की जगह।

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٥.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الأول، ج ١، ص ٤٢.

धार से किसी वक्त जुदा न हो, न उस बरतन में कोई क़तरा नापाक का पहले से पहुंचा हो न बाद को वरना फिर नापाक हो जाएगा, बहती हुई अ़म चीज़ें, घी वगैरा के पाक करने के भी येही तरीके हैं और अगर घी जमा हो, उसे पिघला कर इन्हीं तरीकों में से किसी तरीके पर पाक करें और एक तरीका इन चीज़ों के पाक करने का येह भी है कि परनाले के नीचे कोई बरतन रखें और छत पर से उसी जिन्स की पाक चीज़ या पानी के साथ इस तरह मिला कर बहाएं कि परनाले से दोनों धारें एक हो कर गिरें सब पाक हो जाएगा या उसी जिन्स या पानी से उबाल लें पाक हो जाएगा।⁽¹⁾

मस्अला 60 जा नमाज़ में हाथ, पाउं, पेशानी और नाक रखने की जगह का नमाज़ पढ़ने में पाक होना ज़रूरी है, बाकी जगह अगर नजासत हो नमाज़ में हरज नहीं, हां नमाज़ में नजासत के कुर्ब से बचना चाहिये।

मस्अला 61 किसी कपड़े में नजासत लगी और वोह नजासत उसी तरफ़ रह गई, दूसरी जानिब उस ने असर नहीं किया तो उस को लौट कर दूसरी तरफ़ जिधर नजासत नहीं लगी है नमाज़ नहीं पढ़ सकते अगर्चे कितना ही मोटा हो मगर जब कि वोह नजासत मवाजेए सुजूद से अलग हो।⁽²⁾

मस्अला 62 जो कपड़ा दो तह का हो अगर एक तह उस की नजिस हो जाए तो अगर दोनों मिला कर सी लिये गए हों तो दूसरी तह पर नमाज़ जाइज़ नहीं और अगर सिले न हों तो जाइज़ है।⁽³⁾

मस्अला 63 लकड़ी का तख़्ता एक रुख़ से नजिस हो गया तो अगर इतना मोटा है कि मोटाई में चिर सके तो लौट कर उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं वरना नहीं।⁽⁴⁾

मस्अला 64 जो ज़मीन गोबर से लेसी गई अगर्चे सूख गई हो उस पर नमाज़ जाइज़ नहीं, हां अगर वोह सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस कपड़े पर नमाज़ पढ़ सकते हैं अगर्चे कपड़े में तरी हो मगर इतनी तरी न हो कि ज़मीन भीग कर उस को तर कर दे कि इस सूरत में येह कपड़ा नजिस हो जाएगा और नमाज़ न होगी।

मस्अला 65 आंखों में नापाक सुरमा या काजल लगाया और फैल गया तो धोना वाजिब है और अगर आंखों के अन्दर ही हो बाहर न लगा हो तो मुआफ़ है।

1..... "الفتاوى الرضوية"، ج ٤، ص ٣٧٨-٣٨٠.

2..... "غنية المتملي"، شرائط الصلاة، الشرط الثاني، ص ٢٠٢.

3..... "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها، مطلب في التشبه بأهل الكتاب، ج ٢، ص ٤٦٧.

4..... "غنية المتملي"، شرائط الصلاة، الشرط الثاني، ص ٢٠٢.

मस्अला 66

किसी दूसरे मुसलमान के कपड़े में नजासत लगी देखी और ग़ालिब गुमान है कि उस को ख़बर करेगा तो पाक कर लेगा तो ख़बर करना वाजिब है।⁽¹⁾

मस्अला 67

फ़ासिकों के इस्तिमाली कपड़े जिन का नजिस होना मालूम न हो पाक समझे जाएंगे मगर बे नमाज़ी के पाजामे वगैरा में एहतियात येही है कि रूमाली पाक कर ली जाए कि अक्सर बे नमाज़ी पेशाब कर के वैसे ही पाजामा बांध लेते हैं और कुप्फ़ार के इन कपड़ों के पाक कर लेने में तो बहुत ख़याल करना चाहिये।

इस्तिन्जे का बयान

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾⁽²⁾

इस मस्जिद यानी मस्जिदे कुबा शरीफ़ में ऐसे लोग हैं जो पाक होने को पसन्द रखते हैं और अल्लाह दोस्त रखता है पाक होने वालों को।

हदीस 1

सुनने इब्ने माजह में अबू अय्यूब व जाबिर व अनस رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ से मरवी कि जब येह आयए करीमा नाज़िल हुई, रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “ऐ गुरौहे अन्सार ! अल्लाह तआला ने तह़ारत के बारे में तुम्हारी तारीफ़ की तो बताओ तुम्हारी तह़ारत क्या है।” अर्ज की नमाज़ के लिये हम वुजू करते हैं और जनाबत से गुस्ल करते हैं और पानी से इस्तिन्जा करते हैं। फ़रमाया : “तो वोह येही है इस का इल्तिज़ाम रखो।”⁽³⁾

हदीस 2

अबू दावूद व इब्ने माजह जैद बिन अरक़म رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “येह पाख़ाने जिन्न और शयातीन के हाज़िर रहने की जगह है तो जब कोई बैतुल ख़ला को जाए येह पढ़ ले।”

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ﴾⁽⁴⁾

1..... “الدر المختار”، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، فصل الاستنجاء، ج 1، ص 622.

2..... 11، التوبة: 108.

3..... “سنن ابن ماجه”، أبواب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، الحديث: 355، ج 1، ص 222.

4..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء، الحديث: 6، ج 1، ص 36.

हदीस 3 - सहीहैन में यह दुआ यूं है :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (1)

हदीस 4 - तिरमिज़ी की रिवायत अमीरुल मुअमिनीन अली रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से यूं है कि जिन्न की आंखों और बनी आदम के सत्र में पर्दा यह है कि जब पाख़ाने को जाए तो बिस्मिल्लाह कह ले। (2)

हदीस 5 - तिरमिज़ी व इब्ने माजह व दारिमी उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ जब बैतुल ख़ला से बाहर आते, यूं फ़रमाते : (3) غُفْرَانِكَ

हदीस 6 - इब्ने माजह की रिवायत अनस रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से यूं है कि जब बैतुल ख़ला से तशरीफ़ लाते तो यह फ़रमाते :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي (4)

हदीस 7 - हिस्ने हसीन में है कि यूं फ़रमाते :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ مِنْ بَطْنِي مَا يَضُرُّنِي وَأَبْقَى فِيهِ مَا يَنْفَعُنِي (5)

हदीस 8 - मुतअदद कुतुब में ब कसरत सहाबए किराम रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ से मरवी कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया कि : “जब पाख़ाने को जाओ तो क़िब्ला को न मुंह करो, न पीठ।” और उज़्वे तनासुल को दहने हाथ से छूने और दाहने हाथ से इस्तिन्जा करने से मन्अ़ फ़रमाया। (6)

1..... “صحيح البخاري”، كتاب الوضوء، باب مايقول عند الخلاء، الحديث: ١٤٢، ج ١، ص ٧٣.

तर्जमा : ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ पलीदी और शयातीन से।

2..... “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، الحديث: ٦٠٦، ج ٢، ص ١١٣.

3..... “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب مايقول إذا خرج من الخلاء، الحديث: ٧، ج ١، ص ٨٧.

तर्जमा : अल्लाह عزوجل से मग़फ़रत का सुवाल करता हूँ।

4..... “سنن ابن ماجه”، أبواب الطهارة، باب مايقول إذا خرج من الخلاء، الحديث: ٣٠١، ج ١، ص ١٩٣.

तर्जमा : हम्द है अल्लाह के लिये जिस ने अजिज़त की चीज़ मुझे से दूर कर दी और मुझे अफ़ियत दी।

5..... “الحصن الحصين”

तर्जमा : हम्द है अल्लाह के लिये जिस ने मेरे शिकम से वोह चीज़ निकाल दी जो मुझे ज़र देती और वोह चीज़ बाकी रखी जो मुझे नफ़ देगी।

6..... “صحيح البخاري”، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، الحديث: ١٤٤، ١٥٣، ج ١، ص ٧٤، ٧٦.

हदीस 9 — अबू दावूद व तिरमिज़ी व नसाई अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ जब बैतुल ख़ला को जाते, अंगूठी उतार लेते⁽¹⁾, कि उस में नामे मुबारक कन्दा था ।

हदीस 10 — अबू दावूद व तिरमिज़ी ने इन्हीं से रिवायत की, जब क़ज़ाए हाजत का इरादा फ़रमाते तो कपड़ा न हटाते ता वक़्ते कि ज़मीन से क़रीब न हो जाएं ।⁽²⁾

हदीस 11 — अबू दावूद जाबिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर जब क़ज़ाए हाजत को तशरीफ़ ले जाते तो इतनी दूर जाते कि कोई न देखे ।⁽³⁾

हदीस 12 — हज़रते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से तिरमिज़ी व नसाई ने रिवायत की, हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “गोबर और हड्डियों से इस्तिन्जा न करो कि वोह तुम्हारे भाइयों (जिन्न) की ख़ूराक है ।”⁽⁴⁾ और अबू दावूद की एक रिवायत में कोयले से भी मुमानअत फ़रमाई ।⁽⁵⁾

हदीस 13 — अबू दावूद व तिरमिज़ी व नसाई अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़िल رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “कोई गुस्ल ख़ाने में पेशाब न करे, फिर उस में नहाए या वुज़ू करे कि अक्सर वस्वसे इस से होते हैं ।”⁽⁶⁾

हदीस 14 — अबू दावूद व नसाई अब्दुल्लाह बिन सरजिस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर ने सूराख़ में पेशाब करने से मुमानअत फ़रमाई ।⁽⁷⁾

हदीस 15 — अबू दावूद व इब्ने माजह मुआज़ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “तीन चीज़ें जो सबबे लानत हैं, उन से बचो : घाट पर और बीच रास्ते और दरख़्त के साए में पेशाब करना ।”⁽⁸⁾

हदीस 16 — इमाम अहमद व तिरमिज़ी व नसाई उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी, फ़रमाती हैं : जो शख़्स तुम से येह कहे कि नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ख़ड़े हो कर पेशाब करते थे तो तुम उसे सच्चा न जानो, हुज़ूर नहीं पेशाब फ़रमाते मगर बैठ कर ।⁽⁹⁾

1..... “جامع الترمذي”، أبواب اللباس... إلخ، باب ماجاء في ليس الخاتم... إلخ، الحديث: ١٧٥٢، ج ٣، ص ٢٨٩.

2..... “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب ماجاء في الاستنار عند الحاجة، الحديث: ١٤، ج ١، ص ٩٢.

3..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، الحديث: ٢، ج ١، ص ٣٥.

4..... “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب ماجاء في كراهية ما يستنجي به، الحديث: ١٨، ج ١، ص ٩٦.

5..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجي به، الحديث: ٣٩، ج ١، ص ٤٨.

6..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب في البول في المستحم، الحديث: ٢٧، ج ١، ص ٤٤.

7..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الجحر، الحديث: ٢٩، ج ١، ص ٤٤.

8..... “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى عن البول فيها، الحديث: ٢٦، ج ١، ص ٤٣.

9..... “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب ماجاء في النهي عن البول قائما، الحديث: ١٢، ج ١، ص ٩٠.

हदीस 17 — इमाम अहमद व अबू दावूद व इब्ने माजह अबू सईद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “दो शख्स पाख़ाने को जाएं और सत्र खोल कर बातें करें तो **अल्लाह** उस पर ग़ज़ब फ़रमाता है।”⁽¹⁾

हदीस 18 — सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने दो क़ब्रों पर गुज़र फ़रमाया तो येह फ़रमाया कि : इन दोनों को अज़ाब होता है और किसी बड़ी बात में (जिस से बचना दुश्वार हो) मुअज़्ज़ब नहीं हैं, इन में से एक पेशाब की छींट से नहीं बचता था और दूसरा चुग़ली खाता।” फिर हुज़ूर ने खजूर की एक तर शाख़ ले कर उस के दो हिस्से किये, हर क़ब्र पर एक एक टुकड़ा नस्ब फ़रमा दिया। सहाबा ने अर्ज़ की : **या रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! येह क्यूं किया ? फ़रमाया : “इस उम्मीद पर कि जब तक येह खुश्क न हों इन पर अज़ाब में तख़फ़ीफ़ ⁽²⁾ हो।”⁽³⁾

इस्तिन्जे के मुतअल्लिक़ मशाइल

मशअला 1 — जब पाख़ाना पेशाब को जाए तो मुस्तहब है कि पाख़ाने से बाहर येह पढ़ ले।

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

फिर बायां क़दम पहले दाख़िल करे और निकलते वक़्त पहले दाहना पाउं बाहर निकाले और निकल कर **गुफ़रांकि अल्हमदुलिले अल्दी अडहब ऐन्नी मा यूडिन्नी वाम्सक ऐली मा यिन्फ़ैन्नी** ⁽⁴⁾ कहे।

मशअला 2 — पाख़ाना या पेशाब फिरते वक़्त या त़हारत करने में न क़िब्ले की तरफ़ मुंह हो न पीठ और येह हुक्म अ़ाम है चाहे मकान के अन्दर हो या मैदान में और अगर भूल कर क़िब्ले की तरफ़ मुंह या पुश्त कर के बैठ गया तो याद आते ही फ़ौरन रुख़ बदल दे इस में उम्मीद है कि फ़ौरन उस के लिये मग़ि़रत फ़रमा दी जाए।⁽⁵⁾

मशअला 3 — बच्चे को पाख़ाना पेशाब फिराने वाले को मक्रूह है कि उस बच्चे का मुंह क़िब्ले को हो येह फिराने वाला गुनहगार होगा।⁽⁶⁾

①.....”سنن أبي داود“، كتاب الطهارة، باب كراهية الكلام عند الحاجة، الحديث: ١٥، ج ١، ص ٤٠.

②.....इस हदीस से मालूम होता है कि क़ब्रों पर फूल डालना जाइज़ है कि येह भी बाइसे तख़फ़ीफ़े अज़ाब हैं जब तक खुश्क न हों नीज़ इन की तस्वीह से मय्यित का दिल बहलता है। 12 मिन्ह

③.....”صحيح البخاري“، كتاب الوضوء، الحديث: २१८، ج १، ص ९६.

④.....”ردالمحتار“، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء... إلخ، ج १، ص ६१०.

⑤.....”الدرالمختار“ و”ردالمحتار“، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء... إلخ، ج १، ص ६०८.

و”الفتاوى الهندية“، كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الاستنجاء، ج १، ص ५०.

⑥.....”الدرالمختار“ و”ردالمحتار“، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء... إلخ، ج १، ص ६१०.

मस्अला 4 — पाख़ाना, पेशाब करते वक़्त सूरज और चांद की तरफ़ न मुंह हो, न पीठ। यूंही हवा के रुख़ पेशाब करना मम्नूअ है।⁽¹⁾

मस्अला 5 — कूएं या हौज़ या चश्मे के کنارے या पानी में अगर्चे बहता हुवा हो या घाट पर या फलदार दरख़्त के नीचे या उस खेत में जिस में ज़िराअत मौजूद हो या साए में जहां लोग उठते बैठते हों या मस्जिद और ईदगाह के पहलू में या क़ब्रिस्तान या रास्ते में या जिस जगह मवेशी बंधे हों इन सब जगहों में पेशाब पाख़ाना मक्रूह है। यूंही जिस जगह वुजू या गुस्ल किया जाता हो वहां पेशाब करना मक्रूह है।⁽²⁾

मस्अला 6 — खुद नीची जगह बैठना और पेशाब की धार ऊंची जगह गिरे येह मम्नूअ है।⁽³⁾

मस्अला 7 — ऐसी सख़्त ज़मीन पर जिस से पेशाब की छींटें उड़ कर आए पेशाब करना मम्नूअ है, ऐसी जगह को कुरेद कर नर्म कर ले या गढ़ा खोद कर पेशाब करे।⁽⁴⁾

मस्अला 8 — खड़े हो कर या लैट कर या नंगे हो कर पेशाब करना मक्रूह है।⁽⁵⁾ नीज़ नंगे सर पाख़ाना पेशाब को जाना या अपने हमराह ऐसी चीज़ ले जाना जिस पर कोई दुआ या अल्लाह व रसूल या किसी बुजुर्ग का नाम लिखा हो मम्नूअ है। यूंही कलाम करना मक्रूह है।

मस्अला 9 — जब तक बैठने के करीब न हो कपड़ा बदन से न हटाए और न हाज़त से ज़ियादा बदन खोले, फिर दोनों पाउं कुशादा कर के बाएं पाउं पर ज़ोर दे कर बैठे और किसी मस्अलए दीनी में गौर न करे कि येह बाइसे महरूमि है और छींक या सलाम या अज़ान का जवाब ज़बान से न दे और अगर छींके तो ज़बान से **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** न कहे, दिल में कह ले और बिगैर ज़रूरत अपनी शर्मगाह की तरफ़ नज़र न करे और न उस नजासत को देखे जो इस के बदन से निकली है और देर तक न बैठे कि इस से बवासीर का अन्देशा है और पेशाब में न थूके, न नाक साफ़ करे, न बिला ज़रूरत खन्कारे, न बार बार इधर उधर देखे, न बेकार बदन छूए, न आस्मान की तरफ़ निगाह करे बल्कि शर्म के साथ सर झुकाए रहे।

① "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب: القول مرجع على الفعل، ج ١، ص ٦١٠، ٦١٢.

② المرجع السابق، ص ٦١١-٦١٣.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج ١ ص ٥٠.

③ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، مطلب: القول مرجع على الفعل، ج ١، ص ٦١٢.

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٠.

⑤ المرجع السابق.

जब फ़ारिग़ हो जाए तो मर्द बाएं हाथ से अपने आले को जड़ की तरफ़ से सर की तरफ़ सोते कि जो क़तरे रुके हुए हैं निकल जाएं, फिर ढेलों से साफ़ कर के खड़ा हो जाए और सीधे खड़े होने से पहले बदन छुपा ले, जब क़तरों का आना मौकूफ़ हो जाए तो किसी दूसरी जगह त़हारत के लिये बैठे और पहले तीन तीन बार दोनों हाथ धो ले और त़हारत खाने में येह दुआ पढ़ कर जाए।

بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ الَّذِينَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ط (1)

फिर दाहने हाथ से पानी बहाए और बाएं हाथ से धोए और पानी का लोटा ऊंचा रखे कि छींटें न पड़ें और पहले पेशाब का मक़ाम धोए फिर पाख़ाने का मक़ाम और त़हारत के वक़्त पाख़ाने का मक़ाम, सांस का ज़ोर नीचे को दे कर ढीला रखें और ख़ूब अच्छी तरह धोएं कि धोने के बाद हाथ में बू बाकी न रह जाए, फिर किसी पाक कपड़े से पोंछ डालें और अगर कपड़ा पास न हो तो बार बार हाथ से पोंछें कि बराए नाम तरी रह जाए और अगर वस्वसे का ग़लबा हो तो रूमाली पर पानी छिड़क लें, फिर उस जगह से बाहर आ कर येह दुआ पढ़ें :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا وَالْإِسْلَامَ نُورًا وَقَائِدًا وَدَلِيلًا إِلَى اللَّهِ وَالْيَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَطَهِّرْ قَلْبِي وَمَحْصُ ذُنُوبِي - (2)

मस़ाला 10 आगे या पीछे से जब नजासत निकले तो ढेलों से इस्तिन्जा करना सुन्नत है और अगर सिर्फ़ पानी ही से त़हारत कर ली तो भी जाइज़ है मगर मुस्तहब येह है कि ढेले लेने के बाद पानी से त़हारत करे। (3)

मस़ाला 11 आगे और पीछे से पेशाब पाख़ाने के सिवा कोई और नजासत, मसलन खून, पीप वगैरा निकले या उस जगहे ख़ारिज से नजासत लग जाए तो भी ढेले से साफ़ कर लेने से त़हारत हो जाएगी जब कि उस मौज़अ से बाहर न हो मगर धो डालना मुस्तहब है। (4)

①.....अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा है और उसी की हम्द है खुदा का शुक्र है कि मैं दीने इस्लाम पर हूँ। ऐ अल्लाह तू मुझे तौबा करने वालों और पाक लोगों में से कर दे जिन पर न ख़ौफ़ है और न वोह ग़म करेंगे। 12

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٠.

و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب في الفرق بين الاستبراء... إلخ، ج ١، ص ٦١٥.

हम्द है अल्लाह के लिये जिस ने पानी को पाक करने वाला और इस्लाम को नूर और खुदा तक पहुंचाने वाला और जन्नत का रास्ता बताने वाला किया : ऐ अल्लाह तू मेरी शर्मगाह को महफूज़ रख और मेरे दिल को पाक कर और मेरे गुनाह दूर कर। 12

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٤٨.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٤٨.

मस्अला 12 — ढेलों की कोई तादादे मुअय्यन सुन्नत नहीं बल्कि जितने से सफ़ाई हो जाए तो अगर एक से सफ़ाई हो गई सुन्नत अदा हो गई और अगर तीन ढेले लिये और सफ़ाई न हुई सुन्नत अदा न हुई, अलबत्ता मुस्तहब येह है कि ताक़ हों और कम से कम तीन हों तो अगर एक या दो से सफ़ाई हो गई तो तीन की गिनती पूरी करे और अगर चार से सफ़ाई हो तो एक और ले कि ताक़ हो जाएं।⁽¹⁾

मस्अला 13 — ढेलों से त़हारत उस वक़्त होगी कि नजासत से मख़्ज के आस पास की जगह एक दरिम से ज़ियादा आलूदा न हो और अगर दरिम से ज़ियादा सन जाए तो धोना फ़र्ज़ है मगर ढेले लेना अब भी सुन्नत रहेगा।⁽²⁾

मस्अला 14 — कंकर, पथ्थर, फटा हुवा कपड़ा येह सब ढेले के हुक्म में हैं, इन से भी साफ़ कर लेना बिला कराहत जाइज़ है, दीवार से भी इस्तिन्जा सुखा सकता है मगर शर्त येह है कि वोह दूसरे की दीवार न हो, अगर दूसरे की मिल्क हो या वक्फ़ हो तो उस से इस्तिन्जा करना मक्रूह है और कर लिया तो त़हारत हो जाएगी, जो मकान उस के पास किराए पर है उस की दीवार से इस्तिन्जा सुखा सकता है।⁽³⁾

मस्अला 15 — पराई दीवार से इस्तिन्जे के ढेले लेना जाइज़ नहीं अगरचे वोह मकान उस के किराए में हो।

मस्अला 16 — हड्डी और खाने और गोबर और पक्की ईंट और ठीकरी और शीशा और कोयले और जानवर के चारे से और ऐसी चीज़ से जिस की कुछ कीमत हो, अगरचे एकआध पैसा सही इन चीज़ों से इस्तिन्जा करना मक्रूह है।⁽⁴⁾

मस्अला 17 — कागज़ से इस्तिन्जा मन्अ है, अगरचे उस पर कुछ लिखा न हो या अबू जहल ऐसे काफ़िर का नाम लिखा हो।

मस्अला 18 — दाहने हाथ से इस्तिन्जा करना मक्रूह है, अगर किसी का बायां हाथ बेकार हो गया तो उसे दहने हाथ से जाइज़ है।⁽⁵⁾

मस्अला 19 — आले को दहने हाथ से छूना या दाहने हाथ में ढेला ले कर उस पर गुज़ारना मक्रूह है।⁽⁶⁾

मस्अला 20 — जिस ढेले से एक बार इस्तिन्जा कर लिया उसे दोबारा काम में लाना मक्रूह है मगर दूसरी करवट उस की साफ़ हो तो उस से कर सकते हैं।⁽⁷⁾

.....¹ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٤٨.² المرجع السابق.

.....³ "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب: إذا دخل المستنجي... إلخ، ج ١، ص ٦٠١.

.....⁴ "الدرالمختار" و"رد المحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب: إذا دخل المستنجي في ماء قليل، ج ١، ص ٦٠٥.

.....⁵ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة وأحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٠.

.....⁶ المرجع السابق، ص ٤٩.⁷ المرجع السابق، ص ٥٠.

मस्अला 21 — पाख़ाने के बाद मर्द के लिये ढेलों के इस्तिमाल का मुस्तहब तरीका येह है कि गरमी के मौसिम में पहला ढेला आगे से पीछे को ले जाए और दूसरा पीछे से आगे की तरफ़ और तीसरा आगे से पीछे को और जाड़ों में पहला पीछे से आगे को और दूसरा आगे से पीछे को और तीसरा पीछे से आगे को ले जाए।⁽¹⁾

मस्अला 22 — औरत हर ज़माने में उसी तरह ढेले ले जैसे मर्द गर्मियों में।⁽²⁾

मस्अला 23 — पाक ढेले दाहनी जानिब रखना और बाद काम में लाने के बाई तरफ़ डाल देना, इस तरह पर कि जिस रुख़ में नजासत लगी हो नीचे हो मुस्तहब है।⁽³⁾

मस्अला 24 — पेशाब के बाद जिस को येह एहतिमाल है कि कोई क़तरा बाक़ी रह गया या फिर आएगा, उस पर इस्तिब्रा (यानी पेशाब करने के बाद ऐसा काम करना कि अगर क़तरा रुका हो तो गिर जाए) वाजिब है, इस्तिब्रा टहलने से होता है या ज़मीन पर ज़ोर से पाउं मारने या दहने पाउं को बाएं और बाएं को दहने पर रख कर ज़ोर करने या बुलन्दी से नीचे उतरने या नीचे से बुलन्दी पर चढ़ने या खन्कारने या बाई करवट पर लैटने से होता है और इस्तिब्रा उस वक़्त तक करे कि दिल को इत्मीनान हो जाए, टहलने की मिक्दार बाज़ उलमा ने चालीस क़दम रखी मगर सहीह येह है कि जितने में इत्मीनान हो जाए और येह इस्तिब्रा का हुक्म मर्दों के लिये है, औरत बाद फ़ारिग़ होने के थोड़ी देर वक्फ़ा कर के त़हारत कर ले।⁽⁴⁾

मस्अला 25 — पाख़ाने के बाद पानी से इस्तिन्जे का मुस्तहब तरीका येह है कि कुशादा हो कर बैठे और आहिस्ता आहिस्ता पानी डाले और उंगलियों के पेट से धोए, उंगलियों का सिरा न लगे और पहले बीच की उंगली ऊंची रखे, फिर वोह जो उस से मुत्तसिल है इस के बाद छुंगल्या ऊंची रखे और ख़ूब मुबालगे के साथ धोए, तीन उंगलियों से ज़ियादा से त़हारत न करे और आहिस्ता आहिस्ता मले यहां तक कि चिकनाई जाती रहे।⁽⁵⁾

मस्अला 26 — हथेली से धोने से भी त़हारत हो जाएगी।⁽⁶⁾

मस्अला 27 — औरत हथेली से धोए और ब निस्बत मर्द के ज़ियादा फैल कर बैठे।⁽⁷⁾

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٤٨.

2..... "نورالإيضاح"، كتاب الطهارة، فصل في الاستنجاء، ص ١٠.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٤٨.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٤٩.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب: في الفرق بين الاستبراء... إلخ، ج ١، ص ٦١٤.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج ١، ص ٤٩.

7..... المرجع السابق.

6..... المرجع السابق.

मस्अला 28 ✱ तहारात के बाद हाथ पाक हो गए मगर फिर धो लेना बल्कि मिट्टी लगा कर धोना मुस्तहब है।⁽¹⁾

मस्अला 29 ✱ जाड़ों में ब निस्बत गर्मियों के धोने में ज़ियादा मुबालगा करे और अगर जाड़ों में गर्म पानी से तहारात करे तो इसी क़दर मुबालगा करे जितना गर्मियों में मगर गर्म पानी से तहारात करने में इतना सवाब नहीं जितना सर्द पानी से और मरज़ का भी एहतिमाल है।⁽²⁾

मस्अला 30 ✱ रोज़े के दिनों में न ज़ियादा फैल कर बैठे न मुबालगा करे।⁽³⁾

मस्अला 31 ✱ मर्द लुन्झा हो तो उस की बीबी इस्तिन्जा करा दे और औरत ऐसी हो तो उस का शौहर और बीबी न हो या औरत का शौहर न हो तो किसी और रिश्तेदार बेटा, बेटी, भाई, बहन से इस्तिन्जा नहीं करा सकते बल्कि मुआफ़ है।⁽⁴⁾

मस्अला 32 ✱ ज़मज़म शरीफ़ से इस्तिन्जा पाक करना मक्रूह है⁽⁵⁾ और ढेला न लिया हो तो ना जाइज़।

मस्अला 33 ✱ वुजू के बक़िय्या पानी से तहारात करना ख़िलाफ़े औला है।

मस्अला 34 ✱ तहारात के बचे हुए पानी से वुजू कर सकते हैं, बाज़ लोग जो इस को फेंक देते हैं येह न चाहिये इसराफ़ में दाख़िल है।⁽⁶⁾

قد تم بحمد الله سبحانه وتعالى هذا الجزء في مسائل الطهارة وله الحمد اولا و اخرا و باطنا و ظاهرا كما يحب ربنا و يرضى وهو بكل شئ عليم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم و صلى الله على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله و صحبه و ابنه و ذريته و علماء ملته و اولياء امته اجمعين امين والحمد لله رب العالمين. وانا الفقير المفتقر الى الله الغني ابو العلا امجد على الاعظمى غفر الله له ولوالديه. امين

اعظمى رضوى
۱۳۲۹
محمد امجد على

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۴۹.

2..... المرجع السابق. 3..... المرجع السابق.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۴۹.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب: إذا دخل المستنجي في ماء قليل، ج ۱، ص ۶۰۷.

5..... "ردالمحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ۱، ص ۳۵۸.

و "الفتاوى الرضوية"، ج ۲، ص ۴۵۲.

6..... "الفتاوى الرضوية"، ج ۴، ص ۵۷۵.

તશ્દીકે જલીલ વ તવરીજે બે મશીલ

इमामे अहले सुन्नत, नासिरे दीनो मिल्लत, मुह्युशशरीअह, कासिरुल फ़ितना, कामिउल बिद्अह, मुजद्दिदुल मिअतिल हादिरह, साहिबुल हुज्जतुल काहिरा, सय्यिदी व सनदी व कन्ज़ी व जुख़री लि यौमी व ग़दी आला हज़रत मौलाना मौलवी हाजी क़ारी मुफ़्ती **अहमद रजा खां** साहिब कादिरी बरकाती. نفع الله الاسلام والمسلمين بفيوضهم وبركاتهم.

بسم الله الرحمن الرحيم ^ط. الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفى 'لا سيما على
الشارع المصطفى ومقتفيه في المشارع اولى الطهارة و الصفا

फ़कीर ग़फ़रुल मोलवी क़दिर ने मसाइले तह़ारत में येह मुबारक रिसाला **बहारे शरीअत** तस्नीफ़े लतीफ़ **والعلی والفضل والفکر القویم والسخی** मौलाना अबुल इला मौलवी हकीम मुहम्मद अमजद अली क़ादिरि बरकाती आजमी बिल मज़हब वल मशरब वस्सुकना **رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الدَّرَجَاتِ الْحُسْنَى** मुतालआ किया **الْحَمْدُ لِلّٰهِ** मसाइले सहीहा रज़ीहा मुहक्क़ा मुनक्क़ा पर मुश्तमिल पाया आज कल ऐसी किताब की ज़रूरत थी कि अ़वाम भाई सलीस उर्दू में सहीह मस्अले पाएं और गुमराही व अग़लात के मस्नूअ व मुलम्मअ ज़ेवरो की तरफ़ आंख न उठाएं। मौला **عَزَّوَجَلَّ** मुसन्निफ़ की उम्र व अमल व फैज़ में बरकत दे और अकाइद से ज़रूरी फ़ुरूअ तक हर बाब में इस किताब के और हि़सस काफ़ी व शाफ़ी व वाफ़ी व साफ़ी तालीफ़ करने की तौफ़ीक़ बख़्शे और उन्हें अहले सुन्नत में शाएअ व मामूल और दुन्या व आख़िरत में नाफ़ेअ व मक्बूल फ़रमाए। आमीन।

والحمد لله رب العلمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآبائه وحزبه أجمعين آمين ١٢ . ربيع الآخر شريف ١٣٣٥ هـ جريه على صاحبها وآله الكرام أفضل الصلوة والتحية آمين .

जमीमए बहारे शरीअत हिस्सए दुवुम

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

बहारे शरीअत हिस्सए दुवुम में जहां आबे मुल्लक व आबे मुकय्यद के जुड़य्यात फकीर ने गिनाए एक मस्अला येह भी बयान में आया कि हुक्के का पानी पाक है अगर्चे रंग व बू व मज़ा में तगय्युर आ जाए उस से वुजू जाइज है। ब कदरे किफायत उस के होते हुए तयम्मूम जाइज नहीं इस पर काठियावाड़ के बाज अज़्लाअ के अवाम में ख्वाह म ख्वाह इख़िलाफ पैदा हुवा और यहां एक ख़त तलबे दलील के लिये भेजा। चाहिये येह था कि ख़िलाफ़ करने वाले दलील लाते कि दलील उन के ज़िम्मे है न हमारे ज़िम्मे इस लिये कि पानी अस्ल में त़ाहिर मुतहहर है।

अल्लाह عزّوجلّ इरशाद फ़रमाता है :

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾⁽¹⁾

और फ़रमाता है :

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ بِهِ﴾⁽²⁾

रहुल मुहतार में है :

”ويستدل بالآية ايضا على طهارته اذ لا منة بالنجس“⁽³⁾

फ़िक्ह का वोह इरशाद कि किसी पानी की नजासत की काफ़िर ने ख़बर दी उस का कौल न माना जाएगा और उस से वुजू जाइज है। कि नजासत अरिज़ी है और कौले काफ़िर दियानात में ना मोतबर।⁽⁴⁾ लिहाज़ा अपनी अस्ल त़हारत पर रहेगा। इस से हमारे कौल की काफ़ी ताईद है मगर येह सब बातें उस के लिये हैं जो क़वाइदे शरइय्या के मुताबिक़ कहे या कहना चाहे और आज कल इस से बहुत कम अलाका रहा ”الاماءة الله“ इस ज़माने में तो येह रह गया है कि कुछ कह कर अवाम में इख़िलाफ़ पैदा कर दिया जाए। सहीह हो या ग़लत इस से कुछ मतलब नहीं, मोतरिज़ीन अगर्चे इसे नापाक मानते हैं लेहाज़ा सिर्फ़ त़हारत की सनद देनी हमें काफ़ी थी, मगर हम एहसानन दोनों हुक्मों का सुबूत देते हैं : त़हारत के मुतअल्लिक़

① प १९, الفرقان : ४८.

② प ९, الانفال : ११.

③ ”رد المحتار“، كتاب الطهارة، باب المياه، ج १، ص ३०८.

④ ”الدر المختار“، كتاب الحظر والإباحة، ج ९، ص ५६९.

तो वोही काफी है कि येह पानी है और पानी बि ज़ातिही नजिस नहीं ता वक्ते कि किसी नजिस का ख़ल्त या नजिस का मस न हो नजिस नहीं हो सकता। नजिस का ख़ल्त जैसे शराब या पेशाब या दीगर अश्याए नजिसा इस में मिल जाएं तो अगर क़लील है यानी दह दर दह से कम है तो अब नापाक हो जाएगा और अगर दह दर दह है तो नजिस के मिलने से भी उस वक्त नापाक होगा कि उस नजिस शै ने इस के रंग या बू या मजे को बदल दिया। दुर्रे मुख़्तार में है :

(1) وينجس بتغير احد اوصافه من لون او طعم او ريح ينجس الكثير ولو جاريا اجماعا أما القليل فينجس وان لم يتغير.
आलमगीरिया में है :

الماء الراكد اذا كان كثيراً فهو بمنزلة الجاري لا ينجس
جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه الا ان يتغير لونه او طعمه او ريحه وعلى هذا اتفق العلماء وبه اخذ
عامة المشائخ رحمهم الله تعالى كذا في " المحيط " (2)

मस की सूरत येह है कि नजिस चीज़ पानी से छू जाए अगर्चे उस के अज्ज़ा इस में न मिलें क़लील पानी नजिस हो जाएगा। जैसे सुवर के बदन का कोई हिस्सा अगर्चे बाल पानी से छू जाए नजिस हो जाएगा। अगर्चे वोह फ़ौरन उस से जुदा कर लिया जाए अगर्चे लुआब वगैरा कोई नजासत उस के बदन से जुदा हो कर पानी में न मिली। हिन्दिया में है :

(3) وان كان نجس العين كالخنزير فانه ينجس وان لم يدخل فاه
नीज़ इसी में है :

اما الخنزير فجميع اجزائه نجسة (4)
रहुल मुह़तार में है :

وظاهر الرواية ان شعره نجس وصححه في البدائع ورجحه في الاختيار فلو صلى ومعه منه اكثر
من قدر الدرهم لا تجوز ولو وقع في ماء قليل نجسه (5)
यूँही कोई दम्वी जानवर पानी में गिर कर मर जाए या मरा हुवा गिर जाए पानी नजिस हो जाएगा अगर्चे उस का लुआब वगैरा पानी से मख़्लूत न हो कि मुजर्द मुलाक़ाते मैता आबे क़लील को नजिस कर देती है।

दुर्रे मुख़्तार में है :

- 1..... " الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١، ص ٣٦٧.
- 2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٨.
- 3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩.
- 4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٤.
- 5..... "رد المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في أحكام الدباغة، ج ١، ص ٣٩٨.

(1) اومات فيها (ای فی بشردون القدر الكثير) او خارجها والقی فیها حیوان دموى .

और अगर सुवर के सिवा कोई और जानवर गिरा जिस का लुआब नजिस है और ज़िन्दा निकल आया तो जब तक उस के मुंह का पानी में पड़ना मालूम न हो नजिस न होगा । फ़तावाए अलमगीरिया में है :

والصحيح ان الكلب ليس بنجس العين فلا يفسد الماء ما لم يدخل فاه هكذا في التبيين وهكذا سائر ما لا يوكل لحمه من سباع الوحش والطيور لا يتنجس الماء اذا اخرج حيا ولم يصل فاه في الصحيح هكذا في "محيط السرخسى" (2)

दुर्गे मुख़तार में है :

لو اخرج حيا وليس بنجس العين ولا به حدث او خبث لم ينزح شئ الا ان يدخل فمه الماء فيعتبر بسؤره فان نجسا نزح الكل والا لا هو الصحيح. (3)

بخلاف ما اذا كان على الحيوان خبث اى نجاسة وعلم بها فانه ينجس : रहल मुह़तार में है :
مطلقا قال فى البحر وقيدنا بالعلم لانهم قالوا فى البقر ونحوه يخرج حيا لا يجب نزح شئ وان كان الظاهرا شتمال بولها على افخاذها لكن يحتمل طهارتها بان سقطت عقب دخولها ماء كثيرا مع ان الاصل الطهارة اه ومثله فى "الفتح" اه. (4)

इस इबारेते रहल मुह़तार से येह भी मालूम हो गया कि जब तक किसी शै का नजिस होना यकीनी मालूम न हो हुक्मे नजासत नहीं देते अगर्चे ज़ाहिर नजिस होना हो तो हुक्के के पानी की निस्बत जब तक नजिस होना यकीनी न हो नजिस नहीं कह सकते । नजासत का यकीन तो दर कनार यहां वहम भी नजासत का नहीं, इस की नजासत उसी वक्त साबित होगी कि इस का नजासत से मस या इस में नजासत ख़ल्त यकीनन मालूम हो और येह दोनों अम्र मफ़कूद तो अपनी अस्ल त़हारत पर होना साबित । وهو المقصود ثم اقول । येह तो हर शख़्स जानता है कि येह वोही पानी है जो हुक्के में डालने से पहले त़हिरो मुतहहर था हां अगर नजिस पानी से किसी ने हुक्का ताज़ा किया या उस का हुक्का अन्दर से नजिस था या उस पानी में बाद को कोई नजासत पड़ी ख़्वाह हुक्के के अन्दर ही या उस में से निकालने के बाद तो येह सब बिना शुबा नजिस ही हैं इस की त़हारत का कौन काइल हो सकता है अगर बजाए हुक्के घड़ा या लोटा नजिस होते तो उन का पानी भी नजिस होता और कोई अक़िल नहीं कह सकता कि मुत्लक़न घड़े या लोटे का पानी नजिस होता है कि येह नजासत उस के खुसूस नजिस होने से है न येह कि घड़ा या लोटा होना बाइसे नजासत है । यूंही यहां येह नजासत खुसूस इस ज़रफ़

① "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤٠٧ .

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج ١، ص ١٩ .

③ "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤١٠ .

④ "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، فصل في البئر، ج ١، ص ٤١٠ .

के नजिस होने या इस पानी में नजिस के मिलने से है न येह कि इस का हुक्का होना सबबे नजासत है और कलाम यहां इस में है कि हुक्के का धूआं पानी पर गुजरने से पानी नजिस नहीं होता तो जब येह वोही पानी है कि पहले से पाक था और अब मुर्रे दुखान से इस के औसाफ़ मुतगय्यिर हुए तो अगर औसाफ़ का बदलना सबबे नजासत हो तो लाज़िम कि शरबते गुलाब, केवड़ा, चाय, शोरबा और वोह पानी जिस में ज़ाफ़रान या शहाब डाला हो बल्कि तमाम वोह चीज़ें जिन में पानी के औसाफ़ बदल जाते हैं सब की सब नजिस हो जाएं और येह बदाहतन बातिल, लिहाज़ा साबित कि मुल्लक़न हर शै के मिलने से नापाक न होगा। बल्कि नजिस होने के लिये नजिस की मुलाक़ात ज़रूरी है।

लिहाज़ा पहले तम्बाकू का नापाक होना शर्अ से साबित करें फिर शर्अन इस के धूएं के भी नजिस होने का सुबूत दें फिर इस को नजिस बताएं व दूनहू खर्तुल क़ताद, येह अम्र तो हिन्दूस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि तम्बाकू एक दरख़्त का पत्ता है जिस में कुछ अज्ज़ा मिला कर खाते, पीते, सूंघते हैं और येह बदीही बात है कि पत्ते नजिस नहीं। बाकी अज्ज़ा मसलन शीरए रेह या खुशबू करने या दीगर मनाफ़ेअ के लिये कुछ अज्ज़ा और शामिल किये जाते हैं, मसलन सुम्बुलुत्तीब, अनन्नास, अमल्लास, बेर, कटहल वगैरहा इन में कोई चीज़ नजिस नहीं लिहाज़ा तम्बाकू त़ाहिर। येह अम्रे आख़िर है कि इस के खाने या पीने से बेहोशी की कैफ़ियत पैदा हो जाए तो ब वज्हे तफ़्तीर इस का इस हद तक खाना पीना हराम होगा कि

نهی رسول الله صَلَّى الله تعالى عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. (1)

मगर हराम होना और बात है नजिस होना और, वैसे तो मिट्टी भी हद्दे ज़रर तक खाना हराम है। हालां कि मिट्टी पाक बल्कि पाक करने वाली है। कुतुबे फ़िक्ह में बे शुमार जुज़्इय्यात मिलेंगे कि खाना पीना हराम है और शै पाक।

والمسک طاهر حلال. (2) : तन्वीरुल अब्सार में है :

इस पर रहुल मुह़तार में फ़रमाया :

زاد قوله حلال لانه لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب "منح" ای فان التراب طاهر ولا يحل اكله. (3)

तो जब तम्बाकू पाक ठहरा, उस का धूआं किस तरह नापाक हो सकता है। पाक चीज़ तो खुद पाक चीज़ है, नापाक चीज़ों के धूएं की निस्बत फ़िक्हे हनफ़ी का हुक्म है कि जब तक उस से उस नापाक शै का असर ज़ाहिर न हो, हुक्मे त़ाहारत है।

1..... "سنن أبي داود"، كتاب الأشربة، باب النهی عن المسكر، الحديث: 3686، ج 3، ص 461.

2..... "تنوير الأبصار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج 1، ص 404.

3..... "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في المسك... إلخ، ج 1، ص 403.

रहुल मुह्तार में है :

إذا حُرقت العذرة في بيت فاصاب ماء الطابق ثوب انسان لا يفسده استحسانا مالم يظهر اثر النجاسة فيه وكذا الاصطبل اذا كان حارا وعلى كوته طابق او كان فيه كوز معلق فيه ماء فترشح وكذا الحمام لو فيها نجاسات فعرق حيطانها وكواتها وتقاطر. (1)

फ़तावाए आलमगीरिया में है :

دخان النجاسة اذا اصاب الثوب او البدن الصحيح انه لا ينجسه هكذا في " السراج الوهاج " وفي الفتاوى اذا احترقت العذرة في بيت فعلا دخانه وبخاره الى الطابق وانعقد ثم ذاب وعرق الطابق فاصاب ماؤه ثوبا لا يفسد استحسانا مالم يظهر اثر النجاسة وبه افتي الامام ابو بكر محمد بن الفضل كذا في " الفتاوى الغياثية " وكذا الاصطبل اذا كان حارا وعلى كوته طابق او بيت البالوعة اذا كان عليه طابق فعرق الطابق وتقاطر وكذا الحمام اذا احرق فيها النجاسة فعرق حيطانها وكواتها وتقاطر كذا في " فتاوى قاضيخان ". (2)

नोशादर कि ग़लीज़ का बुख़ार जम्अ हो कर बनता है इलमा ने इसे ताहिर बताया । रहुल मुह्तार में है (3) اما النوشادر المستجمع من دخان النجاسة فهو طاهر. (3) मुन्सिफ़ मिज़ाज व मुत्तबेए फुक़हा के नज़्दीक ब ख़ूबी साबित हो गया कि हुक्के का पानी ताहिर है । रहा येह जाहिलाना शुब्हा कि पाक है तो पीते क्यूं नहीं । रीठ भी तो पाक है फिर क्यूं नहीं खाते ? थूक भी पाक है फिर क्यूं नहीं पीते ? अप्पून् व भंग भी तो नापाक नहीं फिर क्या पियोगे ? जब पाक चीज़ें हराम तक होती हैं तो तबअन मक्रूह व ना पसन्द होना क्या दुश्वार है । येह तो हमारे दलाइल थे, अब इसे नापाक कहने वाले भी तो बताएं कि किस आयत से कहते हैं या हदीस से या किताब से और जब कहीं से नहीं तो येह शरीअत पर इफ़्तिरा होगा या नहीं ? शरीअत पर इफ़्तिरा से मुसलमानों को बचना चाहिये । अल्लाह तआला हिदायत व तौफ़ीक़ बख़्शे आमीन । रहा इस का मुत्हहर होना इस का मदार माए मुत्लक़ पर है कि माए मुत्लक़ से वुज़ू व गुस्ल जाइज़ हैं, मुक़य्यद से नहीं । كما هو مصرح في المتن. । हम मुत्लक़ की तारीफ़ बयान करें जिस से ब ख़ूबी मालूम हो सकता है कि येह मुत्लक़ है या मुक़य्यद । मुत्लक़ की जामेअ मानेअ तारीफ़ जो जुज़्ज़ियाते मन्सूबा से मुन्तकिज़ न हो वोह है जो रिसाला अन्नूर वन्नूरिक़ में सय्यिदी व सनदी व मुस्तनदी मुजद्दिदे मिअते हादिरह आला

1..... "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب في العفو عن طين الشارع، ج ١، ص ٥٨٣.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثاني، ج ١، ص ٤٧.

3..... "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مطلب العرق الذي يستقطر من دردي الخمر نجس حرام، بخلاف النوشادر، ج ١، ص ٥٨٤.

हज़रत क़िब्ला ने फ़रमाई है कि मुत्लक वोह पानी है कि अपनी रिक़ते तर्ब् पर बाकी रहे और उस के साथ कोई ऐसी शै न मिलाई गई हो जो उस से मिक्दार में ज़ाइद या मुसावी है। न ऐसी शै कि उस के साथ मिल कर चीज़े दीगर मक्सदे दीगर के लिये हो जाए जिस से पानी का नाम बदल जाए। शरबत या लस्सी या नबीज़ या रोशनाई वगैरा कहलाए और इस के तमाम फ़ुरूअ व मबाहि़स को दो शेर में जम्अ फ़रमाया :

مطلق آبے ست کہ برقت طبعی خود است نہ درو مزج در چیز مساوی یا بیش
نہ مخلطے کہ بہ ترکیب شود چیز در کہ بود ز آب جدا در لقب و مقصد خویش

ज़ियादतिये इत्मीनान के लिये कुयूदे तारीफ़ के मुतअल्लिक़ बाज़ इबारात नक्ल करना मुनासिब मालूम होता है कि उन से मुद्आ के समझने में आसानी होगी, पहली कैद रिक़ते तर्ब् का बाकी रहना। शल्बियह अलज़ज़ैलई में है :

(1) الماء المطلق ما بقى على اصل خلقته من الرقة والسيلان فلو اختلط به طاهر اوجب غلظه صار مقيدا.
फ़तावा इमाम फ़कीहुन्नफ़्स काज़ी ख़ान में है :

(2) لو وقع الثلج في الماء وصار ثخيناً غليظاً لا يجوز به التوضوء لانه بمنزلة الجمد وان لم يصير ثخيناً جاز.
नीज़ इसी ख़ानिया और फ़तावाए अलमगीरिया में है :

لوبل الخبز بالماء وبقي رقيقاً جاز به الوضوء. (3)

नीज़ इसी ख़ानिया में है :

(4) ماء صابون وحرص ان بقيت رفته ولطافته جاز التوضوء به.

मुहक्क़ अलल इत्लाक़ इमाम इब्ने हुमाम फ़त्हुल क़दीर में फ़रमाते हैं :

في "الينابيع" لو نقع الحمص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز التوضي به فان طبخ
فان كان اذا برد وتخن لا يجوز الوضوء به اولم يتخن ورقة الماء باقية جاز. (5)

नीज़ इसी में है :

1..... "حاشية الشلبي على تبين الحقائق"، كتاب الطهارة، ج 1، ص 75.

2..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الطهارة، فصل في مالا يجوز به التوضي، ج 1، ص 9.

3..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الطهارة، فصل في مالا يجوز به التوضي، ج 1، ص 9. 4..... المرجع السابق.

5..... "فتح القدير"، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز، ج 1، ص 65.

لا باس بماء السيل مختلطا بالطين ان كانت رقة الماء غالبية فان كان الطين غالبا فلا (1)
बदाएअ़ इमाम मलिकुल उलमा में है :

لو تغير الماء بالطين او بالتراب يجوز الوضوء به. (2)

मुन्या में है :

يجوز الطهارة بماء خالطه شئ طاهر فغير احد اوصافه كماء المد والماء الذى اختلط به الزعفران بشرط ان يكون الغلبة للماء من حيث الاجزاء ولم يزل عنه اسم الماء وان يكون رقيقا بعد فحكمه حكم

الماء المطلق. (3)

फ़तावा इमाम ग़ज़ी तमरताशी में है :

ماء الصابون لورقيقا يسيل على العضو يجوز الوضوء به وكذا لو اغلى بالاشنان وان ثخن لا

كما فى "البرزازية". (4)

बिल जुम्ला येही चन्द इबारात हुक्मे मस्अला मालूम करने के लिये काफ़ी हैं और इस की नज़ीरें कुतुबे फ़िक्ह में ब कसरत मज़कूर हैं कि बादे ज़वाले रिक्कत व सैलान काबिले वुज़ू व गुस्ल न रहा । कैदे दुवुम उस के साथ किसी ऐसी शै का ख़ल्त न हो कि मिक्दार में ज़ाइद या मुसावी है मसलन अ़के गाउ ज़बान या केवड़ा गुलाब बैद मुश्क वग़ैरा जिन में न खुश्बू हो, न ज़ाएफ़ा महसूस होता हो अगर पानी में मिलें तो जब तक पानी मिक्दार में ज़ाइद है वुज़ू जाइज़ है वरना नहीं ।

बहूररइक़ में है :

ان كان مائعا موافقا للماء فى الاوصاف الثلاثة كالماء الذى يؤخذ بالتقطير من لسان الثور وماء الورد الذى انقطعت رائحته اذا اختلط فالعبرة للاجزاء فان كان الماء المطلق اكثر جاز الوضوء بالكل وان كان مغلوبا لا يجوز وان استويا لم يذكر فى ظاهر الرواية وفى البدائع قالوا حكمه حكم الماء

المغلوب احتياطا. (5)

① "فتح القدير"، كتاب الطهارة، باب الماء الذى يجوز به الوضوء ومالا يجوز، ج ١، ص ٦٥.

② "بدائع الصنائع"، كتاب الطهارة، مطلب الماء المقيد، ج ١، ص ٩٥.

③ "منية المصلي" فصل فى المياء، ص ٦٣ . ④ "فتاوى الامام الغزى"، ص ٤.

⑤ "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ١٢٨.

दुरे मुख़ार में है :

لو (كان المخالط) مانعا فلو مباينا لاوصافه فبتغير اكثرها او موافقا كلبن فبأحدها او مماثلا
كمستعمل فبالاجزاء فان المطلق اكثر من النصف جاز التطهير بالكل والا لا. (1)

हिन्दिया में है :

وان كان لا يخالفه فيهما تعتبر في الاجزاء وان استويا في الاجزاء لم يذكر في ظاهر الرواية قالوا
حكمه حكم الماء المغلوب احتياطاً هكذا في " البدائع " (2).

कैदे सिवुम : ऐसी शै न मिली हो कि उस के साथ मिल कर शैए दीगर मक्सदे दीगर के लिये हो जाए जिस से पानी के बदले कुछ और नाम हो जाए ख़्वाह किसी चीज़ को मिला कर उस में पकाया हो जैसे यख़नी, शोरबा कि अब पानी न रहा । मुख़तसर कुदूरी व हिदाया व वक़ाया वग़ैरहा आम्मए कुतुब में है : (3) : " لا يجوز بالمرق " (4) : है " لا يتوضؤ بماء تغير بالطبخ بما لا يقصد التنظيف كماء المرق والباقلاء لانه ليس بماء مطلق " (4) : है या पकाया न हो महज़ मिला दिया हो जैसे शकर मिस्री शहद का शरबत हिदाया वग़ैरहा में है : (5) : है :

ان اراد بالاشربة الحلو المخلوط بالماء كالدبس والشهد المخلوط به كانت للماء الذي غلب عليه غيره . (6)
मज्मउल अन्हुर में है :

قال صاحب الفرائد المراد من الاشربة الحلو المخلوط بالماء كالدبس والشهد . (7)

अगर ऐसी चीज़ जिस से तन्ज़ीफ़ यानी मैल काटना मक्सूद है मिलाई या मिला कर तबख़ दिया तो जब तक उस पानी की रिक्कत व सैलान न जाए काबिले वुजू है । इस के मुतअल्लिक़ फ़तहूल कदीर व फ़तावाए ख़ानिया व फ़तावाए इमाम शैख़ुल इस्लाम ग़ज़ी तमरताशी के नुसूस ऊपर गुज़रे ।

1..... " الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١، ص ٣٦١.

2..... " الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢١.

3..... " الهداية"، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ومالا يجوز، ج ١، ص ٢٠.

4..... " البحر الرائق"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ١٢٦.

5..... " الهداية"، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز، ج ١، ص ٢٠.

6..... " البناية"، كتاب الطهارة، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به، ج ١، ص ٢١٢.

7..... " مجمع الأنهر"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٤٥.

बहर में है :

اما لو كانت النظافة تقصد به كالسدر والاشنان والصابون يطبخ به فانه يتوضؤ به الا اذا خرج الماء عن طبعه من الرقة والسيلان (1).

हिन्दिया में है :

وان طبخ في الماء ما يقصد به المبالغة في النظافة كالاشنان والصابون جاز الوضوء به بالاجماع الا اذا صار ثخيناً فلا يجوز هكذا في "محيط السرخسى" (2).

यूंही अगर पानी में जाफ़रान या पुड़िया इतनी मिलाई कि कपड़ा रंगने के काबिल हो जाए उस से वुजू जाइज़ नहीं अगरचे रिक्कत व सैलान बाकी हो कि अब भी येह पानी न कहलाएगा। सिब्ब व रंग कहा जाएगा।

रहुल मुहतार में है :

ومثله الزعفران اذا خالط الماء وصار بحيث يصبغ به فليس بماء مطلق من غير نظر الى الشخانة (3).

मुन्या में है :

لا تجوز بالماء المقيد كماء الزعفران (4) اه قال في الحلية محمول على ما اذا كان الزعفران غالباً (5).

हिन्दिया में है :

وان غلبت الحمرة وصار متما سكا لا يجوز التوضي كذا في فتاوى قاضىخان (6).

और अगर रंग के काबिल न हो तो वुजू जाइज़ है।

सगीरी में है :

القليل من الزعفران يغير الاوصاف الثلاثة مع كونه رقيقاً فيجوز الوضوء والغسل به (7).

1 "البحر الرائق"، كتاب الطهارة، ج ١، ص ١٢٦.

2 "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢١.

3 "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في حديث ((لا تسوما العنب الكرم))، ج ١، ص ٣٦١.

4 "منية المصلي"، فصل في المياه، ص ٦٣.

5 "الحلية".

6 "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢١.

7 "صغیری"، فصل في بيان احكام المياه، ص ٥٠.

हिन्दिया में है :

(1) التوضی بماء الزعفران والزرديج والعصفر يجوز ان كان رقيقاً والماء غالب .

यूँही पानी में फट्करी माजू वगैरा इतने डाले कि लिखने के काबिल हो जाए उस से वुजू जाइज नहीं कि अब वोह पानी नहीं रोशनाई है । तज्जीस फिर बहूर्राइक फिर हिन्दिया व रदुल मुहतार में है :

(2) وكذا اذا طرح فيه زاج او عفص وصار ينقش به لزوال اسم الماء عنه .

और अगर लिखने के काबिल न हो तो वुजू जाइज है । अगरचे रंग सियाह हो जाए कि अभी नाम न बदला । हिन्दिया में है :

اذا طرح الزاج او العفص في الماء جاز الوضوء به ان كان لا ينقش اذا كتب كذا في " البحر "

نا قلاعن " التجنيس " (3).

फतावा खानिया में है :

(4) اذا طرح الزاج في الماء حتى اسود لكن لم تذهب رفته جاز به الوضوء .

हिल्या में है :

صرح في التجنيس بان من التفريع على اعتبار الغلبة بالاجزاء قول الجرجاني اذا طرح الزاج

او العفص في الماء جاز الوضوء به ان كان لا ينقش اذا كتب فان نقش لا يجوزوا لماء هو المغلوب . (5)

यूँही पानी में चने या बाक़िला या और ग़ल्ला भिगोया या कीचड़ गच मिट्टी चूना मिल गया जब तक रिक्कत बाक़ी है वुजू जाइज है वरना नहीं इन सब के जुज़्ज़्यात अम्मए कुतुबे मज़हब में मज़कूर हैं ।

बदाएउ इमाम मलिकुल उलमा में है :

تغير الماء المطلق بالطين او بالتراب او بالجص او بالنورة او بوقوع الاوراق او الثمار فيه او

بطول المكث يجوز التوضؤ به لانه لم يزل عنه اسم الماء وبقي معناه ايضاً . (6)

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢١ .

و "الفتاوى الخانية"، كتاب الطهارة، فصل في مالا يجوز به التوضي، ج ١، ص ٩ .

② "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في حديث ((لا تسموا العنب الكرم))، ج ١، ص ٣٦١ .

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢١ .

④ "الفتاوى الخانية"، كتاب الطهارة، فصل في مالا يجوز به التوضي، ج ١، ص ٩ .

⑤ انظر: "التجنيس و المزيّد"، كتاب الطهارات، ج ١، ص ٢١٩ - ٢٢٠ .

⑥ "بدائع الصنائع"، كتاب الطهارة، مطلب الماء المقيد، ج ١، ص ٩٥ .

तारीफ़ माए मुत्लक और इन तमाम जुड़इय्यात से ब ख़ूबी रोशन हो गया कि मुत्लकन तग़य्युरे औसाफ़ पानी के मुक़य्यद करने को काफ़ी नहीं ता वक्ते कि पानी का नाम न बदले । जिस पानी में चने भीगे या ज़ाफ़रान की थोड़ी मिक्दार घोली या माज़ू वग़ैरा इतने मिलाए कि लिखने के क़ाबिल न हो या इसी किस्म के और जुड़इय्यात जिन में जवाजे वुजू कुतुबे फ़िक्ह में मुसर्रह है क्या उन पानियों के औसाफ़ न बदले ? ज़रूर बदले ! तो अगर मुत्लकन तग़य्युरे औसाफ़ पानी को मुक़य्यद कर देता तो इन से वुजू जाइज होने की कोई सूरत न थी अब इस के बाज़ और जुड़इय्यात नक्ल करते हैं कि औसाफ़ तीनों मुतग़य्यिर हो गए और वुजू जाइज । कूएं में रस्सी लटक्ती रही जिस से उस का रंग, मज़ा, बू तीनों वस्फ़ बदल जाएं उस से वुजू जाइज है ।

फ़तावा इमाम शैखुल इस्लाम ग़ज़ी तमरताशी में है :

سئل عن الوضوء والاغتسال بماء تغير لونه وطعمه وريحه بحبله المعلق عليه الاخراج الماء فهل يجوز ام لا اجاب يجوز عند جمهور اصحابنا اهـ (1) ملقطاً.

मौसिमे ख़ज़ां में ब कसरत पत्ते पानी में गिरे कि उस के औसाफ़े सलासा को मुतग़य्यिर कर दिया । अगरचें रंग इतना ग़ालिब हो गया कि हाथ में लेने से भी महसूस होता हो अगर रिक्कत बाक़ी है सहीह मज़हब में वुजू जाइज है ।

सिराजे वहहाज व फ़तावाए अ़लमगीरिया व जौहरए नय्यिरह व फ़तावाए इमाम ग़ज़ी तमरताशी में है :

فان تغيرت اوصافه الثلاثة بوقوع اوراق الاشجار فيه وقت الخريف فانه يجوز به الوضوء عند عامة اصحابنا رحمهم الله تعالى (2)

नीज़ फ़तावाए इमाम ग़ज़ी में मुज्ताबा शर्हे कुदूरी से है :

لو غير الاوصاف الثلاثة بالاوراق ولم يسلب اسم الماء عنه ولا معناه عنه فانه يجوز التوضؤ به. (3)

इनाया व हिल्या व बहर व नहर व मस्कीन व रहुल मुह़तार में है :

المنقول عن الاساتذة انه يجوز حتى لو ان اوراق الاشجار وقت الخريف تقع في الحياض

فيتغير ماءها من حيث اللون والطعم والرائحة ثم انهم يتوضئون منها من غير نكير. (4)

1..... "فتاوى الامام الغزى"، ص ٤.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢١.

3..... "فتاوى الامام الغزى"، ص ٥٤.

4..... "العناية"، كتاب الطهارة، باب الماء الذى يجوز به الوضوء، ج ١، ص ٦٣ (هامش "فتح القدير").

दुरे मुख़्तार में है :

(1) وان غير كل او صافه في الاصح ان بقيت رفته اى واسمه .

रहुल मुह़्तार में ज़ेरे कौल फ़िल असहूह फ़रमाया :

مقابله ما قيل انه ان ظهر لون الاوراق في الكف لا يتوضؤ به لكن يشرب والتقييد بالكف اشارة

الى كثرة التغير لان الماء قد يرى في محله متغيرا لونه لكن لورفع منه شخص في كفه لا يراه متغيرا تامل. (2)

पानी में खज़ूरें डाली गई कि पानी में शीरीनी आ गई मगर नबीज़ की हृद को न पहुंचा तो बिल इत्तिफ़ाक़ उस से वुज़ू जाइज़ है ।

हिल्या व तब्यीन व हिन्दिया में है :

(3) "الماء الذى القى فيه تميرات فصار حلوا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق يجوز به الوضوء بلا خلاف بين اصحابنا ."

इन इबाराते जलीलए फ़ुक्हाए किराम व अइम्माए आलाम से वाजेह हो गया कि महज़ तग़य्युरे औसाफ़ मानेए वुज़ू नहीं ता वक्ते कि शैए दीगर मक्सदे दीगर के लिये हो कर नामे आब न बदल जाए । अब मस्अलए मब्हूस अन्हा में अगर हुक्के को आबे मुस्तामल या ऐसी चीज़ से ताज़ा किया कि क़ाबिले वुज़ू न थी मसलन गुलाब या अरके गाउ ज़बान या अरके बादियान तो येह सब तो पहले ही से ना क़ाबिले वुज़ू व इग़ितसाल थे इस में हुक्के का क्या कुसूर न इस से हम ने वुज़ू जाइज़ बताया । कलाम इस में है कि पहले से क़ाबिले वुज़ू था और हुक्के की वज्ह से अगर्चे मुतग़य्यिर हो गया वोही हुक्मे साबिक़ रखता है अब अगर ताज़ा करने के बाद एक ही चिलम पिया गया । तो अक्सर ऐसा होता है कि औसाफ़ का तग़य्युर बिल्कुल महसूस नहीं होता इस जवाजे वुज़ू में क्या कलाम हो सकता है और जहां तग़य्युर हुवा, अगर्चे सब औसाफ़ का मगर जब तक रिक्कत बाकी है ब हुक्मे नुसूसे अइम्मा व उलमाए मज़हब किसी हनफ़ी को कलाम न होना चाहिये कि माए मुत्लक़ की तारीफ़ इस पर सादिक़ कि रिक्कत बाकी और किसी ऐसी शै का ख़ल्त भी न हुवा जो मिक्दार में जाइद हो न शैए दीगर मक्सदे दीगर के लिये हो कर नामे आब मुतग़य्यिर हुवा कि हर शख्स इस को पानी ही कहता है मोतरिज़ भी तो येही कह रहे हैं कि हुक्के का पानी पाक कर दिया ।

तन्वीरुल अब्सार व रहुल मुह़्तार में है :

(يجوز بماء خالطه طاهر جامد) مطلقا (كفاكهة وورق شجر) وان غير كل اوصافه (في

الاصح ان بقيت رفته) اى واسمه . (4)

① "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١، ص ٣٧٠.

② "رد المحتار"، كتاب الطهارة، باب المياه، مطلب في ان التوضي من الحوض... إلخ، ج ١، ص ٣٧٠.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني، ج ١، ص ٢٢.

④ "تنوير الأبصار" و "الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب المياه، ج ١، ص ٣٦٩.

गुरर में है :

(1) يجوز وان غير اوصافه جامد كزعفران و ورق في الاصح .

नूरुल ईजाह में है :

(2) لا يضر تغير اوصافه كلها بجامد كزعفران .

रहा येह कि इस का तलफ़ुज हुक्के की तरफ़ इजाफ़त कर के होता है इस से उस पानी का मुक़य्यद होना लाज़िम नहीं जैसे घड़े का पानी, देग का पानी येह इजाफ़त इजाफ़ते तारीफ़ है न तक़्य्युद जैसे “ماء البئر ماء البحر ماء الزعفران .”

तब्यीन में है :

(3) اضافته الى الزعفران ونحوه للتعريف كاضافته الى البئر .

शल्बिया अलज़ज़ैलई में है :

(4) اضافته الى الوادي والعين اضافة تعريف لا تقييد لانه تتعرف ما هيته بدون هذه الاضافة .

अगर येह ख़याल हो कि इस में बदबू होती है इस वजह से ना जाइज हो तो

अव्वलन : मुत्लक़न येह हुक्म कि हुक्के के पानी में बदबू होती है ग़लत है ।

सानियन : मदार आबे मुत्लक़ व मुक़य्यद पर है खुशबू बदबू को क्या दख़ल ? ज़ाफ़रान अगर पानी में इतना मिला कि रंगने के काबिल हो गया उस से वुजू ना जाइज है अगर्चे खुशबू रखता है । गुलाब खुशबू रखता है मगर अम्मए कुतुबे मज़हब में है कि गुलाब से वुजू ना जाइज ।

हिदाया व ख़ानिया में है : (5) “لا بماء الورد .”

मुन्या व गुन्या में है :

(6) لايجوز الطهارة الحكمية بماء الورد و سائر الازهار .

पत्ते पानी में गिरे कि औसाफ़े सलासा में तग़य्युर आ गया तो उस में क्या बदबू न होगी और नुसूसे मज़हब से येह साबित कि उस पानी से वुजू जाइज । रस्सी कूएं में लटक्ती रही और पानी के औसाफ़े सलासा रंग, बू, मज़ा सब बदल गए इस का जुज़्ज़या सुन चुके कि

① “غرر الاحكام”، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ج ١، ص ٢١ .

② “نور الايضاح”، كتاب الطهارة، ص ٤ .

③ “تبين الحقائق”، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٧٩ .

④ “حاشية الشلبي على تبين الحقائق”، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٧٩ .

⑤ “الهداية”، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء، ومالا يجوز، ج ١، ص ٢٠ .

⑥ “منية المصلي و غنية المتملي”، فصل في بيان احكام المياه، ص ٨٩ .

इमाम शैखुल इस्लाम ग़ज़ी तमरताशी फ़रमाते हैं कि वुजू जाइज़, कोलतार पानी में पड़ गया जिस से उस में सख़्त बदबू आ गई अगर गाढ़ा न हुवा वुजू जाइज़ है।

फ़तावाए ज़ैनिया में है :

سئل عن الماء المتغير ريحه بالقطران يجوز الوضوء منه ام لا اجاب نعم يجوز . (1)

सालिसन : मुतअद्द किताबों की तसरीहें ज़िक्र की गई कि सिर्फ़ तग़य्युरे औसाफ़े सलासा मानेए जवाजे वुजू नहीं। किसी ने इस को खुशबू या बदबू से मुक़य्यद न किया, लिहाज़ा हुक्म मुत्लक़ पर है **وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ** तो जब इन बराहीने लाइहा से साबित हुवा कि येह पानी ताहिरो मुतहहर है तो मसलन किसी ने मुंह हाथ धो लिये थे और पाउं बाकी था कि पानी ख़त्म हो गया और वहां दूसरा पानी नहीं कि वुजू की तकमील करे और उस के पास हुक्के में इतना पानी मौजूद है कि पाउं धोने को किफ़ायत करे या उस के पास दूसरा पानी बिल्कुल नहीं है और हुक्के का पानी आज़ाए वुजू को काफ़ी है तो ब वज्हे दूसरे पानी न होने के तयम्मुम का हुक्म हरगिज़ नहीं दिया जा सकता, कि

अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** इरशाद फ़रमाता है :

﴿لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَكَيْسُوا أُصْعِدًا﴾ (2)

पानी न पाओ तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम करो।

और इस के पास पानी तो मौजूद है अब मोतरिज़ीन ही बताएं कि अगर वोह पानी पाते हुए उस से तकमीले वुजू न करे और तयम्मुम कर ले तो उस ने हुक्मे इलाही का ख़िलाफ़ किया या नहीं? उस का तयम्मुम बातिल हुवा या नहीं? ज़रूर! उस ने हुक्मे इलाही का ख़िलाफ़ किया और ज़रूर उस का तयम्मुम बातिल हुवा अलबत्ता अगर वक़्त ख़त्म होने में अर्सा हो और उस पानी में बदबू आ गई थी तो इतना वक़्फ़ लाज़िम होगा कि बू उड़ जाए कि हालते नमाज़ में आज़ा से बू आना मक्रूह है और इस हालत में मस्जिद में जाने की इजाज़त न होगी कि बदबू के साथ मस्जिद में जाना हराम है। कच्चे लहसन पियाज़ की निस्बत हदीस में इरशाद हुवा :

((من اكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فان الملكة تتأذى مما يتأذى منه الانس.)) (3)

जो इस दरख़्त बूदार से खाए वोह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए कि मलाएका उस चीज़ से अज़िय्यत पाते हैं जिस चीज़ से आदमी को अज़िय्यत पहुंचती हो।

① "الفتاوى الزينية"، كتاب الطهارة، ص ٣ (هامش "الغياثية").

② پ ٥٥، النساء : ٤٣.

③ "صحيح مسلم"، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، الحديث : ٥٦٤، ص ٢٨٢.

नीज इरशाद हुवा :

((ولا يمر فيه بلحم نيء)) (1)

मस्जिद में कच्चा गोश्त ले कर कोई न गुज़रे ।

दुरे मुख़्तार में है : (2) "واكل نحوثوم" इस पर रहुल मुह़्तार में फ़रमाया :

"ای کبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل." (3)

इसी वजह से मिट्टी का तेल और वोह दिया सलाइयां जो जलते वक़्त बदबू देती हैं मस्जिद में जलाना ह़राम है ।

रहुल मुह़्तार में है :

قال الامام العيني في شرحه على " صحيح البخارى " قلت علة النهي اذى الملكة و اذى المسلمين ولا يختص بمسجده عليه الصلوة والسلام بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع خلافا لمن شذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة ما كولا او غيره وانما خص الثوم ههنا بالذكر وفي غيره ايضا بالبصل والكراث لكثرة اكلهم لها وكذلك الحق بعضهم بذلك من بفيه بخراويه جرح له رائحة وكذلك القصاب والسماك والمجذوم والابرص اولى باللاحاق هـ (4)

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وابنے وحبزہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین واللہ سبحنہ وتعالیٰ اعلم وعلمہ جل مجده اتم واحکم .

اعظمی رضوی
محمد امجد علی

ابو العلا امجد علی الاعظمی القادری
کتبہ

عفی عنہ بمحمدن النبی الامی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم

1..... "سنن ابن ماجه"، أبواب المساجد و الجماعات، باب ما یکره فی المساجد، الحدیث : ۷۴۸، ج ۱، ص ۴۱۳.

2..... "الدر المختار"، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، ج ۲، ص ۵۲۵.

3..... "رد المختار"، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، مطلب فی الغرس فی المسجد، ج ۲، ص ۵۲۵.

4..... "رد المختار"، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، مطلب فی الغرس فی المسجد، ج ۲، ص ۵۲۵.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم .

आबे कल्यान की तहारात व तुहूरियत और इस बारे में कि ब हाले ज़रूरत जब और पानी न मिल सके उस से तक्मील लाज़िम और उस के होते तयम्मूम बातिल और बिला ज़रूरत ब हाले बदबू तहारात में उस का इस्तिमाल मन्मूअ और जब तक बू न जाइल हो नमाज़ मक्रूह और मस्जिद में जाना हराम । मौलाना मौलवी अमजद अली साहिब कादिरी आजमी رحمته الله की येह तहरीर सहीह और इस का ख़िलाफ़ जहले सरीह या आनादे कबीह जिस से इज्तिनाब हर मुसलमान पर फ़र्जे कर्ई । وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ । फ़कीर अहमद रज़ा कादिरी رحمته الله



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . لك الحمد يا الله . والصلوة والسلام عليك يا رسول الله .

हुक्के के पानी की तहारात व तुहूरियत ज़ाहिर कुतुबे फ़िक्ह से इस की पाकी तहरीर साफ़ व बाहिर हज़रते मौलाना मौलवी अमजद अली साहिब कादिरी आजमी رحمته الله ने ऐसी तहकीके अनीक फ़रमाई है कि मुखालिफ़ जाहिल है तो उम्मीदे कवी कि कबूले हक़ करे, मुआनिद है तो सुकूत से काम ले । رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ।

والله تعالى اعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه المالك الناصر السيد محمد و سلم

عبیده العاصی

کتاب

فقیر ربہ واسیر ذنبہ ابوالحاجہ سید محمد الاشرافی الجیلانی الکوچوچوی غفری عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . نحمده ونصلي على رسوله الكريم .

आबे हुक्का की तहारात व तुहूरियत में और बर वक्ते ज़रूरत इस का इस्तिमाल जाइज़ होने में जैसी तौज़ीहे कामिल कुतुबे फ़िक्ह से जनाब मौलाना मौलवी अमजद अली साहिब आजमी अर्ज़वी مدنيوضه العالي ने फ़रमाई है बिला शको शुब्हा निहायत ही दुरुस्त व बजा है बा वुजूद ऐसी तहकीके अनीक के भी इस से इन्कार करना सरासर जहल व ख़ता है

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

हज़रत मौलानाए मौसूफ़ ने इस मस्अले के मुतअल्लिक़ بِفَضْلِهِ تَعَالَى कोई दक्कीका फ़रो गुज़ाशत नहीं फ़रमाया है और हर पहलू पर कामिल ग़ौर फ़रमा कर शर्हों बस्त के साथ इस का फैसला फ़रमा दिया है। मुसलमान को लाज़िम है कि किसी ऐसी बात पर जिस का उसे इस से पहले इल्म न हो सुन कर ज़िद व इन्कार न करे बल्कि निहायत नेक निय्यती से तहक्कीक़ से काम ले मुझ को मौलाना की इस तहरीर और फिर इस पर दीगर उलमाए अकाबिरीन واللّه تعالیٰ اعلم و علمه اتم و احکم. की तस्दीकात से क़अन इत्तिफ़ाक़ है।

खाकसार

अबुल अबरार मुहम्मद इसरारुल हक़ हनफ़ी सुन्नी
सिद्दीकी चिश्ती निज़ामी क़ादिरि रोहतकी عفا اللّٰه عنه

الحق ان الحق في هذه الصورة مع العلامة المجيب الفاضل اللبيب الحضرة مولنا امجد على صاحب
القادرى الرضوى سلمه الله تعالى والحق احق ان يتبع

کتبہ

अल अब्दुल मुग़तसिम ब जैलुन्नबी मुहम्मद

एहसानुल हक़ नईमी क़ाज़ी बलदह व मुफ़्ती दरगाह मुअल्ला बेहराइच शरीफ़

जो कुछ हज़रते मौलाना अल हकीम हामिये सुन्नत माहिये बिद्अत आलिमे लूज़ई फ़ाज़िले यल्मई मौलवी अमजद अली साहिब क़ादिरि रज़वी ने तहरीर फ़रमाया है वोही सवाबो सहीह व हक्के सरीह है।

फ़क़त फ़कीर क़ादिरि हकीम अब्दुल अहद ख़ादिम मद्रसतुल हदीस पीलीभीत तिल्मीज़
قدس سره العلى سجاه النبى الالى صلى الله تعالى عليه وسلم واللّه تعالیٰ اعلم و علمه جل مجدّه اتم و احکم. मौलाना वसी अहमद साहिब क़िब्ला मुहद्दिसे सूरती

ما اجاب به العالم النبيل و الفاضل الجليل مولانا المولوى محمد امجد على صاحب فهو حق
صريح ابو سراج عبد الحق رضوى تلميذ مولانا المولوى محمد وصى احمد محدث سورتى غفر الله
العلی.

بسم الله الرحمن الرحيم وبحمده وعونه فكل ما حرره العالم العليم والذي هو للقلوب حكيم
قوى حضرت مولانا وبالفضل اولانا جناب المولوى امجد على حرسه ربه القوى ونصره على كل
مخالف غبى . بجاه حبيبه النبى العربى صلى الله عليه وسلم فهذا تحرير الطهارة ماء القليان بعد
استعماله فيه لا شك فى طهارته و طهوريته كما هو فى الاصل وانا الحقيقير سيد محمد حسن السنوسى
المدنى الحنفى المجددى عفى عنه.

مبسملا و حامدا او محمداً (جل وعلا) و مصلياً و مسلماً محمداً (صلى الله عليه وسلم)

हजरत मौलाना अमजद अली साहिब दामत बركاتهم ने मसाइले तहारत में “बहारे शरीअत” जैसी जामेअ किताब तालीफ़ फ़रमा कर मुसलमानाने हिन्द पर एहसाने अज़ीम फ़रमाया है जिस के शुक्रिय्या से ओहदा बरआ होना दुश्वार । दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त جل مجد मौलाना मौसूफ़ को अज्रे जज़ील मर्हमत फ़रमाए । आबे क़ल्यान की तहारत व तुहूरिय्यत का सुबूत ब दलाइले सातिआ इस फ़तवा में दिया गया किताबे मज़कूर में सिर्फ़ इस क़दर मस्तूर है कि “इस के होते हुए तयम्मुम जाइज़ नहीं” न येह कि ख़्वाह म ख़्वाह इसी से वुज़ू किया जाए दर सूरत येह कि इस से बेहतर पानी मौजूद हो । इस पर जर्ह करना सिर्फ़ उन ही अस्हाब का काम मालूम होता है जिन का मक्सूद बुग़ज़ फ़ितना अंगेज़ी हो । واللّٰه تعالٰی اعلم وعلمه جل مجده اکمل واتم

عفی عنه फ़कीर मुहम्मद अब्दुल अलीम अस्सिद्दीकी कादिरी

नमाज़ के मसाइल का बयान

बहारे शरीअत

हिस्सा सिवुम (3)

(..... तस्हील व तख़ीज शुदा)

सदरुशशरीअह बदरुत्तरीकह
हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती

عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ

मुहम्मद अमजद अली आजमी

- : पेशकश :-

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (शोबए तख़ीज)

नाशिअ

मक्तबतुल मदीना

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ط

नमाज़ का बयान

ईमान व तस्हीहे अक़ाइद मुताबिके मज़हबे अहले सुन्नत व जमाअत के बाद नमाज़ तमाम फ़राइज़ में निहायत अहमो आज़म है। कुरआने मजीद व अह़ादीसे नबिय्ये करीम عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام इस की अहम्मियत से मालामाल हैं, जा बजा इस की ताकीद आई और इस के तारिकीन⁽¹⁾ पर वईद फ़रमाई, चन्द आयतें और हदीसें ज़िक्र की जाती हैं कि मुसलमान अपने रब عَزَّوَجَلَّ और प्यारे नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के इरशादात सुनें और उस की तौफ़ीक़ से इन पर अमल करें।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿ هَذِيَ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ﴾⁽²⁾

येह किताब परहेज़ गारों को हिदायत है, जो ग़ैब पर ईमान लाते और नमाज़ क़ाइम रखते और हम ने जो दिया उस में से हमारी राह में खर्च करते हैं।

और फ़रमाता है :

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ ﴾⁽³⁾

नमाज़ क़ाइम करो और ज़कात दो और रुकूअ करने वालों के साथ नमाज़ पढ़ो। यानी मुसलमानों के साथ कि रुकूअ हमारी ही शरीअत में है। या बा जमाअत अदा करो।

और फ़रमाता है :

﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝ ﴾⁽⁴⁾

तमाम नमाज़ों खुसूसन बीच वाली नमाज़ (अ़स्) की मुहाफ़ज़त रखो और अल्लाह के हुज़ूर अदब से खड़े रहो।

①.....तारिक की जम्अ, छोड़ने वाले।

② प १, البقرة: १७७.

③ प १, البقرة: १७७.

④ प २, البقرة: २३८.

और फ़रमाता है :

﴿وَأَنهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (1)

नमाज़ शाक़ है मगर खुशूअ करने वालों पर ।

नमाज़ का मुत्लक़न तर्क तो सख़्त होलनाक चीज़ है । इसे क़ज़ा कर के पढ़ने वालों को फ़रमाता है :

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (2)

ख़राबी उन नमाज़ियों के लिये जो अपनी नमाज़ से बे ख़बर हैं, वक़्त गुज़ार कर पढ़ने उठते हैं ।

जहन्नम में एक वादी है, जिस की सख़्ती से जहन्नम भी पनाह मांगता है, उस का नाम “वैल” है, क़स्दन (3) नमाज़ क़ज़ा करने वाले उस के मुस्तहिक् (4) हैं ।

और फ़रमाता है :

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسُوفَ يَأْكُفُونَ عَذَابًا﴾ (5)

उन के बाद कुछ ना ख़लफ़ पैदा हुए जिन्हों ने नमाज़ें ज़ाएअ कर दीं और नफ़्सानी ख़्वाहिशों का इत्तिबाअ किया, अन्क़रीब उन्हें सख़्त अज़ाबे त़वीलो शदीद से मिलना होगा ।

ग़य्य जहन्नम में एक वादी है, जिस की गरमी और गहराई सब से ज़ियादा है, उस में एक कूंवां है, जिस का नाम “हबहब” है, जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है, अल्लाह उऒ उस कूंए को खोल देता है, जिस से वोह ब दस्तूर भड़कने लगती है ।

अल्लाह उऒ फ़रमाता है :

﴿كُلَّمَا حَبَّثَ رُذُلُهُمْ سَعِيرًا﴾ (6)

जब बुझने पर आएगी हम उन्हें और भड़क ज़ियादा करेंगे ।

येह कूंवां बे नमाज़ों और ज़ानियों और शराबियों और सूदख़ोरों और मां बाप को ईज़ा देने वालों के लिये है । नमाज़ की अहम्मियत का इस से भी पता चलता है कि

1 प १, البقرة: ५५. 2 प ३०, الماعون: ५०६.

3 यानी जानबूझ कर । 4 ... यानी हक़दार ।

5 प १६, मريم: ५९. 6 प १५, بني اسرائيل: ९७.

अल्लाह ﷻ ने सब अहकाम अपने हबीब ﷺ को ज़मीन पर भेजे, जब नमाज़ फ़र्ज़ करनी मन्ज़ूर हुई हुज़ूर (ﷺ) को अपने पास अर्शे अज़ीम पर बुला कर इसे फ़र्ज़ किया और शबे अस्सा⁽¹⁾ में येह तोहफ़ा दिया ।

अहदीश

हदीस 1 सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने उमर رضی اللہ تعالیٰ عنہما से मरवी, रसूलुल्लाह ﷺ इरशाद फ़रमाते हैं : “इस्लाम की बुन्याद पांच चीज़ों पर है । इस अम्र की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मुहम्मद ﷺ उस के खास बन्दे और रसूल हैं, और नमाज़ क़ाइम करना और ज़कात देना और हज़ करना और माहे रमज़ान का रोज़ा रखना ।”⁽²⁾

हदीस 2 इमाम अहमद व तिरमिज़ी व इब्ने माजह रिवायत करते हैं कि हज़रते मुआज़ رضی اللہ تعالیٰ عنہ कहते हैं : मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ से सुवाल किया, वोह अमल इरशाद हो कि मुझे जन्नत में ले जाए और जहन्नम से बचाए ? फ़रमाया : “अल्लाह तआला की इबादत कर और उस के साथ किसी को शरीक न कर और नमाज़ क़ाइम रख और ज़कात दे और रमज़ान का रोज़ा रख और बैतुल्लाह का हज़ कर ।” और इस हदीस में येह भी है कि “इस्लाम का सुतून नमाज़ है ।”⁽³⁾

हदीस 3 सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा رضی اللہ تعالیٰ عنہ से मरवी कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : “पांच नमाज़ें और जुमुआ से जुमुआ तक और रमज़ान से रमज़ान तक उन तमाम गुनाहों को मिटा देते हैं, जो इन के दरमियान हों जब कि कबाइर से बचा जाए ।”⁽⁴⁾

हदीस 4 सहीहैन में अबू हुरैरा رضی اللہ تعالیٰ عنہ से मरवी कि हुज़ूर (ﷺ) ने इरशाद फ़रमाया : “बताओ ! तो किसी के दरवाज़े पर नहर हो वोह उस में हर रोज़ पांच बार गुस्ल करे क्या उस के बदन पर मैल रह जाएगा ? अर्ज़ की न । फ़रमाया : “येही मिसाल पांचों नमाज़ों की है कि अल्लाह तआला इन के सबब ख़ताओं को मह्व फ़रमा देता है ।”⁽⁵⁾

हदीस 5 सहीहैन में इब्ने मस्ऊद رضی اللہ تعالیٰ عنہ से मरवी कि एक साहिब से एक

① यानी मेराज की रात ।

② “صحيح مسلم”، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام... إلخ، الحديث: ٢١- (١٦)، ص ٢٧.

③ “جامع الترمذي”، أبواب الإيمان، باب ماجاء في حرمة الصلاة، الحديث: ٢٦٥، ج ٤، ص ٢٨٠.

④ “صحيح مسلم”، كتاب الطهارة، باب الصلاة الخمس، الحديث: ١٦- (٢٣٣)، ص ١٤٤.

⑤ “صحيح مسلم”، كتاب المساجد، باب المشي إلى الصلاة... إلخ، الحديث: ٦٦٧، ص ٣٣٦.

पेशकश : मज़लिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

गुनाह सादिर हुवा, हाज़िर हो कर अर्ज़ की, उस पर येह आयत नाज़िल हुई।⁽¹⁾

﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَدُلْفَاءَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكَرِينَ﴾⁽²⁾

नमाज़ काइम कर दिन के दोनों किनारों और रात के कुछ हिस्से में बेशक नेकियां गुनाहों को दूर करती हैं, येह नसीहत है, नसीहत मानने वालों के लिये।

उन्होंने ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह ! क्या येह खास मेरे लिये है ? फ़रमाया : “मेरी सब उम्मत के लिये।”

हदीस 6 सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में है कि अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رضي الله تعالى عنه कहते हैं : मैं ने रसूलुल्लाह صلى الله تعالى عليه وسلم से सुवाल किया : आमाल में अल्लाह तआला के नज़दीक सब से ज़ियादा महबूब क्या है ? फ़रमाया : “वक्त के अन्दर नमाज़।” मैं ने अर्ज़ की : फिर क्या ? फ़रमाया : “मां बाप के साथ नेकी करना।” मैं ने अर्ज़ की : फिर क्या ? फ़रमाया : “राहे खुदा में जिहाद।”⁽³⁾

हदीस 7 बैहकी ने हज़रते उमर رضي الله تعالى عنه से रिवायत की, कि एक साहिब ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह (صلى الله تعالى عليه وسلم) ! इस्लाम में सब से ज़ियादा अल्लाह के नज़दीक महबूब क्या चीज़ है ? फ़रमाया : “वक्त में नमाज़ पढ़ना और जिस ने नमाज़ छोड़ी उस का कोई दीन नहीं। नमाज़ दीन का सुतून है।”⁽⁴⁾

हदीस 8 अबू दावूद ने ब तरीक़ अम्र बिन शुऐब अंन उबी अंन जद्विही रिवायत की, कि हुज़ूर (صلى الله تعالى عليه وسلم) ने फ़रमाया : “जब तुम्हारे बच्चे सात बरस के हों तो उन्हें नमाज़ का हुक्म दो और जब दस बरस के हो जाएं तो मार कर पढ़ाओ।”⁽⁵⁾

हदीस 9 इमाम अहमद रिवायत करते हैं कि अबू ज़र رضي الله تعالى عنه फ़रमाते हैं : नबी صلى الله تعالى عليه وسلم जाड़ों⁽⁶⁾ में बाहर तशरीफ़ ले गए, पतझाड़ का ज़माना था, दो टहनियां पकड़ लीं, पत्ते गिरने लगे, फ़रमाया : ऐ अबू ज़र ! मैं ने अर्ज़ की : लब्बैक या रसूलल्लाह ! फ़रमाया : “मुसलमान बन्दा अल्लाह के लिये नमाज़ पढ़ता है तो उस से गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे इस दरख़्त से येह पत्ते।”⁽⁷⁾

हदीस 10 सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा رضي الله تعالى عنه से मरवी कि हुज़ूर (صلى الله تعالى عليه وسلم) ने फ़रमाया : “जो शख़्स अपने घर में तहारात (वुजू व गुस्ल) कर के फ़र्ज

①..... “صحيح البخاري”، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة، الحديث: ٥٢٦، ج ١، ص ١٩٦. ②..... پ ١٢، هود: ١١٤.

③..... “صحيح البخاري”، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة، الحديث: ٥٢٧، ج ١، ص ١٩٦.

④..... “شعب الإيمان”، باب في الصلوات، الحديث: ٢٨٠٧، ج ٣، ص ٣٩.

⑤..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، الحديث: ٤٩٥، ج ١، ص ٢٠٨.

⑥..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري، الحديث: ٢١٦١٢، ج ٨، ص ١٣٣.

⑥....सर्दियों

अदा करने के लिये मस्जिद को जाता है तो एक क़दम पर एक गुनाह मह्व होता, दूसरे पर एक दरजा बुलन्द होता है।”⁽¹⁾

हदीस 11 — इमाम अहमद जैद बिन ख़ालिद जुहन्नी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “जो दो रक्अत नमाज़ पढ़े और उन में सहव न करे तो जो कुछ पेशतर उस के गुनाह हुए हैं, अल्लाह तआला मुआफ़ फ़रमा देता है।”⁽²⁾ यानी सगाइर ।

हदीस 12 — त़बरानी अबू उमामा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “बन्दा जब नमाज़ के लिये खड़ा होता है, उस के लिये जन्नतों के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और उस के और परवर दगार के दरमियान हिजाब हटा दिये जाते हैं, और हरे ईन उस का इस्तिक्बाल करती हैं, जब तक न नाक सिन्के, न खन्कारे।”⁽³⁾

हदीस 13 — त़बरानी औसत में और ज़िया ने अनस رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “सब से पहले क़ियामत के दिन बन्दे से नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा, अगर येह दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी ठीक रहेंगे और येह बिगड़ी तो सभी बिगड़े।”⁽⁴⁾ और एक रिवायत में है कि “वोह खाइबो खासिर हुवा।”⁽⁵⁾

हदीस 14 — इमाम अहमद व अबू दावूद व नसाई व इब्ने माजह की रिवायत तमीम दारी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से यूँ है : अगर नमाज़ पूरी की है तो पूरी लिखी जाएगी और पूरी नहीं की (यानी उस में नुक़सान है) तो मलाएका से फ़रमाएगा : “देखो ! मेरे बन्दे के नवाफ़िल हों तो उन से फ़र्ज पूरे कर दो फिर ज़कात का इसी तरह हिसाब होगा फिर यूँही बाकी आमाल का।”⁽⁶⁾

हदीस 15 — अबू दावूद व इब्ने माजह अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “(जो मुसलमान जहन्नम में जाएगा وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالَى) उस के पूरे बदन को आग खाएगी सिवाए आज़ाए सुजूद के, अल्लाह तआला ने इन का खाना आग पर हराम कर दिया है।”⁽⁷⁾

① “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب المشي إلى الصلاة، الحديث: ٦٦٦، ص ٣٣٦.

② “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حديث زيد بن خالد الجهني، الحديث: ٢١٧٤٩، ج ٨، ص ١٦٢.

③ “الترغيب و الترهيب” للمنزري، كتاب الصلاة، الترهيب من البصاق في المسجد، الحديث: ١٢، ج ١، ص ١٢٦.

④ “المعجم الأوسط” للطبراني، باب الألف، الحديث: ١٨٥٩، ج ١، ص ٥٠٤.

⑤ “المعجم الأوسط” للطبراني، باب العين، الحديث: ٣٧٨٢، ج ٣، ص ٣٢.

⑥ “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، حديث تميم الداري، الحديث: ١٦٩٤٦، ج ٦، ص ٣٥.

⑦ “سنن ابن ماجه”، أبواب الزهد، باب صفة النار، الحديث: ٤٣٢٦، ج ٤، ص ٥٣٢.

हदीस 16 — तबरानी औसत में रावी कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला के नज़दीक बन्दे की येह हालत सब से ज़ियादा पसन्द है कि उसे सज्दा करता देखे कि अपना मुंह खाक पर रगड़ रहा है।”⁽¹⁾

हदीस 17 — तबरानी औसत में अनस रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया : “कोई सुब्हो शाम नहीं मगर ज़मीन का एक टुकड़ा दूसरे को पुकारता है, आज तुझ पर कोई नेक बन्दा गुज़रा जिस ने तुझ पर नमाज़ पढ़ी या ज़िक्रे इलाही किया ? अगर वोह हां कहे तो उस के लिये इस सबब से अपने ऊपर बुजुर्गी तसव्वुर करता है।”⁽²⁾

हदीस 18 — सहीह मुस्लिम में जाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया : “जन्नत की कुन्जी नमाज़ है और नमाज़ की कुन्जी त़हारत।”⁽³⁾

हदीस 19 — अबू दावूद ने अबू उमामा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया : “जो त़हारत कर के अपने घर से फ़र्ज नमाज़ के लिये निकला उस का अज़्र ऐसा है जैसा हज़ करने वाले मोहरिम का और जो चाशत के लिये निकला उस का अज़्र उम्रह करने वाले की मिस्ल है” और एक नमाज़ दूसरी नमाज़ तक कि दोनों के दरमियान में कोई लगव बात न हो इल्लिल्यीन में लिखी हुई है⁽⁴⁾ यानी दरजए क़बूल को पहुंचती है।

हदीस 20 व 21 — इमाम अहमद व नसाई व इब्ने माजह ने अबू अय्यूब अन्सारी व उक्बा बिन अमिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया : “जिस ने वुज़ू किया जैसा हुक्म है और नमाज़ पढ़ी जैसी नमाज़ का हुक्म है तो जो कुछ पहले किया है मुआफ़ हो गया।”⁽⁵⁾

हदीस 22 — इमाम अहमद अबू ज़र रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया : “जो अल्लाह के लिये एक सज्दा करता है उस के लिये एक नेकी लिखता है और एक गुनाह मुआफ़ करता है और एक दरजा बुलन्द करता है।”⁽⁶⁾

①..... “المعجم الأوسط” للطبراني، باب الميم، الحديث: ٦٠٧٥، ج ٤، ص ٣٠٨.

②..... “المعجم الأوسط” للطبراني، باب الألف، الحديث: ٥٦٢، ج ١، ص ١٧١.

③..... لم نجد هذا الحديث في صحيح مسلم.

④..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله، الحديث: ١٤٦٦٨، ج ٥، ص ١٠٣.

⑤..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة، الحديث: ٥٥٨، ج ١، ص ٢٣١.

⑥..... “سنن النسائي”، كتاب الطهارة، باب من توضأ كما أمر، الحديث: ١٤٤، ص ٣١.

⑥..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حديث أبي ذر الغفاري، الحديث: ٢١٥٠٨، ج ٨، ص ١٠٤.

हदीस 23 कन्जुल उम्माल में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया : “जो तन्हाई में दो रकअत नमाज़ पढ़े कि अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) और फ़रिश्तों के सिवा कोई न देखे, उस के लिये जहन्नम से बराअत लिख दी जाती है।”⁽¹⁾

हदीस 24 मुन्यतुल मुसल्ली में है कि इरशाद फ़रमाया : “हर शै के लिये एक अलामत होती है, ईमान की अलामत नमाज़ है।”⁽²⁾

हदीस 25 मुन्यतुल मुसल्ली में है, फ़रमाया : “नमाज़ दीन का सुतून है जिस ने इसे काइम रखा दीन को काइम रखा और जिस ने इसे छोड़ दिया दीन को ढा दिया।”⁽³⁾

हदीस 26 इमाम अहमद व अबू दावूद उबादा बिन सामित رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया : “पांच नमाज़ें अल्लाह तआला ने बन्दों पर फ़र्ज कीं, जिस ने अच्छी तरह वुजू किया और वक़्त में पढ़ीं और रुकूअ व खुशूअ को पूरा किया तो उस के लिये अल्लाह तआला ने अपने ज़िम्माए करम पर अहद कर लिया है कि उसे बख़्शा दे, और जिस ने न किया उस के लिये अहद नहीं, चाहे बख़्शा दे, चाहे अज़ाब करे।”⁽⁴⁾

हदीस 27 हाकिम ने अपनी तारीख़ में उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से रिवायत की, कि हुज़ूर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है : “अगर वक़्त में नमाज़ काइम रखे तो मेरे बन्दे का मेरे ज़िम्माए करम पर अहद है कि उसे अज़ाब न दूं और बे हिसाब जन्नत में दाख़िल करूं।”⁽⁵⁾

हदीस 28 दैलमी अबू सईद रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला ने कोई ऐसी चीज़ फ़र्ज न की जो तौहीद व नमाज़ से बेहतर हो। अगर इस से बेहतर कोई चीज़ होती तो वोह ज़रूर मलाएका पर फ़र्ज करता, उन में कोई रुकूअ में है, कोई सज्दे में।”⁽⁶⁾

हदीस 29 अबू दावूद तयालसी अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया : “जो बन्दा नमाज़ पढ़ कर उस जगह जब तक बैठा रहता है, फ़रिश्ते उस के लिये इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, उस वक़्त तक कि बे वुजू हो जाए या उठ

①..... “کنز العمال”، کتاب الصلاة، الحديث: ۱۹۰۱۵، ج ۷، ص ۱۲۵.

②..... “منية المصلي”، ثبوت فرضية الصلاة بالسنة، ص ۱۳.

③..... “منية المصلي”، ثبوت فرضية الصلاة بالسنة، ص ۱۳.

④..... “سنن أبي داود”، کتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات، الحديث: ۴۲۵، ج ۱، ص ۱۸۶.

⑤..... “کنز العمال”، کتاب الصلاة، الحديث: ۱۹۰۳۲، ج ۷، ص ۱۲۷.

⑥..... “الفردوس بمأثور الخطاب”، الحديث: ۶۱۰، ج ۱، ص ۱۶۵.

खड़ा हो। मलाएका का इस्तिफ़ार उस के लिये यह है,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (1) اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ (2) اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ (3)

और मुतअद्द हदीसों में आया है कि जब तक नमाज़ के इन्तिज़ार में है उस वक़्त तक वोह नमाज़ ही में है, यह फ़ज़ाइल मुत्लक़ नमाज़ के हैं और ख़ास ख़ास नमाज़ों के मुतअल्लिक़ जो अहदीस वारिद हुई उन में बाज़ यह हैं :

हदीस 30 — तबरानी इब्ने उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) इरशाद फ़रमाते हैं : “जो सुब्ह की नमाज़ पढ़ता है, वोह शाम तक अल्लाह के ज़िम्मे में है।” (4) दूसरी रिवायत में है : “तो अल्लाह का ज़िम्मा न तोड़ो, जो अल्लाह का ज़िम्मा तोड़ेगा अल्लाह तआला उसे औंधा कर के दोज़ख़ में डाल देगा।” (5)

हदीस 31 — इब्ने माजह सलमान फ़ारसी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “जो सुब्ह नमाज़ को गया, ईमान के झन्डे के साथ गया और जो सुब्ह बाज़ार को गया, इब्लीस के झन्डे के साथ गया।” (6)

हदीस 32 — बैहकी ने शुअबुल ईमान में उस्मान رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मौकूफ़न रिवायत की, कि “जो नमाज़े सुब्ह के लिये तालिबे सवाब हो कर हाज़िर हुवा, गोया उस ने तमाम रात क़ियाम किया (इबादत की) और जो नमाज़े इशा के लिये हाज़िर हुवा गोया उस ने निस्फ़ शब क़ियाम किया।” (7)

हदीस 33 — ख़तीब ने अनस रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “जिस ने चालीस दिन नमाज़े फ़ज्रो इशा बा जमाअत पढ़ी, उस को अल्लाह तआला दो बराअतें अता फ़रमाएगा, एक नार से दूसरी निफ़ाक़ से।” (8)

हदीस 34 — इमाम अहमद अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : रात और दिन के मलाएका नमाज़े फ़ज्र व अस्र में जम्अ होते हैं, जब वोह जाते

1.... ऐ अल्लाह तू इस को बख़्श दे। 2.... ऐ अल्लाह तू इस पर रहम कर।

3..... “مسند أبي داود الطيالسي”، الجزء العاشر، أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث: ٢٤١٥، ص ٣١٧.

و “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة... إلخ، الحديث: ٥٥٩، ج ١، ص ٢٣٢.

ऐ अल्लाह इस की तौबा क़बूल कर।

4..... “المعجم الكبير” للطبراني، الحديث: ١٣٢١٠، ج ١٢، ص ٢٤٠.

5..... “مجمع الزوائد”، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة وحقنها للدم، الحديث: ١٦٤٠، ص ٢٧.

6..... “سنن ابن ماجه”، أبواب التجارات، باب الأسواق، ودخولها، الحديث: ٢٢٣٤، ج ٣، ص ٥٣.

7..... “شعب الإيمان”، باب في الصلاة فضل في الجماعة... إلخ، الحديث: ٢٨٥٢، ج ٣، ص ٥٥.

8..... “تاريخ بغداد”، رقم: ٦٢٣١، ج ١١، ص ٣٧٤.

पेशकश : मज़लिस अल मदीनतुल इल्मिय्या (दावते इस्लामी)

हैं तो अल्लाह ﷻ उन से फ़रमाता है : “कहां से आए ?” हालां कि वोह जानता है । अर्ज़ करते हैं : “तेरे बन्दों के पास से, जब हम उन के पास गए तो वोह नमाज़ पढ़ रहे थे और उन्हें नमाज़ पढ़ता छोड़ कर तेरे पास हाज़िर हुए ।”⁽¹⁾

हदीस 35 — इब्ने माजह इब्ने उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जो मस्जिदे जमाअत में चालीस रातें नमाज़े इशा पढ़े कि रक्अते ऊला फ़ौत न हो, अल्लाह तआला उस के लिये दोज़ख़ से आज़ादी लिख देता है ।”⁽²⁾

हदीस 36 — तबरानी ने अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “सब नमाज़ों में ज़ियादा गिरां मुनाफ़ि़नी पर नमाज़े इशा व फ़ज़्र है और जो इन में फ़ज़ीलत है, अगर जानते तो ज़रूर हाज़िर होते अगर्चे सुरीन के बल घिसटते हुए ।”⁽³⁾ यानी जैसे भी मुम्किन होता ।

हदीस 37 — बज़्ज़ार ने इब्ने उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जो नमाज़े इशा से पहले सोए अल्लाह उस की आंख को न सुलाए ।”⁽⁴⁾

नमाज़ न पढ़ने पर जो वईदें आई उन में से बाज़ येह हैं :

हदीस 38 — सहीहैन में नौफ़ल बिन मुअविआ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी, हुज़ूरे अक्दस صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “जिस की नमाज़ फ़ौत हुई गोया उस के अहलो माल जाते रहे ।”⁽⁵⁾

हदीस 39 — अबू नुएम अबू सईद रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “जिस ने क़स्दन नमाज़ छोड़ी, जहन्नम के दरवाज़े पर उस का नाम लिख दिया जाता है ।”⁽⁶⁾

हदीस 40 — इमाम अहमद उम्मे ऐमन رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “क़स्दन नमाज़ तर्क न करो कि जो क़स्दन नमाज़ तर्क कर देता है, अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) व रसूल (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) उस से बरिय्युज़्ज़िम्मा हैं ।”⁽⁷⁾

हदीस 41 — शैख़ैन ने उस्मान बिन अबिल आस रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर

① “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحديث: ٧٤٩٤، ج ٣، ص ٦٨.

② “سنن ابن ماجه”، أبواب المساجد... إلخ، باب صلاة العشاء و الفجر في جماعة، الحديث: ٧٩٨، ج ١، ص ٤٣٧.

عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

③ “المعجم الكبير”، الحديث: ١٠٠٨٢، ج ١٠، ص ٩٩.

④ “كنز العمال”، كتاب الصلاة، الحديث: ١٩٤٩٧، ج ٧، ص ١٦٥، عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

⑤ “صحيح البخاري”، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، الحديث: ٣٦٠٢، ج ٢، ص ٥٠١.

⑥ “كنز العمال”، كتاب الصلاة، الحديث: ١٩٠٨٦، ج ٧، ص ١٣٢.

⑦ “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، حديث أم أيمن، الحديث: ٢٧٤٣٣، ج ١٠، ص ٣٨٦.

(1) "जिस दीन में नमाज़ नहीं, उस में कोई ख़ैर नहीं।" (1)

हदीस 42 - बैहकी हज़रते उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : "जिस ने नमाज़ छोड़ दी उस का कोई दीन नहीं, नमाज़ दीन का सुतून है।" (2)

हदीस 43 - बज़्ज़ार ने अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : "इस्लाम में उस का कोई हिस्सा नहीं, जिस के लिये नमाज़ न हो।" (3)

हदीस 44 - इमाम अहमद व दारिमी व बैहकी शुअबुल ईमान में रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : "जिस ने नमाज़ पर मुहाफ़ज़त (मुदावमत) की, क़ियामत के दिन वोह नमाज़ उस के लिये नूर व बुरहान व नजात होगी और जिस ने मुहाफ़ज़त न की उस के लिये न नूर है न बुरहान न नजात और क़ियामत के दिन क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय बिन ख़लफ़ के साथ होगा।" (4)

हदीस 45 - बुख़ारी व मुस्लिम व इमाम मालिक नाफ़ेअ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हज़रते अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके आज़म رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अपने सूबों के पास फ़रमान भेजा कि "तुम्हारे सब कामों से अहम मेरे नज़्दीक नमाज़ है" जिस ने इस का हिफ़ज़ किया और इस पर मुहाफ़ज़त की उस ने अपना दीन महफूज़ रखा और जिस ने इसे ज़ाएअ किया वोह औरों को ब दरजए औला ज़ाएअ करेगा।" (5)

हदीस 46 - तिरमिज़ी अब्दुल्लाह बिन शकीक رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि सहाबए किराम किसी अमल के तर्क को कुफ़्र नहीं जानते सिवा नमाज़ के। (6) बहुत सी ऐसी हदीसों आईं जिन का ज़ाहिर येह है कि क़स्दन नमाज़ का तर्क कुफ़्र है और बाज़ सहाबए किराम मसलन हज़रते अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके आज़म व अब्दुर्रहमान बिन औफ़ व अब्दुल्लाह बिन मस्क़द व अब्दुल्लाह बिन अब्बास व जाबिर बिन अब्दुल्लाह व मुअज़ बिन जबल व अबू हुरैरा व अबुदुर्दा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ का येही मज़हब था और बाज़ अइम्मा मसलन इमाम अहमद बिन हम्बल व इस्हाक़ बिन राहवैह व अब्दुल्लाह बिन मुबारक व इमाम नख़ई का भी येही मज़हब था, अगर्चे हमारे इमामे आज़म व दीगर अइम्मा नीज़ बहुत से सहाबए किराम इस की तक्फ़ीर नहीं करते (7) फिर भी येह क्या थोड़ी बात है कि इन जलीलुल क़द्र हज़रात के नज़्दीक ऐसा शख़्स "काफ़िर" है।

1..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، حديث عثمان بن أبي العاص، الحديث: 17934، ج 6، ص 271.

2..... "شعب الإيمان"، باب في الصلوات، الحديث: 2807، ج 3، ص 39.

3..... "كنز العمال"، كتاب الصلاة، الحديث: 19094، ج 7، ص 133.

4..... "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو، الحديث: 6587، ج 2، ص 574.

5..... "الموطأ" للإمام مالك، كتاب وقوت الصلاة، الحديث: 6، ج 1، ص 35.

6..... "جامع الترمذي"، أبواب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، الحديث: 2631، ج 4، ص 282.

7..... यानी काफ़िर नहीं कहते।

अहकामे फ़िक्हिया

मस्अला 1 हर मुकल्लफ़ यानी अक़िल बालिग़ पर नमाज़ फ़र्ज़ ऐन है इस की फ़र्ज़ियत का मुन्किर काफ़िर है। और जो क़स्दन छोड़े अगर्चे एक ही वक़्त की वोह फ़ासिक़ है और जो नमाज़ न पढ़ता हो कैद किया जाए यहां तक कि तौबा करे और नमाज़ पढ़ने लगे बल्कि अइम्माए सलासा मालिक व शाफ़ेई व अहमद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ के नज़दीक सुल्ताने इस्लाम को उस के क़त्ल का हुक्म है।⁽¹⁾ (دری)

मस्अला 2 बच्चे की जब सात बरस की उम्र हो तो उसे नमाज़ पढ़ना सिखाया जाए और जब दस बरस का हो जाए तो मार कर पढ़वाना चाहिये।⁽²⁾ (البداء و الترمذی)

मस्अला 3 नमाज़ ख़ालिस इबादते बदनी है, इस में नियाबत जारी नहीं हो सकती यानी एक की तरफ़ से दूसरा नहीं पढ़ सकता न येह हो सकता है कि ज़िन्दगी में नमाज़ के बदले कुछ माल बतौर फ़िदया अदा कर दे अलबत्ता अगर किसी पर कुछ नमाज़ें रह गई हैं और इन्तिक़ाल कर गया और वसियत कर गया कि उस की नमाज़ों का फ़िदया अदा किया जाए तो अदा किया जाए⁽³⁾ और उम्मीद है कि إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى क़बूल हो और बे वसियत भी वारिस उस की तरफ़ से दे कि उम्मीदे क़बूलो अफ़व है।⁽⁴⁾ (دری و رد المحتار و دیگر کتب)

मस्अला 4 फ़र्ज़ियते नमाज़ का सबबे हकीकी अमे इलाही है और सबबे ज़ाहिरी वक़्त है कि अव्वल वक़्त से आख़िर वक़्त तक जब अदा करे अदा हो जाएगी और फ़र्ज़ ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगा और अगर अदा न की यहां तक कि वक़्त का एक ख़फ़ीफ़ जुज़ बाकी है तो येही जुज़ अख़ीर सबब है तो अगर कोई मज्नून या बेहोश होश में आया या हैज़ो निफ़ास वाली पाक हुई या सबी⁽⁵⁾ बालिग़ हुवा या काफ़िर मुसलमान हुवा और वक़्त सिर्फ़ इतना है कि **अल्लाहु अक्बर** कह ले तो इन सब पर उस वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ हो गई और जुनून व बेहोशी पांच वक़्त से ज़ाइद को मुस्तगरक़ न हों तो अगर्चे तक्बीरे तहरीमा का भी वक़्त न मिले नमाज़ फ़र्ज़ है, क़ज़ा पढ़े।⁽⁶⁾ (دری)

हैज़ो निफ़ास वाली में तफ़सील है, जो बाबुल हैज़ में मज़कूर हुई।⁽⁷⁾

1..... "الدر المختار" معه "رد المحتار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 6.

2..... "جامع الترمذی"، أبواب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، الحديث: 407، ج 1، ص 16.

3..... नमाज़ का फ़िदया अदा करने का तरीका "बहारे शरीअत" हिस्सा 4 "क़ज़ा नमाज़ का बयान" में और अमीरे अहले सुन्नत हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्ल्यास अत्तार कादिरि रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ की किताब "नमाज़ के अहक़ाम" सफ़हा 345 ता 347 पर मुलाहज़ा फ़रमाएं।

4..... "الدر المختار" و "رد المحتار"، كتاب الصلاة، مطلب فيما يصير الكافر به مسلماً من الأفعال، ج 2، ص 12.

5..... बच्चा।

6..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 13، 15.

7..... अगर पूरी मुदत में पाक हुई तो सिर्फ़ अल्लाहु अक्बर कहने की गुन्जाइश वक़्त में होने से नमाज़ फ़र्ज़ हो =

मस्अला 5 — ना बालिग़ ने वक्त में नमाज़ पढ़ी थी और अब आख़िर वक्त में बालिग़ हुवा तो उस पर फ़र्ज़ है कि अब फिर पढ़े यूँही अगर **مَعَادُ اللَّهِ** कोई मुरतद हो गया फिर आख़िर वक्त में इस्लाम लाया उस पर उस वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, अगर्चे अक्वल वक्त में कब्ले इरतिदाद नमाज़ पढ़ चुका हो।⁽¹⁾ (درمّار)

मस्अला 6 — ना बालिग़ इशा की नमाज़ पढ़ कर सोया था उस को एहतिलाम हुवा और बेदार न हुवा यहां तक कि फ़ज्र तुलूअ होने के बाद आंख खुली तो इशा का इआदा करे और अगर तुलूअ फ़ज्र से पेशतर आंख खुली तो उस पर इशा की नमाज़ बिल इज्माअ फ़र्ज़ है।⁽²⁾ (بحر الرائق)

मस्अला 7 — किसी ने अक्वल वक्त में नमाज़ न पढ़ी थी और आख़िर वक्त में कोई ऐसा उज़्र पैदा हो गया, जिस से नमाज़ साकि़त हो जाती है मसलन आख़िर वक्त में हैज़ो निफ़ास हो गया या जुनून या बेहोशी तारी हो गई तो उस वक्त की नमाज़ मुआफ़ हो गई, उस की क़ज़ा भी उन पर नहीं है, मगर जुनून व बेहोशी में शर्त है कि अलल इत्तिसाल⁽³⁾ पांच नमाज़ों से जाइद को घेर लें, वरना क़ज़ा लाज़िम होगी।⁽⁴⁾ (عالمگیری، رد المحتار)

मस्अला 8 — येह गुमान था कि अभी वक्त नहीं हुवा नमाज़ पढ़ ली बादे नमाज़ मालूम हुवा कि वक्त हो गया था नमाज़ न हुई।⁽⁵⁾ (درمّار)

नमाज़ के वक्तों का बयान

अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** फ़रमाता है :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾⁽⁶⁾

= जाएगी और अगर पूरी मुदत से पहले पाक हुई यानी हैज़ में दस दिन से पहले और निफ़ास में चालीस दिन से पहले तो इतना वक्त दरकार है कि गुस्ल कर के कपड़े पहन कर अल्लाहु अक्बर कह सके गुस्ल कर सकने में मुक़द्दमाते गुस्ल, पानी लाना, कपड़े उतारना, पर्दा करना भी दाख़िल हैं। (درمّار) 12 मिन्ह

① "الدر المختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ١٥.

② "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج ٢، ص ١٥٩.

③ लगातार। "बहारे शरीअत" हिस्सा : 4, "नमाज़े मरीज़ का बयान" में है : अगर किसी वक्त होश हो जाता है तो उस का वक्त मुक़रर है या नहीं अगर वक्त मुक़रर है और इस से पहले पूरे छे वक्त न गुज़रे तो क़ज़ा वाजिब और वक्त मुक़रर न हो बल्कि दफ़अतन होश हो जाता है फिर वोही हालत पैदा हो जाती है तो इस इफ़ाके का एतबार नहीं यानी सब बेहोशियां मुत्तसिल समझी जाएंगी। (عالمگیری، رد المحتار)

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، ج ١، ص ٥١. و "رد المختار"، كتاب الصلاة، مطلب فيما يصير الكافر به مسلماً من الأفعال، ج ٢، ص ١٤.

⑤ "رد المختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٣٦. ⑥ ٥٣، النساء: ١٠٣.

बेशक नमाज़ ईमान वालों पर फ़र्ज़ है, वक्त बांधा हुवा ।

और फ़रमाता है :

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحُكْمُ فِي السَّلَوتِ وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (1)

अल्लाह की तस्बीह करो जिस वक्त तुम्हें शाम हो (नमाज़े मग़रिब व इशा) और जिस वक्त सुबह हो (नमाज़े फ़ज़्र) और उसी की हम्द है, आस्मानों और ज़मीन में और पिछले पहर को (नमाज़े अ़सर) और जब तुम्हें दिन ढले (नमाज़े ज़ोहर) ।

अहदीस

हदीस 1 हाकिम ने इब्ने अब्बास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत की, कि नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “फ़ज़्र दो हैं एक वोह जिस में खाना ह़राम यानी रोज़ेदार के लिये और नमाज़ हलाल दूसरी वोह कि उस में नमाज़ (फ़ज़्र) ह़राम और खाना हलाल ।” (2)

हदीस 2 नसाई अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जिस शख्स ने फ़ज़्र की एक रकअत क़ब्ले तुलूअ आफ़ताब पा ली तो उस ने नमाज़ पा ली (उस पर फ़र्ज़ हो गई) और जिसे एक रकअत अ़सर की क़ब्ले गुरुबे आफ़ताब मिल गई उस ने नमाज़ पा ली यानी उस की नमाज़ हो गई ।” (3) यहां दोनों जगह रकअत से तक्बीरे तहरीमा मुराद ली जाएगी यानी अ़सर की निय्यत बांध ली तक्बीरे तहरीमा कह ली उस वक्त तक आफ़ताब न डूबा था फिर डूब गया नमाज़ हो गई और काफ़िर मुसलमान हुवा या बच्चा बालिग़ हुवा उस वक्त कि आफ़ताब तुलूअ होने तक तक्बीरे तहरीमा कह लेने का वक्त बाकी था, उस फ़ज़्र की नमाज़ उस पर फ़र्ज़ हो गई, क़ज़ा पढ़े और तुलूअ आफ़ताब के बाद मुसलमान या बालिग़ हुवा तो वोह नमाज़ उस पर फ़र्ज़ न हुई ।

हदीस 3 तिरमिज़ी राफ़ेअ बिन ख़दीज رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “फ़ज़्र की नमाज़ उजाले में पढ़ो कि इस में बहुत अज़ीम सवाब है ।” (4)

हदीस 4 दैलमी की रिवायत अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से है कि “इस से तुम्हारी मग़ि़रत हो जाएगी ।” (5) और दैलमी की दूसरी रिवायत इन्हीं से है कि “जो फ़ज़्र को रोशन कर के

1..... प २१, الروم: १७-१८. 2..... “المستدرک” للحاکم، کتاب الصلاة، فال فجر فجران، الحديث: १३، ج १، ص ४३३.

3..... “سنن النسائي”، کتاب المواقيت، باب من أدرك ركعتين من العصر، الحديث: ५१४، ص ९२.

4..... “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء في الإسفار بالفجر، الحديث: १०४، ج १، ص २०४.

5..... “کنز العمال”، کتاب الصلاة، الحديث: १९२७۹، ج ۷، ص ۱۴۸.

पढ़ेगा अल्लाह तआला उस की क़ब्र और क़ल्ब को मुनव्वर करेगा और उस की नमाज़ क़बूल फ़रमाएगा ।”(1)

हदीस 5 – तबरानी औसत में अबू हुरैरा رضي الله تعالى عنه से रावी कि हुज़ूर صلى الله تعالى عليه وسلم फ़रमाते हैं : “मेरी उम्मत हमेशा फ़ितरत यानी दीने हक़ पर रहेगी, जब तक फ़ज़्र को उजाले में पढ़ेगी ।”(2)

हदीस 6 – इमाम अहमद व तिरमिज़ी अबू हुरैरा رضي الله تعالى عنه से रावी कि हुज़ूरे अक़दस صلى الله تعالى عليه وسلم फ़रमाते हैं : “नमाज़ के लिये अव्वल व आख़िर है, अव्वल वक़्त जोहर का उस वक़्त है कि आफ़ताब ढल जाए और आख़िर उस वक़्त कि अ़स्र का वक़्त आ जाए और आख़िर वक़्त अ़स्र का उस वक़्त कि आफ़ताब का कुर्स ज़र्द हो जाए, और अव्वल वक़्त मग़रिब का उस वक़्त कि आफ़ताब डूब जाए और उस का आख़िर वक़्त जब शफ़क़ डूब जाए और अव्वल वक़्त इशा जब शफ़क़ डूब जाए और आख़िर वक़्त जब आधी रात हो जाए ।”(3) (यानी वक़्ते मुबाह़ बिला कराहत) ।

हदीस 7 – बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा رضي الله تعالى عنه से रावी कि फ़रमाते हैं صلى الله تعالى عليه وسلم : “जोहर को ठन्डा कर के पढ़ो कि सख़्त गरमी जहन्नम के जोश से है । दोज़ख़ ने अपने रब के पास शिकायत की, कि मेरे बाज़ अज्ज़ा बाज़ को खाए लेते हैं उसे दो मरतबा सांस की इजाज़त हुई एक जाड़े में एक गरमी में ।”(4)

हदीस 8 – सहीह बुख़ारी शरीफ़ बाबुल अज़ान लिल मुसाफ़िरीन में है, अबू ज़र رضي الله تعالى عنه कहते हैं : हम **रसूलुल्लाह** صلى الله تعالى عليه وسلم के साथ एक सफ़र में थे, मुअज़्ज़िन ने अज़ान कहनी चाही, फ़रमाया : “ठन्डा कर”, फिर क़स्द किया, फ़रमाया : “ठन्डा कर”, फिर इरादा किया, फ़रमाया : “ठन्डा कर, यहां तक कि साया टीलों के बराबर हो गया ।”(5)

हदीस 9 व 10 – इमाम अहमद व अबू दावूद, अबू अय्यूब व उक़्बा बिन आमिर رضي الله تعالى عنهم से रावी कि फ़रमाते हैं صلى الله تعالى عليه وسلم : “मेरी उम्मत हमेशा फ़ितरत पर रहेगी, जब तक मग़रिब में इतनी ताख़ीर न करें कि सितारे गुथ जाएं ।”(6)

हदीस 11 – अबू दावूद ने अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ीअ رضي الله تعالى عنه से रिवायत की, कि

① “الفردوس بما ثور الخطاب”، الحديث: ٥٦٢٤، ج ٣، ص ٥٢٠.

② “المعجم الأوسط”، للطبراني، باب السين، الحديث: ٣٦١٨، ج ٢، ص ٣٩٠.

③ “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء في مواقيت الصلاة، الحديث: ١٥١، ج ١، ص ٢٠٢.

④ “صحيح البخاري”، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، الحديث: ٥٣٧-٥٣٨، ج ١، ص ١٩٩.

⑤ “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين... إلخ، الحديث: ٦٢٩، ج ١، ص ٢٢٨.

⑥ “سنن أبي داود”، كتاب الصلوة، باب في وقت المغرب، الحديث: ٤١٨، ج ١، ص ١٨٣.

फ़रमाते हैं صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “दिन की नमाज़ (अस्) अब्र के दिन में जल्दी पढ़ो और मग़रिब में ताख़ीर करो।”⁽¹⁾

हदीस 12 — इमाम अहमद अबू हुरैरा رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “अगर ये बात न होती कि मेरी उम्मत पर मशक्कत हो जाएगी तो मैं उन को हुक्म फ़रमा देता कि हर वुजू के साथ मिस्वाक करें और इशा की नमाज़ तिहाई या आधी रात तक मुअख़्ख़र कर देता कि रब तबारक व तआला आस्मान पर ख़ास तजल्लिले रहमत फ़रमाता है और सुब्ह तक फ़रमाता रहता है कि : है कोई साइल कि उसे दूं, है कोई मग़िफ़रत चाहने वाला कि उस की मग़िफ़रत करूं, है कोई दुआ करने वाला कि क़बूल करूं।”⁽²⁾

हदीस 13 — तबरानी औसत में अबू हुरैरा رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जब फ़ज़्र तुलूअ कर आए तो कोई (नफ़ल) नमाज़ नहीं सिवा दो रकअत फ़ज़्र के।”⁽³⁾

हदीस 14 — बुख़ारी व मुस्लिम में अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मरवी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “बाद सुब्ह नमाज़ नहीं ता वक्ते कि आफ़ताब बुलन्द न हो जाए और अस् के बाद नमाज़ नहीं यहां तक कि गुरूब हो जाए।”⁽⁴⁾

हदीस 15 — सहीहैन में अब्दुल्लाह सुनाबिही رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ से मरवी, फ़रमाते हैं صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “आफ़ताब शैतान के सींग के साथ तुलूअ करता है, जब बुलन्द हो जाता है तो जुदा हो जाता है फिर जब सर की सीध पर आता है तो शैतान उस से क़रीब हो जाता है, जब ढल जाता है तो हट जाता है फिर जब गुरूब होना चाहता है शैतान उस से क़रीब हो जाता है, जब डूब जाता है जुदा हो जाता है तो इन तीन वक्तों में नमाज़ न पढ़ो।”⁽⁵⁾

मशाइले फ़िक्हिय्या

मस्अला 1 — वक्ते फ़ज़्र : तुलूअ सुब्हे सादिक से आफ़ताब की किरन चमकने तक है।⁽⁶⁾

फ़ाएदा : सुब्हे सादिक एक रोशनी है कि पूरब⁽⁷⁾ की जानिब जहां से आज आफ़ताब तुलूअ होने वाला है उस के ऊपर आस्मान के कनारे में दिखाई देती है और बढ़ती जाती है, यहां तक कि तमाम आस्मान पर फैल जाती और ज़मीन पर उजाला हो जाता है और इस से

1..... “مراسيل أبي داود” مع “سنن أبي داود”، كتاب الصلوة، ص ٥٠.

2..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحديث: ٩٥٩٧، ج ٣، ص ٤٢٧.

3..... “المعجم الأوسط” للطبراني، باب الألف، الحديث: ٨١٦، ج ١، ص ٢٣٨.

4..... “صحيح البخاري”، كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل... الخ، الحديث: ٥٨٦، ج ١، ص ٢١٣.

5..... لم نجد هذا الحديث في الصحيحين.

6..... “كنز العمال”، كتاب الصلاة الأوقات المكروهة، الحديث: ١٩٥٨٥، ج ٧، ص ١٧١.

7..... “مختصر القدوري”، كتاب الصلاة، ص ١٥٣.

क़बल बीच आस्मान में एक दराज़ सपेदी ज़ाहिर होती है, जिस के नीचे सारा उफ़ुक़ सियाह होता है, सुब्हे सादिक़ उस के नीचे से फूट कर जुनूबन शिमालन दोनों पहलूओं पर फैल कर ऊपर बढ़ती है, येह दराज़ सपेदी उस में गाइब हो जाती है, इस को सुब्हे काज़िब कहते हैं, इस से फ़ज़्र का वक़्त नहीं होता येह जो बाज़ ने लिखा कि सुब्हे काज़िब की सपेदी जा कर बाद को तारीकी हो जाती है, महज़ ग़लत है, सहीह वोह है जो हम ने बयान किया ।

मस्आला 2

मुख़्तार येह है कि नमाज़े फ़ज़्र में सुब्हे सादिक़ की सपेदी चमक कर ज़रा फैलनी शुरू हो इस का एतिबार किया जाए और इशा और सहरी खाने में इस के इब्तिदाए तुलूअ का एतेबार हो ।⁽¹⁾ (عالمگیری)

फ़ाएदा : सुब्हे सादिक़ चमकने से तुलूए आफ़ताब तक इन बिलाद⁽²⁾ में कम अज़ कम एक घन्टा अठ्ठारह मिनट है और ज़ियादा से ज़ियादा एक घन्टा पैंतीस (35) मिनट न इस से कम होगा न इस से ज़ियादा । इक्कीस (21) मार्च को एक घन्टा अठ्ठारह मिनट होता है, फिर बढ़ता रहता है, यहां तक कि 22 जून को पूरा एक घन्टा 35 मिनट हो जाता है फिर घटना शुरू होता है, यहां तक कि 22 सितम्बर को एक घन्टा 18 मिनट हो जाता है, फिर बढ़ता है, यहां तक कि (22) दिसम्बर को एक घन्टा 24 मिनट होता है, फिर कम होता रहता है यहां तक कि 21 मार्च को वोही एक घन्टा अठ्ठारह मिनट हो जाता है, जो शख़्स वक़्ते सहीह न जानता हो उसे चाहिये कि गर्मियों में एक घन्टा 40 मिनट बाकी रहने पर सहरी छोड़ दे खुसूसन जून जुलाई में और जाड़ों में डेढ़ घन्टा रहने पर खुसूसन दिसम्बर जनवरी में और मार्च व सितम्बर के अवाख़िर में जब दिन रात बराबर होता है तो सहरी एक घन्टा चौबीस मिनट पर छोड़े और सहरी छोड़ने का जो वक़्त बयान किया गया उस के आठ दस मिनट बाद अज़ान कही जाए ताकि सहरी और अज़ान दोनों तरफ़ एहतियात रहे, बाज़ ना वाकिफ़ आफ़ताब निकलने से दो पोने दो घन्टे पहले अज़ान कह देते हैं फिर उसी वक़्त सुन्नत बल्कि फ़र्ज़ भी बाज़ दफ़आ पढ़ लेते हैं, न येह अज़ान हो न नमाज़, बाज़ों ने रात का सातवां हिस्सा वक़्ते फ़ज़्र समझ रखा है येह हरगिज़ सहीह नहीं माहे जून व जुलाई जब कि दिन बड़ा होता है और रात तक़रीबन दस घन्टे की होती है, उन दिनों तो अलबत्ता वक़्ते सुब्ह रात का सातवां हिस्सा या उस से चन्द मिनट पहले हो जाता है, मगर दिसम्बर जनवरी में जब कि रात चौदह घन्टे की होती है, उस वक़्त फ़ज़्र का वक़्त नवां हिस्सा बल्कि उस से भी कम हो जाता है । इब्तिदाए वक़्ते फ़ज़्र की शनाख़्त दुश्वार है, खुसूसन जब कि गर्दों गुबार हो या चांदनी रात हो लिहाज़ा हमेशा तुलूए आफ़ताब का ख़याल रखे कि आज जिस वक़्त तुलूअ हुवा दूसरे दिन उसी हिस्सा से वक़्ते मुतज़क्करए बाला⁽³⁾ के अन्दर अन्दर अज़ान व नमाज़े फ़ज़्र अदा की जाए । (अज़ इफ़ादाते रज़विय्या)

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الأول، ج 1، ص 51.

2....शहरों

3....मुतज़क्करए बाला यानी ऊपर ज़िक्र किये गए ।

वक्ते ज़ोहर व जुमुआ : आपताब ढलने से उस वक्त तक है कि हर चीज़ का साया इलावा सायए अस्ली के दो चन्द हो जाए।⁽¹⁾ (مَتُون)

फ़ाएदा : हर दिन का सायए अस्ली वोह साया है कि उस दिन आपताब के ख़त निस्फुन्नहार पर पहुंचने के वक्त होता है और वोह मौसिम और बिलाद के मुख़ालिफ़ होने से मुख़ालिफ़ होता है, दिन जितना घटता है, साया बढ़ता जाता है और दिन जितना बढ़ता है, साया कम होता जाता है, यानी जाड़ों⁽²⁾ में ज़ियादा होता है और गर्मियों में कम और उन शहरों में कि ख़त्ते इस्तेवा के कुर्ब में वाक़ेअ हैं, कम होता है, बल्कि बाज़ जगह बाज़ मौसिम में बिल्कुल होता ही नहीं जब आपताब बिल्कुल समते रास⁽³⁾ पर होता है, चुनान्चे, मौसिमे सरमा माहे दिसम्बर में हमारे मुल्क के अर्जुल बलद पर कि 28 दरजे के करीब पर वाक़ेअ है, साढ़े आठ क़दम से ज़ाइद यानी सवाए के करीब सायए अस्ली हो जाता है और मक्कए मुअज़्ज़मा में जो 120 दरजे पर वाक़ेअ है, उन दिनों में सात क़दम से कुछ ही ज़ाइद होता है, इस से ज़ाइद फिर नहीं होता इसी तरह मौसिमे गर्मा में मक्कए मुअज़्ज़मा में 27 मई से 30 मई तक दोपहर के वक्त बिल्कुल साया नहीं होता, इस के बाद फिर वोह साया उल्टा ज़ाहिर होता है, यानी साया जो शिमाल को पड़ता था, अब मक्कए मुअज़्ज़मा में जुनूब को होता है और 22 जून तक पाव क़दम तक बढ़ कर फिर घटता है, यहां तक कि पन्दरह जुलाई से अठ्ठारह जुलाई तक फिर मादूम हो जाता है, इस के बाद फिर शिमाल की तरफ़ ज़ाहिर होता है और हमारे मुल्क में न कभी जुनूब में पड़ता है, न कभी मादूम होता बल्कि सब से कम साया 22 जून को निस्फ़ क़दम बाकी रहता है। (از افادات رضویہ)

फ़ाएदा : आपताब ढलने की पहचान येह है कि बराबर ज़मीन में हम्वार लकड़ी इस तरह सीधी नस्ब करें कि मशरिक़ या मग़रिब को अस्लन झुकी न हो आपताब जितना बुलन्द होता जाएगा, उस लकड़ी का साया कम होता जाएगा, जब कम होना मौकूफ़ हो जाए तो उस वक्त ख़त्ते निस्फुन्नहार पर पहुंचा और उस वक्त का साया सायए अस्ली है, इस के बाद बढ़ना शुरूअ होगा और येह दलील है कि ख़त्ते निस्फुन्नहार से मुतजाविज़ हुवा अब ज़ोहर का वक्त हुवा येह एक तख़्मीना है इस लिये कि साए का कमो बेश होना खुसूसन मौसिमे गर्मा में जल्द मुतमय्थिज़ नहीं होता, इस से बेहतर तरीक़ा ख़त्ते निस्फुन्नहार का है कि हम्वार ज़मीन में निहायत सहीह कम्पास से सूई की सीध पर ख़त्ते निस्फुन्नहार खींच दें और इन मुल्कों में उस ख़त के जुनूबी کنارے पर कोई मख़रूती शक़ल की निहायत बारीक नोकदार लकड़ी ख़ूब सीधी नस्ब करें कि शर्क़ या गर्ब को अस्लन न झुकी हो, और वोह ख़त्ते निस्फुन्नहार उस के काइदे के ऐन वस्त में हो। जब उस की नोक का साया इस ख़त पर मुन्तबिक़ हो ठीक दोपहर

②.... सर्दियों।

③.... यानी बिल्कुल सर के ऊपर।

①..... "مختصر القدوري"، كتاب الصلاة، ص ۱۰۳.

हो गया, जब बाल बराबर पूरब को झुके दोपहर ढल गया, ज़ोहर का वक्त आ गया।

वक्ते अस्स : बाद ख़त्म होने वक्ते ज़ोहर के यानी सवा सायए अस्ली के दो मिस्ल साया होने से, आफ़ताब डूबने तक है।⁽¹⁾ (مَتُون)

फ़ाएदा : इन बिलाद में वक्ते अस्स कम अज़ कम एक घन्टा 35 मिनट और ज़ियादा से ज़ियादा दो घन्टे 6 मिनट है, इस की तफ़सील येह है, 24 अक्टूबर तह्वीले अ़क़ब⁽²⁾ से आख़िर माह तक एक घन्टा 36 मिनट फिर यकुम नवम्बर से 18 फ़रवरी यानी पौने चार महीने तक तक्रीबन एक घन्टा 35 मिनट साल में येह सब से छोटा वक्ते अस्स है, इन बिलाद में अस्स का वक्त कभी इस से कम नहीं होता, फिर 19 फ़रवरी तह्वीले हूत से ख़त्मे माह तक एक घन्टा 36 मिनट, फिर मार्च के हफ़्तए अव्वल में एक घन्टा 37 मिनट, हफ़्तए दुवुम में एक घन्टा 38 मिनट, हफ़्तए सिवुम में एक घन्टा 40 मिनट, फिर 21 मार्च तह्वीले ह्मल से आख़िर माह तक एक घन्टा 41 मिनट, फिर एप्रिल के हफ़्तए अव्वल में एक घन्टा 43 मिनट, दूसरे हफ़ते में एक घन्टा 45 मिनट, तीसरे हफ़ते में एक घन्टा 48 मिनट, फिर 20 व 21 एप्रिल तह्वीले सौर से आख़िरे माह तक एक घन्टा 50 मिनट, फिर मई के हफ़्तए अव्वल में एक घन्टा 53 मिनट, हफ़्तए दुवुम में एक घन्टा 55 मिनट, हफ़्तए सिवुम में एक घन्टा 58 मिनट, फिर 22 व 23 मई तह्वीले जौज़ा से आख़िरे माह तक दो घन्टे एक मिनट, फिर जून के पहले हफ़ते में दो घन्टे 3 मिनट, हफ़्तए दुवुम में दो घन्टे 4 मिनट, हफ़्तए सिवुम में दो घन्टे 5 मिनट, फिर 22 जून तह्वीले सरतान से आख़िरे माह तक दो घन्टे 6 मिनट, फिर हफ़्तए अव्वल जुलाई में दो घन्टे 5 मिनट, दूसरे हफ़ते में दो घन्टे 4 मिनट, तीसरे हफ़ते में दो घन्टे दो मिनट, फिर 23 जुलाई तह्वीले असद को दो घन्टे एक मिनट इस के बाद से आख़िरे माह तक दो घन्टे, फिर अगस्त के पहले हफ़ते में एक घन्टा 58 मिनट, दूसरे हफ़ते में एक घन्टा 55 मिनट, तीसरे हफ़ते में एक घन्टा 51 मिनट, फिर 23 व 24 अगस्त तह्वीले सुम्बुला को एक घन्टा 50 मिनट, फिर इस के बाद से आख़िरे माह तक एक घन्टा 48 मिनट, फिर हफ़्तए अव्वल सितम्बर में एक एक घन्टा 46 मिनट, दूसरे हफ़ते में एक घन्टा 44 मिनट, तीसरे हफ़ते में एक घन्टा 42 मिनट, फिर 23, 24 सितम्बर तह्वीले मीज़ान में एक घन्टा 41 मिनट, फिर इस के बाद आख़िरे माह तक एक घन्टा 40 मिनट, फिर हफ़्तए अव्वल अक्टूबर में एक घन्टा 39 मिनट, हफ़्तए दुवुम में एक घन्टा 38 मिनट, हफ़्तए सिवुम में 23 अक्टूबर तक एक घन्टा 37 मिनट, गुरुबे आफ़ताब से पेशतर वक्ते अस्स शुरूअ होता है। (ازافات رضوی)

वक्ते मग़रिब : गुरुबे आफ़ताब से गुरुबे शफ़क़ तक है।⁽³⁾ (مَتُون)

1..... "مختصر القدوري"، كتاب الصلاة، ص 104.

2..... एक बुर्ज का नाम है। बारह बुर्ज जो सात सय्यारा सितारों की मन्ज़िलें हैं। बुर्ज येह हैं : (1) ह्मल (2) सौर (3) जौज़ा (4) सरतान (5) असद (6) सुम्बुला (7) मीज़ान (8) अ़क़ब (9) कौस (10) ज़दय (11) दल्व (12) हूत। (ملخصاً، ص 318، ج 3، "معالم التنزيل")

3..... "مختصر القدوري"، كتاب الصلاة، ص 104.

मस्अला 3

शफ़क़ हमारे मज़हब में उस सपेदी का नाम है, जो जानिबे मग़रिब में सुर्खी डूबने के बाद जुनूबन शिमालन सुब्हे सादिक् की तरह फैली हुई रहती है।⁽¹⁾ (इफ़ादाते रज़विय्या) और ये वक्त इन शहरों में कम से कम एक घन्टा अठ्ठारह मिनट और ज़ियादा से ज़ियादा एक घन्टा 35 मिनट होता है।⁽²⁾ (फ़तावा रज़विय्या) फ़कीर ने भी बकसरत इस का तज़रिबा किया।

फ़ाएदा : हर रोज़ के सुब्ह (फ़ज़्र) और मग़रिब दोनों के वक्त बराबर होते हैं।

वक्ते इशा व वित्र : गुरुब सपेदी मज़कूर से तुलूए फ़ज़्र तक है, इस जुनूबन शिमालन फैली हुई सपेदी के बाद जो सपेदी शर्कन गर्बन तवील बाकी रहती है, इस का कुछ एतिबार नहीं, वोह जानिबे शर्क में सुब्हे काज़िब की मिस्ल है।⁽³⁾

मस्अला 4

अगर्चे इशा व वित्र का वक्त एक है, मगर बाहम इन में तरतीब फ़र्ज़ है कि इशा से पहले वित्र की नमाज़ पढ़ ली तो होगी ही नहीं, अलबत्ता भूल कर अगर वित्र पहले पढ़ लिये या बाद को मालूम हुवा कि इशा की नमाज़ बे वुजू पढ़ी थी और वित्र वुजू के साथ तो वित्र हो गए।⁽⁴⁾ (दरमत्तार, عالمگیری)

मस्अला 5

जिन शहरों में इशा का वक्त ही न आए कि शफ़क़ डूबते ही या डूबने से पहले फ़ज़्र तुलूअ कर आए (जैसे बुलगार व लन्दन कि इन जगहों में हर साल चालीस रातें ऐसी होती हैं कि इशा का वक्त आता ही नहीं और बाज़ दिनों में सेकन्डों और मिनटों के लिये होता है) तो वहां वालों को चाहिये कि “इन दिनों की इशा व वित्र की क़ज़ा पढ़ें।”⁽⁵⁾

(दरमत्तार, ردالمحتار)

अवकाते मुस्तहब्बा : फ़ज़्र में ताख़ीर मुस्तहब्ब है, यानी अस्फ़ार में (जब खूब उजाला हो यानी ज़मीन रोशन हो जाए) शुरूअ करे मगर ऐसा वक्त होना मुस्तहब्ब है कि चालीस से साठ आयत तक तरतील के साथ पढ़ सके फिर सलाम फेरने के बाद इतना वक्त बाकी रहे, कि अगर नमाज़ में फ़साद ज़ाहिर हो तो त़हारत कर के तरतील के साथ चालीस से साठ आयत तक दोबारा पढ़ सके और इतनी ताख़ीर मक्रूह है कि तुलूए आफ़ताब का शक हो जाए।⁽⁶⁾ (दरमत्तार, ردالمحتार, عالمگیری)

① “الهداية”، كتاب الصلاة، باب المواقيت، ج ١، ص ٤٠.

② الفتاوى الرضوية، كتاب الصلاة، باب الأوقات، ج ٥، ص ١٥٣.

③ الفتاوى الرضوية، كتاب الصلاة، باب الأوقات، ج ٥، ص ١٥٣.

④ “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الأول، ج ١، ص ٥١.

و “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٢٣.

⑤ “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، مطلب في فاقدوقت العشاء كأهل بلغار، ج ٢، ص ٢٤.

⑥ “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، مطلب في طلوع الشمس من مغربها، ج ٢، ص ٣٠.

و “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥١.

मस्अला 6 हाजियों के लिये मुज्दलिफ़ा में निहायत अव्वल वक्त फ़ज़्र पढ़ना मुस्तहब है।⁽¹⁾ (عالمگیری)

मस्अला 7 औरतों के लिये हमेशा फ़ज़्र की नमाज़ ग़लस (यानी अव्वल वक्त) में मुस्तहब है और बाकी नमाज़ों में बेहतर येह है कि मर्दों की जमाअत का इन्तिज़ार करें, जब जमाअत हो चुके तो पढ़ें।⁽²⁾ (درمختار)

मस्अला 8 जाड़ों की ज़ोहर में जल्दी मुस्तहब है, गरमी के दिनों में ताख़ीर मुस्तहब है, ख़्वाह तन्हा पढ़े या जमाअत के साथ, हां गर्मियों में ज़ोहर की जमाअत अव्वल वक्त में होती हो तो मुस्तहब वक्त के लिये जमाअत का तर्क जाइज़ नहीं, मौसिमे रबीअ जाड़ों के हुक्म में है और ख़रीफ़ गर्मियों के हुक्म में।⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

मस्अला 9 जुमुआ का वक्ते मुस्तहब वोही है जो ज़ोहर के लिये है।⁽⁴⁾ (ف)

मस्अला 10 अ़स् की नमाज़ में हमेशा ताख़ीर मुस्तहब है, मगर न इतनी ताख़ीर कि खुद कुर्से आफ़ताब में ज़र्दी आ जाए कि उस पर बे तकल्लुफ़ बे गुबारो बुख़ार निगाह क़ाइम होने लगे, धूप की ज़र्दी का एतिबार नहीं।⁽⁵⁾ (عالمگیری، درمختار و غیرهما)

मस्अला 11 बेहतर येह है कि ज़ोहर मिस्ले अव्वल में पढ़ें⁽⁶⁾ और अ़स् मिस्ले सानी के बाद।⁽⁷⁾ (غنیة)

मस्अला 12 तजरिबे से साबित हुवा कि कुर्से आफ़ताब में येह ज़र्दी उस वक्त आ जाती है, जब गुरुब में बीस मिनट बाकी रहते हैं तो इसी क़दर वक्ते कराहत है यूंही बादे तुलूअ बीस मिनट के बाद जवाजे नमाज़ का वक्त हो जाता है।⁽⁸⁾ (फ़तावा रज़विय्या)

मस्अला 13 ताख़ीर से मुराद येह है कि वक्ते मुस्तहब के दो हिस्से किये जाएं, पिछले हिस्से में अदा करें।⁽⁹⁾ (فرائق)

मस्अला 14 अ़स् की नमाज़ वक्ते मुस्तहब में शुरूअ की थी, मगर इतना तूल दिया कि वक्ते मक्रूह आ गया तो इस में कराहत नहीं।⁽¹⁰⁾ (عزو عالمگیری و درمختار)

1..... "الفتاویٰ الهندیة"، کتاب الصلاة، الباب الأول فی المواقیت، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۵۲.

2..... "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، ج ۲، ص ۳۰.

3..... "الفتاویٰ الهندیة"، کتاب الصلاة، الباب الأول فی المواقیت، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۵۲. و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، ج ۲، ص ۳۵. 4..... "البحر الرائق"، کتاب الصلاة، ج ۱، ص ۴۲۹.

5..... "الفتاویٰ الهندیة"، کتاب الصلاة، الباب الأول فی المواقیت، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۵۲.

6..... अगर कोई ज़ोहर मिस्ले सानी में पढ़े तो भी हरज नहीं क्यूं कि ज़ोहर में कोई भी वक्त मक्रूह नहीं है, जैसा कि आला (انظر جدول المحتار، کتاب الصلاة، باب الأوقات، مطلب فی طلوع الشمس... إلخ، ج ۲، ص ۵۲).... عليه. 7..... "غنیة المتملی شرح منیة المصلی"، الشرط الخامس، ص ۲۲۷.

8..... "الفتاویٰ الرضویة"، کتاب الصلاة، باب الأوقات، ج ۵، ص ۱۳۸. ملخصاً. 9..... "البحر الرائق".

10..... "الفتاویٰ الهندیة"، کتاب الصلاة، الباب الأول فی المواقیت، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۵۲.

मस्अला 15 - रोज़े अब्र⁽¹⁾ के सिवा मगरिब में हमेशा ताजील⁽²⁾ मुस्तहब है और दो रक्अत से जाइद की ताखीर मकरूहे तन्जीही और अगर बिगैर उज़्र सफ़र व मरज़ वगैरा इतनी ताखीर की, कि सितारे गुथ गए तो मकरूहे तहरीमी⁽³⁾ (درمئی، عالمگیری)

मस्अला 16 - इशा में तिहाई रात तक ताखीर मुस्तहब है और आधी रात तक ताखीर मुबाह यानी जब कि आधी रात होने से पहले फ़र्ज़ पढ़ चुके और इतनी ताखीर कि रात ढल गई मकरूह है कि बाइसे तक्लीले जमाअत है⁽⁴⁾ (درمئی، عالمگیری)

मस्अला 17 - नमाज़े इशा से पहले सोना और बाद नमाज़े इशा दुन्या की बातें करना, किस्से कहानी कहना सुनना मकरूह है, ज़रूरी बातें और तिलावते कुरआने मजीद और ज़िक्र और दीनी मसाइल और सालेहीन के किस्से और मेहमान से बातचीत करने में हरज नहीं, यूंही तुलूए फ़ज़्र से तुलूए आपताब तक ज़िक्रे इलाही के सिवा हर बात मकरूह है⁽⁵⁾ (درمئی، عالمگیری)

मस्अला 18 - जो शख्स जागने पर एतिमाद रखता हो उस को आखिर रात में वित्र पढ़ना मुस्तहब है, वरना सोने से कब्ल पढ़ ले, फिर अगर पिछले को आंख खुली तो तहज्जुद पढ़े वित्र का इआदा जाइज़ नहीं⁽⁶⁾ (درمئی، عالمگیری)

मस्अला 19 - अब्र के दिन अस् व इशा में ताजील मुस्तहब है और बाकी नमाज़ों में ताखीर⁽⁷⁾ (متون)

मस्अला 20 - सफ़र वगैरा किसी उज़्र की वजह से दो नमाज़ों का एक वक्त में जम्अ करना हराम है, ख़्वाह यूं हो कि दूसरी को पहली ही के वक्त में पढ़े या यूं कि पहली को इस क़दर मुअख़्ख़र करे कि उस का वक्त जाता रहे और दूसरी के वक्त में पढ़े मगर इस दूसरी सूरात में पहली नमाज़ ज़िम्मे से साक़ित हो गई कि ब सूराते क़ज़ा पढ़ ली अगर्चे नमाज़ के क़ज़ा करने का गुनाहे कबीरा सर पर हुवा और पहली सूरात में तो दूसरी नमाज़ होगी ही नहीं और फ़र्ज़ ज़िम्मे पर बाकी है। हां अगर उज़्र सफ़र व मरज़ वगैरा से सूरातन जम्अ करे कि पहली को उस के आखिर वक्त में और दूसरी को उस के अव्वल वक्त में पढ़े कि हकीक़तन दोनों अपने अपने वक्त में वाक़ेअ हों तो कोई हरज नहीं⁽⁸⁾ (عالمگیری مع زیادة التفصیل)

①.....रोज़े अब्र यानी जिस दिन बादल छाए हों। ②.....जल्दी पढ़ना।

③....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٢. و "الدر المختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٣٣.

④....."الدر المختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٣٢. و "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، ج ١، ص ٤٣٠.

⑤....."الدر المختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٥٥. و "الدر المختار"، كتاب الصلاة، مطلب في طلوع الشمس من مغربها، ج ٢، ص ٣٣.

⑥....."الدر المختار" و "الدر المختار"، كتاب الصلاة، مطلب في طلوع الشمس من مغربها، ج ٢، ص ٣٤.

⑦....."الهداية"، كتاب الصلاة، باب الأول في المواقيت، فصل ويستحب الإسفار بالفجر، ج ١، ص ٤١.

⑧....."الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٢.

मस्जाला 21

अरफ़ा व मुज्दलिफ़ा इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं कि अरफ़े में जोहर व अस्स वक्ते जोहर में पढ़ी जाएं और मुज्दलिफ़ा में मग़रिब व इशा वक्ते इशा में।⁽¹⁾ (عالمگیری)

अवकाते मक्रूहा : तुलूअ व गुरूब व निस्फुन्नहार इन तीनों वक्तों में कोई नमाज़ जाइज़ नहीं न फ़र्ज़ न वाजिब न नफ़ल न अदा न क़ज़ा, यूँही सज्दए तिलावत व सज्दए सहव भी ना जाइज़ है, अलबत्ता उस रोज़ अगर अस्स की नमाज़ नहीं पढ़ी तो अगर्चे आफ़ताब डूबता हो पढ़ ले, मगर इतनी ताख़ीर करना हराम है। हदीस में इस को मुनाफ़िक़ की नमाज़ फ़रमाया, तुलूअ से मुराद आफ़ताब का कनारा ज़ाहिर होने से उस वक्त तक है कि उस पर निगाह ख़ीरा होने लगे जिस की मिक्दार कनारा चमकने से 20 मिनट तक है और उस वक्त से कि आफ़ताब पर निगाह ठहरने लगे डूबने तक गुरूब है, येह वक्त भी 20 मिनट है, निस्फुन्नहार से मुराद निस्फुन्नहारे शर्ई से निस्फुन्नहारे हक्कीकी यानी आफ़ताब ढलकने तक है जिस को ज़हूवए कुब्रा कहते हैं यानी तुलूए फ़ज्र से गुरूबे आफ़ताब तक आज जो वक्त है, उस के बराबर बराबर दो हिस्से करें, पहले हिस्से के ख़त्म पर इब्तिदाए निस्फुन्नहारे शर्ई है और उस वक्त से आफ़ताब ढलने तक वक्ते इस्तुवा व मुमानअते हर नमाज़ है।⁽²⁾ (عالمگیری، درمختار، رذائل)

मस्जाला 22

अवाम अगर सुब्ह की नमाज़ आफ़ताब निकलने के वक्त पढ़ें तो मन्अ न किया जाए।⁽³⁾ (درمختار)

मस्जाला 23

जनाज़ा अगर अवकाते मन्मूआ में लाया गया तो उसी वक्त पढ़ें कोई कराहत नहीं, कराहत इस सूरत में है कि पेशतर से तय्यार मौजूद है और ताख़ीर की यहां तक कि वक्ते कराहत आ गया।⁽⁴⁾ (عالمگیری، رذائل)

मस्जाला 24

इन अवकात में आयते सज्दा पढ़ी तो बेहतर येह है कि सज्दे में ताख़ीर करे, यहां तक कि वक्ते कराहत जाता रहे और अगर वक्ते मक्रूह ही में कर लिया तो भी जाइज़ है और अगर वक्ते ग़ैर मक्रूह में पढ़ी थी तो वक्ते मक्रूह में सज्दा करना मक्रूहे तहरीमी है।⁽⁵⁾ (عالمگیری)

मस्जाला 25

इन अवकात में क़ज़ा नमाज़ ना जाइज़ है और अगर क़ज़ा शुरूअ कर ली

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٢.

② المرجع السابق، الفصل الثالث، و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٣٧.

و "الفتاوى الرضوية"، كتاب الصلاة، باب الأوقات، ج ٥، ص ١٢٢. ③ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٣٨. مगर बाद नमाज़ कह दिया जाए कि नमाज़ न हुई, आफ़ताब बुलन्द होने के बाद फिर पढ़ें। 12 मिन्ह

④ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت، ج ٢، ص ٤٣.

⑤ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٢.

तो वाजिब है कि तोड़ दे और वक्ते गैर मकरूह में पढ़े और अगर तोड़ी नहीं और पढ़ ली तो फर्ज साकित हो जाएगा और गुनाहगार होगा।⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار)

मसआला 26 किसी ने खास इन अवकात में नमाज़ पढ़ने की नज़्र मानी या मुत्लक़न नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी, दोनों सूरतों में इन अवकात में इस नज़्र का पूरा करना जाइज़ नहीं, बल्कि वक्ते कामिल में अपनी मन्नत पूरी करे।⁽²⁾ (درمختار، عالمگیری)

मसआला 27 इन वक्तों में नफ़ल नमाज़ शुरूअ की तो वोह नमाज़ वाजिब हो गई, मगर उस वक्त पढ़ना जाइज़ नहीं, लिहाज़ा वाजिब है कि तोड़ दे और वक्ते कामिल में क़ज़ा करे और अगर पूरी कर ली तो गुनहगार हुवा और अब क़ज़ा वाजिब नहीं।⁽³⁾ (غنی، درمختار)

मसआला 28 जो नमाज़ वक्ते मुबाह या मकरूह में शुरूअ कर के फ़ासिद कर दी थी, उस को भी इन अवकात में पढ़ना ना जाइज़ है।⁽⁴⁾ (درمختار)

मसआला 29 इन अवकात में तिलावते कुरआने मजीद बेहतर नहीं, बेहतर येह है कि जिक्रो दुरूद शरीफ़ में मशगूल रहे।⁽⁵⁾ (درمختار)

मसआला 30 बारह (12) वक्तों में नवाफ़िल पढ़ना मन्अ है और इन के बाज़ यानी 6 व 12 में फ़राइज़ो वाजिबात व नमाज़े जनाज़ा व सज्दए तिलावत की भी मुमानअत है।

(1) तुलूए फ़ज़्र से तुलूए आफ़ताब तक कि इस दरमियान में सिवा दो रकअत सुन्नते फ़ज़्र के कोई नफ़ल नमाज़ जाइज़ नहीं।⁽⁶⁾

मसआला 31 अगर कोई शख्स तुलूए फ़ज़्र से पेशतर⁽⁷⁾ नमाज़े नफ़ल पढ़ रहा था, एक रकअत पढ़ चुका था कि फ़ज़्र तुलूअ कर आई तो दूसरी भी पढ़ कर पूरी कर ले और येह दोनों रकअतें सुन्नते फ़ज़्र के काइम मक़ाम नहीं हो सकतीं, और अगर चार रकअत की निय्यत की थी और एक रकअत के बाद तुलूए फ़ज़्र हुवा और चारों रकअतें पूरी कर लीं तो पिछली दो रकअतें सुन्नते फ़ज़्र के काइम मक़ाम हो जाएंगी।⁽⁸⁾ (عالمگیری)

मसआला 32 नमाज़े फ़ज़्र के बाद से तुलूए आफ़ताब तक अगरचे वक्ते वसीअ बाकी हो अगरचे सुन्नते फ़ज़्र फ़र्ज से पहले न पढ़ी थी और अब पढ़ना चाहता हो, जाइज़ नहीं।⁽⁹⁾

(عالمگیری، ردالمحتار)

① المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٤٣. ② المرجع السابق.

③ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٤٣. ④ المرجع السابق، ص ٤٥.

⑤ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٤٤.

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٢.

⑧ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٢.

⑨ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٣.

⑦ पहले ।

मस्अला 33

फ़र्ज से पेशतर सुन्नते फ़ज़्र शुरूअ कर के फ़ासिद कर दी थी और अब फ़र्ज के बाद उस की क़ज़ा पढ़ना चाहता है, येह भी जाइज़ नहीं।⁽¹⁾ (عالمگیری)

(2) अपने मज़हब की जमाअत के लिये इक़ामत हुई तो इक़ामत से ख़त्मे जमाअत तक नफ़ल व सुन्नत पढ़ना मक्रूहे तहरीमी है, अलबत्ता अगर नमाज़े फ़ज़्र काइम हो चुकी और जानता है कि सुन्नत पढ़ेगा जब भी जमाअत मिल जाएगी अगर्चे कादे में शिर्कत होगी तो हुक्म है कि जमाअत से अलग और दूर सुन्नते फ़ज़्र पढ़ कर शरीके जमाअत हो और जो जानता है कि सुन्नत में मशगूल होगा तो जमाअत जाती रहेगी और सुन्नत के ख़याल से जमाअत तर्क की, येह ना जाइज़ व गुनाह है और बाकी नमाज़ों में अगर्चे जमाअत मिलना मालूम हो सुन्नतें पढ़ना जाइज़ नहीं।⁽²⁾ (عالمگیری، درمختار)

(3) नमाज़े अ़सर से आफ़ताब ज़र्द होने तक नफ़ल मन्अ है, नफ़ल नमाज़ शुरूअ कर के तोड़ दी थी उस की क़ज़ा भी इस वक्त में मन्अ है और पढ़ ली तो नाकाफ़ी है, क़ज़ा उस के ज़िम्मे से साक़ित न हुई।⁽³⁾ (عالمگیری، درمختار)

(4) गुरुबे आफ़ताब से फ़र्जे मगरिब तक।⁽⁴⁾ (عالمگیری، درمختار) मगर इमाम इब्नुल हुमाम ने दो रक्अत ख़फ़ीफ़ का इस्तिस्ना फ़रमाया।⁽⁵⁾

(5) जिस वक्त इमाम अपनी जगह से ख़ुत्बए जुमुआ के लिये खड़ा हुवा उस वक्त से फ़र्जे जुमुआ ख़त्म होने तक नमाज़े नफ़ल मक्रूह है, यहां तक कि जुमुआ की सुन्नतें भी।⁽⁶⁾ (درمختار)

(6) ऐन ख़ुत्बे के वक्त अगर्चे पहला हो या दूसरा और जुमुआ का हो या ख़ुत्बए ईदैन या कुसूफ़ व इस्तिस्का व हज़ व निकाह का हो, हर नमाज़ हत्ता कि क़ज़ा भी ना जाइज़ है, मगर साहिबे तरतीब के लिये ख़ुत्बए जुमुआ के वक्त क़ज़ा की इजाज़त है।⁽⁷⁾ (درمختار)

मस्अला 34

जुमुआ की सुन्नतें शुरूअ की थीं कि इमाम ख़ुत्बे के लिये अपनी जगह से उठा चारों रक्अतें पूरी कर ले।⁽⁸⁾ (عالمگیری)

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٣.

② المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٤٨.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٣.

④ المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٤٦.

⑤ "فتح القدير"، كتاب الصلاة، باب النوافل، ج ١، ص ٣٨٩.

⑥ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٤٧.

⑦ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٤٨.

⑧ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٣.

(7) नमाज़े ईदैन से पेशतर नफ़ल मकरूह है, ख़्वाह घर में पढ़े या ईदगाह व मस्जिद में।⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار)

(8) नमाज़े ईदैन के बाद नफ़ल मकरूह है, जब कि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े, घर में पढ़ना मकरूह नहीं।⁽²⁾ (عالمگیری، درمختار)

(9) अरफ़ात में जो जोहर व अस्स मिला कर पढ़ते हैं, उन के दरमियान में और बाद में भी नफ़ल व सुन्नत मकरूह है।⁽³⁾

(10) मुज्दलिफ़ा में जो मगरिब व इशा जम्अ किए जाते हैं, फ़क़त इन के दरमियान में नफ़ल व सुन्नत पढ़ना मकरूह है, बाद में मकरूह नहीं।⁽⁴⁾ (عالمگیری، درمختار)

(11) फ़र्ज का वक़्त तंग हो तो हर नमाज़ यहां तक कि सुन्नते फ़ज्र व जोहर मकरूह है।⁽⁵⁾

(12) जिस बात से दिल बटे और दफ़अ कर सकता हो उसे बे दफ़अ किये हर नमाज़ मकरूह है मसलन पाख़ाने या पेशाब या रियाह का ग़लबा हो मगर जब वक़्त जाता हो तो पढ़ ले फिर फेरे।⁽⁶⁾ (عالمگیری وغیره) यूंही खाना सामने आ गया और उस की ख़्वाहिश हो ग़रज़ कोई ऐसा अम्र दरपेश हो जिस से दिल बटे खुशूअ में फ़र्क आए उन वक़्तों में भी नमाज़ पढ़ना मकरूह है।⁽⁷⁾ (درمختار وغیره)

مذہبہ 35 - फ़ज्र और जोहर के पूरे वक़ते अव्वल से आख़िर तक बिला कराहत हैं।⁽⁸⁾ (بحر الرائق) यानी येह नमाज़ें अपने वक़्त के जिस हिस्से में पढ़ी जाएं अस्लन मकरूह नहीं।

अज़ान का बयान

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾⁽⁹⁾

उस से अच्छी किस की बात, जो अल्लाह की तरफ़ बुलाए और नेक काम करे और येह कहे कि मैं मुसलमानों में हूँ।

1..... المرجع السابق، و"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٥٠.

2..... المرجع السابق.

3..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٥٠.

4..... المرجع السابق، و"الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٣.

5..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٥٠.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثالث، ج ١، ص ٥٣.

7..... المرجع السابق، و"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٥١.

8..... "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، ج ١، ص ٤٣٢.

9..... پ ٢٤، ختم السجدة: ٣٣.

अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके आजम और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिह رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا को अज़ान ख़्वाब में तालीम हुई, हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “येह ख़्वाब हक़ है” और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से फ़रमाया : “जाओ बिलाल को तल्कीन करो, वोह अज़ान कहें कि वोह तुम से ज़ियादा बुलन्द आवाज़ हैं।”⁽¹⁾ इस हदीस को अबू दावूद व तिरमिज़ी व इब्ने माजह व दारिमी ने रिवायत किया, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने बिलाल رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ को हुक्म फ़रमाया कि : “अज़ान के वक़्त कानों में उंग्लियां कर लो, कि इस के सबब आवाज़ ज़ियादा बुलन्द होगी।”⁽²⁾ इस हदीस को इब्ने माजह ने अब्दुर्रहमान बिन सअद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत किया।

अज़ान कहने की बहुत बड़ी बड़ी फ़ज़ीलतें अह़दीस में मज़कूर हैं, बाज़ फ़ज़ाइल ज़िक्र किये जाते हैं :

हदीस 1 - मुस्लिम व अहमद व इब्ने माजह मुआविया رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, फ़रमाते हैं صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “मुअज़्ज़िनों की गरदनं क़ियामत के दिन सब से ज़ियादा दराज़ होंगी।”⁽³⁾ अल्लामा अब्दुर्रऊफ़ मुनावी तैसीर में फ़रमाते हैं, येह हदीस मुतवातिर है और हदीस के माना येह बयान फ़रमाते हैं कि मुअज़्ज़िन रहमते इलाही के बहुत उम्मीद वार होंगे कि जिस को जिस चीज़ की उम्मीद होती है, उस की तरफ़ गरदन दराज़ करता है या इस के माना हैं कि इन को सवाब बहुत है और बाज़ों ने कहा येह किनाया है, इस से कि शरमिन्दा न होंगे इस लिये कि जो शरमिन्दा होता है, उस की गरदन झुक जाती है।⁽⁴⁾

हदीस 2 - इमाम अहमद अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “मुअज़्ज़िन की जहां तक आवाज़ पहुंचती है, उस के लिये मग़्फ़िरत कर दी जाती है और हर तर व खुशक जिस ने उस की आवाज़ सुनी उस की तस्दीक़ करता है।”⁽⁵⁾ और एक रिवायत में है कि “हर तर व खुशक जिस ने आवाज़ सुनी उस के लिये गवाही देगा।”⁽⁶⁾ दूसरी रिवायत में है : “हर ढेला और पथ्थर उस के लिये गवाही देगा।”⁽⁷⁾

हदीस 3 - बुख़ारी व मुस्लिम व मालिक व अबू दावूद अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जब अज़ान कही जाती है, शैतान गूज़ मारता हुवा भागता

- 1..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، الحديث: ٤٩٩، ج ١، ص ٢١٠.
- 2..... “سنن ابن ماجه”، أبواب الأذان، باب السنة في الأذان، الحديث: ٧١٠، ج ١، ص ٣٩٥.
- 3..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان... إلخ، الحديث: ٣٨٧، ص ٢٠٤.
- 4..... “التيسير” شرح “الجامع الصغير”، حرف الميم، تحت الحديث: ٩١٣٦، ج ٦، ص ٣١٣.
- 5..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحديث: ٧٦١٥، ج ٣، ص ٨٩.
- 6..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحديث: ٩٥٤٦، ج ٣، ص ٤٢٠.
- 7..... “كنز العمال”، كتاب الصلاة، الحديث: ٢٠٨٧٨، ج ٧، ص ٢٧٧، الحديث: ٢٠٩١٣، ص ٢٨٠.

है, यहां तक कि अज़ान की आवाज़ उसे न पहुंचे, जब अज़ान पूरी हो जाती है, चला आता है, फिर जब इक़ामत कही जाती है, भाग जाता है, जब पूरी हो लेती है, आ जाता है और ख़तरा डालता है, कहता है फुलां बात याद कर फुलां बात याद कर वोह जो पहले याद न थी यहां तक कि आदमी को येह नहीं मालूम होता कि कितनी पढ़ी।”⁽¹⁾

हदीस 4 सहीह मुस्लिम में जाबिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि हुज़ूर (ﷺ) फ़रमाते हैं : “शैतान जब अज़ान सुनता है, इतनी दूर भागता है, जैसे रौहा और रौहा मदीना से छत्तीस मील के फ़ासिले पर है।”⁽²⁾

हदीस 5 तबरानी इब्ने उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “अज़ान देने वाला कि तालिबे सवाब है, उस शहीद की मिस्ल है कि खून में आलूदा है और जब मरेगा, कब्र में उस के बदन में कीड़े नहीं पड़ेंगे।”⁽³⁾

हदीस 6 इमाम बुख़ारी अपनी तारीख़ में अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहता है, रब عَزَّوَجَلَّ अपना दस्ते कुदरत उस के सर पर रखता है और यूंही रहता है, यहां तक कि अज़ान से फ़ारिग़ हो और उस की मफ़िरत कर दी जाती है, जहां तक आवाज़ पहुंचे जब वोह फ़ारिग़ होता है, रब عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है : “मेरे बन्दे ने सच कहा और तू ने हक़ गवाही दी, लिहाज़ा तुझे बिशारत हो।”⁽⁴⁾

हदीस 7 तबरानी सग़ीर में अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जिस बस्ती में अज़ान कही जाए, अल्लाह तआला अपने अज़ाब से उस दिन उसे अमन देता है।”⁽⁵⁾

हदीस 8 तबरानी माक़िल बिन यसार رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जिस क़ौम में सुब्ह को अज़ान हुई उन के लिये अल्लाह के अज़ाब से शाम तक अमान है और जिन में शाम को अज़ान हुई उन के लिये अल्लाह के अज़ाब से सुब्ह तक अमान है।”⁽⁶⁾

हदीस 9 अबू याला मुस्नद में उबय رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “मैं जन्नत में गया, उस में मोती के गुम्बद देखे, उस की खाक मुश्क

1..... “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب فضل التأذين، الحديث: ٦٠٨، ج ١، ص ٢٢٢.

2..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان... إلخ، الحديث: ٣٨٨، ص ٢٠٤.

3..... “المعجم الكبير” للطبراني، الحديث: ١٣٥٥٤، ج ١٢، ص ٣٢٢.

4..... لم نجد الحديث في تاريخ البخاري. “الجامع الصغير” للسيوطي، حرف الهمزة، الحديث: ٣٦٦، ص ٢٨.

5..... “المعجم الصغير” للطبراني، باب الصاد، ج ١، ص ١٧٩.

6..... “المعجم الكبير”، الحديث: ٤٩٨، ج ٢٠، ص ٢١٥.

की है, फ़रमाया : “ऐ जिब्रील ! येह किस के लिये है ? अर्ज़ की : हुज़ूर (ﷺ) की उम्मत के मुअज़्ज़िनों और इमामों के लिये ।”⁽¹⁾

हदीस 10 — इमाम अहमद अबू सईद रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं : “अगर लोगों को मालूम होता कि अज़ान कहने में कितना सवाब है तो इस पर बाहम तलवार चलती ।”⁽²⁾

हदीस 11 — तिरमिज़ी व इब्ने माजह इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी कि फ़रमाते हैं : “जिस ने सात बरस सवाब के लिये अज़ान कही, अल्लाह तआला उस के लिये नार से बराअत लिख देगा ।”⁽³⁾

हदीस 12 — इब्ने माजह व हाकिम इब्ने उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी कि फ़रमाते हैं : “जिस ने बारह बरस अज़ान कही उस के लिये जन्नत वाजिब हो गई और हर रोज़ उस की अज़ान के बदले साठ नेकियां और इक़ामत के बदले तीस नेकियां लिखी जाएंगी ।”⁽⁴⁾

हदीस 13 — बैहकी की रिवायत सौबान रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से यूँ है कि फ़रमाते हैं : “जिस ने साल भर अज़ान पर मुहाफ़ज़त की उस के लिये जन्नत वाजिब हो गई ।”⁽⁵⁾

हदीस 14 — बैहकी ने अबू हुरैरा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि फ़रमाते हैं : “जिस ने पांच नमाज़ों की अज़ान ईमान की बिना पर सवाब के लिये कही उस के जो गुनाह पहले हुए हैं मुआफ़ हो जाएंगे और जो अपने साथियों की पांच नमाज़ों में इमामत करे ईमान की बिना पर सवाब के लिये उस के जो गुनाह पेशतर हुए मुआफ़ कर दिये जाएंगे ।”⁽⁶⁾

हदीस 15 — इब्ने असाकिर अनस रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं : “जो साल भर अज़ान कहे और उस पर उजरत तलब न करे, क़ियामत के दिन बुलाया जाएगा और जन्नत में दरवाज़े पर खड़ा किया जाएगा और उस से कहा जाएगा जिस के लिये तू चाहे शफ़ाअत कर ।”⁽⁷⁾

हदीस 16 — ख़तीब व इब्ने असाकिर अनस रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं

1..... “الحامع الصغير”، حرف الدال، الحديث: ٤١٧٩، ص ٢٥٥.

2..... “المستند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري، الحديث: ١١٢٤١، ج ٤، ص ٥٩.

3..... “سنن ابن ماجه”، أبواب الأذان... إلخ، باب فضل الأذان... إلخ، الحديث: ٧٢٧، ج ١، ص ٤٠٢.

4..... “سنن ابن ماجه”، أبواب الأذان... إلخ، باب فضل الأذان... إلخ، الحديث: ٧٢٨، ج ١، ص ٤٠٢.

5..... “شعب الإيمان”، باب في الصلاة، فضل الأذان... إلخ، الحديث: ٣٠٥٨، ج ٣، ص ١١٩.

6..... “السنن الكبرى” للبيهقي، كتاب الصلاة، باب الترغيب في الأذان، الحديث: ٢٠٣٩، ج ١، ص ٦٣٦.

7..... “الحامع الصغير”، حرف الميم، الحديث: ٨٣٧٩، ص ٥١١.

ﷺ : “मुअज़्जिनों का हशर यूं होगा कि जन्नत की ऊंटनियों पर सुवार होंगे, उन के आगे बिलाल رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ होंगे सब के सब बुलन्द आवाज़ से अज़ान कहते हुए आएंगे, लोग उन की तरफ़ नज़र करेंगे, पूछेंगे : येह कौन लोग हैं? कहा जाएगा : येह उम्मते मुहम्मद ﷺ के मुअज़्जिन हैं, लोग ख़ौफ़ में हैं और इन को ख़ौफ़ नहीं, लोग ग़म में हैं इन को ग़म नहीं।” (1)

हदीस 17

अबुशैख़ अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत करते हैं कि फ़रमाते हैं : “जब अज़ान कही जाती है, आस्मान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और दुआ क़बूल होती है, जब इक़ामत का वक़्त होता है, दुआ रद नहीं की जाती।” (2) अबू दावूद व तिरमिज़ी की रिवायत इन्हीं से है कि **रसूलुल्लाह** ﷺ ने फ़रमाया कि : “अज़ानो इक़ामत के दरमियान दुआ रद नहीं की जाती।” (3)

हदीस 18

दारिमी व अबू दावूद ने सहल बिन सअद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, हुज़ूरे अक़दस ﷺ फ़रमाते हैं : “दो दुआएं रद नहीं होतीं या बहुत कम रद होती हैं, अज़ान के वक़्त और जिहाद की शिद्दत के वक़्त।” (4)

हदीस 19

अबुशैख़ ने रिवायत की, कि फ़रमाते हैं : “ऐ इब्ने अब्बास ! अज़ान को नमाज़ से तअल्लुक़ है तो तुम में कोई शख़्स अज़ान न कहे मगर हालते तहारत में।” (5)

हदीस 20

तिरमिज़ी अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं : “ऐ इब्ने अब्बास ! अज़ान को नमाज़ से तअल्लुक़ है तो तुम में कोई शख़्स अज़ान न दे मगर बा वुज़ू।” (6)

हदीस 21

बुख़ारी व अबू दावूद व तिरमिज़ी व नसाई व इब्ने माजह व अहमद जाबिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं : “जो अज़ान सुन कर येह दुआ पढ़े :
”اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ النَّامَةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ ابْتَغِنِي بِهَا مَحَمَّدَ بْنَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ“
उस के लिये मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई।” (7)

1..... “तاريخ بغداد”، باب الميم، ذكر من اسمه موسى، رقم: ٦٩٩٥، ج ١٣، ص ٣٩.

2..... “كنز العمال”، كتاب الأذان، كتاب الصلاة، الحديث: ٢٠٩١٠، ج ٧، ص ٢٧٩.

3..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، الحديث: ٥٢١، ج ١، ص ٢٢٠.

4..... “سنن أبي داود”، كتاب الجهاد، باب الدعاء عند اللقاء، الحديث: ٢٥٤٠، ج ٣، ص ٢٩.

5..... “كنز العمال”، كتاب الصلاة، الحديث: ٢٠٩٧٢، ج ٧، ص ٢٨٤.

6..... “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية الأذان بغير وضوء، الحديث: ٢٠٠، ج ١، ص ٢٤٣.

7..... “صحيح البخاري”، كتاب التفسير، ١١ - باب، الحديث: ٤٧١٩، ج ٣، ص ٢٦٢.

हदीस 22 — इमाम अहमद व मुस्लिम व अबू दावूद व तिरमिज़ी व नसाई की रिवायत इब्ने उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से है कि “मुअज़्ज़िन का जवाब दे फिर मुझ पर दुरूद पढ़े फिर वसीले का सुवाल करे।”⁽¹⁾

हदीस 23 — तबरानी की रिवायत में इब्ने अब्बास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ से है।⁽²⁾

हदीस 24 — तबरानी कबीर में कअूब बिन उज़रा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “जब तू अज़ान सुने तो अल्लाह के दाई का जवाब दे।”⁽³⁾

हदीस 25 — इब्ने माजह अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जब मुअज़्ज़िन को अज़ान कहते सुनो तो जो वोह कहता है, तुम भी कहो।”⁽⁴⁾

हदीस 26 — फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “मोमिन को बद बख़्ती व ना मुरादी के लिये काफ़ी है कि मुअज़्ज़िन को तक्बीर कहते सुने और इजाबत न करे।”⁽⁵⁾

हदीस 27 — कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जुल्म है, पूरा जुल्म और कुफ़्र है और निफ़ाक़ है, येह कि अल्लाह के मुनादी को अज़ान कहते सुने और हाज़िर न हो।”⁽⁶⁾ येह दोनों हदीसों तबरानी ने मुअज़्ज़ बिन अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत कीं, अज़ान के जवाब का निहायत अज़ीम सवाब है।

हदीस 28 — अबुशशैख़ की रिवायत मुगीरा बिन शअबा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से है : “उस की मग़िफ़रत हो जाएगी।”⁽⁷⁾

हदीस 29 — इब्ने असाकिर ने रिवायत की, कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “ऐ गुरौहे ज़नान ! जब तुम बिलाल को अज़ानो इक़ामत कहते सुनो तो जिस तरह वोह कहता है, तुम भी कहो कि अल्लाह तअ़ाला तुम्हारे लिये हर कलिमे के बदले एक लाख नेकी लिखेगा और हज़ार दरजे बुलन्द फ़रमाएगा और हज़ार गुनाह महव करेगा, औरतों ने अर्ज़ की : येह तो औरतों के लिये है, मर्दों के लिये क्या है ? फ़रमाया : मर्दों के लिये दूना।”⁽⁸⁾

① “صحیح مسلم”، کتاب الصلاة، باب استیجاب القول... إلخ، الحديث: ۳۸۴، ص ۲۰۳. عن عبد الله بن عمرو.

② “المعجم الكبير” للطبراني، الحديث: ۱۲۵۵۴، ج ۱۲، ص ۶۶ - ۶۷.

③ “المعجم الكبير” للطبراني، الحديث: ۳۰۴، ج ۱۹، ص ۱۳۸.

④ “سنن ابن ماجه”، أبواب الأذان... إلخ، باب ما یقال، إذا أذن المؤذن، الحديث: ۷۱۸، ج ۱، ص ۳۹۷.

⑤ “المعجم الكبير” للطبراني، الحديث: ۳۹۶، ج ۲۰، ص ۱۸۳.

⑥ “المعجم الكبير” للطبراني، الحديث: ۳۹۴، ج ۲۰، ص ۱۸۳.

⑦ “کنز العمال”، کتاب الصلاة، الحديث: ۲۱۰۰۴، ج ۷، ص ۲۸۷.

⑧ “کنز العمال”، کتاب الصلاة، الحديث: ۲۱۰۰۵، ج ۷، ص ۲۸۷.

हदीस 30

तबरानी की रिवायत मैमूना رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से है कि : “औरतों के लिये हर कलिमे के मुक़ाबिल दस लाख दरजे बुलन्द किए जाएंगे।” फ़ारूके आज़म رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अर्ज़ की : येह औरतों के लिये है, मर्दों के लिये क्या है? फ़रमाया : “मर्दों के लिये दूना।”⁽¹⁾

हदीस 31

हाकिम व अबू नुऐम अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “मुअज़्ज़िन को नमाज़ पढ़ने वाले पर दो सो बीस हसना ज़ियादा है, मगर वोह जो उस की मिस्ल कहे और अगर इक़ामत कहे तो एक सो चालीस नेकी है, मगर वोह जो उस की मिस्ल कहे।”⁽²⁾

हदीस 32

सहीह मुस्लिम में अमीरुल मुअमिनीन हज़रते उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो जो शख्स उस की मिस्ल कहे और जब वोह “عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ” कहे तो येह “لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ” कहे, जन्नत में दाख़िल होगा।”⁽³⁾

हदीस 33

अबू दावूद व तिरमिज़ी व इब्ने माजह ने रिवायत की, ज़ियाद बिन हारिस सुदाई رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं : “नमाज़े फ़ज़्र में **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने अज़ान कहने का मुझे हुक्म दिया, मैं ने अज़ान कही, बिलाल رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने इक़ामत कहनी चाही, फ़रमाया : “सुदाई ने अज़ान कही और जो अज़ान दे वोही इक़ामत कहे।”⁽⁴⁾

मसाइले फ़िक्हिय्या : अज़ान उर्फ़े शर्अ में एक खास किस्म का एलान है, जिस के लिये अल्फ़ाज़ मुक़रर हैं, अल्फ़ाज़े अज़ान येह हैं :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

1..... “المعجم الكبير” للطبراني، الحديث: ٢٨، ج ٢٤، ص ١٦.

2..... “كنز العمال”، كتاب الصلاة، الحديث: ٢١٠٠٨، ج ٧، ص ٢٨٧.

3..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب استيجاب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، الحديث: ٣٨٥، ص ٢٠٣.

4..... “جامع الترمذي”، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم، الحديث: ١٩٩، ج ١، ص ٢٤٣.

(1) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ط

मस्झला 5 अगर बैरूने शहर व करिया बाग़ या खेती वगैरा में है और वोह जगह करीब है तो गाउं या शहर की अज़ान किफ़ायत करती है, फिर भी अज़ान कह लेना बेहतर है और जो करीब न हो तो काफ़ी नहीं, करीब की ह़द येह है कि यहां की अज़ान की आवाज़ वहां तक पहुंचती हो।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٤.

मस्अला 6 — लोगों ने मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ी, बाद को मालूम हुआ कि वोह नमाज़ सहीह न हुई थी और वक़्त बाकी है तो उसी मस्जिद में जमाअत से पढ़ें और अज़ान का इआदा नहीं और फ़स्ल तवील न हो तो इक़ामत की भी हाज़त नहीं और ज़ियादा वक़फ़ा हुआ तो इक़ामत कहे और वक़्त जाता रहा तो ग़ैरे मस्जिद में अज़ानो इक़ामत के साथ पढ़ें।⁽¹⁾ (عالمگیری، ردالمحتار، مابذی)

मस्अला 7 — जमाअत भर की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो अज़ानो इक़ामत से पढ़ें और अकेला भी क़ज़ा के लिये अज़ानो इक़ामत कह सकता है, जब कि जंगल में तन्हा हो, वरना क़ज़ा का इज़हार गुनाह है, व लिहाज़ा मस्जिद में क़ज़ा पढ़ना मक्रूह है और पढ़े तो अज़ान न कहे और वित्र की क़ज़ा में दुआए कुनूत के वक़्त रफ़ूय़ दैन न करे, हां अगर किसी ऐसे सबब से क़ज़ा हो गई, जिस में वहां के तमाम मुसलमान मुब्तला हो गए तो अगरचें मस्जिद में पढ़ें अज़ान कहें।⁽²⁾ (عالمگیری، ردالمحتار، مابذی)

मस्अला 8 — अहले जमाअत से चन्द नमाज़ें क़ज़ा हुई तो पहली के लिये अज़ानो इक़ामत दोनों कहें और बाकियों में इख़्तियार है, ख़्वाह दोनों कहें या सिर्फ़ इक़ामत पर इक्तिफ़ा करें और दोनों कहना बेहतर। येह उस सूरत में है कि एक मजलिस में वोह सब पढ़ें और अगर मुख़लिफ़ अवक़ात में पढ़ें तो हर मजलिस में पहली के लिये अज़ान कहें।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस्अला 9 — वक़्त होने के बाद अज़ान कही जाए, क़ब्ल अज़ वक़्त कही गई या वक़्त होने से पहले शुरूअ हुई और अस्नाए अज़ान में वक़्त आ गया तो इआदा की जाए।⁽⁴⁾ (متون، ردالمحتار)

मस्अला 10 — अज़ान का वक़ते मुस्तहब वोही है जो नमाज़ का है यानी फ़ज़्र में रोशनी फैलने के बाद और मग़रिब और जाड़ों की ज़ोहर में अव्वल वक़्त और गर्मियों की ज़ोहर और हर मौसिम की अस्र व इशा में निस्फ़ वक़ते मुस्तहब गुज़रने के बाद, मगर अस्र में इतनी ताख़ीर न हो कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते वक़ते मक्रूह आ जाए और अगर अव्वल वक़्त अज़ान हुई और आख़िर वक़्त में नमाज़ हुई तो भी सुन्नते अज़ान अदा हो गई।⁽⁵⁾ (ردالمحتار، ردالمحتار)

मस्अला 11 — फ़राइज़ के सिवा बाकी नमाज़ों मसलन वित्र, जनाज़ा, ईदैन, नज़्र, सुन्नन, रवातिब, तरावीह, इस्तिस्का, चाशत, कुसूफ़, खुसूफ़, नवाफ़िल में अज़ान नहीं।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٥.

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في أذان الجوق، ج ٢، ص ٧٢.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٥.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في أذان الجوق، ج ٢، ص ٧٢.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٥.

④ "الهداية"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ١، ص ٤٥.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في أذان الجوق، ج ٢، ص ٦٢.

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٣.

न पहचानता हो तो उस सवाब का मुस्तहिक् नहीं, जो मुअज़्ज़िन के लिये है।⁽¹⁾

(عالمگیری، غنیہ)

مسئله 19 - मुस्तहब यह है कि मुअज़्ज़िन मर्द, आक़िल, सालेह, परहेज़ गार, आलیم बिस्सुन्नह जी वजाहत, लोगों के अहवाल का निगरां और जो जमाअत से रह जाने वाले हों, उन को जज़्र करने वाला हो, अज़ान पर मुदावमत⁽²⁾ करता हो और सवाब के लिये अज़ान कहता हो यानी अज़ान पर उजरत न लेता हो, अगर मुअज़्ज़िन नाबीना हो, और वक्त बताने वाला कोई ऐसा है कि सहीह बता दे तो इस का और आंख वाले का, अज़ान कहना यक्सां है।⁽³⁾ (عالمگیری)

مسئله 20 - अगर मुअज़्ज़िन ही इमाम भी हो तो बेहतर है।⁽⁴⁾ (درمّی)

مسئله 21 - एक शख्स को एक वक्त में दो मस्जिदों में अज़ान कहना मकरूह है।⁽⁵⁾

(درمّی)

مسئله 22 - अज़ान व इमामत की विलायत बानिये मस्जिद को है, वोह न हो तो उस की औलाद, उस के कुम्बे वालों को और अगर अहले महल्ला ने किसी ऐसे को मुअज़्ज़िन या इमाम किया जो बानी के मुअज़्ज़िन व इमाम से बेहतर है तो वोही बेहतर है।⁽⁶⁾

(درمّی، ردالمحتار)

مسئله 23 - अगर अस्नाए अज़ान⁽⁷⁾ में मुअज़्ज़िन मर गया या उस की ज़बान बन्द हो गई या रुक गया और कोई बताने वाला नहीं या उस का वुजू टूट गया और वुजू करने चला गया या बेहोश हो गया तो इन सब सूरतों में सिर से अज़ान कही जाए, वोही कहे, ख़्वाह दूसरा।⁽⁸⁾ (درمّی، غنیہ)

مسئله 24 - अज़ान के बाद مَعَاذُ اللَّهِ मुरतद हो गया तो इअ़ादे की हाज़त नहीं और बेहतर इअ़ादा है और अगर अज़ान कहते में मुरतद हो गया तो बेहतर है कि दूसरा शख्स सिर से कहे और अगर उसी को पूरा कर ले तो भी जाइज़ है।⁽⁹⁾ (عالمگیری) यानी येह दूसरा शख्स बाक़ी को

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٣.

② "غنية المتملّي"، سنن الصلاة، ص ٣٧٧.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٣.

④ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٨٨.

⑤ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٨٨.

⑥ "الدرالمختار"، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ج ٢، ص ٨٨.

⑦ यानी अज़ान के दौरान।

⑧ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٧٥، و "غنية المتملّي"، سنن الصلاة، ص ٣٧٥.

⑨ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٤.

पूरा कर ले, न येह कि वोह बादे इरतिदाद उस की तकमील करे, कि काफ़िर की अज़ान सहीह नहीं और अज़ान मुतजज़्ज़ी नहीं तो फ़सादे बाज़, फ़सादे कुल है, जैसे नमाज़ की पिछली रकअत में फ़साद हो तो सब फ़ासिद है। (इफ़ादाते रज़विय्या)

मस्अला 25 बैठ कर अज़ान कहना मकरूह है, अगर कही इअ़ादा करे, मगर मुसाफ़िर अगर सुवारी पर अज़ान कह ले तो मकरूह नहीं और इक़ामत मुसाफ़िर भी उतर कर कहे, अगर न उतरा और सुवारी ही पर कह ली तो हो जाएगी।⁽¹⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

मस्अला 26 अज़ान क़िब्ला रू कहे और इस के ख़िलाफ़ करना मकरूह है, उस का इअ़ादा किया जाए, मगर मुसाफ़िर जब सुवारी पर अज़ान कहे और उस का मुंह क़िब्ले की तरफ़ न हो तो हरज नहीं।⁽²⁾ (درمختار، عالمگیری، ردالمحتار)

मस्अला 27 अज़ान कहने की हालत में बिला उज़्र खन्कारना मकरूह है और अगर गला पड़ गया या आवाज़ साफ़ करने के लिये खन्कारा तो हरज नहीं।⁽³⁾ (غنیہ)

मस्अला 28 मुअज़्ज़िन को हालते अज़ान में चलना मकरूह है और अगर कोई चलता जाए और इसी हालत में अज़ान कहता जाए तो इअ़ादा करें।⁽⁴⁾ (غنیہ، ردالمحتار)

मस्अला 29 अस्नाए अज़ान में बातचीत करना मन्अ है, अगर कलाम किया तो फिर से अज़ान कहे।⁽⁵⁾ (صغیری)

मस्अला 30 कलिमाते अज़ान में लहून हराम है, मसलन अल्लाह या अक्बर के हम्जे को मद के साथ आल्लाह या आक्बर पढ़ना, यूंही अक्बर में बे के बाद अलिफ़ बढ़ाना हराम है।⁽⁶⁾ (درمختار، عالمگیری وغیرہما)

मस्अला 31 यूंही कलिमाते अज़ान को क़वाइदे मूसीकी पर गाना भी लहून व ना जाइज़ है।⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 32 सुन्नत येह है कि अज़ान बुलन्द जगह कही जाए कि पड़ोस वालों को ख़ूब सुनाई दे और बुलन्द आवाज़ से कहे।⁽⁸⁾ (ف)

मस्अला 33 ताक़त से ज़ियादा आवाज़ बुलन्द करना मकरूह है।⁽⁹⁾ (عالمگیری)

.....¹ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٤.

.....² المرجع السابق، و"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في أول من بنى من المنائر للأذان ج ٢، ص ٦٩.

.....³ "غنية المتملّي"، سنن الصلاة، ص ٣٧٦.

.....⁴ المرجع السابق، و"ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في المؤذن... إلخ، ج ٢، ص ٧٥.

.....⁵ "صغیری شرح منية المصلي"، سنن الصلاة، فصل في السنن، ص ١٩٦.

.....⁶ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٦ و"الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٦٣، وغیرہما.

.....⁷ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في الكلام على حديث ((الأذان جزم))، ج ٢، ص ٦٥.

.....⁸ "المحارر الرائق"، كتاب الصلوة، باب الأذان، ج ١، ص ٤٤٣، ٤٤٤.

.....⁹ "الفتاوى الهندية"، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٥.

मस्अला 34 अज़ान मिअज़ना⁽¹⁾ पर कही जाए या ख़ारिजे मस्जिद और मस्जिद में अज़ान न कहे।⁽²⁾ मस्जिद में अज़ान कहना, मक्रूह है।⁽³⁾ (غاية البيان، فتح القدير، نظم زبدوي، طحاوي، على المراتي) यह हुक्म हर अज़ान के लिये है, फ़िक्ह की किसी किताब में कोई अज़ान इस से मुस्तस्ना नहीं। अज़ाने सानी जुमुआ भी इसी में दाख़िल है। इमाम अतक़ानी व इमाम इब्नुल हुमाम ने यह मस्अला ख़ास बाबे जुमुआ में लिखा, हां इस में एक बात अलबत्ता यह ज़ाहद है कि ख़तीब के महाज़ी हो, यानी सामने बाक़ी मस्जिद के अन्दर मिम्बर से हाथ दो हाथ के फ़ासिले पर, जैसा कि हिन्दूस्तान में अक्सर जगह रवाज पड़ गया है, इस की कोई सनद किसी किताब में नहीं, हदीस व फ़िक्ह दोनों के ख़िलाफ़ है।

मस्अला 35 अज़ान के कलिमात ठहर ठहर कर कहे, اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ दोनों मिल कर एक कलिमा हैं, दोनों के बाद सक्ता करे⁽⁴⁾ दरमियान में नहीं और सक्ते की मिक्दार यह है कि जवाब देने वाला, जवाब दे ले और सक्ते का तर्क मक्रूह है और ऐसी अज़ान का इआदा मुस्तहब है।⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

मस्अला 36 अगर कलिमाते अज़ान या इक़ामत में किसी जगह तक्दीम व ताख़ीर हो गई तो उतने को सहीह कर ले। सिरे से इआदे की हाज़त नहीं और अगर सहीह न किये और नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ के इआदे की हाज़त नहीं।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

मस्अला 37 حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ^ط दाहनी तरफ़ मुंह कर के कहे और حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ^ط बाई जानिब अगरचे अज़ान के लिये न हो बल्कि मसलन बच्चे के कान में या और किसी लिये कही यह फेरना फ़क़त मुंह का है, सारे बदन से न फिरे।⁽⁷⁾ (متون، درمختار)

मस्अला 38 अगर मनारे पर अज़ान कहे तो दाहनी तरफ़ के ताक़ से सर निकाल कर حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ^ط कहे और बाई जानिब के ताक़ से حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ^ط (شرح وقاية)⁽⁸⁾ यानी जब बिगैर इस के आवाज़ पहुंचना पूरे तौर पर न हो।⁽⁹⁾ (ردالمحتار) यह वहीं होगा कि मनारा बन्द है और

1मीनारा ।

2 "الفتاوى الهندية"، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٥.

3 "حاشية الطحطاوي" على "مراقي الفلاح"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ص ١٩٧.

4यानी चुप हो जाए ।

5 "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في الكلام على حديث ((الأذان جزم))

ج ٢، ص ٦٦، و "الفتاوى الهندية"، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٦.

6 "الفتاوى الهندية"، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٦.

7 "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ٦٦، و "شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ص ١٥٣.

8 "شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ١، ص ١٥٣.

9 "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في أول من بنى المنائر... إلخ، ج ٢، ص ٦٧.

दोनों तरफ़ ताक़ खुले हैं और खुले मनारे पर ऐसा न करे, बल्कि वहीं सिर्फ़ मुंह फेरना हो और कदम एक जगह काइम ।

मस्अला 39 सुब्ह की अज़ान में **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** के बाद **الصلوة خير من النوم** कहना मुस्तहब है ।⁽¹⁾ (आम्मए कुतुब)

मस्अला 40 अज़ान कहते वक़्त कानों के सूराख़ में उंगलियां डाले रहना मुस्तहब है और अगर दोनों हाथ कानों पर रख लिये तो भी अच्छा है ।⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار) और अव्वल अहसन है कि इरशादे हदीस के मुताबिक़ है और बुलन्दिये आवाज़ में ज़ियादा मुईन । कान जब बन्द होते हैं आदमी समझता है कि अभी आवाज़ पूरी न हुई, ज़ियादा बुलन्द करता है । (रज़ा)

मस्अला 41 इक़ामत मिसले अज़ान है यानी अहकामे मज़कूरा इस के लिये भी हैं सिर्फ़ बाज़ बातों में फ़र्क़ है, इस में बाद **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** के **قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ** दो बार कहें, इस में भी आवाज़ बुलन्द हो, मगर न अज़ान की मिसल, बल्कि इतनी कि हाज़िरीन तक आवाज़ पहुंच जाए, इस के कलिमात जल्द जल्द कहें, दरमियान में सक्ता न करें, न कानों पर हाथ रखना है, न कानों में उंगलियां रखना और सुब्ह की इक़ामत में **الصلوة خير من النوم** नहीं । इक़ामत बुलन्द जगह या मस्जिद से बाहर होना सुन्नत नहीं, अगर इमाम ने इक़ामत कही तो **قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ** के वक़्त आगे बढ़ कर मुसल्ले पर चला जाए ।⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری، غنية وغيره)

मस्अला 42 इक़ामत में भी **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** (और) **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** के वक़्त दहने बाएं मुंह फेरे ।⁽⁴⁾ (درمختार)

मस्अला 43 इक़ामत की सुन्नियत, अज़ान की ब निस्बत ज़ियादा मुअक्कद है ।⁽⁵⁾ (درمختار)

मस्अला 44 जिस ने अज़ान कही, अगर मौजूद नहीं तो जो चाहे इक़ामत कह ले और बेहतर इमाम है और मुअज़्ज़िन मौजूद है तो उस की इजाज़त से दूसरा कह सकता है कि येह उसी का हक़ है और अगर बे इजाज़त कही और मुअज़्ज़िन को ना गवार हो तो मक्रूह है ।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

① "مختصر القدوري"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ص ١٥٨. 12 मिन्ह है । नमाज़ सोने से बेहतर है ।

② "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان مطلب في أول من بنى المنائر... إلخ، ج ٢، ص ٦٧.

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في أول من بنى المنائر للأذان، ج ٢، ص ٦٧. و "الفتاوى الهندية"، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٦، و "غنية المتملّي"، سنن الصلاة، ص ٣٧٦.

④ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٦٦.

⑤ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٦٧.

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٤.

मस्जाला 45 — जुनुब व मोहूदिस की इक़ामत मक्रूह है, मगर इआदा न की जाएगी। ब ख़िलाफ़ अज़ान कि जुनुब अज़ान कहे तो दोबारा कही जाए, इस लिये कि अज़ान की तकरार मशरूअ है और इक़ामत दो बार नहीं।⁽¹⁾ (دری)

मस्जाला 46 — इक़ामत के वक़्त कोई शख़्स आया तो उसे खड़े हो कर इन्तिज़ार करना मक्रूह है, बल्कि बैठ जाए जब **حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ** पर पहुंचे उस वक़्त खड़ा हो। यूँही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं वोह भी बैठे रहें, उस वक़्त उठें जब मुकब्बिर **حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ** पर पहुंचे, येही हुक्म इमाम के लिये है।⁽²⁾ (عالمگیری) आज कल अक्सर जगह रवाज पड़ गया है कि वक़्ते इक़ामत सब लोग खड़े रहते हैं बल्कि अक्सर जगह तो यहां तक है कि जब तक इमाम मुसल्ले पर खड़ा न हो, उस वक़्त तक तक्बीर नहीं कही जाती, येह ख़िलाफ़े सुन्नत है।

मस्जाला 47 — मुसाफ़िर ने अज़ानो इक़ामत दोनों न कही या इक़ामत न कही तो मक्रूह है और अगर सिर्फ़ इक़ामत पर इक्तिफ़ा किया तो कराहत नहीं, मगर औला येह है कि अज़ान भी कहे, अगरचे तन्हा हो या उस के सब हमराही वहीं मौजूद हों।⁽³⁾ (دری، ردالمحتار)

मस्जाला 48 — बैरूने शहर किसी मैदान में जमाअत काइम की और इक़ामत न कही तो मक्रूह है और अज़ान न कही तो हरज नहीं, मगर ख़िलाफ़े औला है।⁽⁴⁾ (غانی)

मस्जाला 49 — मस्जिदे महल्ला यानी जिस के लिये इमाम व जमाअत मुअय्यन हो कि वोही जमाअते ऊला काइम करता हो, इस में जब जमाअते ऊला ब तरीके मस्नून हो चुकी तो दोबारा अज़ान कहना मक्रूह है और बिगैर अज़ान अगर दूसरी जमाअत काइम की जाए तो इमाम मेहराब में न खड़ा हो, बल्कि दहने या बाएं हट कर खड़ा हो कि इम्तियाज़ रहे। इस इमामे जमाअते सानिया को मेहराब में खड़ा होना मक्रूह है और मस्जिदे महल्ला न हो जैसे सड़क, बाज़ार, स्टेशन, सराए की मस्जिदें जिन में चन्द शख़्स आते हैं और पढ़ कर चले जाते हैं, फिर कुछ और आए और पढ़ी, व अला हाज़ा तो उस मस्जिद में तकरारे अज़ान मक्रूह नहीं, बल्कि अफ़ज़ल येही है कि हर गुरौह कि नया आए, जदीद अज़ानो इक़ामत के साथ जमाअत करे, ऐसी मस्जिद में हर इमाम मेहराब में खड़ा हो।⁽⁵⁾ (دری، عالمگیری، فتاویٰ قاضی خان، برازیه)

① "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٧٥.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٧.

③ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في أول من بنى المنائر للأذان، ج ٢، ص ٦٧، ٧٨.

④ الفتاوى الخانية، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ١، ص ٣٨.

⑤ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٤.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٧٨.

मारुफ़ हो या न हो, जैसे मस्जिदुल हुराम शरीफ़ जिस में येह मेहराब अस्लन नहीं या हर मस्जिदे सैफ़ी यानी सहने मस्जिद उस का वस्तु मेहराब है, अगर्चे वहां इमारत अस्लन नहीं होती मेहराबे हकीकी येही है और वोह शकले ताक़ मेहराबे सूरी कि ज़मानए रिसालत व ज़मानए खुलफ़ाए राशिदीन में न थी, वलीद बादशाह मरवानी के ज़माने में हादिस हुई।⁽¹⁾ (फ़तावा रज़विय्या) बाज़ लोगों के ख़याल में है कि दूसरी जमाअत का इमाम पहले के मुसल्ले पर न खड़ा हो, लिहाज़ा मुसल्ला हटा कर वहीं खड़े होते हैं, जो इमामे अव्वल के क़ियाम की जगह है, येह जहालत है। उस जगह से दहने बाएं हटना चाहिये, मुसल्ला अगर्चे वोही हो। (रज़ा)

मस्अला 50

मस्जिदे महल्ला में बाज़ अहले महल्ला ने अपनी जमाअत पढ़ ली, उन के बाद इमाम और बाकी लोग आए तो जमाअते ऊला इन्हीं की है, पहलों के लिये कराहत। यूंही अगर ग़ैरे महल्ला वाले पढ़ गए, उन के बाद महल्ले के लोग आए तो जमाअते ऊला येही है और इमाम अपनी जगह पर खड़ा होगा।⁽²⁾ (ग़ालिरी)

मस्अला 51

अगर अज़ान आहिस्ता हुई तो फिर अज़ान कही जाए और पहली जमाअत, जमाअते ऊला नहीं।⁽³⁾ (ताज़ी ख़ान)

मस्अला 52

अस्नाए इक़ामत में भी मुअज़्ज़िन को कलाम करना ना जाइज़ है, जिस तरह अज़ान में।⁽⁴⁾ (ग़ालिरी)

मस्अला 53

अस्नाए अज़ानो इक़ामत में उस को किसी ने सलाम किया तो जवाब न दे, बादे ख़त्म भी जवाब देना वाजिब नहीं।⁽⁵⁾ (ग़ालिरी)

मस्अला 54

जब अज़ान सुने तो जवाब देने का हुक्म है, यानी मुअज़्ज़िन जो कलिमा कहे, इस के बाद सुनने वाला भी वोही कलिमा कहे, मगर **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** (और) **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** के जवाब में **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** कहे और बेहतर येह है कि दोनों कहे, बल्कि इतना लफ़्ज़ और मिला ले।⁽⁶⁾ (दरमख़्तार, रदालमख़्तार, ग़ालिरी) **مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ**

मस्अला 55

कहे **صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ** के जवाब में **الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ**

1..... "الفتاوى الرضوية"، ج 7، ص 345. 2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج 1، ص 54.

3..... "الفتاوى الخانية"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج 1، ص 38. 4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج 1، ص 55.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول، ج 1، ص 55.

6..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد، ج 2، ص 81.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج 1، ص 57.

7..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد، ج 2، ص 83.

जो अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) ने चाहा हुआ और जो नहीं चाहा नहीं हुआ। 12
तू सच्चा और नेकोकार है और तू ने हक़ कहा। 12

मस्अला 56 - जुनुब भी अज़ान का जवाब दे। हैज़ो निफ़ास वाली औरत और खुत्बा सुनने वाले और नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले और जो जिमाअ में मशगूल या क़ज़ाए हाज़त में हो, उन पर जवाब नहीं।⁽¹⁾ (دری)

मस्अला 57 - जब अज़ान हो तो उतनी देर के लिये सलाम कलाम और जवाबे सलाम, तमाम अशग़ाल मौकूफ़ कर दे यहां तक कि कुरआने मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज़ आए तो तिलावत मौकूफ़ कर दे और अज़ान को ग़ौर से सुने और जवाब दे। यूंही इक़ामत में।⁽²⁾ (دری، عالمگیری)

जो अज़ान के वक़्त बातों में मशगूल रहे, उस पर مَعَاذَ اللَّهِ ख़ातिमा बुरा होने का ख़ौफ़ है।⁽³⁾ (फ़तावा रज़विय्या)

मस्अला 58 - रास्ता चल रहा था कि अज़ान की आवाज़ आई तो उतनी देर खड़ा हो जाए, सुने और जवाब दे।⁽⁴⁾ (عالمگیری، برازیه)

मस्अला 59 - इक़ामत का जवाब मुस्तहब है, उस का जवाब भी इसी तरह है। फ़र्क़ इतना है कि أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ के जवाब में قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ या (عالمگیری)⁽⁵⁾ कहे। أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَجَعَلْنَا مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا⁽⁶⁾ (रज़ा)

मस्अला 60 - अगर चन्द अज़ानें सुने तो उस पर पहली ही का जवाब है और बेहतर येह (है) कि सब का जवाब दे।⁽⁷⁾ (دری، رد المحتار)

मस्अला 61 - अगर ब वक़्ते अज़ान जवाब न दिया तो अगर ज़ियादा देर न हुई हो, अब दे ले।⁽⁸⁾ (دری)

मस्अला 62 - खुत्बे की अज़ान का जवाब ज़बान से देना, मुक़्तदियों को जाइज़ नहीं।⁽⁹⁾ (دری)

1..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٨١.

2..... المرجع السابق، ص ٨٦، و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٧.

3..... جامع الرموز، ص ١٢٤. 4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٧.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٧.

12। इह अल्लाह इस को काइम रखे और हमेशा रखे जब तक आस्मान और ज़मीन हैं।

6..... हम को ज़िन्दगी में और मरने के बाद इस के नेक अहल से बनाए।

7..... "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد، ج ٢، ص ٨٢.

8..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٨٣. 9..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٨٧.

मुजहिदे आजम, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ "फ़तावा रज़विय्या" में फ़रमाते हैं: "मुक़्तदियों को खुत्बे की अज़ान का जवाब हरगिज़ नहीं देना चाहिये येही अहवत है। हां अगर येह जवाबे अज़ान या (दो खुत्बों के दरमियान) दुआ, अगर दिल से करें, ज़बान से तलफ़फ़ुज़ अस्लन न हो तो हरज कोई नहीं। और इमाम यानी ख़तीब अगर ज़बान से भी जवाबे अज़ान दे या दुआ करे, बिला शुबा जाइज़ है। (३०१-३००, ज ८, ص ८००-३०१) ("الفتاوى الرضوية")

मस्जाला 63 जब अज़ान ख़तम हो जाए तो मुअज़्ज़िन और सामेईन दुरूद शरीफ़ पढ़ें उस के

बाद येह दुआ पढ़े : **اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ اِنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْدَّرَجَةَ :** (ردالمحتار، غنیہ) **الرَّفِیْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ یَوْمَ الْقِيَمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ - (1)**

मस्जाला 64 जब मुअज़्ज़िन **اللَّهُمَّ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ** कहे तो सुनने वाला दुरूद शरीफ़ पढ़े और मुस्तहब है कि अंगूठों को बोसा दे कर आंखों से लगा ले और कहे :

(ردالمحتار) **قُرْءَةُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ اَللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ - (2)**

मस्जाला 65 अज़ाने नमाज़ के इलावा और अज़ानों का भी जवाब दिया जाएगा, जैसे बच्चा पैदा होते वक़्त की अज़ान। (3) (ردالمحتار)

मस्जाला 66 अगर अज़ान ग़लत कही गई, मसलन लहून के साथ तो उस का जवाब नहीं बल्कि ऐसी अज़ान सुने भी नहीं। (4) (ردالمحتار)

मस्जाला 67 मुतअख़िबरीन ने तस्वीब मुस्तहसन रखी है, यानी अज़ान के बाद नमाज़ के लिये दोबारा एलान करना और इस के लिये शरअ ने कोई ख़ास अल्फ़ाज़ मुक़रर नहीं किये बल्कि जो वहां का उर्फ़ हो : मसलन **يَا اَلصَّلَاةُ اَلصَّلَاةُ يَا قَامَتْ قَامَتْ (5)** या **اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ** (درمختار و غیره)

मस्जाला 68 मग़रिब की अज़ान के बाद तस्वीब नहीं होती। (6) (عنایه) और दो बार कह लें तो हरज नहीं। (7) (ردالمحتار)

मस्जाला 69 अज़ानो इक़ामत के दरमियान वक़फ़ा करना सुन्नत है। अज़ान कहते ही इक़ामत कह देना मक्रूह है, मगर मग़रिब में वक़फ़ा, तीन छोटी आयतों या एक बड़ी के बराबर हो, बाकी नमाज़ों में अज़ानो इक़ामत के दरमियान इतनी देर तक ठहरे कि जो लोग

1..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد، ج ٢، ص ٨٤. و "غنية المتملي"، سنن الصلاة، ص ٣٨٠.

ऐ **अल्लाह** इस दुआए ताम और नमाज़ बरपा होने वाली के मालिक तू हमारे सरदार मुहम्मद **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** को वसीला और फ़ज़ीलत और बुलन्द दरजा अता कर और उन को मक़ामे महमूद में खड़ा कर जिस का तू ने वादा किया है (और हमें क़ियामत के दिन उन की शफ़ाअत नसीब फ़रमा) बेशक तू वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। 12

2..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد، ج ٢، ص ٨٤.

या **रसूलल्लाह !** मेरी आंखों की ठन्डक हुज़ूर से है। ऐ **अल्लाह** शिनवाई और बीनाई के साथ मुझे मुतमतेअ कर। 12

3..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد، ج ٢، ص ٨٢.

4..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد، ج ٢، ص ٨٢.

5..... "الدر المختار"، کتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٦٩. وغيره

6..... "العناية"، کتاب الصلاة، باب الأذان، ج ١، ص ٣١٤ (هامش "فتح القدير").

7..... "الدر المختار"، کتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٧٠.

पाबन्दे जमाअत हैं आ जाएं, मगर इतना इन्तिज़ार न किया जाए कि वक़्ते कराहत आ जाए।⁽¹⁾ (درمختار، عالمگیری)

मस्अला 70 – जिन नमाज़ों से पेशतर सुन्नत या नफ़ल है, उन में औला येह है कि मुअज़्ज़िन बादे अज़ान, सुन्नो नवाफ़िल पढ़े, वरना बैठा रहे।⁽²⁾

मस्अला 71 – रईसे महल्ला का उस की रियासत के सबब इन्तिज़ार मकरूह है, हां अगर वोह शरीर है और वक़्त में गुन्जाइश है तो इन्तिज़ार कर सकते हैं।⁽³⁾ (درمختار)

मस्अला 72 – मुतक़दिमीन ने अज़ान पर उजरत लेने को हराम बताया, मगर मुतअख़िबरीन ने जब लोगों में सुस्ती देखी तो इजाज़त दी और अब इसी पर फ़तवा है, मगर अज़ान कहने पर अहादीस में जो सवाब इरशाद हुए, वोह उन्हीं के लिये हैं जो उजरत नहीं लेते। ख़ालिसन लिल्लाह عَزَّوَجَلَّ इस ख़िदमत को अन्जाम देते हैं, हां अगर लोग बतौर ख़ुद मुअज़्ज़िन को साहिबे हाज़त समझ कर दे दें तो येह बिल इत्तिफ़ाक़ जाइज़ बल्कि बेहतर है और येह उजरत नहीं।⁽⁴⁾ (غنية) जब कि المعهود كالمشروط की हद तक न पहुंच जाए। (रज़ा)

नमाज़ की शर्तों का बयान

तम्बीह : इस बाब में जहां येह हुक्म दिया गया कि नमाज़ सहीह है या हो जाएगी या जाइज़ है, इस से मुराद फ़र्ज अदा होना है, येह मतलब नहीं कि बिला कराहत व मुमानअत व गुनाह सहीह व जाइज़ होगी, अक्सर जगहें ऐसी हैं कि मकरूहे तहरीमी व तर्के वाजिब होगा और कहा जाएगा कि नमाज़ हो गई कि यहां इस से बहस नहीं, इस को बाबे मकरूहात में **بَيَانُ كَيْفِ شَأْنِ اللَّهِ تَعَالَى** बयान किया जाएगा।

यहां शुरूत का बयान है कि बे⁽⁵⁾ इन के होगी ही नहीं। सिह्हते नमाज़ की छे शर्तें हैं :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| (1) तहारत | (4) वक़्त |
| (2) सत्रे औरत | (5) निय्यत |
| (3) इस्तिक्बाले किब्ला | (6) तहरीमा ⁽⁶⁾ (متون) |

1..... المرجع السابق، و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٧.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج ١، ص ٥٧.

3..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج ٢، ص ٨٨.

4..... "غنية المتملّي"، سنن الصلاة، ص ٣٨١.

6..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ٨٩.

तहारत : यानी मुसल्ली⁽¹⁾ के बदन का हृदसे अक्बर व असगर और नजासते हकीकिय्या कदरे मानेअ से पाक होना, नीज उस के कपड़े और उस जगह का जिस पर नमाज़ पढ़े, नजासते हकीकिय्या कदरे मानेअ से पाक होना।⁽²⁾ (متون)

हृदसे अक्बर यानी मूजिबाते गुस्ल⁽³⁾ और हृदसे असगर यानी नवाकिजे वुजू⁽⁴⁾ और इन से पाक होने का तरीका, गुस्ल व वुजू के बयान में गुज़रा और नजासते हकीकिय्या से पाक करने का बयान बाबुल अनजास में मज़कूर हुवा, येह बातें वहां से मालूम की जाएं। शर्त नमाज़ इस कदर नजासत से पाक होना है कि बिगैर पाक किये नमाज़ होगी ही नहीं, मसलन नजासते ग़लीज़ा दिरहम से ज़ाइद और ख़फीफ़ा कपड़े या बदन के उस हिस्से की चौथाई से ज़ियादा जिस में लगी हो, उस का नाम कदरे मानेअ है और अगर इस से कम है तो इस का ज़ाइल करना सुन्नत है येह उमूर भी बाबुल अनजास में ज़िक्र किये गए।

मस़ाला 1 - किसी शख्स ने अपने को बे वुजू गुमान किया और इसी हालत में नमाज़ पढ़ ली, बाद को ज़ाहिर हुवा कि बे वुजू न था, नमाज़ न हुई।⁽⁵⁾ (درمّار)

मस़ाला 2 - मुसल्ली अगर ऐसी चीज़ को उठाए हो कि उस की हरकत से वोह भी हरकत करे, अगर उस में नजासत कदरे मानेअ हो तो नमाज़ जाइज़ नहीं, मसलन चांदनी का एक सिरा ओढ़ कर नमाज़ पढ़ी और दूसरे सिरे में नजासत है, अगर रुकूअ व सुजूद व कियाम व कु़द में इस की हरकत से उस जाए नजासत तक हरकत पहुंचती है, नमाज़ न होगी, वरना हो जाएगी। यूंही अगर गोद में इतना छोटा बच्चा ले कर नमाज़ पढ़ी कि खुद इस की गोद में अपनी सकत से न रुक सके बल्कि इस के रोकने से थमा हुवा हो और उस का बदन या कपड़ा ब कदरे मानेअ नमाज़ नापाक है तो नमाज़ न होगी कि येही उसे उठाए हुए है और अगर वोह अपनी सकत से रुका हुवा है, इस के रोकने का मोहताज नहीं तो नमाज़ हो जाएगी कि अब येह उसे उठाए हुए नहीं, फिर भी बे ज़रूरत कराहत से ख़ाली नहीं, अगर्चे इस के बदन और कपड़ों पर नजासत भी न हो।⁽⁶⁾ (درمّار, عالمگیری, रज़ा)

①.....नमाज़ी।

②....."شرح الوقاية"، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ج ١، ص ١٥٦.

③.....यानी वोह चीज़ें जिन से गुस्ल वाजिब होता है। ④.....यानी वुजू तोड़ने वाली चीज़ें।

⑤....."الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٤٧.

⑥.....المرجع السابق، ص ٩١، و"الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الثاني، ج ١، ص ٦٠.

मस्अला 3 अगर नजासत क़दरे मानेअ से कम है, जब भी मक्रूह है, फिर नजासते ग़लीज़ा ब क़दरे दिरहम है तो मक्रूहे तहरीमी और इस से कम तो ख़िलाफ़े सुन्नत।⁽¹⁾

(درمّات، عالمگیری)

मस्अला 4 छत, ख़ैमा, साएबान अगर नजिस हों और मुसल्ली के सर से खड़े होने में लगें, जब भी नमाज़ न होगी।⁽²⁾ (درمّات) यानी अगर इन की नजिस जगह ब क़दरे मानेअ इस के सर को ब क़दरे अदाए रुक्न लगे। (रज़ा)

मस्अला 5 अगर इस का कपड़ा या बदन अस्नाए नमाज़ में ब क़दरे मानेअ नापाक हो गया, और तीन तस्बीह का वक्फ़ा हुवा, नमाज़ न हुई और अगर नमाज़ शुरूअ करते वक्त कपड़ा नापाक था या किसी नापाक चीज़ को लिये हुए था और उसी हालत में शुरूअ कर ली और अल्लाहु अक्बर कहने के बाद जुदा किया तो नमाज़ मुअक़िद ही न हुई।⁽³⁾

(ردالمحتار)

मस्अला 6 मुसल्ली का बदन, जुनुब या हैज़ो निफ़ास वाली औरत के बदन से मिला रहा, या उन्होंने ने इस की गोद में सर रखा तो नमाज़ हो जाएगी।⁽⁴⁾ (درمّات)

मस्अला 7 मुसल्ली के बदन पर नजिस कबूतर बैठा, नमाज़ हो जाएगी।⁽⁵⁾ (ف)

मस्अला 8 जिस जगह नमाज़ पढ़े, उस के त़ाहिर⁽⁶⁾ होने से मुराद मौज़ए सुजूद व क़दम का पाक होना⁽⁷⁾ है। जिस चीज़ पर नमाज़ पढ़ता हो उस के सब हिस्से का पाक होना, शर्तें सिहहते नमाज़ नहीं।⁽⁸⁾ (درمّات)

मस्अला 9 मुसल्ली के एक पाउं के नीचे क़दरे दिरहम से ज़ियादा नजासत हो, नमाज़ न होगी।⁽⁹⁾ यूँही अगर दोनों पाउं के नीचे थोड़ी थोड़ी नजासत है कि जम्अ करने से एक दिरम हो जाएगी और अगर एक क़दम की जगह पाक थी और दूसरा क़दम जहां रखेगा, नापाक है, इस ने उस पाउं को उठा कर नमाज़ पढ़ी हो गई, हां बे ज़रूरत एक पाउं पर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ना मक्रूह है। (درمّات)

1..... "الفتاوى الهندية"، المرجع السابق، ص 58، و "الدرالمختار"، كتاب الطهارة، باب الأتخاس، ج 1، ص 571.

2..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 91.

3..... "ردالمحتار"، "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 91، موضحاً.

5..... "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 1، ص 64.

6.....पाक। 7.....यानी सज्दा और पाउं रखने की जगह का पाक होना।

8..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 92.

9..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 92.

मस्अला 10 - पेशानी पाक जगह है और नाक नजिस जगह तो नमाज़ हो जाएगी कि नाक दिरहम से कम जगह पर लगती है और बिला ज़रूरत येह भी मक्रूह।⁽¹⁾ (रुअज़)

मस्अला 11 - सज्दे में हाथ या घुटना नजिस जगह होने से सहीह मज़हब में नमाज़ न होगी।⁽²⁾ (रुअज़) और अगर हाथ नजिस जगह हो और हाथ पर सज्दा किया तो बिल इजमाअ नमाज़ न होगी।⁽³⁾ (रुअज़)

मस्अला 12 - आस्तीन के नीचे नजासत है और उसी आस्तीन पर सज्दा किया, नमाज़ न होगी।⁽⁴⁾ (रुअज़) अगर नजासत हाथ के नीचे न हो बल्कि चौड़ी आस्तीन के ख़ाली हिस्से के नीचे हो, यानी आस्तीन फ़ासिल न समझी जाएगी, अगर दबीज़⁽⁵⁾ हो कि इस के बदन की ताबेअ है, ब ख़िलाफ़ और दबीज़ कपड़े के कि नजिस जगह बिछा कर पढ़ी और उस की रंगत या बू महसूस न हो तो नमाज़ हो जाएगी कि येह कपड़ा नजासत व मुसल्ली में फ़ासिल हो जाएगा कि बदन मुसल्ली का ताबेअ नहीं, यूंही अगर चौड़ी आस्तीन का ख़ाली हिस्सा सज्दा करने में नजासत की जगह पड़े और वहां न हाथ हो, न पेशानी तो नमाज़ हो जाएगी अगर आस्तीन बारीक हो कि अब उस नजासत को बदन मुसल्ली से कोई तअल्लुक नहीं। (रज़ा)

मस्अला 13 - अगर सज्दा करने में दामन वगैरा नजिस ज़मीन पर पड़ते हों तो मुज़िर नहीं।⁽⁶⁾ (रुअज़)

मस्अला 14 - अगर नजिस जगह पर इतना बारीक कपड़ा बिछा कर नमाज़ पढ़ी जो सत्र के काम में नहीं आ सकता, यानी उस के नीचे की चीज़ झलक्ती हो, नमाज़ न हुई और अगर शीशे पर नमाज़ पढ़ी और उस के नीचे नजासत है, अगर नुमायां हो, नमाज़ हो गई।⁽⁷⁾ (रुअज़)

दूसरी शर्त सत्रे औरत : यानी बदन का वोह हिस्सा जिस का छुपाना फ़र्ज़ है, उस को छुपाना।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿حُدُوزِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾⁽⁸⁾

हर नमाज़ के वक़्त कपड़े पहनो।

5.....यानी मोटी।

1..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 92.

2..... المرجع السابق. 3..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 92.

4..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 92.

6..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، ج 2، ص 92.

7..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، ج 2، ص 92.

و باب ما يفسد الصلاة، وما يكره فيها، مطلب في التشبه باهل الكتاب، ص 467.

8..... 8، پ 8، الاعراف: 31.

और फ़रमाता है :

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَظَاهِرَ مِنْهَا﴾⁽¹⁾

औरतें ज़ीनत यानी मवाजेए ज़ीनत को ज़ाहिर न करें, मगर वोह कि ज़ाहिर हैं ।

(कि उन के खुले रहने पर बर वज्हे जाइज़ आदत जारी है) ।

हदीस 1 — हदीस में है जिस को, इब्ने अदी ने कामिल में इब्ने उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत किया कि फ़रमाते हैं : “जब नमाज़ पढ़ो, तहबन्द बांध लो और चादर ओढ़ लो और यहूदियों की मुशाबहत न करो ।”⁽²⁾ और

हदीस 2 — अबू दावूद व तिरमिज़ी व हाकिम व इब्ने खुज़ैमा उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी कि फ़रमाते हैं : “बालिग़ औरत की नमाज़ बिगैर दोपट्टे के अल्लाह तआला क़बूल नहीं फ़रमाता ।”⁽³⁾

हदीस 3 — अबू दावूद ने रिवायत की, कि उम्मुल मुअमिनीन उम्मे सलमा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ने अर्ज़ की : क्या बिगैर इज़ार पहने, कुरते और दोपट्टे में औरत नमाज़ पढ़ सकती है ? इरशाद फ़रमाया : “जब कुरता पूरा हो कि पुश्ते क़दम को छुपा ले ।”⁽⁴⁾ और

हदीस 4 — दारे कुतनी ब रिवायते अम्र बिन शुऐब अन् अबी अन् जद्दिही रावी कि फ़रमाते हैं : “नाफ़ के नीचे से घुटने तक औरत है ।”⁽⁵⁾ और

हदीस 5 — तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, फ़रमाते हैं : “औरत, औरत है यानी छुपाने की चीज़ है, जब निकलती है, शैतान उस की तरफ़ झांकता है ।”⁽⁶⁾

मख़ाला 15 — सत्रे औरत हर हाल में वाजिब है, ख़्वाह नमाज़ में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने, बिला किसी ग़रजे सहीह के तन्हाई में भी खोलना जाइज़ नहीं और लोगों के सामने या नमाज़ में तो सत्र बिल इज्माअ फ़र्ज़ है । यहां तक कि अगर अंधेरे मकान में नमाज़ पढ़ी, अगर वहां कोई न हो और उस के पास इतना पाक कपड़ा मौजूद है कि सत्र का काम दे और नंगे पढ़ी, बिल इज्माअ न होगी । मगर औरत के लिये ख़ल्वत में जब कि नमाज़ में न हो तो सारा बदन छुपाना वाजिब नहीं, बल्कि सिर्फ़ नाफ़ से घुटने तक और महारिम के सामने पेट और

1 प १८, النور: ३१.

2 “الكامل في ضعفاء الرجال”، رقم الترجمة، نصر بن حماد १९७४، ج ८، ص २८७.

3 “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، الحديث: ६६१، ج १، ص २०८.

4 “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، الحديث: ६६०، ج १، ص २०८.

5 “سنن الدارقطني”، كتاب الصلاة، باب الأمر بتعليم الصلوات، الحديث: ८७६، ج १، ص ३१६.

6 “جامع الترمذي”، أبواب الرضاع، १८-باب، الحديث: ११७६، ج २، ص ३९२.

पीठ का छुपाना भी वाजिब है और गैर मह्रम के सामने और नमाज़ के लिये अगर्चे तन्हा अंधेरी कोठड़ी में हो, तमाम बदन सिवा पांच उज्ज्व के जिन का बयान आएगा छुपाना फर्ज है, बल्कि जवान औरत को गैर मर्दों के सामने मुंह खोलना भी मन्अ है।⁽¹⁾ (रुज़्ज़ा, रूज़्ज़ा)

मस्अला 16 - इतना बारीक कपड़ा, जिस से बदन चमकता हो, सत्र के लिये काफ़ी नहीं, उस से नमाज़ पढ़ी तो न हुई।⁽²⁾ (मैग़िरी) यूँही अगर चादर में से औरत के बालों की सियाही चमके, नमाज़ न होगी। (रज़ा) बाज़ लोग बारीक साड़ियाँ और तहबन्द बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं कि रान चमकती है, उन की नमाज़ें नहीं होतीं और ऐसा कपड़ा पहनना, जिस से सत्रे औरत न हो सके, इलावा नमाज़ के भी हराम है।

मस्अला 17 - दबीज़ कपड़ा, जिस से बदन का रंग न चमकता हो, मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हुवा है कि देखने से उज्ज्व की हैअत मालूम होती है, ऐसे कपड़े से नमाज़ हो जाएगी, मगर उस उज्ज्व की तरफ़ दूसरों को निगाह करना जाइज़ नहीं।⁽³⁾ (रुज़्ज़ा) और ऐसा कपड़ा लोगों के सामने पहनना भी मन्अ है और औरतों के लिये ब दरजए औला मुमानअत। बाज़ औरतें जो बहुत चुस्त पाजामे पहनती हैं, इस मस्अले से सबक लें।

मस्अला 18 - नमाज़ में सत्र के लिये पाक कपड़ा होना ज़रूर है, यानी इतना नजिस न हो, जिस से नमाज़ न हो सके तो अगर पाक कपड़े पर कुदरत है और नापाक पहन कर नमाज़ पढ़ी, नमाज़ न हुई।⁽⁴⁾ (मैग़िरी)

मस्अला 19 - उस के इल्म में कपड़ा नापाक है और उस में नमाज़ पढ़ी, फिर मालूम हुवा कि पाक था, नमाज़ न हुई।⁽⁵⁾ (रुज़्ज़ा)

मस्अला 20 - ग़ैरे नमाज़ में नजिस कपड़ा पहना तो हरज नहीं, अगर्चे पाक कपड़ा मौजूद हो और जो दूसरा नहीं तो उसी को पहनना वाजिब है।⁽⁶⁾ (रुज़्ज़ा, रूज़्ज़ा) येह उस वक़्त है कि उस की नजासत खुश्क हो, छूट कर बदन को न लगे, वरना पाक कपड़ा होते हुए ऐसा कपड़ा पहनना मुत्लकन मन्अ है कि बिला वज्ह बदन नापाक करना है। (रज़ा)

1..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في ستر العورة، ج 2، ص 93، 97.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 58.

3..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد، ج 2، ص 103.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 58.

5..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 147.

6..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد، ج 2، ص 93، 107.

मस्अला 21

मर्द के लिये नाफ़ के नीचे से घुटनों के नीचे तक औरत है, यानी उस का छुपाना फ़र्ज़ है। नाफ़ उस में दाख़िल नहीं और घुटने दाख़िल हैं।⁽¹⁾ (درمختار، ردالمختار) इस ज़माने में बहुतेरे ऐसे हैं कि तहबन्द या पाजामा इस तरह पहनते हैं कि पेड़⁽²⁾ का कुछ हिस्सा खुला रहता है, अगर कुरते वगैरा से इस तरह छुपा हो कि जिल्द की रंगत न चमके तो ख़ैर, वरना हराम है और नमाज़ में चौथाई की मिक्दार खुला रहा तो नमाज़ न होगी और बाज़ बेबाक़ ऐसे हैं कि लोगों के सामने घुटने, बल्कि रान तक खोले रहते हैं, येह भी हराम है और इस की आदत है तो फ़ासिक़ हैं।

मस्अला 22

आज़ाद औरतों और खुन्सा मुश्किल⁽³⁾ के लिये सारा बदन औरत है, सिवा मुंह की टिकली और हथेलियों और पाउं के तल्वों के, सर के लटक्ते हुए बाल और गरदन और कलाईयां भी औरत हैं, इन का छुपाना भी फ़र्ज़ है।⁽⁴⁾ (درمختار)

मस्अला 23

इतना बारीक़ दोपट्टा, जिस से बाल की सियाही चमके, औरत ने ओढ़ कर नमाज़ पढ़ी, न होगी, जब तक उस पर कोई ऐसी चीज़ न ओढ़े, जिस से बाल वगैरा का रंग छुप जाए।⁽⁵⁾ (عالمگیری)

मस्अला 24

बांदी के लिये सारा पेट और पीठ और दोनों पहलू और नाफ़ से घुटनों के नीचे तक औरत है, खुन्सा मुश्किल रक़ीक़⁽⁶⁾ हो तो उस का भी येही हुक्म है।⁽⁷⁾ (درمختار)

मस्अला 25

बांदी सर खोले नमाज़ पढ़ रही थी, अस्नाए नमाज़ में मालिक ने उसे आज़ाद कर दिया, अगर फ़ौरन अमले क़लील यानी एक हाथ से उस ने सर छुपा लिया, नमाज़ हो गई, वरना नहीं, ख़्वाह उसे अपने आज़ाद होने का इल्म हुवा या नहीं, हां अगर उस के पास कोई ऐसी चीज़ ही न थी, जिस से सर छुपाए तो हो गई।⁽⁸⁾ (درمختار، عالمگیری)

मस्अला 26

जिन आज़ा का सत्र फ़र्ज़ है उन में कोई उज़्व चौथाई से कम खुल गया,

1..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، ج 2، ص 93.

2..... नाफ़ के नीचे।

3..... जिस में मर्द व औरत दोनों की अलामतें पाई जाएं और येह साबित न हो कि मर्द है या औरत।

(बहारे शरीअत, हिस्सा : 7, निकाह का बयान)

4..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 95.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 58. موضحاً.

6..... यानी गुलाम।

7..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 94.

8..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 94.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 59.

नमाज़ हो गई और अगर चौथाई उज़्च खुल गया और फ़ौरन छुपा लिया, जब भी हो गई और अगर ब क़दर एक रुक्न यानी तीन मरतबा **سُبْحَانَ اللَّهِ** कहने के खुला रहा या बिल क़स्द खोला, अगर्चे फ़ौरन छुपा लिया, नमाज़ जाती रही।⁽¹⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

मस्अला 27 अगर नमाज़ शुरू करते वक़्त उज़्च की चौथाई खुली है, यानी इसी हालत पर **اللّٰهُ أَكْبَرُ** कह लिया तो नमाज़ मुअक़िद ही न हुई।⁽²⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 28 अगर चन्द आज़ा में कुछ कुछ खुला रहा कि हर एक उस उज़्च की चौथाई से कम है, मगर मज्मूआ उन का उन खुले हुए आज़ा में जो सब से छोटा है, उस की चौथाई के बराबर है, नमाज़ न हुई, मसलन औरत के कान का नवां हिस्सा और पिंडली का नवां हिस्सा खुला रहा तो मज्मूआ दोनों का कान की चौथाई की क़दर ज़रूर है, नमाज़ जाती रही।⁽³⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

मस्अला 29 औरते ग़लीज़ा यानी कुबुल व दुबुर और इन के आस पास की जगह और औरते ख़फ़ीफ़ा कि इन के मा सिवा और आज़ाए औरत हैं, इस हुक्म में सब बराबर हैं, ग़िल्ज़त व ख़िफ़त ब एतिबारे हुर्मते नज़र के है कि ग़लीज़ा की तरफ़ देखना ज़ियादा ह़राम है कि अगर किसी को घुटना खोले हुए देखे तो नरमी के साथ मन्अ करे, अगर बाज़ न आए तो उस से झगड़ा न करे और अगर रान खोले हुए है तो सख़्ती से मन्अ करे और बाज़ न आया तो मारे नहीं और अगर औरते ग़लीज़ा खोले हुए है तो जो मारने पर क़ादिर हो, मसलन बाप या हाकिम, वोह मारे।⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 30 सत्र के लिये येह ज़रूर नहीं कि अपनी निगाह भी उन आज़ा पर न पड़े तो अगर किसी ने सिर्फ़ लम्बा कुरता पहना और उस का गिरेबान खुला हुवा है कि अगर गिरेबान से नज़र करे तो आज़ा दिखाई देते हैं नमाज़ हो जाएगी, अगर्चे बिल क़स्द उधर नज़र करना, मक्रूहे तहरीमी है।⁽⁵⁾ (درمختار، عالمگیری)

मस्अला 31 औरों से सत्र फ़र्ज़ होने के येह माना हैं कि इधर उधर से न देख सकें तो **مَعَاذَ اللَّهِ** अगर किसी शरीर ने नीचे झुक कर आज़ा को देख लिया तो नमाज़ न गई।⁽⁶⁾

(عالمگیری)

①..... "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد، ج ٢، ص ١٠٠.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٨.

②..... "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد، ج ٢، ص ١٠٠.

③..... المرجع السابق، ص ١٠٢. ④..... المرجع السابق، ص ١٠١.

⑤..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٠٢.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٨.

⑥..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٨.

मस्अला 32

मर्द में आज़ाए औरत नव हैं। आठ अल्लामा इब्राहीम हलबी व अल्लामा शामी व अल्लामा तहतावी वगैरहुम ने गिने। (1) ज़कर मअ अपने सब अज़्ज़ा, हशफ़ा व कस्बा व कुल्फ़ा के, (2) उन्सयैन येह दोनों मिल कर एक उज़्व हैं, इन में फ़क़त एक की चौथाई खुलना मुफ़्सिदे नमाज़ नहीं, (3) दुबुर यानी पाख़ाना का मक़ाम, (4,5) हर एक सुरीन जुदा औरत है, (6,7) हर रान जुदा औरत है। चढ़े से घुटने तक रान है। घुटना भी इस में दाख़िल है, अलग उज़्व नहीं तो अगर पूरा घुटना बल्कि दोनों खुल जाएं नमाज़ हो जाएगी कि दोनों मिल कर भी एक रान की चौथाई को नहीं पहुंचते, (8) नाफ़ के नीचे से, उज़्वे तनासुल की जड़ तक और इस की सीध में पुश्त और दोनों करवटों की जानिब, सब मिल कर एक औरत है।⁽¹⁾

आला हज़रत, मुजहिदे मिअतिए हाज़िरा ने येह तहकीक़ फ़रमाई कि (9) दुबुर व उन्सयैन के दरमियान की जगह भी, एक मुस्तक़िल औरत है और इन आज़ा का शुमार और इन के तमाम अहक़ाम को चार शेरों में जम्अ फ़रमाया,

ستر عورت بمرء نه عضو است	از تو ناف تا ته زانو
هر چه ريعش بقدرر کن کشود	يا کشودی دمه نماز مجو
ذکر و انثيين و حلقه پس	دوسرين هر فخذ به زانوئے او
ظاهرا فصل انثيين و دبر	باقی زیر ناف از هر سو ⁽²⁾

मस्अला 33

आज़ाद औरतों के लिये, ब इस्तिस्ना पांच उज़्व के, जिन का बयान गुज़रा, सारा बदन औरत है और वोह तीस आज़ा पर मुश्तमिल कि उन में जिस की चौथाई खुल जाए, नमाज़ का वोही हुक्म है, जो ऊपर बयान हुवा। (1) सर यानी पेशानी के ऊपर से शुरूए गरदन तक और एक कान से दूसरे कान तक, यानी आदतन जितनी जगह पर बाल जमते हैं। (2) बाल जो लटक्ते हों। (3,4) दोनों कान। (5) गरदन इस में गला भी दाख़िल है। (6,7) दोनों शाने। (8,9) दोनों बाजू इन में कोहनियां भी दाख़िल हैं। (10,11) दोनों कलाइयां यानी कोहनी के बाद से गिट्टों के नीचे तक। (12) सीना यानी गले के जोड़ से दोनों पिस्तान की हृद जेरीं तक। (13,14) दोनों हाथों की पुश्त। (15,16) दोनों पिस्तानें, जब कि अच्छी तरह उठ चुकी हों, अगर बिल्कुल न उठी हों या ख़फ़ीफ़ उभरी हों कि सीने से जुदा उज़्व की हैअत न पैदा हुई हो तो सीने के ताबेअ हैं, जुदा उज़्व नहीं और पहली सूरत में भी, इन के दरमियान की जगह सीने ही में दाख़िल है, जुदा उज़्व नहीं। (17) पेट यानी सीने की

1..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة مطلب في النظر إلى وجه الأمرد، ج 2، ص 101.

2..... "الفتاوى الرضوية"، ج 6، ص 39.

हृदे मज़कूर से नाफ़ के कनारए ज़ेरीं तक, यानी नाफ़ का भी पेट में शुमार है। (18) पीठ यानी पीछे की जानिब सीने के मुक़ाबिल से कमर तक। (19) दोनों शानों के बीच में जो जगह है, बग़ल के नीचे सीने की हृदे ज़ेरीं तक, दोनों करवटों में जो जगह है, इस का अगला हिस्सा सीने में और पिछला शानों या पीठ में शामिल है और इस के बाद से दोनों करवटों में कमर तक जो जगह है, इस का अगला हिस्सा पेट में और पिछला पीठ में दाख़िल है। (20,21) दोनों सुरीन। (22) फ़र्ज। (23) दुबुर। (24,25) दोनों रानें, घुटने भी इन्हीं में शामिल हैं। (26) नाफ़ के नीचे पेडू और इस के मुत्तसिल जो जगह है और इन के मुक़ाबिल पुश्त की जानिब सब मिल कर एक औरत है। (27,28) दोनों पिंडलियां टख़्नों समेत। (29,30) दोनों तल्वे और बाज़ इलमा ने पुश्ते दस्त और तल्वों को औरत में दाख़िल नहीं किया।⁽¹⁾

मस्अला 34 औरत का चेहरा अगर्चे औरत नहीं, मगर ब वज्हे फ़ितना ग़ैर महरम के सामने मुंह खोलना मन्अ है।⁽²⁾ यूंही उस की तरफ़ नज़र करना, ग़ैर महरम के लिये जाइज़ नहीं और छूना तो और ज़ियादा मन्अ है।⁽³⁾ (درمّاتر)

मस्अला 35 अगर किसी मर्द के पास सत्र के लिये जाइज़ कपड़ा न हो और रेशमी कपड़ा है तो फ़र्ज है कि उसी से सत्र करे और उसी में नमाज़ पढ़े, अलबत्ता और कपड़ा होते हुए, मर्द को रेशमी कपड़ा पहनना हराम है और उस में नमाज़ मक्रूहे तहरीमी।⁽⁴⁾ (درمّاتر, رواکن)

मस्अला 36 कोई शख्स बरहना अगर अपना सारा जिस्म मअ सर के, किसी एक कपड़े में छुपा कर नमाज़ पढ़े, नमाज़ न होगी और अगर सर उस से बाहर निकाल ले, हो जाएगी।⁽⁵⁾ (درمّاتر)

मस्अला 37 किसी के पास बिल्कुल कपड़ा नहीं तो बैठ कर नमाज़ पढ़े। दिन हो या रात, घर में हो या मैदान में, ख़्वाह वैसे बैठे जैसे नमाज़ में बैठते हैं, यानी मर्द मर्दों की तरह और औरत औरतों की तरह या पाउं फैला कर और औरत ग़लीज़ा पर हाथ रख कर और यह बेहतर है और रुकूओ सुजूद की जगह इशारा करे और यह इशारा रुकूओ सुजूद से उस के लिये अफ़ज़ल है और यह बैठ कर पढ़ना, खड़े हो कर पढ़ने से अफ़ज़ल, ख़्वाह क़ियाम में रुकूओ सुजूद के लिये इशारा करे या रुकूओ सुजूद करे।⁽⁶⁾ (درمّاتر, رواکن)

1..... "الفتاوى الرضوية"، ج 6، ص 39-40.

2..... إن شاء الله تعالى في إباحة رجله في الصلاة، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 97.

3..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد، ج 2، ص 103.

4..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد، ج 2، ص 104.

5..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد، ج 2، ص 105.

मस्अला 38 — ऐसा शख्स बरहना नमाज़ पढ़ रहा था, किसी ने अरियतन उस को कपड़ा दे दिया या मुबाह कर दिया⁽¹⁾ नमाज़ जाती रही। कपड़ा पहन कर सिरे से पढ़े।⁽²⁾

(درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 39 — अगर कपड़ा देने का किसी ने वादा किया तो आखिर वक्त तक इन्तिज़ार करे, जब देखे कि नमाज़ जाती रहेगी तो बरहना ही पढ़ ले।⁽³⁾

(ردالمحتار)

मस्अला 40 — अगर दूसरे के पास कपड़ा है और ग़ालिब गुमान है कि मांगने से दे देगा तो मांगना वाजिब है।⁽⁴⁾

(ردالمحتار)

मस्अला 41 — अगर कपड़ा मोल⁽⁵⁾ मिलता है और उस के पास दाम हाज़ते अस्लिय्या से जाइद हैं तो अगर इतने दाम मांगता हो, जो अन्दाज़ा करने वालों के अन्दाज़े से बाहर न हों तो ख़रीदना वाजिब।⁽⁶⁾ यूंही अगर उधार देने पर राज़ी हो, जब भी ख़रीदना वाजिब होना चाहिये।

मस्अला 42 — अगर उस के पास कपड़ा ऐसा है कि पूरा नजिस है तो नमाज़ में उसे न पहने और अगर एक चौथाई पाक है तो वाजिब है कि उसे पहन कर पढ़े, बरहना जाइज़ नहीं। यह सब उस वक्त है कि ऐसी चीज़ नहीं कि कपड़ा पाक कर सके या उस की नजासत क़दरे मानेअ से कम कर सके, वरना वाजिब होगा कि पाक करे या तक्लीले नजासत करे।⁽⁷⁾

(درمختار)

मस्अला 43 — चन्द शख्स बरहना हैं तो तन्हा तन्हा, दूर दूर, नमाज़ें पढ़ें और अगर जमाअत की तो इमाम बीच में खड़ा हो।⁽⁸⁾

(عالمگیری)

मस्अला 44 — अगर बरहना शख्स को चटाई या बिछोना मिल जाए तो उसी से सत्र करे, नंगा न पढ़े। यूंही घास या पत्तों से सत्र कर सकता है तो येही करे।⁽⁹⁾

(عالمگیری)

मस्अला 45 — अगर पूरे सत्र के लिये कपड़ा नहीं और इतना है कि बाज़ आज़ा का सत्र हो जाएगा तो उस से सत्र वाजिब है और उस कपड़े से औरते ग़लीज़ा यानी कुबुल व दुबुर को

①.....यानी किसी के पास कपड़ा था उस ने कहा तुम इसे इस्तिमाल कर सकते हो।

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد، ج ٢، ص ١٠٦.

③..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد، ج ٢، ص ١٠٦.

④..... المرجع السابق.

⑤.....यानी कीमत से।

⑥..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأُمرد، ج ٢، ص ١٠٧.

⑦..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٠٧.

⑧..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث، في شروط الصلاة، الفصل الأول، ج ١، ص ٥٩. ⑨..... المرجع السابق.

छुपाए और इतना हो कि एक ही को छुपा सकता है तो एक ही को छुपाए ।⁽¹⁾

(دری)

مستحالا 46 - जिस ने ऐसी मजबूरी में बरहना नमाज़ पढ़ी तो बाद नमाज़ कपड़ा मिलने पर इआदा नहीं, नमाज़ हो गई ।⁽²⁾ (دری)

مستحالا 47 - अगर सत्र का कपड़ा या उस के पाक करने की चीज़ न मिलना, बन्दों की जानिब से हो तो नमाज़ पढ़े, फिर इआदा करे ।⁽³⁾ (دری)

तीसरी शर्त, इस्तिक्बाले क़िब्ला : यानी नमाज़ में क़िब्ला यानी काबे की तरफ़ मुंह करना ।

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلِ لِلَّهِ الشَّرِيقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ﴾⁽⁴⁾

बे बुकूफ़ लोग कहेंगे कि जिस क़िब्ले पर मुसलमान लोग थे, उन्हें किस चीज़ ने उस से फेर दिया, तुम फ़रमा दो अल्लाह ही के लिये मशरिको मगरिब है, जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत फ़रमाता है ।

हुज़ूरे अक्दस صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم ने सोलह या सतरह महीने तक बैतुल मुक़दस की तरफ़ नमाज़ पढ़ी और हुज़ूर (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم) को पसन्द येह था कि काबा क़िब्ला हो इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई الصّحاح وغيره من الصّحاح

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِمَعْلَمٍ مِّن يَّبْتَغِ الرُّسُولُ وَمَنْ يَّقْلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ ۖ وَإِنَّ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ إِيَّانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ ۝ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلِئِكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ ۚ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۝ ﴾⁽⁵⁾

जिस क़िब्ले पर तुम पहले थे, हम ने फिर वोही इस लिये मुक़रर किया कि रसूल के इत्तिबाअ करने वाले उन से मुतमय्यिज़ हो जाएं, जो एडियों के बल लौट जाते हैं और बेशक येह शाक़ है, मगर उन पर जिन को अल्लाह ने हिदायत की और अल्लाह तुम्हारा ईमान ज़ाएअ न करेगा, बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान रहम वाला है । ऐ महबूब ! आस्मान की तरफ़ तुम्हारा बार बार मुंह उठाना हम देखते हैं तो ज़रूर हम तुम्हें उसी क़िब्ले की तरफ़

① "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٠٨.

② "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١١٠.

③ المرجع السابق، ص ١١٠. ④ البقرة: ١٤٢. ⑤ البقرة: ١٤٣-١٤٤.

फेर देंगे, जिसे तुम पसन्द करते हो तो अपना मुंह (नमाज़ में) मस्जिदे हराम की तरफ़ फेरो और ऐ मुसलमानो ! तुम जहां कहीं हो, उसी की तरफ़ (नमाज़ में) मुंह करो और बेशक जिन्हें किताब दी गई, वोह ज़रूर जानते हैं कि वोही हक़ है, उन के रब की तरफ़ से और अल्लाह उन के कौतकों से गाफ़िल नहीं ।

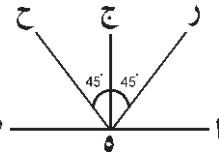
मस्अला 48 — नमाज़ अल्लाह ही के लिये पढ़ी जाए और उसी के लिये सज्दा हो न कि काबा को, अगर किसी ने مَعَادِلَह काबा के लिये सज्दा किया, हराम व गुनाहे कबीरा किया और अगर इबादते काबा की निय्यत की, जब तो खुला काफ़िर है कि ग़ैरे खुदा की इबादत कुफ़्र है ।⁽¹⁾ (इफ़ादाते रज़विय्या)

मस्अला 49 — इस्तिक्बाले क़िब्ला आम है कि बि ऐनिही काबाए मुअज़्ज़मा की तरफ़ मुंह हो, जैसे मक्काए मुकर्रमा वालों के लिये या उस जिहत को मुंह हो जैसे औरों के लिये ।⁽²⁾ (इफ़ादाते रज़विय्या) यानी तहक्कीक़ येह है कि जो ऐन काबा की सप्त ख़ास तहक्कीक़ कर सकता है, अगर्चे काबा आड़ में हो, जैसे मक्काए मुअज़्ज़मा के मकानों में जब कि मसलन छत पर चढ़ कर काबा को देख सकते हैं तो ऐन काबा की तरफ़ मुंह करना फ़र्ज़ है, जिहत काफ़ी नहीं और जिसे येह तहक्कीक़ ना मुम्किन हो, अगर्चे ख़ास मक्काए मुअज़्ज़मा में हो, उस के लिये जिहते काबा को मुंह करना काफ़ी है । (इफ़ादाते रज़विय्या)

मस्अला 50 — काबाए मुअज़्ज़मा के अन्दर नमाज़ पढ़ी तो जिस रुख़ चाहे पड़े, काबा की छत पर भी नमाज़ हो जाएगी, मगर उस की छत पर चढ़ना मम्मूअ है ।⁽³⁾ (غنية وغيرها)

मस्अला 51 — अगर सिर्फ़ हतीम की तरफ़ मुंह किया कि काबाए मुअज़्ज़मा महाज़ात में न आया, नमाज़ न हुई ।⁽⁴⁾ (غنية)

मस्अला 52 — जिहते काबा को मुंह होने के येह माना हैं कि मुंह की सत्ह का कोई जुज़ काबा की सप्त में वाक़ेअ हो तो अगर क़िब्ले से कुछ इन्हिराफ़ है, मगर मुंह का कोई जुज़ काबा के मुवाजेहे में है, नमाज़ हो जाएगी । इस की मिक्दार 45° दरजा (डीग्री) रखी गई है तो अगर 45° दरजे से ज़ाइद इन्हिराफ़ है, इस्तिक्बाल न पाया गया, नमाज़ न हुई, मसलन ب — मुंह की सत्ह का कोई जुज़ काबा की सप्त में वाक़ेअ हो तो अगर क़िब्ले से कुछ इन्हिराफ़ है, मगर मुंह का कोई जुज़ काबा के मुवाजेहे में है, नमाज़ हो जाएगी । इस की मिक्दार 45° दरजा (डीग्री) रखी गई है तो अगर 45° दरजे से ज़ाइद इन्हिराफ़ है, इस्तिक्बाल न पाया गया, नमाज़ न हुई, मसलन ب — एक ख़त है उस पर ج — अमूद है और फ़र्ज़ करो कि काबाए मुअज़्ज़मा ऐन नुक्ताए ج के महाज़ी है, दोनों क़ाइमे ج — और ب — की तन्सीफ़ करते हुए खुतूत ر — और ح — खींचे तो येह ज़ाविये 45°-45° दरजे के हुए कि क़ाइमा 90° दरजे है, अब जो शख़्स मक़ामे ج पर खड़ा है, अगर नुक्ताए ج की तरफ़ मुंह करे तो ऐन काबा को मुंह है और अगर दहने बाएं ر या ح की तरफ़ झुके तो जब तक



② المرجع السابق.

① "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، بحث النية، ج 2، ص 134.

③ "غنية المتملي"، فصل مسائل شتى، ص 616، وغيرها. ④ "غنية المتملي"، فروع في شرح الطحاوى، ص 225.

८) या ८ ८ के अन्दर है, जिहते काबा में है और जब ८ से बढ़ कर १ या ८ से गुज़र कर ८ की तरफ़ कुछ भी करीब होगा तो अब जिहत से निकल गया, नमाज़ न होगी।⁽¹⁾

(इफ़ादाते रज़विय्या)

मस्अला 53

किब्ला बिनाए काबा का नाम नहीं, बल्कि वोह फ़ज़ा है, उस बिना की महाज़ात में सातवीं ज़मीन से अर्श तक किब्ला ही है तो अगर वोह इमारत वहां से उठा कर दूसरी जगह रख दी जाए और अब उस इमारत की तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ी न होगी या काबाए मुअज़्ज़मा किसी वली की ज़ियारत को गया और उस फ़ज़ा की तरफ़ नमाज़ पढ़ी हो गई, यूंही अगर बुलन्द पहाड़ पर या कूएं के अन्दर नमाज़ पढ़ी और किब्ला की तरफ़ मुंह किया, नमाज़ हो गई कि फ़ज़ा की तरफ़ तवज्जोह पाई गई, गो इमारत की तरफ़ न हो।⁽²⁾ (रज़विय्या)

मस्अला 54

जो शख्स इस्तिक्बाले किब्ला से आज़िज़ हो, मसलन मरीज़ है कि उस में इतनी कुव्वत नहीं कि उधर रुख़ बदले और वहां कोई ऐसा नहीं जो मुतवज्जेह कर दे या उस के पास अपना या अमानत का माल है जिस के चोरी हो जाने का सहीह अन्देशा हो या कश्ती के तख़्ते पर बहता जा रहा है और सहीह अन्देशा है कि इस्तिक्बाल करे तो डूब जाएगा या शरीर जानवर पर सुवार है कि उतरने नहीं देता या उतर तो जाएगा मगर बे मददगार सुवार न होने देगा या येह बूढ़ा है कि फिर खुद सुवार न हो सकेगा और ऐसा कोई नहीं जो सुवार करा दे तो इन सब सूरतों में जिस रुख़ नमाज़ पढ़ सके, पढ़ ले और इआदा भी नहीं, हां सुवारी के रोकने पर कादिर हो तो रोक कर पढ़े और मुम्किन हो तो किब्ले को मुंह करे, वरना जैसे भी हो सके और अगर रोकने में काफ़िला निगाह से मख़फ़ी हो जाएगा तो सुवारी ठहराना भी ज़रूरी नहीं, यूंही ख़ानी में पढ़े।⁽³⁾ (रज़विय्या)

मस्अला 55

चलती कश्ती में नमाज़ पढ़े तो ब वक़्ते तहरीमा किब्ले को मुंह करे और जैसे जैसे वोह घूमती जाए येह भी किब्ले को मुंह फेरता रहे, अगर्चे नफ़ल नमाज़ हो।⁽⁴⁾ (ग़िये)

मस्अला 56

मुसल्ली के पास माल है और अन्देशा सहीह है कि इस्तिक्बाल करेगा तो चोरी हो जाएगी, ऐसी हालत में कोई ऐसा शख्स मिल गया जो हिफ़ाज़त करे, अगर्चे ब उजरते मिस्ल, इस्तिक्बाल फ़र्ज़ है।⁽⁵⁾ (रज़विय्या) यानी जब कि वोह उजरत हाज़ते अस्लिय्या से जाइद इस के पास हो या मुहाफ़िज़ आइन्दा लेने पर राज़ी हो और अगर वोह नक़्द मांगता है और इस के पास नहीं या है मगर हाज़ते अस्लिय्या से जाइद नहीं या है मगर वोह उजरत मिस्ल से बहुत ज़ियादा मांगता है तो अजीर करना ज़रूर नहीं, यूंही पढ़े। (इफ़ादाते रज़विय्या)

①..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، ج ٢، ص ١٣٥.

②..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: كرامات الأولياء ثابتة، ج ٢، ص ١٤١.

③..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: كرامات الأولياء ثابتة، ج ٢، ص ١٤٢.

④..... "غنية المتلمي"، فروع في شرح الطحاوي، ص ٢٢٥. ⑤..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: كرامات الأولياء ثابتة، ج ٢، ص ١٤٢.

मस्अला 57 कोई शख्स कैद में है और वोह लोग उसे इस्तिक्बाल से मानेअ हैं तो जैसे भी हो सके, नमाज़ पढ़ ले, फिर जब मौक़आ मिले वक़्त में या बाद तो उस नमाज़ का इअ़ादा करे।⁽¹⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 58 अगर किसी शख्स को किसी जगह क़िब्ले की शनाख़्त न हो, न कोई ऐसा मुसलमान है जो बता दे, न वहां मस्जिदें मेहराबें हैं, न चांद, सूरज, सितारे निकले हों या हों मगर उस को इतना इल्म नहीं कि उन से मालूम कर सके तो ऐसे के लिये हुक्म है कि तहरीर करे (सोचे जिधर क़िब्ला होना दिल पर जमे उधर ही मुंह करे), उस के हक़ में वोही क़िब्ला है।⁽²⁾ (आम्माए कुतुब)

मस्अला 59 तहरीर कर के नमाज़ पढ़ी, बाद को मालूम हुवा कि क़िब्ले की तरफ़ नमाज़ नहीं पढ़ी, हो गई, इअ़ादे की हाज़त नहीं।⁽³⁾ (تنوير الابصار وغيره)

मस्अला 60 ऐसा शख्स अगर बे तहरीर किसी तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़े, नमाज़ न हुई, अगर्चे वाक़ेअ में क़िब्ले ही की तरफ़ मुंह किया हो, हां अगर क़िब्ले की तरफ़ मुंह होना, बादे नमाज़ यकीन के साथ मालूम हुवा, हो गई और अगर बादे नमाज़ उस का जिहते क़िब्ला होना गुमान हो, यकीन न हो या अस्नाए नमाज़ में उसी का क़िब्ला होना मालूम हुवा, अगर्चे यकीन के साथ तो नमाज़ न हुई।⁽⁴⁾ (ردالمحتار, ردالمحتار)

मस्अला 61 अगर सोचा और दिल में किसी तरफ़ क़िब्ला होना साबित हुवा, मगर उस के ख़िलाफ़ दूसरी तरफ़ उस ने मुंह किया, नमाज़ न हुई, अगर्चे वाक़ेअ में वोही क़िब्ला था, जिधर मुंह किया, अगर्चे बाद को यकीन के साथ उसी का क़िब्ला होना मालूम हो।⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 62 अगर कोई जानने वाला मौजूद है, उस से दरयाफ़्त नहीं किया, खुद ग़ौर कर के किसी तरफ़ को पढ़ ली तो अगर क़िब्ले ही की तरफ़ मुंह था, हो गई, वरना नहीं।⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 63 जानने वाले से पूछा, उस ने नहीं बताया, इस ने तहरीर कर के नमाज़ पढ़ ली, अब बादे नमाज़ उस ने बताया, नमाज़ हो गई, इअ़ादे की हाज़त नहीं।⁽⁷⁾ (غني)

मस्अला 64 अगर मस्जिदें और मेहराबें वहां हैं, मगर उन का एतिबार न किया, बल्कि अपनी राय से एक तरफ़ को मुतवज्जेह हो लिया, या तारे वग़ैरा मौजूद हैं और उस को इल्म

1..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: كرامات الأولياء ثابتة، ج 2، ص 143.

2..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: مسائل التحري في القبلة، ج 2، ص 143.

3..... "تنوير الأبصار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 143، وغيره.

4..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: مسائل التحري في القبلة، ج 2، ص 147.

5..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 147. 6..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: مسائل التحري... إلخ، ج 2، ص 143.

7..... "منية المصلي"، مسائل تحري القبلة... إلخ، ص 192.

है कि उन के ज़रीए से मालूम कर ले और न किया बल्कि सोच कर पढ़ ली, दोनों सूरत में न हुई, अगर ख़िलाफ़े जिहत की तरफ़ पढ़ी।⁽¹⁾ (रुज़़्ज़)

मस्अला 65 — एक शख्स तहरी कर के (सोच कर) एक तरफ़ पढ़ रहा है तो दूसरे को उस का इत्तिबाअ जाइज़ नहीं, बल्कि उसे भी तहरी का हुक्म है, अगर उस का इत्तिबाअ किया, तहरी न की, उस की नमाज़ न हुई।⁽²⁾ (रुज़़्ज़)

मस्अला 66 — अगर तहरी कर के नमाज़ पढ़ रहा था और अस्नाए नमाज़ में अगर्चे सज्दए सहव में राय बदल गई या ग़लती मालूम हुई तो फ़र्ज़ है कि फ़ौरन घूम जाए और पहले जो पढ़ चुका है, उस में ख़राबी न आएगी, इसी तरह अगर चारों रकअतें चार जिहात में पढ़ीं, जाइज़ है और अगर फ़ौरन न फिरा यहां तक कि एक रुक्न यानी तीन बार سُبْحَانَ اللَّهِ कहने का वक़्फ़ा हुवा, नमाज़ न हुई।⁽³⁾ (रुज़़्ज़, रुज़़्ज़)

मस्अला 67 — नाबीना ग़ैरे क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा था, कोई बीना आया, उस ने उसे सीधा कर के उस की इक्तिदा की तो अगर वहां कोई शख्स ऐसा था, जिस से क़िब्ले का हाल नाबीना दरयाफ़्त कर सकता था, मगर न पूछा, दोनों की नमाज़ें न हुई और अगर कोई ऐसा न था तो नाबीना की हो गई और मुक्तदी की न हुई।⁽⁴⁾ (ख़ानि, हन्दी, ग़नी, रुज़़्ज़)

मस्अला 68 — तहरी कर के ग़ैरे क़िब्ले को नमाज़ पढ़ रहा था, बाद को उसे अपनी राय की ग़लती मालूम हुई और क़िब्ले की तरफ़ फिर गया तो जिस दूसरे शख्स को उस की पहली हालत मालूम हो, अगर येह भी उसी क़िस्म का है कि उस ने भी पहले वोही तहरी की थी और अब उस को भी ग़लती मालूम हुई तो उस की इक्तिदा कर सकता है, वरना नहीं।⁽⁵⁾ (रुज़़्ज़)

मस्अला 69 — अगर इमाम तहरी कर के ठीक जिहत में पहले ही से पढ़ रहा है तो अगर्चे मुक्तदी तहरी करने वालों में न हो, उस की इक्तिदा कर सकता है।⁽⁶⁾ (रुज़़्ज़)

मस्अला 70 — अगर इमाम व मुक्तदी एक ही जिहत को तहरी कर के नमाज़ पढ़ रहे थे और इमाम ने नमाज़ पूरी कर ली और सलाम फेर दिया अब मस्बूक⁽⁷⁾ व लाहिक⁽⁸⁾ की राय बदल गई तो मस्बूक घूम जाए और लाहिक सिरे से पढ़े।⁽⁹⁾ (रुज़़्ज़)

1..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: مسائل التحرى في القبلة، ج 2، ص 143.

2..... المرجع السابق. 3..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: مسائل التحرى في القبلة، ج 2، ص 143.

4..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: مسائل التحرى في القبلة، ج 2، ص 144.

5..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: مسائل التحرى في القبلة، ج 2، ص 144.

6..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 144.

7..... वोह कि इमाम की बाज़ रकअतें पढ़ने के बाद शामिल हुवा और आखिर तक शामिल रहा।

8..... वोह कि इमाम के साथ पहली रकअत में शरीक हुवा, मगर इक्तिदा के बाद उस की कुल रकअतें या बाज़ फौत हो गई, ख़्वाह उज़्र से या बिला उज़्र।

9..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 144.

मसआला 71

अगर पहले एक तरफ़ को राय हुई और नमाज़ शुरू की, फिर दूसरी तरफ़ को राय पल्टी, पलट गया फिर तीसरी या चौथी बार वोही राय हुई, जो पहली मरतबा थी तो उसी तरफ़ फिर जाए, सिरे से पढ़ने की हाजत नहीं।⁽¹⁾ (रुद्र)

मसआला 72

तहरी कर के एक रकअत पढ़ी, दूसरी में राय बदल गई, अब याद आया कि पहली रकअत का एक सज्दा रह गया था तो सिरे से नमाज़ पढ़े।⁽²⁾ (रुद्र)

मसआला 73

अंधेरी रात है, चन्द शख्सों ने जमाअत से तहरी कर के मुख़ालिफ़ ज़िहतों में नमाज़ पढ़ी, मगर अस्नाए नमाज़ में येह मालूम न हुवा कि उस की ज़िहत इमाम की ज़िहत के ख़िलाफ़ है, न मुक़तदी इमाम से आगे है, नमाज़ हो गई और अगर बादे नमाज़ मालूम हुवा कि इमाम के ख़िलाफ़ उस की ज़िहत थी, कुछ हरज नहीं और अगर इमाम के आगे होना मालूम हुवा नमाज़ में या बाद को तो नमाज़ न हुई।⁽³⁾ (रुद्र, रुद्राकर)

मसआला 74

मुसल्ली ने क़िब्ले से बिला उज़्र क़स्दन सीना फेर दिया, अगर्चे फ़ौरन ही क़िब्ले की तरफ़ हो गया, नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर बिला क़स्द फिर गया और ब क़दरे तीन तस्बीह के वक़फ़ा न हुवा तो हो गई।⁽⁴⁾ (मनिये, मर)

मसआला 75

अगर सिर्फ़ मुंह क़िब्ले से फेरा तो उस पर वाजिब है कि फ़ौरन क़िब्ले की तरफ़ कर ले और नमाज़ न जाएगी, मगर बिला उज़्र मकरूह है।⁽⁵⁾ (मनिये, मर)

चौथी शर्त, वक़्त है : इस के मसाइल ऊपर मुस्तक़िल बाब में बयान हुए।

पांचवीं शर्त, निय्यत है :

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾⁽⁶⁾

उन्हें तो येही हुक्म हुवा कि अल्लाह ही की इबादत करें, उसी के लिये दीन को ख़ालिस रखते हुए।

हुज़ूरे अक्दस صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم फ़रमाते हैं :

1..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 146.

2..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 146.

3..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: اذا ذكر في مسألة ثلاثة اقوال... إلخ، ج 2، ص 147.

4..... "منية المصلي"، مسائل التحرى القبلة... إلخ، ص 193.

و "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 1، ص 497.

5..... المرجع السابق. 6..... پ 3، البيضة: 5.

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَى))⁽¹⁾

“आमाल का मदार नियत पर है और हर शख्स के लिये वोह है, जो उस ने नियत की।”

इस हदीस को बुखारी व मुस्लिम और दीगर मुहद्दिसीन ने अमीरुल मुअमिनीन उमर बिन खत्ताब رضي الله تعالى عنه से रिवायत किया।

मस्अला 76 - नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं, महज जानना नियत नहीं, ता वक्त येह कि इरादा न हो।⁽²⁾ (تنوير الأبصار)

मस्अला 77 - नियत में ज़बान का एतिबार नहीं, यानी अगर दिल में मसलन ज़ोहर का क़स्द किया और ज़बान से लफ़्ज़े अस् निकला, ज़ोहर की नमाज़ हो गई।⁽³⁾ (درمختار، رد المحتار)

मस्अला 78 - नियत का अदना दरजा येह है कि अगर उस वक्त कोई पूछे, कौन सी नमाज़ पढ़ता है ? तो फ़ौरन बिला तअम्मुल बता दे, अगर हालत ऐसी है कि सोच कर बताएगा तो नमाज़ न होगी।⁽⁴⁾ (درمختار)

मस्अला 79 - ज़बान से कह लेना मुस्तहब है और इस में कुछ अरबी की तख़सीस नहीं, फ़ारसी वगैरा में भी हो सकती है और तलफ़ुज़ में माज़ी का सीगा हो, मसलन **نَوَيْتُ** या नियत की मैं ने।⁽⁵⁾ (درمختار)

मस्अला 80 - अहवत येह है कि **अल्लाहु अक्बर** कहते वक्त नियत हाज़िर हो।⁽⁶⁾ (منية)

मस्अला 81 - तक्बीर से पहले नियत की और शुरूए नमाज़ और नियत के दरमियान कोई अग्रे अजनबी, मसलन खाना, पीना, कलाम वगैरा वोह उमूर जो नमाज़ से ग़ैर मुतअल्लिक हैं, फ़ासिल न हों नमाज़ हो जाएगी, अगर्चे तहरीमा के वक्त नियत हाज़िर न हो।⁽⁷⁾ (درمختار)

मस्अला 82 - वुजू से पेशतर नियत की तो वुजू करना फ़ासिले अजनबी नहीं, नमाज़ हो जाएगी। यूंही वुजू के बाद नियत की इस के बाद नमाज़ के लिये चलना पाया गया, नमाज़ हो जाएगी और येह चलना फ़ासिले अजनबी नहीं।⁽⁸⁾ (غنية)

1..... “صحيح البخاري”، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم... إلخ، الحديث: 1، ج 1، ص 5.

2..... “تنوير الأبصار”، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 111.

3..... “الدر المختار” و “رد المحتار”، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، بحث النية، ج 2، ص 112.

4..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 113.

5..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 113.

6..... “منية المصلي”، استحباب ان ينوي بقبله ويتكلم باللسان، ص 232.

7..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 114.

8..... “غنية المتملي”، الشرط السادس النية، ص 255.

मस्अला 83 अगर शुरूअ के बाद निय्यत पाई गई, उस का एतिबार नहीं, यहां तक कि अगर तक्बीर तहरीमा में अल्लाह कहने के बाद अक्बर से पहले निय्यत की, नमाज़ न होगी।^(१) (درمختار، رد المحتار)

मस्अला 84 असहूह येह है कि नफ़ल व सुन्नत व तरावीह में मुत्लक नमाज़ की निय्यत काफ़ी है, मगर एहतियात येह है कि तरावीह में तरावीह या सुन्नते वक़्त या क़ियामुल्लैल की निय्यत करे और बाक़ी सुन्नतों में सुन्नत या नबी صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم की मुताबअत^(२) की निय्यत करे, इस लिये कि बाज़ मशाइख़ इन में मुत्लक निय्यत को नाकाफ़ी क़रार देते हैं।^(३) (मी)

मस्अला 85 नफ़ल नमाज़ के लिये मुत्लक नमाज़ की निय्यत काफ़ी है, अगर्चे नफ़ल निय्यत में न हो।^(४) (درمختار)

मस्अला 86 फ़र्ज़ नमाज़ में निय्यते फ़र्ज़ भी ज़रूर है, मुत्लक नमाज़ या नफ़ल वगैरा की निय्यत काफ़ी नहीं, अगर फ़र्ज़ियत जानता ही न हो, मसलन पांचों वक़्त नमाज़ पढ़ता है, मगर इन की फ़र्ज़ियत इल्म में नहीं, नमाज़ न होगी और उस पर इन तमाम नमाज़ों की क़ज़ा फ़र्ज़ है, मगर जब इमाम के पीछे हो और येह निय्यत करे कि इमाम जो नमाज़ पढ़ता है, वोही मैं भी पढ़ता हूं तो येह नमाज़ हो जाएगी और अगर जानता हो मगर फ़र्ज़ को ग़ैरे फ़र्ज़ से मुतमय्यिज़ न किया तो दो सूरतें हैं : अगर सब में फ़र्ज़ ही की निय्यत करता है तो नमाज़ हो जाएगी, मगर जिन फ़र्ज़ों से पेशतर सुन्नतें हैं, अगर सुन्नतें पढ़ चुका है तो इमामत नहीं कर सकता कि सुन्नतें ब निय्यते फ़र्ज़ पढ़ने से उस का फ़र्ज़ साक़ित हो चुका, मसलन ज़ोहर के पेशतर चार रकअत सुन्नतें ब निय्यते फ़र्ज़ पढ़ीं तो अब फ़र्ज़ नमाज़ में इमामत नहीं कर सकता कि येह फ़र्ज़ पढ़ चुका, दूसरी सूरत येह कि निय्यते फ़र्ज़ किसी में न की तो नमाज़े फ़र्ज़ अदा न हुई।^(५) (درمختار، رد المحتار)

मस्अला 87 फ़र्ज़ में येह भी ज़रूर है कि उस ख़ास नमाज़ मसलन ज़ोहर या अस्र की निय्यत करे या मसलन आज के ज़ोहर या फ़र्जे वक़्त की निय्यत वक़्त में करे, मगर जुमुआ में फ़र्जे वक़्त की निय्यत काफ़ी नहीं, खुसूसिय्यते जुमुआ की निय्यत ज़रूरी है।^(६) (تنوير الابصار)

मस्अला 88 अगर वक़ते नमाज़ ख़त्म हो चुका और उस ने फ़र्जे वक़्त की निय्यत की तो फ़र्ज़ न हुए ख़्वाह वक़्त का जाता रहना उस के इल्म में हो या नहीं।^(७) (رد المحتار)

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، ج ٢، ص ١١٦.

②..... यानी पैरवी ।

③..... "منية المصلي"، الشرط السادس النية، ص ٢٢٥.

④..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، ج ٢، ص ١١٦.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، ج ٢، ص ١١٧.

⑥..... "تنوير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١١٧، ١٢٣.

⑦..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، ج ٢، ص ١٢٣.

मसाला 89 — नमाज़े फ़र्ज़ में येह नियत कि आज के फ़र्ज़ पढ़ता हूँ काफ़ी नहीं, जब कि किसी नमाज़ को मुअय्यन न किया, मसलन आज की ज़ोहर या आज की इशा।⁽¹⁾ (रुज़़र)

मसाला 90 — औला येह है कि येह नियत करे आज की फुलां नमाज़ कि अगर्चे वक़्त ख़ारिज हो गया हो, नमाज़ हो जाएगी, खुसूसन उस के लिये जिसे वक़्त ख़ारिज होने में शक हो।⁽²⁾ (रुज़़र, रुज़़र)

मसाला 91 — अगर किसी ने उस दिन को दूसरा दिन गुमान कर लिया, मसलन वोह दिन पीर का है और उस ने उसे मंगल समझ कर मंगल की ज़ोहर की नियत की, बाद को मालूम हुवा कि पीर था, नमाज़ हो जाएगी।⁽³⁾ (यानी जब कि आज का दिन नियत में हो कि इस तायीन के बाद पीर या मंगल की तख़सीस बेकार है और इस में ग़लती मुज़िर नहीं, हां अगर सिर्फ़ दिन के नाम ही से नियत की और आज के दिन का क़स्द न किया, मसलन मंगल की ज़ोहर पढ़ता हूँ तो नमाज़ न होगी अगर्चे वोह दिन मंगल ही का हो कि मंगल बहुत हैं। (इफ़ादाते रज़विय्या)

मसाला 92 — नियत में तादादे रकअत की ज़रूरत नहीं अलबत्ता अफ़ज़ल है तो अगर तादादे रकअत में ख़ता वाक़ेअ हुई मसलन तीन रकअतें ज़ोहर या चार रकअतें मग़रिब की नियत की तो नमाज़ हो जाएगी।⁽⁴⁾ (रुज़़र, रुज़़र)

मसाला 93 — फ़र्ज़ क़ज़ा हो गए हों तो उन में तायीने यौम और तायीने नमाज़ ज़रूरी है, मसलन फुलां दिन की फुलां नमाज़ मुत्लक़न ज़ोहर वग़ैरा या मुत्लक़न नमाज़े क़ज़ा नियत में होना काफ़ी नहीं।⁽⁵⁾ (रुज़़र)

मसाला 94 — अगर उस के ज़िम्मे एक ही नमाज़ क़ज़ा हो तो दिन मुअय्यन करने की हाज़त नहीं, मसलन मेरे ज़िम्मे जो फुलां नमाज़ है, काफ़ी है।⁽⁶⁾ (रुज़़र)

मसाला 95 — अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सी नमाज़ें हैं और दिन तारीख़ भी याद न हो तो उस के लिये आसान तरीक़ा नियत का येह है कि सब में पहली या सब में पिछली फुलां नमाज़ जो मेरे ज़िम्मे है।⁽⁷⁾ (रुज़़र)

1..... "ردالمختار"، كتاب الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، ج ٢، ص ١٢٣.

2..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٢٣.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٦٦.

3..... "غنية المتعلمي"، الشرط السادس النية، ص ٢٥٣.

4..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، ج ٢، ص ١٢٠.

5..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١١٩.

6..... "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، ج ٢، ص ١١٩.

7..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١١٩.

मस्अला 96

किसी के ज़िम्मे इतवार की नमाज़ थी, मगर उस को गुमान हुआ कि हफ़्ते की है और उस की निय्यत से नमाज़ पढ़ी, बाद को मालूम हुआ कि इतवार की थी, अदा न हुई।⁽¹⁾ (غنية)

मस्अला 97

क़ज़ा या अदा की निय्यत की कुछ हाज़त नहीं, अगर क़ज़ा ब निय्यते अदा पढ़ी या अदा ब निय्यते क़ज़ा तो नमाज़ हो गई, यानी मसलन वक़्ते ज़ोहर बाक़ी है और इस ने गुमान किया कि जाता रहा और उस दिन की नमाज़ ज़ोहर ब निय्यते क़ज़ा पढ़ी या वक़्त जाता रहा और इस ने गुमान किया कि बाक़ी है और ब निय्यते अदा पढ़ी हो गई और अगर यूं न किया, बल्कि वक़्त बाक़ी है और इस ने ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ी, मगर उस दिन के ज़ोहर की निय्यत न की तो न हुई, यूँही इस के ज़िम्मे किसी दिन की नमाज़ ज़ोहर थी और ब निय्यते अदा पढ़ी न हुई।⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 98

मुक़्तदी को इक़्तिदा की निय्यत भी ज़रूरी है और इमाम को निय्यते इमामत मुक़्तदी की नमाज़ सहीह होने के लिये ज़रूरी नहीं, यहां तक कि अगर इमाम ने येह क़स्द कर लिया कि फुलां का इमाम नहीं हूँ और उस ने इस की इक़्तिदा की नमाज़ हो गई, मगर इमाम ने इमामत की निय्यत न की तो सवाबे जमाअत न पाएगा और सवाबे जमाअत हासिल होने के लिये मुक़्तदी की शिर्कत से पेशतर निय्यत कर लेना ज़रूरी नहीं, बल्कि वक़्ते शिर्कत भी निय्यत कर सकता है।⁽³⁾ (عالمگیری، درمختار)

मस्अला 99

एक सूरत में इमाम को निय्यते इमामत बिल इत्तिफ़ाक़ ज़रूरी है कि मुक़्तदी औरत हो और वोह किसी मर्द के महाज़ी खड़ी हो जाए और वोह नमाज़, नमाज़े जनाज़ा न हो तो इस सूरत में अगर इमाम ने इमामते ज़नां⁽⁴⁾ की निय्यत न की तो उस औरत की नमाज़ न हुई।⁽⁵⁾ (ردالمحتار) और इमाम की येह निय्यत शुरू नमाज़ के वक़्त दरकार है, बाद को अगर निय्यत कर भी ले, सिंहहते इक़्तिदाए ज़न के लिये काफ़ी नहीं।⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 100

जनाज़े में तो मुत्लक़न ख़्वाह मर्द के महाज़ी हो या न हो, इमामते ज़नां की निय्यत बिल इज्माअ ज़रूरी नहीं और असहूह येह है कि जुमुआ व ईदैन में भी हाज़त नहीं, बाक़ी नमाज़ों में अगर महाज़ी मर्द के न हुई तो औरत की नमाज़ हो जाएगी, अगरचें इमाम ने

1..... "غنية المتملي"، الشرط السادس النية، ص 204.

2..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: يصح القضاء بنية الأداء وعكسه، ج 2، ص 125.

3..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 121.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج 1، ص 66.

4..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 128. 5..... यानी औरतों की इमामत।

6..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: مضى عليه سنوات... إلخ، ج 2، ص 129.

इमामते ज़ना की निय्यत न की हो।⁽¹⁾ (درمذاری)

मस्अला 101 - मुक्तदी ने अगर सिर्फ़ नमाज़े इमाम या फ़र्जे इमाम की निय्यत की और इक्तिदा का क़स्द न किया, नमाज़ न हुई।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्अला 102 - मुक्तदी ने ब निय्यते इक्तिदा येह निय्यत की, कि जो नमाज़ इमाम की वोही नमाज़ मेरी तो जाइज़ है।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस्अला 103 - मुक्तदी ने येह निय्यत की, कि वोह नमाज़ शुरू करता हूँ जो इस इमाम की नमाज़ है, अगर इमाम नमाज़ शुरू कर चुका है, जब तो ज़ाहिर कि इस निय्यत से इक्तिदा सहीह है और अगर इमाम ने अब तक नमाज़ शुरू न की तो दो सूरतें हैं, अगर मुक्तदी के इल्म में हो कि इमाम ने अभी नमाज़ शुरू न की तो बादे शुरू वोही पहली निय्यत काफ़ी है और अगर उस के गुमान में है कि शुरू कर ली और वाक़ेअ में शुरू न की हो तो वोह निय्यत काफ़ी नहीं।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

मस्अला 104 - मुक्तदी ने निय्यते इक्तिदा की, मगर फ़र्जों में तायीने फ़र्ज न की तो फ़र्ज अदा न हुवा।⁽⁵⁾ (غزالی) यानी जब तक येह निय्यत न हो कि नमाज़े इमाम में इस का मुक्तदी होता हूँ।

मस्अला 105 - जुमुआ में ब निय्यते इक्तिदा नमाज़े इमाम की निय्यत की जोहर या जुमुआ की निय्यत न की, नमाज़ हो गई, ख़्वाह इमाम ने जुमुआ पढ़ा हो या जोहर और अगर ब निय्यते इक्तिदा जोहर की निय्यत की और इमाम की नमाज़ जुमुआ थी तो न जुमुआ हुवा, न जोहर।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

मस्अला 106 - मुक्तदी ने इमाम को क़ादे में पाया और येह मालूम न हो कि क़ादए ऊला है या अख़ीरा और इस निय्यत से इक्तिदा की, कि अगर येह क़ादए ऊला है तो मैं ने इक्तिदा की वरना नहीं तो अगर्चे क़ादए ऊला हो इक्तिदा सहीह न हुई और अगर बई निय्यत इक्तिदा की, कि क़ादए ऊला है तो मैं ने फ़र्ज में इक्तिदा की, वरना नफ़ल में तो इस इक्तिदा से फ़र्ज अदा न होगा, अगर्चे क़ादए ऊला हो।⁽⁷⁾ (عالمگیری)

मस्अला 107 - यूंही अगर इमाम को नमाज़ में पाया और येह नहीं मालूम कि इशा पढ़ता या तरावीह और यूं इक्तिदा की, कि अगर फ़र्ज है तो इक्तिदा की, तरावीह है तो नहीं तो इशा हो ख़्वाह तरावीह इक्तिदा सहीह न हुई।⁽⁸⁾ (عالمگیری)

① "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٢٩.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٦٦.

③ المرجع السابق، ص ٦٧. ④ المرجع السابق، ص ٦٦. ⑤ غنية المتملي، الشرط السادس النية، ص ٢٥١.

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٦٦. ⑦ المرجع السابق، ص ٦٧.

⑧ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٦٧.

इस को येह चाहिये कि फ़र्ज़ की निय्यत करे कि अगर फ़र्ज़ की जमाअत थी तो फ़र्ज़, वरना नफ़ल हो जाएंगे।⁽¹⁾ (रुज़)

मस्अला 108— इमाम जिस वक़्त जाए इमामत पर गया, उस वक़्त मुक़्तदी ने निय्यते इक्तिदा कर ली, अगरचे ब वक़ते तकबीर निय्यत हाज़िर न हो, इक्तिदा सहीह है, बशर्ते कि इस दरमियान में कोई अमल मुनाफ़िये नमाज़ न पाया गया हो।⁽²⁾ (ग़नी)

मस्अला 109— निय्यते इक्तिदा में येह इल्म ज़रूर नहीं कि इमाम कौन है? ज़ैद है या अम्र और अगर येह निय्यत की, कि इस इमाम के पीछे और इस के इल्म में वोह ज़ैद है, बाद को मालूम हुवा कि अम्र है इक्तिदा सहीह है और अगर उस शख्स की निय्यत न की, बल्कि येह कि ज़ैद की इक्तिदा करता हूं, बाद को मालूम हुवा कि अम्र है तो सहीह नहीं।⁽³⁾ (ग़नी, ग़नी)

मस्अला 110— जमाअत कसीर हो तो मुक़्तदी को चाहिये कि निय्यते इक्तिदा में इमाम की तायीन न करे, यूंही जनाजे में येह निय्यत न करे कि फुलां मय्यित की नमाज़।⁽⁴⁾ (ग़नी)

मस्अला 111— नमाजे जनाज़ा की येह निय्यत है, नमाज़ अल्लाह के लिये और दुआ इस मय्यित के लिये।⁽⁵⁾ (रुज़)

मस्अला 112— मुक़्तदी को शुब्हा हो कि मय्यित मर्द है या औरत तो येह कह ले कि इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता हूं जिस पर इमाम नमाज़ पढ़ता है।⁽⁶⁾ (रुज़)

मस्अला 113— अगर मर्द की निय्यत की, बाद को औरत होना मालूम हुवा या बिल अक्स, जाइज़ न हुई, बशर्ते कि जनाजे हाज़िरा की तरफ़ इशारा न हो, यूंही अगर ज़ैद की निय्यत की बाद को उस का अम्र होना मालूम हुवा सहीह नहीं और अगर यूं निय्यत की, कि इस जनाजे की और इस के इल्म में वोह ज़ैद है बाद को मालूम हुवा कि अम्र है तो हो गई।⁽⁷⁾ (रुज़, रुज़) यूंही अगर इस के इल्म में वोह मर्द है, बाद को औरत होना मालूम हुवा या बिल अक्स तो नमाज़ हो जाएगी, जब कि इस मय्यित पर नमाज़ निय्यत में है।⁽⁸⁾ (रुज़)

मस्अला 114— चन्द जनाजे एक साथ पढ़े तो उन की तादाद मालूम होना ज़रूरी नहीं और अगर इस ने तादाद मुअय्यन कर ली और उस से ज़ाइद थे तो किसी जनाजे

①..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٥٣. ②..... "غنية المتعملي"، الشرط السادس البنية، ص ٢٥٢.

③..... المرجع السابق، و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٦٧.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٦٧.

⑤..... "تنوير الأبصار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٢٦.

⑥..... "تنوير الأبصار" و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٢٧.

⑦..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: مضى عليه سنوات... إلخ، ج ٢، ص ١٢٧.

⑧..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: مضى عليه سنوات... إلخ، ج ٢، ص ١٢٧.

की न हुई।⁽¹⁾ (रुज़) यानी जब कि निय्यत में इशारा न हो, सिर्फ़ इतना हो कि दस⁽¹⁰⁾ मय्यितों की नमाज़ और वोह थे ग्यारह⁽¹¹⁾ तो किसी पर न हुई और अगर निय्यत में इशारा था, मसलन इन दस⁽¹⁰⁾ मय्यितों पर नमाज़ और वोह हों बीस⁽²⁰⁾ तो सब की हो गई, येह अहकाम इमामे नमाज़े जनाज़ा के हैं और मुक्तादी के भी, अगर इस ने येह निय्यत न की हो कि जिन पर इमाम पढ़ता है, उन के जनाज़े की नमाज़ कि इस सूरत में अगर इस ने उन को दस⁽¹⁰⁾ समझा और वोह हैं ज़ियादा तो इस की नमाज़ भी सब पर हो जाएगी।⁽²⁾ (रुज़)

मस्अला 115 - नमाज़े वाजिब में वाजिब की निय्यत करे और उसे मुअय्यन भी करे, मसलन नमाज़े ईदुल फ़ित्र, ईदे अज़्हा, नज़्र, नमाज़े बादे तवाफ़ या नफ़ल, जिस को क़स्दन फ़ासिद किया हो कि उस की क़ज़ा भी वाजिब हो जाती है, यूंही सज्दए तिलावत में निय्यते तायीन ज़रूर है, मगर जब कि नमाज़ में फ़ौरन किया जाए और सज्दए शुक्र अगर्चे नफ़ल है मगर उस में भी निय्यते तायीन दरकार है यानी येह निय्यत कि शुक्र का सज्दा करता हूं और सज्दए सहव को दुरे मुख़्तार में लिखा कि इस में निय्यते तायीन ज़रूरी नहीं, मगर “नह्रुल फ़ाइक” में ज़रूरी समझी और येही ज़ाहिर तर है।⁽³⁾ (रुज़) और नज़्रें मुतअदद हों तो उन में भी हर एक की अलग तायीन दरकार है और वित्र में फ़क़त वित्र की निय्यत काफ़ी है, अगर्चे उस के साथ निय्यते वुजूब न हो, हां निय्यते वाजिब औला है, अलबत्ता अगर निय्यते अदमे वुजूब है तो काफ़ी नहीं।⁽⁴⁾ (रुज़, रुज़, रुज़)

मस्अला 116 - येह निय्यत कि मुंह मेरा क़िब्ले की तरफ़ है शर्त नहीं। हां येह ज़रूर है कि क़िब्ले से एराज़ की निय्यत न हो।⁽⁵⁾ (रुज़, रुज़, रुज़)

मस्अला 117 - नमाज़ ब निय्यते फ़र्ज शुरूअ की फिर दरमियाने नमाज़ में येह गुमान किया कि नफ़ल है और ब निय्यते नफ़ल नमाज़ पूरी की तो फ़र्ज अदा हुए और अगर ब निय्यते नफ़ल शुरूअ की और दरमियान में फ़र्ज का गुमान किया और इसी गुमान के साथ पूरी की तो नफ़ल हुई।⁽⁶⁾ (एंग्लिरी)

मस्अला 118 - एक नमाज़ शुरूअ करने के बाद दूसरी की निय्यत की तो अगर तक्बीरे जदीद के साथ है तो पहली जाती रही और दूसरी शुरूअ हो गई, वरना वोही पहली है, ख़्वाह दोनों फ़र्ज हों या पहली फ़र्ज दूसरी नफ़ल या पहली नफ़ल दूसरी फ़र्ज।⁽⁷⁾ (एंग्लिरी, ग़निये)

1..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٢٧.

2..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: مضى عليه سنوات وهو يصلي... إلخ، ج ٢، ص ١٢٧.

3..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، ج ٢، ص ١١٩.

4..... "الدرا المختار" و "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، ج ٢، ص ١٢٠.

5..... "الدرا المختار" و "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: مضى عليه سنوات... إلخ، ج ٢، ص ١٢٩.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٦٦.

7..... المرجع السابق، و "غنية المتملي"، الشرط السادس النية، ص ٢٤٩.

येह उस वक़्त में है कि दोबारा निय्यत ज़बान से न करे, वरना पहली बहर हाल जाती रही।⁽¹⁾ (हंदी)

मस्अला 119 — जोहर की एक रकअत के बाद फिर ब निय्यत इसी जोहर के तकबीर कही तो येह वोही नमाज़ है और पहली रकअत भी शुमार होगी, लिहाज़ा अगर कादए अखीरा किया तो हो गई वरना नहीं, हां अगर ज़बान से भी निय्यत का लफ़्ज़ कहा तो पहली नमाज़ जाती रही और वोह रकअत शुमार में नहीं।⁽²⁾ (माल्गीरी, غنية)

मस्अला 120 — अगर दिल में नमाज़ तोड़ने की निय्यत की, मगर ज़बान से कुछ न कहा तो वोह ब दस्तूर नमाज़ में है।⁽³⁾ (दरअल) जब तक कोई फ़ैल कातेए नमाज़ न करे।

मस्अला 121 — दो नमाज़ों की एक साथ निय्यत की इस में चन्द सूरतें हैं : (1) इन में एक फ़र्जे ऐन है, दूसरी जनाज़ा तो फ़र्ज की निय्यत हुई, (2) और दोनों फ़र्जे ऐन हैं तो एक अगर वक़ती है और दूसरी का वक़्त नहीं आया तो वक़ती हुई, (3) और एक वक़ती है, दूसरी क़ज़ा और वक़्त में वुस्अत नहीं जब भी वक़ती हुई, (4) और वक़्त में वुस्अत है तो कोई न हुई और (5) दोनों क़ज़ा हों तो साहिबे तरतीब के लिये पहली हुई और (6) साहिबे तरतीब नहीं तो दोनों बातिल और एक (7) फ़र्ज, दूसरी नफ़ल तो फ़र्ज हुए, (8) और दोनों नफ़ल हैं तो दोनों हुई, (9) और एक नफ़ल, दूसरी नमाज़े जनाज़ा तो नफ़ल की निय्यत रही।⁽⁴⁾ (दरअल, रवाअल)

मस्अला 122 — नमाज़ ख़ालिसन लिल्लाह शुरूअ की, फिर معاذलله रिया की आमेज़िश हो गई तो शुरूअ का एतिबार किया जाएगा।⁽⁵⁾ (दरअल, माल्गीरी)

मस्अला 123 — पूरा रिया येह है कि लोगों के सामने है, इस वजह से पढ़ ली वरना पढ़ता ही नहीं और अगर येह सूरत है कि तन्हाई में पढ़ता तो, मगर अच्छी न पढ़ता और लोगों के सामने ख़ूबी के साथ पढ़ता है तो उस को अस्ल नमाज़ का सवाब मिलेगा और उस ख़ूबी का सवाब नहीं।⁽⁶⁾ (दरअल, माल्गीरी) और रिया का इस्तिह्काके अज़ाब बहर हाल है।

मस्अला 124 — नमाज़ खुलूस के साथ पढ़ रहा था, लोगों को देख कर येह ख़याल हुआ कि रिया की मुदाख़लत हो जाएगी या शुरूअ करना चाहता था कि रिया की मुदाख़लत का अन्देशा हुआ तो,

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج 1، ص 66.

2..... المرجع السابق، و "غنية المتملّي"، الشرط السادس النية، ص 250. 3..... "الدرا المختار"،

4..... "غنية المتملّي"، الشرط السادس النية، ص 250.

و "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: فروع في النية، ج 2، ص 103.

5..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 2، ص 101.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع، ج 1، ص 67. 6..... المرجع السابق.

इस की वजह से तर्क न करे, नमाज़ पढ़े और इस्तिफ़ार कर ले।⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

छटी शर्त, तक्बीरे तहरीमा है :

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾⁽²⁾ अपने रब का नाम ले कर नमाज़ पढ़ी।

और अहादीस इस बारे में बहुत हैं कि हुज़ूरे अक़दस صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم अल्लाहु

अक़बर से नमाज़ शुरूअ फ़रमाते।

मस्अला 125 (درمختار) नमाज़े जनाज़ा में तक्बीरे तहरीमा रुकन है। बाकी नमाज़ों में शर्त।⁽³⁾

मस्अला 126 ग़ैरे नमाज़े जनाज़ा में अगर कोई नजासत लिये हुए तहरीमा बांधे और अल्लाहु अक़बर ख़त्म करने से पेशतर⁽⁴⁾ फेंक दे, नमाज़ मुन्अकिद हो जाएगी। यूँही बर वक़्ते इब्तिदाए तहरीमा सत्र खुला हुवा था या क़िब्ले से मुन्हरिफ़⁽⁵⁾ था या आफ़ताब ख़त्ते निस्फुन्नहार पर था और तक्बीर से फ़ारिग़ होने से पहले अमले क़लील के साथ सत्र छुपा लिया या क़िब्ले को मुंह कर लिया या निस्फुन्नहार से आफ़ताब ढल गया, नमाज़ मुन्अकिद हो जाएगी। यूँही مَعَادُ اللّٰهِ बे वुजू शख़्स दरिया में गिर पड़ा और आज़ाए वुजू पर पानी बहने से पेशतर तक्बीरे तहरीमा शुरूअ की, मगर ख़त्म से पहले आज़ा धुल गए, नमाज़ मुन्अकिद हो गई।⁽⁶⁾ (درمختار)

मस्अला 127 फ़र्ज की तहरीमा पर नफ़ल नमाज़ की बिना कर सकता है, मसलन इशा की चारों रकअतें पूरी कर के बे सलाम फेरे सुन्नतों के लिये खड़ा हो गया, लेकिन क़स्दन ऐसा करना मकरूह व मन्अ है और क़स्दन न हो तो हरज नहीं, मसलन जोहर की चार रकअत पढ़ कर कादए अख़ीरा कर चुका था, अब ख़याल हुवा कि दो ही पढ़ीं उठ खड़ा हुवा और पांचवीं रकअत का सज्दा भी कर लिया, अब मालूम हुवा कि चार हो चुकी थीं तो येह रकअत नफ़ल हुई, अब एक और पढ़ ले कि दो रकअतें हो जाएं तो येह बिना ब क़स्द न हुई, लिहाज़ा इस में कोई कराहत नहीं।⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 128 एक नफ़ल पर दूसरी नफ़ल की बिना कर सकता है और एक फ़र्ज की दूसरे फ़र्ज या नफ़ल पर बिना नहीं हो सकती।⁽⁸⁾ (درمختار)

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: فروع في النية، ج ٢، ص ١٠١.

② پ ٣٠، الاعلى: ١٥. ③ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٥٨.

④ पहले। ⑤ यानी फिरा हुवा।

⑥ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، بحث القيام، ج ٢، ص ١٦٢.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب: قد يطلق الفرض... إلخ، ج ٢، ص ١٥٩.

⑧ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٥٩.

नमाज़ पढ़ने का तरीका

हदीस 1 — बुखारी व मुस्लिम अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि एक शख्स मस्जिद में हाज़िर हुए और **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ मस्जिद की एक जानिब में तशरीफ़ फ़रमा थे। उन्होंने ने नमाज़ पढ़ी, फिर ख़िदमते अक़दस में हाज़िर हो कर सलाम अर्ज किया, फ़रमाया : **وَعَلَيْكَ السَّلَام**, जाओ नमाज़ पढ़ो कि तुम्हारी नमाज़ न हुई, वोह गए और नमाज़ पढ़ी फिर हाज़िर हो कर सलाम अर्ज किया, फ़रमाया : **وَعَلَيْكَ السَّلَام**, जाओ नमाज़ पढ़ो कि तुम्हारी नमाज़ न हुई, तीसरी बार या इस के बाद अर्ज की : **يَا رَسُولُ اللَّهِ** (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) मुझे तालीम फ़रमाइये, इरशाद फ़रमाया : “जब नमाज़ को खड़े होना चाहो तो कामिल वुजू करो, फिर क़िब्ले की तरफ़ मुंह कर के **अल्लाहु अक्बर** कहो फिर कुरआन पढ़ो जितना मुयस्सर आए फिर रुकूअ़ करो यहां तक कि रुकूअ़ में तुम्हें इत्मीनान हो, फिर उठो यहां तक कि सीधे खड़े हो जाओ फिर सज्दा करो यहां तक कि सज्दे में इत्मीनान हो जाए, फिर उठो यहां तक कि बैठने में इत्मीनान हो फिर सज्दा करो यहां तक कि सज्दे में इत्मीनान हो जाए फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ, फिर इसी तरह पूरी नमाज़ में करो।”⁽¹⁾

हदीस 2 — सहीह मुस्लिम शरीफ़ में उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से मरवी कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **अल्लाहु अक्बर** से नमाज़ शुरूअ़ करते और **﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾** से क़िराअत और जब रुकूअ़ करते सर को न उठाए होते न झुकाए बल्कि मुतवस्सित हालत में रखते और जब रुकूअ़ से सर उठाते तो सज्दे को न जाते ता वक्ते कि सीधे खड़े न हो लें और सज्दे से उठ कर सज्दा न करते ता वक्ते कि सीधे न बैठ लें और हर दो रकअ़त पर अत्तहिय्यात पढ़ते और बायां पाउं बिछाते और दहना खड़ा रखते और शैतान की तरह बैठने से मन्अ़ फ़रमाते और दरिन्दों की तरह कलाइयां बिछाने से मन्अ़ फ़रमाते (यानी सज्दे में मर्दों को) और सलाम के साथ नमाज़ ख़त्म करते।⁽²⁾

हदीस 3 — सहीह बुखारी शरीफ़ में सहल बिन सअूद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि लोगों को हुक्म किया जाता कि नमाज़ में मर्द दाहना हाथ बाई कलाई पर रखे।⁽³⁾

हदीस 4 — इमाम अहमद अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने हम को नमाज़ पढ़ाई और पिछली सफ़ में एक शख्स था, जिस ने नमाज़ में कुछ कमी की,

1..... “صحیح مسلم”، کتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة... إلخ، الحديث: ४०- (३९७)- ४६- (३९८)، ص २१०.

2..... “صحیح مسلم”، کتاب الصلاة، باب ما یجمع صفة الصلاة... إلخ، الحديث: ४९८، ص २५०.

3..... “صحیح البخاری”، کتاب الأذان، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاة، الحديث: १٧٤٠، ج ١، ص ٢٦٢.

जब सलाम फेरा तो उसे पुकारा, ऐ फुलां ! “तू अल्लाह से नहीं डरता, क्या तू नहीं देखता कि कैसे नमाज़ पढ़ता है ? तुम येह गुमान करते होगे कि जो तुम करते हो, उस में से कुछ मुझ पर पोशीदा रह जाता होगा । खुदा की क़सम ! “मैं पीछे से वैसा ही देखता हूं जैसा सामने से ।”⁽¹⁾

हदीस 5 व 6 — अबू दावूद ने रिवायत की, कि उबय बिन कअब رضي الله تعالى عنه से बयान किया गया कि समुरह बिन जुन्दब رضي الله تعالى عنه ने दो मक़ाम पर **रसूलुल्लाह** صلّى الله تعالى عليه وسلم का सक्ता फ़रमाना याद किया, एक उस वक़्त जब तकबीरे तहरीमा कहते । दूसरा जब **﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَائِزِينَ﴾** पढ़ कर फ़ारिग़ होते, उबय बिन कअब رضي الله تعالى عنه ने इस की तस्दीक की ।⁽²⁾ तिरमिज़ी व इब्ने माजह व दारिमी ने भी इस की मिस्ल रिवायत की । इस हदीस से आमीन का आहिस्ता कहना साबित होता है ।

हदीस 7 — इमाम बुख़ारी अबू हुरैरा رضي الله تعالى عنه से रावी कि हुज़ूरे अक़दस صلّى الله تعالى عليه وسلم इरशाद फ़रमाते हैं कि : “जब इमाम **﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَائِزِينَ﴾** कहे तो आमीन कहो कि जिस का कौल मलाएका के कौल के मुवाफ़िक़ हो, उस के अगले गुनाह बख़्श दिये जाएंगे ।”⁽³⁾

हदीस 8 — सहीह मुस्लिम में अबू मूसा अश्शरी رضي الله تعالى عنه से मरवी कि इरशाद फ़रमाते हैं صلّى الله تعالى عليه وسلم : “जब तुम नमाज़ पढ़ो तो सफ़े़ सीधी कर लो, फिर तुम में से जो कोई इमामत करे, वोह जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब **﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْفَائِزِينَ﴾** कहे तो तुम आमीन कहो, अल्लाह तुम्हारी दुआ क़बूल फ़रमाएगा और जब वोह अल्लाहु अक्बर कहे और रुकूअ में आ जाए, तुम भी तकबीर कहो और रुकूअ करो कि इमाम तुम से पहले रुकूअ करेगा और तुम से पहले उठेगा ।” **रसूलुल्लाह** صلّى الله تعالى عليه وسلم ने फ़रमाया : तो येह उस का बदला हो गया और जब वोह **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** कहे तुम **اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** कहे, अल्लाह तुम्हारी सुनेगा ।”⁽⁴⁾

हदीस 9 व 10 — अबू हुरैरा व क़तादा رضي الله تعالى عنهما से इसी सहीह मुस्लिम में है, जब इमाम क़िराअत करे तो तुम चुप रहो ।⁽⁵⁾ इस हदीस और इस के पहले जो हदीस है दोनों से साबित होता है कि आमीन आहिस्ता कही जाए कि अगर ज़ोर से कहना होता तो इमाम के आमीन

①..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، الحديث: ٩٨٠٣، ج ٣، ص ٤٦٠.

इस हदीस शरीफ़ से निहायत वाजेह तौर पर साबित होता है कि हुज़ूरे अक़दस صلّى الله تعالى عليه وسلم के देखने के लिये किसी चीज़ का सामने होना दरकार नहीं कि कोई शै इदराक के लिये हिजाब नहीं । 12 मिन्ह

②..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب السكينة عند الافتتاح، الحديث: ٧٧٩، ج ١، ص ٣٠١.

③..... “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين، الحديث: ٧٨٢، ج ١، ص ٢٧٥.

④..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، الحديث: ٤٠٤، ص ٢١٤.

⑤..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، الحديث: ٦٣- (٤٠٤)، ص ٢١٥.

कहने का पता और मौक़अ बताने की क्या हाज़त होती कि जब वोह **وَلَا السَّائِينَ** कहे तो आमीन कहो और इस से बहुत सरीह तिरमिज़ी की रिवायत शअबा से है, वोह अल्क़मा से वोह अबी वाइल से रिवायत करते हैं, **فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ** आमीन कही और उस में आवाज़ पस्त की, ⁽¹⁾ नीज़ अबू हुरैरा व क़तादा **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** की रिवायत से येह भी साबित होता है कि इमाम के पीछे मुक़तदी क़िराअत न करें, बल्कि चुप रहें और येही कुरआने अज़ीम का भी इरशाद है कि

﴿وَأَذِئِرِّي الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ⁽²⁾

जब कुरआन पढ़ा जाए तो सुनो और चुप रहो, इस उम्मीद पर कि रेहूम किए जाओ।

हदीस 11 अबू दावूद व नसाई व इब्ने माजह अबू हुरैरा **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रावी कि **रसूलुल्लाह** **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया कि : “इमाम तो इस लिये बनाया गया है कि उस की इक़तदा की जाए, जब तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो और जब वोह क़िराअत करे तुम चुप रहो।” ⁽³⁾

हदीस 12 अबू दावूद व तिरमिज़ी अल्क़मा से रावी कि अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** फ़रमाते हैं : “क्या तुम्हें वोह नमाज़ न पढ़ाऊं, जो **रसूलुल्लाह** **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** की नमाज़ थी ? फिर नमाज़ पढ़ी और हाथ न उठाए, मगर पहली बार ⁽⁴⁾ यानी तकबीरे तहरीमा के वक़्त और एक रिवायत में यूं है कि पहली मरतबा हाथ उठाते फिर नहीं। ⁽⁵⁾ तिरमिज़ी ने कहा : येह हदीस हसन है।

हदीस 13 दारे कुतनी व इब्ने अदी की रिवायत इन्हीं से है कि अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** फ़रमाते हैं : मैं ने **रसूलुल्लाह** **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** और अबू बक्र व उमर **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** के साथ नमाज़ पढ़ी तो इन हज़रात ने हाथ न उठाए, मगर नमाज़ शुरू करते वक़्त। ⁽⁶⁾

हदीस 14 मुस्लिम व अहमद जाबिर बिन समुरह **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रावी कि फ़रमाते हैं **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** : “येह क्या बात है ?” कि तुम्हें हाथ उठाते देखता हूं, जैसे चन्चल घोड़े की दुमें, नमाज़ में सुकून के साथ रहो।” ⁽⁷⁾

1..... “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء في التأمين، الحديث: ٢٤٨، ج ١، ص ٢٨٥، 2..... ٩، ١٠، الإعراف: ٢٠٤.

3..... “سنن ابن ماجه”، أبواب اقامة الصلوات... إلخ، باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، الحديث: ٨٤٦، ج ١، ص ٤٦١.

4..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث: ٧٤٨، ج ١، ص ٢٩٢.

“جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع الا في أول مرة، الحديث: ٢٥٧، ج ١، ص ٢٩٢.

5..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، الحديث: ٧٥٢، ج ١، ص ٢٩٢.

6..... “سنن الدارقطني”، كتاب الصلاة، باب ذكر التكبير ورفع اليدين، الحديث: ١١٢٠، ج ١، ص ٣٩٩.

7..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة... إلخ، الحديث: ٤٣٠، ص ٢٢٩.

हदीस 15

अबू दावूद व इमाम अहमद ने अली رضي الله تعالى عنه से रिवायत की, कि
 “सुन्नत से है कि नमाज़ में हाथ पर हाथ नाफ़ के नीचे रखे जाएं।”⁽¹⁾

इन उमूर के मुतअल्लिक और ब कसरत अहादीसो आसार मौजूद हैं, तबरुकन चन्द हदीसों जिक्र कीं, कि येह मक्सूद नहीं कि अफ़आले नमाज़ अहादीस से साबित किये जाएं कि हम न इस के अहल न इस की ज़रूरत कि अइम्माए किराम ने येह मरहले तै फ़रमा दिये, हमें तो उन के इरशादात बस हैं कि वोह अरकाने शरीअत हैं, वोह वोही फ़रमाते हैं जो हुज़ूरे अक्दस صلى الله تعالى عليه وسلم के इरशाद से माखूज है।

नमाज़ पढ़ने का तरीका येह है कि बा वुजू किब्ला रू दोनों पाउं के पन्जों में चार उंगल का फ़ासिला कर के खड़ा हो और दोनों हाथ कान तक ले जाए कि अंगूठे कान की लौ से छू जाएं और उंगलियां न मिली हुई रखे न ख़ूब खोले हुए बल्कि अपनी हालत पर हों और हथेलियां किब्ले को हों, नियत कर के **अल्लाहु अक्बर** कहता हुवा हाथ नीचे लाए और नाफ़ के नीचे बांध ले, यूं कि दहनी हथेली की गुद्दी बाईं कलाई के सिरे पर हो और बीच की तीन उंगलियां बाईं कलाई की पुश्त पर और अंगूठा और छुंगलियां⁽²⁾ कलाई के अगल बगल और सना पढ़े : ⁽³⁾ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ**

फिर तअव्वुज़ यानी **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** पढ़े

फिर तस्मिया यानी **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** कहे

फिर अलहमद पढ़े और ख़त्म पर आमीन आहिस्ता कहे, इस के बाद कोई सूरत या तीन आयतें पढ़े या एक आयत कि तीन के बराबर हो, अब **अल्लाहु अक्बर** कहता हुवा रुकूअ में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़े, इस तरह कि हथेलियां घुटने पर हों और उंगलियां ख़ूब फैली हों, न यूं कि सब उंगलियां एक तरफ़ हों और न यूं कि चार उंगलियां एक तरफ़, एक तरफ़ फ़क़त अंगूठा। और पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो ऊंचा नीचा न हो और कम से कम तीन बार **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** कहे

फिर **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ** कहता हुवा सीधा खड़ा हो जाए और मुन्फ़रिद हो तो इस के बाद **اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** कहे, फिर **अल्लाहु अक्बर** कहता हुवा सज्दे में जाए, यूं कि पहले घुटने ज़मीन पर रखे फिर हाथ फिर दोनों हाथों के बीच में सर रखे, न यूं कि सिर्फ़ पेशानी छू जाए

①..... “सनن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، الحديث: ٧٥٦، ج ١، ص ٢٩٣.

②.....छोटी उंगली।

③.....पाक है तू ऐ अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बुलन्द है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। 12

और नाक की नोक लग जाए, बल्कि पेशानी और नाक की हड्डी जमाए और बाजूओं को करवटों और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे और दोनों पाउं की सब उंगलियों के पेट किब्ला रू जमे हों और हथेलियां बिछी हों और उंगलियां किब्ले को हों और कम अज़ कम तीन बार رَبِّیْ الْأَعْلَى कहे, फिर सर उठाए, फिर हाथ और दाहना क़दम खड़ा कर के उस की उंगलियां किब्ला रुख़ करे और बायां क़दम बिछा कर उस पर खूब सीधा बैठ जाए और हथेलियां बिछा कर रानों पर घुटनों के पास रखे कि दोनों हाथ की उंगलियां किब्ले को हों, फिर **अल्लाहु अक्बर** कहता हुवा सज्दे को जाए और इसी तरह सज्दा करे फिर सर उठाए, फिर हाथ को घुटने पर रख कर पन्जों के बल खड़ा हो जाए, अब सिर्फ़ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ पढ़ कर क़िराअत शुरू कर दे, फिर इसी तरह रुकूअ और सज्दे कर के दाहना क़दम खड़ा कर के बायां क़दम बिछा कर बैठ जाए और

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
(1) السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

पढ़े और इस में कोई हर्फ़ कमो बेश न करे और इस को तशहहूद कहते हैं और जब कलिमए ۞ के करीब पहुंचे, दहने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छुंगल्या और उस के पास वाली को हथेली से मिला दे और लफ़्जे ۞ पर कलिमे की उंगली उठाए मगर इस को जुम्बिश न दे और कलिमए ۞ पर गिरा दे और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी कर ले, अगर दो से ज़ियादा रकअतें पढ़नी हैं तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े मगर फ़र्जों की इन रकअतों में अल हम्द के साथ सूरत मिलाना ज़रूर नहीं, अब पिछला क़ादा जिस के बाद नमाज़ ख़त्म करेगा, उस में तशहहूद के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़े :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. (2)

फिर

①....तमाम तहिय्यतें और नमाज़ें और पाकीजगियां **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) के लिये हैं सलाम हुज़ूर पर, ऐ नबी ! **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) की रहमत और बरकतें, हम पर और **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) के नेक बन्दों पर सलाम ! मैं गवाही देता हूं कि **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) के सिवा कोई माबूद नहीं और गवाही देता हूं कि मुहम्मद (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) उस के बन्दे और रसूल हैं । 12

②....ऐ **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) दुरूद भेज हमारे सरदार मुहम्मद (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) पर और उन की आल पर, जिस तरह तू ने दुरूद भेजी सय्यिदुना इब्राहीम (عَلَيْهِ السَّلَام) पर और उन की आल पर बेशक तू सराहा हुवा बुजुर्ग है, ऐ **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) बरकत नाज़िल कर हमारे सरदार मुहम्मद (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) पर और उन की आल पर, जिस तरह तू ने बरकत नाज़िल की सय्यिदुना इब्राहीम (عَلَيْهِ السَّلَام) पर और उन की आल पर, बेशक तू सराहा हुवा बुजुर्ग है । 12

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ (1)
الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

या और कोई दुआए मासूर पढ़े । मसलन

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ (2)
وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

या येह दुआ पढ़े :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَغْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَغْلَمْ (3)

या येह पढ़े :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ (4)

या येह पढ़े :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِّفَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (5)

और इस को बगैर **اللَّهُم** के ना पढ़े, फिर दहने शाने की तरफ़ मुंह कर के **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ** कहे फिर बाई तरफ़, येह तरीका कि मज़कूर हुवा इमाम या तन्हा मर्द के पढ़ने का है, मुक्तदी के लिये इस में की बाज़ बात जाइज़ नहीं, मसलन इमाम के पीछे फ़ातिहा या और कोई सूरात पढ़ना । औरत भी बाज़ उमूर में मुस्तस्ना है, मसलन हाथ बांधने और सज्दे

①....ऐ **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) तू बख़्श दे मुझ को और मेरे वालिदैन को और उस को जो पैदा हुवा और तमाम मोमिनीन व मोमिनात और मुस्लिमीन व मुस्लिमात को, बेशक तू दुआओं का क़बूल करने वाला है अपनी रहमत से, ऐ सब मेहरबानों से ज़ियादा मेहरबान । 12

②....ऐ **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) मैं ने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है और बेशक तेरे सिवा गुनाहों का बख़्शने वाला कोई नहीं है, तू अपनी तरफ़ से मेरी मग़िफ़रत फ़रमा और मुझ पर रहम कर, बेशक तू ही बख़्शने वाला मेहरबान है । 12

③....ऐ **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) मैं तुझ से हर किस्म के ख़ैर का सुवाल करता हूं जिस को मैं जानता हूं और जिस को नहीं जानता और हर किस्म के शर से तेरी पनाह मांगता हूं जिस को मैं ने जाना और जिस को नहीं जाना । 12

④....ऐ **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) तेरी पनाह मांगता हूं अज़ाबे क़ब्र से और तेरी पनाह मांगता हूं मसीह दज्जाल के फ़ितने से और तेरी पनाह मांगता हूं ज़िन्दगी और मौत के फ़ितने से । ऐ **अल्लाह** तेरी पनाह मांगता हूं गुनाह और तावान से और तेरी पनाह मांगता हूं दैन के ग़लबे और मर्दों के क़हर से । 12

⑤....ऐ **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) ऐ हमारे परवर दगार ! तू हम को दुन्या में नेकी दे और आख़िरत में नेकी दे और हम को जहन्नम के अज़ाब से बचा । 12

की हालत और कादे की सूरत में फ़र्क है।⁽¹⁾ जिस को हम बयान करेंगे, इन मज़क़ूरत में बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि इस के बिग़ैर नमाज़ होगी ही नहीं, बाज़ वाजिब कि इस का तर्क⁽²⁾ क़स्दन⁽³⁾ गुनाह और नमाज़ वाजिबुल इआदा⁽⁴⁾ और सह्वन हो तो सज्दए सह्व वाजिब। बाज़ सुन्नते मुअक्कदा कि इस के तर्क की आदत गुनाह और बाज़ मुस्तहब कि करें तो सवाब, न करें तो गुनाह नहीं।

फ़राइजे नमाज़

सात चीज़ें नमाज़ में फ़र्ज़ हैं :

- | | |
|--------------------|--|
| (1) तक्बीरे तहरीमा | (5) सज्दा |
| (2) क़ियाम | (6) कादए अख़ीरा |
| (3) क़िराअत | (7) ख़ुरूजे बि सुन्द्ही ⁽⁵⁾ |
| (4) रुकूअ | |

(1) तक्बीरे तहरीमा :

हकीकतन येह शराइते नमाज़ से है मगर चूँकि अफ़आले नमाज़ से इस को बहुत ज़ियादा इत्तिसाल है, इस वज्ह से फ़राइजे नमाज़ में इस का शुमार हुवा।

मस्अला 1 — नमाज़ के शराइत यानी तहारीत व इस्तिक्बाल व सत्रे औरत व वक़्त। तक्बीरे तहरीमा के लिये शराइत हैं यानी क़ब्ले ख़त्मे तक्बीर इन शराइत का पाया जाना ज़रूरी है, अगर अल्लाहु अक्बर कह चुका और कोई शर्त मफ़कूद है, नमाज़ न होगी।⁽⁶⁾

(درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 2 — जिन नमाज़ों में क़ियाम फ़र्ज़ है, उन में तक्बीरे तहरीमा के लिये क़ियाम फ़र्ज़ है तो अगर बैठ कर अल्लाहु अक्बर कहा फिर खड़ा हो गया, नमाज़ शुरू ही न हुई।⁽⁷⁾ (درمختار، عالمگیری)

① "غنية المتملّي"، صفة الصلاة، ص ۲۹۸-۳۳۶، وغيرها.

② छोड़ना। ③ यानी जानबूझ कर। ④ यानी नमाज़ का फिर से पढ़ना वाजिब।

⑤ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۲، ص ۱۷۰-۱۵۸.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، بحث شروط التحريمة، ج ۲، ص ۱۷۵.

⑦ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج ۱، ص ۶۸.

मस्अला 3 — इमाम को रुकूअ में पाया और तक्बीरे तहरीमा कहता हुवा रुकूअ में गया यानी तक्बीर उस वक़्त ख़त्म की, कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुंच जाए, नमाज़ न हुई।⁽¹⁾

(عالمگیری، ردالمحتار)

मस्अला 4 — नफ़ल के लिये तक्बीरे तहरीमा रुकूअ में कही, नमाज़ न हुई और बैठ कर कहता तो हो जाती।⁽²⁾

(ردالمحتار)

मस्अला 5 — मुक़्तदी ने लफ़्जे अल्लाह इमाम के साथ कहा मगर अक्बर को इमाम से पहले ख़त्म कर चुका, नमाज़ न हुई।⁽³⁾

(ردالمحتار)

मस्अला 6 — इमाम को रुकूअ में पाया और अल्लाहु अक्बर खड़े हो कर कहा मगर इस तक्बीर से तक्बीरे रुकूअ की निय्यत की, नमाज़ शुरूअ हो गई और येह निय्यत लगव है।⁽⁴⁾

(ردالمحتار)

मस्अला 7 — इमाम से पहले तक्बीरे तहरीमा कही, अगर इक़्तिदा की निय्यत है, नमाज़ में न आया वरना शुरूअ हो गई, मगर इमाम की नमाज़ में शिर्कत न हुई, बल्कि अपनी अलग।⁽⁵⁾

(عالمگیری)

मस्अला 8 — इमाम की तक्बीर का हाल मालूम नहीं कि कब कही तो अगर ग़ालिब गुमान है कि इमाम से पहले कही न हुई और अगर ग़ालिब गुमान है कि इमाम से पहले नहीं कही तो हो गई और अगर किसी तर्फ़ ग़ालिब गुमान न हो तो एहतियात येह है कि क़त्अ करे और फिर से तहरीमा बांधे।⁽⁶⁾

(ردالمحتار، ردالمحتار)

मस्अला 9 — जो शख्स तक्बीर के तलफ़फ़ुज़ पर कादिर न हो मसलन गूंगा हो या किसी और वजह से ज़बान बन्द हो, उस पर तलफ़फ़ुज़ वाजिब नहीं, दिल में इरादा काफ़ी है।⁽⁷⁾

(ردالمحتار)

1 "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 69.

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، بحث شروط التحريمة، ج 2، ص 176.

حفظ 12 मिन्ह उस को फिर पढ़ें। बाज़ लोग जल्दी में इसी तरह कर गुज़रते हैं उन की वोह नमाज़ न हुई

2 "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، بحث شروط التحريمة، ج 2، ص 219.

3 "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة فصل، ج 2، ص 218.

4 "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 219.

5 "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 69.

6 "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 219.

7 "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 220.

मस्अला 10

अगर बतौरै तअज्जुब अल्लाहु अक्बर कहा या मुअज्जिन के जवाब में कहा और इसी तक्बीर से नमाज़ शुरू कर दी, नमाज़ न हुई।⁽¹⁾ (درمّار)

मस्अला 11

अल्लाहु अक्बर की जगह कोई और लफ़्ज़ जो ख़ालिस ताज़ीमे इलाही के अल्फ़ाज़ हों। मसलन

اللَّهُ أَجَلُّ یا اللَّهُ أَعْظَمُ یا اللَّهُ كَبِيرٌ یا اللَّهُ الْأَكْبَرُ یا اللَّهُ الْكَبِيرُ یا الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ یا اللَّهُ إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یا سُبْحَانَ اللَّهِ یا الْحَمْدُ لِلَّهِ یا لَا إِلَهَ غَيْرُهُ یا تَبَارَكَ اللَّهُ

वगैरहा⁽²⁾

अल्फ़ाज़े ताज़ीमी कहे तो इन से भी इब्तिदा हो जाएगी मगर येह तब्दील मक्रूहे तहरीमी है।

और अगर दुआ या तलबे हाज़त के लफ़्ज़ हों। मसलन اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي، या वगैरहा अल्फ़ाज़े दुआ कहे तो नमाज़ मुअक़िद न हुई। यूँही अगर सिर्फ़ “अक्बर” या “अजल्ल” कहा इस के साथ लफ़्ज़े अल्लाह न मिलाया जब भी न हुई।

यूँही अगर اَللّٰهُمَّ اِنَّا لِلّٰهِ یا اِنَّا لِلّٰهِ یا اَنُودُ بِاللّٰهِ یا اَسْتَغْفِرُ اللّٰه یا مَاشَاءَ اللّٰهِ كَانَ یا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ یا اللَّهُ کَہا तो मुअक़िद न हुई और अगर सिर्फ़ اَللّٰهُ कहा या یا اللّٰهُ कहा, हो जाएगी।⁽³⁾ (درمّار، ردالمحتار، عالمگیری)

मस्अला 12

लफ़्ज़ अल्लाह को اَللّٰهُ (आल्लाहु) या اَكْبَرُ को اَكْبَرُ (आक्बर) या اَكْبَرُ (अक्बार) कहा, नमाज़ न होगी बल्कि अगर इन के मअनिये फ़ासिदा समझ कर क़स्दन कहे तो काफ़िर है।⁽⁴⁾ (درمّار)

मस्अला 13

पहली रकअत का रुकूअ मिल गया तो तक्बीरे ऊला की फ़ज़ीलत पा गया।⁽⁵⁾ (عالمگیری)

(2) कियाम :

कमी की जानिब इस की हद्द येह है कि हाथ फैलाए तो घुटनों तक न पहुंचें और पूरा कियाम येह है कि सीधा खड़ा हो।⁽⁶⁾ (درمّار، ردالمحتار)

① “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ٢، ص ٢١٩.

② यानी और इस के इलावा।

③ “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج ١، ص ٦٨.

④ “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ٢، ص ٢١٨.

⑤ “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج ١، ص ٦٩.

⑥ “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بحث القيام، ج ٢، ص ١٦٣.

मसआला 14 — क़ियाम इतनी देर तक है जितनी देर क़िराअत है, यानी ब क़दरे क़िराअते फ़र्ज़, क़ियाम फ़र्ज़ और ब क़दरे वाजिब, वाजिब और ब क़दरे सुन्नत, सुन्नत।⁽¹⁾ (दरुल) यह हुक्म पहली रकअत के सिवा और रकअतों का है, रकअते ऊला में क़ियामे फ़र्ज़ में मिक्दारे तक्बीरे तहरीमा भी शामिल होगी और क़ियामे मस्नून में मिक्दारे सना व तअव्वुज़ व तस्मिया भी। (रज़ा)

मसआला 15 — क़ियाम व क़िराअत का वाजिब व सुन्नत होना ब ई माना है कि इस के तर्क पर तर्के वाजिब व सुन्नत का हुक्म दिया जाएगा वरना बजा लाने में जितनी देर तक क़ियाम किया और जो कुछ क़िराअत की सब फ़र्ज़ ही है, फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा।⁽²⁾ (दरुल, रज़ा)

मसआला 16 — फ़र्ज़ व वित्र व ईदैन व सुन्नते फ़ज़्र में क़ियाम फ़र्ज़ है कि बिला उज़्रे सहीह बैठ कर यह नमाज़ें पढ़ेगा न होंगी।⁽³⁾ (दरुल, रज़ा)

मसआला 17 — एक पाउं पर खड़ा होना यानी दूसरे को ज़मीन से उठा लेना मक्रूहे तहरीमी है। और अगर उज़्र की वजह से ऐसा किया तो हरज नहीं।⁽⁴⁾ (एल्मिरी)

मसआला 18 — अगर क़ियाम पर क़ादिर है मगर सज्दा नहीं कर सकता तो उसे बेहतर यह है कि बैठ कर इशारे से पढ़े और खड़े हो कर भी पढ़ सकता है।⁽⁵⁾ (दरुल)

मसआला 19 — जो शख्स सज्दा कर तो सकता है मगर सज्दा करने से ज़ख़्म बहता है, जब भी उसे बैठ कर इशारे से पढ़ना मुस्तहब है और खड़े हो कर इशारे से पढ़ना भी जाइज़ है।⁽⁶⁾ (दरुल)

मसआला 20 — जिस शख्स को खड़े होने से क़तरा आता है या ज़ख़्म बहता है और बैठने से नहीं तो उसे फ़र्ज़ है कि बैठ कर पढ़े, अगर और तौर पर इस की रोक न कर सके। यूंही खड़े होने से चौथाई सत्र खुल जाएगा या क़िराअत बिल्कुल न कर सकेगा तो बैठ कर पढ़े और अगर खड़े हो कर कुछ भी पढ़ सकता है तो फ़र्ज़ है कि जितनी पर क़ादिर हो खड़े हो कर पढ़े, बाकी बैठ कर।⁽⁷⁾ (दरुल, रज़ा)

① "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ٢، ١٦٣.

② "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بحث القيام، ج ٢، ص ١٦٣.

③ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بحث القيام، ج ٢، ص ١٦٣.

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج ١، ص ٦٩.

⑤ "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٦٤.

⑥ "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٢، ص ١٦٤.

⑦ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة و مبحث في الركن الاصيلي... إلخ، ج ٢، ص ١٦٤.

मस्अला 21

अगर इतना कमज़ोर है कि मस्जिद में जमाअत के लिये जाने के बाद खड़े हो कर न पढ़ सकेगा और घर में पढ़े तो खड़ा हो कर पढ़ सकता है तो घर में पढ़े, जमाअत मुयस्सर हो तो जमाअत से, वरना तन्हा।⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 22

खड़े होने से महज़ कुछ तकलीफ़ होना उज़्र नहीं, बल्कि क़ियाम उस वक़्त साक़ित होगा कि खड़ा न हो सके या सज्दा न कर सके या खड़े होने या सज्दा करने में ज़ख़्म बहता है या खड़े होने में क़तरा आता है या चौथाई सत्र खुलता है या क़िराअत से मजबूर महज़ हो जाता है। यूँही खड़ा हो तो सकता है मगर उस से मरज़ में ज़ियादती होती है या देर में अच्छा होगा या ना काबिले बरदाशत तकलीफ़ होगी तो बैठ कर पढ़े।⁽²⁾ (غنية)

मस्अला 23

अगर असा या खादिम या दीवार पर टेक लगा कर खड़ा हो सकता है तो फ़र्ज़ है कि खड़ा हो कर पढ़े।⁽³⁾ (غنية)

मस्अला 24

अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है, अगरचें इतना ही कि खड़ा हो कर अल्लाहु अक्बर कह ले तो फ़र्ज़ है कि खड़ा हो कर इतना कह ले फिर बैठ जाए।⁽⁴⁾ (غنية)

तम्बीहे ज़रूरी : आज कल उमूमन येह बात देखी जाती है कि जहां ज़रा बुख़ार आया या ख़फ़ीफ़ सी तकलीफ़ हुई बैठ कर नमाज़ शुरूअ कर दी, हालां कि वोही लोग इसी हालत में दस दस पन्दरह पन्दरह मिनट बल्कि ज़ियादा खड़े हो कर इधर उधर की बातें कर लिया करते हैं, उन को चाहिये कि इन मसाइल से मुतनब्बेह हों और जितनी नमाज़ें बा वुजूदे कुदरते क़ियाम बैठ कर पढ़ी हों उन का इआदा फ़र्ज़ है। यूँही अगर वैसे खड़ा न हो सकता था मगर असा या दीवार या आदमी के सहारे खड़ा होना मुम्किन था तो वोह नमाज़ें भी न हुई, उन का फेरना फ़र्ज़। अल्लाह तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

मस्अला 25

क़श्ती पर सुवार है और वोह चल रही है तो बैठ कर उस पर नमाज़ पढ़ सकता है।⁽⁵⁾ (غنية) यानी जब कि चक्कर आने का गुमाने ग़ालिब हो और कनारे पर उतर न सकता हो।

(3) क़िराअत :

क़िराअत इस का नाम है कि तमाम हुरूफ़ मख़ारिज से अदा किये जाएं कि हर हर्फ़ ग़ैर से सहीह तौर पर मुमताज़ हो जाए और आहिस्ता पढ़ने में भी इतना होना ज़रूर है कि खुद सुने, अगर हुरूफ़ की तस्हीह तो की मगर इस क़दर आहिस्ता कि खुद न सुना और कोई मानेअ

① "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة و مبحث في الركن الاصلی... إلخ، ج ۲، ص ۱۶۵.

② "غنية المتملي"، فرائض الصلاة، الثاني، ص ۲۶۱ - ۲۶۷.

③ المرجع السابق، ص ۲۶۱. ④ المرجع السابق، ص ۲۶۲. ⑤ المرجع السابق، ص ۲۷۴.

(عائمی) (1) भी नहीं तो नमाज़ न हुई (2)।

मसअला 26 — यूंही जिस जगह कुछ पढ़ना या कहना मुक़रर किया गया है, उस से येही मक़सद है कि कम से कम इतना हो कि खुद सुन सके मसलन त़लाक़ देने, आज़ाद करने, जानवर ज़ब्ह करने में (3) (عائمی)

मसअला 27 — मुत्लक़न एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की दो रकअतों में और वित्र व नवाफ़िल की हर रकअत में इमाम व मुन्फ़रिद पर फ़र्ज़ है। और मुक़्तदी को किसी नमाज़ में क़िराअत जाइज़ नहीं, न फ़ातिहा, न आयत, न आहिस्ता की नमाज़ में, न जहर की में। इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिये भी काफ़ी है (4) (अम्मए कुतुब)

मसअला 28 — फ़र्ज़ की किसी रकअत में क़िराअत न की या फ़क़त एक में की, नमाज़ फ़ासिद हो गई (5) (عائمی)

मसअला 29 — छोटी आयत जिस में दो या दो से ज़ाइद कलिमात हों पढ़ लेने से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा और अगर एक ही हर्फ़ की आयत हो जैसे, نَ، قَ، कि बाज़ क़िराअतों में इन को आयत माना है तो इस के पढ़ने से फ़र्ज़ अदा न होगा, अगर्चे इस की तक़्रार करे (6) (عائمی, ردالمحتار) रही एक कलिमे की आयत مَدَّهَا مَثْنٌ इस में इख़िलाफ़ है और बचने में एहतिआत (7)

मसअला 30 — सूरतों के शुरूअ में بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ एक पूरी आयत है, मगर सिर्फ़ इस के पढ़ने से फ़र्ज़ अदा न होगा (8) (درمّار)

मसअला 31 — क़िराअते शाज़ा से फ़र्ज़ अदा न होगा, यूंही बजाए क़िराअत आयत की हिज्जे की, नमाज़ न होगी (9) (درمّار)

1...यानी ऊंचा सुनने का मरज़।

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 69. 3..... المرجع السابق.

4..... "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، وأركانها، ص 51.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 69.

6..... المرجع السابق، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، مطلب: تحقيق مهم فيما لو تذكّر في ركوعه أنه لم يقرأ... إلخ، ج 2، ص 313.

7...इमाम इस्वीजाबी ने शर्हे जामेए सगीर व शर्हे मुख़्तसर इमाम तहावी और इमाम अलाउद्दीन ने तोहफ़तुल फुक़हा और इमाम मलिकुल उलमा ने बदाएअ में इस से जवाज़ पर जज़्म फ़रमाया और ख़िलाफ़ का अस्लन नाम न लिया और येही अज़हर मिन हैसुदलील है और ज़हीरिया व सिराज व हाज व फ़तुल कदीर व शर्हुल मज्मअ लि इब्ने मलिक व दुर्रे मुख़्तार में अदमे जवाज़ को असहूह कहा मुहक्किक् साहिबे फ़ह्व व दीगर शर्हि हिदाया ने जो इस की दलील ज़िक़ की मुहक्किक् साहिब ने इस पर एतिराज़ किया बहर हाल एहतिआत औला है ख़ुसूसन जब कि मुरज्जिहीन ने इसे तस्रीहन असह बताया। 12 وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ

8..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 236.

9..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 226.

(4) रुकूअ :

इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाएं, येह रुकूअ का अदना दरजा है।⁽¹⁾ (درمत्तार وغيره) और पूरा येह कि पीठ सीधी बिछावे।

मस्अला 32 कूज़ा पुश्त⁽²⁾ कि उस का कुब हद्दे रुकूअ को पहुंच गया हो, रुकूअ के लिये सर से इशारा करे।⁽³⁾ (عالمگیری)

(5) सुजूद :

हदीस में है : “सब से ज़ियादा कुर्ब बन्दे को खुदा से उस हालत में है कि सज्दे में हो, लिहाज़ा दुआ ज़ियादा करो।”⁽⁴⁾ इस हदीस को मुस्लिम ने अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत किया। पेशानी का ज़मीन पर जमना सज्दे की हकीकत है और पाउं की एक उंगली का पेट लगाना शर्त।⁽⁵⁾ तो अगर किसी ने इस तरह सज्दा किया कि दोनों पाउं ज़मीन से उठे रहे, नमाज़ न हुई बल्कि अगर सिर्फ़ उंगली की नोक ज़मीन से लगी, जब भी न हुई इस मस्अले से बहुत लोग गाफ़िल हैं।⁽⁶⁾ (درمत्तار, फ़तावा रज़विय्या)

मस्अला 33 अगर किसी उज़्र के सबब पेशानी ज़मीन पर नहीं लगा सकता तो सिर्फ़ नाक से सज्दा करे फिर भी फ़क़त नाक की नोक लगाना काफ़ी नहीं, बल्कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगाना ज़रूर है।⁽⁷⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

मस्अला 34 रुख़्सारा या ठोड़ी ज़मीन पर लगाने से सज्दा न होगा ख़्वाह उज़्र के सबब हो या बिला उज़्र, अगर उज़्र हो तो इशारे का हुक्म है।⁽⁸⁾ (عالمگیری)

मस्अला 35 हर रकअत में दो बार सज्दा फ़र्ज़ है।

- 1..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۲، ص ۱۶۵. ۱. (जिस की कमर झुकी हुई हो) 2.....कुबड़ा
- 3..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج ۱، ص ۷۰.
- 4..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، الحديث: ۴۸۲، ص ۲۵۰.
- 5..... “الفتاوى الهندية” में फ़रमाते हैं : “हालते सज्दा में क़दम की दस उंगलियों में से एक के बातिन पर एतिमाद मज़हबे मोतमद और मुफ़ता बिही में फ़र्ज़ है और दोनों पाउं की तमाम या अक्सर उंगलियों पर एतिमाद बईद नहीं कि वाजिब हो, इस बिना पर जो “हिल्या” में है (الفتاوى الرضوية، ج ۷، ص ۳۷۶). (त) 1” और क़िल्ते की तरफ़ मुतवज्जेह करना बिग़ैर किसी इन्हिराफ़ के सुन्नत है।
- 6..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۲، ص ۱۶۷-۲۴۹-۲۵۱. 2. و “الفتاوى الرضوية”، ج ۷، ص ۳۱۳-۳۷۶.
- 7..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج ۱، ص ۷۰.
- 8..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج ۱، ص ۷۰.

मस्अला 36 किसी नर्म चीज़ मसलन घास, रूई, क़ालीन वगैरहा पर सज्दा किया तो अगर पेशानी जम गई यानी इतनी दबी कि अब दबाने से न दबे तो जाइज़ है, वरना नहीं।⁽¹⁾ (عالمگیری) बाज़ जगह जाड़ों में मस्जिद में पियाल⁽²⁾ बिछाते हैं, उन लोगों को सज्दा करने में इस का लिहाज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशानी ख़ूब न दबी तो नमाज़ ही न हुई और नाक हड्डी तक न दबी तो मक्रूहे तहरीमी वाजिबुल इअ़दा हुई, क़मानी दार⁽³⁾ गद्दे पर सज्दे में पेशानी ख़ूब नहीं दबती लिहाज़ा नमाज़ न होगी, रेल के बाज़ दरज़ों में बाज़ गाड़ियों में इसी किस्म के गद्दे होते हैं उस गद्दे से उतर कर नमाज़ पढ़नी चाहिये।

मस्अला 37 दो पहिया गाड़ी यक्का वगैरा पर सज्दा किया तो अगर उस का जूआ⁽⁴⁾ या बम⁽⁵⁾ बैल और घोड़े पर है, सज्दा न हुवा और ज़मीन पर रखा है तो हो गया।⁽⁶⁾ (عالمگیری) बहली का खटोला⁽⁷⁾ अगर बानों से बुना हुवा हो तो इतना सख़्त बुना हो कि सर ठहर जाए दबाने से अब न दबे, वरना न होगी।

मस्अला 38 जुवार, बाजरा वगैरा छोटे दानों पर जिन पर पेशानी न जमे, सज्दा न होगा अलबत्ता अगर बोरी वगैरा में ख़ूब कस कर भर दिये गए कि पेशानी जमने से मानेअ़ न हों तो हो जाएगा।⁽⁸⁾ (عالمگیری)

मस्अला 39 अगर किसी उज़्र मसलन इज़्दिहाम⁽⁹⁾ की वज्ह से अपनी रान पर सज्दा किया जाइज़ है और बिला उज़्र बातिल। और घुटने पर उज़्र व बिला उज़्र किसी हालत में नहीं हो सकता।⁽¹⁰⁾ (درمختار، عالمگیری)

मस्अला 40 इज़्दिहाम की वज्ह से दूसरे की पीठ पर सज्दा किया और वोह उस नमाज़ में इस का शरीक है तो जाइज़ है वरना ना जाइज़, ख़्वाह वोह नमाज़ ही में न हो या नमाज़ में तो है मगर इस का शरीक न हो, यानी दोनों अपनी अपनी पढ़ते हों।⁽¹¹⁾ (عالمگیری وغيره)

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 70.

2..... यानी चावल का भुस। 3..... यानी सिंग्र वाले।

4..... यानी वोह लकड़ी जो गाड़ी या हल के बैलों के कन्धे पर रखी जाती है।

5..... यानी घोड़ागाड़ी का बांस जिस में घोड़ा जोता जाता है।

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 70.

7..... यानी बैलों की छोटी गाड़ी की छोटी सी चारपाई।

8..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 70.

9..... यानी भीड़। मज्मअ़।

10..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 70.

11..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 70، وغيره.

मस्अला 41 — हथेली या आस्तीन या इमामे के पेच या किसी और कपड़े पर जिसे पहने हुए है सज्दा किया और नीचे की जगह नापाक है तो सज्दा न हुवा, हां इन सब सूरतों में जब कि फिर पाक जगह पर सज्दा कर लिया तो हो गया।⁽¹⁾ (रुख़्तार)

मस्अला 42 — इमामे के पेच पर सज्दा किया अगर माथा ख़ूब जम गया, सज्दा हो गया और माथा न जमा बल्कि फ़क़त छू गया कि दबाने से दबेगा या सर का कोई हिस्सा लगा तो न हुवा।⁽²⁾ (रुख़्तार)

मस्अला 43 — ऐसी जगह सज्दा किया कि क़दम की ब निस्बत बारह उंगल से ज़ियादा ऊंची है, सज्दा न हुवा, वरना हो गया।⁽³⁾ (रुख़्तार)

मस्अला 44 — किसी छोटे पथ्थर पर सज्दा किया, अगर ज़ियादा हिस्सा पेशानी का लग गया हो गया, वरना नहीं।⁽⁴⁾ (हालैर)

(6) क़ादए अख़ीरा :

नमाज़ की रकअतें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अतहिय्यात यानी रसूलुहू तक पढ़ ली जाए, फ़र्ज़ है।⁽⁵⁾

मस्अला 45 — चार रकअत पढ़ने के बाद बैठा फिर येह गुमान कर के तीन ही हुई खड़ा हो गया, फिर याद कर के कि चार हो चुकीं बैठ गया फिर सलाम फेर दिया, अगर दोनों बार का बैठना मज्मूअतन ब क़दरे तशहहुद हो गया फ़र्ज़ अदा हो गया, वरना नहीं।⁽⁶⁾ (रुख़्तार)

मस्अला 46 — पूरा क़ादए अख़ीरा सोते में गुज़र गया, बादे बेदारी ब क़दरे तशहहुद बैठना फ़र्ज़ है, वरना नमाज़ न होगी, यूंही क़ियाम, क़िराअत, रुकूअ, सुजूद में अव्वल से आख़िर तक सोता ही रहा तो बादे बेदारी इन का इआदा फ़र्ज़ है, वरना नमाज़ न होगी और सज्दए सहव भी करे, लोग इस में गाफ़िल हैं खुसूसन तरावीह में, खुसूसन गर्मियों में।⁽⁷⁾ (रुख़्तार)

मस्अला 47 — पूरी रकअत सोते में पढ़ ली तो नमाज़ फ़ासिद हो गई।⁽⁸⁾ (रुख़्तार)

मस्अला 48 — चार रकअत वाले फ़र्ज़ में चौथी रकअत के बाद क़ादा न किया तो जब तक पांचवीं का सज्दा न किया हो बैठ जाए और पांचवीं का सज्दा कर लिया या फ़ज़्र में दूसरी पर

1..... "منية المصلي"، مسائل الفريضة الخامسة اى السجود، ص 262.

و "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 253.

2..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 252. 3..... المرجع السابق، ص 257.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج 1، ص 70.

5..... المرجع السابق. 6..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج 2، ص 170.

7..... "منية المصلي"، الفريضة السادسة و تحقيق التراويح، ص 267.

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، بحث شروط التحريم، ج 2، ص 180.

8..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج 2، ص 181.

नहीं बैठा और तीसरी का सज्दा कर लिया या मगरिब में तीसरी पर न बैठा और चौथी का सज्दा कर लिया तो इन सब सूरतों में फ़र्ज़ बातिल हो गए। मगरिब के सिवा और नमाज़ों में एक रकअत और मिला ले।⁽¹⁾ (غنية)

मस्अला 49

ब क़दरे तशहहुद बैठने के बाद याद आया कि सज्दे तिलावत या नमाज़ का कोई सज्दा करना है और कर लिया तो फ़र्ज़ है कि सज्दे के बाद फिर ब क़दरे तशहहुद बैठे, वोह पहला कादा जाता रहा, कादा न करेगा तो नमाज़ न होगी।⁽²⁾ (منية)

मस्अला 50

सज्दे सहव करने से पहला कादा बातिल न हुवा, मगर तशहहुद वाजिब है यानी अगर सज्दे सहव कर के सलाम फेर दिया तो फ़र्ज़ अदा हो गया, मगर गुनाहगार हुवा। इअ़ादा⁽³⁾ वाजिब है।⁽⁴⁾ (روايع)

(7) ख़ुरूजे बि सुन्ही :

यानी कादए अख़ीरा के बाद सलामो कलाम वग़ैरा कोई ऐसा फ़ेल जो मुनाफ़िये नमाज़ हो ब क़स्द करना, मगर सलाम के इलावा कोई दूसरा मुनाफ़ी क़स्दन पाया गया तो नमाज़ वाजिबुल इअ़ादा हुई और बिला क़स्द कोई मुनाफ़ी पाया गया तो नमाज़ बातिल। मसलन ब क़दरे तशहहुद बैठने के बाद तयम्मूम वाला पानी पर कादिर हुवा या मोजे पर मस्ह किये हुए था और मुद्दत पूरी हो गई या अमले क़लील के साथ मोजा उतार दिया या बिल्कुल बे पढ़ा था और कोई आयत बे किसी के पढ़ाए महज़ सुनने से याद हो गई या नंगा था अब पाक कपड़ा ब क़दरे सत्र किसी ने ला कर दे दिया जिस से नमाज़ हो सके यानी ब क़दरे मानेअ उस में नजासत न हो, या हो तो उस के पास कोई चीज़ ऐसी है जिस से पाक कर सके या येह भी नहीं, मगर उस कपड़े की चौथाई या ज़ियादा पाक है या इशारे से पढ़ रहा है अब रुकूओ सुजूद पर कादिर हो गया या साहिबे तरतीब को याद आया कि इस से पहले की नमाज़ नहीं पढ़ी है अगर वोह साहिबे तरतीब इमाम है तो मुक़्तदी की भी गई या इमाम को ह़दस हुवा और उम्मी को ख़लीफ़ा किया और तशहहुद के बाद ख़लीफ़ा किया तो नमाज़ हो गई या नमाज़े फ़ज़्र में आफ़ताब तुलूअ कर आया या नमाज़े जुमुअ में अ़स्र का वक़्त आ गया या ईदैन में निस्फुन्नहारे शर्ई हो गया या पट्टी पर मस्ह किये हुए था और ज़ख़म अच्छा हो कर वोह गिर गई या साहिबे उज़्र था अब उज़्र जाता रहा यानी उस वक़्त से वोह ह़दस मौकूफ़ हुवा यहां तक कि उस के बाद का दूसरा वक़्त पूरा ख़ाली रहा या नजिस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा था और उसे कोई चीज़ मिल गई जिस से त़हारत हो सकती है या क़ज़ा पढ़ रहा था और वक़्ते मक्रूह आ गया या बांदी सर खोले नमाज़ पढ़ रही थी और आज़ाद हो गई और फ़ौरन सर न ढांका, इन सब सूरतों में नमाज़ बातिल हो गई।⁽⁵⁾ (आम्माए कुतुब)

① "غنية المتعملي"، السادس القعدة الاخيرة، ص ٢٩٠.

② "منية المصلي"، الفريضة السادسة وهي القعدة الاخيرة، ص ٢٦٧.

③ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: كل شفع من النفل صلاة، ج ٢، ص ١٩٣. ⑤

मस्अला 51 मुक्तदी उम्मी था और इमाम क़ारी और नमाज़ में उसे कोई आयत याद हो गई तो नमाज़ बातिल न होगी।⁽¹⁾ (रुज़्ज़)

मस्अला 52 क़ियाम व रुकूअ सुजूद व क़ादए अख़ीरा में तरतीब फ़र्ज़ है, अगर क़ियाम से पहले रुकूअ कर लिया फिर क़ियाम किया तो वोह रुकूअ जाता रहा, अगर बाद क़ियाम फिर रुकूअ करेगा नमाज़ हो जाएगी वरना नहीं। यूँही रुकूअ से पहले, सज्दा करने के बाद अगर रुकूअ फिर सज्दा कर लिया हो जाएगी, वरना नहीं।⁽²⁾ (रुज़्ज़)

मस्अला 53 जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं इन में इमाम की मुताबअत मुक्तदी पर फ़र्ज़ है यानी इन में का कोई फ़ेल इमाम से पेशतर अदा कर चुका और इमाम के साथ या इमाम के अदा करने के बाद अदा न किया तो नमाज़ न होगी मसलन इमाम से पहले रुकूअ या सज्दा कर लिया और इमाम रुकूअ या सज्दे में अभी आया भी न था कि उस ने सर उठा लिया तो अगर इमाम के साथ या बाद को अदा कर लिया हो गई, वरना नहीं।⁽³⁾ (रुज़्ज़, रुज़्ज़)

मस्अला 54 मुक्तदी के लिये येह भी फ़र्ज़ है कि इमाम की नमाज़ को अपने ख़याल में सहीह तसव्वुर करता हो और अगर अपने नज़्दीक इमाम की नमाज़ बातिल समझता है तो इस की न हुई। अगर्चे इमाम की नमाज़ सहीह हो।⁽⁴⁾ (रुज़्ज़)

वाजिबाते नमाज़

(1) तकबीरे तहरीमा में लफ़ज़ अल्लाहु अक़बर होना।

(2 ता 8) अलहमद पढ़ना यानी इस की सातों आयतें कि हर एक आयत मुस्तक़िल वाजिब है, इन में एक आयत बल्कि एक लफ़ज़ का तर्क भी तर्के वाजिब है।

(9) सूरत मिलाना यानी एक छोटी सूरत जैसे **إِنَّا أَغْطِيكَ الْكَوْثَرَ** या तीन छोटी आयतें जैसे **مَنْ تَقَرَّ مُمْ عَيْسَ وَيَسَّرَ مُمْ أَدِيرَ وَاسْتَكْبِرَ** या एक या दो आयतें तीन छोटी के बराबर पढ़ना।

(10 व 11) नमाज़े फ़र्ज़ में दो पहली रकअतों में क़िराअत वाजिब है।

(12 व 13) अलहमद और इस के साथ सूरत मिलाना फ़र्ज़ की दो पहली रकअतों में और नफ़ल व वित्र की हर रकअत में वाजिब है।

1..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، المسائل الاثنا عشرية، ج 2، ص 430.

2..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بحث الخروج بصنعه، ج 2، ص 172.

3..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بحث الخروج بصنعه، ج 2، ص 173.

4..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج 2، ص 173.

- (14) अलहमद का सूरत से पहले होना ।
- (15) हर रकअत में सूरत से पहले एक ही बार अलहमद पढ़ना ।
- (16) अलहमद व सूरत के दरमियान किसी अजनबी का फ़ासिल न होना, आमीन ताबेए अलहमद है और बिस्मिल्लाह ताबेए सूरत, येह अजनबी नहीं ।
- (17) क़िराअत के बाद मुत्तसिलन रुकूअ करना ।
- (18) एक सज्दे के बाद दूसरा सज्दा होना कि दोनों के दरमियान कोई रुकन फ़ासिल न हो ।
- (19) तादीले अरकान यानी रुकूओ सुजूद व क़ौमा व जल्सा में कम अज़ कम एक बार سُبْحَانَ اللَّهِ कहने की क़दर ठहरना यूँही
- (20) क़ौमा यानी रुकूअ से सीधा खड़ा होना ।
- (21) जल्सा यानी दो सज्दों के दरमियान सीधा बैठना ।
- (22) क़ादए ऊला अगर्चे नमाज़े नफ़ल हो और
- (23) फ़र्जों वित्र व सुनने रवातिब⁽¹⁾ में क़ादए ऊला में तशह्हुद पर कुछ न बढ़ाना ।
- (24 व 25) दोनों क़ादों में पूरा तशह्हुद पढ़ना, यूँही जितने क़ादे करने पड़ें सब में पूरा तशह्हुद वाजिब है एक लफ़ज़ भी अगर छोड़ेगा, तर्के वाजिब होगा और
- (26 व 27) लफ़ज़ اَلْسَّلَامُ दो बार । और लफ़ज़ عَلَيْكُمْ वाजिब नहीं और
- (28) वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना और
- (29) तक्बीरे कुनूत और
- (30 ता 35) ईदैन की छेओं तक्बीरें और
- (36) ईदैन में दूसरी रकअत की तक्बीरे रुकूअ और
- (37) इस तक्बीर के लिये लफ़ज़ اَللّٰهُ اَكْبَر होना और
- (38) हर जहरी नमाज़ में इमाम को जहर्⁽²⁾ से क़िराअत करना और
- (39) ग़ैरे जहरी⁽³⁾ में आहिस्ता ।
- (40) हर वाजिब व फ़र्ज़ का उस की जगह पर होना ।
- (41) रुकूअ का हर रकअत में एक ही बार होना और

①....सुनने रवातिब यानी सुन्नते मुअक्कदा । ②....यानी बुलन्द आवाज़ । ③....मसलन ज़ोहर व अस् ।

(42) सुजूद का दो ही बार होना ।

(43) दूसरी से पहले क़ादा न करना और

(44) चार रक्अत वाली में तीसरी पर क़ादा न होना ।

(45) आयते सज्दा पढ़ी हो तो सज्दे तिलावत करना ।

(46) सहव हुवा हो तो सज्दे सहव करना ।

(47) दो फ़र्ज़ या दो वाजिब या वाजिब फ़र्ज़ के दरमियान तीन तस्बीह की क़दर⁽¹⁾ वक़फ़ा न होना ।

(48) इमाम जब क़िराअत करे बुलन्द आवाज़ से हो ख़्वाह आहिस्ता, उस वक़्त मुक़्तदी का चुप रहना ।

(49) सिवा क़िराअत के तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबेअत करना ।⁽²⁾

मस्अला 55 किसी क़ादे में तशहहुद का कोई हिस्सा भूल जाए तो सज्दे सहव वाजिब है ।⁽³⁾ (دریغ)

मस्अला 56 आयते सज्दा पढ़ी और सज्दे में सहवन तीन आयत या ज़ियादा की ताख़ीर हुई तो सज्दे सहव करे ।⁽⁴⁾ (غنی)

मस्अला 57 सूत पहले पढ़ी इस के बाद अलहमद या अलहमद व सूत के दरमियान देर तक यानी तीन बार سُبْحَانَ اللَّهِ कहने की क़दर चुपका रहा, सज्दे सहव वाजिब है ।⁽⁵⁾ (دریغ)

मस्अला 58 अलहमद का एक लफ़्ज़ भी रह गया तो सज्दे सहव करे ।⁽⁶⁾ (دریغ)

मस्अला 59 जो चीज़ें फ़र्ज़ व वाजिब हैं मुक़्तदी पर वाजिब है कि इमाम के साथ उन्हें अदा करे, बशर्ते कि किसी वाजिब का तअरुज़ न पड़े और तअरुज़ हो तो उसे फ़ौत न करे बल्कि उस को अदा कर के मुताबेअत करे : मसलन इमाम तशहहुद पढ़ कर खड़ा हो गया और मुक़्तदी ने अभी पूरा नहीं पढ़ा तो मुक़्तदी को वाजिब है कि पूरा कर के खड़ा हो और सुन्नत में मुताबेअत सुन्नत है, बशर्ते कि तअरुज़ न हो और तअरुज़ हो तो उस को तर्क करे और इमाम की मुताबेअत करे : मसलन रुकूअ या सज्दे में उस ने तीन बार तस्बीह न कही थी

①....यानी तीन बार "سُبْحَانَ اللَّهِ" कहने की मिव्दार ।

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: واجبات صلاة، ج ۲، ص ۱۸۴-۲۰۳، وغيرهما .

③..... "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۲، ص ۱۹۶. ④..... "غنية المتملی"، واجبات الصلاة، ص ۲۹۶ .

⑤..... "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ۲، ص ۱۸۷ .

⑥..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: کل صلاة أدیت... إلخ، ج ۲، ص ۱۸۴ .

कि इमाम ने सर उठा लिया तो येह भी उठा ले।⁽¹⁾ (रुद्धार)

मस्अला 60 एक सज्दा किसी रक्अत का भूल गया तो जब याद आए कर ले, अगर्चे सलाम के बाद बशर्ते कि कोई फ़ेले मुनाफ़ी न सादिर हुवा हो और सज्दए सहव करे।⁽²⁾

(रुद्धार)

मस्अला 61 एक रक्अत में तीन सज्दे किये या दो रुकूअ या कादए ऊला भूल गया तो सज्दए सहव करे।⁽³⁾ (रुद्धार)

मस्अला 62 अल्फ़ाजे तशहहुद⁽⁴⁾ से उन के मअानी का क़स्द और इन्शा ज़रूरी है, गोया अल्लाह ﷻ के लिये तहिय्यत करता है और नबी ﷺ और अपने ऊपर और औलियाउल्लाह पर सलाम भेजता है न येह कि वाकिअए मेराज की हिकायत मदे नज़र हो।⁽⁵⁾ (माल्गीरी, रुद्धार)

मस्अला 63 फ़र्जों वित्र व सुनने रवातिब के कादए ऊला में अगर तशहहुद के बाद इतना कह लिया اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا يَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ तो अगर सहवन हो सज्दए सहव करे, अमदन हो तो इआदा वाजिब है।⁽⁶⁾ (माल्गीरी, रुद्धार)

मस्अला 64 मुक्तदी कादए ऊला में इमाम से पहले तशहहुद पढ़ चुका तो सुकूत करे, दुरूद व दुआ कुछ न पढ़े और मस्बूक को चाहिये कि कादए अखीरा में ठहर ठहर कर पढ़े कि इमाम के सलाम के वक्त फ़ारिग़ हो और सलाम से पेशतर फ़ारिग़ हो गया तो कलिमए शहादत की तक्रार करे।⁽⁷⁾ (रुद्धार)

सुनने नमाज़

- (1) तहरीमा के लिये हाथ उठाना और
- (2) हाथों की उंगलियां अपने हाल पर छोड़ना। यानी न बिल्कुल मिलाए न ब तकल्लुफ़ कुशादा रखे बल्कि अपने हाल पर छोड़ दे।
- (3) हथेलियों और उंगलियों के पेट का क़िब्ला रू होना।

1..... "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: مهم في تحقيق متابعة الامام، ج 2، ص 202.

2..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج 2، ص 192.

3..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج 2، ص 201.

4..... जब कलिमाते तशहहुद इन्शाए तहिय्यतो सलाम हुए, न महज़ हिकायते वाकिअए शबे मेराज तो रसूलुल्लाह ﷺ को निदा करना जिसे वहाबिया बिद्अत व शिर्क कहते हैं ऐसा जाइज़ साबित हुवा कि नमाज़ में वाजिब है। 12 मिन्ह

5..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 269.

و الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 72.

6..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 269.

7..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج 2، ص 270.

(4) ब वक्ते तक्बीर सर न झुकाना ।

(5) तक्बीर से पहले हाथ उठाना यूंही

(6) तक्बीरे कुनूत व

(7-8) तक्बीराते ईदैन में कानों तक हाथ ले जाने के बाद तक्बीर कहे और इन के इलावा किसी जगह नमाज़ में हाथ उठाना सुन्नत नहीं ।⁽¹⁾

मस्अला 65 अगर तक्बीर कह ली और हाथ न उठाया तो अब न उठाए और अल्लाहु अक्बर पूरा कहने से पेशतर याद आ गया तो उठाए और अगर मौजए मस्नून तक मुम्किन न हो तो जहां तक हो सके उठाए ।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्अला 66 औरत के लिये सुन्नत येह है कि मूँढों तक हाथ उठाए ।⁽³⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 67 कोई शख्स एक ही हाथ उठा सकता है तो एक ही उठाए और अगर हाथ मौजए मस्नून से ज़ियादा करे जब ही उठता है तो उठाए ।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

(9) इमाम का बुलन्द आवाज़ से अल्लाहु अक्बर और

(10) سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ और

(11) सलाम कहना जिस क़दर बुलन्द आवाज़ की हाज़त हो और बिला हाज़त बहुत ज़ियादा बुलन्द आवाज़ करना मक्रूह है ।⁽⁵⁾

मस्अला 68 इमाम को तक्बीरे तहरीमा और तक्बीराते इन्तिक़ाल सब में जहर मस्नून है ।⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 69 अगर इमाम की तक्बीर की आवाज़ तमाम मुक्तदियों को नहीं पहुंचती तो बेहतर है कि कोई मुक्तदी भी बुलन्द आवाज़ से तक्बीर कहे कि नमाज़ शुरूअ होने और इन्तिक़ालात का हाल सब को मालूम हो जाए और बिला ज़रूरत मक्रूह व बिद्अत है ।⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

①..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في قولهم الإساءة دون الكراهة، ج ٢، ص ٢٠٨. و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٢. و "غنية المتملي"، صفة الصلاة، ص ٣٠٠.

②..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٣.

③..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ٢، ص ٢٢٢.

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٣.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في قولهم الإساءة دون الكراهة، ج ٢، ص ٢٠٨.

⑥..... المرجع السابق. ⑦..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في التبليغ خلف الامام، ج ٢، ص ٢٠٩.

मस्अला 70

तक्बीरे तहरीमा से अगर तहरीमा मक्सूद न हो बल्कि महज़ एलान मक्सूद हो तो नमाज़ ही न होगी। यूं होना चाहिये कि नफ़से तक्बीर से तहरीमा मक्सूद हो और जहर से एलान, यूंही आवाज़ पहुंचाने वाले को क़स्द करना चाहिये अगर इस ने फ़क़त आवाज़ पहुंचाने का क़स्द किया तो न इस की नमाज़ हो, न उस की जो इस की आवाज़ पर तहरीमा बांधे और इलावा तक्बीरे तहरीमा के और तक्बीरात या سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ या رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ में अगर महज़ एलान का क़स्द हो तो नमाज़ फ़ासिद न होगी, अलबत्ता मक्रूह होगी कि तर्के सुन्नत है।⁽¹⁾ (رد المحتار)

मस्अला 71

मुकब्बिर को चाहिये कि उस जगह से तक्बीर कहे जहां से लोगों को इस की हाज़त है, पहली या दूसरी सफ़ में जहां तक इमाम की आवाज़ बिला तकल्लुफ़ पहुंचती है, यहां से तक्बीर कहने का क्या फ़ाएदा नीज़ येह बहुत ज़रूरी है कि इमाम की आवाज़ के साथ तक्बीर कहे, इमाम के कह लेने के बाद तक्बीर कहने से लोगों को धोका लगेगा, नीज़ येह कि अगर मुकब्बिर ने तक्बीर में मद किया तो इमाम के तक्बीर कह लेने के बाद उस की तक्बीर ख़त्म होने का इन्तिज़ार न करें, बल्कि तशहहुद वगैरा पढ़ना शुरूअ कर दें यहां तक कि अगर इमाम तक्बीर कहने के बाद इस के इन्तिज़ार में तीन बार سُبْحَانَ اللَّهِ कहने के बराबर ख़ामोश रहा, इस के बाद तशहहुद शुरूअ किया तर्के वाजिब हुवा, नमाज़ वाजिबुल इअ़ादा है।

मस्अला 72

मुक़तदी व मुन्फ़रिद को जहर की हाज़त नहीं, सिर्फ़ इतना ज़रूरी है कि खुद सुनें।⁽²⁾ (رد المحتار)

(12) बादे तक्बीर फ़ौरन हाथ बांध लेना यूं कि मर्द नाफ़ के नीचे दहने हाथ की हथेली बाई कलाई के जोड़ पर रखे, छुंगल्ल्या और अंगूठा कलाई के अगल बगल रखे और बाकी उंगलियों को बाई कलाई की पुशत पर बिछाए और औरत व खुन्सा बाई हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उस की पुशत पर दहनी हथेली रखे।⁽³⁾ (غنية وغيرها) बाज़ लोग तक्बीर के बाद हाथ सीधे लटका लेते हैं फिर बांधते हैं येह न चाहिये, बल्कि नाफ़ के नीचे ला कर बांध ले।

मस्अला 73

बैठे या लैटे नमाज़ पढ़े, जब भी यूंही हाथ बांधे।⁽⁴⁾ (رد المحتار)

मस्अला 74

जिस क़ियाम में ज़िक्र मस्नून हो उस में हाथ बांधना सुन्नत है तो सना और दुआए कुनूत पढ़ते वक़्त और जनाजे में तक्बीरे तहरीमा के बाद चौथी तक्बीर तक हाथ बांधे और रुकूअ से खड़े होने और तक्बीराते ईदैन में हाथ न बांधे।⁽⁵⁾ (رد المحتار)

①..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في التبليغ خلف الامام، ج ٢، ص ٢٠٩.

②..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ٢، ص ٢٠٩. ③..... "غنية المتعالي"، صفة الصلاة، ص ٣٠٠، وغيرها.

④..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، مطلب في بيان المتواتر بالشاذ، ج ٢، ص ٢٢٩.

⑤..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، مطلب في بيان المتواتر بالشاذ، ج ٢، ص ٢٣٠.

- (13) सना व
- (14) तअव्वुज़ व
- (15) तस्मिया व
- (16) आमीन कहना और
- (17) इन सब का आहिस्ता होना ।
- (18) पहले सना पढ़े ।
- (19) फिर तअव्वुज़⁽¹⁾
- (20) फिर तस्मिया⁽²⁾
- (21) और हर एक के बाद दूसरे को फ़ौरन पढ़े, वक़फ़ा न करे,
- (22) तहरीमा के बाद फ़ौरन सना पढ़े और सना में وَجَلَّ تَنَاضًى ग़ैरे जनाज़ा में न पढ़े और दीगर अज़कार जो अहदीस में वारिद हैं, वोह सब नफ़ल के लिये हैं ।

मस्अला 75 — इमाम ने बिल जहर क़िराअत शुरूअ कर दी तो मुक़तदी सना न पढ़े अगर्चे ब वज्हे दूर होने या बहरे होने के इमाम की आवाज़ न सुनता हो जैसे जुमुआ व ईदैन में पिछली सफ़ के मुक़तदी कि ब वज्हे दूर होने के क़िराअत नहीं सुनते ।⁽³⁾ (عالمگیری، غنیہ) इमाम आहिस्ता पढ़ता हो तो पढ़ ले ।⁽⁴⁾ (رد المحتار)

मस्अला 76 — इमाम को रुकूअ या पहले सज्दे में पाया तो अगर ग़ालिब गुमान है कि सना पढ़ कर पा लेगा तो पढ़े और कादे या दूसरे सज्दे में पाया तो बेहतर येह है कि बिग़ैर सना पढ़े शामिल हो जाए ।⁽⁵⁾ (رد المحتار)

मस्अला 77 — नमाज़ में अरुजु व बिस्मिल्लाह क़िराअत के ताबेअ हैं और मुक़तदी पर क़िराअत नहीं, लिहाज़ा तअव्वुज़ व तस्मिया भी इन के लिये मस्नून नहीं, हां जिस मुक़तदी की कोई रकअत जाती रही हो तो जब वोह अपनी बाक़ी रकअत पढ़े, उस वक़्त इन दोनों को पढ़े ।⁽⁶⁾ (رد المحتار)

मस्अला 78 — तअव्वुज़ सिर्फ़ पहली रकअत में है और तस्मिया हर रकअत के अव्वल में मस्नून है । फ़ातिहा के बाद अगर अव्वल सूरात शुरूअ की तो सूरात पढ़ते वक़्त बिस्मिल्लाह

①यानी اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

②यानी بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع ج ١، ص ٩٠. و "غنية المتملّي"، صفة الصلاة، ص ٣٠٤.

④ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في بيان المتواتر بالشاذ، ج ٢، ص ٢٣٢.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في بيان المتواتر بالشاذ، ج ٢، ص ٢٣٢.

⑥ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في بيان المتواتر بالشاذ، ج ٢، ص ٢٣٤.

पढ़ना मुस्तहसन है, क़िराअत ख़्वाह सिर्री हो या जहरी, मगर बिस्मिल्लाह बहर हाल आहिस्ता पढ़ी जाए।⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 79 अगर सना व तअव्वुज़ व तस्मिया पढ़ना भूल गया और क़िराअत शुरूअ कर दी तो इआदा न करे कि इन का महल ही फ़ौत हो गया, यूँही अगर सना पढ़ना भूल गया और तअव्वुज़ शुरूअ कर दिया तो सना का इआदा नहीं।⁽²⁾ (درمختار)

मस्अला 80 मस्बूक शुरूअ में सना न पढ़ सका तो जब अपनी बाकी रकअत पढ़ना शुरूअ करे, उस वक़्त पढ़ ले।⁽³⁾ (غنیہ)

मस्अला 81 फ़राइज़ में निय्यत के बाद तक्बीर से पहले या बाद “إِنِّیْ وَجَّهْتُ...إِلَیْهِ” न पढ़े और पढ़े तो इस के आख़िर में وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ की जगह وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ (غنیہ وغیرہ)

मस्अला 82 (23) इदैन में तक्बीरे तहरीमा ही के बाद सना कह ले और सना पढ़ते वक़्त हाथ बांध ले और اَعُوْذُ بِاللّٰهِ चौथी तक्बीर के बाद कहे।⁽⁵⁾ (درمختاروغیرہ)

मस्अला 83 आमीन को तीन तरह पढ़ सकते हैं, मद कि अलिफ़ को खींच कर पढ़ें और क़स्र कि अलिफ़ को दराज़ न करें और इमाला कि मद की सूरत में अलिफ़ को या की तरह माइल करें।⁽⁶⁾ (درمختار)

मस्अला 84 अगर मद के साथ م को तश्दीद पढ़ी⁽⁷⁾ या “ی” को गिरा दिया⁽⁸⁾ तो भी नमाज़ हो जाएगी, मगर ख़िलाफ़े सुन्नत है और अगर मद के साथ م को तश्दीद पढ़ी और ی को हज़फ़ कर दिया⁽⁹⁾ या क़स्र के साथ तश्दीद⁽¹⁰⁾ या हज़फ़े ی हो⁽¹¹⁾ तो इन सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।⁽¹²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 85 इमाम की आवाज़ इस को न पहुंची मगर इस के बराबर वाले दूसरे मुक़तदी ने आमीन कही और इस ने आमीन की आवाज़ सुन ली, अगर्चे उस ने आहिस्ता कही है तो येह भी आमीन कहे, ग़रज़ येह कि इमाम का وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ कहना मालूम हो तो आमीन कहना

①..... “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في بيان المتواتر بالشاذ، ج ٢، ص ٢٣٢.

②..... “ردالمحتار”، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في بيان المتواتر بالشاذ، ج ٢، ص ٢٣٣.

③..... “غنية المتعلمي”، صفة الصلاة، ص ٣٠٤. ④..... “غنية المتعلمي”، صفة الصلاة، ص ٣٠٣، وغيرها.

⑤..... “الدرالمختار”، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ٢، ص ٢٣٤، وغيره.

⑥..... “الدرالمختار”، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ٢، ص ٢٣٧.

⑦..... آمِیْن۔ ⑧..... آمِنْ۔ ⑨..... آمِیْن۔ ⑩..... آمِیْن۔ ⑪..... آمِنْ۔ ⑫..... “الدرالمختار”، و “ردالمحتار”، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: قراءة البسملة... إلخ، ج ٢، ص ٢٣٧.

सुन्नत हो जाएगा, इमाम की आवाज़ सुने या किसी मुक्तदी के आमीन कहने से मालूम हुवा हो।⁽¹⁾ (روايات)

मसाला 86 - सिरी नमाज़ में इमाम ने आमीन कही और येह उस के करीब था कि इमाम की आवाज़ सुन ली तो येह भी कहे।⁽²⁾ (روايات) और

(24) रुकूअ में तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ कहना और

(25) घुटनों को हाथ से पकड़ना और

(26) उंगलियां खूब खुली रखना, येह हुक्म मर्दों के लिये है और

(27) औरतों के लिये सुन्नत घुटनों पर हाथ रखना और

(28) उंगलियां कुशादा न करना है आज कल अक्सर मर्द रुकूअ में महज़ हाथ रख देते और उंगलियां मिला कर रखते हैं येह ख़िलाफ़े सुन्नत है।

(29) हालते रुकूअ में टांगें सीधी होना, अक्सर लोग कमान की तरह टेढ़ी कर लेते हैं येह मक्रूह है।

(30) रुकूअ के लिये **अल्लाहु अक्बर** कहना।

मसाला 87 - अगर “ظ” अदा न कर सके तो سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ की जगह سُبْحَانَ رَبِّيَ الْكَرِيمِ कहे।⁽³⁾ (روايات)

मसाला 88 - बेहतर येह है कि **अल्लाहु अक्बर** कहता हुवा रुकूअ को जाए यानी जब रुकूअ के लिये झुकना शुरूअ करे तो **अल्लाहु अक्बर** शुरूअ करे और ख़तमे रुकूअ पर तक्बीर ख़तम करे।⁽⁴⁾ (عالمگیری) इस मसाफ़त के पूरा करने के लिये الله के ل को बढ़ाए, अक्बर की ب वगैरा किसी हर्फ़ को न बढ़ाए।

मसाला 89 - (31) हर तक्बीर में اللهُ أَكْبَرُ की “ر” को जज़्म पढ़े।⁽⁵⁾

(عالمگیری)

मसाला 90 - आख़िरे सूरात में अगर **अल्लाहु अज़ज़ल** की सना हो तो अफ़ज़ल येह कि क़िराअत को तक्बीर से वस्ल करे जैसे اللهُ أَكْبَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللهُ أَكْبَرُ (ث) को कस्रा पढ़े और अगर आख़िर में कोई लफ़ज़ ऐसा है जिस का इस्मे जलालत के साथ

①..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ٢، ص ٢٣٩. ②..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ٢، ص ٢٣٩. ③..... “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: قراءة البسملة... إلخ، ج ٢، ص ٢٤٢. ④..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٤. ⑤..... المرجع السابق.

मिलाना न पसन्द हो तो फ़स्ल बेहतर है यानी ख़त्मे क़िराअत पर ठहरे फिर **اللّٰهُ اَكْبَرُ** कहे, जैसे **اِنْ شَاءَ رَبُّكَ هُوَ الْاَبْتَرُ** में वक़फ़ व फ़स्ल करे फिर रुकूअ के लिये **اللّٰهُ اَكْبَرُ** कहे और अगर दोनों न हों तो फ़स्ल व वस्ल दोनों यक़्सां हैं।⁽¹⁾ (रुआल, फ़तावा रज़विय्या)

मस्अला 91

किसी आने वाले की वजह से रुकूअ या क़िराअत में तूल देना मक्रूहे तहरीमी है, जब कि उसे पहचानता हो यानी उस की खातिर मल्हूज़ हो और न पहचानता हो तो तवील करना अफ़ज़ल है कि नेकी पर इआनत है, मगर इस क़दर तूल न दे कि मुक़्तदी घबरा जाएं।⁽²⁾ (रुआल)

मस्अला 92

मुक़्तदी ने अभी तीन बार तस्बीह न कही थी कि इमाम ने रुकूअ या सज्दे से सर उठा लिया तो मुक़्तदी पर इमाम की मुताबअत वाजिब है। और अगर मुक़्तदी ने इमाम से पहले सर उठा लिया तो मुक़्तदी पर लौटना वाजिब है, न लौटेगा तो कराहते तहरीम का मुरतकिब होगा, गुनाहगार होगा।⁽³⁾ (दरमिअर, रुआल)

मस्अला 93

(32) रुकूअ में पीठ ख़ूब बिछी रखे यहां तक कि अगर पानी का प्याला उस की पीठ पर रख दिया जाए तो ठहर जाए।⁽⁴⁾ (فتح القدير)

मस्अला 94

रुकूअ में न सर झुकाए न ऊंचा हो बल्कि पीठ के बराबर हो।⁽⁵⁾ (هداية) हदीस में है : “उस शख्स की नमाज़ न काफ़ी है (यानी कामिल नहीं) जो रुकूओ सुजूद में पीठ सीधी नहीं करता।”⁽⁶⁾ यह हदीस अबू दावूद व तिरमिज़ी व नसाई व इब्ने माजह व दारिमी ने अबू मस्ऊद رضي الله تعالى عنه से रिवायत की और तिरमिज़ी ने कहा : येह हदीस हसन सहीह है और फ़रमाते हैं **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** : “रुकूओ सुजूद को पूरा करो कि खुदा की क़सम मैं तुम्हें अपने पीछे से देखता हूं।”⁽⁷⁾ इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस رضي الله تعالى عنه से रिवायत किया।

मस्अला 95

(33) औरत रुकूअ में थोड़ा झुके यानी सिर्फ़ इस क़दर कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, पीठ सीधी न करे और घुटनों पर ज़ोर न दे, बल्कि महज़ हाथ रख दे और हाथों

1..... “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: قراءة البسملة... إلخ، ج ٢، ص ٢٤٠. و “الفتاوى الرضوية”، ج ٦، ص ٣٣٥.

2..... “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للحائى، ج ٢، ص ٢٤٢.

3..... “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للحائى، ج ٢، ص ٢٤٣.

4..... “فتح القدير”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ١، ص ٢٥٩. 5..... “الهداية”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ١، ص ٥٠.

6..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، الحديث: ٨٥٥، ج ١، ص ٣٢٥.

7..... “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب الخشوع في الصلاة، الحديث: ٧٤٢، ج ١، ص ٢٦٣.

(1) की उंगलियां मिली हुई रखे और पाउं झुके हुए रखे। मर्दों की तरह खूब सीधे न कर दे। (عाल्गी)

मस्अला 96 - तीन बार तस्बीह अदना⁽²⁾ दरजा है कि इस से कम में सुन्नत अदा ना होगी और तीन बार से ज़ियादा कहे तो अफ़ज़ल है मगर ख़त्म ताक़ अदद⁽³⁾ पर हो हां अगर येह इमाम है और मुक्तदी घबराते हों तो ज़ियादा न करे।⁽⁴⁾ हिल्या में अब्दुल्लाह बिन मुबारक رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ वगैरा से है कि “इमाम के लिये तस्बीहात पांच बार कहना मुस्तहब है।”⁽⁵⁾ हदीस में है कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जब कोई रुकूअ करे और तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ कहे तो उस का रुकूअ तमाम हो गया और येह अदना दरजा है और जब सज्दा करे और तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى कहे तो सज्दा पूरा हो गया और येह अदना दरजा है।”⁽⁶⁾ इस को अबू दावूद और तिरमिज़ी व इब्ने माजह ने अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत किया।

मस्अला 97 - (34) रुकूअ से जब उठे तो हाथ न बांधे लटका हुआ छोड़ दे।⁽⁷⁾

(عाल्गी)

मस्अला 98 - (35) سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ की ० को साकिन पढ़े, इस पर हरकत ज़ाहिर न करे, न दाल को बढ़ाए।⁽⁸⁾ (عाल्गी)

(36) रुकूअ से उठने में इमाम के लिये سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ कहना और

(37) मुक्तदी के लिये اَللّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد कहना और

(38) मुन्फ़रिद को दोनों कहना सुन्नत है।

मस्अला 99 - سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ से भी सुन्नत अदा हो जाती है मगर ० होना बेहतर है और اَللّهُمَّ होना इस से बेहतर और सब में बेहतर येह है कि दोनों हों।⁽⁹⁾ हुज़ूरे अक्दस رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ इरशाद फ़रमाते हैं : “जब इमाम سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ कहे तो

① “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٤.

② यानी कम अज़ कम।

③ मसलन पांच, सात, नव।

④ “فتح القدير”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ١، ص ٢٥٩. ⑤ “حلية”،

⑥ “جامع الترمذي”، ابواب الصلاة، باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود، الحديث: ٢٦١، ج ١، ص ٢٩٦.

⑦ “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٣.

⑧ المرجع السابق، ص ٧٥.

⑨ “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ٢، ص ٢٤٦. لَمِنَ اَللّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد ١٢.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ कहो कि जिस का कौल फ़रिश्तों के कौल के मुवाफ़िक़ हुवा, उस के अगले गुनाह की मग़ि़रत हो जाएगी।⁽¹⁾ इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत किया।

मस्अला 100 मुन्फ़रिद سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ कहता हुवा रुकूअ से उठे और सीधा खड़ा हो कर اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (2) कहें।

(39) सज्दे के लिये और

(40) सज्दे से उठने के लिये अल्लाहु अक्बर कहना और

(41) सज्दे में कम अज़ कम तीन बार سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى कहना और

(42) सज्दे में हाथ का ज़मीन पर रखना

मस्अला 101 (43) सज्दे में जाए तो ज़मीन पर पहले घुटने रखे फिर

(44) हाथ फिर

(45) नाक फिर

(46) पेशानी और जब सज्दे से उठे तो इस का अक्स (उलट) करे यानी

(47) पहले पेशानी उठाए फिर

(48) नाक फिर

(49) हाथ फिर

(50) घुटने। (3) (عالمگیری)

رسूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ जब सज्दे को जाते तो पहले घुटने रखते फिर हाथ और जब उठते तो पहले हाथ उठाते फिर घुटने।⁽⁴⁾ अस्हाबे सुनने अरबआ और दारिमी ने इस हदीस को वाइल इब्ने हज़र رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत किया।

मस्अला 102 (51) मर्द के लिये सज्दे में सुन्नत येह है कि बाजू करवटों से जुदा हों, (52) और पेट रानों से और (53) कलाइयां ज़मीन पर न बिछाए, मगर जब सफ़ में हो तो

1..... "صحيح البخاري"، كتاب الأذان، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، الحديث: 796، ج 1، ص 279.

2..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج 2، ص 247.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج 1، ص 75.

4..... "سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، الحديث: 838، ج 1، ص 320.

बाजू करवटों से जुदा न होंगे।⁽¹⁾ (हदाय़े, عالمگیری, درمختار) (54) हदीस में है जिस को बुख़ारी व मुस्लिम ने अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत किया कि फ़रमाते हैं “सज्दे में एतिदाल करे और कुत्ते की तरह कलाइयां न बिछाए।”⁽²⁾ और सहीह मुस्लिम में बराअ बिन अज़िब رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जब तू सज्दा करे तो हथेली को ज़मीन पर रख दे और कोहनियां उठा ले।”⁽³⁾ अबू दावूद ने उम्मुल मुअमिनीन मैमूना رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रिवायत की, कि जब हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) सज्दा करते तो दोनों हाथ करवटों से दूर रखते, यहां तक कि हाथों के नीचे से अगर बकरी का बच्चा गुज़रना चाहता तो गुज़र जाता।”⁽⁴⁾ और मुस्लिम की रिवायत भी इसी के मिसल है, दूसरी रिवायत बुख़ारी व मुस्लिम की अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने बहलीना से यूं है कि हाथों को कुशादा रखते, यहां तक कि बग़ल मुबारक की सपेदी ज़ाहिर होती।⁽⁵⁾

मस्अला 103

(55) औरत सिमट कर सज्दा करे, यानी बाजू करवटों से मिला दे, (56) और पेट रान से, (57) और रान पिंडलियों से, और (58) पिंडलियां ज़मीन से।⁽⁶⁾

(عالمگیری وغیره)

मस्अला 104

(59) दोनों घुटने एक साथ ज़मीन पर रखे और अगर किसी उज़्र से एक साथ न रख सकता हो तो पहले दाहना रखे फिर बायां।⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 105

अगर कोई कपड़ा बिछा कर उस पर सज्दा करे तो हरज नहीं और जो कपड़ा पहने हुए है उस का कोना बिछा कर सज्दा किया या हाथों पर सज्दा किया तो अगर उज़्र नहीं है तो मक़रूह है और अगर वहां कंकरियां हैं या ज़मीन सख़्त गर्म या सख़्त सर्द है तो मक़रूह नहीं और वहां धूल हो और इमामे को गर्द से बचाने के लिये पहने हुए कपड़े पर सज्दा किया तो हरज नहीं और चेहरे को खाक से बचाने के लिये किया तो मक़रूह है।⁽⁸⁾ (درمختار)

1..... "الهداية"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ١، ص ٥١.

و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ٢، ص ٢٥٧.

2..... "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود... إلخ، الحديث: ٤٩٣، ص ٢٥٤.

3..... "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود... إلخ، الحديث: ٤٩٤، ص ٢٥٤.

4..... "سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب صفة السجود، الحديث: ٨٩٨، ج ١، ص ٣٤٠.

5..... "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود... إلخ، الحديث: ٤٩٥، ص ٢٥٥.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٥، وغيره.

7..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للحائض، ج ٢، ص ٢٤٧.

8..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ٢، ص ٢٥٥.

मस्अला 106 - अचकन⁽¹⁾ वगैरा बिछा कर नमाज़ पढ़े तो इस का ऊपर का हिस्सा पाउं के नीचे रखे और दामन पर सज्दा करे।⁽²⁾ (रुई)

मस्अला 107 - सज्दे में एक पाउं उठा हुवा रखना मक्रूह व मन्मूअ है।⁽³⁾ (रुई)
(60) दोनों सज्दों के दरमियान मिस्ल तशहहुद के बैठना यानी बायां क़दम बिछाना और दाहना खड़ा रखना, (61) और हाथों का रानों पर रखना, (62) सज्दों में उंगलियां किब्ला रू होना, (63) हाथों की उंगलियां मिली हुई होना।

मस्अला 108 - (64) सज्दे में दोनों पाउं की दसों उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना सुन्नत है और हर पाउं की तीन तीन उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना वाजिब और दसों का किब्ला रू होना सुन्नत।⁽⁴⁾ (फ़तावा रज़विय्या)

मस्अला 109 - (65) जब दोनों सज्दे कर ले तो रकअत के लिये पन्जों के बल, (66) घुटनों पर हाथ रख कर उठे, येह सुन्नत है। हां कमज़ोरी वगैरा उज़्र के सबब अगर ज़मीन पर हाथ रख कर उठा जब भी हरज नहीं।⁽⁵⁾ (रुई, रुई, रुई) अब दूसरी रकअत में सना व तअव्वुज़ न पढ़े। (67) दूसरी रकअत के सज्दों से फ़ारिग़ होने के बाद बायां पाउं बिछा कर, (68) दोनों सुरीन उस पर रख कर बैठना, (69) और दाहना क़दम खड़ा रखना, (70) और दाहने पाउं की उंगलियां किब्ला रुख़ करना येह मर्द के लिये है, (71) और औरत दोनों पाउं दाहनी जानिब निकाल दे, (72) और बाई सुरीन पर बैठे, (73) और दाहना हाथ दाहनी रान पर रखना, (74) और बायां बाई पर, (75) और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना कि न खुली हुई हों, न मिली हुई, (76) और उंगलियों के कनारे घुटनों के पास होना, घुटने पकड़ना न चाहिये, (77) शहादत पर इशारा करना, यूं कि छुंगल्या और उस के पास वाली को बन्द कर ले, अंगूठे और बीच की उंगली का हल्का बांधे और ۞ पर कलिमे की उंगली उठाए और ۞ पर रख दे और सब उंगलियां सीधी कर ले। हदीस में है जिस को अबू दावूद व नसाई ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत किया कि नबी ﷺ जब दुआ करते (तशहहुद में कलिमे शहादत पर पहुंचते) तो उंगली से इशारा करते और हरकत न देते।⁽⁶⁾ नीज़ तिरमिज़ी व नसाई व बैहकी अबू हुरैरा

②..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، فصل، ج ٢، ص ٢٥٥. ①....यानी एक लम्बा लिबास जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है।

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائي، ج ٢، ص ٢٥٨.

④..... انظر: "الفتاوى الرضوية"، ج ٧، ص ٣٧٦.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائي، ج ٢، ص ٢٦٢.

⑥..... "سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد، الحديث: ٩٨٩، ج ١، ص ٣٧١.

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि एक शख्स को दो उंगलियों से इशारा करते देखा, फ़रमाया : “तौहीद कर । तौहीद कर”⁽¹⁾ (एक उंगली से इशारा कर) ।

मस्अला 110 - (78) कादए ऊला के बाद तीसरी रक्अत के लिये उठे तो ज़मीन पर हाथ रख कर न उठे, बल्कि घुटनों पर ज़ोर दे कर, हां अगर उज़्र है तो हरज नहीं ।”⁽²⁾ (غنية)

मस्अला 111 - नमाज़े फ़र्ज की तीसरी और चौथी रक्अत में अफ़ज़ल सूरए फ़ातिहा पढ़ना है और سُبْحَانَ اللَّهِ कहना भी जाइज़ है और ब क़दर तीन तस्बीह के चुपका खड़ा रहा तो भी नमाज़ हो जाएगी, मगर सुकूत न चाहिये ।⁽³⁾ (دری)

मस्अला 112 - दूसरे कादे में भी उसी तरह बैठे जैसे पहले में बैठा था और तशहहुद भी पढ़े ।⁽⁴⁾ (دری) (79) बादे तशहहुद दूसरे कादे में दुरूद शरीफ़ पढ़ना और अफ़ज़ल वोह दुरूद है जो पहले मज़कूर हुवा ।

मस्अला 113 - दुरूद शरीफ़ में हुज़ूर सय्यिदे अ़लम صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ और हुज़ूर सय्यिदुना इब्राहीम عَلَیْهِ السَّلَام के अस्माए तय्यिबा के साथ लफ़ज़ سَيِّدُنَا (सय्यिदुना) कहना बेहतर है ।⁽⁵⁾ (دری، رد المحتار)

दुरूद शरीफ़ के फ़ज़ाइल व मसाइल

दुरूद शरीफ़ पढ़ने के फ़ज़ाइल में अहादीस ब कसरत वारिद हैं, तबर्कन बाज़ ज़िक्र की जाती हैं :

हदीस 1 - सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि फ़रमाते हैं : “जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे, अल्लाह तअ़ला उस पर दस बार दुरूद नाज़िल फ़रमाएगा ।”⁽⁶⁾

हदीस 2 - नसाई की रिवायत अनस रَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से यूं है कि फ़रमाते हैं : “जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे, अल्लाह عَزَّوَجَلَّ उस पर दस दुरूदेन नाज़िल फ़रमाएगा और उस की दस ख़ताएं महव फ़रमाएगा और दस दरजे बुलन्द फ़रमाएगा ।”⁽⁷⁾

हदीस 3 - इमाम अहमद अब्दुल्लाह बिन अम्र رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, फ़रमाते हैं : “जो नबी صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ पर एक बार दुरूद भेजे, अल्लाह عَزَّوَجَلَّ और फ़रिश्ते उस पर सत्तर

① “جامع الترمذي”، كتاب الدعوات، ١٠٤-باب، الحديث: ٣٥٦٨، ج ٥، ص ٣٢٦. ② “غنية المتعالي”، صفة الصلاة، ص ٣٣١.

③ “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ٢، ص ٢٧٠. ④ المرجع السابق، ص ٢٧٢.

⑤ “رد المحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في جواز الترحم على النبي ابتداء، ج ٢، ص ٢٧٤.

⑥ “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد التشهد، الحديث: ٤٠٨، ص ٢١٦.

⑦ “سنن النسائي”، كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الحديث: ١٢٩٤، ص ٢٢٢.

बार दुरूद भेजते हैं।”⁽¹⁾

हदीस 4 – दुर्गे मुख़्तार में ब रिवायते अस्बहानी अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से है कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजे और वोह क़बूल हो जाए तो **अल्लाह** तआला उस के अस्सी (80) बरस के गुनाह महूव फ़रमा देगा।”⁽²⁾

हदीस 5 – तिरमिज़ी अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “क़ियामत के दिन मुझ से सब में ज़ियादा क़रीब वोह होगा, जिस ने सब से ज़ियादा मुझ पर दुरूद भेजा है।”⁽³⁾

हदीस 6 – नसाई व दारिमी इन्हीं से रावी कि हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं कि : “**अल्लाह** के कुछ फ़ारिग़ फ़रिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर करते रहते हैं। मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं।”⁽⁴⁾

हदीस 7 – तिरमिज़ी में इन्हीं से है कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “उस की नाक खाक में मिले जिस के सामने मेरा ज़िक्र हो और मुझ पर दुरूद न भेजे और उस की नाक खाक में मिले जिस को रमज़ान का महीना आया और उस की मग़िफ़रत से पहले चला गया और उस की नाक खाक में मिले जिस ने मां बाप दोनों या एक को उन के बुढ़ापे में पाया और उन्होंने ने उस को जन्नत में दाख़िल न किया।”⁽⁵⁾ (यानी उन की ख़िदमत व इताअत न की, कि जन्नत का मुस्तहिक़ हो जाता)।

हदीस 8 – तिरमिज़ी ने हज़रते अली رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “पूरा बख़ील वोह है, जिस के सामने मेरा ज़िक्र हो और मुझ पर दुरूद न भेजे।”⁽⁶⁾

हदीस 9 – नसाई व दारिमी ने रिवायत की, कि अबू तल्हा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं कि एक दिन हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) तशरीफ़ लाए और बश्शाशत चेहरए अक्दस में नुमायां थी, फ़रमाया : मेरे पास जिब्रील आए और कहा ! “आप का रब फ़रमाता है : क्या आप राज़ी नहीं कि आप की उम्मत में जो कोई आप पर दुरूद भेजे, मैं उस पर दस बार दुरूद भेजूंगा और आप की उम्मत में जो कोई आप पर सलाम भेजे, मैं उस पर दस बार सलाम भेजूंगा।”⁽⁷⁾

1..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمرو، الحديث: ٦٧٦٦، ج ٢، ص ٦١٤.

2..... “الدر المختار” كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ٢، ص ٢٨٤.

3..... “جامع الترمذي”، أبواب الوتر، باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٤٨٤، ج ٢، ص ٢٧.

4..... “سنن النسائي”، كتاب السهو، باب التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ١٢٧٩، ص ٢١٩.

5..... “جامع الترمذي”، كتاب الدعوات، باب رغم أنف رجل، الحديث: ٣٥٥٦، ج ٥، ص ٣٢٠، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

6..... “جامع الترمذي”، كتاب الدعوات، باب رغم أنف رجل، الحديث: ٣٥٥٧، ج ٥، ص ٣٢١.

7..... “سنن النسائي”، كتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ١٢٩٦، ص ٢١٧١.

हदीस 10

तिरमिज़ी शरीफ़ में है, उबय बिन कअब رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं : मैं ने अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह** (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ! मैं ब कसरत दुआ मांगता हूँ तो इस में से हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) पर दुरूद के लिये कितना वक़्त मुक़र्र करूँ ? फ़रमाया : “जो तुम चाहो ।” अर्ज़ की : चौथाई ? फ़रमाया : “जो तुम चाहो और अगर ज़ियादा करो तो तुम्हारे लिये बेहतरी है ।” मैं ने अर्ज़ की : निस्फ़ ? फ़रमाया : “जो तुम चाहो और ज़ियादा करो तो तुम्हारे लिये भलाई है ।” मैं ने अर्ज़ की : दो तिहाई ? फ़रमाया : “जो तुम चाहो और अगर ज़ियादा करो तो तुम्हारे लिये बेहतरी है ।” मैं ने अर्ज़ की : तो कुल दुरूद ही के लिये मुक़र्र करूँ ? फ़रमाया : “ऐसा है तो **अल्लाह** तुम्हारे कामों की किफ़ायत फ़रमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा ।”⁽¹⁾

हदीस 11

इमाम अहमद रुवैफ़ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जो दुरूद पढ़े और येह कहे ⁽²⁾ **اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ**” उस के लिये मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई ।”⁽³⁾

हदीस 12

तिरमिज़ी ने रिवायत की, कि अमीरुल मुअमिनीन फ़ारुके आज़म رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं : “दुआ आस्मान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ है, चढ़ नहीं सकती, जब तक नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ पर दुरूद न भेजे ।”⁽⁴⁾

मख़ाला 114

उम्र में एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ना फ़र्ज़ है और हर जल्सए ज़िक्र में दुरूद शरीफ़ पढ़ना वाजिब, ख़्वाह खुद नामे अक्दस ले या दूसरे से सुने और अगर एक मजलिस में सो बार ज़िक्र आए तो हर बार दुरूद शरीफ़ पढ़ना चाहिये, अगर नामे अक्दस लिया या सुना और दुरूद शरीफ़ उस वक़्त न पढ़ा तो किसी दूसरे वक़्त में इस के बदले का पढ़ ले ।⁽⁵⁾ *(در مختار، وغيره)*

मख़ाला 115

गाहक को सौदा दिखाते वक़्त ताजिर का इस गरज़ से दुरूद शरीफ़ पढ़ना या **سُبْحَانَ اللَّهِ** कहना कि उस चीज़ की उम्दगी ख़रीदार पर ज़ाहिर करे, ना जाइज़ है । यूँही किसी बड़े को देख कर दुरूद शरीफ़ पढ़ना इस निय्यत से कि लोगों को उस के आने की ख़बर हो जाए, उस की ताज़ीम को उठें और जगह छोड़ दें, ना जाइज़ है ।⁽⁶⁾ *(در مختار، رد المحتار)*

मख़ाला 116

जहां तक भी मुम्किन हो दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है और खुसूसिय्यत के साथ इन जगहों में (1) रोज़े जुमुआ, (2) शबे जुमुआ, (3-4) सुब्हो शाम, (5) मस्जिद

1..... “جامع الترمذي”، أبواب صفة القيامة، ٢٣-باب، الحديث: ٢٤٦٥، ج ٤، ص ٢٠٧.

2..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، حديث رو يفع بن ثابت الأنصاري، الحديث: ١٦٩٨٨، ج ٦، ص ٤٦.

3..... 12 है । तू अपने महबूब को क़ियामत के दिन ऐसी जगह में उतार, जो तेरे नज़्दीक मुक़र्रब है । **...ऐ अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) !

4..... “جامع الترمذي”، أبواب الوتر، باب ماجاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٤٨٦، ج ٢، ص ٢٨.

5..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ٢، ص ٢٧٦ - ٢٨١، وغيره.

6..... “الدر المختار” و “رد المحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: هل نفع الصلاة، عائد للمصلي... إلخ، ج ٢، ص ٢٨١.

में जाते, (6) मस्जिद से निकलते वक़्त, (7) ब वक़्ते ज़ियारते रौज़ए अत्हर, (8) सफ़ा व मर्वह पर, (9) खुल्बे में, (10) जवाबे अज़ान के बाद (11) ब वक़्ते इक़ामत, (12) दुआ के अव्वल आख़िर बीच में, (13) दुआए कुनूत के बाद, (14) हज़ में लब्बैक से फ़ारिग़ होने के बाद, (15) इज्तिमाअ व फ़िराक़ के वक़्त, (16) वुजू करते वक़्त, (17) जब कोई चीज़ भूल जाए उस वक़्त, (18) वाज़ कहने और (19) पढ़ने और (20) पढ़ाने के वक़्त, खुसूसन हदीस शरीफ़ पढ़ने के अव्वल आख़िर, (21) सुवाल व (22) फ़तवा लिखते वक़्त, (23) तस्नीफ़ के वक़्त, (24) निकाह और (25) मंगनी और (26) जब कोई बड़ा काम करना हो। नामे अक्दस लिखे तो दुरूद ज़रूर लिखे कि बाज़ उलमा के नज़्दीक इस वक़्त दुरूद शरीफ़ लिखना वाजिब है।⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्झाला 117 अक्सर लोग आज कल दुरूद शरीफ़ के बदले "صلعم، عم،" लिखते हैं, यह ना जाइज़ व सख़्त हराम है। यूँही رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ की जगह رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى की जगह लिखते हैं यह भी न चाहिये। जिन के नाम मुहम्मद, अहमद, अली हसन, हुसैन वग़ैरा होते हैं उन नामों पर बनाते हैं यह भी मम्नूअ है कि इस जगह तो यह शख़्स मुराद है, इस पर दुरूद का इशारा क्या माना? ⁽²⁾ (طحاوی وغیره)

मस्झाला 118 कादए अख़ीरा के इलावा फ़र्ज़ नमाज़ में दुरूद शरीफ़ पढ़ना नहीं, (80) और नवाफ़िल के कादए ऊला में भी मम्नून है।⁽³⁾ (درمختار)

(81) दुरूद के बाद दुआ पढ़ना।

मस्झाला 119 (82) दुआ अरबी ज़बान में पढ़े, ग़ैरे अरबी में मक्रूह है।⁽⁴⁾

(درمختار)

मस्झाला 120 अपने और अपने वालिदैन व असातिज़ा के लिये जब कि मुसलमान हों और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिये दुआ मांगे, खास अपने ही लिये न मांगे।⁽⁵⁾

(درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

मस्झाला 121 मां बाप और असातिज़ा के लिये मग़ि़रत की दुआ हराम है, जब कि काफ़िर हों और मर गए हों तो दुआए मग़ि़रत को फुक़हा ने कुफ़्र तक लिखा है, हां अगर ज़िन्दा हों तो उन के लिये हिदायत व तौफ़ीक़ की दुआ करे।⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

①..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: نص العلماء على استحباب الصلاة... إلخ، ج ٢، ص ٢٨١.

②..... "حاشية الطحاوی" على "الدرالمختار"، خطبة الكتاب، ج ١، ص ٦. و "الفتاوى الرضوية"، ج ٢٣، ص ٣٨٧، وغيرهما.

③..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ٢، ص ٢٨٢. ④..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ٢، ص ٢٨٥.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في الدعاء بغير العربية، ٢٨٦.

⑥..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في الدعاء المحرم، ج ٢، ص ٢٨٨.

मस्अला 122 — मुहालाते आदिय्या व मुहालाते शरइय्या की दुआ ह़राम है।⁽¹⁾ (रुख़्तार)

मस्अला 123 — वोह दुआएं कि कुरआनो हदीस में हैं उन के साथ दुआ करे, मगर अदइय्याए कुरआनिया ब निय्यते कुरआन इस मौकअ पर पढ़ना जाइज नहीं, बल्कि क़ियाम के इलावा नमाज़ में किसी जगह कुरआन पढ़ने की इजाज़त नहीं।⁽²⁾ (रुख़्तार)

मस्अला 124 — नमाज़ में ऐसी दुआएं जाइज नहीं जिन में ऐसे अल्फ़ाज़ हों जो आदमी एक दूसरे से कहा करता है, मसलन **اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي** (3) (عالمگیری)

मस्अला 125 — मुनासिब येह है कि नमाज़ में जो दुआ याद हो वोह पढ़े और ग़ैरे नमाज़ में बेहतर येह है कि जो दुआ करे वोह हिफ़ज़ से न हो, बल्कि वोह जो क़ल्ब में हाज़िर हो।⁽⁴⁾ (रुख़्तार)

मस्अला 126 — मुस्तहब है कि आख़िरे नमाज़ में बादे अज़्कारे नमाज़ येह दुआ पढ़े :
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ط رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .⁽⁵⁾
 (عالمگیری)

(83) मुक्तदी के तमाम इन्तिक़ालात इमाम के साथ साथ होना ।

(84, 85) **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ** दो बार कहना ।

(86) पहले दाहनी तरफ़ फिर (87) बाई तरफ़ ।

मस्अला 127 — दाहनी तरफ़ सलाम में मुंह इतना फेरे कि दाहना रुख़सार दिखाई दे और बाई में बायां।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

① "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ٢، ص ٢٨٨.

② "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في خلف الوعيد... إلخ، ج ٢، ص ٢٨٩.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٦.

④ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في خلف الوعيد... إلخ، ج ٢، ص ٢٩٠.

⑤ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٦.

ऐ मेरे परवर दगार ! तू मुझ को और मेरी ज़ुरिय्यत को नमाज़ क़ाइम करने वाला बना और ऐ रब ! तू मेरी दुआ क़बूल फ़रमा । ऐ रब ! तू मेरी और मेरे वालिदैन और ईमान वालों की क़ियामत के दिन मग़िफ़रत फ़रमा । 12

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٦.

मस्अला 128 — कहना मकरूह है। यूँही आखिर में **وَبَرَكَاتُهُ** मिलाना भी न चाहिये।⁽¹⁾ (रुज़र)

मस्अला 129 — (88) सुन्नत यह है कि इमाम दोनों सलाम बुलन्द आवाज़ से कहे।
(89) मगर दूसरा ब निस्बत पहले के कम आवाज़ से हो।⁽²⁾ (रुज़र)

मस्अला 130 — अगर पहले बाई तरफ़ सलाम फेर दिया तो जब तक कलाम न किया हो, दूसरा दहनी तरफ़ फेर ले फिर बाई तरफ़, सलाम के इआदे की हाजत नहीं और अगर पहले में किसी तरफ़ मुंह न फेरा तो दूसरे में बाई तरफ़ मुंह करे और अगर बाई तरफ़ सलाम फेरना भूल गया तो जब तक क़िल्ले को पीठ न हो या कलाम न किया हो, कह ले।⁽³⁾
(रुज़र, रदालमख़र, एल्मिरी)

मस्अला 131 — इमाम ने जब सलाम फेरा तो वोह मुक्तदी भी सलाम फेर दे जिस की कोई रक्अत न गई हो, अलबत्ता अगर उस ने तशहहुद पूरा न किया था कि इमाम ने सलाम फेर दिया तो इमाम का साथ न दे, बल्कि वाजिब है कि तशहहुद पूरा कर के सलाम फेरे।⁽⁴⁾ (रुज़र)

मस्अला 132 — इमाम के सलाम फेर देने से मुक्तदी नमाज़ से बाहर न हुवा जब तक यह खुद भी सलाम न फेरे, यहां तक कि अगर उस ने इमाम के सलाम के बाद और अपने सलाम से पेशतर कहकहा लगाया, वुजू जाता रहेगा।⁽⁵⁾ (रुज़र)

मस्अला 133 — मुक्तदी को इमाम से पहले सलाम फेरना जाइज़ नहीं, मगर ब ज़रूरत मसलन खौफ़े ह़दस⁽⁶⁾ हो या येह अन्देशा हो कि आप़ताब तुलूअ कर आएगा या जुमुआ या ईदैन में वक़्त ख़त्म हो जाएगा।⁽⁷⁾ (रुज़र)

मस्अला 134 — पहली बार लफ़ज़ सलाम कहते ही इमाम नमाज़ से बाहर हो गया, अगर्चे न कहा हो इस वक़्त अगर कोई शरीके जमाअत हुवा तो इक्तिदा सहीह न हुई, हां अगर सलाम के बाद सज्दए सहव किया तो इक्तिदा सहीह हो गई।⁽⁸⁾ (रुज़र)

मस्अला 135 — इमाम दाहने सलाम में ख़िताब से उन मुक्तदियों की निय्यत करे जो दाहनी तरफ़ हैं और बाएं से बाई तरफ़ वालों की, मगर औरत की निय्यत न करे, अगर्चे शरीके

1..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 293.

2..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 294.

3..... "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في خلف الوعيد... إلخ، ج 2، ص 291.
و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج 1، ص 77.

4..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 244.

5..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج 2، ص 292.

6..... यानी वुजू के टूट जाने का खौफ़।

7..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في خلف الوعيد... إلخ، ج 2، ص 293.

8..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في خلف الوعيد... إلخ، ج 2، ص 292.

जमाअत हो नीज़ दोनों सलामों में किरामन कातिबीन और उन मलाएका की निय्यत करे, जिन को **اَللّٰهُ** ने हिफ़ाज़त के लिये मुक़रर किया और निय्यत में कोई अ़दद मुअय्यन न करे।⁽¹⁾ (دری)

مستألا 136 - मुक़तदी भी हर तरफ़ के सलाम में उस तरफ़ वाले मुक़तदियों और उन मलाएका की निय्यत करे, नीज़ जिस तरफ़ इमाम हो उस तरफ़ के सलाम में इमाम की भी निय्यत करे और इमाम उस के महाज़ी हो तो दोनों सलामों में इमाम की भी निय्यत करे और मुनफ़रिद सिर्फ़ उन फ़रिशतों ही की निय्यत करे।⁽²⁾ (دری)

مستألا 137 - (90) सलाम के बाद सुन्नत येह है कि इमाम दहने बाएं को इन्हिराफ़ करे और दाहनी तरफ़ अफ़ज़ल है और मुक़तदियों की तरफ़ भी मुंह कर के बैठ सकता है, जब कि कोई मुक़तदी उस के सामने नमाज़ में न हो, अगर्चे किसी पिछली सफ़ में वोह नमाज़ पढ़ता हो।⁽³⁾ (حلیہ، ذخیرہ)

مستألا 138 - मुनफ़रिद बिगैर इन्हिराफ़ अगर वहीं दुआ मांगे तो जाइज़ है।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

مستألا 139 - जोहर व मगरिब व इशा के बाद मुख़सर दुआओं पर इक्तिफ़ा कर के सुन्नत पढ़े, ज़ियादा तवील दुआओं में मशगूल न हो।⁽⁵⁾ (عالمگیری)

مستألا 140 - फ़ज़्र व अ़स् के बाद इख़्तियार है जिस क़दर अज़कारो अवराद व अदइय्या पढ़ना चाहे पढ़े, मगर मुक़तदी अगर इमाम के साथ मशगूल ब दुआ हों और ख़त्म के मुन्ताज़िर हों तो इमाम इस क़दर तवील दुआ न करे कि घबरा जाएं।⁽⁶⁾ (फ़तावा रज़विय्या)

مستألا 141 - सुन्नतें वहीं न पढ़े बल्कि दहने बाएं आगे पीछे हट कर पढ़े या घर जा कर पढ़े।⁽⁷⁾ (عالمگیری، دری)

مستألا 142 - जिन फ़र्जों के बाद सुन्नतें हैं उन में बादे फ़र्ज़ कलाम न करना चाहिये, अगर्चे सुन्नतें हो जाएंगी मगर सवाब कम होगा और सुन्नतों में ताख़ीर भी मक्रूह है, यूंही बड़े बड़े वज़ाइफ़ो अवराद की भी इजाज़त नहीं।⁽⁸⁾ (غنیہ، ردالمحتار)

1..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب في وقت إدراك فضيلة... إلخ، ج ۲، ص ۲۹۴.

2..... "تنوير الأبصار" و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ۲، ص ۲۹۹.

3..... "الفتاوى الرضوية" (الحديثة)، باب صفة الصلاة، ج ۶، ص ۱۹۰، ۲۰۴.

4..... "الفتاوى الهندية"، کتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۷۷.

5..... المرجع السابق، 6..... "الفتاوى الرضوية"

7..... "الفتاوى الهندية"، کتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۷۷.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج ۲، ص ۳۰۲.

8..... "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: هل يفارقة المملكان؟، ج ۲، ص ۳۰۰.

و "غنية المتمللي"، صفة الصلاة، ص ۳۴۳.

मस्जला 143

अफ़ज़ल येह है कि नमाज़े फ़ज़ के बाद बुलन्दिये आपताब तक वहीं बैठा रहे।⁽¹⁾ (عائیزی)

नमाज़ के मुस्तहब्बात

(1) हालते क़ियाम में मौज़ए सज्दा⁽²⁾ की तरफ़ नज़र करना ।

(2) रुकूअ में पुश्ते क़दम की तरफ़ ।

(3) सज्दे में नाक की तरफ़ ।

(4) क़ादे में गोद की तरफ़ ।

(5) पहले सलाम में दाहने शाने की तरफ़ ।

(6) दूसरे में बाएं की तरफ़ ।

(7) जमाही आए तो मुंह बन्द किये रहना और न रुके तो होंट दांत के नीचे दबाए और इस से भी न रुके तो क़ियाम में दाहने हाथ की पुश्त से मुंह ढांक ले और ग़ैरे क़ियाम में बाई की पुश्त से या दोनों में आस्तीन से और बिला ज़रूरत हाथ या कपड़े से मुंह ढांकना, मक्रूह है । जमाही रोकने का मुजर्रब तरीक़ा येह है कि दिल में ख़याल करे कि अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام को जमाही नहीं आती थी ।

(8) मर्द के लिये तक्बीरे तहरीमा के वक़्त हाथ कपड़े से बाहर निकालना ।

(9) औरत के लिये कपड़े के अन्दर बेहतर है ।

(10) जहां तक मुम्किन हो खांसी दफ़आ करना ।

(11) जब मुकब्बिर حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ कहे तो इमाम व मुक्तदी सब का खड़ा हो जाना ।

(12) जब मुकब्बिर قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ कह ले तो नमाज़ शुरूअ कर सकता है, मगर बेहतर येह है कि इक़ामत पूरी होने पर शुरूअ करे।⁽³⁾

(13) दोनों पन्जों के दरमियान, क़ियाम में चार उंगल का फ़ासिला होना ।

(14) मुक्तदी को इमाम के साथ शुरूअ करना ।

(15) सज्दा ज़मीन पर बिला हाइल होना ।

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٧٧.

②सज्दे की जगह ।

③ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج ٢، ص ٢١٤-٢١٦.

नमाज़ के बाद के ज़िक्रो दुआ

नमाज़ के बाद जो अज़्कारे तबीला अहदीस में वारिद हैं, वोह जोहर व मग़रिब व इशा में सुन्नतों के बाद पढ़े जाएं, क़ब्ले सुन्नत मुख़्तसर दुआ पर क़नाअत चाहिये, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा।⁽¹⁾ (रुअज़र)

तम्बीह : अहदीस में किसी दुआ की निस्बत जो तादाद वारिद है उस से कम ज़ियादा न करे कि जो फ़ज़ाइल उन अज़्कार के लिये हैं वोह उसी अ़दद के साथ मख़्सूस हैं उन में कम ज़ियादा करने की मिसाल येह है कि कोई कुफ़ल⁽²⁾ किसी ख़ास क़िस्म की कुन्जी से खुलता है अब अगर कुन्जी में दन्दाने कम या ज़ाइद कर दें तो उस से न खुलेगा, अलबत्ता अगर शुमार में शक वाक़ेअ हो तो ज़ियादा कर सकता है और येह ज़ियादत नहीं बल्कि इत्माह है।⁽³⁾ (रुअज़र) हर नमाज़ के बाद तीन बार इस्तिग़फ़ार करे और आयतुल कुर्सी, तीनों कुल एक एक बार पढ़े और 33 बार, سُبْحَانَ اللَّهِ 33 बार, اَلْحَمْدُ لِلَّهِ 34 बार, اَللّٰهُ اَكْبَر 34 बार, اَلَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 1 बार, उस के गुनाह बख़्श दिये जाएंगे, अगर्चे समुन्दर के झाग के बराबर हों और अ़स्स् व फ़ज़्र के बाद बिग़ैर पाउं बदले, बिग़ैर कलाम किए दस दस बार पढ़े :

اَلَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .⁽⁴⁾

बाद हर नमाज़, पेशानी यानी सर के अगले हिस्से पर हाथ रख कर पढ़े :

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ أَذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ .⁽⁵⁾

और हाथ खींच कर माथे तक लाए ।

हदीस 1 — अबू दावूद अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ इरशाद फ़रमाते हैं : “नमाज़े फ़ज़्र के बाद तुलूए आफ़ताब तक और अ़स्स् के बाद गुरुब तक ज़िक्र करना, इस से बेहतर है कि चार चार गुलाम बनी इस्माईल से आज़ाद किए जाएं ।”⁽⁶⁾

① “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: هل يفارقه الملكان؟، ج ٢، ص ٣٠٠ .

② “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب فيما لو زاد على العدد... إلخ، ج ٢، ص ٣٠٢ .

③ “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب فيما لو زاد على العدد... إلخ، ج ٢، ص ٣٠٢ .

④ “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب فيما لو زاد على العدد... إلخ، ج ٢، ص ٣٠٢ .

⑤ “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب فيما لو زاد على العدد... إلخ، ج ٢، ص ٣٠٢ .

⑥ “سنن أبي داود”، كتاب العلم، باب في القصص، الحديث: ٣٦٦٧، ج ٣، ص ٤٥٢ .

सिखा दूं जिस से उन लोगों को पा लो जो तुम से आगे बढ़ गए और बाद वालों पर सब्कत ले जाओ और तुम से कोई अफ़ज़ल न हो, मगर वोह जो तुम्हारी तरह करे। लोगों ने अर्ज़ की : हां या रसूलल्लाह (ﷺ) ! इरशाद फ़रमाया कि : “हर नमाज़ के बाद तैंतीस तैंतीस बार **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ**, **اَللّٰهُ اَكْبَرُ**, **سُبْحَانَ اللّٰهِ** कह लिया करो।” अबू सालेह कहते हैं कि फिर फुकराए मुहाजिरीन हाज़िर हुए और अर्ज़ की : हम ने जो किया उस को हमारे भाई मालदारों ने सुना तो उन्होंने ने भी वैसा ही किया। इरशाद फ़रमाया : “येह अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है देता है।”⁽¹⁾ अबू सालेह का कलाम सिर्फ़ मुस्लिम में है।

हदीस 6 सहीह मुस्लिम में कअब बिन उज़रा رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ से मरवी कि इरशाद फ़रमाते हैं ﷺ : “कुछ अज़्कार नमाज़ के बाद के हैं, जिन का कहने वाला ना मुराद नहीं रहता। हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद **سُبْحَانَ اللّٰهِ** 33 बार, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** 33 बार, **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** 34 बार।”⁽²⁾

हदीस 7 सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ से मरवी कि फ़रमाते हैं ﷺ : “जो हर नमाज़ के बाद 33 बार **سُبْحَانَ اللّٰهِ**, 33 बार **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ**, 33 बार **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** कहे कि येह कुल निनानवे हुए और येह कलिमा कह कर सो पूरे कर ले, **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** तो उस की तमाम ख़ताएं बख़्शा दी जाएंगी, अगर्चे दरिया के झाग की मिस्ल हों।”⁽³⁾

हदीस 8 बैहकी शुअबुल ईमान में रावी कि हज़रते अली رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ फ़रमाते हैं : “मैं ने रसूलुल्लाह ﷺ को इसी मिम्बर पर फ़रमाते सुना : जो हर नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उसे जन्नत में दाख़िल होने से कोई चीज़ मानेअ नहीं सिवा मौत के यानी मरते ही जन्नत में चला जाए और लैटते वक़्त जो इसे पढ़े, अल्लाह तआला उस के और उस के पड़ोसी के घर को और आस पास के घर वालों को शैतान और चोर से अम्न देगा।”⁽⁴⁾

हदीस 9 इमाम अहमद अब्दुर्हमान बिन ग़नम से और तिरमिज़ी अबू ज़र رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا से रावी कि फ़रमाते हैं ﷺ : “मग़रिब और सुब्ह के बाद बिगैर जगह बदले और पाउं मोड़े, दस बार जो येह पढ़ ले :

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

①..... “صحیح مسلم”, کتاب المساجد... إلخ, باب استحباب الذكر... إلخ, الحديث: ٥٩٥, ص ٣٠٠.

②..... “صحیح مسلم”, کتاب المساجد... إلخ, باب استحباب الذكر... إلخ, الحديث: ٥٩٦, ص ٣٠١.

③..... “صحیح مسلم”, کتاب المساجد... إلخ, باب استحباب الذكر... إلخ, الحديث: ٥٩٧, ص ٣٠١.

④..... “شعب الإيمان”, باب في تعظیم القرآن, فصل في فضائل السور والآيات, الحديث: ٢٣٩٥, ج ٢, ص ٤٥٨.

उस के लिये हर एक के बदले दस नेकियां लिखी जाएं और दस गुनाह मह्व किए जाएंगे और दस दरजे बुलन्द किये जाएंगे और येह दुआ उस के लिये हर बुराई और शैताने रजीम से हिफज़ है और किसी गुनाह को हलाल नहीं कि उसे पहुंचे, सिवा शिर्क के और वोह सब से अमल में अच्छा है, मगर वोह जो उस से अफ़ज़ल कहे तो येह बढ़ जाएगा।”⁽¹⁾ दूसरी रिवायत में फज़्र व अस्स आया है।⁽²⁾

और हनफ़िय्या के मज़हब से ज़ियादा मुनासिब येही है।

हदीस 10

इमाम अहमद व अबू दावूद व नसाई रिवायत करते हैं कि मुआज़ बिन जबल رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं कि हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने मेरा हाथ पकड़ कर इरशाद फ़रमाया : “ऐ मुआज़ ! मैं तुझे महबूब रखता हूं।” मैं ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह ! मैं भी हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) को महबूब रखता हूं। फ़रमाया : “तो हर नमाज़ के बाद इसे कह लेना, छोड़ना नहीं।”

رَبِّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.⁽³⁾

हदीस 11

तिरमिज़ी अमीरुल मुअमिनीन उमर बिन ख़त्ताब رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने नज्द की जानिब एक लश्कर भेजा वोह जल्द वापस हुवा और ग़नीमत बहुत लाया। एक साहिब ने कहा : इस लश्कर से बढ़ कर हम ने कोई लश्कर नहीं देखा जो जल्द वापस हुवा हो और ग़नीमत ज़ियादा लाया हो, इस पर नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया कि : “क्या वोह कौम न बता दूं, जो ग़नीमत और वापसी में इन से बढ़ कर हैं ! जो लोग नमाज़े सुब्ह में हाज़िर हुए, फिर बैठे अल्लाह का ज़िक्र करते रहे यहां तक कि आफ़ताब तुलूअ कर आए, वोह जल्द वापस होने वाले और ज़ियादा ग़नीमत वाले हैं।”⁽⁴⁾

कुरआने मजीद पढ़ने का बयान

अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ फ़रमाता है :

﴿قَائِرَةً وَأَمَانِيَةً مِنَ الْقُرْآنِ﴾⁽⁵⁾

कुरआन से जो मुयस्सर आए पढ़ो।

①..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري، الحديث: ١٨٠١٢، ج ٦، ص ٢٨٩.

②..... “الترغيب و الترهيب”، الترغيب في أذكار... إلخ، ج ١، ص ١٨٠.

③..... “سنن النسائي”، كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء، الحديث: ١٣٠٠، ص ٢٢٣.

④..... “جامع الترمذي”، كتاب الدعوات، ١٠٨-باب، الحديث: ٣٥٧٢، ج ٥، ص ٣٢٨. ⑤..... ٢٠. ٢٩. ٢٠. ٢٠.

और फरमाता है :

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (1)

जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे सुनो और चुप रहो, इस उम्मीद पर कि रहम किये जाओ।

हदीस 1 ता 3 इमाम बुखारी व मुस्लिम ने उबादा बिन सामित رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, हुजुरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ इरशाद फरमाते हैं : “जिस ने सूरए फ़तिहा न पढ़ी, उस की नमाज़ नहीं।” (2) यानी नमाज़ का मिल नहीं, चुनान्चे, दूसरी रिवायत सहीह मुस्लिम शरीफ में अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से है (3) ((فَهِيَ خِدَاجٌ)) वोह नमाज़ नाक़िस है, येह हुक्म उस के लिये है जो इमाम हो या तन्हा पढ़ता हो और मुक्तदी को खुद पढ़ना नहीं, बल्कि इमाम की क़िराअत उस की क़िराअत है कि हुजुरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फरमाया : “जो इमाम के पीछे हो तो इमाम की क़िराअत, उस की क़िराअत है।” (4) इस हदीस को इमाम मुहम्मद और तिरमिज़ी व हाकिम ने जाबिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत किया और इसी की मिसल इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में रिवायत की, इमाम हलबी ने फरमाया कि : येह हदीस बुखारी व मुस्लिम की शर्त पर सहीह है।

हदीस 4 ता 6 इमाम अबू जाफ़र शर्हे मआनिल आसार में रिवायत करते हैं कि हज़रते अब्दुल्लाह बिन अम्र जैद बिन साबित व जाबिर बिन अब्दुल्लाह رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से सुवाल हुवा, इन सब हज़रात ने फरमाया : “इमाम के पीछे किसी नमाज़ में क़िराअत न कर।” (5)

हदीस 7 इमाम मुहम्मद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने मुअत्ता में रिवायत की, कि अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से इमाम के पीछे क़िराअत के बारे में सुवाल हुवा, फरमाया : “ख़ामोश रह कि नमाज़ में शग़ल है और इमाम की क़िराअत तुझे काफ़ी है।” (6)

हदीस 8 सअद बिन अबी वक्कास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने फरमाया : “मैं दोस्त रखता हूँ कि जो इमाम के पीछे क़िराअत करे, उस के मुंह में अंगारा हो।” (7)

हदीस 9 अमीरुल मुअमिनीन उमर फ़ारूके आजम رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ फरमाते हैं : “जो इमाम के पीछे क़िराअत करता है, काश उस के मुंह में पथ़र हो।” (8)

① १, ९, الاعراف: २०६.

② “صحيح البخاري”, كتاب الأذان، باب وجوب القراءة... إلخ، الحديث: १०६، ج १، ص २६७.

③ “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة الفاتحة... إلخ، الحديث: ३९०، ج १، ص २०८.

④ “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله، الحديث: १६६९، ج ५، ص १००.

⑤ “شرح معاني الآثار”، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، الحديث: १२७८، ج १، ص २८६.

⑥ “الموطأ”، باب القراءة في الصلاة خلف الإمام، الحديث: ११९، ص ६२.

⑦ “المصنف” لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب من كره القراءة خلف الإمام، الحديث: १، ج १، ص ४१२.

⑧ “المصنف” لعبد الرزاق، باب القراءة خلف الإمام، الحديث: २८०९، ج २، ص ९०.

हदीस 10 — हज़रते अली رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मन्कूल है कि फ़रमाया : “जिस ने इमाम के पीछे क़िराअत की, उस ने फ़ितरत से ख़ता की।”⁽¹⁾

आहकामे फ़िक्हिय्या

येह तो पहले मालूम हो चुका है कि क़िराअत में इतनी आवाज़ दरकार है कि अगर कोई मानेअ मसलन सिक्ले समाअत शोरो गुल न हो तो खुद सुन सके, अगर इतनी आवाज़ भी न हो तो नमाज़ न होगी। इसी तरह जिन मुआमलात में नुत्क़ को दख़ल है सब में इतनी आवाज़ ज़रूरी है, मसलन जानवर ज़ब्ह करते वक़्त बिस्मिल्लाह कहना, त़लाक़, उ़ताक़, इस्तिस्ना, आयते सज्दा पढ़ने पर सज्दए तिलावत वाजिब होना।

मस्अला 1 — फ़ज्रो मग़रिब व इशा की दो पहली में और जुमुआ व ईदैन व तरावीह और वित्र रमज़ान की सब में इमाम पर जहर वाजिब है और मग़रिब की तीसरी और इशा की तीसरी चौथी या जोहर व अ़स्र की तमाम रकअतों में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है।⁽²⁾

(درمختار وغيره)

मस्अला 2 — जहर के येह माना हैं कि दूसरे लोग यानी वोह कि सफ़े अव्वल में हैं सुन सके, येह अदना दरजा है और आला के लिये कोई ह़द मुक़रर नहीं और आहिस्ता येह कि खुद सुन सके।⁽³⁾ (आम्माए कुतुब)

मस्अला 3 — इस तरह पढ़ना कि फ़क़त दो एक आदमी जो उस के करीब हैं सुन सके, जहर नहीं बल्कि आहिस्ता है।⁽⁴⁾

मस्अला 4 — हाजत से ज़ियादा इस क़दर बुलन्द आवाज़ से पढ़ना कि अपने या दूसरे के लिये बाइसे तकलीफ़ हो, मक़रूह है।⁽⁵⁾ (रुआइ)

मस्अला 5 — आहिस्ता पढ़ रहा था कि दूसरा शख़्स शामिल हो गया तो जो बाक़ी है उसे जहर से पढ़े और जो पढ़ चुका है उस का इआदा नहीं।⁽⁶⁾ (रुआइ)

मस्अला 6 — एक बड़ी आयत जैसे आयतुल कुर्सी या आयते मदायना अगर एक रकअत में उस में का बाज़ पढ़ा और दूसरी में बाज़ तो जाइज़ है, जब कि हर रकअत में

①..... "المصنف" لابن أبي شيبة، كتاب الصلاة، باب من كره القراءة خلف الإمام، الحديث: ٦، ج ١، ص ٤١٢.

②..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ٢، ص ٣٠٥، وغيره.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة، ج ٢، ص ٣٠٨.

④..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ٢، ص ٣٠٨.

⑤..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ٢، ص ٣٠٤.

⑥..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ٢، ص ٣٠٤.

जितना पढ़ा, ब क़दर तीन आयत के हो।⁽¹⁾ (عالمگیری)

मस्अला 7 दिन के नवाफ़िल में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है और रात के नवाफ़िल में इख़्तियार है अगर तन्हा पढ़े और जमाअत से रात के नफ़ल पढ़े तो जहर वाजिब है।⁽²⁾ (دری)

मस्अला 8 जहरी नमाज़ों में मुन्फ़रिद को इख़्तियार है और अफ़ज़ल जहर है जब कि अदा पढ़े और जब क़ज़ा है तो आहिस्ता पढ़ना वाजिब है।⁽³⁾ (دری)

मस्अला 9 जहरी की क़ज़ा अगर्चे दिन में हो इमाम पर जहर वाजिब है और सिरी की क़ज़ा में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है, अगर्चे रात में अदा करे।⁽⁴⁾ (عالمگیری، درمختار)

मस्अला 10 चार रकअती फ़र्ज़ की पहली दोनों रकअतों में सूरत भूल गया तो पिछली रकअतों में पढ़ना वाजिब है और एक में भूल गया है तो तीसरी या चौथी में पढ़े और मग़रिब की पहली दोनों में भूल गया तो तीसरी में पढ़े और एक रकअत की क़िराअते सूरत जाती रही और इन सब सूरतों में फ़ातिहा के साथ पढ़े, जहरी नमाज़ हो तो फ़ातिहा व सूरत जहरन पढ़े, वरना आहिस्ता और सब सूरतों में सज्दए सहव करे और क़स्दन छोड़ी तो इआदा करे।⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 11 सूरत मिलाना भूल गया, रुकूअ में याद आया तो खड़ा हो जाए और सूरत मिलाए फिर रुकूअ करे और अख़ीर में सज्दए सहव करे अगर दोबारा रुकूअ न करेगा तो नमाज़ न होगी।⁽⁶⁾ (7) (دری)

मस्अला 12 फ़र्ज़ की पहली रकअतों में फ़ातिहा भूल गया तो पिछली रकअतों में उस की क़ज़ा नहीं और रुकूअ से पेशतर याद आया तो फ़ातिहा पढ़ कर फिर सूरत पढ़े, यूँही अगर रुकूअ में याद आया तो क़ियाम की तरफ़ औद करे और फ़ातिहा व सूरत पढ़े फिर रुकूअ करे, अगर दोबारा रुकूअ न करेगा, नमाज़ न होगी।⁽⁸⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 13 एक आयत का हिफ़ज़ करना हर मुसलमान मुकल्लफ़ पर फ़र्जे ऐन है और पूरे कुरआने मजीद का हिफ़ज़ करना फ़र्जे किफ़ायी और सूरए फ़ातिहा और एक दूसरी छोटी

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج ١، ص ٦٩.

②..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ٢، ص ٣٠٦. ③..... المرجع السابق.

④..... المرجع السابق، ص ٣٠٧، و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثاني، ج ١، ص ٧٢.

⑤..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، و مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة، ج ٢، ص ٣١٠.

⑥..... नमाज़ में सूरए फ़ातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल गए और रुकूअ कर लिया तो वाजिब है कि रुकूअ से वापस लौट आए अगर वोह जान बूझ कर न लौटा तो नमाज़ वाजिबुल इआदा होगी और सज्दए सहव से भी उस की तलाफ़ी न होगी और रुकूअ से लौटने के बाद दोबारा रुकूअ करना लाज़िम होगा अगर न किया तो फिर भी नमाज़ न होगी। जैसा कि आला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ फ़रमाते हैं: "अगर सज्दा जाने से पहले रुकूअ में ख़्वाह कौमा बादरुक्कूअ में याद आए तो वाजिब है कि क़िराअत पूरी करे और रुकूअ का फिर इआदा करे अगर क़िराअत पूरी न की तो अब फिर क़स्दन तर्क वाजिब होगा और नमाज़ का इआदा करना पड़ेगा और अगर क़िराअत बादरुक्कूअ पूरी कर ली और रुकूअ दोबारा न किया तो नमाज़ ही जाती रही कि फ़र्ज़ तर्क हुवा।" (फ़तावा रज़विय्या, सफ़ह 330, जिल्द 6, रज़ा फ़ाउन्डेशन)

⑦..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، مطلب: تحقيق مهم فيما لو تذكر... إلخ، ج ٢، ص ٣١١. ⑧..... المرجع السابق.

सूरत या उस के मिस्ल, मसलन तीन छोटी आयतें या एक बड़ी आयत का हिफ़ज़, वाजिबे ऐन है।⁽¹⁾ (रुज़्ज़)

मस्अला 14 – ब क़दरे ज़रूरत मसाइले फ़िक्ह का जानना फ़र्जे ऐन है और हाज़त से जाइद सीखना हिफ़ज़े जमीअ कुरआन से अफ़ज़ल है।⁽²⁾ (रुज़्ज़)

मस्अला 15 – सफ़र में अगर अमन व क़रार हो तो सुन्नत येह है कि फ़ज़्र व ज़ोहर में सूरए बुरूज या इस की मिस्ल सूरतें पढ़े और अस् व इशा में इस से छोटी और मग़रिब में किसारे मुफ़स्सल की छोटी सूरतें और जल्दी हो तो हर नमाज़ में जो चाहे पढ़े।⁽³⁾ (एल्ग़ीर)

मस्अला 16 – इज़्तिरारी हालत में मसलन वक़्त जाते रहेने या दुश्मन या चोर का ख़ौफ़ हो तो ब क़दरे हाल पढ़े, ख़्वाह सफ़र में हो या हज़र⁽⁴⁾ में, यहां तक कि अगर वाजिबात की मुराआत नहीं कर सकता तो इस की भी इजाज़त है, मसलन फ़ज़्र का वक़्त इतना तंग है कि सिर्फ़ एक एक आयत पढ़ सकता है तो येही करे।⁽⁵⁾ (रुज़्ज़, रुज़्ज़) मगर बादे बुलन्दिये आफ़ताब उस नमाज़ का इआदा करे।

मस्अला 17 – सुन्नते फ़ज़्र में जमाअत जाने का ख़ौफ़ हो तो सिर्फ़ वाजिबात पर इक्तिसार करे, सना व तअव्वुज़ को तर्क करे और रुकूअ सुजूद में एक एक बार तस्बीह पर इक्तिफ़ा करे।⁽⁶⁾ (रुज़्ज़)

मस्अला 18 – हज़र में जब कि वक़्त तंग न हो तो सुन्नत येह है कि फ़ज़्र व ज़ोहर में तिवाले मुफ़स्सल पढ़े और अस् व इशा में अवसाते मुफ़स्सल और मग़रिब में किसारे मुफ़स्सल और इन सब सूरतों में इमाम व मुन्फ़रिद दोनों का एक ही हुक्म है।⁽⁷⁾ (रुज़्ज़ादुग़ैरे)

फ़ाएदा : हुजुरात से आख़िर तक कुरआने मजीद की सूरतों को मुफ़स्सल कहते हैं, उस के येह तीन हिस्से हैं, सूरए हुजुरात से बुरूज तक तिवाले मुफ़स्सल और बुरूज से लम यकुन तक अवसाते मुफ़स्सल और लम यकुन से आख़िर तक किसारे मुफ़स्सल।

मस्अला 19 – अस् की नमाज़ वक़्ते मकरूह में अदा करे, जब भी सवाब येह है कि क़िराअते मस्नूना को पूरा करे, जब कि वक़्त में तंगी न हो।⁽⁸⁾ (एल्ग़ीर)

①..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ٢، ص ٣١٥.

②..... "رد المختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، مطلب: السنة تكون سنة عين... إلخ، ج ٢، ص ٣١٥.

③..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٧٧. ④..... यानी हालते इकामत।

⑤..... "الدرا المختار" و "رد المختار"، فصل في القراءة، كتاب الصلاة، مطلب: السنة تكون سنة عين... إلخ، ج ٢، ص ٣١٧.

⑥..... "رد المختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، مطلب: السنة تكون سنة عين و سنة كفاية، ج ٢، ص ٣١٧.

⑦..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ٢، ص ٣١٧، وغيره.

⑧..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٧٧.

मस्अला 20 - वित्र में नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने पहली रकअत में **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** दूसरी में **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** तीसरी में **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** पढ़ी है, लिहाजा कभी तबर्कन इन्हें पढ़े। ⁽¹⁾ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ** और कभी पहली रकअत में सूरए आला की जगह **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ**।

मस्अला 21 - किराअते मस्नूना पर ज़ियादत न करे, जब कि मुक्तदियों पर गिरां हो और शाक न हो तो ज़ियादते कलीला में हरज नहीं। ⁽²⁾ **(عالمگیری، رد المحتار)**

मस्अला 22 - फ़र्जों में ठहर ठहर कर किराअत करे और तरावीह में मुतवस्सित अन्दाज़ पर और रात के नवाफ़िल में जल्द पढ़ने की इजाज़त है, मगर ऐसा पढ़े कि समझ में आ सके यानी कम से कम मद का जो दरजा कारियों ने रखा है उस को अदा करे, वरना हराम है इस लिये कि तरतील से कुरआन पढ़ने का हुक्म है। ⁽³⁾ **(درمختار، رد المحتار)** आज कल के अक्सर हुफ़फ़ाज़ इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है **يَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ** के सिवा किसी लफ़्ज़ का पता भी नहीं चलता न तस्हीहे हुरूफ़ होती, बल्कि जल्दी में लफ़्ज़ के लफ़्ज़ खा जाते हैं और इस पर तफ़ाखुर होता है कि फुलां इस क़दर जल्द पढ़ता है, हालां कि इस तरह कुरआने मजीद पढ़ना हराम व सख़्त हराम है।

मस्अला 23 - सातों किराअतें जाइज़ हैं, मगर औला येह है कि अ़वाम जिस से ना आशना हों वोह न पढ़े कि इस में उन के दीन का तहफ़फ़ुज़ है, जैसे हमारे यहां किराअते इमामे अ़सिम ब रिवायते हफ़्स राइज है, लिहाजा येही पढ़े। ⁽⁴⁾ **(درمختار، رد المحتار)**

मस्अला 24 - फ़ज़्र की पहली रकअत को ब निस्बत दूसरी के दराज़ करना मस्नून है और इस की मिक्दार येह रखी गई है कि पहली में दो तिहाई, दूसरी में एक तिहाई। ⁽⁵⁾ **(عالمگیری)**

मस्अला 25 - अगर फ़ज़्र की पहली रकअत में तूले फ़ाहिश किया, मसलन पहली में चालीस (40) आयतें, दूसरी में तीन तो भी मुज़ायक़ा नहीं, मगर बेहतर नहीं। ⁽⁶⁾ **(رد المحتار)**

मस्अला 26 - बेहतर येह है कि और नमाज़ों में भी पहली रकअत की किराअत दूसरी से

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٧٨. ②..... المرجع السابق.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراءة، مطلب: السنة تكون سنة... إلخ، ج ٢، ص ٣٢٠.

④..... المرجع السابق. ⑤..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٧٨.

⑥..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراءة و مطلب: السنة تكون سنة عين... إلخ، ج ٢، ص ٣٢٢.

कदरे ज़ियादा हो, येही हुक्म जुमुआ व ईदैन का भी है।⁽¹⁾ (عالمگیری)

मस्अला 27 सुन्नो नवाफ़िल में दोनों रकअतों में बराबर की सूरतें पढ़े।⁽²⁾ (منیه)

मस्अला 28 दूसरी रकअत की क़िराअत पहली से तवील करना मक्रूह है जब कि बय्यिन⁽³⁾ फ़र्क मालूम होता हो और इस की मिक्दार येह है कि अगर दोनों सूरतों की आयतें बराबर हों तो तीन आयत की ज़ियादती से कराहत है और छोटी बड़ी हों तो आयतों की तादाद का एतिबार नहीं बल्कि हुरूफ़ व कलिमात का एतिबार है, अगर कलिमात व हुरूफ़ में बहुत तफ़ावुत हो कराहत है अगरचे आयतें गिनती में बराबर हों, मसलन पहली में **الْمُتَشَرِّحُ** पढ़ी और दूसरी में **لَمْ يَكُنْ** तो कराहत है, अगरचे दोनों में आठ आठ आयतें हैं।⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 29 जुमुआ व ईदैन की पहली रकअत में **سَبِّحْ اسْمَ** दूसरी में **هَلْ أَتَاكَ** पढ़ना सुन्नत है कि नबी **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** से साबित है, येह इस काइदे से मुस्तस्ना है।⁽⁵⁾

(درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 30 सूरतों का मुअय्यन कर लेना कि उस नमाज़ में हमेशा वोही सूरत पढ़ा करे, मक्रूह है, मगर जो सूरतें अहादीस में वारिद हैं उन को कभी कभी पढ़ लेना मुस्तहब है, मगर मुदावमत न करे कि कोई वाजिब न गुमान कर ले।⁽⁶⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 31 फ़र्ज नमाज़ में आयते तरगीब (जिस में सवाब का बयान है) व तरहीब (जिस में अज़ाब का ज़िक्र है) पढ़े तो मुक्तदी व इमाम उस के मिलने और उस से बचने की दुआ न करें, नवाफ़िले बा जमाअत का भी येही हुक्म है, हां नफ़ल तन्हा पढ़ता हो तो दुआ कर सकता है।⁽⁷⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 32 दोनों रकअतों में एक ही सूरत की तक्वार मक्रूहे तन्ज़ीही है, जब कि कोई मजबूरी न हो और मजबूरी हो तो बिल्कुल कराहत नहीं, मसलन पहली रकअत में पूरी **قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْاَسَاس** पढ़ी तो अब दूसरी में भी येही पढ़े या दूसरी में बिना क़स्द वोही पहली सूरत शुरू कर दी या दूसरी सूरत याद नहीं आती तो वोही पहली पढ़े।⁽⁸⁾ (ردالمحتار)

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٧٨.

②..... "منية المصلي"، مقدار القراءة في الصلاة، ص ٣٠٠.

③..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراءة، و مطلب: السنة تكون سنة عين... إلخ، ج ٢، ص ٣٢٢.

④..... المرجع السابق، ص ٣٢٤. ⑤..... المرجع السابق، ص ٣٢٥. ⑥..... المرجع السابق، ص ٣٢٧.

⑦..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراءة، و مطلب: السنة تكون سنة عين... إلخ، ج ٢، ص ٣٢٩.

मस्अला 33 नवाफ़िल की दोनों रकअतों में एक ही सूरात को मुकरर पढ़ना या एक रकअत में उसी सूरात को बार बार पढ़ना, बिला कराहत जाइज़ है।⁽¹⁾ (غني)

मस्अला 34 एक रकअत में पूरा कुरआने मजीद ख़त्म कर लिया तो दूसरी में फ़ातिहा के बाद **الر** से शुरू करें।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्अला 35 फ़राइज़ की पहली रकअत में चन्द आयतें पढ़ीं और दूसरी में दूसरी जगह से चन्द आयतें पढ़ीं, अगरचें उसी सूरात की हों तो अगर दरमियान में दो या ज़ियादा आयतें रह गईं तो हरज नहीं, मगर बिला ज़रूरत ऐसा न करें और अगर एक ही रकअत में चन्द आयतें पढ़ीं फिर कुछ छोड़ कर दूसरी जगह से पढ़ा तो मकरूह है और भूल कर ऐसा हुवा तो लौटे और छूटी हुई आयतें पढ़ें।⁽³⁾ (روايل)

मस्अला 36 पहली रकअत में किसी सूरात का आख़िर पढ़ा और दूसरी में कोई छोटी सूरात, मसलन पहली में **أَفْصَبْتُمْ** और दूसरी में **قُلْ هُوَ اللَّهُ** तो हरज नहीं।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

मस्अला 37 फ़र्ज की एक रकअत में दो सूरात न पढ़ें और मुन्फ़रिद पढ़ ले तो हरज भी नहीं, बशर्ते कि उन दोनों सूरातों में फ़ासिला न हो और अगर बीच में एक या चन्द सूरातें छोड़ दीं तो मकरूह है।⁽⁵⁾ (روايل)

मस्अला 38 पहली रकअत में कोई सूरात पढ़ी और दूसरी में एक छोटी सूरात दरमियान से छोड़ कर पढ़ी तो मकरूह है और अगर वोह दरमियान की सूरात बड़ी है कि उस को पढ़ें तो दूसरी की क़िराअत पहली से तवील हो जाएगी तो हरज नहीं, जैसे **وَالْتَّيْنِ** के बाद **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ** पढ़ने में हरज नहीं और **إِذَا جَاءَ** के बाद **قُلْ هُوَ اللَّهُ** पढ़ना न चाहिये।⁽⁶⁾ (درمختار وغيره)

मस्अला 39 कुरआने मजीद उलटा पढ़ना कि दूसरी रकअत में पहली वाली से ऊपर की सूरात पढ़ें, येह मकरूहे तहरीमी है, मसलन पहली में **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** पढ़ी और दूसरी में **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** इस के लिये सख़्त वईद आई, अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ** फ़रमाते हैं : “जो कुरआन उलट कर पढ़ता है, क्या ख़ौफ़ नहीं करता कि अल्लाह उस का दिल उलट दे।”⁽⁸⁾ और भूल कर हो तो न गुनाह, न सज्दए सहव।

1..... “غنية المتملي”، فيما يكره من القرآن في العسلة وما لا يكره... إلخ، ص ٤٩٤. موضحاً.

2..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٧٩.

3..... “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراءة، مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية، ج ٢، ص ٣٢٩.

4..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٧٨.

5..... “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراءة، مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية، ج ٢، ص ٣٣٠.

6..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ٢، ص ٣٣٠. وغيره.

7..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج ٢، ص ٣٣٠. 8..... “الفتاوى الرضوية”، ج ٦، ص ٢٣٩.

मस्अला 40 बच्चों की आसानी के लिये पारए अम्म ख़िलाफ़े तरतीब कुरआने मजीद पढ़ना जाइज़ है।⁽¹⁾ (روايل)

मस्अला 41 भूल कर दूसरी रकअत में ऊपर की सूरत शुरूअ कर दी या एक छोटी सूरत का फ़ासिला हो गया, फिर याद आया तो जो शुरूअ कर चुका है उसी को पूरा करे अगर्चे अभी एक ही हर्फ़ पढ़ा हो, मसलन पहली में **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** पढ़ी और दूसरी में **إِذَا جَاءَ** या **الْمُتْرَكِينَ** शुरूअ कर दी, अब याद आने पर उसी को ख़त्म करे, छोड़ कर पढ़ने की इजाज़त नहीं।⁽²⁾ (درمقاروغیره)

मस्अला 42 ब निस्बत एक बड़ी आयत के तीन छोटी आयतों का पढ़ना अफ़ज़ल है और जुच्चे सूरत और पूरी सूरत में अफ़ज़ल वोह है जिस में ज़ियादा आयतें हों।⁽³⁾ (روايل)

मस्अला 43 रुकूअ के लिये तक्बीर कही, मगर अभी रुकूअ में न गया था यानी घुटनों तक हाथ पहुंचने के काबिल न झुका था कि और ज़ियादा पढ़ने का इरादा हुवा तो पढ़ सकता है, कुछ हरज नहीं।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

मसाइले किशअत बैस्ने नमाज़

मस्अला 44 कुरआने मजीद देख कर पढ़ना, ज़बानी पढ़ने से अफ़ज़ल है कि येह पढ़ना भी है और देखना और हाथ से इस का छूना भी और सब इबादत हैं।⁽⁵⁾

मस्अला 45 मुस्तहब येह है कि बा वुजू किब्ला रू अच्छे कपड़े पहन कर तिलावत करे और शुरूए तिलावत में अरुज़ु पढ़ना मुस्तहब है⁽⁶⁾ और इब्तिदाए सूरत में बिस्मिल्लाह सुन्नत, वरना मुस्तहब और अगर जो आयत पढ़ना चाहता है तो उस की इब्तिदा में ज़मीर मौला तअला की तरफ़ राजेअ है, जैसे **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** तो इस सूरत में अरुज़ु के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने का इस्तिहबाब मुअक्कद है, दरमियान में कोई दुन्यवी काम करे

1..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، مطلب: الاستماع للقرآن فرض كفاية، ج 2، ص 330.

2..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، فصل في القراءة، ج 2، ص 330، وغيره. 3..... المرجع السابق، ص 331.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الرابع، ج 1، ص 79.

5..... "غنية المتملّي"، القراءة خارج الصلاة، ص 49.

6..... फ़कीहे मिल्लत हज़रते अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِقَى** "फ़तावा फ़ैज़ुरसूल", जि. 1, सफ़हा 351 पर फ़रमाते हैं कि: "तिलावत के शुरूअ में अरुज़ु बिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है वाजिब नहीं। और बेशक बहारे शरीअत में वाजिब छपा है जिस पर गुन्या का हवाला है, हालां कि गुन्या मत्बूआ रहीमिया स. 463 में है **التعوذ يستحب مرة واحدة ما لم يفصل بعمل دنيوي** (यानी एक मरतबा तअव्वुज़ पढ़ना मुस्तहब है जब तक इस तिलावत में कोई दुन्यावी काम हाइल न हो)। तो मालूम हुवा कि बहारे शरीअत में बहुत से मसाइल जो नाशिरीन की ग़फ़लतों की वजह से ग़लत छप गए हैं, इन में से एक येह भी है।" इसी वजह से हम ने "मुस्तहब" कर दिया है।

तो **أَعُوذُ بِاللَّهِ** और **بِسْمِ اللَّهِ** फिर पढ़ ले और दीनी काम किया मसलन सलाम या अज़ान का जवाब दिया या **سُبْحَانَ اللَّهِ** और कलिमए तय्यिबा वगैरा अज़्कार पढ़े, **أَعُوذُ بِاللَّهِ** फिर पढ़ना उस के ज़िम्मे नहीं।⁽¹⁾ (غنية وغيرها)

मस्अला 46 - सूरए बराअत से अगर तिलावत शुरूअ की तो **أَعُوذُ بِاللَّهِ** और **بِسْمِ اللَّهِ** कह ले और जो उस के पहले से तिलावत शुरूअ की और सूरते बराअत आ गई तो तस्मिया पढ़ने की हाजत नहीं।⁽²⁾ (غنية) और इस की इब्तिदा में नया तअव्वुज जो आज कल के हाफ़िज़ों ने निकाला है, बे अस्ल है और येह जो मशहूर है कि सूरए तौबा इब्तिदाअन भी पढ़े, जब भी बिस्मिल्लाह न पढ़े, येह महज़ ग़लत है।

मस्अला 47 - गर्मियों में सुब्ह को कुरआने मजीद ख़त्म करना बेहतर है और जाड़ों में अव्वल शब को कि हदीस में है : “जिस ने शुरूए दिन में कुरआन ख़त्म किया, शाम तक फ़रिश्ते उस के लिये इस्तिफ़ार करते हैं और जिस ने इब्तिदाए शब में ख़त्म किया, सुब्ह तक इस्तिफ़ार करते हैं।” इस हदीस को दारिमी ने सअद बिन वक्कास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत किया तो गर्मियों में चूँकि दिन बड़ा होता है तो सुब्ह के ख़त्म करने में इस्तिफ़ारे मलाएका ज़ियादा होगी और जाड़ों की रातें बड़ी होती हैं तो शुरूए रात में ख़त्म करने से इस्तिफ़ार ज़ियादा होगी।⁽³⁾ (غنية)

मस्अला 48 - तीन दिन से कम में कुरआन का ख़त्म ख़िलाफ़े औला है। कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “जिस ने तीन रात से कम में कुरआन पढ़ा, उस ने समझा नहीं।”⁽⁴⁾ इस हदीस को अबू दावूद व तिरमिज़ी व नसाई ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत किया।

मस्अला 49 - जब ख़त्म हो तो तीन बार **قُلْ هُوَ اللَّهُ** पढ़ना बेहतर है, अगरचें तरावीह में हो, अलबत्ता अगर फ़र्ज नमाज़ में ख़त्म करे तो एक बार से ज़ियादा न पढ़े।⁽⁵⁾ (غنية وغيرها)

मस्अला 50 - लैट कर कुरआन पढ़ने में हरज नहीं, जब कि पाउं सिमटे हों और मुंह खुला हो, यूँही चलने और काम करने की हालत में भी तिलावत जाइज़ है, जब कि दिल न बटे, वरना मक्रूह है।⁽⁶⁾ (غنية)

मस्अला 51 - गुस्ल ख़ाने और मवाजेए नजासत⁽⁷⁾ में कुरआने मजीद पढ़ना, ना जाइज़ है।⁽⁸⁾ (غنية)

1..... “غنية المتملي”، القراءة خارج الصلاة، ص ६९०، وغيرها. 2..... المرجع السابق. 3..... المرجع السابق، ص ६९६.

4..... “سنن أبي داود”، كتاب شهر رمضان، باب تحزيب القرآن، الحديث: १३९६، ج २، ص ७९.

5..... “غنية المتملي”، القراءة خارج الصلاة، ص ६९६، وغيرها. 6..... المرجع السابق.

7..... यानी नजासत की जगहों।

8..... “غنية المتमلي”، القراءة خارج الصلاة، ص ६९६.

मस्अला 52 जब बुलन्द आवाज़ से कुरआन पढ़ा जाए तो तमाम हाज़िरीन पर सुनना फर्ज़ है, जब कि वोह मज्मअ ब गरज़ सुनने के हाज़िर हो वरना एक का सुनना काफ़ी है, अगर्चे और अपने काम में हों।⁽¹⁾ (غنية، फ़तावा रज़विय्या)

मस्अला 53 मज्मअ में सब लोग बुलन्द आवाज़ से पढ़ें येह हराम है, अक्सर तीजों में सब बुलन्द आवाज़ से पढ़ते हैं येह हराम है, अगर चन्द शख्स पढ़ने वाले हों तो हुक्म है कि आहिस्ता पढ़ें।⁽²⁾ (درمّاتر وغيره)

मस्अला 54 बाज़ारों में और जहां लोग काम में मशगूल हों बुलन्द आवाज़ से पढ़ना ना जाइज़ है, लोग अगर न सुनेंगे तो गुनाह पढ़ने वाले पर है अगर काम में मशगूल होने से पहले उस ने पढ़ना शुरूअ कर दिया हो और अगर वोह जगह काम करने के लिये मुक़रर न हो तो अगर पहले पढ़ना इस ने शुरूअ किया और लोग नहीं सुनते तो लोगों पर गुनाह और अगर काम शुरूअ करने के बाद इस ने पढ़ना शुरूअ किया तो इस पर गुनाह।⁽³⁾ (غنية)

मस्अला 55 जहां कोई शख्स इल्मे दीन पढ़ा रहा है या तालिबे इल्म, इल्मे दीन की तक्कार करते या मुतालआ देखते हों, वहां भी बुलन्द आवाज़ से पढ़ना मन्अ है।⁽⁴⁾ (غنية)

मस्अला 56 कुरआने मजीद सुनना, तिलावत करने और नफ़ल पढ़ने से अफ़ज़ल है।⁽⁵⁾ (غنية)

मस्अला 57 तिलावत करने में कोई शख्स मुअज़्ज़मे दीनी, बादशाहे इस्लाम या आलिमे दीन या पीर या उस्ताद या बाप आ जाए तो तिलावत करने वाला उस की ताजीम को खड़ा हो सकता है।⁽⁶⁾ (غنية)

मस्अला 58 औरत को औरत से कुरआने मजीद पढ़ना ग़ैर महरम नाबीना से पढ़ने से बेहतर है कि अगर्चे वोह उसे देखता नहीं मगर आवाज़ तो सुनता है और औरत की आवाज़ भी औरत है यानी ग़ैर महरम को बिला ज़रूरत सुनाने की इजाज़त नहीं।⁽⁷⁾ (غنية)

मस्अला 59 कुरआन पढ़ कर भुला देना गुनाह है, हुजूरे अक़दस صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : “मेरी उम्मत के सवाब मुझ पर पेश किये गए, यहां तक कि तिन्का जो मस्जिद से आदमी निकाल देता है और मेरी उम्मत के गुनाह मुझ पर पेश हुए तो उस से बढ़ कर कोई गुनाह नहीं

①..... “غنية المتمعلي”، القراءة خارج الصلاة، ص ٤٩٧، و “الفتاوى الرضوية”، ج ٢٣، ص ٣٥٢.

②..... “الدر المختار” ③..... “غنية المتمعلي”، القراءة خارج الصلاة، ص ٤٩٧.

④..... المرجع السابق. ⑤..... المرجع السابق. ⑥..... المرجع السابق. ⑦..... المرجع السابق.

देखा कि आदमी को सूरत या आयत दी गई और उस ने भुला दिया।”⁽¹⁾ इस हदीस को अबू दावूद व तिरमिज़ी ने रिवायत किया, दूसरी रिवायत में है : “जो कुरआन पढ़ कर भूल जाए क़ियामत के दिन कोढ़ी हो कर आएगा।”⁽²⁾ इस हदीस को अबू दावूद व दारिमी व नसाई ने रिवायत किया और कुरआने मजीद में है कि : “अन्धा हो कर उठेगा।”⁽³⁾

मस़ाला 60 जो शख्स ग़लत पढ़ता हो तो सुनने वाले पर वाजिब है कि बता दे, बशर्ते कि बताने की वजह से कीना व हसद पैदा न हो।⁽⁴⁾ इसी तरह अगर किसी का मुस्हफ़ शरीफ़ अपने पास आरिख्यत है, अगर उस में किताबत की ग़लती देखे, बता देना वाजिब है।

मस़ाला 61 कुरआने मजीद निहायत बारीक क़लम से लिख कर छोटा कर देना जैसा आज कल तावीज़ी कुरआन छपे हैं मक्रूह है कि इस में तहक़ीर की सूरत है।⁽⁵⁾ बल्कि हमाइल⁽⁶⁾ भी न चाहिये।

मस़ाला 62 कुरआने मजीद बुलन्द आवाज़ से पढ़ना अफ़ज़ल है जब कि किसी नमाज़ी या मरीज़ या सोते को ईज़ा न पहुंचे।⁽⁷⁾

मस़ाला 63 दीवारों और मेहराबों पर कुरआने मजीद लिखना अच्छा नहीं और मुस्हफ़ शरीफ़ को मुतल्ला⁽⁸⁾ करने में हरज नहीं।⁽⁹⁾ बल्कि ब निय्यते ताज़ीम मुस्तहब है।

1..... “جامع الترمذي”، أبواب فضائل القرآن، ١٩- باب، الحديث: ٢٩٢٥، ج ٤، ص ٤٢٠.

2..... “سنن أبي داود”، كتاب الوتر، باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه، الحديث: ١٤٧٤، ج ٢، ص ١٠٧.

3..... कुरआने मजीद में है : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي...﴾ الآية ١٦، ط ١: ١٢٤.

“जो मेरे ज़िक्र यानी कुरआन से मुंह फेरेंगे सो उस के लिये तंग ऐश है और हम उसे क़ियामत के दिन अन्धा उठाएंगे। कहेगा : ऐ मेरे रब ! तू ने मुझे अन्धा क्यूं उठाया मैं तो था अंखियारा। अल्लाह तआला फ़रमाएगा : यूंही आई थीं तेरे पास हमारी आयतें सो तू ने उन्हें भुला दिया और ऐसे ही आज तू भुला दिया जाएगा कि कोई तेरी ख़बर न लेगा।”

मुजहिदे आजम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن “फ़तावा रज़विय्या” में फ़रमाते हैं : “वोह कुरआने मजीद भूल जाए और इन वईदों का मुस्तहक़ हो जो इस बाब में वारिद हुईं, फिर आप ने मज़क़ूर आयत व तर्जमा लिखा। (الفتاوى الرضوية، ج ٢، ص ٦٤٦).

4..... “غنية المتعلمي”، القراءة خارج الصلاة، ص ٤٩٨. 5..... المرجع السابق.

6..... यानी छोटे साइज़ का कुरआन जिसे गले में लटकाते हैं।

7..... “غنية المتعلمي”، القراءة خارج الصلاة، ص ٤٩٧.

8..... यानी सोने से आरास्ता।

9..... “غنية المتعلمي”، القراءة خارج الصلاة، ص ٤٩٨.

किराअत में ग़लती हो जाने का बयान

इस बाब में काइदए कुल्लिय्या येह है कि अगर ऐसी ग़लती हुई जिस से माना बिगड़ गए, नमाज़ फ़ासिद हो गई, वरना नहीं।

मस्अला 1

एराबी ग़लतियां अगर ऐसी हों जिन से माना न बिगड़ते हों तो मुफ़्सिद नहीं, मसलन **نَعْبُدُ** और अगर इतना तग़य्युर हो कि उस का एतिकाद और क़स्दन पढ़ना कुफ़्र हो तो अहवत येह है कि इअ़ादा करे, मसलन ⁽¹⁾ **وَعَصَىٰ أَدُمُ رَبَّهُ** में मीम को ज़बर और बे को पेश पढ़ दिया और ⁽²⁾ **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَاقَا** में जलालत को रफ़अ और अल इलमा को ज़बर पढ़ा और ⁽³⁾ **فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ** में ज़ाल को ज़ेर पढ़ा, ⁽⁴⁾ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** में काफ़ को ज़ेर पढ़ा, ⁽⁵⁾ **الْمُصَوِّرُ** के वाव को ज़बर पढ़ा। ⁽⁶⁾ (रदाअलमुहम्मि)

मस्अला 2

तश्दीद को तख़फ़ीफ़ पढ़ा जैसे ⁽⁷⁾ **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** में **ي** पर तश्दीद न पढ़ी, ⁽⁸⁾ **أَلْحَسَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** में **ب** पर तश्दीद न पढ़ी, ⁽⁹⁾ **وَقُلْنَا انْقِطِبَا** में **ت** पर तश्दीद न पढ़ी, नमाज़ हो गई। ⁽¹⁰⁾ (रदाअलमुहम्मि)

मस्अला 3

मुखफ़फ़ को मुशहद पढ़ा जैसे ⁽¹¹⁾ **فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ** में ज़ाल को तश्दीद के साथ पढ़ा या इदग़ाम तर्क किया जैसे ⁽¹²⁾ **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ** में लाम ज़ाहिर किया, नमाज़ हो जाएगी। ⁽¹³⁾ (रदाअलमुहम्मि)

1 प १६, १७: १२१.

2 प २२, २३: २८.

3 प १९, २०: ५८.

4 प १, २: ४.

5 प २८, २९: २४.

6 "الفتاوى الهندية", كتاب الصلاة, الباب الرابع في صفة الصلاة, الفصل الخامس, ج १, ص ८१.

و "ردالمحتار", كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة, وما يكره فيها, مطلب: مسائل زلة القارئ, ج २, ص ४७३.

7 प १, २: ४.

8 प १, २: ४.

9 प २२, २३: २८.

10 "الفتاوى الهندية", كتاب الصلاة, الباب الرابع في صفة الصلاة, الفصل الخامس, ج १, ص ८१.

و "ردالمحتار", كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة, وما يكره فيها, مطلب: مسائل زلة القارئ, ج २, ص ४७४.

11 प १, २: ५.

12 प २४, २५: ३२.

13 "الفتاوى الهندية", كتاب الصلاة, الباب الرابع في صفة الصلاة, الفصل الخامس, ج १, ص ८१.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار", كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة... إلخ, مطلب: مسائل زلة القارئ, ج २, ص ४७५.

मस्अला 4

हर्फ़ ज़ियादा करने से अगर माना न बिगड़ें नमाज़ फ़ासिद न होगी, जैसे (1) ﴿وَأَنۢنَّ عَنِ النَّكَرِ﴾ में के बाद ى ज़ियादा की, (2) ﴿هُمُ الَّذِينَ﴾ में मीम को जज़्म कर के अलिफ़ ज़ाहिर किया और अगर माना फ़ासिद हो जाएं, जैसे (3) ﴿زَرَّابٍ﴾ को ﴿زَرَّابٍ﴾ को مَثَانِي पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। (5) (عالمگیری)

मस्अला 5

किसी हर्फ़ को दूसरे कलिमे के साथ वस्ल कर देने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, जैसे ﴿إِيَّاكَ تَعْبُدُ﴾ यूँही कलिमे के बाज़ हर्फ़ को क़तअ करना भी मुफ़्सिद नहीं, यूँही वक्फ़ व इब्तिदा का बे मौक़अ होना भी मुफ़्सिद नहीं, अगरचें वक्फ़े लाज़िम हो मसलन (6) ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ पर वक्फ़ किया, फिर पढ़ा (7) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ या (8) ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ पर वक्फ़ न किया और (9) ﴿أَصْحَابُ الثَّأْرِ﴾ पर वक्फ़ कर के (10) ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ पढ़ा इन सब सूरतों में नमाज़ हो जाएगी मगर ऐसा करना बहुत क़बीह है। (11) (عالمگیری وغيره)

मस्अला 6

कोई कलिमा ज़ियादा कर दिया तो वोह कलिमा कुरआन में है या नहीं और बहर सूरत माना का फ़साद होता है या नहीं, अगर माना फ़ासिद हो जाएंगे, नमाज़ जाती रहेगी, जैसे ﴿إِنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَجَمَآلًا﴾ और ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ﴾ और अगर माना मुतग़थिर न हों तो फ़ासिद न होगी अगरचें कुरआन में उस का मिस्ल न हो, जैसे (12) ﴿فِيهَا فَآكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَنَفَّاحٌ وَرَمَّانٌ﴾ और ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (عالمگیری وغيره)

मस्अला 7

किसी कलिमे को छोड़ गया और माना फ़ासिद न हुए जैसे (13) ﴿جَزَآءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِّثْلُهَا﴾ में दूसरे सَيِّئَةٍ को न पढ़ा तो नमाज़ फ़ासिद न हुई और अगर इस

① प २१, لقمن: १७. ② प २८, المنفقون: ७. ③ प ३०, الغاشية: १६. ④ प २३, الزمر: २३.

⑤ "الفتاوى الهندية", كتاب الصلاة, الباب الرابع في صفة الصلاة, الفصل الخامس, ج १, ص ७९.

⑥ प ३०, البروج: ११.

⑦ प ३०, البينة: ७.

⑧ प २८, الحشر: २०.

⑨ प २४, المؤمن: ७.

⑩ प ३, آل عمران: १८.

⑪ "الفتاوى الهندية", كتاب الصلاة, الباب الرابع في صفة الصلاة, الفصل الخامس, ج १, ص ७९, ८२, وغيره.

⑫ "الفتاوى الهندية", كتاب الصلاة, الباب الرابع في صفة الصلاة, الفصل الخامس, ج १, ص ८०, وغيره.

⑬ प २०, الشورى: ४०.

(1) ﴿أَوَّلِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ नमाज़ हो गई और अगर वक्फ़ न किया तो माना मुतगय्यिर होने की सूरत में नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, जैसे येही मिसाल वरना नहीं जैसे (2) ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ﴾ की जगह جَزَاوُنِ الْحُسْنَى पढ़ा, नमाज़ हो गई (3) (عالمگیری)

मस्अला 12 किसी कलिमे को मुकरर पढ़ा तो माना फ़ासिद होने में नमाज़ फ़ासिद होगी जैसे رَبِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَمَلِكٍ يَدُورُ وَالَّذِينَ जब कि ब कस्दे इज़ाफ़त पढ़ा हो यानी रब का रब, मालिक का मालिक और अगर ब कस्द तस्हीहे मख़ारिज मुकरर किया या बिगैर कस्द ज़बान से मुकरर हो गया या कुछ भी कस्द न किया तो इन सब सूरतों में नमाज़ फ़ासिद न होगी (4) (روايات)

मस्अला 13 एक हर्फ़ की जगह दूसरा हर्फ़ पढ़ना अगर इस वजह से है कि उस की ज़बान से वोह हर्फ़ अदा नहीं होता तो मजबूर है, इस पर कोशिश करना ज़रूरी है, अगर ला परवाही से है जैसे आज कल के अक्सर हुफ़फ़ाज़ व इलमा कि अदा करने पर कादिर हैं मगर बे खयाली में तब्दीले हर्फ़ कर देते हैं तो अगर माना फ़ासिद हों नमाज़ न हुई, इस किस्म की जितनी नमाज़ें पढ़ी हों उन की क़ज़ा लाज़िम इस की तफ़सील बाबुल इमामत में मज़कूर होगी।

मस्अला 14 ط، ث، س، ش، ذ، ظ، ع، ه، ح، ض، ظ، इन हर्फ़ों में सहीह तौर पर इम्तियाज़ रखें, वरना माना फ़ासिद होने की सूरत में नमाज़ न होगी और बाज़ तो س، ش، ز، ج، ق، क में भी फ़र्क नहीं करते।

मस्अला 15 मद, गुन्ना, इज़हार, इख़फ़ा, इमाला बे मौक़अ पढ़ा, या जहां पढ़ना है न पढ़ा तो नमाज़ हो जाएगी (5) (عالمگیری وغيره)

मस्अला 16 लहून के साथ कुरआन पढ़ना हराम है और सुनना भी हराम, मगर मद व लीन (6) में लहून हुवा तो नमाज़ फ़ासिद न होगी (7) (عالمگیری) अगर फ़ाहिश न हो कि तान की हद तक पहुंच जाए।

मस्अला 17 اَللّٰهُمَّ کے लिये मुअन्नस के सीगे या ज़मीर ज़िक्र करने से नमाज़ जाती रहती है (8)

② پ ۱۶، الکھف: ۱۰۷.

① پ ۳۰، البینة: ۶.

③ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع فی صفۃ الصلاۃ، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۸۰.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاۃ، باب ما یفسد الصلوۃ، وما یکرہ فیہا، مطلب: إذا قرأ قوله... إلخ، ج ۲، ص ۴۷۸.

⑤ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع فی صفۃ الصلاۃ، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۸۱.

⑥ الف کے اولیٰ، ساکین اور کبّل کی ہرکت موافّق ہو (یانی واو کے پہلے پेश، ی کے پہلے جیر اور الف کے پہلے جبر ہو) تو اس کو مد کہتے ہیں جب کہ وہ واو اور ی ساکین کے پہلے جبر ہو تو اس کو لীন کہتے ہیں 12

⑦ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع فی صفۃ الصلاۃ، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۸۲.

⑧ "الفتاویٰ الہندیہ"، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع فی صفۃ الصلاۃ، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۸۲.

इमामत का बयान

हदीस 1 — अबू दावूद इब्ने अब्बास رضي الله تعالى عنه से रावी कि **रसूलुल्लाह** صلی الله تعالى علیه وسلم ने फरमाया : “तुम में के अच्छे लोग अज़ान कहें और “कुरा” इमामत करें।”⁽¹⁾ (कि उस ज़माने में जो ज़ियादा कुरआन पढ़ा होता वोही इल्म में ज़ियादा होता)।

हदीस 2 — सहीह मुस्लिम की रिवायत अबू सईद खुदरी رضي الله تعالى عنه से है कि इमामत का ज़ियादा मुस्तहक अकर⁽²⁾ है यानी कुरआन ज़ियादा पढ़ा हुआ।

हदीस 3 — अबुशशैख की रिवायत अबू हुरैरा رضي الله تعالى عنه से है कि फरमाया : “इमाम व मुअज़्ज़िन को उन सब के बराबर सवाब है, जिन्होंने इन के साथ नमाज़ पढ़ी है।”⁽³⁾

हदीस 4 — अबू दावूद व तिरमिज़ी रिवायत करते हैं कि अबू अतिय्या उकैली कहते हैं कि : “मालिक बिन हुवैरिस رضي الله تعالى عنه हमारे यहां आया करते थे, एक दिन नमाज़ का वक़्त आ गया, हम ने कहा : आगे बढ़िये, नमाज़ पढ़ाइये। फरमाया : अपने में से किसी को आगे करो कि नमाज़ पढ़ाए और बता दूंगा कि मैं क्यूं नहीं पढ़ाता ? मैं ने **रसूलुल्लाह** صلی الله تعالى علیه وسلم से सुना है कि फरमाते हैं : “जो किसी क़ौम की मुलाक़ात को जाए तो उन की इमामत न करे और येह चाहिये कि उन्हीं में का कोई इमामत करे।”⁽⁴⁾

हदीस 5 — तिरमिज़ी अबू उमामा رضي الله تعالى عنه से रावी कि हुज़ूर صلی الله تعالى علیه وسلم ने फरमाया कि : “तीन शख्सों की नमाज़ कानों से मुतजाविज़ नहीं होती, भागा हुआ गुलाम यहां तक कि वापस आए और जो औरत इस हालत में रात गुज़ारे कि उस का शौहर उस पर नाराज़ है और किसी गुरौह का इमाम कि वोह लोग उस की इमामत से कराहियत करते हों।”⁽⁵⁾ (यानी किसी शर्ई क़बाहत की वजह से)।

हदीस 6 — इब्ने माजह की रिवायत इब्ने अब्बास رضي الله تعالى عنه से यूं है कि “तीन शख्सों की नमाज़ सर से एक बालिशत भी ऊपर नहीं जाती एक वोह शख्स कि क़ौम की इमामत करे और वोह लोग उस को बुरा जानते हों और वोह औरत जिस ने इस हालत में रात गुज़ारी कि उस का शौहर उस पर नाराज़ है और दो मुसलमान भाई बाहम जो एक दूसरे को किसी दुन्यावी वजह से छोड़े हों।”⁽⁶⁾

1..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة، الحديث: ٥٩٠، ج ١، ص ٢٤٢.

2..... “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب من أحق بالإمامة الحديث: ٦٧٢، ص ٣٣٧.

3..... “كنز العمال”، كتاب الصلاة، الحديث: ٢٠٣٧٠، ج ٧، ص ٢٣٩.

4..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب امامة الزائر، الحديث: ٥٩٦، ج ١، ص ٢٤٤.

و “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء فيمن زار قوما فلا يصل بهم، الحديث: ٣٥٦، ج ١، ص ٣٧٢.

5..... “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء فيمن أم قوما وهم له كارهون، الحديث: ٣٦٠، ج ١، ص ٣٧٥.

6..... “سنن ابن ماجه”، أبواب إقامة الصلاة... إلخ، باب من أم قوما وهم له كارهون، الحديث: ٩٧١، ج ١، ص ٥١٦.

हदीस 7 - अबू दावूद व इब्ने माजह इब्ने उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “तीन शख्सों की नमाज़ क़बूल नहीं होती, जो शख्स क़ौम के आगे हो यानी इमाम हो और वोह लोग उस से कराहियत करते हों और वोह शख्स कि नमाज़ को पीठ दे कर आए यानी नमाज़ फ़ौत होने के बाद पढ़े और वोह शख्स जिस ने आज़ाद को गुलाम बनाया।”⁽¹⁾

हदीस 8 - इमाम अहमद व इब्ने माजह सलामा बिनते अल हुर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “क़ियामत की अलामात से है कि बाहम अहले मस्जिद इमामत एक दूसरे पर डालेंगे, किसी को इमाम नहीं पाएंगे कि उन को नमाज़ पढ़ावे।”⁽²⁾ (यानी किसी में इमामत की सलाहियत न होगी)।

हदीस 9 - बुख़ारी के इलावा सिहाहे सित्ता में अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “किसी के घर या उस की सल्तनत में इमामत न की जाए, न उस की मस्नद पर बैठा जाए, मगर उस की इजाज़त से।”⁽³⁾

हदीस 10 - बुख़ारी व मुस्लिम वगैरहुमा अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जब कोई औरों को नमाज़ पढ़ाए तो तख़फ़ीफ़ करे कि उन में बीमार और कमज़ोर और बूढ़ा होता है और जब अपनी पढ़े तो जिस क़दर चाहे तूल दे।”⁽⁴⁾

हदीस 11 - इमाम बुख़ारी अबू क़तादा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं कि : “मैं नमाज़ में दाख़िल होता हूं और तवील करने का इरादा रखता हूं कि बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूं, लिहाज़ा नमाज़ में इख़्तिसार कर देता हूं कि जानता हूं, उस के रोने से उस की मां को ग़म लाहिक़ होता है।”⁽⁵⁾

हदीस 12 - सहीह मुस्लिम में है अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं कि : “एक दिन रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ाई जब पढ़ चुके, हमारी तरफ़ मुतवज्जेह हो कर फ़रमाया : ऐ लोगो ! मैं तुम्हारा इमाम हूं, रुकूओ सुजूद व क़ियाम और नमाज़ से फिरने में मुझ पर सब्क़त न करो कि मैं तुम को आगे और पीछे से देखता हूं।”⁽⁶⁾

हदीस 13 - इमाम मालिक की रिवायत इन्हीं से इस तरह है कि फ़रमाया कि : “जो

① “سنن ابن ماجه”، أبواب اقامة... إلخ، باب من أم... إلخ، الحديث: ٩٧٠، ج ١، ص ٥١٥، عن عبد الله بن عمرو.

② “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب في كراهية التدافع عن الإمامة، الحديث: ٥٨١، ج ١، ص ٢٣٩.

③ “صحيح مسلم”، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، الحديث: ٢٩١- (٦٧٣)، ص ٣٣٨.

④ “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه... إلخ، الحديث: ٧٠٣، ج ١، ص ٢٥٢، وغيره.

⑤ “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة... إلخ، الحديث: ٧٠٧، ج ١، ص ٢٥٣.

⑥ “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع... إلخ، الحديث: ٤٢٦، ص ٢٢٨.

इमाम से पहले अपना सर उठाता और झुकाता है, उस की पेशानी के बाल शैतान के हाथ में हैं।”⁽¹⁾

हदीस 14 — बुखारी व मुस्लिम वगैरहुमा अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “क्या जो शख्स इमाम से पहले सर उठाता है, इस से नहीं डरता कि अल्लाह तआला उस का सर गधे का सर कर दे ?”⁽²⁾ बाज़ मुहद्दिसीन से मन्कूल है कि इमाम नववी رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى हदीस लेने के लिये एक बड़े मशहूर शख्स के पास दिमश्क में गए और उन के पास बहुत कुछ पढ़ा, मगर वोह पर्दा डाल कर पढ़ाते, मुद्दतों तक उन के पास बहुत कुछ पढ़ा, मगर उन का मुंह न देखा, जब ज़मानए दराज़ गुज़रा और उन्होंने ने देखा कि इन को हदीस की बहुत ख़्वाहिश है तो एक रोज़ पर्दा हटा दिया, देखते क्या हैं कि उन का मुंह गधे का सा है, उन्होंने ने कहा, “साहिब ज़ादे ! इमाम पर सब्क़त करने से डरो कि येह हदीस जब मुझ को पहुंची मैं ने इसे मुस्तब्द⁽³⁾ जाना और मैं ने इमाम पर क़स्दन सब्क़त की तो मेरा मुंह ऐसा हो गया जो तुम देख रहे हो।”⁽⁴⁾

हदीस 15 — अबू दावूद सौबान رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं कि : “तीन बातें किसी को हलाल नहीं : जो किसी क़ौम की इमामत करे तो ऐसा न करे कि ख़ास अपने लिये दुआ करे, उन्हें छोड़ दे, ऐसा किया तो उन की ख़ियानत की और किसी के घर के अन्दर बिगैर इजाज़त नज़र न करे और ऐसा किया तो उन की ख़ियानत की और पाख़ाना-पेशाब रोक कर नमाज़ न पढ़े, बल्कि हलका हो ले यानी फ़ारिग़ हो ले।”⁽⁵⁾

अहक़ामे फ़िक्हिय्या

इमामते कुब्रा का बयान हिस्सए अक़ाइद में मज़कूर हुवा । इस बाब में इमामते सुग़रा यानी इमामते नमाज़ के मसाइल बयान किये जाएंगे, इमामत के येह माना हैं कि दूसरे की नमाज़ का उस की नमाज़ के साथ वाबस्ता होना ।

शराइते इमामत

मस्अला 1 — मर्दे ग़ैर माज़ूर के इमाम के लिये छे शर्ते हैं :

① “الموطأ” لإمام مالك، كتاب الصلاة، باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، الحديث: ٢١٢، ج ١، ص ١٠٢، عن أبي هريرة رضى الله عنه .

② “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بر كوع... إلخ، الحديث: ٤٢٧، ص ٢٢٨.

③ यानी बाज़ रावियों की अ़दमे सिहूहत के बाइस दूर अज़ कियास ।

④ “مرقاة المفاتيح”، كتاب الصلاة، تحت الحديث: ١١٤١، ج ٣، ص ٢٢١. لكن لم يذكر النووي.

⑤ “سنن أبي داود”، كتاب الطهارة، باب أبصلي الرجال وهو حاقن، الحديث: ٩٠، ج ١، ص ٦٦.

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| (1) इस्लाम | (4) मर्द होना |
| (2) बुलूग | (5) किराअत |
| (3) अक़िल होना | (6) माज़ूर न होना। ⁽¹⁾ |

मस्अला 2 – औरतों के इमाम के लिये मर्द होना शर्त नहीं, औरत भी इमाम हो सकती है, अगर्चे मक्रूह है।⁽²⁾ (अम्मए कुतुब)

मस्अला 3 – ना बालिगों के इमाम के लिये बालिग होना शर्त नहीं, बल्कि ना बालिग भी ना बालिगों की इमामत कर सकता है, अगर समझवाल हो।⁽³⁾ (रुअय़र)

मस्अला 4 – माज़ूर अपने मिस्ल या अपने से ज़ाइद उज़्र वाले की इमामत कर सकता है, कम उज़्र वाले की इमामत नहीं कर सकता और अगर इमाम व मुक्तदी दोनों को दो किस्म के उज़्र हों, मसलन एक को रियाह का मरज़ है, दूसरे को क़तरा आने का तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता।⁽⁴⁾ (माग़िरी, रुअय़र)

मस्अला 5 – ताहिर, माज़ूर की इक्तिदा नहीं कर सकता जब कि हालते वुजू में हदस पाया गया, या बादे वुजू वक़्त के अन्दर तारी हुवा, अगर्चे नमाज़ के बाद और अगर न वुजू के वक़्त हदस था, न ख़त्मे वक़्त तक उस ने औद किया तो येह नमाज़ जो उस ने इन्किताअ पर पढ़ी, इस में तन्दुरुस्त उस की इक्तिदा कर सकता है।⁽⁵⁾ (रुअय़र)

मस्अला 6 – माज़ूर अपने मिस्ल माज़ूर की इक्तिदा कर सकता है और एक उज़्र वाला दो उज़्र वाले की इक्तिदा नहीं कर सकता, न एक उज़्र वाला दूसरे उज़्र वाले की और दो उज़्र वाला एक उज़्र वाले की इक्तिदा कर सकता है, जब कि वोह एक उज़्र उसी के दो में से हो।⁽⁶⁾

(درمختار وغيره)

- 1..... "نور الإيضاح" كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص ٧٣.
- 2..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكبرى، ج ٢، ص ٣٣٧، ٣٦٥.
- 3..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكبرى، ج ٢، ص ٣٣٧.
- 4..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الواجب كفاية... إلخ، ج ٢، ص ٣٨٩.
- و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، باب الخامس فى الإمامة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٨٤.
- 5..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٨٩.
- 6..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٨٩، وغيره.

मस्अला 7

माज़ूर ने अपने मिस्ल दूसरे माज़ूर और सहीह की इमामत की, सहीह की न होगी औरों की हो जाएगी।⁽¹⁾ (دری)

मस्अला 8

वोह बद मज़हब जिस की बद मज़हबी हद्दे कुफ़ को पहुंच गई हो, जैसे राफ़िज़ी अगर्चे सिर्फ़ सिद्दीके अक्बर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ की ख़िलाफ़त या सोहबत से इन्कार करता हो, या शैख़ैन رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ की शाने अक्दस में तबर्रा कहता हो। क़दरी, जहमी, मुशब्ब और वोह जो कुरआन को मख़्लूक़ बताता है और वोह जो शफ़ाअत या दीदारे इलाही या अज़ाबे क़ब्र या किरामन कातिबीन का इन्कार करता है, उन के पीछे नमाज़ नहीं हो सकती।⁽²⁾ (عالمگیری، غنیہ) इस से सख़्त तर हुक्म वहाबिय्यए ज़माना का है कि اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ व नबी صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَسَلَّم की तौहीन करते या तौहीन करने वालों को अपना पेशवा या कम अज़ कम मुसलमान ही जानते हैं।

मस्अला 9

जिस बद मज़हब की बद मज़हबी हद्दे कुफ़ को न पहुंची हो, जैसे तफ़ज़ीलिया उस के पीछे नमाज़, मकरूहे तहरीमी है।⁽³⁾ (عالمگیری)

(शराइते इक्तिदा)

इक्तिदा की तेरह (13) शर्ते हैं :

- (1) निय्यते इक्तिदा।
- (2) और इस निय्यते इक्तिदा का तहरीमा के साथ होना या तहरीमा पर मुक़द्दम होना, बशर्ते कि सूरते तक्द्दुम में कोई अजनबी निय्यत व तहरीमा में फ़ासिल न हो।
- (3) इमाम व मुक्तदी दोनों का एक मकान में होना।
- (4) दोनों की नमाज़ एक हो या इमाम की नमाज़, नमाज़े मुक्तदी को मुतज़म्मिन हो।
- (5) इमाम की नमाज़ मज़हबे मुक्तदी पर सहीह होना। और
- (6) इमाम व मुक्तदी दोनों का उसे सहीह समझना।
- (7) औरत का महाज़ी⁽⁴⁾ न होना उन शुरूत के साथ जो मज़कूर होंगी।

1..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج 2، ص 389.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل الثالث، ج 1، ص 84.

و "غنية المتملی"، الأولى بالإمامة، ص 514.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل الثالث، ج 1، ص 84.

4..... यानी बराबर।

- (8) मुक्तदी का इमाम से मुकद्दम⁽¹⁾ न होना ।
- (9) इमाम के इन्तिकालात का इल्म होना ।
- (10) इमाम का मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मालूम⁽²⁾ हो ।
- (11) अरकान की अदा में शरीक होना ।
- (12) अरकान की अदा में मुक्तदी इमाम के मिस्ल हो या कम ।
- (13) यूँही शराइत में मुक्तदी का इमाम से जाइद न होना ।⁽³⁾

मस्अला 10 सुवार ने पैदल की या पैदल ने सुवार की इक्तिदा की या मुक्तदी व इमाम दोनों दो सुवारियों पर हैं, इन तीनों सूरतों में इक्तिदा न हुई कि दोनों के मकान मुख़लिफ़ हैं । और अगर दोनों एक सुवारी पर सुवार हों तो पीछे वाला अगले की इक्तिदा कर सकता है कि मकान एक है ।⁽⁴⁾ (رواۃ)

मस्अला 11 इमाम व मुक्तदी के दरमियान इतना चौड़ा रास्ता हो जिस में बैलगाड़ी जा सके तो इक्तिदा नहीं हो सकती । यूँही अगर बीच में नहर हो जिस में कश्ती या बजरा⁽⁵⁾ चल सके तो इक्तिदा सहीह नहीं, अगरचें वोह नहर बीच मस्जिद में हो और अगर बहुत तंग नहर हो जिस में बजरा भी न तैर सके तो इक्तिदा सहीह है ।⁽⁶⁾ (رواۃ)

मस्अला 12 बीच में हौज़ दह दर दह है तो इक्तिदा नहीं हो सकती, मगर जब कि हौज़ के गिर्द सफ़ें बराबर मुत्तसिल हों और अगर छोटा हौज़ है तो इक्तिदा सहीह है ।⁽⁷⁾ (رواۃ)

मस्अला 13 बीच में चौड़ा रास्ता है, मगर उस रास्ते में सफ़ काइम हो गई, मसलन कम से कम तीन शख्स खड़े हो गए तो उन के पीछे दूसरे लोग इमाम की इक्तिदा कर सकते हैं, बशर्ते कि हर दो सफ़ और सफ़े अव्वल व इमाम के दरमियान बैलगाड़ी न जा सके यानी अगर रास्ता ज़ियादा चौड़ा हो कि एक से ज़ियादा सफ़ें उस में से हो सकती हैं तो इतनी हो लें कि

①यानी आगे ।

②येह हकीकतन सिह्हते इक्तिदा की शर्त नहीं बल्कि हुक्मे सिह्हते इक्तिदा के लिये शर्त है व लिहाज़ा बादे नमाज़ अगर हाल मालूम हो जाए नमाज़ सहीह हो गई । 12 मिन्ह

③ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، مطلب: شروط الإمامة الكبرى، ج ۲، ص ۳۳۸-۳۳۹.

④ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الواجب كفاية هل يسقط... إلخ، ج ۲، ص ۳۹۵.

⑤यानी एक किस्म की गोल और खूब सूरत कश्ती ।

⑥ "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۲، ص ۴۰۰.

⑦ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم... إلخ، ج ۲، ص ۴۰۰.

दो सफ़ों के दरमियान बैलगाड़ी न जा सके, यूँही अगर रास्ता लम्बा हो यानी मसलन हमारे मुल्कों में पूरब पच्छिम⁽¹⁾ हो तो भी हर दो सफ़ों में और इमाम व मुक्तदी में वोही शर्त है।⁽²⁾ (रुम्ज़ी, रोज़ा)

मस्अला 14 - नहर पर पुल है और उस पर सफ़ें मुत्तसिल हों तो इमाम अगरचें नहर के उस तरफ़ है, इस तरफ़ वाला उस की इक्तिदा कर सकता है।

मस्अला 15 - मैदान में जमाअत काइम हुई, अगर इमाम व मुक्तदी के दरमियान इतनी जगह ख़ाली है कि उस में दो सफ़ें काइम हो सकती हैं तो इक्तिदा सहीह नहीं, बड़ी मस्जिद मसलन मस्जिदे कुद्स का भी येही हुक्म।⁽³⁾ (रुम्ज़ी)

मस्अला 16 - बड़ा मकान मैदान के हुक्म में है और उस मकान को बड़ा कहेंगे जो चालीस हाथ हो।⁽⁴⁾ (रुम्ज़ी)

मस्अला 17 - मस्जिदे ईदगाह में कितना ही फ़ासिला इमाम व मुक्तदी में हो मानेए इक्तिदा नहीं, अगरचें बीच में दो या ज़ियादा सफ़ों की गुन्जाइश हो।⁽⁵⁾ (माग़िरी)

मस्अला 18 - मैदान में जमाअत काइम हुई, पहली दो सफ़ों ने अभी अल्लाहु अक्बर न कहा था कि तीसरी सफ़ ने इमाम के बाद तहरीमा बांध लिया, इक्तिदा सहीह हो गई।⁽⁶⁾ (रुम्ज़ी)

मस्अला 19 - मैदान में जमाअत हुई और सफ़ों के दरमियान ब क़दर हौज़े दह दर दह के ख़ाली छोड़ा कि उस में कोई खड़ा न हुवा तो अगर उस ख़ाली जगह के आस पास यानी दहने बाएं सफ़ें मुत्तसिल हैं तो उस जगह के बाद वाले की इक्तिदा सहीह है, वरना नहीं और दह दर दह से कम जगह ख़ाली बची है तो पीछे वाले की इक्तिदा सहीह है।⁽⁷⁾ (रुम्ज़ी)

मस्अला 20 - दो कश्तियां बाहम बंधी हों एक पर इमाम है, दूसरी पर मुक्तदी तो इक्तिदा सहीह है और जुदा हों तो नहीं। और अगर कश्ती कनारे पर रुकी हुई है और इमाम कश्ती पर है और मुक्तदी खुश्की में तो अगर दरमियान में रास्ता हो या बड़ी नहर के बराबर फ़ासिला हो तो इक्तिदा सहीह नहीं, वरना है।⁽⁸⁾ (रुम्ज़ी, रोज़ा) यानी जब इमाम उतरने पर कादिर न हो, इस लिये कि जो शाख़्स कश्ती से उतर कर खुश्की में पढ़ सकता है उस की कश्ती पर नमाज़

② "الدرا المختار" و "ردالمختار" كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم... إلخ، ج ٢، ص ٤٠١. مशरिकو مगरिब ①

③ "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٤٠٠.

④ "ردالمختار" كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم... إلخ، ج ٢، ص ٤٠١.

⑤ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٨٧.

⑥ "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم... إلخ، ج ٢، ص ٤٠١.

⑦ "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم... إلخ، ج ٢، ص ٤٠٢.

⑧ "الدرا المختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، مطلب في الصلاة في السفينة، ج ٢، ص ٦٩١.

होगी ही नहीं, हां अगर कश्ती ज़मीन पर बैठ गई तो उस पर बहर हाल नमाज़ सहीह है कि अब वोह तख़्त के हुक्म में है।

मस़ाला 21 — जो मस्जिद बहुत बड़ी न हो, उस में इमाम अगर्चे मेहराब में हो, मुक्तदी मुन्तहाए मस्जिद में उस की इक्तिदा कर सकता है।⁽¹⁾ (عالمگیری)

मस़ाला 22 — इमाम व मुक्तदी के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो तो अगर इमाम के इन्तिकालात मुश्तबह न हों, मसलन उस की या मुकब्बिर की आवाज़ सुनता हो या उस के या उस के मुक्तदियों के इन्तिकालात देखता है तो हरज नहीं, अगर्चे उस के लिये इमाम तक पहुंचने का रास्ता न हो, मसलन दरवाज़े में जालियां हैं कि इमाम को देख रहा है, मगर खुला नहीं है कि जाना चाहे तो जा सके।⁽²⁾ (رواۃ)

मस़ाला 23 — इमाम व मुक्तदी के दरमियान मिम्बर हाइल होना मानेए इक्तिदा नहीं, जब कि इमाम का हाल मुश्तबह न हो।⁽³⁾ (رواۃ)

मस़ाला 24 — जिस मकान की छत मस्जिद से बिल्कुल मुत्तसिल हो कि बीच में रास्ता न हो तो उस छत पर से इक्तिदा हो सकती है और अगर रास्ते का फ़ासिला हो तो नहीं।⁽⁴⁾ (رواۃ)

मस़ाला 25 — मस्जिद के मुत्तसिल कोई दालान है, उस में मुक्तदी इक्तिदा कर सकता है जब कि इमाम का हाल मख़फ़ी न हो।⁽⁵⁾ (رواۃ)

मस़ाला 26 — मस्जिद से बाहर चबूतरा है और इमाम मस्जिद में है, मुक्तदी उस चबूतरे पर इक्तिदा कर सकता है जब कि सफ़ें मुत्तसिल हों।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

मस़ाला 27 — वक्ते नमाज़ में तो येही मालूम था कि इमाम की नमाज़ सहीह है बाद को मालूम हुवा कि सहीह न थी, मसलन मस्हे मोज़ा की मुद्त गुज़र चुकी थी या भूल कर बे वुज़ू नमाज़ पढ़ाई तो मुक्तदी की नमाज़ भी न हुई।⁽⁷⁾ (رواۃ)

मस़ाला 28 — इमाम की नमाज़ खुद उस के गुमान में सहीह है और मुक्तदी के गुमान में सहीह न हो तो जब भी इक्तिदा सहीह न हुई, मसलन शाफ़ेइय्युल मज़हब इमाम के बदन से खून निकल कर बह गया जिस से हनफ़िय्या के नज़्दीक वुज़ू टूटता है और बिग़ैर वुज़ू किये

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع، ج 1، ص 88.

2..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج 2، ص 402.

3..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم... إلخ، ج 2، ص 403.

4..... المرجع السابق، ص 404. 5..... المرجع السابق.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع، ج 1، ص 88.

7..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكبرى، ج 2، ص 339.

इमामत की, हनफी उस की इक्तिदा नहीं कर सकता, अगर करेगा नमाज़ बातिल होगी और अगर इमाम की नमाज़ खुद उस के तौर पर सहीह न हो मगर मुक्तदी के तौर पर सहीह हो तो उस की इक्तिदा सहीह है, जब कि इमाम को अपनी नमाज़ का फ़साद मालूम न हो मसलन शाफ़ेई इमाम ने औरत या उज़्बे तनासुल छूने के बाद बिगैर वुजू किये भूल कर इमामत की, हनफी उस की इक्तिदा कर सकता है, अगर उस को मालूम हो कि उस से ऐसा वाकिआ हुवा था और उस ने वुजू न किया।⁽¹⁾ (रुव़ाज़)

मस्अला 29 - शाफ़ेई या दूसरे मुक़ल्लिद की इक्तिदा उस वक़्त कर सकते हैं, जब वोह मसाइले तहारत व नमाज़ में हमारे फ़राइजे मज़हब की रिआयत करता हो या मालूम हो कि उस नमाज़ में रिआयत की है यानी उस की तहारत ऐसी न हो कि हनफ़िय्या के तौर पर ग़ैर ताहिर कहा जाए, न नमाज़ इस किस्म की हो कि हम उसे फ़ासिद कहें फिर भी हनफी को हनफी की इक्तिदा अफ़ज़ल है और अगर मालूम न हो कि हमारे मज़हब की रिआयत करता है, न येह कि उस नमाज़ में रिआयत की है तो जाइज़ है, मगर मक्रूह और अगर मालूम हो कि उस नमाज़ में रिआयत नहीं की है तो बातिल महज़ है।⁽²⁾ (माल्गीरी, ग़निये, रुव़ाज़)

मस्अला 30 - औरत का मर्द के बराबर खड़ा होना, उस वक़्त मर्द के लिये मानेए इक्तिदा है जब कि कोई चीज़ एक हाथ ऊंची हाइल न हो, न मर्द के क़द बराबर बुलन्दी पर औरत खड़ी हो।⁽³⁾ (दरमख़्तार, माल्गीरी)

मस्अला 31 - एक औरत मर्द के बराबर खड़ी हो तो तीन मर्दों की नमाज़ जाती रहेगी, दो दहने बाएं और एक पीछे वाले की। और दो औरतें हों तो चार मर्द की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, दो दहने बाएं दो पीछे और तीन औरतें हों तो दो दहने बाएं और पीछे की हर सफ़ से तीन तीन शख्स की और अगर औरतों की पूरी सफ़ हो तो पीछे जितनी सफ़ें हैं, उन सब की नमाज़ न होगी।⁽⁴⁾ (रुव़ाज़)

मस्अला 32 - मस्जिद में बालाख़ाना है, उस पर औरतों ने इमामे मस्जिद की इक्तिदा की और बालाख़ाने के नीचे मर्दों ने उसी की इक्तिदा की अगर मर्द औरतों से पीछे हों नमाज़ फ़ासिद न होगी और औरतों की सफ़ नीचे हो और मर्द बालाख़ाने पर तो उन में जितने मर्द औरतों की सफ़ से पीछे होंगे, उन की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।⁽⁵⁾ (माल्गीरी, रुव़ाज़)

1..... "रदالمختار", كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكبرى، ج ٢، ص ٣٣٩.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٨٤.

و "رَدالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الاقتداء بشافعي... إلخ، ج ٢، ص ٣٦١.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس، ج ١، ص ٨٩.

و "رَدالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٩٨.

4..... "رَدالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأول، ج ٢، ص ٣٨٠.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع، ج ١، ص ٨٧.

و "رَدالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الكافي للحاكم... إلخ، ج ٢، ص ٣٩٩.

मस्अला 33

एक ही सफ़ में एक तरफ़ मर्द खड़े हुए, दूसरी तरफ़ औरतें तो सिर्फ़ एक मर्द की नमाज़ नहीं होगी जो दरमियान में है, बाक़ियों की हो जाएगी।⁽¹⁾ (عالمگیری)

मस्अला 34

इस वजह से कि मुक्त्तदी के पाउं इमाम से बड़े हैं, इस की उंगलियां उस की उंगलियों से आगे हैं, मगर एड़ियां बराबर हों तो नमाज़ हो जाएगी।⁽²⁾ (روايل)

(इमामत का ज़ियादा हक़दार कौन है)**मस्अला 35**

सब से ज़ियादा मुस्तहिक्के इमामत वोह शख्स है जो नमाज़ व तह़ारत के अहक़ाम को सब से ज़ियादा जानता हो, अगर्चे बाकी उलूम में पूरी दस्तगाह⁽³⁾ न रखता हो, बशर्ते कि इतना कुरआन याद हो कि बतौर मस्नून पढ़े और सहीह पढ़ता हो यानी हुरूफ़ मख़ारिज से अदा करता हो और मज़हब की कुछ ख़राबी न रखता हो और फ़वाहिश⁽⁴⁾ से बचता हो, इस के बाद वोह शख्स जो तच्चीद (क़िराअत) का ज़ियादा इल्म रखता हो और उस के मुवाफ़िक् अदा करता हो। अगर कई शख्स इन बातों में बराबर हों तो वोह कि ज़ियादा वरअ रखता हो यानी हराम तो हराम शुबुहात से भी बचता हो, इस में भी बराबर हों तो ज़ियादा उम्र वाला यानी जिस को ज़ियादा ज़माना इस्लाम में गुज़रा, इस में भी बराबर हों तो जिस के अख़्लाक़ ज़ियादा अच्छे हों, इस में भी बराबर हों तो ज़ियादा वजाहत वाला यानी तहज्जुद गुज़ार कि तहज्जुद की कसरत से आदमी का चेहरा ज़ियादा ख़ूब सूरत हो जाता है, फिर ज़ियादा ख़ूब सूरत, फिर ज़ियादा हसब वाला फिर वोह कि ब एतिबार नसब के ज़ियादा शरीफ़ हो, फिर ज़ियादा मालदार, फिर ज़ियादा इज़ज़त वाला, फिर वोह जिस के कपड़े ज़ियादा सुथरे हों, गरज़ चन्द शख्स बराबर के हों तो इन में जो शर्ई तरजीह रखता हो ज़ियादा हक़दार है और अगर तरजीह न हो तो कुरआ डाला जाए, जिस के नाम का कुरआ निकले वोह इमामत करे या उन में से जमाअत जिस को मुन्तख़ब करे वोह इमाम हो और जमाअत में इख़्तिलाफ़ हो तो जिस तरफ़ ज़ियादा लोग हों वोह इमाम हो और अगर जमाअत ने ग़ैरे औला को इमाम बनाया तो बुरा किया, मगर गुनहगार न हुए।⁽⁵⁾ (درمختار وغيره)

मस्अला 36

इमामे मुअय्यन ही इमामत का हक़दार है, अगर्चे हाज़िरीन में कोई उस से ज़ियादा इल्म और ज़ियादा तच्चीद वाला हो।⁽⁶⁾ (روايل) यानी जब कि वोह इमाम जामेए शराइत इमाम हो, वरना वोह इमामत का अहल ही नहीं, बेहतर होना दर कनार।

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع، ج 1، ص 87.

2..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: اذا صلى الشافعي قبل الحنفي... إلخ، ج 2، ص 368.

3..... यानी महारत। 4..... यानी बे हयाइयों और ऐसे कामों से बचता हो जो मुरव्वत के ख़िलाफ़ हैं।

5..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج 2، ص 300 - 304، وغيره.

6..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج 2، ص 304.

मसाला 37 किसी के मकान में जमाअत काइम हुई और साहिबे खाना में अगर शराइते इमामत पाए जाएं तो वोही इमामत के लिये औला है, अगर्चे और कोई उस से इल्म वगैरा में बेहतर हो, हां अफज़ल येह है कि साहिबे खाना उन में से ब वच्चे फज़ीलते इल्म किसी को मुक़दम करे कि इस में उस का एज़ाज़ है और अगर वोह मेहमान खुद ही आगे बढ़ गया तो भी नमाज़ हो जाएगी।⁽¹⁾ (عالمگیری، رد المحتار)

मसाला 38 किराए का मकान है, उस में मालिके मकान और किराएदार और मेहमान तीनों मौजूद हैं तो किराएदार अहक्क⁽²⁾ है, वोही इजाज़त देगा और उसी से इजाज़त ली जाएगी, येही हुक्म उस का है कि मकान में बतौर आरिख्यत⁽³⁾ रहता हो कि येही अहक्क है।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

मसाला 39 सुल्तान व अमीर व काज़ी किसी के घर मुज्तामअ हुए तो अहक्क सुल्तान है, फिर अमीर, फिर काज़ी, फिर साहिबे खाना।⁽⁵⁾ (رد المحتار)

मसाला 40 किसी शख्स की इमामत से लोग किसी वच्चे शर्ई से नाराज़ हों तो उस का इमाम बनना मक्रूहे तहरीमी है और अगर नाराज़ी किसी वच्चे शर्ई से न हो तो कराहत नहीं, बल्कि अगर वोही हक़ हो तो उसी को इमाम होना चाहिये।⁽⁶⁾ (رد المحتار)

मसाला 41 कोई शख्स सालेहे इमामत है और अपने महल्ले की इमामत नहीं करता और वोह माहे रमज़ान में दूसरे महल्ले वालों की इमामत करता है, उसे चाहिये कि इशा का वक़्त आने से पहले चला जाए, वक़्त हो जाने के बाद जाना मक्रूह है।⁽⁷⁾ (عالمگیری)

मसाला 42 इमाम को चाहिये कि जमाअत की रिआयत करे और क़दरे मस्नून से ज़ियादा तवील क़िराअत न करे कि येह मक्रूह है।⁽⁸⁾ (عالمگیری)

मसाला 43 बद मज़हब कि जिस की बद मज़हबी हद्दे कुफ़्र को न पहुंची हो और फ़ासिके मोलिन जैसे शराबी, जुआरी, ज़िनाकार, सूदख़्वार, चुग़ल ख़ोर वगैरहुम जो कबीरा गुनाह बिल एलान करते हैं, उन को इमाम बनाना गुनाह और उन के पीछे नमाज़

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني، ج ١، ص ٨٣.

②यानी ज़ियादा हक़दार ।

③यानी दूसरे शख्स को अपनी किसी चीज़ की मन्फ़अत का बिगैर इवज़ मालिक कर देना आरिख्यत है ।

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني، ج ١، ص ٨٣.

⑤ "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ج ٢، ص ٣٥٤.

⑥ "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٥٤.

⑦ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٨٦.

⑧ المرجع السابق، ص ٨٧.

मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा।⁽¹⁾ (درمختار، رد المحتار وغيرهما)

मसआला 44 गुलाम, देहकानी⁽²⁾, अन्धे, वलदुज्जिना, अम्द, कोढ़ी, फ़ालिज की बीमारी वाले, बरस वाले की जिस का बरस ज़ाहिर हो, सफ़ीह (यानी बे वुकूफ़ कि तसरुफ़ात मसलन बैओ शिरा⁽³⁾ में धोके खाता हो) की इमामत मकरूहे तन्ज़ीही है और कराहत उस वक़्त है कि उस जमाअत में और कोई इन से बेहतर न हो और अगर येही मुस्तहिक्के इमामत हैं तो कराहत नहीं और अन्धे की इमामत में तो बहुत ख़फ़ीफ़ कराहत है।⁽⁴⁾ (درمختار، غنية)

मसआला 45 जिस को कम सूझता है, वोह भी अन्धे के हुक्म में है।⁽⁵⁾ (درمختار)

मसआला 46 फ़ासिक की इक़्तिदा न की जाए मगर सिर्फ़ जुमुआ में कि इस में मजबूरी है, बाकी नमाज़ों में दूसरी मस्जिद को चला जाए और जुमुआ अगर शहर में चन्द जगह होता हो तो उस में भी इक़्तिदा न की जाए, दूसरी मस्जिद में जा कर पढ़ें।⁽⁶⁾ (غنية، رد المحتار، فتح القدیر)

मसआला 47 औरत, खुन्सा, न बालिग़ लड़के की इक़्तिदा मर्दे बालिग़ किसी नमाज़ में नहीं कर सकता, यहां तक कि नमाज़े जनाज़ा व तरावीह व नवाफ़िल में और मर्दे बालिग़ इन सब का इमाम हो सकता है, मगर औरत भी उस की मुक़््तदी हो तो इमामते औरत की निय्यत करे सिवा जुमुआ व ईदैन के कि इन में अगर्चे इमाम ने इमामते औरत की निय्यत न की, इक़्तिदा कर सकती है और औरत व खुन्सा औरत के इमाम हो सकते हैं, मगर औरत को मुत्लक़न इमाम होना मकरूहे तहरीमी है, फ़राइज़ हों या नवाफ़िल फिर भी अगर औरत औरतों की इमामत करे तो इमाम आगे न हो बल्कि बीच में खड़ी हो और आगे होगी जब भी नमाज़ फ़ासिद न होगी और खुन्सा के लिये येह शर्त है कि सफ़ से आगे हो वरना नमाज़ होगी ही नहीं, खुन्सा खुन्सा का भी इमाम नहीं हो सकता।⁽⁷⁾ (رد المحتار وغيره)

मसआला 48 नमाज़े जनाज़ा सिर्फ़ औरतों ने पढ़ी कि औरत ही इमाम और औरतें ही

1..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: البدعة خمسة اقسام، ج ٢، ص ٣٥٦-٣٦٠، وغيرهما.

2..... दीहाती, इस से मुराद दीहात का रहने वाला नहीं बल्कि जाहिल मुराद है चाहे वोह शहरी ही क्यूं न हो।

3..... यानी ख़रीदो फ़रोख़्त।
4..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٥٥ - ٣٦٠.
و "غنية المتتملي شرح منية المصلي"، ص ٥١٤.

5..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٥٥.

6..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ج ٢، ص ٣٥٥.

7..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأول، ج ٢، ص ٣٨٧.

मुक्तदी तो इस जमाअत में कराहत नहीं।⁽¹⁾ (عالمگیری، درمختار) बल्कि अगर औरत नमाजे जनाजा में मर्दों की इमामत करेगी, जब भी नमाजे जनाजा अदा हो जाएगी अगर्चे मर्दों की नमाज न होगी।

मसआला 49 - मजनून गैर हालते इफ़ाका में इमाम नहीं हो सकता और जब होश में हो और मालूम भी हो तो हो सकता है। यूंही जिस को नशा है उस की इमामत सहीह नहीं और मातूह (मदहोश) अपने मिस्ल के लिये इमाम हो सकता है औरों के लिये नहीं।⁽²⁾

(درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

मसआला 50 - जिस को कुछ कुरआन याद हो अगर्चे एक ही आयत हो, वोह उम्मी की (यानी उस की जिस को कोई आयत याद नहीं) इक्तिदा नहीं कर सकता और उम्मी उम्मी के पीछे पढ़ सकता है जिस को कुछ आयतें याद हैं मगर हुरूफ़ सहीह अदा नहीं करता जिस की वजह से माना फ़ासिद हो जाते हैं, वोह भी उम्मी के मिस्ल है।⁽³⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मसआला 51 - उम्मी गूंगे की इक्तिदा नहीं कर सकता, गूंगा उम्मी की कर सकता है और अगर उम्मी सहीह तौर पर तहरीमा भी बांध नहीं सकता तो गूंगे की इक्तिदा कर सकता है।⁽⁴⁾

(درمختار، ردالمحتار)

मसआला 52 - उम्मी ने उम्मी और क़ारी की (यानी उस की, कि ब क़दरे फ़र्ज कुरआन सहीह पढ़ सकता हो) इमामत की तो किसी की नमाज न होगी। अगर्चे क़ारी दरमियाने नमाज में शरीक हुवा हो, यूंही अगर क़ारी ने उम्मी को ख़लीफ़ा बनाया हो, अगर्चे तशहहुद में।⁽⁵⁾

(ردالمحتار و غیره)

मसआला 53 - उम्मी पर वाजिब है कि रात दिन कोशिश करे यहां तक कि ब क़दरे फ़र्ज कुरआने मजीद याद कर ले, वरना इन्दल्लाह तआला माज़ूर नहीं।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

मसआला 54 - जिस से हुरूफ़ सहीह अदा नहीं होते उस पर वाजिब है कि तस्हीहे हुरूफ़ में रात दिन पूरी कोशिश करे और अगर सहीह ख़्वां की इक्तिदा कर सकता हो तो जहां तक मुम्किन हो उस की इक्तिदा करे या वोह आयतें पढ़े जिस के हुरूफ़ सहीह अदा कर सकता हो और येह दोनों सूरतें ना मुम्किन हों तो ज़मानए कोशिश में उस की अपनी नमाज हो जाएगी

1..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص 365.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس، في الإمامة، الفصل الثالث، ج 1، ص 85.

2..... "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الواجب كفاية، ج 2، ص 389.

3..... المرجع السابق، ص 391. 4..... المرجع السابق.

5..... "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: المواضع التي تفسد... إلخ، ج 2، ص 412، وغيره.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ج 1، ص 86.

और अपने मिस्ल दूसरे की इमामत भी कर सकता है यानी उस की, कि वोह भी उसी हर्फ को सहीह न पढ़ता हो जिस को येह, और अगर इस से जो हर्फ अदा नहीं होता, दूसरा उस को अदा कर लेता है मगर कोई दूसरा हर्फ उस से अदा नहीं होता तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता और अगर कोशिश भी नहीं करता तो इस की खुद भी नहीं होती दूसरे की इस के पीछे क्या होगी ! आज कल आम लोग इस में मुब्तला हैं कि ग़लत पढ़ते हैं और कोशिश नहीं करते उन की नमाज़ें खुद बातिल हैं, इमामत दर कनार । हक्ला जिस से हर्फ मुकरर अदा होते हैं, उस का भी येही हुक्म है यानी अगर साफ़ पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता है तो उस के पीछे पढ़ना लाज़िम है वरना उस की अपनी हो जाएगी और अपने मिस्ल या अपने से कमतर⁽¹⁾ की इमामत भी कर सकता है ।⁽²⁾ (درمختار، رد المحتار)

मस्अला 55 - क़ारी नमाज़ पढ़ रहा था, उम्मी आया और शरीक न हुवा, अपनी अलग पढ़ी तो उस की नमाज़ न हुई ।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस्अला 56 - क़ारी कोई दूसरी नमाज़ पढ़ रहा है तो उम्मी को जाइज़ है कि अपनी पढ़ ले और इन्तिज़ार न करे ।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

मस्अला 57 - उम्मी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है और क़ारी मस्जिद के दरवाज़े पर है या मस्जिद के पड़ोस में तो उम्मी की नमाज़ हो जाएगी ।⁽⁵⁾ (عالمگیری)

मस्अला 58 - जिस का सत्र खुला हुवा है वोह सत्र छुपाने वाले का इमाम नहीं हो सकता, सत्र खुले हुआ का इमाम हो सकता है और अगर बाज़ मुक्तदी इस किस्म के हैं बाज़ वैसे तो सत्र छुपाने वालों की नमाज़ न होगी खुले हुआ की हो जाएगी और जिन के पास सत्र के लाइक कपड़े न हों उन के लिये अफ़ज़ल येह है कि तन्हा तन्हा बैठ कर इशारे से दूर दूर पढ़ें, जमाअत से पढ़ना मक्रूह है और अगर जमाअत से पढ़ें तो इमाम बीच में हो आगे न हो ।⁽⁶⁾ (درمختار، عالمگیری) सत्र खुले हुए से मुराद येह है कि जिस के पास कपड़ा ही नहीं कि छुपाए । होते हुए न छुपाया तो न उस की हो न उस के पीछे किसी और की, जैसा कि शुरुतुस्सलात में बयान हुवा ।

मस्अला 59 - जो रुकूओ सुजूद से अज़िज़ है यानी वोह कि खड़े या बैठे रुकूओ सुजूद की जगह इशारा करता हो, उस के पीछे उस की नमाज़ न होगी जो रुकूओ सुजूद पर क़ादिर है और अगर बैठ कर रुकूओ सुजूद कर सकता हो तो उस के पीछे खड़े हो कर पढ़ने वाले की हो जाएगी ।⁽⁷⁾ (درمختار، رد المحتار وغیرهما)

1 यानी जो उस से ज़ियादा हक्लाता हो । 12

2 "الدرا المختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في اللفظ، ج ۲، ص ۳۹۵.

3 "الفتاوى الهندية"، کتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ج ۱، ص ۸۵.

4 المرجع السابق، ص ۸۶. 5 المرجع السابق، ص ۸۵.

6 المرجع السابق، ص ۸۵، و "الدرا المختار"، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، بحث الثبة، ج ۲، ص ۱۰۳، ۳۹۱.

7 "الدرا المختار" و "ردالمختار"، کتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الواجب كفاية... إلخ، ج ۲، ص ۳۹۱.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इस्लामिया (दावते इस्लामी)

मस्अला 60

फ़र्ज नमाज़ नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे और एक फ़र्ज वाले की दूसरे फ़र्ज पढ़ने वाले के पीछे नहीं हो सकती ख़्वाह दोनों के फ़र्ज दो नाम के हों, मसलन एक ज़ोहर पढ़ता हो दूसरा अस्र या सिफ़त में जुदा हों, मसलन एक आज की ज़ोहर पढ़ता हो, दूसरा कल की और अगर दोनों की एक ही दिन के एक ही वक़्त की क़ज़ा हो गई है तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है, य़ूंही अगर इमाम ने अस्र की नमाज़ गुरुब से पहले शुरू की दो रकअतें पढ़ीं कि आप़ताब गुरुब हो गया, अब दूसरा शख़्स जिस की उसी दिन की नमाज़े अस्र जाती रही पिछली रकअतों में उस की इक़्तिदा कर सकता है, अलबत्ता अगर येह मुक़्तदी मुसाफ़िर था तो उस की इक़्तिदा नहीं कर सकता, मगर गुरुब से पहले निय्यते इक़ामत कर ली हो तो कर सकता है।⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

मस्अला 61

दो शख़्सों ने बाहम यूं नमाज़ पढ़ी कि हर एक ने इमामत की निय्यत की नमाज़ हो गई और अगर हर एक ने इक़्तिदा की निय्यत की तो दोनों की न हुई।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्अला 62

जिस ने किसी नमाज़ की मन्नत मानी, उस नमाज़ को न फ़र्ज पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता है, न नफ़ल वाले के, न उस के पीछे कि मन्नत की नमाज़ पढ़ता है, हां अगर एक की नज़्र मानने के बाद दूसरे ने यूं नज़्र की, कि उस नमाज़ की मन्नत मानता हूं जो फुलां ने मानी है तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है।⁽³⁾ (درمختار، عالمگیری)

मस्अला 63

एक शख़्स ने नफ़ल नमाज़ पढ़ने की क़सम खाई, मन्नत वाला मन्नत की नमाज़ उस के पीछे भी नहीं पढ़ सकता और येह क़सम खाने वाला फ़र्ज और नफ़ल और नज़्र और दूसरे क़सम खाने वाले के पीछे पढ़ सकता है।⁽⁴⁾ (درمختار، عالمگیری)

मस्अला 64

दो शख़्स नफ़ल एक साथ पढ़ रहे थे और फ़ासिद कर दी तो एक दूसरे के पीछे पढ़ सकता है और तन्हा तन्हा पढ़ रहे थे और फ़ासिद कर दीं तो इक़्तिदा नहीं हो सकती।⁽⁵⁾ (درمختار)

मस्अला 65

लाहिक़ न मस्बूक़ की इक़्तिदा कर सकता है न लाहिक़ की, य़ूंही मस्बूक़ ना लाहिक़ की न मस्बूक़ की, न इन दोनों की कोई दूसरा शख़्स इक़्तिदा कर सकता है।⁽⁶⁾

(درمختار، ردالمحتار)

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٨٦.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الواجب كفاية... إلخ، ج ٢، ص ٣٩١.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل الثالث، ج ١، ص ٨٦.

3..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٩٢.

4..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٩٢.

5..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: الواجب كفاية هل يسقط... إلخ، ج ٢، ص ٣٩٣.

6..... المرجع السابق، ص ٣٩٤.

मस्अला 66

जिन नमाज़ों में क़स्र है वक़्त गुज़र जाने के बाद उन में मुसाफ़िर मुक़ीम की इक़्तिदा नहीं कर सकता, ख़्वाह मुक़ीम ने वक़्त ख़त्म होने पर शुरू की हो या वक़्त में शुरू की और नमाज़ पूरी होने से पहले वक़्त ख़त्म हो गया, अलबत्ता अगर मुसाफ़िर ने मुक़ीम के पीछे तहरीमा बांध लिया और बादे तहरीमा वक़्त ख़त्म हो गया तो इक़्तिदा सहीह है।⁽¹⁾ (रुज़ि)

मस्अला 67

महल्ले इक़ामत यानी शहर या गाड़ में जो शख़्स चार रकअत वाली नमाज़ पढ़ाए और दो पर सलाम फेर दे तो ज़रूर है कि मुक़्तदी को उस का मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मालूम हो ख़्वाह मुक़्तदी खुद मुक़ीम हो या मुसाफ़िर, अगर इमाम ने न नमाज़ से पहले अपना मुसाफ़िर होना बताया न बाद को और चला गया न उस का हाल और तरह मालूम हुवा तो मुक़्तदी अपनी फिर पढ़ें, हां अगर जंगल में या मन्ज़िल पर दो पढ़ कर चला गया तो उन की नमाज़ हो जाएगी, येही समझा जाएगा कि मुसाफ़िर था।⁽²⁾ (ख़ानि, मर)

मस्अला 68

जहां ब वज्ह शर्त मफ़कूद होने के इक़्तिदा सहीह न हो तो वोह नमाज़ सिरे से शुरू ही न होगी और अगर ब वज्ह मुख़्तलिफ़ नमाज़ होने के निक़््तदा सहीह न हो तो उस के नफ़ल हो जाएंगे, मगर उस नफ़ल के तोड़ देने से क़ज़ा वाजिब न होगी।⁽³⁾ (रुज़ि)

मस्अला 69

जिस ने वुजू किया है तयम्मूम वाले की और पाउं धोने वाला मोजे पर मस्ह करने वाले की और आज़ाए वुजू धोने वाला पट्टी पर मस्ह करने वाले की इक़्तिदा कर सकता है।⁽⁴⁾ (मैग़िरी)

मस्अला 70

खड़ा हो कर नमाज़ पढ़ने वाला बैठने वाले और कूज़ा पुशत की इक़्तिदा कर सकता है, अगरचें उस का कुब हद्दे रुकूअ को पहुंचा हो, जिस के पाउं में ऐसा लंग है कि पूरा पाउं ज़मीन पर नहीं जमता औरों की इमामत कर सकता है, मगर दूसरा शख़्स औला है।⁽⁵⁾ (मैग़िरी)

मस्अला 71

नफ़ल पढ़ने वाला फ़र्ज़ पढ़ने वाले की इक़्तिदा कर सकता है, अगरचें मुफ़्तरिज़ पिछली रकअतों में क़िराअत न करे।⁽⁶⁾ (मैग़िरी)

मस्अला 72

मुतनफ़ि़ल⁽⁷⁾ ने मुफ़्तरिज़⁽⁸⁾ की इक़्तिदा की फिर नमाज़ फ़ासिद कर दी,

① "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٩٤.

② "البحر الرائق"، كتاب الصلاة، باب المسافر، ج ٢، ص ٢٣٨.

③ "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٩٧.

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٨٤.

⑤ المرجع السابق، ص ٨٥. ⑥ المرجع السابق.

⑦ यानी नफ़ल पढ़ने वाले ।

⑧ यानी फ़र्ज़ पढ़ने वाले ।

(عالمگیری) (1) फिर इसी नमाज़ में उस फौत शुदा की कज़ा की निय्यत से इक्तिदा की सहीह है।

मस्अला 73

इशारे से पढ़ने वाला अपने मिस्ल की इक्तिदा कर सकता है, मगर जब कि इमाम लैट कर इशारे से पढ़ता हो और मुक्तदी खड़े या बैठे तो नहीं। (2) (دری)

मस्अला 74

जिन्न ने इमामत की, इक्तिदा सहीह है अगर इन्सानि सूरत में जाहिर हुवा। (3) (دری، رد المحتار)

मस्अला 75

इमाम ने अगर बिला तहारत नमाज़ पढ़ाई या कोई और शर्त या रुक्न न पाया गया जिस से उस की इमामत सहीह न हो तो उस पर लाज़िम है कि इस अम्र की मुक्तदियों को ख़बर कर दे जहां तक भी मुम्किन हो, ख़्वाह खुद कहे या कहला भेजे या ख़त के ज़रीए से और मुक्तदी अपनी अपनी नमाज़ का इआदा करें। (4) (دری)

मस्अला 76

इमाम ने अपना काफ़िर होना बताया तो पेशतर के बारे में उस का कौल नहीं माना जाएगा और जो नमाज़ें उस के पीछे पढ़ीं उन का इआदा नहीं, हां अब वोह बेशक मुरतद हो गया। (5) (دری) मगर जब कि येह कहे कि अब तक काफ़िर था और अब मुसलमान हुवा।

मस्अला 77

पानी न मिलने के सबब इमाम ने तयम्मूम किया था और मुक्तदी ने वुज़ू और अस्नाए नमाज़ में मुक्तदी ने पानी देखा, इमाम की नमाज़ सहीह हो गई और मुक्तदी की बातिल। (6) (دری) जब कि उस के गुमान में हो कि इमाम ने भी पानी पर इत्तिलाअ पाई, बहुत किताबों में येह हुक्म मुत्लक है। और जाहिर तर येह तक्यीद بالصواب والله اعلم

जमाअत का बयान

हदीस 1

बुख़ारी व मुस्लिम व मालिक व तिरमिज़ी व नसाई इब्ने उमर رضي الله تعالى عنهم से रावी कि رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرमाते हैं: “नमाजे जमाअत, तन्हा पढ़ने से सत्ताईस दरजा बढ़ कर है।” (7)

हदीस 2

मुस्लिम व अबू दावूद व नसाई व इब्ने माजह ने रिवायत की, कि अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رضي الله تعالى عنه कहते हैं: “हम ने अपने को इस हालत में देखा कि नमाज़ से पीछे

1..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ج ١، ص ٨٥.

2..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٤٠٨.

3..... “الدر المختار” و “رد المختار”، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ج ٢، ص ٣٤٥.

4..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٤١٠. 5..... المرجع السابق، ص ٤١١.

6..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٤٣٤.

7..... “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث: ٦٤٥، ج ١، ص ٢٣٢.

नहीं रहता, मगर खुला मुनाफ़िक् या बीमार और बीमार की येह हालत होती कि दो शख्सों के दरमियान में चला कर नमाज़ को लाते और फ़रमाते कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने हम को सुननुल हुदा की तालीम फ़रमाई और जिस मस्जिद में अज़ान होती है, उस में नमाज़ पढ़ना सुननुल हुदा से है”,⁽¹⁾ और एक रिवायत में यूँ है कि “जिसे येह अच्छा मालूम हो कि कल खुदा से मुसलमान होने की हालत में मिले तो पांचों नमाज़ों पर मुहाफ़ज़त करे, जब उन की अज़ान कही जाए कि **अल्लाह** तआला ने तुम्हारे नबी के लिये सुननुल हुदा मशरूअ फ़रमाई और येह सुननुल हुदा से है और अगर तुम ने अपने घरों में पढ़ ली जैसे येह पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ लिया करता है तो तुम ने अपने नबी की सुन्नत छोड़ दी और अगर अपने नबी की सुन्नत छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे।”⁽²⁾ और अबू दावूद की रिवायत में है, “काफ़िर हो जाओगे”⁽³⁾ और जो शख्स अच्छी तरह तहारात करे फिर मस्जिद को जाए तो जो क़दम चलता है, हर क़दम के बदले **अल्लाह** तआला नेकी लिखता है और दरजा बुलन्द करता है और गुनाह मिटा देता है।⁽⁴⁾

हदीस 3 नसाई व इब्ने खुज़ैमा अपनी सहीह में उस्मान رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जिस ने कामिल वुजू किया, फिर नमाज़े फ़र्ज़ के लिये चला और इमाम के साथ पढ़ी, उस के गुनाह बख़्श दिये जाएंगे।”⁽⁵⁾

हदीस 4 तबरानी अबू उमामा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “अगर येह नमाज़े जमाअत से पीछे रह जाने वाला जानता कि इस जाने वाले के लिये क्या है ? तो घिसटता हुवा हाज़िर होता।”⁽⁶⁾

हदीस 5 व 6 तिरमिज़ी अनस رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जो **अल्लाह** के लिये चालीस दिन बा जमाअत पढ़े और तक्बीरे ऊला पाए, उस के लिये दो आज़ादियां लिख दी जाएंगी : एक नार से, दूसरी निफ़ाक़ से।”⁽⁷⁾ इब्ने माजह की रिवायत हज़रते उमर बिन ख़त्ताब رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से है कि हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “जो शख्स चालीस रातें मस्जिद में जमाअत के साथ पढ़े कि इशा की तक्बीरे ऊला फ़ौत न हो, **अल्लाह** तआला उस के लिये दोज़ख़ से आज़ादी लिख देगा।”⁽⁸⁾

1..... “صحیح مسلم”، کتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدی، الحدیث: ۶۵۴، ص ۳۲۸.

2..... “صحیح مسلم”، کتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدی، الحدیث: ۲۵۷- (۶۵۴)، ص ۳۲۸.

3..... “سنن ابی داود”، کتاب الصلاة، باب التشدید یدفی ترک الجماعة، الحدیث: ۵۵۰، ج ۱، ص ۲۲۹.

4..... “صحیح مسلم”، کتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدی، الحدیث: ۲۵۷- (۶۵۴)، ص ۳۲۸.

5..... “صحیح ابن خزيمة”، کتاب الصلاة، باب فضل المشی إلى الجماعة فتوضیاً... إلخ، الحدیث: ۱۴۸۹، ج ۲، ص ۳۷۳.

6..... “المعجم الكبير”، الحدیث: ۷۸۸۶، ج ۸، ص ۲۲۴.

7..... “جامع الترمذی”، أبواب الصلاة، باب ماجاء فی فضل التكبيرة الأولى، الحدیث: ۲۴۱، ج ۱، ص ۲۷۴.

8..... “سنن ابن ماجه”، أبواب المساجد... إلخ، باب صلاة العشاء و الفجر فی جماعة، الحدیث: ۷۹۸، ج ۱، ص ۴۳۷.

हदीस 7

तिरमिज़ी इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी, फ़रमाते हैं صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “रात मेरे रब की तरफ़ से एक आने वाला आया और एक रिवायत में है : मैं ने अपने रब को निहायत जमाल के साथ तजल्ली फ़रमाए हुए देखा, उस ने फ़रमाया : ऐ मुहम्मद ! मैं ने अर्ज़ की لَيْكَ وَسَعْدِيكَ उस ने फ़रमाया : “तुम्हें मालूम है मलाए आला (यानी मलाइकए मुकर्रबीन) किस अम्र में बहूस करते हैं ?” मैं ने अर्ज़ की : “नहीं जानता” उस ने अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान रखा, यहां तक कि उस की ठण्डक मैं ने अपने सीने में पाई तो जो कुछ आस्मानों और ज़मीन में है मैं ने जान लिया । और एक रिवायत में है : “जो कुछ मशरिको मग़रिब के दरमियान है जान लिया”, फ़रमाया : “ऐ मुहम्मद ! जानते हो मलाए आला किस चीज़ में बहूस करते हैं ?” मैं ने अर्ज़ की : “हां, दरजात व कफ़ारात और जमाअतों की तरफ़ चलने और सख़्त सर्दी में पूरा वुजू करने और नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के इन्तिज़ार में और जिस ने इन पर मुहाफ़ज़त की ख़ैर के साथ ज़िन्दा रहेगा और ख़ैर के साथ मरेगा और अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो गया, जैसे उस दिन कि अपनी मां के पेट से पैदा हुवा था” उस ने फ़रमाया : “ऐ मुहम्मद !” मैं ने अर्ज़ की : لَيْكَ وَسَعْدِيكَ फ़रमाया : जब नमाज़ पढ़ो तो येह कह लो :

(1) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسْكِيْنِ وَاِذَا ارَدْتُ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاَقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ ط
फ़रमाया : “और दरजात येह हैं । सलाम अम्र करना और खाना खिलाना और रात में नमाज़ पढ़ना, जब लोग सोते हों ।” (2)

हदीस 8 व 9

इमाम अहमद व तिरमिज़ी ने मुअज़ बिन जबल رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से यूँ रिवायत की है कि एक दिन सुब्ह की नमाज़ को तशरीफ़ लाने में देर हुई, यहां तक करीब था कि हम आप़ताब देखने लगे कि जल्दी करते हुए तशरीफ़ लाए, इक़ामत हुई और मुख़्तसर नमाज़ पढ़ी, सलाम फेर कर बुलन्द आवाज़ से फ़रमाया : “सब अपनी अपनी जगह पर रहो, मैं तुम्हें ख़बर दूंगा कि किस चीज़ ने सुब्ह की नमाज़ में आने से रोका ? मैं रात में उठा, वुजू किया और जो मुक़द्दर था नमाज़ पढ़ी, फिर मैं नमाज़ में ऊंघा (इस के बाद इसी के मिस्ल वाकिआत बयान फ़रमाए और उस रिवायत में येह है) उस के दस्ते कुदरत रखने से उन की खुनकी (3) मैं ने अपने सीने में पाई तो मुझ पर हर चीज़ रोशन हो गई और मैं ने पहचान ली ।” और इस रिवायत

①ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) ! मैं तुझ से सुवाल करता हूँ कि अच्छे काम करूँ और बुरी बातों से बाज़ रहूँ और मसाकीन से महबूबत रखूँ और जब तू अपने बन्दों पर फ़ितना करना चाहे तो मुझे उस से क़बल उठा ले । 12

② “جامع الترمذي”، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص، الحديث: ٣٢٤٥، ٣٢٤٦، ص ١٥٩-١٦٠.

③यानी ठण्डक ।

में येह भी है कि अल्लाह ﷻ ने फ़रमाया : “कफ़ारात क्या हैं?” मैं ने अर्ज की : “जमाअत की तरफ़ चलना और मस्जिदों में नमाज़ों के बाद बैठना और सख़्तियों के वक़्त कामिल वुजू करना।” इस के आख़िर में रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : “येह हक़ है इसे पढ़ो और सीखो।” (1) तिरमिज़ी ने कहा : येह हदीस सहीह है और मैं ने मुहम्मद बिन इस्माईल यानी बुख़ारी से इस हदीस के मुतअल्लिक सुवाल किया तो जवाब दिया कि येह हदीस सहीह है और इसी के मिस्ल दारिमी व तिरमिज़ी ने अब्दुरहमान बिन आइश रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की।

हदीस 10 — अबू दावूद व नसाई व हाकिम अबू हुरैरा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, फ़रमाते हैं : “जो अच्छी तरह वुजू कर के मस्जिद को जाए और लोगों को इस हालत में पाए कि नमाज़ पढ़ चुके तो अल्लाह तआला उसे भी जमाअत से पढ़ने वालों की मिस्ल सवाब देगा और उन के सवाब से कुछ कम न होगा।” (2) हाकिम ने कहा येह हदीस मुस्लिम की शर्त पर सहीह है।

हदीस 11 — इमाम अहमद व अबू दावूद व नसाई व हाकिम और इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान अपनी सहीह में उबय बिन कअब रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि एक दिन सुब्ह की नमाज़ पढ़ कर नबी ﷺ ने इरशाद फ़रमाया : “आया (क्या) फुलां हाज़िर है?” लोगों ने अर्ज की : नहीं, फ़रमाया : “फुलां हाज़िर है?” लोगों ने अर्ज की : नहीं, फ़रमाया : “येह दोनों नमाज़ें मुनाफ़िकीन पर बहुत गिरां हैं, अगर जानते कि इन में क्या (सवाब) है तो घुटनों के बल घिसटते आते और बेशक पहली सफ़ फ़रिशतों की सफ़ के मिस्ल है और अगर तुम जानते कि इस की फ़ज़ीलत क्या है तो इस की तरफ़ सब्क़त करते मर्द की एक मर्द के साथ नमाज़ ब निस्बत तन्हा के ज़ियादा पाकीज़ा है और दो के साथ ब निस्बत एक के ज़ियादा अच्छी और जितने ज़ियादा हों, अल्लाह ﷻ के नज़्दीक ज़ियादा महबूब हैं।” (3) यहूया बिन मुईन और ज़हली कहते हैं : येह हदीस सहीह है।

हदीस 12 — सहीह मुस्लिम में हज़रते उस्मान रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि फ़रमाते हैं : “जिस ने बा जमाअत इशा की नमाज़ पढ़ी, गोया आधी रात क़ियाम किया और जिस ने फ़ज़्र की नमाज़ जमाअत से पढ़ी, गोया पूरी रात क़ियाम किया।” (4) इसी के मिस्ल अबू दावूद व तिरमिज़ी व इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत की।

हदीस 13 — बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, फ़रमाते हैं : “मुनाफ़िकीन पर सब से ज़ियादा गिरां नमाज़े इशा व फ़ज़्र है और जानते कि इस में क्या है ?

① “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، حديث معاذ بن جبل، الحديث: ٢٢١٧٠، ج ٨، ص ٢٥٨ و “مشكاة المصابيح”، كتاب الصلاة، الحديث: ٧٤٨، ج ١، ص ٢٣٥.

② “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب فيمن خرج يريد الصلاة... إلخ، الحديث: ٥٦٤، ج ١، ص ٢٣٤.

③ “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة، الحديث: ٥٥٤، ج ١، ص ٢٣٠.

و “الترغيب و الترهب”، كتاب الصلاة، الترغيب في كثرة الجماعة، الحديث: ١، ج ١، ص ١٦١.

④ “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب فضل صلاة العشاء... إلخ، الحديث: ٦٥٦، ج ١، ص ٣٢٩.

तो घिसटते हुए आते और बेशक मैं ने क़स्द किया कि नमाज़ काइम करने का हुक्म दूँ फिर किसी को अम्र फ़रमाऊँ कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएँ और मैं अपने हमराह कुछ लोगों को जिन के पास लकड़ियों के गठे हों उन के पास ले कर जाऊँ, जो नमाज़ में हाज़िर नहीं होते और उन के घर उन पर आग से जला दूँ।”⁽¹⁾ इमाम अहमद ने इन्हीं से रिवायत की, कि फ़रमाते हैं : “अगर घरों में औरतें और बच्चे न होते तो नमाज़े इशा काइम करता और जवानों को हुक्म देता कि जो कुछ घरों में है, आग से जला दें।”⁽²⁾

हदीस 14 — इमाम मालिक ने अबू बक्र बिन सुलैमान رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत की, कि “अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके आज़म رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने सुब्ह की नमाज़ में सुलैमान बिन अबी हसमा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ को नहीं देखा, बाज़ार तशरीफ़ ले गए, रास्ते में सुलैमान का घर था उन की मां शिफ़ा के पास तशरीफ़ ले गए और फ़रमाया कि : सुब्ह की नमाज़ में, मैं ने सुलैमान को नहीं पाया, उन्होंने ने कहा ! रात में नमाज़ पढ़ते रहे फिर नींद आ गई, फ़रमाया कि : सुब्ह की नमाज़ जमाअत से पढ़ूँ, येह मेरे नज़्दीक इस से बेहतर है कि रात में क़ियाम करूँ।”⁽³⁾

हदीस 15 — अबू दावूद व इब्ने माजह व इब्ने हब्बान इब्ने अब्बास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी, फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जिस ने अज़ान सुनी और आने से कोई उज़्र मानेअ नहीं, उस की वोह नमाज़ मक्बूल नहीं।” लोगों ने अर्ज़ की : उज़्र क्या है ? फ़रमाया : “खौफ़ या मरज़।”⁽⁴⁾ और एक रिवायत इब्ने हब्बान व हाकिम की इन्हीं से है : “जो अज़ान सुने और बिला उज़्र हाज़िर न हो, उस की नमाज़ ही नहीं।”⁽⁵⁾ हाकिम ने कहा : येह हदीस सहीह है।

हदीस 16 — अहमद व अबू दावूद व नसाई व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबुद्दार्द رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “किसी गाउं या बादिये में तीन शख्स हों और नमाज़ न काइम की गई मगर उन पर शैतान मुसल्लत हो गया तो जमाअत को लाज़िम जानो कि भेड़िया उसी बकरी को खाता है जो रेवड़ से दूर हो।”⁽⁶⁾

हदीस 17 ता 20 — अबू दावूद व नसाई ने रिवायत की, कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ! मदीने में मूजी जानवर ब कसरत हैं और मैं नाबीना हूँ तो क्या मुझे रुख़सत है कि घर पढ़ लूँ ? फ़रमाया : “حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ طَحَّى عَلَى الْفَلَاحِ”

① “صحیح مسلم”، کتاب المساجد... إلخ، باب فضل صلاة الجماعة... إلخ، الحديث: २०२- (६०१)، ص ३२७.

② “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، الحديث: ८८०४، ج ३، ص २९६.

③ “الموطأ” للإمام مالك، کتاب صلاة الجماعة باب ماجاء في العتمة والصبح، الحديث: ३००، ج १، ص १३४.

④ “سنن أبي داود”، کتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، الحديث: ५०१، ج १، ص २२९.

⑤ “الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان”، کتاب الصلاة، باب فرض الجماعة... إلخ، الحديث: २०६१، ج ३، ص २०३.

⑥ “سنن النسائي”، کتاب الإمامة، التشديد في ترك الجماعة، الحديث: ८४४، ص १४७.

सुनते हो ?” अर्ज की : हां, फ़रमाया : “तो हाज़िर हो ।”⁽¹⁾ इसी के मुस्लिम ने अबू हुरैरा से और त़बरानी ने कबीर में अबू उमामा से और अहमद व अबू याला और त़बरानी ने औसत में और इब्ने हब्बान ने जाबिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ से रिवायत की ।

हदीस 21 — अबू दावूद व तिरमिज़ी अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि एक साहिब मस्जिद में हाज़िर हुए उस वक़्त कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ नमाज़ पढ़ चुके थे, फ़रमाया : “है कोई कि इस पर सदक़ा करे (यानी इस के साथ नमाज़ पढ़ ले कि इसे जमाअत का सवाब मिल जाए) ।” “एक साहिब (यानी अबू बक्र सिद्दीक رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) ने उन के साथ नमाज़ पढ़ी ।”⁽²⁾

हदीस 22 — इब्ने माजह अबू मूसा अशअरी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं : दो और दो से ज़ियादा जमाअत है ।⁽³⁾

हदीस 23 — बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “अगर लोग जानते कि अज़ान और सफ़े अव्वल में क्या है ? फिर बिग़ैर कुरआ डाले न पाते तो इस पर कुरआ अन्दाज़ी करते ।”⁽⁴⁾

हदीस 24 — इमाम अहमद व त़बरानी अबू उमामा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं कि : **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) और उस के फ़रिश्ते सफ़े अव्वल पर दुरूद भेजते हैं”, लोगों ने अर्ज की : और दूसरी सफ़ पर ? फ़रमाया : “**अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) और उस के फ़रिश्ते सफ़े अव्वल पर दुरूद भेजते हैं”, लोगों ने अर्ज की : और दूसरी पर ? फ़रमाया : “और दूसरी पर ।” और फ़रमाया : “सफ़ों को बराबर करो और मूँढ़ों को मुक़ाबिल करो और अपने भाइयों के हाथों में नर्म हो जाओ और कुशादगियों को बन्द करो कि शैतान भेड़ के बच्चे की तरह तुम्हारे दरमियान दाख़िल हो जाता है ।”⁽⁵⁾

हदीस 25 — बुख़ारी के इलावा दीगर सिहाहे सित्ता में मरवी, नोमान बिन बशीर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं कि : **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ हमारी सफ़ें तीर की तरह सीधी करते

① “سنن النسائي”، كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات، الحديث: ٨٤٨، ص ١٤٨.

नाबीना कि अट्कल न रखता हो न कोई ले जाने वाला हो खुसूसन दरिन्दों का ख़ौफ़ हो तो उसे ज़रूर रुख़सत है मगर हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने उन्हें अफ़ज़ल पर अमल करने की हिदायत फ़रमाई कि और लोग सबक लें जो बिला उज़्र घर में पढ़ लेते हैं । 12 मिन्ह

② “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء في الجماعة... إلخ، الحديث: ٢٢٠، ج ١، ص ٢٥٩.

و “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين، الحديث: ٥٧٤، ج ١، ص ٢٣٧.

③ “سنن ابن ماجه”، كتاب إقامة الصلوات... إلخ، باب الاثنان جماعة، الحديث: ٩٧٢، ج ١، ص ٥١٧.

④ “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب الاستهाम في الأذان، الحديث: ٦١٥، ج ١، ص ٢٢٤.

⑤ “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي امامة الباهلي، الحديث: ٢٢٣٢٦، ج ٨، ص ٢٩٥.

यहां तक कि खयाल फ़रमाया कि अब हम समझ लिये, फिर एक दिन तशरीफ़ लाए और खड़े हुए और करीब था कि तक्बीर कहें कि एक शख्स का सीना सफ़ से निकला देखा, फ़रमाया : “ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) के बन्दो ! सफ़ें बराबर करो, या तुम्हारे अन्दर अल्लाह तआला इख़िलाफ़ डाल देगा ।”⁽¹⁾ बुख़ारी ने भी इस हदीस के जुज़े अख़ीर को रिवायत किया ।

हदीस 26 — बुख़ारी व मुस्लिम व इब्ने माजह व ग़ैरहुम अनस رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, फ़रमाते हैं : “सफ़ें बराबर करो कि सफ़ें बराबर करना, तमामे नमाज़ से है ।”⁽²⁾

हदीस 27 — इमाम अहमद व अबू दावूद व नसाई व इब्ने खुज़ैमा व हाकिम इब्ने उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जो सफ़ को मिलाएगा, अल्लाह तआला उसे मिलाएगा और जो सफ़ को क़त्अ करेगा, अल्लाह तआला उसे क़त्अ कर देगा ।”⁽³⁾ हाकिम ने कहा : बर शर्ते मुस्लिम येह हदीस सहीह है ।

हदीस 28 — मुस्लिम व अबू दावूद व नसाई व इब्ने माजह जाबिर बिन समुरह رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “क्यूं नहीं इस तरह सफ़ बांधते हो जैसे मलाएका अपने रब के हुज़ूर बांधते हैं”, अर्ज की : या रसूलल्लाह (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ! किस तरह मलाएका अपने रब के हुज़ूर सफ़ बांधते हैं ? फ़रमाया : “अगली सफ़ें पूरी करते हैं और सफ़ में मिल कर खड़े होते हैं ।”⁽⁴⁾

हदीस 29 — इमाम अहमद व इब्ने माजह व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी, हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) और उस के फ़रिश्ते उन लोगों पर दुरूद भेजते हैं जो सफ़ें मिलाते हैं ।”⁽⁵⁾ हाकिम ने कहा, येह हदीस बशर्ते मुस्लिम सहीह है ।

हदीस 30 — इब्ने माजह उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी कि फ़रमाते हैं : “जो कुशादगी को बन्द करे अल्लाह तआला उस का दरजा बुलन्द फ़रमाएगा ।”⁽⁶⁾ और तबरानी की रिवायत में इतना और भी है कि “उस के लिये जन्नत में अल्लाह तआला इस के बदले एक घर बनाएगा ।”⁽⁷⁾

1..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف... إلخ، الحديث: 128- (436)، ص 231.

2..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف... إلخ، الحديث: 433، ص 230.

3..... “سنن النسائي”، كتاب الإمامة، باب من وصل صفاء، الحديث: 816، ص 143.

4..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب الأمر، بالسكون في الصلاة... إلخ، الحديث: 430، ص 229.

5..... “المستدرک” للحاکم، کتاب الإمامة... إلخ، باب من وصل صفاء وصله الله، الحديث: 806، ج 1، ص 470.

6..... “سنن ابن ماجه”، کتاب إقامة الصلاة... إلخ، باب إقامة الصفوف، الحديث: 990، ج 1، ص 527.

7..... “المعجم الأوسط” للطبرانی، باب الميم، الحديث: 5797، ج 4، ص 220.

हदीस 31 सुनने अबू दावूद व नसाई व सहीह इब्ने खुजैमा में बराअ बिन आज़िब رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ सफ़ के एक कनारे से दूसरे कनारे तक जाते और हमारे मूँठे या सीने पर हाथ फेरते और फ़रमाते : “मुख़्तलिफ़ खड़े न हो कि तुम्हारे दिल मुख़्तलिफ़ हो जाएंगे।”⁽¹⁾

हदीस 32 तबरांनी इब्ने उमर से और अबू दावूद बराअ बिन आज़िब رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं : “उस क़दम से बढ़ कर किसी क़दम का सवाब नहीं, जो इस लिये चला कि सफ़ में कुशादगी को बन्द करे।”⁽²⁾ और बज़्ज़ार ब अस्नादे हसन अबू जुहैफ़ा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि “जो सफ़ की कुशादगी बन्द करे, उस की मग़ि़रत हो जाएगी।”⁽³⁾

हदीस 35 अबू दावूद व इब्ने माजह ब अस्नादे हसन उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीक़ा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी कि फ़रमाते हैं : “अल्लाह (عَزَّ وَجَلَّ) और उस के फ़रिश्ते सफ़ के दहने वालों पर दुरूद भेजते हैं।”⁽⁴⁾

हदीस 36 तबरांनी कबीर में इब्ने अब्बास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जो मस्जिद की बाईं जानिब को इस लिये आबाद करे कि उधर लोग कम हैं, उसे दूना सवाब है।”⁽⁵⁾

हदीस 37 मुस्लिम व अबू दावूद व तिरमिज़ी व नसाई अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “मर्दों की सब सफ़ों में बेहतर पहली सफ़ है और सब में कमतर पिछली और औरतों की सब सफ़ों में बेहतर पिछली है और कमतर पहली।”⁽⁶⁾

हदीस 38 अबू दावूद व इब्ने खुजैमा व इब्ने हब्बान उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीक़ा से और मुस्लिम व अबू दावूद व नसाई व इब्ने माजह अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “हमेशा सफ़े अव्वल से लोग पीछे होते रहेंगे, यहां तक कि अल्लाह तआला उन्हें अपनी रहमत से मुअख़्ख़र कर के, नार में डाल देगा।”⁽⁷⁾

हदीस 40 अबू दावूद अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, फ़रमाते हैं : “सफ़े मुक़द्दम को पूरा करो फिर उस को जो उस के बाद हो, अगर कुछ कमी हो तो पिछली में हो।”⁽⁸⁾

.....¹ “صحيح ابن خزيمة”، باب ذكر صلوات الرب وملائكته... إلخ، الحديث: ١٥٥٦، ج ٣، ص ٢٦.

.....² “المعجم الأوسط” للطبراني، باب الميم، الحديث: ٥٢٤٠، ج ٤، ص ٦٩.

.....³ “مسند البزار”، مسند أبي جحيفة، الحديث: ٤٢٣٢، ج ١٠، ص ١٥٩.

.....⁴ “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف... إلخ، الحديث: ٦٧٦، ج ١، ص ٢٦٨.

.....⁵ “المعجم الكبير” للطبراني، الحديث: ١١٤٥٩، ج ١١، ص ١٥٢.

.....⁶ “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف... إلخ، الحديث: ٤٤٠، ص ٢٣٢.

.....⁷ “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب صف النساء، الحديث: ٦٧٩، ج ١، ص ٢٦٩.

.....⁸ “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، الحديث: ٦٧١، ج ١، ص ٢٦٧.

हदीस 41 — अबू दावूद अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “औरत का दालान में नमाज़ पढ़ना, सेहून में पढ़ने से बेहतर और कोठरी में दालान से बेहतर है।”⁽¹⁾

हदीस 42 — तिरमिज़ी अबू मूसा अशअरी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “हर आंख जिना करने वाली है (यानी जो अजनबी की तरफ़ नज़र करे) और बेशक औरत इत्र लगा कर मजलिस में जाए तो ऐसी और ऐसी है, यानी ज़ानिया है।”⁽²⁾ अबू दावूद व नसाई में भी इसी के मिसल है।

हदीस 43 — सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “तुम में से अक्लमन्द लोग मेरे करीब हों फिर वोह जो उन के करीब हों (इसे तीन बार फ़रमाया) और बाज़ारों की चीख़ पुकार से बचो।”⁽³⁾

(जमाअत के मश़ाइल)

अहक़ामे फ़िक्हिय्या : अक़िल, बालिग़, हु़र (आज़ाद), कादिर पर जमाअत वाजिब है, बिला उज़्र एक बार भी छोड़ने वाला गुनहगार और मुस्तहिक्के सज़ा है और कई बार तर्क करे तो फ़ासिक़ मर्दूदुशशहादह और उस को सख़्त सज़ा दी जाएगी, अगर पड़ोसियों ने सुकूत किया तो वोह भी गुनहगार हुए।⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار، غنیه)

मश़ाला 1 — जुमुआ व ईदैन में जमाअत शर्त है और तरावीह में सुन्नते किफ़ाया कि महल्ले के सब लोगों ने तर्क की तो सब ने बुरा किया और कुछ लोगों ने काइम कर ली तो बाकियों के सर से जमाअत साक़ित हो गई और रमज़ान के वित्र में मुस्तहब है, नवाफ़िल और इलावा रमज़ान के वित्र में अगर तदाई के तौर पर हो तो मक्रूह है। तदाई के येह माना हैं कि तीन से ज़ियादा मुक्तदी हों। सूरज गहन में जमाअत सुन्नत है और चांद गहन में तदाई के साथ मक्रूह।⁽⁵⁾ (درمختار، ردالمحتار، عالمگیری)

① “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك، الحديث: ٥٧٠، ج ١، ص ٢٣٥.

② “جامع الترمذي”، كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية خروج المرأة معطرة، الحديث: ٢٧٩٥، ج ٤، ص ٣٦١.

③ “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف... إلخ، الحديث: ١٢٣- (٤٣٢)، ص ٢٣٠.

④ “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: شروط الإمامة الكبرى، ج ٢، ص ٣٤٠.

و “غنية المتملي”، فصل في الإمامة و فيها مباحث، ص ٥٠٨.

⑤ “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في شروط الإمامة الكبرى، ج ٢، ص ٣٤١.

و “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الثامن عشر في الصلاة الكسوف، ج ١، ص ١٥٢.

मस्जाला 2

जमाअत में मशगूल होना कि उस की कोई रकअत फ़ौत न हो, वुजू में तीन तीन बार आज़ा धोने से बेहतर है और तीन तीन बार आज़ा धोना तकबीरे ऊला पाने से बेहतर यानी अगर वुजू में तीन तीन बार आज़ा धोता है तो रकअत जाती रहेगी तो अफ़ज़ल यह है कि तीन तीन बार न धोए और रकअत न जाने दे और अगर जानता है कि रकअत तो मिल जाएगी, मगर तकबीरे ऊला न मिलेगी तो तीन तीन बार धोए।⁽¹⁾ (صغیری)

मस्जाला 3

मस्जिदे महल्ला में जिस के लिये इमाम मुक़र्रर हो, इमामे महल्ला ने अज़ानो इक़ामत के साथ ब तरीक़े मस्नून जमाअत पढ़ ली हो तो अज़ानो इक़ामत के साथ हैअते ऊला पर दोबारा जमाअत क़ाइम करना मक्रूह है और अगर बे अज़ान जमाअते सानिया हुई तो हरज नहीं जब कि मेहराब से हट कर हो और अगर पहली जमाअत बिग़ैर अज़ान हुई या आहिस्ता अज़ान हुई या ग़ैरों ने जमाअत क़ाइम की तो फिर जमाअत क़ाइम की जाए और येह जमाअत जमाअते सानिया न होगी। हैअत बदलने के लिये इमाम का मेहराब से दहने या बाएं हट कर खड़ा होना काफ़ी है, शारेए आम की मस्जिद जिस में लोग जूक जूक आते और पढ़ कर चले जाते हैं यानी उस के नमाज़ी मुक़र्रर न हों, उस में अगरचें अज़ानो इक़ामत के साथ जमाअते सानिया क़ाइम की जाए कोई हरज नहीं, बल्कि येही अफ़ज़ल है कि जो गुरौह आए नई अज़ानो इक़ामत से जमाअत करे, यूंही स्टेशन व सराए की मस्जिदें।⁽²⁾

(درمختار، ردالمحتار وغيرهما)

मस्जाला 4

जिस की जमाअत जाती रही उस पर येह वाजिब नहीं कि दूसरी मस्जिद में जमाअत तलाश कर के पढ़े, हां मुस्तहब है। अलबत्ता जिस की मस्जिदे हरम शरीफ़ की जमाअत फ़ौत हुई, उस पर मुस्तहब भी नहीं कि दूसरी जगह तलाश करे।⁽³⁾ (درمختار)

मस्जाला 5

(1) मरीज़ जिसे मस्जिद तक जाने में मशक्कत हो।

(2) अपाहज।

(3) जिस का पाउं कट गया हो।

(4) जिस पर फ़ालिज गिरा हो।

(5) इतना बूढ़ा कि मस्जिद तक जाने से अज़िज़ है।

(6) अन्धा अगरचें अन्धे के लिये कोई ऐसा हो जो हाथ पकड़ कर मस्जिद तक

पहुंचा दे।

1..... "صغیری"، فصل في مسائل شتى، ص 306.

2..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تکرار الجماعة في المسجد، ج 2، ص 342-344، وغيرهما.

3..... "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب الإمامة، ج 2، ص 347-349.

- (7) सख़्त बारिश और
- (8) शदीद कीचड़ का हाइल होना ।
- (9) सख़्त सर्दी
- (10) सख़्त तारीकी ।
- (11) आंधी ।
- (12) माल या खाने के तलफ़⁽¹⁾ होने का अन्देशा ।
- (13) क़र्ज़ ख़्वाह का ख़ौफ़ है और येह तंगदस्त है ।
- (14) ज़ालिम का ख़ौफ़ ।
- (15) पाख़ाना ।
- (16) पेशाब ।
- (17) रियाह की हाजते शदीद है ।
- (18) खाना हाज़िर है और नफ़्स को उस की ख़्वाहिश हो ।
- (19) क़ाफ़िला चले जाने का अन्देशा है ।
- (20) मरीज़ की तीमार दारी कि जमाअत के लिये जाने से उस को तकलीफ़

होगी और घबराएगा, येह सब तर्के जमाअत के लिये उज़्र हैं ।⁽²⁾ (रज़ि)

मस्अला 6 — औरतों को किसी नमाज़ में जमाअत की हाज़िरी जाइज़ नहीं, दिन की नमाज़ हो या रात की, जुमुआ हो या ईदैन, ख़्वाह वोह जवान हों या बूढ़ियां, यूंही वाज़ की मजालिस में भी जाना ना जाइज़ है ।⁽³⁾ (रज़ि)

मस्अला 7 — जिस घर में औरतें ही औरतें हों, उस में मर्द को उन की इमामत ना जाइज़ है, हां अगर उन औरतों में उस की नसबी महारिम हों या बीबी या वहां कोई मर्द भी हो तो ना जाइज़ नहीं ।⁽⁴⁾ (रज़ि)

मस्अला 8 — अकेला मुक्तदी मर्द अगर्चे लड़का हो इमाम के बराबर दहनी जानिब खड़ा हो, बाई तरफ़ या पीछे खड़ा होना मक्रूह है । दो मुक्तदी हों तो पीछे खड़े हों, बराबर खड़ा होना

①यानी जाएअ ।

② "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٤٧ - ٣٤٩.

③ المرجع السابق، ص ٣٦٧.

④ المرجع السابق، ص ٣٦٨.

मकरूहे तन्जीही है, दो से जाइद का इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूहे तहरीमी।⁽¹⁾ (रुज्ज)

मस्अला 9 - दो मुक्तदी हैं एक मर्द और एक लड़का तो दोनों पीछे खड़े हों, अगर अकेली औरत मुक्तदी है तो पीछे खड़ी हो, ज़ियादा औरतें हों जब भी येही हुक्म है, दो मुक्तदी हों एक मर्द एक औरत तो मर्द बराबर खड़ा हो और औरत पीछे, दो मर्द हों एक औरत तो मर्द इमाम के पीछे खड़े हों और औरत उन के पीछे।⁽²⁾ (عالمگیری، ج ۲)

मस्अला 10 - एक शख्स इमाम के बराबर खड़ा हो और पीछे सफ़ है तो मकरूह है।⁽³⁾ (रुज्ज)

मस्अला 11 - इमाम के बराबर खड़े होने के येह माना हैं कि मुक्तदी का क़दम इमाम से आगे न हो यानी उस के पाउं का गिट्टा उस के गिट्टे से आगे न हो, सर के आगे पीछे होने का कुछ एतिबार नहीं तो अगर इमाम के बराबर खड़ा हुवा और चूँकि मुक्तदी इमाम से दराज़ क़द है लिहाज़ा सच्चे में मुक्तदी का सर इमाम से आगे होता है, मगर पाउं का गिट्टा गिट्टे से आगे न हो तो हरज नहीं। यूँही अगर मुक्तदी के पाउं बड़े हों कि उंग्लियां इमाम से आगे हैं जब भी हरज नहीं, जब कि गिट्टा आगे न हो।⁽⁴⁾ (रुज्ज)

मस्अला 12 - इशारे से नमाज़ पढ़ता हो तो क़दम की महाज़ात मोतबर नहीं, बल्कि शर्त येह है कि उस का सर इमाम के सर से आगे न हो अगर्चे मुक्तदी का क़दम इमाम से आगे हो, ख़्वाह इमाम रुकूओ सुजूद से पढ़ता हो या इशारे से, बैठ कर या लैट कर क़िब्ले की तरफ़ पाउं फैला कर और अगर इमाम करवट पर लैट कर इशारे से पढ़ता हो तो सर की महाज़ात नहीं ली जाएगी, बल्कि शर्त येह है कि मुक्तदी इमाम के पीछे लैटा हो।⁽⁵⁾ (रुज्ज)

मस्अला 13 - मुक्तदी अगर एक क़दम पर खड़ा है तो महाज़ात में उसी क़दम का एतिबार है और दोनों पाउं पर खड़ा हुवा अगर एक बराबर है और एक पीछे तो सहीह है और एक बराबर है और एक आगे तो नमाज़ सहीह न होना चाहिये।⁽⁶⁾ (रुज्ज)

मस्अला 14 - एक शख्स इमाम के बराबर खड़ा था फिर एक और आया तो इमाम आगे बढ़ जाए और वोह आने वाला उस मुक्तदी के बराबर खड़ा हो जाए या वोह मुक्तदी पीछे हट

① "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۲، ص ۳۷۰.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس، ج ۱، ص ۸۸.

و "البحر الرائق"، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ج ۱، ص ۶۱۸.

③ "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ۲، ص ۳۷۰.

④ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: إذا صلى الشافعي... إلخ، ج ۲، ص ۳۶۸.

⑤ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: إذا صلى الشافعي... إلخ، ج ۲، ص ۳۶۹.

⑥ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، مطلب: إذا صلى الشافعي... إلخ، ج ۲، ص ۳۷۰.

आए खुद या आने वाले ने उस को खींचा, ख़्वाह तक्बीर के बाद या पहले येह सब सूरतें जाइज़ हैं, जो हो सके करे और सब मुम्किन हैं तो इख़्तियार है, मगर मुक्तदी जब कि एक हो तो उस का पीछे हटना अफ़ज़ल है और दो हों तो इमाम का आगे बढ़ना, अगर मुक्तदी के कहने से इमाम आगे बढ़ा या मुक्तदी पीछे हटा इस निय्यत से कि येह कहता है इस की मानूं तो नमाज़ फ़सिद हो जाएगी और हुक्मे शर्अ बजा लाने के लिये हो, कुछ हरज नहीं ⁽¹⁾ (درمختار وغيره)

मसअला 15 - मर्द और बच्चे और खुन्सा ⁽²⁾ और औरतें जम्अ हों तो सफ़ों की तरतीब येह है कि पहले मर्दों की सफ़ हो फिर बच्चों की फिर खुन्सा की फिर औरतों की और बच्चा तन्हा हो तो मर्दों की सफ़ में दाख़िल हो जाए ⁽³⁾ (درمختار)

मसअला 16 - सफ़ें मिल कर खड़ी हों कि बीच में कुशादगी न रह जाए और सब के मूँदे बराबर हों ⁽⁴⁾ (درمختار)

मसअला 17 - इमाम को चाहिये कि वस्तु में खड़ा हो, अगर दहनी या बाई जानिब खड़ा हुवा तो ख़िलाफ़े सुन्नत किया ⁽⁵⁾ (عالمگیری)

मसअला 18 - मर्दों की पहली सफ़ कि इमाम से करीब है, दूसरी से अफ़ज़ल है और दूसरी तीसरी से ⁽⁶⁾ (عالمگیری) ⁽⁶⁾ اَوْ عَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ मुक्तदी के लिये अफ़ज़ल जगह येह है कि इमाम से करीब हो और दोनों तरफ़ बराबर हों तो दहनी तरफ़ अफ़ज़ल है ⁽⁷⁾ (عالمگیری)

मसअला 19 - सफ़े मुक़दम का अफ़ज़ल होना, ग़ैरे जनाज़ा में है और जनाज़े में आख़िर सफ़ अफ़ज़ल है ⁽⁸⁾ (درمختار)

मसअला 20 - इमाम को सुतूनों के दरमियान खड़ा होना मक्रूह है ⁽⁹⁾ (ردالمحتار)

मसअला 21 - पहली सफ़ में जगह हो और पिछली सफ़ भर गई हो तो उस को चीर कर जाए और उस ख़ाली जगह में खड़ा हो, उस के लिये हदीस में फ़रमाया कि : “जो सफ़ में कुशादगी देख कर उसे बन्द कर दे, उस की मग़िफ़रत हो जाएगी ⁽¹⁰⁾” (عالمگیری) और येह वहां है जहां फ़ितना व फ़साद का एहतिमाल न हो ।

① “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: هل الاساءة... إلخ، ج ٢، ص ٣٧٠، وغيره. ② हीजड़ा ।

③ “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٧٧. ④ المرجع السابق، ص ٣٧١.

⑤ “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس، ج ١، ص ٨٩.

⑥ المرجع السابق. ⑦ المرجع السابق.

⑧ “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٧٢-٣٨٤.

⑨ “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب: هل اساءة دون الكراهة او افحش منها؟، ج ٢، ص ٣٧١.

⑩ “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس، ج ١، ص ٨٩.

و “مجمع الزوائد”، كتاب الصلاة، باب صلة الصفوف سدّ الفرج، الحديث: ٢٥٠٣، ج ٢، ص ٢٥١.

मस्अला 22

सहने मस्जिद में जगह होते हुए बालाखाने पर इक्तिदा करना मक्रूह है, यूंही सफ़ में जगह होते हुए सफ़ के पीछे खड़ा होना मम्मूअ है।⁽¹⁾ (در مختار)

मस्अला 23

औरत अगर मर्द के महाज़ी हो तो मर्द की नमाज़ जाती रहेगी। इस के लिये चन्द शर्ते हैं :

(1) औरत मुश्तहात हो यानी इस काबिल हो कि उस से जिमाअ हो सके, अगर्चे ना बालिगा हो और मुश्तहात में सिन का एतिबार नहीं, नव बरस की हो या इस से कुछ कम की, जब कि उस का जुस्सा इस काबिल हो और अगर इस काबिल नहीं तो नमाज़ फ़ासिद न होगी अगर्चे नमाज़ पढ़ना जानती हो। बुढ़िया भी इस मस्अले में मुश्तहात है वोह औरत अगर उस की जौजा हो या महारिम में हो, जब भी नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, (2) कोई चीज़ उंगली बराबर मोटी और एक हाथ ऊंची हाइल न हो, न दोनों के दरमियान इतनी जगह ख़ाली हो कि एक मर्द खड़ा हो सके, न औरत इतनी बुलन्दी पर हो कि मर्द का कोई उज़्व उस के किसी उज़्व से महाज़ी न हो, (3) रुकूअ सुजूद वाली नमाज़ में येह महाज़ात वाक़ेअ हो, अगर नमाज़े जनाज़ा में महाज़ात हुई तो नमाज़ फ़ासिद न होगी, (4) वोह नमाज़ दोनों में तहरीमतन मुश्तरिक हो यानी औरत ने उस की इक्तिदा की हो या दोनों ने किसी इमाम की, अगर्चे शुरूअ से शिर्कत न हो तो अगर दोनों अपनी अपनी पढ़ते हों तो फ़ासिद न होगी, मक्रूह होगी, (5) अदा में मुश्तरिक हो कि उस में मर्द उस का इमाम हो या इन दोनों का कोई दूसरा इमाम हो जिस के पीछे अदा कर रहे हैं, हकीक़तन या हुक्मन मसलन दोनों लाहिक़ हों कि बादे फ़रागे इमाम अगर्चे इमाम के पीछे नहीं मगर हुक्मन इमाम के पीछे ही हैं और मस्बूक़ इमाम के पीछे न हकीक़तन है न हुक्मन बल्कि वोह मुन्फ़रिद है, (6) दोनों एक ही जिहत को मुतवज्जेह हों अगर जिहत बदल जाए, जैसे तारीक़ शब में कि पता न चलता हो एक तरफ़ इमाम का मुंह है और दूसरी तरफ़ मुक्तदी का या काबए मुअज़्ज़मा में पढ़ी और जिहत बदली हो तो नमाज़ हो जाएगी, (7) औरत आक़िला हो, मजनूना की महाज़ात में नमाज़ फ़ासिद न होगी, (8) इमाम ने इमामते ज़ना⁽²⁾ की निय्यत कर ली हो, अगर्चे शुरूअ करते वक़्त औरतें शरीक़ न हों और अगर इमामते ज़ना की निय्यत न हो तो औरत ही की फ़ासिद होगी मर्द की नहीं, (9) इतनी देर तक महाज़ात रहे कि एक कामिल रुक्न अदा हो जाए यानी ब क़दर तीन तस्बीह के, (10) दोनों नमाज़ पढ़ना जानते हों, (11) मर्द आक़िल बालिग़ हो।⁽³⁾ (در مختار، ردالمحتار، عالمگیری وغيره)

②यानी औरतों की इमामत ।

① "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٧٤.

③ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس، ج ١، ص ٨٩.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأول، ج ٢، ص ٣٧٨ - ٣٨٦.

मस्जाला 24

मर्द के शुरूअ करने के बाद औरत आ कर बराबर खड़ी हो गई और उस ने इमामते औरत की निय्यत भी कर ली है, मगर शरीक होते ही पीछे हटने को इशारा किया मगर न हटी तो औरत की नमाज़ जाती रहेगी मर्द की नहीं, यूंही अगर मुक्तदी के बराबर खड़ी हुई और इशारा कर दिया और न हटी तो औरत ही की नमाज़ फ़ासिद होगी।⁽¹⁾ (رد المحتار)

मस्जाला 25

खुन्सा मुश्किल की महाज़ात मुफ़्सिदे नमाज़ नहीं।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्जाला 26

अम्मे ख़ूब सूरते मुश्तही का मर्द के बराबर खड़ा होना मुफ़्सिदे नमाज़ नहीं।⁽³⁾ (در مختار)

मस्जाला 27

मुक्तदी की चार किस्में हैं :

- (1) मुदरिक ।
- (2) लाहिक ।
- (3) मस्बूक ।
- (4) लाहिक मस्बूक ।

मुदरिक उसे कहते हैं जिस ने अब्बल रक्अत से तशहहुद तक इमाम के साथ पढ़ी, अगरचे पहली रक्अत में इमाम के साथ रुकूअ ही में शरीक हुवा हो ।

लाहिक वोह कि इमाम के साथ पहली रक्अत में इक्तिदा की मगर बादे इक्तिदा उस की कुल रक्अतें या बाज़ फ़ौत हो गई । ख़्वाह उज़्र से फ़ौत हों, जैसे ग़फ़लत या भीड़ की वजह से रुकूअ सुजूद करने न पाया, या नमाज़ में उसे हदस हो गया या मुक्मी ने मुसाफ़िर के पीछे इक्तिदा की या नमाज़े ख़ौफ़ में पहले गुरौह को जो रक्अत इमाम के साथ न मिली । ख़्वाह बिला उज़्र फ़ौत हों, जैसे इमाम से पहले रुकूअ सुजूद कर लिया फिर उस का इआदा भी न किया तो इमाम की दूसरी रक्अत, उस की पहली रक्अत होगी और तीसरी दूसरी और चौथी तीसरी और आखिर में एक रक्अत पढ़नी होगी ।

मस्बूक वोह है कि इमाम की बाज़ रक्अतें पढ़ने के बाद शामिल हुवा और आखिर तक शामिल रहा ।

लाहिक मस्बूक वोह है जिस को कुछ रक्अतें शुरूअ की न मिलीं, फिर शामिल होने के बाद लाहिक हो गया।⁽⁴⁾

① "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأول، ج ٢، ص ٣٨٦.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس، ج ١، ص ٩٠.

③ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٣٨٦.

④ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في احكام المسبوق... إلخ، ج ٢، ص ٤١٤.

मस्अला 28

लाहिक़ मुदरिक् के हुक्म में है कि जब अपनी फ़ौत शुदा पढ़ेगा तो उस में न क़िराअत करेगा, न सहव से सज्दए सहव करेगा और अगर मुसाफ़िर था तो नमाज़ में निय्यते इक़ामत से उस का फ़र्ज़ मुतग़य्यिर न होगा कि दो से चार हो जाए और अपनी फ़ौत शुदा को पहले पढ़ेगा। यह न होगा कि इमाम के साथ पढ़े, फिर जब इमाम फ़रिग़ हो जाए तो अपनी पढ़े : मसलन उस को ह़दस हुवा और वुजू कर के आया तो इमाम को क़ादए अख़ीरा में पाया तो येह क़ादे में शरीक़ न होगा, बल्कि जहां से बाक़ी है, वहां से पढ़ना शुरूअ करे, इस के बाद अगर इमाम को पा ले तो साथ हो जाए और अगर ऐसा न किया बल्कि साथ हो लिया, फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद फ़ौत शुदा पढ़ी तो हो गई, मगर गुनहगार हुवा।⁽¹⁾ (रुव़ाअर, रुव़ाअर)

मस्अला 29

तीसरी रक्अत में सो गया और चौथी में जागा तो उसे हुक्म है कि पहले तीसरी बिला क़िराअत पढ़े, फिर अगर इमाम को चौथी में पाए तो साथ हो ले, वरना उसे भी बिला क़िराअत तन्हा पढ़े और ऐसा न किया बल्कि चौथी इमाम के साथ पढ़ ली, फिर बाद में तीसरी पढ़ी तो हो गई और गुनहगार हुवा।⁽²⁾ (रुव़ाअर)

मस्अला 30

मस्बूक़ के अहक़ाम इन उमूर में लाहिक़ के ख़िलाफ़ हैं कि पहले इमाम के साथ हो ले फिर इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी फ़ौत शुदा पढ़े और अपनी फ़ौत शुदा में क़िराअत करेगा और उस में सहव हो तो सज्दए सहव करेगा और निय्यते इक़ामत से फ़र्ज़ मुतग़य्यिर होगा।⁽³⁾ (रुव़ाअर)

मस्अला 31

मस्बूक़ अपनी फ़ौत शुदा की अदा में मुन्फ़रिद है कि पहले सना न पढ़ी थी, इस वज्ह से कि इमाम बुलन्द आवाज़ से क़िराअत कर रहा था या इमाम रुकूअ में था और येह सना पढ़ता तो इसे रुकूअ न मिलता, या इमाम क़ादे में था, ग़रज़ किसी वज्ह से पहले न पढ़ी थी तो अब पढ़े और क़िराअत से पहले तअव्वुज़ पढ़े।⁽⁴⁾ (एल्ग़िरि, रुव़ाअर)

मस्अला 32

मस्बूक़ ने अपनी फ़ौत शुदा पढ़ कर इमाम की मुताबअत की तो नमाज़ फ़ासिद हो गई।⁽⁵⁾ (रुव़ाअर)

मस्अला 33

मस्बूक़ ने इमाम को क़ादे में पाया तो तक्बीरे तहरीमा सीधे खड़े होने की हालत में करे, फिर दूसरी तक्बीर कहता हुवा क़ादे में जाए।⁽⁶⁾ (एल्ग़िरि) रुकूअो सुजूद में पाए,

1..... "الدرا المختار" و "رد المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع... إلخ، ج ٢، ص ٤١٦.

2..... "رد المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع... إلخ، ج ٢، ص ٤١٦.

3..... "رد المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع... إلخ، ج ٢، ص ٤١٦.

4..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص ٤١٧.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع، ج ١، ص ٩١.

5..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٤١٧.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع، ج ١، ص ٩١.

जब भी यूँही करे, अगर पहली तक्बीर कहता हुवा झुका और हद्दे रूकूअ तक पहुंच गया तो सब सूरतों में नमाज़ न होगी।

मस्अला 34 - मस्बूक ने जब इमाम के फ़ारिग़ होने के बाद अपनी शुरूअ की तो हक्के क़िराअत में येह रक्अते अव्वल क़रार दी जाएगी और हक्के तशहहुद में पहली नहीं बल्कि दूसरी तीसरी चौथी जो शुमार में आए मसलन तीन या चार रक्अत वाली नमाज़ में एक उसे मिली तो हक्के तशहहुद में येह जो अब पढ़ता है, दूसरी है, लिहाज़ा एक रक्अत फ़ातिहा व सूरत के साथ पढ़ कर क़ादा करे और अगर वाजिब यानी फ़ातिहा या सूरत मिलाना तर्क किया तो अगर अमदन है इआदा वाजिब है और सहवन हो तो सज्दए सहव, फिर इस के बाद वाली में भी फ़ातिहा के साथ सूरत मिलाए और उस में न बैठे, फिर इस के बाद वाली में फ़ातिहा पढ़ कर रूकूअ कर दे और तशहहुद वगैरा पढ़ कर ख़त्म कर दे, दो मिली हैं दो जाती रहीं तो उन दोनों में क़िराअत करे, एक में भी फ़र्जे क़िराअत तर्क किया, नमाज़ न हुई ⁽¹⁾ (درمختار وغيره)

मस्अला 35 - चार बातों में मस्बूक मुक्तदी के हुक्म में है :

(1) उस की इक्तिदा नहीं की जा सकती, मगर इमाम उसे अपना ख़लीफ़ा बना सकता है मगर ख़लीफ़ा होने के बाद सलाम न फेरेगा, इस के लिये दूसरे को ख़लीफ़ा बनाएगा।

(2) बिल इज्माअ तक्बीराते तशरीक़ कहेगा।

(3) अगर नए सिरे से नमाज़ पढ़ने और उस नमाज़ के क़त्अ करने की निय्यत से तक्बीर कहे तो नमाज़ क़त्अ हो जाएगी, ब ख़िलाफ़ मुन्फ़रिद के कि उस की नमाज़ क़त्अ न होगी।

(4) अपनी फ़ैत शुदा पढ़ने के लिये खड़ा हो गया और इमाम को सज्दए सहव करना है, अगर उस की इक्तिदा के पहले तर्के वाजिब हुवा हो तो उसे हुक्म है कि लौट आए, अगर अपनी रक्अत का सज्दा न कर चुका हो और न लौटा तो आख़िर में येह दो सज्दए सहव करे ⁽²⁾ (درمختار)

मस्अला 36 - मस्बूक को चाहिये कि इमाम के सलाम फेरते ही फ़ौरन खड़ा न हो जाए, बल्कि इतनी देर सब्र करे कि मालूम हो जाए कि इमाम को सज्दए सहव नहीं करना है, मगर जब कि वक्त में तंगी हो ⁽³⁾ (درمختار)

मस्अला 37 - इमाम के सलाम फेरने से पहले मस्बूक खड़ा हो गया तो अगर इमाम के ब क़दरे तशहहुद बैठने से पहले खड़ा हो गया तो जो कुछ इस से पहले अदा कर चुका उस का शुमार नहीं, मसलन इमाम के क़दरे तशहहुद बैठने से पहले येह क़िराअत से फ़ारिग़ हो गया तो येह क़िराअत काफ़ी नहीं और नमाज़ न हुई और बाद में भी ब क़दरे ज़रूरत पढ़ लिया तो हो जाएगी और अगर इमाम के ब क़दरे तशहहुद बैठने के बाद और सलाम से पहले खड़ा हो

1..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج 2، ص 418، وغيره. 2..... المرجع السابق. 3..... المرجع السابق، ص 419.

गया तो जो अरकान अदा कर चुका उन का एतिबार होगा, मगर बिगैर जरूरत सलाम से पहले खड़ा होना मक्रूहे तहरीमी है, फिर अगर इमाम के सलाम से पहले फौत शुदा अदा कर ली और सलाम में इमाम का शरीक हो गया तो भी सहीह हो जाएगी और कादे और तशहहुद में मुताबअत करेगा तो फ़ासिद हो जाएगी।⁽¹⁾ (دری)

मस्अला 38 - इमाम के सलाम से पहले मस्बूक किसी उज़्र की वजह से खड़ा हो गया, मसलन सलाम के इन्तिज़ार में खौफ़े हृदस हो, या फज़्र व जुमुआ व ईदैन के वक़्त ख़त्म हो जाने का अन्देशा है या वोह मस्बूक माज़ूर है और वक़्ते नमाज़ ख़त्म होने का गुमान है या मोजे पर मस्ह किया है और मस्ह की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो इन सब सूरतों में कराहत नहीं।⁽²⁾ (دری)

मस्अला 39 - अगर इमाम से नमाज़ का कोई सज्दा रह गया और मस्बूक के खड़े होने के बाद याद आया तो इस में मस्बूक को इमाम की मुताबअत फ़र्ज़ है, अगर न लौटा तो उस की नमाज़ ही न हुई और अगर इस सूरत में रकअत पूरी कर के मस्बूक ने सज्दा भी कर लिया है तो मुत्लकन नमाज़ न होगी, अगरचें इमाम की मुताबअत करे अगर इमाम को सज्दे सहव या तिलावत करना है और इस ने अपनी रकअत का सज्दा कर लिया तो अगर मुताबअत करेगा, फ़ासिद हो जाएगी वरना नहीं।⁽³⁾ (دری)

मस्अला 40 - मस्बूक ने इमाम के साथ क़स्दन सलाम फेरा, येह ख़याल कर के कि मुझे भी इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिये, नमाज़ फ़ासिद हो गई और भूल कर सलाम फेरा तो अगर इमाम के ज़रा बाद सलाम फेरा तो सज्दे सहव लाज़िम है और अगर बिल्कुल साथ साथ फेरा तो नहीं।⁽⁴⁾ (دری، ردالمحتار)

मस्अला 41 - भूल कर इमाम के साथ सलाम फेर दिया फिर गुमान कर के कि नमाज़ फ़ासिद हो गई, नए सिरे से पढ़ने की निय्यत से अल्लाहु अक्बर कहा तो अब फ़ासिद हो गई।⁽⁵⁾ (عالمگیری)

मस्अला 42 - इमाम कादे अखीरा के बाद भूल कर पांचवीं रकअत के लिये उठा, अगर मस्बूक इमाम की क़स्दन मुताबअत करे, नमाज़ जाती रहेगी और अगर इमाम ने कादे अखीरा न किया था तो जब तक पांचवीं रकअत का सज्दा न कर लेगा, फ़ासिद न होगी।⁽⁶⁾ (دری)

मस्अला 43 - इमाम ने सज्दे सहव किया मस्बूक ने उस की मुताबअत की जैसा कि उसे हुक्म है, फिर मालूम हुवा कि इमाम पर सज्दे सहव न था, मस्बूक की नमाज़ फ़ासिद हो गई।⁽⁷⁾ (دری)

1..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٤٢٠. 2..... المرجع السابق.

3..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع... إلخ، ج ٢، ص ٤٢١.

4..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع... إلخ، ج ٢، ص ٤٢٢.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع، ج ١، ص ٩١.

6..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج ٢، ص ٤٢٢. 7..... المرجع السابق.

मस्अला 44

दो मस्बूकों ने एक ही रकअत में इमाम की इक्तिदा की, फिर जब अपनी पढ़ने लगे तो एक को अपनी रकअतें याद न रहीं, दूसरे को देख देख कर जितनी उस ने पढ़ी, इस ने भी पढ़ी, अगर उस की इक्तिदा की निय्यत न की (तो) हो गई।⁽¹⁾ (रुकी)

मस्अला 45

लाहिक मस्बूक का हुक्म येह है कि जिन रकअतों में लाहिक है उन को इमाम की तरतीब से पढ़े और उन में लाहिक के अहकाम जारी होंगे, उन के बाद इमाम के फ़ारिग होने के बाद जिन में मस्बूक है, वोह पढ़े और उन में मस्बूक के अहकाम जारी होंगे, मसलन चार रकअत वाली नमाज़ की दूसरी रकअत में मिला फिर दो रकअतों में सोता रह गया तो पहले वोह रकअतें जिन में सोता रहा बिगैर क़िराअत अदा करे, सिर्फ़ उतनी देर ख़ामोश खड़ा रहे जितनी देर में सूरए फ़ातिहा पढ़ी जाती है फिर इमाम के साथ जो कुछ मिल जाए, उस में मुताबअत करे, फिर वोह फ़ौत शुदा मअ क़िराअत पढ़े।⁽²⁾ (रुकी)

मस्अला 46

दो रकअतों में सोता रहा और एक में शक है कि इमाम के साथ पढ़ी है या नहीं तो उस को आख़िर नमाज़ में पढ़े।⁽³⁾ (एल्ग़िरि)

मस्अला 47

कादए ऊला में इमाम तशहहुद पढ़ कर खड़ा हो गया और बाज़ मुक़्तदी तशहहुद पढ़ना भूल गए, वोह भी इमाम के साथ खड़े हो गए तो जिस ने तशहहुद नहीं पढ़ा था वोह बैठ जाए और तशहहुद पढ़ कर इमाम की मुताबअत करे, अगरचें रकअत फ़ौत हो जाए।⁽⁴⁾ (एल्ग़िरि) रुकूअ या सज्दे से इमाम के पहले मुक़्तदी ने सर उठा लिया तो उसे लौटना वाजिब है और येह दो रुकूअ, दो सज्दे नहीं होंगे।⁽⁵⁾ (एल्ग़िरि)

मस्अला 48

इमाम ने तवील सज्दा किया, मुक़्तदी ने सर उठाया और येह ख़याल किया कि इमाम दूसरे सज्दे में है इस ने भी उस के साथ सज्दा किया तो अगर सज्दए ऊला की निय्यत की या कुछ निय्यत न की या सानिया और मुताबअत की निय्यत की तो ऊला हुवा और अगर सिर्फ़ सानिया की निय्यत की तो सानिया हुवा फिर अगर वोह उसी सज्दे में था कि इमाम ने भी सज्दा किया और मुशारकत हो गई तो जाइज़ है और इमाम के दूसरा सज्दा करने से पहले अगर इस ने सर उठा लिया तो जाइज़ न हुवा और इस पर उस सज्दे का इआदा ज़रूरी है, अगर इआदा न करेगा नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।⁽⁶⁾ (एल्ग़िरि)

1..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج 2، ص 419. 2..... المرجع السابق، ص 416.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع، ج 1، ص 93.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السادس، ج 2، ص 90.

5..... المرجع السابق، 6..... المرجع السابق.

मस्अला 49

मुक्तदी ने सज्दे में तूल किया यहां तक कि इमाम पहले सज्दे से सर उठा कर दूसरे में गया, अब मुक्तदी ने सर उठा लिया और येह गुमान किया कि इमाम अभी पहले ही सज्दे में है और सज्दा किया तो येह दूसरा सज्दा होगा, अगर्चे सिर्फ पहले ही सज्दे की निय्यत की हो।⁽¹⁾ (عالمگیری)

मस्अला 50

पांच चीजें वोह हैं कि इमाम छोड़ दे तो मुक्तदी भी न करे और इमाम का साथ दे :

- (1) तक्बीराते ईदैन ।
- (2) कादए ऊला ।
- (3) सज्दए तिलावत ।
- (4) सज्दए सहव ।

(5) कुनूत जब कि रुकूअ फौत होने का अन्देशा हो, वरना कुनूत पढ़ कर रुकूअ करे।⁽²⁾ (عالمگیری، صغیری) मगर कादए ऊला न किया और अभी सीधा खड़ा न हुवा तो मुक्तदी अभी इस के तर्क में मुताबअत इमाम की न करे बल्कि उसे बताए, ताकि वोह वापस आए, अगर वापस आ गया फ़बिहा और अगर सीधा खड़ा हो गया तो अब न बताए कि नमाज़ जाती रहेगी, बल्कि खुद भी कादा छोड़ दे और खड़ा हो जाए ।

मस्अला 51

चार चीजें वोह हैं कि इमाम करे तो मुक्तदी उस का साथ न दें ।

- (1) नमाज़ में कोई जाइद सज्दा किया ।
- (2) तक्बीराते ईदैन में अक्वाले सहाबा पर ज़ियादती की ।
- (3) जनाजे में पांच तक्बीरें कहीं ।

(4) पांचवीं रक्अत के लिये भूल कर खड़ा हो गया, फिर इस सूरत में अगर कादए अखीरा कर चुका है तो मुक्तदी उस का इन्तिज़ार करे, अगर पांचवीं के सज्दे से पहले लौट आया तो मुक्तदी भी उस का साथ दे, उस के साथ सलाम फेरे और उस के साथ सज्दए सहव करे और अगर पांचवीं का सज्दा कर लिया तो मुक्तदी तन्हा सलाम फेर ले । और अगर कादए अखीरा नहीं किया था और पांचवीं रक्अत का सज्दा कर लिया तो सब की नमाज़ फ़ासिद हो गई, अगर्चे मुक्तदी ने तशहहुद पढ़ कर सलाम फेर लिया हो।⁽³⁾ (عالمگیری)

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السادس، ج ٢، ص ٩٠.

②..... المرجع السابق. ③..... المرجع السابق.

मस्अला 52

नव चीजें हैं कि इमाम अगर न करे तो मुक्तदी उस की पैरवी न करे, बल्कि बजा लाए।

- (1) तक्बीरे तहरीमा में हाथ उठाना।
- (2) सना पढ़ना, जब कि इमाम फ़ातिहा में हो और आहिस्ता पढ़ता हो।
- (3) रुकूअ।
- (4) सुजूद की तक्बीरात व
- (5) तस्बीहात।
- (6) तस्मीअ।
- (7) तशहहुद पढ़ना।
- (8) सलाम फेरना।
- (9) तक्बीराते तशरीक।⁽¹⁾ (عالمگیری، صغیری)

मस्अला 53

मुक्तदी ने सब रक्अतों में इमाम से पहले रुकूअ सुजूद कर लिया तो एक रक्अत बाद को बिगैर क़िराअत पढ़े।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्अला 54

इमाम से पहले सज्दा किया मगर उस के सर उठाने से पहले इमाम भी सज्दे में पहुंच गया तो सज्दा हो गया, मगर मुक्तदी को ऐसा करना हुराम है।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस्अला 55

इमाम और मुक्तदियों में इख़िलाफ़ हुवा, मुक्तदी कहते हैं तीन पढ़ीं, इमाम कहता है चार पढ़ीं तो अगर इमाम को यकीन हो, इअ़दा न करे, वरना करे और अगर मुक्तदियों में बाहम इख़िलाफ़ हुवा तो इमाम जिस तरफ़ है उस का कौल लिया जाएगा। एक शख्स को तीन रक्अतों का यकीन है और एक को चार का और बाकी मुक्तदियों और इमाम को शक है तो उन लोगों पर कुछ नहीं और जिसे कमी का यकीन है इअ़दा करे। और इमाम को तीन रक्अतों का यकीन है और एक शख्स को पूरी होने का यकीन है तो इमाम व कौम इअ़दा करें और उस यकीन करने वाले पर इअ़दा नहीं, एक शख्स को कमी का यकीन है और इमाम व जमाअत को शक है तो अगर वक्त बाकी है इअ़दा करें, वरना उन के ज़िम्मे कुछ नहीं। हां अगर दो अ़दिल यकीन के साथ कहते हों तो बहर हाल इअ़दा है।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السادس، ج ٢، ص ٩٠.

② المرجع السابق. ③ المرجع السابق.

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع، ج ١، ص ٩٣.

नमाज़ में बे वुजू होने का बयान

अबू दावूद उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीक़ा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से रावी, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “जब कोई नमाज़ में बे वुजू हो जाए तो नाक पकड़ ले और चला जाए।”⁽¹⁾

इब्ने माजह व दारे कुतनी की रिवायत इन्हीं से है कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जिस को कै आए या नक्सीर टूटे या मज़ी निकले तो चला जाए और वुजू कर के उसी पर बिना करे बशर्ते कि कलाम न किया हो।”⁽²⁾

और बहुत से सहाबए किराम मसलन सिद्दीक़े अक्बर व फ़ारूक़े आजम व मौला अली व अब्दुल्लाह बिन उमर व सलमान फ़ारसी और ताबेईने इज़ाम मसलन अल्कमा व तारुस व सालिम बिन अब्दुल्लाह व सईद व शअबी व इब्राहीम नख़ई व अता व मक्हूल व सईद बिन अल मुसय्यब رَضَوَانِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ का येही कौल है।

अहकामे फ़िक्हिय्या : नमाज़ में जिस का वुजू जाता रहे अगर्चे कादए अखीरा में तशहहुद के बाद सलाम से पहले, तो वुजू कर के जहां से बाकी है वहीं से पढ़ सकता है, इस को बिना कहते हैं, मगर अफ़ज़ल येह है कि सिरे से पढ़े इसे इस्तिनाफ़ कहते हैं, इस हुक़म में औरत मर्द दोनों का एक ही हुक़म है।⁽³⁾ (अम्मए कुतुब)

मस्अला 1

जिस रुक्न में हृदस वाक़ेअ हो, उस का इअ़ादा करे।⁽⁴⁾ (मल्लिय)

मस्अला 2

बिना के लिये तेरह (13) शर्ते हैं, अगर इन में एक शर्त भी मादूम⁽⁵⁾ हो, बिना जाइज़ नहीं।

(1) हृदस मूजिबे वुजू हो।

(2) उस का वुजूद नादिर न हो।

(3) वोह हृदस समावी हो यानी न वोह बन्दे के इख़्तियार से हो न उस का सबब।

(4) वोह हृदस उस के बदन से हो।

① “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب استئذان المحدث للإمام، الحديث: ١١١٤، ج ١، ص ٤١٢.

② “سنن ابن ماجه”، كتاب إقامة الصلوات، باب ماجاء في البناء على الصلاة، الحديث: ١٢٢١، ج ٢، ص ٦٩.

③ “البحر الرائق”، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج ١، ص ٦٤٢ - ٦٥٣.

و “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج ١، ص ٩٣.

④ “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج ١، ص ٩٣.

⑤ यानी न पाई गई।

- (5) उस हृदस के साथ कोई रुकन अदा न किया हो ।
- (6) न बिगैर उज़्र ब क़दरे अदाए रुकन ठहरा हो ।
- (7) न चलते में रुकन अदा किया हो ।
- (8) कोई फ़ेल मुनाफ़िये नमाज़ जिस की उसे इजाज़त न थी, न किया हो ।
- (9) कोई ऐसा फ़ेल किया हो जिस की इजाज़त थी तो बिगैर ज़रूरत ब क़दरे मुनाफ़ी जाइद न किया हो ।
- (10) उस हृदसे समावी के बाद कोई हृदसे साबिक़ ज़ाहिर न हुवा हो ।
- (11) हृदस के बाद साहिबे तरतीब को क़ज़ा न याद आई हो ।
- (12) मुक़्तदी हो तो इमाम के फ़ारिग़ होने से पहले, दूसरी जगह अदा न की हो ।
- (13) इमाम था तो ऐसे को ख़लीफ़ा न बनाया हो जो लाइके इमामत नहीं ।⁽¹⁾

(درمختار، عالمگیری)

इन शराइत की तफ़रीआत

मस़ाला 3 — नमाज़ में मूजिबे गुस्ल पाया गया, मसलन तफ़क्कुर वगैरा से इन्ज़ाल हो गया तो बिना नहीं हो सकती, सिरे से पढ़ना ज़रूरी है ।⁽²⁾ (عالمگیری وغیره)

मस़ाला 4 — अगर वोह हृदस नादिरुल वुजूद हो, जैसे क़हक़हा व बेहोशी व जुनून तो बिना नहीं कर सकता ।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस़ाला 5 — अगर वोह हृदस समावी न हो, ख़्वाह उस मुसल्ली की तरफ़ से हो कि क़स्दन उस ने अपना वुजू तोड़ दिया (मसलन भर मुंह कै कर दी या नक्सीर तोड़ दी या फुड़िया दबा दी कि उस से मवाद बहा या घुटने में फुड़िया थी और सज्दे में घुटनों पर ज़ोर दिया कि बही) ख़्वाह दूसरे की तरफ़ से हो, मसलन किसी ने उस के सर पर पथ्थर मारा कि ख़ून निकल कर बह गया या किसी ने उस की फुड़िया दबा दी और ख़ून बह गया या छत से उस पर कोई पथ्थर गिरा और उस के बदन से ख़ून बहा, वोह पथ्थर खुद बखुद गिरा या किसी के चलने से तो इन सब सूरतों में सिरे से पढ़े, बिना नहीं कर सकता । यूंही अगर दरख़्त से फल गिरा जिस से येह ज़ख़मी हो गया और ख़ून बहा या पाउं में कांटा चुभा या सज्दे में पेशानी में चुभा और ख़ून बहा या भेड़ ने काटा और ख़ून बहा तो बिना नहीं हो सकती ।⁽⁴⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

1..... المرجع السابق، و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الاستحلاف، ج 2، ص 422.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج 1، ص 93، وغيره.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج 1، ص 93، 94.

4..... المرجع السابق، و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستحلاف، ج 2، ص 424.

मस्अला 6 - बिला इख़्तियार भर मुंह कै हुई तो बिना कर सकता है और क़स्दन की तो बिना नहीं कर सकता, नमाज़ में सो गया और हृदस वाक़ेअ हुवा और देर के बाद बेदार हुवा तो बिना कर सकता है और बेदारी में तवक्कुफ़ किया, नमाज़ फ़ासिद हो गई, छींक या खांसी से हवा ख़ारिज हो गई या क़तरा आ गया तो बिना नहीं कर सकता।⁽¹⁾ (عالمگیری وغیره)

मस्अला 7 - किसी ने उस के बदन पर नजासत डाल दी या किसी तरह उस का बदन या कपड़ा एक दिरम से ज़ियादा नजिस हो गया तो उसे पाक करने के बाद बिना नहीं कर सकता और अगर इसी हृदस के सबब नजिस हुवा तो बिना कर सकता है और अगर ख़ारिज व हृदस दोनों से है तो बिना नहीं हो सकती।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्अला 8 - कपड़ा नापाक हो गया, दूसरा पाक कपड़ा मौजूद है कि फ़ौरन बदल सकता है तो अगर फ़ौरन बदल लिया हो गई और दूसरा कपड़ा नहीं कि बदले या इसी हालत में एक रुकन अदा किया या वक्फ़ा किया, नमाज़ फ़ासिद हो गई।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस्अला 9 - रुकूअ या सज्दे में हृदस हुवा और ब निय्यते अदाए रुकन सर उठाया यानी रुकूअ से سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ और सज्दे से اَللّٰهُ اَكْبَر कहते हुए उठा, या वुजू के लिये जाने या वापसी में क़िराअत की, नमाज़ फ़ासिद हो गई, बिना नहीं कर सकता, سُبْحَانَ اللَّهِ या لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ कहा तो बिना में हरज नहीं।⁽⁴⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

मस्अला 10 - हृदसे समावी के बाद क़स्दन हृदस किया तो अब बिना नहीं हो सकती।⁽⁵⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

मस्अला 11 - हृदस हुवा और ब क़दरे वुजू पानी मौजूद है, उसे छोड़ कर दूर जगह गया बिना नहीं कर सकता यूंही बादे हृदस कलाम किया या खाया या पिया तो बिना नहीं हो सकती।⁽⁶⁾ (ردالمحتار، عالمگیری)

मस्अला 12 - वुजू के लिये कूएं से पानी भरना पड़ा तो बिना हो सकती है और बिगैर ज़रूरत हो तो नहीं।⁽⁷⁾ (عالمگیری)

मस्अला 13 - वुजू करने में सत्र खुल गया या ब ज़रूरत सत्र खोला, मसलन औरत ने वुजू के लिये कलाई खोली तो नमाज़ फ़ासिद न होगी और बिला ज़रूरत सत्र खोला तो नमाज़ फ़ासिद हो गई, मसलन औरत ने वुजू के लिये एक साथ दोनों कलाईयां खोल दीं तो नमाज़ गई।⁽⁸⁾ (عالمگیری)

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج ١، ص ٩٣ - ٩٤، وغيره.

② المرجع السابق، ص ٩٥. ③ المرجع السابق. ④ المرجع السابق، ص ٩٤.

⑤ المرجع السابق، ص ٩٣. و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج ٢، ص ٤٢٣.

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج ١، ص ٩٤.

⑦ المرجع السابق. ⑧ المرجع السابق.

मस्अला 14 कूवां नज़्दीक है, मगर पानी भरना पड़ेगा और रखा हुआ पानी दूर है तो अगर पानी भर कर वुजू किया तो सिरे से पढ़े।⁽¹⁾ (عائِی)

मस्अला 15 नमाज़ में हृदस हुआ और उस का घर हौज़ की ब निस्बत करीब है और घर में पानी मौजूद है, मगर हौज़ पर वुजू के लिये गया और अगर हौज़ व मकान में दो सफ़ से कम फ़ासिला हो तो नमाज़ फ़ासिद न हुई और ज़ियादा फ़ासिला हो तो फ़ासिद हो गई और अगर घर में पानी होना याद न रहा और इस की आदत भी हौज़ से वुजू की है तो बिना कर सकता है।⁽²⁾ (عائِی)

मस्अला 16 हृदस के बाद वुजू के लिये घर गया, दरवाज़ा बन्द पाया उसे खोला और वुजू किया, अगर चोर का खौफ़ हो तो वापसी में बन्द कर दे, वरना खुला छोड़ दे।⁽³⁾ (عائِی)

मस्अला 17 वुजू करने में सुननो मुस्तहब्बात के साथ वुजू करे, अलबत्ता अगर तीन तीन बार की जगह चार चार बार धोया तो सिरे से पढ़े।⁽⁴⁾ (عائِی)

मस्अला 18 हौज़ में जो जगह ज़ियादा नज़्दीक हो वहां वुजू करे, बिला उज़्र उसे छोड़ कर दूसरी जगह दो सफ़ से ज़ाइद हटा नमाज़ फ़ासिद हो गई और वहां भीड़ थी तो फ़ासिद न हुई।⁽⁵⁾ (عائِی)

मस्अला 19 अगर वुजू में मस्ह भूल गया तो जब तक नमाज़ में खड़ा न हुआ जा कर मस्ह कर आए और नमाज़ में खड़े होने के बाद याद आया तो सिरे से पढ़े। और अगर वहां कपड़ा भूल आया था और जा कर उठा लिया तो सिरे से पढ़े।⁽⁶⁾ (عائِی)

मस्अला 20 मस्जिद में पानी है, उस से वुजू कर के एक हाथ से बरतन नमाज़ की जगह उठा लाया तो बिना कर सकता है, दोनों हाथ से उठाया तो नहीं। यूंही बरतन से लोटे में पानी ले कर एक हाथ से उठाया तो बिना कर सकता है, दोनों हाथ से उठाया तो नहीं।⁽⁷⁾ (عائِی)

मस्अला 21 मोज़े पर मस्ह किया था, नमाज़ में हृदस हुआ, वुजू के लिये गया, अस्नाए वुजू में मस्ह की मुहत्त ख़त्म हो गई या तयम्मूम से नमाज़ पढ़ रहा था और हृदस हुआ और पानी पाया या पट्टी पर मस्ह किया था, हृदस के बाद ज़ख़्म अच्छा हो कर पट्टी

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج 1، ص 94.

2..... المرجع السابق، ص 94-95. 3..... المرجع السابق، ص 95. 4..... المرجع السابق، ص 94.

5..... المرجع السابق، ص 95. 6..... المرجع السابق. 7..... المرجع السابق.

(عالمگیری وغیره) (1) खुल गई तो इन सब सूरतों में बिना नहीं कर सकता।

मस्अला 22 - बे वुजू हो जाने का गुमान कर के मस्जिद से निकल गया, अब मालूम हुआ कि वुजू न गया था तो सिरे से पढ़े और मस्जिद से बाहर न हुआ था तो मा बकी (2) पढ़ ले। (3) औरत को ऐसा गुमान हुआ तो मुसल्ले से हटते ही नमाज़ फ़ासिद हो गई। (4) (عالمگیری)

मस्अला 23 - अगर येह गुमान हुआ कि बे वुजू शुरू ही की थी या मोजे पर मस्ह किया था और गुमान हुआ कि मुद्त ख़त्म हो गई या साहिबे तरतीब जोहर की नमाज़ में था और गुमान हुआ कि फ़ज्र की नहीं पढ़ी या तयम्मूम किया था और सराब (5) पर नज़र पड़ी और उसे पानी गुमान किया, या कपड़े पर रंग देखा और उसे नजासत गुमान किया, इन सब सूरतों में नमाज़ छोड़ने के ख़याल से हटा ही था कि मालूम हुआ गुमान ग़लत है तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। (6) (عالمگیری)

मस्अला 24 - रुकूअ या सज्दे में हृदस हुआ, अगर अदा के इरादे से सर उठाया, नमाज़ बातिल हो गई, उस पर बिना नहीं कर सकता। (7) (دری)

खलीफा करने का बयान

मस्अला 1 - नमाज़ में इमाम को हृदस हुआ तो इन शराइत के साथ जो ऊपर मज़कूर हुई, दूसरे को खलीफा कर सकता है (इस को इस्तिख़्लाफ़ कहते हैं) अगरचे वोह नमाज़ नमाज़े जनाज़ा हो। (8) (دری)

मस्अला 2 - जिस मौकए पर बिना जाइज़ है वहां इस्तिख़्लाफ़ सहीह है और जहां बिना सहीह नहीं इस्तिख़्लाफ़ भी सहीह नहीं। (9) (عالمگیری)

मस्अला 3 - जो शख्स इस मोहदिस का इमाम हो सकता है वोह खलीफा भी हो सकता है और जो इमाम नहीं बन सकता वोह खलीफा भी नहीं हो सकता। (10) (عالمگیری)

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، ج 1، ص 90.

2..... "الهداية"، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة، ج 1، ص 60. 3..... यानी जो बक़िया नमाज़ रह गई हो।

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج 1، ص 97.

5..... यानी रेतीली ज़मीन की वोह चमक जिस पर चांद सूरज की चमक से पानी का धोका होता है।

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج 1، ص 97.

7..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج 2، ص 443. 8..... المرجع السابق، ص 420.

9..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج 1، ص 90.

10..... المرجع السابق.

मस्अला 4 जब इमाम को हृदस हो जाए तो नाक बन्द कर के (कि लोग नक्सीर गुमान करें) पीठ झुका कर पीछे हटे और इशारे से किसी को खलीफा बनाए, खलीफा बनाने में बात न करे।⁽¹⁾ (रुअल्लर, रदाल्क़ीर)

मस्अला 5 मैदान में नमाज़ हो रही है तो जब तक सफ़ों से बाहर न गया, खलीफा बना सकता है और मस्जिद में है तो जब तक मस्जिद से बाहर न हो, इस्तिख़्लाफ़ हो सकता है।⁽²⁾ (रदाल्क़ीर)

मस्अला 6 मस्जिद के बाहर तक बराबर सफ़ें हैं, इमाम ने मस्जिद में से किसी को खलीफा न बनाया, बल्कि बाहर वाले को खलीफा बनाया येह इस्तिख़्लाफ़ सहीह न हुवा क़ौम और इमाम सब की नमाज़ें गईं। और आगे बढ़ गया तो उस वक़्त तक खलीफा बना सकता है कि सुतरा या मौज़ए सुजूद से मुतजाविज़ न हुवा हो।⁽³⁾ (रुअल्लर, रदाल्क़ीर)

मस्अला 7 मकान और छोटी ईदगाह मस्जिद के हुक्म में हैं, बड़ी मस्जिद और बड़ा मकान और बड़ी ईदगाह मैदान के हुक्म में हैं।⁽⁴⁾ (रुअल्लर)

मस्अला 8 इमाम ने किसी को खलीफा न किया बल्कि क़ौम ने बना दिया, या खुद ही इमाम की जगह पर निय्यते इमामत कर के खड़ा हो गया तो येह खलीफा इमाम हो गया और महज़ इमाम की जगह पर चले जाने से इमाम न होगा जब तक निय्यते इमामत न करे।⁽⁵⁾ (रुअल्लर)

मस्अला 9 मस्जिद व मैदान में खलीफा बनाने के लिये जो हृद मुकर्रर की गई है, उस से अभी मुतजाविज़ न हुवा न खुद कोई खलीफा बना, न जमाअत ने किसी को बनाया तो इमाम की इमामत काइम है, यहां तक कि इस वक़्त भी अगर उस की इक्तिदा कोई शख्स कर ले तो हो सकती है।⁽⁶⁾ (रुअल्लर)

मस्अला 10 इमाम हो हृदस हुवा, पिछली सफ़ में से किसी को खलीफा कर के मस्जिद से बाहर हो गया, अगर खलीफा ने फ़ौरन ही इमामत की निय्यत कर ली तो जितने मुक्त्तदी इस खलीफा से आगे हैं, सब की नमाज़ें फ़ासिद हो गईं। उस सफ़ में जो दाहने बाएं हैं या उस सफ़ से पीछे उन की और इमामे अव्वल की फ़ासिद न हुई और अगर खलीफा ने येह निय्यत की, कि इमाम की जगह पहुंच कर इमाम हो जाऊंगा और इमाम की जगह पर पहुंचने से

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج 1، ص 90.

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج 2، ص 425.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج 1، ص 90.

3..... المرجع السابق، و "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج 2، ص 425.

4..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج 2، ص 426. 5..... المرجع السابق. 6..... المرجع السابق.

पहले इमाम बाहर हो गया तो सब की नमाज़ें फ़ासिद हो गईं।⁽¹⁾ (عالمگیری، رد المحتار)

मसआला 11 — इमाम के लिये औला येह है कि मस्बूक को खलीफ़ा न बनाए, बल्कि किसी और को और जो मस्बूक ही को खलीफ़ा बनाए तो उसे चाहिये कि कबूल न करे और कबूल कर लिया तो हो गया।⁽²⁾ (عالمگیری)

मसआला 12 — मस्बूक को खलीफ़ा बना ही दिया तो जहां से इमाम ने ख़तम किया है, मस्बूक वहीं से शुरूअ करे, रहा येह कि मस्बूक को क्या मालूम कि क्या बाकी है, लिहाज़ा इमाम उसे इशारे से बता दे, मसलन एक रकअत बाकी है तो एक उंगली से इशारा करे दो हों तो दो से, रुकूअ करना हो तो घुटने पर हाथ रख दे, सज्दे के लिये पेशानी पर, क़िराअत के लिये मुंह पर, सज्दए तिलावत के लिये पेशानी व ज़बान पर, सज्दए सहव के लिये सीने पर रखे और अगर उस मस्बूक को मालूम हो तो इशारे की कुछ हाज़त नहीं।⁽³⁾ (درمختار، عالمگیری)

मसआला 13 — चार रकअत वाली नमाज़ में एक शख्स ने इक़तिदा की, फिर इमाम को हदस हुआ और इसे खलीफ़ा किया और इसे मालूम नहीं कि इमाम ने कितनी पढ़ी है और क्या बाकी है तो येह चार रकअत पढ़े और हर रकअत पर कादा करे।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

मसआला 14 — मस्बूक को खलीफ़ा किया तो इमाम की नमाज़ पूरी करने के बाद सलाम फेरने के लिये किसी मुदरिफ़ को मुक़दम कर दे, कि वोह सलाम फेरे।⁽⁵⁾ (عالمگیری وغیره)

मसआला 15 — चार या तीन रकअत वाली में उस मस्बूक को खलीफ़ा किया, जिस को दो रकअतें न मिली थीं तो उस खलीफ़ा पर दो कादे फ़र्ज़ हैं, एक इमाम का कादए अख़ीरा और एक उस का खुद और अगर इमाम ने इशारा कर दिया कि पहली रकअतों में क़िराअत न की थी, चार रकअत वाली नमाज़ में, चारों में उस पर क़िराअत फ़र्ज़ है।⁽⁶⁾ (درمختار، عالمگیری)

मसआला 16 — मस्बूक ने इमाम की नमाज़ पूरी करने के बाद कहकहा लगाया, या क़स्दन हदस किया, या कलाम किया, या मस्जिद से बाहर हो गया तो खुद उस की नमाज़ जाती रही और क़ौम की हो गई। रहा इमामे अव्वल, वोह अगर अरकाने नमाज़ से फ़ारिग़ हो गया है तो

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج ١، ص ٩٦. و "رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج ٢، ص ٤٢٧.

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج ١، ص ٩٦.

③ المرجع السابق، و "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج ٢، ص ٤٢٥.

④ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج ١، ص ٩٦.

⑤ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج ١، ص ٩٦، وغیره.

⑥ "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، المسائل الاثنا عشرية، ج ٢، ص ٤٤١.

उस की भी हो गई, वरना गई।⁽¹⁾ (عالمگیری)

मसआला 17 लाहिफ़ को खलीफ़ा बनाया तो उसे हुक्म है कि जमाअत की तरफ़ इशारा करे कि अपने हाल पर सब लोग रहें, यहां तक कि जो उस के ज़िम्मे है, उसे पूरा कर के नमाज़े इमाम की तकमील करे और अगर पहले इमाम की नमाज़ पूरी कर दी तो जब सलाम का मौक़अ आए किसी को सलाम फेरने के लिये खलीफ़ा बनाए और खुद अपनी पूरी करे।⁽²⁾ (عالمگیری)

मसआला 18 इमाम ने एक को खलीफ़ा बनाया और उस खलीफ़ा ने दूसरे को खलीफ़ा कर दिया तो अगर इमाम के मस्जिद से बाहर होने और खलीफ़ा के इमाम की जगह पर पहुंचने से पहले येह हुवा तो जाइज़ है, वरना नहीं।⁽³⁾ (عالمگیری)

मसआला 19 तन्हा नमाज़ पढ़ रहा था, हदस वाक़अ हुवा और अभी मस्जिद से बाहर न हुवा कि किसी ने उस की इक्तीदा की तो येह मुक्तीदी खलीफ़ा हो गया।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

मसआला 20 मुसाफ़िरों ने मुसाफ़िर की इक्तीदा की और इमाम को हदस हुवा, उस ने मुक़ीम को खलीफ़ा किया, मुसाफ़िरों पर चार रकअतें पूरी करना लाज़िम नहीं। और खलीफ़ा को चाहिये कि किसी मुसाफ़िर को मुक़द्दम कर दे कि वोह सलाम फेरे और अगर मुक्तीदियों में और भी मुक़ीम थे तो वोह तन्हा तन्हा दो दो रकअत बिला क़िराअत पढ़ें, अब अगर उस खलीफ़ा की इक्तीदा करेंगे तो इन सब की नमाज़ बातिल हो गई।⁽⁵⁾ (روايات)

मसआला 21 इमाम को जुनून हो गया या बेहोशी तारी हुई या क़हक़हा लगाया या कोई मूजिबे गुस्ल पाया गया, मसलन सो गया और एहतिलाम हुवा, या तफ़क्कुर करने या शहवत के साथ नज़र करने या छूने से मनी निकली तो इन सब सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो गई, सिरे से पढ़े।⁽⁶⁾ (روايات)

मसआला 22 अगर शिद्दत से पाख़ाना पेशाब मालूम हुवा कि नमाज़ पूरी नहीं कर सकता तो इस्तिख़्लाफ़ जाइज़ नहीं। यूंही अगर पेट में दर्दे शदीद हुवा कि खड़ा नहीं रह सकता तो बैठ कर पढ़े, इस्तिख़्लाफ़ जाइज़ नहीं।⁽⁷⁾ (روايات، روايات)

मसआला 23 अगर शर्म या रोब की वजह से क़िराअत से अज़िज़ है तो इस्तिख़्लाफ़

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، فصل في الاستخلاف، ج ١، ص ٩٦.

② المرجع السابق. ③ المرجع السابق. ④ المرجع السابق، ص ٩٦-٩٧.

⑤ "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، المسائل الاثنا عشرية، ج ٢، ص ٤٤١.

⑥ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج ٢، ص ٤٢٩.

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج ٢، ص ٤٣٠.

जाइज़ है और बिल्कुल निस्नान हो गया तो ना जाइज़।⁽¹⁾ (روى)

मस्अला 24 इमाम को हदस हुवा और किसी को खलीफ़ा बनाया और खलीफ़ा ने अभी नमाज़ पूरी नहीं की है कि इमाम वुज़ू से फ़ारिग़ हो गया तो उस पर वाजिब है कि वापस आए, यानी इतना करीब हो जाए कि इक़्तिदा हो सके। और खलीफ़ा पूरी कर चुका है तो उसे इख़्तियार है कि वहीं पूरी करे या मौज़ए इक़्तिदा में आए। यूँही मुन्फ़रिद को इख़्तियार है और मुक़््तदी को हदस हुवा तो वाजिब है कि वापस आए।⁽²⁾ (روى)

मस्अला 25 नमाज़ में इमाम का इन्तिक़ाल हो गया, अगर्चे कादए अख़ीरा में तो मुक़््तदियों की नमाज़ बातिल हो गई, सिरे से पढ़ना ज़रूरी है।⁽³⁾ (روى)

नमाज़ फ़सिद करने वाली चीज़ों का बयान

हदीस 1 सहीह मुस्लिम में मुअविआ बिन अल हक़म رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी, हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “नमाज़ में आदमियों का कोई कलाम दुरुस्त नहीं वोह तो नहीं मगर तस्बीहो तक्बीर व क़िराअते कुरआन।”⁽⁴⁾

हदीस 2 सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में है : अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) नमाज़ में होते और हम हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) को सलाम किया करते और हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) जवाब देते, जब नजाशी के यहां से हम वापस हुए, सलाम अर्ज़ किया, जवाब न दिया। अर्ज़ की : या रसूलल्लाह (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ! हम सलाम करते थे और हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) जवाब देते थे (अब क्या बात है कि जवाब न मिला ?) फ़रमाया : “नमाज़ में मशग़ूली है।”⁽⁵⁾

और अबू दावूद की रिवायत में है फ़रमाया कि : “अल्लाह عَزَّوَجَلَّ अपना हुक्म जो चाहता है, ज़ाहिर फ़रमाता है और जो ज़ाहिर फ़रमाया है, उस में से येह है कि नमाज़ में कलाम न करो, इस के बाद सलाम का जवाब दिया” और फ़रमाया : “नमाज़ क़िराअते कुरआन और ज़िक़रे खुदा के लिये है तो जब तुम नमाज़ में हो तो तुम्हारी येही शान होनी चाहिये।”⁽⁶⁾

1..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج 2، ص 429.

2..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب الاستخلاف، ج 2، ص 433. 3..... “ردالمحتار”

4..... “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب تحريم الكلام في الصلاة... إلخ، الحديث: 537، ص 272.

5..... “صحيح البخاري”، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة الحبشة، الحديث: 3875، ج 2، ص 581.

6..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة، الحديث: 924، ج 1، ص 348.

हदीस 3 — इमाम अहमद व अबू दावूद व तिरमिज़ी व नसाई अबू हुरैरा رضي الله تعالى عنه से रावी कि हुजूर (صلى الله تعالى عليه وسلم) फ़रमाते हैं : “दो सियाह चीज़ें, सांप और बिच्छू को नमाज़ में क़त्ल करो।”⁽¹⁾

अहकामे फ़िक्हिय्या

अहकामे फ़िक्हिय्या : कलाम मुफ़्फ़िदे नमाज़ है, अमदन हो या ख़ताअन या सहवन, सोते में हो या बेदारी में, अपनी खुशी से कलाम किया या किसी ने कलाम करने पर मजबूर किया या उस को येह मालूम न था कि कलाम करने से नमाज़ जाती रहती है। ख़ता के माना येह हैं कि क़िराअत वग़ैरा अज़्कारे नमाज़ कहना चाहता था, ग़लती से ज़बान से कोई बात निकल गई और सहव के येह माना हैं कि उसे अपना नमाज़ में होना याद न रहा।⁽²⁾ (दरम्यार)

मस़ाला 1 — कलाम में क़लील व कसीर का फ़र्क नहीं और येह भी फ़र्क नहीं कि वोह कलाम इस्लाहे नमाज़ के लिये हो या नहीं, मसलन इमाम को बैठना था खड़ा हो गया, मुक़्तदी ने बताने को कहा : “बैठ जा” या “हूँ” कहा, नमाज़ जाती रही।⁽³⁾ (दरम्यार, माग़िरी)

मस़ाला 2 — क़स्दन कलाम से उसी वक़्त नमाज़ फ़ासिद होगी जब ब क़दरे तशहहुद न बैठ चुका हो और बैठ चुका है तो नमाज़ पूरी हो गई, अलबत्ता मक्रूहे तहरीमी हुई।⁽⁴⁾ (दरम्यार)

मस़ाला 3 — कलाम वोही मुफ़्फ़िद है, जिस में इतनी आवाज़ हो कि कम अज़ कम वोह खुद सुन सके, अगर कोई मानेअ न हो। और अगर इतनी आवाज़ भी न हो बल्कि सिर्फ़ तस्हीहे हुरूफ़ हो तो नमाज़ फ़ासिद न होगी।⁽⁵⁾ (माग़िरी)

मस़ाला 4 — नमाज़ पूरी होने से पहले भूल कर सलाम फेर दिया तो हरज नहीं और क़स्दन फेरा तो नमाज़ जाती रही।⁽⁶⁾ (दरम्यार, ग़िरे)

मस़ाला 5 — किसी शख्स को सलाम किया, अमदन हो या सहवन, नमाज़ फ़ासिद हो गई, अगरचे भूल कर “अस्सलाम” कहा था कि याद आया सलाम करना न चाहिये और सुकूत किया।⁽⁷⁾ (माग़िरी)

1..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، الحديث: 921، ج 1، ص 348.

2..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 445-447.

3..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج 1، ص 98.

4..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 446.

5..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج 1، ص 98.

6..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج 2، ص 449. وغيره

7..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج 1، ص 98.

मस्अला 6 - मस्बूक ने येह ख़याल कर के कि इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिये सलाम फेर दिया, नमाज़ फ़ासिद हो गई।⁽¹⁾ (عالمگیری)

मस्अला 7 - इशा की नमाज़ में येह ख़याल कर के कि तरावीह है, दो रकअत पर सलाम फेर दिया या जोहर को जुमुआ तसव्वुर कर के दो रकअत पर सलाम फेरा या मुक़ीम ने अपने को मुसाफ़िर ख़याल कर के दो रकअत पर सलाम फेरा, नमाज़ फ़ासिद हो गई, इस पर बिना भी जाइज़ नहीं।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्अला 8 - दूसरी रकअत को चौथी समझ कर सलाम फेर दिया, फिर याद आया तो नमाज़ पूरी कर के सज्दए सहव कर ले।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस्अला 9 - ज़बान से सलाम का जवाब देना भी नमाज़ को फ़ासिद करता है और हाथ के इशारे से दिया तो मक्रूह हुई, सलाम की निय्यत से मुसाफ़हा करना भी नमाज़ को फ़ासिद कर देता है।⁽⁴⁾ (درمختار، عالمگیری)

मस्अला 10 - मुसल्ली से कोई चीज़ मांगी या कोई बात पूछी, उस ने सर या हाथ से “हां” या “नहीं” का इशारा किया, नमाज़ फ़ासिद न हुई अलबत्ता मक्रूह हुई।⁽⁵⁾ (عالمگیری)

मस्अला 11 - किसी को छींक आई उस के जवाब में नमाज़ी ने **يَرْحَمُكَ اللَّهُ** कहा, नमाज़ फ़ासिद हो गई और खुद इसी को छींक आई और अपने को मुखातब कर के **يَرْحَمُكَ اللَّهُ** कहा तो नमाज़ फ़ासिद न हुई और किसी और को छींक आई इस मुसल्ली ने **الْحَمْدُ لِلَّهِ** कहा, नमाज़ न गई और जवाब की निय्यत से कहा तो जाती रही।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

मस्अला 12 - नमाज़ में छींक आई किसी दूसरे ने **يَرْحَمُكَ اللَّهُ** कहा और इस ने जवाब में कहा आमीन, नमाज़ फ़ासिद हो गई।⁽⁷⁾

मस्अला 13 - नमाज़ में छींक आए तो सुकूत करे और **الْحَمْدُ لِلَّهِ** कह लिया तो भी नमाज़ में हरज नहीं और अगर उस वक़्त हम्द न की तो फ़ारिग़ हो कर कहे।⁽⁸⁾ (عالمگیری)

मस्अला 14 - खुशी की ख़बर सुन कर जवाब में **الْحَمْدُ لِلَّهِ** कहा, नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर जवाब की निय्यत से न कहा बल्कि येह ज़ाहिर करने के लिये कि नमाज़ में है तो फ़ासिद न हुई, यूंही कोई चीज़ तअज्जुब खेज़ देख कर ब क़स्दे जवाब **اللَّهُمَّ سُبْحَانَكَ** या **سُبْحَانَكَ اللَّهُ**

①..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ٩٨.

②..... المرجع السابق.

③..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ٩٨.

④..... المرجع السابق، و “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٥٠.

⑤..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ٩٨.

⑥..... المرجع السابق. ⑦..... المرجع السابق. ⑧..... المرجع السابق.

(عالمگیری) (1) या الله أكبر कहा, नमाज़ फ़ासिद हो गई, वरना नहीं।

मस्अला 15

किसी ने आने की इजाज़त चाही उस ने येह ज़ाहिर करने को कि नमाज़ में है, जोर से الحمد لله या الله أكبر या سبحان الله पढ़ा, नमाज़ फ़ासिद न हुई (غیر) (2)।

मस्अला 16

बुरी ख़बर सुन कर انا لله وانا اليه راجعون कहा, या अल्फ़ाज़े कुरआन से किसी को जवाब दिया, नमाज़ फ़ासिद हो गई, मसलन किसी ने पूछा : क्या खुदा के सिवा दूसरा खुदा है ? उस ने जवाब दिया لا اله الا الله, या पूछा : तेरे क्या क्या माल हैं ? उस ने जवाब में कहा : ﴿وَبُيُوتُ مَعْطَلَةٌ وَتَصْرُ مَشْيِي﴾ (4) या पूछा : कहां से आए ? कहा : ﴿وَالْحَيْلُ وَالْبَعَالُ وَالْحَوِيرُ﴾ (3)। यूंही अगर किसी को अल्फ़ाज़े कुरआन से मुखातब किया : मसलन उस का नाम यहुया है, उस से कहा : ﴿وَمَا تِلْكَ بِبَيْتِكَ يُؤَسَى﴾ (6) : मूसा नाम है, उस से कहा : ﴿يَبْجِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ (5) : नमाज़ फ़ासिद हो गई (درمقار) (7)।

मस्अला 17

الله تعالى عليه وسلم का नाम मुबारक सुन कर جَلَّ جَلَالُهُ कहा, या नबी صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ का इस्मे मुबारक सुन कर दुरूद पढ़ा, या इमाम की क़िराअत सुन कर صَدَقَ اللهُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ कहा तो इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रही, जब कि ब क़स्दे जवाब कहा हो और अगर जवाब में न कहा तो हरज नहीं। यूंही अगर अज़ान का जवाब दिया, नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी (درمقار, رواه البخاری) (8)।

मस्अला 18

शैतान का ज़िक्र सुन कर उस पर लानत भेजी नमाज़ जाती रही, दफ़्ए वस्वसा के लिये لا حول पढ़ी, अगर उमूरे दुन्या के लिये है, नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी और उमूरे आख़िरत के लिये तो नहीं (درمقار) (9)।

मस्अला 19

चांद देख कर رَبِّیْ وَرَبُّكَ اللهُ कहा, या बुख़ार वगैरा की वजह से कुछ कुरआन पढ़ कर दम किया, नमाज़ फ़ासिद हो गई। बीमार ने उठते बैठते तकलीफ़ और दर्द पर बिस्मिल्लाह कही तो नमाज़ फ़ासिद न हुई (عالمگیری) (10)।

मस्अला 20

कोई इबारत ब वज़्ने शेर कि कुरआने मजीद में ब तरतीब पाई जाती है, ब निय्यते शेर पढ़ी नमाज़ फ़ासिद हो गई, जैसे ﴿وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا﴾ (11) और अगर

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ٩٩.

2..... "غنية المتعلمي"، كتاب الصلاة، مفسدات الصلاة، ص ٤٤٩. 3..... پ ١٤٤، النحل: ٨. 4..... پ ١٧، الحج: ٤٥.

5..... پ ١٦، مريم: ١٢. 6..... پ ١٦، طه: ١٧.

7..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج ٢، ص ٤٥٨.

8..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج ٢، ص ٤٦٠.

9..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج ٢، ص ٤٦٠.

10..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة... إلخ، الفصل الأول، ج ١، ص ٩٩.

11..... پ ٢٩، المرسلت: ١-٢.

नमाज़ में शेर मौजूं किया, मगर ज़बान से कुछ न कहा तो अगर्चे नमाज़ फ़ासिद न हुई, मगर गुनहगार हुआ।⁽¹⁾ (हाकिमी)

मस़ाला 21 — नमाज़ में ज़बान पर “नअम” या “अरे” या “हां” जारी हो गया, अगर येह लफ़ज़ कहने का आदी है, फ़ासिद हो गई वरना नहीं।⁽²⁾ (दरमिअरु ग़ैर)

मस़ाला 22 — मुसल्ली ने अपने इमाम के सिवा दूसरे को लुक़्मा दिया तो नमाज़ जाती रही, जिस को लुक़्मा दिया है वोह नमाज़ में हो या न हो, मुक्तादी हो या मुन्फ़रिद या किसी और का इमाम।⁽³⁾ (दरमिअरु ग़ैर)

मस़ाला 23 — अगर लुक़्मा देने की निय्यत से नहीं पढ़ा, बल्कि तिलावत की निय्यत से तो हरज नहीं।⁽⁴⁾ (दरमिअरु)

मस़ाला 24 — अपने मुक्तादी के सिवा दूसरे का लुक़्मा लेना भी मुफ़्सिदे नमाज़ है, अलबत्ता अगर उस के बताते वक्ता इसे खुद याद आ गया उस के बताने से नहीं, यानी अगर वोह न बताता जब भी इसे याद आ जाता, उस के बताने को कुछ दख़ल नहीं तो इस का पढ़ना मुफ़्सिद नहीं।⁽⁵⁾ (दरमिअरु रदालिअर)

मस़ाला 25 — अपने इमाम को लुक़्मा देना और इमाम का लुक़्मा लेना मुफ़्सिद नहीं, हां अगर मुक्तादी ने दूसरे से सुन कर जो नमाज़ में उस का शरीक नहीं है लुक़्मा दिया और इमाम ने ले लिया तो सब की नमाज़ गई और इमाम ने न लिया तो सिर्फ़ उस मुक्तादी की गई।⁽⁶⁾ (दरमिअरु)

मस़ाला 26 — लुक़्मा देने वाला क़िराअत की निय्यत न करे, बल्कि लुक़्मा देने की निय्यत से वोह अल्फ़ाज़ कहे।⁽⁷⁾ (हाकिमी ग़ैर)

मस़ाला 27 — फ़ौरन ही लुक़्मा देना मक्रूह है, थोड़ा तवक्कुफ़ चाहिये कि शायद इमाम खुद निकाल ले, मगर जब कि उस की आदत उसे मालूम हो कि रुकता है तो बाज़ ऐसे हुरूफ़ निकलते हैं जिन से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है तो फ़ौरन बताए। यूंही इमाम को मक्रूह है कि मुक्तादियों को लुक़्मा देने पर मजबूर करे, बल्कि किसी दूसरी सूरत की तरफ़ मुन्ताक़िल हो जाए या दूसरी आयत शुरू कर दे, बशर्ते कि उस का वस्ल मुफ़्सिदे नमाज़ न हो और अगर ब क़दरे हाज़त पढ़ चुका है तो रुकूअ कर दे, मजबूर करने के येह माना हैं कि बार बार पढ़े या साक़ित खड़ा रहे।⁽⁸⁾ (हाकिमी, रदालिअर)

① “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ١٠٠.

② “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٦٢، وغيره.

③ “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج ٢، ص ٤٦١، وغيره.

④ المرجع السابق. ⑤ المرجع السابق. ⑥ المرجع السابق.

⑦ “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج ٢، ص ٤٦١.

⑧ “رد المحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب المواضع التي لا يجب... إلخ، ج ٢، ص ٤٦٢.

و “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ٩٩.

था तो इस्लाहे नमाज़ के लिये उस का इआदा लाज़िम था और याद नहीं आता तो मुक्तादी को आप ही मजबूर करेगा और वोह भी न बता सके तो गई ।

मस्अला 28 — लुक़्मा देने वाले के लिये बालिग़ होना शर्त नहीं, मुराहिक् भी लुक़्मा दे सकता है ।⁽¹⁾ (عالمگیری) बशर्ते कि नमाज़ जानता हो और नमाज़ में हो ।

मस्अला 29 — ऐसी दुआ जिस का सुवाल बन्दे से नहीं किया जा सकता, जाइज़ है : मसलन **اللَّهُمَّ عَافِنِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي** और जिस का सुवाल बन्दों से किया जा सकता है, मुफ़्सिदे नमाज़ है, मसलन **اللَّهُمَّ رَوْحِي** या **اللَّهُمَّ اطْعَمْنِي** ⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्अला 30 — “आह ऊह उफ़ तुफ़” येह अल्फ़ाज़ दर्द या मुसीबत की वजह से निकले या आवाज़ से रोया और हर्फ़ पैदा हुए, इन सब सूरतों में नमाज़ जाती रही और अगर रोने में सिर्फ़ आंसू निकले आवाज़ व हुरूफ़ नहीं निकले तो हरज नहीं ⁽³⁾ (عالمگیری، ردالمحتار)

मस्अला 31 — मरीज़ की ज़बान से बे इख़्तियार “आह ऊह” निकली नमाज़ फ़ासिद न हुई, यूँही छींक खांसी जमाही डकार में जितने हुरूफ़ मजबूरन निकलते हैं, मुआफ़ हैं ⁽⁴⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 32 — जन्नत व दोज़ख़ की याद में अगर येह अल्फ़ाज़ कहे तो नमाज़ फ़ासिद न हुई ⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 33 — इमाम का पढ़ना पसन्द आया इस पर रोने लगा और “अरे”, “नअम”, “हां” ज़बान से निकला कोई हरज नहीं, कि येह खुशूअ के बाइस है और अगर खुश गुलूई के सबब कहा तो नमाज़ जाती रही ⁽⁶⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 34 — फूँकने में अगर आवाज़ पैदा न हो तो वोह मिस्ले सांस के है मुफ़्सिद नहीं, मगर क़स्दन करना मक्रूह है और अगर दो हुरूफ़ पैदा हों, जैसे “उफ़ तुफ़” तो मुफ़्सिद है ⁽⁷⁾ (غیہ)

मस्अला 35 — खन्कारने में जब दो हर्फ़ जाहिर हों, जैसे “अह” मुफ़्सिदे नमाज़ है, जब कि न उज़्र हो न कोई सहीह ग़रज़ । अगर उज़्र से हो, मसलन तबीअत का तकाज़ा हो या किसी सहीह ग़रज़ के लिये, मसलन आवाज़ साफ़ करने के लिये या इमाम से ग़लती हो गई है इस लिये खन्कारता है कि दुरुस्त कर ले या इस लिये खन्कारता है कि दूसरे शख़्स को इस का

① “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ٩٩.

② “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ١٠٠.

③ المرجع السابق، ص ١٠١، و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب: المواضع التي

لا يجب فيها رد السلام، ج ٢، ص ٤٥٥. ④ “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٥٦.

⑤ المرجع السابق. ⑥ المرجع السابق. ⑦ “غنية المتملّي”، كتاب الصلاة، مفسدات الصلاة، ص ٤٥١.

नमाज़ में होना मालूम हो तो इन सूरतों में नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।⁽¹⁾ (درمختار وغيره)

मस्अला 36 - नमाज़ में मुस्हफ़ शरीफ़ से देख कर कुरआन पढ़ना मुत्तलक़न मुफ़्फ़िदे नमाज़ है, यूँही अगर मेहराब वगैरा में लिखा हो उसे देख कर पढ़ना भी मुफ़्फ़िद है, हां अगर याद पर पढ़ता हो मुस्हफ़ या मेहराब पर फ़क़त नज़र है तो हरज नहीं।⁽²⁾ (درمختار, ردالمحتار)

मस्अला 37 - किसी कागज़ पर कुरआने मजीद लिखा हुवा देखा और उसे समझा नमाज़ में नुक़सान न आया, यूँही अगर फ़िक्ह की किताब देखी और समझी नमाज़ फ़ासिद न हुई, ख़्वाह समझने के लिये उसे देखा या नहीं, हां अगर क़स्दन देखा और ब क़स्द समझा तो मक्रूह है और बिना क़स्द हुवा तो मक्रूह भी नहीं।⁽³⁾ (عالمگیری, درمختار) येही हुक्म हर तहरीर का है और जब ग़ैरे दीनी हो तो कराहत ज़ियादा।

मस्अला 38 - सिर्फ़ तौरात या इन्जील को नमाज़ में पढ़ा तो नमाज़ न हुई, कुरआन पढ़ना जानता हो या नहीं।⁽⁴⁾ (عالمگیری) और अगर ब क़दरे हाज़त कुरआन पढ़ लिया और कुछ आयात तौरात व इन्जील की, जिन में ज़िक़रे इलाही है पढ़ीं तो हरज नहीं मगर न चाहिये।

मस्अला 39 - अमले कसीर कि न आमाले नमाज़ से हो न नमाज़ की इस्लाह के लिये किया गया हो, नमाज़ फ़ासिद कर देता है। अमले क़लील मुफ़्फ़िद नहीं, जिस काम के करने वाले को दूर से देख कर उस के नमाज़ में न होने का शक़ न रहे, बल्कि गुमान ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं तो वोह अमले कसीर है और अगर दूर से देखने वाले को शुब्हा व शक़ हो कि नमाज़ में है या नहीं तो अमले क़लील है।⁽⁵⁾ (درمختار وغيره)

मस्अला 40 - कुरता या पाजामा पहना या तहबन्द बांधा, नमाज़ जाती रही।⁽⁶⁾ (غنیة)

मस्अला 41 - नापाक जगह पर बिगैर हाइल के सज्दा किया नमाज़ फ़ासिद हो गई, अगरचें उस सज्दे को पाक जगह पर इआदा करे।⁽⁷⁾ (درمختار) यूँही हाथ या घुटने सज्दे में नापाक जगह पर रखे, नमाज़ फ़ासिद हो गई।⁽⁸⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 42 - सत्र खोले हुए या ब क़दरे मानेअ नजासत के साथ पूरा रुक़न अदा करना,

1..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٥٥، وغيره.

2..... "الدرا المختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج ٢، ص ٤٦٣.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ١٠١.

و "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٧٩.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ١٠١.

5..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٦٤، وغيره.

6..... "غنية المتملّي"، كتاب الصلاة، مفسدات الصلاة، ص ٤٥٢.

7..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٦٦.

8..... "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، و مطلب في التشبه باهل الكتاب، ج ٢، ص ٤٦٦.

या तीन तस्बीह का वक़्त गुज़र जाना, मुफ़्सिदे नमाज़ है। यूँही भीड़ की वजह से इतनी देर तक औरतों की सफ़ में पड़ गया, या इमाम से आगे हो गया, नमाज़ जाती रही।⁽¹⁾ और क़स्दन सत्र खोलना मुत्लक़न मुफ़्सिदे नमाज़ है, अगर्चे मअन⁽²⁾ ढांक ले। इस में वक्फ़ा की भी हाज़त नहीं।

मख़ाला 43 दो कपड़े मिला कर सिये हों उन में अस्तर⁽³⁾ नापाक है और अब्रा⁽⁴⁾ पाक तो अब्रे की तरफ़ भी नमाज़ नहीं हो सकती, जब कि नजासत ब क़दरे मानेअ मवाजेए सुजूद में हो और सिले न हों तो अब्रे पर जाइज़ है, जब कि इतना बारीक न हो कि अस्तर चमक्ता हो।⁽⁵⁾

मख़ाला 44 नजिस ज़मीन पर मिट्टी चूना ख़ूब बिछा दिया, अब उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं और अगर मामूली तरह से ख़ाक छिड़क दी है कि नजासत की बू आती है तो ना जाइज़ है जब कि मवाजेए सुजूद पर नजासत हो।⁽⁶⁾

मख़ाला 45 नमाज़ के अन्दर खाना पीना मुत्लक़न नमाज़ को फ़ासिद कर देता है, क़स्दन हो या भूल कर थोड़ा हो या ज़ियादा, यहां तक कि अगर तिल बिगैर चबाए निगल लिया या कोई क़तरा उस के मुंह में गिरा और उस ने निगल लिया, नमाज़ जाती रही।⁽⁷⁾

(درمختار، ردالمحتار)

मख़ाला 46 दांतों के अन्दर खाने की कोई चीज़ रह गई थी उस को निगल गया, अगर चने से कम है नमाज़ फ़ासिद न हुई, मक्रूह हुई। और चने बराबर है तो फ़ासिद हो गई। दांतों से ख़ून निकला, अगर थूक ग़ालिब है तो निगलने से फ़ासिद न होगी, वरना हो जाएगी।⁽⁸⁾ ग़लबे की अ़लामत येह है कि हल्क़ में ख़ून का मज़ा महसूस हो, नमाज़ और रोज़ा तोड़ने में मजे का एतिबार है और वुजू तोड़ने में रंग का।

1..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٦٧. وغيره

2..... फ़ौरन।

3..... नीचे की तह।

4..... ऊपर की तह।

5..... "الدرا المختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، و مطلب في التشبه باهل الكتاب، ج ٢، ص ٤٦٧.

6..... "منية المصلي"، حكم ما اذا كان تحت قدمي المصلي نجس، ص ١٧٠.

7..... "الدرا المختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب المواضع التي لا يجب... إلخ، ج ٢، ص ٤٦٢.

8..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ١٠٢.

و "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج ٢، ص ٤٦٢.

"काफ़ी" और "फ़तहल क़दीर" की तहकीक़ येह है कि अगर हल्क़ में उस का मज़ा महसूस हो तो मुत्लक़न नमाज़ फ़ासिद हो गई और येही हुक्म रोज़े का है और येह क़ौल बा कुव्वत मालूम होता है और एहतियात ज़रूरी है। 12 मिन्ह

मस्अला 47 - नमाज़ से पेशतर⁽¹⁾ कोई चीज़ मीठी खाई थी उस के अज्ज़ा निगल लिये थे, सिर्फ़ लुआबे दहन में कुछ मिठास का असर रह गया, उस के निगलने से नमाज़ फ़ासिद न होगी। मुंह में शकर वगैरा हो कि घुल कर हल्क़ में पहुंचती है, नमाज़ फ़ासिद हो गई। गोंद मुंह में है अगर चबाया और बाज़ अज्ज़ा हल्क़ से उतर गए, नमाज़ जाती रही।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्अला 48 - सीने को क़िल्ले से फेरना मुफ़सदे नमाज़ है, जब कि कोई उज़्र न हो यानी जब कि इतना फेरे कि सीना खास ज़िहते काबा से पैंतालीस⁽⁴⁵⁾ दरजे हट जाए और अगर उज़्र से हो तो मुफ़सद नहीं, मसलन हृदस का गुमान हुवा और मुंह फेरा ही था कि गुमान की ग़लती ज़ाहिर हुई तो मस्जिद से अगर ख़ारिज न हुवा हो, नमाज़ फ़ासिद न होगी।⁽³⁾ (درمختار و غیره)

मस्अला 49 - क़िल्ले की तरफ़ एक सफ़ की क़दर चला, फिर एक रुक्न की क़दर ठहर गया, फिर चला फिर ठहरा, अगरचें मुतअद्द बार हो जब तक मकान न बदले, नमाज़ फ़ासिद न होगी, मसलन मस्जिद से बाहर हो जाए या मैदान में नमाज़ हो रही थी और येह शख़्स सुफूफ़ से मुतजाविज़ हो गया कि येह दोनों सूरतें मकान बदलने की हैं और इन में नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। यूंही अगर एक दम दो सफ़ की क़दर चला, नमाज़ फ़ासिद हो गई।⁽⁴⁾ (درمختار و ردالمحتار، عالمگیری)

मस्अला 50 - सहरा में अगर उस के आगे सफ़ें न हों बल्कि येह इमाम है और मौज़ए सुजूद से मुतजाविज़ हुवा तो अगर इतना आगे बढ़ा जितना उस के और सब से क़रीब वाली सफ़ के दरमियान फ़ासिला था तो फ़ासिद न हुई और इस से ज़ियादा हटा तो फ़ासिद हो गई और अगर मुन्फ़रिद है तो मौज़ए सुजूद का एतिबार है यानी इतना ही फ़ासिला आगे पीछे दहने बाएं कि इस से ज़ियादा हटने में नमाज़ जाती रहेगी।⁽⁵⁾ (عالمگیری)

मस्अला 51 - किसी को चौपाए ने एक दम ब क़दर तीन क़दम के खींच लिया या धकेल दिया तो नमाज़ फ़ासिद हो गई।⁽⁶⁾ (درمختار)

मस्अला 52 - एक नमाज़ से दूसरी की तरफ़ तक्बीर कह कर मुन्तक़िल हुवा, पहली नमाज़ फ़ासिद हो गई, मसलन ज़ोहर पढ़ रहा था अ़स्र या नफ़ल की निय्यत से अल्लाहु अक्बर कहा ज़ोहर की नमाज़ जाती रही फिर अगर साहिबे तरतीब है और वक़्त में गुन्जाइश

①पहले।

② "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج ١، ص ١٠٢.

③ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج ٢، ص ٤٦٨.

و "الفتاوى الرضوية (الحديثة)"، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج ٦، ص ٧٥، وغيرهما.

④ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في التشبه باهل الكتاب، ج ٢، ص ٤٦٨.

⑤ "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في التشبه باهل الكتاب، ج ٢، ص ٤٦٩.

⑥ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٧٠.

है तो अस् की भी न होगी, बल्कि दोनों सूरतों में नफ़ल है, वरना अस् की निय्यत है तो अस् और नफ़ल की निय्यत है तो नफ़ल। यूँही अगर तन्हा नमाज़ पढ़ता था अब इक्तीदा की निय्यत से अल्लाहु अक्बर कहा या मुक्तीदी था और तन्हा पढ़ने की निय्यत से अल्लाहु अक्बर कहा तो नमाज़ फ़ासिद हो गई। यूँही अगर नमाज़े जनाज़ा पढ़ रहा था और दूसरा जनाज़ा लाया गया दोनों की निय्यत से अल्लाहु अक्बर कहा या दूसरे की निय्यत से तो दूसरे जनाज़े की नमाज़ शुरू हुई और पहले की फ़ासिद हो गई।⁽¹⁾ (रुज़)

मस्अला 53 - औरत नमाज़ पढ़ रही थी, बच्चे ने उस की छाती चूसी अगर दूध निकल आया, नमाज़ जाती रही।⁽²⁾ (रुज़)

मस्अला 54 - औरत नमाज़ में थी, मर्द ने बोसा लिया या शहवत के साथ उस के बदन को हाथ लगाया, नमाज़ जाती रही और मर्द नमाज़ में था और औरत ने ऐसा किया तो नमाज़ फ़ासिद न हुई, जब तक मर्द को शहवत न हो।⁽³⁾ (रुज़, रवाज़)

मस्अला 55 - दाढ़ी या सर में तेल लगाया या कंघा किया या सुरमा लगाया नमाज़ जाती रही, हाँ अगर हाथ में तेल लगा हुआ है उस को सर या बदन में किसी जगह पोंछ दिया तो नमाज़ फ़ासिद न होगी।⁽⁴⁾ (मनिये, ग़निये)

मस्अला 56 - किसी आदमी को नमाज़ पढ़ते में तमांचा या कोड़ा मारा नमाज़ जाती रही और जानवर पर सुवार नमाज़ पढ़ रहा था दो एक बार हाथ या एड़ी से हाँकने में नमाज़ फ़ासिद न होगी, तीन बार पै दर पै करेगा तो जाती रहेगी। एक पाउं से एड़ लगाई अगर पै दर पै तीन बार हो नमाज़ जाती रही वरना नहीं और दोनों पाउं से लगाई तो फ़ासिद हो गई, लेकिन अगर आहिस्ता पाउं हिलाए कि दूसरे को बग़ौर देखने से पता चले तो फ़ासिद न हुई।⁽⁵⁾ (मनिये, ग़निये)

मस्अला 57 - घोड़े को चाबुक से रास्ता बताया और मारा भी, नमाज़ फ़ासिद हो गई, नमाज़ पढ़ते में घोड़े पर सुवार हो गया, नमाज़ जाती रही और सुवारी पर नमाज़ पढ़ रहा था उतर आया, फ़ासिद न हुई।⁽⁶⁾ (मनिये, तामिनी)

मस्अला 58 - तीन कलिमे इस तरह लिखना कि हुरूफ़ ज़ाहिर हों, नमाज़ को फ़ासिद करता है। और अगर हर्फ़ ज़ाहिर न हों : मसलन पानी पर या हवा में लिखा तो अबस है, नमाज़ मक्रूहे तहरीमी हुई।⁽⁷⁾ (ग़निये)

① "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٦٢.

② "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٧٠.

③ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في المشي في الصلاة، ج ٢، ص ٤٧٠.

④ "منية المصلي"، بيان مفسدات الصلاة، ص ٤١٤، و "غنية المتعملي"، مفسدات الصلاة، ص ٤٤٢.

⑤ "منية المصلي"، بيان مفسدات الصلاة، ص ٤١٥، و "غنية المتعملي"، مفسدات الصلاة، ص ٤٤٣.

⑥ "منية المصلي"، المرجع السابق، و "الفتاوى الخانية"، كتاب الصلاة، فصل فيما يفسد الصلاة، ج ١، ص ٦٤.

⑦ "غنية المتعملي"، مفسدات الصلاة، ص ٤٤٤.

मस्अला 59 — नमाज़ पढ़ने वाले को उठा लिया फिर वहीं रख दिया, अगर क़िल्बे से सीना न फिरा, नमाज़ फ़ासिद न हुई और अगर उस को उठा कर सुवारी पर रख दिया, नमाज़ जाती रही।⁽¹⁾ (عالمگیری)

मस्अला 60 — मौत व जुनून व बेहोशी से नमाज़ जाती रहती है, अगर वक़्त में इफ़ाका हुवा तो अदा करे, वरना क़ज़ा बशर्ते कि एक दिन रात से मुतजाविज़ न हो।⁽²⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 61 — क़स्दन वुजू तोड़ा या कोई मूजिबे गुस्ल पाया गया या किसी रुकन को तर्क किया, जब कि उस नमाज़ में उस को अदा न कर लिया हो, या बिना उज़्र शर्त को तर्क किया, या मुक़तदी ने इमाम से पहले रुकन अदा कर लिया और इमाम के साथ या बाद में फिर उस को अदा न किया, यहां तक कि इमाम के साथ सलाम फेर दिया, या मस्बूक ने फ़ौत शुदा रक्अत का सज्दा कर के इमाम के सज्दे सहव में मुताबअत की, या क़ादए अख़ीरा के बाद सज्दे नमाज़ या सज्दे तिलावत याद आया और उस के अदा करने के बाद फिर क़ादा न किया, या किसी रुकन को सोते में अदा किया था उस का इअ़ादा न किया, इन सब सूरतों में नमाज़ फ़ासिद हो गई।⁽³⁾ (درمختار و غیره)

मस्अला 62 — सांप बिच्छू मारने से नमाज़ नहीं जाती जब कि न तीन क़दम चलना पड़े न तीन ज़र्ब की हाज़त हो, वरना जाती रहेगी, मगर मारने की इजाज़त है अगरचें नमाज़ फ़ासिद हो जाए।⁽⁴⁾ (عالمگیری، غنیہ)

मस्अला 63 — सांप बिच्छू को नमाज़ में मारना उस वक़्त मुबाह है कि सामने से गुज़रे और ईज़ा देने का ख़ौफ़ हो और अगर तकलीफ़ पहुंचाने का अन्देशा न हो तो मक्रूह है।⁽⁵⁾ (عالمگیری)

मस्अला 64 — पै दर पै तीन बाल उखेड़े या तीन जूएं मारीं या एक ही जूं को तीन बार में मारा नमाज़ जाती रही और पै दर पै न हो तो नमाज़ फ़ासिद न होगी मगर मक्रूह है।⁽⁶⁾ (عالمگیری، غنیہ)

मस्अला 65 — मोज़ा कुशादा है उसे उतारने से नमाज़ फ़ासिद न होगी और मोज़ा पहनने से नमाज़ जाती रहेगी।⁽⁷⁾ (عالمگیری)

①..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، النوع الثاني، ج ١، ص ١٠٣.

②..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في المشي في الصلاة، ج ٢، ص ٤٧٢.

③..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٧٢. وغيره

④..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، النوع الثاني، ج ١، ص ١٠٣.

⑤..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، النوع الثاني، ج ١، ص ١٠٣.

⑥..... المرجع السابق، و "غنية المتعملي"، مفسدات الصلاة، ص ٤٤٨.

⑦..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، النوع الثاني، ج ١، ص ١٠٣.

मस्अला 66 - घोड़े के मुंह में लगाम दी या उस पर काठी कसी या काठी उतार दी नमाज़ जाती रही।⁽¹⁾ (عالمگیری)

मस्अला 67 - एक रुकन में तीन बार खुजाने से नमाज़ जाती रहती है, यानी यूं कि खुजा कर हाथ हटा लिया फिर खुजाया फिर हाथ हटा लिया وَ عَلَى هَذَا और अगर एक बार हाथ रख कर चन्द मरतबा हरकत दी तो एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा।⁽²⁾ (عالمگیری، غنیہ)

मस्अला 68 - तक्बीराते इन्तिक़ाल में اَللّٰهُ (अल्लाह) या اَكْبَر (अकबर) के को दराज़ किया : اَكْبَار (अकबार) बढाया : اَكْبَار (अकबार) कहा या اَكْبَر (आकबर) कहा या اَللّٰهُ (आल्लाह) कहा, नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी और तहरीमा में ऐसा हुवा तो नमाज़ शुरू ही न हुई।⁽³⁾ क़िराअत या अज़्कारे नमाज़ में ऐसी ग़लती जिस से माना फ़ासिद हो जाएं, नमाज़ फ़ासिद कर देती है, इस के मुतअल्लिक़ मुफ़स्सल बयान गुज़र चुका।

मस्अला 69 - नमाज़ी के आगे से बल्कि मौज़ए सुजूद⁽⁴⁾ से किसी का गुज़रना नमाज़ को फ़ासिद नहीं करता, ख़्वाह गुज़रने वाला मर्द हो या औरत, कुत्ता हो या गधा।⁽⁵⁾ (आम्मए कुतुब)

मस्अला 70 - मुसल्ली के आगे से गुज़रना बहुत सख़्त गुनाह है।

हदीस में फ़रमाया कि : “इस में जो कुछ गुनाह है, अगर गुज़रने वाला जानता तो चालीस तक खड़े रहने को गुज़रने से बेहतर जानता”, रावी कहते हैं : “मैं नहीं जानता कि चालीस दिन कहे या चालीस महीने या चालीस बरस।”⁽⁶⁾ येह हदीस सिहाहे सित्ता में अबी जुहैम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी हुई और बज़्ज़ार की रिवायत में चालीस बरस⁽⁷⁾ की तस्रीह है।

और इन्ने माजह की रिवायत अबी हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से येह है कि رَسُولُ اللّٰهِ ने फ़रमाया : “अगर कोई जानता कि अपने भाई के सामने नमाज़ में आड़े हो कर गुज़रने में क्या है ? तो सो बरस खड़ा रहना इस एक क़दम चलने से बेहतर समझता।”⁽⁸⁾

इमाम मालिक ने रिवायत किया कि कअूब अहूबार फ़रमाते हैं : “नमाज़ी के सामने गुज़रने वाला अगर जानता कि इस पर क्या गुनाह है ? तो ज़मीन में धंस जाने को गुज़रने से बेहतर जानता।”⁽⁹⁾

1..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، النوع الثاني، ج ١، ص ١٠٣.

2..... المرجع السابق، ص ١٠٤، و “غنية المتملّي”، مفسدات الصلاة، ص ٤٤٨.

3..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها، ج ٢، ص ٤٧٣، وغيره.

4..... मौज़ए सुजूद से क्या मुराद है येह आगे मज़कूर होगा। 12 मिनट

5..... “الدر المختار” و “رد المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٨٠.

6..... “صحيح مسلم”، كتاب الصلاة، باب منع المارّين يدي المصلّي، الحديث: ٥٠٧، ص ٢٦٠.

7..... “مسند الزّيار”، مسند زيد بن خالد الجهني رضى الله تعالى عنه، الحديث: ٣٧٨٢، ج ٩، ص ٢٣٩.

8..... “سنن ابن ماجه”، ابواب اقامة الصلوات و السنة فيها، باب المرويين يدي المصلّي، الحديث: ٩٤٦، ج ١، ص ٥٠٦.

9..... “الموطأ”، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب التشديد في ان يمر احد بين يدي المصلّي، الحديث: ٣٧١، ج ١، ص ١٥٤.

इमाम मालिक से रिवायत सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में है : अबू जुहैफ़ा رضي الله تعالى عنه कहते हैं कि मैं ने **रसूलुल्लाह** صلى الله تعالى عليه وسلم को मक्के में देखा हुआ رضي الله تعالى عنه अबतह में चमड़े के एक सुख़ कुब्बे के अन्दर तशरीफ़ फ़रमा हैं और बिलाल رضي الله تعالى عنه ने हुआ رضي الله تعالى عنه के वुजू का पानी लिया और लोग जल्दी जल्दी उसे ले रहे हैं जो उस में से कुछ पा जाता उसे मुंह और सीने पर मलता और जो नहीं पाता वोह किसी और के हाथ से तरी ले लेता फिर बिलाल رضي الله تعالى عنه ने एक नेज़ा नस्ब कर दिया और **रसूलुल्लाह** صلى الله تعالى عليه وسلم सुख़ धारीदार जोड़ा पहने तशरीफ़ लाए और नेज़े की तरफ़ मुंह कर के दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और मैं ने आदमियों और चौपायों को नेज़े के उस तरफ़ से गुज़रते देखा ।⁽¹⁾

मस़ाला 71 - मैदान और बड़ी मस्जिद में मुसल्ली के क़दम से मौज़ए सुजूद तक गुज़रना ना जाइज़ है । मौज़ए सुजूद से मुराद येह है कि क़ियाम की हालत में सज्दे की जगह की तरफ़ नज़र करे तो जितनी दूर तक निगाह फैले वोह मौज़ए सुजूद है इस के दरमियान से गुज़रना ना जाइज़ है, मकान और छोटी मस्जिद में क़दम से दीवारे क़िल्ला तक कहीं से गुज़रना जाइज़ नहीं अगर सुतरा न हो ।⁽²⁾ (عالمگیری، درمختار)

मस़ाला 72 - कोई शख़्स बुलन्दी पर पढ़ रहा है उस के नीचे से गुज़रना भी जाइज़ नहीं, जब कि गुज़रने वाले का कोई उज़्व नमाज़ी के सामने हो, छत या तख़्त पर नमाज़ पढ़ने वाले के आगे से गुज़रने का भी येही हुक्म है और अगर इन चीज़ों की इतनी बुलन्दी हो कि किसी उज़्व का सामना न हो तो हरज नहीं ।⁽³⁾ (درمختار و غیره)

मस़ाला 73 - मुसल्ली के आगे से घोड़े वग़ैरा पर सुवार हो कर गुज़रा, अगर गुज़रने वाले का पाउं वग़ैरा नीचे का बदन मुसल्ली के सर के सामने हुवा तो मम्मूअ है ।⁽⁴⁾ (رد المحتار)

मस़ाला 74 - मुसल्ली के आगे सुतरा हो यानी कोई ऐसी चीज़ जिस से आड़ हो जाए तो सुतरे के बाद से गुज़रने में कोई हरज नहीं ।⁽⁵⁾ (आम्माए कुतुब)

मस़ाला 75 - सुतरा ब क़दर एक हाथ के ऊंचा और उंगली बराबर मोटा हो और ज़ियादा से ज़ियादा तीन हाथ ऊंचा⁽⁶⁾ हो ।⁽⁷⁾ (درمختار، رد المحتار)

..... 1 "صحیح مسلم"، کتاب الصلاة، باب ستره المصلي و التدب إلى الصلاة... إلخ، الحديث: 200- (203)، ص 207.

..... 2 "الفتاوی الهندیة"، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما یفسد الصلاة وما یکره فیها، الفصل الأول، ج 1، ص 104.

و "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة، وما یکره فیها، ج 2، ص 479.

..... 3 "الدرالمختار"، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، ج 2، ص 480.

..... 4 "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، مطلب إذا قرأ قوله... إلخ، ج 2، ص 480.

..... 5 "الفتاوی الهندیة"، کتاب الصلاة، الباب السابع فيما یفسد الصلاة وما یکره فیها، الفصل الأول، ج 1، ص 104.

..... 6 "یہہ کتابت کی گلتی مالم ہوئی ہے । ردھل مھتار میں ہے : سوننت یہہ ہے کہ نمازی اور سوتरे के दरमियान फ़ासिला ज़ियादा से ज़ियादा तीन हाथ हो ।

..... 7 "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، ج 2، ص 484.

मस्अला 76 — इमाम व मुन्फ़रिद जब सहरा में या किसी ऐसी जगह नमाज़ पढ़ें, जहां से लोगों के गुज़रने का अन्देशा हो तो मुस्तहब है कि सुतरा गाड़ें और सुतरा नज़्दीक होना चाहिये, सुतरा बिल्कुल नाक की सीध पर न हो बल्कि दाहने या बाएं भवों की सीध पर हो और दहने की सीध पर होना अफ़ज़ल है।⁽¹⁾ (درمّاروغیره)

मस्अला 77 — अगर नस्ब करना ना मुम्किन हो तो वोह चीज़ लम्बी लम्बी रख दे और अगर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि रख सके तो ख़त खींच दे ख़्वाह तूल में हो या मेहराब की मिस्ल।⁽²⁾ (درمّار، عالمگیری)

मस्अला 78 — अगर सुतरे के लिये कोई चीज़ नहीं है और उस के पास किताब या कपड़ा मौजूद है तो उसी को सामने रख ले।⁽³⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 79 — इमाम का सुतरा मुक्तादी के लिये भी सुतरा है, इस को जदीद सुतरे की हाज़त नहीं तो अगर छोटी मस्जिद में भी मुक्तादी के आगे से गुज़र जाए, जब कि इमाम के आगे से न हो, हरज नहीं।⁽⁴⁾ (ردالمحتاروغیره)

मस्अला 80 — दरख़्त और जानवर और आदमी वगैरा का भी सुतरा हो सकता है कि इन के बाद गुज़रने में कुछ हरज नहीं।⁽⁵⁾ (غیره) मगर आदमी को इस हालत में सुतरा किया जाए जब कि उस की पीठ मुसल्ली की तरफ़ हो कि मुसल्ली की तरफ़ मुंह करना मन्अ है।

मस्अला 81 — सुवार अगर मुसल्ली के आगे से गुज़रना चाहता है तो इस का हीला येह है कि जानवर को मुसल्ली के आगे कर ले और उस तरफ़ से गुज़र जाए।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

मस्अला 82 — दो शख्स बराबर बराबर इमाम के आगे से गुज़र गए तो मुसल्ली से जो

1..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 484. وغیره

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج 1، ص 104. و "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 485.

इन दोनों सूत्रों से येह मक्सूद नहीं कि गुज़रना जाइज़ हो जाएगा बल्कि इस लिये हैं कि नमाज़ी का ख़याल न बटे। 12

3..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا قرأ قوله... إلخ، ج 2، ص 485.

इस से भी वोही मक्सूद है कि नमाज़ी का दिल न बटे वरना किताब या कपड़ा रखने से उस के आगे से गुज़रना, जाइज़ न होगा, हां अगर बुलन्दी इतनी हो जाए जो सुतरे के लिये दरकार है तो गुज़रना भी जाइज़ हो जाएगा। 12 मिन्ह

4..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا قرأ قوله... إلخ، ج 2، ص 487. وغیره.

5..... "غنية المتملّي"، فصل كراهية الصلاة، ص 367.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج 1، ص 104.

(عالمگیری) (1) करीब है वोह गुनाहगार हुवा और दूसरे के लिये येही सुतरा हो गया।

मस्अला 83 - मुसल्ली के आगे से गुज़रना चाहता है तो अगर उस के पास कोई चीज़ सुतरे के क़ाबिल हो तो उसे इस के सामने रख कर गुज़र जाए फिर उसे उठा ले, अगर दो शख्स गुज़रना चाहते हैं और सुतरे को कोई चीज़ नहीं तो उन में एक नमाज़ी के सामने इस की तरफ़ पीठ कर के खड़ा हो जाए और दूसरा उस की आड़ पकड़ कर गुज़र जाए, फिर वोह दूसरा उस की पीठ के पीछे नमाज़ी की तरफ़ पुशत कर के खड़ा हो जाए और येह गुज़र जाए, फिर वोह दूसरा जिधर से इस वक़्त आया उसी तरफ़ हट जाए। (2) (عالمگیری، رد المحتار)

मस्अला 84 - अगर इस के पास असा है मगर नस्ब नहीं कर सकता तो उसे खड़ा कर के मुसल्ली के आगे से गुज़रना जाइज़ है, जब कि उस को अपने हाथ से छोड़ कर गिरने से पहले गुज़र जाए।

मस्अला 85 - अगली सफ़ में जगह थी, उसे ख़ाली छोड़ कर पीछे खड़ा हुवा तो आने वाला शख्स उस की गरदन फ़लांगता हुवा जा सकता है कि इस ने अपनी हुमत अपने आप खोई। (3) (رد المحتار)

मस्अला 86 - जब आने जाने वालों का अन्देशा न हो न सामने रास्ता हो तो सुतरा न काइम करने में भी हरज नहीं, फिर भी औला सुतरा काइम करना है। (4) (رد المحتار)

मस्अला 87 - नमाज़ी के सामने सुतरा नहीं और कोई शख्स गुज़रना चाहता है या सुतरा है मगर वोह शख्स मुसल्ली और सुतरे के दरमियान से गुज़रना चाहता है तो नमाज़ी को रुख़सत है कि उसे गुज़रने से रोके, ख़्वाह سُبْحَانَ اللَّهِ कहे या जहर के साथ क़िराअत करे या हाथ, या सर, या आंख के इशारे से मन्अ करे इस से ज़ियादा की इजाज़त नहीं, मसलन कपड़ा पकड़ कर झटकना या मारना, बल्कि अगर अमले कसीर हो गया तो नमाज़ ही जाती रही। (5) (رد المحتار، رد المحتار)

मस्अला 88 - तस्बीह व इशारा दोनों को बिला ज़रूरत जम्अ करना मक्रूह है, औरत के सामने से गुज़रे तो तस्फ़ीक़ से मन्अ करे, यानी दहने हाथ की उंगलियां बाएं की पुशत पर मारे

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج 1، ص 104.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأول، ج 1، ص 104.

و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا قرأ قوله... إلخ، ج 2، ص 483.

3..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 483.

4..... المرجع السابق، ص 487.

5..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا قرأ قوله... إلخ، ج 2، ص 485.

और अगर मर्द ने तस्फीक की और औरत ने तस्बीह तो भी फ़ासिद न हुई मगर ख़िलाफ़े सुन्नत हुआ।⁽¹⁾ (रज़ि)

मस्जला 89 - मस्जिदुल ह़राम शरीफ़ में नमाज़ पढ़ता हो तो उस के आगे तवाफ़ करते हुए लोग गुज़र सकते हैं।⁽²⁾ (रज़ि)

मक्कहात का बयान

हदीस 1 - बुख़ारी व मुस्लिम अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने नमाज़ में कमर पर हाथ रखने से मन्ज़ फ़रमाया।⁽³⁾

हदीस 2 - शर्हे सुन्नह में इब्ने उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी कि हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : “कमर पर नमाज़ में हाथ रखना, जहन्नमियों की राहत है।”⁽⁴⁾

हदीस 3 - बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दावूद व नसाई रिवायत करते हैं कि उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا फ़रमाती हैं : “मैं ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से नमाज़ के अन्दर इधर उधर देखने के बारे में सुवाल किया। फ़रमाया : येह उचक लेना है कि बन्दे की नमाज़ में से शैतान उचक ले जाता है।”⁽⁵⁾

हदीस 4 - इमाम अहमद व अबू दावूद व नसाई व इब्ने खुज़ैमा व हाकिम ब इफ़ादए तस्हीह अबू ज़र رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जो बन्दा नमाज़ में है, **अल्लाह** عَزَّ وَجَلَّ की रहमते खास्सा उस की तरफ़ मुतवज्जेह रहती है जब तक इधर उधर न देखे, जब इस ने अपना मुंह फेरा, उस की रहमत भी फिर जाती है।”⁽⁶⁾

हदीस 5 - इमाम अहमद ब अस्नादे हसन व अबू याला रिवायत करते हैं कि अबू हुरैरा

1..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 486.

2..... “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا قرأ قوله... إلخ، ج 2، ص 482.

3..... “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب كراهية الاختصار في الصلاة، الحديث: 540، ص 276.

و “صحيح البخاري”، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، الحديث: 1219، ج 1، ص 411.

4..... “شرح السنة”، كتاب الصلاة، باب كراهية الاختصار في الصلاة، الحديث: 731، ج 2، ص 313.

यानी येह यहूदियों का फ़ेल है कि वोह जहन्नमी हैं वरना जहन्नमियों के लिये जहन्नम में क्या राहत !

12 मिन्ह | कडा फ़सेरह الائمة

5..... “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب الإلتفات في الصلاة، الحديث: 751، ج 1، ص 265.

6..... “المستدرک” للحاکم، کتاب الإمامة... إلخ، باب لا يزال الله، مقبلاً على العبد ما لم يلتفت... إلخ، الحديث: 896، ج 1، ص 504.

ﷺ कहते हैं : “मुझे मेरे खलील ﷺ ने तीन बातों से मन्अ फ़रमाया, मुर्ग की तरह ठोंग मारने और कुत्ते की तरह बैठने और इधर उधर लोमड़ी की तरह देखने से।”⁽¹⁾

हदीस 6 बज़्ज़ार ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله تعالى عنهم से रिवायत की, कि फ़रमाते हैं صلّى الله تعالى عليه وسلم : जब आदमी नमाज़ को खड़ा होता है **अल्लाह** عز وجل अपनी खास रहमत के साथ उस की तरफ़ मुतवज्जेह होता है और जब इधर उधर देखता है, फ़रमाता है : “ऐ इब्ने आदम ! किस की तरफ़ इल्तिफ़ात करता है ? क्या मुझ से कोई बेहतर है, जिस की तरफ़ इल्तिफ़ात करता है ! फिर जब दोबारा इल्तिफ़ात करता है ऐसा ही फ़रमाता है, फिर जब तीसरी बार इल्तिफ़ात करता है, **अल्लाह** عز وجل अपनी इस खास रहमत को उस से फेर लेता है।”⁽²⁾

हदीस 7 तिरमिज़ी ब अस्नादे हसन रिवायत करते हैं कि हुज़ूर صلّى الله تعالى عليه وسلم ने अनस बिन मालिक رضي الله تعالى عنه से फ़रमाया : “ऐ लड़के ! नमाज़ में इल्तिफ़ात से बच कि नमाज़ में इल्तिफ़ात हलाकत है।”⁽³⁾

हदीस 8 ता 12 बुख़ारी व अबू दावूद व नसाई व इब्ने माजह अनस बिन मालिक رضي الله تعالى عنه से रावी, फ़रमाते हैं : “क्या हाल है ? उन लोगों का जो नमाज़ में आस्मान की तरफ़ आंखें उठाते हैं, इस से बाज़ रहें या उन की निगाहें उचक ली जाएंगी।”⁽⁴⁾ इसी मज़्मून के करीब करीब इब्ने उमर व अबू हुरैरा व अबू सईद खुदरी व जाबिर बिन समुरह رضي الله تعالى عنهم से रिवायतें कुतुबे अहादीस में मौजूद हैं।

हदीस 13 इमाम अहमद व अबू दावूद व तिरमिज़ी ब इफ़ादए तहूसीन व नसाई व इब्ने माजह व इब्ने हब्बान व इब्ने खुज़ैमा अबी हुरैरा رضي الله تعالى عنه से रावी कि फ़रमाते हैं صلّى الله تعالى عليه وسلم : “जब कोई तुम में नमाज़ को खड़ा हो तो कंकरी न छूए कि रहमत उस के मुवाजहे में है।”⁽⁵⁾

हदीस 14 सिहाहे सित्ता में मुऐक्कीब رضي الله تعالى عنه से मरवी कि हुज़ूर صلّى الله تعالى عليه وسلم फ़रमाते हैं : “कंकरी न छू और अगर तुझे नाचार करना ही है तो एक बार।”⁽⁶⁾

① “مجمع الزوائد”، كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه في الصلاة... إلخ، الحديث: ٢٤٢٥، ج ٢، ص ٢٣٢.

② “مجمع الزوائد”، كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه في الصلاة... إلخ، الحديث: ٢٤٢٦، ج ٢، ص ٢٣٢.

③ “جامع الترمذي”، أبواب السفر، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، الحديث: ٥٨٩، ج ٢، ص ١٠٢.

④ “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، الحديث: ٧٥٠، ج ١، ص ٢٦٥.

⑤ “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة... إلخ، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، الحديث: ٣٧٩، ج ١، ص ٣٩٠، عن أبي ذر رضي الله عنه.

⑥ “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة، الحديث: ٩٤٦، ج ١، ص ٣٥٦.

हदीस 15 सहीह इब्ने खुजैमा में मरवी है कि जाबिर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं, मैं ने हुजूर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ से नमाज़ में कंकरी छूने का सुवाल किया। फ़रमाया : “एक बार और अगर तू इस से बचे तो येह सो ऊंटनियों (सियाह आंख वालियों) से बेहतर है।”⁽¹⁾

हदीस 16 व 17 मुस्लिम अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी, फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जब नमाज़ में किसी को जमाही आए तो जहां तक हो सके रोके कि शैतान मुंह में दाख़िल हो जाता है।”⁽²⁾

और सहीह बुख़ारी की रिवायत अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से है कि फ़रमाते हैं : “जब नमाज़ में किसी को जमाही आए तो जहां तक हो सके रोके और “हा” न कहे कि येह शैतान की तरफ़ से है, शैतान इस से हंसता है।”⁽³⁾

और तिरमिज़ी व इब्ने माजह की रिवायत इन्हीं से है, इस के बाद फ़रमाया कि : “मुंह पर हाथ रख दे।”⁽⁴⁾

हदीस 18 व 19 इमाम अहमद व अबू दावूद व तिरमिज़ी व नसाई व दारिमी कअब बिन उज़रा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “जब कोई अच्छी तरह वुजू कर के मस्जिद के क़स्द से निकले तो एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में न डाले कि वोह नमाज़ में है।”⁽⁵⁾ और इसी के मिस्ल अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से भी मरवी है।

हदीस 20 सहीह बुख़ारी में शकीक से मरवी कि हुजैफ़ा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने एक शख्स को देखा कि रुकूअो सुजूद पूरा नहीं करता, जब उस ने नमाज़ पढ़ ली तो बुलाया और कहा : “तेरी नमाज़ न हुई।” रावी कहते हैं मेरा गुमान है कि येह भी कहा कि अगर तू मरा तो फ़ितरते मुहम्मद صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ के ग़ैर पर मरेगा।⁽⁶⁾

हदीस 21 ता 24 बुख़ारी तारीख़ में और इब्ने खुजैमा वगैरा ख़ालिद बिन वलीद व अम्र बिन आस व यज़ीद बिन अबी सुफ़यान व शरजील बिन हसना رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ से रावी कि हुजूर صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने एक शख्स को नमाज़ पढ़ते मुलाहज़ा फ़रमाया कि रुकूअ तमाम नहीं करता और सज़्दे में ठोंग मारता है, हुक्म फ़रमाया कि : “पूरा रुकूअ करे और

①..... “صحيح ابن خزيمة”، أبواب الأفعال المباحة في الصلاة، باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة،

الحديث: ٨٩٧، ج ٢، ص ٥٢.

②..... “صحيح مسلم”، كتاب الزهد، باب تشميت العاطس... إلخ، الحديث: ٥٩- (٢٩٩٥)، ص ١٥٩٧.

③..... “صحيح البخاري”، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده، الحديث: ٣٢٨٩، ج ٢، ص ٤٠٢.

④..... “سنن ابن ماجه”، كتاب إقامة الصلوات... إلخ، باب ما يكره في الصلاة، الحديث: ٩٦٨، ج ١، ص ٥١٥.

⑤..... “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية التشبيك... إلخ، الحديث: ٣٨٦، ج ١، ص ٣٩٦.

⑥..... “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب اذا لم يتم الركوع، الحديث: ٨٠٨٠٧٩١، ص ٢٨٤، ٢٧٧.

फरमाया : येह अगर इसी हालत में मरा तो मिल्लते मुहम्मद ﷺ के गैर पर मरेगा, फिर फरमाया : जो रुकूअ पूरा नहीं करता और सज्दे में ठोंग मारता है, उस की मिसाल उस भूके की है कि एक दो खजूरें खा लेता है, जो कुछ काम नहीं देतीं।”⁽¹⁾

हदीस 25 — इमाम अहमद अबू कतादा رضي الله تعالى عنه से रावी कि फरमाते हैं صلى الله تعالى عليه وسلم : “सब में बुरा वोह चोर है, जो अपनी नमाज़ से चुराता है।” सहाबा ने अर्ज की : **या रसूलल्लाह** (صلى الله تعالى عليه وسلم) ! नमाज़ से कैसे चुराता है ? फरमाया कि : “रुकूओ सुजूद पूरा नहीं करता।”⁽²⁾

हदीस 26 — इमाम मालिक व अहमद नोमान बिन मुरह رضي الله تعالى عنه से रावी कि रसूलुल्लाह صلى الله تعالى عليه وسلم ने हुदूद नाज़िल होने से पहले सहाबए किराम से फरमाया कि : “शराबी और ज़ानी और चोर के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है ?” सब ने अर्ज की : **अल्लाह** (عز وجل) व रसूल (صلى الله تعالى عليه وسلم) ख़ूब जानते हैं। फरमाया : येह बहुत बुरी बातें हैं और इन में सज़ा है और सब में बुरी चोरी वोह है कि अपनी नमाज़ से चुराए। अर्ज की : **या रसूलल्लाह** (صلى الله تعالى عليه وسلم) ! नमाज़ से कैसे चुराएगा ? फरमाया : यूँ कि रुकूओ सुजूद तमाम न करे।”⁽³⁾ इसी के मिस्ल दारिमी की रिवायत में भी है।

हदीस 27 — इमाम अहमद ने तल्क बिन अली رضي الله تعالى عنه से रिवायत की, कि हुज़ूर (صلى الله تعالى عليه وسلم) ने फरमाया : “**अल्लाह** (عز وجل) बन्दे की उस नमाज़ की तरफ़ नज़र नहीं फरमाता, जिस में रुकूओ सुजूद के दरमियान पीठ सीधी न करे।”⁽⁴⁾

हदीस 28 — अबू दावूद व तिरमिज़ी ब अस्नादे हसन रिवायत करते हैं, अनस رضي الله تعالى عنه फरमाते हैं : “हम **रसूलुल्लाह** (صلى الله تعالى عليه وسلم) के ज़माने में दरों में खड़े होने से बचते थे।”⁽⁵⁾ दूसरी रिवायत में है : हम धक्का दे कर हटाए जाते।⁽⁶⁾

हदीस 29 — तिरमिज़ी ने रिवायत की, कि उम्मुल मुअमिनीन उम्मे सलमा رضي الله تعالى عنها कहती हैं : “हमारा एक गुलाम अफ़लह नामी जब सज्दा करता तो फूंकता, फरमाया : ऐ अफ़लह ! अपना मुंह खाक आलूद कर।”⁽⁷⁾

..... ① “کنز العمال”، کتاب الصلاة، الحديث: ٢٢٤٢٦، ج ٨، ص ٨٣.

..... ② “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند الانصار، حديث أبي قتاده الانصاري، الحديث: ٢٢٧٠٥، ج ٨، ص ٣٨٦.

..... ③ “الموطأ” للإمام مالك، کتاب قصد الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، الحديث: ٤١٠، ج ١، ص ١٦٤.

..... ④ “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، حديث طلق بن علي، الحديث: ١٦٢٨٣، ج ٥، ص ٤٩٢.

..... ⑤ “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية الصف بين السواري، الحديث: ٢٢٩، ج ١، ص ٢٦٤.

..... ⑥ “سنن أبي داود”، کتاب الصلاة، باب الصفوف بين السواري، الحديث: ٦٧٣، ج ١، ص ٢٦٧.

..... ⑦ “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية النفخ... إلخ، الحديث: ٣٨١، ج ١، ص ٣٩٢.

हदीस 30 — इब्ने माजह ने अमीरुल मुअमिनीन हज़रते अली رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जब तू नमाज़ में हो तो उंगलियां न चटखा।”⁽¹⁾ बल्कि एक रिवायत में है, जब मस्जिद में इन्तिज़ारे नमाज़ में हो उस वक़्त उंगलियां चटखाने से मन्अ फ़रमाया।⁽²⁾

हदीस 31 — सिहाहे सिता में मरवी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं कि : “मुझे हुक्म हुवा है कि सात आज़ा पर सज्दा करूं और बाल या कपड़ा न समेटूं।”⁽³⁾

हदीस 32 — सहीहैन में इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से मरवी कि फ़रमाते हैं صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “मुझे हुक्म हुवा कि सात हड्डियों पर सज्दा करूं, मुंह और दोनों हाथ और दोनों घुटने और दोनों पन्जे और येह हुक्म हुवा कि कपड़े और बाल न समेटूं।”⁽⁴⁾

हदीस 33 — अबू दावूद व नसाई व दारिमी अब्दुरहमान बिन शिब्ल رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने कव्वे की तरह ठोंग मारने और दरिन्दे की तरह पाउं बिछाने से मन्अ फ़रमाया और इस से मन्अ फ़रमाया कि मस्जिद में कोई शख्स जगह मुक़र्र कर ले, जैसे ऊंट जगह मुक़र्र कर लेता है।”⁽⁵⁾

हदीस 34 — तिरमिज़ी ने हज़रते अली رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “ऐ अली ! मैं अपने लिये जो पसन्द करता हूं तुम्हारे लिये पसन्द करता हूं और अपने लिये जो मक्रूह जानता हूं तुम्हारे लिये मक्रूह जानता हूं। दोनों सज्दों के दरमियान इक्आ न करना।”⁽⁶⁾ (यानी इस तरह न बैठना कि सुरीन ज़मीन पर हों और घुटने खड़े।)

हदीस 35 — अबू दावूद और हाकिम ने मुस्तदरक में बुरैदा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने इस से मन्अ फ़रमाया कि “मर्द सिर्फ़ पाजामा पहन कर नमाज़ पढ़े और चादर न ओढ़े।”⁽⁷⁾

हदीस 36 — सहीहैन में अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “तुम में कोई एक कपड़ा पहन कर इस तरह हरगिज़ नमाज़ न पढ़े कि मूँठों पर कुछ न हो।”⁽⁸⁾

① “سنن ابن ماجه”، كتاب إقامة الصلوات... إلخ، باب ما يكره في الصلاة، الحديث: ٩٦٥، ج ١، ص ٥١٤.

② “رد المحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٤٩٣.

③ “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب لا يكف ثوبه في الصلاة، الحديث: ٨١٦، ج ١، ص ٢٨٦.

④ “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، الحديث: ٨١٢، ج ١، ص ٢٨٥.

⑤ “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع و السجود، الحديث: ٨٦٢، ج ١، ص ٣٢٨.

⑥ “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء في كراهية الإقعاء بين السجدين، الحديث: ٢٨٢، ج ١، ص ٣٠٩.

⑦ “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتذر به، الحديث: ٦٣٦، ج ١، ص ٢٥٧.

⑧ “صحيح البخاري”، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد، الحديث: ٣٥٩، ج ١، ص ١٤٥.

हदीस 37 — सहीह बुखारी में इन्हीं से मरवी, फ़रमाते हैं : “जो एक कपड़े में नमाज़ पढ़े, यानी वोही चादर वोही तहबन्द हो तो इधर का कनारा उधर और उधर का इधर कर ले।”⁽¹⁾

हदीस 38 — अब्दुर्रज़ाक ने मुसन्नफ़ में रिवायत की, कि इब्ने उमर رضي الله تعالى عنهما ने नाफ़ेअ को दो कपड़े पहनने को दिये और येह उस वक़्त लड़के थे इस के बाद मस्जिद में गए और उन को एक कपड़े में लिपटे हुए नमाज़ पढ़ते देखा, इस पर फ़रमाया : “क्या तुम्हारे पास दो कपड़े नहीं कि उन्हें पहनते ?” अर्ज़ की : हां हैं। तो फ़रमाया : बताओ अगर मक़ान से बाहर तुम्हें भेजूं तो दोनों पहनोगे ? अर्ज़ की : हां। फ़रमाया : तो क्या **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के दरबार के लिये ज़ीनत ज़ियादा मुनासिब है या आदमियों के लिये ? अर्ज़ की : **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के लिये।”⁽²⁾

हदीस 39 — इमाम अहमद की रिवायत है कि उबय बिन कअूब رضي الله تعالى عنه ने कहा कि “एक कपड़े में नमाज़ सुन्नत है यानी जाइज़ है कि हम हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) के ज़माने में ऐसा करते और हम पर इस बारे में ऐब न लगाया जाता, अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رضي الله تعالى عنه ने फ़रमाया : “येह उस वक़्त है कि कपड़ों में कमी हो और जो **अल्लाह** तआला ने वुस्अत दी हो तो दो कपड़ों में नमाज़ ज़ियादा पाकीज़ा है।”⁽³⁾

हदीस 40 — अबू दावूद ने अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رضي الله تعالى عنه से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया : “जो शख़्स नमाज़ में तकब्बुर से तहबन्द लटकाए, उसे **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की रहमत हिल (हुदूदे हरम से बाहर) में है, न हरम (हरम शरीफ़) में।”⁽⁴⁾

हदीस 41 — अबू दावूद अबू हुरैरा رضي الله تعالى عنه से रावी कि “एक साहिब तहबन्द लटकाए नमाज़ पढ़ रहे थे, इरशाद फ़रमाया : जाओ वुजू करो, वोह गए और वुजू कर के वापस आए। किसी ने अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह** (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ! क्या हुवा कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने वुजू का हुक्म फ़रमाया ? इरशाद फ़रमाया : “वोह तहबन्द लटकाए नमाज़ पढ़ रहा था और बेशक **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ उस शख़्स की नमाज़ नहीं क़बूल फ़रमाता, जो तहबन्द लटकाए हुए हो।”⁽⁵⁾ (यानी इतना नीचा कि पाउं के गिट्टे छुप जाएं)। शैख़े मुहक्क़ मुहद्दिस देहलवी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى लम्आत में फ़रमाते हैं कि : “वुजू का हुक्म इस लिये दिया कि उन्हें मालूम हो जाए कि येह मासियत है कि सब लोगों को बता दिया था कि वुजू गुनाहों का

1..... “صحیح البخاری”، کتاب الصلاة، باب إذا صلی فی الثوب الواحد... إلخ، الحديث: 360، ج 1، ص 145.

2..... “المصنف” لعبد الرزاق، کتاب الصلاة، باب ما یکنفی الرجل من الثیاب، الحديث: 1392، ج 1، ص 274.

3..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حدیث المشایخ، الحديث: 21334، ج 8، ص 60.

4..... “سنن أبي داود”، کتاب الصلاة، باب الإسبال فی الصلاة، الحديث: 637، ج 1، ص 257.

5..... “سنن أبي داود”، کتاب الصلاة، باب الإسبال فی الصلاة، الحديث: 638، ج 1، ص 257.

कफ़ारा है और गुनाह के अस्बाब का ज़ाइल करने वाला।”⁽¹⁾

हदीस 42 – अबू दावूद अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने इरशाद फ़रमाया : “जब कोई नमाज़ पढ़े तो दहनी तरफ़ जूतियां न रखे और बाई तरफ़ भी नहीं कि किसी और की दहनी जानिब होंगी, मगर उस वक़्त कि बाई जानिब कोई न हो, बल्कि जूतियां दोनों पाउं के दरमियान रखे।”⁽²⁾

अहकामे फ़िक्हिय्या

अहकामे फ़िक्हिय्या : (1) कपड़े या दाढ़ी या बदन के साथ खेलना, (2) कपड़ा समेटना, मसलन सज्दे में जाते वक़्त आगे या पीछे से उठा लेना, अगर्चे गर्द से बचाने के लिये किया हो और अगर बिला वज्ह हो तो और ज़ियादा मकरूह, (3) कपड़ा लटकाना, मसलन सर या मूँढे पर इस तरह डालना कि दोनों कनारे लटकते हों, येह सब मकरूहे तहरीमी हैं।⁽³⁾
(आम्माए कुतुब)

मस्अला 1 – अगर कुरते वगैरा की आस्तीन में हाथ न डाले, बल्कि पीठ की तरफ़ फेंक दी, जब भी येही हुक्म है।⁽⁴⁾ (مستفاد من الدر)

मस्अला 2 – रूमाल या शाल या रज़ाई या चादर के कनारे दोनों मूँढों से लटकते हों, येह मम्मूअ व मकरूहे तहरीमी है और एक कनारा दूसरे मूँढे पर डाल दिया और दूसरा लटक रहा है तो हरज नहीं और अगर एक ही मूँढे पर डाला इस तरह कि एक कनारा पीठ पर लटक रहा है दूसरा पेट पर, जैसे उमूमन इस ज़माने में मूँढों पर रूमाल रखने का तरीका है तो येह भी मकरूह है।⁽⁵⁾ (در مختار، رد المحتار)

मस्अला 3 – (4) कोई आस्तीन आधी कलाई से ज़ियादा चढ़ी हुई, या (5) दामन समेटे नमाज़ पढ़ना भी मकरूहे तहरीमी है, ख़्वाह पेशतर से चढ़ी हो या नमाज़ में चढ़ाई।⁽⁶⁾

(در مختار)

① “لمعات”،

② “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب المصلي إذا خلع نعليه... إلخ، الحديث: ٦٥٤، ج ١، ص ٢٦٢.

③ “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة... إلخ، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٠٥ - ١٠٦.

④ “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٨٨.

⑤ “الدر المختار” و “رد المحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب في الكراهة التحريمية و التنزيهية،

ج ٢، ص ٤٨٨.

⑥ المرجع السابق، ص ٤٩٠، و “الفتاوى الرضوية”، كتاب الصلاة، ج ٧، ص ٣٨٥.

मस्अला 4

(6) शिदत का पाखाना पेशाब मालूम होते वक़्त, या (7) ग़लबए रियाह के वक़्त नमाज़ पढ़ना, मकरूहे तहरीमी है।⁽¹⁾ हदीस में है : “जब जमाअत काइम की जाए और किसी को बैतुल ख़ला जाना हो तो पहले बैतुल ख़ला को जाए।”⁽²⁾ इस हदीस को तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन अरक़म رضي الله تعالى عنه से रिवायत किया और अबू दावूद व नसाई व मालिक ने भी इस के मिस्ल रिवायत की है।

मस्अला 5

नमाज़ शुरू करने से पेशतर अगर इन चीज़ों का ग़लबा हो तो वक़्त में वुसूअत होते हुए शुरू ही मम्मूअ व गुनाह है, क़ज़ाए हाज़त मुक़दम है, अगर्चे जमाअत जाती रहने का अन्देशा हो और अगर देखता है कि क़ज़ाए हाज़त और वुजू के बाद वक़्त जाता रहेगा तो वक़्त की रिआयत मुक़दम है, नमाज़ पढ़ ले और अगर अस्नाए नमाज़⁽³⁾ में येह हालत पैदा हो जाए और वक़्त में गुन्जाइश हो तो तोड़ देना वाजिब और अगर इसी तरह पढ़ ली तो गुनाहगार हुवा।⁽⁴⁾ (روايات)

मस्अला 6

(8) जूड़ा बांधे हुए नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी और नमाज़ में जूड़ा बांधा तो फ़ासिद हो गई।⁽⁵⁾

मस्अला 7

(9) कंकरियां हटाना मकरूहे तहरीमी है, मगर जिस वक़्त कि पूरे तौर पर बर वज्हे सुन्नत सज्दा अदा न होता हो तो एक बार की इजाज़त है और बचना बेहतर है और अगर बिगैर हटाए वाजिब अदा न होता हो तो हटाना वाजिब है, अगर्चे एक बार से ज़ियादा की हाज़त पड़े।⁽⁶⁾ (درمत्तار، ردالمحتار)

मस्अला 8

(10) उंग्लियां चटखाना, (11) उंग्लियों की कैंची बांधना यानी एक हाथ की उंग्लियां दूसरे हाथ की उंग्लियों में डालना, मकरूहे तहरीमी है।⁽⁷⁾ (درمत्तार وغيره)

मस्अला 9

नमाज़ के लिये जाते वक़्त और नमाज़ के इन्तिज़ार में भी येह दोनों चीज़ें मकरूह हैं और अगर न नमाज़ में है, न तवाबेए नमाज़ में तो कराहत नहीं, जब कि किसी हाज़त के लिये हों।⁽⁸⁾ (درمत्तार وغيره)

मस्अला 10

(12) कमर पर हाथ रखना मकरूहे तहरीमी है, नमाज़ के इलावा भी कमर पर हाथ रखना न चाहिये।⁽⁹⁾ (درمत्तार)

1..... “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، مطلب في الخشوع، ج ٢، ص ٤٩٢.

2..... “جامع الترمذي”، أبواب الطهارة، باب ماجاء إذا أقيمت الصلاة... إلخ، الحديث: ١٤٢، ج ١، ص ١٩٢.

3... यानी नमाज़ के दौरान।

4..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الخشوع، ج ٢، ص ٤٩٢.

5..... “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٩٢.

6..... “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب في الخشوع، ج ٢، ص ٤٩٣.

7..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٩٣، وغيره.

8..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٤٩٣، وغيره. 9..... المرجع السابق، ص ٤٩٤.

मस्अला 11

(13) इधर उधर मुंह फेर कर देखना मकरूहे तहरीमी है, कुल चेहरा फिर गया हो या बाज और अगर मुंह न फेरे, सिर्फ कनख्यों से इधर उधर बिला हाजत देखे तो कराहते तन्जीही है और नादिरन किसी गुरजे सहीह से हो तो अस्लन हरज नहीं, (14) निगाह आस्मान की तरफ उठाना भी मकरूहे तहरीमी है।

मस्अला 12

(15) तशहहुद या सज्दों के दरमियान में कुत्ते की तरह बैठना, यानी घुटनों को सीने से मिला कर दोनों हाथों को ज़मीन पर रख कर सुरीन के बल बैठना, (16) मर्द का सज्दे में कलाइयों को बिछाना, (17) किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज़ पढ़ना, मकरूहे तहरीमी है। यूंही दूसरे शख्स को मुसल्ली की तरफ मुंह करना भी ना जाइज व गुनाह है, यानी अगर मुसल्ली की जानिब से हो तो कराहत मुसल्ली पर है, वरना इस पर।⁽¹⁾ (دری)

मस्अला 13

अगर मुसल्ली और उस शख्स के दरमियान जिस का मुंह मुसल्ली की तरफ है, फ़ासिला हो जब भी कराहत है, मगर जब कि कोई शै दरमियान में हाइल हो कि क़ियाम में भी सामना न होता हो तो हरज नहीं और अगर क़ियाम में मुवाजहा हो कुऊद में न हो, मसलन दोनों के दरमियान में एक शख्स मुसल्ली की तरफ पीठ कर के बैठ गया कि इस सूरत में कुऊद में मुवाजहा न होगा, मगर क़ियाम में होगा तो अब भी कराहत है।⁽²⁾ (دری)

मस्अला 14

(18) कपड़े में इस तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर न हो मकरूहे तहरीमी है, इलावा नमाज़ के भी बे ज़रूरत इस तरह कपड़े में लिपटना न चाहिये और ख़तरे की जगह सख़्त मम्नूअ है।⁽³⁾ (دری)

मस्अला 15

(19) एतिजार यानी पगड़ी इस तरह बांधना कि बीच सर पर न हो,⁽⁴⁾ मकरूहे तहरीमी है, नमाज़ के इलावा भी इस तरह इमामा बांधना मकरूह है। (20) यूंही नाक और मुंह को छुपाना, (21) और बे ज़रूरत खन्कार निकालना, ये सब मकरूहे तहरीमी हैं।⁽⁵⁾ (دری، عالمگیری)

①..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٤٩٥-٤٩٧.

②..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٤٩٧.

③..... "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، فصل في مكروهات الصلاة، ص ٧٩.

④ "फ़तावा अम्जदिया" عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِقِيّ आजमी अमजद अली आज़मी मुहम्मद मुफ़्ती बद्रुत्तरीक़ह, सदरुशरीअह... स 399, जि. 1, किताबुस्सौम, ("फ़तावा अम्जदिया")

⑤..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٥١١.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٠٦.

मस्अला 16

(22) नमाज़ में बिल क़स्द जमाही लेना मकरूहे तहरीमी है और खुद आए तो हरज नहीं, मगर रोकना मुस्तहब है और अगर रोके से न रुके तो होंट को दांतों से दबाए और इस पर भी न रुके तो दाहना या बायां हाथ मुंह पर रख दे या आस्तीन से मुंह छुपा ले, क़ियाम में दहने हाथ से ढांके और दूसरे मौक़ए पर बाएं से।⁽¹⁾ (मराफ़ी الفلاح)

फ़ाएदा : अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام इस से महफूज़ हैं, इस लिये कि इस में शैतानी मुदाख़लत है।

नबी صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया कि : “जमाही शैतान की तरफ़ से है, जब तुम में किसी को जमाही आए तो जहां तक मुम्किन हो रोके।”⁽²⁾ इस हदीस को इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने सहीहैन में रिवायत किया, बल्कि बाज़ रिवायतों में है कि “शैतान मुंह में घुस जाता है।”⁽³⁾ बाज़ में है : “शैतान देख कर हंसता है।”⁽⁴⁾

उलमा फ़रमाते हैं कि : “जो जमाही में मुंह खोल देता है, शैतान उस के मुंह में थूक देता है और वोह जो “काह काह” की आवाज़ आती है, वोह शैतान का कहकहा है कि उस का मुंह बिगड़ा देख कर ठठ्ठा लगाता है और वोह जो रतूबत निकलती है, वोह शैतान का थूक है।” इस के रोकने की बेहतर तरकीब येह है कि जब आती मालूम हो तो दिल में ख़याल करे कि अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام इस से महफूज़ हैं, फ़ौरन रुक जाएगी।⁽⁵⁾ (रुव़ाअर)

मस्अला 17

(23) जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो, उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना, मकरूहे तहरीमी है। नमाज़ के इलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना, ना जाइज़ है। (24) यूंही मुसल्ली⁽⁶⁾ के सर पर यानी छत में हो या मुअल्लक⁽⁷⁾ हो, या (25) महल्ले सुजूद⁽⁸⁾ में हो, कि उस पर सज्दा वाक़ेअ हो तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी होगी (26) यूंही मुसल्ली के आगे, या (27) दाहने, या (28) बाएं तस्वीर का होना, मकरूहे तहरीमी है, (29) और पसे पुश्त⁽⁹⁾ होना भी मकरूह है, अगर्चे इन तीनों सूरतों से कम और इन चारों सूरतों में कराहत उस वक़्त है कि तस्वीर आगे पीछे दहने बाएं मुअल्लक हो, या नस्ब हो या दीवार वगैरा में मन्कूश हो, अगर फ़र्श में है और उस पर सज्दा नहीं तो कराहत नहीं। अगर तस्वीर ग़ैर जानदार की है, जैसे पहाड़ दरिया वगैरहा की तो इस में कुछ हरज नहीं।⁽¹⁰⁾ (अ़म्मए कुतुब)

①..... “मराफ़ी الفلاح” شرح “نور الإيضاح”، كتاب الصلاة، فصل في مكروهات الصلاة، ص ٨٠.

②..... “صحيح مسلم”، كتاب الزهد، باب تشميت العاطس... إلخ، الحديث: ٢٩٩٤، ص ١٥٩٧.

③..... “صحيح مسلم”، كتاب الزهد، باب تشميت العاطس... إلخ، الحديث: ٢٩٩٥، ص ١٥٩٧.

④..... “صحيح البخاري”، كتاب الأدب، باب ما يستحب من العطاس... إلخ، الحديث: ٦٢٢٣، ج ٤، ص ١٦٢.

⑤..... “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، آداب الصلاة، ومطلب إذا تردد الحكم بين سنة... إلخ، ج ٢، ص ٤٩٨.

⑥...नमाज़ी। ⑦...आवेज़ां। ⑧...सज्दे की जगह। ⑨...पीछे।

⑩..... “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٥٠٢ - ٥٠٤، وغيرهما.

मस्अला 18 अगर तस्वीर ज़िल्लत की जगह हो, मसलन जूतियां उतारने की जगह या और किसी जगह फर्श पर कि लोग उसे रौंदते हों या तक्ये पर कि ज़ानू वगैरा के नीचे रखा जाता हो तो ऐसी तस्वीर मकान में होने से कराहत नहीं, न इस से नमाज़ में कराहत आए, जब कि सज्दा उस पर न हो।⁽¹⁾ (درمختار وغيره)

मस्अला 19 जिस तक्ये पर तस्वीर हो, उसे मन्सूब⁽²⁾ करना पड़ा हुवा न रखना, एजाजे तस्वीर में दाखिल होगा और इस तरह होना नमाज़ को भी मक्रूह कर देगा।⁽³⁾ (درمختار)

मस्अला 20 अगर हाथ में या और किसी जगह बदन पर तस्वीर हो, मगर कपड़ों से छुपी हो या अंगूठी पर छोटी तस्वीर मन्कूश हो या आगे, पीछे, दहने, बाएं, ऊपर, नीचे किसी जगह छोटी तस्वीर हो यानी इतनी कि उस को ज़मीन पर रख कर खड़े हो कर देखें तो आज़ा की तफ़सील न दिखाई दे या पाउं के नीचे या बैठने की जगह हो तो इन सब सूरतों में नमाज़ मक्रूह नहीं।⁽⁴⁾ (درمختار)

मस्अला 21 तस्वीर सर बुरीदा या जिस का चेहरा मिटा दिया हो, मसलन कागज़ या कपड़े या दीवार पर हो तो उस पर रोशनाई फेर दी हो या उस के सर या चेहरे को खुरच डाला या धो डाला हो, कराहत नहीं।⁽⁵⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 22 अगर तस्वीर का सर काटा हो मगर सर अपनी जगह पर लगा हुवा है हुनूज⁽⁶⁾ जुदा न हुवा तो भी कराहत है। मसलन कपड़े पर तस्वीर थी, उस की गरदन पर सिलाई कर दी कि मिस्ल तौक के बन गई।⁽⁷⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 23 मिटाने में सिर्फ़ चेहरे का मिटाना कराहत से बचने के लिये काफ़ी है, अगर आंख या भवों, हाथ, पाउं जुदा कर लिये गए तो इस से कराहत दफ़अ न होगी।⁽⁸⁾ (ردالمحتار)

मस्अला 24 थैली या जेब में तस्वीर छुपी हुई हो तो नमाज़ में कराहत नहीं।⁽⁹⁾ (درمختار)

① "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٥٠٣، وغيره.

② "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٥٠٣. ④ المرجع السابق.

⑤ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٥٠٤.

⑥ यानी अभी तक।

⑦ "الدرالمختار" و "ردالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٥٠٤.

⑧ المرجع السابق. ⑨ "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٥٠٤.

मस्अला 25 — तस्वीर वाला कपड़ा पहने हुए है और उस पर कोई दूसरा कपड़ा और पहन लिया कि तस्वीर छुप गई तो अब नमाज़ मक्रूह न होगी।⁽¹⁾ (روايت)

मस्अला 26 — यूं तो तस्वीर जब छोटी न हो और मौज़ए इहानत⁽²⁾ में न हो, उस पर पर्दा न हो तो हर हालत में उस के सबब नमाज़ मक्रूहे तहरीमी होती है, मगर सब से बढ़ कर कराहत इस सूरत में है, जब तस्वीर मुसल्ली के आगे क़िब्ले को हो, फिर वोह कि सर के ऊपर हो, इस के बाद वोह कि दाहने बाएं दीवार पर हो, फिर वोह कि पीछे हो दीवार या पर्दे पर।⁽³⁾ (روايت، عالمگیری)

मस्अला 27 — येह अहकाम तो नमाज़ के हैं, रहा तस्वीरों का रखना इस की निस्बत सहीह हदीस में इरशाद हुवा कि “जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर, उस में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते।”⁽⁴⁾ यानी जब कि तौहीन के साथ न हों और न इतनी छोटी तस्वीरें हों।

मस्अला 28 — रुपै अशरफ़ी और दीगर सिक्के की तस्वीरें भी फ़रिश्तों के दाख़िल होने से मानेअ हैं या नहीं? इमाम काज़ी इयाज़ रَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى फ़रमाते हैं कि नहीं और हमारे उलमाए किराम के कलिमात से भी येही ज़ाहिर है।⁽⁵⁾ (روايت، عالمگیری)

मस्अला 29 — येह अहकाम तो तस्वीर के रखने में हैं कि सूरते इहानत व ज़रूरत वगैरहुमा मुस्तस्ना हैं, रहा तस्वीर बनाना या बनवाना, वोह बहर हाल हराम है।⁽⁶⁾ (روايت) ख़्वाह दस्ती⁽⁷⁾ हो या अक्सी⁽⁸⁾, दोनों का एक हुक्म है।

मस्अला 30 — (30) उल्टा कुरआने मजीद पढ़ना, (31) किसी वाजिब को तर्क करना मक्रूहे तहरीमी है : मसलन रुकूओ सुजूद में पीठ सीधी न करना, यूंही कौमा और जल्से में सीधे होने से पहले सज्दे को चला जाना, (32) क़ियाम के इलावा और किसी मौक़अ पर कुरआने मजीद पढ़ना, या (33) रुकूअ में क़िराअत ख़त्म करना, (34) इमाम से पहले मुक़्तदी का रुकूओ सुजूद वगैरा में जाना या उस से पहले सर उठाना।

① “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٥٠٤.

② ...यानी ज़िल्लत की जगह।

③ “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٠٧.

و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٥٠٣.

④ “صحيح البخاري”، كتاب المغازي، الحديث: ٤٠٠٢، ج ٣، ص ١٩.

⑤ “الدر المختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٥٠٦.

⑥ “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٥٠٦.

12. इस के मुतअल्लिक दीगर अहकाम इन् شاء الله تعالی किताबुल हज़र में मज़कूर होंगे।

⑦ ...यानी हाथ के ज़रीए।

⑧ ...यानी फ़ोटो।

मस्अला 31 (35) सिर्फ पाजामा या तहबन्द पहन कर नमाज़ पढ़ी और कुरता या चादर मौजूद है तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी है और जो दूसरा कपड़ा नहीं तो मुआफ़ी है।⁽¹⁾ (عالمگیری، غنیہ)

मस्अला 32 (36) इमाम को किसी आने वाले की खातिर नमाज़ का तूल देना मकरूहे तहरीमी है, अगर उस को पहचानता हो और उस की खातिर मदे नज़र हो और अगर नमाज़ पर उस की इआनत के लिये ब क़दर एक दो तस्बीह के तूल दिया तो कराहत नहीं।⁽²⁾ (عالمگیری)
(37) जल्दी में सफ़ के पीछे ही से **अल्लाहु अक्बर** कह कर शामिल हो गया, फिर सफ़ में दाख़िल हुवा, येह मकरूहे तहरीमी है।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस्अला 33 (38) ज़मीने मसूब⁽⁴⁾, या (39) पराए खेत में जिस में ज़राअत मौजूद है या जुते हुए खेत में नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी है, (40) क़ब्र का सामने होना, अगर मुसल्ली व क़ब्र के दरमियान कोई चीज़ हाइल न हो तो मकरूहे तहरीमी है।⁽⁵⁾ (درمختار، عالمگیری)

मस्अला 34 (41) कुफ़ार के इबादत ख़ानों में नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि वोह शयातीन की जगह हैं और ज़ाहिर कराहते तहरीम।⁽⁶⁾ (ف) बल्कि उन में जाना भी मम्नूअ है।⁽⁷⁾ (رد المحتار)

मस्अला 35 (42) उल्टा कपड़ा पहन कर या ओढ़ कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है और ज़ाहिर तहरीम।⁽⁸⁾ (43) यूंही अंगूरखे के बन्द न बांधना और अचकन वगैरा के बटन न लगाना, अगर इस के नीचे कुरता वगैरा नहीं और सीना खुला रहा तो ज़ाहिर कराहते तहरीम है और नीचे कुरता वगैरा है तो मकरूहे तन्ज़ीही। यहां तक तो वोह मकरूहात बयान हुए जिन का मकरूहे तहरीमी होना कुतुबे मोतबरा में मज़कूर है, बल्कि इसी पर एतिमाद किया है।

अब बाज़ दीगर मकरूहात बयान किये जाते हैं कि इन में अक्सर का मकरूहे तन्ज़ीही होना मुसरह है और बाज़ में इख़्तिलाफ़ है, मगर राजेह तन्ज़ीही है।

(1) सज्दे या रुकूअ में बिला ज़रूरत तीन तस्बीह से कम कहना, हदीस में इसी को मुर्ग़ की सी ठोंग मारना फ़रमाया, हां तंगिये वक़्त या रेल चले जाने के ख़ौफ़ से हो तो हरज नहीं और अगर मुक़्तदी तीन तस्बीहें न कहने पाया था कि इमाम ने सर उठा लिया तो इमाम का साथ दे।

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الثاني، ج 1، ص 106، و "غنية المتملّي"، كراهية الصلاة، ص 348.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الثاني، ج 1، ص 108.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الثاني، ج 1، ص 108.

4..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 54. 5..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 54. 6..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 54.

7..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 54. 8..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 54.

6..... "البحر الرائق"، كتاب الدعوى، ج 7، ص 364. 7..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 54. 8..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 54.

8..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 54. 9..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، ج 2، ص 54.

जि. 7, स. 358 ता 360 1...इल्मिय्या

मस्अला 36 (2) कामकाज के कपड़ों से नमाज़ पढ़ना मकरूहे तन्जीही है, जब कि उस के पास और कपड़े हों वरना कराहत नहीं।⁽¹⁾ (मतुन)

मस्अला 37 (3) मुंह में कोई चीज़ लिये हुए नमाज़ पढ़ना पढ़ाना मकरूह है, जब कि किराअत से मानेअ न हो और अगर मानेए किराअत हो, मसलन आवाज़ ही न निकले या इस किस्म के अल्फ़ाज़ निकलें कि कुरआन के न हों तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी।⁽²⁾

(दरमत्तार, रदाल्मख्तार)

मस्अला 38 (4) सुस्ती से नंगे सर नमाज़ पढ़ना यानी टोपी पहनना बोझ मालूम होता हो या गर्मी मालूम होती हो, मकरूहे तन्जीही है और अगर तह्कीरे नमाज़ मक़सूद है, मसलन नमाज़ कोई ऐसी मुहत्तम बिश्शान⁽³⁾ चीज़ नहीं जिस के लिये टोपी, इमामा पहना जाए तो येह कुफ़्र है और खुशूअो खुजूअ के लिये सर बरहना पढ़ी तो मुस्तहब है।⁽⁴⁾ (दरमत्तार, रदाल्मख्तार)

मस्अला 39 नमाज़ में टोपी गिर पड़ी तो उठा लेना अफ़ज़ल है, जब कि अमले कसीर की हाजत न पड़े, वरना नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी और बार बार उठानी पड़े तो छोड़ दे और न उठाने से खुजूअ मक़सूद हो तो न उठाना अफ़ज़ल है।⁽⁵⁾ (दरमत्तार, रदाल्मख्तार)

मस्अला 40 (5) पेशानी से खाक या घास छुड़ाना मकरूह है, जब कि इन की वजह से नमाज़ में तश्वीश न हो और तकब्बुर मक़सूद हो तो कराहते तहरीमी है और अगर तकलीफ़ देह हों या ख़याल बटता हो तो हरज नहीं और नमाज़ के बाद छुड़ाने में तो मुत्लकन मुज़ायका नहीं बल्कि चाहिये, ताकि रिया न आने पाए।⁽⁶⁾ (एल्ग़ियरी)

मस्अला 41 यूंही हाजत के वक़्त पेशानी से पसीना पोछना, बल्कि हर वोह अमले क़लील कि मुसल्ली के लिये मुफ़ीद हो जाइज़ है और जो मुफ़ीद न हो, मकरूह है।⁽⁷⁾

(एल्ग़ियरी)

मस्अला 42 नमाज़ में नाक से पानी बहा उस को पोंछ लेना, ज़मीन पर गिरने से बेहतर है और अगर मस्जिद में है तो ज़रूर है।⁽⁸⁾ (एल्ग़ियरी और ग़िरे)

①..... "شرح الوقاية"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج ١، ص ١٩٨.

②..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب في الكراهة التحريمية و التنزيهية، ج ٢، ص ٤٩١.

③... यानी अहम।

④..... "الدر المختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب في الكراهة التحريمية و التنزيهية، ج ٢، ص ٤٩١.

⑤..... المرجع السابق. ⑥..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٠٥.

⑦..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٠٥.

⑧..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٠٥، وغيره.

इस्बाल येह है कि टख़्नों से नीचे हों और आस्तीनों में उंगलियों से नीचे और इमामे में येह कि बैठने में दबे ।

मस्अला 50 (11) अंगड़ाई लेना (12) और बिल कस्द खांसना या (13) खन्कारना मकरूह है और अगर तबीअत दफ़अ कर रही है तो हरज नहीं (14) और नमाज़ में थूकना भी मकरूह है ।⁽¹⁾ (عالمگیری) तहतावी अला मराक़िल फ़लाह में अंगड़ाई को फ़रमाया जाहिरन मकरूहे तन्जीही है ।⁽²⁾

मस्अला 51 (15) सफ़ में मुन्फ़रिद⁽³⁾ को खड़ा होना मकरूह है कि क़ियाम व कुड़द वग़ैरा अफ़अल लोगों के मुख़ालिफ़ अदा करेगा । (16) यूंही मुक्तदी को सफ़ के पीछे तन्हा खड़ा होना मकरूह है, जब कि सफ़ में जगह मौजूद हो और अगर सफ़ में जगह न हो तो हरज नहीं और अगर किसी को सफ़ में से खींच ले और उस के साथ खड़ा हो तो येह बेहतर है, मगर येह ख़याल रहे कि जिस को खींचे वोह इस मस्अले से वाक़िफ़ हो कि कहीं इस के खींचने से अपनी नमाज़ न तोड़ दे ।⁽⁴⁾ (عالمگیری) और चाहिये येह कि किसी को इशारा करे और उसे येह चाहिये कि पीछे न हटे, इस पर से कराहत दफ़अ हो गई ।⁽⁵⁾ (فتح القدیر)

मस्अला 52 (17) फ़र्ज की एक रकअत में किसी आयत को बार बार पढ़ना हालते इख़्तियार में मकरूह है और उज़्र से हो तो हरज नहीं । (18) यूंही एक सूरत को बार बार पढ़ना भी मकरूह है ।⁽⁶⁾ (عالمگیری، غنیة)

मस्अला 53 (19) सज्दे को जाते वक़्त घुटने से पहले हाथ रखना, और (20) उठते वक़्त हाथ से पहले घुटने उठाना, बिला उज़्र मकरूह है ।⁽⁷⁾ (منیة)

मस्अला 54 (21) रुकूअ में सर को पुश्त से ऊंचा या नीचा करना, मकरूह है ।⁽⁸⁾ (منیة)

मस्अला 55 (22) बिस्मिल्लाह व तअव्वुज़ व सना और आमीन ज़ोर से कहना, या (23) अज़्कारे नमाज़ को उन की जगह से हटा कर पढ़ना, मकरूह है ।⁽⁹⁾ (غنیة، عالمگیری)

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 107.

2..... "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح"، كتاب الصلاة، فصل في المكروهات، ص 194.

3... यानी तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले ।

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 107.

5..... "فتح القدیر"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج 1، ص 309.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 107.

7..... "منیة المصلي"، بیان مکروهات الصلاة، ص 340.

8..... المرجع السابق، ص 349. 9..... "غنية المتعملي"، كراهية الصلاة، ص 352.

و "غنية المتعملي"، كراهية الصلاة، ص 355. 7..... "منیة المصلي"، بیان مکروهات الصلاة، ص 340.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 107.

मस्अला 56 (24) बिगैर उज़्र दीवार या असा पर टेक लगाना मकरूह है और उज़्र से हो तो हरज नहीं, बल्कि फ़र्ज़ व वाजिब व सुन्नते फ़ज़्र के क़ियाम में इस पर टेक लगा कर खड़ा होना फ़र्ज़ है जब कि बिगैर इस के क़ियाम न हो सके, जैसा कि बहूसे क़ियाम में ज़िक्र हुवा।⁽¹⁾ (غنية وغيره)

मस्अला 57 (25) रुकूअ में घुटनों पर, (26) और सज्दों में ज़मीन पर हाथ न रखना, मकरूह है।⁽²⁾ (عائلي)

मस्अला 58 (27) इमामे को सर से उतार कर ज़मीन पर रख देना, या (28) ज़मीन से उठा कर सर पर रख लेना मुफ़्सदे नमाज़ नहीं, अलबत्ता मकरूह है।⁽³⁾ (عائلي)

मस्अला 59 (29) आस्तीन को बिछा कर सज्दा करना ताकि चेहरे पर खाक न लगे मकरूह है और बराहे तकब्बुर हो तो कराहते तहरीम और गर्मी से बचने के लिये कपड़े पर सज्दा किया तो हरज नहीं।⁽⁴⁾ (عائلي)

मस्अला 60 आयते रहमत पर सुवाल करना और आयते अज़ाब पर पनाह मांगना, मुन्फ़रिद नफ़ल पढ़ने वाले के लिये जाइज़ है। (30) इमाम व मुक्तदी को मकरूह है।⁽⁵⁾ और अगर मुक्तदियों पर सिक़ल का बाइस हो तो इमाम को मकरूहे तहरीमी।

मस्अला 61 (31) दाहने बाएं झूमना मकरूह है और तरावुह यानी कभी एक पाउं पर ज़ोर दिया कभी दूसरे पर, येह सुन्नत है।⁽⁶⁾ (حلي)

मस्अला 62 (32) उठते वक्त आगे पीछे पाउं उठाना मकरूह है और सज्दे को जाते वक्त दाहनी जानिब ज़ोर देना और उठते वक्त बाएं पर ज़ोर देना, मुस्तहब है।⁽⁷⁾ (عائلي)

मस्अला 63 (33) नमाज़ में आंख बन्द रखना मकरूह है, मगर जब खुली रहने में खुशूअ न होता हो तो बन्द करने में हरज नहीं, बल्कि बेहतर है।⁽⁸⁾ (درمختار، ردالمحتار)

1..... "غنية المتملّي"، كراهية الصلاة، ص 303. وغيرها

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 109.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 108.

4..... المرجع السابق. 5..... المرجع السابق.

6..... "الحلية"، كتاب الصلاة، فصل فيما يكره في الصلاة وما لا يكره، ج 1، ص 328.

7..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 108.

8..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج 2، ص 499.

मस्जाला 64

(34) सज्दे वगैरा में क़िब्ले से उंगलियों को फेर देना, मकरूह है।⁽¹⁾

(عالمگیری وغيره)

मस्जाला 65

(35) जू या मच्छर जब ईजा पहुंचाते हों तो पकड़ कर मार डालने में हरज नहीं।⁽²⁾ (غني) यानी जब कि अमले कसीर की हाजत न हो।

मस्जाला 66

(36) इमाम को तन्हा मेहराब में खड़ा होना मकरूह है और अगर बाहर खड़ा हुवा सज्दा मेहराब में किया या वोह तन्हा न हो बल्कि उस के साथ कुछ मुक़तदी भी मेहराब के अन्दर हों तो हरज नहीं। यूँही अगर मुक़तदियों पर मस्जिद तंग हो तो भी मेहराब में खड़ा होना मकरूह नहीं।⁽³⁾ (در مختار، عالمگیری)

मस्जाला 67

(37) इमाम को दरों में खड़ा होना भी मकरूह है, (38) यूँही इमामे जमाअते ऊला को मस्जिद के ज़ाविये व जानिब में खड़ा होना भी मकरूह, इसे सुन्नत येह है कि वस्त में खड़ा हो और इसी वस्त का नाम मेहराब है, ख़्वाह वहां ताक़े मारुफ़ हो या न हो तो अगर वस्त छोड़ कर दूसरी जगह खड़ा हुवा अगरचें उस के दोनों तरफ़ सफ़ के बराबर बराबर हिस्से हों, मकरूह है।⁽⁴⁾ (رد المحتار)

मस्जाला 68

(39) इमाम का तन्हा बुलन्द जगह खड़ा होना मकरूह है, बुलन्दी की मिक्दार येह है कि देखने में उस की ऊंचाई ज़ाहिर मुमताज़ हो। फिर येह बुलन्दी अगर कलील हो तो कराहते तन्ज़ीह वरना ज़ाहिर तहरीम। (40) इमाम नीचे हो और मुक़तदी बुलन्द जगह पर, येह भी मकरूह व ख़िलाफ़े सुन्नत है।⁽⁵⁾ (در مختار وغيره)

मस्जाला 69

(41) काबए मुअज़्ज़मा और मस्जिद की छत पर नमाज़ पढ़ना मकरूह है कि इस में तर्कें ताज़ीम है।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

मस्जाला 70

(42) मस्जिद में कोई जगह अपने लिये खास कर लेना कि वहीं नमाज़ पढ़े येह मकरूह है।⁽⁷⁾ (عالمگیری وغيره)

मस्जाला 71

कोई शख्स खड़ा या बैठा बातें कर रहा है, उस के पीछे नमाज़ पढ़ने में

① "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٠٨، وغيره.

② "غنية المتملّي"، كراهية الصلاة، ص ٣٥٣. ③ "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، ج ٢، ص ٤٩٩.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٠٨.

④ "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٥٠٠.

⑤ "الدر المختار" و "رد المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب إذا تردد الحكم... إلخ، ج ٢، ص ٥٠٠.

⑥ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٠٨.

و "الفتاوى الهندية"، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد وقبلة... إلخ، ج ٥، ص ٣٢٢.

⑦ "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج ١، ص ١٠٨، وغيره.

कराहत नहीं, जब कि बातों से दिल बटने का खौफ़ न हो। मुस्हफ़ शरीफ़ और तल्वार के पीछे और सोने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूह नहीं।⁽¹⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 72 (42) तल्वार व कमान वगैरा हमाइल किये हुए नमाज़ पढ़ना मकरूह है, जब कि इन की हरकत से दिल बटे वरना हरज नहीं।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्अला 73 (43) जलती आग नमाज़ी के आगे होना बाइसे कराहत है, शम्अ या चराग़ में कराहत नहीं।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस्अला 74 (44) हाथ में कोई ऐसा माल हो जिस के रोकने की ज़रूरत होती है, उस को लिये हुए नमाज़ पढ़ना मकरूह है, मगर जब ऐसी जगह हो कि बिगैर इस के हिफ़ाज़त न मुम्किन हो, (45) सामने पाख़ाना वगैरा नजासत होना या ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना कि वोह मज़िन्नए नजासत हो, मकरूह है।⁽⁴⁾ (درمختار، ردالمحتار)

मस्अला 75 (46) सज्दे में रान को पेट से चिपका देना, या (47) हाथ से बिगैर उज़्र मख़बी पिस्सू उड़ाना मकरूह है।⁽⁵⁾ (عالمگیری) मगर औरत सज्दे में रान पेट से मिला देगी।

मस्अला 76 क़ालीन और बिछोनों पर नमाज़ पढ़ने में हरज नहीं, जब कि इतने नर्म और मोटे न हों कि सज्दे में पेशानी न ठहरे, वरना नमाज़ न होगी।⁽⁶⁾ (غنیة)

मस्अला 77 (48) ऐसी चीज़ के सामने जो दिल को मशगूल रखे नमाज़ मकरूह है, मसलन ज़ीनत और लहवो लअूब वगैरा।

मस्अला 78 (49) नमाज़ के लिये दौड़ना मकरूह है।⁽⁷⁾ (درمختار)

मस्अला 79 (50) अ़ाम रास्ता, (51) कूड़ा डालने की जगह, (52) मज़बह,⁽⁸⁾ (53) क़ब्रिस्तान, (54) गुस्ल ख़ाना, (55) हम्माम, (56) नाला, (57) मवेशी ख़ाना

1..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب الكلام على اتخاذ المسبحة... إلخ، ج 2، ص 509.

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 109.

3..... المرجع السابق، ص 108.

4..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 108.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب في بيان السنة والمستحب، ج 2، ص 513.

5..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع، فيما يفسد الصلاة، الفصل الثاني، ج 1، ص 109.

و "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، آداب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للحائض، ج 2، ص 259.

6..... "غنية المتملي"، كتاب الصلاة، كراهية الصلاة، فروع في الخلاصة، ص 360.

7..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب في بيان السنة والمستحب، ج 2، ص 513.

8..... यानी जानवर जब्द करने की जगह।

खुसूसन ऊंट बांधने की जगह, (58) अस्तबल,⁽¹⁾ (59) पाखाने की छत, (60) और सहरे में बिला सुतरा के जब कि खौफ हो कि आगे से लोग गुजरेंगे इन मवाजेअ⁽²⁾ में नमाज़ मकरूह है।⁽³⁾ (درمّی، روغیر)

मख़ाला 80 — मक़बरे में जो जगह नमाज़ के लिये मुकरर हो और उस में क़ब्र न हो तो वहां नमाज़ में हरज नहीं और कराहत उस वक़्त है कि क़ब्र सामने हो और मुसल्ली और क़ब्र के दरमियान कोई शै सुतरे की क़दर हाइल न हो वरना अगर क़ब्र दहने बाएं या पीछे हो या ब क़दरे सुतरा कोई चीज़ हाइल हो तो कुछ भी कराहत नहीं।⁽⁴⁾ (عالمگیری، غنیہ)

मख़ाला 81 — एक ज़मीन मुसलमान की हो दूसरी काफ़िर की तो मुसलमान की ज़मीन पर नमाज़ पढ़े अगर खेती न हो वरना रास्ते पर पढ़े, काफ़िर की ज़मीन पर न पढ़े और अगर ज़मीन में ज़िराअत है मगर इस में और मालिके ज़मीन में दोस्ती है कि उसे न गवार न होगा तो पढ़ सकता है।⁽⁵⁾ (رد المحتار)

मख़ाला 82 — सांप वगैरा के मारने के लिये जब कि ईज़ा का अन्देशए सहीह हो या कोई जानवर भाग गया उस के पकड़ने के लिये या बकरियों पर भेड़िये के हम्ला करने के खौफ़ से नमाज़ तोड़ देना जाइज़ है। यूंही अपने या पराए एक दिरहम के नुक्सान का खौफ़ हो, मसलन दूध उबल जाएगा या गोश्त तरकारी रोटी वगैरा जल जाने का खौफ़ हो या एक दिरहम की कोई चीज़ चोर उचक्का ले भागा, इन सूरतों में नमाज़ तोड़ देने की इजाज़त है।⁽⁶⁾ (درمّی، عالمگیری)

मख़ाला 83 — पाख़ाना पेशाब मालूम हुवा या कपड़े या बदन में इतनी नजासत लगी देखी कि मानेए नमाज़ न हो, या उस को किसी अजनबी औरत ने छू दिया तो नमाज़ तोड़ देना मुस्तहब है, बशर्ते कि वक़्त व जमाअत न फ़ौत हो और पाख़ाना पेशाब की हाजत शदीद मालूम होने में तो जमाअत के फ़ौत हो जाने का भी ख़याल न किया जाएगा, अलबत्ता फ़ौते वक़्त का लिहाज़ होगा।⁽⁷⁾ (درمّی، رد المحتار)

मख़ाला 84 — कोई मुसीबत ज़दा फ़रियाद कर रहा हो, इसी नमाज़ी को पुकार रहा हो या मुत्लकन किसी शख्स को पुकारता हो या कोई डूब रहा हो या आग से जल जाएगा या अन्धा

① ...यानी घोड़े बांधने की जगह। ② ...यानी जगहों।

③ "الدرا المختار"، کتاب الصلاة، ج ۲، ص ۵۲ - ۵۵، وغیره.

④ "الفتاویٰ الهندیة"، کتاب الکراهیة، الباب الخامس، ج ۵، ص ۳۲۰، و "غنیة المتملی"، کراهیة الصلاة، ص ۳۶۳.

⑤ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، مطلب فی الصلاة فی الارض المغصوبة... إلخ، ج ۲، ص ۵۴.

⑥ "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، مطلب فی بیان المستحب... إلخ، ج ۲، ص ۵۱۳.

و "الفتاویٰ الهندیة"، کتاب الصلاة، الباب السابع، فیما یفسد الصلاة، الفصل الثانی، ج ۱، ص ۱۰۹.

⑦ "الدرا المختار" و "ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة... إلخ، مطلب فی بیان المستحب... إلخ، ج ۲، ص ۵۱۴.

राहगीर कुएं में गिरा चाहता हो, इन सब सूरतों में तोड़ देना वाजिब है, जब कि येह उस के बचाने पर कादिर हो।⁽¹⁾ (درمختار، روالحار)

मस्जिदा 85

मां बाप, दादा दादी वगैरा उसूल के महज बुलाने से नमाज क़अ करना जाइज नहीं, अलबत्ता अगर इन का पुकारना भी किसी बड़ी मुसीबत के लिये हो, जैसे ऊपर मज़कूर हुवा तो तोड़ दे, येह हुक्म फ़र्ज का है। और अगर नफ़ल नमाज है और उन को मालूम है कि नमाज पढ़ता है तो उन के मामूली पुकारने से नमाज न तोड़े और इस का नमाज पढ़ना उन्हें मालूम न हो और पुकारा तो तोड़ दे और जवाब दे, अगर्चे मामूली तौर से बुलाएं।⁽²⁾

(درمختار، روالحار)

अहकामे मस्जिद का बयान

अल्लाह ﷻ फ़रमाता है :

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَأْ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ

أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝﴾⁽³⁾

मस्जिदें वोही आबाद करते हैं, जो अल्लाह (ﷻ) और पिछले दिन पर ईमान लाए और नमाज काइम की और ज़कात दी और खुदा के सिवा किसी से न डरे, बेशक वोह राह पाने वालों से होंगे।

हदीस 1 ता 4

बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दावूद व तिरमिज़ी व इब्ने माजह अबू हुरैरा से रावी कि हुज़ूरे अक्दस (ﷺ) फ़रमाते हैं : “मर्द की नमाज मस्जिद में जमाअत के साथ, घर में और बाज़ार में पढ़ने से पच्चीस दरजे ज़ाइद है और येह यूं है कि जब अच्छी तरह वुजू कर के मस्जिद के लिये निकला तो जो क़दम चलता है उस से दरजा बुलन्द होता है और गुनाह मिटता है और जब नमाज पढ़ता है तो मलाएका बराबर उस पर दुरूद भेजते रहते हैं जब तक अपने मुसल्ले पर है और हमेशा नमाज में है जब तक नमाज का इन्तिज़ार कर रहा है।”⁽⁴⁾ इमाम अहमद व अबू याला वगैरा की रिवायत उक्बा बिन अमिर (رضي الله تعالى عنه) से है कि हुज़ूर (ﷺ) फ़रमाते हैं : “हर क़दम के बदले दस नेकियां लिखी जाती हैं और जब से घर से निकलता है वापसी तक नमाज पढ़ने वालों में लिखा जाता

1..... “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب في بيان المستحب... إلخ، ج ٢، ص ٥١٤.

2..... المرجع السابق. 3..... پ ١٠، التوبة: ١٨.

4..... “صحيح البخاري”، كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، الحديث: ٦٤٧، ج ١، ص ٢٣٣.

و “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة، الحديث: ٥٠٩، ج ١، ص ٢٣٢.

है।”⁽¹⁾ इन्हीं रिवायतों के करीब करीब इब्ने उमर व इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से भी मरवी है।

हदीश 5 नसाई ने हज़रते उस्मान رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जो अच्छी तरह वुजू कर के फ़र्ज़ नमाज़ को गया और मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, उस की मग़िफ़रत हो जाएगी।”⁽²⁾

हदीश 6 मुस्लिम वग़ैरा ने रिवायत की, कि जाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं, मस्जिदे नबवी के गिर्द कुछ ज़मीनें ख़ाली हुई, बनी सलमा ने चाहा कि मस्जिद के करीब आ जाएं, येह ख़बर नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ को पहुंची, फ़रमाया : “मुझे ख़बर पहुंची है कि तुम मस्जिद के करीब उठ आना चाहते हो।” अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह** (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ! हां इरादा तो है। फ़रमाया : “ऐ बनी सलमा ! अपने घरों ही में रहो, तुम्हारे क़दम लिखे जाएंगे। दो बार इस को फ़रमाया, बनी सलमा कहते हैं : लिहाज़ा हम को घर बदलना पसन्द न आया।”⁽³⁾

हदीश 7 इब्ने माजह ने ब अस्नादे जय्यिद रिवायत की, कि इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا कहते हैं : “अन्सार के घर मस्जिद से दूर थे, उन्होंने ने करीब आना चाहा।” इस पर येह आयत नाज़िल हुई : **وَكُتِبَ مَا قَدْ مَوَازَاثُهُمْ** ⁽⁴⁾ जो उन्होंने ने नेक काम आगे भेजे, वोह और उन के निशाने क़दम हम लिखते हैं।

हदीश 8 बुख़ारी व मुस्लिम ने अबू मूसा अश़अरी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत की, कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “सब से बढ़ कर नमाज़ में उस का सवाब है, जो ज़ियादा दूर से चल कर आए।”⁽⁵⁾

हदीश 9 मुस्लिम वग़ैरा की रिवायत है, उबय बिन कअूब رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ कहते हैं : “एक अन्सारी का घर मस्जिद से सब से ज़ियादा दूर था और कोई नमाज़ उन की ख़ता न होती, उन से कहा गया, काश ! तुम कोई सुवारी ख़रीद लो कि अंधेरे और गर्मी में उस पर सुवार हो कर आओ, जवाब दिया : मैं चाहता हूँ कि मेरा मस्जिद को जाना और फिर घर को वापस आना लिखा जाए, इस पर नबी صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : **अल्लाह** (عَزَّوَجَلَّ) ने तुझे येह सब जम्अ कर के दे दिया।”⁽⁶⁾

1..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني، الحديث: ١٧٤٤٥، ج ٦، ص ١٤٦.

2..... “سنن النسائي”، كتاب الإمامة، باب حد إدراك الجماعة، الحديث: ٨٥٣، ص ١٤٩.

3..... “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب فضل كثرة الخطأ إلى المسجد، الحديث: ٢٨٠-٢٨١ (٦٦٥)-٢٨١ (٦٦٥)، ص ٣٣٥.

4..... “سنن ابن ماجه”، كتاب المساجد... إلخ، باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً، الحديث: ٧٨٥، ج ١، ص ٤٣٢.

5..... “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب فضل كثرة الخطأ إلى المسجد، الحديث: ٦٦٢، ص ٣٣٤.

6..... “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب فضل كثرة الخطأ إلى المسجد، الحديث: ٦٦٣، ص ٣٣٤.

हदीस 10 बज़्ज़ार व अबू याला ब अस्नादे हसन हज़रते अली रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “तक्लीफ़ में पूरा वुजू करना और मस्जिद की तरफ़ चलना और एक नमाज़ के बाद दूसरी का इन्तिज़ार करना, गुनाहों को अच्छी तरह धो देता है।”⁽¹⁾

हदीस 11 तबरानी अबू उमामा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “सुब्हो शाम मस्जिद को जाना अज़ किस्मे जिहादे फ़ी सबीलिल्लाह है।”⁽²⁾

हदीस 12 सहीहैन वगैरा में अबू हुरैरा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जो मस्जिद को सुब्ह या शाम को जाए, अल्लाह तआला उस के लिये जन्नत में मेहमानी तय्यार करता है, जितनी बार जाए।”⁽³⁾

हदीस 13 ता 23 अबू दावूद व तिरमिज़ी बुरैदा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से और इब्ने माजह अनस रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जो लोग अंधेरियों में मसाजिद को जाने वाले हैं, उन्हें क़ियामत के दिन कामिल नूर की खुश ख़बरी सुना दे।”⁽⁴⁾ और इसी के करीब करीब अबू हुरैरा व अबू दरदा व अबू उमामा व सहल बिन सअद साइदी व इब्ने अब्बास व इब्ने उमर व अबी सईद ख़ुदरी व जैद बिन हारिसा व उम्मुल मुअमिनीन सिद्दीका रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ से मरवी।

हदीस 24 अबू दावूद व इब्ने हब्बान अबू उमामा रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “तीन शख्स अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की ज़मान में हैं अगर जिन्दा रहें तो रोज़ी दे और क़िफ़ायत करे, मर जाएं तो जन्नत में दाख़िल करे : जो शख्स घर में दाख़िल हो और घर वालों पर सलाम करे, वोह अल्लाह की ज़मान में है और जो मस्जिद को जाए अल्लाह की ज़मान में है और जो अल्लाह की राह में निकला वोह अल्लाह की ज़मान में है।”⁽⁵⁾

हदीस 25 तबरानी कबीर में ब अस्नादे जय्यिद और बैहकी ब अस्नादे सहीह मौकूफ़न सलमान फ़ारसी रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं : “जिस ने घर में अच्छी तरह वुजू किया, फिर मस्जिद को आया वोह अल्लाह का ज़ाइर है और जिस की ज़ियारत की जाए, उस पर हक़ है कि ज़ाइर का इक्राम करे।”⁽⁶⁾

①..... “مسند البزار”، مسند علي بن أبي طالب، الحديث: ٥٢٨، ج ٢، ص ١٦١.

②..... “المعجم الكبير”، الحديث: ٧٧٣٩، ج ٨، ص ١٧٧.

③..... “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب المشي إلى الصلاة... إلخ، الحديث: ٦٦٩، ص ٣٣٦.

④..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب ماجاء في المشي إلى الصلاة في الظلم، الحديث: ٥٦١، ج ١، ص ٢٣٢.

⑤..... “الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان”، كتاب البر والإحسان، باب إفشاء السلام... إلخ، الحديث: ٤٩٩، ج ١، ص ٣٥٩.

⑥..... “المعجم الكبير”، باب السين، الحديث: ٦١٣٩، ج ٦، ص ٢٥٣.

हदीस 26

इब्ने माजह अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि फ़रमाते हैं :
 (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : “जो घर से नमाज़ को जाए और येह दुआ पढ़े :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمَشَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا
 وَلَا رِبَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ إِتْقَاءَ سَخَطِكَ وَإِيتِقَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاسْأَلُكَ أَنْ تُعِيدَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ
 تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (1)

उस की तरफ़ अल्लाह عَزَّوَجَلَّ अपने वज्हे करीम के साथ मुतवज्जेह होता है और सत्तर
 हजार फ़रिश्ते उस के लिये इस्तिफ़ार करते हैं ।” (2)

हदीस 27 ता 29

सहीह मुस्लिम में अबू उसैद رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि हुज़ूर
 (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : जब कोई मस्जिद में जाए तो कहे :

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (3)

और जब निकले तो कहे :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (4)

और अबू दावूद की रिवायत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल आसा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से है
 जब हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) मस्जिद में जाते तो येह कहते :

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (5)

फ़रमाया : “जब इसे कह ले तो शैतान कहता है : मुझ से तमाम दिन महफूज़
 रहा ।” (6) और तिरमिज़ी की रिवायत हज़रते फ़ातिमा ज़हरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا से है : जब
 मस्जिद में हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) दाख़िल होते तो दुरूद पढ़ते और कहते :

①...ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) ! मैं तुझ से सुवाल करता हूँ उस हक़ से कि तू ने सुवाल करने वालों का अपने ज़िम्माए क़रम
 पर रखा है और अपने इस चलने के हक़ से क्यूँ कि मैं तकबुर व फ़ख़्र के तौर पर घर से नहीं निकला और न दिखाने
 और सुनाने के लिये निकला मैं तेरी नाराज़ी से बचने और तेरी रिज़ा की त़लब में निकला, लिहाज़ा मैं तुझ से सुवाल
 करता हूँ कि जहन्म से मुझे पनाह दे और मेरे गुनाहों को बख़्श दे तेरे सिवा कोई गुनाहों का बख़्शने वाला नहीं । 12

②..... “सनन ابن ماجه”, أبواب المساجد و الجماعت، باب المشي إلى الصلوة، الحديث: ٧٧٨، ج ١، ص ٤٢٨.

③...ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) ! तू अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिये खोल दे । 12

④..... “صحيح مسلم”، كتاب صلاة المسافرين... إلخ باب ما يقول إذا دخل المسجد، الحديث: ٧١٣، ص ٣٥٩.

ऐ अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) ! मैं तुझ से तेरे फ़ज़ल का सुवाल करता हूँ । 12

⑤...पनाह मांगता हूँ अल्लाह अज़ीम की और उस के वज्हे करीम की और सुलताने क़दीम की, मरदूद शैतान से । 12

⑥..... “سنن أبي داود”، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، الحديث: ٤٦٦، ج ١، ص ١٩٩.

رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ . (1)

और जब निकलते तो दुरूद पढ़ते और कहते :

رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ . (2)

इमाम अहमद व इब्ने माजह की रिवायत में है कि जाते और निकलते वक़्त इन्होंने कहा : **بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ** (3)

हदीस 30 ता 33 सहीह मुस्लिम शरीफ़ में अबू हुरैरा **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से मरवी कि हुज़ूर **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** फ़रमाते हैं : “**अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** को सब जगह से ज़ियादा महबूब मस्जिदें हैं और सब से ज़ियादा मबगूज़ बाज़ार हैं।” (4) और इसी के मिसल जुबैर बिन मुत्तम व अब्दुल्लाह बिन उमर व अनस बिन मालिक **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ** से मरवी है और बाज़ रिवायत में है कि येह कौल **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** का है।

हदीस 34 बुख़ारी व मुस्लिम वगैरहमा इन्हीं से रावी कि हुज़ूर **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** फ़रमाते हैं : “सात शख्स हैं, जिन पर **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** साया करेगा, उस दिन कि उस के साए के सिवा, कोई साया नहीं। (1) इमामे आदिल, (2) और वोह जवान जिस की नश्वो नुमा **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** की इबादत में हुई, (3) और वोह शख्स जिस का दिल मस्जिद को लगा हुवा है, (4) और वोह दो शख्स कि बाहम **अल्लाह** के लिये दोस्ती रखते हैं इसी पर जम्अ हुए, इसी पर मुतफ़रिक् हुए, (5) और वोह शख्स जिसे किसी औरत (साहिबे मन्सबो जमाल) ने बुलाया, उस ने कह दिया : मैं **अल्लाह** से डरता हूं, (6) और वोह शख्स जिस ने कुछ सदका किया और उसे इतना छुपाया कि बाएं को ख़बर न हुई कि दहने ने क्या खर्च किया और (7) वोह शख्स जिस ने तन्हाई में **अल्लाह** को याद किया और आंखों से आंसू बहे।” (5)

हदीस 35 तिरमिज़ी व इब्ने माजह व इब्ने खुज़ैमा व इब्ने हब्बान व हाकिम अबू सईद खुदरी **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रावी कि हुज़ूर **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** फ़रमाते हैं : “तुम जब किसी को देखो कि मस्जिद का आदी है तो उस के ईमान के गवाह हो जाओ कि **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** फ़रमाता है : मस्जिदें वोही आबाद करते हैं जो **अल्लाह** और पिछले दिन पर ईमान लाए।” (6)

①...ऐ परवर दगार ! तू मेरे गुनाहों को बख़्श दे और मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे । 12

②..... “جامع الترمذي”، أبواب الصلاة، باب ماجاء ما يقول عند دخوله المسجد، الحديث: ٣١٤، ج ١، ص ٣٣٩.

ऐ रब ! तू मेरे गुनाह बख़्श दे और अपने फ़ज़ल के दरवाज़े मेरे लिये खोल दे । 12

③..... “سنن ابن ماجه”، أبواب المساجد... إلخ، باب الدعاء عند دخول المسجد، الحديث: ٧٧١، ج ١، ص ٤٢٥.

④..... “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب فضل الجلوس في مصلاه... إلخ، الحديث: ٦٧١، ج ١، ص ٣٣٧.

⑤..... “صحيح البخاري”، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، الحديث: ١٤٢٣، ج ١، ص ٤٨٠.

⑥..... “جامع الترمذي”، أبواب الإيمان، باب ماجاء في حرمة الصلوة، الحديث: ٢٦٢٦، ج ٤، ص ٢٨٠.

तिरमिजी ने कहा येह हदीस हसन गरीब है और हाकिम ने कहा सहीहुल अस्नाद है।

हदीस 36 सहीहैन में अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “मस्जिद में थूकना ख़ता है और इस का कफ़ारा ज़ाइल कर देना है।”⁽¹⁾

हदीस 37 सहीह मुस्लिम में अबू ज़र رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी कि हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं कि : “मुझ पर मेरी उम्मत के आमाल अच्छे बुरे सब पेश किये गए, नेक कामों में अज़िय्यत की चीज़ का रास्ते से दूर करना पाया और बुरे आमाल में मस्जिद में थूक कि ज़ाइल न किया गया हो।”⁽²⁾

हदीस 38 व 39 अबू दावूद व तिरमिजी व इब्ने माजह अनस رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “मुझ पर उम्मत के सवाब पेश किये गए, यहां तक कि तिन्का जो मस्जिद से कोई बाहर कर दे और गुनाह पेश किये गए तो इस से बढ़ कर कोई गुनाह नहीं देखा कि किसी को आयत या सूरते कुरआन दी गई और उस ने भुला दी।”⁽³⁾ और इब्ने माजह की एक रिवायत अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से है कि हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जो मस्जिद से अज़िय्यत की चीज़ निकाले, अल्लाह तआला उस के लिये एक घर जन्नत में बनाएगा।”⁽⁴⁾

हदीस 40 ता 42 इब्ने माजह वासिला बिन अस्क़अ से और त़बरानी उन से और अबू दरदा व अबू उमामा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “मसाजिद को बच्चों और पागलों और बैओ शिरा और झगड़े और आवाज़ बुलन्द करने और हुदूद काइम करने और तल्वार खींचने से बचाओ।”⁽⁵⁾

हदीस 43 तिरमिजी व दारिमी अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जब किसी को मस्जिद में ख़रीद या फ़रोख़्त करते देखो तो कहो : खुदा तेरी तिजारत में नफ़अ न दे।”⁽⁶⁾

हदीस 44 बैहकी शुअबुल ईमान में हसन बसरी से मुरसलन रावी कि हुजूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “एक ऐसा ज़माना आएगा कि मसाजिद में दुन्या की बातें होंगी, तुम उन के साथ न बैठो कि खुदा को उन से कुछ काम नहीं।”⁽⁷⁾

① “صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب كفارة البراق في المسجد، الحديث: ٤١٥، ج ١، ص ١٦٠.

② “صحیح مسلم، کتاب المساجد... إلخ، باب النهی عن البصاق في المسجد... إلخ، الحديث: ٥٥٣، ص ٢٧٩.

③ “سنن أبي داود، کتاب الصلوة، باب كنس المسجد، الحديث: ٤٦١، ج ١، ص ١٩١.

④ “سنن ابن ماجه، أبواب المساجد... إلخ، باب تطهير المساجد وتطبيها، الحديث: ٧٥٧، ج ١، ص ٤١٩.

⑤ “سنن ابن ماجه، أبواب المساجد... إلخ، باب ما يكره في المساجد، الحديث: ٧٥٠، ج ١، ص ٤١٥.

⑥ “جامع الترمذي، أبواب البيوع، باب النهی عن البيع في مسجد، الحديث: ١٣٢٥، ج ٣، ص ٥٩.

⑦ “شعب الإيمان، باب في الصلوات، فصل المشي إلى المساجد، الحديث: ٢٩٦٢، ج ٣، ص ٨٦.

हदीस 45 — इब्ने खुजैमा अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुजूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ने एक दिन मस्जिद में क़िल्ले की तरफ़ थूक देखा, उसे साफ़ किया, फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जेह हो कर फ़रमाया : “क्या तुम में कोई इस बात को पसन्द करता है कि उस के सामने खड़ा हो कर कोई शख्स उस के मुंह की तरफ़ थूक दे ।”⁽¹⁾

हदीस 46 व 47 — अबू दावूद व इब्ने खुजैमा व इब्ने हब्बान अबू सईद खुदरी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रावी कि हुजूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) फ़रमाते हैं : “जो क़िल्ले की जानिब थूके, क़ियामत के दिन इस तरह आएगा कि उस का थूक, दोनों आंखों के दरमियान होगा ।”⁽²⁾ और इमाम अहमद की रिवायत अबू उमामा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से है कि फ़रमाया : “मस्जिद में थूकना गुनाह है ।”⁽³⁾

हदीस 48 — सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है साइब बिन यज़ीद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا कहते हैं : मैं मस्जिद में सोया था, एक शख्स ने मुझ पर कंकरी फेंकी, देखा तो अमीरुल मुअमिनीन फ़ारूके आजम رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ हैं, फ़रमाया : जाओ उन दोनों शख्सों को मेरे पास लाओ, मैं उन दोनों को हाज़िर लाया, फ़रमाया : तुम किस क़बीले के हो या कहां के रहने वाले हो ? उन्होंने अर्ज़ की : हम ताइफ़ के रहने वाले हैं । फ़रमाया : “अगर तुम अहले मदीना से होते तो मैं तुम्हें सज़ा देता (कि वहां के लोग आदाब से वाकिफ़ थे) मस्जिदे रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ में आवाज़ बुलन्द करते हो ?”⁽⁴⁾

अहकामे फ़िक्हिय्या

मस्अला 1 — क़िल्ले की तरफ़ क़स्दन पाउं फैलाना मक्रूह है, सोते में हो या जागते में, यूँही मुस्हफ़ शरीफ़ व कुतुबे शरइय्या⁽⁵⁾ की तरफ़ भी पाउं फैलाना मक्रूह है, हां अगर किताबें ऊंचे पर हों कि पाउं की महाज़ात⁽⁶⁾ उन की तरफ़ न हो तो हरज नहीं या बहुत दूर हों कि उर्फ़न किताब की तरफ़ पाउं फैलाना न कहा जाए तो भी मुआफ़ है ।⁽⁷⁾ (روज़र)

मस्अला 2 — ना बालिग़ का पाउं क़िल्ला रुख़ कर के लिटा दिया, येह भी मक्रूह है और कराहत उस लिटाने वाले पर आइद होगी ।⁽⁸⁾ (روज़र)

1..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري، الحديث: ١١١٨٥، ج ٤، ص ٤٨.

2..... “سنن أبي داود”، كتاب الأطعمة، باب في أكل الثوم، الحديث: ٣٨٢٤، ج ٣، ص ٥٠٥، عن حذيفة رضي الله عنه.

3..... “المسند” للإمام أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حديث أبي امامة الباهلي، الحديث: ٢٢٣٠٦، ج ٨، ص ٢٩٢.

4..... “صحيح البخاري”، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد، الحديث: ٤٧٠، ج ١، ص ١٧٨.

رواه بلفظ “كنت قائما” وفي نسخة “نائما” (“ارشاد الساري” شرح “صحيح البخاري”، ج ٢، ص ١٤٨).

5...यानी तफ़्सीर व हदीस वगैरा । 6...यानी सीध ।

7..... “الدر المختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٥١٦.

8..... “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، ج ٢، ص ٥١٥.

मस्जाला 3 — मस्जिद का दरवाज़ा बन्द करना मक्रूह है, अलबत्ता अगर अस्बाबे मस्जिद जाते रहने का खौफ़ हो तो इलावा अवकाते नमाज़ बन्द करने की इजाज़त है।⁽¹⁾ (माग़िरी)

मस्जाला 4 — मस्जिद की छत पर वती व बौलो बराज़⁽²⁾ हराम है, यूँही जुनुब और हैज़ो निफ़ास वाली को उस पर जाना हराम है कि वोह भी मस्जिद के हुक्म में है। मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मक्रूह है।⁽³⁾ (दरमिअन, रदालिअर)

मस्जाला 5 — मस्जिद को रास्ता बनाना यानी इस में से हो कर गुज़रना ना जाइज़ है, अगर इस की आदत करे तो फ़ासिद है, अगर कोई इस निय्यत से मस्जिद में गया वस्त में पहुँचा कि नादिम हुवा तो जिस दरवाज़े से उस को निकलना था उस के सिवा दूसरे दरवाज़े से निकले या वहीं नमाज़ पढ़े फिर निकले और वुजू न हो तो जिस तरफ़ से आया है, वापस जाए।⁽⁴⁾ (दरमिअन, रदालिअर)

मस्जाला 6 — मस्जिद में नजासत ले कर जाना, अगरचें उस से मस्जिद आलूदा न हो या जिस के बदन पर नजासत लगी हो उस को मस्जिद में जाना मन्अ है।⁽⁵⁾ (रदालिअर)

मस्जाला 7 — नापाक रोग़न मस्जिद में जलाना या नजिस गारा मस्जिद में लगाना मन्अ है।⁽⁶⁾ (रदालिअर)

मस्जाला 8 — मस्जिद में किसी बरतन के अन्दर पेशाब करना या फ़स्द का खून लेना⁽⁷⁾ भी जाइज़ नहीं।⁽⁸⁾ (रदालिअर)

मस्जाला 9 — बच्चे और पागल को जिन से नजासत का गुमान हो मस्जिद में ले जाना हराम है वरना मक्रूह, जो लोग जूतियां मस्जिद के अन्दर ले जाते हैं, उन को इस का खयाल करना चाहिये कि अगर नजासत लगी हो तो साफ़ कर लें और जूता पहने मस्जिद में चले जाना, सूए अदब है।⁽⁹⁾ (रदालिअर)

मस्जाला 10 — ईदगाह या वोह मक़ाम कि जनाज़े की नमाज़ पढ़ने के लिये बनाया हो, इक्तिदा के मसाइल में मस्जिद के हुक्म में है कि अगरचें इमाम व मुक्तदी के दरमियान कितनी

1..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة... إلخ، فصل كره غلق باب المسجد، ج 1، ص 109.

2... यानी पेशाब और पाख़ाना।

3..... "الدرالمختار" و "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، مطلب في أحكام المسجد، ج 2، ص 516.

4..... المرجع السابق، ص 517.

5..... "ردالمحتار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد، ج 2، ص 517.

6..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 517.

7... यानी रग खोल कर फ़ासिद खून निकलवाना।

8..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 517.

9..... "الدرالمختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 518.

ही सफ़ों की जगह फ़ासिल हो इक्तिदा सहीह है और बाकी अहकाम मस्जिद के उस पर नहीं, इस का येह मतलब नहीं कि उस में पेशाब पाख़ाना जाइज़ है बल्कि येह मतलब कि जुनुब और हैज़ो निफ़ास वाली को उस में आना जाइज़, फ़िनाए मस्जिद और मद्रसा व ख़ान्काह व सराए और तालाबों पर जो चबूतरे वगैरा नमाज़ पढ़ने के लिये बना लिया करते हैं, उन सब के भी येही अहकाम हैं, जो ईदगाह के लिये हैं।⁽¹⁾ (دری)

मस्जाला 11

मस्जिद की दीवार में नक्शो निगार और सोने का पानी फेरना मन्अ नहीं जब कि ब निय्यते ताज़ीमे मस्जिद हो, मगर दीवारे क़िब्ला में नक्शो निगार मक्रूह है, येह हुक्म उस वक़्त है कि कोई शख़्स अपने माले हलाल से नक्श करे और माले वक्फ़ से नक्शो निगार हराम है, अगर मुतवल्ली ने कराया या सफ़ेदी की तो तावान दे, हां अगर वाक़िफ़ ने येह फ़ेल खुद भी किया या उस ने मुतवल्ली को इख़्तियार दिया हो तो माले वक्फ़ से येह खर्च दिया जाएगा।⁽²⁾ (دری)

मस्जाला 12

मस्जिद का माल जम्अ है और ख़ौफ़ है कि ज़ालिम ज़ाएअ कर डालेंगे तो ऐसी हालत में नक्शो निगार में सर्फ़ कर सकते हैं।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस्जाला 13

मस्जिद की दीवारों और मेहराबों पर कुरआन लिखना अच्छा नहीं कि अन्देशा है वहां से गिरे और पाउं के नीचे पड़े, इसी तरह मकान की दीवारों पर कि इल्लत मुशतरक है। यूंही जिस बिछोने या मुसल्ले पर अस्माए इलाही लिखे हों उस का बिछाना या किसी और इस्तिमाल में लाना जाइज़ नहीं और येह भी मम्नूअ है कि अपनी मिल्क में से उसे जुदा कर दे कि दूसरे के इस्तिमाल न करने का क्या इत्मीनान, लिहाज़ा वाजिब है कि उस को सब से ऊपर किसी ऐसी जगह रखें कि उस से ऊपर कोई चीज़ न हो।⁽⁴⁾ (عالمگیری) यूंही बाज़ दस्तर ख़्वान पर अशआर लिखते हैं, उन का बिछाना और उन पर खाना मम्नूअ है।

मस्जाला 14

मस्जिद में वुजू करना और कुल्ली करना और मस्जिद की दीवारों या चटाइयों पर या चटाइयों के नीचे थूकना और नाक सिनक्ना मम्नूअ है और चटाइयों के नीचे डालना ऊपर डालने से ज़ियादा बुरा है और अगर नाक सिनक्ने या थूकने की ज़रूरत ही पड़ जाए तो कपड़े में ले ले।⁽⁵⁾ (عالمگیری)

मस्जाला 15

मस्जिद में कोई जगह वुजू के लिये इब्तिदा ही से बानिये मस्जिद ने क़ब्ले तमाम मस्जिदियत बनाई है, जिस में नमाज़ नहीं होती तो वहां वुजू कर सकता है। यूंही तशत

1..... "الدرا المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 519. 2..... المرجع السابق.

3..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة... إلخ، فصل كره غلق باب المسجد، ج 1، ص 109.

4..... المرجع السابق. 5..... المرجع السابق، ص 110.

वगैरा किसी बरतन में भी वुजू कर सकता है, मगर बशर्ते कमाले एहतियात कि कोई छोट मस्जिद में न पड़े।⁽¹⁾ बल्कि मस्जिद को हर घिन की चीज़ से बचाना ज़रूरी है। आज कल अक्सर देखा जाता है कि वुजू के बाद मुंह और हाथ से पानी पोंछ कर मस्जिद में झाड़ते हैं, येह ना जाइज है।

मस्जाला 16

कीचड़ से पाउं सना हुवा है, उस को मस्जिद की दीवार या सुतून से पोंछना मन्अ है, यूंही फैले हुए गुबार से पोंछना भी ना जाइज है और कूड़ा जम्अ है तो उस से पोंछ सकते हैं, यूंही मस्जिद में कोई लकड़ी पड़ी हुई है कि इमारते मस्जिद में दाखिल नहीं उस से भी पोंछ सकते हैं, चटाई के बेकार टुकड़े से जिस पर नमाज़ न पढ़ते हों पोंछ सकते हैं, मगर बचना अफ़ज़ल।⁽²⁾ (عالمگیری، صغیری)

मस्जाला 17

मस्जिद का कूड़ा झाड़ कर किसी ऐसी जगह न डालें, जहां बे अदबी हो।⁽³⁾ (درمختار)

मस्जाला 18

मस्जिद में कूवां नहीं खोदा जा सकता और अगर कबले मस्जिद वोह कूवां था और अब मस्जिद में आ गया तो बाकी रखा जाएगा।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

मस्जाला 19

मस्जिद में पेड़ लगाने की इजाज़त नहीं, हां मस्जिद को इस की हाज़त है कि ज़मीन में तरी है, सुतून काइम नहीं रहते तो उस तरी के ज़बब करने के लिये पेड़ लगा सकते हैं।⁽⁵⁾ (عالمگیری وغیره)

मस्जाला 20

कबले तमाम मस्जिदियत, मस्जिद के अस्बाब रखने के लिये मस्जिद में हुजरा वगैरा बना सकते हैं।⁽⁶⁾ (عالمگیری)

मस्जाला 21

मस्जिद में सुवाल करना हराम है और उस साइल को देना भी मन्अ है, मस्जिद में गुमशुदा चीज़ तलाश करना मन्अ है।⁽⁷⁾ हदीस में है : “जब देखो कि गुमी हुई चीज़ मस्जिद में तलाश करता है तो कहो : खुदा उस को तेरे पास वापस न करे कि मस्जिदें इस लिये नहीं बनीं।”⁽⁸⁾ इस हदीस को मुस्लिम ने अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत किया। (درمختار وغیره)

मस्जाला 22

मस्जिद में शेर पढ़ना ना जाइज है, अलबत्ता अगर वोह शेर “हम्द व नातो मन्क़बत व वाज़ो हिक्मत” का हो तो जाइज है।⁽⁹⁾ (درمختار)

①..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة... إلخ، فصل كره غلق باب المسجد، ج ١، ص ١١٠.

②..... المرجع السابق، و “صغیری”، فصل في أحكام المسجد، ص ٣٠١.

③..... “الدرالمختار”، كتاب الطهارة، ج ١، ص ٣٥٥.

④..... “الفتاوى الهندية”، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة... إلخ، فصل كره غلق باب المسجد، ج ١، ص ١١٠.

⑤..... المرجع السابق. وغیره ⑥..... المرجع السابق.

⑦..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٥٢٣.

⑧..... “صحيح مسلم”، كتاب المساجد... إلخ، باب النهی عن نشد الضالة في المسجد... إلخ، الحديث: ١٢٦٠، ص ٧٦٥.

⑨..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٥٢٣.

मस्जाला 23

मस्जिद में खाना, पीना, सोना, मोतकिफ़ और परदेसी के सिवा किसी को जाइज़ नहीं, लिहाज़ा जब खाने पीने वगैरा का इरादा हो तो एतिकाफ़ की निय्यत कर के मस्जिद में जाए कुछ ज़िक्र व नमाज़ के बाद अब खा पी सकता है और बाज़ों ने सिर्फ़ मोतकिफ़ का इस्तिस्ना किया और येही राजेह, लिहाज़ा ग़रीबुल वतन भी निय्यते एतिकाफ़ करे कि ख़िलाफ़ से बचे।⁽¹⁾ (در مختار، صغیری)

मस्जाला 24

मस्जिद में कच्चा लहसन, पियाज़ खाना या खा कर जाना जाइज़ नहीं, जब तक बू बाकी हो कि फ़रिशतों को इस से तकलीफ़ होती है। हुज़ूरे अक्दस ﷺ इरशाद फ़रमाते हैं: “जो इस बदबूदार दरख़्त से खाए, वोह हमारी मस्जिद के क़रीब न आए कि मलाएका को उस चीज़ से ईज़ा होती है, जिस से आदमी को होती है।”⁽²⁾ इस हदीस को बुख़ारी व मुस्लिम ने जाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत किया। येही हुक्म हर उस चीज़ का है जिस में बदबू हो: जैसे गंदना,⁽³⁾ मूली, कच्चा गोश्त, मिट्टी का तेल, वोह दिया सलाई जिस के रगड़ने में बू उड़ती है, रियाह ख़ारिज करना वगैरा वगैरा। जिस को गन्दा दहनी का अ़रिज़ा हो या कोई बदबूदार ज़ख़म हो या कोई दवा बदबूदार लगाई हो तो जब तक बू मुन्क़तअ न हो उस को मस्जिद में आने की मुमानअत है, यूंही क़स्साब और मछली बेचने वाले,⁽⁴⁾ और कोढ़ी और सफ़ेद दाग़ वाले और उस शख़्स को जो लोगों को ज़बान से ईज़ा देता हो, मस्जिद से रोका जाएगा।⁽⁵⁾ (در مختار، رد المحتار وغيرهما)

मस्जाला 25

बैओ शिरा⁽⁶⁾ वगैरा हर अक्दे मुबादला मस्जिद में मन्अ है, सिर्फ़ मोतकिफ़ को इजाज़त है जब कि तिजारत के लिये ख़रीदता बेचता न हो, बल्कि अपनी और बाल बच्चों की ज़रूरत से हो और वोह शै मस्जिद में न लाई गई हो।⁽⁷⁾ (در مختار)

मस्जाला 26

मुबाह बातें भी मस्जिद में करने की इजाज़त नहीं,⁽⁸⁾ न आवाज़ बुलन्द करना जाइज़। (در مختار، صغیری)

अफ़सोस कि इस ज़माने में मस्जिदों को लोगों ने चौपाल बना रखा है, यहां तक कि बाज़ों को मस्जिदों में गालियां बकते देखा जाता है। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالَى

1..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٥٢٥. و “صغیری”، فصل في أحكام المسجد، ص ٣٠٢.

2..... صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب نهی من أكل ثوما... إلخ، الحديث: ٥٦٤، ص ٢٨٢.

3... यानी एक किस्म की मशहूर तरकारी जो लहसन से मुशाबेह होती है।

4... यानी जब कि इन दोनों के बदन या कपड़े में बू हो। क़स्साब से मुराद कौमे क़स्साब नहीं बल्कि वोह जो गोश्त बेचता हो, चाहे वोह किसी (भी) कौम का हो। 12 मिन्ह

5..... “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة... إلخ، و مطلب في الغرس في المسجد، ج ٢، ص ٥٢٥، وغيرهما.

6... यानी ख़रीदो फ़रोख़्त।

7..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد، ج ٢، ص ٥٢٦.

8..... “الدرالمختار”، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج ٢، ص ٥٢٦. و “صغیری”، فصل في أحكام المسجد، ص ٣٠٢.

मस्जाला 27 — दरजी को इजाज़त नहीं कि मस्जिद में बैठ कर उजरत पर कपड़े सिये, हां अगर बच्चों को रोकने और मस्जिद की हिफ़ज़त के लिये बैठा तो हरज नहीं। यूंही कातिब को मस्जिद में बैठ कर लिखने की इजाज़त नहीं, जब कि उजरत पर लिखता हो और बिगैर उजरत लिखता हो तो इजाज़त है जब कि किताब कोई बुरी न हो। यूंही मुअल्लिम अजीर⁽¹⁾ को मस्जिद में बैठ कर तालीम की इजाज़त नहीं और अजीर न हो तो इजाज़त है।⁽²⁾ (عالمگیری)

मस्जाला 28 — मस्जिद का चराग़ घर नहीं ले जा सकता और तिहाई रात तक चराग़ जला सकते हैं अगरचें जमाअत हो चुकी हो, इस से ज़ियादा की इजाज़त नहीं, हां अगर वाकिफ़ ने शर्त कर दी हो या वहां तिहाई रात से ज़ियादा जलाने की आदत हो तो जला सकते हैं, अगरचें शब भर की हो।⁽³⁾ (عالمگیری)

मस्जाला 29 — मस्जिद के चराग़ से कुतुब बीनी और दर्सों तदरीस तिहाई रात तक तो मुत्लक़न कर सकता है, अगरचें जमाअत हो चुकी हो और इस के बाद इजाज़त नहीं, मगर जहां इस के बाद तक जलने की आदत हो।⁽⁴⁾ (عالمگیری)

मस्जाला 30 — चमगादड़ और कबूतर वगैरा के घोंसले, मस्जिद की सफ़ाई के लिये नोचने में हरज नहीं।⁽⁵⁾ (درمذّر)

मस्जाला 31 — जिस ने मस्जिद बनवाई तो मरम्मत और लोटे, चटाई, चराग़ बत्ती वगैरा का हक़ उसी को है और अज़ानो इक़ामत व इमामत का अहल है तो इस का भी वोही मुस्तहक़ है, वरना उस की राय से हो, यूंही उस के बाद उस की औलाद और कुम्बे वाले गैरों से औला हैं।⁽⁶⁾ (عالمگیری، غنية)

मस्जाला 32 — बानिये मस्जिद ने एक को इमाम व मुअज़्ज़िन किया और अहले महल्ला ने दूसरे को तो अगर वोह अफ़ज़ल है जिसे अहले महल्ला ने पसन्द किया है तो वोही बेहतर है और अगर बराबर हों तो जिसे बानी ने पसन्द किया, वोह होगा।⁽⁷⁾ (غنية)

मस्जाला 33 — सब मस्जिदों से अफ़ज़ल मस्जिदे हराम शरीफ़ है, फिर मस्जिदे नबवी, फिर

1... यानी उजरत पर पढ़ाने वाले।

2..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة... إلخ، فصل كره غلق باب المسجد، ج 1، ص 110.

3..... المرجع السابق. 4..... المرجع السابق.

5..... "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، ص 528.

6..... "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة... إلخ، فصل كره غلق باب المسجد، ج 1، ص 110.

و "غنية المتملّي"، أحكام المسجد، ص 615. 7..... "غنية المتملّي"، أحكام المسجد، ص 615.

मस्जिदे कुदस, फिर मस्जिदे कुबा, फिर और जामेअ मस्जिदे, फिर मस्जिदे महल्ला, फिर मस्जिदे शारेअ।⁽¹⁾ (رواها)

मस्जाला 34 - मस्जिदे महल्ला में नमाज़ पढ़ना, अगर्चे जमाअत कलील हो मस्जिदे जामेअ से अफज़ल है, अगर्चे वहां बड़ी जमाअत हो, बल्कि अगर मस्जिदे महल्ला में जमाअत न हुई हो तो तन्हा जाए और अज़ानो इक़ामत कहे, नमाज़ पढ़े, वोह मस्जिदे जामेअ की जमाअत से अफज़ल है।⁽²⁾ (صغیری وغیره)

मस्जाला 35 - जब चन्द मस्जिदे बराबर हों तो वोह मस्जिद इख़्तियार करे, जिस का इमाम ज़ियादा इल्म व सलाह वाला हो।⁽³⁾ (صغیری) और अगर इस में बराबर हों तो जो ज़ियादा क़दीम हो और बाजों ने कहा जो ज़ियादा क़रीब हो और ज़ियादा राजेह येही मालूम होता है।

मस्जाला 36 - मस्जिदे महल्ला में जमाअत न मिली तो दूसरी मस्जिद में बा जमाअत पढ़ना अफज़ल है और जो दूसरी मस्जिद में भी जमाअत न मिले तो महल्ले ही की मस्जिद में औला है और अगर मस्जिदे महल्ला में तक्बीरे ऊला या एक दो रक्अत फ़ौत हो गई और दूसरी जगह मिल जाएगी तो इस के लिये दूसरी मस्जिद में न जाए। यूंही अगर अज़ान कही और जमाअत में से कोई नहीं तो मुअज़्ज़िन तन्हा पढ़ ले, दूसरी मस्जिद में न जाए।⁽⁴⁾ (صغیری)

मस्जाला 37 - जो अदब मस्जिद का है, वोही मस्जिद की छत का है।⁽⁵⁾ (غنیة)

मस्जाला 38 - मस्जिदे महल्ला का इमाम अगर مَعَاذِ اللَّهِ ज़ानी या सूद ख़्वार हो या उस में और कोई ऐसी ख़राबी हो, जिस की वजह से उस के पीछे नमाज़ मन्अ हो तो मस्जिद छोड़ कर दूसरी मस्जिद को जाए।⁽⁶⁾ (غنیة) और अगर इस से हो सकता हो तो माज़ूल कर दे।

मस्जाला 39 - अज़ान के बाद मस्जिद से निकलने की इजाज़त नहीं। हदीस में फ़रमाया कि : “अज़ान के बाद मस्जिद से नहीं निकलता, मगर मुनाफ़िक़।”⁽⁷⁾ लेकिन वोह शख़्स कि किसी काम के लिये गया और वापसी का इरादा रखता है यानी क़ब्ले क़ियामे जमाअत। यूंही जो शख़्स दूसरी मस्जिद की जमाअत का मुन्तज़िम हो तो उसे चला जाना चाहिये।⁽⁸⁾

(आम्माए कुतुब)

①..... “ردالمحتار”، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، مطلب فی أفضل المسجّد، ج ۲، ص ۵۲۱.

②..... “صغیری”، فصل فی أحکام المسجّد، ص ۳۰۲، وغیره.

و “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، مطلب فی أفضل المساجد، ج ۲، ص ۵۲۳.

③..... “صغیری”، فصل فی أحکام المسجّد، ص ۳۰۲.

و “الدرالمختار” و “ردالمحتار”، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، مطلب فی أفضل المساجد، ج ۲، ص ۵۲۲.

④..... “صغیری”، فصل فی أحکام المسجّد، ص ۳۰۲. ⑤..... “غنیة المتملی”، فصل فی أحکام المسجّد، ص ۶۱۲.

⑥..... “غنیة المتملی”، أحکام المسجّد، ص ۶۱۳. ⑦..... “مراسیل أبي داود” مع “سنن أبي داود”، باب ماجاء فی الاذان، ص ۶.

⑧..... “غنیة المتملی”، أحکام المسجّد، ص ۶۱۳.

મરજીલા 40

मस्जिदा 40 अगर उस वक़्त की नमाज़ पढ़ चुका है तो अज़ान के बाद मस्जिद से जा सकता है, मगर जोहर व इशा में इक़ामत हो गई तो न जाए, नफ़ल की निय्यत से शरीक हो जाने का हुक्म है।⁽¹⁾ (आम्माए कुतुब) और बाक़ी तीन नमाज़ों में अगर तक्बीर हुई और येह तन्हा पढ़ चुका है तो बाहर निकल जाना वाजिब है।

قد تم هذا الجزء بحمد الله سبحانه وتعالى وصلى الله تعالى على حبيبنا وآله وصحبه وإبنه وحزبه أجمعين والحمد لله رب العلمين .

तक़रीजे इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे मिअते हाज़िरा

मुअय्यिदे मिल्लते ताहिरा आला हज़रत क़िब्ला رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى لَا سِيَّمَا عَلَى
الشَّارِعِ الْمُصْطَفَى مُقْتَفِيهِ فِي الْمَشَارِعِ أُولَى الصَّدَقِ وَالصِّفَا.

फकीर फ़कीर मोली़ा़ल क़दिर ने येह मुबारक रिसाला बहारे शरीअत हिस्सए सिवुम तस्नीफ़े लतीफ़ा़ल इल्म व़ा़ल इल्म व़ा़ल इल्म मौलाना अबुल इला मौलवी हकीम मुहम्मद अमजद अली क़ादिरि बरकाती आजमी बिल मज़हब वल मशरब वस्सकनी मुतालआ किया । رزقہ اللہ تعالیٰ فی الدارين الحسنى मसाइले सहीहा रजीहा मुहक्क़ा मुनक्क़ा पर मुश्तमिल पाया । आज कल ऐसी किताब की ज़रूरत थी कि अ़वाम भाई सलीस उर्दू में सहीह मस्अले पाएं और गुमराही व अग़लात के मस्नूअ व मुलम्मअ ज़ेवरो की तरफ़ आंख न उठाएं । मौला عَزَّوَجَلَّ मुसन्निफ़ की उम्र व इल्म व फैज़ में बरकत दे और हर बाब में इस किताब के और हिस्स काफ़ी व शाफ़ी व वाफ़ी व साफ़ी तालीफ़ करने की तौफ़ीक़ बख़्शे और इन्हें अहले सुन्नत में शाएअ व मामूल और दुन्या व आख़िरत में नाफ़ेओ मक्बूल फरमाए । आमीन

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَآبِنِهِ وَحِزْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ. ١٢ شَعْبَانَ الْمُعَظَّمِ ١٣٣٤ هَجْرِيَّةً عَلَى صَاحِبِهَا وَآلِهِ الْكَرَامِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّحِيَّةِ. آمِينَ.

شعيرة الذنوب

1..... "غنية المتملي"، أحكام المسجد، ص ٦١٤، وغيرها.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतल इल्मिया (दावते इस्लामी)